April to June 2023
E-Journal
Volume I, Issue XLII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor -7.671

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Index

01. Index 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09
03. Referee Board 10
04. Spokesperson 12
05. An Analytical Study on Indian Stock Market (Dr. Balmukund Baghel) 14
06. Juvenile Delinquency and Juvenile Justice System in India (Vikram Singh Chandel) 17
07. आधुनिक जीवन शैली की समस्या मधुमेह (डॉ. आराधना श्रीवास) 22
08. वैदिक युग में संगीत (श्रीमती मोनिका शर्मा) 25
09. पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका : एक अध्ययन (डॉ. ज़ाकिर खान) 27
10. संस्कृत साहित्य में पर्यावरण संरक्षण की भूमिका (ऋषिका चुण्डावत) 32
11. भारत में आरक्षण की राजनीति : राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के विशेष संदर्भ में (हरिसिंह गुर्जर) 35
12. कालिदास के विचार-रत्नों का वर्तमान से सम्बन्ध (डॉ. धानी जामोद) 40
13. मेवाड़ राज्य का भोगोलिक-ऐतिहासिक परिचय (डॉ. शगुफ्ता सैफी) 42
14. मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण की सार्थक भूमिका (श्रीमती मीनाक्षी भार्गव) 46
15. बाल काव्य और नैतिक मूल्य (डॉ. मंजरी चतुर्वेदी) 48
16. फर्नीचर उद्योग में एक आर्थिक अध्ययन (डॉ. शिव कुमार वर्मा, नरेश कुमार प्रजापति) 50
17. The Effect of Decision Support Systems on Management's effectiveness 52
(Dr. Nitin Rao Chavhan, Dr. Ajay Trivedi)
18. The Social Status of Farmers (Khamariya Bujurg, Sagar) (Ms. Radhika Yadav, Dr. Sunil Sahu) 56
19. Study of the Development of the Law and Practice Relating to Abortion in India 62
(Dr. Vipin Kumar Mishra, Anadi Silawat)
20. मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के आर्थिक प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (योगेंद्र कुमार ठगेले) 66
21. Appropriate Participation of Women in Sustainable Development and Biodiversity 69
Conservation (Dr. Jolly Garg)
22. जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन (जबलपुर जिले के सन्दर्भ में) (प्रियंका साहू) 74
23. मानवीय मूल्यों का प्रासंगिक महत्व (डॉ. शिवानी शर्मा, राजश्री रतावा, डॉ. राजेश कुमार शर्मा) 77
24. पश्चिम ओड़िशा के लोकगीत: परम्परा एवं प्रयोग (गोविन्द नाएक) 81
25. योग एवं समग्र स्वास्थ्य : एक अध्ययन (डॉ. आभा सैनी) 83
26. Women's Movement In India: Changing Scenario Of Indian Women Entrepreneurship 85
(Naresh Kumar)
27. Rights of Prisoners Under Constitutional Guarantee (Anadi Silawat, Piyush Kamal) 88
28. समावेशी विकास का अर्थ, अवधारणा, तत्व एवं चुनौतियाँ (दीपिका त्रिवेदी) 91
29. G-20 and India's Presidency (Dr. Archana Singhal) 95

30. वर्तमान परिपेक्ष्य में पर्यावरण और पर्यटन विकास के नये आयामों का विवेचनात्मक अध्ययन(नीलम खासकलम) 98

31. Concept & Benefits of Uniform Civil Code In India: 2023 (Dr. Bijay Kumar Yadav) 101

32. Observations on Courtship and Mating Behaviour in *Calotes Versicolor* 105
(Dr. Meenakshi Mahur, Dr. Bhavna Sharma)

33. राजनीति का मीडिया में हस्तक्षेप (प्रदीप कुमार शर्मा) 108

34. Effect of Om Chanting and Yoga Nidra on Regulation of Hypertension.......................................112
(Dr. Santosh Lamba, Imran Khan)

35. An Analytical Study of E-Marketing In India (With Special Reference to Madhya Pradesh) 115
(Prashant Gurudev, Dr. Neha Mathur)

36. युग का आश्चर्य (डॉ. पंकज कुमार वशिष्ठ) 119

37. Socio-Political Crisis in Select Partition Novels (Dr. Arvind Kumar) 122

38. उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में वेदकाल की शिक्षा और गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन (डॉ. किरण पवार).................. 124

39. राव अमर सिंह राठौड़ (नागौर, राजस्थान) के इतिहास एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे योगदान 126
(संगीता, डॉ. सुनीता सिन्हा)

40. बाल श्रम में भारतीय समाज की भूमिका: आरम्भिक साहित्यक सर्वेक्षण-1994-2004 दशक...................... 128
पर आधारित (डॉ. अर्चना)

41. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन .. 132
(डॉ. महेश कुमार मुछाल, योगेश कुमार)

42. कामकाजी महिलाओं का दोहरे दायित्व का अध्ययन (डॉ. शिल्पा राजपूत) 139

43. मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में राज्य पर्यटन निगम की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 141
(देवराज वर्मा, डॉ. गजराज सिंह अहिरवार)

44. GST In India: Prospectus and Challenges (Nitin Kumar Modh, Dr.Neelesh Sharma) 144

45. Impact of FDI on Export and Economic Growth in India 147
(Shailendra Kumar Patel, Dr. Vivek Kumar Patel)

46. The Rights of Transgender Individuals in India: A Comprehensive Analysis (Roshani Pandey) 153

47. अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन 161
में तुलनात्मक अध्ययन करना (डॉ. सुषमा शर्मा, गायत्री सोलंकी)

48. भारत की जीवन धारा 'माँ गंगा' का भारतीय पंरम्परा में महत्व (डॉ. मुकेश मारू) 165

49. सुंदरवन की तटीय आबादी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (वालसिंह मावी, डॉ.बी.एल.पाटीदार)................ 169

50. दतिया जिले की एतिहासिक स्थिति (कृष्ण कुमार) 171

51. Risk Management Practice in the Indian Banking Industry Lesson Learnt from Recent 173
Financial Crisis (Dr. Preeti Anand Udaipure)

52. मूल्य आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 (हरनाम सिंह) 178

53. नई शिक्षा नीति एवं दिव्यांग विमर्श की अवधारणा एवं स्वरूप (डॉ. आभा गोयल, रचना गौतम)..................... 181

54. Impact of Government Polices and Schemes for Overall Welfare and Development 184
for Hearning Employed and Visually Handicapped Children (Vijaya Saxena, Pooja Soni)

55. Psychometric Paradigm of Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics 186
(Dhirendra Singh Sisodiya, Dr. Bhawanipal Singh Rathore)

56. Disparities in Literacy of Banswara District (Rajasthan) 190
(Dr. Shivani Swarnkar, Anushka, Dr. Jeetesh Joshi)

57. Effect of Post Warm-Up Recovery Times on 100m Swimming Performance 194
(Dr. Bhupender Sharma)

58. वैयक्तिक अध्ययन विधि - अर्थ, आधार, स्त्रोत, कार्यविधि और सांख्यकिय विधि 198
(डॉ. सरिता मेनारिया, संध्या मेर)

59. राजस्थान की पालनहार योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की दशा और दिशा में 202
बदलाव का अध्ययन (डॉ. प्रेम सिंह रावलोत, कल्पित शर्मा)

60. 18 वीं एवं 19 वीं शताब्दी: वागड़ में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन (राकेश कुमार रोत) 206

61. दलित विमर्श का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (राम किशन, डॉ. सुनीता) 209

62. जल : चुनोतियों तथा संरक्षण में मानव की भूमिका (डॉ. सरोजिनी टोपनो) 211

63. The Class Based Dichotomy and Indian Progress: A Study With Special Reference From 213
Untouchable By Mulkraj Anand (Dr. Sadique Mansuri)

64. उदयपुर जिले में जंनाकिकीय विकास का स्वरूप : एक भौगोलिक विश्लेषण 216
(नीलम टांक कलाल, प्रो. सुनीता सिंह)

65. नई शिक्षा नीति 2020-महत्व एवं सुधार की आवश्यकता (उच्च शिक्षा के संदर्भ में) (डॉ. शिवाली शाक्या) 220

66. राजस्थान की हिन्दी काव्य निधि में डॉ. भगवती लाल व्यास का अवदान (डॉ. निधि शर्मा) 223

67. Brief Study of Major Geomagnetic Storm in During Solar Cycle 23 231
(Harshraj Shukla, Dr. Anil Kumar Saxena)

68. A Contextual Approach to Teaching English Articles (Dr. Richa Mathur) 235

69. भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र : पूर्वोत्तर भारत के विशेष संदर्भ में (जीवराज सिंह चारण) 237

70. ग्रामीण विकास का नया आयाम -ग्रामीण पर्यटन (रीमा शिन्दे, डॉ. प्रभु दयाल ज्ञानानी) 240

71. The Essence of Leadership: Inspiring Change and Empowering Success 242
(Dr. Anita Maheshwari)

72. जनजातीय वर्ग के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका-मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में 245
एक अध्ययन (विरेन्द्र अजनेर)

73. जनजातीय विकास में शासन की योजनाओं का योगदान-मध्य प्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में 247
एक अध्ययन (मेघा रावत)

74. कलौता समाज में नेतृत्व परिवर्तन लाने में पंचायती राज की भूमिका- देपालपुर विकास खण्ड 249
का एक अध्ययन (अर्जुन चौहान)

75. स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव (डॉ. राजेश त्रिपाठी, डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा) 254

76. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा (डॉ.राजेश त्रिपाठी, कृष्णपाल सिंह परमार) 256

77. भारत में विधवा महिलाओं की बदलती सामाजिक दशा (डॉ. राजेश त्रिपाठी, सोनाली सिंह) 259

78. स्वच्छ भारत अभियान का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ.राजेश त्रिपाठी, कृष्णपाल सिंह परमार) 262

79. जनशिकायत निवारण में लोकायुक्त की जाँच प्रक्रिया (राजस्थान लोकायुक्त के सन्दर्भ में) (प्रो.वन्दना शर्मा) 264

80. Citizenship Amendment Act (CAA) and Contemporary India (Dr. Arvind Sirohi) 267

81. Banking Services Usage in Urban and Rural Areas (Priyanka Barod, Dr. Rakesh Mathur) 270

82. Transparency and Flexibility in the Process of Personal Loans: A Pathway to Customer Satisfaction (Dr. Dinesh Kumar Singhal, Prof. Dr. D.D. Bedia, Shruti Singh Chouhan) 274

83. महिलाओं के उत्थान में महात्मा गांधी का योगदान (सुनिता मोरे, विवेक सोलंकी) 279

84. वस्तु एवं सेवाकर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर प्रभाव का अध्ययन (प्रवीण कुमार सोनी) 281

85. नैतिक मूल्य में साहित्य की भूमिका (डॉ. बिन्दु परस्ते) 284

86. भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान प्रासंगिकता (प्रो. श्रीकान्त मिश्रा, डॉ. प्रवीण कुमार यादव) 286

87. A Study on Effect of Yoga on Physical Fitness (Ashwini Kumar, Dr. G.S. Chouhan) 290

88. Analytical Study on Job of Physical Education Teachers (Manu Vats, Dr. B.S. Chouhan) 293

89. प्राचीन काल में काशी की धार्मिक स्थिति (डॉ. सुमित मेहता) 295

90. हरियाणवी लोकगीतों में अलंकार विधान एवं रस- एक विश्लेषण (डॉ. तारा देवी) 298

91. Merger of Banks: A Step Towards Enhancing the Financial Health and Efficiency of Indian Public Sector Banks (Mahendra Krishna, Dr. Anil Saxena) 302

92. The Significance of Task-Based English Language Teaching for Graduate Students in India (Surbhi Gour, Dr. Monika Choudhary) 307

93. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं मनरेगा का योगदान (सरोज रजक, डॉ. अंजनी कुमार पाण्डेय) 312

94. National Security Dynamics and the Urban Naxalism : A Strategic Analysis (Arun Kumar Sharma, Dr. Vishnu Kant Sharma, Dr. Shailendra Kumar Mishra) 315

95. Phytochemical Composition of Turmeric (*Curcuma Longa*): An in-Depth Analysis of its Bioactive Compounds and Potential Health Benefits (Dr. Ragini Sikarwar) 319

96. पर्यटन के विकास हेतु संरक्षण में प्रबन्धन सहभागिता (डॉ. प्रवीण ओझा) 324

97. A Review on Poor Performance of Irrigation Projects Due to Canal Breach (Yagyesh Narayan Shrivastava) 326

98. स्थायी कृषि पद्धतियाँ : उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना (डॉ. अमित राणा) 330

99. Exploring Environmental Accounting Disclosure in Indian Corporate Practices (Dr. Preeti Anand Udaipure) 333

100. The Shadow Lines of Memory and Reality in Amitav Ghosh's the Shadow Lines (Dr. Sofia Nalwaya) 338

101. पुलिस और समाज के मध्य अन्तर्संबंध:पुलिस समाज का अभिन्न हिस्सा (रंजना बागड़े) 344

102. Effect of Yogic & Callisthenic Exercises on Selected Motor Fitness Components of 10-12 Years of School Girls (Pravita Khatri) 346

103. Effects of Anxiety and Gender Differences on the Functions of Attentional Network Systems (Dr. Veenus Vyas, Prakesh Dhakar) 349

104. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिला सहभागिता: आरक्षण की आवश्यकता के सन्दर्भ में (डॉ. निशा शर्मा) ... 352

105. उज्जैन जिले में सोयाबीन फसल की उत्पादकता, लागत एवं लाभ पर विशेष अध्ययन (डॉ. जी. एल. खांगोड़े, महेन्द्र कुम्भकार) 356

106. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नवीन संशोधन का अवलोकन (डॉ. धर्मराज गुप्ता) 358

107. हिन्दी साहित्य में आचार्य विद्यासागर का प्रदेय (डॉ. गणेशलाल जैन, प्रीति सोनी) 360

108. एक देश एक चुनाव (रेणु ठाकुर) 362

109. 'भ्रमरगीत' एक विरह विभूषित काव्य कथा (डॉ. मुकेश कुमार) 365

110. हिन्दी साहित्य में आधुनिकता बोध और महिला लेखन (डॉ. सरला पण्ड्या) 368

111. मोहन राकेश के कथा-साहित्य में नारी-चित्रण (डॉ. प्रणति बेहेरा) 370

112. Nature and Nature-Based Art of Padma Shri Late Ram Gopal Vijayvargiya (Dr. Jwala Prasad Kaloshia) 377

113. महाज्ञानी-अप्रतिबुद्ध से अद्वितीय-प्रतिबुद्धता के अद्भुत-यात्री : इन्द्रभूति गौतम (प्रो. सुदीप कुमार जैन) 382

114. Urbanization and Social Transformation: Analyzing the Effects of Rapid Urban Growth in India (Dr. Anjali Jaipal) 385

115. Environmental Justice: Examining Environmental Inequalities and their Impact on Marginalized Communities in India (Dr. Sandhya Jaipal) 388

116. भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रगति और चुनौतियाँ (मल्लूराम मीना) 392

117. सामाजिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण: विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे (डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया) 396

118. राजस्थान की परम्परागत जल संचयन प्रणालियों की पुनस्थापना की संभावनाएँ (कैलाश शर्मा) 398

119. मानवतावाद और नीतिपरक राजनीति (डॉ. डी.के.वर्मा) 401

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

An Analytical Study on Indian Stock Market

Dr. Balmukund Baghel*

***Senior Lecturer, MOM, Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

Abstract - It is true that the stock market is subject to risk but if the information is perfect then more money can be made in less time. It is like a deep sea from which any investor can draw some buckets of water for himself by the power of knowledge. However, there is no sure-shot formula for success in stock markets. In India, gradually all capital market investment avenues are perceived by the investors. But the younger generation investors are willing to invest in capital market instruments and that too very highly in the stock market segment. Even though the knowledge of the investors in the Stock market segment is not adequate, they tend to take decisions with the help of the brokers or through their friends and are trying to invest in this market. This study was undertaken to find out the awareness level of various stock market instruments and also to find out their risk preference in various segments. It requires a lot of patience, discipline and knowledge of this market.Before actually starting to invest and trading in the stock market, it is good to understand some practices of stock market operations by investment aspirants. This Research paper reveals that the investors exclusively need to know the basic knowledge about the stock market operations and information regarding companies, securities and prices for systematic investment. Studying this paper, the desire to gather information in this field will increase.
Keywords- Shares, Bonds Equity Investors, Stock markets, Shares Market Investment, Capital market, Securities, Exchange, Sebi.

Introduction - The concept of stock market is not only Indian but stock markets are working in most of the countries of the world.The term stock market refers to several exchanges in which shares of publicly held companies are bought and sold. Such financial activities are conducted through formal exchanges and via over-the-counter (OTC) marketplaces that operate under a defined set of regulations. People often use the terms 'share market' and 'stock market' interchangeably. However, the key difference between the two lies in the fact that while the former is used to trade only shares, the latter allows you to trade various financial securities such as bonds, derivatives, forex etc.The leading stock exchanges in the U.S. include the New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, and the Chicago Board Options Exchange (CBOE). These leading national exchanges, along with several other exchanges operating in the country, form the stock market of the U.S.

The principal stock exchanges in India are the National Stock Exchange (NSE) and the Bombay Stock Exchange (BSE).

National Stock Exchange (NSE) -NSE is the leading stock exchange in India where one can buy/sell shares of publicly listed companies. It was established in the year 1992 and is located in Mumbai. NSE has a flagship index named as NIFTY50. The index comprises of the top 50 companies based on its trading volume and market capitalisation. This index is widely used by investors in India as well as globally as the barometer of the Indian capital oil markets.

Bombay Stock Exchange (BSE) BSE is Asia's first as well as the oldest stock exchange in India. It was established in 1875 and is located in Mumbai. BSE Sensex is the flagship index of BSE. It measures the performance of the 30 largest, most liquid and financially stable companies across key sectors. Historically, stock trades likely took place in a physical marketplace. With the invent of new technologies the stock market works electronically.

Significance Of The Study: The stock market is subject to risk, but how it works, a common man should also know about this medium of investment.Stock market is the best indicator of how well the economy is doing. Stock markets cover all industries across all sectors of the economy. This means they serve as a barometer of what cycle the economy is in and the hopes and fears of the population who generate growth and wealth. Stock market have been the regulated where people can buy and sell shares of different companies. Stock markets today are emerging as a very popular and a better financial market instrument for a large number of investors. A large variety of stocks or shares are available in Indian stock market to cater the

needs and expectations of all types of investors. The rapid growth in the number of intermediaries and stock market applications indicate the increasing importance of stock market investmentsThe population of India is currently around 140 crores, but even after 75 years of independence, according to a rough estimate, 6-7%Only the population would be keeping information about this market directly or indirectly, this ratio should increase and the information about this market should be spread gradually. It should reach every person ,after all people should know what kind of Stock Market it is and how it works. In this research paper, an attempt has been made to explain the information related to the stock market in the simplest way.

Methodology:The purpose of this study is to analyse the market capitalisation, year effect and the risk and returns of the important stock market (NSE and BSE) of about 05 years from 2017 to 2022 and to analyse the investment pattern of traders in stock market. In order to assess the objective secondary data were used. The secondary data was collected from various journals, articles, publications and online websites.

How The Stock Market Works

1. Securities and Exchange Board of India: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the regulatory body for securities and commodity market in India under the ownership of Ministry of Finance within the Government of India. It was established on 12 April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30 January 1992 through the SEBI Act, 1992.

The Preamble of the Securities and Exchange Board of India describes the basic functions of the Securities and Exchange Board of India as "...to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market and for matters connected there with or incidental there to".

SEBI has to be responsive to the needs of three groups, which constitute the market:

- Issuers of securities
- Investors
- Market intermediaries

SEBI has three powers rolled into one body: quasi-legislative, quasi-judicial and quasi-executive.

2.Depository: In India, there are two depositories: National Securities Depositories Ltd (NSDL) and Central Securities Depositories Ltd (CDSL). Both the depositories hold your financial securities, like shares and bonds, in dematerialised form and facilitate trading in stock exchanges.

3.Depository participant: In India, a Depository Participant (DP) is described as an Agent of the depository. They are the intermediaries between the depository and the investors.

4.Types of Share Markets: Stock markets can be further classified into two parts: primary markets and secondary markets.

- **Primary Share Markets:** When a company registers itself for the first time at the stock exchange to raise funds through shares, it enters the primary market. This is called an Initial Public Offering (IPO), after which the company becomes publicly registered and its shares can be traded within market participants.
- **Secondary Market:** Once a company's new securities have been sold in the primary market, they are then traded on the secondary stock market. Here, investors get the opportunity to buy and sell the shares among themselves at the prevailing market prices. Typically investors conduct these transactions through a broker or other such intermediary who can facilitate this process.

Type on the basis of capitalization

Stocks can be classified on the basis of the market capitalization of the company, which is the total shareholding of a company. This is calculated by multiplying the current price of the company stock with the total number of shares outstanding in the market On this basis the companies are divided into three categories-

i. Large Cap Stocks- Market capitalization shows the value of a corporation by multiplying the stock price by the number of stocks outstanding. Here you can see some examples of the companies with the largest market cap. Large-cap stocks are usually industry and sector leaders and represent well-known, established companies.as on 2 june 2023.

Reliance (Reliance Inds)	16.743T INR	Energy Minerals
TCS (Tata Consultancy Services)	12.042T INR	Technology Services
HDFC Bank	9.004T INR	Finance
ICICI Bank	6.631T INR	Finance

Ii. Mid Cap Stocks-A company with capitalization between large cap and small cap is called midcap.Currently, a company with a capitalization of 5000-2000000 crores is called a midcap, but this limit of capitalization changes from time to time.

ili. Small Cap Stock -That company neither comes in large cap nor in midcap and whose capitalization works from 5000 crores, it is kept in small cap category.

How to do trading in share market

Process of stock trading for beginners

1. Open a Demat account. To enter the share market as a trader or investor, you must open a Demat account or brokerage account.
2. Understand stock quotes.
3. Bids and asks.
4. Fundamental and technical knowledge of stock.
5. Learn to stop the loss.
6. Ask an expert.
7. Start with safer stocks.

To join the stock market, first of all, you have to go to broker institutions like Angle One, Axis Direct, State Bank of India, ICICI Bank etc., submit the details of pen, Aadhaar card, photo etc. by filling up the prescribed form and a Bank

account has to be linked, funds should be available in the bank account for investment or trading. In today's time, you can open your account online even sitting at home, you have to submit documents online, after that the broker organization gives user Id for trading, you can create your own password.Trading online is very easy if you know how to operate a computer even in a simple way, then you can do this work. The details of the charges involved in your buying and selling are made available by the broker organization in these accounts or in your e-mail, in which the deals done by you can be matched.

Caution is necessary before joining the stock market: One should join the share market only when it has detailed knowledge because trading in equity is subject to risk, mostly those people who do not have knowledge and start trading or invest without understanding they have to face loss. That's why trading should be done only after getting complete information and after consulting your broker or expert, this work should be done.Today's stock market has no boundaries, it is also affected by the global stock market, it is so sensitive that even a small event can cause a fall or good news can increase the market index.But there is scope for getting good returns on investment in this market, provided the investor has perfect and correct information and has invested in the stock after taking the advice of experts and brokers, mostly in this market there is a test of patience and long term in good stocks Investment made for is considered more appropriate.

Conclusion: The stock market has been formed only to fulfil the purpose that people can get good returns in their savings or investment. The National Stock Exchangeand the Bombay Stock Exchange are performing their role well in the stock market and are continuously progressing and moving forward, new technology is being adopted daily. The regulatory body SEBI is also fully active in which the interests of the investors are being protected, the rules for its smooth operation are being made by the government from time to time. Today, in any sense, the Indian stock market is not behind the global market, but remains the leader. This market has played an important role in promoting entrepreneurship and startups and many innovative enterprises have created capital by listing in the market and investors are also getting opportunities to invest in new age companies. Indian stock market now grown into a great material with a lot of qualitative inputs and emphasis on investor protection and disclosure norms. The market has become automated, transparent and self-driven. It has integrated with global markets, with Indian companies seeking listing on foreign capital markets exchange, off shore investments coming to India and foreign funds floating their schemes and thus bringing expertise in to our markets. India has achieved the distinction of possessing the largest population of investors next to the U.K., perhaps ours is the country to have the largest number of listed companies with around several equity fund management avenues and National Fund managers most of them automated. India now has world class regulatory system in place. Thus, at the dawn of the new millennium, the equity funds market has increased the wealth of Indian companies and investors. No doubt strong economic recovery, upturn in demand, improved market structure, and other measures have also been the contributory driving forces. In this way the stock market is succeeding in establishing new dimensions every day.And the day is not far when more than half of the population will directly or indirectly invest their money on the available investment tools of stock market and get benefitted, this will also benefit the Indian economy. This is just the beginning, there is still a long way to go.

References:-

1. Anjubalan (2013), Indian stock market- review of literature,
2. TRANS Asian journal of marketing and management research
3. NSE in India, international journal of economic research.
4. www.nseindia.com
5. www.bseindia.com
6. www.businessinsider.in

****

Juvenile Delinquency and Juvenile Justice System in India

Vikram Singh Chandel*

***Assistant Professor, Pt. Motilal Nehru PG Law College & Research Centre (MCBU), Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - A juvenile may be defined under Section 2(35) of the Juvenile justice (Care and Protection of Children) Act 2015 as a person who has not reached or has not reached the age of 18. I have. A person who has not reached a certain age under the laws of any country, who may be legally responsible for criminal acts and crimes, and who does not resemble an adult. In addition, the young man is considered one of the country's most valuable assets. Unless this population is well groomed and sophisticated, the future of the country is not bright. Therefore, as a society, we strive to provide a safe environment for all children to learn and grow. We have moral and ethical obligations to comply with. Apart from that, juvenile delinquency does not occur naturally in a child, but is present in him primarily as a result of his upbringing and environment, his own absurd behavior, or lack of discipline and proper upbringing. This particular paper will focus specifically on juvenile justice and juvenile courts in India. Additionally, the causes and effects of juvenile delinquency in India are highlighted. Finally, some suggestions and recommendations for preventing juvenile delinquency in our society were discussed.
Keywords- Juvenile Delinquency, Juvenile Justice, Juvenile Court, JJB.

Introduction - A child who has not completed 18 years of age is called juvenile. India is a developing country. Now day's juvenile crimes are increasing day by day. The Juvenile Justice Act 1986 was enacted by the Parliament to provide care, protection, treatment, development and rehabilitation of neglected or delinquent juveniles. The Juvenile Justice Act, 1986 in India and hence, Juvenile Justice Act, 2000 was enacted. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is the primary legal framework for juvenile justice in India. This act has been further amended in 2006 and 2010. In the wake of Delhi gang rape (16th December, 2012) the law suffered a nationwide criticism owing to its helplessness against crimes where juveniles get involved in heinous crimes like rape and murder. The Juvenile Justice Bill, 2014 was passed by the Parliament in December, 2015 and it became the Juvenile Justice Act, 2015. It came into force from 15th January, 2016. Under the Act of 1986, Section 2(a) defined the term juvenile as a "boy who has not attained the age of 16 years and girl who has not attained the age of 18 years". Meanwhile, India signed and ratified the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989, which treated a person as a juvenile who is below 18 years of age. (Kannappan, 2018)

Juvenile delinquency can be defined as involvement in an illegal act by a minor. A person is said to be delinquent if his behavior deviates from the normal course of social life. In other words, a juvenile delinquent is someone whose behavior is inherently dangerous to society and themselves. Running away from home, using inappropriate or vulgar language, and committing sex crimes are some of the most well-known examples of juvenile delinquency.

Section 2(35) of the Juvenile Courts Act 2015 (Care and Protection of Children) defines a juvenile as a person who has not reached the age of 18. The main purpose of juvenile justice is primarily based on children's rights. It also applies the principle of restorative justice, which aims further at restoring balance to the situation disturbed by crime, rather than merely punishing the offender. This particular system puts the child's best interests first. Also, the main purpose of this particular system is to focus on preventing crime and injustice against young people. Juvenile delinquency is alternatively called juvenile delinquency.

Behavioral aspects of juvenile delinquency: Behavioral aspects play a very important and obvious role in juvenile delinquency, as children's behavioral patterns change from time to time. It is also known as a personality factor that makes minors with low intelligence who do not receive appropriate education more likely to commit criminal acts. Other factors seen in juvenile offenders include impulsive behavior, uncontrolled aggression, and an inability to delay gratification. Other psychological personal factors are also health factors. An individual's mental state is very important for social behavior. As a result, these factors may contribute

to youth engaging in harmful, illegal and destructive activities.

Adolescent stage: Puberty can be defined as the transitional period from age 13 to 19, during which the physical and psychological changes of puberty occur. Key features of adolescence include biological growth and development, undefined status, high decision-making, high pressure, and self-exploration. Become more conscious of their appearance, some develop anger and aggression, and few demand freedom and independence. It can also be defined as a stage in which a child is susceptible, may go wrong, and may further encourage illegal behavior. (Dash, sept.2018)

Constitutional Provisions: Post Independence, the constitutional provisions have encouraged the developments in the field of juvenile justice system in India. Part III and Part IV of the constitution of India which deal with "Fundamental Rights" and "Directive Principles of State Policy" respectively and contain special provisions with respect to care and protection of the children.

Article 15 (3): It allows the State to make special provisions for children and women.

Article 21-A: The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.

Article 23: Prohibits the traffic in human beings and forced labour.

Article 24: Prohibits the employment of children below and the age of fourteen years in factories, mines and other hazardous employments.

Article 39(e): It directs the State to safeguard the tender age of children from entering into avocations unsuited to their age or strength.

Article 39(f): Directs the State to give opportunities and facilities for the healthy development of children and to protect childhood and youth against exploitation and moral and material abandonment.

Article 45: The State provides early childhood care and education to children below the age of six years.

Article 47: It is the duty of the state to raise level of nutrition and standard of living and to improve health.

Causes of Juvenile offence: There are some theoretical, external, internal and psychological causes:

1. Elements of Family Participation: These include ongoing family feuds, neglect and abuse, or lack of proper parental supervision. , they can adopt and portray the same attitudes. Thus, children with the weakest family attachments appear similar to adolescents who engage in inappropriate activities as a result of inadequate family care.

2. Substance Abuse Factors: This is one of the major factors leading to juvenile delinquency as it allows children to remain engaged in activities such as alcohol consumption, smoking and high levels of drugs. Additionally, when children are under the strong influence of drugs or alcohol, they are more likely to engage in destructive, harmful, and illegal activities that are mentally unfit.

3. Theoretical Causes of Rational Choice: Behavioral studies conducted on delinquent children by psychologists have concluded and reported that a child commits criminal acts because a particular mind directs him to do so. Also, he does this because he wants to do it of his own volition. Such behavior therefore brings immense satisfaction to the perpetrators and they have no trouble while committing the crime.

4. Social Disruption: As the idea of a shared family system, where children are brought up with values and discipline, comes to an end and the way is paved for a nuclear family system in which both mother and father work, children are neglected and such isolation begins. Occur. Leading to child involvement in illegal activities.

5. Negative effects and society : Unwitting involvement of children in criminal behavior due to malice and social influence is one of the leading causes of juvenile delinquency. Also, it is this bad company that motivates them to commit crimes. In addition, it also leads to the criminal labeling of children who commit crimes, further psychologically unbalanced and motivating them to commit more crimes.

6. External Factors in Home and Neighborhood: As soon as a child is born into a particular family, that family becomes the first point of contact. Therefore, the lack of love and affection on the part of the family can lead the child to further criminal activity. Mistreatment by a stepmother or stepfather, poverty, poor influence, the influence of television, the Internet, or social her media can lead children to commit crimes. Such cases are mainly seen in children coming home from school, with no one to look after them, and little or excessive discipline by family elders. Furthermore, a neighborhood is a part of society that can influence an individual's overall behavior. It characterizes a person's ability to deal with delinquency. If you see gamblers, marital quarrels, drunks, etc. around you, you will be caught up in it and become a criminal who commits criminal acts.

Development and History of Juvenile Delinquency in India: The history of juvenile delinquency in India can be divided into different periods along the legal developments in the Indian legal system.

The Apprentices Act Of 1850: This was India's first law enacted during the colonial period and specifically addressed children who were legally considered criminals for doing things contrary to the law. According to this particular law, children who commit minor crimes are not put in prison, but are treated as apprentices who are considered to be undergoing course training in an industry or some institution.

When talking about the Indian Constitution, articles such as Article 15 (3) of the Indian Constitution, Articles 39 (e) and (f) of the Indian Constitution, Articles 45 and 47 of the Indian Constitution contain essential obligations. There is. To meet the needs of children and ensure their basic human rights. In addition, the United Nations General

Assembly obtained the Convention on the Rights of the Child in November 1989. The Convention further sets out the norms to be followed by all states of India, especially to ensure the welfare of children.

The Juvenile Justice Act, 1986: The Juvenile Court Act of 1986 was the first central law on juvenile justice to provide nationally uniform legislation in this regard. This particular law was enacted by Congress for the care, protection, treatment, rehabilitation and development of delinquent and neglected youth. In addition, this particular law was repealed and the Juvenile Courts (Children's Care and Protection) Act 2000 was enacted.

The Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2000: This law seeks to achieve a balance between children's rights and justice by avoiding the death penalty or life imprisonment for juveniles. This particular law applies across India. The law also focuses on her three types of juvenile or child issues:

- Juveniles breaking the law.
- Children who need care and protection.
- Children's rehabilitation and social reintegration.

The Juvenile Justice Act, 2015: This particular law came into force on January 15, 2016. In addition, under the Juvenile Courts (Care and Protection of Children) Act 2015, which provides for criminal responsibility, the age of majority is between the ages of 16 and 18 for anyone who commits a serious crime. This also includes a minimum of seven years' imprisonment. Additionally, under the Juvenile Justice Act (Care and Protection of Children) Act 2015, a child cannot be sentenced to death or life imprisonment.

As for its main purpose, it aims to change the law by focusing on young children who are found to be in conflict with the law, and children in need of care and protection. Increase. Needs met by proper care and nutrition. Through protection, treatment, social integration, training and child-friendly approaches.

Also, key highlight provisions of the Juvenile Law 2015 include changing the classification from juvenile to child or child in dispute and including several new definitions to remove the negative connotations associated with juveniles. Including groundings, abandonment, abandonment, etc. Children and the petty, real, and terrible crimes they commit are just a few.

Additionally, the House of Representatives introduced the Juvenile Justice (Child Care and Protection) Amendment Bill of 2018. This is intended to further amend the Juvenile Justice (Child Care and Protection) Act 2015.

Some Important Cases Related To Juvenile Delinquency in India:

- **Nirbhaya gang-rape case** (K.D., 2013)**-**The 2012 Delhi gang rape case is a high-profile case that changed the Indian judicial system. One of her rapists in this case was a minor. The name of the sixth defendant cannot be disclosed for legal reasons, as he was 17 years old at the time of the crime and was on trial as a minor. He's grown now He was convicted of rape and murder, and in juvenile detention, the maximum sentence for a juvenile, he was sentenced to three years. He was also released from the correctional facility on December 20, 2015, despite protests and challenges. His identity has been changed and no records of his crimes remain in his public domain. Additionally, the 2000 law was amended due to public outrage and the severity of the notorious 2012 Delhi gang rape case (Nirbhaya case). One of his perpetrators in this incident was a young man. Furthermore, the law seeks to balance children's rights and justice by avoiding death sentences and life imprisonment for juveniles.
- In this particular case of **Gopinath Gosh v. West Bengal State**, the defendant declared that his age was far beyond the statutory age of a child. Moreover, in this case, the court not only allowed child status petitions for the first time, but also referred the case to a judge for the purpose of determining the age of the defendant. He added that in the Chhattisgarh case, the standard of proof for age determination was a degree of probability, not evidence beyond a reasonable doubt.

Juvenile Courts in India

To better understand the juvenile court system, let's take a broader view of the juvenile court system. A juvenile court is a court that hears cases in which a minor is accused of committing a crime. This procedure is based on civil law, not criminal law. As a result, juvenile offenders are not charged with crimes, they are charged with crimes. Additionally, juvenile trials usually begin when a prosecutor or probation officer accuses a juvenile of violating criminal law and requests the court to further deem the juvenile delinquent.

Juvenile offenders are subject to the broad powers of the courts when allegations are proven and criminal offenses are discovered. At that particular point, the juvenile court has the power to do what it believes is in the juvenile's best interest.

Now, speaking of juvenile court readability standards, seventeen. Also, not all cases heard in juvenile courts are criminal (in terms of committing a crime). There are also two other types of the cases: dependency cases and status violation cases. Also, juvenile courts are courts characterized by unique procedures and methods of dealing with juveniles.

In many ways, it differs from traditional adult criminal courts in that rather than having to defend themselves under the adult justice system's controversial criminal law, misbehaving children are it reflects a belief that they need protection and should be rehabilitated. (DR.N.M.KHIRALE, JANUARY2020)

The difference between a child and a juvenile: A minor is a person who has not yet reached the legal age of obligations and responsibilities or who has not yet reached the legal minimum age of 18 years according to the law. On the other hand, children accused of criminal offenses

are not tried as adults and are taken to child care centers for appropriate psychosocial and psychological treatment and care, whereas juveniles are required by law to I am 16 to 18 years old. (Himanshu Singhal, April,2019)

Difference between juvenile criminal court and Adult criminal court: A minor is a person who has not yet reached the legal age of legal obligations and obligations or who has not yet reached the legal minimum age of 18 years according to law. On the other hand, children accused of criminal offenses are not tried as adults and are placed in day care centers for appropriate psychosocial and psychological treatment and care, whereas juveniles are required by law to be between the ages of 16 and 18. There is.

Suggestions and recommendations to prevent juvenile crimes: In this way, prevention is necessary and extremely important for juvenile delinquents who are more likely to be involved in criminal acts due to internal and external factors. The first and most important step is to identify such adolescents and provide them with the treatment and care they need. Moreover, these young people become habitual offenders if they are not stopped in time and given the treatment and support they need.

Moreover, arguably the most effective and efficient way to prevent juvenile delinquency was to support children and their families from the beginning. Moreover, government programs try to intervene early, so many groups can tackle the problem in different ways. There are also many lawyers and criminologists who suggest various measures to prevent juvenile delinquency.

Some of these are, firstly, individual programs involving crime prevention through counseling, psychotherapy, and appropriate education; An environmental program that involves the use of technology. In addition, there are a number of field programs that provide additional practical knowledge and experience with necessary demonstrations.

Delinquency prevention is an umbrella and broad term for all efforts aimed at preventing juveniles from engaging in criminal acts and other anti-social activities that harm not only society but also the criminals themselves. is. Moreover, various governments have recognized the importance of devoting resources to crime prevention, not only in India but also in other parts of the world.

Further prevention services include activities such as substance abuse education and programmes, treatment and protection programmes, family counselling programmes and reports, youth mentoring, parenting education, educational support youth sheltering, psychological and moral therapy.

Now talking about the role of social workers and non-governmental organizations, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act lays emphasis on the participation of voluntary social workers and community services for the benefit of minors at different times and stages. Further this requires the active participation of social and community workers from non-governmental organizations in admission, decision-making, community placement and organization, institutionalization and rehabilitation of neglected and delinquent children.

In the child protection sector, non-governmental organizations (NGOs) play an active and important role as they must provide an outline or a framework that ensures that every child, even as they enter the system, is treated with proper care and compassion. They are also further fighting for the rights of the child to be recognized and protected. Although social welfare approaches have been tried since the 1980s, social workers continue to play an important role in the treatment of juvenile delinquents.

Now, when it comes to the role of families, schools, and peer groups, parents and other family members need to educate their children with ethical values and moral precepts from the start. Also, they should provide their children with proper education and training so that in the future they can use their young minds in the right direction of knowledge and become responsible citizens of their respective countries.

Apart from this value education, schools should also organize classes that should teach the importance of religion and education. Further sponsorship will also be provided for training young people for a better future. Self-development courses should be organized in a place where students can examine themselves and engage in ongoing self-development.

In addition to this special training programme, a special training program should be organized and board members, including the chairman of the jury, should be trained in child psychology and child protection. In addition, games, sports and other features and exhibition programs must be organized to improve the well-being of young people so that they can learn new skills. In addition to this National Child Welfare Board, a public interest petition was proposed by the High Commission of the Supreme Court in the early 1990s for basic facilities for children engaged in the fireworks industry in Madras and Sivakasi.

In addition, Section 8 of the Juvenile Courts Act 2000 provides that state governments may establish and operate observation stations in any district or group of districts. or a district group, a home for children in urgent need of assistance pursuant to Section 37 of the Juvenile Courts Act 2000.

Shelters provide a space for children to participate in and play in creative and exciting activities that help them learn and develop new skills. I would also like to note that because juvenile delinquency is an ongoing problem in today's society, there is a need for training and awareness programs to make it easier to consider the issue of juvenile delinquency analytically and rationally.

Conclusion: The modern and western way of life leaves modern children vulnerable to negative consequences, indulging in inherently disgusting criminal behavior rather

than heinous crimes such as underage drunk driving and murder.

In order to prevent this, children are taught the difference between right and wrong from the beginning so that their young minds will work for the betterment of society, take the right path in their lives, act accordingly, and become responsible and upstanding citizens. each country of their will. In addition, we must create a safe environment where children can learn and absorb good values from their elders and implement them later in life.

In addition, I would like to emphasize the fact that children tend to be attracted to or influenced by their elders. Therefore, it is our responsibility to set a good example so that our children can engage in moral and rational thinking.

Furthermore, I would like to highlight my research in a positive way by saying that all good citizens help countries grow and that children who work and study hard will continue to be seen as good and responsible citizens of their respective countries and societies. I would like to close.

References:-

1. Dash, D. R. (sept.2018). Juvenile Justice In India: A Historical Outline. *International Journal Of Current Research* , vol 10,issue,09.pp73445-73449.
2. DR.N.M.Khirale. (January2020). Juvenile Justice :Issues And Challenges. *Epra International Journal Of Multidisciplinary Research(IJMR)* , Vol 6,Issue 1,Pp 51-55.
3. Himanshu Singhal, V. S. (April,2019). A Socio Legal Study On Juvenile Justice. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science(IOSR-JHSS)* , vol 24, Issue 4,Ser 4,pp 56-62.
4. K.D., G. (2013). *Text book on Indian Penal Code.* Universal Law .
5. Kannappan, M. R. (2018). A Study on Juvenile Justice System in India before and after NIRBHAYA Case. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, Volume 119 No. 17 , 1265-1275.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

आधुनिक जीवन शैली की समस्या मधुमेह

डॉ. आराधना श्रीवास*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी या हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध की वजह से, रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से उच्च हो जाता है। इस प्रकार लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर मधुमेह का संकेत देता है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज एक गंभीर रोग है जो पिछले दो दशकों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यदि इस रोग का नियंत्रण न किया जाये तो शरीर के अनेक अंगों व संस्थानों पर घातक प्रभाव पड़ता है फलस्वरूप कभी गुर्दे काम करना बंद कर देते है तो कभी नेत्र ज्योति की क्षीणता, हार्ट अटैक या पक्षघात जैसे रोग ब्याज में भी मिल जाते है, इसलिये इसे साइलेन्ट किलर भी कह सकते है। चौंकाने वाली बात यह है आज भारत में सात प्रतिशत लोग मधुमेह रोग से ग्रस्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वह अगले दशक में दो गुनी हो जायेगी। कुछ वर्षो पूर्व इस रोग को संपन्न लोगों का रोग कहा जाता था परन्तु अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले कम आर्थिक स्तर के लोग भी इस रोग से भारी संख्या में ग्रस्त है।

प्रस्तावना – 'मनावमामनानां चंद्रनामबंध मोक्षयो:'

'मनुष्य की कैद या स्वंत्रता उसके मन की स्थिति पर कायम है। इससे पता चलता है कि कोई स्वस्थ है या अस्वास्थ्यकर है, यह स्वयं पर स्थायी है। बीमारी न केवल हमारे कार्यो का बल्कि हमारे विचार का भी परिणाम है।'

आज सर्दी जुकाम की तरह मधुमेह रोग समाज में फैलता जा रहा है। यह चिंता का विषय है। यदि आज के परिपेक्षण में चिंतन करें तो आज के प्रगतिशील युग में विकृत, आप्राकृतिक एवं दोषपूर्ण आहार, आरामपरस्त जीवन शैली एवं तनाव व लगाव की मनोवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य इस रोग की चपेट में फंसता जा रहा है। आज बच्चे चॉकलेट, कोक पेप्सी, पेस्ट्री के अलावा कोई बात ही नहीं करते। मनुष्य के जीवन से श्रम चर्या गायब होती जा रही है। जीवन में विलासिता एवं वैभवता के बढ़ने से मनुष्य आराम के साथ खूब खाता पीता रहता है तथा चर्बी बढ़ती जा रही है। मोटापा भी इस रोग के बढ़ने में सहायक है।

मानव रोगों में अत्यन्त पुराने रोगों में से एक मधुमेह है। जो भारत, इजिप्ट, चीन तथा ग्रीक के आलेखों मे वर्णित मिलता है। चरक तथा सुश्रुत के शब्दों में इसे मीठा मूत्र या शहद मूत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। डायबिटीज शब्द का अर्थ है साईफन से प्रभावित होना या निकलना है। इस शब्द का प्रयोग ई. पू. पहली शताब्दी से किया जाने लगा। डायबिटीज इन्सिपिडस से भिन्नता स्थापित करने के लिये मेलिट्स शब्द का प्रयोग बहुत बाद में किया जाने लगा। मेलिट्स मेल शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है शहद। जैसा कि शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, इसमें अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन होता है।

व्याख्या एवं विश्लेषण–हाल के कुछ वर्षो में भारत मलेरिया, हैजा और पोलियो जैसे संचारी रोगों को नियंत्रित करने में सफल रहा है, हांलकि देश में अब मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, मोटापे जैसे रोगों की नस्ल के साथ सौदा किया है। अनेक असंचारी रोगों की बढ़त के साथ मधुमेह रोग आधुनिक जीवन शैली की राजधानी बन गया है। शराब, धूम्रपान, नशीले पदार्थो के सेवन के साथ युग्मित शहरी युवा, जीवन शैली की बीमारियों से विशेषरूप से ग्रस्त हैं। डॉ. रीतेश गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्षो की अपेक्षा आज के युवाओं के भोजन में ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थो की सघनता है। वे भोजन के परम्परागत रूप को पसन्द नहीं करते, वरन तेज रफ्तार जिन्दगी की तरह फटाफट तैयार भोजन यानि फास्ट फूड की ओर आकर्षित है। फैशन स्वाद एवं अभिजातीय सुविधा के कारण ऐसे आहार का प्रचलन बढ़ रहा है। ये स्वाद में बेशक बेहतर है, परन्तु शरीर में मीठे जहर की भाँति शनै: शनै: प्रवेश कर जाते है। लोरिडा के स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिको का मानना है कि फास्ट फूड का स्वाद व्यक्ति के दिमाग के उसी हिस्से पर असर करता है, जो आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। तंबाकू, सिगरेट और मादक पदार्थो के सेवन पर भी दिमाग का यही हिस्सा उत्तेजित होता है, इससे व्यक्ति को आनन्द का आभास होता है। ऐसे में फास्ट फूड की लत वाले युवाओं में मनोविकार उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 2009 के एक शोध अध्ययन में कहा कि, अधिक तेल खाने से मोटापा, मधुमेह और दिल का दौरा पड़ने के खतरों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन यदि ताजा अध्ययन पर विश्वास करें तो यह आपको मंदबुद्धि भी बना सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में 11.1 प्रतिशत वयस्क पुरूष एवं 10.8 प्रतिशत वयस्क महिलाओं में रक्त शर्करा बढ़ी हुई पायी गयी।

एस. बालाराजू विशाखापट्नम , वैश्विक स्तर पर सन् 2011 में मधुमेह से होने वाली मृत्युदर 4.6 मिलियन आँकी गयी थी। मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को यकृत संबंधी बीमारियों के विकसित होने का खतरा तथा

असामयिक मृत्यु के परिणाम भी देखे जाते हैं। प्राकृतिक गैर सरकारी संगठन के निर्देशक श्री एस. बालाराजू ने बताया कि आमतौर पर शहरी आबादी के साथ जुड़ी असंचारी बीमारियाँ जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि अब ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल गयी है। इसके साथ ही तंबाकू से संबंधित कैंसर इन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अधिक है। अध्ययन दशार्ते हैं कि प्रत्येक दस व्यक्तियों में एक व्यक्ति मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित होना पाया गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डब्ल्यू. एच. ओ. 2005-06 के नवीनतम रिकार्ड के अनुसार भारत में 13 प्रतिशत महिलाओं और 9 प्रतिशत पुरूष, अधिक वजन या मोटापे से ग्रसित है। मोटापे से अन्य जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ जन्म लेती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के हावर्ड स्कूल द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों के लिये आर्थिक बोझ 2012-2050 की स्थिति में +6200000000000 हो जायेगा। यह राशि पिछले 19 वर्षो के लिये कुल स्वास्थ्य पर व्यय की गई राशि की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा है। इस खर्च का प्रमुख योगदान मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, जीर्ण श्वास रोग है। इसके अतिरिक्त भारत में इसचेमिक हृदय रोग, सबसे अधिक मात्रा में होने का अनुमान है।

निष्कर्ष-सुविधाजनक भोजन , टी.वी. और पी.सी. की विशेषता वाली पश्चिमी जीवनशैली, बच्चों के साथ -साथ वयस्कों पर भी अपना असर डाल रही है, और अधिक वजन वाले, निष्क्रीय युवाओं को जीवन शैली की बीमारियों के साथ पैदा कर रही है। टी.वी. या पी. सी. के सामने बहुत अधिक समय बिताने वाले बच्चों को शारीरिक खेल या गतिविधि का आनंद लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि, आहार से संबंधित चिरकालिक असाध्य बीमारियाँ केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही कष्ट नहीं देती अपितु मध्यम एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को भी उतना ही कष्ट पहुँचाती है। फलों, सब्जियों तथा रेशेदार पदार्थो का बहुत ही कम सेवन करने की आहार संबंधी आदतें तथा प्रदूषणकारी तत्वों से बढ़ते सम्पर्क निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहे है। पिछले तीन दशकों से लोगों के आहार एवं जीवन शैली में काफी बदलाव आया हैं। ये बदलाव अंशत: शहरीकरण तथा बेहतर आर्थिक स्थिति एवं भोजन की आदतों में तदनुरूप परिवर्तन तथा कम शारीरिक श्रम के कारण हो सकते है। आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट एवं आसानी से खरीदे जा सकने वाली कीमतों पर अन्य शक्तिवर्धन खाद्य पदार्थो की सुलभता के कारण परिवार के सभी सदस्यों के ऊर्जा उपभोग में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप इन्हें ग्रहण करने वाले लोगों में मोटापा बढ़ा है। सामाजिक समृद्धि में स्वास्थ्य के जोखिम निहित है। इन घातक बीमारियों से निपटने के लिये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। पोषण शिक्षा देकर और जागरूकता लाकर परिष्कृत खाद्य पदार्थो से युक्त किन्तु फल, सब्जियो एवं रेशेविहीन आहारों तथा एक स्थान पर बैठकर लगातार कार्य करने एवं व्यायाम विहीन जीवन शैली के फलस्वरूप होने वाले आहार संबंधित चिरकालिक विकारों की समस्या का निराकरण किया जाना चाहिये ताकि इस उभरती समस्या की प्रारंभिक अवस्था में ही रोकथाम की जा सके एवं भविष्य में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकें।

सुझाव:

1. पर्याप्त मात्रा में फलों तथा सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों में मधुमेह की संभावना काफी कम हो जाती है।
2. दस हजार पुरूषों और महिलाओं की खान-पान आदतों का 20 वर्षो तक विश्लेषण करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि मधुमेह से ग्रस्त होने वाले मरीज उन लोगों की अपेक्षा फलों तथा सब्जियों का सेवन कम मात्रा में करते है, जिन्होंने खुद को इस बीमारी से बचा रखा था।
3. ऐसा भी माना जाता है कि कुछ फल और सब्जियाँ रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखने वाले हार्मोन इंसुलिन के शरीर द्वारा अधिक उत्पादन में भी मदद करती है। करेला ऐसी ही एक सब्जी है, जिसका सेवन मधुमेह नियंत्रण के लिये किया जा सकता है। आयुर्वेद में मधुमेह नियंत्रण के लिये आंवला के गुणों का भी बखान मिलता है।
4. फलों तथा सब्जियों के एंटी ऑक्सीडेंट गुण मधुमेह नियंत्रण में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। मधुमेह की स्थिति में ये आँखों में मोतियाबिंद निर्माण की प्रक्रिया को भी धीमा करते है।
5. मधुमेह रोगी के लिये कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित होना चाहिये।लेकिन कॉम्पलेक्स कार्ब्स जैसे पूरे गेंहूँ के उत्पाद, जौ, फलियों और गैर स्टार्चयुक्त सब्जियों पर ध्यान देना चाहिये। ये फाइबर का बड़ा स्त्रोत होते है, जो रक्त शर्करा को विनियमित करने में मदद करता है।
6. मीठी चीजें, सफेद ब्रेड, मिठाईयाँ, केक, जूस और गैस से भरा हुआ पेय जैसे साधारण और शुद्ध कार्बोहाइड्रेट से बचा जाना चाहिये। यदि मिठाईयों का शौक है तो फलों का विकल्प चुनें जो कम कार्ब वाले होते है, इनमें कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स है, और एंटीऑक्सिडेन्ट उच्च स्तर पर है। मधुमेह रोगियों के लिये उपर्युक्त फलों में जामुन, सेब, नाशपाती, संतरा, आड़ू, कैंटालूप आदि शामिल है।
7. कम वसा वाले कम प्रोटीन का विकल्प चुनें जो पोटैशियम में उच्च है, जैसे टर्की और चिकिन या समुद्री भोजन विकल्प जैसे सैल्मन, मैकेरेल और तिलपिया। मधुमेह रोगियों के लिये भोजन में कम से कम तेल का उपयोग करना चाहिये।
8. यदि आपका बी. एम. आई. 25 से अधिक है तो आपको अपना वजन कम करना चाहिये। यह सूजन को कम करने में मदद करता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध का लक्षण हो सकता है। छोटे साध्य लक्ष्यों को निर्धारित करके अपने वर्तमान शरीर के वजन का 5-7 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य के साथ शुरूआत करें ।
9. एक सक्रिय जीवन शैली को अपनाये। सक्रिय होने से, आपकी माँसपेशियाँ अतिरिक्त रक्त शर्करा नष्ट करती है। जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है और आपके शरीर को इंसुलिन को बेहतर ढंग से विनियमित करने मिलता है।
10. मधुमेह रोगी को रात का भोजन जल्दी करना चाहिये। जल्दी भोजन करने से आपके शरीर को भोजन को प्रभावी ढ़ंग से संसाधित करने मिलता है और नाश्ते तक आंतरायिक उपवास के लिये 12 से ज्यादा घंटे का समय मिलता है। आंतरायिक उपवास इंसुलिन संवेदनशीलता और बीटा सेल के कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और आपके रक्तचाप को नियंत्रण में रख सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. वैद्यराज वी. पी. गुप्ता, कादम्बिनी, अप्रैल 2022

2. डॉ. अरूणा पल्टा, आहार एवं पोषण, शिवा प्रकाशन इन्दौर 2004
3. डॉ. ओ. पी. वर्मा, अहा जिन्दगी, 'आरोग्य के लिए विशिष्ट आहार', 2014
4. डॉ. रेनुबाला शर्मा, जीवन शैली जनित स्वास्थ्य समस्याएँ एवं समाधान, 2014
5. एस. बालाराजू, जीवन शैली एवं समस्यायें, डायरेक्टर एन. जी. ओ., विशाखापट्नम, जून 06, 2013
6. झा. दुर्गेश नंदन, भारत वर्ष में जीवन शैली संबंधी रोग, टी.एन.एन., सितम्बर 7, 2013
7. मिश्रा, ए. एवं सहयोगी 2011, पोषण एवं भारतीय परिवेश, पोषक तत्वों का असंचारी रोगों को से अर्न्तसम्बन्ध, जर्नल ऑफ डायबिटीज, 1111/जे. 1753-0407

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

वैदिक युग में संगीत

श्रीमती मोनिका शर्मा*

* प्रवक्ता (संगीत विभाग) एम0एम0 पी0जी0 कॉलेज,सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) भारत

प्रस्तावना – वैदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीनतम युग माना जाता है इस युग में ही हमारे चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में संगीत ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संगीत का उद्भव वेदों से परिलक्षित होता है। वेद आर्य जाति के मूल ग्रन्थ थे, जिनमें विश्व का समस्त ज्ञान भण्डार है। इन्हीं वेदों से आज भी सम्पूर्ण कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता ही रहता है। वैदिक काल में लिखे गये हमारे वेद आज भी समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं व सदैव करते रहेंगे। वैदिक युग में वैसे तो संगीत किसी न किसी रूप में प्रत्येक वेद में मिलता है परन्तु संगीत का वृहद् रूप हमें सामवेद से प्राप्त होता है सामवेद तो सम्पूर्ण संगीतमय है जिसमें सामगान मंत्रोच्चारण आदि अन्य प्रकार की संगीतयुक्त सामग्री प्राप्त होती है।

वैदिक साहित्य का हमारे जीवन मे सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण वेदो का ज्ञान प्रत्येक सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति के लिए अपेक्षित ही जान पड़ता है।

डॉ0 वी0एस0 भार्गव के अनुसार 'वेद का अर्थ है – ज्ञान और हिन्दू मान्यतानुसार ये शाश्वत व अपौरूस्थ है। इनकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं हुई अपितु मनीषियों ने इन्हें ईश्वर से सुना है इसी कारण वेदो को श्रुति भी कहा जाता है।'

वेदो में मानव समाज से जुड़े हुए सभी तत्तवों का वर्णन मिलता है। वैदिक युग में लिखे गये वेदों में ऋग्वेद प्रथम वेद है इसमें गीत के लिए गीर गाथा, गायत्र, गीति तथा साम आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है इसकी संहिताओं में गायक के लिये 'गातुवित' शब्द का उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार 'स्वरत्तित्वा सुतो नरो वसो निरेक उक्थिने' अर्थात् हे शिष्य! तुम अपने आत्मिक उत्थानार्थ मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता है, अगर तुम संगीत के द्वारा उस परम शक्ति का आह्वान करोगे तो वह तुम्हारे हृदय में बस कर तुम्हें अपना प्रेम प्रदान करेगा। इस कथन से प्रमाणित होता है कि विश्व के सबसे प्राचीन साहित्यिक काल में संगीत का प्रमुख ध्येय ईश्वर प्राप्ति ही था। इस काल में सातों स्वरों की पहचान हो जाने के संकेत भी मिलते हैं। ऋग्वेद मे सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध तार वाद्य 'बाण' अथवा वाण का वर्णन मिलता है, वीणा शब्द कहीं नहीं मिलता।

सायण के अनुसार, बाण शब्द का अर्थ 'सौ' तारो वाली वीणा है। अवनद्य वाद्यों में दुन्दुभि का स्थान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के वाद्यों का वर्णन ऋग्वैदिक साहित्य में पाया जाता है।

ऋग्वेद काल में एक मेले का आयोजन किया जाता था जिसे समन कहा गया जिसमें कुंवारे युवक व युवतियाँ सांगीतिक प्रदर्शन करते थे। इसमे उच्च स्थान प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को स्वेच्छा से वर या वधु चुनने की स्वतंत्रता थी।

ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त व 10552 के लगभग मंत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन वेद के अन्तर्गत देवताओं को स्तुति व देवताओं के आहावान करने के मंत्रो का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे – ऋग्वेद के 7वें मंडल में 59वें सूक्त के 12वें श्लोक में महामृत्युजय मंत्र का उल्लेख मिलता है। जिसके लिए कहा जाता है कि इसके जाप से दीर्घायु प्राप्त होती है व इस मंत्र के खंडित उच्चारण से आयु क्षीण भी हो जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है।

ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का क्रम आता है इसमें यदि साधारण रूप से देखा जाये तो यजुर्वेद में उन मंत्रों को उल्लेख किया गया जिनका उच्चारण यज्ञों व कर्म काण्डों के अवसरो पर किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने हेतु 4 गायक जिन्हें उद्गाता, ब्रह्मा, अर्ध्वयु, होत कहा गया। यजुर्वेद में साम का गायन करने वालों को साम गायक कहा गया। वाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी यजुर्वेद में ही किया गया जिसका बदलता स्वरूप ही वीणा है।

यजुर्वेद में वाण, तुणव, दुन्दुभी भू-दुन्दुभी वाकुर मुरज शंख पाणि तवल आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है।

यजुर्वेद के 30वें काण्ड के 19वें श्लोक में इन वाद्य यंत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। यजुर्वेद में वीणा को महालक्ष्मी का अवतार माना गया। यजुर्वेद में महिला वर्ग के अन्तर्गत सांगीतिक कला एवं रूचि भरपूर पाई गयी। महिला वर्ग को सांगीतिक कलाओं हेतु प्रोत्साहित किया जाता थां इस वेद मे कुलद 1975 श्लोको का उल्लेख प्राप्त होता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाया।

यजुर्वेद के पश्चात जो वेद संगीत के लिये अति महत्वपूर्ण है जिसके बिना संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती वह वेद है सामवेद जो पूर्णत: संगीतमय वेद है। जिसे संगीत का मूल वेद कहा जाता है।

भगवद् गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि

'वेदानां सामवेदोऽस्मि:'

अर्थात् वेदों में मैं सामवेद हूँ।

साम से तात्पर्य क्या है – वैदिक मंत्रों को जब स्वर सहित गाया जाता था तो वह साम कहलाया। गायन योग्य ही साम है। साम ब्रह्म जी के विश्व रूपी संगीत का द्योतक है। साम गान करते समय जिन मंत्रों व ऋचाओं का गान किया जाता था उन्हें सामन कहा गया।

भानू दीक्षित जी ने अमर कोष टीका में लिखा – 'जो पाप का विनाश करे वह है साम'।

सामवेद में ऋग्वेद को ऋचाओं का रूप है अर्थात् ऋग्वेद में जिन मंत्रों का उच्चारण होता था सामवेद में उन्हें गाकर बताया गया जिसके अन्तर्गत मंत्रो का गायन 3 रूपों में हुआ जिन्हें आर्चिक, गाथिक, सामिक कहा गया। सामवेद को मुख्यत: दो भागों में बाँटा गया आर्चिक तथा गान। आर्चिक संहिता जिसके दो भाग है पूर्वार्चिक व उत्तरार्चिक व जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं के बोल थे जिन्हें सामवेद के अन्तर्गत आर्चिक भाग में गेय रूप प्रदान किया गया। सामवेद में गान संहिता जो कि सामवेद का दूसरा भाग कहलायी इसमें लोक संगीत को ही गान कहा गया। गान के अन्तर्गत ऋग्वेद की ऋचाओं के अतिरिक्त जो भी मंत्र श्लोक शेष रहे उन्हें सामवेद में गान संहिता के रूप में सम्मिलित किया गया।

इन गीतों का प्रयोग वैदिक काल में लोक मनोरंजन हेतु किया गया। सामवेद में उच्चारण तथा ध्वनि की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था इसमें सामवेदकालीन मनुष्यों ने धीरे-धीरे स्वरों उच्चारण को परखना आरम्भ किया जिसे तीन प्रकार से देखा जा सकता है- उद्धात्त, अनुदात्त व स्वरित।

उद्धात्त अर्थात् गनि, अनुद्धात्त अर्थात् रे, ध तथा स्वरित अर्थात् सा, म, प ये तीनों ही क्रमश: ऊँचा नीचा मध्यम की स्थिति से पूर्ण थे। सामवेद में वैसे तो आरम्भ में केवल तीन स्वरों ग, रे, सा का ही उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक काल में सप्त स्वरों के नाम आधुनिक से भिन्न थे व क्रम संख्या की अलग थी- क्रुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, अतिस्वार्य इत्यादि नाम वैदिक के सप्त स्वर थे।

सामवेदीय मंत्रो के ऊपर अंक लिखे होते थे सामागान का नियम था कि बिना किसी मंत्र या श्लोक के पहले अक्षर के सिरे पर जो अंक होता था वह सामगान का आरम्भिक स्वर होता था।

समावेद में 6 विकारों को भी उल्लेख प्राप्त होता है- जिसमें विकार अर्थात् मंत्रों में परिवर्तन कर गायन करना। विश्लेषण अर्थात् शब्दों का खण्ड-खण्ड करके गायन करना। विकर्षण अर्थात् विशिष्ट प्रकार के खिंचावदार गायन का रूप अभ्यास अर्थात् पुनरावृत्ति कर उच्चारण करना।

विराम अर्थात् विश्रान्ति या रूक-रूक कर गायन करना।

स्तोम अर्थात् स्तोभ स्वरों का गयान।

इन विकारों का अलग सामवेद के 5 भाग थे या जिन्हें हम पंचशक्तियाँ भी कह सकते हैं जिन्हें हुंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ प्रतिहार व निधन के नाम से जाना जाता है इन पंच भागों को गाने वाले गायक प्रस्तोता, उद्गाता व प्रतिहर्ता कहलाये। **सामगान का समापन होने पर तीनों गायक ओ3म का उच्चारण साथ मिलकर करते थे क्योंकि सामगान का एक विशेष नियम था कि सामगान का आरम्भ व अन्य ओ3म के उचचारण से किया जाता था।** सामवेद स्वरों को यम की संज्ञा दी गई व इस काल में रज्जू, सक्षिल, पुष्पा, शैवार, कटिनृत्य, आरूपा, प्रकृति, वसंत इत्यादि नृत्य प्रचलित थे। सामवेद में चार प्रकार के वाद्य तंत्री, फूंक, चर्म, धातु निर्मित वाद्य आदि का वर्णन मिलता है।

सामवेद के पश्चात अन्य वेद का नाम लिया जाता है वह है अथर्ववेद परन्तु अथर्ववेद में सामवेद के समान संगीतमय सामग्री नहीं मिलती। इस वेद में जारण-मारण में प्रयोग किये जाने वाले मंत्र जादू-टोना तथा भगवान सूर्य की विवाह यात्रा के अवसर पर जिन लौकिक गीतों का गायन किया गया उनका संकलन भी प्राप्त होता है।

अथर्ववेद में गान्धर्व लोक अन्तर्गत गायन करने वालों को गान्धर्व, वादन करने वालों को किन्नर तथा नृतय करने वाली स्त्रियों को अप्सरा कहा जाता था। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद अथर्ववेद में चिकित्सा, विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के मंत्रों का उल्लेख भी मिलता है इस वेद के रचनाकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा जी को माना जाता है। जड़ी बूटियों आयुर्वेद भूगोल वनस्पति तथा अर्थशास्त्रीय समस्याओं का निदान इस वेद में प्राप्त होता है मुख्य बात यह है कि इस का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।

वैदिक युग में लिखित वेद जिनमें हमारे संगीत से सम्बन्धित सामग्री मिलती है किसी में कम तो किसी में अधिक परन्तु प्रत्येक वेद अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री अपने में समाहित किये हुये हैं जिनसे हमें जीवन जीने की दिनचर्या विज्ञान, दर्शन अर्थशास्त्र आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के विषय में संक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है ये वेद समस्त विश्व गुरू के रूप में दुनिया को मार्गदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। संगीत की दृष्टि से तो वैदिक युग अति महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीत के स्वर वाद्य व नृत्य का भी उल्लेख इस युग में मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका : एक अध्ययन

डॉ. ज़ाकिर खान*

* सांदिपनी विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हडप्पा संस्कृति पर्यावरण से ओत प्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याय बनी रही। भारतीय मनीषियों ने समुची प्रकृति ही क्या सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। उर्जा के स्त्रोत सूर्य को देवता माना तथा उसको सूर्य देवो भव: कहकर पुकारा । भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया है। सरिताओं (नदियों) को जीवन दायिनी कहा गया है, इसलिए प्राचीन संस्कृति में केला, पीपल, तुलसी, बरगद, आम आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती रही है। मध्य कालीन एवं मुगलकालीन शरत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। अंग्रेजो ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारम्भ किया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थिति कीअसंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही दिखने लगा था। स्वतंत्र भारत के लोगो में पश्चिमी प्रभाव औद्योगिकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप तृष्णा जाग गयी जिसनें देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया।

पर्यावरण दो शब्दो से मिलकर बना है परि+आवरण। परि का अर्थ है चारो तरफ और आवरण का अर्थ है घैरा। अत: हमारे चारो तरफ प्रकृति तथा मानव निर्मित जो भी जीवित तथा निर्जीव वस्तुए है वे मिलकर पर्यावरण बनाती है। इस प्रकार पर्वत, पठार, मैदान,घाटी, वन, मिटटी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव-जन्तु सभी पर्यावरण के अन्तर्गत आते है।

पर्यावरण शब्द का अर्थ आसपास या पास पड़ोस होता है जिसमें मानव जन्तुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाहय परिस्तियाँ, कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशाये सम्मलित है जो वायु तथा भूमि मानव जीवों अन्य जीवित प्राणियों पादपों सुक्ष्म जीवों और सम्पति के बीच विद्यमान है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (क) के अनुसार – 'पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि और अर्न्तसम्बन्ध सम्मिलित है जो जल, वायु तथा भूमि व मानव जीवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सुक्ष्म जीवों और सम्पत्ति के बीच विद्यमान है।'

संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्त्तव्यों में 51-क (छ) के रूप में पर्यावरण सम्बन्धी नागरिकों का मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया है जिसमें 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के विरूद्ध दया भाव रखे।'

टी. दामोदरराव बनाम एस ओम्यूनिसीपल कारपोरेशन है दराबाद[1]में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का कर्त्तव्य केवल नागरिको पर ही नही है बल्कि न्यायालय सहित राज्य के सभी अंगो का दायित्व है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टाक होम में सम्पन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनो की अधिकता को नियन्त्रित करना व पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। यह कानुन पूरे देश में 19 नवम्बर 1986 से लागू किया गया। इसके द्वारा केन्द्र सरकार के पास ऐसी शक्तियाँ आ गयी जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इस कानून की महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से नागरिको को इस कानून का पालन न करने वाली फेक्ट्रीयों के खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ का रख-रखाव संविधान के अनुच्छेद21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की परिधि में आता है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तों यह मानव जीवन के लिए परिसंकटमय तथा यह मन्दविश दिलाने का कार्य करता है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्तवपूर्ण कार्य किये गये है। जीवन का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद21 में है, कि सकारात्मक व्याख्या करके, न्यायपालिका ने इस अधिकार में ही इस 'स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार' को निहित घोषित किया है। सामाजिक हित विषेषकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण ही 'जनहित मुकदमों' का विकास हुआ। भारतीय न्यायपालिका ने 1980 से ही पर्यावरण हितेषी दृष्टिकोण अपनाया है। न्यायपालिका ने विविध मामलों में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता पूर्ण जीवन की यह मूल आवश्यकता है कि मानव स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करें। भारत के उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत प्राण के अधिकार का भाग माना है। अनुच्छेद21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर अन्यथा वंचित नही किया जायेगा। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा कारित प्रदूषित वातावरण से धीरे-धीरे जहर दिया जाना संविधान के अनुच्छेद21 का अतिक्रमण है। वास्तव में अनुच्छेद21 के अधीन प्रत्याभूत प्राण के अधिकार में प्रकृति के उपहार का संरक्षण और परिक्षण अन्तरवलित है। जिसके बिना जीवन का निर्वाह नही किया जा सकता है।

रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र, देहरादून बनाम उत्तरप्रदेश राज्य[2] के मामले में एक लोकहितवाद फाईल करके न्यायालय को यह बताया गया कि देहरादून में कुल पत्थर की खुदाई के कारण आसपास का पर्यावरण दूषित हो रहा है और आसपास के निवासियों को हानि पहुंच रही है। न्यायालय ने इस बात की जांच के लिए एक समिति नियुक्त कि और समिति की रिपोर्ट मिलने पर इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में स्थित श्री राम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कम्पनी की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन करने से रोक दिया, जब तक कि कम्पनी उन सभी सुरक्षा उपायो को नही अपनाती है। जो गैस को निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक है। कम्पनी के कारखाने से ओलियम गैस के रिसाव के कारण आसपास के निवासियों एवं कम्पनी के कर्मकारों को काफी क्षति पहुंची थी। इस मामले को दिल्ली के वकीलों को एक संस्था ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

इनरी ध्वनि प्रदूषण[4] के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव वाले अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का आधार है जिसकोअनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके विफल नही किया जा सकता है। इस मामलें में श्री अनिल कुमार मित्तल जो पैसे से इंजीनियर है उन्होने लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय से इस बात की प्रार्थना की कि वह सरकार को ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई विधियों को कठोरता से लागू करने का निर्देश दें। इस प्रकरण में एक 13 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ, जो समाचार में प्रकाशित हुआ था किन्तु पड़ोस में धार्मिक समारोह में जोर से बजने वाले लाउडस्पीकर की ध्वनि के कारण उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नही पड़ी और इसके पश्चात वह आग लगाकर जलकर मर गयी। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिये है-

1. पटाखों की ध्वनि स्तर वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए जब तक कि इससे अच्छी प्रणाली न खोज ली जाए।
2. ध्वनि करने वाले पटाखों के प्रयोग पर 10 बजे रात्री से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोक होगी।
3. पटाखों की दो श्रेणियां होगी एक निर्यात करने वाली और दूसरी देश में विक्रय की जाने वाली दोनो के रंग अलग-अलग होगें। देश में विक्रय के लिए पटाखों पर रासायनिक तत्वों की पूर्ण जानकारी का प्रकाशन होगा।
4. लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि करने वाले यंत्रो का ध्वनि स्तर (10 DB) से अधिक नही होना चाहिए।
5. आवासीय क्षेत्रो में कारों के हार्न का प्रयोग नही किया जायेगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।
6. ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों के विषय में जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। स्कूल के बच्चो के पाठ्यक्रमों में आवश्यक पाठ शामिल करके उन्हें इसके विषय में जागरूक बनाया जाना चाहिए।
7. लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग 10 बजे से 6 बजे रात्री में आकस्मिक स्थिति के अतिरिक्त नही किया जायेगा।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ[5] के दूसरे मामले में न्यायालय ने कानपूर के निकट जाजमऊ में स्थित चर्मशोधन शालाओं को तत्काल बन्द करने का आदेश दिया, क्योंकि इनसे निकलने वाले मलबे से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा था। याची जो एक समाजसेवी है ने न्यायालय में याचिका लोकहितवाद के रूप में फाइल की थी। उसने शिकायत की कि चर्म शोधन शालाओं से निकलने वाला अपशिष्ट गंगा के जल को प्रदूषित करता है जो पर्यावरण तथा जनजीवन के लिए हानिकारक है। इन कारखानों ने इसी प्रकार के संयंत्र नही लगाये है। प्रत्यर्थियों का कहना था कि संयंत्र लगाने का खर्चा बहुत अधिक है और कारखानों को बंद होने से बैरोजगारी व राजस्व की हानि होगी, किन्तु न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन कारखानों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी व राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगो के जीवन, स्वास्थ और परिवेश संरक्षण का लोगो के लिए कही अधिक महत्व है।

वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर बनाम युनियन आफ इन्डिया[6] के मामले में 'बेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम' ने अनुच्छेद 32 के अधीन एक लोकहितवाद फाइल करके तमिलनाडू में चमड़ा तथा अन्य व्यवसाय करने से निकलने वाले अशुद्ध मलवे से पर्यावरण को होने वाली भयंकर हानि की और न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और निवेदन किया कि न्यायालय तत्काल ऐसे कारखानों को आदेश पारित करें और उससे हुई हानि के लिए प्रतिकर दिलाएं। उक्त कारखानों से निकलकर विशाक्त मलवा खेतो, सड़कों के किनारे, नदियों तथा खुली भूमि में प्रवाहित हो रहा है और पलार नदी में जा रहा है जो वहां के निवासियों के जल आपूर्ति का एक मात्र स्त्रोत है। नदी का पानी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है। आसपास की भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो गयी है। लगभग 13 गावों के 350 कुओं का पानी प्रदूषित हो गया है। गांव की औरतो व बच्चों को पानी कई मील दूर से लाना पड़ता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि चमड़ा व्यवसाय कारखाने में हानि अधिक और लाभ कम है, अत: इन्हे बन्द कर देना चाहिए और दूषित करने वाला भूगतान करता है।' के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने प्रत्येक चमड़ा कारखाने पर 10,000 रूपये प्रदूषण दण्ड लगाया। यह रकम प्रदूषण संरक्षण फण्ड में जमा की जायेगी। जिसका प्रयोग प्रभावित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति दिलाने में किया जायेगा। न्यायालय ने प्रदूषण दण्ड माल गुजारी के रूप में वसुलने एवं तमिलनाडू उच्च न्यायालय ने ग्रीन पीठ के नाम से एक विशेष पीठ बनाने का निर्देश दिया, जो इन मामलों को निपटायेगी।

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य[7] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद21 में प्रदत प्राण का अधिकार के अंतर्गत सम्मलित है और प्रत्येक नागरिक को जल ओर वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32के अधीन लोकहितवाद दायर करने का अधिकार है।

ए.जगन्नाथ बनाम भारत संघ[8] इस वाद में बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में प्रायवेट और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों ने समुन्द्र के तटवर्ती क्षेत्रो में छोटी मछलियो के पालन के कारखाने लगा रखे है जिससे इन क्षेत्रो के पर्यावरण और परिस्थितिकी को गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। न्यायालय ने निर्णय दिया की वर्णित क्षेत्रो में छोटी मछलियो के फार्मो की स्थापना से वहां के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत: उनको ऐसा करने की अनुमति नही दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि समुन्द्र के तट और किनारे प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किये गये उपहार है। अत: उनकी सुन्दरता और मनोरंजन सम्बन्धी उपयोगिता को बनाये रखना राज्य का दायित्व हैं।

मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरकती व अन्य बनाम पष्चिम बंगाल राज्य व अन्य[9]इस मामले में 'अजान' हांलिक इस्लाम धर्म का आवश्यक व आधारभूत भाग है लेकिन माइक्रो फोन व लाउडस्पीकर का उपयोग आवश्यक व आधारभूत भाग नही है। माइक्रफोन तकनीकी युग की देन है, इसका विपरित प्रभाव संसार के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। अत: नागरिक शोर प्रदूषण से संरक्षण प्राप्त कर सकते है। अजान प्रचार का माध्यम नही अपितु प्रार्थना के समय एकत्रित होने के लिए लोगो को बुलाने का माध्यम है। अनुच्छेद 19 (1) (अ) में अजान के समय पश्चिम बंगाल अधिकारियो द्वारा माइक्रोफोन का प्रयोग प्रतिबंधित करना, जबकि अन्य राज्यों में प्रतिबन्ध नही लगाया गया है अनुच्छेद 14में समानता के अधिकार का हनन नही है।

बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसियेषन बनाम कमिष्नर आफ पुलिस कलकत्ता[10]– भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (G)में इस मूल अधिकार की ग्यारन्टी नही है कि कोई नागरिक ऐसा कारोबार या व्यापार करें जो ऐसा प्रदूषण पैदा करने वाला हो जो समाज की सुरक्षा, स्वास्थ और शान्ति को समाप्त करता हो।

भवानी रीवर बनाम शक्ति शुगर्स लिमिटेड[11]इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पर्यावरण प्रदूषण की ऐसी याचिकाएं जो आम जनता को प्रभावित करने वाली हो केवल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमती से निपटाई नही जानी चाहिए। आपतिजनक अवशिष्ट पदार्थ नदी या उसके आसपास बहाना जल प्रदूषण है। इस याचिका को बोर्ड की सहमति से निस्तारित करना आपत्तिजनक है।

म्यूनिसिपल काउनसिल, रतलाम बनाम बिरदीचन्द[12]पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका की पहली सोंच इस वाद में दिखाई देती है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा तथा ओ. चिनप्पा रेडडी ने निर्णय दिया कि लोक उपताप के निवारण के लिए नगरपालिका यह तर्क नही दे सकती कि आर्थिक अभाव के काररण वह न्यूसेन्स नही हटा सकती। इस जनहितवाद में न्यायालय ने नगरपालिका का यह प्राथमिक कर्त्तव्य माना किवह नागरिको के स्वास्थ की रक्षा करे। हालांकि यह वाद दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अधीन दायर किया गया था लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस वाद का ऐतिहासिक महत्व है।

सिटीजन काउनसिल जमषेदपुर बनाम बिहार राज्य[13] इस जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि हैण्डलूम व हेन्डीक्राफ्ट की प्रदर्शनी के लिए मैदान आंवटित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे स्वास्थ व पर्यावरण प्रदूषण के खतरे तथा यातायात जैसी अव्यवस्था पैदा न हो।

संविधान के अनुच्छेद 48(क) यह अपेक्षा करता है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ[14]के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 48 (क) के निर्देशक तत्व के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है किवे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये। ऐसे कर्त्तव्य के पालन के लिए न्यायालय को समुचित आदेश देने की शान्ति है।

टी.एम. गोदावरम थिरूवुलपाड बनाम भारत संघ[15]के बाद में जंगली भैंसो के समाप्त होने से बचाने के लिए बचाव अभियान तैयार करने के लिए निर्देश की मांग की रिट याचिका में राज्य सरकार का अभिवचन है कि जंगली भैसे के संरक्षण के लिए कोष की कमी थी,रक्षणीय अभिनिर्धारित नही किया गया। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि जंगली भैंसों को बचाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना को पुरा प्रभाव दिया जाए।

सुषांता टैगोर बनाम भारत संघ[16]के प्रकरण में अपीलार्थी जो शान्ति निकेतन का निवासी है कोलकाता उच्च न्यायालय में एक लोकहितवार फाइल की जिसमें उसने शान्ति निकेतन के आसपास भवन निर्माताओं द्वारा भवनों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण से शानित निकेतन के राष्ट्रीय महत्व एवं उसकी पारम्परिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है जिसे रोका जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विष्श्व भारती विश्वविधालय की परम्परा कि विरासत उसकी स्थापना के उद्देश्यों एवं उसे पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण प्रदान करना सरकार का दायित्व है, वह एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसे संविधान के अनुच्छेद 21औरअनुच्छेद51 (अ) (9) के अन्तर्गत राज्य की विरासत को बनाये रखना संवैधानिक कर्त्तव्य है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान– भारतीय समस्त दण्ड विधियों में भारतीय दण्ड संहिता 1860 राष्ट्र की सामान्य दण्ड विधि है। इस संहिता की निम्न धाराओं के अधीन पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है –

1. **लोक न्यूसेंस– धारा 268–** इस धारा में वह व्यक्ति दोषी है जो ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक या जनसाधारण को जो आसपास रहते है, या आसपास की सम्पति पर अधिभोग रखते हैं, कोई सामान्य क्षति, संकट, बाधा, या क्षोभ कारित हो जिससे व्यक्तियों का जिन्हे किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यभावी हो।

   यह न्यूसेस इस आधार पर माफी योग्य नही है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती हे।

2. **उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो। धारा 269–**जो कि विधि विरूद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसमें कि और जिससे वह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखता हो, जो जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना सम्भाव्य है, वह किसी दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक कि हो सकेगी या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

3. **लोक जल या जलाशय का जल कलुशित करना धारा 227–** जो कोई किसी लोक जल स्त्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलुशित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाय, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 500रूपये तक हो सकेगा या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

4. **वायुमण्डल को स्वास्थ के लिए अपायकर बनाना धारा 278 –** जो किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छा या इस प्रकार दूषित करेगा वह जनसाधारण के स्वास्थ के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हो, या लोक मार्ग में आते जाते हो अपायकर बन जाए, वह 500रू तक के जुर्मने से दण्डित किया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी

प्रावधान:

1. धारा 133 में न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश देने सम्बन्धी प्रावधान है।
2. धारा 134 में किसी आदेश की तामील, उस व्यक्ति पर जिसके विरूद्ध वह आदेश दिया गया है, कैसे की जायेगी इसके सम्बन्ध में प्रावधान है।
3. धारा 135 में जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है उस पर यह दायित्व डालती है किवह आदेश में निर्दिष्ट कार्य उस समय के अन्दर और उस रीति से करेगा जो आदेश में दिया गया है।
4. धारा 136 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नही करता है या हाजिर होकर कारण नही बताता है। तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में विहित दण्ड का भागी होगा।
5. धारा 144 में न्यूसेंस के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने सम्बन्धी प्रावधान है।

निष्कर्ष– पर्यावरण संरक्षणआज की अनिवार्यता बन गई है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आजादी के पूर्व वन अधिनियम 1927 द्वारा वन संरक्षण की बात की गई है, वही स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 ए (जी) पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्त्तव्य बताये गये है। वायु प्रदूषण अधि. 1981, पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण को पोषित किया गया है। इन प्रयासो के बावजुद भी आम नागरिको की सहभागिता आवश्यक है तभी सही मायने में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान को सफल मानेगें। मानव जीवन के लिए पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए संसद ने अनेक अधिनियम एवं कानून पारित किये है। इन अधिनियम को लागू करना सरकार का कार्य है। किन्तु विभिन्न सरकारों ने इन्हें गम्भीरता से लागू करने का प्रयास नही किया। इसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण समाज के लिए एक विकट समस्या बनता जा रहा है और विशेषकर देश के महानगरों में रहने वाले लोगो के जीवन के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है और इस कार्य को सम्पादित करने का उतरदायित्व हमारे उच्च तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने हाथ में लेकर भलिभांति निभाया है।

कई महानगरो की स्थिति तो यह हो गई है कि आने वाले कुछ वर्षो में वहाँ की धरती सम्भवत: मानव के रहने योग्य ही न रहे, फिर भी पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी खतरों के प्रति गम्भीरता नही बरती जा रही है। आम आदमी में प्रदूषण के खतरों के प्रति कोई जाग्रती नही है जो कि लाना बहुत ही जरूरी है। थोड़े से व्यक्तिगत लाभ के लिए हजारो लाखो व्यक्तियों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 168 फेकट्रीयों को हटाने के आदेश दिये गये, परिणामस्वरूप 50 हजार से ज्यादा श्रमिकों के जीवन निर्वाह पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जहां एक तरफ विभिन्न उद्योगों से उत्पादित नई भौतिक वस्तुएं मानव को अपने उपभोग हेतु मिलने लगी है वही इन वस्तुओं के अनियंत्रित उपभोग द्वारा प्रदूषण के नित नये खतरे पैदा होने से ओद्योगिक विकास अभिषाप बन गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने विष्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 1999 में कहा था कि पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के लिए सरकार अथवा न्यायापालिका की प्रतिरक्षा न करें अपितु प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएँ एवं उद्योगपति व प्रबंधक स्वेच्छा से इनका पालन करें, पर्यावरण के नाम पर वास्तविक परियोजनाओं का विरोध न करें।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चिपको आन्दोलन के (पद्मश्री विजेता) **श्री सुन्दरलाल बहुगुणा** का योगदान हमारे सामने है। इसी प्रकार पूर्व केन्द्रीय मन्त्री व पर्यावरण की दिशा में समर्पण भाव से कार्य करने वाली **श्रीमति मैनका गांधी** के कार्य कलापों पर सभी देश वासियों को गर्व है। अनेक गैर सरकारी संगठनों को पर्यावरण की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्र व राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यही वजह हैकि भारत में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारण व नियंत्रण की दिशा में जो कार्य गैर सरकारी स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है वह पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अनुकरणीय पहल है तथा सर्वोच्च न्यायापालिका ने भी इन संस्थाओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं को विशेष महत्व दिया है।

सुझाव–पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है–

1. राष्ट्रीय हरित न्यायालय के अनुसार पन्द्रह वर्ष पुरानी मोटर गाड़ियों के सड़को पर चलने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। किन्तु वाहन मालिक एवं एजेन्सियाँ इस प्रतिबन्ध को लागू करने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रही है। अत: शक्ति से इस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है। इस कदम में वायु प्रदूषण में 30 से 40 प्रतिशत की कमी की सम्भावना है।
2. अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रो में सप्ताह में एक दिन मोटर गाडियों के आवागमन पर पुरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।
3. स्कूल, कालेज, कार्यालय या रोजमर्रा की आवाजाही के लिए गाड़ी वाहनो की संख्या चौगूनी कर दी जाय, सार्वजनिक परिवहन को अनिवार्य किया जाना चाहिए इससे सड़को पर वाहनों की समस्या कम होगी और भीड़ भाड की समस्या का भी एक सीमा तक समाधान होगा।
4. मोटर वाहनों का समय समय पर रखरखाव किया जाय इससे कार्बन मानोआक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
5. कारखानों की चिमनियों की ऊँचाई अधिक रखी जानी चाहिए।
6. सौर उर्जा से चलित उपकरणो का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
7. रेल यातायात में कोयला तथा डीजल इंजनों की जगह बिजली के इंजनो का उपयोग किया जाना चाहिएं
8. अधिक से अधिक वर्षारोपण किया जाय।
9. हमें अपनी भौतिक जीवन शैली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। जिससे ऐसे उपकरणों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को उत्पन्न करते हों
10. प्लास्टिक एवं पालिथिन बेग का कम से कम इस्तेमाल करें।
11. वस्तु के पुन: उपयोग की आदत डालना चाहिए एवं उत्पाद प्रयोग में लाना जिसका पुन: उपयोग किया जा सके जैसे कांच, कागज एवं धातुएं।
12. घरेलु एवं कारखानों से निकलने वाले तरल अपशिष्ट पदार्थो का उचित ढंग से निष्पादन किया जाय। साथ ही साथ घरेलु अपशिष्ट पदार्थो की मात्रा को कम किया जाए।
13. उद्योगो एवं कारखानों पर इस बात की पाबन्दी लगायी जाय किवे अपना कचरा तालाबों एवं नदियों में न बहायें।
14. पर्यावरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिवसों पर अच्छे कार्यक्रमों द्वारा लोगो को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
15. पद यात्रा, रेली, जनसभा, प्रदर्शनी, लोक नृत्य, नुक्कड़, नाटक, वाद–

विवाद, पोस्टर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना अभियान चलाया जाना चाहिए।

16. पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति का संस्थानों की उपलब्धि के लिए पुरस्कार का प्रावधान होना चाहिए।
17. टी.वी.,पत्र-पत्रिकाओं आदि संचार के माध्यमों से लोगो को पर्यावरण ज्ञान देना चाहिए।
18. लोगो में पर्यावरण व प्रकृति के बारे में समझ विकसित करना चाहिए।
19. छात्रों को पर्यावरण के क्षेत्र में अपना केरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिएं
20. पर्यावरण व जैव मण्डल से की जा रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए।
21. अपने लोक कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही व उपेक्षा बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रभावी निगरानी रखी जावें।
22. महिलाओं का विशेष सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि अपने स्तर पर अपनी दिनचर्या के 2,3 घन्टे प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह प्रदूषण के निवारण के लिए कार्य कर सकें।
23. अस्पताल से निकलने वाले कमरे को बन्द वाहनों में ले जाकर उचित व निर्धारित स्थानों पर डाला जावें।

संदर्भग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान - डॉ. जयनारायण पाण्डे, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद।
2. भारत का संविधान - डॉ. बसन्तीलाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. पर्यावरण विधि - डॉ. जय जय राम उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
4. पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा - डॉ. अनिरूद्ध प्रसाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
5. आधुनिक पर्यावरण विधि - डॉ. आर.एल.राठी, युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि. जयपुर
6. पर्यावरण संरक्षण के परम्परागत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, 19 नवम्बर 2016।

फुटनोट:-

1. ए.आई.आर. 198 सी.
2. (1985) 2 एस. सी. सी. 431
3. (1996) 2 एस. सी.सी. 176
4. ए.आई.आर. 2005 उच्चतम न्यायालय 3036
5. (1988) 2 उम.नि.प. 229
6. (1996) 5 एस. सी. सी. 647
7. ए.आई.आर. 1991 उच्चतम न्यायालय 420
8. ए.आई.आर. 1997 उच्चतम न्यायालय 811
9. ए.आई.आर. 1999 कलकता15
10. ए.आई.आर. 1998 कलकत्ता 121
11. ए.आई.आर. 1998 उच्चतम न्यायालय 2578
12. ए.आई.आर. 1980 उच्चतम न्यायालय 1623
13. ए.आई.आर. 1999पटना
14. (1988) 15 सी.सी. 47
15. ए.आई.आर. 1995 एस. सी. 1254
16. ए.आई.आर. 2005 एस. सी. 1975

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

संस्कृत साहित्य में पर्यावरण संरक्षण की भूमिका

ऋषिका चुण्डावत*

* बी.एड,एम.ए,सेट (संस्कृत) उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - आज के वैज्ञानिक युग में मानव अपने क्षणिक भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु प्रकृति द्वारा वातावरण को दूषित करता जा रहा है। वह विभिन्न कारखानों की स्थापना करता जा कारखानों से निकलने वाला औद्योगिक कचरा हमारी प्राणदायिनी नदियों के जल को ए के वातावरण को सतत प्रदुषित करता रहता है। इन कारखानों एवं विभिन्न प्रकार की मोटर, गाडियों तथा विमानों आदि से निकलने वाली तीव्र कर्णभेदी आवाज ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करती रहती है। अधिक उपज की चाह में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा लोग पृथ्वी को भी वंध्या करते जा रहे है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित भौतिक सुख के एक साधन रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस से ओजोन परत की क्षय का खतरा उत्पन्न कर दिया है, यह खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित आणविक बम ने सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा कर दिया है। वस्तुत: आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमें इस समय बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, यदि इसमें जरा सी भी चिंगारी लग जाये तो सारी दुनिया क्षण मात्र में नष्ट हो जायेगी। इस आधुनिक विद्या को यदि हम पैशाचिक विद्या की संज्ञा दे तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। इतना ही नहीं आज के जैव वैज्ञानिक जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कृत्रिम रूप से क्लोन आदि विधियों के द्वारा प्रतिरूपों की रचना कर रहें हैं, वह मानव की पैशाचिक प्रवृत्ति का ही उदाहरण है। यही कार्य रक्तबीज आदि राक्षस भी अपनी पैशाचिक (मायावी) विद्या द्वारा स्वयं के अनेक प्रतिरूप तैयार कर लिया करते थे।

पुरा भारतीय मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व सृष्टि के समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ पर्यावरण की महत्ता एवं उसको दूषित होने से बचाने, प्रकृति के प्रति संवेदनशील एवं उसके संरक्षण तथा मानव-जीवन में होने वाली व्याधियों तथा उसके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के सम्बन्ध में अनेक तत्वों का अन्वेषण किया था। पर्यावरण के सभी बिन्दुओं पर उनकी सजग दृष्टि थी। इन मनीषियों ने समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ध्यान पर्यावरण सुरक्षा की तरफ आकृष्ट किया। वैदिक कालीन जन पृथ्वी अर्थात् भूमि के प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखते थे। पर्यावरण का संरक्षण उपासना का एक अविभाज्य अंग था। अथर्ववेद के एक मंत्र में वैदिक ऋषि पृथ्वी की उपासना करते हुए कहा है कि, हे पृथ्वी! तुम्हारे गिरि, तुम्हारे हिम से ढँके पर्वत और तुम्हारे वन कल्याणकारी हों, भूरी, काली, लाल, विविध रूपों वाली स्थित, उत्पन्न विस्तृत भूमि पर अजेय अहत और अक्षत मैं अधिष्ठित होऊ।

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो
अरण्यं ते पृथिवि स्यनोमस्तु।
भ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां
ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्।
अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ठां पृथिवीमहम्॥

ऋगवेद में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक जीवन को ही सुख शान्ति का आधार माना गया है। किस ऋतु में कैसे रहना चाहिए, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन सब का वर्णन ऋग्वेद मिलता है। मण्डूक सूक्त में ग्रीष्म ऋतु में मण्डूकों के आतप से बचने हेतु तहखानों में छिपने तथा वर्षा ऋतु आने पर बाहर निकलने की सूचना मिलती है। मण्डूक सूक्त के ही एक मंत्र में कहा गया है कि, नेतृत्व करने वाले ये मेढक देवताओं के द्वारा बनाए गये विधान की अर्थात् ऋतु आदि के नियमों की रक्षा करते हैं, और इस प्रकार से बारह मासों वाले वर्ष के ऋतुओं की हिंसा नहीं करते, अर्थात् समस्त ऋतुयें क्रमश: आती रहती है। वर्ष के पूर्ण होने पर ग्रीष्म में रहने वाले और गर्मी से संतप्त रहते हुए ये मेढक बिलों से छुटकारा पाते हैं अर्थात् बिलों से बाहर निकलते हैं-

देवहर्तिं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते।
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता धर्मो अश्रुवते विसर्गम्॥

वायु, जल, ध्वनि, खाद्य, मिट्टी व सम्पदा संरक्षण आदि की दृष्टि से वेदों में वर्णित पर्यावरण को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

वायु की शुद्धता एवं महत्ता पर बल सजीव प्राणियों के लिए स्वच्छत पर्यावरण प्रथम आवश्यकता है। प्रकृति (ईश्वर) ने प्राणि जगत् के चारों तरफ वायु का एक घेरा फैला रखा है। बिना वायु (प्राणवायु = ऑक्सीजन) के किसी भी जीव का जीवित रहना असम्भव है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सृष्टयोत्पत्ति की प्रक्रिया में वायु को विराट पुरुष के प्राण से सम्बद्ध किया गया है -

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्यो अजायत।
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत॥

मानव शरीर के भीतर रक्तवाहिनी नलिकाओं में प्रवाहमान रक्त बाहर की तरफ दबाव डालता है। वायुमण्डलीय दबाव इन्हें सन्तुलित करता है, अन्यथा मानव शरीर के भीतर की धमनियां एवं शिरायें फट जायेंगी तथा जीवन का अन्त हो जायेगा। ऋग्वेद के वात् सूक्त में वायु को दिव्य शक्ति सम्पन्न, रूपहीन एवं अनुमेय बताते हुए समस्त भुवन अर्थात् प्राणिमात्र का बीज रूप बताया गया है-

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावंश चरति देव एष:।
घोषा इदस्य श्रृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम॥

वायु की शुद्धि नितान्त आवश्यक है। ऋग्वेद में वायु को दो वर्गों में विभक्त किया गया है - 1- शुद्ध वायु जो श्वास लेने योग्य होती है, 2-

जीवधारियों के लिए हानिकारक वायु (दूषित वायु)।

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावत:।
दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रप:॥

अर्थात् – ये दो वायु हैं। प्रथम समुद्र से आने वाला वायु है, तथा द्वितीय दूर भूमि पर से आने वाली वायु है। ऋषि प्रकृत मंत्र में कहता है कि, हे साधक ! एक तो तुम्हारे लिए बल को प्राप्त कराती है और एक जो दूषित है, उसे दूर फेंक देती है। हमारे प्राचीन मनीषियों को हजारों वर्षो पूर्व यह ज्ञात था कि वायुमण्डल मात्र एक नहीं अपितु वायु समूहों (गैसों) का मिश्रण है। इनके अलग–अलग गुण एवं अवगुण हैं। इसी वायुमण्डल में प्राणवायु जिसे हम आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, भी सम्मिलित है। यह प्राणवायु हमारे जीवन की रक्षा हेतु अपरिहार्य है।

यददौ वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हित: ।
ततो नो देहि जीवसे ॥

अर्थात् इस वायु के गृह (वायुमण्डल) में अमरत्व की जो यह धरोहर अर्थात् प्राणवायु स्थापित है, वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्ध वायु कई रोगों हेतु अचूक औषधि का कार्य करती है। आज भी यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम, जिसमें शुद्ध वायु को ग्रहण कर अशुद्ध वायु को निकाला जाता है का विशेष महत्व है। इस प्राणायाम से मानव के उदर सम्बन्धी अनेक व्याधियों का अंत हो जाता है। तपेदिक जैसे घातक रोगों के लिए शुद्ध वायु औषधि स्वरूप है। एक ऋग्वैदिक ऋषि ने स्वच्छ वायु की महत्ता बताते हुए कहा है कि

आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टताभि: ।
दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥

अर्थात् हे रोगी मनुष्य! मैं तेरे पास सुखकर और रक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारे लिए कल्याणकारी बल को शुद्ध वायु के द्वारा लाता हूँ और तुम्हारे जीर्ण रोगों को दूर करता हैं।

स्वच्छ वायु हृदय रोगों के लिए अमूल्य औषधि है एवं आयु का वर्द्धन करती है –

वात आवातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे ।
प्रण आयुषि तारिषत् ॥

जल एवं उसकी स्वच्छता का महत्व मानव शरीर का लगभग तीन चौथाई भाग जलीय अवयवों से निर्मित है। समस्त जीवधारियों के लिए जल ही जीवन है। प्राचीन विश्व की अधिकांश सभ्यतायें यथा सिन्धु सभ्यता, मिश्र–सभ्यता आदि नदी घाटियों में ही विकसित हुई थी। तत्कालीन मनुष्यों को वहाँ नदियों से स्वच्छ जल मिलता था। ये नदियाँ उनके आवागमन की माध्यम थीं। आज भी विश्व के अधिसंख्य समृद्ध शहर नदियों अथवा समुद्र जैसे विशाल जलीय स्त्रोतों के तट पर ही अवस्थित हैं, परन्तु आज के औद्योगीकरण के युग में शहरों के औद्योगिक कचरा एवं गन्दी नालियों ने पवित्र जलवाहिनी नदियों के जल को प्रदुषित कर दिया है। ये प्रदुषित जल भयंकर बिमारियों के स्त्रोत हैं, जिसे मानव या पशु–पक्षी ग्रहण करते ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आणविक अस्त्रों को इकट्ठा करने की होड़ में समुद्र में जल के भीतर जो परीक्षणात्मक विस्फोट किये जाते हैं, उनसे भी समुद्र का जल प्रदुषित हो जाता है, जिससे उसमें निवास करने वाले असंख्य प्राणियों को अकाल काल कवलित होना पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में शुद्ध पेय जल की प्राप्ति हेतु गहरे कुए खोदने का भी उल्लेख मिलता है। इस कुए का निर्माण मरुतों ने गौतम ऋषि के लिए किया था –

उर्ध्वं ननुद्रेऽवतं त ओजसा दादृहाणं चिदिद्बभिदुर्वि पर्वतम् ।
धमन्तो वाणं मरुत: सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥

शुद्ध जल मनुष्य को दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, प्राण–रक्षक तथा कल्याणकारी है। एक ऋग्वैदिक ऋषि इसी भाव को प्रतिपादित करते हुए कहता है कि सुखमय जल हमारे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी हो–

शं नो देवीरभिब्दय आपो भवन्तु पीयते ।
शं योरभि स्त्रवन्तु न:॥

अथर्ववेद में जल की महत्ताा का प्रतिपादन करते हुए एक स्थान पर कहा गया है कि, जल मंगलमय और घी के समान पुष्टिदाता है तथा वही मधुर जलधाराओं का स्त्रोत भी है। भोजन को पचाने में उपयोगी तीव्र रस है। प्राण और कान्ति बल और पौरुष देने वाला अमरत्व की ओर ले जाने वाला मूल तत्व है –

आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्ता: ।
तीव्रो रसो मधुपृचामरंग आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्॥

कृषकों की दृष्टि कृषि कर्म हेतु वर्षा ऋतु में मेघों पर ही लगी रहती है। एक ऋग्वैदिक ऋषि कहते है कि हे जल तुम अन्न प्राप्ति हेतु उपयोगी हो जीवन, नाना प्रकार की औषधियाँ व अन्न तुम पर ही आश्रित हैं। तुम औषधि रूप ही –

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।
आपो जनयथा च न: ॥

ध्वनि प्रदूषण एवं उसका निदान तीव्र ध्वनि सिरदर्द, तनाव, अनिद्रा आदि बीमारियों का मूल कारण है आजकल किसी कार्यक्रम का आयोजन बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के सम्पन्नइन यंत्रों के बिना भी कार्य चल सकता है अनिवार्य रूप से होता है। संगीत यद्य महत्वपूर्ण अंग है, किन्तु खेद का विषय है कि साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। रेडियों, ट्रांजिस्टर, टेलीवीजन, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के शोर सारे दिन कान के परदे फाडते रहते हैं, जिससे कि आगे चलकर श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है। वेदों में स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तीक्ष्ण ध्वनि से बचने के लिए तथा आपसी वार्ता में धीमा एवं मधुर बोलने के लिए कहा गया है.अर्थात्

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।
सम्यश्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥

भाई, भाई से व बहन, बहन से द्वेष न करें। परिवार के सभी लोग एक मत व एकव्रती होकर आपस में शान्ति से भद्र पुरुषों के समान भद्रता से वार्तालाप करें एक अथर्ववैदिक ऋषि प्रार्थना करते हुए एक मंत्र में कहा है कि मेरी जिह्वा से मधुर स्वर निकले। भगवान का भजन, पूजन तथा कीर्तन करते समय मूल में मधुरता हो मधुरता मेरे कर्म में निश्च्यतापूर्वक रहे। मेरे चित्त में मधुरता बनी रहे जिव्हाया उसे मधु में जिव्हामूले मधूलकम्।

ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥

खाद्य प्रदूषण का निरोध भोजन से हमारे शरीर को उर्जा मिलती है। वैदिक साहित्य में अन्न की अत्यधिक महत्ता का वर्णन किया गया है मानव एवं अन्य जन्तुओं को ही नहीं देवों को भी भोजन अभीष्ट था। याज्ञिक क्रियाओं में हवि द्वारा अर्पित यज्ञान्न अग्नि द्वारा देवताओं के पास ले जाया जाता था–

अग्ने यं यज्ञमधवरं विश्वत: परिभूरसि ।

स इद्देवेषु गच्छति ॥

ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में सर्वप्रथम उत्पन्न सहस्त्रशीर्ष एवं सहस्त्रपाद : वाले आदि पुरुष को भी अन्न से वृद्धि प्राप्त करने वाला कहा गया है।

पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌भूतं यच्च भव्यम्।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥

वैदिक साहित्य में खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्षो का प्रतिपादन किया है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य पाचन शक्ति से भोजन को भली–भाँति पचाये। इसी तरह दूधा जल आदि पेय पदार्थों के बारे में भी उल्लेख है

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः ।
प्राणानमुष्य संपास सं पिबामो अमुं वयम् ॥

अर्थात् मैं जो भी पिता हूँ यथाविधि पीता हूँ, जैसे यथाविधि पीनेवाला समुद्र पचा लेता है। हम दूध जल जैसे पेय पदार्थों को उचित ढंग से ही पिया करें। खाद्य सामग्री के बारे में अथर्ववेद में आगे उल्लेख है कि, जैसे यथाविधि खाने वाला समुद्र सब कुछ पचा लेता है, हम भी उसी तरह यथाविधि शान्तिपूर्वक खूब चबा–चबाकर खायें–

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः ।
प्राणानमुष्य संगीर्य सं गिरामो अमुं वयम् ॥

मृदा (पृथ्वी) के प्रदुषण का निवारण अथर्ववेद के पृथ्वी के सूक्त के कुल 63 मंत्रों में पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। इस सूक्त में पृथ्वी को सभी भौतिक वस्तुओं को धारण करने वाली और बल प्रदान करने वाली माता के रूप में प्रशंसा कर उससे सुख और शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। इस सूक्त में सर्वाधिक उल्लेखनीय पृथ्वी का माता के रूप में वर्णन है। अत्यन्त श्रद्धा और स्नेहपूर्ण भाव से ऋषि ने बार–बार पृथ्वी से उसी प्रकार शक्ति, तेज और अन्न की प्रार्थना की है जैसे पुत्र अपनी वत्सला माता से करता है–

सा नो भूमिं विसृजतां माता पुत्राय मे पयः ।
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ॥

पृथ्वी के निर्माण के बारें में अथर्ववेद में कहा गया है कि

शिला भूमिरश्मा पांसू सा भूमिः संवृता धृता।
तस्यै हिरण्यवक्षये पृथिव्या अकरं नमः ॥

अर्थात् भूमि चट्टान, पत्थर और मिट्टी है। मैं उसी हिरण्यगर्भा पृथ्वी के लिए स्वागत वाचन बोलता हूँ।नाना प्रकार के फल–फूल औषधियाँ एवं वनस्पतियाँ इसी मिट्टी पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी सभी वनस्पतियों की माता एवं मेघ (पर्जन्य) पिता है–

यस्यामन्न व्रीहियवौ यस्या इमाः पश्च कृष्टयः ।
भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे॥

पृथ्वी वनस्पतियों को जन्म देती है, इसलिए वह माता है। पर्जन्य (मेघ) वर्षा द्वारा उसे सींच कर उसका पोषण करता है, इसलिए वह पिता का कार्य करता है।

अतः हम कह सकते है कि वैदिक काल में जिस प्रकार से मानव प्रकृतिक वातावरण को बिना क्षति पहुचाए उसके साथ आनन्दमयी जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य प्रकृति के तत्वों को नुकसान पहुचाकर वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, आने वाले समय में यह वातावरण मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अभी से सजग होकर पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. ऋग्वेद 7.103.81 ॥
   पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌भूतं यच्च भव्यम् ।
   उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥
2. ऋग्वेद 7.103.6 ॥
3. ऋग्वेद 10.60.13 ॥
4. ऋग्वेद 10.168.4 ॥
5. ऋग्वेद 1.85.8 ॥
6. ऋग्वेद 3.13.5 ॥
7. अथर्ववेद–3.30.3 ॥
8. अथर्ववेद 1.34.2 ॥
9. अथर्ववेद 6.135.2 ॥
10. अथर्ववेद 6.135.3 ॥
11. अथर्ववेद 12.1.26 ॥
12. ऋग्वेद 11.4 ।।
13. ऋग्वेद 10.60.2 ॥

****

भारत में आरक्षण की राजनीति : राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के विशेष संदर्भ में

हरिसिंह गुर्जर*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - समाज के वंचित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए न केवल भारत में अपितु दुनिया के कई देशों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज विदेशों में भी आरक्षण पद्धति है। अनेक विकसित देशों अमरिका, चीन, जापान मे भी आरक्षण है। बाहरी देशों में आरक्षण को एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। एफर्मेटिव एक्शन मतलब समाज के 'वर्ण' तथा 'नस्लभेद' के शिकार व्यक्तियों के लिए सामाजिक क्षमता का प्रावधान।

1961 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सभी प्रकार के वर्ण अथवा नस्लभेद रंगभेद के खिलाफ कड़ा कानून बना। इसके तहत् संयुक्त राष्ट्र मे सम्मिलित सभी देशों ने अपने देश के शोषित वर्ग की सहायता करके उन्हें समाज की मुख्यधारा मे स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अलग-अलग देशों ने अलग-अलग तरीके से आरक्षण लागू किया है। जैसे - जर्मनी मे जिमनेशियम सिस्टम है, इजराइल में एफर्मेटिव एक्शन के तहत् आरक्षण है, जापान जैसे प्रगतिशील देश में भी बुराकूमिन व्यक्तियों के लिए आरक्षण है। (बुराकूमिन जापान के हक वंचित व्यक्ति है), नॉर्वे में 40 प्रतिशत महिला आरक्षण पीसीएल बोर्ड में है। वहीं रोमानिया में शोषण के शिकार रोमन लोगों के लिए आरक्षण है, दक्षिण अफ्रिका मे रोजगार क्षमता (काले-गोरे लोगों को समान रोजगार) आरक्षण प्रदान किया गया है। श्रीलंका में तमिल तथा क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग नियम अर्थात आरक्षण है।

अगर अनेक देशों में जरूरतमंद व्यक्तियों को आरक्षण है (जिनमें कई विकसित देश भी शामिल) तो फिर भारत में प्रदत्त आरक्षण किस प्रकार भारत की प्रगति में बाधक है। जबकी भारत में सबसे ज्यादा लोग जातिभेद के ही शिकार है तथा वह आज भी समाज की मुख्यधारा से बहुत दूर है। अगर यह अंतर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक विशिष्ट वर्ग का शासन होगा, फिर ऐसे में किस प्रकार देश की प्रगति होगी। भारत सिर्फ किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों का देश नहीं है सिर्फ एक वर्ग विशेष की प्रगति से भारत की प्रगति नहीं होगी। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन राजनीतिक चेतना, आर्थिक असमानता, समतुल्य मीणा समुदाय को जनजाति श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त होने एवं सशक्त नेतृत्व के विकास आदि कारणों से प्रारभ हुआ।

भारत में आरक्षण की राजनीति : प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शूद्र वर्ग को जिसको की अछूत माना व कहा जाता था, को भारतीय हिन्दू समाज में समानता की स्थिति तथा अवसरों की समानता प्राप्त नहीं थी। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता नहीं थी। वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। इसी कारण समाज में एक अन्तर स्थापित हो चुका था और असमानता व्याप्त हो गई थी। उपरोक्त समस्याओं एवं अत्याचारों का इस वर्ग विशेष को सामना करना पड़ता था। इस वर्ग की इस समस्या का समाधान करने के लिये भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर जो कि स्वयं दलित एवं अछूत वर्ग से संबंधित थे, इस वर्ग के लोगों के दर्द को अनुभव किया तथा उनके समाधान के लिये प्रयास किए।

भारतीय स्वतन्त्रता के पूर्व आरक्षण की प्राप्ति के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य जो वैचारिक संघर्ष हुआ उस संघर्ष की अन्तिम परिणती ही आरक्षण की नींव थी।

ब्रिटिश भारत में शूद्रों एवं अछूतों की स्थिति दयनीय थी। यहां पर अनेक वायसराय आये परन्तु उनका अछूतों के प्रति दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न था। कईयों ने तो अछूतों एवं शूद्रों का दमन एवं शोषण किया तो कईयों ने उसके हितों के सरक्षण के लिये कार्य किया। उनमें जिन्होंने हित संरक्षण के कार्य किए उसी वर्ग के कुछ अधिकारियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। जो कि अछूतों के लिये ऐतिहासिक एवं सुखमय घटना थी।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन का ऐतिहासिक अधिवेशन 12 नवम्बर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। इस सम्मेलन में 89 सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इसमें 16 सदस्य ब्रिटेन के तीन राजनीतिक दलों के थे। यह ऐतिहासिक घटना थी कि अछूतों को प्रथम बार किसी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व दिया गया। अछूतों के लिये यह सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि सदियों से चली आ रही अत्याचार अनाचार से पीड़ित अछूतों को मानव ना समझने वाली प्रक्रिया का अन्त होने के रास्ते का शुभारम्भ हो रहा था। इस सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांग रखी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मांग की कि हरिजनों एवं अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अम्बेडकर ने कहा कि जहां स्वराज्य हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है वहीं इस भारत में रहने वाले अछूतों का सम्मानपूर्वक जीने-मरने का अधिकार भी जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे प्राप्त करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हमें विश्व के देशों में प्रतिनिधित्व मिला तो हम वहां पर भी अछूतों की समस्या को रखेंगे। उन्होंने इस सम्मेलन में दलितोद्धार की मांग की। उन्होंने इस सम्मेलन में आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं सामाजिक आरक्षण की मांग की। आर्थिक शोषण का विरोध करते हुए निडरता से भाषण दिया। उन्होंने भाषण के दौरान स्वतंत्र समीक्षा की तथा उनका भाषण ऐतिहासिक तथा तर्कसंगत था। उनके भाषण का सम्मेलन पर बहुत गहरा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

प्रभाव पड़ा। उनके भाषण की ब्रिटिश एवं अमेरिकन लोगों ने प्रशंसा की।

07 सितम्बर 1931 को लन्दन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में गांधीजी ने मुसलमानों एवं सिक्खो ईसाईयों एवं एग्लोइंडियन्स के अधिकारों का समर्थन किया। परन्तु उन्होंने अछूतों के अधिाकारों का तनिक भी समर्थन नहीं किया। जब अछूतों की ओर से डॉ. अम्बेडकर ने उनके अलग अधिकार मांगने का प्रश्न उठाया तो उसका गांधीजी ने डटकर विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि अछूतों को अलग राजनीतिक अधिकार मिले। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अछूतों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है तथा अंग्रेजों पर भी वह भरोसा नहीं करते है। अंग्रेजों पर कुछ शिकायतें एवं आपत्तियां है जिन्हें मैंने भाषण में जाहिर कर दिया है।

वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की स्थापना 22 दिसम्बर 1949 को की गई थी। 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा लाए गए अध्यादेश के आधार पर घोषणा की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लोक सेवाओं में नीति की पालना भारतीय संविधान के अनुसार ही की है। अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि संघ या राज्य के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिये संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की या 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 (4) में कहा गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, या पदों के लिये आरक्षण उपबन्ध कर सकती है। अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लिये लोक सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की स्थापना 9 सितम्बर 1993 से की गई है। केन्द्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। अत: राजस्थान लोक सेवाओं में या अन्य निजी सेवाओं में राजस्थान की अनु. जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। राजस्थान में एससी के लिए 16 प्रतिशत तथा एसटी के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

शोध प्रविधि, शोध क्षेत्र का परिचय तथा शोध उद्देश्य : प्रस्तावित शोध हेतु शोध प्रविधि के अन्तर्गत तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से किया गया। प्राथमिक स्रोतों में तथ्यों का संकलन, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। द्वितीय स्त्रोतों के अंतर्गत पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल्स समाचार पत्र, अध्यादेश अधिनियम, भारतीय संविधान आदि से प्राप्त तथ्यों को विषय के उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत कर विश्लेषित एवं व्याख्यायित किया गया है।

शोध के उद्देश्य :

1. प्राचीन काल से जाति व आरक्षण व्यवस्था भारतीय समाज में व्याप्त है, जिसके सामाजिक, राजनीतिक प्रभावों को इंगित करना। आरक्षण का ऐतिहासिक एवं विश्व परिप्रेक्ष्य में जानकारी करना।
2. गुर्जर जाति का इतिहास, गुर्जर जाति का परिचय प्राप्त करना।
3. भारतीय लोकतन्त्र में जाति व्यवस्था के साथ-साथ वर्तमान में आरक्षण के मापदंडों की समीक्षा करना।

शोध क्षेत्र – शोध क्षेत्र राजस्थान के चार जिले झालावाड़, दौसा, करौली एवं भरतपुर है। चारों जिलों में गुर्जर समुदाय बहुसंख्य मात्रा में निवासरत् है एवं राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के प्रारंभ से ही चारों जिलों में आंदोलनकारी सक्रिय रहें तथा यहा आंदोलन अपने चरम पर रहा।

अवलोकन की इकाई – अवलोकन की इकाई चारों जिले से 75-75 गुर्जर समुदाय के व्यक्ति है, इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 300 गुर्जर समुदाय के लोगों का साक्षात्कर किया गया।

निदर्शन विधि – राजस्थान के चारों जिलों झालावाड़, दौसा, करौली एवं भरतपुर से 75-75 गुर्जर समुदाय के व्यक्तियों जिन्हें आंदोलन के बारे मे कुछ जानकारी थी या जिन्होंने आंदोलन के लिये संघर्ष किया, कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन भी किया गया जिन्हे आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। इस प्रकार चारों जिलों से अध्ययन हेतु गुर्जर समाज के 300 व्यक्तियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है।

तथ्य संकलन की विधि:

1. प्राथमिक आकड़ो का संकलन साक्षात्कार एवं समूह चर्चा आदि के माध्यम से शोध के उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है।
2. द्वितीय समकों के लिए पत्र पत्रिकाओं, अध्ययन से संबंधित पूर्व अध्ययन, गुर्जर समाज की पत्रिकाएँ एवं इंटरनेट की सहायता से तथ्यों को एकत्रित कर किया गया है तथा प्राप्त तथ्यों को उद्देश्यानुसार वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया गया है।

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन : मुद्दे, कार्यपद्धति एवं परिणाम : 1857 की क्रान्ति के साथ ही गुर्जर जाति को एक आन्दोलनकारी रूप में देखा गया। 1950 से गुर्जरों ने आरक्षण की लड़ाई जारी रखी है। राजस्थान में गुर्जरों को जनजातिय दर्जे में आरक्षण का संघर्ष 1981 से जारी है। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने गुर्जरों को एक आपराधिक जनजाति के रूप में पहचाना, क्योंकि गुर्जरों ने औपनिवेशिक साम्राज्य के विरूद्ध लठों के साथ विद्रोह किया था। 1924 में आपराधिक जनजाति कानून के अधीन गुर्जर समेत अन्य जनजातियों के विषयान्तर्गत कठोर नियमावली का निर्धारण किया। 1950 के अन्त में प्रथम बार गुर्जरों ने जनजाति में सम्मिलित होने के लिए प्रथम बार आन्दोलन किया।

1951 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसी कानून को पुन: दोहराया। 1954 में मीणा समेत अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित किया गया। राजस्थान के द्वारा गुर्जरों की पूर्ण उपेक्षा की गई और तथ्यात्मक बात कही गई कि गुर्जर एक आपराधिक जनजाति है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मीणाओं के समान ही खराब है लेकिन बद्तर या बहुत खराब नहीं है। 1981 में गुर्जरों को पिछड़ा वर्ग जाति के रूप में पहचाना गया।

1993 में गुर्जर समुदाय को अपिव की सूची में सम्मिलित किया गया। 2000 में गुर्जरों ने जनजाति के दर्जे हेतु पुन: आन्दोलन प्रारम्भ किया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने आन्दोलन शुरू किया।

2003 के राजस्थान विधान सभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने गुर्जर समुदाय से कुछ वायद किए थे। किन्तु भाजपा सरकार के चार वर्षों तक गुर्जर विषय पर बरती गई शिथिलता और वायदा भूल जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप गुर्जरों ने 21 मई, 2007 को अनेकों स्थानों पर रेल रोको आन्दोलन के तहत संघर्ष प्रारम्भ किया। परन्तु राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण की घोषणा के बाद भी एक भी राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी ने गुर्जर समुदाय से सम्पर्क तक नहीं किया।

राजस्थान में गुर्जरों के अनुसार कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत (45,47,312) एवं सरकार के अनुसार 6 प्रतिशत (33,88,387) गुर्जर समुदाय है। यह समुदाय अति पिछड़ा है और भरतपुर संभाग में कुछ ज्यादा ही पिछड़ा हुआ है।

गुर्जर आरक्षण हेतु तर्क – गुर्जरों की वर्तमान केन्द्रीय व राज्य स्तरीय सांख्यिकीय स्थिति व स्तर की बात की जाए तो राज्य में उनकी स्थिति अत्यन्त ही दुर्दशापूर्ण है। समुदाय के लोग आज भी कम्बल, धोती, गमंछा लपेट कर रहते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र व राज्य के लोग बड़ी ही तीव्रता से अपना विकास कर रहे हैं, परन्तु गुर्जर समुदाय के लोग प्रतिस्पर्धा की क्षमता नहीं रखते। सम्पूर्ण राष्ट्र हर क्षेत्र में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है लेकिन गुर्जर समाज का बहुसंख्यक समुदाय आज भी राजस्थान में पशुओं जैसा जीवन जीने को विवश है।

लोकुर कमेटी ने अनुसूचित जनजाति के निश्चित निर्धारण सामुदायिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए। निर्धारण का मूल संकेतात्मक आधार घोर आदिम लक्षण है। उनकी विशेष आदिम संस्कृति भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदाय से मेलजोल में संकोच आदि ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण यह समुदाय व्यापक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनजातीय निती के अनुसार 700 के लगभग अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदाय एवं जातिया हैं। अत: गुर्जर इन्हीं लक्षणों के आधार पर जनजातीय आरक्षण के दर्जे की मांग करते हैं।

गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण के तर्कों के आधार पर यह प्रतित होता है कि समाज द्वारा आरक्षण की मांग तो उचित है किन्तु आरक्षण प्राप्त करने के उनके तरीके अनुचित है जैसे – रेल रोको आंदोलन, सरकार की अवज्ञा, अधिकारियों के साथ हिंसा एवं सरकारी सम्पत्ति का हानि पहुचांना आदि।

आन्दोलन के परिणाम पर दृष्टिपात करें तो 31 मई, 2007 को सवाई माधोपुर के बौंली में पुलिस गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हुई। आन्दोलनकारियों ने बौंली थाने से 8 राइफलें लूटीं। एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। एस.टी. आरक्षण के विरोध में मीणा समाज ने जाम खुलवाने हेतु प्रयास किया। मीणाओं ने गुर्जरों को पहुंचने वाली खाद्य सामग्री को रोका।

1 जून, 2007 को गुर्जर व मीणा समुदाय में जातीय संघर्ष प्रारम्भ हुआ। आपसी संघर्ष में चार लोग मारे गए व 50 घायल हुए। दिल्ली, आगरा सहित विभिन्न स्थानों को जाने वाली 40 से अधिक रेलें रद्द की गई। राज्य के 28 रोडवेज डिपो में एक भी बस नहीं चली। राजे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 जून, 2007 को आन्दोलनकारी सरकार से वार्ता करने के लक्ष्य से 6 शवों के साथ पीपलखेड़ा और पाटोली में धरने पर बैठे। कर्नल किरोडी सिंह बैंसला और मुख्यमंत्री की वार्ता असफल रही। किरोड़ीलाल मीणा ने 22 जनजातीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और दिल्ली जाने को कहा।

4 जून, 2007 को सरकार व गुर्जर नेताओं में समझौता हुआ और उग्र आन्दोलन समाप्त हुआ। अब तक 25 लोगों की जानें गई। आन्दोलन के दौरान 200 से अधिक मामले दर्ज। सम्पूर्ण राज्य व उससे बाहर 237 स्थानों पर 14.44 करोड़ की राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति हुई।

8 जून, 2007 को गुर्जर नेताओं ने मुकदमे वापस लेने के दबावकारी लक्ष्य से पुष्कर में गुर्जर महा पंचायत की बैठक बुलाई। गुर्जर समाज दो खेमों में विभाजित हुआ। कांग्रेस नेता गोविन्दसिंह गुर्जर के नेतृत्व में नवीन गुर्जर आरक्षण संघर्ष मोर्चा गठित हुआ। 18 दिसम्बर, 2007 को राज्य मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। गुर्जरों को विशेष पैकेज देने के लिए समिति का गठन। कर्नल बैंसला ने मंत्रिमण्डल के निर्णय को अस्वीकार किया। 17 जनवरी, 2008 को गुर्जर सहित 4 घुमंतु जातियों को 6 प्रतिशत आरक्षण का सिफारिशी पत्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा। 8 मई, 2008 को गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए वसुंधरा सरकार ने 282 करोड़ का विशेष पैकेज दिया।

गुर्जर आरक्षण के द्वितीय चरण का आन्दोलन : कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण की मांग के द्वितीय चरण की मांग हेतु 21 मई को रेल रोको आन्दोलन की रूपरेखा व वार्ता की गई। गुर्जर समुदाय के लोग गोपनीय रास्तों से भरतपुर के डुमरिया गांव पहुंचे। डुमरिया गांव में ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बैठक आयोजित की और रेल रोको आन्दोलन का आह्वान किया और कहा कि उन्हें पूरे समाज का समर्थन है। प्रतिक्रियास्वरूप राज्य सरकार ने शान्ति व व्यवस्था के लक्ष्य से 34 गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार किया। शान्ति व्यवस्था हेतु 12 पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए। स्वयं एडीजी ने हिण्डौन में कैम्प लगाया। वहीं आर.ए.सी. ने सवाई माधोपुर में फ्लैग मार्च किया। 27 पुलिस कम्पनियां तैनात की गई। प्रथम दिवस से ही आन्दोलन में मतभेद दिखाई दिया। खण्डार के 50 गुर्जर बाहुल्य गांवों ने आन्दोलन में भाग नहीं लेने की घोषणा की।

रामगोपाल गार्ड (अध्यक्ष राजस्थान गुर्जर महासभा) ने बैंसला के रेल रोको आन्दोलन के विरोध में कहा कि 'गुर्जर आरक्षण के नाम पर रेल व सड़क रोको आन्दोलन देशद्रोह है, महासभा इसका समर्थन नहीं करती।' महासभा पुलिस गोलीबारी में मरने वालों की बरसी पर 29 मई को आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर अमल के लिए महासभा प्रतिनिधि 27 मई को नई दिल्ली में केन्द्रीय जनजाति मंत्री व जनजाति आयोग अध्यक्ष से वार्ता करेंगे।' राजस्थान गुर्जर महासभा की आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक देवकीनन्दन गुर्जर (काका) की अधयक्षता में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि मेवाड़ के गुर्जर रेल रोको आन्दोलन में भाग नहीं लेंगे। गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के गुट ने भी बैंसला के आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। अतर सिंह भड़ाना व हेमराज गुट ने भी रेल रोको आन्दोलन में भाग नहीं लेने की घोषणा की।

27 दिन (23 मई से 18 जून) के गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के बाद समझौते का परिणाम यह हुआ कि भाजपा नेतृत्व वाली वसुंधरा राजे सरकार ने (गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार व रायका– रैबारी) इन जातियों को 'अन्य पिछड़ा वर्ग की विशिष्ट श्रेणी' बनाकर इन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण राज्य स्तर की सभी सेवाओं, शिक्षा, पंचायतों और पालिकाओं में दिया गया। नवीन 5 प्रतिशत राजनीतिक और प्रशासनिक आरक्षण का वर्तमान आरक्षण (16 प्र.श. अजा, 12 प्र.श. अजजा एवं 21 प्र.श. अपिव) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गुर्जर आंदोलन के अनुभवात्म विश्लेषण : साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर –गुर्जर समाज के 300 व्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। लैंगिक आधार पर उत्तरदाताओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध में 38 प्रतिशत उत्तरदाता महिला एवं 62 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष है। उत्तरदाताओं की आयु पर दृष्टिपात करें तो सर्वाधिक उत्तरदाता 28.3 प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक के है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर देखे तो 54 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है तथा 4.7 प्रतिशत

उत्तरदाता विधवा/विधुर है। उत्तरदाता शैक्षणिक स्थिति से स्पष्ट है कि 39.3 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर तक तथा 21 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक तक शिक्षित है वहीं 28.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हायर सेकण्डरी एवं उससे कम शिक्षा प्राप्त कर रखी है।

शत प्रतिशत उत्तरदाता आरक्षण के बारे में जानकारी रखते है किन्तु 17 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से अनभिज्ञ है कि आरक्षण व्यवस्था कब से लागू हुई है। उत्तरदाताओं से ज्ञात किया गया कि क्या आपको वर्तमान में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें अतिपिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणी में लाभ प्राप्त हो रहा हैं।

झालावाड़, करौली, दौसा एवं भरतपुर में गुर्जर आन्दोलन क्यों हुआ के प्रश्न पर सर्वाधिक 84.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक पिछड़ेपन को इसका कारण माना, 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जातिगत बहुलता को इसका कारण माना वहीं 44.7 का कहना था कि राजनीतिक जागरूकता के कारण गुर्जर आन्दोलन प्रारंभ हुआ।

गुर्जर आंदोलन उग्र होने के कारणों पर दृष्टिपात करें तो 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि सरकारों ने गुर्जर समाज के आर्थिक पिछडेप़न को दूर करने के कोई प्रयास नहीं किये, 86.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि सरकार द्वारा गुर्जर समाज की उपेक्षा की गई, 74.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना धारा 3 के दुरउपयोग के आक्रोश के कारण वही 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है गुर्जर आंदोलन उग्र होने का कारण समकक्ष समाज, मीणा समाज का वर्चस्वशाली व्यवहार हैं।

आरक्षण आंदोलन से झालावाड जिले में कई लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमें दर्ज हुए, करौली जिले में आंदोलन के दौरान 9 व्यक्तियों की मौत हुई, दौसा जिले में आंदोलन के दौरान 40 लोगों की जान गई एवं करोड़ो रूपये की राजकीय सम्पत्ति की हानि हुई एवं भरतपुर जिले में आंदोलन के दौरान 11 लोगों की जान गई। 90 प्रतिशत उत्तरदाता गुर्जर आन्दोलन को लेकर सरकार व समाज के बीच हुए समझौते से असहमत हैं।

93.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजस्थान के गुर्जर आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि उनके नेतृत्व का लाभ समाज को मिल रहा है। 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की गुर्जर आरक्षण के कारण समाजिक सोच में बदलाव आया है। जैसे कि लोगों में एकजुटता बढ़ी, सामाजिक सामंजस्य बढ़ा है एवं सामाजिक सोच में विस्तार हुआ है। आंदोलन के बाद गुर्जर समाज का मीणा समाज के साथ मतभेद खत्म नहीं हुआ है।

58.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि गुर्जर आरक्षण से गुर्जर समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आया है। जैसे कुछ युवाओं को राजकीय सेवाओं में लाभ प्राप्त हुआ हैं। 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं को देवनारायण योजना की जानकारी है की यह योजना आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिये बनाई गई योजना है।

आरक्षण के लाभ को लेकर उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण से शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है, राजकीय सेवाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। जिससे गुर्जर समाज आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है। झालावाड़ जिले में 67 प्रतिशत, करौली जिले में 65 प्रतिशत, दौसा जिले में 55 प्रतिशत एवं भरतपुर जिले में 58 प्रतिशत व्यक्तितयों को अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) का लाभ प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष एवं समाधानात्कम सुझाव : निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कई बार यह दावा किया जाता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद के इस नवीन भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का यथापूर्वक निर्वहन हो रहा है। भारत में सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में जाति की प्रमुख भूमिका है भारत में वयस्क मताधिकार होने के बाद भी जाति जो शक्ति की राजनीति की एक संस्था है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल और वर्तमान के जातिवाद में अभी यह अंतर अवश्य है कि आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भी आरक्षण का लाभ उठाकर राजनीति में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं और अपने समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। अध्ययन क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान गुर्जर समुदाय के द्वारा यह विचार भी प्रकट किए गए कि यदि हमारे समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी करेंगे तो वे अपने समाज के उज्ज्वल भविष्य एवं विकास में भी सहायक होंगे।

राजस्थान राज्य का गुर्जर समुदाय एनसीआर के गुर्जर समुदाय से एकदम भिन्न है। वह न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं बल्कि अपने समाज की खराब परिस्थितियों के चलते तथा अपने समुदाय के उत्थान व विकास के लिए लगातार एसटी की श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर उसी के अनुरूप आरक्षण पाने के लिए आजादी के बाद से ही कमोबेश संघर्ष कर रहा था। परंतु मई 2006 के बाद से तो काफी सजग सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहा है।

इस शोध में यह पाया गया कि भले ही राजस्थान का गुर्जर समुदाय आजादी के बाद से ही एसटी की श्रेणी में शामिल होने एवं आरक्षण पाने के लिए मांग कर रहा था, परंतु इस मांग को उचित दिशा मई 2007 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा मिली। यद्यपि गुर्जर समाज अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल हो आरक्षण की मांग कर रहा था। परंतु आंदोलन के बाद इस मांग की जांच के लिए गठित कमेटी ने तो राजस्थान में इस समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) का दर्जा दे अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश कर, न केवल गुर्जर मीणा समुदाय के मध्य जातीय संघर्ष को समाप्त किया बल्कि आंदोलन के दूसरे चरण में इस आंदोलन की मांग को ही बदल दिया। अब यह समुदाय एसटी श्रेणी को छोड़कर एसबीसी के 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे। जिसे बाद में एसबीसी से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ मानकर 'अति पिछड़ा वर्ग' (एमबीसी) का दर्जा देकर 5 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई।

आंदोलन आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता द्वारा ही गांव-गांव जाकर, सभाएं/बैठके, करके रैलियां निकालकर, लाउडस्पीकरों से, मेलों में मंच तैयार करके आदि तरीकों से इस आंदोलन की लामबंदी की गई तथा समुदाय के लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लामबंदी के दौरान लोगों को आरक्षण के प्रति जागरूक तो किया गया। उन्हें यह तो समझा दिया गया कि एसटी की श्रेणी में आरक्षण या एसबीसी या एमबीसी की श्रेणी में आरक्षण मिलने से सरकारी नौकरी में, सरकारी संस्थान में पढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। परंतु इसके साथ ही आरक्षण का अर्थ समझाने में कमी रह गई। वर्तमान समय में लोगों को आरक्षण का सामान्य सा यह अर्थ स्पष्ट समझ आता है कि आरक्षण के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी तथा अच्छी नौकरी आर्थिक सम्पन्नता का साधन है। अत: आरक्षण को आर्थिक सम्पन्नता के साधन के रूप में ही समझा जाने लगा है।

शोध के दौरान यह पाया गया कि यह आंदोलन समुदाय के द्वारा ही बनाए गए गैर राजनीतिक संगठन द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन

इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बडी संख्या में ट्रेने रोकी गई। राजस्थान में गुर्जर-मीणा समाज समान रूप से निवासरत है लेकिन मीणाओं को धारा 3 का अधिकार दिया गया जिससे उनकी जमीन आदि दुसरे व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती है, वहीं जल, जंगल, जमीन आदि खत्म होते गए। जिससे गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन खतरे में आ गया। फलस्वरूप गुर्जर जाति आर्थिक रूप से कमजोर होती गई। अत: गुर्जर समाज ने अपने आप को मुख्यधारा में लाने के आरक्षण की मागं की। इसकी शुरूआत सकारात्म हुई थी किन्तु आंदोलन सही दिशा में नहीं जाने के कारण प्रदेश सरकार एवं निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज की मूल मांग एस.टी. में सम्मिलित करने की थी परन्तु सरकार द्वारा इन्हें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया इससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है संविधान की मूल भावना भी यही है।

शोध के आधार पर समाधानात्मक सुझाव - आरक्षण के शांतिपूर्वक समाधान के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

1. गुर्जर आरक्षण (एमबीसी) को स्थाई रखने के लिए नौवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।
2. गुर्जर समाज की मूल मांग एसटी आरक्षण की है जिसका राजस्थान सरकार जातिगत अध्ययन करवाकर उचित सिफारिशें केन्द्र सरकार को कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
3. सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के उचित अवसर प्राप्त कर सके।
4. आरक्षण का उपयोग केवल राजनीतिक उद्देश्य और सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों के राजनेताओं को इस समस्या के समाधान के लिए राजनीति से उपर उठकर प्रयास करने चाहिए।
5. राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला मुख्यालयों पर एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये जाए।
6. सरकार द्वारा आरक्षण व्यवस्था की कमियों का पता लगाने के लिये प्रबुद्धजनों और विद्वानों की एक समिति गठित करनी चाहिए जो कि इस व्यवस्था की कमियों को उजागर कर सके और उनका समाधान प्रस्तुत कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नयन तारा सक्सेना, अधिकारों का दस्तावेज पूना पैक्ट तथा मंडल रपट, सिद्धार्थ हाउस, लखनऊ 1991,
2. डॉ. अम्बेडकर पूना पेक्ट शर्ते, कल्चरल पब्लिशर्स, लखनऊ 1962,
3. दैनिक राजस्थान पत्रिका उदयपुर- 20 जुलाई 2009,
4. दैनिक भास्कर-उदयपुर-31 जुलाई 2009,
5. व्यक्तिगत शोध के आधार पर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

कालिदास के विचार-रत्नों का वर्तमान से सम्बन्ध

डॉ. धानी जामोद*

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महाकवि कालिदास के भिन्न –भिन्न विचार उनके ग्रन्थों में विस्तार रूप से पाये जाते हैं। उनके ग्रन्थों को मनोयोग से पढने वाले ही उनके समग्र विचारों को अपने जीवन के लिए गुम्फन कर सकता है। ओर कवि कालिदास के इन विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपना और समाज तथा लोगों का भी कल्याण कर सकता है। कतिपय विषय ऐसे भी है जिनके अध्ययन से हम और हमारे समाज के व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त कर सकते है। इन सभी विषयों का वर्णन कर उनका सम्बन्ध इस शोध पत्र में विचार कर उनका सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

शरणागत –रक्षा – प्राचीन काल से ही शरणागत की रक्षा भारतीयों के धर्म में मुख्य समझी जाती है। सज्जन व्यक्तियों ने शरणागत की रक्षा करने के लिये अपने प्रिय प्राणों की आहुति दे डाली है। अपने प्राणों को न्यौछावर कर शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। भारतीय इतिहास इसका पूर्ण साक्षी है। यथा – राजा शिवि शरणागत बाज के लिए अपनी जान तक देने के लिये तैयार हो गए थे। कवि कालिदास के विचार इस विषय में स्वत: उन्न्त है। उनका मत है कि –

क्षुद्रेअ्पि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चै: शिरसां सतीव ।
कुमारसम्भवम् 1.12

शरणागत की स्थिति वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित मानी जाती है। जैसे हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिऐ प्रतिदिन अपने प्राणों की बलि दे रहे है।

भेदभाव की स्थिति – यदि कोई छोटी जाति का या गुणहीन मनुष्य भी शरण में आ जाये तो सज्जन पुरूष उस पर उतनी ही ममता और अभिमान रखते हैं जितनी उच्चकुल में उत्पन्न गुणवान व्यक्ति पर होती है। कितनी ही उच्च कोटि की शिक्षा हो– मानव को सहायता करते समय जाति–पॉति का संकीर्ण विचार कभी नही करना चाहिए। ब्राह्मण हो या शूद्र, पापी हो या पुण्यात्मा, जब हमारे द्वार पर सहायता के लिए आ जाये तो अपने मन में नीची जाति के ख्याल को त्यागकर देना चाहिए। समाज में आज भी कहीं – कहीं जाति का भेद समाहित है अत: सर्वश्रेष्ठ भाव यह है कि हम सबको सब पर बराबर ममता रखना तथा यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये। वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य को ऐसी उज्ज्वल शिक्षा की गॉठ बाँध लेना चाहिए। जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।

धीरता –कवि कालिदास ने धीर का लक्षण परिमित शब्दों में बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है–**'विकारहेतौ सतिविक्रियन्ते येषां न चेतांषि त एवं धीरा:।' कुमारसम्भवम्** 1.51। धीर वही है जिसका चित्त विकार पैदा करने वाले कारणों के रहने पर भी विकृत न हो। यह लक्षण कितना विशद तथा तात्विक है धीरता की सच्ची कसौटी यही है कि सैकडों वासनाऍ मन को बूरा बनाने पर लगी हो , परन्तु चित्त की वृत्ति में किसी भी प्रकार का विकार प्रवृत्त न हों। इसी भाव का प्रसिद्ध पद्य है–

नवे वयसि य: शान्त: स शान्त: इति कथ्यते।
धातुषु क्षीयमाणेषु शम: कस्य न जायते।।

शान्त वही है जो युवावस्था में शान्त है। जब प्रलोभनों का अन्त हो जायेगा तो शान्ति स्वयं आ जायेंगी। बूढापे की शान्ति को क्या असली शान्ति कहेगें। हमें सच्चे धीर बनने का सतत प्रयत्न करना चाहिए।

मित्र– माहात्म्य: – यदि एक भी सच्चा, मित्र मिल जाय तो जीवन की गति अच्छी बन सकती है। सुख के दिनों में सदा साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, परन्तु विपत्ति के समय मित्र का साथ देने वाले बहुत कम मिलते है। मित्रों की पहचान के लिए दु:ख निकष ग्रावा है। विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर चमकने वाले मित्र ही आदर्श मित्र है। ऐसे मित्रों के प्रेम के विषय में कवि का मत है–:**'द्वियितास्वनवस्थितंनृणां न खलु प्रेम चलं सुहृज्जन।' कुमारसम्भवम्** 4.28। पुरूष का प्रेम पत्नी पर नि:श्चल नही, परन्तु मित्रजनों पर प्रेम सदा अटल रहता है। ऐसे ही मित्रों से जीवन सुखमय बन जाता है। वर्तमान समय के नव युवकों को सोच –समझकर किसी से मैत्री करनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में मित्रता का अर्थ परिवर्तित रूप में प्राप्त होता है तथा मित्रता जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। जिसका सम्बन्ध हमारे जीवन से है।

सच्चा प्रेम – किसी–किसी कवि ने प्रेम के विषय को सिद्धान्त माना है– **'मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् स्नेह: प्रवासाश्रयात्।'** अर्थात् विदेश में रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है। महानुभाव संयोग में ही स्नेह का अस्तित्व स्वीकार करते हैं उनका कहना है कि प्रेम वियोग होते ही घटने लगता है, परन्तु कवि कालिदास ने इस सिद्धान्त का सर्वथा खण्डन किया है। उनका मत है कि–

स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा–दिष्टे
वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति। उत्तरमेघ 52

कालिदास कहते है कि प्रेम घटने की बात तो दूर, वियोगावस्था में प्रेम बढता है। कारण यह होता है कि वियोग में स्नेहरस का आस्वादन नही होता है। अत: रस एकत्र होते –होते महान् राशि बन जाता है। इसके विपरीत, संयोग में प्रेम आस्वादन के घटता हुआ प्रतीत होता है। किस सहृदय को यह सिद्धान्त मान्य नहीं है? आधुनिक समय में भी कालिदासकालीन प्रेम का

सम्बन्ध प्रचलित है।

सज्जन– सज्जन के विषय में कवि कालिदास के विचार सुनने के लायक हैं। सज्जनों का आचरण करना अपने को मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाना है। कवि हमारे जीवन को उच्च बनाने के लिए ही अपनी सुन्दर सम्मति दे रहे है। यथा–

नि:शब्दोऽपि प्रदिशति जलं याचितश्चातकभ्य:।
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैवां।। उत्तरमेघ 54।

सज्जन प्रणयीजनों की याचना का जवाब उनकी अभिलाषा को पूरा करने से ही देते है,। मुख से इच्छापूर्ति के वचन नहीं कहते। सज्जन मांगी हुई चीज को ही दे देते है–याचना की सिद्धि की देते है। मुख से केवल शब्दों का व्यर्थ खर्च नहीं करते, शीघ्र मनोरथ ही पूरा कर देते है। यथा चातक ने मेघ से प्यास बूझाने के लिये जल मांगा। मेघ गर्जनरूपी शब्दों से इसे स्वीकार नहीं करते, वरन् जल बरसाकर उसे तृप्त कर देता है– सज्जनों का उत्तर कार्यमय हो जाता है, शब्दमय नहीं। वे ही सच्चे सज्जन होते है, जो प्रणयी की अभिलाषा पूर्ण करके दिखा देते है। इस उची पदवी के योग्य वे लोग नहीं है जो मुह से काम करने की प्रतिज्ञा कर देते है, परन्तु उसे पूरा करने से कोसों दूर भागते है। इसी भाव को कवि ने क्या गजब कहा है–

गर्जति शरदि न वर्षति, वर्षासु नि:स्वनो मेघ:।
नीचों वदति न कुरूते, न वदति सुजन: करोत्येव।।

सुख–दु:ख– कालिदास ने सुख–दु:ख के परिवर्तन की उपमा पहिये की नेमी से दी है। जिस प्रकार पहिये नेमि नीचे से उपर तथा उपर से नीचे की घूमा करती हैं, उसी प्रकार सुख–द्:ख की भी दशा है। संसार में कौन ऐसा मानव होगा जो सदा सुख भोगे और कोन ऐसा है जो दु:ख के नरक में पडा हुआ सदा आहें और भरा करें? इसमें हमारा इतिहास साक्षी हैं कि अवनति के बाद उन्नति तथा उन्नति के बाद अवनति अवश्य होती है। इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे भारतभूमि के लाडले सपूत कवि कालिदास मेघदूतम् के द्वारा अपनी प्यारी जननी के पास सन्देश भेज रहे है –

कस्यात्यन्त सुखमुपनतं दु:खमेंकान्ततो वा।
नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।। उत्तरमेघ 49।

हे भारतभूमि घबराओ नहीं, दु:ख सदा नहीं रहता। पराधीनता–पंक में फॅसी हुई भी तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विपत् से उद्धार नहीं होगा। ज्ञान सूर्य की किरणे अब चमकने लगी है। उन्नति तथा स्वाधीनता की उषा अपनी लालिमामयी साडी पहने तुम्हारा स्वागत करने के लिए आ रहीं है। अत: घबराने का समय नहीं है। सुख –दु:ख की इस प्रक्रिया का सीधा सम्बन्ध हमारे जीवन से जुडा है। हमें भी इस प्रक्रिया के अनूसार कभी विचलित नहीं होना चाहिए तथा इस सन्देश को समाज में प्रचलित करना चाहिए जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सकें। महाकवि भास ने ऐसा ही कहा है यथा –

चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति:। स्वप्नवाससवदत्तम्

निर्धन – धनिक ही अधिक बेईमान है, परन्तु कालिदास का गरीबों के प्रति यह विचार सर्वथा अखण्डनीय है **–रिक्त: सर्वो भवति हि लघु: पूर्णता गौरवाय। उत्तरमेघ**

सब खाली चीजें हल्की होती है, निर्धन का सब जगह निरादर होता है परन्तु भरपुर होने से भारीपन आता है। धनिकों का सब जगह आदर होता है। यह सोचने वाली बात है कि वर्तमान समय में भी कवि कालिदास के निर्धनता के विचार अटल सत्य है। आज भी निर्धन व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है।

धन का लाभ – धन इकट्ठा करना ही मनुष्य–जीवन का उद्देश्य नहीं है। रूपया कमाकर उसे अपने ही काम में खर्च करना ठीक नहीं है। स्वार्थ–पंक में फॅसकर जीवन बिताना भी श्रेयस्कर नहीं है। रूपये का एक उद्देश्य भोजन बिना मरने वाले व्यक्तियों की मदद करना भी होना चाहिए। धन इकट्ठा करो सही, पर दूसरों के दु:ख दूर करने में भी उनका व्यय करना चाहिए। कालिदास की यही राय है**–आपन्नार्तिप्रशमनफला: सम्पदो ह्युत्तमानाम्। पूर्वमेघ 57**

कृतज्ञता – कालिदास कृतज्ञता को बडे सम्मान की दृष्टि से देखते है। सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि समय पडने पर उपकारी की सहायता करें–

न क्षुद्रो पि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय
प्राप्ते मित्रे भवति विमुख: किं पुनर्यस्तथोच्चै:। पूर्वमेंघ 17

निष्कर्ष– आधुनिक समय में हमें अच्छे जीवन की कामना के लिए यह अति महत्वपूर्ण होगा कि हम कालिदासि के विचार रत्नों के व्याप्त अनेकों दोषों से बचा जा सकें। विचार–रत्नों का तादाम्य सम्बन्ध वर्तमान से सम्बन्धित है तथा सभी को अपने जीवन में अनुशरण करना हमारा नैतिक धर्म ही नहीं, बल्कि हमारा परम कर्तव्य भी है जिससे व्यक्ति बूरी बादतों से बच सकें। क्योंकि बुरी आदतें मनुष्य को बर्बात कर देती है। यथा– नाव में अगर बडा या छोटा छेद हो तो वह नाव को डूबो देता है, इसी तरह व्यक्ति की बुरी आदतें उसे बर्बाद कर देती है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परेशानियॉ क्यों न हो, लेकिन एक धैर्यवान व्यक्ति हर बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। सन्त –महात्मा और अच्छे लोग बिना कहे ही दूसरों का भला करते है, जिस प्रकार सूर्य घर–घर में एक समान प्रकाश करता है। हमें भी इसी प्रकार सभी रत्नों के माध्यम से अपना और दूसरों का सदैव कल्याण करना चाहिए। अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को देर से ही सही, लेकिन नेक कर्मो का फल जरूर मिलता है, इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. कालिदास ग्रन्थावली–डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पृष्ठ क्रमांक–528।
2. कुमारसम्भवम् 1.12, 1.51।
3. स्वप्नवासवदत्तम् षष्ठ अंक।
4. विक्रमोर्वशीयम्।
5. मालविकाग्निमित्रम्।
6. मेघदूतम् पूर्वमेघ 57,17
7. मेघदूत उत्तरमेघ 49,54.
8. संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ 211
9. संस्कृत सुकवि समीक्षा –बलदेव उपाध्याय पृष्ठ–108

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मेवाड़ राज्य का भोगोलिक-ऐतिहासिक परिचय

डॉ. शगुफ्ता सैफी *

* सहायक आचार्य (भूगोल) सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नाथद्वारा, राजसमन्द (राज.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान का दक्षिणी-पश्चिमी भू-भाग मेवाड़ है।[1] द्वितीय शताब्दी ई. पू. में यह 'शिबि' जनपद के नाम से प्रसिद्ध था।[2] संस्कृत शिलालेखों एवं पुस्तकों में इसे 'मेदपाट' नाम से भी सम्बोधित किया गया है। मेवाड़ राज्य की पूर्व-मध्यकाल व मध्यकाल में नागदा, आहाड़ (आघाटपुर)[3] और चित्रकूट या चित्तौड़गढ[4] भी राजधानी के रूप में रही।[5] यह 'मेदपाट' मेवाड़ राज्य राजस्थान में विलीनीकरण से पूर्व राजस्थान के दक्षिण में 23°49' से 25°28' उत्तर अक्षांश तथा 73°1' से 75°49' पूर्व देशान्तर के मध्य में स्थित है। भारतीय संघ में विलिनीकरण से पूर्व इसका क्षेत्रफल 12691 वर्गमील (2043.626 वर्ग कि.मी. या 22032.92 वर्ग किमी) था।[6]

राजनीतिक राज्य के रूप में मेवाड़ का विकास छठी शताब्दी ई. के उत्तरार्द्ध में गुहिल या गुहिलोत वंश की स्थापना से होता है जिसका संस्थापक गुहिल था।[7] गुहिल अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और अपनी वंशावली अयोध्यापति रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश से जोड़ते हैं।[8] अयोध्या में कुश की परम्परा का अंतिम शासक सुमित्र था।[9] सुमित्र की कुछ पीढ़ियों पश्चात् कनकसेन ने काठियावाड़ में वल्लभी साम्राज्य स्थापित किया जिस पर उसके वंशजों ने 524 ई. तक शासन किया।[10] इसके बाद 568 ई. में मेवाड़ में इसी वंश का उत्त गुहादित्य या गुहिल नाम का राजा हुआ जिसके नाम से उसका वंश 'गुहिल-वंश' अथवा 'गहलोत/गुहिलोत वंश' कहलाया।[11] इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक 'काल-भोज' या 'बापा' था।[12]

मेवाड़ राज्य की सीमाएँ तथा आकार समय-समय पर बदलते रहे हैं और अपने उत्कर्ष काल में महाराणा कुम्भा (1433-1468 ई.) ने राजपूताने के अधिकांश (मारवाड़, नागौर, सिरोही) का भाग सहित गुजरात, मांडू (मालवा) और दिल्ली सल्तनत के (सैय्यद एवं लोदी शासक) राज्यों के कुछ इलाके छीनकर मेवाड़ को महाराज्य बना दिया।[13] महाराणा सांगा (1507-1527 ई.) के काल में इस राज्य की सीमाएँ पूर्व में भिलसा, कालपी, गागरौन, चन्देरी एवं चम्बल पार से लेकर (मालवा) दक्षिण में रेवाकांठा एवं माहीकांठा (गुजरात), पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पार गोड़वाड़, सिरोही क्षेत्र व पालनपुर, पश्मिोत्तर में मण्डोर (मारवाड़), उत्तर में बयाना (भरतपुर), मेवात तथा पूर्वोतर में रणथम्भौर और बयाना, आगरा के निकट पीलाखाल या पिल्याखाल (पीलियाखाल) तक फैली थी। इस प्रकार महाराणा सांगा के काल में दिल्ली सल्तनत, गुजरात और मालवा के मुस्लिम राज्यों के भागों पर भी मेवाड़ ने आक्रमणकारी नीति अपनाकर अधिकार कर लिया था।[14] डूँगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, अजमेर और ब्यावर के क्षेत्र भी महाराणा सांगा के अधीन थे।

महाराणा प्रताप व महाराणा अमरसिंह के युग में ऐसा भी समय आया कि मेवाड़ के अधीन चावण्ड के आस-पास का छप्पन-भोमट का क्षेत्र ही रह गया था।[15] परन्तु 1615 ई. में सम्पन्न हुई मेवाड़-मुगल संधि की शर्तों के अनुरूप जहाँगीर ने मेवाड़ राज्य के सभी पुराने प्रदेश (1568 ई. के पूर्व मेवाड़ के अधीन थे) वापस लौटा दिये।[16]

मेवाड़ महाराणा राजसिंह प्रथम (1652-1680 ई.) के सन्तुलित शासन काल में सन 1680 में मेवाड़ राज्य की सीमाएँ विभिन्न दिशाओं में निम्नलिखित राज्यों की सीमाओं से मिलती थी-

उत्तर- अजमेर सुबा तथा शाहपुरा राज्य
दक्षिण- डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा देवलिया राज्य
पूर्व-कोटा एवं बूंदी का राज्य
पश्चिम-जोधपुर एवं सिरोही राज्य
नैऋत्य-ईडर राज्य[17]

अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय (1710-1734 ई.) के समय मेवाड़ की सीमा पुन: बढ़ती रही। इस समय मेवाड़ राज्य उत्तर-पूर्व में देवली, उत्तर में नसीराबाद के पास तक, पश्चिम-उत्तर तथा पश्चिम में जोधपुर व सिरोही, पश्चिम-दक्षिण में ईडर राज्य के कुछ भाग, दक्षिण में डूँगरपुर, बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़ राज्य, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में भानपुरा, बूंदी, कोटा तथा उत्तर-पूर्व में जयपुर राज्य की सीमा तक फैला हुआ था।[18] परंतु 18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से मेवाड़ पर मराठा उपद्रव, चौथ व सहायता के बदले में मेवाड़ के कई गाँव एवं परगने देने पड़े जिससे मेवाड़-क्षेत्र में कमी आना स्वाभाविक ही था जैसे-महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने 1729 ई. में मेवाड़ के पूर्वी-पश्चिमी भाग में स्थित रामपुरा(मालवा) का परगना मेवाड़ महाराणा अमरसिंह द्वितीय के दौहित्र व अपने भाणेज और जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वितीय पुत्र माधोसिंह (जयपुर) को जागीर के रूप में दिया था किन्तु माधोसिंह ने 8,56,997 रुपये वार्षिक आय का यह परगना मल्हार राव होल्कर को सहायता के बदले में दे दिया।[19] महाराणा राजसिंह द्वितीय (1754-1761 ई) ने चम्बल के समीप स्थित कणजेड़ा, जारडा, हिंगलाजगढ़, जामुनिया व वुडसु (बुडसा) के 60 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परगने होल्कर के गिरवी रखे परन्तु ऋण की राशि चुकता न होने से 1763 ई. में होल्कर ने महाराणा अरिसिंह के काल में इन परगनों पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया।[20]

महाराणा अरिसिंह (1761-1773 ई.) के काल में कोटा के मुसाहिब झाला जालिमसिंह को चीताखेड़ी की जागीर व जोधपुर के महाराजा विजयसिंह को राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित 80 लाख रुपये वार्षिक उत्पादन का गोडवाड़ परगना प्रदान किया जो कभी भी मेवाड़ में पुन: सम्मिलित नहीं हो सका।[21] महाराणा हमीरसिंह (1773-1778 ई.) के काल में माधवराव सिंधिया (महादजी सिंधिया) ने 1774 ई. में 13,725 रुपये वार्षिक उत्पादन के 48 गाँव बेगूँ जागीर से, 31,451 रुपये वार्षिक उत्पादन के 36 गाँव सिंगोली परगने से तथा 3651 रुपये वार्षिक उत्पादन के 18 गाँव भिंचोर परगने से ले लिये थे। इसी भांति अहिल्या बाई होल्कर ने भी इसी काल में 10,000 रुपये वार्षिक आय वाले 29 गाँवों के मोरवण व नन्दवास नामक दो परगनों के साथ 1774 ई. में निम्बाहेड़ा परगने को चौथ की बकाया राशि के बदले में स्थायी रूप से ले लिया था।[22] महाराणा भीमसिंह ने (1778-1828 ई.) राज्य के दक्षिण-पूर्व स्थित जावद व जीरण नामक क्षेत्र 1788 ई. में सिंधिया को फौज खर्च के बदले में दिये थे।[23]

सन् 1774 ई. में अहिल्या बाई होल्कर द्वारा अधिकृत[24] एवं 1809 में अमीर खां पिण्डारी को अपने मालिक जसवंतराव होल्कर से मिला निम्बाहेड़ा परगना अंग्रेजी शासनकाल में 1817 ई. की संधि के अन्तर्गत विधिवत् रूप से टोंक राज्य में मिला दिया गया।[25] टोंक नवाब अमीर खां के टोंक राज्य के अन्तर्गत स्थित निम्बाहेड़ा परगना तीन तरफ से मेवाड़ से और एक तरफ ग्वालियर राज्य से मिला हुआ था। सिन्धिया का भिंचोर का परगना चारों ओर मेवाड़ से घिरा हुआ था, ऐसे ही होल्कर का नंदवास और सिन्धिया के जाट (जाठ) सिंगोली और खेड़ी परगने के इलाके अधिकतर मेवाड़ के भीतर आ गये थे। ये सब इलाके पहले मेवाड़ के ही थे परन्तु पीछे समय के हेरफेर में मेवाड़ से छूट गये।[26]

मेवाड़ राज्य के कुल रकबे में से 1/4 जमीन पीवल थी। इस प्रदेश का उत्तरी व पूर्वी भाग खुला हुआ मैदान और उपजाऊ रहा है परन्तु दक्षिण-पश्चिम बहुत सी पहाड़ियों और घने जंगलो से आच्छादित है। दक्षिण में डूंगरपुर की हद से लेकर पश्चिम में सिरोही की सीमा तक सारा प्रदेश पहाड़ी होने के कारण मगरा कहलाता है। मेवाड़ का राज छोटे-मोटे 15 जिलों में बंटा हुआ था। इन जिलों में से दस में तो पैमाइश होकर मालगुजारी का पक्का बंदोबस्त हो गया अर्थात् वहाँ से जमीन का राजस्व (हासिल) रुपयों में लिया जाता था और शेष जिलों में पुराने ढंग का प्रबन्ध होने के कारण वहाँ लाटा-कूंता होता था अर्थात् पैदावार का हिस्सा लिया जाता था। गिरिवा (गिरिवाह/गिर्वा) के दो विभाग हैं, अंदरूनी, देबारी के पहाड़ी सिलसिले के भीतर का भाग अंदरूनी और बाहरी का बेरूनी गिरिवा कहलाता है। अंदरूनी गिरिवा में कच्ची तहसील है।[27] मेवाड़ राज्य-प्रबन्ध के लिये मेवाड़ के सोलह भाग किये गये थे जो जिले या परगने कहलाते थे। इन जिलों या परगनों का वर्णन निम्नानुसार है[28] -

1. गिरवा
2. छोटीसादड़ी
3. कपासण
4. चितौड़
5. राशमी
6. भीलवाड़ा
7. सहाड़ा
8. मांडलगढ
9. जहाजपुर
10. राजनगर
11. सायरा
12. कुंभलगढ़
13. मगरा
14. बागोर
15. आसींद
16. कुआखेड़ा

वर्तमान समय में भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के भू-भाग मेवाड़ के रूप में सुज्ञात है। मुँहणोत नैणसी की ख्यात में लिखित हैं कि.......उदयपुर के आस पास पांच कोस तक गिरवा (गिरिवा) कहलाता है ....एकलिंगजी से एक कोस, देवी राठासण (राष्ट्रश्येना) का मंदिर पहाड़ पर दो कोस दूर है। एकलिंगजी का मंदिर दोनों तरफ पहाड़ों की नाल में है, ...एकलिंगजी से एक कोस उदयपुर की तरफ नागदा (नाग या नागहद) गाँव है ....तालाब उदयसागर उदयपुर से कोस 3 पूर्व दिशा में देबारी की घाटी के पास है। यह तालाब बहुत बड़ा और (पूरा) भरने पर क़रीब 20 (?) कोस के फैलाव में हो जाता है और पानी इसमें गोदे और कुम्भलमेर के पहाड़ों से आता है, और तालाब में जल न्यूनाधिक सदा बना रहता है। इसके नाले से बेड़च नदी निकलती है। तालाब के चारों ओर पहाड़, और 200 तथा 205 पावण्डों (करीब 630 फुट) की पक्की पाल बन्धी हुई है। नाला मोरीरूप में बहता है।.........देबारी की घाटी नगर से 3 कोस, केवड़ों की नाल शहर से कोस 7, (दक्षिण पूर्व) में। उदयपुर से 4 कोस डूंगरपुर बांसवाड़ा जाते गुजरात के मार्ग में पर्वतों की नाल कोस सात की है। केवड़ा गाँव नाल के दूसरे ढाल पर है। नगर से चार कोस दक्षिण और चावण्ड के मगरों के मार्ग में जावर की नाल है .... खमनोर का घाटा शहर से 3 कोस ईशान कोण में है। ....घाणेराव का घाटा उदयपुर से कोस 19 वायव्य कोण में कुम्भलमेक के पास है। जीलवाड़े का घाटा नगर से 23 कोस है।

मानपुरे का घाटा 40 कोस दूर है।.... [29]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 99-100 महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट ,उदयपुर 2016 ; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 1-2 राजस्थानी ग्रंथागार ,जोधपुर 2015 ई.; अहमद शाहिद, मध्ययुगीन राजपूताने की शासन प्रणाली, पृ.38 अपोलो प्रकाशन, जयपुर, 2006
2. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.1-2, पाद टिप्पणी, क्र.स. 1; भटनागर डॉ. राजेन्द्र प्रकाश, मेवाड़ का राज्य प्रबंध एवं महाराणा राजसिंहकालीन दो बहियाँ, पृ. 1-2 सूर्य प्रकाशन संस्थान, उदयपुर, 1987 ई. ; सं. सिंह रोहित कुमार, संदर्भिका राजस्थान सुजस, पृ. 805 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार
3. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.1-2, पाद टिप्पणी, क्र.स1 एवं पृ. 31-34 मेदपाट का विवरण मिलता है; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, ओझा निबन्ध संग्रह, द्वितीय भाग, पृ. 187; व्यास कैलाशनाथ, गहलोत देवेन्द्रसिंह, राजस्थान की जातियों का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, पृ. 78; दलपति विजय कृत खुम्माण रासो, लेखक श्रोत्रिय कृष्णचन्द्र, सं. जावलिया ब्रजमोहन, पृ. संपादकीय 14-18 नागदा (एकलिंगजी) मेवाड़ की पूर्व मध्यकाल में राजधानी रही महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, 2001 ई.; टॉडकृत राजपूत जातियों का इतिहास, अनु. सं. पालीवाल देवीलाल, पृ. 150; जुगनू डॉ. श्रीकृष्ण, मेवाड़ का प्रारम्भिक इतिहास, पृ. 70-71, 76, 78- 79 आर्यावर्त प्रकाशन ,दिल्ली
4. शास्त्री शोभालाल, वीरभूमि अथवा श्री चित्रकूट-गुण-मालिका, पृ. 10-11 ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.1-2, पाद टिप्पणी, क्र.स. 1; पिन्हे, ए.एफ., हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, पृ. परिचियात्मक अध्याय, 1-25 ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.45-54
5. टॉडकृत राजपूत जातियों का इतिहास, अनु. सं. पालीवाल देवीलाल, पृ. 16-17, 150, पाद टिप्पणी, क्र.सं. 12; गहलोत जगदीश सिंह, राजस्थान के राजवंशों का इतिहास, पृ. 24,26; ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.1;The Journal of the numismatic society of India, Vol. XXV, 1963, Part-I, Chief editor H.V. rivedi, Editors A.K. Narain, P.L. Gupta, p.no. 81-86, JNSI-XXV, plate-VI-VII, मेवाड़ स्टेट के सिक्कों पर उदयपुर का अंकन प्राप्त होता है। ; सं. गुप्ता, के.एस., मेवाड़ के कलाविद्, पृ. 42; राठौड़ भूपेन्द्रसिंह, मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, पृ. 31 राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 2013 ई.
6. Compiled by Erskine, Major K.D. Imperial Gazetteer of India,Provincial Series Rajputana, Pg. no. 107; ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 2; मेनारिया, डॉ. शिवनारायण, उत्तर मुगलकालीन मेवाड़, पृ. 9 संघी प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण ,1986
7. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 248-250; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 65-66
8. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 230-232
9. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 232; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 65, 90-91 एवं पाद टिप्पणीयाँ
10. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 239
11. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 65-66, 96-98
12. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 250-254; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1,पृ.100-110
13. भट्ट राजेन्द्र शंकर, महाराणा कुंभा, पृ. 131प्रथम संस्करण, 2008, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
14. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. 239-247; ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 385-386; राणावत, डॉ. ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 2
15. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ.156-159, 217-218, 223; ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 448-451, 489-491; राणावत, डॉ. ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 2
16. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ.239-249 ;ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 497-507; राणावत डॉ. ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 2-3 चिराग प्रकाशन, उदयपुर, 2004
17. मेनारिया, डॉ. शिवनारायण, उत्तर-मुगलकालीन मेवाड़, पृ. 9-10; राठौड़, डॉ.भूपेन्द्र सिंह, मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल (मेवाड़ के संदर्भ में), पृ. 15-16
18. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. ;ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 30-40; गुप्ता, डॉ. के.एस., मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 20-26,29, इसमें 18 वीं शताब्दी में मेवाड़ पर मराठों के द्वारा किये गये आक्रमणों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है (पृ. 20-49); व्यास, डॉ. गोपाल, मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, पृ. 2 राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 1989 ई.
19. गुप्ता, डॉ. के.एस., मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 63-65 इसमें पृ. 51 व 52 पर विवरण प्राप्त होता है कि Hence in 1729, Maharana Sangram Singh-II, granted the Paragana of Rampura to Madho Singh giving him the ranked and status of a Sardar of the first sixteen nobles.; ओझा, डॉ. जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 7-10; व्यास, डॉ. गोपाल, मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, पृ. 2 पाद टिप्पणी, क्र.स. 3
20. ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-2, पृ. 645, 648; गुप्ता, डॉ. के.एस., मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 73-74
21. ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-2, पृ. 660 मेवाड़ का गोडवाड़ का परगना जोधपुर महाराजा विजयसिंह (1752-1797 ई.) के अधिकार में चला गया ; ओझा, डॉ. जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 155-156, 192-194एस. चांद एण्ड कं. नई दिल्ली, 1980 ई.
22. गुप्ता, डॉ. के.एस., मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 110-112, भिंचोर वर्तमान में गुलाब जामुन के लिए प्रसिद्ध है।
23. व्यास, डॉ. गोपाल, मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, पृ. 3

24. होल्कर मधुसूदन राव, होल्करों का इतिहास पृ.सं.294 होल्कर एकीकृत संघ, इंदौर, 2009
25. खान, अर्ब्दुल मोईद, रियासत टोंक के हुक्मराने जीशान, भाग-द्वितीय, पृ. 25 मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक, 2011 ;अहमद एजाज, निम्बाहेड़ा का इतिहास, कल आज और कल, पृ. 21 बज्मे सागर, निम्बाहेड़ा, 2009
26. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 100-102, पृ. 100 की पाट टिप्पणी, क्र.स. 1; ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 2, पृ. 17 की पाद टिप्पणी, क्र.स. 1
27. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 100-102, पृ. 100 की पाट टिप्पणी, क्र.स. 1; ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 2, पृ. 17 की पाद टिप्पणी, क्र.स. 1; दुग्गड़ रामनारायण, मेवाड़ राज्य का इतिहास, पृ.2-3
28. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 149-168; ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 17-19
29. मुँहणोत नैणसी की ख्यात,अनुवादक रामनारायण दुग्गड़,संपादक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ,पृ.40,राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2016

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण की सार्थक भूमिका

श्रीमती मीनाक्षी भार्गव*

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सशक्तिकरण की परिभाषा – सशक्त का अर्थ है सभी प्रकार से बलवान सशक्तिकरण का अर्थ है 'आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सर्वांगीण शक्ति प्राप्त होना।'

भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु काफी प्रयास किसे हैं। अपनी योजनाओं के माध्यम से शासन ने महिलाओं को सशक्त बनाने का हरसंभव प्रयास किया है। भारती महिला का सशक्तिकरण धार्मिक कानूनी और पारिवारिक रूप से प्रशंसनी कार्य विधि बनाई है। नारियों की दशा सुधारने के लिए उन्हें कुछ अधिकार स्वातंत्र्य आवश्यक है। अत: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नांकित क्षमताओं को मिलाकर सशक्त बनाया जा सकता है।

1. स्वयं की अस्मिता एवं अस्तित्व की पहचान हेतु स्वनिर्णय लेना।
2. जानकारी हेतु संसाधनों की उपलब्धता, त्वरित निर्णय की प्रतिभा द्वारा विषयों व अन्य प्रकार की ज्ञान सामग्री को प्राप्त करना, जिससे महिला अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
3. महिला को दृढतापूर्वक विकल्प रखना और प्रतिभाओं को अंगीकार करना।
4. स्वमेव ही परिवर्तन लाने हेतु तत्पर सजगता।
5. अपनी रूचि एवं प्रतिभा अनुसार कौशल सीखने की क्षमता।
6. विकास प्रकियां को समझकर नारी में बदलाव हेतु सहयोग करना।
7. स्वयं की सकारात्मक छवि में वृद्धि करने हुए विभिन्न प्रकार के दोषों से स्वय को मुक्त रखने का प्रास करना।

महिला सशक्तिकरण:

1. गरीब परिवारों की महिलाएँ गरीबी के साथ परिवार को चलाना, ये दो जिम्मेदारियों को निभाती है।
2. गरीब परिवार की महिलाएँ घरेलू हिंसा और कई समस्याओं की शिकार हो रही है।
3. गरीब महिलाओं को अपनी कमाई होने पर भी उनके जीवन पर उनको अधिकार नहीं है।
4. गरीब महिलाएँ बाल विवाह की शिकार हो रही हैं।
5. गरीब महिलाओं में अशिक्षित अधिक है।
6. गरीब महिलाओं में पोष्टिक आहार की कमी से कमजोर हो रही है।
7. गरीब महिलाओं में पढाई और स्वास्थ प्राप्त न होने से लिंग भेद की शिकार हो रही है।
8. महिलाओं को एक ही काम का कम वेतन दे रहे है। अर्थात् महिलाओं को पुरूषों के समान एक जैसा वेतन नहीं मिल रहा है।
9. महिलाओं को श्रम की पहचान नहीं हो रही है। जिस श्रम से उन्हें अधिक आय प्राप्त हो सकेगी।

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य: संगठित होने के लिए महिलाओं की सहायता कर के अवसरों को उपलब्ध कराना।

1. महिलाओं की अपनी संस्थाओं का निर्माण करना जहाँ वे संपूर्ण सहभागिता के साथ उनके अपने विकास के लिए निर्णय लेने जैसी संस्था का निर्माण होना।
2. महिलाओं को अपनी जरूरतों को पहचान कर आवश्यक सहायता जो उन्हें चाहिए वह सहायता वे प्राप्त कर सके। ऐसी उनकी अपनी हो।
3. ये अपनी संस्थाओं को स्वंय संचालित कर सके ऐसी क्षमता का विकास उनमें करना।
4. संसाधनों को प्राप्त करें जैसे जागरूक करवाना।
5. उनके अपने अधिकारों के प्रति वे संवेदनशील रहे ऐसी जागरूकता उनमें लाना।
6. वह अपने काम से संबंधित विषयों को जाने, जिन से उनके अंदर समझदारी और विश्वास में वृद्धि हो।
7. गरीबों के परिवारों का विकास होने के लिए उन्हें हथियार की तरह तैयार करना।
8. उनके जीवन पर उनका अपना नियंत्रण ही ऐसी क्षमताओं का निर्माण करना।
9. परिवारों में पहचान, ओहदा और निर्णयों में समान सहभागिता।
10. परिवार की उन्नति के लिए सहयोग करने हेतु उनके अंदर कौशल को बढाना।
11. समाज में मान-सम्मान एवं पहचान मिलना चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो।
12. सामाजिक दूराचार, बाल विवाह, अनपढपन, गृह-हिंसा लूटने से, अंधविश्वास से बाहर आकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना।
13. समस्याओं और मुश्किलों का ध्यान से सामना करने के लिए आमतौर करना।

महिलाओं का समूह गठन करना –10 से 15 गरीब महिलाओं का एक समूह बनाना चाहिए उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यक है। समूह का संचालन करने के लिए कुछ नियमों का निर्णय किया जा। इसके लिए अध्यक्ष,

सचिव आदि का चुनाव कर उनको व्यवस्थित काम सौंपना नजदिकी बैंक शाखा में खाते खुलवाना। बैंक खाते से लेन-देन के लिए अनुभवी अध्यक्ष का और सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण की बुनियादी रचना - 8 मार्च 1975 में सुयुंक्त राष्ट संघ के तत्वाधान में प्रथम महिला दिवस का आोजन किया गया। 1970 के दशक में महिला सशक्तिकरण सामने आया। सन् 1985 में नौरोबी में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सन् 1953 में महिला कल्याण नीति में भारत सरकार ने सशक्तिकरण के सुझाव दिये। तदनुसार 1926 में विधानसभाओं में महिला सदस्य बनाई गई। भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया एवं 2011में महिला सशक्तिकरण की नीति पारित की गई।

भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संविधान में निम्नांकित प्रावधान किये हैं-

1. **लैंगिक न्याय**

(अ) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना।

(ब) अनुच्छेद 15(2) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम बनाने की अनुमति देता है।

(स) अनुच्छेद 243(डी) और 243 (टी) के अन्तर्गत एक तिहाई महिला-सदस्य निकाय हेतु सीट आरक्षित रखी जावे।

2. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम**

(अ) धारा 10(1) सी, 16(1) बी और 20(1) बी. में हर जिले में उपभोक्ता-मंच गठित है जिसमें कम ही कम एक महिला सदस्य अनिवार्य है।

(ब) परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 4(4) बी.के अंतर्गत न्यायालयों नगणों की नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरीयता दी जाये।

3. पर्सनल लॉ-(अ) अनुच्छेद 44 के अनुसार देश में समान सिविल संहिता बनाई जो। (ब) संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत स्व विधि और दूसरे किसी कानून में कोई अंतर नहीं। यह न्यायलय अनुच्छेद 13 को शून्य घोषित कर सकता है।
4. गुजारा भत्ता-पति से संबंध विच्छेद होने पर महिला (पत्नी) को फौजदारी और 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ते का का आवेदन दे सकती है।
5. दहेज संबंधी कानून- भारती दंड संहिता धारा (498) (क) में दहेज प्रताड़ना होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। साक्ष्य अधिनियम धारा 113 (क) में दहेज मृत्यु होने पर अलग से कानून व्यवस्था है।
6. बलात्कार रोकने के संसदन में धारा 375, 376 (क) से 376 (घ) का प्रयोग किया जावे।
7. इसी प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता व शिक्षा के अधिकार में अनुच्छेद 21, 21(क) में अधिनियम में प्रावधान किये गये।
8. उसी प्रकार समानता अधिनियम में समान काम, समान वेतन के आधार पर अनुच्छेद 14 से 18 तक के उल्लेख है। अनुच्छेद 39 (घ) में समान काम, समान वेतन का नियम निर्धारित है।

इसी प्रकार भारती महिलाओं की स्थिति में सुधार के अनेक प्रावधान किये गये है। जिनमें शिक्षा, उद्योग, राजनीति, समाज खेलकूद, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अनेक सुविधाओं का लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है। आदिवासियों को अपनी भाषा में शिक्षित करने, ज्ञान व कौशल देना आदि प्रावधान दिये है।

सन् 2015 तक 37 लाख स्वसहायता समूहों में लगभग 52 प्रतिशत महिलाएँ सृजन का कर्ा करने रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय योजना तथा वृद्धों के लिए समेकित योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनेक सुविधाएँ दी गई है।

इस सब योजनाओं के कियान्वन में साइकिल, छात्रवृत्ति, आवागमन भत्ता, आवास भत्ता भदिया जा रहा है।

इन सब सुविधाओं के कारण महिला-सशक्तिकरण प्रगति पथ पर अग्रसर है। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का डॉ. भीमराव अम्बेडकर को जाता है। जिनके प्रयासों के कारण नारी का चहुमुखी विकास हो रहा है। स्त्री हमारे समाज का आभूषण है। इन सब के विकास के लिए महिलाओं अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ और अधिक उपाय किये जा सकते हैं- जैसे महिलाओं को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा दी जो। आत्मरक्षा हेतु करटि, कुंगफू आदि का प्रशिक्षण दिया जो। स्त्रियों के पारिवारिक दायित्व को सरल एवं सहज बनाया जावे। नारी को रूढिवादिता अंधविश्वास आदि से दूर रखना चाहिए। स्त्रियों को आर्थिक निर्रक्षर होने का सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।

भारती नारी को वर्तमान में अधिक आदर्श बनाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत 2010 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
2. डॉ. जनाराण पाण्डे- भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद
3. अनिल सचदेव-भारती दण्ड संहिता 1860, आगरा लॉ हाउस, आगरा
4. एम.ए. अंसारी- महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, बरकत नगर जयपुर
5. आशा रानी व्होरा- भारती नारी, अस्मिता और अधिकार।
6. श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव- भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति- कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली

****

बाल काव्य और नैतिक मूल्य

डॉ. मंजरी चतुर्वेदी*

*** पीएच डी. (स्वतंत्र लेखिका) मप्र राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, हिंदी भवन, भोपाल (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – साहित्य की समस्त विधाओं में काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय और संप्रेषणीय विधा रही है। बाल – कविता निरंतर विकासशील, मौलिक, प्रयोगधर्मी होने के साथ–साथ अनोखी विधा है। हिंदी बाल कविता में भारतीय संस्कृति की झलक,जीवन मूल्यों का पाठ,प्रकृति का सौंदर्य, राष्ट्रीयता की भावना आदि उपदेशात्मक ना होकर सहज,सरल,स्वभाविक ढंग से प्रस्तुत होते हैं, जिसे बालमन बिना किसी अथक प्रयास के साथ ग्रहण कर सकता है। संबंधों की प्रगाढ़ता रिश्तो की गरिमा संस्कारों की ऊष्मा का जो मनोहारी रूप बाल काव्य में समाहित होता है वह अन्यत्र किसी विधा में इतनी सहजता से नहीं समा पाता। 'हिंदी बाल साहित्य में भारतीयता और हिंदुस्तानियत का गहरा रंग है, भले ही उसमें भारतीय संस्कृति की झांकी किसी उपदेशात्मक रंग – ढंग से नहीं आती पर भारतीय जीवन की सादगी,प्रेम,अपनत्व और संबंधों की प्रगाढ़ता की एक गहरी छाया वहां देखी जा सकती है। मम्मी पापा ही नहीं दादा–दादी, नाना–नानी, चाचा– चाची, मामा– मामी,बुआ –फूफा आदि भारतीय पारिवारिक रिश्ते भी अपनी पूरी ऊष्मा और गर्मजोशी के साथ हिंदी की बाल कविताओं में मिलते हैं,और उसे एक नई मनोहारी छवि दे जाते हैं। '[1] कविताओं की सृजनात्मक कोंध अपने प्रखर रूप में बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बन कर निरंतर अपना विकास करती रहती है।

सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। हमारे देश में सभी धर्मों,जातियों, भाषाओं का सम्मान करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। बाल साहित्यकारों ने इस भावना को अपने साहित्य में भरपूर स्थान दिया है। बच्चों के चारित्रिक विकास नैतिक और जीवन मूल्यों की शिक्षा देने के लिए कवियों ने रुचिकर मनोरंजन के काव्य का सृजन किया। सत्य,अहिंसा, परोपकार, करुणा,दया सहानुभूति सन्मार्ग, मर्यादा पालन जैसे व्यावहारिक मूल्यों की सीख देने के लिए डॉ परशुराम शुक्ल ने महापुरुषों के जीवन चरित्र से गुणों को ग्रहण करने का संदेश इस प्रकार दिया...

'मर्यादा में रहना सीखो श्री राम रघुराई से
भेद कर्म का सीखो बच्चों अपने कृष्ण कन्हाई से
लो शिक्षा खिलते गुलाब से कांटो में भी पढ़ने की
गौतम,नानक ,महावीर से सत्य मार्ग पर चलने की।।'[2]

इतनी भाव प्रवण अभिव्यक्ति द्वारा कवि बच्चों को महान चरित्र से भी अवगत करा रहे हैं तथा अपने व्यक्तित्व में उनकी अच्छाइयों को समाहित करने का आहवाहन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों के उत्तम चरित्र निर्माण के लिए कवियों ने सौंदर्य शालिनी रचनाएं की हैं,इसी क्रम में डॉ. रोहिताश्व अस्थाना की कविता दृष्टव्य है –

'खुशबू है व्यवहार प्यार का,जिस की बड़ी जरूरत भाई।इसके कारण
सुन्दर लगती,कैसी भी हो मूरत भाई।।
खुशबू बुरी नहीं हो सकती, खुशबू है केवल अच्छाई।।'[3]

शिष्टाचार, सदाचार, विनम्रता ही ऐसे अमोघ अस्त्र हैं,जिनके द्वारा भावी पीढ़ी देश का गौरवशाली भविष्य बन सकती है। अत: बच्चों के मन में उनके चरित्र में भावना और गुणों का होना अति आवश्यक हो जाता है। काव्य वह माध्यम है जिसके द्वारा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बच्चों को ही महत्वपूर्ण बातों का बोध भी हो जाता है और उनके चरित्र में अनायास ही यह गुण अपना स्थान भी बना लेते हैं।

जीवन मूल्यों के लिए आपसी प्रेम,सौहार्द,परस्पर सम्मान, भाईचारा, सहयोग आदि की भावना का विकास होना बहुत जरूरी है। तभी सूर्यभान गुप्त ने अपने इस बालगीत के माध्यम से बंधुत्व की भावना के साथ साथ मिलकर रहने का भी संदेश दिया है

'हम कली फूल बहुरंगे हैं, निर्मल है विमल तरंगे हैं,
हमेशा हर्ष की मधुर–मधुर उठती नित सरस उमंगें हैं
मेलजोल अपनेपन के मधुर गीत सुनाएंगे
हम बढ़ते जाएंग...
आओ मिलकर ज्ञान करें सब में भावना महान करें।'[4]

बच्चों में दया करना और उदारता के भावों को विकसित करने के लिए कभी उन्हें सरल शब्दों की माला में गीतों की लड़ियां तैयार कीजिए बालक चाहे धारण कर अपने चरित्र के संदर्भ में विभक्ति कर सकते हैं उदारता जैसी संस्कृत भाषा को समझने के लिए उनको बड़े–बड़े उद्देश्यों को सुनना समझना नहीं उतना जितना एक मधुर गीत कविता को सुनकर जाकर भी समझ सकते हम दुल्हन भी कर सकते हैं हम जिला अग्रवाल की है कविता बच्चों में उदारवादी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रेरणा स्रोत है –

'आटा बाटा दही चटाका बात पते की बोलो काका,
दीन दुखी को सुख पहुंचाओ,हर बिछड़े को गले लगाओ
खींचो प्रीत प्यार का खाका
बात पते की..
चिंताओं की चिता जलाना खुशहाली के सपने सजाना
हरदम हंसना मार ठहाका
बात पते की... '[5]

हमारे देश की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और किसी भी देश की पहचान अपनी संस्कृति और परंपराओं से ही होती है। अत: इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने में साहित्यकारों का अमूल्य योगदान रहा है। बाल्यकाल से ही जब नौनिहालों में परंपराओं और मूल्यों के बीज रोपित

किए जाते हैं, तभी युवावस्था तक आते-आते वे परिपक्व वृक्ष का रूप धारण कर पाते हैं अत: बाल कवियों की बच्चों को संस्कारी बनाने में सक्रिय भूमिका रही है। कृष्ण शलभ की यह बाल कविता बच्चों के जिज्ञासु मन में मानवीय मूल्यों का चित्र अंकित करती है..

'रंग नहीं पानी का होता,जात नहीं होती पानी की
प्यास सभी को एक बराबर, हो फकीर की या रानी की
इतनी बड़ी धूप के टुकड़े, होते हैं क्या बोलो भाई
रोटी पर क्या नाम लिखा है,हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।'[6]

बाल पद्य साहित्य द्वारा बच्चों के चारित्रिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इस माध्यम से बच्चे मनोरंजक तरीके से जीवन मूल्यों को आत्मसात भी कर पाते हैं और उन्हें अपने निजी जीवन में अनुभव भी। हिंदी के अनेक महान कवियों ने बाल साहित्य का सृजन किया है और पद्य के माध्यम से बालकों के अंतर्मन पर सदाचार ,परंपरा,मूल्यों, संस्कृति की कोपलें विकसित करने में सराहनीय प्रयास भी किया है। इन कवियों में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,सोहनलाल द्विवेदी,बाबू गुलाब राय, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानन्दन पंत, पं हरिकृष्ण देवसरे,डॉ. सुरेंद्र विक्रम, बालकृष्ण शर्मा, कृष्ण शलभ, डॉ. परशुराम शुक्ल, कृष्ण कुमार अष्ठाना आदि बहुचर्चित बाल साहित्यकार हैं। इन समस्त कवियों ने अपनी सरल, सहज, भाषा और शिल्प के माध्यम से बाल कविता में बालोचित प्रवत्तियों और भावनाओं का प्रणयन किया है।

आधुनिक समय में जब जाओ और अराजकता का माहौल है लोक सहित नेता को त्याग कर असहिष्णु हो रहे हैं लाभ हिंसा बनाना आपका राधिका वे समाज में अपनी गिरफ्त में ले रहा है ऐसे में आवश्यक है कि हमें अपने बचपन को एक जहरीले हवा से बचाना होगा उनकी सांस में नैतिक मूल्यों के प्राण भाइयों का संचार करना होगा नैतिक मूल्यों की अभाव में परिवार व समाज का पता लगाना निश्चित ही यह नैतिक मूल्य व्यक्तित्व के विकास के लिए आंतरिक व अंतर सपोर्ट तत्व है यही बालकों के संपूर्ण विकास को दिशा प्रदान करते हैं वर्तमान समाज की मूल्य संस्कृति की चर्चा करते हुए कवियों ने इसके दुष्परिणामों से बच्चों को अवगत कराया था कि बच्चे सजग होकर नैतिकता के पथ पर अग्रसर हो

आदमी को आदमी का दर्द नहीं दिखता है,
सच्चाई का करे सामना मर्द नहीं मिलता है,
हर साल से बोलूं सुकून और चौन गायब है,
जीना बहुत मुश्किल है मरना बहुत आसान है

इसी प्रकार मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण समाज की आंतरिक वेदना को दर्शाती डॉक्टर शुक्ल की जय कविता वर्तमान काल की व्यवस्थाओं पर करारा तरीके इन व्यवस्थाओं के बोझ तले आम आदमी की दशा विचारणीय था कवि ने बालमन में समाज की दुर्दशा के बीच सकारात्मक संवेदनाएं जागृत करने का प्रयास किया है,

मां तुम साहब के कुत्तो को कितनी रोटियां बना कर आई हो,
मां बोली चार मोटी मोटी रोटियां दोपहर की और 4 ही शाम के लिए बना कर रख कर आई हूं उन्हें दूध में गला कर भी रख आई हूं,

बहुत देर तक छोटा बच्चा मां को देखता रहा फिर ने सवाल पूछ कर बोला

ना कितना अच्छा होता अगर मैं साहब का कुत्ता होता

कवि ने गरीबी के कारण भूखे बच्चे की अभिलाषा का मार्मिक चित्रण किया है जहां धन मानव के कुत्तो भी दूध मलाई का सेवन करते हैं वहीं गरीब के बच्चे एक वक्त के खाने को भी तरसते हैं इस तरह की कविताओं द्वारा बच्चों की संवेदनशीलता और करना को किया जा सकता है

निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि बाल कविताओं में नैतिक मूल्यों के रेखांकन से बालमन के सर्वागीण विकास को बल मिलता है। बाल कविता में संस्कृति व मूल्यों का निरूपण आधुनिक समय की आवश्यकता है। भौतिकवादी युग में जब परिवार में भी बच्चा उपेक्षित हो जाता है ऐसे में बाल साहित्य उनकी दबी जिज्ञासाओं मूल्यों के साथ उनके मनोरंजन का मुख्य स्रोत बनकर उभरता है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों द्वारा कविताओं के भाव को दृश्य - श्रव्य आदि द्वारा और अधिक ग्राह्य बना दिया जाता है जो भावी पीढ़ी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का।तक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिंदी बाल साहित्य का इतिहास / प्रकाश मनु / पृष्ठ - 229
2. बालगीत भाग 3 / डॉ परशुराम शुक्ल /पृष्ठ -20
3. रोहिताश्व अस्थाना /चुने हुए बालगीत -प्रथम खंड/ पृष्ठ - 32
4. बालहंस दिसंबर (1960) 7 वर्ष 12 अंक 11 / पृष्ठ -3
5. डॉ. रोहिताश्व अस्थाना / चुने हुए बालगीत प्रथम खंड / पृष्ठ -18
6. डॉ. जगदीश व्योम / 151 बाल कविताएं संपादक -जाकिर अली / पृष्ठ - 07
7. डॉ. शंकर लाल शुक्ल / और राजू चल बसा / भूमिका से
8. डॉ. परशुराम शुक्ल / आओ बच्चो गाओ बच्चो / पृष्ठ -59

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

फर्नीचर उद्योग में एक आर्थिक अध्ययन

डॉ. शिव कुमार वर्मा* नरेश कुमार प्रजापति**

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – छतरपुर जिले के फर्नीचर उद्योग में उद्यमियों द्वारा फर्नीचर कार्य किया जाता है जिले में सब उद्योग में से सबसे ज्यादा फर्नीचर उद्योग का कार्य किया जाता है और जिले में कई जगह फर्नीचर कार्य किया जाता है। कई प्रकारों एवं डिजाइनों में तथा उपकरणों द्वारा फर्नीचर निर्मित किया जाता है। फर्नीचर निर्मित करने के लिए मजदूरों की बड़ी भूमिका रहती है। बिना कार्यरत मजदूरों द्वारा फर्नीचर निर्मित सम्भव नहीं है। फर्नीचर उद्योग प्रशिक्षित मजदूर होना चाहिए जिससे वह फर्नीचर कार्य अच्छे तरीके से हो सके।

प्रस्तावना – छतरपुर जिले में फर्नीचर उद्योग का एक आर्थिक अध्ययन से स्पष्ट है कि फर्नीचर उद्योग एक ऐसा उद्योग है। जो विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। कच्चा माल को उपलब्ध कराकर अच्छी डिजाइनों द्वारा बनाया जाता है इसमें कुशल कारीगरों या मजदूरों द्वारा बनाया जाता है जो आज विश्व स्तरीय रूप से कार्य चल रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक फर्नीचर का बड़ा योगदान रहा है। लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर डिजाइनों में तैयार किया जाता है। उद्यमी द्वारा कार्य संचालन के रूप में प्रयोग किये गये संसाधन जैसे– भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस आदि का प्रयोग करके फर्नीचर निर्मित किये जाते हैं। जैसे उद्यमी द्वारा उद्योग को स्थापित करने के लिए पहले से आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। उद्यमी द्वारा फर्नीचर कई समस्या का सामना करना पड़ता है। फर्नीचर निर्मित के लिए के कच्चे माल को परिवहन द्वारा माँगने पर खर्च आता है फर्नीचर वैसे तो मध्यप्रदेश में लकड़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्यप्रदेश में सागोन लकड़ी अधिक मात्रा में पायी जाती है जिस वजह से यहां फर्नीचर उद्योग अधिक स्थापित है। छतरपुर जिले में फर्नीचर उद्यमी एवं कार्यरत मजदूरों द्वारा निर्माण किया जाता है। छतरपुर जिले में फर्नीचर निर्माण का कार्य सबसे ज्यादा सागोन की लकड़ी से किया जाता है। फर्नीचर उद्योग के उद्यमी द्वारा वन विभाग से सागौन लकड़ी का पंजीयन कराना होता है। तब उद्यमी को सागौन की लकड़ी प्राप्त होती है, फिर फर्नीचर निर्माण कार्य किया जाता है।

सागौन लकड़ी के अलावा अन्य लकड़ी का प्रयोग किया जाता है मगर सागौन की लकड़ी का फर्नीचर से बनी वस्तु की लम्बी आयु तक चलता है। इस लकड़ी में पॉलिश जल्दी चढ़ जाता है। लकड़ी चिराई के लिए आरामशीन भी कुछ उद्यमी द्वारा किया जाता है। एक फर्नीचर उद्योग में 20 से 30 कार्यरत मजदूर फर्नीचर उद्योग में कार्य करते हैं इनकी मजदूरी उनकी कार्यकुशलता के अनुसार दिया जाता है। जो कार्यरत मजदूर अच्छी डिजाइन निकालेगा उसे अधिक मजदूरी दी जाती है जो कम डिजाइन निकालते उनको कम मजदूरी दी जाती है। कुछ मजदूरों से घिसाई या पॉलिश कार्य कराया जाता है फर्नीचर उद्योग में मजदूरों की ड्यूटी आठ घंटे की होती है। इनकी प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दर 600, 500, 400 क्रमश: अनुसार दी जाती है।

फर्नीचर उद्योग एक निजी उद्योग है जो उद्यमियों द्वारा स्वयं अपने ही संसाधन द्वारा निर्माण किया जाता है। इसमें सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। मगर सरकार के माध्यम जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमियों को भूमि आवंटन पट्टा दिया गया है अभी तक आगे कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं किया गया है न ही किसी प्रकार की आर्थिक मदद दी गयी है। इस फर्नीचर उद्योग में सरकार अस्तित्व होना था।

वर्तमान में फर्नीचर की मांग तीव्र गति बढ़ रही है। जो उद्यमियों द्वारा फर्नीचर कार्य किया जाता है जैसे– सिंगल बेड, डबल बेड, कुर्सी, दरवाजे, चौखट, टेबिल, डेनिट सेट, सोफा सेट, खिड़की, आलमारी, संदूक, सिंगारदानी, चारपाई, स्टूल, झूला, पालना, गोल मेज, स्कूल टेबिल, दूकान, टेबिल, कार्यालय टेबिल इत्यादि बनाये जाते है।

फर्नीचर डिजाइन वर्तमान में फर्नीचर की डिजाइन का महत्व बढ़ता जा रहा है। उद्यमी द्वारा कई प्रकार की डिजाइनों द्वारा फर्नीचर निर्मित कराया जाता है। जिस फर्नीचर निर्माण में अच्छी डिजाइन होगी। उसकी कीमत मांग अधिक होगी। कम डिजाइन फर्नीचर की मांग कम होगी जिस प्रकार की डिजाइन होगी उस वस्तु का उसी प्रकार मूल्य तय होगा।

उद्देश्य:

1. फर्नीचर उद्योग में विकास की तीव्र गति बढ़ाना है।
2. लकड़ी फर्नीचर उद्योग का कार्य के लिए वन विभाग पंजीयन करना।
3. फर्नीचर उद्योग में प्रशिक्षित मजदूर कार्यरत हो।
4. फर्नीचर उद्योग में कच्चे माल की उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में हो।
5. फर्नीचर निर्मित कार्य अच्छे डिजाइनों में किया जाए।

निष्कर्ष – छतरपुर जिले में फर्नीचर उद्योग का कार्य इसलिए ज्यादा किया गया है। कि यहां वनों की अधिकता है। उद्यमियों द्वारा फर्नीचर कार्य तीव्र गति बढ़ से रहा है। यहां कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाते है। यहां प्रशिक्षित कार्यरत मजदूर होने से फर्नीचर कार्य विकसित हो गया है। फर्नीचर उद्योग जिले का देश और विदेश में अपनी पहचान बना ली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्य, एस.पी.- 'सामाजिक अनुसंधान' साहित्य भवन आगरा (1979)
2. मिश्र पंचनारायण-उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल, 1995
3. कुलश्रेष्ठ, रघुबीर सहाय-भारत में उद्योगों का संगठन, प्रबंध एवं वित्त, साहित्य भवन, आगरा, 1990
4. सिन्हा, वी.सी.- श्रम अर्थशास्त्र, मयूर पेपर नौएडा, नई दिल्ली, 1991
5. झिंगन, डॉ0 एम.एल.- समष्टि अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन्स बी-5 आशीष कम्पलेक्स, मयूर विहार रोड, दिल्ली (1988)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

The Effect of Decision Support Systems on Management's effectiveness

Dr. Nitin Rao Chavhan* Dr. Ajay Trivedi**

*Assistant Professor (Commerce) Parul University, Vadodara (Gujrat) INDIA
** Dean (Commerce) Parul University, Vadodara (Gujrat) INDIA

Abstract - The impact of Decision Support Systems (DSS) on the efficient operation of management is examined in this study article. Making decisions has become harder for managers due to the complexity of corporate operations and the volume of data available. DSS has become a useful tool that helps managers make decisions by using technology and data analysis to deliver timely, accurate, and relevant information. This essay looks at the advantages and difficulties of DSS adoption and how it affects organizational performance, managerial judgement, and overall effectiveness. It also examines the crucial elements to take into account when adopting DSS and offers suggestions for its implementation.

Introduction - Effective decision-making is essential for the success of any organisation in the quickly evolving business climate of today. Managers must make a variety of difficult decisions that could have a significant impact on their companies. Organisations now use Decision help Systems (DSS), which make use of technology and data analysis to give managers timely and pertinent information to help decision-making processes.

A DSS's main goal is to help managers make wise decisions by employing numerous tools, models, and methodologies. With its advanced analytics, simulations, and data visualisation features, it goes beyond conventional management information systems. Managers can acquire useful insights into the workings of their organisations, market trends, customer preferences, and competitive environments by utilising the power of DSS.

The availability of precise and trustworthy information is crucial for the efficient operation of management. DSS acts as a link between unprocessed data and useful information, giving administrators quick access to a massive volume of data for analysis. DSS equips managers with the real-time data and powerful analytical tools they need to make informed decisions in a fast-paced corporate environment.

DSS also makes it easier to combine and synthesise data from many sources, such as internal databases, outside market data, and online sources. Managers are better able to recognise patterns, trends, and potential hazards or opportunities because to this integration, which improves the quality and completeness of the information at their disposal.

The adoption of DSS has transformed managerial decision-making in organisations. Now, before making a decision, managers can examine alternative possibilities, do "what-if" assessments, and assess the possible outcomes. This skill lowers ambiguity and aids managers in minimising risks related to decision-making.

DSS not only facilitates better decision-making but also increases organisational effectiveness. DSS avoids time-consuming manual efforts, minimising the possibility of errors and delays. It does this by automating common procedures, optimising processes, and granting real-time access to information. Managers may now concentrate on more strategic and value-added tasks, which promotes organisational growth and competitive advantage.

Despite the clear advantages of DSS in management, putting these systems into place and making the most of them can be difficult. The most frequent challenges organisations have when adopting DSS are system complexity, opposition to change, resource allocation, and data quality and integration. To overcome these obstacles, careful planning, strong leadership backing, user education, and successful integration with already-existing information systems are required.

In conclusion, decision support systems significantly affect how effectively management is run. DSS equips managers to make wise decisions that lead to corporate success by supplying timely and pertinent information, easing data analysis, supporting decision-making processes, and boosting organisational efficiency. DSS will continue to be incredibly important in influencing the future of management as organisations negotiate an increasingly complicated and data-driven business context.

Objective of the study:

Project Goal: The main goal of this research project is to determine how Decision Support Systems (DSS) affect an organization's effectiveness. The study's specific objectives are to:

1. Evaluate the degree to which the use of DSS improves organisational decision-making processes.
2. Assess how the DSS affects the precision, dependability, and promptness of managerial judgements.
3. Consider how DSS helps to manage uncertainty and reduce risk in decision-making.
4. Examine how DSS is used by organisations for strategic planning and performance evaluation.
5. Examine how DSS has affected organisational performance metrics like productivity, profitability, and efficiency.
6. Identify the DSS implementation's difficulties and restrictions, as well as any potential effects on organisational effectiveness.
7. Consider the elements that affect the effective adoption and implementation of DSS in organisations.
8. Make suggestions on how organisations might use DSS to increase organisational performance and decision-making.

This study attempts to add to the body of knowledge on DSS and its effect on organisational effectiveness by addressing these objectives. It aims to give organisations thinking about or already using DSS insights and practical implications, empowering them to make decisions about the adoption, deployment, and optimisation of DSS to improve their overall effectiveness and performance.

Methodology: brief survey on 25 organisations, including the MSME's in Ratlam district who use DSS in their organisations, was undertaken by the author for this study. Capturing the data using a Google form online. There were 15 questions in the organisation poll about how the organisation felt about DSS. Regarding the advantages and disadvantages of DSS, two open-ended questions were preserved. The alternatives for responses included agree, strongly agree, neutral, disagree, and strongly disagree. There were no rewards for completing the survey. The organisation were given information about the survey. It was assumed that completion of the survey constituted consent to participate.

Data Analysis: The goal of the study was to learn what organisations thought about using decision support systems to effectively apply management practices' data are analysed using a descriptive technique. To find similar replies, the open-ended question was correctly transcribed, tagged, and categorised inside each question. There were repeated themes in the responses. Finally, frequency counts of frequently recurring replies were totaled and converted to percentages for reporting purposes. The specific results of the survey are presented below.

Table-1 (see in last page)

On average, organisation believe that the implementation of the DSS has moderately improved the quality of decision-making in their organization. However, there is some variation in individual perceptions, as indicated by the standard deviation.

Managers in the organization moderately utilize the DSS for decision-making purposes. The standard deviation suggests that individual usage patterns may vary, the DSS has contributed to a moderate reduction in decision-making time. However, there is significant variability in the responses, as indicated by the high standard deviation, organisation perceive the information provided by the DSS to be moderately accurate and reliable.

The standard deviation suggests some differences in individual perceptions, the DSS has moderately enhanced organisation' ability to analyze and interpret data effectively. However, there is variability in individual experiences, as indicated by the standard deviation, organisation believe that the DSS has significantly improved their organization's ability to assess and manage risks associated with decision-making.

The low standard deviation suggests a high level of agreement among organisation, organisation perceive the DSS to be moderately valuable in facilitating strategic planning and evaluation of organizational performance.

There is some variability in individual perceptions, as indicated by the standard deviation. organisation have observed a moderate decline in the overall efficiency and productivity of management processes due to the implementation of the DSS. The high standard deviation suggests significant variation in individual, organisation perceive the integration of the DSS with existing information systems and workflows to be moderate.

Table-2 (see in last page)

The table provides the results of a data analysis regarding an organization's perception of a Decision Support System (DSS). The table includes ten survey questions about different aspects of the DSS, along with the corresponding perceptions and percentages of respondents who agreed or strongly agreed with each statement.

Here's an interpretation of the data: A significant majority (77.6%) of respondents agree that the implementation of the DSS has improved the quality of decision-making in their organization. 72.8% of respondents agree that managers in their organization frequently utilize the DSS for decision-making purposes. 60.8% of respondents agree that the DSS has contributed to a reduction in decision-making time in their organization. 73.6% of respondents agree that they perceive the information provided by the DSS to be accurate and reliable. 72.8% of respondents agree that the DSS has enhanced their ability to analyze and interpret data effectively. A significant majority (83.2%) of respondents strongly agree that the DSS has improved their organization's ability to assess and manage risks associated with decision-making. 76.8% of respondents

agree that the DSS has been valuable in facilitating strategic planning and evaluation of organizational performance 59.2% of respondents have a neutral perception regarding the improvement in overall efficiency and productivity of management processes due to the implementation of the DSS. 61.6% of respondents agree that the DSS integrates well with existing information systems and workflows in their organization. 72% of respondents agree that they are satisfied with the impact of the DSS on management decision-making in their organization.

Conclusion: In summary, the majority of respondents perceive the DSS positively in terms of improving decision-making quality, utilization by managers, accuracy of information, data analysis, risk management, strategic planning, and satisfaction with the impact. However, there is some room for improvement in areas such as decision-making time reduction, efficiency and productivity of management processes, and integration with existing systems.

References:-

1. Alavi, M., & Carlson, P. (1992). A review of MIS research and disciplinary development. Journal of Management Information Systems, 8 (4), 45-62.
2. Alter, S. (1992). Why persist with DSS when the real issue is improving decision making? In T. Jelassi, H. Klein & W.M. Mayon-White (Eds.), Decision support systems: Experiences and expectations (pp. 1-11). Amsterdam: Elsevier Science (North-Holland)
3. Basu, A., & Blanning, R.W. (1994). Metagraphs: A tool for modelling decision support systems. Management Science, 40 (12), 1579-1600.
4. Benbasat, I., & Nault, B. (1990). An evaluation of empirical research in managerial support systems. Decision Support Systems, 6, 203-226.
5. Benbunan-Fich, R., Hiltz, S.R., & Turoff, M. (2002). A comparative content analysis of face-to-face vs. asynchronous group decision making. Decision Support Systems, 34, 457-469
6. Galliers, R.D. (1994). Relevance and rigour in information systems research: Some personal reflections on issues facing the information systems research community. In B.C Glasson, I.T. Hawryszkiewycz, B.A. Underwood & R. Weber (Eds.). Business process re-engineering: Information systems opportunities and challenges (pp. 93-101). Amsterdam: Elsevier North-Holland.
7. Gigerenzer, G. (2000). Adaptive thinking: Rationality in the real world. New York: Oxford University Press.
8. Goodwin, P., & Wright, G. (1991). Decision analysis for management judgement. Chichester, UK: Wiley. Gorry,
9. G.A., & Scott Morton, M.S. (1971). A framework for management information systems. Sloan Management Review, 13 (1), 1-22.
10. Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
11. Kimball, R., Reeves, L., Ross, M., & Thornwaite, W. (1998). The data warehousing lifecycle toolkit. New York: John Wiley & Sons.
12. Kock, N. (1998). Can communication medium limitations foster better group outcomes? An action research study. Information & Management, 34, 295-305.
13. Linton, J.D., & Johnston, D.A. (2000). A decision support system for planning remanufacturing at Nortel Networks. Interfaces, 30 (6), 17-31.
14. Lipshitz, R., & Bar-Ilan, O. (1996). How problems are solved: Reconsidering the phase theorem. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65 (1), 48-60.

Data analysis Table-1

S.	Survey question on organisation perception about decision support system	Mean	S.D
1	To what extent do you believe that the implementation of a Decision Support System has improved the quality of decision-making in your organization?	3.88	1.05
2	How frequently do managers in your organization utilize the Decision Support System for decision-making purposes?	3.64	0.99
3	Has the Decision Support System contributed to a reduction in decision-making time in your organization?	3.04	1.13
4	How accurate and reliable do you perceive the information provided by the Decision Support System to be?	3.68	0.94
5	To what extent has the Decision Support System enhanced your ability to analyze and interpret data effectively?	3.64	1.11
6	Has the Decision Support System improved your organization's ability to assess and manage risks associated with decision-making?	4.16	0.75
7	How valuable has the Decision Support System been in facilitating strategic planning and evaluation of organizational performance?	3.84	0.9
8	Have you observed an improvement in the overall efficiency and productivity of management processes due to the implementation of the Decision Support System?	2.96	1.24
9	How well does the Decision Support System integrate with existing information systems and workflows in your organization	3.08	1.06
10	Overall, how satisfied are you with the impact of the Decision Support System on management decision-making in your organization?	3.6	1.15

Data analysis Table-2

S.	Survey question on organisation perception about decision support system	perception	%
1	To what extent do you believe that the implementation of a Decision Support System has improved the quality of decision-making in your organization?	Agree	77.6
2	How frequently do managers in your organization utilize the Decision Support System for decision-making purposes?	Agree	72.8
3	Has the Decision Support System contributed to a reduction in decision-making time in your organization?	Agree	60.8
4	How accurate and reliable do you perceive the information provided by the Decision Support System to be?	Agree	73.6
5	To what extent has the Decision Support System enhanced your ability to analyze and interpret data effectively?	Agree	72.8
6	Has the Decision Support System improved your organization's ability to assess and manage risks associated with decision-making?	Strongly agree	83.2
7	How valuable has the Decision Support System been in facilitating strategic planning and evaluation of organizational performance?	Agree	76.8
8	Have you observed an improvement in the overall efficiency and productivity of management processes due to the implementation of the Decision Support System?	Neutral	59.2
9	How well does the Decision Support System integrate with existing information systems and workflows in your organization	Agree	61.6
10	Overall, how satisfied are you with the impact of the Decision Support System on management decision-making in your organization?	Agree	72

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

The Social Status of Farmers (Khamariya Bujurg, Sagar)

Ms. Radhika Yadav* Dr. Sunil Sahu **

*Student BA I Year Major-Economics, Govt. Arts and Commerce (Nodal) College, Sagar (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, Economics, Govt. Arts and Commerce (Nodal) College, Sagar (M.P.) INDIA

Abstract - In this study we focused on the social status of farmers of village Khamariya Bujurg in the Sagar district of Madhya Pradesh State. This study was undertaken in this village to know the social condition of farmers and their family status. The social status is the study of conditions of farmers on the basis of their age, category, family, education, religion etc. Thereby 20 respondents were selected from this village. From the study it is found that the majority of respondents belonging to this village were from middle age, OBC (Other Backward Class) category, follow hindu religion, married, educated up to middle school education level and medium and lower equal size of family. In the respect of social status it was found that the majority of this village respondents had medium level of social status.
Keywords – Social status, Farmers.

Introduction - For decades, agriculture has been associated with the production of essential food crops. At present, agriculture above and beyond farming includes forestry, dairy, fruit cultivation, poultry, bee keeping, mushroom, arbitrary etc. Today, processing, marketing and distribution by crops and livestock products etc., are all acknowledged as part of current agriculture. Thus, agriculture could be referred to as the production, processing, promotion and distribution of agricultural products.

Agriculture plays an important role in the entire life of our society. Agriculture is the backbone of the society of our country. In addition to providing food and raw material, agriculture also provides employment opportunities to a very large percentage of the population.

In Indian contest, the farmers faced many problems. In some states of India the social condition of farmers is good but not very good even in some villages it is very bad. Agriculture isn't sufficient for their livelihood, they face the problem of food, water etc. In this study we focused on the problems of farmers of Khamariya Bujurg and also gave suggestions to solve these problems.

Social status is the field of study that examines social factors to better understand the condition of farmers. The goal of social study is to bring about social development in terms of understanding the present condition of this village. Social study of villages is mainly for understanding the present condition of villages regarding the lifestyle, education status, health status and overall development of rural areas. It becomes necessary for extension workers to recognize the respondents with attitude and the respondents who are lagging behind the course of development. Social status gives a picture of an individual and his family in respect of social position in a community. The study focuses on social class structure in this village.

Importance of the study – Agriculture is the largest sector of rural society and is a family enterprise, since 56% of its population is dependent on it in India. Indian society or security is heavily dependent on agriculture. In terms of employment, it is the most important sector. It is significant that the social conditions of farmers are to be studied with considerable concern. It is important to understand the conditions of farmers and make appropriate efforts to solve their problems.

Objective:

1. To study the social status of farmers of village Khamariya Bujurg, Sagar.
2. To understand the challenges and problems faced by farmers.
3. To make essential and effective suggestions for solving the problems of farmers.
4. To understand the social conditions of farmers and their family at that village and make efforts to solve their problems.

Research Methodology : In this study data was collected by both primary data and secondary data. The primary data was collected by taking an offline survey of farmers. A detailed questionnaire was prepared for the collection of primary data from the sample survey. The required secondary data has been taken from other sources like magazines , economic survey, journals, news and also from the internet. Analysis was completed by bar diagrams and pie charts.

1 . Sampling Method – In this study, the target population is Khamariya Bujurg, and the farmers were used as a sample. In the research, we selected certain farmers,

households from this village as sample data. And farmers' samples were selected by random sampling.

(a) Sampling unit – This paper covers 20 farmers of village Khamariya Bujurg, Jaisinagar, Sagar of Madhya Pradesh state. The total population of this village was approx. 500 in which we took a survey of only 20 farmers which is about 4% of the population of that village.

2. Data collection method – In this study we include both primary data and secondary data for collection of data. The method of primary data collection is the interview method with a structured interview.The secondary data used in this study are taken from magazines, articles , journals, economic survey, news, internet etc.

3. Tools and techniques – Simple statistical tools used for analysing the data include percentage, tables, pie diagrams and bar diagrams. We used –

1. Tabulation method.
2. Graphical method.
3. Percentile method.
4. Pie diagrams.
5. Bar diagrams.

Literature Review – In this chapter a brief overview of research done in this area was discussed. We present empirical studies and articles about the social status of farmers in India. This helps us to know about the direction of research being done, the scope and limitations of studies conducted, the conclusions drawn from these studies and objectives fulfilled and benefits accrued.

1. Swain (2011), reported that in the case of gherkin in Andhra Pradesh when the productivity of a particular region declined, the company shifted the production to other farmers and regions. Thus, the farmer may earn short-term profit, but in the long run there are environmental costs which are detrimental.

2. Kaur (2010), in "The Paradox of India's Bread Basket: Farmers Suicides in Punjab" highlights that as the surviving families of farmers who commit suicide are predominantly female, the issue further creates more complications and the situation worsens further. Women often become the sole supporters of families. These women, who previously managed the domestic sphere and perhaps engaged in light fieldwork, now find themselves playing the new role of breadwinner and sustaining their families amidst extreme outstanding debt. Given the traditional Punjabi gender dynamic, women are even less likely to be formally educated than men and are unable to find alternative sources of employment.

3. Sandhu, Navjyot (1989), in "Finance Gap amongst small farmers in India" studies the finance gap literature relating to farmers in general and specially in India. The study reviews the financial provision and investigates the lending policies of financial institutions. The study investigates the relationship between education, level of income, social class and the relationship between farmers and financial institutions. The results show that credit limits adversely impact the efficiency of smaller farmers. Information asymmetry and under development of financial markets for small farmers leads to financial exclusion and negatively impacts economic development.

4. The study by Chakravarty and Pattnaik (1989), indicate that the absolute income level of household or its income trends is more significant in determining its consumption and investment pattern in:

i) Expenditure on durable assets such as gold, jewellery. As it represents the saving side of the households beyond the essential consumption expenditure; the income elasticity of this particular item may be quite high.

ii) Increase or decrease in the met burden of indebtedness of the households.

It follows from the foregoing analysis of income level and income trends that investment has stronger relation with the income trend than with the income level. In the upper income class cultivators may spend a large amount on investment, but in percentage terms it hardly exceeds investments in the lower income group. But with increasing income, a cultivator raises his investment not only in absolute terms but also as a percentage of income. The expenditure on durable consumer goods and luxury goods is strong with both the income level and income trends. Thus the cultivator goes on adding to his investment so long as it is also increasing. Borrowing and sale of assets have also a stronger relation with income trend than with income level.

5. Sale and Yadav (1991), in "Employment, Income and Expenditure pattern of tribal farm families in Jalgaon district of Maharashtra" examine the employment, income and expenditure pattern of tribal farm families in Jalgaon district of Maharashtra. The study reveals that the extent of unemployment in case of both male and female workers of the large farm, small farm and farm labour families was substantially large. The expenditure exceeded the income in all these families forcing them to borrow money from the money lenders. Ways of increasing income levels are indicated that would help the trial's along with technical know-how, to derive additional returns, enabling them to enjoy a higher level of living. The study concludes that the present occupations of tribals are capable of providing adequate employment and income opportunities. On the other hand, the consumption expenditure of the tribal families exceeded the family income and tribal families had deficits in their economy. This deficit is the result of the traditional nature of production activities and absence of gainful employment. To sustain this deficit, the tribes helplessly opted mostly for the private moneylenders even in the face of exorbitant rates of interest and thus they were heavily indebted. The vast illiteracy among the tribes further helped their own exploitation, due to lack of knowledge about money transactions and new developments in science and technology. The improvements in employment

opportunities coupled with knowledge of better management and allied activities will help the tribes to derive additional income and thereby enjoy a higher level of living.

6. Srivastava and Singh (2014), in "Understanding nutritional situation of farm women in rural arid areas of Rajasthan: a case study". In this study nutrition was found in women of all socio-economic classes and age groups. Highest numbers of the cases were mild under nutrition. In fact, an improvement in livelihood affects dietary patterns and food intake positively. Thus, the improvement in socio-economic status and reduction in poverty have significant effects on the food security and nutritional status of families.

Data Collection and Analysis : In this chapter we discussed the detailed analysis of collected data to know the facts relating to the social condition of farmers and their family in village Khamariya Bujurg, Sagar. Analysis of social profile includes classification according to their age, community, family details and social group. All these tables and figures included in this chapter are derived from a sample survey of interviewed data. The sample size is 20.

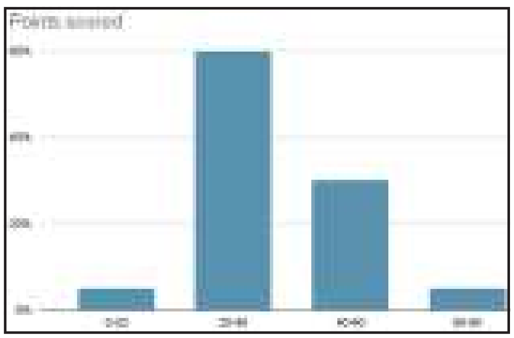

1. Classification on the basis of age group –

Age group	No. of peoples	Percentage(%)
0-20	1	5%
20-40	12	60%
40-60	6	30%
60-80	1	5%
Total	20	100%

Source: Primary data

The above table and figure shows the classification of farmers on the basis of age group. Most of the respondents 60% come under the age group 20-40, 30% of respondents come under the age group 40-60, 5% in the 0-20 age group and 5% in the 60-80 age group. So, there are different age groups of farmers.

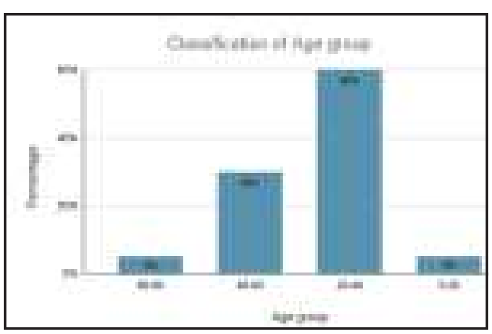

2. Classification on the basis of category –

Category	No. of peoples	Percentage (%)
General	1	5%
OBC	16	80%
SC	1	5%
ST	2	10%
Total	20	100%

Source: Primary data

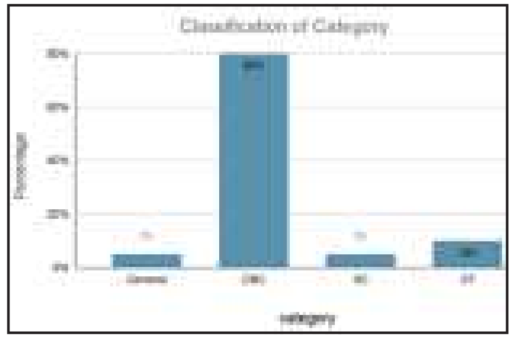

The above table and figure shows the classification of farmers on the basis of category. Most of the respondent 80% are of OBC category, 10% from ST, 5% from SC and 5% from General category.In this village total 529 people are living currently.In which 08 from ST, 06 from General, 216 from OBC and 299 from SC. According to this data SC are large in number but in our survey a large number of OBC found. Because many people in SC do not have any farm area for agriculture. They spend their livelihood by doing labour work.

3. Classification on the basis of Marital Status -

Marital Status	No. of peoples	Percentage (%)
Married	15	75%
Unmarried	5	25%
Total	20	100%

Source: Primary data

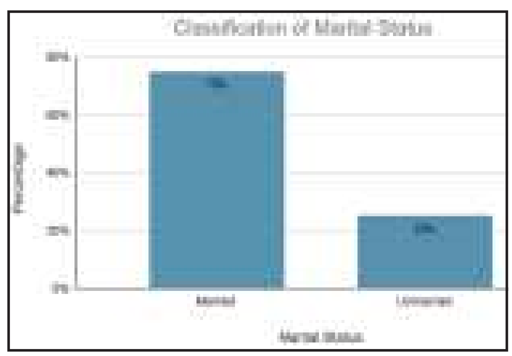

The above table and figure shows the classification of farmers on the basis of marital status. Most of the respondents 75% are married and 25% are unmarried.

4. Classification on the basis of family (type) -

Figure shows the classification of farmers on the basis of family type (joint or single). Most of the respondents 75% lived in a single family and 25% lived in a joint family.

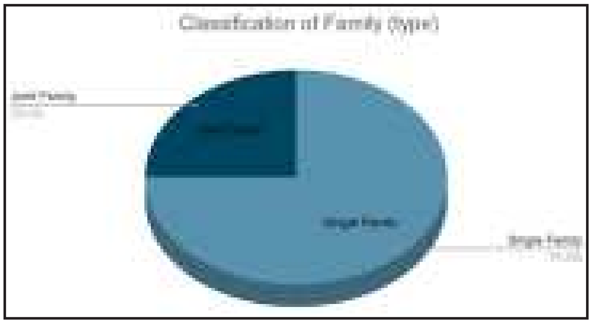

5. Classification on the basis of Education qualification -

Education qualification	No. of peoples	Percentage
Below Hr. sec.	12	60%
Hr. sec.	2	10%
Graduate	2	10%
More than graduate	3	15%
Still studying	1	5%
Total	20	100%

Source: Primary data

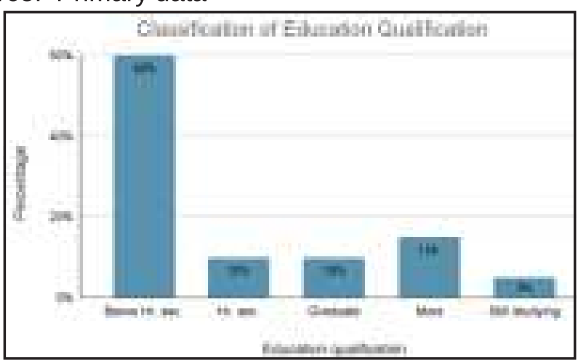

The above table and figure shows the classification of farmers on the basis of education qualification. Most of the respondents 60% below Hr. sec10% Hr. sec. 10% graduate, 15% more than post graduate and 5% are still studying and there are no illiterates among the respondents.

6. Classification on the basis of number of members in a family -

No. of members	No. of peoples	Percentage
1	2	10%
2	1	5%
3	4	20%
4	7	35%
5	3	15%
6	3	15%
Total	20	100%

Source: Primary data

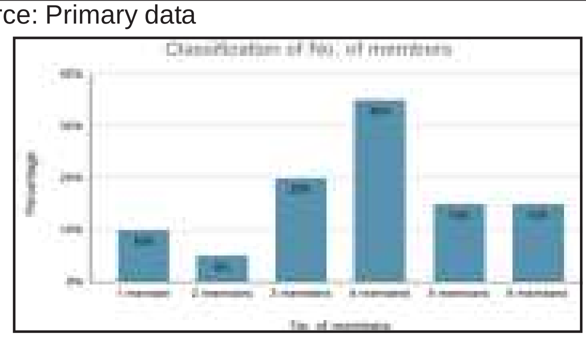

The above table and figure shows the classification of farmers on the basis of no. of members in a family. Most of the respondents 35% have 04 members , 10% one member, 5% two members,20% three members, 15% five members and 15% six members.India had an average household size of 4.44 people in 2021. Comparison to this data with our survey, about 35% having 4 people in their family. It means the average household size of this village is about equal to the average household size of India.

7. Classification on the basis of Quality of house -

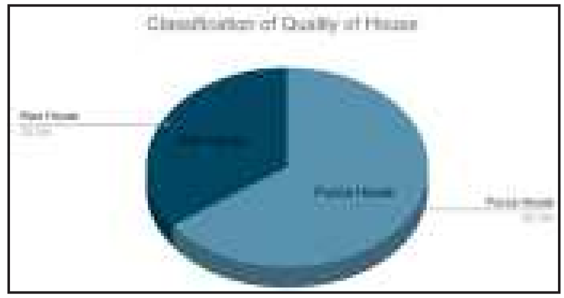

From the figure ,it is clear that most of the respondents have 65% pucca houses and 35% having raw houses and no one is homeless.

8. Classification on the basis of source of income -

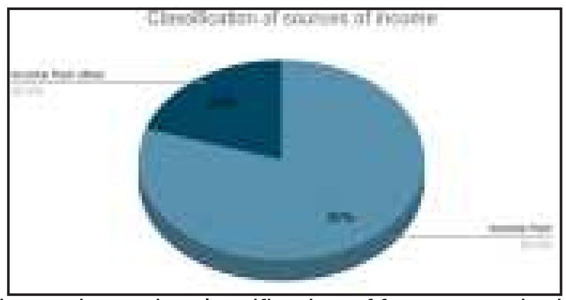

The figure shows the classification of farmers on the basis of source of income. Most of the respondents 80% have only agriculture sources and 20% have other sources of income. This means most of them are dependent on agriculture.

9. Classification on the basis of communication facility -

Communication facility	No. of peoples	Percentage
No	4	20%
Mobile phone	7	35%
Smartphone	9	45%
Television	-	-
Radio	-	-
Total	20	100%

Source: Primary data

The above table and figure shows the classification on the basis of communication facility. Most of the respondents 45% have Smartphone,Television and Radio,35% have mobile phone and 20% do not have any communication facility.

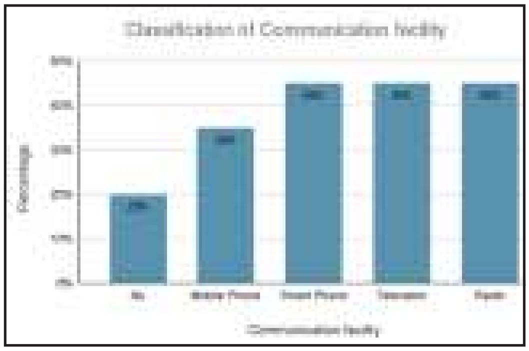

10. Classification on the basis of Transportation facility-

The figure shows the classification of farmers on the basis of transportation facilities. Most of the respondents 60% have transportation facilities (two or four wheeler) and 40% do not have any transportation facility.

11. Classification on the basis of loan -

Loan	No.of peoples	Percentage (%)
No	7	35%
Bank	6	30%
Moneylender	4	20%
Other	3	15%
Total	20	100%

Source: Primary data

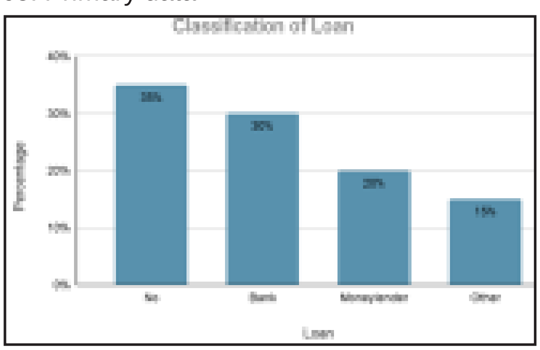

The above data shows the classification of farmers on the basis of loan. Most farmers have about 65% (Bank, Moneylender and other) and 35% do not have any loan. It means farming income is not sufficient for their livelihood.

Finding:

1. All respondents follow hindu religion. Here no one is found who doesn't follow religion.
2. Most of the respondents are married and live in a single family.
3. Most of them came under OBC category, other categories are less in number.
4. There is one student also found who is also a farmer.His age is 14 years. That's why he is the youngest farmer in that village.
5. Everyone is literate where the majority have at least upper primary education, no one is illiterate.
6. Out of 20 families, most of them have at least 04 members indicating higher consumption expenditure.
7. 70% of farming families have not received any compensation upon a crop failure or livestock damage.
8. Almost all students of their family study out of town or tehsil because no secondary, Hr. Sec . school and college are situated there.
9. Almost all farmers have agriculture as their primary source of income.
10. In most families only one or two members of a family are employed.
11. The income of most farmers is not sufficient for their livelihood.
12. The quality of houses of the farmers are good.
13. Most farmers have different types of loans

Problems and Suggestions -

Problems:

1. Everyone faced the problem of education facilities.
2. There are no big ration shops, dairy, etc., so they faced the problem of unavailability of daily needs products.
3. They faced the problem of drinking water, water for household purposes.
4. They also faced the problem of electricity for domestic uses.
5. They faced the problem of communication because signals are not good.
6. They faced the transportation problem because the condition of rural roads is very bad.
7. There are many wild animals found, because of the forest and mountainous area in the village. So, it is very dangerous to roam in the village at night as well as day.
8. They faced the problem of hospital facilities because no small or big hospital was situated.
9. They faced the problem of education facilities because schools and colleges are not situated there.
10. Most farmers have loans which means the social status of farmers is not good.

Suggestions:

1. Government initiative should be taken to resolve the problem of drinking water and electricity among farmers.
2. Government should take more action in education facility, hospital facilities to improve the conditions of farmers.
3. Some small and big shops should be opened there so that the daily needs are fulfilled in the village itself.
4. Government took action to establish the signal towers at that village.

5. Government should start the work of rural roads as soon as possible so that the transportation problem of the farmers can be solved.
6. Government should start some schemes in that village to improve the social status of farmers in that village.
7. For improvement of the social status of farmers, agricultural related societies should take actions for them.
8. Members from the "Agricultural Research Centre" should come and make efforts to solve the problems of farmers.
9. Governments make societies for solving the problems faced by farmers.
10. People of that village should form a community, discuss their problems and make efforts to show their problems against agricultural societies.

Conclusion : India is called the land of farmers, as most of the people of the country are directly or indirectly involved in the agriculture sector. Even though agriculture is the major sector in India, the growth in agriculture is in a lethargic phase. This is due to not adopting the most advanced technology. And the major population of farmers are unaware about the schemes provided by the government. Village is the prime institute striving for integrated rural development. Study focuses on the social status of respondents. It requires substantial support to overcome the challenges faced by the farmers that pose any hindrance in the path of progress. Government should take effective measures to solve the problems faced by the farmers of every village or area in the country. Since none of the farmers have lost confidence in agriculture for any other means of livelihood, it is our responsibility to strengthen the backbone of our economy.

References:-

1. Swain (2011), Indian journal of agricultural economics.
2. Kaur (2010), Indian journal of economic and development, The Paradox of India's Bread BASKET: Farmer Suicides in India.
3. Sandhu, Navjyot (1989), A study on 'Finance Gap amongst small farmers in India, Punjab'.
4. Chakravarty and Pattnaik (1989), International journal of engineering research and technology.
5. Sale and Yadav (1991), employment, income and expenditure pattern of tribal farm families in Jalgaon district of Maharashtra, social change June: vol 21 No 2.pp 30-36.
6. Srivastava, S. and Singh, B., Understanding nutritional situation of farm women in rural arid areas of Rajasthan: A case study J. Agr. and Life Sci. 1(2): 17-20 (2014).
7. www.ripublication.com/ijafstv4n4spl.
8. www.onefivenine.com(Khamaria Buzurg Village).
9. geolysis.com/Khamhariya Buzurg, Jaisinagar, Sagar, Madhya Pradesh,India.
10. http://dspace.christcollegeijk.edu.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1145/39/CCASAECR45.pdf.
11. https://www.phytojournal.com/archives/2017/vol6issue65/partz/sp-6-6-302-572.pdf.
12. www.globaldata.com.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Study of the Development of the Law and Practice Relating to Abortion in India

Dr. Vipin Kumar Mishra* Anadi Silawat**

***Assistant Professor, Govt. New Law College, Indore (M.P.) INDIA**
**** Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - Abortion generally refers to the expulsion from the uterus of the product of conception. According to Webster's New International Dictionary abortion' means an act of giving premature birth.[1] The word abortion has been derived from a Latin term 'abortus' means an object which had been detached from its proper site, means an act of giving pre-mature birth, especially the expulsion of human foetus prematurely at any time before it is viable or capable of sustaining life.

There have been a lot of discussions as to a definition of the word abortion. Though there are various dictionary definitions of the word but what the vast majority of people in worldwide understand when one refers to abortion is the direct and intentional killing, by whatever means, of an unborn child at whatever stage of his or her development from conception up to birth and including birth. At the moment of birth, the killing of the child is called partial birth abortion. After birth the killing of the child is called infanticide.According to Dr. Declan Keane, Master of the National Maternity Hospital, Holies Street, Dublin, in the medical profession we have always defined and in the clinical textbooks-an abortion, as a pregnancy that is lost in the first trimester of pregnancy, which is up to fourteen weeks.A miscarriage, technically, was the definition of loss of pregnancy between fourteen weeks up to a period of viability of the foetus which used to be taken as twenty-eight weeks but which is increasingly coming down because we can now keep babies alive from about twenty-four week's gestation onwards.

The medical term 'abortion' means the pre-mature ending of a pregnancy before the foetus or baby is viable- that can happen spontaneously and, in general, we refer that as 'miscarriage- but that whatever there is a medical condition that necessitates that the pregnancy needs to be ended before the foetus is viable, that is what is considered an abortion.

Agreeing, with the above-mentioned definitions of abortion noted, the other definition that is usually taught is the expulsion of the foetus-placenta post-conception prior to the age of viability but the understanding of all that is from a uterus, a pregnancy in the womb. When we talk about termination or legal abortion, we are talking about intervening in that situation with the direct intention of taking the life of the foetus or unborn. That is what we mean by procured abortion.

Thus, abortion means in both medical and lay usage the destruction of an embryo or foetus at a hospital or private clinic. This is a deliberate ending of the life of a little human being by whatever means. The action having been taken before birth and where he or she could have survived with recognized antenatal care. So, the abortion is said to occur when the life of the foetus or embryo is destroyed in the woman's womb or the pregnant uterus empties prematurely.
Key words: Mother, Child, Miscarriage, Developments, Practice, Indian Penal Code. Medical Termination of Pregnancy Act, Supreme Court.

Introduction - Abortion is a universal phenomenon existing from time immemorial and the changes, if any, have largely been in respect of the methods and control of this supposedly immoral and antisocial practice. The evolution of social and legal constraints on induced abortion reflects a variety of changes in the structure of society, including changes in demographic patterns, family organization, religious influences, urbanization, unemployment and poverty, sex and marriage practices, educational levels, the status of women and the like.Anthropological studies and records of primitive tribes and early societies in the Indian subcontinent reveal many instances in which the termination of pregnancy was socially sanctioned andgenerally practiced.

In fact, there is hardly any society in human history that ever has entirely prohibited abortion. Of course, the acceptable grounds for abortion and the techniques used have varied according to culture traditions and socio-

economiccircumstances. In India, available records indicate that the permissible grounds for abortion have included such matters as conception outside a socially-sanctioned relationship and danger to the health of the pregnant woman. Customary methods through which abortions have been procured in Indian communities include the use of heavy massage on the pregnant girl, the administration of certain herbs and chemical compounds and uterine insertions of crude devices like tubes, rods and the like. While in many cases the pregnant woman carries out these techniques themselves, a substantial number of the abortions are performed by doctors, nurses, quacks, ayahs, midwives or other women with prior experience in the practice. They are always done in secret and only come to the notice of the officials when the women are admitted to hospitals with post-abortion complications.

From very early times, under the influence of religious and moral pressures. society has employed the criminal law with varying degrees of severity to suppress the practice of causing miscarriage. In India, where the social order has largely been sustained through religious sanctions and a strict moral code born out of religion, it is not surprising to find the common man equating abortion with sin and immorality. According to certain religious text, woman who practiced abortion was equated with a prostitute who would be reborn again as prostitute in the next life. The social consequences of such a restrictive law of abortion have been great and varied. One: direct consequence was an alarming increase in illegal abortions bringing with it untold suffering, disease and death to individual women who were forced to seek refuge in the hands of unqualified abortionists under “desperate conditions”. It is estimated that there are four to five million abortions in India every year of which more than three million are criminal. According to reliable estimates one seventh of the women who become pregnant in India every year resort to illegal abortions at the hands of the unqualified persons with all the attendant consequences al morbidity and mortality. The restrictive law of abortion is also consideredresponsible for a large number of suicides, infanticides, abandonment and cruelty towards children.

The provisions regarding abortion in the Indian Penal Code were enacted more than a century ago and were in conformity with the English law at that time. In India, beginning in 1861, abortion, except to save the life of the mother, became illegal regardless of whether or not the foetus had attained the viability, i.e., capacity to live independently outside the mother’s womb. The Indian Penal Code uses the expression “causing miscarriage” to denote abortion Miscarriage technically refers to spontaneous abortion, whereas “voluntarily causing miscarriage (induced abortion) which forms the offence under the Indian Penal Code, 1860 stands for criminal abortion.The law of the land has always held human life to be sacred and the protection that the law gives to human life it extends also to the unborn child in the mother’s womb. The unborn child must not be destroyed unless it is for the purpose of preserving the yet more precious life of the mother. Mother’s life is more precious than of the unborn child because she is the originator of the foetus and her life is well established. The mother has with duties and responsibilities and allowing the mother to die would also kill the foetus in most cases. Keeping this in view the code has designated causing miscarriage (induced abortion) a serious offence, and made both causing miscarriage “with the consent” or “without the consent” of the women punishable under section 312 to 318 of the Indian Penal Code 1860, respectively.

Section 312. Causing miscarriage: Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation: - A woman who causes herself to miscarry, is within themeaning of this section.

Classification Of Offence:

Para I. Punishment-Imprisonment for 3 years, or fine or both-Non- cognizable Non-Bailable-Triable by Magistrate of the first class—non-compoundable.

Para II: Punishment Imprisonment for 7 years and fine Non-cognizable- Bailable-Triable by Magistrate of the first class-non-compoundable.

Section 313. Causing miscarriage without woman’s consent: Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for u term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine

Classification Of Offence:

Para 1: Punishment Imprisonment for life, or imprisonment for 10 years and fine-Cognizable- Non-bailable- Triable by Court of Session- Non compoundable.

Section 314. Death caused by act done with intent to cause miscarriage: Whoever, with intent to cause the miscarriage of a woman with child, does any act which causes the death of such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term may extend to ten years, and shall also be liable to fine;

If act done without woman’s consent- And if the act is done without theconsent of the woman, shall be punished either with imprisonment for life, or withthe punishment above mentioned.

Explanation-It is not essential to this offence that the offender should know that the act is likely to cause death.

Classification Of Offence:

Para -I:Punishment Imprisonment for 10 years and fine Cognizable Non-bailable Triable by Court of Session Non-

computable

Para II: Punishment Imprisonmentor as above -Colonizable-Non Bailable -Triable by Court of Session- Non compoundable.

Section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth: Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after the birth and does by such act prevent that child from being born live, or to die after after birth, shall, if such act he not caused in good faithfor the purpose of saving the life of the mother. be punished with imprisonment of the description for term which may extend to ten years or with fine or both.

Classification Of Offence: Punishment imprisonment for 10 years on fine or both Cognizable Non bailable triable by Court of Session Non compoundable.

Section 316. Causing death of quick unborn child by actamounting to culpablehomicide: Whoever does any act under such circumstances that if he thy caused death he would be guilty of culpable homicide and does by such act cause the death of a quick unborn child shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to ten years and shall also be able to fine.

Classification Of Offence: Punishment Imprisonment for 10 years and line Cognizable Num bailable Triable by Court of Session Non-compoundable:

Section 317. Exposure and abandonment of child under twelve years, by parentor person having care of it: Whoever being the father or mother of a child under the age of twelve years. or having the care of such child, shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extent to seven years or with fine or with both.

Explanation - This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be, if the child the in consequenceof the exposure.

Classification Of Offence: Punishment Imprisonment for 7 years, or fine, or both-Cognizable Bailable-Triable by Magistrate of the first clave non-compoundable.

Section 318. Concealment of birth by secret disposal of dead body: Whenever, by secretly burying or otherwise disputing of the death body of t child whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavours to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Classification Of Offence: Punishment Imprisonment for 2 years, or fine, or both Cognizable Bailable Triable by Magistrate of the first class non-compoundable.

Supreme Court order on abortion in recent cases: MTP Act to include unmarried women under the extended 24-week ambit.Rule 3(2)(b) of the MTP (Amendment) Rules, 2021 does not permit single women to abort after 20 weeks. It says that the rule is discriminatory as it only allows "special categories" including survivors of sexual assault, minors, widows or divorcees, women with disabilities, a malformed foetus or women stuck in humanitarian emergencies, to access abortion post 20 weeks.With the law not amended, this has a chilling effect on doctors when police are not aware of the recent SC judgment," In 1971, The Medical Termination of Pregnancy Act (MTP Act) was introduced to "liberalise" access to abortion since the restrictive criminal provision was leading to women using unsafe and dangerous methods for termination of pregnancy.

1) The MTP Act allowed termination of pregnancy by a medical practitioner in two stages.

2) For termination of pregnancy up to 12 weeks from conception, the opinion of one doctor was required.

3) For pregnancies between 12 and 20 weeks old, the opinion of two doctors was required — they would have to determine "if the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health" or there is a "substantial risk" that if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously "handicapped" before agreeing to terminate the woman's pregnancy.

4) In 2021, Parliament amended the law and allowed for a termination under the opinion of one doctor for pregnancies up to 20 weeks. For pregnancies between 20 and 24 weeks, the amended law requires the opinion of two doctors.

5) For the second category, the Rules specified seven categories of women who would be eligible for seeking termination. Section 3B of Rules prescribed under the MTP Act reads: "The following categories of women shall be considered eligible for termination of pregnancy under clause (b) of subsection (2) Section 3 of the Act, for a period of up to twenty-four weeks, namely:(a) survivors of sexual assault or rape or incest;(b) minors;(c) change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce);(d) women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(e) mentally ill women including mental retardation;(f) the foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped; and(g) women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the Government."

Now the government will have to step up to promote safe abortions irrespective of the fact that the woman is married or not. This can include putting up awareness boards outside hospitals citing the judgment.

Critical analysis: In recent time the supreme court in MTP act 1971 allow all women to abort whether they are married or unmarried until 24 weak. Before this judgment in MTP

act have 20 week and in special case they have 24-weekprovision. This judgementhas much more importance for women and their fraternity and their empowerment. This decisionhas impact on the practice of abortion in developed nation where there is certain new restriction on abortion.Court admits that MTP act and rule does not discriminate between married and unmarried and have narrow view with regard to only married women. This is fundamental discrimination of right to equality. Court not only saves the unmarried but its also liberalised the abortion of marital rape. In recent judgment have presume reproductive and decisional autonomy are essential to the realisation of fundamental human right. The right of every woman to make reproductive choice without undue interference from the state is central to the idea of human dignity. Deprivation of access to reproductive healthcare or emotional and physical wellbeing also injures to the dignity of women.

Conclusion: Abortion performed for the sole purpose of the rejection of a pregnancy so as to avoid a normal birth is morally always wrong, and more advanced a pregnancy. the more it hurts, were the views held by the people up to the first half of the last centuries. It is only during the last four decades that induced abortion come to be seen differently. Ethics and values attached to the procedure have undergone a radical change and abortion has come to be liberalized by law in many countries of the world, including India.

The social and humanist approach concerning abortion is that, there is a need to do everything possible to reduce the rate of abortion Humanists do not regard abortion lightly as another form of fertility control. In fact, they are firm advocates of education for life from an early age, improving the social status of women, with ready availability of all forms of family planning, emergency contraception etc, in order to reduce the number of induced abortions.

Though the social approach concerning abortion is to do every possible effort to reduce the rate of abortion, but the strong culture of son preference in India las lead the society to opt for sex selective abortion. The social context in which the practice of sex selective abortion exists and, in fact, flourishes is due to "son mania" which is deeply imbedded in Indian culture. They are also unfortunately inextricably entwined with a corresponding discrimination against daughter the ancient Indian text the Atharva Veda, mantras are written to change the sex of the foetus from girl to a boy. A son's birth is likened to "a sunrise in the abode of gods" and "to have a son is as essential as taking food at least once a day", where is a daughter's birth is a cause for great sadness and disappointment.

References:-

1. Modi Medical Jurisprudence, p. 332 (1955)
2. Green Paper on Abortion, Government of Ireland (1991). P. 19
3. Professor John Bonner, Chairman, Institute of Obstetricians and Gynaecologistsin Green Paper on Abortion, Government of Ireland (1999) p 20 Madhya Menon, N.R. The Abortion Law in India JILI 16:4 (1974) p. 632.
4. Mankekar, Kamla, Abortion: A Social Dilemma (1973) p-24
5. Dr Ganesh Dubey ,Basu's Indian penal code including punishment and procedure prescribed under relevant section, Whyte's and Co New Delhi,16th ed (2023) page no 631-637
6. Available at: journalsofIndia.com/Supreme Court judgement on abortion
7. The Hindu Newspaper: why the supreme court order on abortion not helping women , updated January 10 , 2023 New Delhi

****

मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के आर्थिक प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

योगेंद्र कुमार ठगेले*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाडरवारा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था गांव-उन्मुखी होनी चाहिए। परंतु उनके इस विचार का विरोधाभास यह है कि किसी भी राष्ट्र के विकास का एक मानक शहरीकरण होता है। विगत कई दशकों से शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है। शहरीकरण अपने साथ प्रगति के कई आयाम लेकर आता है जैसे बेहतर जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में सुधार, परंतु इन लाभों के साथ कई दोष भी उत्पन्न होते हैं जो अब भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव यह है कि वर्तमान समय में लोगों का तनाव बढ़ गया है और प्रतिदिन वे तनाव मुक्त होने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। तनाव मुक्त होने के लिए पर्यटन या छुट्टियां उन्हें एक सटीक अवसर प्रदान करते हैं। पर्यटन का एक मानवीय पहलू है परंतु उसके आर्थिक प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तावना – प्रारंभिक दौर में जिन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व था वे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए और परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से विकसित हो गए जैसे कि गोवा,राजस्थान,केरल,जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आर्थिक रूप से मुख्यत: पर्यटन पर निर्भर है। प्रशासन ने इस बात को समझ लिया है इसलिए ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो पर्यटन को बढ़ावा दे सके। ग्रामीण पर्यटन एक नीतिगत निर्णय है जहां ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत के लिए यह एक नया विचार है परंतु विश्वस्तर पर पर यह अवधारणा 70 के दशक में ही आ गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ही वह कारण है जिसकी वजह से कई नई समस्याएं जन्म ले रही है। ऐसी अवस्था में ग्रामीण पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत जिस प्रकार से विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे देखते हुए ग्रामीण पर्यटन खासा लोकप्रिय हो गया है। भारत की विविधताओं से भरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं।

जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं,तो देश का दिल मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक,ऐतिहसिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासतों के समृद्ध परिवेश के साथ हमारे सामने आता है। हमारे गांव पर्यटन की एक समृद्ध विरासत हैं,जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। गांव दिलों को छूने वाली एक आनंदमयी अनुभूति देते हैं।मेट्रो सिटी में रहकर दौड़ती-भागती जिंदगी का हिस्सा बन गए लोग ग्रामीण पर्यटन का लुत्फ उठा गांव की सुकून भरी सुबह, देसी खाने, लोक संगीत, लोक कलाओं, रीति-रिवाजों,परंपराओं और गांव के सादे जीवन को करीब से महसूस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के गांव पर्यटन की समृद्ध विरासत हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। 2021 में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के वर्ल्ड रिस्पांसिबल टूरिज्म अवार्ड-2021 में 'सर्वश्रेष्ठ परियोजना' का पुरस्कार मिला है। ग्रामीण पर्यटन के तहत पर्यटक देशभर में गांव में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और कला, संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य की विविधता के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यटन क्षेत्र मध्य प्रदेश के शीर्ष सेवा उद्योगों में से एक है, इसका महत्व आर्थिक विकास और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के एक माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में कम दक्षता और अर्द्धदक्षता वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र पर्यटन को ही माना जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन के प्रभाव का विश्लेषण करने से पूर्व ग्रामीण और ग्रामीण पर्यटन शब्द को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के लिए ग्रामीण शब्द का अर्थ अलग है और इसको लेकर सामंजस्य नहीं बन पाया है। व्यापक रूप से वह स्थान गांव है जहां जनसंख्या घनत्व कम है,बड़े खुले खेत हैं, प्रदूषण का स्तर कम है और तकनीकी हस्तक्षेप न्यूनतम है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह क्षेत्र ग्रामीण है,जहां की जनसंख्या 10,000 से कम है। इस सर्वे के अनुसार भारत में 7 लाख गांव है जहां 64प्रतिशत आबादी रहती है साथ ही जनसंख्या का 62प्रतिशत कृषि पर आधारित है।

ग्रामीण पर्यटन वह पर्यटन है जो ग्रामीण जीवन शैली, वहां की संस्कृति, परंपरा, लोक साहित्य, हस्तशिल्प और विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत कृषि पर्यटन,पर्यावरणीय पर्यटन, एडवेंचरस,वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक पर्यटन शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ग्रामीण जीवन से परिचय कराना और विभिन्न आयामों के बारे में बताना है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं और अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। कम प्रदूषण,कम आबादी, प्राकृतिक वस्तुएं, कम तकनीकी आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लोगों को ग्रामीण पर्यटन की ओर आकर्षित करती है।

अर्थव्यवस्था और पर्यटन – सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का 6.23 फीसदी योगदान है जबकि भारत के कुल रोजगार में 8.78 फीसदी योगदान है। इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स- 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में विदेशी आगंतुकों की कुल संख्या 3,18,673 थी जो 2020-21 में 4,15,859 से 23.4 प्रतिशत कम है। 2021-22 में जहां घरेलू आगंतुकों की कुल संख्या 2,60,46,891 थी जो 2020-21 में 1,31,53,076 थी जो वर्ष दर वर्ष 98 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। 2021 में भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वे स्थान पर थां। भारत का पर्यटन उद्योग 2024 के मध्य तक अपने पूर्व महामारी स्तर पर वापस आ जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 250 बिलियन डॉलर का योगदान करने, 137 मिलियनडॉलर व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने और विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में 56 बिलियन डॉलर अर्जित करने का अनुमान है। इसके साथ ही अगले दशक में भारत के 7-9प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से विस्तार होने की उम्मीद है।

देश का दिल मध्य प्रदेश की आत्मा इसके गांवों में बसी है। प्रदेश के ग्राम्य जीवन और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में जनभागीदारी से प्रदेश के लगभग 100 ऐसे गांवों को परियोजना से जोड़ा गया है,जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के नजदीक बसे हैं। इसके साथ ही ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं। आने वाले सैलानियों को ध्यान में रखते हुए गांवों के आस-पास अनेक गतिविधियां हैं। यदि ग्रामीण पर्यटन सफल होता है,तो इसका सीधा फायदा प्रदेश के साथ ही स्थानीय लोगों को भी होगा।लोग आत्मनिर्भर बन रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और सांस्कृतिक वैभव से संपन्न गांवों को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के नजदीक बने मकानों में होम स्टे की बेहतर सुविधा सुनिश्चित की गई है, जिसे ऑनलाइन माध्यमों से बुक किया जा सकता है।वहीं ऐसे स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को सोशल मीडिया का प्रशिक्षण प्रदान करती है। पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए जो प्रयास कर रहा है वो सफलता के आयाम को छूते नजर आ रहे हैं।पर्यटन विभाग की कोशिशों का ही परिणाम हैं कि 2021 में मध्य प्रदेश में सैकड़ों पर्यटकों ने ग्रामीण पर्यटन का लुत्फ उठाया हैं,इन पर्यटकों में देशी-विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। शुरुआती दौर में पर्यटकों की संख्या उम्मीद से कम रही लेकिन स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने और भविष्य की सकारात्मक संभावनाओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त थी।

1987 की ब्रैंडलैंड रिपोर्ट में पहली बार धारणीय विकास पर चर्चा की गई तब से संपूर्ण विश्व में सभी नीतियों का आधार बन गई। वर्तमान समय में चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था पर चल रही चर्चा भी इसी बात पर है और ग्रामीण पर्यटन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन है। सभी स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन में स्थानीय साधन चाहे भौतिक अथवा मानवीय के उपयोग पर जोर दिया जाता है। आधारभूत संरचना का तैयार होना बेहद आवश्यक है खासकर भारत जैसे देशों में जहां आज भी सरकार सड़क,ऊर्जा,पेयजल आदि की बात कर रही है। जब किसी गांव का पर्यटन स्थल हेतु चयन किया जाता है तो प्रशासन इन सब सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध होता है साथ ही स्थानीय लोगों का अपनी विरासत के प्रति ध्यान आकर्षित करती है जिसे विश्व पटल पर दिखाया जा सकता है। तीसरा, इन स्थानों पर क्षमता निर्माण संभव होता है चाहे वह पाक कला हो,संप्रेषण कला हो या अन्य जो अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। चौथा,स्थानीय व्यवसाय को भी इतने प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या बड़ जाती हैं और उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने का भी मौका मिलता है। पांचवा,रोजगार में वृद्धि होती है चाहे वह अस्थाई ही क्यों ना हो परंतु इस कारण से कृषि पर निर्भरता कम होती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।साथ ही बड़े पैमाने पर किए गए निवेश का लाभ साथ के गांव को भी मिलता है जिस कारण से आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार आता हैं।

यहां पर इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि ग्रामीण पर्यटन के बहुत से लाभ है परंतु इसकी कुछ कमियां भी हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाती हैं। शहरी लोग अपने साथ तकनीकी लेकर आते हैं जो गांव की शांति और स्थिरता को भंग करती है पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त होने के कारण लोग गांव की ओर आकर्षित होते हैं वह इसे प्रदूषित कर जाते हैं जिसका दुष्परिणाम गांव के लोगों की सेहत पर होता है कई बार स्थानीय साधन स्थानीय लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने का साधन मान लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि यह काम अस्थाई होता है अत: कार्य लोकाचार को बिगाड़ देता हैं। लोग अपने कार्य हेतु कृषि से पर्यटन में अस्थाई रूप से आते हैं परंतु इस स्थानांतरण में मूल व्यवसाय कृषि नकारात्मक रूप से छोड़ दी जाती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। मूल से ब्याज पर अधिक ध्यान दिया जाता है साथ ही स्थानीय बाजार में मुद्रास्फीति होती है जो स्थानीय मांग को प्रभावित करती हैजिसके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। महिलाओं पर ग्रामीण पर्यटन के प्रभाव देखना भी जरूरी है महिलाएं कार्य शक्ति का वह भाग है जो सबसे अधिक मेहनत करता है और जिसका भुगतान प्रथक से नहीं किया जाता। अधिकांश केस स्टडी में यह देखा गया है कि महिलाएं अपने घर का काम पूरा करते हुए व्यवसाय में योगदान देती हैं जो उनके ऊपर कार्यभार को बढ़ा देता है यह सभी पर्यटन स्थल स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है पर महिलाओं पर काम के बोझ की अधिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है।

केस स्टडी

प्राणपुर, चंदेरी,अशोकनगर जिला – ललितपुर से चंदेरी जाने वाली सड़क पर स्थित प्राणपुर खूबसूरत घाटियों से घिरा हुआ है। हथकरघा और मिट्टी की कला में पारंगत लोगों के अलावा पत्थर पर नक्काशी करने वाले स्थानीय लोग भी यहां बाहरी लोगों को आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2005 में यह गांव चर्चा में आया जब इसे पर्यटन परियोजना का हिस्सा बनाया और यहां 'अमराई रूरल हेरिटेज रिसोर्ट' बनाया गया। इस ग्राम की विशेषता यहां की कला और संस्कृति है जो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रही है जिससे वहां के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। वर्ष 2002 के आसपास गुना जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के अभियान के दौरान ही प्राणपुर के हस्तशिल्प,प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी मिली जिसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने पर इसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिली। इस गांव में रिसॉर्ट बनाने की योजना इसलिए लागू की गई ताकि लोग यहां आए और रुकने के बाद यहाकीकला से परिचित हो

सके। स्थानीय कारीगरों द्वारा इस रिसोर्ट में पत्थर के कमरे बनाए गए हैं जिनमें दूर-दूर से पर्यटक रुकते हैं। यह रिसॉर्ट गांव की पर्यटन विकास समिति द्वारा चलाया जाता है जिसकेअंतर्गत जहां पर्यटकों के लिए आरामदायक जगह विकसित हुई वही दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है क्योंकि यहां चंदेरी साड़ियां,सूट और अन्य हस्तनिर्मित घरेलू सामान और साज सज्जा के परिधान बेचे जाते हैं। इस प्रकार प्राणपुर गांव की तस्वीर काफी बदल गई है जिसका कारण यहां की विशेष कला,संस्कृति व उसकी विविधता है जिसने ना केवल इसे प्रदेश स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया है।

लाडपुरा खास, ओरछा,मध्यप्रदेश – लाडपुरा खास गांव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल है जिसके आसपास पहाड़ियां,जंगल और नदी की मौजूदगी गांव को आराम करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है।यह खूबसूरत गांव बेतवा और गुरारी नदी के किनारे स्थित है।हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' श्रेणी के लिए नामांकित किया है। समुदाय के भीतर सांस्कृतिक विविधता,पारंपरिक ग्रामीण जीवन के साथ बुन्देलखंड क्षेत्र के पारंपरिक मूल्य और मान्यताएं समुदाय को और अधिक विविध बनाती हैं और पर्यटकों को इस स्थान पर आकर्षित करती हैं। गांव का आदर्श वाक्य है 'खेत से थाली तक'। मेहमानों को खेत की ताजा उपज मिलेगी और वे कृषि से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जगह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को अब समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न त्योहारों के उत्सव के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है,लठ मार होली वहां मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। विवाह पूर्व फोटो-शूट,स्थानीय भोजन पकाना,कला और शिल्प का लाइव प्रदर्शन,संगीत और नृत्य,कृषि और पशुधन जैसी गतिविधियाँ और पौधों के बारे में भी जानकारी देती हैं।गाँव में होमस्टे स्थानी सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो कमरों को गर्मी से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। स्थानीय भ्रमण, प्रकृति की सैर, साइकिल की सवारी और ईरिक्शा के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिसे समुदाय द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन का अनुभव कराने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

निष्कर्ष – ग्रामीण पर्यटन का प्रारंभ केवल पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया अपितु गांव को स्वावलंबी बनाने हेतु और सतत विकास के लिए किया गया है। अधिकांश ग्रामीण पर्यटन स्थल यूएनडीपी के 'एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट' के अंतर्गत शामिल किए गए जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आया है। इस परियोजना से स्थानीय विरासत और संस्कृति को बल मिला है साथ ही ग्रामीणों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से पुनःपरिचय भी हुआ है। ग्रामीण पर्यटन के लाभ के साथ कई नकारात्मक तत्व भी शामिल हैं परंतु लागत लाभ विश्लेषण से पता चलता है कि लोगों के जीवन यापन के स्तर में सुधार आया है यह सभी स्थल स्थानीय लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जिस कारण यहां के युवाओं को अपनापन लगता है और वे अपनी आय को बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। गांधी जी ने लिखा था, 'उत्पादन का चरित्र सामाजिक आवश्यकताओं से निर्धारित होगा ना कि लोगों की लालच से और यह बात सभी ग्रामीण पर्यटन स्थलों के लिए सही है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमारी,सविता 2015, पर्यटकों को आकर्षित करता ग्रामीण पर्यटन, कुरुक्षेत्र,वर्ष 61,अंक 8,जून,पृष्ठ35
2. कटारिया,सुरेंद्र 2016,राष्ट्रीय जुड़ाव में ग्रामीण पर्यटन का योगदान, कुरुक्षेत्र,वर्ष 62,अंक4,फरवरी,पृष्ठ43
3. सेतिया,सुभाष 2015,गांव में उभरता अतुल्य भारत, कुरुक्षेत्र,वर्ष 61,अंक 8,जून,पृष्ठ40
4. झा गिरींद्र नाथ 2015, ग्राम्य पर्यटन के खुलते दरवाजे,योजना,वर्ष 59,अंक 5, मई,पृष्ठ53
5. द्विवेदी धीप्रज्ञ 2017,ग्रामीण पर्यटन और स्वच्छता कुरूक्षेत्र,वर्ष 64,अंक 2, दिसंबर,पृष्ठ45
6. सिंह,जसपाल दत्ता,तनीमा रावत,अनुपमा 2019,ग्रामीण पर्यटन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,कुरुक्षेत्र,वर्ष 65, अप्रैल,पृष्ठ12
7. इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स- 2022 रिपोर्ट
8. www.mptourism.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Appropriate Participation of Women in Sustainable Development and Biodiversity Conservation

Dr. Jolly Garg*

***Professor and Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA**

Key Words : SDGs Sustainable Development, Biodiversity conservation, global-environmental ecosystem approach, Convention of Biodiversity Conservation (CBD).

Introduction : The environmental protection and biodiversity conservation are integral parts of sustainable development. It is also essential to identify and predict the actual or potential impact of development and to consider ways of minimizing negative impact while maximizing benefits. Conflict between eco-system and socio-economic system arises from the unidirectional and unlimited human wants to meet the genuine needs of all the people and as also greed of some people. In order to make each of us accountable for present growth of human beings and present status of biodiversity, forest and global ecosystem appropriate participation of woman is also essential. In November 2018, the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD) adopted decision 14/34, which states that the process of developing the framework "will be gender-responsive, by systematically integrating a gender perspective in the process and ensure appropriate representation, particularly of women and girls". The CBD was the first multilateral environmental agreement to include a Gender Plan of Action (Global Youth Biodiversity Network, 2016[1]). This study links between appropriate contribution of woman in relation to biodiversity conservation and more broadly, to ecosystems.

The Convention on Biological Diversity (CBD) in 1992 is an international legal instrument or agreement among countries based on natural and biological resources. The CBD has three main objectives to protect biodiversity; to use biodiversity without destroying it; and, to share any benefits from genetic diversity equally. The Convention has 196 parties till 2016 including India. India has a significant role as the eleventh mega-biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources.

The most common definition of sustainable development is "*Meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (Brundtland Report, 1987). The basic fundamental concept of development is "for all human beings and for the whole human being". Collective wisdom of humanity for conservation of biodiversity, embodied both in formal science as well as local systems of knowledge, therefore, is the key to pursue our progress towards sustainability. Women, especially in traditional societies, are especially affected by biodiversity loss. Lack of women's rights and access to resources intensifies these negative effects. At the same time, women can be agents of change, leading biodiversity protection, conservation and sustainable farming efforts. In general, women are underrepresented in the broader forestry management sector.

'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. Biodiversity is a compound word derived from 'biological diversity' and therefore is considered to have the same meaning. Biodiversity is the vast array of all the species of plants, animals, insects and the micro-organism inhibiting the earth either in the aquatic, aerial and the terrestrial habitats. The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other row materials. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. Biological diversity is now known to be crucial to the maintenance of ecosystems and organisms generally as well as providing essential services for human survival and flourishing. Any attempt to measure biodiversity quickly runs into the problem that it is a fundamentally multidimensional concept. Biodiversity cannot be reduced sensibly to a single indicator, such as species richness: to suppose that conserving overall biodiversity simply means conserving a population of every species.

Conservation of biodiversity is protection, evolution or development and scientific management of biodiversity so

as to maintain it at its threshold level and derive sustainable benefits for the present and future generation. Biodiversity conservation, the practice of protecting and preserving the wealth and variety of species, habitats, ecosystems, and genetic diversity on the planet, is important for our health, wealth, food, fuel, and services we depend on. It plays an integral role in supporting many sectors of development. Biodiversity conservation protects plant, animal, microbial and genetic resources for food production, agriculture, and ecosystem functions such as fertilizing the soil, recycling nutrients, regulating pests and disease, controlling erosion, and pollinating crops and trees. The United Nations Development Programme's definition of capacity building is "a process that supports the initial stages of building or creating capacities and assumes that there are no existing capacities to start from". It thus follows that "capacity building can be threefold, as it is individual, organizational and systemic. It further accounts for developing technical and scientific knowledge and their relevant competencies." Used in this way, capacity building is the start of a process, that through training and incremental construction of skills, knowledge and abilities, prepares an individual or an organization to better and more consistently deliver a particular task. UNDP's understanding of capacity development refers to "the process through which individuals, organizations and societies obtain, strengthen and maintain the capabilities to set and achieve their own development objectives over time." Here capacity is about growth, growth of the individual in knowledge, skills and experience. Understood in this way, capacity development is a perpetually evolving process of growth and positive change. Women performs the multiple roles a combination of multiple concurrent fulltime roles such as wife, mother, worker, homemaker and caregiver etc. Gender equality and the empowerment of all women and girls is an explicit goal under the 2030 Agenda and a driver of sustainable development in all its dimensions also.

Review of Literature : Forests and trees are vital to the world's essential basic needs to live and for survival of human kind on planet earth viz. clean air, water etc. Integrating gender considerations in the design and implementation of nature-based solutions could potentially guarantee a wider engagement of women in environment-related employment and also more sustainable solutions, due to women's – and indigenous communities' – knowledge of local land, biodiversity and natural resources.Women in indigenous communities played their important role in protecting ecosystems: There are more than 370 million indigenous people in the world, in some 90 countries. A 2018 report by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystems found that the benefits of land restoration are ten times higher than the cost, and that current rates of land degradation undermine the well-being of at least 3.2 billion people (Brainich et al., 2018[2]). Over exploitation of natural resources affect women and men differently, both in terms of opportunity and risk. Women disproportionately suffer health consequences of environmental degradation because of their role in reproduction. Environmental contaminants in water, air and soil – for instance, by-products of the misuse of agricultural inputs like pesticides and fertilisers, or dumping of toxic materials – can act as endocrine disruptors that impair women's reproductive systems, harm the developing bodies of fetuses, or cause toxins to bio-accumulate in breast milk (Stefanidou, Maravelias and Spiliopoulou, 2009[3]).

Social norms, entrenched traditions and personal endowments are usually the main obstacle to appropriate participation of women in decision-making bodies. Equal access to land rights could have positive effects in forestland restoration and sustainable management of ecosystems Evidence from Brazil, Cameroon and South Africa has found that agroforestry promotes gender equality, with 40-50% of women becoming involved with agricultural activities (FAO, 2018[4]). Engaging women can strengthen conservation efforts and contribute to Sustainable Development Goals specifically Goal 15.

A review of 17 studies on women in local resource decision making in the forestry and fisheries sectors in some countries found that the participation of women has a strong positive affect on resource governance and conservation outcomes (Leisher et al., 2016 [5]).

In northeast regions of India, where male migration affects about 15% of local families, women have a more prominent role in subsistence farming and in managing agro-biodiversity. Women in these regions have been engaging in local seed conservation initiatives, including seed exchange, in an attempt to safeguard existing knowledge, diversify agriculture and guarantee food security. In these regions more sustainable agricultural processes were supported both by men and women, who opted for ecosystem-based rather than technology-based solutions and strategies for income generation (Price, 2018 [6]).

Another example is Costa Rica's Action Plan of the National Strategy on Climate Change, in which gender is being mainstreamed and women's role is recognized as critical in the restoration of forestlands and ecosystems (UNFCCC, 2015 [7]). Costa Rica is introducing a gender approach to agro-forestry systems, critical to boosting low-carbon production systems. By creating conservation units that unite small, women-led farms, female producers have the opportunity to strengthen their capacity while achieving lower emissions and maintaining a percentage of the plot with forest coverage.

Research from the Center for International Forestry Research (CIFOR) has shown that community forest agreements play a significant role in forest regeneration, with notable increases in forest cover, firewood and non-timber forest products. A legally recognized self-governing

community-led group has also allowed individuals from lower social castes and indigenous groups to benefit from higher access to community forest resources, with positive impact on their livelihoods. In particular, CIFOR research has shown that women, as collectors of non-timber forest products, are the principal beneficiaries of CFUGs. The Chisapani Village CFGU, next to Bardiva National Park, is mostly supplied by women farmers, and women make up the majority of its staff. Following national law, profits from the harvesting of lemongrass and its transformation into essential oil are shared equally among the women. (Paudyal et al., 2017 [8])

A gender perspective is also critical for biodiversity and conservation efforts. Climate Change, in which gender is being mainstreamed and women's role is recognized as critical in the restoration of forestlands and ecosystems.
Indigenous communities draw much of their subsistence food, water and energy from the surrounding environment. Indigenous peoples' close links to and dependency on well-functioning ecosystems makes them highly vulnerable to environmental damage and climate change. Deforestation and pollution caused by mass farming, industrial activities and expanding urbanization all pose grave and growing threats to the livelihoods and survival of their communities. Indigenous woman are directly affected by the decline in biodiversity both physically and psychologically (UNEP, 2016 [9]).

It is estimated that while indigenous people make up 5% of the global population, they protect around 80% of global biodiversity (World Bank, 2021 [10]). Women in traditional and indigenous societies play a central role in ecosystem management, on which they have accumulated traditional knowledge and largely depend for sustenance and medicine. In many communities, men and women hold differentiated knowledge deriving from traditional segregation of responsibilities. Indigenous women have played a fundamental role in environmental conservation and protection throughout the history of their peoples.
Historically, in traditional societies, indigenous women and men have often had equal access to lands, animals and resources. women as managers of the household and family, and founding pillars of their societies. This has been changing as "modern" practices and legislation were introduced (UN, 2010 [11]).

Addressing the vulnerabilities of women in indigenous groups is not only a matter of justice and fairness. Their vast wealth of traditional knowledge of the medicinal properties of plants and other benefits that can be drawn from ecosystems, as well as sustainable management of natural resources, is fundamental for the survival of indigenous communities and their ecosystems. In 2002, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) was established as an advisory body to the UN Economic and Social Council (ECOSOC), aimed at recognising the specific importance of indigenous peoples and their communities. Since 2004, the United Nations Environment Programme (UNEP) has had a dedicated focal point that indigenous peoples can contact at any time regarding the organisation's work programmes. In 2012, UNEP produced policy guidance on indigenous peoples which covers the role of women and the involvement of communities in UNEP sustainable development projects (UNEP, 2012 [12]). In particular, shrinking biodiversity has been linked to zoonosis, which evidence suggests may have been the root cause of the COVID-19 pandemic (OECD, 2020[13]).

Discussion: Seven key initiatives to achieve sustainable development Goals are Infrastructure Imperatives, Carbon Management, Green Energy, Circular Economy, Environment Conservation, Water Conservation and Energy Efficiency. Women has a crucial role in the achievement of these 7 goals and their participation is necessary for efficient achievement of these goals. Furthermore, peoples increasingly interact with "modern" economies and societies, it is often indigenous men and women, both should participate in the decision making and planning of projects related to natural resource management. As a result, valuable knowledge of women and their attitudes towards the environment can not be ignored. The admission rate of women in Higher education is increasing and this is a remarkable development because it means more and more women in high power and decision making positions breaking the set barriers and increasing role of women both ecologically and economically.

Women's enormous potential to contribute to biodiversity conservation and sustainable development is still to be fully applied. The role of women especially as 10 R's of environmental sustainability? Embrace the 10Rs of true eco living: Responsibility, Resist, Reduce, Return, Repair, Reuse, Recycle, Restore, Respect and Reach Out. Sustainability's three main pillars represent the environment, social responsibility, and the economic. These three pillars are also informally referred to as people, planet, purpose, and profits. People here includes both MEN and WOMEN. Social, environmental, pillars are interconnected, weakening of any one may hinder the development of the other two.

The environmental pillar refers to the laws, regulations, and other policy mechanisms concerning environmental issues. These issues include air and water pollution, solid wastemanagement, ecosystem management, maintenance of biodiversity, and the protection of natural resources, wildlife and endangered species etc. The Indian constitution prohibits discrimination based on sex and empowers the government to undertake special measures for them. Women's rights under the Constitution of India mainly include equality, dignity, and freedom from discrimination; additionally, India has various statutes governing the rights of women. A woman should be given appropriate opportunities both economically and socially and they must be respected and never underestimated on the ground that they are women. Humans interact with ecosystems to

maintain long-term sustainable resource yields, developing institutional mechanisms to share the use, management and monitoring of natural resources , while avoiding ecosystem disruptors. Two key characteristics of these systems are that the unit of nature is often termed a"local ecosystem". In a ecosystem a-biotic and biotic components, (plants, animals, and humans) are considered to be interlinked, interdependent and interrelated. Exploitation of the natural resources by humankind at a greater rate does not allow normal regeneration under natural environmental conditions ; this leads to the rate of degenerative process greater than the degenerative capacity of the earth global ecosystem. Furthermore, Eco-restoration emphasize the multifaceted nature of human ecosystem interaction. Any singular solution for individual social ecological system problems is not practical and possible. Sustainable development requires a community focus that empowers women and indigenous populations to participate and take on leadership positions

Conclusion : To sum up one can conclude that there exist inter-linkages between gender inclusiveness and sustainable use of natural resources . There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity specifically forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implementation (Garg, 2018 a, 2018 b, 2020 a, 2020 b)[14,15,16,17]. Appropriate presentation of woman is a key factor for achieving sustainable economic growth, social development and environmental sustainability as well as biodiversity conservation. Women play a crucial role in environment protection and same should be utilized by society and government.

The role of women in the management of natural resources requires much greater attention than has been the case up to now. Government should include the Gender Equality in Forestry National Action Plan this will promote women's careers in the forestry industry. Including gender considerations in National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) is crucial in developing women's role in conservation efforts while protecting biodiversity. Review and updating as well as proper implementation of the legislations is necessary in view of the challenges and threats in reference of biodiversity conservation. A versatile, multi-directional, participation of working women in this field and gender neutral strategy is required to redress environmental problems both at regional and global levels. Study highlights the need of such a strategy and It calls for concerted efforts and co-operation of individuals, small or large communities, governments and international agencies.

It is important to adopt a mentality in which the adoption of preventive actions and precautionary measures will be as natural as our reactions to emergency situations and to catastrophes. The conservation of genetic diversity is essential as a buffer against harmful environmental changes, and as the new materials for scientific and industrial innovation (Champion and Seth, 1968[18]; Agrawal,1997[19]; Cavalcanti, 2002[20]; Kate, 2002[21]; Pal , B.P.1940) [22]. Protecting, restoring and promoting the sustainable use of land resources has a great potential to combat global warming, while land degradation in all its forms (e.g. deforestation, loss of soil and freshwater etc. is a major contributor to climate change. Nature-based solutions to climate problems need to be considered for their role in achieving conservation goals. During the COVID-19 pandemic, which has had a differentiated effect on women. Nature-based projects have also been recognized for their potential to create green jobs (WWF and ILO, 2020[23]) . It is very clear that we lack more in ethics then in knowledge. Ethics are necessary in order to ensure desired practice in all human being of all ranks. The real challenge is to develop ethics relevant to the present. (Garg 2020) [14,15,16,17]. Gender inequality creates barriers to effective sustainable development and livelihoods by limiting or restricting women's access to resources and decision-making opportunities. Thus, addressing gender gaps in ecosystems management is essential to achieve conservation goals, community wellbeing and sustainable development.Appropriate participation and engaging women can strengthen conservation efforts and will contribute to Sustainable Development Roles (SDG) 15 accepted at international level.

References:-

1. Agrawal, D.P. (1997). Traditional knowledge systems and western Science. *Current Science* 73: 731-733.
2. Brainich, A. et al. (2018), *The Assessment Report in Land Restoration and Degradation. Summary for Policymakers of the IPBES Report on Land Degradation and Restoration*, http://www.ipbes.net.
3. Champion, H.G. and S.K. Seth, 1968. A Revised Survey of Forest Types in India. GOI. Cavalcanti, C. (2002). Economic thinking, traditional ecological knowledge and ethnoeconomics.*Current Sociology* 50: 39-55
4. FAO (2018), *Realizing women's rights to land in the law. A guide for reporting on SDG indicator 5.a.2*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.[8] FAO (2018), *Forest Pathways to Sustainable Development*, FAO, Rome, http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9535EN/.
5. Garg J. 2018 a . Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculuture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_Innovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.

6. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10..
7. Garg, J. 2020 a Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Biosciences 2020, pp. 29- 34.
8. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42 nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35
9. Global Youth Biodiversity Network (2016), *CBD in a nutshell*, CBD, Germany, http://www.gybn.org.
10. Kate, K.t. (2002). Science and the Convention on Biological Diversity. *Science* 295: 2371-2372
11. Leisher, C. et al. (2016), "Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource governance and conservation outcomes? A systematic map", *Environmental Evidence*, Vol. 5/1, http://dx.doi.org/10.1186/s13750-016-0057-8
12. OECD (2020), *Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient recovery*
13. Pal, B.P. (1940): "The Search for New Genes" Indian Council for Agricultural Research. New Delhi.
14. (Paudyal et al., 2017 [41]).
15. Price, R. (2018), *Women-initiated measures to cope with environmental stresses and climate change in South Asia*.
16. Stefanidou, M., C. Maravelias and C. Spiliopoulou (2009), "Human Exposure to Endocrine Disruptors and Breast Milk", *Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets*, Vol. 9/3, pp. 269-276, http://dx.doi.org/10.2174/187153009789044374
17. UN (2010), *The Millennium Development Goals Report 2010*, United Nations.
18. UNEP (2012), *UNEP and Indigenous Peoples: A Partnership in Caring for the Environment Policy Guidance*, http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
19. UNEP (2016), *Global* [*gender and environment outlook*.]
20. UNFCCC (2015), *Least Developed Countries Expert Group: Strengthening gender considerations in adaptation planning and implementation in the least developed countries*, https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents%20NAP/UNFCCC_gender_in_NAPs.pdf.
21. World Bank (2021), *Indigenous Peoples*, https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#:~:text=While% 20Indigenous%20Peoples%20own%2C%20occupy,of%20the%20world%27s%20remaining%20biodiversity.&text=The%20World%20Bank%20works%20with,and%20aspirations%20of%20Indigenous%20Peoples.
22. WWF and ILO (2020), *Nature Hires: How Nature-based Solutions Can Power a Green Jobs Recovery*, 0 World Wide Fund For Nature and International Labour Organization; Gland, Switzerland, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/documents/publication/wcms_757823.pdf.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन (जबलपुर जिले के सन्दर्भ में)

प्रियंका साहू*

* शोधार्थी, आर.पी.ई.जी.विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कृषि अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ताओं ने कृषि को प्रभावित करने वाले कारको को निर्धारित करने का प्रयास करते रहे है। भारत जैसे कृषि प्रधान व विकासशील देश जहाँ कृषि विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की कमी से जूझ रहे है वही वर्तमान समय मे जलवायु परिवर्तन एक विकट समस्या बनी हुई है, क्योंकि कृषि जलवायु प्रदेश जलवायविक कारकों का योग होते है तथा कृषि को अनिवार्य रुप से प्रभावित भी करते है जलवायु परिवर्तन से जहॉ एक ओर भू क्षरण, भू स्खलन, असमय वर्षा की कमी आदि जैसी सामस्याएँ उत्पन्न हो रही है, वही कृषि के लिये समस्या बनी हुई है प्रस्तुत शोध पत्र मे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। जिससे जलवायु परिवर्तन से कृषि को प्रभावित करने वाले कारको को ज्ञात किया जा सके और उसके लिए सुझाव प्रस्तुत किये जा सके।

शब्द कुंजी – भू: क्षरण, जैविक घटक, अकार्बनिक यौगिक, जैवविविधता।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने लगे है। भारत की 81.5% जनसंख्या कृषि कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ता हुआ तापमान, कम होती वर्षा कृषि को प्रभावित करती है, साथ ही इसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ने लगा है, आवश्कता है– जलवायु परिवर्तन को रोकने तथा इसके प्रभाव को कम करने कि। इस शोध पत्र में जलबपुर जिले कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

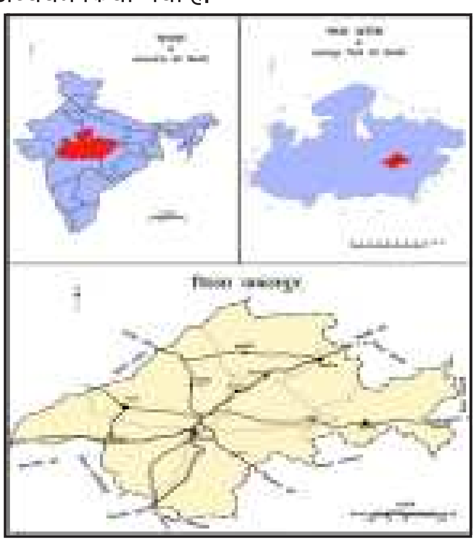

अध्ययन क्षेत्र – जबलपुर जिला 22°49' से 23°48' उत्तरी अक्षांश और 78°21' 80°40' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा इस जिले के मध्य से होकर गुजरती है जबलपुर जिले का आकार चतुष्कोणीय है इसकी लम्बाई 120 मील और चौड़ाई 12 कि.मी. है। 1998 में मध्यप्रदेश में 16 जिलों के निर्माण से इस जिले की प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। कटनी और सिहोरा तहसील के बहोरीबंद इसमें शामिल नहीं है। जबलपुर जिला पश्चिम में सागर, दक्षिण मे नरसिंहपुर, उत्तर में छतरपुर, पूर्व में पन्ना और कटनी जिले से घिरा हुआ है। इस जिले का विस्तार 5198 वर्ग किलो मीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 2460714 है। कोविड–19 के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई लेकिन जिले की जनसंख्या में 14 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है, जबकि जनसंख्या घनत्व 470 प्रति व्यक्ति वर्ग किलो मीटर है। जो प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 236 से काफी कम है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह जिला सात विकासखण्डों – सिहोरा, मझौली, पाटन, शहपुरा पनागर जबलपुर तथा कुंडम में विभाजित है। जिले में 1508 ग्राम तथा 542 ग्राम पंचायते है। यह ग्रामीण प्रधान जिला है।

अध्यन के उद्देश्य :

1. जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाव के उपाय सुझाना।
3. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु जागरूकता लाना।

शोध परिकल्पना :

1. जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करती है।
2. जागरुकता से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

विधि तंत्र – प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों का प्रयोग किया जायेगा प्राथमिक ऑकडे के संकलन हेतु अनुसूची तैयार की गयी जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है, खण्ड–1 जिले की सामान्य जानकारी खण्ड–2 जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित प्रश्न रखे गये है, जबकि द्वितीयक आकड़ो का संकलन जिला साख्यिकी पुस्तिका, उप संचालक कृषि, उप संचालक मौसम, ग्राम पंचायत एवं अन्य प्रतिवेदन तथा शोध

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

पत्रों का प्रयोग किया गया है तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया।

सारणी क्रमांक – 1: औसत तापमान (सेल्सियस में)

माह	1981 -82	1991 -92	2001 -02	2011 -12	2021 -22
जनवरी	8	8.5	9.6	10	10.5
फरवरी	20	21.4	22.2	23	23.5
मार्च	23	24.5	25.8	26.2	27.4
अप्रैल	36	36.5	37.4	38.5	40
मई	38	40	40.5	42	44
जून	40	41	42	45	47
जुलाई	30	32.5	33.4	35	36
अगस्त	28	30.5	31.3	32.5	34
सितम्बर	25	26.6	27.8	28	30
अक्टूबर	23	23.5	24	25.7	28.3
नवम्बर	20	21.5	22.9	23.6	24
दिसम्बर	9	9.5	10	10.3	10.7

स्रोत – भारतीय मौसम रिर्पोट 2021

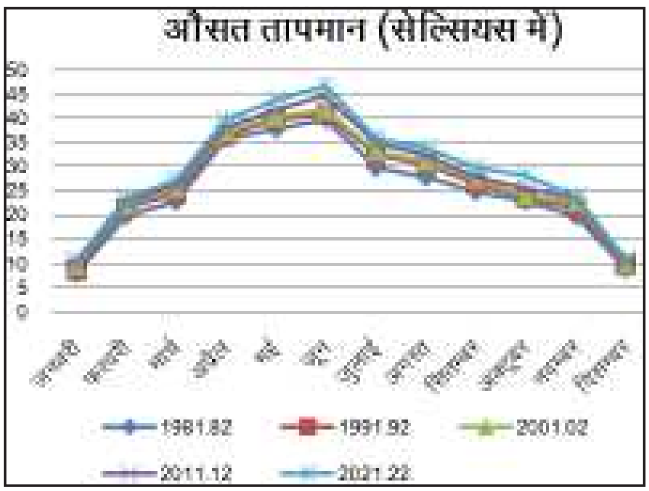

सारणी क्रमांक – 2: ऋतुवार औसत तापमान (सेल्सियस में)

ऋतु	1981 -82	1991 -92	2001 -02	2011 -12	2021 -22
ग्रीष्म	34.25	35.62	36.42	37.92	39.6
शीत	14.25	15.22	16.17	16.22	17.17
वर्ष	26.5	28.27	29.12	30.3	32.07

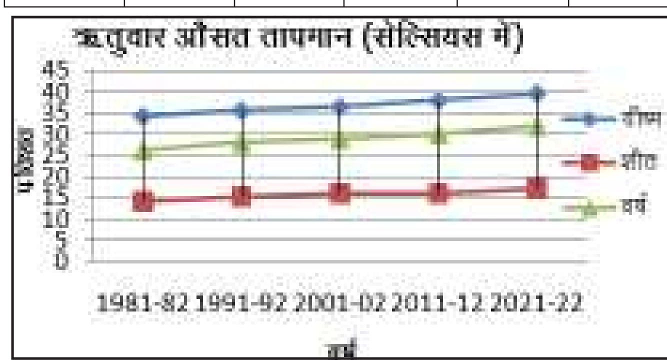

सारणी क्रमांक–2 से स्पष्ट है कि वर्ष 1981 मे ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 34.25^0 से. था जबकी ग्रीष्म ऋतु का वर्ष 2021 का औसत तापमान 39.6^0 से. हो गया इससे स्पष्ट होता है की विगत 5 दशकों में ग्रीम ऋतु के औसत तापमान में 5.35 कि वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1991 में 1.37^0 से. 2001 में 0.8^0 से. तथा वर्ष 2011 में यह वृद्धि 1.5^0 से. दर्ज कि गई। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य हुई तापमान में औसत कम वृद्धि का मुख्य कारण 1992 में हुये रियो डी जेनिरो के मौट्रोपोलियन प्रोटोकाल का कढ़ाई से पालन करना है।

इसी प्रकार वर्ष 1981 में वर्षा ऋतु का औसत तापमान 26.5^0 से. था, जबकि 2021 में 5.75^0 से. की वृद्धि के साथ 32.07^0 से. हो गया यह औसत क्रमशः 1991,2001,2011 में 28.27^0 से. 29.12^0 से., 30.3^0 से. दर्ज की गई। इसीतरह वर्ष 1981 में शीत ऋतु का औसत तापमान 14.25^0 से. था, जो 1991 में 15.22^0 से. 2001 में 16.17^0 से., 2011 में 16.72^0 से. तथा 2021 में 17.17^0 से. हो गया। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षो की अपेक्षा प्रत्येक ऋतु में औसत तापमान वृद्धि का मुख्य कारण मानवीय आर्थिक क्रियाये, वन विनाश आदि है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

मिट्टी पर प्रभाव – कृषि के मुख्य घटक के रूप में मिट्टी का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन क्षेत्र मे जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी पहले से ही जैविक कार्बनिक हो रही थी अब मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। मिट्टी में लवणता की वृद्धि तथा जैव विविधता का ह्रास हुआ है। भूमिगत जल स्तर प्रतिवर्ष नीचे तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं के कारण मिट्टी का क्षरण हो रहा है परिणाम स्वरूप मिट्टी में बंजरता बढ़ती जा रही।

फसलों पर प्रभाव – अध्ययन क्षेत्र मे जलवायु परिवर्तन से मात्र फसलों का उत्पादन ही नहीं प्रभावित हुआ वरन् उसकी गुणवत्ता पर भी नाकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुये है। अनाजों में पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी पाई गई है। जलवायु परिवर्तन का एक ही क्षेत्र में अलग–अलग प्रभाव दृष्टव्य हुये है।

जल संसाधन पर प्रभाव – जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि हेतु जल आपूर्ति भयंकर समस्या है। क्षेत्र में तालाब, पोखर, कुआँ जो जल स्तर को बनाये रखने में सहायक होते थे। कृषक अपने खेतों में अधिक से अधिक वर्षा जल का संचय करता था, किन्तु बाढ़ एवं सूखे की बारम्बारता के कारण पारम्परिक स्रोत समाप्त होते जा रहे है।

जीव – जन्तु पर प्रभाव – अध्ययन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन नें जीव–जन्तुओं को भी प्रभावित किया है। लम्बे समय तक चलने वाले ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु में अनेक जीव–जन्तुओं की प्रजनन क्षमता में वृद्धि से अपना जीवन चक्र पूरा करते थे। किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति और जीव–जन्तुओं के मध्य अर्न्तसम्बन्धों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ।

जैव विविधता पर प्रभाव – जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की उरर्वता में कमी होने से पेड पौधों के स्वास्थ एवं उगने की क्षमता में ह्रास हुआ है, फलतः अनेक वनस्पतियां समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। परिणाम स्वरूप यहां रहने वाले मानव व जानवरों में अनेक रोगों के आक्रमण से संकट में आ गये है क्योंकि वनस्पति उनके लिये महत्वपूर्ण संसाधन है।

समस्या:

1. जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनियमितता में वृद्धि हुई है।
2. बाढ़ एवं सुखे की पुर्नावृत्ति के कारण मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि हुई

है।

3. जल स्तर में कमी तथा क्षारीयता में वृद्धि हुई है।
4. फसल उत्पादकता में कमी।
5. मानव की क्रिया शीलता में कमी आई है।

सुझाव:

1. विशैले पदार्थो व रेडियोधर्मी अपशिष्ट को रोकना।
2. झूम खेती कृषि पर नियंत्रण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम को अनवरत जारी रखना।
3. फसल उत्पादन हेतु नई तकनीकों का विकास तथा उत्पादन विधियों में परिवर्तन के साथ खेती में जल का संरक्षण कारना।

निष्कर्ष – विगत 5 दशकों के जलवायविक आकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि वनस्पति, जीव–जन्तु, जल संसाधन एवं जैव विविधता पर प्रभाव परिलक्षित होने लगे हैं। अगर समय रहते जलवायु परिवर्तनों के कारण और उसके प्रभावों को नहीं रोका गया तो यह एक विकट समस्या का रूप धारण कर लेगे। अतः प्रस्तुत सुझावों का कढ़ाई से पालन करते हुए तथा जनजागरुकता के माध्यम से उपरोक्त प्रभाव को रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंहा मेघा (2001) पर्यावरणीय समस्या और संसाधन, बंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. सिंह संतनाम (2008) कृषि भूगोल यूनिर्वसिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2021) जिला सांख्यिकी कार्यालय, जबलपुर।
4. सक्सेना हरिमोहन (2001) पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
5. Review 2000 Geographical Review of India, Vol- 62,No 1-4
6. Mamona C-B- (1960), Agricultural problems in India Kitab mahal- Atlaha badi G-P- 3rd edi.
7. तिवारी, डॉ. अजय, (2007) कृषि की प्रमुख समस्याएं सतपुड़ा क्षेत्र के संदर्भ में उत्तर भारत भूगोल पत्रिका अंक– 21 पृ. 143।
8. पाण्डेय, जे. एन. और एस. आर. कमलेश (1999) कृषि भूगोल बसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर।
9. Singh Jasbir and Dhillonss (1984) Agricultural Geography Tata Mc Growill Publishing Company Limited New Delhi P-P- 127- 128A
10. भारतीय मौसम रिर्पोट 2021

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मानवीय मूल्यों का प्रासंगिक महत्व

डॉ. शिवानी शर्मा * राजश्री रतावा डॉ. राजेश कुमार शर्मा *****

* शोध निर्देशक, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** शोधार्थी, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर(राज.) भारत
*** भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश – 'मूल्य' शब्द का अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग अर्थ होता है। अच्छा, सुन्दर, इच्छित, वांछित, वेल्यू, उपयोगिता इत्यादि। किन्तु मानवीय व्यवहार में 'मूल्य' का अर्थ आत्मशुद्धि, इन्द्रिय निग्रह, आत्म संयम, शुद्ध आचरण, सहज जीवन इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन सभी गुणों को आत्मसात करना हर भारतीय का कर्त्तव्य है क्योंकि मूल्य हमारी पहचान होते हैं यदि हम इन मूल्यों से अपरिचित रहते है, अनभिज्ञ रहते हैं तो हम अनैतिक बन जाते है। आध्यात्मिकता के अर्थ में हमारे मूल्य है सत्य, अहिंसा, शुद्धता, अच्छाई। यथार्थवादी अर्थ में मूल्य का संबंध सत्य, ईमान, अहिंसा, प्रेम, मानवीय सद्क्रमों से है। आदर्शवादी अर्थ में मूल्य को सत्ता व ज्ञान की विशिष्टता कहा गया है। अत: मूल्य ही हमारी पृष्ठभूमि है, मूलाधार है, मूल्य ही विषय और विषयी का तादात्म्य कराता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। भारतीय आचार्यो ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पुरूषार्थी को मूल्य रूप में वर्गीकृत किया है। मानवीय मूल्य जो व्यक्ति की उपयोगिता या महत्व को बढाते हैं उसे भीड़ से अलग बनाते है वे है – सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, ग्राम्य मूल्य, वर्गीय मूल्य, महानगरीय मूल्य, संपत्ति एवं रोजगार संबंधी मूल्य, प्रणयगत मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य आदि। इन सभी मूल्यों को अपनाकर व्रूक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है तो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में अपना योगदान भी दे सकता है। यदि व्यक्ति इन मूल्यों से परिचित नहीं होगा तो वह अपने अधिकारो को, कर्तव्यों को भी नहीं जान पाएगा वह आपके युग में धरती पर बोझ या पशु के रूप में विचरण करने योग्य रह जाएगा। युगीन परिस्थितियों को देखते हुए मानव का व्यवहार में परिवर्तन लाना, कार्यो में योगदान देना, सही-गलत को पहचानना, भविष्य के लिए जागरूक होना आदि के महत्व को समझकर जीवन में स्थापित करना ही श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है।

प्रस्तावना – मूल्य बोध एक व्यावहारिक एवं आदर्शसूचक चिन्तन हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का साधन हैं। भारतीय ऋषि मुनियो ने जीवन को उत्तम बनाने व आनन्द की प्राप्ति करने के लिए ऐसे मूल्यों की रचनपा की जिनका अनपुसरण कर व्यक्ति इस लोक में सुखी रहकर परलोक में भी सुख को निश्चित करने में सक्षम बनता हैं। मूल्य का समानार्थी शब्द है पुरूषार्थ और ये पुरूषार्थ (मूल्य) है- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं , अर्थ का संबंध भौतिक मूल्यों से है, काम में सौन्दर्य और कला संबंधी सभी मूल्य सम्मिलित है और मोक्ष में आध्यात्मिक मूल्य आ जाते है। आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्यों से ऊँचे अवश्य हैं, किंतु उनकी उपेक्षा नहीं करते। भौतिक सोपानों द्वारा ही आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है।

मानवीय मूल्य ही मनुष्य में मनुष्यता लाते है अन्यथा पशु व मानव एक समान होते है। मनुष्य का आचरण, उसके गुण उसे पहचान देते है।

'येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म: ।
ते मर्त्थलोके भुविभारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाच्श्ररन्ति ।।'

अर्थात् जिस मानव के पास न विद्या, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न सदाचार है और न ही धर्म है, वे मनुष्य इस धरती पर भार के समान है अर्थात् निरर्थक जीवन जी रहे है और मनुष्य के भेष में वे पशु के समान विचरण कर रहे है।'[2]

वास्तव में मूल्य जीवन के दिशा निर्देशक, पथ प्रदर्शक व उद्देश्य हैं जिनसे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता हैं। सयामाजिक प्राणी को मानवीय मूल्यो का निर्धारण करना आवश्यक है। दिनकर के शब्दो में 'मूल्य आचरण के सिद्धान्तो को कहते हैं। मूल्य वे मान्यताएॅ है, जिन्हें मार्गदर्शक, ज्योति मानकर सभ्यता चल रही है और जिनकी उपेक्षा करने वालो को परम्परा अनैतिक, उच्छृड्.खल या बागी कहती है।'[3]

समाज द्वारा मूल्यो की स्थापना करना ही काफी नहीं है व्यक्तियों द्वारा उसे आचरण में लाना आवश्यक है जिसके लिए व्यक्तिगत सोच का विकसित होना अत्यन्त आवश्यक हैं। 'हम मानते है कि एक प्रतिमानो का, सब मूल्यो का स्त्रोत मानव का विवेक हैं, वही उसे सदासद का ज्ञान देता है- फिर उसे सत् और असत् का क्षेत्र चाहे जो हो।'[4]

'मूल्य' के सम्बन्ध में कुछ भारतीय व पाश्चात्य विद्धानों के विचारो को जाने तो –

डॉ. बैजनाथ सिंहल के अनुसार 'प्रत्येक उपलब्धि जीवन को प्रभावित करती है। उपलब्धि का यह प्रभावशाली सूक्ष्म रूप ही मूल्य है।'[5]

ऑसफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार- 'मूल्य मानव इच्छाओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुएॅ हैं, इच्छा की पूर्ति से सुख होता हैं इवसलिए सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति है।'[6]

केन के अनुसार- 'मूल्य वे आदर्श एवं विश्वास या नियम हैं जिन्हें कोई समाज या समाज के अधिकांश लोग अपनाते है।'[7]

अत: मूल्य 'वेल्यू' से बना है जो किसी का भी महत्व बढ़ा सकता है चाहे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, क्रियात्मक, लाक्षणिक इत्यादि कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। शेशवावस्था से ही बालक में परिवार के द्धारा मूल्यो की स्थापना करना आरम्भ कर दिया जाता है जिसको हमें जीवनपर्यन्त हमारे व्यवहार में रखना होता है।' नैतिक मूल्य जीवन की महत्वपूर्ण धरोहर है। इनकी सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह करना हमारा प्रथम कर्तव्य हैं। संस्कृत की यह पंक्ति सत्य व चरितार्थ होती है कि –

'वृत्यत्नने संरक्षेत वितमेति च यति च।'

अर्थात् धन जो आता है चला जाता हैं, लेकिन चरित्र जाकर वापस नहीं आता है इसकी हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।'[8]

वर्तमान परिपेक्ष्यमें यदि बात की जाए तो सत्य, पेम, सेवा, शांति, अहिंसा,करूणा, परोपकार, त्याग इत्यादि वे मानवीय मूल्य है जिनको अपनाकर हमारे देश के महापुरूषो ने अपना जीवन अमर किया। वे आज भी हर भारतीय की पहचान बने है, हर भारतीय का गौरव है। सम्पूर्ण विश्व के कुछऐसे युग प्रवर्तक नेता है जिनमें महात्मा गॉधी, मार्टिन लूथर, वाक्लव हेवेल, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन आदि हुए जिनके मानवीय गुण उदाहरण बने वे है–

नि:स्वार्थता, गरिमा, न्याय के प्रति प्रेम और लगाव, स्नेहिल व्यवहार, अंहिसा व शान्ति से प्रेम, परोपकारिता, सहानुभूति इत्यादि।

वर्तमान पीढ़ी के लिए आदर्श बने हमारे कुछ प्रशासक जिनमें एम.एस.स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सी.डी. देशमुख, वी.पी.मेनन, कृष्णमूर्ति, ई.श्रीधरन, वर्गीसकुरियन, सैमन पित्रोदा, आई.जी.पटेल का नाम प्रमुख है। इनका व्यवहार, इनके गुण ही इनकी उपलब्धियों की सीढ़ी बने वे मानवीय गुण जो इनके पथ प्रदर्शक थे वे है–

भेदभाव का विरोध, सत्यनिष्ठता, अनुशासन, सामाजिक समानता, साहस, कानून के प्रति सम्मान, कर्तव्यपरायणता, भाईचारा इत्यादि।

समाज सुधारकों का संघर्ष एवं विचारधाराओ का समाज व देश के विकास में बहुमूल्य योगदान रहा। सामाजिक कुप्रथाओं, खोखली परम्पराओ का जिन्होने पुरजोर विरोध किया उनमें थे –– राजाराम मोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, गुरूनानक दउेव, कबीर, ईश्वरचन्द विद्यासागर इत्यादि। इन्होने अपने शील गुणो व दूरदर्शिता से समाज का पुनरोत्थान किया इनसे प्राप्त मूल्य है–

मानवतावाद, गरिमामय व्यवहार, मानलवता के प्रति आदर, दयालुता, आत्मसंतोष, सामाजिक समसता, तर्क व अन्वेषण से सत्य की खोज इत्यादि।

अत: हमारे पूर्वजो का व्यक्तित्व हमारे लिए आदर्श बन सकता है केवल इनके बारे में पढ़कर लिखकर या बोलकर नहीं बल्कि इनकी चारित्रिक विशेषताओं को अपने व्यवहार में अपनाकर इन्ही आदर्शो से वर्तमान समाज के चहुँमुखी विकास में युवा अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता हैं इसके लिए आवश्यकता है तो इस आत्मसातिकरण की। बालक में इन गुणो का विकास करने में कई ईकाईयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है–

परिवार की भूमिका – समाज की प्राथमिक इकाई है परिवार जहां बच्चे का सामाजिकरण होता है या यूं कहे बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार और प्रथम गुरू है मां ! परिवार व परिवार के सदस्यो द्धारा ही बच्चा सामाजिक आचरण से परिचित होता है वह प्रेम, त्याग, परोपकार, आज्ञापालन सहयोग का पाठ यही से सीखता है और सद्‌भावनाओ को विकसित करता है इसके लिए उचित माहौल की आवश्यकता भी होती है जो कि परिवार के सदस्यो द्धारा उपलब्ध कराया जाता है। विज्ञान भी कहता है जिस परिवार में संबंध अच्छे रहते है खुशहाल माहौल रहता है उस परिवार के बच्चे सफलता प्राप्त करते है, वे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते है।

वर्तमान समय में जहां आपसी मनमुटाव का माहौल होता है वहां पर बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के ही नजर आते है अत: बच्चो के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए उचित मूल्यो की स्थापना परिवार के माध्यम से ही की जा सकती है। परिवार ही बालक को समाज का योग्य सदस्य बनाता हैं और आचरण संबंधी नियमों से परिचित कराता है।

समाज की भूमिका – 'समाज' शब्द व्यक्तियों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है या यो कहे सामाजिक साहचर्य का वह रूप जहा व्यक्तियो का समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है इनमें अन्त:पारस्परिकता, साझा या संगठित क्रियाकलाप व एकत्व की भावना होती है। समाज से सम्बन्धित नियम (नैतिक मूल्य) पूरे समूह को मानने होते है ये समाज एक गॉव, शहर, राज्य या देश हो सकता है जहां सभी के लिए समान व्यवहार अपेक्षित होता है। अनुसंधान में पाया गया कि किसी संगठन, व्यवसाय, संघ या संस्था के नैतिक मापदंड़ देश के प्रचलित मानदंडो से भिन्न नहीं हैं।

किसी सरकार की सफलता वहां के शासन व जागरूक जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है और यह तभी संभव है जब वहां की शिक्षा व्यवस्था नागरिको के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। जनता के उज्जवल चरित्र से ही देश के विकास व आधुनिकीकरण को ऊर्जा मिलती है।

वर्तमान में जागरूकता और मीडिया के प्रतिनिष्ठा हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बोध कराने में सक्षम है आवश्यकता है तो उन गुणो को आत्मसात करने की।

शिक्षण संस्थानो की भूमिका – परिवर्तन के इस दौर में शिक्षा ही है जो व्यक्ति को लचीला बनाती है और सामाजिक बदलाव का नेतृत्व करती है। व्यक्ति को परिवर्तन अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है, किन्तु यह तभी संभव है जब शिक्षा बालक को बोझ न लगे, उसकी स्वतन्त्रता को बाधित न करें तभी वह जीवन में गुणात्मक व उच्चतर विकास कर पाने में सक्षम होगा और शैक्षणिक विकास के उदेश्य ज्ञानार्जन, सामाजिक न्याय, संस्कृति का संरक्षण, व्यक्तित्व का विकास, वैज्ञानिक मनोदशा का विकास, धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति तथा लोकतंत्र आदि को अपना सकेगा।

अत: शिक्षा से ही समाज उच्च मूल्यो का संरक्षण कर विकास को प्रोत्साहन दे सकता है।

मानवीय मूल्यो की आवश्यकता या महत्व – आधुनिकता की अंधीदौड़ में दौडते हुए युवा, बच्चो या भारतीयो को मानवीय मूल्यो के महत्व को समझाकर ही कर्तव्यपथ से जोड़ा रखा जा सकता है अन्यथा कम्प्युटर मोबाइल ने अपराधी प्रवृति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तकनिकी विकास जहां राष्ट्र उत्थान में सहायक है वही बालको, विद्यार्थियो व युवाओ के लिए अभिशाप बन गया है। मनोरंजन के लिए जिस देश में साहित्य पढ़ा जाता था– कहानियो, उपन्यासो में चरित्र जिया जाता था, कविताओ का रसास्वादन किया जाता था उसी देश के कर्णधार इन किताबी ज्ञान को, आदर्शो की बातो को मजाक समझते है और पिछड़ेपन की पहचान बताते हैं। वे नई–नई मोबाइल ऐप से, सौशल मीडिया से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं जो

उन्हें मानसिक रूप से बिमार करता है और अपराधी प्रवृत्ति की और अग्रसर करता है इसके उदाहरण हम प्रतिदिन अखबारो में पढ़ सकते है ।

अत: इन बालको को युवाओ को इनके कर्त्तव्यो का ज्ञान कराना आवश्यक हैं इसके महत्व को समझाना अत्यन्त आवश्यक है-

दक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठत्रं सदा दुर्जने
प्रीति: साधुजने नया नृपजने विद्वज्जने चार्जवम्।
शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरूजने नारीजने धूर्तता
ये चैवे पुरूषा: कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थिति: ।।

अर्थात् अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ उदारता, परिजनों पर दया, दुर्जनो के साथ दुष्टता सज्जनों से मित्रता, राजा के साथ नीति, विद्धानों से विनम्रता, शत्रुओ पर पराक्रम, वृद्धो के प्रति क्षमात, स्त्रियो के साथ चातुर्थ , जो मनुष्य इस प्रकार की कलाओ में निपुण होता है, उन्ही पर यह संसार स्थिर है।[9]

अत: परिस्थितिनुरूप अपने मूल्यो में परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक होता है । मानवीय मूल्यो की उपयोगिता को निम्न रूप से समझा जा सकता है-

1. **उपयोगिता को समझने के लिए मानवीय मूल्य का महत्व –** वस्तु की उपयोगिता उसके मूल्य से आंकी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान भी उनके 'मूल्य' होते है। 'ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है।' 'सच्चाई व्यक्ति को पहचान देती है।' 'कर्त्तव्यपरायण हमारे संस्कार है।' ये बाते बोलने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है किन्तु हम इनका अनुसरण करके, इनको व्यवहार में लाके जिस गौरव का अनुभव करत है, आत्मविश्वास से जीते है वो हैं हमारी उपयोगिता। हमारे मन की वैचारिक शुद्धता, जीवनदाविनी तरंगे देने वाले विचार ही मूल्य होते है जो दूसरों के लिए भी आदर्श बनते हैं।

2. **संस्कृति को जानने के लिए –** हमारी भारतीय संस्कृति के अनेक मूल्य पहचान है। इन मानवीय मूल्यों का ज्ञान प्रत्येक देशवासी के लिए आवश्यक है। ये मूल्य हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, इनके आधार पर हम सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रापत कर सकते हैं और सही गलत पर अपनी विचार रख सकते हैं।

3. **अधिकारों के ज्ञान के लिए –** प्रत्येक देश की संस्कृति, संरचना, नियम, अधिकार अलग-अलग होते हैं। अधिकारों की व्यवस्था मूल्य परम्पराओं के आधार पर होती है। जैसे- भारतीय महिलाएं व अमेरिकन महिलाएं दोनों के अधिकारों में अन्तर पाया जाता हैं, यह अन्तर वहां के समाज व संस्कृति की भिन्नता के कारण होता है, अत: अधिकारों की स्थिति व स्वरूप का ज्ञान मानवीय मूल्यों के ज्ञान पर निर्भर करता है।

4. **कर्त्तव्यों को जानने के लिए –** हमारे कर्त्तव्य हमारे मूल्यों पर ही आधारित होते है क्योंकि भारत में आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, इसीलिए हमारे कर्त्तव्य आदर्शोन्मुख है और अन्य देशों के भौतिकता पर आधारित पुरूष का पुत्र, पिता, भाई, पति रूपों में अलग कर्त्तव्य है तो व्यवसायिक क्षैत्र में आ गए। इसी प्रकार महिला के मां, पुत्री, बहू, भाभी, सास, दादी, पत्नी हर रूप में अलग-अलग कर्त्तव्य हैं और इन कर्त्तव्यों का निर्वहन ही जीवन का सार है। साथ ही भारतीय होने के कारण सबसे बड़ा कर्त्तव्य हमारे देश के प्रति होता हैं जो अत्यन्त आवश्यक है।

5. **मानवता को जानने के लिए मूल्य बोध :-** मानवता की प्रकृति व ज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है कि मूल्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाए जो सार्वभौमिक है। इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मानवता को सम्पूर्ण विश्व में प्राथमिकता दी गई है जिसका उदाहरण हमने कोरोनाकाल में देखा, भारत हो या विदेश लोगों ने मानवता दिखाई और मरीजों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की इस मूल्य से ही राष्ट्र का, विश्व का कल्याण संभव है।

6. **राजनैतिक स्थिति में मूल्य बोध –** राजनीति के उत्थान और पतन दोनों का कारण 'मूल्य' ही है। प्रत्येक राष्ट्र, राज्य में राजनैतिक स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। राम-राज्य की कल्पना करना आदर्शवादिता का घोतक है, अत: आध्यात्मिक मूल्य यहां प्रभावी दिखता हैं और जब इन मूल्यों का पतन होता है तो राजनेता अपने बाप को सेवक न मानकर शासक मान बैठता है, वह जनता का शोषण करता है, उसके हृदय में सेवाभावना का अभाव रहता है, अत: उसके मूल्यों का पतन हो जाता है इसलिए मूल्यों का ज्ञान एवं उसके महत्व को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

7. **सामाजिक उत्थान में मूल्य बोध –** समाज में निहित नियमों, परम्पराओं को मानना व उनका अनुसरण करना सामाजिक व्यवस्था का पहलू है। जिस समाज में आदर्शोन्मुखी मूल्यों की व्यवस्था होगी निश्चित ही वह समाज उपलब्धियों, सफलताओं की ओर अग्रसर होगा। असामाजिक तत्वों का ज्ञान कराकर लोगों को उसके दुष्परिणामों से अवगत कराना भी सामाजिक उत्थान का कारक हो सकता है।

8. **शिक्षा व्यवस्था के लिए मूल्य बोध –** प्राचीन शिक्षा प्रणाली व नवीन शिक्षा प्रणालियों में पर्याप्त अन्तर है, इसका कारण है मूल्यों में परिवर्तन यसमय के साथ शिक्षा का परिवर्तित होना विकास करना है किन्तु आदर्शो को भूलना पतन का कारण बन सकता है, अत: हमें पाश्चात्य शिक्षा को न अपनाकर प्राचीन शिक्षा के नवीन स्वरूपों को आगे लाना चाहिए और मूल्य परक शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर करना चाहिए।

9. **जीवन दर्शन को समझने में –** दर्शन से मूल्यों को जोड़ा जाए तो कोई व्यक्ति आदर्शवाद को महत्व देता है तो कोई यथार्थवाद को, कोई भौतिकवाद को अपनाता है तो कोई प्रकृतिवाद को। वर्तमान में युवा व बच्चे प्रयोजनवादी दर्शन को अधिक महत्व दे रहे है और अपना रहे है क्योंकि आज का मानव तर्क व विज्ञान को खोजकर ही नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, अत: विभिन्न दर्शनों को समझने के लिए मूल्यों को आधार बना कर सही गलत को जाना जा सकता है।

10. **पर्यावरणीय व्यवस्था का ज्ञान व मूल्य बोध –** पर्यावरण की स्वच्छता व प्रदूषण का कारण भी हमारे मूल्य है, हमारी अच्छी आदतें हमारे व्यवहार से हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रख सकते है। प्राचीनकाल में प्रदूषण का कोई नाम नहीं था क्योंकि मानव जीवन दर्शन व जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित करके रखता था। धीरे-धीरे आधुनिकता का प्रभाव ऐसा पड़ा कि भौतिकता हम पर हावी हो गई और हमने अपने कर्त्तव्यों व मूल्यों से मुँह फेर लिया जिसका हरजाना भी हमें कई बिमारियों, महामारियों के रूप में भरना पड़ा। वर्तमान में मानव पुन: यप्रकृति की और लौटा' जैसी विचारधाराओं का प्रसार कर स्वच्छता लाने का प्रयास कर रहा है।

अत: मानवीय मूल्य सम्पूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। जिससे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्थान संभव है क्योंकि हमारे मूल्य ही हमारी पहचान हैं।

साहित्य और मूल्य बोध – साहित्य के संदर्भ में मूल्यों का विश्लेषण किये बिना कोई भी लेखक मूल्य बोध की पहचान करने में असमर्थ है। साहित्यकार साहित्य में सृजनात्मकता लाने का सदैव प्रयास करता है और वह आती है

मूल्यों के समावेश होने पर। साहित्य 'स्वान्त: सुखाय' भी होता है तो 'बहुजन हितार्थ' भी। इसीलिए साहित्यकारों से अपेक्षा की जाती है कि उनका सृजन समाज कल्याण में सहायक सिद्ध हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करें।

साहित्यिक मूल्य जीवन दर्शन से स्वत: उत्पन्न होते हैं, जीव जगत की गतिविधियां समय के साथ परिवर्तित होती है और दर्शन को प्रभावित भी करती है, वस्तुत: प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज के मूल्य भी बदलते रहते है। साहित्य में आनन्द व नीति दोनों का समावेश होता है। मनस्विता, तेजस्विता, धार्मिकता, उदारता, शीलता इत्यादि गुण साहित्य के माध्यम से मानव में प्रसारित होते है। साहित्य की दो पृष्ठभूमियां होती है - पहली निरपेक्षता, दूसरी पक्षधरता। इन दोनों के लिए दो भिन्न-भिन्न दृष्टियां कार्य करती है, जिनमें से एक दृष्टि परम्परावादी है तो दूसरी प्रगतिवादी। परम्परागत रूप से चली आ रही जीवन दृष्टि में जब गतिरोध आ जाता है और यह रूढ़ि या जड़ता में परिवर्तित हो जाती है, तब नवीन जीवन मूल्य इस जड़ता से संघर्ष करते है और अपना अस्तित्व स्विर कर लेते है, इस तरह साहित्य भी नवीनता लाता रहता है। आधुनिक युग में रचनाओं का केन्द्र बिन्दु मानव सोच पर आधारित रहा है। आधुनिक काल में भारतीय नव जागरण और अन्य सुधारवादी आन्दोलनों से नवीन समाज की उत्पति पर जोर दिया गया।

मूल्य परकता, साहित्य की केाई भी विधा हो कुछ विशिष्ट गुणों से अभिभूत रहती है, जैसे -

1. **विषयवस्तु की पूर्णता**
2. **मानवीयता**
3. **सत्यता**
4. **क्रमबद्धता**
5. **तटस्थता**
6. **मनोवैज्ञानिकता**

अत: हम कह सकते है कि मूल्यपरक साहित्य में जीवन का क्रमबद्ध व आदर्श ज्ञान होना साहित्यकार की कुशलता को प्रकट करता है।

निष्कर्ष - अत: वर्तमान भारतीय समाज में मूल्य बोध के विविध आयाम यदि देखे जाए तो धर्म निरपेक्षता, सत्य, अहिंसा और धर्म, सामाजिक समानता, सादगी और सरसता, विश्वबन्धुता, राष्ट्र प्रेम इत्यादि मानवीय मूल्यों का प्रत्येक देशवासी में होना आवश्यक है। धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि मनुष्य जीवन के सार्वभौमिक मूल्य है, जिनको व्यवहार में लाकर अच्छे नागरिक बनकर, राष्ट्र निर्माता बन सकते है। साहित्य, समाज व जीवन तीनों एक दूसरे के पूरक है। इन्हें उच्चतम मूल्यों से सिंचित कर हम जीवनधर्मी तत्वों, सामाजिक मूल्यों, सद्धृत्तियों का विकास कर सकते हैं।

'जीने का ध्येय बदलते ही
बदल जाता है जीवन
प्यार और करूणा से सोचें
तो जीने का अर्थ बदल जाता है।'[10]

मानवीय मूल्यों को अपनाने से वास्तव में जीवन का चित्र बदल जाता हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं इतिहास गवाह हैं कि भौतिकता सिर्फ मृगतृष्णा के समान हैं। बड़े-बड़े महलों के शासक राजा, महाराजाओं द्वारा निर्मित नगर, इमारतें आज अवशेष के रूप में मिलते है या लुप्त हो चुके हैं किन्तु कबीर, बुद्ध, गांधी, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती के आदर्श चरित्र आज भी जीवित है। अत: भौतिकता की दौड़, अत्याचार और हिंसा के गहरे गर्त में भटके लोगों को आदर्श चरित्रों के मूल्यों की प्रासंगिकता को समझना चाहिए और आपसी मतभेद को त्याग, प्रेम, पूर्ण सौहार्द से रहना चाहिए।

'एक सुलह की शपथ
हो सकती है पर्याप्त संजीवनी
कि आंखे मलते हुए उठ बैठे
एक नया जीवन - संकल्प।।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अध्ययन और आस्वादन, गुलाब राय, पृ.सं. 6-7
2. नीतिशतकम् भर्तृहरि श्लोक, 13
3. आधुनिक बोध, रामधारी सिंह दिनकर, पृ.सं. 48
4. हिन्दी साहित्य,एक आधुनिक परिदृश्य : सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्थापन असेय, पृ.सं. 10
5. डॉ. बैजनाथ सिंह ; नयी कविता : मूल्य सीमांसा, 1981, पृ.सं. 98-99
6. रैनू चौधरी, मूल्य एवं नैतिक शिक्षण, पृ.सं. 8
7. वही, पृ.सं. 9
8. वही, पृ.सं. 2
9. नीतिशतकम् भर्तृहरि, श्लोक 22
10. कुँवर नारायण - कुमार जीव, पृ.सं. 135
11. वाजश्रवा के बहाने, कुँवर नारायण, पृ.सं. 91

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

पश्चिम ओड़िशा के लोकगीत: परम्परा एवं प्रयोग

गोविन्द नाएक *

* शोधार्थी,गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (ओड़िशा) भारत

प्रस्तावना – ओड़िशा भारतवर्ष की पूर्वी दिशा में स्थित एक संस्कृति संपन्न राज्य है। ओड़िशा प्रदेश का गठन भारत स्वतंत्रता से पूर्व 1936 अप्रैल 1 को हुआ था। ओड़िशा प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा पश्चिम ओड़िशा दस जिला को लेकर एक अलग सांस्कृतिक परंपरा सदियों से जीवित रखा है। इसी क्षेत्र को पश्चिमांचल, कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल आदि कई नामों से अभिहित किया जाता है। पश्चिम उड़ीसा में ज्यादातर लोग आदिवासी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। ओड़िशा की राजभाषा ओड़िया है। परंतु पश्चिम ओड़िशा के दस जिला में कोसली या संबलपुरी भाषा का व्यवहार देखने को मिलता है। यह भाषा एक प्राचीन एवं सरस, लचीला और मधुर भाषा है। कोसली-सम्बलपुरी भाषा को भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल करने केलिए समय समय पर अनेक भाषा आंदोलन देखने को मिलता है। यह भाषा इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत है। इस अंचल की कला, संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोक साहित्य, अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्धशाली है। जो एक अभिन्न सांस्कृतिक परम्परा को सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी नदी की स्वच्छंद जल धारा के समान प्रवाहित हो रहा है।

लोक गीत किसी भी जाति तथा समाज प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से समाज के सभी गतिविधियों को अवलोकन किया जाता है। जिस गीतों का प्रयोग साधारण जनता द्वारा समाज में व्यवहार होता है, उसे लोकगीत कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए खाना या खाद्य आवश्यकता ठीक उसी प्रकार मन की शान्ति के लिए संगीत की भूमिका महत्वपूर्ण है। सदियों से सामाजिक चेतना के साथ- लोकगीत का उदय हुआ है। धीरे-धीरे मानव में ज्ञान का विकास हुआ और उसने लयबद्ध वाणी में अपनी दु:ख-सुख की मनोदशा को कहना आरम्भ किया। यह वाणी लोक कंठ का आश्रय पाकर लोकगीत बनी। लोकगीत के सम्बन्ध में श्री सूर्यकरण काधारीक का मानना है कि 'आदिम मनुष्य हृदय के गाने का नाम लोकगीत है। मानव जीवन की, इसके उल्लास की उसके उमंगो की, उसकी करुणा की, उसके रुदत की, उसके समस्त कहानी इनमें चित्रित हैं।'अर्थात लोक गीत के माध्यम है समाज को सभी गतिविधिया, क्रिया कलाप, हाव-भाव, सहन, आचार-विचार, आदी के संदर्भ में एक विस्तृत विवरण- प्राप्त होता है।

पश्चिम ओडिशा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां की लाके गीत बहुत प्राचीन होने के साथ- साथ महान भी है। सम्बलपुरी कोसली भाषा में इस क्षेत्र सुखरू दु:ख, हर्ष, उल्लास, मनोरंजन, खेल-कुद विभिन्न प्रकार की लोक गीतों के माध्यम से सुसज्जित है। जो अत्यन्त मनमोहक एवं आकर्षक है। सम्बलपुरी-कोसली भाषा अत्यन्त सरल संव मधुर है। इस क्षेत्र के लोकगीत यहां के लोक गीत के साथ पंचवाद्य (गणा बजा) का समन्वय हो जाता है, तो एक मधुर संगीत सृष्टि होता है। वाद्य-गीतों की मधुर ध्वनि के चलते लंगड़ा भी नृत्य करने के लिए उत्साहित होता।

पश्चिम ओडिशा में लोक व्यवहार की दृष्टि से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की लोकगीतों का व्यवहार देखने को मिलता है। सभी लोकगीत सामाज के जन जीवन के कार्य कलाप पर पर्यविक्षित है। पश्चिम ओड़िशा में जो लकि गीतों का व्यवहार होता है, उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है –

1. कृषिपरक लोकगीत
2. आध्यात्मिक तथा धार्मिक लोकगीत
3. मनोरंजन परक लोकगीत
4. सामाजिक तथा संस्कार धर्मी लोक गीत
5. अन्यान्य

1. कृषिपरक लोकगीत – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को रीड है। देश के लगभग 18% आय कृषि उत्पादन से होता है। किसान देश का अन्नदाता है, पालन कर्ता है। खेती करना अत्यन्त कष्ट पूर्ण कार्य है। किसान वाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक कृषि कार्य करके सभी लोगों की भरपेट खाना खिलाता है। पश्चिम ओडिशा एक आदिवासी तथा कृषि प्रधान क्षेत्र रहा हूँ। बरगड जिला को ओडिशा प्रदेश का 'धान का कटोरा' कहा जाता है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की कृषि प्रधान लोकगीत देखने को मिलता है। जैसे हलिया गीत, शगड़िया गीत, माडेन गीत, लटावछा गीत आदि।

(क) हलिया गीत – 'हेलिया' का शाब्दिक अर्थ होता है 'नौकर' कुछ जगह पर हलिया शब्द के लिए पश्चिम ओडिशा में थकान को भी कहा जाता है। यहां पर नौकर से अभिप्राय उनसे है जो अपने मालिक के घर में रहकर खेती-बाड़ी का काम करतें हैं। जमीन पर खेती करते समय हलिया या नौकर जिस आनंद, उल्लास और थकान के साथ गीतों का वाचन करता है या गाता है, वह हलिया गीत के रूप में जाना जाता है। हलिया गीतों की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। खेती करते समय उसके मन में संसार की जितने भी दु:ख, कष्ट, पीड़ा का अनुभव होता है वह अत्यंत सुंदर ढंग से गीत के रूप में अपनी वेदना को प्रकट करता है और क्षण भर में उसके दुख दर्द वेदना समाप्त हो जाता है।

जैसे:

'बएला रे...ए...ए...ए
महाजन र जंजाल कुटुम्बर तो दु:ख
कुटुम्बर त दु:ख लागी
प्राणी मानकर केभे नाई सुख'

अर्थात 'बएला रे...ए...ए..ए' इस शब्द का प्रयोग किसान दो बैल को संबोधित करते हुए लय के साथ अपनी दुख दर्द वेदना को गीतों के माध्यम से प्रकट करता है। साहूकार के कर्ज के चलते किसान हमेशा चिंता ग्रस्त रहता है इसके साथ उसके परिवार की समस्याओं का भी जिक्र करता है ,कभी वह शांति से नहीं रहता। हलिया गीत के माध्यम से किसान जीवन की वास्तविकता चित्र मुखरित होता है।

(ख) शगडिया लोकगीत – शगडिया लोकगीत भी एक कृषि प्रधान गीत है। 'शगड' से तात्पर्य बैलगाड़ी से है। जब आधुनिक उपकरण तथा गाड़ी का निर्माण नहीं हुआ था तो फसल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेने के लिए तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात करने के लिए बैलगाड़ी का व्यवहार प्राचीन काल से हो रहा था। उसी समय बैलगाड़ी को जो दिशा प्रदान करते हैं तथा चलाते हैं उसे सगड़िया कहा जाता है, वह आनंदित होकर सुमधुर कंठ से जो गीत गाता है वह शगड़िया गीत के नाम से पश्चिम ओड़िशा में परिचित है।

'ए...ए...ए..ए
सेमिकु मडुआरे काकेरकू रांज
पांच माएझीरू गुरी काए कलारे दईब कला त बांज
....
काली गुरी दुई जन कले पौ जिऊतिआ
कालिर कुले बालक जनम
गुरीर कुल छुछारे'

2. आध्यात्मिक तथा धार्मिक लोकगीत – पश्चिम ओडिशा एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल रहा है। यहां के लोग मिट्टी को, पानी को, पेड़ की, जंगल को, नदी को, हवा को पूजा करते है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने कारण यहां के लोग ज्यादातर देवी-देवता को अपने आराध्य तथा ईश्वर मानते है। इस क्षेत्र के आध्यात्मिक लाक गोतों में रू-रसरकेली, डालखाई, करमशानी, दंड गीत, संप्रदा, डका, देवगुनिया, कृष्ण गुरु आदि प्रमुख हैं-

(क) डालखाई – डालखाई लोकगीत पश्चिम ओड़िशा ही नही बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत विख्यात है। यह गीत अत्यन्त मधुर एवं मनमोहन है। लोग आनन्द उल्लास के साथ डालखाई गीत का प्रयोग करते हैं।

'डाला रे डालभाई रे
भादो मासे तो जिउतिया
कुआरी टुकिला माने धनरे
माँ के सुमरी उपासकरि
ददा भाईर लागी काए डालखाई रे'

(ख) करमशानी– मानव जीवन में कर्म या कार्य की भूमिक अत्यन्त महत्त्व पूर्ण है। मानव हमेशा अपने कर्म को आदर करता है। पश्चिम ओड़िशा के आदिवासी लोग कर्म की देवी करमशानी को ढोल,मादल बजाकर उपासना करते हुए आनन्द पूर्वक लोक गीतों में झूम उठते है। लोगों का विश्वास है कि कर्म शानी देवी को पूजा करने से फसल पर कीट नहीं लगते एवं फसल का उत्पादन भी बहुत होता है।

जुआर मां गो करमशानी
तोर पादे दईनी मां गो तोर पादे दईनी

3. मनोरंजन पार्क लोकगीत– मनुष्य हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति को समय-समय पर दु:ख, कष्ट, वेदना आदि से गुजरना पड़ता पड़ता है जीवन को मनोरंजन बनाना कौन नहीं चाहता। पश्चिम ओड़िशा के लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक मनोरंजन परक लोकगीत का व्यवहार करते हैं। विवाह, व्रत, पर्व त्योहार के समय गीत और वाद्य के साथ मौज मस्ती से झूम उठते हैं।इस क्षेत्र में अनेक मनोरंजन धर्मी लोकगीत देखने को मिलता है जो इस प्रकार से हैं, जैसे रसरकेली, जाईफूल माएलाजड़, जामुडाली, चपकराटी गलार।

(क) रसरकेली – रसरकेली पश्चिम उड़ीसा का एक बहुत प्रचलित एवं पसंदीदा लोकगीत है रसरकेली दो शब्द से मिलकर बना है 'रस' और 'केली' इसमें रसर शब्द का अर्थ 'रस युक्त' से है तथा 'केली' शब्द से आशय युवक-युवतियों के नोक झोंक से है। विशेष रूप से डालखाई लोकगीत का प्रयोग युवतियों द्वारा मुखरित होता है। इस गीत का प्रयोग पर्व, त्यौहार, विवाह, महोत्सव, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रम में व्यवहार देखने को मिलता है।

4. सामाजिक तथा संस्कार धर्मी लोकगीत – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के संस्कार को लेकर भारत के सभी प्रांतों में अलग-अलग प्रकार के लोकगीत देखने को मिलता है। यहां गीत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से मुखरित होता आ रहा है। पश्चिम ओड़िशा में विशेष रूप से अनेक प्रकार की संस्कार गीत देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से है।

(क) कांदणा गीत– कांदणा शब्द का अर्थ रोना है। जब किसी लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वह अपने मायके की सभी स्मृतियों को याद करके बहुत रोती है। वह अपने अतीत के चित्र को रो-रो कर सामने प्रकट करती है। यह गीत हृदय विदारक होती है जिसमें युवतियों की मन की भावना मुखरित होती है।

(ख) शोक गीत– शोक गीत का परंपरा ओड़िशा में अत्यंत प्राचीन है यह गीत अत्यंत करुणा दायक होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अपने परिवार वाले उसी को याद करके, उसी के अतीत की घटनाओं को याद करके बहुत रोते हैं मृतक व्यक्ति के गुण का बखान करते हैं और अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। लगभग सभी गांव में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है इसमें विशेष रूप से अपने प्रियतम व्यक्ति की मृत्यु पर बहुत शौक परिवेश उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि पश्चिम ओड़िशा के लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं समृद्धशाली है। यहां के जनताओं के बीच लोकगीत का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है जिसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है मानव मन की समस्त सुख दुख विडंबना लोकगीतों के माध्यम से उजागर होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ओडिआ लोक साहित्य और लोक संस्कृति – प्रो. कृष्ण चन्द्र प्रधान
2. पश्चिम ओडिशा के सांस्कृतिक विकासधारा– सूधीर कुमार साहू
3. लोक संस्कृति परिक्रमा– डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा
4. पश्चिम ओडिशा के लोक साहित्य का स्वरूप– डॉ. निमाई चन्द्र पंडा
5. ओडिआ लोकगीत और कहानी – डॉ. कुंज बिहारी दास
6. लोक साहित्य की भूमिका– डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय
7. लोक साहित्य के विविध आयाम– डॉ. परवीन निजाम अंसारी
8. हिंदी का प्रादेशिक लोक साहित्य– डॉ. नन्दलाल कल्ला
9. लोक साहित्य विज्ञान – डॉ. सत्येन्द्र

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

योग एवं समग्र स्वास्थ्य : एक अध्ययन

डॉ. आभा सैनी*

* प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कोरोना का समय काल और पूरी दुनिया में अपने स्वास्थ्य एवं जीवन शैली को लेकर बढ़ रही जागरूकता के कारण चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। दवा की बढ़ती हुई कीमत और सस्ते और सुलभ चिकित्सा पद्धति होने के कारण सबसे लोकप्रिय पारंपरिक प्रणाली आज के समय में योग बन गई है।वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आधुनिक समय में स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं का समाधानऔर खराब जीवन शैली को बेहतर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम योग है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वास्थ्य एक ऐसी पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति को दर्शाता है।जिसमें न केवल बीमारियों का अभाव हो बल्कि मानवीय खुशी और कल्याण की भावना भी निहित हो स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का वर्णन भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है।जिसमें शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत सामाजिक आध्यात्मिक पर्यावरणीय और व्यवसायिक आयामों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

आज के समय में बढ़ते हुए भौतिकतावाद में और तकनीकी प्रयोग की अधिकता ने मनुष्य के जीवन को तनावपूर्ण और बीमारियों से ग्रसित बना दिया है।यदि इनका वर्तमान समय में चिकित्सा का कोई वैकल्पिक विकल्प है।तो वह है योग और प्राकृतिक चिकित्सा मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखते हुए समाधि के माध्यम से उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करना है।आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि स्वास्थ्य के बारे में वर्णन किया जाए तो योग के माध्यम से ही शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

योग शब्द में यूज धातु है।जो समाधि संयोग और संयम हर्ष को देती है।इसलिए योग का अर्थ साक्षात रूप से ब्रह्मा से युक्त होना लिखा जाता है।पतंजलि के अनुसार ,'चित् की व्रतियों के निरोध का नाम योग है।'

योग का प्रारंभ वेदों से हुआ है। यजुर्वेद के एक मंत्र में यह कहा गया है।कि योगेश्वरवरीय का संपादक मनुष्य तत्वज्ञान के लिए पहले मन और धारनाओ व्रतियों को योग युक्त करता हुआ योगाभ्यास में लगता हुआ प्रकाश स्वरूप प्रक्रम परमेश्वर की ज्योति का निश्चय करके भली-भांति साक्षात करके आत्म कल्याण करता है, यजुर्वेद में यह स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है। कि योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता है।चाहे कर्तव्य कर्म हो अथवा आत्मसाक्षात्कार रूपी कर्म हो उपनिषद भगवत गीता आदि में भी योग का विशेष वर्णन और विशेष महत्व बताया गया है।

योग अनेक प्रकार का होता है।जिसमें हठयोग अर्थात दक्षिण स्वर और वाम स्वर दोनों की समता का नाम हो , मंत्र योग, ज्ञान योग, कर्म योग इसमें सम्मिलित है।विभिन्न प्रकार के योग के अनुसार अपनी-अपनी योग साधना की विधि होती है।महर्षि पतंजलि ने तीन प्रकार की साधना विधि का वर्णन अपने योग दर्शन में किया है।जिसमें उच्च कोटि की साधना (समाहित चित की साधना) मध्यम कोटि की साधना (अष्टांग योग की साधना) साधारण या निम्न कोटि की साधना(चंचल चित की साधना) सम्मिलित है।उच्च कोटि की साधना के लिए पूर्वजन्म से अर्जित योग रूप फल के स्वरूप जिन का चित् समाहित हो गया है। वे ही उत्तम अधिकारी है।इसमें अभ्यास वैराग्य और पर वैराग्य सम्मिलित है।मध्यम कोटि की साधना में महर्षि पतंजलि योग के आठ अंगों का विवेचन किया है।जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधिनिहित है।निम्न कोटि की साधना में क्रिया योग है।जिसमें तप स्वाध्याय और ईश्वरप्राणी धान सम्मिलित है।

योग के पंच बहिरंग साधनों में प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है।क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही प्राण का नियंत्रण होता है।और इससे मन का नियंत्रण आसानी से हो जाता है।मन और प्राण दोनों का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है।अत: प्राण पर काबू प्राप्त करने के लिए मन पर काबू पाना अपने आप सरल हो जाता है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम अलग-अलग प्रकार के होते हैं जिसमें सूर्यभेदन उजजीया भस्त्रिका भ्रामरी शीतली शीतकारी प्लाविनी है।

शरीर की विभिन्न व्याधियों और रोगों पर इन अलग-अलग प्राणायाम के माध्यम से बीमारियों को जैसे माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, अनिद्रा इत्यादि को दूर किया जा सकता है। प्राणायाम ना केवल एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है। बल्कि इसका आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव भी होता है। यह व्यक्ति के स्नायु मंडल और ज्ञान तंतुओं की उन्नति करता है।और उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। चेतना और बुद्धि की उन्नति होती है। मनुस्मृति में यह कहा गया है।कि जिस प्रकार सोना चांदी आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उनके मल दोष नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं इससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है।

महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक बैठने को आसन कहते हैं योगासन से शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है।और आरोग्य की तरह प्राप्ति एवं रोग की निवृत्ति होती है।मांसपेशियों का वैज्ञानिक विधि से खिंचाव आंतरिक अंगों की मालिश और स्नायु तंत्र व्यवस्थित होने से साधक के स्वास्थ्य में सुधार होता हैशरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित सभी बीमारियां

आसन एवं प्राणायाम से दूर होती है।संवेदना और क्रिया सुचारू रूप से चलती है।बुद्धि और प्रतिभा की वृद्धि होती है।अत: शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योगासन से उत्ताम अन्य कोई विकल्प नहीं है।

योग ना सिर्फ शारीरिक अभ्यास या व्यायाम है।बल्कि यह विचारों और कार्यों के बीच संतुलन और तालमेल स्थापित करने तथा स्वस्थ तन मन के लिए समावेशी दृष्टिकोण के साथ शरीर में ऊर्जा को व्यवस्थित करने का साधन है।योग की अपनी अलग-अलग धाराएं हैं सभी के अपने अपने सिद्धांत मकसद और अभ्यास की पद्धतियां है।लेकिन आज के दौर में मानव जाति को व्यापक स्तर पर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसका समाधान चिकित्सा की इस वैकल्पिक और सुलभ पद्धति के माध्यम से संभव है।

योग के सूक्ष्म व्यायाम हल्के होते हुए भी लाभप्रद है।यह शरीर की मांसपेशियों और नस नाड़ियों को लचीला, पुष्ट और बलवान बनाते हैं। जोड़ों का दर्द , गठिया का दर्द आदि को इन सूक्ष्म क्रियाओं से ही दूर किया जा सकता है।अनेक असाध्य रोग जैसे रक्तचाप,स्नायु दुर्बलता गैस, लकवा आदि रोगों में इनका अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। कमजोर व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, हृदय रोगियों के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में पैरों की उंगलियों को मोड़ना, कलाइयों को मोड़ना,गर्दन का व्यायाम आदि सम्मिलित है। विभिन्न योगासन जैसे सूर्यनमस्कार, सर्वागासन, नौकासन इत्यादि और विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं और योग बंध असाध्य रोगों के उपचार में काम आते है।

यौगिक जीवन के तत्वों में आहार बिहार, आचार विचार (सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण) व्यवहार और निंद्रा सम्मिलित है।ध्यान का अभ्यास योग साधना का मूल तत्व माना जाता है।यह व्यक्ति को आत्मबोध की तरफ बढ़ाता है।और उत्कृष्टता तक पहुंचाता है।शरीर शोधन शुद्धिकरण की क्रिया है।यह शरीर में इकट्ठे विशैले तत्वों को बाहर निकालती है।युक्त आहार सेहतमंद जीवन के अनुकूल भोजनऔर खानपान की सही आदतों को बताता है।योग निंद्रा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने की सर्वोत्ताम क्रिया है।यह सब क्रियाएं योग के द्वारा ही संभव हैआज के युग में अर्थ की प्रधानता होने के कारण मानव में सदाचार, न्याय, करुणा ,बंधुत्व, स्नेह- प्रेम और दिव्य भावों को तिलांजलि दे दी है।उसके स्थान पर भ्रष्टाचार ,दुराचार, अनाचार, असत्य और घृणा आदि ने स्थान ले लिया है।समस्त मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं ,कर्तव्य और संबंध लुप्तप्राय हो गए हैं ऐसे विषम कॉल मैं अवसाद सेऊपर उठने के लिए शिथिलीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी है।

योग बेहतर नींद ,पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने,प्रतिरक्षा तंत्र और तंत्रिका प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए,रक्त प्रवाह को अच्छा करने और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में उपयोगी साबित हो रहा है। नियमित रूप से योग करने से शरीर में लचीलापन बना रहता है।और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मजबूत बनता है।उम्र बढ़ती है।और जीवन दीर्घकालीन होता है।योग को अंगीकार करना एक व्यापक लक्ष्य है।इसमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सुधार से लेकर मोक्ष प्राप्ति सब का प्रावधान है।

योग को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इसको सम्मिलित किया गया है।और स्कूली पाठ्यक्रमों में योग को शिक्षा कार्यक्रमों में भी सम्मिलित किया गया है।भारत में आयुष मंत्रालय ने योग प्रशिक्षकों के सर्टिफिकेशन और योग संस्थान व कार्मिक प्रमाणीकरण इकाई को मान्यता देने के लिए योग प्रमाणीकरण बोर्ड का भी निर्माण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है।और योग की महत्ता की वजह से यूनेस्को ने योग को मानवता की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी अंकित किया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों में योग शिक्षकों की नियुक्ति करता है।जिससे स्थानीय छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके वितरण और प्रदर्शन के लिए वह योग के विभिन्न पहलुओं से जुड़े वीडियो, वृत्तचित्र, किताबें, निर्देश पुस्तिका भी उपलब्ध कराता है।देश में सरकार द्वारा योग के क्षेत्र में दो राष्ट्रीय और दो अंतरराष्ट्रीय समेत कुल चार पुरस्कारों का ऐलान किया गया है।भारत में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के लिए योग ओलंपियाड की पहल की है।योग में रिसर्च फैलोशिप प्राप्त करने और व्याख्याता बनने के लिए पहली बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का भी आयोजन किया गया है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग विभाग का गठन किया गया हैयोग से होने वाले लाभ के वैज्ञानिक आकलन के लिए वैश्विक स्तर पर शोध अध्ययनों की एक पूरी श्रृंखला चलाई गई है।

प्राचीन काल में योग क्रियाओं का अभ्यास समग्र और सामान्य आरोग्य तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में योग को रोग के निदान में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में बदलाव के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।योग को एक अतिरिक्त चिकित्सा पद्धति के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।योग आसन या योग मुद्राओं का संयोजन ही नहीं है। बल्कि अपने आप में एक विस्तृत ग्रंथ है। जिसमें जीवन के हर प्रश्न का हल निहित है।योग एक प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिक अनुशासन है। जिसमें तन, मन और प्रकृति के बीच एकात्म भाव स्थापित करते हुए सभी ताकतों के बीच चेतना के स्तर पर संगति और समन्वय बनाया जाता है। योग एक विज्ञान है।और यह स्वास्थ्य कर जीवन जीने का माध्यम है। जो सकारात्मक व्यक्तित्व हासिल करने में सहायक सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. हर्षवर्धन गोस्वामी , 'प्राणायाम', सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011.
2. डॉ. स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज ,'योग जीवन पद्धति', सत्यम पब्लिशिंग हाउस ,नई दिल्ली, 2007.
3. योजना ,जून 2019
4. https://timesofindia.indiatimes.com
5. https://www.yogajournal.com/lifestyle/health
6. https://ncert.nic.in/teÛtbook/pdf/jehp108.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Women's Movement In India: Changing Scenario Of Indian Women Entrepreneurship

Naresh Kumar*

*Assistant Professor (Commerce) NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.) INDIA

Abstract - India is more populated country and women are the half of the country's population. So there are regarded as the better half of the society. Our constitution have the right to women as mela but in real life women are not treated as equal partner both inside outside four walls of the house but the culture of the society is being changed.

We are living in 21st century. Women also have entered into the business Entrepreneurship is traced out as the extension of their kitchen activities mainly to pickles, power and pepped. Women in India plunged into business for different factors.

But there are large problems before the women entrepreneur, like problems of finance, scarcity of raw materials, stiff competition, limited mobility, family ties, Lack of proper education male dominated society Low risk bearing ability etc.

Women in India are no longer on ABLA and remain continue to within four walls of house but they are participating and performing well in all sphere of activities such as academic politics, administration, space and industry.

Some women entrepreneur are playing PepsiCo, Naina Lal Kidwai-Group important role. They are Indra Nooyi, CFO PepsiCo, Naina Lal Kidwai-Group general Manager & Country Head-HSBC India, Kiran Mazumdar Shaw-CMD, Biocon, Chanda Kochar-MD& CEO-ICICI Bank, Indu Jain- Chairperson (Former), Times Group, Simone Tata-Chairperson (Former) Lakme Chairperson (Present) Trent Limited, Neelam Dhawan- MD, HP-India, Priya Paul-Chairperson, Apeejoy Park Hotels, Ekta Kapoor-JMD & Creative Director, Balaji Telefilms, Shahnaz Hussain- CEO, Shahnaz Herbals.

Effort are on government and voluntary agencies level to top the either to unrecognized and unaccounted for strength of women to integrate them in the process of industrial development more specially small scale industry development in the country.

Introduction - Entrepreneur is key factor of entrepreneurship. It is a multi-dimensional task and essentially creative activities. Entrepreneurship is the core of economic development. In Indian women constitute around half of the country's population. This position is also of the world. So they are regarded as the better half of the society. As constitutional manner they are at par with men. As such the Indian women enjoy a disadvantageous status in the society. Women have low literacy rate, low participation rate and low urban population share of women as compared to double of their male counter parts well confirm their disadvantageous position in the society. Our age old socio cultural traditions and taboos arresting the women with in four walls of their houses also make their conditions more disadvantageous. The factors combined serve as non conductive condition for the emergence and development of women entrepreneurship in the country. The emergence of women entrepreneur is a society depend to great extent on the economical social, religious, cultural and psychological factor prevailing in the society.

By the turn of 21st century in India women entry into business is a new phenomenon. Entrepreneurship is traced out as on extension of their kitchen activities mainly to pickle, power and papped,Women in India plunged into business for different factors.

Objective: The objective of this Research are:-

1. To explain the concept of women entrepreneurship.
2. To discuss the functions of women entrepreneurship is small enterprise development.
3. To delineate the growth of women entrepreneurship in the country.
4. To identify the specific problems faced by women entrepreneurship in India.
5. To give an account of development of women entrepreneurship in India.
6. To make an evolution of people's opinion about women entrepreneurship.
7. To determine the possible success factors for women

in such entrepreneurial activities.

Research Methodology: To complete the research work, first statistical datas are collected by both methods. Primary datas are collected through personal contact and interview. Secondary datas collected from different sources i.e. Books, Magazines, published information in news papers, periodic, Govt. Publication etc. Classification and tabulation of datas are done and then conclusion determined.

Hypothesis :

1. Women entrepreneurship in India is in weak position.
2. Women are not interested in entrepreneurship.
3. Govt. do not help to women entrepreneurships.
4. Society does not allow to women to establish and enterprise.
5. Risk bearing power is not found in women.

Concept of Women entrepreneurship: Women entrepreneurs may be defined as a women or group of women who initiate, organize and run a business enterprise. In terms of Schumpeterian concept of innovative entrepreneurs women who innovate, initiate or adopt a business activity are called "Women entrepreneurs the government of India has defined women entrepreneurs based on women participation in equity and employment of a business enterprise. Accordingly a women entrepreneur is defined as "An enterprise owned and controlled by a women having a minimum financial interest giving at least 51 percent of the employment generated in the enterprise to women. However this definition is subject to criticism mainly on the condition of employing more than 50 percent women workers in the enterprise owned and run by the women.

Functions of women entrepreneurs: A women entrepreneurship includes idea generation and screening, determination of objectives project preparation, product analysis, determination of forms of business. Organization, completion of promotional formalities, raising, funds, procuring men machine and materials and operation of business.

There are five functions of a women entrepreneur:

1. Exploration of the prospects of starting a new business enterprise.
2. Undertaking of risk and the handling of economics uncertainties involved in business.
3. Introduction of innovations or initiation of innovations.
4. Co-ordination, administration and control.
5. Supervision and leadership.

Women entrepreneurial functions can be classify into three categories:

Risk-bearing, Organization, Innovations.

Women entrepreneurs playing important role:

1. Indira Nooyi : This brilliant corporate women started her career in boston consulting group. She joined Pepsi company in 1994 she turned the company into a bold risk taken. In 1998 Pepsi acquired Tropicana. In 1997 Pepsi started its own fast food chain. She become the president in 2001. Wall street journal included her name in the top fifty women to watch in 2005.

2. Naila Lal Kidwai : She was the first Indian women to graduate from Harvard business school. According to the economics times she is the first women to head the operation of foreign banks in India. Also she was awarded the Padmashree.

3. Kiran Mazumdar Shaw: She is the chairman & managing Director Biocon Ltd. Who became india's richest women in 2004. Today her company is the biggest Biopharmaceutical firm in the country.

4. Chanda kochar : Chanda did her masters in management studies from jamnalal Bajaj institute of management studies, Mumbai. She has been praised for her excellent business skill, and interestingly she is married to Deepak Kochar, a wind energy entrepreneur and her business schoolmate.

5. Indu Jain: Jain used to be the chair person of india's largest and most powerful media house. The times Group and has been known as a strong votary of women's right and women entrepreneurship, Indu contributed immensely to the growth of Times group. Now her two sons Samir and Vinnet are running the company.

6. Simone Tata : Receiving her education in Switzerland, simone is a French by birth. She is the wife of Naval Homey Jahangir Tata and step mother to Ratan Tata. She is better known as Cosmetic Czarina of India. It would not be wrong to say that it was actually simone who changed a small subsidiary of Tata oil mills into the largest cosmetic brand in the (Lakme).

7. Neelam Dhawan : Managing Director Microsoft India. She is well known figure in IT industry of india.Before joining Microsoft she worked in almost all the top IT companies.

8. Priya Paul : Starting her career at the age of 22 she joined her family business as a marketing manager at the park Hotel, Delhi. After the death of sureendra. Paul, she succeeded him in 1990 as the chairperson of the Hospitality Division of the Apeejay Surendra Group.

9. Ekta Kapoor : Who is popularly known as the, soap queen, creative director of Balaji Telefilms is credited for bringing about a revolution in the Indian small screen industry. She is a rare combination of beauty and brain and a great inspiration for budding entrepreneurs.

10. Shahnaz Hussain : She is another successful women entrepreneur of India. She popularized herbal treatment for beauty and health problems. Her company Shahnaz Hussain Herbals was the largest of its kind in the world and had a strong presence in over hundred countries from the US to Aisa.

Problems of women entrepreneurs :

- **Financial Problem** : Women do not generally have property on their names to use them the banks also consider womanless credit worthy and discourage women borrowers on the belief that they can at any time leave their

business. Thus the women entrepreneurs fail due to the shortage of finance.

- **Raw materials scarcity:** Most of the women entrepreneurs are plagued day the scarcity of raw material.
- **Competition with male entrepreneurs :** Women entrepreneurs do not have organizational set up to pump in a lot of money for canvassing and advertisement thus they have to face a competition completion for marketing their products.
- **Limited of mobility :** Unlike men, women mobility in India is highly limited due to various reasons.
- **Ties with family :** In India a women's duty to look after the children and other members of the family . she is tied with the family.
- **Lack of proper and technical education :** In India 60% of women are still illiterate due to lack of education and that too qualitative education women are not aware of business, technology and market knowledge.
- **Male– dominated society :** In the male dominated Indian society women are not treated equal to men this in turn server as a barrier to women entry into business.
- **Lack of risk bearing ability :** Risk bearing is an essential requisite of a successful entrepreneur but Indian women is less educated and economically not self dependent.

In addition to above problems inadequate infrastructural facilities shortage of power, high cost of production, social attitude low led for achievement and socio-economic constraints also hold the women back from entering into business.

Recent trends of women entrepreneurship : Women in India are no longer on "Abla" and remain confined to within four walls of house. They are participating and performing well in all spheres of activities such as academic, politics, administration, space and industry. Effort are on at government and voluntary agencies levels to tap the hitherto unrecognized for strength of women to integrate tem in the process industrial development more especially small scale industry development in the country.

References :-

1. Entrepreneurial Development : S. Chan & company Ltd., New Delhi - 2007
2. Fundamentals of Entrepreneurship: Dr. C.P. Gupta S.B.P.D. publishing House Agra – 2002

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Rights of Prisoners Under Constitutional Guarantee

Anadi Silawat* Piyush Kamal**

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
** LL.M., MGKVP, Varanasi (U.P.) INDIA

Abstract - The freedom fighters even before India became an independent country came into being, expressed their interest to join attempts towards establishing peace and harmony all over the world ensuring basic Human Rights to all human society.1 The Constitution of India laid down equality, provides right to freedom of speech and expression, peaceful assembly, liberty from arbitrary arrest, protection of life and personal liberty, right against exploitation, freedom of conscience and free profession, practice and preach of religion and educational and cultural rights. It also provided sharp nails to those rights by making them enforceable by direct access to the Honourable Supreme Court of India.

In the comprehension of the Supreme Court, the right to life and liberty includes, right to human dignity, right to privacy, right to bail, right to compensate for custodial death, right to speedy trial, right to free legal aid, right to be prisoner to be treated with dignity and humanity, right of workers to fair wage and human conditions of work, right to security, right to education and right to healthy environment. The Supreme Court of India interpreted Art 21 of the Constitution and shows keen interest on prison reforms. At all the times, the Supreme Court balanced the reformative theory and retributive theory of punishment, i.e., the Apex Court maintaining the severity of punishment wherever necessary and considering the severity of crime and circumstances in which it is committed. The penological view of the Indian judiciary is itself humane.

A prison, jail or correctional centre is a place where individuals are physically arrested or detained and usually kept out of a range of personal freedom. These institutions are an important part of the criminal justice system of a country. There are various types of confining places such as those exclusively for adults, children, female, convicted prisoners, under-trial prisoners, detainees and separate facilities for mentally affected offenders. There are also correctional facilities available in these institutions. The India's penal system is still largely based on laws from colonial times (Penal Code, 1860: Police Act, 1861: Prisoners Act, 1900: Prisons Act, 1894) and where new legislation has been brought into place, there is a scarcity of well-equipped training relating to the new regulations causing gap in its implementation. The Report of the recent Working Group of the UPR (2012) showed the Government's acceptance of recommendations to ratify OPCAT, improve training on human rights and promote women's rights and eradicate discrimination against women. The concept of protection of rights of the people alleged to have committing crime and rights of prisoners in the administration of criminal justice has been continuously keeping on changing towards development over time. The State is duty bound to protect the human rights of its citizens as well as to protect the society at large, and is empowered to do so. To protect the citizens from any possible misuse of this authority, they are given certain basic privileges supported by the Constitution of India as Rights. Revelation of such claims to the status of Rights, gives the citizens the capacity to knock the door of the Judiciary to protect themselves against violation of such rights of them, as well as to seek redressal for their restitution.

Key words: Prisoners, Rights, Protection, Freedom, Communication.

Introduction - Discussing some few instances in the late 1970's, the category of Public Interest Litigation (PIL) has come into being with its own people-friendly procedures. The most important change came in the form of the curtailment of the requirement of locus standi for encouraging proceedings. Since the intent was to improve reach to justice for those who were otherwise too poor to go to the courts or were unaware of their legal entitlements, the Court allowed matters to be brought on their behalf by social activists and lawyers. The need for prison reforms has come into focus during the last few years. The Supreme Court and the High Courts have commented upon the pitiful conditions prevailing inside the prisons, resulting in violation of prisoner's rights. The problem of prison administration has been examined by numerous expert committees set up by the Government of India. The most comprehensive examination was done by the All-India Jail reforms Committee (1980-83), popularly known as the Mulla Committee. The National and the State Human Rights Commission have stated also, in their annual reports, and

drawn attention to the sorrowful conditions in the prisons and urged governments to introduce reforms.

Prisoner's rights have become an important aspect in the agenda of prison reforms. This is essentially due to the recognition of two important principles. Firstly, the prisoners are no longer regarded as a thing, a ward, or a slave of the state, the law would leave at the prison's door and who would be condemned to civil death. It is constantly been recognized that a prisoner does not cease to be a human being just because he has become a prisoner. Secondly, the convicted persons go to prison.6 Prison sentence has to be carried out as per orders of the courts and no extra punishment can be inflicted by the prison authorities without sanction. Prison authorities have to be, therefore, responsible for the manner they exercise their custody over persons in their care, especially as regards their wide discretionary powers. Under the Indian Constitution, the subject of prisons is transferred from central list to state list and is mentioned in the Seventh Schedule. Thus, significance is given to the prisoners for their better maintenance and improvements in prisons. The State governments constituted committees on jail reforms for the protection of prisoner's rights. The Protection of the prisoners is discussed under the Indian Constitution as well as Indian statutes relating to the prisons. The Supreme Court and High Court decisions played a vital role in protection of prisoners' rights. In the first few years, after the Independence great efforts are made for the improvements of living conditions in prisons. For this, number of committees appointed on jail reforms by the State Governments, to meet certain goals of humanization of prison situations.

Critical analysis: The Government of India invited from the United Nations an expert Dr. W. C. Reckless, a U.N. on Correctional Work and he visited India during the years 1951- 52 to study prison administration in the country and to recommend ways and means of improving it. His report Jail Administration in India7 is another important document in the history of prison reforms. He made a plea for transforming prisons into reformation centres and advocated establishment of new reformation homes. He made suggestions on Juvenile delinquents should not be handed over by the courts to the prisons are meant for adult offenders. A cadre of properly trained personnel was essential to man prison services. Specialized training of correctional staff should be introduced. Outdated Prison Manuals be revised time to time and legal substitutes should be introduced for short sentences. Full time Probation and Revising Boards be established for the after-care services and also the establishment of such boards for selection of prisoners for premature release. An integrated Department of Correctional Administration be established in each State comprising of Prisons, Children institutions, probation services, Borstals and after-care Services. An Advisory Board for Correctional Administration should be set up at the Central level to help the State Governments in development of correctional programmes. A union forum is to be created for exchange of professional expertise and experience in the field of correctional centres. A conference of senior staff of correctional departments: should be held periodically at periodical intervals. After that, Dr. W. C. rash. recommendation on jail conditions in India, the central government appointed committee on All India Jail Manual Committee in 1957 to prepare a Standard Model Prison Manual for usage of all state governments and Union territories. This committee studied thoroughly the prison administration problems and to make suitable suggestions for improvements of prison conditions in India. The major and important committee on prison reforms, which the Government of India has constituted All India Committee on Jail Reforms under the chairmanship of Mr. Justice A.N. Mulla in 1980 the committee submitted their report in 1983. This committee went through all dimensions of prison administration and made suitable recommendation respecting various issues involved. Imprisonment and other measures results in cutting-off an offender from the outside world are afflictive by the very fact of taking away from him the light of self-determination.8 Justice A.N.Mulla Committee suggestions were on Prisons reforms for the Development of prisoner rights and for the consideration of Central and State Governments. Justice A.N.Mulla Committee inquired conditions of the prisons, prisoner position in light of law and their living conditions in jails. The Committee visited number of jails in India prepared a report containing suggestions to all spheres of prisons, like legislation amendment in criminal laws, convicted prisoners, Right of undertrial prisoners and prison administration, protection to women prisoners. The committee strongly recommended to the central government to issue directions to the State Governments and Union Territory Governments to take necessary steps to prevent violations of prisoner rights in prison and adopt committee's recommendations for the protection of prisoners and prison administration. This committee's suggestions resulted in the improved protection of prisoners' rights and conditions in jails. The states also has undertaken appropriate steps to prevent torture in prisons and the judiciary also identified the prisoners' basic human rights by interpreting constitutional provisions in their favour.

Justice V.R.Krishna Iyer committee suggested to the central government for the protection of women prisoners, and also the protection of children of the women prisoners who are residing with their mothers in jails. The committee mainly suggested to provide diet to the children of the women prisoners, for the protection measures of women prisoners, construct separate building for them and for guarding them only women jail staff to be appointed. In 1999, a draft Model Prisons Management Bill (The Prison Administration and Treatment of Prisoners Bill- 1998) was circulated to replace the Prison Act 1894 by the Government of India to the respective states. In 2000, the Ministry of Home Affairs, Government of India, appointed a Committee

for the Formulation of a Model Prison Manual would be a properly codified prison manual, in order to improve the Indian prison management and administration. The All India Committee on Jail Reforms, the Supreme Court of India and the Committee of Empowerment of Women all have highlighted the need for a comprehensive revision of the prison laws, but the pace of any change has been sorrowful. The committee was set up by the Ministry of Home Affairs in the Bureau of Police Research and Development for the new prison policy for all the states and union territories. The Supreme Court of India has however expanded the dimensions of prisoner rights jurisprudence through a series of valuable judgments.

Conclusion: The Govt. of India has undertaken necessary steps to prevent, the cruelty on prisoners in prisons by the prison authorities. For it, the Standard Model Prison Manual for all the states and Union Territories for uniform reforms throughout India. The Model Prison Manual Prepared by the Bureau of Police Research and Development under the Ministry of Home Affairs, New Delhi has made number of statutes for the protection of prisoners and their rights violations by the prison authorities and others. Some of the statutes are The Prisons Act, 1984, The Prisoners Act, 1900, The Code of Criminal Procedure, 1973 and The Juvenile Justice Act etc. In India, the framers of the Constitution are very well aware of the significance of the right to life and personal liberty. The rights include those expressly recognized under the various Indian laws governing prisoners, the Supreme Court and High Court decisions as well as those recommended by expert committees. Each category lists the corresponding duties of the prison staff and other officers of the criminal justice system. The broad categories of rights are not exhaustive as this field is still growing.

The Govt. of India has taken various steps on Prison Reforms, constituted number of experts committees on prison conditions and protection of prisoners' rights, including women prisoners. All the States and Union Territories have also framed separate rules and regulations for the administration of prisons, the protection of prisoner rights from violation of their rights. The central government enacted several laws for the protection of prisoner rights and prison administration. The Constitution of India guaranteed certain fundamental rights to the prisoners under Art.21 right to life and personal liberty. The Supreme Court of India identified different rights of prisoners and interpreted them under the constitutional provisions and protection of those rights issued directions to the central and state governments. The prisoners' position after independence has changed from objects to reformation. The State of Andhra Pradesh also enacted the Andhra Pradesh Prison Rules, 1979 for the administration, on daily basis, of prisons and protection of prisoners' rights in prisons. The Committee on Reforms of the Criminal Justice System was constituted by the Government of India, Ministry of Home Affairs by its order dated 24 November 2000, to consider measures for reforming the Criminal Justice System. The Committee was constituted under the Chairmanship of Justice V.S.Malimath, former Chief Justice of Karnataka and Kerala High Courts, Chairman, Central Administrative Tribunal and Member of the Human Rights Commission.

Imprisonment involving denial of freedom of the individual signifies the societal disapproval of the breach of law by him. As such, it cannot be denied that it has some punitive ingredient and the system expects the prisoner to suffer some disabilities including his freedom of movement. Therefore, one cannot say the state of life in prison to be the same as in the free world. Restrictions on freedom are unavoidable. Despite this position, the system cannot discard the fact that a prisoner is also a human being. Basic necessities of a human being should not be refused to him. Public interest in punishing him must be fulfilled. Indeed, it is also in public interest that the individual is treated with respect. So, the law should try to create a balance between these equally competing interests. The present state of affairs in prisons is not in consonance to strike this balance. The pathetic conditions of prisoners are not restricted to India alone. This can be seen everywhere throughout the world.9 Brutality committed on prisoners are rampant everywhere. There is a tendency to degrade and insult prisoners. These people have to live under great disabilities imposed by the society. Under the mantle of discipline there is the senseless infliction of solitary confinement or confiscation of anything that could give semblance of recreation. This makes the prisons unsafe to live in. Amidst such a scenario, the prisoner rights assume significance. Identification of the basic rights, a prisoner can claim during his incarceration is essential at this juncture. Various incidental rights available to prisoners are also to be considered keeping in view the fact that these rights cannot be made available to the prisoners in full as such a situation may defeat the very purpose of imprisonment. The courts have been doing their best to strike a balance between the conflicting interests. It is proposed to examine how much the courts have been successful in identifying and effectuating these rights.

References:-

1. Article I of the Universal Declaration of Human Rights 1948.
2. Jain M.P., Indian Constitutional Law", 5th Edition. Vol. 1, Wadhwa and Company,Nagpur, 2003, p. 1295
3. Upendra Baxi, The Future of Human Rights, p. 5-13. Santosh Mohan Dev. Dynamics of Indian Constitution', Constitution of India- InPrecept and Practice pp. 126-127
4. Prof. SR Bhansali, Constitutional Law D. D. Basu's Human Rights in ConstitutionalLaw, 3rd Edition, 2008
5. Attar Chand, Politics of Human Rights and Civil Liberties - A Global Survey (Delhi:UDH Publishers, 1985). Report of the Indian Jails Committee, p.30, (1919)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

समावेशी विकास का अर्थ, अवधारणा, तत्व एवं चुनौतियाँ

दीपिका त्रिवेदी*

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के लगभग 1.25 अरब नागरिकों को वर्तमान समय में अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक अपेक्षाएँ हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि विगत 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था ने पहले से अधिक तीव्र गति से संवृद्धि हासिल की है तथा साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त है। इस परिघटना ने सभी वर्गो की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया है। इनमें वे वर्ग भी शामिल हैं जिन्हें अभी तक कम लाभ हुआ था। भारतीय अब भविष्य की संभावनाओं के प्रति अधिक आशान्वित हैं। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के विजन डॉक्यूमेंट से यह प्रमाणित होता है कि भारत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसने सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया है जो पहले से अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक संधारणीय है। मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स) के आधार पर भारत का प्रदर्शन वर्ष 2000 और 2005 के क्रमश: 128 वें और 127 वें स्थान से नीचे गिरते हुए वर्ष 2009 और 2011 में 134 स्थान पर पहुंच गया। इस दौरान कुछ मुट्ठी भर लोग आर्थिक संवृद्धि का लाभ उठाकर अरबपति की श्रेणी में प्रवेश कर गए, जबकि करोड़ों लोगों को वंचित एवं अधिकार- विहीन जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। वर्ष 2009 में इतिहास में पहली बार, विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों में चार भारतीयों को स्थान मिला, लेकिन उसी वर्ष विश्व के प्रत्येक दस गरीब लोगों में से तीन भारतीय भी थे। इस प्रकार तीव्र संवृद्धि के साथ-साथ सतत् गरीबी और अधिकार विहीनता जैसी असामान्य घटनाओं का चक्र निरंतर जारी है। हाल के वर्षों में सरकार का ध्यान अतुल्य भारत को बढ़ावा देने से स्थानांतरित होकर समावेशी भारत बनाने की ओर गया है। गरीबी और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने व आर्थिक संवृद्धि को सतत् बनाए रखने के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसकी स्वीकृति में, योजना आयोग ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास को एक सुस्पष्ट लक्ष्य के में सम्मिति किया।

आर्थिक संवृद्धि से गरीबी तभी घटती है, जब वह गरीब लोगों के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी में वृद्धि करती है। जब सार्वजनिक संसाधन मानव विकास में सुधार के लिए लगते हैं में तो हम कह सकते हैं कि तब वास्तव में आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास साथ-साथ चल रहे हैं। जब आर्थिक संवृद्धि में श्रम का अधिक इस्तेमाल होता है और रोजगार का सृजन होता है और जब मानवीय कुशलता और स्वास्थ्य का तेजी से सुधार होता है तब समावेशन होता है।

आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास – आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। सत्तार के दशक के पूर्व आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास को सामान्यतया समान अर्थ में प्रयोग लाया जाता था पर बाद में इनमें भेद स्थापित किया गया। आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया।

आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से सम्बन्धित है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणामात्मक सभी परिवर्तनों से सम्बन्धित है। जहां आर्थिक संवृद्धि परिणामात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित है, आर्थिक विकास परिणामात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से सम्बन्धित है, जहां आर्थिक संवृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जायेगा जबकि जीवन की गुणवत्ता (नंसपजल वसिपमि) में सुधार हो। ऐसा माना जाता है कि प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप में नहीं प्रदर्शित करता है, अत: आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं आदि।

समावेशी विकास का अर्थ –समावेशी विकास, संवृद्धि की गति और पैटर्न दोनों को दर्शाती है। ये दोनों एक-दूसरे से अंत: संबंधित हैं। अत: इन दोनों को एक साथ संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। 'समावेशन' एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समता, अवसर की समानता और बाजार एवं रोजगार में संक्रमणकालीन अवधि में संरक्षण शामिल हैं।

अत: समावेशन किसी भी सफल संवृद्धि रणनीति का एक अनिवार्य घटक है। समावेशी विकास दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को अपनाता है। इसके तहत बहिष्कृत समूहों के लिए आय बढ़ाने के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर उत्पादक रोजगार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। गरीबों पर विभिन्न नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और संवृद्धि हेतु शुरूआती छलाँग लगाने के उद्देश्य से सरकार लघु अवधि में आय वितरण योजनाओं का उपयोग कर सकती है। परन्तु ऐसी हस्तांतरण योजनाएं लंबे समय तक लाभदायी नहीं हो सकतीं।

समावेशन की अवधारणा – समावेशन के कई अर्थ हैं और इसका प्रत्येक

पहलु कुछ नीतिगत चुनौतियाँ खड़ी करता है। ये निम्नलिखित हैं :

गरीबी न्यूनीकरण के रूप में समावेशन –विकास सतत् बनी रहे और गरीबी न्यूनीकरण में प्रभावी भी हो, इस हेतु विकास का समावेशी होना आवश्यक है। वितरण संबंधी चिंताओं को पारम्परिक रूप से गरीबों और सर्वाधिक वंचित वर्गों तक लाभों के पर्याप्त प्रवाह की सुनिश्चितता के रूप में देखा जाता रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि समावेशन के इस पहलु का रिकॉर्ड उत्साहजनक रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आयी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 2004-05 से 2009-10 की अवधि में गरीबी में गिरावट की दर प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत बिंदु 1993-94 और 2004-05 के बीच प्रति वर्ष 0.74 प्रतिशत बिंदु की गिरावट की दर से दोगुनी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आयी है, हालांकि गिरावट की यह दर बहुत धीमी है।

समूहगत समानता के रूप में समावेश–समावेशन का आशय केवल आधिकारिक रूप से तय गरीबी रेखा से नीचे स्थित लोगों को इस स्तर से ऊपर लाना नहीं है। वस्तुत: यह विकास की उस प्रक्रिया से भी सम्बंधित है जिसे हमारे समाज के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों द्वारा 'निष्पक्ष' माना जाए। इसके तहत गरीब निश्चित रूप से एक लक्षित समूह हैं, परन्तु समावेशन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs), अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और अन्य अधिकारविहीन वर्गों जैसे अन्य समूहों की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही समावेशन हेतु महिलाओं को भी एक वंचित समूह के रूप में देखा जा सकता है।

समूह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समावेशन के तहत गरीबी न्यूनीकरण के अलावा समग्र जनसंख्या के सापेक्ष किसी समूह की प्रस्थिति पर विचार करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और सामान्य जनसंख्या के बीच की खाई को कम करना, समावेशन की किसी भी उचित परिभाषा का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार यह गरीबी, या असमानता संबंधी चिंताओं से काफी भिन्न है । उदाहरण के लिए, यह संभव है कि गरीबी उन्मूलन संबंधी रणनीतियों के चलते SCs और STs जनसंख्या के बीच गरीबी कम हो जाए, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह इन वर्गों एवं सामान्य जनसंख्या के मध्य व्याप्त आय अंतराल को भी कम कर सकें।

क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशन –समावेशन का एक अन्य पहलू यह है कि विकास प्रक्रिया राज्यों तथा सभी क्षेत्रों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। हाल में समावेशन के क्षेत्रीय आयाम को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। परिणामस्वरूप पहले के पिछड़े राज्यों में से कई राज्यों में संवृद्धि के स्तर पर उल्लेखनीय सुधार देखे जा रहे हैं और राज्यों के बीच संवृद्धि दर में विद्यमान अंतराल भी कम हुए हैं। हालांकि, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य तथा अन्य राज्य दोनों अपने-अपने पिछड़े क्षेत्रों या उन जिलों को लेकर चिंतित हैं, जो अन्य क्षेत्रों/जिलों में जीवन स्तर में हुए सुधारों का अनुभव नहीं कर पाये हैं। इनमें से अधिकांश जिलों की परिस्थितियाँ विशिष्ट हैं, जैसे-वन्य क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का उच्च संकेन्द्रण अथवा शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की उपस्थिति। साथ ही कुछ जिले वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित हैं, जिसके चलते विकास संबंधी कार्य अधिक कठिन हो जाते हैं।

समावेशन और असमानता–समावेशन से आशय आय असमानता पर अधिक ध्यान देने से भी है। वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में अधिकांश औद्योगिक देशों में असमानता का एक नवीन पहलु नजर आया। इस दौरान यह देखा गया कि ऐसे अधिकांश देशों के टॉप (सबसे अमीर) 1 प्रतिशत लोगों के पास आय का चरम संकेंद्रण हुआ है। भारत में भी कुछ ऐसे ही लक्षण दिखायी पड़ते हैं और यह चिंता सार्वजनिक विमर्श में परिलक्षित भी हुई है। हालांकि तीव्र संवृद्धि और परिवर्तन के दौरान एक विकासशील देश में असमानता में थोड़ी वृद्धि अपरिहार्य है और इसे सहन भी किया जा सकता है, बशर्ते यह कालांतर में गरीबों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करे। परन्तु गरीबों के जीवन स्तर में कम या नगण्य सुधार की स्थिति में असमानता में वृद्धि सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है।

सशक्तिकरण के रूप में समावेशन– समावेशन का उद्देश्य केवल लाभों या आर्थिक अवसरों का व्यापक प्रवाह सुनिश्चित करना ही नहीं है अपितु यह सशक्तिकरण तथा भागीदारी से भी संबंधित है। यह लोकतंत्र की सफलता है कि लोग अब सरकार द्वारा लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने को तैयार नहीं हैं। व लाभों और अवसरों की मांग अपने अधिकारों के रूप में कर रहे हैं। इसके साथ ही अब लोग प्रशासित होने के तरीकों के संदर्भ में भी अपना मत रखना चाहते हैं।

समावेशन – समावेशन की दृष्टि से प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि समावेशन एक बहु-आयामीय अवधारणा है। समावेशी विकास से गरीबी के भार में कमी आनी चाहिए, स्वास्थ्य परिणामों में व्यापक आधारित और महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए। साथ ही स्कूल तक बच्चों की सर्वसुलभ पहुंच स्थापित कक्षा की अधिक सुलभता और षिक्षा के सुधरे स्तर दक्षता विकास आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिये। मजदुरी रोजगार और आजीविकाओं, दोनों में बेहतर अवसरों और पानी, बिजली, सड़कें, सफाई और आवासन जैसे बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार परिलक्षित होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की जरूरतों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों की संख्या हमारी आबादी की 70 प्रतिशत है तथा कई क्षेत्रकों में संगत स्कीमों तक इनकी पहुंच के लिए ये विशेष ध्यान देने के पात्र हैं। अल्पसंख्यकों व अन्य पिछड़े समूहों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी दिशाओं में समावेशन प्राप्त करने के लिए अनेक उपायों की आवश्यकता है और सफलता न केवल नई नीतियों और सरकारी कार्यक्रम लागू करने पर बल्कि संस्थागत और अभिवृत्तिमूलक परिवर्तनों पर निर्भर करती है जिसमें समय लगता है। ग्यारहवीं योजना के दौरान समावेशन पर बल देने का एक महत्वपूर्ण परिणाम समावेशिता के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूकता और लोगों के बीच सशक्तीकरण है।

आजकल अधिकारों और हकदारियों के बारे में सूचना प्राप्त करने की अधिक इच्छा जिसे कानून और नीति द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालियों से जवाबदेही की मांग करने की उत्कंठा है। यह विषय के लिए एक अच्छी बात है। वस्तुत: समावेशन के उपरोक्त पहलु से प्रत्येक प्रासंगिक है तथा जनता का ध्यान प्राय: एक या दूसरे पहलु पर केंद्रित होता है। भारत का लक्ष्य इन पहलुओं में से प्रत्येक के मामले में निरंतर प्रगति होना चाहिए। हाल के कुछ वर्षों में तीव्र संवृद्धि ने अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट लाभ प्रदान किये हैं। इस प्रकार सृजित समृद्धि को देखकर जनसंख्या के सभी वर्गों की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप सभी वर्गों द्वारा

संवृद्धि के लाभों में हिस्सेदारी की मांग की जा रही हैं।

समावेशी विकास के तत्व: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनुसार समावेशी विकास रणनीति के मूल अवयवों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. ग्रामीण अवसंरचना और कृषि क्षेत्र के निवेश में तीव्र वृद्धि,
2. किसानों के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि,
3. एक अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा संजाल के माध्यम से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि तथा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर सार्वजनिक ों में तीव्र वृद्धि।

समावेशी विकास के संदर्भ में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां।

इनसे निम्नलिखित संकेतक यह दर्शाते हैं कि समावेशी विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कहाँ तक सफल हुई है:

- GDP वृद्धि दर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) में GDP की संवृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत रही। यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) के 7.6 प्रतिशत तथा नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के 5.7 प्रतिशत से अधिक थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 7.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर, उस अवधि में दो वैश्विक वित्तीय संकट झेलने वाले किसी भी अन्य देश की संवृद्धि दर की तुलना में अधिक थी ।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि GDP में 3.7 प्रतिशत की औसत दर से तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई। यह दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2.4 प्रतिशत तथा नवीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 प्रतिशत थी ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में 2004-05 से 2009-10 की अवधि में प्रति वर्ष लगभग 1.5 प्रतिशत बिंदु की दर से कमी आयी। यह 1993-94 से 2004-05 की अवधि में आयी कमी की तुलना में दोगुनी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग में वृद्धि दर 2004-05 से 2011-12 की अवधि में 3.4 प्रतिशत थी, जो कि 1993-94 से 2004-05 की पूर्व अवधि से चार गुना अधिक थी। प्रतिशत हो गई थी।
- बेरोजगारी दर 2004-05 की 8.2 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 6.6 प्रतिशत हो गई। जबकि इससे पूर्व यह 1993-94 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 8.2 व्यापक पैमाने पर सरकार की ग्रामीण नीतियों और पहलों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी दर पूर्व दशक की प्रति वर्ष औसत 1.1 प्रतिशत की दर से बढकर ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12) वर्ष 6.8 प्रतिशत हो गई। कुल प्रतिरक्षण (immunization) दर में 1998-99 और 2002-04 के मध्य प्रति वर्ष 1.7 प्रतिशत बिंदु गिरावट की तुलना में 2002-04 और 2007-08 के मध्य प्रति वर्ष 2.1 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि हुई। इसी प्रकार संस्थागत प्रसव के मामले में 1998-99 और 2002-04 के मध्य प्रति वर्ष 1.3 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि 2002-04 और 2007-08 के मध्य प्रति वर्ष 1.6 प्रतिशत बिंदु की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।
- प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सकल नामांकन दर 2009-10 में बढ़कर 98.3 प्रतिशत हो गई। स्कूल छोड़ने की दर (कक्षा 8) में भी सुधार देखने को मिला।

समावेशी विकास के एक उपकरण के रूप में मनरेगा का मूल्यांकन

मनरेगा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी। जहाँ एक ओर गरीबी को कम करने तथा सूखे के दौरान उत्पन्न होने वाले गंभीर संकट को रोकने में इसकी उपलब्धियों की सराहना की गयी, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के विरुद्ध लोगों की कुछ शिकायतें भी थीं। इन शिकायतों का मुख्य आधार यह था कि यह एक निर्वाह दान है, जिस पर किया जाने वाला अत्यधिक व्यय अन्य उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता था। साथ ही इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इससे कृषि एवं विनिर्माण श्रम अत्यधिक महंगे हो गये हैं। वस्तुत: यह विचार कि बढ़ती मजदूरी अपने आप में एक समस्या है, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि केवल यही एक तन्त्र है जिसके माध्यम से भूमिहीन कृषि श्रमिक आर्थिक संवृद्धि से लाभ ले सकते हैं। यदि बढ़ती मजदूरी कृषि क्षेत्रक के लाभप्रदता को संकुचित करती है, तो इसका समाधान उच्च मजदूरी को समायोजित करने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में निहित है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (नेशनल सैंपल सर्वे) मनरेगा के पश्चात् लोक निर्माण कार्यों में रोजगार में हुई आठ गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण मजदूरी उपार्जन और गरीबी पर इसका प्रभाव पूर्व की सभी ग्रामीण रोजगार योजनाओं की तुलना में अत्यधिक है, हालांकि यह कम प्रशंसनीय इसलिए है कि कुल केन्द्रीय ० में कमी कर इस रोजगार योजना पर होने वाले व्यय वृद्धि की गई है। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि सभी आलोचनाओं के परे, एक वैधानिक अधिकार के रूप में रोजगार की प्राप्ति के प्रावधान से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किये जाने वाले ० से लक्षित लाभार्थियों के हिस्से में व्यापक सुधार देखने को मिला है।

भारत में समावेशी विकास की चुनौतियां –भारत समूचे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व दर से होने वाली संवृद्धि तथा समृद्ध लोकतंत्र वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व में लोगों को हमारे विषय में विचार को बाध्य कर रही है। परन्तु यह अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से अभी काफी दूर है। सभी क्षेत्रों में विकास समरूप नहीं हैं और आबादी का बहुत बड़ा अंश इसकी परिधि से बाहर है। संवृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने तथा साथ ही साथ इस संवृद्धि को समावेशी बनाने के लिए विविध सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारकों से निपटने की आवश्यकता हैं। भारत में समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- देश भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, आयु संबंधी सामाजिक बाधाओं तथा पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित है।
- बाल श्रम का उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, जातिगत बाधाओं का निवारण तथा कार्य संस्कृति में सुधार विभिन्न सामाजिक चुनौतियां हैं इनमे निपटने के लिए भारतीय समाज को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है।

उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटना, निर्वाचन प्रणाली की बुराइयों का निराकरण, आन्दोलनों की राजनीति को त्यागना तथा राष्ट्रीय हित को संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखना देश के नीति निर्माताओं के प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्र संवृद्धि, सुनियोजित एवं लक्षित शहरी विकास, अवसंरचना में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, भविष्य की उर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना तथा एक स्वस्थ सार्वजनिक–निजी भागीदारी वस्तुत: तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास के मुद्दे से निपटने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं।

- समावेशिता की सुरक्षा के लिए राजनीतिक प्रयोजन, समाज के सभी वर्गों को संवृद्धि में समान हितधारक बनाना तथा सबसे ऊपर सुशासन समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष –वस्तुत: तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण तथा एकीकृत समाधान की आवश्यकता है। देश के लगभग 1.25 अरब लोगों लिए एक समावेशी भारत के निर्माण का कार्य इतना व्यापक और जटिल है कि यह सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा अलगाव में रह कर कार्य करने से सम्पन्न नहीं होगा। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास को केवल प्राथमिकता के रूप में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रत्येक उद्यम के लिए समान रूप से एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

वर्तमान में भारत के लिए 'समावेशन' व्यक्तियों तथा उद्यमों में लोकप्रिय एक प्रचलित शब्द मात्र नहीं है अपितु यह व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी उद्यमों तथा सरकार द्वारा विकास की परिकल्पना तथा संचालन हेतु अनिवार्य है। अत: आवश्यक है कि प्रत्येक स्वरूप में समावेशन की प्राप्ति हेतु संगठित कार्रवाई की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जयराज डी और एस सुब्रमण्यन (2010) : भारत वेफ उपभोग व्यय ग्रोथ पर अंतर–समूह समग्रता XLVII (10), पृष्ठ सं. 65–70.
2. मोतीराम एस और वेफ नारापराजू (2015) : भारत में वृद्धि और अभाव : समग्रता पर हालिया साक्ष्य का क्या मत है? ऑक्सपफोर्ड डिवेलपमेंट स्टडीज 43 (2), पृष्ठ सं 145–164.
3. योजना आयोग (2011) : तेज, सतत और ज्यादा समग्र विकास : बारहवीं पंचवर्षीय योजना का नारिया भारत सरकार, दिल्ली
4. योजना आयोग (2013) : गरीबी वेफ अनुमान पर प्रेस नोट, 2011–12 भारत सरकार
5. सुब्रमण्यन एस (2014) : गेटिंग द पोवर्टी लाइन अगेन एंड अगेन आर्थिक और सामाजिक साप्ताहिक,XLIX (47), पृष्ठ सं. 66–70.
6. एमएच सूर्यनारायण और एम दास (2014): भारत की Reform(ed) विकास कितनी समग्र है? आर्थिक और सामाजिक साप्ताहिक, XLIX (6), पृष्ठ सं. 44–52
7. थोराट एस और दूबे (2012) : 1993–94 से 2009–10 तक क्या सामाजिक विकास समग्र रही है? 10 XLVII (10), पृष्ठ सं. 43–54

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

G-20 and India's Presidency

Dr. Archana Singhal*

***Assistant Professor (Economics) D.A.V. (P. G) Collage, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Introduction - December 1st, 2022 is a momentous day as India assumed the presidency of the G20 forum, taking over from Indonesia. As the largest democracy in the world, and the fastest growing economy, India's G20 presidency will play a crucial role in building upon the significant achievements of the previous 17 presidencies.

As it takes the G20 Presidency, India is on a mission to bring about a shared global future for all through the Amrit Kaal initiative with a focus on the LiFE movement which aims to promote environmentally-conscious practices and a sustainable way of living. With a clear plan and a development-oriented approach, India aims to promote a rules-based order, peace and just growth for all. The 200+ events planned in the run up to the 2023 Summit will strengthen India's agenda and the six thematic priorities of India's G20 presidency.

The G20 group of 19 countries and the EU was established in 1999 as a platform for Finance Ministers and Central Bank Governors to discuss international economic and financial issues. Together, the G20 countries account for almost two-thirds of the global population, 75% of global trade, and 85% of the world's GDP. In the wake of the global financial and economic crisis of 2007, the G20 was elevated to the level of Heads of State/Government and was named the "premier forum for international economic cooperation." The G20 has two main tracks of engagement: the Finance Track for finance ministers and central bank governors and the Sherpa Track. The G20's proceedings are led by the Sherpas, who are appointed as personal envoys of the leaders of member nations.These Sherpas are responsible for overseeing the negotiations that occur throughout the year, deliberating on the agenda for the summit and coordinating the substantive work of the G20. Both tracks have working groups to address specific themes with representatives from relevant parties.

Working groups this year will focus on global priority areas such as green development, climate finance, inclusive growth, digital economy, public infrastructure, technology transformation, and reforms for women empowerment for socio-economic progress. All these steps are taken to accelerate progress towards the Sustainable Development Goals and secure a better future for the generations to come.

Objectives:

1. Policy coordination between its members in order to achieve global economic stability, sustainable growth;
2. To promote financial regulations that reduce risks and prevent future financial crises; and
3. To create a new international financial architecture.

Members & guests:

Members:

1. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Japan, India, Indonesia, Italy, Mexico, Russia, South Africa, Saudi Arabia, South Korea, Turkey, the United Kingdom, the United States, and the European Union.
2. Spain is also invited as a permanent guest.

Others:

1. Each year, the Presidency invites guest countries, which take full part in the G20 exercise. Several international and regional organizations also participate, granting the forum an even broader representation.

- **Together, the G20 countries include:**

1. 60 percent of the world's population,
2. 80 percent of global GDP, and
3. 75 percent of global trade.

- **Presidency of G20 & Troika:**

1. The presidency of the G20 rotates every year among

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

members.

The country holding the presidency, together with the previous and next presidency-holder, forms the '**Troika**' to ensure continuity of the G20 agenda.

G20 India Presidency: India's G20 logo juxtaposes planet Earth with the lotus, India's national flower and the theme is 'VasudhaivaKutumbakam' or 'One Earth-One Family-One Future'.

1. The G20 Logo draws inspiration from the vibrant colours of India's national flag – saffron, white and green, and blue.
2. The Earth reflects India's pro-planet approach to life, one in perfect harmony with nature.
3. The theme also spotlights LiFE (Lifestyle for Environment), with its associated, environmentally sustainable and responsible choices, both at the level of individual lifestyles as well as national development, leading to globally transformative actions resulting in a cleaner, greener and bluer future.
4. For India, the G20 Presidency also marks the beginning of "Amrit Kaal", the 25-year period beginning from the 75th anniversary of its independence on 15 August 2022, leading up to the centenary of its independence, towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society, distinguished by a human-centric approach at its core.

Image Source: pmindia.gov

5. Indian Presidency in 2023
6. The G20 Presidency for 2023 will pass to India. India will take over the G20 Presidency on December 1st, 2022.
7. India will host nearly 200 meetings in 32 different sectors at various places all over the nation while it holds the G20 presidency.
8. G20 Theme: "Vasudhaiva Kutumba-Kam," or "One Earth, One Family, One Future," is the focus of India's G20 Presidency.
9. India will work to ensure that there is "just one world," not a "first world or third world."
10. The G20 Theme embodies India's efforts to realise its vision of uniting the entire world in pursuit of a common goal and a better future.
11. The importance of India holding the 2023 Summit is given below:
12. India's G20 Presidency is a special opportunity for India to contribute to the global agenda on urgent issues of global significance.
13. The first step toward a new world order for the post-Covid age was to build an international agreement on reforming multilateral organisations like the UN.
14. It is an opportunity to take on the role of Global South leader.
15. The increasing importance of G20 in a world where issues like global warming, the COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine are pressing issues.

India's G20 priorities:

1. India has identified a wide array of cutting-edge priorities that are being deliberated by various G20 working groups, to help address the key challenges we face and to plan for a better future. Let me highlight three of them.
2. The first agenda relates to financing tomorrow's cities and establishing them as the foremost engines of economic growth. While cities generate over 80% of global gross domestic product, unplanned and rapid urbanization constrain their economic potential. It is estimated that by 2050, nearly twice as many people will live in cities. To sustain their economic potential, cities need to become more livable through upgraded infrastructure and services, such as reliable water, transport, power, waste management, and affordable housing.
3. Cities must also be nurtured as hubs for entrepreneurship, jobs, and skill development. This requires massive investments in smart, sustainable, and resilient urban infrastructure. Globally, roughly $5.5 trillion needs to be invested in urban infrastructure annually over the next 15 years. The private sector is an important partner in these needed investments. The G20 platform could be used to mobilize international support to bridge this financing need.
4. The second agenda where India can lead the way is in energy transition. Enabling an orderly and just transition from carbon-intensive energy to renewable energy would not only help combat climate change, but also help bolster energy security, raise economic productivity and create jobs, improve environmental outcomes, and prune health costs. In other words, decarbonization is development.
5. Today, India is the world's third-largest producer of renewable energy, with further expansion underway. India's success in scaling up solar energy, along with recently announced programs such as the National Hydrogen Mission, Production-Linked Incentives for electric vehicles and the manufacture of solar technologies and battery energy storage, and incentive mechanisms for supporting offshore wind, all allow the country to lead by example and drive global collaboration to reduce the cost of achieving net-zero emission.
6. India has made efforts for the G20 to focus on the need to expand and diversify critical minerals and renewable energy supply chains for economies to

secure uninterrupted and affordable access to renewable energy and energy storage, both prerequisites for the overall transition to net-zero emission.

7. The third agenda relates to health care. The COVID-19 pandemic highlighted the compelling need for a united global approach to fortify health systems to effectively address emerging health crises. India's G20 Presidency is a medium of change towards more resilient, responsive, and sustainable health systems and to advance previously established G20 pandemic preparedness efforts.
8. G20 can help shape a global health agenda focused on ensuring universal, affordable, and quality health services. Giving priority to enhancing health emergency prevention and preparedness (with focus on One Health and linkages between climate change and health), strengthening cooperation in the pharmaceutical sector, and leveraging digital health innovations and solutions to aid universal health coverage, is critical. India can lend its experience in framing a successful national digital health architecture through supportive regulatory environment, private-public partnerships, and digital health interventions such as CoWIN and National Digital Health Mission.

Conclusion: India, at the G20 summit, has very clearly articulated its vision by stating that, "Without peace and security, our future generations will not be able to benefit from economic growth and technological innovation."[6] As an established global leader now, the promise PM Modi makes for an action-oriented and ambitious presidency will be closely watched, not only by the members of the G20 but also by international institutions like the UN, think tanks, diplomats across the world, and more importantly, by the neighbouring countries of the Indian Ocean Region (IOR). India has already taken the lead in some aspects, particularly in technology with digital public goods and its governance, self-reliance or Aatma Nirbhar, vaccine diplomacy, and asserting its firmness on various geopolitical issues. Therefore, the stage is set now for India to take the lead and work towards global peace, rule-based governance and growth for all on the world canvas.

References:-

1. Big Data – Uniquely India. G20.mygov.in. (n.d.). Retrieved December 21, 2022,
2. Chinoy, S. R. (2022, December 2). India's G20 presidency: Setting the world agenda. The Indian Express. Retrieved December 21, 2022,
3. Chinoy, S. R. (2022, November 9). SujanChinoy writes: During its G20 presidency, India can be a voice for developing world. The Indian Express. Retrieved December 21, 2022,
4. DWG talks under India's G20 presidency conclude. The Indian Express. (2022, December 15). Retrieved December 21, 2022,
5. India's G20 presidency: Delhi's opportunity. The Indian Express. (2022, December 2). Retrieved December 21, 2022,
6. Mohan, C. R. (2022, December 6). India's G20 presidency: Championing the global south. The Indian Express. Retrieved December 21, 2022

****

वर्तमान परिपेक्ष्य में पर्यावरण और पर्यटन विकास के नये आयामों का विवेचनात्मक अध्ययन

नीलम खासकलम*

* वरिष्ठ व्याख्याता, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट इन्दिरा गांधी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नई सहस्त्राब्दि के आगमन के साथ, पृथ्वी के परिमित परस्पर सम्बद्धता व अनमोल स्वरूप के प्रति मानवीय जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसी जागरूकता की अभिव्यक्ति के प्रतिरूप में पर्यटन लोकप्रिय होता जा रहा है। पर्यटन के विकास के साथ समूची दुनिया के सामने पर्यावरण संकट खड़ा हो गया है। अनियंत्रित पर्यटन ने परिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पर्यटन उद्योग के विकास और उससे भी अधिक प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से परिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देना वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। उत्तरदायी पर्यटन भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पतन पर रोक लगाता है। उत्तरदायी पर्यटन में पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है। उत्तरदायी पर्यटक पर्यावरण पर पारस्परिक पर्यटन के नकारात्मक पहलुओं को कम करते है और स्थानीय निवासियों की सांस्कृतिक अखंडता को बढाते है। इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को प्रबल करता है। ऐसा पर्यटन जिसके अर्न्तगत अतीत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, वर्तमान की अदभुत प्राकृतिक जैव विविधिता तथा प्राकृतिक छटा के मिले जुले स्वरूप का अनुभव करने हेतु यात्रा की जाती है उसे इको टूरिज्म कहा जाता है। इसमें स्थानीय वन्य जीव पर्यावरण और स्थानीय निवासियों को संरक्षित रखा जाए एवं उन्हें लाभ पहुंचे। पारिस्थिति पर्यटन अथवा ईको टूरिज्म, प्रकृति पर्यटन अथवा नेचर टूरिज्म, वैकल्पिक पर्यटन अथवा अल्टरनेटिव टूरिज्म, हरित पर्यटन अथवा ग्रीन टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म इत्यादि नए विश्लेषण युक्त पर्यटन आज इस व्यवसाय के शब्दावली से जुड़ चुके हैं। ऊपर वर्णित पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का मूल दर्शन प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय विशेषताओं का संरक्षण ही है। अत: पर्यटन के इन वैकल्पिक प्रकारों के नव पर्यटन का ध्येय यह है कि इन क्षेत्रों को बिना हानि पहुंचाये भविष्य के लिये आने वाली पीढ़ी के लिये सुरक्षित रखा जाये।

शब्द कुंजी – पर्यटन उद्योग, पारिस्थितिकी, उत्तरदायी पर्यटन, इको टूरिज्म।

प्रस्तावना – विश्व के बदलते परिवेश में पर्यटन का महत्व बढ़ता जा रहा है। विश्व मानचित्र पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि 19 वीं शताब्दी में आर्थिक साधन के रूप में पर्यटन विकसित विकसित हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी व यातायात साधनों के उदभव ने इसे तीव्रता से विकसित किया है। पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है और पर्यावरण पर्यटन इस उद्योग का सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला हिस्सा है। आज विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर आधारित है। कोस्टारिका व ब्राजील जैसे देशों में यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सबसे बड़ा स्त्रोत है। वर्तमान समय में अन्तदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटन का तीव्र गति से विकास हो रहा है। पर्यटन कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर लोकजन यात्रा और देश विदेश के विभिन्न भागों के भ्रमण से जुड़े सभी प्रक्रमों एवं सम्बन्धों को निरूपित करता है। पर्यटन उद्योग में समस्त व्यापार और उद्योग सम्मिलित है जो यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य समझते है।

इस उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलत मुख्य व्यवसायों में होटल, परिवहन, भोजन, भवन निर्माण संस्थायें, बैंक, बीमा, डाक, मनोरंजन, फुटकर दुकान, उपहार विक्रेता, हस्तशिल्पकार, केश श्रृंगार, गृह ब्यूटी पार्लर, लाउण्ड्रीन, टिकट संग्रह, बागवानी, नौकायान शामिल है।

इस प्रकार पर्यटन एक सामाजिक आर्थिक संवृत्ति है। यह वर्तमान वैश्वीकरण के भौतिक युग की महत्वपूर्ण आर्थिक शाखा है। इसलिये पर्यटन एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो आपसी सदभावना तथा आर्थिक लाभ प्रदान के उत्तरोत्तर विकास ने विश्व के पर्यावरणविदों को पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता को संबंध में चिंतित कर रखा है। जहाँ अनियंत्रणीय पर्यटन ने पर्यावरण जैवविविधता व पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं अतिनिर्माण कार्य के दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे है। इन दुष्परिणाम का नियंत्रण अनिवार्य है ताकि पारिस्थिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। इसके लिए पर्यटको को उत्तरदायी पर्यटन हेतु जागरूक करना चाहिए।

पारिस्थितिकी – अंग्रेजी शब्द इकॉलोजी ग्रीक भाषा के ओइकस (आवास) तथा लॉगस का संयुक्त रूप है। ओइकस (आवास) तथा लॉगस (अध्ययन) में जीवों का मूल आवास में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में जीवों एवं वनस्पतियो के आपसी संबंध तथा उन पर पर्यावरण के प्रभाव को पारिस्थितिकी कहा जाता है। वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारको के अन्तसंबंधों से बना तंत्र ही इकोसिस्टम हैं।

1980 के दशक से पर्यावरणीयवादियों द्वारा पारिस्थितिकता को महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। पारिस्थितिकता का एक अभिन्न अंग रिसाइक्लिंग, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और स्थानीय समुदायो के लिए आर्थिक अवसरों का निर्माण है। इन कारणों से पारिस्थितिकी अवसर पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के समर्थको के लिए अपील करता है।

उत्तरदायी पर्यटन – पर्यटन के नए स्वरूपों में उत्तरदायी पर्यटन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार के पर्यटन में पर्यटक अपने द्धारा चुने गए भ्रमण स्थल का विशेष ध्यान रखता है। स्थानीय लोगों की भागीदारी पर्यटन प्रबंध नीति निर्धारण एवं व्यवसाय के हर एक स्तर पर होती है। पर्यटन व्यवसाय की दर सीमा तथा आयाम का निर्धारण स्थानीय लोग ही करते हैं। पर्यटको को पर्यटन स्थल पर पहुंचने के पूर्व उस स्थान की जानकारी दी जाती है। पर्यटको को दी जाने वाली जानकारी के स्थान विशेष का इतिहास भूगोल सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति का प्रमुख विवरण होता है। इस पर्यटन के पूर्व कार्यशाला का आयोजन करके ऐसी जानकारियां दी जाती है। अमेरिका के मेन्डेनहाल ग्लेशियर जाने के पूर्व सैलानियो को इस प्रकार की कार्यशाला में हिस्सा लेना अनिवार्य होता है। भारत मे भी गंगोत्री एवं यमुनोत्री का भ्रमण करने के पूर्व तत्संबंधित जानकारियाँ देने का प्रावधान शुरू हुआ है।

उत्तरदायी पर्यटन लोगों की पारस्परिक समझ में अभिवृद्धि करता है जिससे पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक हास के साथ मानवीय मूल्यों के हास पर रोक लगती है। इस पर्यटन द्धारा पर्यटन से उत्पन्न समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। उत्तरदायी पर्यटन का लक्ष्य पर्यावरण मूल्यों और शिष्टाचार को प्रोत्साहित करना तथा निर्बाध रूप में प्रकृति का संरक्षण करना हैं। स्थानीय लोगों को भागीदारी आर्थिक लाभ सुनिश्चित करती है। पर्यटन स्थानीय समुदाय तथा सरकार के मध्य विचारों का आदान प्रदान एवं सम्मिलित सहयोग से योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन उत्तरदायी पर्यटन को सफल बना सकता है। जब क्षेत्र में परिस्थितियाँ जैसे व्यवहार्यता, स्थानीय स्तर पर प्रबंध और पर्यावरण पर्यटन विकास तथा संरक्षण के बीच स्पष्ट एवं नियंत्रित संपर्क सही हो तो सुनियोजित एवं व्यवस्थित पर्यावरण पर्यटन दीर्घाविध जैव–विविधता संरक्षण के सर्वाधिक कारगर, उपकरणों में एक सिद्ध होता हैं। अधिकांश शैक्षणिक पर्यटन, परियोजना संबंधी पर्यटन एवं वैज्ञानिक खोज संबंधी पर्यटन उत्तरदायी पर्यटन के विशिष्ट दायरे में आते हैं।

सॉफ्ट टूरिज्म – 1980 के दशक की शुरूआत में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में सॉफ्ट टूरिज्म की मान्यमा मिली। यह विकासशील देशों में अपनाया जाने वाला वैकल्पिक पर्यटन का हिस्सा हैं। इसमें पर्यावरणीय मामलों पर अधिक बल दिया जाता है। कमीशन फॉर इन्टरनेशनल प्रोटेक्शन रेगुलेशन अल्पाइन (सीआरपीएफ 1984) के अनुसार, सॉफ्ट टूरिज्म को आम तौर पर 'पर्यटन के एक रूप' में परिभाषित किया जा सकता है। इस पर्यटन में पर्यटन एवं स्थानीय समुदाय के बेहतर तालमेल एवं एक दूसरे के हितों की रक्षा करने पर विशेष बल दिया जाता है। पर्यटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यटन स्थल के प्रति संवेदनशील हो तथा उसे मात्र उपभोक्ता वस्तु न समझे। साथ ही वहाँ के मूल निवासियों के प्रति उनका दृष्टिकोण दोस्ताना होना चाहिए। पर्यटन के दौरान स्थानीय लोगों के द्धारा व्यवस्थित विश्रामालयों में ठहर कर स्थानीय हस्ताशिल्प की वस्तुऍ खरीदकर एवं स्थानीय व्यंजनों को खाकर स्थानीय लोगों की आधिक मदद की जा सकती है। स्थानीय लोगों का भी दायित्व है कि पर्यटन के लिए उपयोगी वस्तुऍ एवं सेवाओं का उचित मूल्य की व्यवस्था करके व्यवसाय को उन्नत करने में योगदान करें।

ईको टूरित्म – ईको टूरिज्म शब्द का उपयोग सन् 1983 ई. में सर्वप्रथम कौस्टारिका देश के एक पर्यटन प्रबंधक ने किया था। इसका उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया गया था। सन् 1987 में मैकिसको से प्रकाशित पर्यटन संबंधी पत्रिका में हेक्अर से बैलोस लैस्कूरियन की विस्तार से व्याख्या की लेखक के अनुसार ऐसा पर्यटन जो अपेक्षाकृत भीड़ वाले स्थान से दूर हो तथा जिसका उद्देश्य उस स्थान पर उपलब्ध विशिष्ठ पेड़–पौधे, जन्तुओं, संस्कृति के लिए किया जाता हो उसे ईको टूरिज्म कहते हैं। इस पर्यटन के दौरान व्यक्ति अपने आस्तित्व को प्रकृति में इस प्रकार समाहित कर देता है जो कि शहरी जीवन में नितान्त कठिन होता हैं। पर्यटन प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो जाता हैं।

ईको टूरिज्म पर्यटन का वह स्वरूप है, जिसमें किसी स्थान विशेष के प्राकृतिक इतिहास के साथ–साथ वहाँ की मौलिक संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता हैं। पर्यटक विशेष तौर पर ऐसे स्थान पर भ्रमण करता है जिसका पूर्ण विकास नही हुआ हो तथा भ्रमण कर मुख्य उद्देश्य उस स्थान की मौलिकता को सराहना तथा उसमें भागीदारी निभाना होता हैं। ऐसा भ्रमण प्रकृति संरक्षण एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में सहायक होता हैं। ईको टूरिज्म के अंतर्गत स्थानीय पर्यटन प्रबंधक ऐसी व्यवस्था करते है जिसमें स्थानीय समुदाय के लोगों को केन्द्र में रखकर तथा उन्हीं की सहायता से पर्यटन प्रबंधन विपणन एवं क्रियान्वयन किया जाता हैं।

पारिस्थितिक पर्यटन एवं नव पर्यटन के प्रबंधक एवं विकसित करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा:

1. ऐसे स्थान का चुनाव किया जाये, जो परत्पराागत पर्यटन स्थल से दूर व अछूता रहा हो। यह स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य, हरियाली, वन्य प्राणी, मौलिक संस्कृति से परिपूर्ण व जल तथा वायु अप्रदूषित होना चाहिए।
2. पर्यटन विकास एवं प्रबंधन इस प्रकार किया जाये जिससे वहाँ की मौलिक भूमि स्वरूप में कोई खास परिवर्तन न हो। मूलभूत सुविधा के नाम पर मौलिकता नष्ट नहीं होना चाहिए।
3. पर्यटकों का क्रियाकलाप पर्याहितैषी होना आवश्यक हैं। पर्यटन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अवांछनीय है। पर्यटक स्थान विशेष के प्राकृतिक एवं पर्यावरीणय विशेषताओं की कद् कर उसके संरक्षण हेतु अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।
4. ईको टूरिज्म के प्रबंधन व विकास में स्थानीय भागीदारी महत्वपूर्ण है। भागीदारी जिम्मेदारी के साथ आय में भी होना चाहिए जिससे उस स्थान का उचित सामाजिक आर्थिक विकास हो सके।
5. पर्यटन विकास की आर्थिक विवेचना से पूर्व पर्यावरण के सभी सूक्ष्म स्थल घटकों का सीधे–सीधे आर्थिक मापदण्ड नही पाया जा सकता हैं। उदाहरणार्थ होटल निर्माण के लिए अमुक स्थल का उपयोग करने पर वहाँ आने वाले आब्रजन्य पक्षियों की संख्या शून्य हो जाएगी। दूर देश से आने वाले पक्षियों का प्रत्यक्ष आर्थिक आकलन संभव नही होगा परंतु इसका पर्यावरणीय असर काफी स्पष्ट होगा।
6. नव पर्यटन को विकसित करने में पर्यटकों की पंसद को सूक्ष्मता से परधना होगा। पर्यटकों के पसंद की जानकारी पाना एक जटिल क्रिया है। अक्सर पर्यटकों के व्यवहार को देखकर अथवा उनकी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर उनकी इच्छा का अनुमान लगाया जाता हैं। परंतु यह अनुमान हमेशा सही होगा ऐसा आवश्यक नहीं हैं। अक्सन पर्यटकों की अभिव्यक्ति एवं उनकी आन्तरिक इच्छा में काफी फर्क होता है।
7. पर्यटन परियोजना बनाते समय स्थान विशेष को 'कोरक्षेत्र' में चिन्हित कर वहाँ पारिस्थितिक पर्यटन के विकास की योजना तैयार की जानी चाहिए।

8. पारिस्थितिक पर्यटन के लिए व्यवहारिक योजना बनाते समय 'पारिस्थतिक विपन्न शैली' को उपयोग में लाया जाए। अर्थशास्त्रियों का अभिमत है कि किसी भी स्थान का पारिस्थितिक तन्त्र अपना विशिष्ट महत्व एवं उत्पादन क्षमता रखता है। अत: उस पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित उपयोग के पूर्व उसका मूल्य निर्धारण आवश्यक होगा। इस प्रकार पारिस्थितिकी की प्रत्येक इकाई का मूल्य निश्चित कर उसे पर्यटन व्यवसासियों को बेच देना चाहिए। इकाईयों की बिक्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। इस प्रकार स्थानों का विपणन वहॉ के पर्यावरण को देखते हुए करने से कई अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष लाभ होते हैं।
9. ईको टूरिज्म में विभिन्न संगठनों, विभिन्न सरकारी विभागों पर्यावरण विदों, गैर सरकारी संगठनों एवं पर्यावरण में सामन्जस्य स्थापित हो सकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में तालमेल कायम कर समाज के सभी स्तर पर आपसी समझ-बूझ को बढावा देकर पारिस्थितिक पर्यटन को विकसित किया जा सकता है।
10. पर्यावरण संरक्षणा तथा पारिस्थितिक पर्यटन के उचित विकास के लिए कड़े कानूनी प्रवधान के साथ उन्हें पूर्ण ईमानदारी व तत्परता से लागू करवाया जाना चाहिए। नियमों को कड़ाई से लागू करवाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति एवं विभाग को पूरी इच्छा शक्ति से कार्य करना चाहिए। उदाहरणार्थ समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उसके किनारे बनाई गई दूरी की सीमा निर्धारण है। तट का सीमाकंन कर यह निर्धारण करना कि तट से कितनी दूरी तक कोई निर्माण नही होना चाहिए।

निष्कर्ष - पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी में समाज के सभी तबके जैसे - पर्यटक, प्रबंधक, नीति निर्धारक, पूॅजीपति, शेयरधारक, सरकारी विभाग एवं आम नागरिकों अर्थात् सभी का अपना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सभी घटकों को अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में आने वाली पीढी भी पर्यटन का भरपूर आनंद ले सके। एक ओर पर्यटन उद्योग से लोग आर्थिक खुशहाली की उम्मीद लगाए बैठे है। वहीं इस व्यवसाय पर पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने की नैतिक एवं व्यावसायिक जिम्मदारी भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. नेगी, जगमोहन, पर्यटन भाग के सिद्धान्त, तक्ष्झशिला प्रकाशन नई दिल्ली।
2. मृदुला एवं दन्त, नारायण पारिस्थितिकी एवं पर्यटन, युनिवर्सल प्रेस दिल्ली 1991।
3. नेगी, जे.एम.एम. पर्यटन एवं पर्यावरण 1989।
4. अग्रवाल, विनोद पर्यटन मार्केटिंग एवं विकास अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2012।
5. सिंह, सुरजीत पर्यटन के सिद्धान्त, रावत प्रकाशन नई दिल्ली 2012।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Concept & Benefits of Uniform Civil Code In India: 2023

Dr. Bijay Kumar Yadav*

*Associate Professor, Gitarattan International Busines School, Pitampura, New Delhi, INDIA

Introduction - The term, 'Uniform Civil Code' is explicitly mentioned in Part 4, Article 44 of the Indian Constitution. Article 44 says, "The State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Uniform Civil Code aims to provide a single set of legal rules governing personal matters like marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens of India, irrespective of their religion. The idea of a Uniform Civil Code is to bring about a sense of cohesion and equal treatment among all Indian citizens. Uniform Civil Code, under Article 44, Part 5 is a common legal framework for all citizens, irrespective of their religious beliefs and practices which has motive of equal treatment amongst all Indian citizens regardless of their religious, ethnic, or caste backgrounds. The concept of a UCC is rooted in the idea of equality and uniformity before the law and it aims to replace the personal laws based on religious practices that currently govern matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, and succession. Law Commission of India has again invited people to share their views and ideas on UCC. Anyone who is interested and willing can submit their opinions before 14 July 2023, according to a notification from the Commission, and can share their suggestion in 3000 words or through the file.

The Concept Of Our Constitution Framers Regarding Uniform Civil Code: The uniform civil code which is in toto in itself the sense of 'uniformity' which is to be brought in the secular state and the applicability of such code extends to all the citizens irrespective of their religion, caste and tribe. It should be applicable to all, such a code becomes futile pertaining to our personal laws whether it is Hindu law, Muslim law or any other personal law in which the issues related to marriage, divorce, succession, inheritance, adoption and other family matters.

There is multiplicity of family laws in India and they have their own personal laws like the Hindus have their Hindu law (Hindu Marriage Act, 1955), Muslims have their Muslim law, Christians have their Christians Marriage Act, 1872, the Indian Divorce Act, 1869, the Jews have their uncodified customary marriage law, Parsis have their own Parsi marriage and Divorce Act, 1936 and other laws. It is seen that each person carries his own law wherever he goes in India. The personal laws vary widely on the basis of their sources, philosophy and application. Therefore, an inherent difficulty and resistance is seen so as to bringing people together and to unite them when they are governed by different religions and personal laws.

Personal Laws & Uniform Civil Code In British Period: In British Raj, Personal laws were first framed mainly for Hindu and Muslims citizens. In the beginning of the twentieth century, the demand for a uniform civil code was first put forward by the women activists. The objective behind this demand was the women's rights, equality and secularism. The Idea of Uniform Civil Code is born in 1940.The idea of Uniform Civil Code was tabled by the National Planning Commission (NPC) appointed by the Congress. There was a subcommittee who was to examine women's status and recommends reforms of personal law for gender equality. In 1947 UCC was sought to be enshrined in the Constitution of India as a fundamental right by Minoo Masani, Hansa Mehta, Amrit Kaur and Dr. B.R Ambedkar.

In 1948, there was a debated on UCC in Constitution Assembly. Article 44 of the Indian Constitution i.e. Directive Principles of State Policy sets implementation of uniform civil laws which is the duty of the state under Part IV. In 1950 a Reformist bills were passed which gave the Hindu women the right to divorce and inherit property. Bigamy and child marriages are outlawed. Such reforms were resisted by Dr. Rajendra Prasad. In1951Ambedkar resigned from the cabinet in 1951 when his draft of the Hindu Code Bill was stalled by the Parliament.

In this case of Shah Bano case in 1985, a divorced Muslim woman was brought within the ambit of Section 125 of Code of Criminal Procedure, 1973 by the Supreme Court in which it was declared by the Apex court that she was entitled for maintenance even after the completion of iddatperiod.

In another of case of Sarla Mudgal v. Union of India in 1995, Justice Kuldip Singh reiterated the need for the Parliament to frame a Uniform Civil Code, which would help the cause of national integration by removing contradictions based on ideologies. Therefore, the responsibility entrusted on the State under Article 44 of the Constitution whereby a Uniform Civil Code must be secured has been urged by

the Supreme Court repeatedly as a matter of urgency. The case of Lily Thomas v. Union of India (2000), where the Supreme Court said it could not direct the centre to introduce a UCC. In 2015 the apex court refused to direct the government to take a decision on having a UCC. In 2016 there was a Debate on Triple Talaq When Narendra Modi asked the Law Commission to examine the issue.

Constitutional Provision Relating To Uniform Civil Code: Article 44 of the Indian Constitution (Directive Principles of the State Policy) states that "The state shall endeavor to secure for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India."This article has always been a subject of debate and such debate has also left the subject of this article i.e. uniform civil code staggering and whirling in an orbit on an axis on its own with the rotating public opinion. The Constitution of India enshrines Article 44 of the DPSP with a view to achieve the uniformity of law, its secularization in order to make it equitable and non-discriminatory.

The preamble of the Indian Constitution which constitutes a Secular Democratic Republic' which implies that there shall be no state religion and no state shall discriminate on the basis of religion. The uniform civil code must strike a balance between the protection of fundamental rights and religious principles of different communities of personal laws of each religion that comprises of separate ingredients and are founded on different ideologies. It is often seen that Communalism breeds discrimination at two levels:

1. Between people of different religions and
2. Between the two sexes.

It was only the Hindu law where its codification was taken forward that too in spited of great protest but till now codification of Muslim law is still a sensitized issue owing to its politization.

The Supreme Court of India has always been a fervent supporter of the Uniform Civil Code. The landmark or the legendary case relating to uniform civil code is Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano (referred to as Shah Bano case) in which a divorced Muslim woman was brought within the ambit of Section 125 of Code of Criminal Procedure, 1973 by the Supreme Court in which it was declared by the Apex court that she was entitled for maintenance even after the completion of iddat period. It was pointed out in the Constituent Assembly debates that there are number of uniform laws that already exist in our country.

Having Articles 14 and 15 on one hand and Article 25 on the other, have led the court in a fix hole so as to give precedence to which of the fundamental right to the Constitution of India. Providing remedy by the Supreme Court to Shah Bano proved to be a much easier path to protect the rights of the women. Section 125 was enacted in order to provide a quick and summary remedy to a class of persons who are unable to maintain themselves. What difference would it then make as to what is the religion professed by the neglected wife, child or parent?

Neglect by a person of sufficient means to maintain these and the inability of these persons to maintain themselves are the objective criteria which determine the applicability of section 125. Such provisions, which are essentially of a prophylactic nature, cut across the barriers of religion. True, that they do not supplant the personal law of the parties but, equally the religion professed by the parties or the state of the personal law by which they are governed, cannot have any repercussion on the applicability of such laws unless, within the framework of the Constitution, their application is restricted to a defined category of religious groups or classes. The liability imposed by section 125 to maintain close relatives who are indigent is founded upon the individual's obligation to the society to prevent vagrancy and destitution. That is the moral edict of the law and morality cannot be clubbed with religion.

Compulsory Need Of Uniform Civil Code: Uniform Civil Code is of highly necessity for the individuals belonging to different religions and denominations. And not only is this, bringing this uniformity exigent for the promotion of national unity. In order to achieve this goal, adhering to the spirit of secularism, various divergent religious ideologies must merge into a common and unified principles and objectives. The idea behind having this uniform civil code that governs personal laws is to treat every person equally with just and fair laws. Moreover, such code would aid to put in place the set of laws which would govern personal matters of all citizens irrespective of their religion, which is the cornerstone of secularism.

Another pro of having this code would ensure national unity and integrity, to put an end to gender discrimination and also to strengthen the secular fabric. It is to be noted that the emphasis has been laid only on the gender friendly reforms of personal laws which is seen from Shah Bano case to Shayara Bano case who filed PIL in the Supreme Court in which triple talaq was declared unconstitutional. It is noteworthy that in the political and social scenario, the liberal sections of the society are demanding this code to be put into effect which would govern individuals across all religions, caste and tribe and to protect their fundamental and constitutional rights as guaranteed by the Constitution of India.

Benefits Of Uniform Civil Code:

If the concept of One Nation One Code is enacted and enforced:

1. It would accelerate national integrity,
2. There could be avoidance of overlapping of provisions of law,
3. Litigation would decrease due to personal law, There would be arousal of sense of oneness and the national spirit and
4. There would be a new phase of the country with new force and power which would aid to face any odds after finally defeating the communal forces.

5. One of the major benefits of implementing the UCC would be eliminating discrimination on religious grounds, ensuring that every religion is treated equally.
6. It will ensure that the Indian Constitution's fundamental rights are upheld consistently, regardless of religion.
7. It is evident in the laws governing women's rights in personal matters like marriage, divorce, and inheritance, which are governed by religion-specific laws.
8. A Uniform Civil Code would grant all women equal rights and help stop religious atrocities against women.

The instances of such oneness and integrity are India, Israel, Japan, Russia and France. The achievement of uniform civil code becomes more desirable when it comes to the diversity of the matrimonial laws, simplify the Indian legal system and make Indian society more homogeneous. The uniform civil code will envisage uniform provisions that will be applicable to everyone and which will be based on social justice and gender equality in family matters.

Secularism V/S Uniform Civil Code: Secularism and the freedom of religion has been the spine of controversy that revolves around UCC which is enumerated in the Constitution of India. As per the preamble of the Indian Constitution which states that 'Secular Democratic Republic' which implies that there should not be state religion. It is to be noted that a state is only concerned with the relation between man and man and not the relation of man with God which further implies that there should be no interference of any religion with the mundane life of an individual.

In the case of S.R. Bommai v. Union of India,it was held by the court that religion is the matter of individual faith and cannot be mixed with the secular activities. Secular activities can be regulated by the State by enacting a law.

According to Article 25 and 26 of the Indian Constitution which guarantees right to freedom of religion, where Article 25 guarantees to every person the freedom of conscience, and the right to profess, practice and propagate religion. But such a right is subjected to some reasonable restrictions such as public order, morality and health envisaged in Part III of the Constitution of India.

The scope of Article 25 and 26 extends to acts done in pursuance of religion and contains guarantees for ritual and observations, ceremonies and modes of worship which are the integral parts of the religion. In a civilized society, there is no necessary connection between religion and personal law. The UCC will not and shall not result in the intrusion of one's religious beliefs that relates mainly to maintenance, succession and inheritance which implies that under the UCC, a Hindu will not be compelled to perform Nikah and under Muslim law, a Muslim will not be compelled to perform Saptpadi. But there will be a common law in the matters of inheritance, maintenance, right to property and succession.

The whole debate can be summed up by the judgment given by Justice R.M. Sahai. He said:Ours is a secular democratic republic. Freedom of religion is the core of our culture. Even the slightest of deviation shakes the social fiber. But religious practices, violative of human rights and dignity and sacerdotal suffocation of essentially civil and material freedom are not autonomy but oppression. Therefore, a unified code is imperative, both for protection of the oppressed and for promotion of national unity and solidarity.

Role Of Indian Judiciary: The judiciary has faced a plethora of problems in upholding the social reforms in the private sphere that the legislation tries to bring through various enactments. There is a surfeit of cases that takes into consideration the concept of Uniform Civil Code. Some of them are as follows:

1. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano (referred to as Shah Bano case) in which a divorced Muslim woman was brought within the ambit of Section 125 of Code of Criminal Procedure, 1973 by the Supreme Court in which it was declared by the Apex court that she was entitled for maintenance even after the completion of iddat period.
2. S.R. Bommai v. Union of India,it was held by the court that religion is the matter of individual faith and cannot be mixed with the secular activities. Secular activities can be regulated by the State by enacting a law.
3. Sarla Mudgal v Union of India 1995, in which Justice Kuldip Singh reiterated the need for the Parliament to frame a Uniform Civil Code, which would help the cause of national integration by removing contradictions based on ideologies. Therefore, the responsibility entrusted on the State under Article 44 of the Constitution whereby a Uniform Civil Code must be secured has been urged by the Supreme Court repeatedly as a matter of urgency.
4. Mary Roy v. State of Kerela, where it was argued before the Supreme Court was that certain provisions of Travancore Christian Succession Act, 1916, were unconstitutional under Art. 14 Under these provisions, on the death of an intestate, his widow was entitled to have only a life interest terminable at her death or remarriage and his daughter. It was also argued that the Travancore Act had been superseded by the Indian Succession Act, 1925.

The Supreme Court avoided examining the question whether gender inequality in matters of succession and inheritance violated Art.14, but , nevertheless, ruled that the Travancore Act had been superseded by the Indian Succession Act Mary Roy has been characterized as a "˜momentous' decision in the direction of ensuring gender equality in the matter of succession.

5. Bai Tahira v. Ali Hussain Fisaalli[21],according to the Ambedkarian point of view, he states that:"Speaking for myself, there are several excellent provisions of the Muslim law understood in its pristine and progressive intendment which may adorn India's common civil code. There is more in Mohammed than in Manu, if interpreted in its humanist liberalism and away from the desert context, which helps women and orphans, modernises marriage and morals,

widens divorce and inheritance."

6. State of Bombay v. Narasu Appa Mali ,in this case the constitutional validity of the Bombay (Prevention of Hindu Bigamous Marriages) Act, 1946 was to be determined by the High Court of Bombay. One of the two major contentions was that it was violative of articles 14 and 15 since the Hindus were singled out to abolish bigamy while the Muslim counterparts remained at full liberty to contract more than one marriage and this was discrimination on the grounds of religion. Questions such as these were raised due to an absence of a common civil code and clash of different principles in different personal laws.

7. Srinivasa Aiyar v. Saraswati Ammal ,in this case the High Court of Madras upheld the validity of Madras Prohibition of Bigamy Act on similar grounds.

New Uniform Civil Code Bill: A Bill on the voluntary Uniform Civil Code is ready to be introduced in the session of Parliament, the moment such code is made optional, it ceased to be uniform. The government would do well to take immediate steps to codify each set of personal laws instead of framing such optional civil code.

Personal laws relating to marriage, divorce, minority, guardianship, maintenance and succession are covered by this bill. The passing of this bill will repeal the Special Marriage Act, 1954.Proposal relating to the consolidation of the Indian Divorce Act and the Indian Christian Marriage Act into one statute on the analogy of the Hindu Marriage Act, 1955 have been proposed by the Law Commission and has also suggested certain reforms in law.

Conclusion: After such a deliberate discussion and constitutional debates, it can be concluded that mere three words and the nation will break into hysterical jubilation and frantic wailing. Uniform Civil Code covers the aspects of social, political and religious aspects. According to a man of ordinary prudence, the code should be just and fair and a balance should be carved between protection of fundamental rights and religious dogmas of individuals by the UCC. It is to be identified that what is the moving jurisprudence behind UCC that is it the integrity of the nation with one nation people motto or is it the eradication of the gender based injustices engrained in all personal laws. However, it is noteworthy that UCC has come up with as a champion of gender equality. It is of no doubt that the issue of the reform of personal laws of different communities and the enactment of uniform civil code is a tedious task. The deep rooted multiplicity of personal laws, culture and custom are the real hurdles for the implementation of uniform civil code. Two questions need to be addressed which are being completely ignored in the present din around UCC. Firstly, how can uniformity in personal laws are brought without disturbing the distinct essence of each and every component of the society. What makes us believe that practices of one community are backward and unjust? The second question is that whether uniformity has been able to eradicate gender inequalities which diminish the status of women in our society? Sooner or the later we will be coming with the answers to this questions that have created turmoil in our mind.

Suggestions: The previous discussions which have been made in the above debates have led to suggest the following measures:

1. The state being disinclined to impose Uniform Civil Code on diverse people, in such circumstances, the minimum a state should do to generate those conditions that will make a progressive outlook of the people.
2. Muslims being the most backward among the minorities in India, the only solution is to spread education Muslims masses. It becomes the duty of the Muslim intelligentia to educate the Muslim community about its rights and obligations.
3. A good environment for the Uniform Civil Code must be prepared by the government by explaining the contents and significance of Article 44 of the Indian Constitution.
4. Social reforms should be brought slowly and steadily by the State.
5. An attempt should be made to enact a model Uniform Civil Code embodying what is best in all personal laws. It must be a synthesis of the good in our diverse personal laws.

References:-

1. http://www.mightylaws.in/2035/uniform-civil-code-india-meaning-prospects.
2. https://www.rajras.in/index.php/uniform-civil-code-definition-debate-way-forward/.
3. Supranote 1.
4. https://www.lawteacher.net/free-law-essays/civil-law/uniform-civil-code.php.
5. Ibid.
6. Supranote 2.
7. Supranote 3.
8. http://ili.ac.in/pdf/paper217.pdf.
9. Ibid.
10. Supranote 4.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. AIR 1994 SC 1918.
14. Supranote 12.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. AIR1985SC 945.
18. AIR 1994 SC 1918.
19. AIR 1995 SC 1531.
20. AIR 1986 SC 1011.
21. AIR 1979 SC 362.
22. AIR 1952 Bom 84.
23. AIR 1952 Mad 193.
24. Uniform Civil Code: One Nation One Code Written by: Shubham Mongia.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Observations on Courtship and Mating Behaviour in *Calotes Versicolor*

Dr. Meenakshi Mahur* Dr. Bhavna Sharma**

***Assistant Professor (Zoology) S.M.B. Government PG College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA**
****Assistant Professor (Geography) S.M.B. Government PG College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA**

Abstract - The courtship and mating behaviour in *Calotes versicolor* was observed in the month of July, which coincides with their breeding season that takes place between April and September. The courtship and mating behaviour was encountered between 3 p.m. and 4 p.m. in the ground of University college of Science college campus, MLS university, which is situated in Udaipur, Rajasthan.

Initially, both the mature male and female were exhibiting their behaviour on two separate rocky stone lying on ground but afterwards, when female started showing acceptance with courtship stand and submissive behaviour, male approached the female by circling movement and head bobbing with head down. Their courtship and mating behaviour consisted of (i) Selecting the display site by male (ii) Changes in their body colouration like male adult developed brilliant red colouration at the head and antero-dorsal region and female adult developed a slaty black colouration with reddish orange throat (iii) Changes in their body features and movement during courtship and mating like throat inflation in female, circling movement in male, head bobbing in both male and female, mounting of male on the female with neck-bite hold, tail twisting and intromission of hemipenis (iv) Separation after copulation and (vi) loosing nuptial colouration after copulation. The entire process of courtship and mating, beginning from the approach of the male towards the female, mating and separation of the pair took place for about 3–18 minutes.
Key words: *Calotes versicolor,* courtship and mating behaviour.

Introduction - *Calotes versicolor* belongs to family Agamidae. It is a large family of lizards which includes small to medium sized lizards with fully developed feet ending in powerful claws. The body has crests – the clusters of spiny scales – on head and tail and the throat has folds of loose skin. The head, which is held off the ground on a distinct neck, has small scales and lack shields. Eyes and ears are well developed. Eyes are with eyelids and pupil is round. During the breeding season, the male is brilliantly coloured in many species. Most agamids can move fast and some adopt a bipedal mode of locomotion. There are 43 species of this family in India out of which three species are present in Udaipur, Rajasthan.

The common name of *Calotes versicolor* is Common garden lizard or bloodsucker. It is non-venomous in nature. It is an arboreal lizard with oval head and laterally compressed body. Colour is brown or sand grey above, uniform or with a pattern of spots and bars on the back and sides. Two distinct spines are present on each side of head behind tympanum. Dorsal scales are large, equal sized, keeled and directed backwards and upwards. Cheeks are muscular and swollen; tail long, cylindrical and swollen at the base in the male. A distinctive dorsal crest of lance-shaped scales from nape to above vent is found in the male lizard.

Observation on courtship and mating behaviour in *Calotesversicolor* wasmade in the month of July. It coincides with their breeding season that takes place between April and September(Daniel, 2002).

Location of Observation: The courtship and mating behaviour in *Calotes versicolor* was observed in theground of University college of Science college campus, MLS university, which issituated in udaipur, Rajasthan. The ground was covered with leaf litter, some grass, some rocky stones and soft soil. Observations were made by the naked eye from 3 m away. Both the male and female *calotes* were not disturbed during observation. The courtship and mating behavior was recorded with the help of ordinary camera and hand-written notes of direct observations.

Observations: The courtship and mating behaviour was encountered between 3 p.m. and 4 p.m. The male courted the female with a series of behaviour in order to get the reproductive readiness and receptivity of female.

Initially, both the mature male and female were standing on two separate rocky stone lying on ground. Firstly, the male selected the display site on sighting the female. The male lifted its anterior part of its body with the use of its forelimbs, followed by changingits colouration on various

parts of its body and then, exhibited initial display (twice) as signals of initiating courtship. The adult male displayed bright colours like brilliant red at the head and antero-dorsal region of the body. Also, adult male developed intense black ventro-lateral colour patch on its neck region.

An adult female announced its acceptance for mating by changing its body colour. It also developed a slaty black coloured patch with reddish orange throat.The male approached female with courtship display.The female tried to move away during the initial phase of orientation, but remained stationary in the later phase. Female started showing its courtship response towards approaching male by inflating its throat. Thus, female accepted to get into mating with the approaching male. This behaviour of female also made increase in intensity of colour around the gular and head region of male. Increase in intensity of red colour patch was also observed around the eyes of male.

The male was observed to approach towards the female by circling movement and head bobbing with head down. Male does heads bobs to attract females by showing a display of strength and power. Then, the male bit female's neck to show possession or to hold the female down so they could mate easily. The female showed head bobs and lifted its head up, while the male remained mounted on the female's back. Male holds the back of female firmly and twisted its tail under that of female. The male grasps the female so that its cloaca is positioned just closer to female. This is followed by insertion ofhemipenis to make copulation done.

They remained attached in that position for about 10 seconds. After completing copulation, they separated from each other gradually and lost their nuptial colouration. The entire process of courtship and mating, beginning from the approach of the male towards the female, mating and separation of the pair took about 3–18 min.

Discussion: Courtship is the behaviour, which is used to obtain copulation with a partner, or to maintain reproductive interactions with an existing partner. The courtship and mating behaviour in *Calotes versicolor* was observed in the month of July. It was observed in their breeding season. According to Daniel (2002), breeding season taking place between april and september. But as per Shanbhag (2003), the courtship and mating behaviour in these lizards is generally observed from the last week of May to the second week of August.

In the present study, change in colouration in various parts of male and female body was observed. This type of colouration has been observed by many other researchers. As per the study of Olsson etal. (2013), female-specific colouration is a common form of female ornamentation and female exhibited it during specific periods of the reproductive cycle. Chan et al.(2009) has also observeddevelopment of intense orange ventro-lateral colour patches mature female during the breeding season. The study carried out by Chan et al.(2009) and Cooper et al. (1992) also suggested that females may exhibit distinctive, reproductive colouration to advertise receptivity and stimulate male courtship. Thus, there are many researchers who have observed reproductive behavior in different species of calotes. The courtship and mating behaviour in *Calotes versicolor* have also been observed by Bhagyarekha*et al*. (2007). They Prepared an ethogram of courtship and mating in *Calotes versicolor* by recording these behavious in outdoor terraria. Observation on the ovipositional behavior of crest-less lizard *Calotesliocephalus* have been made by Amarasinghe and Karunaratha (2008) in the knuckles forest region of Sri Lanka. Sreekar et al. (2011) observed sexual dimorphism in *CalotesRouxii* from Agumbe, Karnataka and they concluded that *Calotes Rouxii*does not exhibit distinct dimorphism characters outside the breeding season. Thus, the present study can also be helpful in understanding reproductive behaviour of many other reptilian species, which comes in the category of threatened species. Such observations are needed for their conservation.

References:-

1. Amarasinghe and Karunaratha (2008): Observations on the Ovipositional Behavior of the Crest-less Lizard *Calotesliocephalus*(Reptilia: Agamidae) in the Knuckles Forest Region of Sri Lanka. *Asiatic Herpetological Research,* Vol. 11, pp.13–16.
2. Bhagyarekha N. P., Bhagyashri, A. S. and Srinivas, K. S. (2007): Ethogram of courtship and mating behaviour of garden lizard, *Calotes versicolor*. Current Science, Vol. 93(8): 25.
3. Chan, R., Stuart-Fox, D., and Jessop, T.S. (2009). Why are females ornamented? A test of the courtship rejection hypotheses. Behav.Ecol. 20, 1334-1342.
4. Cooper W. E., Greenberg N., Gans C. and Crews D. (1992). Reptilian coloration and behavior. Hormones, brain, and Behavior (biology of the reptilia), Vol.18, 298-422.
5. Daniel, J. C. (2002): The book of Indian Reptiles and Amphibians. Bombay Natural History Society and Oxford University Press.
6. Olsson, M., Stuart-Fox, D., and Ballen, C. (2013). Genetics and evolution of colour patterns in reptiles. Sem. Cell Dev. Biol. 24, 529-541.
7. Shanbhag, B. A. (2003): Reproductive Strategies in the lizard, *Calotes versicolor.* Current Science,84, 646-652.
8. SreekarRachakonda, Saini Katya, Rao Shyam N. and Purshotham Chetana B. (2011) Predicting Lizard Gender: Sexual Dimorphism in CalotesRouii (Reptalia: Agamidae) from Agumbe, Karnataka. Herpetological Conservation and Biology 6(1):75"80.

The courtship behavior of *Calotes*in study area is presented in Plate – 4.7 (Figs. 1 – d).

Plate 4.7

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Fig. d

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

राजनीति का मीडिया में हस्तक्षेप

प्रदीप कुमार शर्मा *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, बसेड़ी, जिला धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारतीय संविधान के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं सत्ता चलाने वाले (एक्जिक्युटिव्ह), कानून बनाने वाले (लेजिस्लेटिव्ह) तथा न्याय देने वाले (ज्यूडिशिअरी)। इन तीन स्तम्भों के सहारे ही भारतीय राज्य व्यवस्था का सम्पूर्ण तानाबाना बुना हुआ है। मंत्री परिषद् कोई योजना या नियम बनाती है, उसकी अच्छाई-बुराई को जनता के सामने रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। जिसे वह अपने जन्मकाल से स्वतंत्र रूप से करती आ रही है। इसके बारे में भारतीय संविधान की 19वीं धारा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिकार के अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। इस अनुच्छेद ने मीडिया को सार्वभौमिक शक्ति प्रदान की है जिससे वह प्रत्येक स्थान पर अपनी पैनी नजर रखते हुए स्व विवेक के आधार पर घटना से सम्बन्धित सही-गलत का निर्णय कर सके।

यह ओर बात है कि जाने-अनजाने मीडिया की इस नजर से अनेक भ्रष्ट लोग हर रोज आहत होते हैं। ऐसे लोग आए दिन माँग भी करते हैं कि मीडिया पर अंकुश लगना चाहिए। उनका तर्क है कि जब कानून का शिकंजा सभी पर कसा हुआ है फिर मीडिया क्यों उससे अछूती रहे ? खासकर मीडिया और राजनीति के अंतर्सम्बन्धों को लेकर यह बात बार-बार उछाली जाती है।

प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित गुणात्मक अध्ययन है जिसके अंतर्गत राजनीति और मीडिया के संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है तथा यह सामान्यीकरण किया गया है कि मीडिया राजनीति के प्रचार-प्रसार में अत्यधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण है।

शब्द कुंजी – राजनीति, मीडिया, नीतियों, शासन, प्रशासन, नियमन, व्यक्तिगत हित।

प्रस्तावना एवं समस्या कथन

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ – राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को लोकतंत्र को आकार देने वाले तीन स्तंभ या तीन सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां माना जाता है। मीडिया और प्रेस के आगमन के साथ, लोगों ने जल्द ही एक 'चौथे स्तंभ' या चौथी शक्ति की पहचान करना शुरू कर दिया, जिसे किसी देश की राजनीतिक स्थिति को बदलना होगा। लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' मीडिया है क्योंकि इसमें जनमत को आकार देने की क्षमता है। लोकतांत्रिक देशों में आम जनता के राजनीतिक विचार और धारणाएं अक्सर अखबारों और पत्रिकाओं में छपी रिपोर्टों से बनती हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक, विचारक और निबंधकार थॉमस कार्लाइल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में प्रेस के महत्व को संबोधित किया था। उन्होंने प्रेस को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की 'चौथी संपदा' के रूप में संबोधित किया और इसे शेष तीन संपदाओं से अधिक शक्तिशाली भी माना। इसका प्राथमिक कारण यह है कि मीडिया सरकार के बारे में जनता की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मीडिया औरराजनीति का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये एक-दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं।

मीडिया के उद्देश्यों का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

वैचारिक आकर हेतु जानकारी प्रदान करना – मीडिया का पहला उद्देश्य लोगों को जानकारी प्रदान करना है। इंटरनेट की मदद से मीडिया रिपोर्टों की पहुंच और कवरेज वैश्विक हो गई है। लोग अब एक बटन के क्लिक से दुनिया भर के किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं! इसी प्रकार, वे इंटरनेट की सहायता से अपने देशों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया भी केवल प्रिंट तक सीमित नहीं रह गया है और उसने खुद को 'सोशल मीडिया' में बदल लिया है। ये सभी मुख्य रूप से वे तरीके हैं जिनके माध्यम से मीडिया लोगों को जानकारी प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार, यदि मीडिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी मौजूदा सरकार के लिए आलोचनात्मक है, तो लोगों का वर्तमान विधायी निकाय पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है। इसी तरह, अगर मीडिया द्वारा दी गई जानकारी मौजूदा सरकार की सकारात्मक छवि पेश करती है, तो लोगों में भी सरकार के बारे में अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार, जब लोगों को प्रभावित करने की बात आती है तो मीडिया और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के कारण कई सरकारें गिरी हैं। इस प्रकार मीडिया सरकार और राजनीतिक दलों के बारे में लोगों की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विचारों की बहुलता – मीडिया, विशेष रूप से प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक सत्ता के प्रति प्रतिरक्षित हो और पत्रकारों को सच्चाई की रिपोर्ट करने में दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। पत्रकारों को राजनीतिक दलों के नेताओं की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया को स्वयं लोकतांत्रिक होना चाहिए और केवल एक विशेष प्रकार की खबरें प्रदान करने के लिए प्रवृत्ता नहीं होना चाहिए। इससे लोगों के बीच बहुसंख्यक राय बनाने में मदद मिलती है। दूसरे शब्दों में, मीडिया कर्मियों को घटनाओं को बिना कोई राजनीतिक रंग दिए ईमानदारी से रिपोर्ट करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए, कोई राजनीतिक नेता प्रोटोकॉल और अपेक्षित दिशानिर्देशों के विपरीत व्यवहार कर रहा था, तो मीडिया को इसे ईमानदारी से जनता को रिपोर्ट करना चाहिए। पत्रकारों को ऐसी घटना का उपयोग अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को बेहतर रंग में रंगने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे जनता की राय कुछ राजनीतिक दलों के ख़िलाफ होगी और अनावश्यक पूर्वाग्रह पैदा होंगे। इस प्रकार, राजनीतिक घटनाओं को भी पूरी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने विचार रख सकें, जो निष्पक्ष तरीके से विकसित किए गए हैं। इससे बाद में विचारों की बहुलता विकसित करने में मदद मिलती है। मीडिया लोगों के बीच राजनीतिक विचारों के संबंध में विविधता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मीडिया और राजनीतिक एजेंडा – मीडिया कर्मियों का उद्देश्य ईमानदारी से मामलों की रिपोर्टिंग करना होना चाहिए। पत्रकारों और प्रिंट मीडिया से जुड़े अन्य लोगों का उद्देश्य अपने पत्र–पत्रिकाओं का प्रसार बढ़ाना नहीं बल्कि जैसा वे देखते हैं, वैसे मामलों की रिपोर्ट करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मीडिया को ईमानदार होना चाहिए। हालाँकि, कभी–कभी प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक दबाव के कारण ईमानदार पत्रकारिता मुश्किल हो जाती है। अपनी ओर से जनता की राय को मोड़ने के लिए, राजनीतिक दल अक्सर समाचार पत्रों को पक्षपाती राय प्रकाशित करने के लिए मजबूर करने के लिए दबाव की रणनीति का सहारा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक दलों के नेता अक्सर अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। मीडिया को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, पत्रकारों को ईमानदार पत्रकारिता के साथ–साथ जिम्मेदार पत्रकारिता भी करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टें ईमानदार हैं और लोगों को अपनी धारणा विकसित करने की अनुमति है। पत्रकारों का उद्देश्य ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट पेश करना होना चाहिए ताकि लोग राजनीतिक दलों के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय बना सकें।

सोशल मीडिया और राजनीति में विचारधारा – इंटरनेट ने संचार के एक अन्य रूप को जन्म दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां एक–दूसरे से पूरी तरह असंबंधित लोग राय, राजनीतिक विचारों और धारणाओं का आदान–प्रदान कर सकते हैं। अक्सर इन प्लेटफार्मों का उपयोग लोगों को उनके देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

राजनीति में मीडिया का बढ़ता हस्तक्षेप – जिस प्रकार समाज में विगत कुछ वर्षो से प्रत्येक दिशा में तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा है उसी प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (पत्रकारिता) में भी निरंकुशता बढ़ी है जिससे पत्रकारिता का उद्देश्य सनसनी फैलाना होकर रह गया है। सनसनी फैलाने, स्टिंग ऑपरेशन करने अथवा राष्ट्र के हितों को दर किनार करते हुए पत्रकारिता करने से कभी पत्रकार का सम्मान नहीं हो सकता। उससे तो देश ही विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है और विदेशी हानिकारक ताकतों को मजबूती मिलती है। आज पत्रकार यह भूलता जा रहा है कि पत्रकार का सम्मान तो उसके द्वारा किये जाने वाले त्याग व तपस्या के कारण होता है। आदर्श पत्रकारिता तो पत्रकारों के द्वारा उठाये गये जोखिम, आदर्श, उद्देश्यों में ही पनपती है। गणेश शंकर विद्यार्थी तथा बाल गंगाधर तिलक इत्यादि ऐसे पत्रकारों में से थे जिन्होंने कभी पत्रकारिता के सिध्दांतों के साथ समझौता नहीं किया। निरंकुश पत्रकारिता देश व समाज के विनाश का कारण बनती है। अत: पत्रकार को पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रहना चाहिए। पत्रकारिता व राजनीति आम आदमी के लिए एक सेतु का काम करती है। आम आदमी की समस्या पत्रकार ही राजनेता तक पंहुचाता है तथा राजनेताओं की राजनीतिक गतिविधियां आम आदमी तक पत्रकार ही पंहुचाता है। आज संपादक संपादकीय कर्तव्य को कम व अपने मालिक के व्यावसायिक कर्तव्य पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता रहता है। आज बाजार से जो संपादक ज्यादा से ज्यादा कमा लेता है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धिजीविता है। चुनाव के समय राजनेताओं व राजनीतिक दलों से पैकेज डील कर राजनेता स्वयं ही प्रचार में कूद पड़ते है जिससे आम आदमी को सही–सही राजनीतिक परिदृश्य पत्रकार के द्वारा दिखाया ही नहीं जाता है। पत्रकारों के इस कृत्य से उल्टे–सीधे व लंपट राजनेता चुनाव जीत कर आम आदमी का भ्रष्टाचार के द्वारा शोषण करने में लिप्त हो जाते हैं।

कुछ पत्रकार व उनके नजदीकी भी राजनीतिक दलों के टिकट पर राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव जीत कर अपने राजनीतिक आकाओं के राजनीतिक भोपू बन जाते है। उनकी पत्रकारिता के प्रति निष्ठा तहस–नहस होकर रह जाती है। राजनीति अपनी सुविधा व असुविधा के अनुसार स्वंय ही पत्रकार तैयार करा के पत्रकारिता करवा लेती है। पत्रकार के होने व न होने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। पत्रकारिता ज्ञान भी राजनीति से होकर व राजनीतिक सत्ता के आगे पत्रकारिता प्रसंग भर ही रह जाती है। पत्रकार यदि राजनेताओं के संरक्षण में पलेगा व बढ़ेगा तो देश का विनाश भी निश्चित ही है क्योंकि ऐसा पत्रकार तो राजनेता की बुराई देख ही नहीं पायेगा और बुरा राजनेता देश की सत्ता पर काबिज हो कर देश को विनाश की ओर धकेल देता है।

उद्देश्य :

1. राजनीति की मीडिया सम्बन्धी विभिन्न प्रमुख मान्यताओं एवं विचारों से अवगत कराना,
2. मीडिया की राजनीतिक सीमाओं पर प्रकाश डालना,
3. राजनीति एवं मीडिया संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना,
4. राजनीति में मीडिया के हस्तक्षेप की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना,
5. भारतीय राजनीति में मीडिया के बढ़ते हस्तक्षेप पर प्रकाश डालना।

सम्बंधित साहित्य पुनरावलोकन – प्रत्येक शोधकार्य हेतु शोधार्थी हेतु सम्बंधित साहित्य का अध्ययन नितांत आवश्यक है क्योंकि उक्त अध्ययन एवं साहित्य पुनरावलोकन शोधार्थी को अध्ययन हेतु चुने हुए विषय की पृष्ठभूमि प्रदान करता है और साथ ही पूर्व में सम्बंधित विषय के विभिन्न पहलुओं पर देश–विदेश में हुए अध्ययनों की जानकारी प्रदान करता है जिसके आधार पर शोधार्थी अपने शोधकार्य हेतु रणनीति निर्मित कर अपने शोध के उद्देश्यों को प्राप्त कर चुनी एवं अध्ययन की गयी घटना के बारे में सामान्यीकरण करता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में वयस्कों द्वारा राजनीतिक समाचारों और सूचनाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, खासकर जब चुनाव का समय आता है। नवंबर 2019 में किए गए प्यू रिसर्च के एक अध्ययन में पाया गया कि पांच में से एक अमेरिकी वयस्क को अपनी राजनीतिक खबरें मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। 18% वयस्क अपनी राजनीतिक और चुनावी खबरें पाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। 2022 में मैककीवर एट अल द्वारा किए गए

छोटे शोध में, उन्होंने पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 510 प्रतिभागियों में से 269 ने नोट किया था कि उन्हें बंदूक हिंसा के बारे में अधिकांश जानकारी सोशल मीडिया स्रोतों से मिली थी।

- प्यू रिसर्च सेंटर ने आगे पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इन वयस्कों में से जो इस जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, उनमें से 48: 18-29 वर्ष की आयु के हैं। इसके अलावा, Reddit,Twitter,Facebook उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का नेतृत्व करते हैं जिनमें अधिकांश उपयोगकर्ता समाचार जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। फेसबुक के दो-तिहाई उपयोगकर्ता (66%) इस प्लेटफॉर्म पर समाचारों तक पहुंचते हैंय 59% ट्विटर उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर समाचार एक्सेस करते हैं, और 70% Reddit उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर समाचार एक्सेस करते हैं।
- 2013 में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, समाचार मुद्दों के बारे में ब्लॉग करने वाले ऑनलाइन समाचार उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत 1-5% के बीच है। समाचारों पर टिप्पणी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जिसमें जर्मनी में 8% से लेकर ब्राजील में 38% तक की भागीदारी है। लेकिन ऑनलाइन समाचार उपयोगकर्ता अधिकतर ऑफलाइन मित्रों के साथ ऑनलाइन समाचारों के बारे में बात करते हैं या सामग्री बनाए बिना कहानियां साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
- सोशल मीडिया पर सूचनाओं का तेजी से प्रचार-प्रसार, मौखिक प्रचार-प्रसार राजनीतिक हस्तियों की उस धारणा को तेजी से प्रभावित कर सकता है, जो सच हो भी सकती है और नहीं भी। जब राजनीतिक जानकारी को जानबूझकर इस तरह प्रचारित किया जाता है, तो राजनीतिक साधनों के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी के प्रसार से अभियानों को लाभ हो सकता है। दूसरी ओर, किसी राजनीतिक व्यक्ति के संबंध में नकारात्मक जानकारी का मौखिक प्रचार हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेसी एंथनी वेनर द्वारा अनुचित संदेश भेजने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के उपयोग ने उनके इस्तीफे में भूमिका निभाई।
- योगेश के. द्विवेदी एवं अन्य (2021) अपने शोध अध्ययन 'डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग अनुसंधान का भविष्य निर्धारित करना: परिप्रेक्ष्य और अनुसंधान प्रस्ताव' के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग ने उपभोक्ता व्यवहार और कंपनियों के व्यवसाय करने के तरीकों को बदल दिया है। सामाजिक और डिजिटल मार्केटिंग कम लागत, बेहतर ब्रांड जागरूकता और बढ़ी हुई बिक्री के माध्यम से संगठनों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हालाँकि, नकारात्मक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड-ऑफ-माउथ के साथ-साथ दखल देने वाली और परेशान करने वाली ऑनलाइन ब्रांड उपस्थिति से महत्वपूर्ण चुनौतियाँ मौजूद हैं। यह लेख डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग से संबंधित मुद्दों पर कई प्रमुख विशेषज्ञों की सामूहिक अंतर्दृष्टि को एक साथ लाता है। विशेषज्ञों के दृष्टिकोण इस महत्वपूर्ण विषय के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवर्धित वास्तविकता विपणन, डिजिटल सामग्री प्रबंधन, मोबाइल मार्केटिंग और विज्ञापन, बी2बी मार्केटिंग, सहित अधिक विशिष्ट मुद्दों पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ और उसमें मौजूद नैतिक मुद्दे। यह शोध चुनौतियों और अवसरों के रूप में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण और समय पर योगदान प्रदान करता है जहां हम वर्तमान शोध के भीतर की सीमाओं को उजागर करते हैं, शोध अंतरालों को रेखांकित करते हैं और उन प्रश्नों और प्रस्तावों को विकसित करते हैं जो डिजिटल के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और सामाजिक विपणन।
- होप चावला बांदा (2023) अपने अध्ययन The Impact of Political Interference on Public Media Functions: The Case of Malawi Broadcasting Cooperation (MBC) के अंतर्गत प्रकाश डाला है कि मीडिया के हस्तक्षेप रूप से बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं आती हैं। चूँकि मीडिया अब केवल सार्वजनिक प्रसारक है, यह सरकार की सकारात्मकता को प्रसारित करता है, नागरिकों को इसके पीछे छिपी सच्चाई से वंचित कर दिया जाता है। राजनीति का हस्तक्षेप मीडिया व्यवसायियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करता है।

प्राक्कल्पना:

1. राजनीति और मीडिया का अपना-अपना अलग-अलग कार्य-क्षेत्र है।
2. राजनीति बिना मीडिया की सहायता के कार्य करने में सक्षम है।
3. राजनीतिक प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं और समय के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती हैं।
4. वर्तमान वैश्विक राजनीति मीडिया-प्रेरित है।
5. वर्तमान राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।
6. मीडिया राजनीतिक गतिविधियों को प्रचारित करने एवं राजनीतिक योजनाओं को जनता में ले जाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है।
7. राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप केवल सीमित रूप में ही उचित है।
8. राजनीति में मीडिया का अत्यधिक एवं असीमित हस्तक्षेप राजनीति की आत्मा को नष्ट कर रहा है।

विशिष्ट शोध-प्रश्न:

1. राजनीति और मीडिया परस्पर रूप से सम्बंधित होने चाहिए अथवा नहीं?
2. क्या राजनीति बिना मीडिया के कार्य नहीं कर सकती?
3. क्या राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप उचित है?
4. राजनीति एवं मीडिया का क्या सम्बन्ध है?
5. राजनीति में मीडिया के हस्तक्षेप की क्या सीमायें हैं ?
6. क्या राजनीति में मीडिया अपनी सीमाओं का पालन करता है?
7. राजनीति और मीडिया के संबंधों का क्या भविष्य है?

शोध-पद्धति - शोधकार्य की गुणात्मक प्रकृति होने के कारण, इसकी पूर्णता में द्वितीयक तथ्यों का विशेष योगदान रहा है जिनको विभिन्न उपलब्ध इंटरनेट साइट्स पर उपलब्ध अध्ययनों एवं शोध जर्नल्स से लिया गया है एवं उक्त अध्ययनों के आधार पर ही शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र लेखन कार्य सम्पादित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन राजनीति और मीडिया के संबंधों पर प्रकाश डालता है, तथा भारतीय राजनीति में मीडिया के बढ़ते हस्तक्षेप पर विशेष रूप से विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करता है। अध्ययन की वैज्ञानिक प्रकृति विभिन्न प्रसिद्द समाज वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित एवं उनके द्वारा सुझावित सामाजिक अनुसन्धान के समस्त चरणों, यथा, समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, प्राक्कल्पना एवं शोध के विशिष्ट प्रश्नों का निर्माण, शोध पद्धति, सामान्यीकरण आदि सुनिश्चित की गयी है। समस्त शोधकार्य हेतु

एक विशिष्ट शोध प्ररचना निर्माण किया गया और उक्त प्ररचना के अनुरूप इसको सम्पादित किया गया।

निष्कर्ष – राजनीति और मीडिया का अपना-अपना अलग-अलग कार्य-खेत्र है। राजनीति का सम्बन्ध राज्य की नीतियों, शासन और प्रशासन से है, तथा साथ ही राज्य और व्यक्ति के संबंधों के नियमन है। इसके विपरीत, मीडिया का सम्बन्ध राज्य द्वारा बनाये गए नियमों, नीतियों, आदेशों, राजनीतिक गतिविधियों, राज्य के व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों के यथार्थ प्रतिबिम्ब से है जिसको प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर राजनीति और मीडिया का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रवृत्तियों एवं घटनाओं के बारे में ज्ञात हो पाता है। विभिन्न स्थानीय, प्रांतीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाएं, टेलीविजन, सोशल साइट्स आदि राजनीतिक घटनाओं को प्रचारित और प्रसारित करने में विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध हो रही हैं। यह सच है कि प्राचीनकाल में बिना मीडिया के सहयोग के राजनीति संभव थी, परन्तु वर्तमान में यह बात तर्क सांगत नहीं है।

राजनीतिक प्रवृत्तियां सदैव एक समान नहीं रहतीं, बल्कि देश, काल और पर्तिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। इसकी जानकारी केवल मीडिया के माध्यम से ही संभव है। अतः, यह कहना बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होगा कि वर्तमान वैश्विक राजनीति मीडिया-प्रेरित है। राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। विचारणीय बिंदु यह है कि राजनीति में मीडिया सीमाओं से परे जाकर कार्यशील है जो किसी भी देश के लिए सही और उचित नहीं है। राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप केवल सीमित रूप में ही उचित है। राजनीति में मीडिया का अत्यधिक एवं असीमित हस्तक्षेप राजनीति की आत्मा को नष्ट कर रहा है।

राजनीति और मीडिया परस्पर रूप से सम्बंधित हैं क्योंकि प्रत्येक देश अथवा राज्य अपनी नीतियों, नियमों, योजनाओं आदि के प्रसार एवं प्रचार हेतु मीडिया पर ही निर्भर रहता है। मीडिया राज्य अथवा देश की समस्त प्रकार की सूचनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है एवं राजनीति बिना मीडिया के कार्य नहीं कर सकती। राजनीति में मीडिया का हस्तक्षेप उचित है, परन्तु उन विशिष्ट सीमाओं में रहकर जो राज्य द्वारा मीडिया के लिए निर्धारित हैं, परन्तु प्राय: यह देखा जाता है कि मीडिया राजनीति में अपनी सीमाओं का पालन नहीं करता है जिसके परिणामस्वरुप मीडिया की कार्य-शैली पर प्रश्न उठते रहते हैं। अत: यह आवश्यक है कि मीडिया जनता को विभिन्न माध्यमों से केवल वही बताये और दिखाए जो राजनीति के बारे में सच है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. न्यूमैन, एन.य लेवी, डी. (2013). 'रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2013' (पीडीएफ)।
2. मिशेल, एमीय जर्कोविट्ज, मार्कय ओलिपांत, जे. बैक्सटरय शियर्र, एलिसा (2020-07-30). 'अमेरिकी जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर अपनी खबरें प्राप्त करते हैं वे कम व्यस्त, कम जानकार हैं' । प्यू रिसर्च सेंटर की पत्रकारिता परियोजना।
3. मैककीवर, ब्रुक डब्ल्यू.य चोई, मिनहीय वॉकर, डेनेट्राय मैककीवर, रॉबर्ट (जून 2022)। 'सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में बंदूक हिंसा: मीडिया वकालत, फ्रेमिंग और संचार के लिए निहितार्थ', समाचार पत्र अनुसंधान जर्नल। 43 (2): 138-154.
4. गॉटफ्राइड, जेफरीय शियरर, एलिसा (2016-05-26)। :सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार का उपयोग 2016; ।
5. फेफर, जे.य जोरबैक, टी.य कार्ली, केएम (2013)।'ऑनलाइन फायरस्टॉर्म को समझना: सोशल मीडिया नेटवर्क में नकारात्मक मौखिक गतिशीलता'। जर्नल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। 20 (1-2): 117-128.
6. होप चावला बांदा-The Impact of Political Interference on Public Media Functions: The Case of Malawi Broadcasting Cooperation (MBC), International Journal of International Relations, Media and Mass Communication Studies Vol.9, No.1, pp.52-76, 2023
7. योगेश के. द्विवेदी एवं अन्य (2021)-'डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग अनुसंधान का भविष्य निर्धारित करना: परिप्रेक्ष्य और अनुसंधान प्रस्ताव', सूचना प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम 59, अगस्त 2021

****

Effect of Om Chanting and Yoga Nidra on Regulation of Hypertension

Dr. Santosh Lamba* Imran Khan**

*Assistant Professor (Physical Education) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapith University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapith University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Hypertension has become a common non-communicable disease that has both physical and psychological causes. Pharmacological methods were the primary means of controlling hypertension. Even though pharmacological interventions lower blood pressure, they do not cure autonomic dysfunctions or psychosocial reasons. Complementary and alternative approaches for the treatment of hypertension are being studied. One of the simplest and most classic approaches is to combine two relaxation activities, such as Om chanting and Yoga nidra. Although numerous studies have demonstrated the separate benefits of Yoga nidra and Om chanting, few studies combine the two. As a result, the current study was designed to provide research-based evidence on the impact of Om chanting and Yoga nidra on hypertension and its consequences.
Keywords: hypertension, yoga nidra, om chanting.

Introduction - Hypertension is a very common and prevalent public health challenge in both economically developing and developed countries. Poorly controlled blood pressure (BP) remains a strong reason for cardiovascular mortality and morbidity worldwide. (Wiles et al, 2018)

Preventing and controlling hypertension (HTN) is one of the most costeffective strategies for reducing the global burden of premature cardiovascular disease and death. Reducing systolic blood pressure (SBP) by just 3 mm Hg in the general population has the potential to reduce stroke mortality by 8% and coronary artery disease mortality by 5%. The published findings of the inter-stroke study, one of the largest studies of its type in the world, concluded definitively that uncontrolled HTN is the single most influential risk factor for stroke. (Alebiosu, et al, 2009).

Hypertension is one of the leading contributors to the burden of diseases globally. 62% of cardiovascular diseases and 49% of ischemic heart diseases are caused due to uncontrolled hypertension. Indians have a high prevalence of cardiovascular disease, with hypertension being an important modifiable risk factor. According to the etiology hypertension is classified into primary or essential hypertension and secondary or non-essential hypertension. Primary hypertension occurs without any underlying pathology. Secondary hypertension occurs due to any underlying pathology including renal or cardiac conditions. (Blom et al, 2012)

Different studies on yoga and meditation recommended that yoga can be preliminarily recommended as an effective intervention for reducing blood pressure. (Hagins,2013), (Cohen, et al,2011). Among the different yoga practices, yoga nidra and Om chanting play a major role in the control of hypertension. These practices produce complete physical and mental relaxation.

Relaxation practices will reduce heart rate, palpitations, diaphoresis, shortness of breath, and muscle tension. (Norelli et al., 2020). It has been studied that practicing relaxation or relaxation therapy will produce a positive result in the control of hypertension, along with medication in essential hypertensive subjects. (Jacob, 1977; Wadden et al.,1980). The possible mechanism underlying will be, the alteration of autonomic nervous system balance and or the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. (Brook et al 2013).

Om is the sacred and fundamental symbol of the Yoga tradition. It is considered to be the sound of God.(Iyengar, 2002). According to Kundalini Yoga Om is related to Ajna chakra or the cavernous plexus. The symbol Om is the combination of three sounds A, U, and M these sounds represent a different state of consciousness. (Swami ,2012). Om chanting can be done in two ways, mental chanting and loud chanting. Mental chanting is considered to be a meditation practice whereas loud chanting is an exhalation practice. Loud chanting of Om is beneficial for naïve practitioners.(Gurjar&Ladhake, 2009), (Amin et al., 2016) Yoga nidra is a strategy for achieving complete physical, mental, and emotional relaxation through a systematic approach. Yoga nidra derives from two Sanskrit words: yoga, which means "union" or "one-pointed consciousness,"

and nidra, which means "sleep." Even though one appears to be sleeping when doing yoga nidra, one's consciousness is functioning at a deeper level of awareness. Yoga nidra is often referred to as psychic slumber or deep relaxation with inner consciousness because of this. Contact with the subconscious and unconscious realms occurs naturally in this transitional state between sleep and alertness. (Saraswathi ,1976)

Review of literature:

With one-quarter of the world's adult population estimated to have hypertension, and with the worldwide prevalence of hypertension projected to increase by 60% by 2025 , the primary prevention of hypertension has become a global public health challenge**.(Diaz, & Shimbo.,2013)** Studies suggest that 31.1% of adults worldwide had hypertension in 2010. The prevalence was higher in low and middle-income countries than in high-income countries**.(Mills, Stefanescu, & He, 2020).**

National Family Health Survey (NFHS-4) shows the overall prevalence of hypertension in the Indian population was 29.8%, 27.6% of hypertensives were in rural areas and 33.8% in urban areas. Regional estimates suggest that in rural north India the prevalence of hypertension was 31.1%. This was significantly more compared to rural south India (21.1%). Among the urban population, the prevalence was 7 high in west India (35.8%) following east India at 34.5%. In the overall population, the prevalence of hypertension was more in men (24.5%) than in women (20.0%).(NFHS-4) 25.3% of rural and 42.0% of urban populations were aware of their hypertension state and 25.1% of rural and 37.6% of urban populations were undergoing treatment. 10.7% of rural and 20.2% of urban Indians had their blood pressure under control. From this survey, it is evident that there is a definite regional and socio-economic disparity present in the treatment and regulation of hypertension. (Anchala,et al.,2014), (Gupta, & Ram ., 2019)

Lack of knowledge, delayed diagnosis and poor management of hypertension will increase its complications. A study conducted on perceived barriers and facilitators of hypertension management among older adults found that financial struggle to pay for blood pressure medicines, lack of motivation to walk outside in their neighborhood , and fear of injuring their knee from walking outside are the major factors affecting the management of hypertension. (Rimando.,2015)

Immunological factors increase the risk of hypertension, especially in rheumatologic diseases such as rheumatoid arthritis. Inflammation is associated with increased vascular permeability and release of nitric oxide, cytokines and metalloproteinases. Cytokines mediate the formation of thickened layers of arterial intima, thereby decreasing the lumen diameter of resistance vessels and promoting vascular fibrosis, leading to increased vascular resistance and stiffness.(Harrison & Bernstein., 2018), (Rodriguez-Iturbe .,1979)

Yoga nidra can be used as an important adjunct in the management of chronic insomnia patients. (Datta et al., 2017).Bhavnani et al studied the effect of savasana on sleep deprivation on young healthcare professionals and found that a 30 minute savasana session may reverse the effect of sleep deprivation. The increased parasympathetic activity and decreased sympathetic arousal are most likely due to the influence of yogic 20 relaxation at the level of brain stem reticular formation. (S, S, Bhavanani, K, & T, 2018)

Three feedback mechanisms influence the activity of reticular formation: i) from the cerebral cortex, ii) from peripheral receptors and iii) from the adrenal medulla. Pain and proprioceptive impulses are said to be more important than others from peripheral receptors. In yogic relaxation, the marked relaxation of muscles may be reducing the number of proprioceptive impulses to a certain extent. When asked to concentrate on the breath flowing through the nostrils into the chest, such a mindful and conscious focus may help the subject to temporarily relax, thus providing mental relaxation. Due to these two factors, the undue activity of the reticular formation during the awakened state may be reduced, and as a result, de-stressing manifests in the subject after overnight sleep deprivation. (S, S, Bhavanani, K, & T, 2018)

Research objective:

1. To assess the effectiveness of Om chanting and Yoga nidra on blood pressure and lipid profile in hypertensive subjects
2. To assess the effectiveness of Om chanting and Yoga nidra on heart rate variability, sleep quality, depression, anxiety, and stress in hypertensive subjects.
3. To assess the effectiveness of Om chanting and Yoga nidra on hematological and selected inflammatory biomarkers in hypertensive subjects.

Research hypotheses:

1. Om chanting and Yoga nidra will have a beneficial effect on blood pressure and lipid profile in hypertensive subjects.
2. Om chanting and Yoga nidra will have a beneficial effect on heart rate variability, sleep quality, depression, anxiety, and stress in hypertensive subjects.
3. Om chanting and Yoga nidra will have a beneficial effect on hematological and selected inflammatory biomarkers in hypertensive subjects.

Methodology:

Subjects: Patients at MB Government Hospital diagnosed with HTN were recruited. Recruitment was done by giving fliers and contact made over the telephone. 320 patients were screened. Out of which, 117 patients were eligible for the study and after applying further inclusion and exclusion criteria, 80 patients who provided informed written consent were randomly allocated to either an intervention group (40) or a control group (40) through the block randomization method. Allocation concealment was done in a sequentially

numbered opaque and sealed envelope (SNOSE method), handled by a researcher who was not directly involved in the study. Six patients from the experimental group and nine patients from the control group dropped out of the study. Blinding or masking was not done in this study. The participants had the freedom to withdraw at any time from the study they wish to. The assurance of the confidentiality of collected data was given to all participants. Out of 80 subjects, 65 hypertensive subjects completed the study.6 subjects from the experimental group and 9 subjects from the control group were withdrawn from the study due to personal reasons.

Inclusion And Exclusion Criteria: Hypertensive subjects whose BP was in the range of 130–139/80–89 mmHg (AHA guidelines), between 25 to 60 years of age were selected. The subjects were under antihypertensive therapy and following a low-sodium low-fat diet.

Exclusion criteria were patients with cardiorespiratory diseases, neuroendocrine diseases, and patients who were practicing yoga or any form of exercise more than 3 days a week. Patients who were habituated to alcohol and smoking were also excluded.

Study Design: This study was a prospective randomized controlled study conducted in patients with diagnosed HTN. Data were recorded and confidentiality was maintained. BP measurement and lipid profile parameters were evaluated before starting the intervention and on the 30th day and 60th days after the intervention.

Study Groups: Subjects were equally grouped into experimental and control. The experimental group received the Om chanting and Yoga nidra intervention for 60 days. No interventions were given to the control group subjects.

Statistical Analysis: Parameters were assessed before starting the study on the 30th day and the 60th day. The data were entered in Microsoft Excel sheets, the data were expressed as mean + SE or median and percentiles. The means were compared (parametric data) by two-way repeated measures analysis of variance (2-way RM ANOVA), for groups, days, and the group X test interaction comparisons. When a significant difference was found, multiple comparisons were done by Bonferroni's t-test for between-group and within-group comparisons. The medians were 32 compared (nonparametric data) by Kruskal Wallis one-way ANOVA on ranks with Dunn's multiple comparison tests. A probability of 0.05 or less was considered statistically significant. SigmaPlot 14.5 version (Systat Software Inc., USA) was used for the statistical analysis and graph plotting.The main outcome measures were the changes in BP and lipid profile variables on the 60th day of the intervention.

Conclusions:

1. From the studies, it is evident that the practice of Om chanting and yoga nidra reduces stress, anxiety, and depression. In our study also there was a significant improvement was observed in the psychological aspects of the subjects. Sleep is a major factor that affects the neural centers. In our study after practicing Om chanting and yoga nidra, the sleep quality of the subjects improved significantly.
2. From the studies, it is evident that psychological disturbances and sleep disturbances will produce disturbances in cortical activities and cause sympathetic stimulation, and may lead to hypertension. There was a definite parasympathetic stimulation was observed in our study. This was supporting the effectiveness of the procedure.
3. The study findings prove that Om chanting and Yoga Nidra practice will significantly reduce depression anxiety stress and improve sleep quality and autonomic functions in hypertensive subjects.

Recommendations for further studies: Future studies with an adequate sample size will be beneficial in understanding the added effects of these relaxation practices. The significant positive results show that this practice can be combined to improve cardiac autonomic functions in hypertensive subjects.

References:-

1. Aivazyan, T. A., Zaitsev, V. P., Salenko, B. B., Yurenev, A. P., &Patrusheva, I. F. (1988). Efficacy of relaxation techniques in hypertensive patients. Health psychology : official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 7 Suppl, 193–200
2. Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., &Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28(2), 193–213.https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4
3. Cooper, M.J. &Aygen, M.M., (1979).A relaxation technique in the management of hypercholesterolemia. J. Hum. Stress, pp. 24-27.
4. Datta, K., Tripathi, M., &Mallick, H. N. (2017). Yoga Nidra: An innovative approach for management of chronic insomnia- A case report. Sleep Science and Practice, 1(1). https://doi.org/10.1186/s41606-017-0009-4
5. Mancia, G., &Grassi, G. (2014).The Autonomic Nervous System and Hypertension. Circulation Research, 114(11), 1804–1814. https://doi.org/10.1161/circresaha.114.302524
6. Rao, N. P., Varambally, S., &Gangadhar, B. N. (2013). Yoga school of thought and psychiatry: Therapeutic potential. Indian Journal of Psychiatry, 55(6), 145. https://doi.org/10.4103/0019-5545.105510

****

An Analytical Study of E-Marketing In India (With Special Reference to Madhya Pradesh)

Prashant Gurudev* Dr. Neha Mathur**

***Research Scholar (Management) Rabindranath Tagore University, Mendua, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** Professor, Rabindranath Tagore University, Mendua, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - This research paper presents an in-depth analytical study of e-marketing in India, with a specific focus on the state of Madhya Pradesh. E-marketing, also known as electronic marketing or digital marketing, has gained immense significance in recent years due to the rapid growth of the internet and advancements in technology. The objective of this study is to explore the various facets of e-marketing and assess its impact on businesses, consumers, and the overall economy, particularly in the context of Madhya Pradesh.

Furthermore, this research paper discusses the challenges faced by businesses in implementing e-marketing strategies in Madhya Pradesh, such as limited digital infrastructure, lack of skilled workforce, and cultural barriers. It emphasizes the need for government initiatives, educational programs, and industry collaborations to address these challenges and promote the adoption of e-marketing practices across the state.

This research paper provides a comprehensive analysis of e-marketing in India, with a special focus on Madhya Pradesh. It contributes to the existing literature by examining the specific context of a state and offers valuable insights for businesses, policymakers, and researchers interested in leveraging the potential of e-marketing. The study underscores the importance of embracing e-marketing strategies to stay competitive in the digital era and offers recommendations for businesses to enhance their e-marketing effectiveness in Madhya Pradesh and beyond.
Keywords: E-marketing, Electronic marketing, Digital marketing, Madhya Pradesh, Online marketing.

Introduction - E-marketing is the use of electronic media to promote and sell products or services. It is a rapidly growing field, and India is no exception. The Indian e-marketing market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 23% from 2022 to 2027.

There are a number of factors driving the growth of e-marketing in India. One factor is the increasing number of internet users in India. As of 2022, there are over 750 million internet users in India, and this number is expected to grow to over 1 billion by 2027. Another factor driving the growth of e-marketing is the increasing use of smartphones in India. As of 2022, there are over 600 million smartphone users in India, and this number is expected to grow to over 900 million by 2027.

The growth of e-marketing in India has a number of benefits for businesses. E-marketing can help businesses to reach a wider audience, increase sales, and improve customer service. E-marketing can also help businesses to reduce costs and improve efficiency.

Here are some of the benefits of e-marketing for businesses:

i. **Reach a wider audience:** E-marketing can help businesses to reach a wider audience than traditional marketing methods, such as print and television advertising. This is because e-marketing can be targeted to specific demographics, interests, and behaviours.

ii. **Increase sales:** E-marketing can help businesses to increase sales by providing a convenient and easy way for customers to purchase products and services online.

iii. **Improve customer service:** E-marketing can help businesses to improve customer service by providing a way for customers to contact businesses 24/7. This can help businesses to resolve customer issues quickly and efficiently.

iv. **Reduce costs:** E-marketing can help businesses to reduce costs by eliminating the need for print and television advertising. E-marketing can also help businesses to reduce costs by providing a way for customers to self-service.

v. **Improve efficiency:** E-marketing can help businesses to improve efficiency by automating tasks, such as customer service and order processing. This can free up employees to focus on other tasks, such as developing new products and services.

The growth of e-marketing in India has created a number of opportunities for businesses. Here are some of the opportunities for businesses in the Indian e-marketing market:

i. **Target the growing middle class:** The Indian middle

class is expected to grow from 300 million in 2022 to 500 million by 2027. This growth will create a large market for businesses that can offer products and services that appeal to the middle class.

ii. **Offer convenient and reliable online shopping:** The growing popularity of online shopping in India has created an opportunity for businesses to offer a convenient and reliable online shopping experience. This can be done by offering a wide selection of products, competitive prices, and secure payment methods.

iii. **Promote your products and services through online channels:** Businesses can reach a wider audience and increase sales by promoting their products and services through online channels, such as social media and search engine optimization.

iv. **Offer competitive prices and discounts:** Businesses can attract customers by offering competitive prices and discounts. This can be done by running promotions, such as sales and coupons.

v. **Provide excellent customer service:** Businesses can keep customers coming back by providing excellent customer service. This can be done by responding to customer inquiries promptly and resolving customer issues quickly and efficiently.

Madhya Pradesh is one of the states in India that is witnessing a rapid growth in e-marketing. The state has a large population of internet users, and the number of smartphone users is also growing rapidly. This has created a large potential market for e-marketing in the state.

Factors driving the growth of e-marketing in Madhya Pradesh: There are a number of factors driving the growth of e-marketing in Madhya Pradesh. Some of these factors include:

i. **Increasing number of internet users:** The number of internet users in Madhya Pradesh is growing rapidly. As of 2022, there are over 40 million internet users in the state, and this number is expected to grow to over 60 million by 2027.

ii. **Increasing use of smartphones:** The use of smartphones is also growing rapidly in Madhya Pradesh. As of 2022, there are over 30 million smartphone users in the state, and this number is expected to grow to over 45 million by 2027.

iii. **Growing middle class:** The middle class in Madhya Pradesh is growing rapidly. As of 2022, there are over 20 million middle-class households in the state, and this number is expected to grow to over 30 million by 2027.

iv. **Increasing disposable income:** The disposable income of households in Madhya Pradesh is also increasing. As of 2022, the average household in the state has a disposable income of over Rs.10,000 per month, and this number is expected to grow to over Rs.15,000 per month by 2027.

Benefits of e-marketing for businesses in Madhya Pradesh: E-marketing can offer a number of benefits for businesses in Madhya Pradesh. Some of these benefits include:

i. **Reach a wider audience:** E-marketing can help businesses to reach a wider audience than traditional marketing methods, such as print and television advertising. This is because e-marketing can be targeted to specific demographics, interests, and behaviors.

ii. **Increase sales:** E-marketing can help businesses to increase sales by providing a convenient and easy way for customers to purchase products and services online.

iii. **Improve customer service:** E-marketing can help businesses to improve customer service by providing a way for customers to contact businesses 24/7. This can help businesses to resolve customer issues quickly and efficiently.

iv. **Reduce costs:** E-marketing can help businesses to reduce costs by eliminating the need for print and television advertising. E-marketing can also help businesses to reduce costs by providing a way for customers to self-service.

v. **Improve efficiency:** E-marketing can help businesses to improve efficiency by automating tasks, such as customer service and order processing. This can free up employees to focus on other tasks, such as developing new products and services.

Opportunities for businesses in the e-marketing market in Madhya Pradesh.

There are a number of opportunities for businesses in the e-marketing market in Madhya Pradesh. Some of these opportunities include:

i. **Target the growing middle class:** The middle class in Madhya Pradesh is growing rapidly, and this creates a large potential market for businesses that can offer products and services that appeal to this demographic.

ii. **Offer convenient and reliable online shopping:** The growing popularity of online shopping in Madhya Pradesh has created an opportunity for businesses to offer a convenient and reliable online shopping experience. This can be done by offering a wide selection of products, competitive prices, and secure payment methods.

iii. **Promote your products and services through online channels:** Businesses can reach a wider audience and increase sales by promoting their products and services through online channels, such as social media and search engine optimization.

iv. **Offer competitive prices and discounts:** Businesses can attract customers by offering competitive prices and discounts. This can be done by running promotions, such as sales and coupons.

v. **Provide excellent customer service:** Businesses can keep customers coming back by providing excellent customer service. This can be done by responding to customer inquiries promptly and resolving customer issues quickly and efficiently.

Objectives Of The Research:

1. The major goal of this paper is to demonstrate the value of digital marketing in today's cutthroat marketplace.
2. Compile and appropriately apply the customer

comments.

3. To research how digital marketing affects customer purchases.

Literature Review

E-Marketing Landscape in India: India, with its large population and rapidly expanding digital infrastructure, has witnessed significant growth in e-marketing activities. Researchers have documented the rise of e-commerce platforms, social media usage, and mobile internet penetration as key drivers of e-marketing adoption in the country (Singh & Srivastava, 2019). Studies indicate that Indian consumers are increasingly relying on online channels for product information, comparison, and purchase decisions (Singh & Tripathi, 2017). This shift in consumer behavior has compelled businesses, including those in Madhya Pradesh, to embrace e-marketing strategies to remain competitive.

E-Marketing Channels and Strategies: The literature highlights various e-marketing channels and strategies employed by businesses in India, including Madhya Pradesh. Social media marketing has gained prominence, with platforms like Facebook, Twitter, and Instagram being used for brand promotion, customer engagement, and lead generation (Debnath & Paul, 2020). Search engine optimization (SEO) techniques are leveraged to improve website visibility and attract organic traffic (Acharya, 2018). Email marketing, content marketing, and influencer marketing are also prevalent strategies adopted by businesses (Sethi, 2020; Srivastava & Srivastava, 2018). These channels and strategies play a vital role in reaching and connecting with the target audience effectively.

Consumer Behavior in the E-Marketing Context: Understanding consumer behavior is crucial for devising effective e-marketing strategies. Studies have explored various aspects of consumer behavior in the Indian e-marketing context. Online reviews and ratings have been found to influence consumer purchase decisions (Gupta & Bansal, 2019). Personalized advertisements based on consumer preferences and behavior have shown to be effective in increasing conversion rates (Panda & Mishra, 2019). Convenience factors such as easy payment options, hassle-free returns, and fast delivery have emerged as key determinants of customer satisfaction and loyalty (Dey & Sarkar, 2019). These insights into consumer behavior provide valuable guidance for businesses aiming to tailor their e-marketing efforts to meet customer expectations.

Challenges and Opportunities: Implementing e-marketing strategies in India, including Madhya Pradesh, is not without challenges. Limited digital infrastructure, especially in rural areas, poses hurdles for businesses seeking to expand their online presence (Khan & Gupta, 2018). The shortage of a skilled workforce with expertise in e-marketing techniques is another significant challenge (Chauhan, 2020). Cultural barriers, language diversity, and consumer skepticism towards online transactions further complicate the e-marketing landscape (Pandey et al., 2019). However, these challenges also present opportunities for growth. Government initiatives aimed at improving digital infrastructure and promoting digital literacy, combined with educational programs and industry collaborations, can help overcome these barriers (Agarwal et al., 2020).

Limitations of the study:

1. Limited sample size and representativeness.
2. Potential data availability and reliability issues.
3. Time constraints may affect the currency of the findings.
4. Subjectivity and researcher bias could influence the results.
5. Scope and focus on Madhya Pradesh may overlook regional variations.
6. External factors such as policy changes or economic fluctuations are not fully considered.

Suggestions for Digital and E-Marketing:

1. Research suggests that to improve virtual presence through online and offline search engine optimisation, researchers should make the most use possible of search engine marketing.
2. Create and maintain a direct e-commerce website, web application, or mobile application since these are the e-businesses that consumers choose because they are connected to e-commerce businesses and have an impact on e-purchasing.
3. Marketers should use the right digital marketing channels to raise online consumers' levels of satisfaction.
4. Create a strategy to optimise your product/service information online so customers can locate it quickly and consider email marketing/promotion strategies.
5. There is a correlation between the frequency of clicking on digital ads and e-commerce purchases, but only e-commerce customers can influence e-commerce purchases at the same time if the ads are engaging and targeted.
6. There is ample opportunity for businesses to establish a strong online presence.
7. Implementing digital marketing strategies not only benefits e-commerce businesses but also drives in-store foot traffic.
8. The general consumer attitude towards digital advertisements is positive, indicating the potential for e-commerce businesses to increase sales through digital advertising.
9. Although people make online purchases, it does not imply that they completely avoid visiting physical stores. Maintaining a good offline reputation is essential.
10. All digital marketing channels have a significant impact on e-commerce, but direct e-commerce websites/apps, digital display ads, and social media channels have a stronger influence on online purchasing.
11. Consumers frequently use e-commerce platforms to buy flight/rail/bus tickets, movie/concert tickets, apparel, and electronic items. These areas present

promising opportunities for e-commerce businesses.

12. The use of the internet for information search is on the rise, providing e-commerce platforms with an opportunity to showcase their products. However, it is crucial to be cautious as mere clicks on advertisements do not necessarily lead to frequent purchases. Interestingly, individuals who click on ads more often tend to make fewer online purchases. Therefore, selecting the right digital marketing channel and creating appealing content is vital.
13. Digital technology-enabled communication is highly responsive & easily accessible, necessitating constant monitoring to steer it in a positive direction 24/7.
14. Expertise plays a critical role in achieving digital marketing success, making reliance on professional staff or agencies necessary in the current scenario.
15. Marketers should simplify digital advertisements by identifying specific target groups.
16. While email marketing and mobile marketing may not directly drive sales frequently, they have a positive impact on branding and serve as reminders for online purchases.

Conclusion: E-marketing is a rapidly growing field in India, and Madhya Pradesh is one of the states that is witnessing a rapid growth in this field. The state has a large population of internet users, and the number of smartphone users is also growing rapidly. This has created a large potential market for e-marketing.

Digital marketing has emerged as the modern-day version of marketing in the global village of the 21st century. With the rapid advancements in technology, it has revolutionized various aspects of life, work, communication, interaction, and feedback. Staying updated with the latest technology and trends is crucial for both digital marketers and consumers, as it offers the fastest means of communication. The speed, growth, and ease of digital marketing have attracted businesses of all sizes, ranging from multinational companies to small shop owners.

The accessibility and sensitivity of technology-enabled communication have transformed the way businesses operate, requiring round-the-clock monitoring and expertise to steer it in a positive direction. Similar to traditional marketing, digital marketing requires consistent efforts and is an ongoing process to achieve desired results. Research studies have revealed that digital marketing channels have significantly reshaped the communication landscape in e-commerce and other sectors due to intense competition. It has become imperative for organizations to establish a digital presence as a prerequisite.

The study also emphasized that time-saving and attractive offers have influenced people's inclination towards online purchases. However, it is important to note that individuals are not completely abandoning physical stores, highlighting the significance of traditional communication methods. Building a strong offline reputation remains foundational for any online activities.

References:-

1. Acharya, S. (2018). Leveraging Search Engine Optimization for Small Businesses: A Study of Madhya Pradesh, India. International Journal of Business and Management, 6(1), 54-62.
2. Agarwal, P., Kaur, H., & Sharma, S. (2020). Digital India Initiative: A Catalyst for E-Marketing Growth in India. International Journal of Research and Analytical Reviews, 7(1), 257-263.
3. Chauhan, M. (2020). E-Marketing and Small Businesses in Madhya Pradesh: Challenges and Opportunities. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 11(2), 34-41.
4. Debnath, B., & Paul, J. (2020). Social Media Marketing and Consumer Engagement: A Study of Businesses in Madhya Pradesh, India. International Journal of Management Studies, 7(2), 88-97.
5. Dey, S., & Sarkar, A. (2019). Impact of Convenience Factors on Customer Satisfaction in E-Marketing: A Study of Indian Consumers. Journal of Marketing Research and Case Studies, 2019, 1-14.
6. Gupta, A., & Bansal, N. (2019). The Influence of Online Reviews on Consumer Purchase Decisions: Evidence from Madhya Pradesh, India. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(10), 87-92.
7. Khan, N., & Gupta, N. (2018). Digital Infrastructure Challenges in E-Marketing Adoption: A Study of Rural Madhya Pradesh, India. International Journal of Research and Analytical Reviews, 5(2), 831-838.
8. Panda, D., & Mishra, M. (2019). Effectiveness of Personalized Advertisements in E-Marketing: A Study of Madhya Pradesh, India. Indian Journal of Marketing, 49(12), 32-42.
9. Pandey, A., Sharma, S., Garg, R., & Jain, A. (2019). E-Marketing in India: Cultural Barriers and Consumer Perception. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 8(4), 149-156.
10. Sethi, S. (2020). Content Marketing Strategies in E-Marketing: A Study of Businesses in Madhya Pradesh, India. International Journal of Applied Business and Economic Research, 18(3), 181-193.
11. Singh, D., & Srivastava, V. (2019). Emerging Trends in E-Marketing: A Study of Indian Market. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 9(1), 114-122.
12. Singh, N., & Tripathi, V. (2017). Exploring Factors Affecting Consumer Behavior in Online Shopping: A Study of Madhya Pradesh, India. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(5), 425-434.
13. Srivastava, M., & Srivastava, V. (2018). Influencer Marketing in E-Marketing: A Study of Indian Businesses. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, 7(2), 42-49.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

युग का आश्चर्य

डॉ. पंकज कुमार वशिष्ठ*

* प्रवक्ता (चित्रकला विभाग) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – चित्रकारों में इटालियन चित्रकार उसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध है जिस प्रकार मूर्तिकारों में मूर्तिकार ग्रीसियन। जिनका परम पावन धर्म **'सौन्दर्य'** – सृजन करना था। उस रंग रूप के **'सौन्दर्य'** का जिसके दर्शन के लिऐ मानव के नेत्र सैदव आकुल रहे हैं। उनके लिए कला धर्म और सौन्दर्य में कोई भेद ही न था। सत्यं शिवं सुन्दरम् उनकी कला का उच्चतम आदर्श था। प्राचीन शास्त्रीय कला आदर्शो का इटली में विस्तृतीकरण हुआ था। इसी आधार पर इस समय को कला का पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जो इटली के कलाकारों की चर्मोपलब्धि थी।

'पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1855 ई0 में शास्त्रीय अकादमी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकलेट (Michelet) द्वारा किया गया। उन्होने दुर्भाग्यवश इस शब्द का प्रयोग केवल साधारण रूप प्राचीनत्व के पुनर्जन्म या ज्ञान के पुनर्जागरण के लिए किया'[1]

रोमनस्क च गोथिक शब्दों के विपरीत ही **'पुनर्जागरण'** शब्द का प्रारम्भ किसी अतीत के चिन्ह के रूप में नहीं हुआ, बल्कि इस शब्द प्रयोग 15 वी सदी की कला व विचारों की क्रान्ति के लिए किया गया।

फ्लोरेंस के अनेक कलाकार अन्तिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे; वे बनावटी समय एंव सुरूचि के स्थान पर भावाभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते थे। असन्तुष्ट फ्लोरेन्स कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय कला के स्थान पर मध्यकालीन कलाकारों से ही प्रेरणा ली। **'मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु कला एक आवश्यक माध्यम बन चुकी थी किन्तु इसके द्वारा केवल कथाओं का ही चित्रण हो सकता था; अमूर्त भावों का नही; जबकि पुनर्जागारण युग तक आते-आते कला अमूर्त भावों की भाषा बनने लगी। उसमें रूप-रंग के प्रतीक दिये जाने लगे।'**[2]

अभी तक संसार ने केवल दो महान स्वर्ण काल देखें हैं प्रथम प्राचीन यूनान की सौन्दर्य-नगरी अथेन्स और दूसरा फ्लोरेन्स नगर के साहित्य, संगीत व कला में। प्रथम सवर्णकला में वास्तु, मूर्ति, चित्र तीनों ही शिल्प खूब पनपे; इतनी सुन्दर-2 श्वेत पाषण की मूर्तियों उत्कीर्ण हुई, जिनका लालित्य आज तक मानव हृदय को आह्नद विभोर करता चला आ रहा हैं। इटालियन कलाकारों ने रोम में जब इन प्राचीन स्वर्ण कालीन के अवशेषों की ओर देखा तो उससे प्रभावित होकर अपनी कला को परिष्कृत एंव परिमाजित कर यथार्थवादी परिधान ग्रहण करा कर नव यौवन रूप में प्रकट किया। जिसके आगे संसार नतमस्तक हो गया इटालियन कलाकारों की चारों और जय होने लगी। इटली कला का मक्का-मदीना बन गया। समस्त योरोप के चित्रकार इटली की तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ के नवोदित कला के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे।

वैसे योरोप में बडे-बडे विश्व प्रसिद्ध कलाकार उतपन्न हुए जिनका यश व कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त हैं; जिनके लिए यह कहना कि कौन किससे श्रेष्ठ है। यह किसी भी कला समीक्षक के लिए कठिन ही नहीं असम्भव सा है। किन्तु यह पूर्णत: सत्य है कि समस्त यूरोप में इटली कला का सबसे बडा कला केन्द्र व प्रशिक्षण स्थल रहा। यहाँ के कलाकारों से प्रभावित होकर कई वाद ने जन्म भी लिया। यहाँ तक कि रूबेन्स, रेम्ब्रा, ड्यूरर, गोया, डेविड जैसे महान कलाकार भी इटलियन कला से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित रहे।

इटालियन पुनर्जागरण युग का मानव कला को विज्ञान के रूप से सोचने लगा, केवल सत्य के रूप में संसार की सब आलोचना एवं संवदनशीलता के आधार पर होने लगी। इसी कारण पुनर्जागरण कला को अनेक उपयोगों में विभाजित करने की आवश्यकता हुई तो तीन स्पष्ट वर्गो में विभाजन किया; जिससे कला जगत की विपरीत प्रवृत्तियों को समझा जा सके।

प्रथम चरम – प्रोटो रिनासां
मध्य चरम – अर्ली रिनासां
तृतीय चरम – उच्च रिनासां

ज्योतो ने स्वाभाविकता की ओर प्रथम ठोस कदम उठाया था। अत: उसी से पुनरूत्थान कला का प्रारम्भ माना जाता है। नि:सन्देह सर्वप्रथम (13वी 14वी राती में) जयोतो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजन्टाइन रूढ़िवादी परम्परा से मुक्त कर उसे प्रकृति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया। इसी आधार पर उसे **'फादर ऑफ माडर्न पेण्टिंग** (Father Of Modern Painting) कहा जाता है।'[3]

मध्यकाल में मेसेच्चियो, पालोउच्चेलो, वेरोच्शियो, सैन्ड्रोबाट्टीचेली आदि कलाकारो ने इटली कला पुनरूथान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो विश्व प्रसिद्ध है और उच्च रिनाँसा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी।

फ्लोरेन्स नगर के महान् कलाकारों की प्रबल जिज्ञासा; अटूट लगन; अथक परिश्रम और सदियों की सतत साधना के साथ निरन्तर परिष्कृत और पूर्णरूप से विकसित होते-2 इटलियन कला पन्द्रहवी शती के अन्तिम और 16वी के प्रारम्भिक चरण में पूर्ण परिपक्व होकर आ खडी हुई। इस समय के चित्रों में दर्पण-तुल्य प्रतिविम्ब देखकर दर्शक आश्चर्य चकित हो उठा। इसी समय बने चित्रों को इटालियन हाईरिनासाँ कहा गया।

इटालियन हाई रिनाँसा काल की तीन महान विभूतियाँ थी जिनके योगदान का समस्त कला संसार ऋणी है।

'And They Produced Marvels Such As The Word Has

Newer Again Achieved & The Discerning Portraits Of Vinci, Michelangelo's Magnificent Human Figures In Motion And The Divine Beauty Of Raphael'[4]

लेकिन इन तीन महान विभूतियों में से ल्योनार्डो-द-विन्सी ने ही स्वर्णकाल की आधार शिला रखी और उसी से किसी न किसी रूप में प्रभावित होकर अन्य कलाकारों ने उच्च रिनांसा को स्वर्ण काल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ल्योनार्डोन्द-द-विन्सी-(1452-1519)- वास्तव में ल्योनार्डो बहुमुर्खी प्रतिभा समपन्न कलाकार था। वही एक मात्र ऐसा कलाकार था जिसमें रिनाँसा के समस्त चरित्रिक गुण या विशेषताएँ दिखाई देती हैं। उसे **Wonder Of The Age** (युग का आश्चर्य) कहा गया है। वह स्थापत्यकार, मूर्तिकार, इन्जीनियर, ड्रैफ्ट्समैन, वैज्ञानिक, संगीतकार आदि सभी था और सबसे बडी बात यह थी कि इनमे से किसी भी क्षेत्र में वह अपना सानी नहीं रखता था। इतना अधिक दक्ष प्रवीण और पारगंत वह विभिन्न कलाओं में था। ल्योंनार्डो को इटालियन उच्च पुनरूत्थान कला का प्रथम कलाकार माना जाता है क्योंकि उसी के हाथ में आकार कला विज्ञान और विज्ञान कला बनी।

मेरे विचार से एक कुशल पारंगत चित्रकार को चित्रण करते समय दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक तो मानव व उसकी आत्मा के अभिप्राय से दूसरे ध्येय को।पहले की अपेक्षा दूसरे का चित्रण करना आसान नहीं है; क्योंकि ऐसा करने मे उसके अंग प्रत्यगं और उसकी माँस-पेशियों को यथाचित चित्रित करना पड़ता है परन्तु ल्योनार्डो ने वे समस्याऐं अपने हाथ में ली, जिन्हें अन्य चित्रकारों के लिए चुनौती समझा जाता था। इसी लिए इसके विषय में कहा जाता कि 'By his Universal Enquiry Into The Laws Of Art And Of Natures, He Become The Prototype Of Renaissance Man'[5]

ल्योनार्डो-द-विन्सी का जन्म 15अप्रैल 1452 ई0 में विन्सी नामक छोटे से गाँव में हुआ था। ल्सोनार्डो ने बाल्यकाल से ही चित्रांकन एंव रेखाकन करना प्रारम्भ कर दिया था। इनकी शिक्षा-दीक्षा कला गुरू वेरोचियो की देख रेख में हुई। ऐसा माना जाता है कि एक बार गुरू ने ल्योनार्डो को देवदूत का चित्र बनाने को कहा। ल्योनार्डो द्वारा चित्रित इस देवदूत के चित्र ने गुरू को इतना अधिक प्रभावित किया कि उसने चित्रण कार्य करना ही छोड दिया।

वसारी के शब्दों में - **'इसके बाद गुरु वेरोचियो ने कभी रंगों को नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें इस बात की बड़ी ही शर्मिन्दगी थी कि इतने छोटे से बालक ने रंगों की गहराई को इतनी गहनता से जाना'**[6]

इसने धार्मिक कृतियों का निमार्ण किया पर वह स्वयं धार्मिक न था। उसे प्राचीन यूनानी मूर्तियों की श्रेष्ठता का विचार करने की भी चिन्ता न थी और उसके लिए वे प्रकृति की जूठन थी। उसे भोतिक जीवन से विशेष प्रेम था और वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात ही वह वस्तुओं की सुन्दरता का चित्रण करता था। यद्यपि उसने तैल-चित्रण बहुत किया फिर भी वह तकनीकी दृष्टि से अपने युग से आगे नहीं जा सका परन्तु इतने पर भी मिलान तथा फ्लोरेन्स के अनेक कलाकारों ने उसका अनुकरण किया। उसने कला को धार्मिक पक्षपात-रहित स्तर पर उतारा और कलाकार का सामाजिक आदर बढ़ाया। उसकी दृष्टि में कलाकार व्यवसायी न होकर न्याय; सत्य और सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है।

ल्योनार्डो छाया प्रकाश का तो मास्टर था ही साथ में उसने अपने चित्रों में प्रस्पेक्टिव का भी बहुत सुन्दर चित्रण किया है। उसका कहना था कि 'Painting is a spiritual objects' न केवल प्रतीत सत्य के अंकन में वरन् अन्तरनिहित मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी उसके चित्रों में एक साथ दर्शन होता है। जिसका उत्कृष्ट नमूना उसके द्वारा बनाये गये विश्वविख्यात चित्र **'ईसा का अन्तिम भोजन'** (Last Supper) में मिलता है। **'एक तो वह बहुत धीरे-धीरे कार्य करता था, दूसरे उसने इच चित्र फ्रेस्को के स्थान पर तैल पद्धति से प्लास्टर की भित्ति पर कार्य करने का प्रयोग आरम्भ किया था, इन्हीं दोनों कारणों से यह चित्र स्वयं उसके सामने ही दीवार पर से उखड़ने लगा था।'**[7]

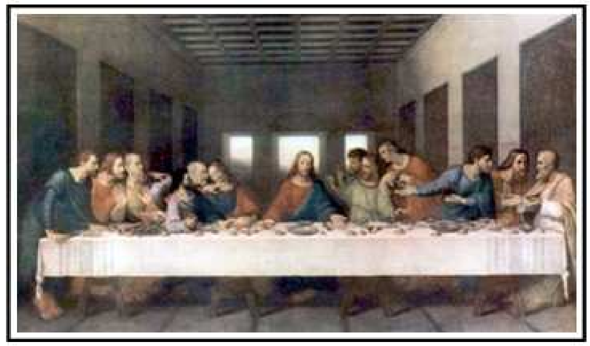

'The events surrounding the death of Christ provide the most compelling and emotive of all Christion themes. Leonardo-da-vinci's celebration version of the `Last Supper' where Jesus announced to his disciples that of them would betray him was commissioned for the refectory of a man astrey Church. Where the monks could reflect on the theme while they ate'[8]

इस महान कृति की विशेषता पृष्ठभूमि में दर्शाये गये दरवाजों, धत्रियों के माध्यम से गहराई का भ्रम है। ईसा मध्य मेज के सामने बीच में बैठे हैं उनके दोनों और 12 सन्तों की मानवाकृति हैं, जिनमें कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि ईसा ने कह दिया है कि **'तुम में से एक मुझे धोखा देगा'** और वे गम्भीर मुद्रा में व्याप्त है। संत विस्मय की दृष्टि से एक-दूसरे की तरफ घूर रहे हैं। उनके चेहरे पर कलाकार ने तनाव के क्षणों में दिखाई देने वाली स्वाभाविक भाव-भंगिमाओं को दिखाया है।

इस चित्र के अतिरिक्त विन्सी का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वप्रसिद्ध कलाकृति 'मोनालिसा' का व्यक्ति चित्र था। इस चित्र के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है क्योंकि चित्र में अंकित मुस्कान भी रहस्यपूर्ण सी लगती है। जबकि तकनीकी दृष्टि से देखें तो आँखों तथा होठों की रेखाओं के कारण मुस्कान का यह प्रभाव स्वयं उत्पन्न हो गया।

'Monalisa is one of the first painting in which a woman is allowed to look directly into the eye of the viewer. Her hint of a smile, clam gaze and the stillness emphasized by her Beautiful hands have mesmerized art lovers for Centruries. Leonardo-da-Vinci is said to have entertained her during her sitting. This was perhaps necessary. Since her black will suggests a recent death in her immediate family' [9]

मोनालिसा के चेहरे पर नारी के समस्त गुणों को कलाकार ने दिखाने का प्रयत्न किया है। इस चित्र का संयोजन भी पिरामिडी संयोजन है, जो पुनर्जागरण शैली के छवि–चित्रों में इस चित्र के बाद प्रचलित हुआ। इस चित्र में आन्तरिक जीवन के रहस्य को व्यक्त किया गया है। यह प्रथम व्यक्ति चित्र है जिसमें शरीर विज्ञान की अभिव्यक्ति का इतना भावनात्मक प्रदर्शन किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रहस्यमयी मुस्कुराहट व माँस–पेशियों की गति–विधियों का अंकन इस चित्र की प्रमुख विशेषताऐं हैं।

ल्योनार्दो ने मोनालिसा के चित्र को 1504 ई0 में अन्तिम स्वरूप प्रदान किया था। इस चित्र को बाद में फ्रान्स के राजा 'फ्रैन्सिस प्रथम' ने चार हजार स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। तभी से यह लूअर संग्रहालय की अमूल्य निधि बनी हुई है।

विलियम आरपेन के अनुसार – **'यह चित्र न केवल मोनालिया के रूप की अभिव्यक्ति मात्र है बल्कि नारी जाति की वह रहस्यमयी पहेली है जिसे आज तक बूझा न जा सका।'**[10]

इसके अतिरिक्त ल्योनार्डो के अन्य प्रमुख चित्र हैं – **'शैलखण्डों की कुमारी'** व **'कुमार लीडा तथा हंस'** व **'आत्मचित्र'** **'राज्याधिकारियों के द्वारा ईसा की वन्दना'** आदि हैं। जिन्होने ल्योनार्डो द विन्सी को हाईरिनाँसा का प्रथम कलाकार बना दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'यूरोपीय पुनर्जागरण कला'– डॉ0 कुसुम दास (साहित्य संगम प्रकाशन, इलाहाबाद) पृ0स0 01
2. 'कला'– डॉ0 चित्रलेखा सिंह (उपकार प्रकाशन, आगरा–2) पृ0स0 71
3. 'इटालियन पेटिंग'– राजेन्द्र वाजपेई, (समिट प्रकाशक कानपुर) पृ0स0 10
4. 'इटालियन पेटिंग'– राजेन्द्र वाजपेई, (समिट प्रकाशक कानपुर) पृ0स0 48
5. 'इटालियन पेटिंग'– राजेन्द्र वाजपेई, (समिट प्रकाशक कानपुर) पृ0स0 48
6. 'कला'– डॉ0 चित्रलेखा सिंह (उपकार प्रकाशन, आगरा–2) पृ0स0 72
7. 'पश्विम की कला'– अशोक (ललित कला प्रकाशन) पृ0स0 174
8. "The Colling Big Book of Art"(Colling Desgin an Imprint of Carpercollins Publishers) Page no 308
9. The Art Treasures of Europe (Chaeles Wentinek) Page no 320
10. 'इटालियन पेटिंग'– राजेन्द्र वाजपेई, (समिट प्रकाशक कानपुर) पृ0स0 52

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Socio-Political Crisis in Select Partition Novels

Dr. Arvind Kumar*

***Professor & Head (English) Shri K. K. Jain (PG) College, Khatauli (U.P.) INDIA**

Abstract - The theme of partition has ever been one of the major and much debated issues of Indian-English Literature. It is one of the most terrific incidents in the history of India which resulted in rapes, bloodshed and mass displacement of the people across the border. Millions of people were displaced from their homes and lands which gave rise to severe socio-political issues on both the sides. The authors like Khushwant Singh, Chaman Nahal, Bhisam Sahani, Amitav Ghosh, Bhabhani Bhattacharya, Bapsi Sidwa and many others tried their best to present a realistic and authentic picture of the terrific and inhuman events that took place due to partition. The rapes and murders, the agonies of displacement, the sense of alienation and negligence in the adopted land and the dream of a return to one's land are the constant mirages.
Key words: Partition, Terrific, Displacement, Across, Realistic and Authentic, agonies, alienation, negligence and mirage.

Introduction - The most horrific and one of the most debated issues of Indian-English Literature, partition of the nation proved one of the most terrific incidents in the history of India which resulted in rapes, bloodshed and mass displacement of the people across the border. Millions of people were displaced from their homes and lands which gave rise to severe socio-political issues on both the sides. The authors like Khushwant Singh, Chaman Nahal, Bhisam Sahani and Bapsi Sidwa tried their best to present a realistic and authentic picture of the terrific and inhuman events that took place due to partition.

Chaman Nahal, born in 1927 in Sialkot in pre-independence India, has presented the pains and sufferings of the people in his masterpiece "Azadi" which paints an inclusive panorama of life concealing the chaos that partition played on the people of the country at social, political as well as on individual level. It presents a realistic historical documentation of the confrontations and the atrocities caused by partition. Being a refugee himself, he writes his own experiences through the character of Lala Kashiram. The author portrays a heart-breaking story of the seven Punjabi families who were deeply affected by the partition. The novel is divided in three parts- Lull, The Storm and The Aftermath. Second part of the novel presents heart-rending graphic descriptions of riots and annihilations of Hindus thereafter.

Lala Kashiram, central figure of the novel "Azadi", is an epitome of humanity who has great respect for the British for bringing peace to the war torn disturbed land of Sialkot and making the whole country a nation. But soon his faith comes to an end the moment he hears the announcement of the Britishers to quit India after partitioning it. Highly frustrated and disgusted, when Lala Kashiram hears the word 'refugee', he asks to himself "I was born here, this is my home- how can I be a refugee in my own home." The partition riots made them all homeless forcing them to leave their motherland. There was not a single family that had not suffered in these riots. Many lost their loved ones in the communal violence. The women were abducted and raped inhumanely.

In "Train to Pakistan", another partition novel by Khushwant Singh, picturises the socio-political conditions of Mano Majra, a small village of border area between partitioned India and Pakistan. Inspite of turmoil all around, Mano Majra was almost peaceful with Muslims, Sikhs and the only Hindu family of Lala Ram Lal residing in the village. In the meantime, the trains carrying goods and passengers turn into ghost trains charged with massacred corpses. The river is also washed away with mutilated dead bodies of the people. "Train to Pakistan" is a novel which focuses on the socio-political issues and its effects and amply captures the essential human trauma and sufferings in the face of such turbulent atmosphere. Considered as one of the most heart-rending testimonials of the partition crisis of 1947, this novel is an important document for those who wish to know more about the socio-political crisis behind the partition.

"Tamas", an impressive novel on partition by Bhisam Sahni, very faithfully depicts and deals with the tragic and unfortunate event of the resection of the Indian subcontinent. This novel tells the story of a tanner named Nathu, who is bribed and deceived by a local Muslim

politician to kill a pig ostensibly for a veterinarian. This incident sparks off riots between the Hindus and the Muslims who were already tensed on account of the partition. The violence erupts in the village and subsequently spreads around with Muslims killing Sikhs and Hindus, who in turn massacre the Muslims. Although the massacre was eventually stopped by the administration with the help of the army, nevertheless, the damage had already been done as the relations between two communities had been permanently damaged. The events of riots depicted in the novel are based on true accounts of the riots of partition in 1947 of which Sahni himself was a witness to in Rawalpindi.

The novel "Cracking India" (first published as "Ice-Candy Man" in 1988) by Bapsi Sidhwa, also speaks of the civil war that occurred in 1947 during the partition of India. The socio-political upheaval of the partition led to mass violence, killings, mutilations, rapes and slaughter of the men, women and children on a large scale. It also led to the displacement of millions of Hindus, Sikhs and Muslims across the border. The story of the novel is told by Lenny Sethi, a Parsee child of nearly four years in the beginning and approximately ten years old at the end. This novel also realistically portrays the complicated socio-political ramifications of the partition of India into India and Pakistan transforming Lahore India into Lahore Pakistan. The novel operates on the parallel growth and formation of the protagonist Lenny and the country Pakistan. Both suffer severe growing pains, bereft of friends and families. Bapsi Sidhwa unfolds the macrocosm of the socio-political conditions of the country through the microcosm of Lenny's life and experiences. The breakdown of Indian and Pakistani societies into riotous and violent religious and ethnic groups pictures the breakdown of previous harmonious relationships between societies and religions in the protagonist's life. It also explores human understanding of being a social insider and outsider both depending upon a person's ethnicity, economic status, caste and religion.

Amitav Ghosh's "Shadow Lines" also deals the theme of socio-political issues portraying the agonies of displacement, the sense of alienation in the adopted land and the constant dream of a return to one's land. It also deals with the issues of identity crisis and cross-cultural interactions in the backdrop of communal violence. The novel portrays the affinity between an upper class Bengali family and an English family over three generations. The narrator's family spread over Calcutta, Dhaka and London, lives in Calcutta where his grandmother is a headmistress in a school. But the focus of the novelist is the partition of India and the consequent trauma of East Bengal's psyche. The people reject the concept of partition and scoff at the political leaders who believed that the problem could be solved by drawing lines across the land. Ghosh divides the novel into two parts- 'Going Away'and 'Coming Home'. It beautifully shifts from past to the present and from present to the past. Very masterly the novelist manages time in two ways- time past: memory, and time present: reality. Here 'Going Away' signifies going away from the self, and 'Coming Home' signifies coming back to the self. The novel shows how the division of Bengal and the borders of India and Pakistan become sites of violence creating a severe socio-political issue with the conclusion that the lines separating two nations are nothing but shadow lines.

"A Bend in the Ganges" is another novel written by Manohar Malgonkar on the theme of partition. In the beginning we find the elements associated with the Civil Disobedience Movement of Gandhiji. It seems presenting a proper documentation of the socio-political conditions of the partition. The author has tried to find out the cause of partition here. His intentions seem to show us the true picture of the chaos, the violence, the bloodshed, the rapes and the mutilations of the common people. People were mercilessly killing each other on the name of caste, creed and religion. The author gives proper space to the leaders of different communities along with the dictum of non-violence of Mahatma Gandhi. Characters like Gian Talwar and Debi Dayal are life-like. The revolutionary ideology and Gandhian philosophy run parallel to each other in the novel. The novelist has tried to show the internal conflict of the characters and that nobody thinks for the betterment of the nation.

The theme of partition has thus been a major issue in Indian English literature. The partition of the country into India and Pakistan in 1947 gave rise to such unbridled religious hatreds which culminated into such inter-communal conflicts whose scars will never be forgotten. It has created such socio-political issues and ditches which will never be filled. The sufferings in the form of rapes, butchery, plundering and the mass displacement of the people has given such wounds on the soul of the country whose scars will keep haunting the generations for centuries. Due to the greedy nature of politicians and religious leaders, the country suffered an irreparable loss in the form of partition and communal violence. The holocaust of partition is considered one of the bloodiest events in human history showing the ugly face of politics badly affecting the social life of people. The partition novels show how the riots are the result of greedy political planning at the cost of humanity.

Reference:-

1. Personal Research.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में वेदकाल की शिक्षा और गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन

डॉ. किरण पवार*

* सह प्राध्यापक, श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - वैदिक शिक्षा और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में गाँधी - विचार भारतीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आज के तकनीकी क्रांति के समय में शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का समावेश, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग आधुनिक युग का मानव तैयार करने में सक्षम रहा लेकिन मानवीयता या मानवता का समय जैसे कहीं खो गया। मानव को मानव बनाना, जीवन-दृष्टि देना शिक्षा का ही कर्म और धर्म है। भारत का वेदकाल नीति और पर्यावरण शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट काल है जो जियो और जीने दो की सीख देता है वहीं गाँधी शिक्षा-दर्शन सत्य, अहिंसा, सद्भावना को व्यक्ति में विकसित करते हुए स्वज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता, प्रेम व सहयोग पर आधारित जन-तंत्र लिए सम्यक, सन्तुलित भारतीय समाज के विचार और व्यवहार में सम्पूर्ण शिक्षा का केन्द्र नीति शास्त्र और मूल्यों को मानता है। यह शोध भारत के तरूणों की शिक्षा-दीक्षा में वेदकालीन प्रसंग में गाँधीजी के शैक्षिक विचार पर चर्चा का प्रयास है कि युवाओं की उच्च शिक्षा में वेदकालीन शिक्षा के उद्देश्य **'गाँधी शिक्षा दर्शन'** में कैसे समाहित हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

सिद्ध करना कि

1. सकल विश्व के कल्याण की भावना लिए न केवल भारत में वरन् समस्त विश्व में नव-चिन्तन के अनुरूप युवा-शक्ति के निर्माण व संगठन में गाँधीजी की शैक्षणिक योजना मानवता की सेवा पर केन्द्रित है। उच्च शिक्षा वैश्वीकरण में युवाओं को विश्व-हित के लिए तैयार करती है।
2. गाँधी-दर्शन के अनुसार विद्यार्थी दैहिक, बौद्धिक शक्तियों के साथ आत्मा का एकात्म है। व्यक्ति का विकास विश्व-कल्याण के अनुसरण में हो।
3. बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विचारशील शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के अमूल्य मतों के साथ संचार-सम्प्रेषण के इस दौर में **'गाँधी शिक्षा दर्शन'** राष्ट्र की शिक्षा के स्वरूप तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है।

वेदकाल और गाँधी जी - गाँधी जी स्वावलम्बन को जीवन की सच्ची शिक्षा मानते हैं। जो जीवन निर्वाह में सहायक है। वैदिक शिक्षा का तात्पर्य भी कहता है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। शिक्षा द्वारा हमारे संषयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है तथा विश्व को समझने की क्षमता प्राप्त होती है -

***'ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्
समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम्'***

दो नेत्रों से देखने में जो अपूर्ण रह जाता है वह विद्यारूपी तृतीय नेत्र से देखा जाता हे। वैदिक शिक्षा में, संस्था में बालक का प्रवेश सात वर्ष की आयु में होता है और चौदह वर्ष की आयु तक वह स्नातक विद्यार्थी को 'वाचस्पति' की उपाधि दे दी जाती।

प्रदत्त संकलन - Content Analysis, वृत्त-विश्लेषण विधि में वेदकालीन साहित्य एवं गाँधी साहित्य के अध्ययन द्वारा तथ्य संकलन एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण द्वारा अध्ययन।

निष्कर्ष - यहॉं यदि हम गाँधी जी की कर्मप्रधान शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष को देखें तो इसी उम्र की सीमा में वे जीवन के संघर्ष व अनुकूलन में व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ 'वाचस्पति' बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं।

'पूर्व वैदिक कालीन' शिक्षा का परिष्कृत रूप उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा है। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसरण में गाँधी-विचार के समानांतर यह सिद्ध होता है कि गाँधी विचार व वेदकालीन उद्देश्य समान हैं :-

1 आत्मसंयम पर बल देना।
2 धर्मग्रन्थों का अनुकरण करना।
3 भारतीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना।
4 नैतिकता का प्रसार करना।
5 चारित्रिक विकास करना।
6 व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
7 धार्मिक जीवन को महत्व देना।
8 सामाजिकता की भावना विकसित करना।

इन उद्देश्यों को गाँधी-विचार स्थापित करता हे। एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण उच्च शिक्षा के माध्यम से विश्व-स्तर पर करता है जहां शिक्षा के वैष्वीकरण में मानव-हित, मानव-विकास, मानव-कल्याण के आयामों के 'समेकित पक्ष में' समस्त विश्व की भलाई को लक्ष्य में रखा गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल बी बी/भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ/विनोद पुस्तक मंदिर आगरा/1997/पृष्ठ क्रमांक 20
2. अग्रवाल एस के /शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त/

मॉडर्न पब्लिशर्स/729 पी एल शर्मा रोड़/मेरठ (1979-1980)
3. बाबर एस एन /शिक्षा के सिद्धान्त एवंत त्व/गया प्रसाद एंड सन्स/आगरा (1961) पृष्ठ क्रमांक 136
4. भाई योगेन्द्रजीत/बुनियादी शिक्षा/सरस्वती सदन/मसूरी (1962)
5. चित्तौड शशि/नरसावत हरिशचंद्र/शिशु एवं बाल-मनोविज्ञान,/शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1-डी-ए-2 हिरणमगरी सेक्टर-4 / उदयपुर/ राजस्थान/पृष्ठ क्रमांक 31,34,35
6. देसाई नारायण भाई/सर्वोदय जगत/'जीवन और शिक्षा का सामंजस्य' सर्व सेवा संघ/राजघाट/वाराणसी/उत्तरप्रदेश 221001/ 1 से 31 जनवरी 2012/वर्ष 35/अंक 10-11/पृष्ठ क्रं 13-14
7. गाँधी मोहनदास करमचंद/सत्य के प्रयोग एवं आत्मकथा/सस्ता साहित्य मण्डल/नई दिल्ली।
8. गाँधी मोहनदास करमचंद/बुनियादी शिक्षा/नवजीवन प्रेस/अहमदाबाद 1970।
9. गाँधीजी/हरिजन/31 जुलाई 1937/11 सितम्बर 1937
10. गुप्त प्रो. एल एन , प्रो मदन मोहन/महान भारतीय शिक्षाशास्त्री/न्यू कैलाश प्रकाशन, राकेश मेहरोत्रा/141/136 खुशहाल पर्वत/कल्याणी देवी मन्दिर के पास , इलाहाबाद-3/पृष्ठ 34-35।
11. माथुर, डॉ. एस एस /शिक्षा मनोविज्ञान/विनोद पुस्तक मन्दिर/रांगेय राघव मार्ग/आगरा-2/1974।
12. पारीक मथुरेश्वर/प्रो. रजनी शर्मा/उदीयमान भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऍं/लायल बुक डिपो/मेरठ/1993/पृष्ठ 2,3,4,5

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

राव अमर सिंह राठौड़ (नागौर, राजस्थान) के इतिहास एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे योगदान

संगीता* डॉ. सुनीता सिन्हा**

* शोधार्थी (इतिहास) भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** शोध निदेशक (इतिहास) भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

प्रस्तावना – नागौर की ऐतिहासिक भूमिका – भारतीय इतिहास के परिपेक्ष्य मे राजस्थान का वैशिष्टय है। उसमे नागौर जनपद के इतिहास का अलग योगदान है। नागौर के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक महत्व के सम्बंध मे समकालीन आधुनिक इतिहासकारो ने विशेष वर्णन किया है। मुगलकाल से पूर्व भी नागौर की भौगोलिक तथा सामाजिक संस्थाओ का उल्लेख मिलता है।

नागपुर का अर्थ – नागों का नगर

अहिच्छत्रपुर का अर्थ – अनन्त गोचर (नाग, अहि, अनन्त) तीनों की नाग सर्प के पर्यायवाची है।

अनन्त गोचर का अर्थ – वह गोचर (अरण्य) जहां अनन्त (सर्प) रहते है। नाग जाति की बहुलता के कारण भी नाम नागौर रखा गया।

नागौर का प्रारम्भिक इतिहास – 1192 तक नागौर चौहानो के अधिकार मे रहा। मोहम्मद गौरी के हाथो पृथ्वीराज की पराजय के साथ मुसलमानो का अधिकार हो गया। नागौर के मुस्लिम शासक कभी स्वतंत्र रहकर कभी गुजरात के अधीन रहकर तथा कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर शासन करते थे।

1570 मे नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा शक्कर तालाब पर किया गया। जिसका उद्देश्य अकाल राहत कार्य करवाना था। राजस्थान दो भागो मे बँट गया। मुगल विरोधी, मुगल सहयोगी। अकबर ने बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। मारवाड़ के मोटा राजा उदयसिंह ने 1538–95 तक अकबर की अधिनता स्वीकार की और अपनी पुत्री मान बाई (जोधा बाई) का विवाह जहांगीर से की। उनकी सन्तान का नाम खुर्रम (शाहजहां) था।

अमरसिंह की मतीरे की राड़ – गजसिंह 1615–38 तक शासक रहा, जहांगीर की प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर जहांगीर ने गजसिंह को दलथम्भन की उपाधी दी। मतीर की राड़ 1644 ई. में बीकानेर व नागौर के बीच हुई।

अमरसिंह (जाखणिया) का युद्ध बीकानेर के कर्ण सिंह (सीलवा) के साथ हुआ। जिसकी जानकारी काशी छंगाणी के छत्रपति रासौ से मिलती है।

अमरसिंह को कटार का धणी कहा जाता है। इसकी हत्या इसके साले अर्जुनसिंह गौड़ ने की।

दरवाजा–ए–इस्लाम – इस प्रवेश द्वार का निर्माण नागौर के शासक राव अमरसिंह राठौर के पुत्र राजा रायसिंह ने अपने शासनकाल के 9 मोहर्रम हि.सं. 1076ए 11 अगस्त 1665 ई. को नागौर के कोतवाल नारायणदास गहलोत के पुत्र डुंगरसी गहलोत के प्रयत्न से नागौर मे करवाया था, जैसा की नागौर से ही प्राप्त एक फारसी देवनागरी द्विभाषिक अभिलेख से स्पष्ट है। परन्तु यह प्रवेश द्वार कैसा था, इसकी निर्माण शैली क्या थी औय यह कहां पर स्थित था, इस विषय मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। क्योंकि नागौर मे अब इस प्रवेश द्वार के कोई भी चिन्ह दृष्टिगोचर नही है। केवल इसका निर्माण सम्बन्धी उक्त अभिलेख गीलानी तथा गीनानी या जिनानी तालाब के किनारे स्थित थेमिन गाजी की मस्जिद की छत मे उगी हुई एक पत्थर की धन्नी मे उत्कीर्ण हैं।

निष्कर्ष – अमरसिंह की छतरी नागौर में 16 कलात्मक स्तम्भों पर झड़ा तालाब बनी हुई है। अखारा बुखारा दरवाजो को अमरसिंह का दरवाजा कहा जाता है। शाहजहां ने इसे बंद करवाया था जिसे 1809 मे जॉर्ज स्टील ने खुलवाया। कालान्तर मे अमरसिंह को राजस्थान के लोक गीतो व कहानियों का नायक माना जाने लगा।

'सस्ती पड़ी न सूर सूं, खग साटै खिल्लिह
अमरै बाही आगरै, पतशाही दिल्ली'

अर्थात अमरसिंह राठौड़ की मजाक उड़ाना तुर्को को महंगा पड़ा, प्रतिशोध मे उठी उसकी तलवार ने आगरा मे मुगलिया सल्तनत को हिला दिया था।

'आरब मारियो अमरसी बड़ हत्थे वरियाम
हटकर खेड़े हारणी, कमद्यज आयो काम
कमर कटे उडके कमद्य, भरम हुएली भार,
आरब दण होढे अमर, समर बजाई सार'

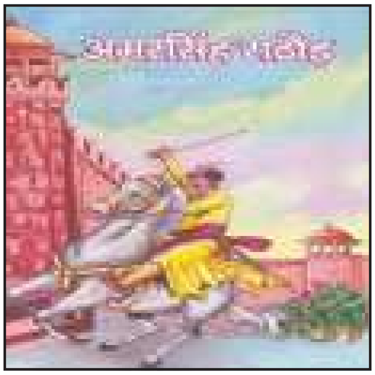

संदर्भ गंथ सूची :–

1. नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास – इस पुस्तक का लेखन मोहनलाल गुप्ता ने किया था। इसका प्रथम संस्करण वर्ष 1999 मे प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाश मिनर्वा पब्लिकेशन जोधपुर द्धारा किया जाता है।
2. नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वैभव – इस पुस्तक का लेखन डॉ. डी.बी. क्षीरसागर व नवल कृष्णन द्धारा किया गया है। इस प्रथम संस्करण वर्ष 1998 मे प्रकाशित किया था। इसका प्रकाशन महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन मेहरानगढ जोधपुर द्धारा किया जाता है।
3. मध्यकालीन नागौर का इतिहास – इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर मोहम्मद हलीन सिद्दिकी ने किया था। इसका प्रथम संस्करण 2 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन महाराजा मजसिंह पुन: प्रकाश मेहरानगढ द्धारा किया जाता है।
4. मारवाड़ का इतिहास भाग 1 – इसका लेखन पंडित वी.एन. रेऊ ने किया था। इसका प्रथम संस्करण 1938 मे प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जोधपुर गवर्नमिन्ट प्रेस द्धारा किया जाता है।
5. मारवाड़ का इतिहास भाग 2 – इस पुस्तक का लेखन पंडित वी.एन. रेऊ ने किया था। इसका प्रथम संस्करण 1940 मे प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जोधपुर गवर्नमिन्ट प्रेस द्धारा किया जाता है।
6. वीर शिरोमणी राव अमरसिंह राठौड़ – इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर हुकमसिंह भाटी ने किया था। इसका प्रथम संस्करण 2002 मे प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन महाराजा मानसिंह शोध केन्द्र मेहरानगढ म्युजियम ट्रस्ट जोधपुर व राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी द्धारा किया जाता है।
7. नागोर जिला एक दृष्टि मे – इसका संकलन संजयकुमार सोनी ने किया था। इसका प्रकाशन हर वर्ष कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नागौर द्धारा किया जाता है।

****

बाल श्रम में भारतीय समाज की भूमिका: आरम्भिक साहित्यक सर्वेक्षण-1994-2004 दशक पर आधारित

डॉ. अर्चना*

* असिसटेंट प्रो. (राजनीति विज्ञान) श्री कुन्द कुन्द जैन पी.जी. कॉलेज, खतौली, मुजफ्फरनगर(उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव को मानव बने रहने के लिये कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। इन अधिकारों को सामान्य रूप से मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक समाज और देश का यह दायित्व बन जाता है कि उस समाज और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह सभी अधिकार उपलब्ध कराये। समानता, लोकतन्त्र का मूल आधार है इसका अर्थ समाजवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। किसी भी धर्म, वंश, जाति, गौत्र आदि के कृत्रिम आधारों पर भेदभाव के बिना देश की राजनीतिक प्रक्रिया में जन समूह की भागीदारी अथवा राजनीति में अधिकांश लोगों का संलिप्त होना समानता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने, शोषण से बचाने, संरक्षण देने, उन्हें राष्ट्रीय निधि के रूप में पल्लवित होने के अवसर प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किये गये। भारतीय लोकतन्त्र में समानता की भावना के आधार पर बाल श्रमिकों को सभी अधिकार, सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है। फिर भी वह समुदाय हर दृष्टि से पिछडा हुआ है। बाल श्रमिक वास्तविक दुनिया से बहुत दूर है। इसी पिछडेपन का ध्यान में रखते हुए हमने बाल श्रमिक वर्ग को अपने प्रस्तुत शोध-पत्र का विषय चुना। अत: इस अध्ययन में आरम्भिक सर्वेक्षण पर अनुसंधान को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

शब्द कुंजी – सर्वेक्षण, लोक-तांत्रिक, श्रम मंत्रालय, राजनीतिक प्रक्रिया, अधिकार एवं समानता, अभिशाप व शोषण, सर्वेक्षण उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ग्रामीण भूमिका व जाति, परियोजनायें, समाज कल्याण शिक्षा व अशिक्षा।

भूमिका व सर्वेक्षण – भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न परियोजनायें बनाने तथा ऐसे कुछ कदम उठाने का निश्चय किया गया है जिससे कि बाल श्रम को सीमित किया जा सके तथा जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिक कार्यरत हैं, वहां उनके कार्य की स्थितियां बेहतर हों और उन्हें शोषण से बचाया जा सके।

इस दिशा में जो भी अध्ययन सम्पन्न हुए हैं, इस संदर्भ में 'क्रानिकल फरवरी' (2002) में बाल श्रम भारतीय समाज की भूमिका और उसके योगदान की चर्चा करते हुए यह परीक्षण करने का प्रयास किया गया कि बाल श्रम भारतीय समाज का एक ऐसा अभिशाप है जो हमें विरासत में मिला है। लेखक कहता है कि बाल श्रम का मुद्दा सदियों से हमारे समाज के सामने एक चुनौती भरा सवाल बने खडा रहता है, लेकिन उनका यह निष्कर्ष है कि इसके पीछे सबलों द्वारा दुर्बल को दबाने की, शोषित करने की नैसर्गिक प्रकृति हमेशा से ही पायी जा रही है।

इस क्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान प्रदीप पंत का है, पंत ने अपने एक लेख 'एक थकी हारी जिन्दगी' के अंतर्गत कहा है कि बालक भगवान का रूप होता है। बच्चे ही देश के भविष्य के निर्माता होते है लेकिन आज बच्चों को काम में अधिक लिया जाने लगा है और बाल श्रम की समस्या हर जगह पायी जाने वाली समस्या है। लेखक कहता है कि यदि बच्चे सहायता नहीं करते हैं तो परिवार का पेट भरना मौत हो जाता है और माता-पिता की बीमारी या अन्य किसी कारण से छोटी सी उम्र से ही बच्चों को कार्य करना पडता है

आर0सी0 सक्सेना 'श्रम समस्यायें एवं समाज कल्याण' के अंतर्गत उन बाल श्रमिकों को सम्मलित किया है जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर है। भारत में बालकल्याण को प्रमुखता प्रदान करने के लिये देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को प्रति वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चों को ईनाम दिये जाते हैं। श्री सक्सेना का मनना है कि जहां एक ओर कल्याण से सम्बन्धित अनेक विषयों पर विश्व जनमत गंभीरता से सोच रहा है वहीं दूसरी ओर बाल श्रमिकों की समस्या बहुत तेजी के साथ पनप रही है।

इस क्रम में ही एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन प्रशान्त अग्निहोत्री द्वारा सम्पादित 'काम के बोझ तले दबा बचपन' है। आज आजादी के 57 वर्षो बाद भी छोटे बच्चे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिये वे घरों से फर्श रगडते, होटल में बर्तन मांजते नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण गरीबी, बडा परिवार, अशिक्षा को अधिक महत्व देना है। लेखक कहते हैं कि जब तक अशिक्षा रहेगी तब तक बाल श्रम रहेगा और गरीबी भी तभी हमारे देश का पीछा छोडेगी। लेखक कहता है कि पारिवारिक मतों की योजना का अभाव होना भी बाल श्रम का एक प्रमुख कारण है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति का क्या स्तर है? इस प्रश्न का उत्तर मनीष देव ने अपने एक लेख में, 'बाल श्रम के बदतर रूपों का उन्मूलन' में देने का प्रयत्न किया है। इस अध्ययन में सन् 1988 में लखनऊ विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग द्वारा नैनीताल जिले के पहाडी व मैदानी क्षेत्रों में 2887 कृषक परिवारों के बाल श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर एक शोधपूर्ण अध्ययन कराया गया। इसके अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण समाज में मौजूदा गरीबी, अशिक्षा और

बेरोजगारी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से पचास प्रतिशत बाल श्रमिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में है तथा दक्षिण एशिया में यह समस्त राष्ट्रों के लिये अत्याधिक शर्मनाक है।

डॉ0 वी0सी0 सिन्हा एवं स्व0 पुष्पा सिन्हा ने अपनी पुस्तक 'श्रम अर्थशास्त्र' में बाल श्रम के दोषों का अवलोकन किया है कि अभिभावकों की अशिक्षा और बच्चों की उदासीनता का परिणाम यह होता है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत अधिक रहता है। 1981 की जनगणना के आंकडे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के लडकों में स्कूल जाने वाले लडकों का प्रतिशत 39.6 तथा लडकियों का 25.8 था, यह आंकडे सर्वेक्षण से प्राप्त किये गये हैं।

यह अध्ययन भारत के बाल श्रमिकों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नीरज कुमार 'हालात की जकडनों में बाल मजदूर' के अनुसार, बाल श्रमिकों का एक बडा भाग भारत में है। बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 30 से 35 प्रशित तक कारखानों में कार्यरत हैं। 1987 में होटलों, हथकरघा उद्योग और फिरोजाबाद के कांच उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या क्रमश: 20 लाख, 40 लाख और 60 हजार थी। देश में 18 से 58 साल की उम्र के करीब 25 फीसदी लोग आज बेकार हैं।

भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त हुए (सिविल सर्विसेज क्रानिकल) 57 वर्ष हो चुके हैं। परन्तु अभी तक आर्थिक विषमता का बडा भाग दरिद्रता के विषय चक्र में पिस रहा है। बाल श्रम का कारण, अभिभावक की निर्धनता को भी ठहराया जा सकता है।

सुनीता श्रीवास्तव 'बालश्रम' में तर्क देती हैं कि बाल श्रम ग्रामीण बच्चों के लिये दरअसल अभिशाप सरीखा है। इसकी सबसे अधिक मार ग्रामीण बच्चों पर ही पडती है। आंकडों के अनुमान से, वर्ष 2000 तक के कुल बाल श्रमिकों में से 81.23 प्रतिशत बाल श्रमिक गांवों से ही संबंधित हैं। आजादी से पहले वर्ष 1933 में, स्वयं ग्रामीण जन ही अपने नैनिहालों को कानून की नजरों से बचाकर मजदूरी की भट्टी में झोंक देते थे। दुनिया के हर देश में समृद्ध घरों में एक अदद घरेलू नौकर होता है। रणधीर तेजा चौधरी 'शिक्षा से ही टूटेगी लाचारगी' के अनुसार घरेलू नौकर रखने की प्रवृति पनप रही है। 1975 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल बाल श्रमिकों में से 10 से 20 प्रतिशत घरेलू नौकर हैं। लेखक कहता है कि 55 प्रतिशत बच्चियां ऐसी थीं जो 9 से 12 वर्ष की आयु के दौरान ही घरेलू नौकरानी बन गयी थीं।

बाल मजदूरी की समस्या केवल भारत में ही नहीं विश्वव्यापी है। योगेशचन्द शर्मा 'बाल मजदूर बचपन से दूर' में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकडों के अनुसार लगभग 17 करोड बाल मजदूर खतरनाक कार्यो में लगे रहते हैं। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चार पांच वर्ष की उम्र में ही अपना अंशकालिक काम शुरू कर देते हैं।

गैर सरकारी संगठनों में बाल श्रम 'दमन आहूजा' 'बाल श्रम पर प्रतिबंध' धारा 15(3) के द्वारा शासन को बालकों के लिये अलग से कानून बनाने का अधिकार है। धारा 39(ई) के अनुसार शासन को बच्चों के बचपन की रक्षा करने तथा ऐसे कार्यों में न लगाया जाये जो कि उनकी उम्र एवं स्वास्थ्य के अनुकूल न हों।

'राम आहूजा' की पुस्तक के प्रथम भाग में बाल श्रमिक के स्तर उनके कानून सामाजिक समस्यों बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम ने अपनी पुस्तक 'बाल श्रम सम्बन्धी समिति' (गुरू पद स्वामी समिति) जिसकी उन्होनें रिपोर्ट दिसम्बर 1979 में प्रस्तुत की थी। जिसमें उन्होनें बाल श्रमिकों की समस्याओं की विस्तार से जांच पडताल की। 1934 में व्यापक संशोधन किया गया तथा नियोजन की न्यूनतम उम्र 12 से 15 वर्ष रखी गयी तथा 5 घंटे काम लेने का निश्चय किया गया।

डॉ0 उमेश चन्द्र अग्रवाल 'बच्चों के मौलिक अधिकार' , कानून और वर्तमान स्थिति के अनुसार बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने तथा उन्हें खतरनाक दशाओं में काम न करने देने की आवश्यकता है जिससे ऐसे बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास को खतरा उत्पन्न होता है। उनके कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि उन्हें बहुत अधिक लम्बे घंटों और रात्रि में कार्य करने से संरक्षण दिया जाये। गैर खतरनाक व्यवसायों में भी नियमित कार्य होना चाहिये और सभी बाल श्रमिकों को उनके नियोजन में पर्याप्त साप्ताहिक विश्राम अवधि और छुट्टियां होनी चाहिये।

प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार जी मेहता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति बी0एल0 हसारिया तथा न्यायमूर्ति एस0बी0 मजूमदार की खण्डपीठ ने 10 दिसम्बर 1996 को सुनाये गये एक क्रान्तिकारी फैसले में परिसंकटमय उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से निकाल कर अनेक दिशा निर्देश जारी किये थे कि बाल श्रमिक को किसी अच्छी संस्था में शिक्षा दिलायी जाये ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

भारत के बाल श्रमिकों का लगभग 30 प्रतिशत खेतीहर मजदूर है सुबुद्धि गोस्वामी 'बाल विकास की दिशायें' के अनुसार, 30 से 35 प्रतिशत बाल श्रमिक कल कारखानों में लगे हैं। लगभग 30 प्रतिशत ही खानों व लघु उद्योगों में हैं और शेष लगभग 10 प्रतिशत चाय की दुकानों, ढाबों और घरेलू नौकरों आदि के रूप मं कार्य करते हैं। इनका जीवन पुराने जमाने के गुलामों अथवा बन्धुआ मजदूरों जैसा है।

जब तक भारत से गरीबी का पूर्णरूप से उन्मूलन नहीं हो पाता, तब तक बाल श्रम की समस्या का समाप्त होना मुश्किल है। डॉ0 श्रीमति कमलेश महाजन एवं धर्मवीर महाजन, 'औद्योगिक समाज शास्त्र' के अनुसार कहते हैं कि निर्धनता का पूर्णरूप से उन्मूलन होना भी सम्भव नहीं है। अत: यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने बनाये अधिनियमों को कठोरता के साथ पालन कराये इसके अतिरिक्त अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि की व्यवस्था करें।

राम आहुजा ने अपनी पुस्तक 'बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम' में कहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल बाल जनसंख्या का लगभग 5.1 प्रतिशत कार्यरत बाल जनसंख्या थी। बाल दुर्व्यवहार को सामान्यता तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उनका कहना है कि अधिकांश कार्यरत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। उनमें से लगभग 60 प्रतिशत 10 वर्ष की आयु से कम हैं। व्यापार एवं व्यवसाय में 23 प्रतिशत समा जाते हैं। जबकि 36 प्रतिशत घरेलू कार्यों में हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या के 40 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति घोर दरिद्रता की स्थितियों में रह रहे हैं। भारत में बाल श्रम एक बहुत ही पेचीदा विषय है। यहां बच्चे दरिद्रता के कारण बाल श्रम करते हैं। उनका कहना है कि यह सच है कि सबसे अधिक बाल मजदूर समाज के सबसे गरीब और सबसे वंचित वर्गों से ही आते हैं। चूंकि भारत में अभी भी 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीब और सुख सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिये बाल श्रम का यहां पाया

जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भारत ने बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिये हमेशा से ही प्रभावशाली नीति अपनाई है और बाल श्रम को मिटानो के लिये संवैधानिक कानूनी तथा विकासात्मक उपाये किये गये हैं। न्यायालय में 1996 में एक निर्णय दिया था जिसमें बताया गया है कि खतरनाक धंधों में काम कर रहे बच्चों को उस काम से किस तरह हटाकर उनका पुनर्वास किया जाये और किस तरह गैर खतरनाक काम करने वाले बच्चों की कामकाज की दशाओं को नियंत्रित किया जाये तथा उनमें सुधार लाया जाये।

राजेन्द्र उपाध्याय ने अपने एक लेख में कहा है कि 2002 में 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये संसद ने 86वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। इस कानून के बन जाने से शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है और अब सरकार इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड सकती। अब सरकार को सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की पक्की व्यवस्था करनी ही होगी।

मधु शुक्ला ने अपने एक लेख में कहा कि शिक्षा की विषयवस्तु तथा स्कूल कॉलेजों में शैक्षिक प्रक्रिया, परिवर्तनशील कार्य जगत की आवश्यकताओं से पूर्णतया बेखबर, शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसी योग्यतायें विकसित हों कि वे समाज का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें। इसके अलावा शिक्षा द्वारा ऐसा प्रशिक्षण अपेक्षित है जो छात्रों में समायोजन की मानसिकता तथा उद्यमिता के गुणों का विकास कर उन्हें स्वरोजगार और स्वाध्याय की ओर प्रेरित कर सके।

रत्ना श्रीवास्तव का कहना है कि संविधान की धारा 4 के अनुच्छेद 45 में बालकों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके राज्यों पर यह बाध्यता लागू की गयी कि वे 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें।

मौहम्मद हारून ने अपने एक लेख में कहा कि आजादी के बाद उल्लेखनीय उपलब्धता प्राप्त करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व को सबसे ज्यादा साफ्टवेयर इंजीनियर देने वाले भारत में निरक्षरों की संख्या अकेले विश्व की एक तिहाई के बराबर है। इसमें 29 करोड प्रौढ और 3 करोड 80 लाख बच्चे क,ख,ग के ज्ञान से भी अनभिज्ञा हैं। लेकिन 3 करोड 80 लाख बच्चों को अभी तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध न होना भी सच्चाई का दूसरा पहलू है।

गणेश कुमार पाठक जी ने अपने एक लेख 'कब तक होता रहेगा बाल श्रमिकों का शोषण' में कहा कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या कम होने के बजाये निरंतर बढती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकडों के अनुसार वर्तमान समय में विश्व में 10 करोड बच्चों को अपनी आजीविका के लिये मेहनत मजदूरी करनी पड रही है। इनमें 4 करोड 44 लाख बच्चे सिर्फ भारत में हैं। अर्थात पूरे विश्व के बाल श्रमिकों का अधे से थोडा ही कम भाग भारत में है बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहार मजदूर है तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कल कारखानों में कार्यरत है।

नीति टंडन और स्नेहलता टंडन ने अपने लेख 'बाल श्रम और इसकी रोकथाम की रणनीति' में जहां गरीबी को एक महत्वपूर्ण कारण माना है वहीं उनका कहना है कि आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, भेदभाव, लोगों का एक स्थान से दूसरे को संक्रमण, अपराध, शोषण, परम्परायें रीति-रिवाज, व्यस्कों के लिये अच्छे रोजगार की कमी और भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि बाल श्रम के महत्वपूर्ण कारण हैं। खेती की जमीन की कमी की वजह से लोग मजदूरी और ठेके पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। जिससे न तो उनकी सुरक्षा इंतजाम होता है और न ही श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था होती है।

कौशलेन्द्र प्रपन्न ने कहा है कि बाल मजदूरी के पीछे सबसे बडा कारण परिवार का गरीब होना ही है। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों को घर से बाहर, गांव और शहर से दूर काम की तलाश में भटकने के लिये प्रेरित करता है। इस मामले में पहाड से काफी संख्या में बच्चे विभिन्न शहरों में आकर चाय की दुकानों, साहुकारों, लघु उद्योगों में कम से कम पैसे में काम पर लग जाते हैं। पढने की इच्छा होने के बावजूद वो स्कूल का चेहरा नहीं देख पाते। कोई भी मां-बाप सहजता से तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे को काम से हटाकर स्कूल शिक्षा की मैराथन दौड में झोंक दिया जाये। उनके जीवन मूल्य मान्यतायें पैसा कमाना हो चुका होता है। उनके अपने तर्क होते हैं जिससे आगे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हार जाता है। लाख समझायें कि पढने से बच्चे का जीवन सुधरेगा। मगर वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि उनके सामने जीवन की अन्य चुनौतियां अहम होती हैं।

जय कृष्ण पूर्बी जी अपने लेख में कहते हैं कि बाल श्रमिकों के माता-पिता, उद्योगपति और स्वयं राज्य सरकार या उसका श्रम विभाग तीनों ही दोषी हैं। जहां तक बाल श्रमिक के अभिभावक का प्रश्न है शायद वे यह नहीं जानते हैं कि वे उस उद्योगपति की तुलना में स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने बच्चे की कोमल भावनायें और उनके मन स्वभाव, शिक्षा व व्यक्तित्व की बलि चढा रहे हैं। यदि वे थोडा त्याग करके उसके भविष्य का चिंतन कर उसकी शिक्षा की ओर ध्यान दें तो वही बच्चा शोषण रहित व सम्मानजनक आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन अशिक्षा के अंधकार के कारण उसका बाल कल्याण का हक पूरा नहीं होता है। जिससे बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ ही रही है। उद्योगपति भी बाल श्रमिक की संख्या निरंतर बढा ही रहे हैं।

संजय वुटेजा ने कहा है कि उम्र खेलने की है लेकिन उनके मासूम हाथों में गेंद या गुडडा-गुडिया नहीं बल्कि औजार हैं। बचपन क्या होता है। यह न तो उन्हें मालूम है और न ही उनके अभिभावकों को। उनका बचपन या तो ईंट भट्टों की मिट्टी के नीचे दबता जा रहा है या फिर औजारों की खनक में। औजार ही उनके लिये खिलौना है और औजार चलाना ही उनकी नियति है।

राजेन्द्र भारद्वाज ने सरकारी प्रयासों की धज्जियां उडाते हुए कहा कि सरकार ने एक बार श्रमिक विद्यालय चलाने के लिये किराये पर लिये जाने वाले भवन का किराया एक हजार रूपया प्रति स्कूल निर्धारित किया हुआ है। यदि पिछले पांच वर्ष का ही लेखा-जोखा देखा जाये तो लाखों रूपये का सरकारी धन किराया राशि के मद में ही हडप लिया जाता है।

आर0सी0 श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बच्चों से मेहनत मजदूरी कराने की कुप्रथा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका प्रचलन जारी है। आधुनिक समाज के मूल्यों और विकास की आवश्यकता को देखते हुए निसंदेह यह मानवता के लिये एक कलंक के समान हैं। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में बाल श्रम की कुप्रथा जारी है। बाल मजदूर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से संबंध रखते है। ये ऐसे लाचार बच्चे हैं जिन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बजाय अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिये दो पैसे की खातिर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर होना

पडता है।

राजेन्द्र उपाध्याय कहते हैं कि मेरठ जिले में 9072 से अधिक बच्चे विद्यालय जाने की बजाय घर पर रहकर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने में खुद का भविष्य चौपट कर रहे हैं। 3300 से अधिक बच्चे ऐसे भी हैं जो विद्यालय में गिनती सीखने की बजाय बाल मजदूरी कर रहे हैं।

जसदेव सिंह ने अपने लेख में कहा कि बालकों के बचपन को बचाने, उन्हें पढा-लिखा कर सही दिशा में उनका मार्गदर्शन करने और रोजगार दिलाने के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आश्वासन और वायदे भी धीरे-धीरे भुला दिये जाते हैं। इस बीच कोई और समस्या सामने आ खडी होती है। जो कथित तौर पर समाज सेवा में लगे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर वही रैलियां जुलुस और नारे सुनाई पडने लगते हैं।

रश्मिता रानी किरण झा ने कहा है कि गरीबी बाल श्रम का सबसे मूलभूत एवं मुख्य कारण है। आश्रित बच्चों की बडी तादाद अभिभावकों के निरक्षरता, अनियमित एवं अल्प आय और आजीविका के स्थायी स्रोत का आदि ही वे परिस्थितयां हैं जो उन्हें पढने के बदले काम करने को बाध्य कर देती है। कुछ निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि बाल श्रम की स्थितियां गरीब एकल परिवारों में ज्यादा उभरी हैं। लाखों बच्चे सडक के किनारों के ढाबों से लेकर खतरनाक फैक्ट्रियों तक और घर के कूडा-करकट की सफाई से लेकर सार्वजरिक कूडादानों की सफाई तक के कार्यों में व्यस्त है।

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एकवर्ग अर्थात बाल श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। क्योंकि किसी भी लेखक ने खेतों में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों के बारे में अधिक नहीं लिखा है, जबकि 90 प्रतिशत बाल श्रमिक गांव में ही निवास करते हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैने अपने शोधपत्र अध्ययन में ग्रामीण बाल श्रमिकों को ही लिखा है, जिसमें मैंने उनके बारे में कुछ बताने का प्रयत्न किया है। क्योंकि शहरी बाल श्रमिकों के बारे में तो सब सोचते हैं और लिखते हैं किन्तु ग्रामीण बाल श्रमिक जो खेतों में कार्य करते हैं, उनके बारे में कम ही लिखा गया है और सोचा गया है। मैंने अपने शोध अध्ययन में एक छोटा-सा प्रयास किया है कि उन बाल श्रमिकों, जो खेतों में कार्य करते हैं, वे सब क्या सोचते हैं और उनको कैसे एक अच्छा भविष्य मिल सकता है।

कोई भी अध्ययन बिना अध्ययन विधि के असम्भव होता है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन विधि तथा तत्सम्बन्धित परिकल्पना का विवेचन किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत का राष्ट्रीय मानव आयोग, अरूण कुमार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली- 1999।
2. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल।
3. प्रतियोगिता दर्पण-2000-2004 तक।
4. रोजगार समाचार-7 मई 2004 लेख।
5. रश्मिता रानी किरण झा, 'पंचम संशोधित संस्करण', 1999।
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधि विद्यापीठ: भारत में मानव अधिकार।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. महेश कुमार मुछाल* योगेश कुमार**

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – माध्यमिक स्तर पर किशोरावस्था में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता होती है। इस आयु वर्ग में बालक– बालिका अपने भविष्य एवं कैरियर को लेकर एक सुखद स्वप्न बनाते हैं, जिसकी प्राप्ति उन्हें उचित मार्गदर्शन के बाद ही प्राप्त हो सकती है। यह उचित मार्गदर्शन उन्हें विद्यालयों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विद्यालय ही समाज की एक ऐसी इकाई है जहां पर बच्चे समाज से आते हैं और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। जहां उनकी सहायता विद्यालय द्वारा उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। संस्था का निर्माण समाज ने इसलिए किया है कि विद्यार्थियों में मूल्यों का संचय राष्ट्रीय एकता का भाव एवं ज्ञान विज्ञान, ज्ञान वर्धन और भौतिकता व आधुनिकता का प्रभाव साथ ही पश्चिम सभ्यता की तरफ अग्रसर न करके। उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कराई जा सके। हमारी मध्यमिक कक्षा में विभिन्न आयु वर्ग एवं व्यक्तिगत विभिनताओ सामाजिक आर्थिक स्थिति से छात्र–छात्राएं विद्यालय में आते हैं। यह विद्यार्थी अलग–अलग धर्मो को मानने वाले होते हैं। अमीर– गरीब सामान्य– उच्च एवं मध्यम परिवारों से बच्चे आते हैं।

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी अलग–अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से विद्यालय में आते हैं सब की पृष्ठभूमि अलग–अलग होती है साथ ही विद्यार्थियों का स्वास्थ्य उनके समाज भी अलग–अलग होती है सफाई एवं स्वच्छता व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है साथ ही साथ योग भी व्यक्ति के जीवन शैली को प्रभावित करता हैं। इसी को ध्यान मे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों मिशन को विशेष रूप से महत्व दिया।

किशोरों और युवा वयस्कों के बीच मानसिक परेशानी और बीमारी को रोकने में मदद करने और मानसिक बीमारी को रोकने में मदद करने और मानसिक बीमारी से उबरने में मदद करने के लिए विद्यालय स्तर पर मानसिक लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में जागरूक होने और समझने से रोकथाम शुरू होती है। माता–पिता और शिक्षक बच्चों और किशोरों के जीवन कौशल का निर्माण करने में मदद कर सकते है ताकि उन्हें घर और स्कूल में रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। सरकारों द्वारा निवेश और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक, एकीकृत, साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों में सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की भागीदारी आवश्यक है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और साथियों, माता–पिता और शिक्षकों को अपने दोस्तों, बच्चों और छात्रों का समर्थन करने का तरीका जानने में मदद करने के लिए इस निवेश को कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। यहीं योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग विज्ञान, मानव के भीतरी स्थान का एक गहरा विज्ञान है, जो पूरे अस्तित्व के साथ पूरी सीध और तालमेल में होने की क्षमता देता है। खुशहाली और आजादी की स्थिति में जीने और चेतना को ऊंचा उठाने की प्रणाली के रूप में योग जितनी विस्तृत प्रणाली कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की आमसभा ने 11 दिसम्बर, 2014 के भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को 193 सदस्यों द्वारा पारित किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुत्सा ने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया।

यूनाइटेड नेशंस ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि 'योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।' 21 जून, 2022 को आठवे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय यमानवता के लिए योग है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योग, देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर हुए कार्यक्रम 8th International Yoga Day: पीएम मोदी ने देश और दुनिया को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि योग की यह अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। हम सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। योग हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमें इसके प्रसार के लिए आगे आना चाहिए। योग से शांति और सौहार्द जुड़े हैं और दुनिया भर में लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। आज योग विज्ञान पहले किसी भी समय के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास में पहली बार, हमारे पास धरती की हर समस्या – पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा को हल करने की क्षमता है। हमारे पास विज्ञान और तकनीक के जबरदस्त साधन है जिनमें पूरी दुनिया को कई बार बनने पर तबाह करने की क्षमता है। लेकिन अगर इतने शक्तिशाली साधनों का इस्तेमाल करने की काबिलियत के साथ संतुलन, परिपक्वता और शामिल करने की एक गहरी भावना न हो तो, हम विश्वस्तरीय तबाही के काफी करीब हो सकते हैं। हमारी बाहरी खुशहाली भी बेरहमी से चल रही खोज की वजह से, धरती भी आज तबाही के कगार पर है।

संदर्भ साहित्य की समीक्षा

विरक (1971) ने शरीर की लोचशीलता पर योगासनों का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ योगासन रीढ़ की हड्डी को आगे तथा पीछे की ओर झुकाते हैं जिससे शरीर में लचकता बढ़ती

है। **प्रताप (1972)** ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि योगाभ्यास, श्वास क्रिया तथा मानसिक स्थिति में अटूट सम्बन्ध पाया जाता है। **कोछर (1976)** ने 14.18 वर्ष के किशोर बालकों की मानसिक थकावट पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन किया। सिंह राजेन्द्र **(1987)** ने अपने शोध में बताया कि व्यक्ति की श्वास-प्रश्वास एकाग्रता और ध्यान एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। डॉ0 बेन्सन **(1987)** ने ध्यान के प्रभावों का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि नियमित 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन तरोताजा हल्का-फुल्का बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।वैष्णव, जी0 के0 ;**(1988)** ने अपने शोध कार्य के पश्चात बतायाकि योग शिक्षक शारीरिक शिक्षा के प्रति उच्च अनुकूल अभिवृत्ति रखते हैं- क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। बेरान (1992) के अनुसार 'तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो लोगों में वैसे घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करती है' तनाव आधुनिक दौर के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है अपितु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। श्री वास्तव एस0 के0 **(2000)** ने अपने शोध निष्कर्षों में बतायाकि योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं में अतिस्नेही, नैतिकवादी, उच्च सामाजिकता, आज्ञाकारी शालीनता एवं ओजस्वी शीलगुण गैर योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं से अधिक होते हैं। दुबे, शैलेन्द्र **(2000॰** ने अपने शोध निष्कर्षों में बताया कि योग शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में लगन शीलता, मानवता, नैतिक मूल्य एवं आर्थिक शक्ति, व्यक्तिगत मूल्य योग शिक्षा ग्रहण न करने वालों की अपेक्षा अधिक है। भटनी देवी व मीतू (2003) के अनुसार यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से चिंता का स्तर कम होता है और समायोजन क्षमता बढ़ती है। योग न केवल मानव मात्र के कल्याण की एक विधा है, अपितु संपूर्ण जीवन शैली को संयमित और संतुलित कर मानव जाति के उत्थान का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। रानी एवं राव (2005) के अनुसार योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप हताशा व तनाव में एक विशिष्ट कमी आती है। मुछाल **(2008)** ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की योग अभिवृत्ति के अध्ययन में पाया कि अधिकांश विद्यार्थी जो योग के प्रति उच्च अभिवृत्ति रखते हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उस कार्य के प्रति सकारात्मक रुचि को प्रदर्शित करती है। अन्य उद्देश्य में योग अभिवृत्ति को विकसित होने के कारणों में 62% विद्यार्थियों को दूरदर्शन व केबल कार्यक्रम को आधार बताया। 35% विद्यार्थियों ने समाचार पत्र से जानकारी, 30% ने योग शिविर तथा 24% विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के द्वारा योग सीखा। स्वास्थ्य एवं योग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में उपरोक्त चारों कारकों ने अपना मत व्यक्त किया है। मनानी, प्रीति तथा गौतम, कुमार (2011) द्वारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि परीक्षा तनाव विद्यार्थियों को निराशा से भर देता है तथा उनके मस्तिष्क में आत्महत्या जैसे विचारों को भी जन्म दे देता है। यह तनाव उनके परीक्षा परिणामों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सिंह, जोगिंदर (2012) ने अपने लेख 'नो टेंशन' में लिखा कि हम यही सोचकर तनावग्रस्त रहते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। इससे हमारी सफलता संदेहात्मक हो जाती है और तनाव भी बढ़ता है। डब्लू0एच0ओ0 (2016) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या के मामले सामने आये। भारत में यही संख्या लगभग 2500 चिंहित की गई। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (2018) के अनुसार मानसिक बीमारियों में तनाव व दबाव मुख्य हैं। भुवन एवं मिश्रा (2019) ने अपने शोध में पाया कि यौगिक क्रियाओं में संलग्न रहने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा तनाव में कमी एकाग्रता में वृद्धि पायी गयी है। हंसराज(2020) ने बताया की योग का महत्व मानव जीवन की हर एक मनोवैज्ञानिक अवस्था में अत्यन्त आवश्यक है। योग मनुष्य को सुखपुर्वक एवं स्वस्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया है।कुमार एवं लखेड़ा (2020) ने अपने शोध अध्ययन में पायी की नियमित रूप से विद्यालय में होने वाली यौगिक क्रियायें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ अनेक प्रकार के तनाव को न्यूतमक करने में रामबाण का कार्य करती है। शेटिनलुख्त, टी, (2021) ने कोविड-19 महामारी का वृद्ध वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और संभावित उपचार विकल्प के अध्ययन में पाया कि इस कोविड-19 महामारी परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक कल्याण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। चंद्रकांत जे0 (2022) मानसिक स्वास्थ्य और जीवन तनाव पर विपश्यना ध्यान के प्रभाव का अध्ययन किया अध्ययन में पाया कि विपश्यना ध्यान का मनोवैज्ञानिक लाभ व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक होता है साथ ही जीवन तनाव का सामना करने हेतु विभिन्न तरीकों परी को घर विद्यालय अध्ययन एवं कार्य में समायोजन हेतु अधिक उपयोगी होता है जीवन की गुणवत्तापा एवं शोध द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विपश्यना ध्यान निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लाता है और तनाव नियंत्रण में सहायक होता हैं। निमिता के0 जे0 (2022) कोविड-19 समय मे भारत में जरा चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पर अध्ययन किया. अध्ययन में पाया कि उजतखउ19 ने दुनिया को प्रभावित किया है और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2020-2021 में लॉकडाउन अवधि में मानसिक कारणों से कई आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। उजतखउ19 के डर से व्यक्तियों ने आत्महत्या की संबद्ध अवसाद। अवसाद, चिंता, समायोजन विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार, अभिघातज के बाद का तनाव विकार, मनोविकार और यहां तक कि आत्मघाती विचार और प्रयास इस महामारी के दौरान चरम पर हैं। अकेलापन और सामाजिक अलगाव की स्थिति को जन्म दे सकता है बुजुर्गों में संज्ञानात्मक कार्य कम हो रहा है। एनजीओ की भूमिका और सरकार बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आघात से निपटने में मदद कर रही है।सिंह (2022) प्रस्तुत शोध में निष्कर्ष निकाला गया कि योग एवं शारीरिक अभ्यास का बोर्ड परीक्षा के तनाव को नियन्त्रित करने में सहायक होता। राजेन्द्र एवं अन्य (2022) योगाभ्यास करने से विद्यार्थियों में आत्महत्या के भाव में कमी, परीक्षा तनाव में कम एवं विभिन्न प्रकार मादक पदार्थो के सेवन में लगातार कमी सहायक होता है। मुछाल एवं विजय पॅवार (2022) ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन किया निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्रों के परीक्षा तनाव में सार्थक अंतर में असमानता पाई गई निष्कर्ष रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य सार्थक अंतर पाया गया। शहरी क्षेत्र की बालिकाओं के परीक्षा तनाव से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के आधार पर ज्ञात हुआ कि नियमित योगाभ्यास करने से परीक्षा तनाव में सार्थक रूप से कमी आती है। योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव, तथा उससे कम निम्न स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी। गैर-योगाभ्यासी बालिकोंओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव, तथा उससे कम निम्न

स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी। योगाभ्यासी बालिकाओं में परीक्षा तनाव में कमी पायी गयी तथा क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा परिक्षा तनाव अधिक है वही दूसरी और शहरी क्षेत्र के योगाभ्यासी बालिकाओं में परिक्षा तनाव गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं से कम है।

अध्ययन का औचित्य – संदर्भ साहित्य की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि विरक 1971 ने शरीर लोच शीलता प्रताप। (1972) योगासन व प्राणायाम मे सम्बन्ध। कोछर (1976) ने मानसिक थकावट परयोग का प्रभाव। सिंह राजेन्द्र (1987) ने श्वास-प्रश्वास एवं ध्यान। बेसन (1987) ने पदकमगणीजउसयान के प्रभाव। वैष्णव जी. के. (1988) ने योग अभिवृत्ति। बेरान (1992) ने तनाव । श्री वास्तव एस. के. (2000) योगाभ्यासी छात्र- छानाओं के गुण। दुबे शैलेन्द्र (2000) मे योगाभ्यासी के नैतिक मूल्यों। भटनी देवी एवं मीत (2003) योगाभ्यासी के समायोयन। रानी एवं राव (2005) ने तनाव। मुछाल (2008) में योग अभिवृत्ति। मनानी एवं गतिम 2012 ने परीक्षा तनाव। सिह जोगिन्दर (2012) में तनाव। डब्लू. एच. ओ. (2016) ने परीक्षा तनाव। मेटल हेल्प फाउन्डेशन (2018) ने मानसिक बीमारी एवं तनाव । भुवन एवं मिश्रा (2019) ने यौगिक किया एवं तनाव । हंसराज (2020) ने योग के महत्व। कुमार एवं लखेडा (2020) यौगिक क्रिया व मानसिक स्वास्थ्य। शेटिनलुस्त टी (20214) मानसिक स्वास्थ्य। चंद्रकांत जे. (2022)ने मानसिक स्वास्थ्य एवं विपश्यना ध्यान। नमिता के. जे. (2022) में मानसिक स्वास्थ्य। सिंह (202.2) मे बनाव राजेन्द्र एवं अन्य (2022) ने योगाभ्यास करने से आत्म हत्या, एवं परीक्षा तनात में कमी आती है। उपरोक्त समीक्षा के पश्चात पाया गया कि'अभी तक योगाभ्यासी एवं योग नहीं करने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन नही हुआ इसलिए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है।'

अध्ययन के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियो व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियो के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
3. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्राओं एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
5. माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
7. माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना:

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्राओं एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध सीमाकंन – प्रस्तुत अध्ययन देहरादून एवं हरिद्वार जिले के माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियो एव गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियो पर किया गया सडअ

शोध प्रविधि

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श विधि एवं न्यादर्शन– शोध कार्य में न्यादर्श हेतु देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में संचालित माध्यमिक स्तर के विद्यालय का चयन लॉटरी विधी से किया गया शोध ने विद्यालयों की प्रकृति के आधार पर छात्र-छात्राओं का चयन अस्तरीकृत यादृच्छिक विधि का प्रयोग कर 400 छात्र-छात्राओं चयन किया गया।

उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्धारा शोध उपकरण प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यो के एकत्रीकरण हेतु मैंटल हैल्थ बैटरी (2000) अरूण कुमार सिह एवं अल्पना सैन गुप्ता निर्मित उपकरण का प्रयोग किया किया गया है यह उपकरण प्रमाणिक है।

प्रदत्तों का संकलन एवं अंकन – न्यादर्श के रूप में लिये गये माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को निर्देशित करने के उपरान्त मैटल हैल्थ बैटरी को उपकरण में मानसिक स्वास्थ्य के छह घटकों जैसे भावात्मक स्थिरता, स्व-अनुशासन, स्वायतता, सुरक्षा-असुरक्षा, आत्मप्रत्यय,एवं बुद्धि पर 130 कथन भरवा कर आंकडों को एकत्रित किया गया। प्रत्येक सही कथन पर एक अंक और गलत पर कथन पर शून्य अंक प्रदान किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी –प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यमान, मानक-विचलन, तथा टी-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधियो का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पना 1 माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका -1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 200 योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 200 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 86.2 तथा 84.36 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 7.19 तथा 8.43प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 1.86 पाया गया। जो कि मुक्तांश 398 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम

है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को स्वीकृत किया जाता' है।

परिकल्पना 2 माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका- 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रो एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 85.86 तथा 82.57 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 6.81 तथा 10.97 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.54 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को अस्वीकृत किया जाता' है।

परिकल्पना 3 माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्राओं व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में के मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्राओं एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 85.76तथा 144.23 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 6.96 तथा 6.01 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.167 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को अस्वीकृत किया जाता' है।

परिकल्पना 4- माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका -4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 85.86 तथा 85.76 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 6.84 तथा 6.01 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.526 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को अस्वीकृत किया जाता है।

परिकल्पना 5-माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका -5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 82.57 तथा 85.76 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 10.97 तथा 6.96 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.455 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को अस्वीकृत किया जाता है।

परिकल्पना 6 माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली

तालिका -6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 85.86 तथा 85.76 एवं

प्रमाणिक विचलन क्रमशः 6.84 तथा 6.96 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 0.102 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक नही अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को स्वीकृत किया जाता' है।

परिकल्पना–7 माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली

तालिका –7 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्र एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 82.57 तथा 83.56 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 10.97 तथा 6.01 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 0.791 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को स्वीकृत किया जाता' है।

निष्कर्ष– माध्यमिक स्तर के 200 योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 200 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य मे परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 1.86पाया गया। जो कि मुक्तांश 398 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रो एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य मे परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 2.54 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्राओं एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 2.167 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 2.526 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 2.455 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 0.102 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया।

माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्र एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फलांकों का परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 0.791 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
2. Batni devi and Meetu (2003) Effectiveness of selected yogic ezercise on anziey and adjustment of eleventh grades. Recent Research in Education and psychology, vol 8 (1) 85-88.
3. बेरॉन (1992) सन्दर्भित सामान्य मनोविज्ञान, अरूण कुमार सिंह (2010)दिल्ली मोतीलात बनारसी दास, पृ0 संख्या 754–756।
4. Bhuyan, B., & Mishra, P. K. (2019) Effects of yoga on performance in a letter-cancellation task under academic examination stress.
5. Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
6. Chandrakanth J. (2022) The Impact of Vipasana Meditation on Mental Health and Life Stress The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 | ISSN: 2349-3429 (Print) Volume 10, Issue 1,

January- March, 2022 https://www.ijip.in © 2022

7. गुप्ता एवं गुप्ता, (2008), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
8. https://theyogainstitute.org/how-can-yoga-help-students-alleviate-examination-stress-and-make-them-perform-better/
9. J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal ofEducation, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). http://cjoe.naspublishers.com/
10. कुमार, एस. एवं लखेड़ा एस. (2020) उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् योगाभ्यासी एवं गैर–योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन एवं शैक्षिक तनाव में तुलनात्मक अध्ययन, शोधप्रबन्ध, हे0न0ब0 गढ़वाल वि0वि0 श्रीनगर।
11. Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and DemographicFactors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328- 3688 pp123-129.
12. मुछाल, एम0 के0 (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, योजना, वोल्यूम 52 न0 2।
13. मुछाल, एम0 के0 (2005) मानसिक अवसाद एवं योग, योजना, वोल्यूम 49 न0 2।
14. मुछाल, एम0 के0 (2006) तनाव मुक्ति में योग, योजना, वोल्यूम, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष, 51 न0 1।
15. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम: रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली, वोल्यूम 52 न0 2।
16. मुछाल महेश कुमार एवं पँवार विजय (2022) ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780 October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL
17. Nimitha. K J (2022) COVID 19 and its impact on Geriatric mental health in India The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 | ISSN: 2349-3429 (Print) Volume 10, Issue 1, January- March, 2022 https://www.ijip.in © 2022
18. मनानी, प्रीति एवं गौतम, मुकेश कुमार (2011) एग्जामिनेशन एन्जाइटी एज ए डिटरमेन्ट ऑफ डिप्रेशन एण्ड सुसाइडल आइडिएशन एट हायर सकेण्डरी लेवल फोर्थ एनुअल इशु डी0 ई0 आई0 फोएरा पृ0 149–150।
19. Rajendran, V. G., Jayalalitha, S., & Adalarasu, K. (2022). EEG Based Evaluation of Examination Stress and Test Anxiety Among College Students. *Irbm*, *43*(5), 349-361.
20. Rani, J.N. and Rao, K.V.P. (2005) Impact of yoga training on body image and depression Andhra Unversity, Vishkhapatnam Psychological Studies, Vol 50(1)98-100.
21. राय, पी. एन., (2007). अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन, आगरा।
22. सिंह, ए.के. (2009). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
23. सिंह, जोगेन्दर (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 1।
24. शर्मा श्रीराम 'व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ', अखंड ज्योति संस्थान मथुरा संस्करण द्वितीय वर्ष 1998
25. सिंगल, पी0 (2021) विद्यार्थियों को परीक्षा में अगर अच्छें नंबरों से होना है पास तो इन बातों का का रखें विशेष ध्यान, जीवन उत्साह https://www.jeevanutsahnews.in/?p=46119
26. Singh, R. (2022). A comparative study on effects of yoga and physical workout on psycho-physiological variables during examination stress in senior secondary school students.
27. Shteinlukht, T. (2021). COVID-19 Pandemia Impact on Mental Health of Older Adults and Possible Treatment Options. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 29(4), S102-S103. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2021.01.098

तालिका –1

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर	
					0.01 स्तर पर	0.05 स्तर पर
योगाभ्यासी	200	86.2	7.19	1.86		सार्थक
गैर योगाभ्यासी	200	84.36	8.43			

तालिका–2

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रो	100	85.86	6.81	2.544	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
गैर योगाभ्यासी छात्रों	100	82.57	10.97		

तालिका –3

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्राओं	100	85.76	6.96	2.167	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
गैर योगाभ्यासी छात्राओं	100	83.56	6.01		

तालिका –4

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रों	100	85.86	6.84	2.526	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक S
गैर योगाभ्यासी छात्राओं	100	83.56	6.01		

तालिका –5

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
गैर योगाभ्यासी छात्रों	100	82.57	10.97	2.455	0.05सार्थकता स्तर पर सार्थक S
योगाभ्यासी छात्राओं	100	85.76	6.96		

तालिका –6

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रों	100	85.86	6.84	0.102	0.01सार्थकता स्तर पर असार्थक NS
गैर योगाभ्यासी छात्राओं	100	85.76	6.96		

तालिका –7

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
गैर योगाभ्यासी छात्र	100	82.57	10.97	0.791	0.05सार्थकता स्तर पर असार्थक NS
गैर योगाभ्यासी छात्राओं	100	83.56	6.01		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

कामकाजी महिलाओं का दोहरे दायित्व का अध्ययन

डॉ. शिल्पा राजपूत *

* (राजनीति विज्ञान) 9, नेता जी मार्ग, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली, भारत

प्रस्तावना – साधारणतय: कामकाजी महिला का अर्थ उन महिलाओं से लिया जाता है, जो घर से बाहर निकलकर नौकरी करती हैं। कहते हैं कि आत्मनिर्भर होकर वे परिवार व समाज के विकास में आवश्यक योगदान करती हैं। साधारणतौर पर समृद्ध परिवारों की महिलाएँ ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग से सम्बन्धित काम से जुड़ी होती है। इसी तरह उच्च, मध्यम परिवार की महिलाएँ राजनीति, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों को चुनती है तो मध्यम परिवार की ज्यादातर महिलाएँ नौकरियों में जाती है। निम्न, मध्यम परिवार की महिलाएँ कारखानों से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के दफ्तरों में काम करती है।

वैसे तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय महिलाएँ औसतन अठारह घण्टे काम करती है। इनके ऊपर अब तो परिवार के भरण-पोषण से लेकर आजीविका चलाने की भी जिम्मेदारी शामिल है। देखा जाए तो आम गृहणी की तुलना में कामकाजी महिलाओं का उत्तरदायित्व अधिक होता है। घर की जिम्मेदारियों (कार्यो) को सम्भालने के साथ-साथ उन्हें दफ्तर का कार्य भी देखना पड़ता है। सुबह के समय जब और लोग सोते रहते हैं तब महिलाएँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। वे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर दफ्तर के लिए तैयार होती है और कई जटिल समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ती हैं।

आज महिलाएँ सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक साथ दो कर्त्तव्य का पालन कर रही हैं। पहला तो परिवार के प्रति और दूसरा समाज के प्रति महिलाएँ घर की दहलीज से अपना कदम बाहर निकाल कर जीवन के कई क्षेत्रों में पर्दापण कर देश सेवा के कार्य में तन्मयता से जुटी हुई हैं। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलेट, वकील, प्रशासक, प्रोफेसर, शिक्षिका, सेना, पुलिस और अन्य विभागों में कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। वो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भूमिका निभाती नजर आती हैं।

महिला के बढ़ते कदम – आज की नारी सही मायने में आत्मनिर्भर नारी है। उसने अपनी दुर्बलताओं को दूर करके कोशिश की है। उसने अपनी एक विशेष पहचान इस समाज के सामने पेश की है जिसमें वह साहसी, परिपक्व, सहिष्णु तथा एक मजबूत इरादे रखने वाली महिला के रूप में उभर कर आई है। उसने अपनी सूझ-बूझ तथा समझदारी से अपनी इस पहचान के अलाव प्रज्जवलित किया हुआ है। आज की महिलाएँ निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है :-

1. आज की महिलाएँ अपने दोहरे रूप से आगे बढ़ रही है। एक तरफ वह कैरियर वूमन का खिताब हासिल किए है दूसरी ओर वह होम मेकर का खिताब हासिल करके सुपर वूमन के रूप में ऊभर कर सामने आ रही है।
2. आज की आधुनिक नारी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्याग कर स्वयं में आत्मविश्वास पैदा कर लिया है। वह सहलशीलता के गुण को भी पहचान गई है।
3. आधुनिक महिलाएँ अपने जीवन में सकारात्मक हो रही है। तथा अपने जीवन को खुशहाल बना रही हैं। वे कामकाज के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हैं।

यहाँ यह तथ्य प्रस्तुत करना सामयिक है कि एक अनुमान के अनुसार 70 से 85 प्रतिशत महिलाएँ आज डिप्रेशन यानी तनाव का शिकार हैं, यह बीमारी धीरे-धीरे भयानक रूप लेती जा रही है। 25 से 50 की उम्र की महिलाओं में यह समस्या आम हो गयी है। इसका प्रमुख कारण है उन पर दोहरे कार्यका दबाव या दोहरी जिम्मेदारियाँ इस होड़ के चलते एक डर उनके इर्द-गिर्द सदैव मंडराता रहता है कि कहीं वे किसी भी कार्य में कोई चूक ने कर दे या ना हो जाए। शायद तो नहीं कर सकते परंतु चुनौती भरा माहौल उन्हें सदैव उत्तेजित करता रहता है।

भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति – भारत में यह स्थिति ज्यादा गम्भीर है। एक और तथ्य सामने आया है कि जो महिलाएँ नियमित तौर से काम कर रही है उनके बच्चों की संख्या भी कम है। ऐसी महिलाओं की प्रजनन दर दस साल पहले 3.3 फीस के स्तर पर बनी हुई है। ये आंकड़े बता रहे है कि कामकाजी महिलाएँ दबाव में है। पर क्या यह किसी भी समाज के लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है।

वैश्विक स्तर पर कामकाजी महिलाओं की स्थिति– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) ने 1919 में अपनी स्थापना के बाद से ही संस्थागत नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता को अपनी स्थापना के बाद से ही संस्थागत नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता को अपनी प्रस्तावना में शामिल किया था। इसके सौ साल बाद अप्रैल 2019 में आइ. एल. ओ. ने दुनिया भर में कामकाजी महिलाओं के बारे में जारी विस्तृत रिर्पोट में हैरान करने वाले तथ्य सामने रखे है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005-2015 के बीच 'मदरहुड एंप्लॉयमेन्ट पेनल्टी' यानी माँ बनने की वजह से नौकरी नहीं कर पाने की संभावना में 38.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

इस तथ्य की पुष्टि हाल में एक शोध से हुई है। ब्रिटेन में एक शोध में पाया गया है कि कार्यस्थल पर हर पांचवी गर्भवती और नई बनी माँ के साथ काम के दौरान भेदभाव किया जाता है। अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी

के शोधकर्त्ताओं का कहना है कि कामकाजी माता के साथ भेदभाव की खबरों के चलते गर्भवती महिलाएँ भयभीत है और उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सताता है। जबकि दुनिया के सभी देशों में मातृत्व आकाश मिलता है, उनके साथ फिर भी अनेक जटिलताएँ देखने में आती है। वर्ष 2017 में मातृत्व प्रसूति लाभ अधिनियम (संशोधित) लागू होने के बाद से कम्पनियाँ महिलाओं को रखने में कतराने लगी है।

पितृसत्तात्मक (पुरूष प्रधान) समाज एवं कामकाजी महिलाएँ– प्रश्न यह है कि जब महिलाएँ अपने परिवार की आर्थिक सहायता करती है तो पुरूष घरेलु कार्यो में उनका सहायोग क्यू नहीं करते ? दरअसल सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि पुरूषों का घरेलु कार्यो में सहयोग उनकी छवि को खराब करता है। यही कारण है कि विकसित समाज से लेकर विकासशील समाजों तक अधिकांशतया पुरूष स्वयं को घरेलु दायित्व और बच्चों की देखभाल से दूर रखते है। इन तथ्यों की पुष्टि किसी एक देश के आंकड़ों से नहीं लगाई जा सकती वरन् सम्पूर्ण विश्व की पितृसत्तात्मक व्यवस्था इनके लिए जिम्मेदार है। एक उदाहरण के अनुसार जापान में तीस हफ्ते का पितृत्व अवकाश का कानून है, जहाँ 2017 में हर बीस में से सिर्फ एक पिता ने अपने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। ये आकड़े यह बताने के लिए काफी है कि समाज ने एक स्पष्ट रेखा खींच रखी है और स्त्री का दायरा, घर–परिवार के लिए सुनिश्चित कर रखा है। अगर वह इससे अलग कुछ करना चाहती है तो यह शर्त रखी जाती है कि घर के कार्यो में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

नौकरी पेषा महिलाओं की समस्याएँ– इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनका ऑफिस, बैंक, स्कूल–कॉलेज, अस्पताल आदि की नौकरी का काम तो सबको नजर आता है, लेकिन वो घर पर जो कार्य करती है वह किसी को नजर नहीं आता है। यह अदृष्य श्रम है जिसकी चर्चा न गोष्ठियों–सेमिनारों में होती है और न स्त्री विमर्ष के अर्न्तगत वे एक दुहरी जिम्मेदारी को झेलने के लिए शापित है।

मध्यमवर्गीय कामकाजी स्त्री का यथार्थ दारूण है। सुबह सबेरे उठकर पति और बच्चों का काम, ऑफिस या काम पर जाने की जल्दी, दिन भर फाइलों, कम्प्यूटर आदि में लगे रहना और शाम को लौटकर एक बार फिर से घर की जिम्मेदारियाँ निभाना और जिम्मेदारियाँ निभाने का यह सिलसिला रात देर तक जारी रहता है यही नहीं कामकाजी महिलाओं के सामने और समस्याएँ है। वे पैसा कमाती है, फिर भी पुरूष वर्चस्व की शिकार है, आत्मनिर्भर है, किंतु आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित है। संविधान न चाहे स्त्री–पुरूष समानता की गारन्टी दे दी है, संसद ने भले ही उनके पक्ष में अनेक कानून बना दिए है, केन्द से लेकर राज्यों तक भले ही महिला आयोगों का गठन हो गया है पर कोई संवैधानिक व्यवस्था, कानून और आयोग उनकी घबराहट और उनके भय को समाप्त नहीं कर पाया है।

त्रिशंकु की स्थिति – नारी पारिवारिक जीवन के लिए ही सहायक नहीं होती है बल्कि जीवन के हर स्तर पर भी उसने पुरूष का साथ देकर इतिहास निर्माण में सहयोग दिया है। वर्तमान समय में शिक्षा के जोर पकड़ते हुए ज्यादातर महिलाएँ शिक्षित हो चुकी है और शिक्षित महिलाएँ अपनी जिम्मेदारियों की बखूबी निभा रही हैं। जिस घर में शिक्षा की कमी होगी, वह घर हमेशा कलह और अशांति से भरा होगा। महिलाओं को अवश्य शिक्षित होना चाहिए जिससे वे अपना और अपने परिवार का जीवन सुखी व शांत बना सके। वैसे भी भारत में महिलाओं को हमेशा से ही उच्च स्थान मिला है। महिलाएँ शिक्षित होकर कार्यशील महिला बन रही है। घर एवं अपने कार्यक्षेत्र की बखूबी सम्भाल रही है तथा देश के गौरव मान सम्मान को बढ़ा रही है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रत्येक महिला ऐसी नहीं होती है। कुछ दोहरी मानसिकता की शिकार बनकर रह जाती है। वह अज्ञानता के सागर में हमेशा गोते लगाती रहती हैं, परंतु यही अज्ञानता धीरे–धीरे दूर हो सकती है। जब कोई महिला शिक्षित होगी, तभी उसकी मानसिकता एवं सोच में बदलाव आएगा। वह तुच्छ विचारों से ऊपर उठ सकेगी तथा दूसरों को भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकेगी। महिलाएँ वर्तमान समय में घर के अलावा बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं। अंधविश्वास को दूर करने में सतत् प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी रूढ़िवादियों में जकड़ी हुई है। उन अंधविश्वासों से उबर नहीं पा रही हैं। कहीं न कहीं किसी बात को लेकर उनके मन में पुरातनपंथी विचार जागरूक हो रहे है। ऐसा गलत है। उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाना आवश्यक है। जब तक उनकी सोच में अंतर नहीं आएगा तब तक वह दूसरों के प्रति गलत रवैया अपनाएगी इससे घर एवं समाज दोनों में नहीं रह पाएँगी और न ही अअपना कोइ मुकाम बना पाएँगी महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। उनके विचारों में शुद्धता हो। समय के साथ चलना सीखे। अच्छे बुरे का ज्ञान हो। आज के समय में महिलाएँ ही महिलाओं की दुश्मन बन रही हैं, ऐसा क्यों?

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि भारत में जैसे जैसे सामाजिक परिवेश बदला है वैसे वैसे महिलाएँ आगे बढ़ी है। आज हालत यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा गया है जहाँ महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति न दर्ज कराई हो। जहां पहले कुछ समय तक महिलाएँ सिर्फ घर गृहस्थी के कार्यों में ही उलझी रहती थी वहीं आज वह गूढ़ प्रशासनिक कार्यों को भी भली–भाँति निबटा रही हैं। आज की महिलाओं में कुछ करने की लालसा व आगे बढ़नग की अभिलाषा ने उनके लिए कई कार्यक्षेत्र खोल दिए है। आत्मनिर्भर होने की तथा प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के वर्चस्व को चुनौती देने की लालसा के कारण महिलाओं की प्रत्येक महिलाओं की प्रत्येक कार्यालय में उपस्थिति दिखाई देने लगी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मानचन्द्र खंण्डेला – महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर (2008)
2. पल्लवी पाण्डेय – एकल अभिभावक परिवारों की समस्याओं का अध्ययन (शोध ग्रन्थ, 2014)
3. भट्टाचार्य सुगंधा – इंडिया टुडे, शीर्षक – महिलाएँ और महत्वाकाक्षाएँ, पेज नं. – 43, 2012

****

मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में राज्य पर्यटन निगम की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

देवराज वर्मा* डॉ. गजराज सिंह अहिरवार**

* शोधार्थी, श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइंस, सीहोर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइंस, सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज के आर्थिक उदारीकरण ,विश्वव्यापीकरण ,निजीकरण के युग में जब हम पर्यटन की बात करते है तो इसे व्यावसायिक या औद्योगिक द्रष्टि से देखना उचित होगा जहाँ लाभ की संभावनाएं भी है तो दूसरी और रोजगार के अवसरों का सृजन भी। यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है इसमें असीम संभावनाएँ छिपी है। मध्यप्रदेश राज्य भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है अत: इस राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अब तक क्या कार्य हुआ और भविष्य में पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएँ है। चूंकि मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सौपी गई है, अत: यह जानना आवश्यक है की पर्यटन विकास के लिए गठित यह संस्था पर्यटन विकास एवं विस्तार में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करने में सफल रही है प्रस्तुत शोध पत्र में इन्ही तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – पर्यटन रोजगार सृजन, राज्य पर्यटन निगम, पर्यटन विकास, मनोरंजन, होटल।

प्रस्तावना – इस संसार में जो भी उपयोगी है वह मानव के लिए है। पर्यटन भी मानव के लिए है व्यक्ति प्रकति के द्धारा रचित उपहारों को निहारना चाहता है उसे ऐसा करने से आनंद की प्राप्ति होती है और पर्यटन की कोई सीमाए नहीं है कि किसी एक स्थान पर, जाकर उन्हें देख जा सके, उनका आनंद लिया जा सके बल्कि यह सीमा रहित है। संगमरमर के पत्थरों पर गिरते झरनों को देखना है तो नर्मदा नदी के भेड़ाघाट नामक स्थान पर ही जाना होगा, ताजमहल को देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा यह तो उदाहरण मात्र है ऐसे, मध्यप्रदेश सहित भारत में अनेको स्थान है जो पर्यटन के लिए विश्व -विख्यात है और जिन्हें देखने के लिए भारत के अलावा विश्व के अनेक सैलानी इन स्थानों का भ्रमण करके प्रकति के इन अनुपम उपहरों को देखते है और अपनी स्मृतियों को कैमरे में कैद करते है। आज पर्यटन को सेवा उद्योग के रूप में गिना जा रहा है मध्यप्रदेश में भी 'अतिथि देवो भव:' के मूलमंत्र का पालन करते हुए सरकार द्धारा पर्यटन के क्षेत्र में अनेको कदम उठाये गए है। अभी हाल ही में उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में महालोक का निर्माण किया गया है इस प्रकार प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन की द्दष्टि से विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक द्दष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। चाहे चंदेल राजाओ के द्धारा बनवाये गए खजुराहों के मंदिर हो अहिल्या बाई होलकर द्धारा बनवाये गए महल, ग्वालियर का भव्य किला, सांची के स्तूप जैसे अनेको स्थान है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास करने की द्दष्टि से वर्ष 1978 में म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। निगम का कार्य पर्यटन स्थलों पर आवासीय, गैर आवासीय इकाइयों का संचालन, पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की जानकारी सुलभ कराना, पर्यटन स्थलों पर साहित्य का प्रकाशन तथा पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। निगम के अन्य कार्यों में शामिल हैं- आवासीय इकाइयों में आरक्षण, राज्य के बारह निगम के सेटेलाइट कार्यालयों से पर्यटकों के लिए विभिन्न रूचि, अवधि एवं दरों के पैकेज टूरों का संचालन, पर्यटन स्थलों का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार-प्रसार, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े ट्रेवल एजेंट्स, लेखक, फोटोग्राफर्स, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टूर का आयोजन, प्रदेश के पर्यटन स्थलों की व्यापक मार्केटिंग तथा प्रचार-प्रसार की द्दष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनों तथा ट्रेवल मार्ट आदि में भागीदारी, पर्यटन विभाग की परामर्शदात्री समिति, संभागीय समिति तथा शासन की पर्यटन संबंधी समितियों द्धारा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई। निगम द्धारा प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आवास, खानपान, परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्धारा वर्ष 1996 में पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम द्धारा अमरकंटक में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्धारा 30 बिस्तरों की क्षमता वाली इकाई हॉलिडे होम्स लीज पर प्राप्त की गई है। नई पर्यटन नीति के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित करने की द्दष्टि से राजस्व विभाग द्धारा खजुराहो, ओरछा, बाँधवगढ़, जबलपुर तथा मंदसौर जिले में गाँधी सागर तथा बस्तर जिले में चित्रकूट में आवंटित शासकीय भूमि का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुँचाने के लिए भोपाल-इंदौर-भोपाल, भोपाल-पंचमढ़ी-भोपाल, सतना-खजुराहो-सतना,पिपरिया-पंचमढी-पिपरिया, जबलपुर-कान्हा-जबलपुर, जबलपुर-भेड़ाघाट-जबलपुर, भोपाल-साँची-उदयगिरी-भोपाल, इंदौर-महेश्वर-मंडलेश्वर-इंदौर, इंदौर-उज्जैन बस सेवा निगम द्धारा शुरू की गई है।

निगम द्धारा भोपाल में संचालित जलक्रीड़ा संबंधी सुविधाओं में व्यापक विस्तार किया गया है। भोपाल के बोट क्लब में नई स्वान बोट, शिकारा मोटर बोट, पैडल बोट बढ़ाई गई हैं। भोपाल-दर्शन, ग्वालियर-दर्शन, पचमढी-दर्शन के अलावा भोपाल से झाँसी-उदयगिरि एवं इंदौर के समीप मुख्य पर्यटन स्थलों के लिए परिचालित भ्रमण शुरू किया गया है।

नई पर्यटन नीति के तहत हेरिटेज होटल की योजना प्रदेश में लागू की

गई है। इस योजना के अंतर्गत पुराने महल, हवेलियाँ तथा किलों को होटलों में परिवर्तित किया जाना है। इनमें छतरपुर स्थित राजगढ़ पैलेस को होटल का स्वरूप दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा पचमढ़ी स्थित शेखर, सुमन एवं डी.आई.जी. बंगले को हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी निवेशकों को राज्य शासन की ओर से सरकारी जमीन निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व विभाग ने खजुराहो, छिंदवाड़ा, रायपुर, मंदसौर, ओरछा, बॉधवगढ़, चित्रकूट में सरकारी जमीन पर्यटन विकास निगम को दे दी है। इन स्थलों का भूमि आधिपत्य निगम द्वारा गृहण किया जा चुका है।

पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगो के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है मध्यप्रदेश में लोगो के रहन –सहन जीवन में सकारात्मक बदलाव में तथा आर्थिक रूप से मजबूती को इन पर्यटन स्थलों की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके आलावा मध्यप्रदेश में स्थित स्थानीय संस्थाओ को कर की प्राप्ति भी होती है जिसका उपयोग उस नगर में निवास करने वाले लोगो के लिए सुविधाओ के विस्तार पर खर्च किया जाता है। यही नहीं आर्थिक असमानता को दूर करने में भी पर्यटन की भूमिका होती है। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है जिसका विस्तृत वर्णन इसी शोध पत्र में आगे दिया गया है।

शोध का उद्देश्य – हर शोध का एक निश्चित उद्देश्य होता है इस शोध के उद्देश्य अग्रलिखित है।

1. मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में रराज्य पर्यटन निगम की भूमिका को जानना।
2. मध्यप्रदेश में पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव जानना।
3. मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में कौन–कौन सी बाधाएं है उनका क्या निराकरण संभव है।
4. मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में निरंतर अग्रसर हो इसके लिए आवश्यक सुझाव देना।

परिकल्पना – हर शोध का एक निश्चित परिकल्पना होती है इस शोध की परिकल्पना अग्रलिखित है।

1. मध्यप्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए।
2. मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमे पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं है।
3. मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है।
4. मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन सकता है।
5. मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास एवं विस्तार में बाधाएं है उनका निराकरण किया जा सकता है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में लेखक ने विभिन्न समाचर पत्र, पत्रिकाओ, रिसर्च जनरल और इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाया गया है।

प्रश्नावली विधि का भी उपयोग किया गया है जिसमे मध्यप्रदेश के 50 जागरूक और पर्यटन की जानकारी रखने वालो नागरिको से प्रश्न पूछकर मध्यप्रदेश में पर्यटन की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाकर तथा सीहोर और नजदीकी शहर मध्यप्रदेश की राजधनी भोपाल में स्थित कूछ होटलों का चयन करके तथा पर्यटन विकास निगम भोपाल की होटलों के अधिकारी –कर्मचारी उपलब्ध स्टाफ से पर्यटन विकास निगम की भूमिका को विस्तार से पता लगाने का प्रयास किया गया है ताकि सही निष्कर्ष तक पहुचने में मदद मिल सके इसमे सभी निष्कर्षों को शोध पत्र में शामिल करने का प्रयास किया गया है। राज्य पर्यटन निगम की भूमिका मध्यप्रदेश शासन ,पर्यटन विभाग राज्य के पर्यटन विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से विकास एवं विस्तार में जुटा है जहाँ तक राज्य पर्यटन निगम की भूमिका का प्रश्न है तो इसकी जानकारी प्रस्तावना में भी दी गई है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य पर्यटन निगम को लिमिटेड कम्पनी के रूप में दर्जा दिया है जिसे वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसटीडीसी) कहा जाता है। इसकी स्थापना 1.00 करोड़ की अंश पूंजी के साथ की गई। संचालक मंडल में कुल 12 सदस्य होंगे जिसमे प्रबंध संचालक की भूमिका सदस्य सचिव की होगी। प्रदेश में 06 क्षेत्रीय कार्यालय, 01 पर्यटन सूचना कार्यालय तथा प्रदेश के बहार 07 मार्केटिंग कार्यालय कम कर रहे है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 67 आवसीय इकाईयां 04 गैर आवसीय .13 वोट क्लब 01 मनोरंजन स्थल तथा 07 लाईट एंड साउंड शो, अन्तराष्ट्रीय स्टार का कन्वेशन सेंटर (मिंटो हाल) विकसित किया गया है। इसकी स्थापना 1.00 करोड़ की अंश पूंजी के साथ की गई थी जो बढ़कर वर्तमान में 30 करोड़ हो चुकी है। इसके विरुद्ध वर्ष 2001–02 तक अंश पूंजी 2497.29 लाख निगम को प्राप्त हो गयी।

कार्यक्षेत्र – मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के कार्यक्षेत्र की बात की जाये तो पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा का प्रबन्धन जिसमे आवासीय व्यवस्था हेतु होटल का संचालन करना, भोजन का प्रबंध करना है। इसके अलावा जो भी पर्यटक चिन्हित स्थानों में आते है उनके मनोरंजन की व्यवस्था हेतु वोट क्लब, साहसिक गतिविधिओं का आयोजन, ध्वनी एवं प्रकश कार्यक्रम का आयोजन करना शमिल है। इसके अलाव प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्सव मेला आयोजित करके लोगो की सहभागिता मे वृद्धि करना है। प्रदेश में पर्यटन का समुचित विकास हो इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करना, अधोसंरचनात्मक विकास पर बल देना इसके लिए विस्तृत डीपीआर तैयार करके गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ती के लिए केंद्र एवं राज्य शासन से आवश्यक बजट की मांग करना।

परिणाम – प्रस्तुत शोध पत्र में हमने जो परिकल्पना की थी उसके परिणाम हमें इस प्रकार से मिले –

1. मध्यप्रदेश में पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए यह पर्यटन विकास के लिए बहुत ज्यादा हितकारी साबित हो सकता है।
2. मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमे पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं है। यह परिकल्पना हमारी पूरी तरह सही है अभी सरकार के द्वारा बहुत हद तक इस दिशा में काम किये गए है इसे हमारे लक्षित समूह में 100% लोगो ने सही माना।
3. मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसको लेकर लोगो से चर्चा की गई तो उनका कहना था की पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वरा कार्य किये जा रहे है किन्तु अर्थव्यवस्था का

आधार बनाने के लिए इसे मिशन मोड़ में काम करना होगा। पुराने पर्यटन स्थलों के आलावा छोटे –बड़े शहरो में भी पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण हो उन्हें विकसित करने के लिए कार्य किया जा सकता है ऐसा सभी का मत था।

4. जहाँ तक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम की भूमिका है तो वह अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है किन्तु उसे इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा सकता है। इनोवेशन और नए कार्य करने के लिए निगम में अलग से कुछ लोगो को जोड़ा जा सकता है जो इस क्षेत्र में रिसर्च और अनुसन्धान के लिए कार्य करें।
5. जिस भी क्षेत्र में हम काम करते है तो वहां बाधाएं आना स्वाभाविक है इसके लिए लक्षित लोगों का मानना था की निगम में कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और प्रबंधन इसकी एक सूची तैयार करे और इन बाधाओ के निराकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाई जावे एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ बाधाएं हो ही न और हो भी तो उनका त्वरित निराकरण संभव हो।

सुझाव – मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम की भूमिका को देखते है तो मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास की एक कड़ी है राज्य शासन के द्वारा इस दिशा में समुचित प्रयास किये जा रहे है फिर भी समय –समय पर इसकी समीक्षा जिम्मेदार विभागों के द्वारा की जाना चाहिए कि निगम को अपनी योजनाओ के किर्यान्वियन में क्या समस्याए है निगम द्वारा पर्यटकों के आतिथ्य, सत्कार, होटल, खानपान की वेहतर से वेहतर सुविधा उपलब्ध होने की लगातार समीक्षा होना चाहिए ताकि पर्यटक खुश रहे और वे बार – बार राज्य पर्यटन निगम की सुविधाओ का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो सके। राज्य पर्यटन निगम को अपनी सुविधाओ के बारे में जयादा से ज्यादा प्रचार –प्रसार करना चाहिए पर्यटन स्थल तक पहुचने के लिए बहतरीन सड़के एवं आवागमन के सस्ते सुलभ साधन मौजूद होना चाहिए। हमें मध्यप्रदेश में पर्यटन को सर्वोत्तम बनाना है इस बात पर बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2019–20
2. https://www.mpinfo.org/MP
3. https://hi.wikipedia.org
4. https://mppscpeb.com
5. https://mp.gov.in/tourism

****

GST In India: Prospectus and Challenges

Nitin Kumar Modh* Dr.Neelesh Sharma**

*Dean (Banking, Finance and Commerce) in SCOPE Global Skills University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Dean (Law) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - There is combined response, inexplicit, arguments and opinions amongst the Manufactures, merchants and society about the Goods and Services Tax (GST) to be applied with the aid of Government of India from 1st April 2017. Various information companies from all round the world targeted on the consignment unifying the United States of America and it being a fulfilment of the government. As the Goods and Services Tax Bill used to be exceeded in the Rajya Sabha, it additionally added India at the centre of the world economy. With the passing of the bill, many worldwide newspapers posted their views on how the GST Bill brings a new wave of financial reform in the country. The paper highlights the background, Prospectus and challenges in Implementation of Goods and offerings Tax (GST) in India. Finally, the paper examines and attracts out a conclusion.
Keywords: Rajya Sabha, international economy, items and offerings tax.

Introduction - The 'Book of Genesis' in The Bible suggests that a fifth of all vegetation ought to be given to the Pharaoh. The metropolis states of Ancient Greece imposed epiphora to pay for wars, which have been numerous; however as soon as a fighting was once over any surplus had to be refunded. Athens imposed a month-to-month ballot tax on foreigners. Imperial Rome used tribute extracted from colonized peoples to multiply the bounty of empire. Julius Caesar imposed a one-per-cent income tax; Augustus instituted an inheritance tax to supply retirement dollars for the military. However, human bondage remained the most rewarding shape of tribute for each Greece and Rome. (Courtesy New Internationalist Magazine).

Indian Taxation System : India has bought a well-structured and simplified taxation system, whereby an authoritative segregation has been carried out amongst the Central Government, the distinct State Governments as nicely as the Local Bodies. The Department of Revenue below the Government of India's Ministry of Finance is completely accountable for the computation of tax. This branch levy taxes on men and women or companies for income, customs duties, carrier tax and central excise. However, the agriculture based totally earnings taxes are levied by means of the respective State Governments. Local our bodies have obtained the electricity to compute and levy taxes on residences and different utility offerings like drainage, water grant and many others. The previous 15 years have witnessed remarkable reformations of the taxation machine in India. Apart from the explanation of the costs of tax, simplification of the exclusive legal guidelines of taxation has even been performed at some stage in this period. However, the system of tax explanation is nonetheless in development in the Republic of India. Courtesy New Business Maps of India)

Constitutional modification act. For GST: The One Hundred and First Amendment of the Constitution of India, formally recognised as The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, added a countrywide Goods and Services Tax in India from 1 April 2017. The GST is a Value delivered Tax (VAT) and is proposed to be a complete oblique tax levy on manufacture, sale and consumption of items as properly as offerings at the country wide level. It will substitute all oblique taxes levied on items and offerings by using the IGST is a single tax on the grant of items and services, proper from the producer to the consumer. Credits of enter taxes paid at every stage will be International Journal of Applied Research 2017; 3(1): 626-629 ~ 627 ~International Journal of Applied Research reachable in the subsequent stage of cost addition, which makes GST really a tax solely on fee addition at every stage. The remaining purchaser will as a result undergo solely the GST charged by using the ultimate supplier in the provide chain, with set-off advantages at all the preceding degrees Indian Central and State governments. It is aimed at being complete for most items and services. The GST implementation in India is "Dual" in nature, i.e., it would consist of two components: one levied through Centre (CGST) and some other levied by using States and Union Territories (SGST).

Research Methodology: The Researchers used an exploratory lookup approach primarily based on previous literature from respective journals, annual reports, newspapers and magazines overlaying extensive collection of educational literature on Goods and Service Tax. According to the goals of the study, the lookup format is of

descriptive in nature. Available secondary information was once significantly used for the study.

Objectives of the Study:

1. To learn about the inexplicit opinions amongst the Manufactures, merchants and society about the Goods and Services Tax (GST).
2. To find out about the Challenges of Introduction of Goods and Service Tax (GST in India).
3. To Study on Prospects in Implementation of Goods and offerings Tax (GST) in India.

Results and Discussion

Table 1: Taxes at The Centre and State Level Are Being Subsumed Into GST

Sr.	At The Centre	State Level
1.	Central Excise Duty,	a. Subsuming of State Value Added Tax/Sales Tax,
2.	Additional Excise Duty,	b. Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States),
3.	Service Tax,	c. Octroi and Entry tax,
4.	Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and	d. Purchase Tax,
5.	Special Additional Duty of Customs.	e. Luxury tax, and

The above desk suggests listing of taxes centre and nation stage are being subsumed into GST Keeping in thinking the federal shape of India, there will be two aspects of GST – Central GST (CGST) and State GST (SGST). Both Centre and States will concurrently levy GST throughout the fee chain. Tax will be levied on each and every provide of items and services. Centre would levy and accumulate Central Goods and Services Tax (CGST), and States would levy and gather the State Goods and Services Tax (SGST) on all transactions inside a State. The enter tax savings of CGST would be accessible for discharging the CGST legal responsibility on the output at every stage. Similarly, the savings of SGST paid on inputs would be allowed for paying the SGST on output. No go utilization of savings would be permitted.

Table 2: List of Asian Countries Implementing Vat

Sr.	Country	GDP Per Capita (World Bank, 2022,Millions)	Year of Implem-entation	Current Rate(%)
1.	Bangladesh	416,264.94	1991	15.0
2.	China	17,734,062.65	1994	17.0
3.	India	3,173,397.59	2005	12.5
4.	Iran	231,547.57	2008	5.0
5.	Japan	4,937,421.88	1989	5.0
6.	Jordan	45,243.66	2001	16.0
7.	Kazakhstan	190,814.27	1991	12.0
8.	Kyrgyzstan	8,543.42	1999	20.0
9.	Lebanon	18,076.62	2002	10.0
10.	Mongolia	15,098.02	1998	10.0
11.	Nepal	36,288.83	1997	13.0
12.	Pakistan	346,343.17	1990	16.0
13.	South Korea	22,424	1977	10.0
14.	Sri Lanka	84,518.83	2002	12.0
15.	Taiwan	NA	1986	5.0
16.	Tajikistan	8,746.27	2007	20.0
17.	Uzbekistan	69,238.90	1992	20.0

Courtesy by way of GST SEVA.com

The above desk suggests List of Asian Countries Implementing VAT/GST Worldwide in nearly a hundred and sixty nations there is GST/VAT, Under the GST scheme, no big difference is made between items and offerings for levying of tax. This capability that items and offerings appeal to the identical fee of tax. But at existing India is planning tax price at 5%, 12% and 18% which will convey eight Lakh Crore income to the government. Under the GST scheme, a character who was once responsible to pay tax on output, whether or not for provision of carrier or sale of goods, is entitled to get enter tax savings (ITC) on the tax paid on its inputs. Thus, it would virtually a fantastic reform for the Indirect tax gadget in India.

Table 3: States In India Who Confirm Goods And Service Tax (GST) Constitution Amendment Bill

Sr.	State	Passed On
1	Assam	12th August, 2016
2	Bihar	16TH August, 2016
3	Jharkhand	17th August, 2016
4	Himachal Pradesh	22nd August, 2016
5	Chhattisgarh	22nd August, 2016
6	Gujrat	23rd August, 2016
7	Madhya Pradesh	24th August, 2016
8	Delhi	24th August, 2016
9	Nagaland	26th August, 2016
10	Maharashtra	29th August, 2016
11	Haryana	29th August, 2016
12	Sikkim	30th August, 2016
13	Telangana	30th August, 2016
14	Mizoram	30th August, 2016
15	Goa	31th August, 2016
16	Odisha	1th September, 2016
17	Puducherry	2th September, 2016
18	Rajasthan	2th September, 2016
19	Andhra Pradesh	8th September, 2016
20	Arunachal Pradesh	8th September, 2016
21	Meghalaya	9th September, 2016
22	Punjab	12th September, 2016
23	Tripura	26th September, 2016

The above desk suggests List states in India who affirm of enforcing items and provider tax (GST) Constitution amendment invoice in their respective states via doing so it will deliver harmonization of taxation device in India.

Challenges in Implementing GST:

1. Note ban has big have an impact on the Goods and

Services Tax (GST) a serious doubt on imposing GST by using the central government's cantered closing date of April 1, 2017.

2. The have an effect on of the November eight demonetization of high value foreign money on their respective economies to underline that it is no longer the suitable time to implement. That may want to have a unstable impact on the economy.
3. The Centre continues to be un compromising on the difficulty of jurisdiction over assesses, the states maintain.
4. Political motives are deciding the destiny of GST, which is no longer the right thing, due to the fact ideally GST is a monetary and tax reform, and monetary and tax reforms ought to no longer be dictated with the aid of political.
5. Manufactures, merchants and society are eagerly ready now not solely for the date of introduction of GST however additionally for the price utility to the merchandise and services.
6. GST will additionally have effect on money waft and working capital. Cash glide and working capital of enterprise corporations which preserve excessive inventory of items in exclusive states will be adversely affected as they will have to pay GST at full price on inventory switch from one kingdom to another. Currently CST/VAT is payable on sale and now not inventory transfers.
7. Implementation of GST in Unorganized sectors i.e, unregistered company will be unfavourable to government.

Prospects of Implementing GST: The introduction of Goods and Service Tax (GST) in India is now on the horizon. The Constitution Amendment Bill to exchange current a couple of oblique taxes via uniform GST across India.

1. The contemporary oblique tax shape is foremost obstacle in India's financial increase and competitiveness. Tax limitations in the structure of CST, entry tax and restrained enter tax deposit have fragmented the Indian market. Cascading outcomes of taxes on value make indigenous manufacture much less attractive. Complex more than one taxes make bigger price of compliance. In this scenario, the introduction of GST is considered.

2. Removal of tax obstacles on introduction of uniform GST throughout the u.s. with seamless credit, will make India a frequent market main to economic system of scale in manufacturing and effectivity in furnish chain. It will make bigger alternate and commerce. GST will have beneficial have an impact on on equipped logistic enterprise and modernized warehousing.

3. Electronic processing of tax returns, refunds and tax repayments thru 'GSTNET' except human intervention, will limit corruption and tax evasion. Built-in test on commercial enterprise transactions via seamless savings and return processing will limit scope for black cash technology main to productive use of capital.

4. Major beneficiary of GST would be sectors like FMCG, Pharma, Consumer Durables and Automobiles and warehousing and logistic industry.

5. High inflationary have an effect on would be on telecom, banking and economic services, air and avenue transport, development and improvement of actual estate.

Conclusion : It can be concluded from the above dialogue that GST will carry One Nation and One Tax market. Provide alleviation to producers and buyers by means of supplying broad and complete insurance of enter tax savings set-off, carrier tax set off and subsuming the quite a few taxes. Efficient system of GST will lead to aid and income reap for each Centre and States majorly thru widening of tax base and enhancement in tax compliance. It can be similarly concluded that GST have a nice influence on more than a few sectors and industry. Although implementation of GST requires centred efforts of all stake holders namely, Central and State Government, alternate and industry.

Electronic processing of tax returns, refunds and tax repayments via 'GSTNET' besides human intervention, will minimize corruption and tax evasion. Built-in take a look at on enterprise transactions thru seamless credit score and return processing will decrease scope for black cash technology main to productive use of capital, Therefore It is imperative on the phase of the authorities to educate, behaviour suitable training, non-stop seminars and workshop on GST is want of the hour. Thus, essential steps need to be taken.

References:-

1. Bird Richard M. The GST/HST: Creating a built-in Sales Tax in a Federal Country. The School of Public Policy, SPP Research Papers, 2012; 5(12):1-38
2. Empowered Committee of Finance Ministers First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India, The Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, 2009.
3. Garg Girish. Basic Concepts and Features of Good and Services Tax in India. International Journal of scientific research and Management. 2014; 2(2):542-549 ~ 629 ~International Journal of Applied Research
4. Indirect Taxes Committee, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) Goods and Services Tax (GST). 2015. Retrieved from: http://idtc.icai.org/download/Final-PPT-on-GSTICAI.pdf
5. Kumar Nitin. Goods and Services Tax in India: A Way Forward. Global Journal of Multidisciplinary Studies, 2014; 3(6):216-225
6. Parkhi, Shilpa. Goods and Service Tax in India: the changing.
7. Financial Management Sharma and Shashi K. Gupta Kalyani Publishers Noida 2015
8. Security Analysis and Portfolio Management Avadhani HPH Bangalore 2015
9. Corporate Accounting S.P jain and K.L. Narang Kalyani Publishers Noida 2016.
10. Indian journal of Finance
11. Indian journal of Marketing

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Impact of FDI on Export and Economic Growth in India

Shailendra Kumar Patel* Dr. Vivek Kumar Patel**

*Research Scholar, APSU Rewa (M.P.) INDIA
** Assistant Professor & HoD (Commerce) Govt. S K College, Mauganj, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - Foreign direct investment has been an important part of India's economic growth. In the last few years, FDI has been recognized as an important or important tool for influencing economic development directly or indirectly. In this way, countries around the world have changed rapidly, limiting the freedom to attract FDI. FDI has enabled India to achieve financial stability, growth and prosperity in a different way. After India gained independence and international trade rights in 1991, there has been an increase in foreign direct investment outflows due to the country's financial stability.

FDI stimulates the economic growth of any country and India will enhance it by focusing on infrastructure development, human resources, building local industries, setting standards, macroeconomic coherence and making a positive impact on investment outcomes to improve growth. The main purpose of this article is to analyze the impact of FDI on the exports and economic growth of the Indian economy. In this article, correlation and linear regression tools were used for data analysis. This study examines FDI inflows to India in the post-independence period. In addition, the country's FDI flow pattern is estimated over a 20-year period from 1991-92 to 2010-11.

Finally, this study shows that FDI has a positive impact on the economic development of the country. In addition, it is seen that FDI is an important variable affecting the level of economic development of India. Most of the world's economies, including India, have enjoyed the economic benefits of economic growth through inflows of foreign direct investment. Therefore, steady growth in FDI is necessary to increase the rate of economic growth. The government of India should expand the business environment for foreign investment by maintaining political and economic stability while controlling corruption to attract adequate FDI.
Keywords: Foreign Direct Investment, Exports, Gross Domestic Product, Economic Growth, Democracy.

Introduction - According to the World Bank, "Foreign direct investment is defined as the acquisition of a controlling interest (10% or more of voting rights) in a non-business entity and further development in the business. capital, recurring income, other long-term equal to the payment of the organization specified as capital and short-term capital".

Foreign direct investment plays an important role in national development. For developed or underdeveloped countries, FDI is an important part of the economy. The unique nature of emerging and immature markets indicates that such markets do not have the resources and pay for certain benefits to meet investment requirements, growth and development. In these cases, FDI is an essential part of tackling all the issues with the availability and demand of finance.

In the long run, it plays an important role in the progress of the country, not only in terms of resources, but also by developing the economy through technology exchange, strengthening infrastructure, improving employment and creating new job opportunities. Foreign direct investment is an important development tool for emerging economies like India. He likes to show freedom in various aspects of the business and in his business life as a whole. After the liberalization and globalization of the Indian economy in 1991, there was a huge increase in FDI inflows. In the last two decades, foreign direct investment has played an important role in the international process.

Since the mid-80s, the rapid expansion of direct trade through international trade can be attributed to major changes in knowledge and equipment, greater freedom of interaction, foreign exchange and investment management, and economic changes in many countries, including developing countries. According to India. Deregulation and privatization. Capital development is the key to raising money. Government investment increased wealth and wealth in the affected economy, while FDI was responsible for the overall distribution of capital and closing the gap between national saving and investment. FDI can be an invaluable source of external financing at the macro level and can improve productivity, innovation, capacity, employment and other areas at the micro level and the business owner's domain. According to the law, it can be divided into two groups as horizontal foreign direct investment and vertical foreign direct investment:

- **Horizontal FDI** means investing in foreign companies in the same business that a company specializes in. Product diversification is an important aspect for horizontal FDI performance.
- **Vertical FDI** means investing in businesses that act as importers or exporters for the investing company.

"Foreign direct investment is considered to have an equal stake in an enterprise in which an enterprise controls 10 percent or more of the voting power or does not participate" (Griffin and Pustay, 2007). Farrell (2008) defines FDI as "a combination of capital, technology, management and market activities that enable companies to do business in foreign trade and provide goods and services".

There are many research papers showing the importance of the link between FDI and economic growth. Adhikari 2011; Bhavan et al. 2011; Azam 2010). "FDI not only increases the level of investment or capital, but also increases employment through the transfer of assets to the company, such as the creation of new capital and employment, technology and expertise management, and provides the basis for new technologies, processes, products, integration processes and management. skills are smart and tied back and other businesses" (Ho & Rashid, 2011).

Foreign direct investment (FDI) occurs when individuals in a country are responsible for taking ownership of the assets, shares and other activities of companies sold abroad (Moosa, 2002). According to OECD's definition of foreign direct investment (OECD, 1996), foreign direct investment is defined as "the acquisition of direct investment by Direct Investment Institutions in a non-commercial workplace". In this context, the long-term interest rate reflects the long-term continuity of the relationship between direct investors and direct capital markets, as well as the significant influence of management. On the other hand, exports are seen as an important tool for economic development, production and service quality compared to other countries. Success stories from countries in East and Southeast Asia show that FDI is seen as a powerful tool to stimulate local exports.

Many studies have also confirmed that foreign direct investment is more effective in exports from multinational companies (MNCs) than domestic companies. (Barua, 2013)

Economic growth: Economic growth can be characterized by an increase in the production of goods and services in a certain period, just like every year in the business world. The development of productivity level is an important factor in determining a person's growth, also known as economic worth. An increase in productivity means producing more goods and services using similar factors of production. For example, during the Green Revolution, agriculture expanded in terms of employment and soil fertility.

From the 1940s to the 1970s, the Green Revolution brought new crops that spread around the world. Therefore, in the long run, financial investment and savings will lead to higher productivity and living standards. Therefore, the growth or growth of the economy is usually measured in real terms, i.e. the exchange rate, to avoid the inflation error affecting the business.

In economic terms, "economic growth" or "growth theory" generally refers to the production of goods, i.e. the "total employment" level of production as a function of collective or collective demand or perceived output from traditional sources. cf. Growth predicts the growth of real products. An increase in GDP is beneficial to the world economy as it increases the level of investment in foreign countries and their countries. These signs often describe the development of the country in statistical terms, especially monetary.

Relations of FDI and Economic Growth: Foreign direct investment was brought to India when the British founded the East India Company. At that time, the flow of resources and capital from England to India began and continued throughout the colonial period. After the Second World War, Japanese businesses entered the Indian economy in trade and investment. But as an Indian investor, the UK's dominance continues. The independence of India in 1947 brought with it foreign capital, activities of various companies etc. and the results encourage policy makers. While developing their FDI strategies, the country's policy makers prefer to keep foreign currency in mind and use FDI as a tool for investment planning with better innovation and technological knowledge. With the passage of time and major changes in the political and economic regime, India's foreign direct investment strategy has also undergone major changes. The economic policy issued in 1965 allowed multinational companies to take over the country and establish effective joint ventures in the country. In order to secure sufficient funds for the establishment of such organisations, the Government of India permits regular membership.

With the help of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund, the Indian government launched a major program of economic reform and labor reform. These steps helped India open the door to foreign direct investment inflows and led to the formulation of liberal foreign policy to achieve the desired goals of foreign investors more involved in the Indian market. In addition, the government took the initiative to establish the Foreign Investment Board (FIPB) to attract and retain foreign investment into the Indian economy. Based on the fact that India started with a margin of as little as US$1 billion in 1990, according to a recent study by UNCTAD, India has become the most popular foreign direct investment destination after China for international companies. According to research, the areas that attract the most resources are construction and business areas such as services, telecommunications, computer hardware and software. The USA, UK, Mauritius

and Singapore are the most important sources of FDI in the country.

Literature Review

1. **Goswami, C. and Saikia, K. (2012)** explore the flow model of foreign direct investment in their research paper "FDI and its Relations with Indian Export, Status and Hope in the Northeast". In recent years, the flow of direct foreign trade has undergone a change that shows a continuous expansion trend.

Finally, they briefly summarize the status and prospects of FDI and export development in NER. NEP failed to produce any results for the development of the region. The direction of FDI flows is not affected.

2. **Anis, R.(2012)** examined the pattern of foreign direct investment inflows into the country in the post-liberalization period using the autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) estimation method in his research article titled "Foreign Direct Investment and Economic Growth in India". This article attempts to analyze the different factors affecting FDI flow, identify the causes of low flow and suggest corrective measures to increase FDI flow in India as well as other developing countries worldwide.

3. **Kumar, P.** In his research article "Impact of FDI on Export and Growth – A Perspective Nice Indian" discusses the impact of FDI on exports and growth.This article shows that FDI has a more positive impact on India's exports than the country's capital. FDI promotes productivity through diversification, such as by promoting the selection of foreign technologies, thus leading to greater use of capital and economies of scale and efficiency, and creating a good and stable job through the expansion of jobs, production and development conditions. foreign countries are gaining strength.

4. **Malhotra, B. (2014)** in his research article "Foreign Direct Investment: Impact on Indian Economy" further analyzed the impact of FDI on the Indian economy, especially after financial changes, and further explored workplace issues. often. Participating in the international FDI competition.

The results are encouraging. The huge financial potential that India has through foreign direct investment has been beneficial. FDI inflows replenish family capital as well as the innovation and capacity of existing organizations. These contribute to the financial development of the Indian economy.

5. **In their research paper** titled "Foreign Direct Investment and Growth in India: An Econometric Approach", Gupta, K., and Garg, I. (2015), identified the main impact of FDI on economic development in India. He said it would take three years for FDI to participate in economic development in the most significant and effective way. In this direction, foreign direct investments need to be increased frequently in order to ensure sustainable economic development.

Objective of the Study:

1. The main aim of this article is to find out the effect of FDI transfer on India's exports and economic growth.
2. The second aim is to examine the relationship between the three main industries. Foreign direct investment, exports and GDP.
3. Another aim is to analyze the concept of FDI and its importance in the Indian economic context.

Hypothesis: Based on the above objectives, the following hypotheses have been proposed:

H1: There is a positive relationship between FDI as an independent variable and exports as a variable.

H2: There is a positive relationship between FDI as an independent variable and economic growth as an independent variable.

H3: Foreign direct investment has a significant impact on exports.

H4: FDI has a positive impact on India's economic growth.

Data and Methods: This study uses 20 years of annual data on GDP, FDI inflows and exports from 1991-92 to 2010-11. Data is from the RBI database and World Economic Outlook 2016.

Assessment of Exports, FDI and GDP in India during 1991-92 to 2010-11

Table 1 (see in last page)

The table 1 and graph show India's GDP, exports and foreign direct investment inflows from 1991-92 to 2010-2011. The report said a large amount of FDI flowed into the Indian economy during the study period. Quantitatively, this result shows that FDI inflows increased more than 210 times from 1991-92 to 2010-11. Backed by this evidence, it clearly shows that the amount of foreign direct investment from US$129 million in 1991-92 increased to US$30.38 billion in 2010-2011 due to technological development, international management skills and practices received, optimal use of staff, and more. assets, export markets to make the Indian economy globally competitive, more open trade and better-quality products and services are some of the steps that the Indian government is still urging to attract investment from foreign investors. In 2008-2009, foreign direct investment reached its highest level with 37.839 billion USD. Considering the growth rate of foreign direct investment inflows in 2006-2007, it reached 154.73%. From this table, exports and GDP also show the expansion pattern during the working period.

Analysis and Interpretation: The statistical tool of the correlation coefficient is used to evaluate the relationship between foreign direct investment, exports and GDP. The findings come from an analysis of the results of exports, foreign direct investment and GDP from 1991-92 to 2010-11, and the results show a positive correlation between these three changes.

Table 2 & 3 (see in last page)

The correlation coefficient between exports and GDP is 0.995, indicating a positive relationship between the two variables. Therefore, our null hypothesis of [r (18) = 0.99,

p<0.01] has been proven to be rejected. The fact that the relationship between exports and GDP is higher than the other two confirms once again that there is a positive relationship between exports and GDP. The fact that the correlation between exports and FDI is 0.933 indicates a positive relationship between the two variables. Therefore [r(18) = 0.93, p<0.01], therefore, we reject the study's null hypothesis that there is no relationship between exports and FDI. The correlation between FDI and GDP is 0.931, which shows almost the same relationship with exports and FDI. Here [r(18) = 0.93, p<0.01], thus proving that the null hypothesis is also rejected. We did a retrospective analysis to test whether independent variables such as foreign direct investment had a significant effect on variables such as exports and economic growth.

The basic assumption of regression analysis is that the multicollinearity problem should be tested. Because there is a high degree of multicollinearity problem in this study with two variables. There is more than 99% correlation between exports and GDP. In this direction, researchers have developed different models such as FDI as independent variable and export and economic growth as dependent variable. The results from the analysis of the results of exports, foreign direct investment and GDP for the period 1991-92 to 2010-11 are as follows:

Table-4 (see in last page)

As shown in the results of the regression analysis (Model-1), the independent variables ie. FDI has a significant relationship with different variables. outside. The effect of FDI on exports is significant at the 1% significance level. A positive coefficient of variation in FDI indicates that an increase in FDI in a country will lead to an increase in the country's exports. In addition, a 1% increase in foreign direct trade in the country will lead to an increase of 4.6% in the country's exports. The adjusted R-square of the model shows that the fit of the model is good and shows that FDI in the country explains about 86% of the variation in the country's exports. The F-test also confirms that the difference is significant.

Table-5 (see in last page)

From the Model-2, the adjusted R-squared value of the regression result suggests that the proposed model shows a good-fit. Moreover, it indicates that approximately 85 percent of the variation in the GDP of the country is explained by FDI of the country. We can also say that an annual increase by 1% in FDI will increase GDP by 28.5 percent. Further, the results of the regression analysis depict that FDI have a significant positive impact on economic growth at 1 percent level of significance. The F-test also confirms the significant relationship between FDI and GDP.

Conclusion: This article first discusses the concept of FDI and its importance, and then presents the purpose and theory of this article. This article analyzes the effect of independent variables such as FDI on different factors such as India's exports and economic growth through empirical analysis and evaluates whether there is a relationship between export, FDI and economic growth variables in the period 1991-1991. 92-2010-11 IB. Correlational and cross-sectional analysis techniques were used in this study. In the regression analysis, exports and GDP were used as variables and FDI was used as independent variables.

The research results show that the relative value of exports and GDP is higher than the two links that were once considered to have a positive relationship between exports and GDP. In the regression case, the results show that FDI has a positive effect on real GDP and exports. This article concludes that FDI is the engine of a country's economic growth. One of its main goals is to promote the development of the host country's exports. FDI promotes productivity through diversification, such as by promoting the selection of foreign technologies, thus leading to greater use of capital and economies of scale and efficiency, and creating a good and stable job through the expansion of jobs, production and development conditions. foreign countries are gaining strength.

Finally, this study clearly shows that FDI is not only a tool to accelerate exports, but also an important variable that changes the level of GDP in the host country.

Limitations of the study: One of the main limitations of the study is that it is based on secondary data. Information from various websites, such as the RBI official website and business records. Therefore, factors such as the accuracy of the information will be affected by this research. The main points were discussed, but there were many issues that were not explained in detail during the specified period due to time constraints and lack of information. This study was limited to 20 years.

References:-

1. Adhikary, B.K. (2011). FDI, Trade Openness, Capital Formation and Economic Growth in Bangladesh: A Linkage Analysis. *International Journal of Business and Management, 6*(1).
2. Anitha, R. (2012, August). Foreign Direct Investment and Economic Growth in India. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research., 1*(8), 108-125.
3. Azam, M. (2010). An Empirical Analysis of the Impacts of Exports and Foreign Direct Investment on Economic Growth in South Asia. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2*(7).
4. Barua, R. (2013, July). A Study on The Impact of FDI Inflows On Exports And Growth Of An Economy: Evidence From The Context Of Indian Economy. *Researchers World -Journal of Arts, Science & Commerce, 4*(3), 124-131.
5. Farrell, R. (2008). Japanese Investment in the World Economy: A Study of Strategic Themes in the Internationalization of Japanese Industry. *Britain: Edward Elgar.*
6. Goswami, C., & Saikia, K.K. (2012). FDI and its Rela-

tion With Exports in India, Status and Prospects in North East Region. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 123-132.
7. Griffin, R.W., & Pustay, M. W. (2007). International Business: A Managerial Perspective (5 ed.). *New Jersey: Pearson/Prentice Hall.*
8. Gupta, K., & Garg, I. (2015, June). FDI and Economic Growth in India: An Econometric Approach. *Apeejay-Journal of Management Science and Technology, 2*(3), 6-14.
9. HO, C.S., & Rashid, H.A. (2011). Macroeconomic and Country Specific Determinants of FDI. *The Business Review, 18*(1), 219-226.
10. Kumar, P. (2012, June). Impact of FDI on Export and Growth- An Indian Perspective. *8*(1), 87-92.
11. Malhotra, B. (2014). Foreign Direct Investment: Impact on Indian Economy. *Global Journal of Business Management and Information Technology, 4*(1), 17-23.
12. Maskus, K.E. (2002). Intellectual property rights and foreign direct investment. *Journal of International Economics*.
13. Moosa, I.A. (2001). FDI: Theory, Evidence and Practice. *New York: Palgrave.* World Investment Report, 2011.

Table 1: Exports, FDI inflow and GDP in India during the post reform period

Years	Exports	FDI	GDP	Change in Exports (%)	Change inFDI (%)	Change inGDP (%)
1991-92	17865	129	274842	-	-	-
1992-93	18537	315	293262	3.76	144.19	6.70
1993-94	22238	585	284194	19.97	85.71	-3.09
1994-95	26330	1314	333014	18.40	124.62	17.18
1995-96	31797	2144	366600	20.76	63.17	10.09
1996-97	33470	2821	399791	5.26	31.58	9.05
1997-98	35006	3557	423189	4.59	26.09	5.85
1998-99	33218	2462	428767	-5.11	-30.78	1.32
1999-00	36715	2155	466841	10.53	-12.47	8.88
2000-01	44076	4029	476636	20.05	86.96	2.10
2001-02	43827	6130	493934	-0.56	52.15	3.63
2002-03	52719	5035	523768	20.29	-17.86	6.04
2003-04	63843	4322	618369	21.10	-14.16	18.06
2004-05	83536	6051	721589	30.85	40.00	16.69
2005-06	103091	8961	834218	23.41	48.09	15.61
2006-07	126414	22826	949118	22.62	154.73	13.77
2007-08	163132	34835	1238700	29.05	52.61	30.51
2008-09	185295	37839	1224096	13.59	8.62	-1.18
2009-10	178751	37763	1365373	-3.53	-0.20	11.54
2010-11	251136	30380	1708460	40.49	-19.55	25.13

Source: World Economic Outlook Database, 2016

Figure 1: Graph showing the relationship between FDI, GDP and Exports

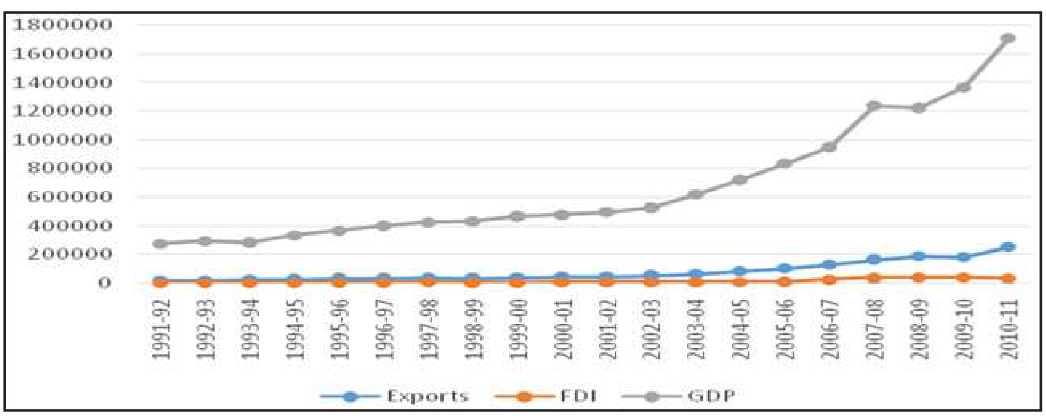

Source: Author's Compilation

Table 2: Descriptive Statistics

Variables	Minimum	Maximum	Mean	SD
Exports	17865.00	251136.00	77549.80	67921.01
FDI	129.00	37839.00	10682.65	13544.76
GDP	274842.00	1708460.00	671238.05	415379.51

Source: Author's Compilation

Table 3: Correlations

	Exports	FDI	GDP
Export Pearson CorrelationSig. (2-tailed) N	1.00020	.933**.00020	.995**.00020
FDI Pearson CorrelationSig. (2-tailed) N	.933**.00020	1.00020	.931**.00020
GDP Pearson CorrelationSig. (2-tailed) N	.995**.00020	.931**.00020	1.00020

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlation between Export and FDI: 0.933 Correlation between FDI and GDP: 0.931

Correlation between Export and GDP: 0.995

Table-4: Regression Analysis for FDI on Exports

Variable	Coefficient	Standard Error	t-statistics	p-value
FDI	4.679	0.425	11.014	0.000
Constant	27561.539	7215.212	3.820	0.001

Source: Author's Compilation

ANOVA (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate	F-test
1	0.933[a]	0.871	0.864	25083.88318	121.307**
a.	Predictors: (Constant), FDI				
b.	Dependent Variable: Exports (**Significant at 0.01 level)				

Source: Author's Compilation

Table-5: Regression Analysis for FDI on the Economic Growth

Variable	Coefficient	Standard error	t-statistics	p-value
FDI	28.544	2.643	10.801	0.000
Constant	366313.737	44881.862	8.162	0.000

Source: Author's Compilation

ANOVA (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate	F-test
2	0.931[a]	0.866 0.859	156033.0300	116.651**	
a.	Predictors: (Constant), FDI				
b.	Dependent Variable: GDP (**Significant at 0.01 level)				

Source: Author's Compilation

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

The Rights of Transgender Individuals in India: A Comprehensive Analysis

Roshani Pandey*

***Assistant Professor (Law And Legal Studies) Sage University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - This research paper aims to provide a comprehensive analysis of the rights of transgender individuals in India. It explores the historical context, legal framework, and societal attitudes towards transgender rights in the country. Additionally, it examines the progress made, challenges faced, and the future prospects for transgender rights in India. The research draws on a range of primary and secondary sources, including legislation, court judgments, academic studies, and reports by non-governmental organizations. The paper concludes with recommendations for advancing the rights and well-being of transgender individuals in India.

Research Methodology

Objectives: The aim of the project is to present a detailed study of the topic **"**The Rights of Transgender Individuals in India: A Comprehensive Analysis**"** forming a concrete informative capsule of the same with an insight into its relevance in the Indian market.

Research: The researcher has followed Doctrinal method.

Scope and Limitations: In this project the researcher has tried to include different aspects pertaining to the concept of The Rights of Transgender Individuals in India: A Comprehensive Analysis, concept under constitutional Law and its different Perspective.

Sources of Data: The following secondary sources of data have been used in the project-

1. Websites
2. Books

Method of Writing and Mode of Citation: The method of writing followed in the course of this research project is primarily analytical. The researcher has followed Uniform method of citation throughout the course of this research project.

Introduction - The rights of transgender individuals have gained significant attention and recognition globally in recent years, and India is no exception. Transgender people, also known as hijras, aravanis, or jogappas in different regions of India, have long faced marginalization and discrimination in various aspects of life. However, India has taken significant strides towards recognizing and protecting the rights of transgender individuals.

India has a rich history of acceptance and cultural recognition of transgender people, dating back to ancient times. Traditionally, hijras held important social roles as performers, blessings givers, and guardians of fertility and auspicious occasions. However, the colonization period and subsequent criminalization of transgender communities had a detrimental impact on their social status and rights.

In recent years, there has been a growing movement to address the systemic discrimination faced by transgender individuals in India. The legal landscape has undergone significant changes to protect their rights and promote inclusivity. One landmark development was the Supreme Court of India's judgment in the National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA) case in 2014, which recognized transgender persons as a third gender and affirmed their fundamental rights.

To further advance transgender rights, the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 was enacted. The Act seeks to protect transgender individuals from discrimination, ensure their access to healthcare, education, employment, and welfare schemes, and establish mechanisms for their welfare and rehabilitation. While the Act has received mixed responses, it represents a significant step towards recognizing and safeguarding transgender rights in India.

Despite these legal advancements, transgender individuals continue to face numerous challenges in Indian society. They often experience social stigma, discrimination, and exclusion, which limit their opportunities for education, employment, and healthcare. Violence and harassment

against transgender people remain prevalent, and many face rejection and abandonment by their families. These challenges necessitate ongoing efforts to promote awareness, acceptance, and equal opportunities for transgender individuals.

Various stakeholders, including governmental and non-governmental organizations, activists, and community members, have been actively working towards promoting transgender rights in India. Sensitization campaigns, capacity-building initiatives, and legal advocacy have contributed to raising awareness and creating a more inclusive society. International collaborations and knowledge exchange have also played a role in shaping policy frameworks and best practices.

Looking ahead, there is a need for sustained efforts to strengthen legal protections, enhance social acceptance and inclusion, address healthcare disparities, and provide comprehensive support for transgender individuals in India. By recognizing and addressing these challenges, India can move towards a more equitable and inclusive society where the rights and well-being of transgender individuals are fully protected and respected.

In conclusion, the rights of transgender individuals in India have undergone significant changes in recent years. From a history of acceptance to a period of marginalization and criminalization, India has made strides in recognizing and protecting transgender rights through legal reforms and societal awareness. However, challenges persist, necessitating ongoing efforts to promote inclusivity, equality, and dignity for transgender individuals. By understanding the current landscape and future directions, stakeholders can work together to create a more inclusive and equitable society for all.

Historical Background: Transgender individuals in India have a long and complex history, with various cultural, legal, and social aspects that shape their experiences. India has recognized transgender people as a distinct third gender since ancient times, with references found in Hindu mythology and texts. Historically, transgender individuals were often revered in Indian society and held roles as performers, spiritual figures, and advisors.

However, in modern times, transgender people in India have faced significant challenges and discrimination. Until recently, transgender individuals were not legally recognized, which limited their access to rights and entitlements. In 2014, the Supreme Court of India passed a landmark judgment recognizing transgender people as a third gender and affirming their fundamental rights. This decision paved the way for transgender rights activism and led to further legal advancements.

In 2019, the Transgender Persons (Protection of Rights) Act was enacted by the Indian government. While the law aimed to protect transgender individuals from discrimination and provide them with certain rights, it faced criticism from transgender rights activists for various reasons. Critics argued that the law did not adequately address the concerns and needs of transgender people and imposed invasive procedures for legal recognition.

Access to healthcare, education, employment, and housing remains a significant challenge for transgender individuals in India. Discrimination, stigma, and social exclusion continue to affect their daily lives. However, there has been an increasing awareness and advocacy for transgender rights, with various organizations, activists, and community groups working to address these issues.

In recent years, efforts have been made to increase inclusivity and representation of transgender individuals in various sectors. Transgender individuals have begun to gain visibility in the fields of politics, entertainment, and sports. Additionally, there are initiatives to provide transgender-friendly healthcare services and promote transgender education and empowerment.

It is important to note that India is a diverse country with different regional, cultural, and socio-economic contexts, which can influence the experiences of transgender individuals. While progress has been made, there is still a long way to go to ensure full equality, acceptance, and empowerment for transgender people in India.

Research objectives: The research objectives for the study on advancing transgender rights in India are as follows:

1. To provide a comprehensive analysis of the historical context and cultural acceptance of transgender individuals in India
2. To examine the existing legal framework for transgender rights in India, including constitutional provisions, key legislations, policies, and landmark court judgments, such as the NALSA judgment, that have shaped the legal landscape.
3. To identify the specific challenges faced by transgender individuals in India, including social stigma, discrimination, limited access to education and employment opportunities, healthcare disparities, violence, and family and community rejection.
4. To explore the efforts undertaken by various stakeholders,
5. To identify emerging trends and best practices in advancing transgender rights in India, including initiatives related to workplace inclusion, gender recognition and self-identification, healthcare access and mental well-being, education, skill development, empowerment, and community support programs.
6. To provide recommendations for future directions and actions to strengthen transgender rights in India, including suggestions for enhancing legal protections, fostering social acceptance and inclusion, addressing healthcare disparities, promoting collaborations and knowledge exchange, and monitoring and evaluating the implementation of policies.

Emergence of Activism and Legal Battles : The emergence of activism and legal battles has played a pivotal role in advancing transgender rights in India. Over the years, transgender individuals, activists, and organizations have fought for recognition, equality, and the protection of their rights through various means, including legal interventions, advocacy, and awareness campaigns.

One of the significant milestones in the legal battle for transgender rights in India was the National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA) case in 2014. In this landmark judgment, the Supreme Court of India recognized transgender persons as a third gender and affirmed their fundamental rights, including the right to self-identification, non-discrimination, and equal protection under the law. The judgment also directed the government to take affirmative action to provide transgender individuals with access to healthcare, education, employment, and welfare schemes. The NALSA judgment provided a strong legal foundation for transgender rights in India and paved the way for further legal reforms and activism. Transgender activists and organizations, alongside lawyers and human rights advocates, have since taken up legal battles to challenge discriminatory laws, policies, and practices. These legal battles have aimed to secure equal rights, protection, and inclusion for transgender individuals.

One significant legal battle was the challenge against Section 377 of the Indian Penal Code, which criminalized consensual same-sex relationships. Transgender activists and allies joined forces with the LGBTQ+ community to fight for the decriminalization of homosexuality. In 2018, the Supreme Court struck down Section 377, decriminalizing same-sex relationships and providing a significant boost to LGBTQ+ rights, including transgender rights.

In addition to legal battles, activism and advocacy have been instrumental in raising awareness and creating a more inclusive society. Transgender activists and organizations have organized protests, rallies, and public demonstrations to demand recognition, equal rights, and an end to discrimination and violence. They have also conducted campaigns to challenge stereotypes, promote transgender visibility, and educate the public about transgender issues. Non-governmental organizations (NGOs) and community-based organizations (CBOs) have played a crucial role in advancing transgender rights in India. These organizations provide support, resources, and advocacy for transgender individuals, addressing various aspects of their lives, including healthcare, education, livelihood, and legal assistance.

International collaborations and support have also contributed to the activism and legal battles for transgender rights in India. Transgender activists and organizations have formed alliances with global human rights organizations, participated in international forums, and shared best practices and strategies to advance transgender rights.

Despite significant progress, challenges persist in fully realizing transgender rights in India. Implementation gaps, societal stigma, discrimination, and lack of awareness continue to hinder the effective protection and inclusion of transgender individuals. Ongoing activism, legal advocacy, and collaborations among stakeholders are vital in addressing these challenges and ensuring the full enjoyment of rights by transgender individuals in India.

Overall, the emergence of activism and legal battles has been instrumental in pushing forward transgender rights in India. Through strategic litigation, advocacy, and awareness campaigns, transgender individuals and their allies have made significant strides in challenging discriminatory laws, promoting social acceptance, and securing legal recognition and protection. However, continued efforts are necessary to address remaining obstacles and foster an inclusive society where transgender rights are fully respected and upheld.

Legal Framework for Transgender Rights : The legal framework for transgender rights in India consists of various laws, policies, and court judgments that aim to protect and promote the rights and well-being of transgender individuals. The following are key components of the legal framework for transgender rights in India:

1. **The Constitution of India:** The Constitution of India guarantees certain fundamental rights to all citizens, including transgender individuals. These rights include the right to equality, non-discrimination, freedom of expression, and protection of life and personal liberty. These constitutional provisions form the basis for protecting transgender rights and challenging discriminatory practices.
2. **National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA) judgment:** In the NALSA judgment of 2014, the Supreme Court of India recognized transgender persons as a third gender and affirmed their fundamental rights. The judgment directed the government to take various measures to ensure transgender individuals' equal rights and access to healthcare, education, employment, and welfare schemes.
3. **Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019:** This legislation was enacted to protect and promote the rights of transgender persons in India. It defines transgender persons and prohibits discrimination against them in various areas, including education, employment, healthcare, and housing. The Act also provides for the establishment of welfare boards to address transgender-related issues, the right to self-perceived gender identity, and provisions for transgender persons' protection and rehabilitation.
4. **Anti-Discrimination Laws:** While there are no specific anti-discrimination laws solely dedicated to transgender individuals, certain laws offer protection against discrimination. The Protection of Civil Rights Act, 1955, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, provide protection against

discrimination, violence, and atrocities faced by transgender individuals, particularly those from marginalized communities.

5. Criminal Law Amendment Act, 2013: This amendment introduced important changes to the Indian Penal Code to address sexual offenses, including rape and sexual harassment. The amendments provide gender-neutral definitions of victims and offenders, acknowledging that transgender individuals can be victims of sexual offenses and ensuring that they have access to legal remedies and protections.

6. Right to Privacy: The right to privacy has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India. This right includes the autonomy and self-determination of individuals, including transgender individuals, regarding their gender identity and expression. The right to privacy has been invoked in legal battles to challenge discriminatory practices and policies that infringe upon transgender rights.

7. State-level Policies: Several states in India have formulated specific policies and guidelines to protect transgender rights and address their specific needs. These policies cover areas such as healthcare, education, employment, and welfare schemes. For example, the Tamil Nadu Transgender Welfare Board has implemented various initiatives to support transgender individuals, including schemes for education, housing, and healthcare.

It is important to note that despite the existence of these legal provisions, challenges remain in the effective implementation and enforcement of transgender rights in India. Transgender individuals continue to face discrimination, social stigma, and limited access to essential services. Ongoing efforts are required to create awareness, build capacity among stakeholders, and ensure that the legal framework is effectively implemented to safeguard and promote transgender rights in the country.

Constitutional Provisions for transgenders right in india: The Constitution of India provides several constitutional provisions that form the basis for protecting and promoting the rights of transgender individuals. These provisions include:

1. Right to Equality (Article 14): Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality before the law and equal protection of the law. This provision prohibits discrimination on grounds of gender, among other factors. Transgender individuals are entitled to the same legal protection and rights as any other citizen, and they cannot be discriminated against solely based on their gender identity.

2. Right against Discrimination (Article 15): Article 15 prohibits discrimination on various grounds, including sex. It ensures that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of sex, including transgender individuals. This provision is crucial in protecting transgender individuals from discrimination in various areas, such as access to public spaces, employment, education, and healthcare.

3. Right to Freedom of Expression (Article 19): Article 19 guarantees the right to freedom of expression, which includes the freedom to express one's gender identity and live according to one's self-perceived gender. Transgender individuals have the right to express their gender identity, whether through appearance, speech, or other means, without fear of censorship or restriction.

4. Right to Life and Personal Liberty (Article 21): Article 21 of the Constitution protects the right to life and personal liberty. This provision encompasses the right to live with dignity, which includes the right to gender identity and expression. Transgender individuals have the right to live freely and authentically, without societal prejudice or discrimination infringing upon their personal liberty and dignity.

5. Right to Privacy (Right to Privacy): While the right to privacy is not explicitly mentioned in the Constitution, the Supreme Court of India has recognized it as a fundamental right derived from the right to life and personal liberty (Article 21). The right to privacy includes the right to privacy of one's gender identity, protecting transgender individuals from unwanted disclosure of their transgender status and ensuring their autonomy and self-determination.

These constitutional provisions provide a strong foundation for protecting transgender rights in India. They form the basis for legal challenges, policy reforms, and initiatives aimed at promoting equality, non-discrimination, and the overall well-being of transgender individuals. However, it is important to note that the effective realization of these rights depends on their interpretation, implementation, and enforcement by the government, judiciary, and other relevant stakeholders.

Key Legislations and Policies related to transgenders rightin india: There are several key legislations and policies related to transgender rights in India. These include:

1. Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019: This legislation was enacted to protect and promote the rights of transgender persons in India. It recognizes transgender persons as a separate gender and prohibits discrimination against them in various areas, including education, employment, healthcare, and housing. The Act provides for the right to self-perceived gender identity, the establishment of welfare boards to address transgender-related issues, and provisions for the protection and rehabilitation of transgender persons.

2. The National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA) judgment: The NALSA judgment of 2014 by the Supreme Court of India played a significant role in affirming the rights of transgender individuals. The judgment recognized transgender persons as a third gender and affirmed their fundamental rights, including the right to self-identification, non-discrimination, and equal protection under the law. It directed the government to take affirmative

action to provide transgender individuals with access to healthcare, education, employment, and welfare schemes.

3. **Right to Education Act, 2009:** The Right to Education Act is a comprehensive legislation that guarantees free and compulsory education for all children in the age group of 6-14 years. The Act prohibits discrimination and ensures that transgender children have equal access to education. It recognizes the importance of creating an inclusive and non-discriminatory educational environment for all students, including transgender children.

4. **Health Ministry Guidelines for Transgender Persons:** The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, released guidelines in 2018 for the healthcare needs of transgender persons. These guidelines provide recommendations for transgender-friendly healthcare services, including hormone therapy, gender-affirming surgeries, mental health support, and HIV prevention and treatment. The guidelines aim to address the specific health needs and challenges faced by transgender individuals and promote inclusive and non-discriminatory healthcare services.

5. **State-Level Policies:** Several states in India have formulated specific policies and guidelines to protect transgender rights and address their specific needs. For example, Tamil Nadu was the first state to establish the Tamil Nadu Transgender Welfare Board, which implements various initiatives for the welfare and empowerment of transgender persons, including schemes for education, housing, healthcare, and livelihood support.

6. **Affirmative Action and Reservation:** Some states in India have introduced reservation policies to provide affirmative action for transgender individuals in education and employment. For instance, Kerala and Tamil Nadu have implemented reservation policies in educational institutions and government jobs to promote inclusion and equal opportunities for transgender individuals.

These legislations and policies are crucial in promoting the rights, inclusion, and well-being of transgender individuals in India. However, there are ongoing discussions and debates regarding their effectiveness and areas for improvement. Continued efforts are needed to ensure effective implementation, awareness, and sensitization among stakeholders, and to address the evolving needs and challenges faced by transgender individuals in the country.

Challenges Faced by Transgender individuals in india: Transgender individuals in India face numerous challenges that hinder their full inclusion, equality, and enjoyment of rights. These challenges arise from social, cultural, legal, and economic factors. Some of the key challenges faced by transgender individuals in India include:

1. **Social Stigma and Discrimination:** Transgender individuals often face deep-rooted social stigma, prejudice, and discrimination. They are subjected to marginalization, exclusion, and violence due to societal misconceptions, stereotypes, and ignorance surrounding gender diversity. Discrimination occurs in various settings, including education, employment, housing, healthcare, and public spaces, leading to limited opportunities and unequal treatment.

2. **Lack of Legal Protections:** Although there have been legal advancements in recognizing transgender rights in India, there are still gaps and challenges in the effective implementation and enforcement of these laws. Transgender individuals often face difficulties in accessing justice, as legal procedures may not adequately address their specific needs and concerns. Additionally, many transgender individuals lack legal documentation that accurately reflects their gender identity, which can lead to further discrimination and denial of rights.

3. **Limited Access to Healthcare:** Transgender individuals face significant barriers in accessing appropriate and transgender-inclusive healthcare services. They often encounter ignorance, insensitivity, and discrimination from healthcare providers, which can result in inadequate healthcare or the avoidance of seeking medical assistance altogether. Access to gender-affirming healthcare, including hormone therapy and gender-affirming surgeries, is also limited, leading to negative impacts on their physical and mental well-being.

4. **Educational Challenges:** Transgender students often face discrimination and harassment in educational institutions, resulting in high dropout rates and limited educational opportunities. The lack of awareness and inclusive policies contributes to an unwelcoming and hostile environment for transgender students. There is a need for comprehensive measures to ensure safe, inclusive, and supportive educational environments that cater to the specific needs of transgender students.

5. **Employment and Economic Marginalization:** Transgender individuals face significant challenges in accessing decent employment opportunities and face high rates of unemployment and underemployment. Discrimination and prejudice in the workplace lead to limited job prospects, wage disparities, and exclusion from formal employment sectors. Transgender individuals often find themselves pushed into precarious and informal sectors of the economy, such as begging or sex work, as a means of survival.

6. **Limited Social Support and Welfare:** Transgender individuals often lack adequate social support systems, including family and community acceptance. This lack of support can contribute to social isolation, mental health issues, and limited access to social welfare schemes and support networks. There is a need for inclusive social support programs and initiatives that address the specific needs and challenges faced by transgender individuals.

7. **Violence and Harassment:** Transgender individuals are at a heightened risk of violence, harassment, and abuse. They often face physical and verbal abuse, sexual assault,

and hate crimes due to their gender identity. The reluctance of law enforcement authorities to address these crimes and provide protection further exacerbates the vulnerability of transgender individuals to violence and discrimination.

Addressing these challenges requires a multi-faceted approach involving legal reforms, awareness campaigns, sensitization programs, capacity building, and inclusive policies. Efforts are needed to combat social stigma, promote acceptance and understanding, provide access to quality healthcare and education, ensure equal employment opportunities, and strengthen legal protections for transgender individuals. Additionally, empowering transgender communities, fostering dialogue, and engaging with diverse stakeholders are crucial for promoting inclusion, dignity, and equality for transgender individuals in India.

Efforts to Promote Transgender Rights : Efforts to promote transgender rights in India have gained momentum in recent years, driven by advocacy groups, civil society organizations, transgender activists, and progressive individuals. Various initiatives and strategies have been implemented to address the challenges faced by transgender individuals and promote their inclusion, equality, and well-being. Some of the key efforts to promote transgender rights in India include:

1. **Awareness and Sensitization Campaigns:** Several organizations and activists have undertaken awareness campaigns to educate the public about transgender issues, challenge stereotypes, and promote acceptance and understanding. These campaigns aim to change societal attitudes, reduce stigma, and create a more inclusive environment for transgender individuals.
2. **Legal Reforms and Policy Advocacy:** Transgender activists and organizations have been at the forefront of advocating for legal reforms and policy changes to protect transgender rights. They have played a crucial role in drafting and lobbying for legislation such as the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. They continue to engage with policymakers, government agencies, and legal institutions to push for comprehensive legal protections and policy initiatives that address the specific needs of transgender individuals.
3. **Capacity Building and Skill Development:** Efforts have been made to provide capacity building programs and skill development opportunities for transgender individuals. These initiatives aim to enhance their employability, economic empowerment, and self-sustainability. Skill training programs in various sectors, such as hospitality, beauty services, and entrepreneurship, have been implemented to create opportunities for transgender individuals to gain skills and secure dignified livelihoods.
4. **Access to Healthcare Services:** Initiatives have been undertaken to improve access to transgender-inclusive healthcare services. Healthcare providers and institutions are being sensitized to the specific healthcare needs of transgender individuals, including hormone therapy, gender-affirming surgeries, mental health support, and HIV prevention and treatment. Specialized clinics and support networks have been established to cater to the healthcare needs of transgender individuals.
5. **Inclusive Education and Scholarships:** Efforts are being made to create inclusive educational environments that support the learning and well-being of transgender students. Scholarships and financial assistance programs have been introduced to promote access to education and higher studies for transgender individuals. Sensitization programs for teachers and administrators are being conducted to address discrimination and promote transgender-inclusive policies in educational institutions.
6. **Representation and Participation:** Advocacy groups and activists are working towards increasing transgender representation and participation in various spheres of society, including politics, media, and cultural platforms. This involves supporting transgender individuals in leadership roles, promoting their voices and stories, and advocating for their representation in decision-making processes.
7. **Collaboration and Networking:** Collaboration between organizations, activists, and stakeholders is crucial for collective efforts in promoting transgender rights. Networking platforms, support groups, and alliances are being established to facilitate collaboration, knowledge-sharing, and collective advocacy for transgender rights.

It is important to note that while significant progress has been made, there is still a long way to go in fully achieving transgender rights and ensuring their meaningful implementation. Continued efforts, partnerships, and sustained engagement are necessary to bring about lasting change and create an inclusive society that respects and protects the rights of transgender individuals in India.

Emerging Trends and Best Practices : Emerging trends and best practices for transgender individuals in India are constantly evolving as society progresses towards greater acceptance, inclusivity, and respect for transgender rights. Some of the notable emerging trends and best practices include:

1. **Self-Identification and Gender Recognition:** There is a growing recognition of the right of transgender individuals to self-identify their gender. This trend emphasizes the importance of individuals being able to define their own gender identity, without requiring medical interventions or external validation. Best practices involve facilitating a simplified and accessible process for transgender individuals to change their gender markers on official documents, such as identification cards and passports, based on self-identification.
2. **Inclusive Education and Safe Spaces:** Best practices in education involve creating inclusive and safe environments for transgender students. This includes implementing anti-discrimination policies, training teachers and staff on transgender issues, ensuring inclusive curriculum and teaching materials, and establishing support

mechanisms such as gender-neutral restrooms and counseling services. Schools and educational institutions that actively promote diversity and inclusivity contribute to the overall well-being and educational success of transgender students.

3. Employment Opportunities and Workplace Inclusion: Best practices in employment focus on promoting equal opportunities, workplace inclusivity, and non-discrimination for transgender individuals. This includes implementing policies that prohibit discrimination based on gender identity, establishing diversity and inclusion programs, providing transgender-specific sensitivity training for employees, and creating supportive networks within the workplace. Companies that actively recruit and support transgender employees contribute to their economic empowerment and foster an inclusive work culture.

4. Transgender Healthcare Services: There is an increasing recognition of the specific healthcare needs of transgender individuals and the importance of providing transgender-inclusive healthcare services. Best practices involve training healthcare providers on transgender healthcare, establishing specialized clinics or departments that cater to transgender individuals, and ensuring access to gender-affirming healthcare services, including hormone therapy, gender-affirming surgeries, and mental health support. Transgender-friendly healthcare services help promote the overall well-being and quality of life for transgender individuals.

5. Community Support Networks: Building strong community support networks and organizations is essential for promoting the rights and well-being of transgender individuals. Best practices involve establishing transgender-led support groups, community centers, and organizations that provide a safe space for socialization, peer support, and empowerment. These networks play a crucial role in creating a sense of belonging, fostering resilience, and advocating for transgender rights at both local and national levels.

6. Media Representation and Advocacy: Increasing visibility and positive representation of transgender individuals in media and popular culture are important for challenging stereotypes, raising awareness, and promoting acceptance. Best practices involve media platforms featuring transgender voices, stories, and experiences in a respectful and inclusive manner. Transgender activists and organizations are also leveraging social media and digital platforms to amplify their advocacy efforts and raise awareness about transgender rights.

These emerging trends and best practices contribute to creating a more inclusive and accepting society for transgender individuals in India. It is crucial to continue learning, adapting, and implementing these practices while actively engaging with transgender communities to ensure that their diverse needs and voices are represented and respected.

Future Directions and Recommendations : Future directions and recommendations for the rights of individuals in India encompass a broad range of areas and challenges. Here are some key aspects to consider:

1. Strengthening Legal Protections: While significant progress has been made in enacting laws to protect individual rights in India, there is a need for continued efforts to strengthen legal frameworks. This includes addressing gaps in existing legislation, ensuring effective implementation, and improving access to justice for marginalized and vulnerable populations. Robust legal protections should encompass areas such as gender equality, LGBTQ+ rights, privacy rights, freedom of expression, and protection against discrimination.

2. Promoting Social Inclusion and Ending Discrimination: It is essential to foster social inclusion and combat discrimination in all its forms. This involves raising awareness, promoting diversity and acceptance, and challenging societal prejudices. Educational initiatives, public campaigns, and community engagement programs can play a vital role in shifting attitudes and promoting a culture of respect for individual rights, regardless of gender, caste, religion, disability, or other characteristics.

3. Addressing Economic Inequality: Economic inequality remains a significant challenge in India, with marginalized communities often experiencing disproportionate poverty and limited access to resources and opportunities. Future directions should focus on equitable economic policies, inclusive development programs, and skill-building initiatives that promote livelihood opportunities for all individuals, particularly those from disadvantaged backgrounds.

4. Strengthening Digital Rights and Privacy: With the rapid growth of technology and digital platforms, ensuring the protection of digital rights and privacy is critical. Future directions should involve the formulation of comprehensive legislation and regulations that safeguard individuals' privacy, data protection, and online freedom of expression. Cybersecurity measures and awareness programs should also be prioritized to mitigate online threats and risks.

5. Enhancing Healthcare Access and Quality: Accessible and quality healthcare is essential for protecting individuals' rights to health and well-being. Future directions should focus on improving healthcare infrastructure, expanding healthcare coverage, and addressing disparities in healthcare access, especially for marginalized communities. Efforts should also be directed towards promoting mental health awareness, preventive care, and robust healthcare systems that prioritize patient-centered care and affordability.

6. Promoting Civic Engagement and Participation: Encouraging civic engagement and active participation in decision-making processes is crucial for safeguarding individual rights and strengthening democracy. Future directions should prioritize creating platforms for meaningful

citizen participation, fostering transparency, and enhancing accountability of public institutions. It is essential to promote a culture of active citizenship, protect the rights of activists and whistleblowers, and ensure that individuals have a voice in shaping policies and governance.

7. Investing in Education and Skills Development: Education plays a vital role in empowering individuals and promoting their rights. Future directions should focus on strengthening educational infrastructure, enhancing access to quality education, and promoting lifelong learning opportunities. This includes addressing barriers to education, ensuring inclusive and equitable educational environments, and equipping individuals with the necessary skills for personal and professional development.

8. International Collaboration and Human Rights Advocacy: India can benefit from increased collaboration with international organizations, human rights bodies, and global initiatives to strengthen individual rights protections. Sharing best practices, exchanging knowledge, and learning from global experiences can help shape future directions and advance the rights of individuals in India.

It is important to recognize that these recommendations require comprehensive, coordinated efforts involving government, civil society, academia, and other stakeholders. Continuous dialogue, policy advocacy, and public engagement are essential to drive these future directions and create a society that upholds and protects the rights of every individual in India.

Conclusion: In conclusion, significant advancements have been made in recent years regarding the rights of transgender individuals in India. The country has witnessed a shift towards greater recognition, inclusivity, and legal protections for transgender people. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, is a significant step forward in recognizing transgender rights and addressing their specific needs.

Efforts to promote transgender rights have been driven by the activism of transgender individuals, advocacy groups, civil society organizations, and progressive individuals. These efforts have focused on raising awareness, challenging stereotypes, advocating for legal reforms, and implementing inclusive policies in areas such as education, healthcare, employment, and social support.

However, challenges persist, and there is still work to be done to ensure the full realization of transgender rights in India. Discrimination, social stigma, limited access to healthcare, educational barriers, and economic marginalization continue to hinder the full inclusion and equality of transgender individuals. These challenges require sustained efforts, collaboration, and continued dialogue between stakeholders.

Moving forward, it is crucial to prioritize the strengthening of legal frameworks, addressing social attitudes and prejudices, improving access to healthcare and education, and promoting economic opportunities for transgender individuals. Emphasizing self-identification, creating safe and inclusive spaces, and fostering community support networks are also essential.

Furthermore, future advancements in transgender rights should be guided by the principles of dignity, respect, and equal rights for all individuals, regardless of their gender identity. Collaboration between government agencies, civil society organizations, transgender activists, and other stakeholders is essential for driving forward the agenda of transgender rights in India.

By continuing to address the challenges, implementing best practices, and striving for social acceptance and equality, India can create a society that respects and protects the rights of transgender individuals, fostering a more inclusive and diverse nation for all its citizens.

References:-

Websites Referred:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_India
2. https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019
3. legalserviceindia.com/legal/article-6958-rights-of-transgender-under-the-indian-legal-system.html
4. https://www.hrw.org/news/2019/12/05/indias-transgender-rights-law-isnt-worth-celebrating
5. https://www.indialawoffices.com/legal-articles/rights-of-transgenders-in-india
6. https://translaw.clpr.org.in/legislation/transgender-persons-protection-of-rights-act-2019/

Books Referred :

1. Transgender Persons and The Law: A Commentary ,by G B Reddy and Baglekar Akash Kumar ,Edition: 1st Edition, 2022
2. Transgender History, second edition: The Roots of Today's Revolution by Susan Stryker
3. Transgender Rights: Identity And Mobility [Hardcover] Hardcover – 1 January 2021 by Dr. Madhusudhan B.
4. Constitutional Law Of India | Dr JN Pandey | Law Of Constitution | Central Law Agency
5. Human Rights and Indian Constitutiion: Dr B R Ambedkars Enduring Legacies Paperback – 1 January 2012 ,by S S Dhaktode.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करना

डॉ. सुषमा शर्मा* गायत्री सोलंकी**

*प्राध्यापक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन धार जिले की कुक्षी तहसील की 8 अशासकीय विद्यालय का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययनके निष्कर्ष हेतु सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययनकरने पर सार्थक अंतर पाया गया है। इस शोध अध्ययनसे यह स्पष्ट होता है कि जातिगत विभिन्नता एवं लिंग का छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त परिणामों का सम्भावित कारण यह हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राएँ जो कि ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होते, जिससे उनकी पारिवारिक समस्या, आर्थिक स्थिति, रूढ़िवादी परम्परागत, सामाजिक वातावरण अधिक का प्रभाव पाया गया अत: सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राएँ जो कि शहरी क्षेत्र में होने के कारण उनका पारिवारिक वातावरण सुख–सुविधाएँ जो कि समय पर उपलब्धि हो जाती, जिससे उनकी बुद्धिलब्धि का स्तर, शैक्षणिक स्तर व समायोजन अच्छो से कर पाते हैं। इसीलिए छात्र–छात्राओं पर जातिगत भिन्नयता व लिंग का प्रभाव भी पाया गया।

प्रस्तावना – मनुष्य आज श्रेष्ठतम प्राणी बुद्धि के कारण ही समझा जाता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर–बुद्धि वाले अथवा मुर्ख हुआ करते है। प्रखर–बुद्धि वाले व्यक्ति मुर्ख व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षा से अधिक लाभ उठाते हैं। अत: कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, परन्तु दूसरी और इसके विकास के लिए उपयुक्त वातारण की भी आवश्यकता होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अत: किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाये। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता बल्कि उसके प्रभावों को ही देखा जा सकता है अत: हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है। बुद्धि का व्यक्ति बहुधा उपयोग विभिन्न समस्याओं को समझने और उनका अधिगम करने में तो करता ही है, परन्तु बुद्धि का उपयोग जीव अपने दैनिक जीवन की छोटी–छोटी बातों से लेकर बड़ी–बड़ी बातों को समझने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में भी करता है। इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने से पहले आवश्यक है कि बुद्धि के अर्थ और स्वरूप को समझ लिया जाये। बुद्धि के अर्थ और स्वरूप के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, फिर भी यहाँ नीचे कुछ प्रचलित परिभाषाएँ देकर बुद्धि के अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है।

शैक्षणिक उपलब्धि छात्र–छात्राओं का अध्ययन हेतू उन्हें प्रोत्साहन एवं प्रलोभन प्रदान करती है। एक प्रकार से परीक्षाएँ छात्रों को प्रेरणा करती है। तथा शिक्षण विधि में सुधार करके शिक्षण तथा छात्र–छात्राओं दोनों ही परीक्षा परिणामों के आधार पर हम शिक्षण विधि की सफलता की मात्रा जान सकते है। और उसमें आवश्यकता होने पर उसमें कुछ सुधार के प्रयत्न कर सकते है। और परीक्षा की उत्तार–पुस्तिका के आधार पर अध्यापक अपने द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि की सफलताओं का ज्ञान कर सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि द्वारा मान्यता प्रदान करने में सहायता भी होती है। परीक्षा परिणामों के आधार पर कई विद्यालयों को मान्यता दी जाती है। और इनके माध्यम से अनुधान की निर्धारित की जाती है। शिक्षण में सुधार हेतू प्रति वर्ष परीक्षाओं के लिए शिक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करना पड़ता है। जो परिणाम आता है। उससे अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। और अपने वर्जित ज्ञान के आधार पर अध्यापक सहज ही सुधार कर लेते है। शैक्षणिक उपलब्धि के परीक्षा परिणामों के विभागों का मुल्यांकन भी आसानी से किया जा सकता है। विभिन्न विद्यालय तथा विभागों में अध्यापन की स्थिति व प्रभावशीलता कुशलता का ज्ञान हो सकता है। इन शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से इनका तुलनात्मक अध्ययनभी किया जा सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा न केवल छात्रों को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में काफी सहायता होती है। और परीक्षाएँ छात्रों के संबंध में अनेक उपयोगी सुचनाएँ भी प्रदान करती है। इन परिणामों के आधार पर छात्रों विषय संबंधी उपलब्धियाँ, अभियोग्यताएँ, अभिरूचियाँ और योग्यताओं आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते है। जिनकी शैक्षिक निर्देशक के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है। शैक्षणिक उपलब्धि अन्वेषण के लिए आवश्यक होती है जो कि शिक्षा में अनुसंधान तथा शोध के लिए परीक्षाएँ आवश्यक सामग्री जुटाती है। कई परीक्षा परिणाम छात्रों की विपत्तियों विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में तथ्यों का काम करती है।

समायोजन के द्वारा छात्र एवं छात्राएँ अपने आपको बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं तथा समायोजन छात्र

छात्राओं को शक्ति व सामर्थ्य भी देता है। जो कि परिस्थितियों को ही बदल डाले। यह बात संतुलन की होती है। और संतुलन छात्र छात्राओं को परिस्थितियों के बीच बनाना होता है। अत: इसलिए अपने को बदलकर संतुलन बनाया जाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते है कि हालातों से समझौता किया जा सकता है। यह साहस किया जा सकता है कि छात्र-छात्राओं परिस्थितियों को बदलकर अपने इच्छा अनुसार कर लिया जाए। समायोजन का दूसरा रास्ता महापुरूषों, साहसी और निडर व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है। और वह व्यक्तियों जो अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानकर उनको झुकाते चलते है। और इसी तरह अपनी सफलता के रास्ते पर पहुँचकर दिखाते है। कभी-कभी छात्रों की योग्यता, क्षमताएँ और उनसे मिलने वाला परामर्श उनकी परिस्थितियों पर हावी हो जाता है तो कभी-कभी कई परिस्थितियों के सामने हार भी जाते है। समायोजन ऐसी प्रक्रिया व भाव है, जो बालक को उनकी योग्यता व क्षमताओं के माध्यम से व परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य के मार्ग में जाने में सहायता करते है। छात्रों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं, कभी रूकती नहीं है। क्योंकि जीवन हमेशा चलता रहता है, रूकता नहीं है। और इस परिवर्तन जीवन के साथ-साथ समायोजन प्रक्रिया को बदलना पड़ता है। और ये कई प्रकार के बदलाव और क्षमताओं में भी छात्रों का सर्वागीण विकास, प्रगति, संतुष्टि आदि होता है।

साहित्य का पुनरावलोकन- प्रस्तुत अध्ययनके लिए अनेक शोध पत्र-पात्रिकाओं का अध्ययन किया तथा उनमें से विगत वर्ष में किये गये कुछ प्रमुख अध्ययनइस प्रकार हैं-

1. **शर्मा तृषा (2019)-** के शोध अध्ययन का उद्देश्य उच्च शैक्षिक उपलब्धि के विद्यार्थियों के मध्य बुद्रि के आयाम की तुलना करना है। प्रस्तुत अध्ययनहेतु, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सराचती शिशू मंदिर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वी के 400 विद्यार्थियों को स्तरीकृत याद्दच्छिाक प्रतिदर्श द्वारा चयन किया गया। अध्ययनमें पाया गया की उच्च शैक्षिक उपलब्धि एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की बुद्वि एवं उसके सभी आयामों के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया, केवल बुद्धि के अुयाम उत्तम तर्क में सार्थक अंतर पाया गया है।

2. **दीवान, रसीदू (2018)-** ने सामाजिक परिपक्वता और आर्थिक स्त्रर का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक परिपक्वता के साथ सामाजिक व आर्थिक स्त्रर के संबंध की खोज करना था। अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए सामाजिक परिपक्वता के सन्दर्भ में किशोर व किशोंरियों की बुहिलब्धि समान है। तथा सामाजिक परिपक्वता पर निवेश और लिंग कोई पारपरिक प्रभाव सम्चादित नहीं करते हैं।

3. **डॉ. पारिक अल्का एवं गोस्वामी कुसूम (2017)-**ने जयपूर जिले में ✻✻माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समायोजन का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन निष्कर्ष में पाया गया है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् निजी विद्यालयों के वंचित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया अर्थात माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् शासकीय विद्यालयों के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया।

शोध अध्ययनके उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययनकी परिकल्पना:

1. अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

निदर्शन का क्षेत्र- प्रस्तुत निदर्शन का क्षेत्र के अंतर्गत धार जिले की कुक्षी तहसील में अध्ययनरत् कर रहे छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतू चुना गया है।

निदर्शन का आकार- प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संकलन हेतू 200 निदर्शन लिया गया है। अनुसूचित जनजाति जिसमें छात्र एवं छात्राओं की 100 संख्या है। 50 छात्र व 50 छात्राओं की बुद्धिलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन किया गया है। एवं उसका शैक्षणिक उपलब्धि को ज्ञात किया गया है।

सामान्य वर्ग में जिसमें छात्र एवं छात्राओं की 100 संख्या है। 50 छात्र एवं 50 छात्राओं की बुद्धिलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन किया गया है। और इनका शैक्षणिक उपलब्धि भी ज्ञात किया गया है।

तथ्य संकलन के स्त्रोत:- प्राथमिक एवं द्वितीयक।

प्राथमिक स्त्रोत:-

प्रपत्र- छात्र एवं छात्राओं की बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए शोधार्थी ने 'आर. के ओझा और राय चौधरी' का प्रपत्र लिया गया और समायोजन को ज्ञात करने के लिए 'A. K. P. Sinha & R. P. Singh' द्वारा ज्ञात किया गया। और शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए शोधार्थी ने छात्र एवं छात्रों का रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ज्ञात किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत- द्वितीयक स्त्रोत का संकलन शोधार्थी स्वयं नहीं करता बल्कि पहले से उपलब्ध प्रदत्तों का अपनी शोध समस्या के विश्लेषण तथा विवेचना में उपयोग करता है। ये प्रदत्ता किसी अन्य व्यक्ति किसी संस्था का संगठन द्वारा उनके अपने निजी उपयोग के लिए संकलित किया गया। तथ्यों का संकलन पुस्तक, समाचार पत्र, शोध पत्रिकाओं, सरकारी अभिलेख, प्रतिवेदन, इंटरनेट आदि से प्राप्त जानकारी के माध्यम से द्वितीयक स्त्रोत प्राप्त किये गये है।

तथ्यों का विश्लेषण - तथ्यों का विश्लेषण हेतु समस्त संकलित आंकडों एवं सूचनाओं को अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं से बुद्धिलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन से संकलित आंकडों के आधार पर निम्नलिखित प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन एवं टी परीक्षण के साथ अनोवा परीक्षण किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य 'अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करना' है। इस हेतु शून्य परिकल्पना 'अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' का निर्माण किया गया। ऑकड़ों का सारणीयन किया गया एवं प्राप्त निष्कर्षों में अनोवा परीक्षण किया गयाॅ जिन्हें निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका का स्पष्टीकरण -तालिका 1 में दर्शाया गया है कि अनुसूचित

जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में अनोवा परीक्षण का मूल्य क्रमश: 78.099, 19.527 एवं 246.591 प्राप्त हुआ जो कि 3,196 स्वंत्र्यांश पर सार्थक (P<0.05) पाया गया हैं। अत: शून्य परिकल्पना 'अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' अस्वीकृत कि जाती हैं। एवं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया हैं।

अत: स्पष्ट किया जाता है कि जातिगत विभिन्नता एवं लिंग का छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन पर प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष - तालिका क्रमाक 1. में दर्शित आंकड़ों सें सिद्ध होता हैं, कि अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया है। अत: स्पष्ट किया गया हैं कि जातिगत विभिन्नता एवं लिंग का छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन पर प्रभाव पड़ता हैं। कारण उपरोक्त परिणामों का सम्भावित कारण यह हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति कि छात्र-छात्राऍं जो कि ग्रामीण परिवेश में पले बड़ें होते, जिससे उनकी पारिवारिक समस्या, आर्थिक स्थिति, रूढ़ीवादी परम्परागत, सामाजिक वातारण आदि का प्रभाव पाया गया अत: सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राऍं जो कि शहरी क्षेत्र में होने के कारण उनका पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण सुख-सुविधाऍं जो कि समय पर उपलब्धि हो जाती, जिससे उनकी बुद्धिलब्धि का स्तर, शैक्षणिक स्तर व समायोजन अच्छो से कर पाते है। इसीलिए छात्र-छात्राओं पर जातिगत भिन्नयता व लिंग का प्रभाव भी पाया गया।

सुझाव :

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियो में बुद्धिलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन किया जा सकता है।
2. शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन किया जा सकता है।
3. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों में बढ़ते करियर के प्रति बुद्धिलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन किया जा सकता है।
4. शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पी.डी.पाठक 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2005)
2. डॉ. प्रीति वर्मा, डॉ.डी.एन. श्रीवास्तव 'आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान', श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा (1999)
3. डॉ.आर.ए.शर्मा डॉ. शिखा चतुर्वेदी 'शैक्षिक एव व्यवसायिक- निर्देशन परामर्श' निकट राजकीय इन्टर कॉलेज बेगम, ब्रिज रोड़ मेरढ़ (2008)
4. श्रीमती गयात्री बर्मन, श्रीमती शशिप्रभा जैन 'किशोरावस्था विवाह एवं परिवार', शिवा प्रकाशन, श्रीगणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इन्दौर (म.प्र.) (2008)
5. डॉ. श्रीनाथ शर्मा 'सामाजिक अनुसंधान पद्धति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ आकदमी, रवीन्द्रनाथ मार्ग बानगंगा, भोपाल (2016)
6. डॉ. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी 'सामाजिक शोध व सांख्यिकीय', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली (2012)

तालिका क्रमांक 1

	समुह	वर्गो का जोड़	स्वंत्र्यांश	माध्यों का वर्ग	अनोवा F मूल्य	सार्थकता का P मूल्य
बुद्धिलब्धि	**सामान्य छात्र**	22903.055	3	7634.352	78.099	0.000✻
	सामान्य छात्राऍं					
	अनुसूचित जनजाति छात्र	19159.500	196	97.753		
	अनुसूचित जनजाति छात्राऍं	42062.555	199			
शैक्षणिक उपलब्धि	**सामान्य छात्र**	2819.575	3	939.858	19.527	0.000✻
	सामान्य छात्राऍं					
	अनुसूचित जनजाति छात्र	9433.820	196	48.132		
	अनुसूचितजनजाति छात्राऍं	12253.395	199			
समायोजन	**सामान्य छात्र**	46213.735	3	15404.578	246.591	0.000✻
	सामान्य छात्राऍं					
	अनुसूचित जनजाति छात्र	12244.140	196	62.470		
	अनुसूचितजनजाति छात्राऍं	58457.875	199			

✻ P का मान 0.05 से कम पाया गया है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

ग्रॉफ क्रमांक–1 : अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन

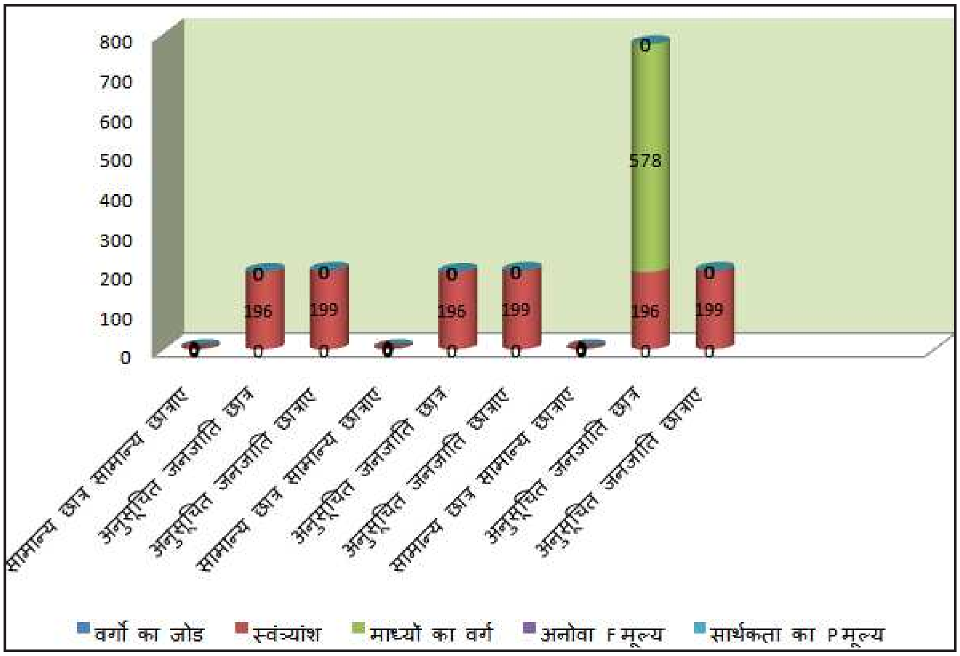

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारत की जीवन धारा 'मॉ गंगा' का भारतीय पंरम्परा में महत्व

डॉ. मुकेश मारू*

* संचालक, एम.टी.एम.कान्वेन्ट सेकेण्डरी स्कूल, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत की परम्परा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति एवं सभी भारतवासी के हृदय का स्पंदन, गंगा कलयुग में मोक्ष का पर्याय, त्रिपथगा, स्वर्ग सुदंरी, विष्णुपदी, मोक्ष दायनी, पापनाशनी भगवती मॉ गंगा, हिमायल पुत्री, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य अपने दूषित कर्मो से मुक्ति पाता है। जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य अपने सम्पूर्ण पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। एवं जिनके स्पर्श मात्र से मनुष्य इस जन्म में सद्गति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी महिमामयी विशाल हृद्रयी, दुखहारणी पतितपापनी, जान्ह्वी, भागीरथी माँ गंगा।

जिसके तट पर भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ जिसके किनारे भारतीय परम्परा का विकास हुआ जो हमेशा बनी धर्म की सारथी ऐसी त्रिलोक सुन्दरी ओम स्वरूपणी अमृतप्रदा आनन्दामृतवर्षिणी, सौभाग्य दायनी मॉ गंगा जिसकी कीर्ति का बखान करना जिसके गुणों को उद्धोषित करना एवं जिसके प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना सम्पूर्ण रूप से मानव के लिए आज भी असंभव है, सम्पूर्ण वेद, पुराण, गीता, रामायण महाभारत, एवं अन्यान्य भारतीय धर्मग्रन्थों में जिसकी महिमा का गान हो जिसके तीरे अनेकों ब्रम्हऋषि जन्मे हो जिसके ऑचल में सैकडों तत्वदर्शियों ने पनाह ली हो, जो युगों युगों से सिर्फ मानव कल्याण के लिये ही धरती पर बहती है। ऐसी देवमाता गंगा। आज मुझ मूड़ के जीवन में मॉ गंगा के विषय में कुछ लिखने का अवसर आया है। ऐसा महसूस हो रहा है, कि युगों युगों से सुशुप्त मेरे पुण्यों का उद्य हुआ है। ऐसा सौभाग्य जिसके लिये बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं। उस ममतामयी की महिमा के बारे में कुछ जानने का, कुछ कहने का समय मेरी जीवन यात्रा को सार्थकता प्रदान करता सा महसूस हो रहा है। मुझ ज्ञानहीन को अपना आर्शिवाद दे मेरे जीवन को धन्य बनाने वाली विष्णुप्रिया मॉ गंगे को मेरा शतशत प्रणाम।

सम्पूर्ण विश्व में कई ऐसी नदियां है, जो कि गंगा से कई हजार किलोमीटर बड़ी है, चाहे वो मिसीसिपी हो, चाहे नील हो, चाहे अमेजन हो किन्तु अखिल ब्रम्हाण्ड नदियों की नायिका के रूप में, एक देवी के रूप में सिर्फ और सिर्फ गंगा को ही स्थान प्राप्त है। विश्व की समस्त नदियों में मानव सिर्फ मनोरंजन हेतु स्नान एवं भ्रमण करता है। किन्तु गंगा में ही नही करोड़ों भारतीय मोक्ष प्राप्ति हेतु स्नान कर अखिल भारतीय मानव अपने को धन्य मानता है। विश्व की समस्त नदियों के जल में, गंगा जल को हर भारतीय अमृत तुल्यमान पान करता है। गंगा के प्रवाह में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कर प्रत्येक भारतीय अपने को पूर्वजों के कर्ज से मुक्त मानता है।

अपने पूर्ण जीवन काल के अन्तिम समय में हर भारतीय के प्राण गंगा की सिर्फ एक बूंद मात्र के लिये तरसते है। यही विशेषता गंगा को संसार की हर नदी से पृथक बनाती है और मुक्ति का यही विश्वास गंगा को एक सामान्य नदी की बजाय देवी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। सम्पूर्ण सृष्टि में सबसे वैज्ञानिक ग्रन्थ में भगवान के द्वारा कहे वचन

गंगे, गंगेति यो भ्रुयान योजनान्म शनैरपि।।
सर्वपाप विनिमुर्वतो विष्णुलोकम स् गच्छति।

अर्थात जो कोई मनुष्य गंगा से हजारों मील की दूरी से भी गंगा, गंगा कहता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है।

उस विष्णु प्रिया का जन्म स्थान जहाँ के कण कण में उर्जा का प्रवाह है, जहॉ है, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का योग स्थल, जहॉ है शिव का धाम कैलाश जो है, संसार की सर्वोत्तम आत्माओं का निवास आध्यात्मिक शक्तियों का ध्रुवकेन्द्र अर्थात हिमालय ऐसा अद्भुत संयोग जहॉ योग और मोक्ष दोनों ही वर्तमान में अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है।

ऐसा आर्कषण ऐसा रहस्य यहां की रज रज में एक कहानी है, जहॉ का कण कण किसी महान दार्शनिक दृष्टिकोण की निशानी है। संसार के हर शोधार्थी के लिये एक स्वर्ग है। गंगा भारत की सास्ंकृतिक पहचान है, गंगा भारत की धार्मिक आत्मा है। सदियों से हिन्दु धर्म का कोई धार्मिक संस्कार बगैर गंगा जल के सम्पन्न नहीं होता है। गंगा की जल धारा भारतीय धर्म का दर्शन है। गंगा का ये ही दर्शन आज गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहबाद एवं बनारस का जनक है। अगर गंगा न होती तो हरकी पोडी न होती, अगर हरकी पोडी न होती तो हरिद्वार न होता। अगर गंगा न होती तो संगम न होता अगर संगम न होता तो कुभं न होता अगर कुंभ न होता तो विश्व का सबसे बडा धार्मिक संगम जहां करोडो लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु स्नान करते है आज नहीं होते। अगर गंगा न होती तो द सिटी ऑफ लाईट अर्थात बनारस न होता। काशी के तो 84 घाट न होते जो 84 लाख योनियों के सूचक है, जिन पर स्नान अर्थात मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। अगर गंगा न होती तो उसके तट पर विकसित भारतीय सभ्यता न होती, परम्परा न होती। पूरा उत्तर भारत जिसमें गंगा पे आर्श्रित लगभग 2500 किलो मीटर के क्षेत्र को गिने चुने उपजाऊ प्रदेशों में से एक है निश्चित रूप से गंगा की अनुपस्थिति में यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता बल्कि बंजर शमशान होता। अपने इस असाधारण महत्व के कारण ही गंगा भारतीय परम्परा की प्रतीक, भारतीय धर्म की ध्वजा एवं भारतवर्ष की भाग्य रेखा बन गई है।

पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की 'भारत एक खोज में' के अनुसार गंगा भारत की संस्कृति एवं विकास की कहानी है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि

भारत के हद्रय में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, अमीर गरीब सभी वास करते है, भारत की संस्कृति का एक हिस्सा जिसमें उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, छूत, अछूत सभी गंगा के लिये समान है। चाहे कोई भी हो गंगा सबकी मॉ है। गंगा के तट की विशेषता देखिए की कोई उसके तट पर कपड़े धो रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है। कोई आकर शव बहा रहा है, तो कोई उसका आचमन कर रहा है। जो अपने जल की एक एक बूँद अपने पुत्रों पर न्योछावर करती है। शायद इसी लिये है, वह करोड़ों भारतीयों की मॉ, गंगा मॉ।

इतिहास साक्षी है, कि में भारत अनेक संस्कृतियां आई और चली गई। कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और समय के गालं में समा गई। किन्तु गंगा तट एवं इस उन्नत क्षेत्र की संस्कृति सभ्यता सदियों से हमेंशा फली फूली है। गंगा पर स्थित काशी जो आज भी विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नगरी है, इसका एक बड़ा उदाहरण है।

गंगा का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व – गंगा का आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहै धार्मिक, आर्थिक हो, चाहै वैज्ञानिक हमेशा से गंगा हर भारतीय पक्ष की प्रमुख आधार रही है, गंगा के बिना भारत की कल्पना करना ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार बगेर पंख की उड़ान या बगेेर प्राण के जीवन। आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के इस युग में वैज्ञानिकों ने ईश्वर की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है। किन्तु गंगा जिसका जल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिये भी कोतुहल का विषय रहा है। कई वर्षो तक इस जल को बन्द रखने पर भी इसमें कीड़े नहीं पढ़ते। आश्चर्य बेहद आश्चर्य, और तो और असाध्य रोगों को नष्ट करने की क्षमता, हमेशा से वैज्ञानिकों को परेशान करती रही कि आखिर गंगाजल में ऐसा क्या है। कई बार कई शोध हुवे, किन्तु परिणाम यह ही निकला कि चाहै कितनी ही गंदगी गंगा जल में प्रवाहित करो गंगा जल की उर्जा जिसे वैज्ञानिक जीवाणु कहते हैं। हर प्रकार की गंदगी को खत्म करने की क्षमता रखते है। यही तथ्य वैज्ञानिकों को यह कहने पर मजबूर करता है, कि गंगाजल से ज्यादा स्वस्थ एवं शक्तिशाली जल दुनिया की अन्य किसी नदी का नहीं है। तभी तो वह है, पतित पापनी, पापनाशनी भागीरथी मॉ गंगा। सम्पूर्ण भारतवर्ष के मजबूत धार्मिक पहलु के अलावा भारतवर्ष हमेशा से अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का गुरू रहा है। उसका कारण है, हमारे ऋषि, मुनि जिन्होने ज्ञान के उच्चतम आयाम को छुआ है, इनमें से कई ऐसे महान ऋषि हुऐ हैं जिनने हिमालय एवं गंगा को अपने साधना स्थल के रूप में चुना चाहे वे अमृत प्राप्त श्री महावतार बाबाजी महाशय हो, रामानन्द जी हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, चैतन्य महाप्रभु हो, वल्लभाचार्य हो, श्री राम शर्मा आचार्य हो, या भारत के महान तत्वज्ञानी ब्रम्हज्ञानी श्री शंकराचार्य हो सभी ने अपनी साधना का अविभाज्य अंग इसी क्षेत्र को बनाया। ब्रम्हज्ञानी श्री शंकराचार्य ने तो गंगा की महत्ता में यहां तक कहा कि।

विधि र्विष्णु : शम्भुस्त्वमसि पुरूष्तवेन सकला:,
रमीमागी र्मुख्या त्वमसि ललना जह,नुवमये।
निराकारागाधा भगवति सदा त्वं विहरसि:,
क्षितो निराकारा हरसि जनवापान्ज्वकृपया।।

अर्थात है, जान्वही तुम पुरूष में ब्रम्हा, विष्णु, और महेश हो। स्त्री रूप में तुम्ही रमा, उमा तथा सरस्वती हो, है परमेश्वर्यशालिनी तुम्ही निराकार ब्रम्हस्वरूपणी हो और नितान्त अपार महिमाशाली हो। इस धरती पर तुम सत्य का रूप धारण कर अपनी सन्तानों के पाप हरने वाली महान गंगा हो।

श्री शंकराचार्य के दृष्टिकोण से गंगा जल की शक्ति अमोघ है, जिसके कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष के मनीषियों ने हमेशा आपनी साधना हेतु गंगा से अपना आर्शिवाद मांग अपने जीवन को धन्य बनाया है।

आज भारतीय युवा पीड़ी को यह बताना है, कि गंगा जिस संस्कृति, धर्म, परम्परा, की हम बात करते है, वह बगैर गंगा के संभव नहीं है। उन्हें यह बताना है कि जीवन की जिस चका चौंध में हम लगातार बहे जा रहे है, जिन जड़ो से हमारा निर्माण हुआ है, उन जड़ो को हम लगातार विस्मृत करतें जा रहे है।

आज हमें पुन: प्रयास होगा अपना बेहद उन्नत धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष बताने का। ताकि आज की पीढ़ी को अपनी इन शानदार धरोहरों का अहसास हो। साथ ही समाज को यह बताना है, कि हम किस तरह से अपनी जड़े खोदे जा रहे है। जिस गंगा से जिस हिमालय से जिस ऋषि परम्परा से भारत विश्व का सिरमोर रहा है। उसी सिरमौर का हम किस तरह मान मर्दन कर रहे हैं। धरती पर मानव उद्धार के लिये आयी गंगा पवित्र गंगा आज इस हद तक मैली हो चुकी है, कि वैज्ञानिक कहते हैं। यहा गंगा का पानी पीना तो दूर नहाने के योग्य भी नहीं है। हम लोगों की स्वार्थ की इन्तहाँ देखिये जो हमें ज्ञान देती है मोक्ष देती है, धन देती है। हमने उसी दैवी को दी है तो सिर्फ गन्दगी। वाकई मानव पीढी अपने मूल को भूल चुकी है। जो गंगा सनातन सदियो से अविरल धारा के रूप मे गोमुख से गंगा सागर तक बहती हो, हमने अपने क्षुद्रस्वार्थो के कारण उसकी धारा को जगह जगह रोक अपनी वर्तमान मानसिकता को उजागर किया है हम किस हद तक धर्म की बजाय धनवादी मानसिकता के गुलाम बनते जा रहे है, कि आज गंगा अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रही है। और हमे धन कमाने से फुरसत नहीं है। आज महान गंगा के तट जो कभी ज्ञान प्राप्ति के स्थल थे, हमने अपनी व्यस्त जिन्दगी के चलते उन्हे पिकनिक पर्यटक स्थलों में परिवर्तित कर दिया है। हमारी युवा पीढ़ी आज जीवन का आनन्द समुद्र तटों पर ढूंढती है, गंगा तट पर नहीं।

जिसने करोडों के जीवन को शुद्ध किया हो, आज अपनी शुद्धी के लिये तरस रही है। क्या ये शुरूआत है, गंगा की विदाई की , क्या ये शुरूआत है गंगा के पुन: अपने धाम लोटने की।

हाँ तो समझिये भारतभूमि के बंजर होने का समय भी आ रहा है। फिर मान लीजिए हम लोग विनाश के मुहाने पर ही बैठे हैं। क्योकि जब मॉ रूठती है, तो परमात्मा रूठता है। और अगर वो गोविन्द रूठा जिसने प्राणी मात्र के प्रेम की खातिर गंगा को जगत कल्याणार्थ धरती पर भेजा तो समझिये सब कुछ खत्म।

किन्तु अभी भी समय हैं। सब कुछ बचाने का उस रूठी हुई गंगा को मनाने का क्योकि उसका हृदय तो विशाल है, जो सनातन अपने पुत्रों के लिये ही धड़कता रहता है। इस लेख के माध्यम से प्रयास है, उसकी महिमा गाने का, उसको दुखी करने के कारणों को जानने का और अपनी भूल को मानते हुये उसको ठीक कर उससे क्षमा मॉगने का।

गंगा नदी का स्त्रोत – गंगोत्री ग्लेशियर जो कि पांच से पन्द्रह मील तक फैला हुआ हैं एंव हिमालय की तलहटी उत्तर मे लगभग चोदह हजार फिट उत्तरप्रदेश मे भागीरथी का स्त्रोत है, जो कि अलकनन्दा से मिलकर देवप्रयाग तक आता है ओर गंगा को बनाता है। पास मे सिंधु एवं ब्रम्हपुत्र नदियों का स्त्रोत है। जो हिमाचल प्रदेश मे प्रवेश करके पंजाब और सिंध प्रदेश से होते हुए अरब सागर मे मिल जाती है। बाद में उसकी लम्बाई बहुत हो जाती हैं ओर भिन्न नाम से पुकारी जाते हुए तिब्बत चीन नेपाल के नजदीक भारतीय सीमा मे ओर फिर उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा एक मोड़ लेते हुए आसाम की ओर मुडकर

गंगा से मिल जाती है। बांग्लादेश मे ओर शक्तिशाली पदमा नदी का नाम लेकर वहां की सुख ओर दुख की परिचायक बन जाती है। देव प्रयाग से बंगाल की खाडी तथा सुन्दर वन तक गंगा एक हजार पांच सौ पचास मील तक असंख्य लोगो की जीवन दायिनी बनकर भारत के कुछ प्रमुख षहरो से गुजरती है। जिनमें कानपुर इलाहबाद वाराणसी पटना ओर कलकत्ता प्रमुख है।

गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि घाघरा जो इससे पटना मे मिलती है। गंडक जो काठमान्डू से निकलती हैं अन्य सहायक नदियों मे सोन तथा गोमती है।

भारतीय परम्परा मे गंगा की अवधारणा का धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन विषय में शोध करना एक बड़ा ही चुनोती भरा कार्य है।

गंगा जिसके उच्चारण मात्र से एक पवित्र भावना उत्पन्न होती है। जो मानव मन मे गंगा के संबंध मे संजोकर रखी गई श्रृद्धा, आस्था, समर्पण जैसे भावो को स्वयं उद्धाटित करती है।

गंगा नाम का अपना एक अलग ही आकर्षण है। प्रभाव, गरिमा और महिमा है। वस्तुत: जिस किसी के साथ भी गम्–गम् जुड़ा रहता है, वह सदैव चलायमान रहती है, प्रगतिशील रहती है। एंव वह औज का प्रतीक होती है। शक्ति देने वाली होती है। ठीक इसी प्रकार से यह नदी अपने नाम की सार्थक करते हुवे युगो–युगो से अविचल, अनवरन बहती आ रही है। एक दूध की धार के समान अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हुये सागर में समा जाती है।

गंगा नदी के महत्व पर सम्पूर्ण सृष्टि मे किसी को कोई भी सन्देह नही रहा है किन्तु आज समय मानो इस महान अविरल धारा को जैसे बांधने को आतुर सा महसुस होता है। ऐसा लगता है, जैसे गंगा को समय एक स्मृति बनाने की तैयारी कर रहा है।

भारतीय परंपरा में गंगाा विषय को अगर गंभीरता से महसुस किया जावे तो गोमुख से बनारस तक गंगा हर स्थल को एक तीर्थ का स्वरूप देते हुये बहती जाती है। और इन ही तीर्थो पर भारत की अमित संस्कृतियां फली फूली है। गंगा पावन है, गंगा पवित्र है। गंगा हमारे संस्कारो की थाती और लोक प्रथाओ एवं लोक विश्वास की साक्षी है।

किन्तु आज शायद समय की कुदृष्टि गंगा पर अपनी नजर जमाये सी महसुस होती है।

आज इस विषय मे गंगा के जन्म से लेकर गंगा के लगातार मरने तक के पहलुओ को छूने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से हर भारतीय के जीवन का आधार गंगा है, हर हिन्दु परिवारों मे बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसकी साथी गंगा है। किन्तु समीप से जानने पर हम पायेगे, कि गंगा जल मे प्रदूषण का स्तर, ओद्यौगिक विकास की तीव्रगति, वैज्ञानिक शक्ति के दुरूपयोग और जनसंख्या भार के कारण, गंगा लगातार मिट रही है। यद्धपि गंगा के बारे मे जनसामान्य की सोच में आज भी श्रृद्धा है किन्तु गंगा जल में गन्दगी गिरने, मलोत्सर्ग करने, गंगा मे धार्मिक अनुष्ठान एवं सामूहिक स्नान करने, शव प्रवाहित करने, शव दाह करने, फेक्ट्रियों का गंदा पानी प्रवाहित करने में भी हम भारतीय पीछे नही है। गंगा तटो पर बसी हमारी संस्कृति आज लगातार आधुनिक होती जा रही है।

गंगा तट के घाटो पर एक और भारत की समुची प्राचीन परम्परा अपनी सम्पूर्णता और विविधता मे सुरक्षित हैं, वही दूसरी और यहां के लोगो की जीवन शैली मे आधुनिकता का जबर्जस्त प्रभाव भी अब नजर आने लगा है। गंगा तटो पर रहने वाले इन आधुनिक सोच के लोगो को यह बताना आज नितान्त आवश्यक सा महसूस होता है, कि यह घाट, यह तीर्थ, उनकी उनके क्षेत्र की नही वरन् सम्पूर्ण भारत की अश्रुण्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा का जीवित इतिहास और आने वाली पीढ़ी की धरोहर है। जिसे संभाल–संवार कर रखना हर भारतीय का नैतिक कर्तव्य है।

श्री गंगा को समर्पित यह बात कि –

शान्त–शुचि–शीतल विमल सलिल
धार, दर दर लहर–लहर नित्य गाती है।
रेवा गोदावरी–सी कलिमल हर गंगा माँ जल के
जहान्य पाप पल मे नसाती है।
दलित–दरिद्र, दुर्दषा पर दयालु माता
रक्षा की भावना से दोडी चली आती है।
शत शत प्रणाम दास मुकेश के स्वीकारे,
गंगा मैया घौर कष्ट से बचाती है।
यह भारत की जीवन धारा। नीर नहीं यह अमृत धारा।।
प्रदुषण करते को टोको। जल को मल बनने से रोका।।
गंगा के अगणित वरदान। हरे खेत खुशहाल किसान।।
काश अभी न चेते भाई। मंहगी पडेग़ी मात जुदाई।।
फूलों की तुम खाद बनाओ। माता को कचरा न खिलाओ।।
इको फ्रेन्डली मूर्ति बनाओ। माता में इनको न सिराओ।।
खाद कीट नाशक और साबुन। जल को करते सदा अपावन।।
निर्मल जल हो पावन तट हो। सुसंस्कारी गॉव सुन्दर वट हो।।
पालीथीन पर रोक लगाओ। जल वायु–जमीन बचाओ।।
मॉ गंगा की यही पुकार। जल जंगल का करो सुधार।।
माता गंगा की जय बोलों। पर अमृत में विष न घोलों।।
पर्वो पर जिहस जल में नहाऐं। उसमें मेला नहीं बहाऐ।।
स्वच्छ रखें तट, तट के वासी। अशुद्ध न होने दें, जलराशी।।
उसमें पूजा के फूल न फेंके। और दूसरों को भी रोकें।।
जिस जल से अन्न उपजाऐं। उसे व्यर्थ ही नहीं बहाऐं।।
स्वच्छ रखें, यह मॉ की सेवा। तभी मिले पुण्य का मेवां।
जला भाव का आए न मौका। यदि वर्षा–जल, जाए रोका।।
चलो! सभी अभियान चलाऐं। जलाशयों का महत्व बताऐं।।
बूंद–बूंद कर अगर बचाऐं। जल संकट को अरे मिटाऐं।।
जो नभ के बादल बरसाऐं। आओं ! ऐसे वृक्ष लगाऐ।।
वृक्ष है महादेव विष पायी। क्यों निष्ठुर हो करें कटाई।।
जल और वृक्ष सुरक्षा पाऐं। हम प्रदुषण से बच जाऐं।।
तट पर पेड़ लगाकर भईया करो एक उपकार,
अपने साथ पीढियों का भी कर दो बेड़ा पार।
मॉ गंगा का कर्ज हम सबको चुकाना चाहिए,
साफ कर गंदे तटों को फिर से सजाना चाहिए।
ठीक हो बुद्धि तभी होगी गंगाच्चल शुद्धि।

उपसंहार – भगवान शिव की जटा में स्वर्ग से उतरी गंगा के विषय मे हम लगभग वे सभी तथ्य जान चुके है। कि जगत कल्याणी अपने पुत्रो के उद्धार के लिये इस संसार मे आई। पुराणों से लेकर जन श्रुतियों तक गंगा की महिमा अपार है। आज यदि इस सम्पूर्ण अध्याय के सारांश की बात की जाये तो हमने अभी तक यह ही जाना है कि माँ गंगा ने हमारे लिये क्या क्या किया है, किन्तु महत्व इस बात का है कि हम पुत्रो को अब अपनी जाती हुई माता

के श्री चरणो में क्या क्या समर्पित कर अपना कर्तव्य निभाना है। क्योकि आज की गंगा परिस्थितियों पर नजर डाली जाये तो हम पायेगे कि अब लेने का नही देने का समय आ गया है। हालाकि ऐसे कई अभियान है, जो गंगा के लिये कार्य कर रहै है, इनमे स्पर्श गंगा अभियान ऋषिकेश जिसमे स्वामी चिंदानन्द जी द्वारा गंगा के लिये महती भूमिका निभाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्री डॉ. प्रणव जी पण्डया साहब द्वारा भी गंगा प्रज्ञा मण्डल के माध्यम से गंगा शुद्धि की अलख जगाई जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

सुंदरवन की तटीय आबादी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

वालसिंह मावी* डॉ.बी.एल.पाटीदार**

* शोधार्थी (भूगोल) माता जीजीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, माता जीजीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – जलवायु परिवर्तन की समस्याओं और अनुकूलन पर वैश्विक चेतना शैक्षित अंत में सैद्धान्तिक वैज्ञानिक ज्ञान और कमजोर आबादी के अन्त में इनके व्यवहाररिक प्रभावों के बीच सुचना साझा करने और संचार अंतर की असमानता के इर्द गिर्द घुमती घनी आबादी वाले सुन्दरवन जैसे सामाजिक आर्थिक तनाव का सामना कर रहे तटीय समुदाय दुनिया के सबसे प्रभावित हिस्से है जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के संम्पर्क में है। यह लेख आर्थिक आधार की दिशा में लक्षित भारतीय सुन्दरवन में कार्यान्वित एक सामाजिक – पर्यावरणीय परियोजनाओं की सफलताओं की पड़ताल करना है।

शब्द कुंजी – सुन्दरवन, तटीय क्षेत्र, आबादी, जलवायु।

प्रस्तावना – सुंदरवन एक गतिशील और ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो भूमि और पानी के बीच के पारस्पारिक क्रिया द्वारा बनाया है इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादन आर्द भूमि में सें एक माना जाता है। यह एक प्रमुख वैश्विक ज्वारनद मुख है। जो जलवायु परिवर्तन के कारण समुह –स्तर की वृद्धि से बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। क्योकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र कार्य और उसकी विविधता एवं उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित है।

वास्तविकता यह है कि 2121 ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सन् 1995 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार समुह क जल स्तर एक मीटर की वृद्धि लगभग 7.1 मिलियन लोंगों की विस्थापित कर सकती है जिसमें सभी तटीय क्षेत्रों में वास करने वाले समस्त मछुआरा समुदाय शामिल है। हाल के अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। कि वर्ष 2020 तक समुद्र स्तर में वृद्धि प्राकृतिक आपदाओ जैसे तुफान और तटीय बाढ़ के कारण से सुन्दर वन के समुद्री क्षेत्रों का लगभग 14 प्रतिशत खतम हो जायेगा और 20000 से अधिक लोग बेघर है। उपरोक्त अध्ययन के बावजूद भी हमारे देश में जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपुर्ण विषय की अनुसंधान के क्षेत्र में प्राथमिकता के तोर पर नही लिया जा रहा है।

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट–2019 के अनुसार– भारत में सदाबहार वन का क्षेत्रफल 4975 वर्ग कि.मी. या देश के कुल भोगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है। राज्यवार मेंग्रोव वन पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग कि.मी. गुजरात में 1140 वर्ग कि.मी. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह 617 वर्ग कि.मी. आन्ध्रप्रदेश 404 वर्ग कि.मी. महाराष्ट्र 304 कि.मी. में वन क्षेत्र फैले हुऐ है।

सुन्दर वन बंगाल की खाड़ी में निचले इलाकों में बने टापुओं का एक समुह है। और यह भारत से लेकर बांग्लादेश तक तक फैला हुआ है यह क्षेत्र अपनी अनोखी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकीय तहत्व के लिए अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है।

सुन्दर वन का पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण पारिस्थिकी सेवाओं की एक व्यापक श्रखला प्रस्तुत करता है। इसमें लाखों लोंगो की चक्रवातों से रक्षा वन्यजीवों का ठिकाना मुहेया करना, भोजन एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना और कार्बन पृथवकरण करना शामिल है। सुन्दर वन भारत के लगभग 45 लाख लोगों को आशियाना भी देता है। इसमें दक्षिण एशिया के कुछ सबसे गरीब और बेहद जौखिम से घिरे समुदाय भी शामिल है। यहा रहने वाली लगभग आधी आबादी गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करती है।

रोजगार की कमी की वजह से ज्यादातर लोंग जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहतें है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से यहा संसाधन लगातार घटते जा रहे है। इसमें से अधिकतर लोग सिर्फ रोजी रोटी के लिए कृषि गतिविधिया करते है जिसमें मछली पकड़ना केकडे, और शहद इकठा करना आदि शामिल है। जलवायु परिवर्तन की वजह से गरिब रोजी रोटी के विकल्पों की कमी, जमीन पर निर्भरता जमीन पर असमान स्वामित्व और सीमित सरकारी सहयोग जैसी और मुसीबतों का असर पढ़ रहा है।

उद्देश्य:

1. सगठित सामुदायिक भागिदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संरक्षण को सम्प्रेषित करना।
2. तटबंधों के किनारे सदाबहार वन लगाना।
3. देशी खाराजल धान किस्मों जैसे नोना बोखरा, ताल मोगर की खेती को प्रोसाहित किया जाना।
4. उथले भूजल को वर्षा जल और तालाब के जल के पूनर्भरण किया जाना चाहिए ताकि इस घुलित जल का उपयोग पुरे वर्ष के लिए किया जा सके ।
5. ईको टूरज्म को प्रोसाहन किया जाना चाहिए।
6. सर्दियों में सिचाई के लिए तालाब और नहर की खुदाई के माध्यम से बड़े पेमाने पर संचयन योजना।

विशेषताऐ:– सदाबाहर वन, बहुत घने होते है इन वनों में अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते है, वृक्षों के निचे लताऐ लिपटी पहती है इन वनों में जगली जीव

अधिक पाये जाते है, दुर्गम होने के कारण इन वनों का शोषण कम हुआ है। व्यवसायिक दृष्ट्रि से इन वनों का सीमित महत्व है। यह डेल्टा के दक्षिण पश्चिय भाग पर स्थित है। भारतीय सुन्दर वन देश के कुल मैग्रोव वन क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक का गठन करना है। सुंदर वन में भारत और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और बहापुत्र के डेल्टा में नदियों सहायक नदियों और नदियो के सैकड़ो दीपों और एक नेटवर्क शामिल है, रायल बंगा टाइगर का घर है।

विश्व की चार छोटे की नाल वाली प्रजातियो में से दो और भारत की 12 प्रजातिया मे से आठ कि प्रजातिया भी यहाँ पाई जाती है। हाल ही में हुए अध्ययनों का दावा है कि भारतीय सुंदरवन 2626 पशु प्रजातियों ओर देश की 90 प्रतिशत मेग्रोव किस्मों का निवास है। यह दुलर्भ ओर विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियों का यह एक निवास सथल है। जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी नदी टेरपिन (बातागुर बास्का) लुप्तप्राय दर्रावडी डाल्फिन और मछली पकड़ने वाली बिल्ली आदि।

सुझाव– सुन्दर वन का शैक्षिक सार अपेक्षाकृत है। लेकिन जीवन यापन के अवसरों का अभाव लोंगो कों घरों से दूर धकेल रहा है। जलवायु परिवर्जन के कारण कृषि और मछली पालन जैसे हमारे परम्परागत रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुए है हम अब रोजगार के अवसर तलाशने में नाकाम रहे है। पूर्वी सुन्दर वन के बाली द्विप में रहने वाले अनिल मिस्त्री कहते है। जो यहा पर गैर लाभकारी इकाटूरिज्म केन्द्र चलाते है। प्रशासन के पास जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण लोगों को विस्थापन संबधी दिक्कतो से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा की न तो ठांचागत नीति है। और न ही कोई एक्सन प्लान पंचयोतो के पास छोटे स्तर हो रहे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोई क्षमता नही दिखती है।

आइला चक्रवात 2009 के बाद शुष्क की गई योजना के तहत ज्यादातर जनता को सुन्दर वन में आइला राइस मिल रहा है। आपदा के बाद कुछ ही घरो को मरम्मत के लिए धन आवटित किया गया । और कुछ निमार्ण सामाग्री दी गई है। लेकिन जिन लोंगों को आपदाओं मे सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन का है। जलवायु संकट से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए यह नही कहा जा सकता। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है अगर इन इलाकों में क्षेत्रीय इकोलाजी और उत्पादन क्षमता के मेल खाते छोटे बड़े उधोग धंधे खुल सके तो शायद लोंगों का विस्थापन रूक सके । सुन्दर वन क्षेत्रों मे ऐसा कई सहकारी समनितिया चल रही है। लेकिन यहा पर इनका प्रभावी विस्तार किया जाना जरूरी है। भले ही यहा रहने वाले आदिवासी समुदाय के कारण और दुसरी वजहों से मछली पालन यहा के लोगों के जीवन यापन का मूल जरिया है। फिर भी किसी सरकारी योजना और मछली पालन में कोई तालमेल नही दिखता । मछुआरें अक्सर यह शिकायत करते है। कि वन विभाग उन्हे परेशान करता है। और आरोप लगाते है नावों लाइसेस देने मे स्थानीय लोगों की मांग करते है कि सरकार उनके घरो को सुरक्षित करे और चक्रवात के बचाव लायक बनाये और की नमक प्रतिरोधी और पराम्परागत प्रजातियों को बढ़ावा दे बहुत सारे अन्य लोग कहते है कि मनरेगा जैसी योजनाओं भूगतान नियमित और समय पर हो रहे। वर्षा जलसंचय जैसे तरीको से साफ पानी की भी मांग कर रहे है लोगों ने ये भी कहा है कि वर्षा जल को इक्कठा कर और अन्य जल संचय कार्यक्रम के साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए।

निष्कर्ष– भारतीय सुन्दरवन के अन्तिम मानव रहने योग्य द्वीप की सीमान्त आबादी के लिए जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदा के प्रभाव को संप्रेषित करने के लिए एक समूह आधारित जागरूकता प्रशिक्षण अभियान पर प्रकाश डालता है। जलवायु–प्रेरित समस्याओं के प्रबधन के विभिन्न पहलूओं जैसे टिकाऊ कृषि, वैकल्पिक विकल्प आपदा न्यूनीकरण और संसाधन संरक्षण पर प्रशिक्षण आयोजन किया गया इस परियोजना का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक समझ और भारतीय सुंदरवन में आपदाग्रस्त गरीब से प्रभावित सिमांत समुदाय में व्यहारिक समस्याओं के बीच इस अन्तर को करना है। और यह बहु–आयामी अनुकूलन दृष्टिकोण प्रभावी ढ़ग से और व्यहारिक रूप से जलवायु परिवर्तन के मुदो से ग्रस्त दुनिया भर के अनय समान स्थानों में और एक स्थायी अनुकूलन रणनीति की तलाश में उपयोग किया जा सकता है।

भविष्य में जल परिवर्तन, चक्रवाती तुफान, बाढ़ जैसी आपदाओं की सम्भावना हो और जल भार वृद्धि की ऊचाई के साथ इसकी तीव्रता बढ़ रकती है। इससे सुन्दर वन के तटीय आबादी के लिए यह खतरा है। तटीय कटाव एवं बाढ़ और खारा जल के कारण तटीय द्वीपों में लगभग 20000 लोग बेघर हो सकते है। जलसंख्या वृद्धि और पूनर्वास के साथ सुन्दर वन में यह संख्या 2035 तक 02 मिलियन का आंकडा छुसकती है। इसलिए यहां के निवासियों के लिए आय सृजन और आजीविका का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार का नवीन तकनीको और सरकारी समितियों एवं अनुकूल साधनों की आवश्यकता है। अत: नहर, तालाब, छोटे–छोटे उद्योगों जैसे– मछली पालन,कृषि, केकडा पालन नीती योजनाओं एवं तकनीती हस्तक्षेप द्वारा उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चौदरी ए. मेति एस के 2014 कमजोर आबादी की भागीदारी के माध्यम से मैग्रोव वनीयकरण: संसाधन संरक्षण के लिए इंजीनियरिंग एक स्थायी प्रबंधन समाधान इंटजे एनवायरन रेसदेव
2. दास गुणा आर शॉआर 2013 भारत में मैग्रोव प्रबंधन के बदलाते दृष्टिकोण एक विश्लेषणात्मक अवलोकन ओशन कोस्ट मानव का अध्ययन।
3. हरिश कुमार खत्री:– प्रकाशन, 2013 कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल

****

दतिया जिले की एतिहासिक स्थिति

कृष्ण कुमार *

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – दतिया राज्य के संस्थापक महाराज वीर सिंह देव बुन्देला सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ओरछा के राजा मधुकर शाह के आठ पुत्र थे, वीर सिंह बुन्देला उन्हीं में से एक थे। दतिया राज्य का प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है। दतिया से छह मील दूर उत्तर-पश्चिम में बड़ौनी नामक स्थान वीर सिंह देव बुन्देला को जागीर के रूप में प्राप्त हुआ यह स्थान चारों और पहाड़ियों और गहन वनों से आच्छादित था इस कारण इसका विशेष सैनिक महत्व था। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली से दक्षिण की और नरवर से गुजरने वाला राजमार्ग भी बड़ौनी के समीप था बड़ौनी ने इस महत्व को समझते हुए अकबर इस पर अधिकार रखना चाहता था इधर वीर सिंह देव छोटी सी जागीर से संतुष्ट नहीं होने के कारण आस पास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने लगे थे। अकबर ने वीर सिंह देव को दबाने के लिए दौलत खां को बड़ौनी भेजा। उसने बड़ौनी पर आक्रमण करके अधिकार तो कर लिया परन्तु उसके मुंह फेरते ही वीर सिंह देव ने पुन: बड़ौनी को जीत लिया। जहांगीर के सम्राट बनते ही वीर सिंह देव के उत्थान का काल प्रारम्भ हो गया जहांगीर ने वीर सिंह देव को ओरछा का शासक बना दिया और उनके अंग्रेज रामशाह को वहां से अपदस्थ कर चंदेरी का राज्य दिया इस प्रकार वीर सिंह देव अपने बाहुबल और बुद्धिचातुर्य से बड़ौनी की छोटी सी जागीर से बुन्देलखण्ड की राजधानी ओरछा के शासक बने। वीर सिंह देव को जागीर द्वारा पांच हजार का मन सब प्रदान किया गया था। उस समय ओरछा राज्य इक्यासी परगनों में विभाजित था। उसके अन्तर्गत एक लाख पच्चीस हजार गांव थे और वार्षिक आमदनी दो करोड़ रूपये थी। वीर सिंह देव ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नवीन बुन्देली स्थापत्य की शैली को जन्म दिया उन्होने दिसम्बर 1618 ई0 में एक साथ बावन इमारतों की नींव डलवाई जिनमें से दतिया का सतखण्डा महल, मथुरा का केशांराव मंदिर करैरा एवं झांसी का किला धमौनी का किला, ओरछा का जहांगीर महल आदि प्रमुख है।

बुन्देला राज्यों में महत्व का दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले दतिया राज्य के नरेशों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भले ही उल्लेखनीय योग न दिया हो पर उनकी रियासत के कई बलिदानी वीरों ने इस पावन यज्ञ ने अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। इनमें कटीली के दिमान जवाहर सिंह पवार (जन्म 1874 अग्रणी) जो अन्त तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहे।

चूंकि दतिया राज्य ने 15 मार्च 1804 को कुंजन घाट (नदीगांव) में अंग्रेजो से संधि-सम्बन्ध स्थापित किया था और यहां के नरेश अंग्रेजो के प्रति वफादार रहे इसलिए पहले विजय बहादुर तथा बाद में भवानी सिंह के लिए दत्तक पुत्र का अधिकार पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 1857 विप्लव में दतिया की रीजेन्ट बड़ी रानी ने अंगेजो की काफी सहायता की। झांसी से भागकर आने वाले कतिपय अंग्रेजो को यहां आसरा लिया। दतिया ने एक सेना ब्रिटिश सरकार की सुविधा पर छोड़ रखी थी। यह नीति स्वतन्त्रता संग्राम के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुई। रीजेन्ट रानी अंग्रेजो पर बानपुर के पक्ष में प्रभाव डाल सकी और वे पूरी सुख सुविधा के साथ राजा मदन सिंह के परिवार को भरतगढ़ दुर्ग में एक अच्छी जागीर के साथ ठहरा सकी।

रीजेन्सी काल में ही झांसी की रानी के पिता मोरोपन्त घायल होकर जवाहरातों से भरे एक हाथी पर भाण्डेर जा रहे थे जब वे दतिया की सीमा में उनाव के निकट आए तो राज्य के एक कामदार बल्देव मोदी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। बाद में मोदी ने अपने अतिथि को अंग्रेजो को सौंप दिया जिन्होंने झांसी में उनका वध कर डाला। राबर्ट हेमिल्टन ने इसके लिए वलदेव मोदी को 1 जून 1858 के दो हजार रूपये के पुरूस्कार के साथ एक सनद प्रदान की। वस्तुत: यह एक व्यक्ति विशेष का अपना काम था जिसके राज्य परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं था।

विशाल भारत के हृदय राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में विध्यांचल पर्वत श्रेणियों के मध्य तथा बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्रों में स्थित दतिया जिला भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से अत्यन्त छोटा जिला है। इस जिले की भौगोलिक संरचना का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसका आकार लम्बवत् एक त्रिभुजाकार है यह जिला 25.80 उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 70.10 पूर्वी देशान्तर से 78.45 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला न केवल ग्वालियर संभाग का अपितु मध्य-प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इस जिले का कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल 2038 वर्ग किलोमीटर है अर्थात इस जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग एक प्रतिशत से भी कम है आकार की दृष्टि से दतिया की संरचना त्रिभुजाकार रूप से दृष्टिगोचर होती है।

दतिया जिले के क्षेत्रफल का विस्तार से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल अत्यन्त न्यून है अत: इसका विस्तार भी संकुचित है। जिला मुख्यालय से दक्षिण से इसकी सीमाएं लगभग 9 किलोमीटर तक फैली है जो उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद को स्पर्श करती है। इसी प्रकार उत्तर में इसका विस्तार लगभग 22 कि0मी0 तक फैला है जहां इसकी सीमाएं ग्वालियर जिले की डबरा तहसील को स्पर्श करती है। लेकिन यहां दतिया एवं ग्वालियर जिले के मध्य सिंध नदी विभाजक रेखा के रूप में स्थित है। पूर्व दिशा में दतिया जिले का विस्तार 26 कि0मी0 था लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1996 में

ग्वालियर जिले की भाण्डेर तहसील को दतिया जिले में सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में पूर्व दिशा में इसका विस्तार बढ़ाकर 48 कि0मी0 हो गया इस दिशा में जिले की सीमाएं उत्तर–प्रदेश के झांसी जनपद की चिरगांव तहसील को स्पर्श करती है। पश्चिम में दतिया जिले का विस्तार पूर्व में मात्र 7 कि0मी0 था लेकिन जिलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1999 में शिवपुरी जिले के 35 गांवो को दतिया जिले में सम्मिलित कर दिया गया इस प्रकार पश्चिम दिशा में इसकी सीमाओं का विस्तार लगभग 30 कि0मी0 तक फैल गया है। इस दिशा में इस जिले की सीमाएं शिवपुरी जिले की करैरा तहसील की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। जबकि उत्तर पूर्व में इस जिले का आकार त्रिभुजाकार रूप में देखा जा सकता है। अत: स्पष्ट है कि दतिया जिला का पूर्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2038 वर्ग किलोमीटर था वहां जिलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्वालियर जिले की भाण्डेर तहसील एवं शिवपुरी जिले के 35 गांवो का दतिया जिले में विलय हो जाने के कारण इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बढ़कर 2692 वर्ग किलोमीटर हो गया।

दतिया जिले की अर्थ व्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है। यहां का अधिकांश भू–भाग असमतल, पथरीला, पहाड़ी एवं गहन बीहड़ों से भरपूर है जिसमें जिले की औसत उपज कम है। कृषि दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य जीविका है पूर्वकाल में दतिया जिले में कपास की खेती अच्छी होती थी। अब कपास की खेती पूर्णतया समाप्त हो गई। अब दतिया में मूंगफली की खेती अग्रणी है। यहां की कृषि वर्षा पर आधारित है। लेकिन सिंचाई साधन में वृद्धि करके वर्षा पर निर्भरता कम करके खेती की जाए इस तरह के भौतिक संसाधनों के प्रयास जारी है।

दतिया जिले में कृषकों की बहुलता के कारण कृषि कार्य हेतु प्रति कृषक उपल्बध भूमि राष्ट्रीय औसत से कम है। अल्प कृषि क्षेत्र होने के कारण कृषक खाधान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाधान्न फसलें उगाते है। फलस्वरूप उनके पास नगदी एवं अधिक लाभदायी फसलें उगाने के लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं हों पाती जिसके कारण जिले के कृषक निर्धन एवं गरीब हैं उन्हें अपनी जीविका के लिए फसल पर ऋण लेना पड़ता है। बढ़ती आबादी एवं खाध पदार्थों की बढ़ती हुयी मांग के बावजूद पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने शिक्षित बेरोजगार पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार के अवसर सृजित कराना तथा ग्रामीण अंचल में फैली जल सम्पदा के सदुपयोग हेतु मत्स्यपालन जैसे बहुआयामी कार्यक्रम ग्रामीण खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो सकते हैं। जिले में जितने भी उद्योग है वह सारे सिर्फ जिले की या आस पास के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी कर पाते हैं उनके पास माल की इतनी खपत नहीं है कि वह और बना सके। आर्थिक विकास के लिए हमें पूर्णत: कृषि पर भी आश्रित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में किसानों के पास इतनी जमीन है कि वह अधिक अन्न उगा सके और न ही इतने मंहगे भौतिक संसाधन है कि उससे अपना सिंचाई जुताई का कार्य कर सके आजकल तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा की स्थिति है। जिससे किसानों को हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अत: गरीब और गरीब होता जा रहा है जिससे वह आर्थिक तंगी के चलते चोरी, लूटमार, डकैती, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते है। अत: स्पष्ट है कि जिले की प्रगति आर्थिक प्रगति से ही संभव है और बड़े संस्थानों, नई तकनीक एवं राज्य सरकार का सहयोग जिले की अर्थ व्यवस्था में उच्च प्रगति ला सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. ढेगुला रामस्वरूप– दतिया का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास आराधना ब्रदर्स व कानपुर 1987
2. डॉ0 पाण्डेय के0 वी0 एल– दतिया उद्‌भव एवं विकास 1986 पृ0 105
3. डॉ0 श्रीवास्तव ओ0पी0– दतिया जिले का आर्थिक विकास 'शोध प्रबन्ध 1994 जीवाजी विश्वविधालय ग्वालियर' पृ0 33
4. डॉ0 गौर लक्ष्मण सिंह– ओरछा का इतिहास 1988 लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल पृ0 192
5. डॉ0 कामनी– दतिया एक परिचय 1999 जीवाजी वि0वि0 ग्वालियर पृ0 21
6. डॉ0 गुप्त– भगवानदास दतिया के बुन्देला राजा 1986 पृ0 4

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Risk Management Practice in the Indian Banking Industry Lesson Learnt from Recent Financial Crisis

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor, Government Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - Risk management has been a significant concentration in the banking industry since the 1980s, and particularly after the execution of the Basel II Accord. Since the coming of these progressions — financial progression, expanded rivalry between financial establishments, the improvement of credit showcases, the development of the credit subsidiaries market, and the innovation of new financial instruments — banks have had a more troublesome time staying aware of credit risk and other coordinated risks. Viable risk management starts with the distinguishing proof, estimation, and advancement of controls and alleviation methodologies for the many risks to which banks are uncovered. Basel Accords and other risk management principles forced by different bosses are considered at this level. The paper investigations the historical backdrop of risk management from its origin to its ongoing construction and checks out intently at the most common way of incorporating it.

Keywords: Risk management, Indian banking Industry, financial crisis.

Introduction - Throughout the course of recent many years, India has been hailed as one of the world's developing financial monsters. India's formal lawful foundations have a set of experiences extending back more than two centuries, yet the size of its financial area is a lot of beneath the gathering normal [1]. Thus, in spite of being effective (low above cost) and underutilized (in terms of providing credit) the banking area is moderately little in contrast with the size of the economy.

Financial risk is characterized as the vulnerability of future incomes and market values because of changes in ware costs, loan fees, and trade rates, and risk management is the most common way of recognizing and controlling these openings [2].

Because of variables, for example, the developing significance of financial items during the time spent financial intermediation and the huge financial misfortunes caused by organizations without risk management frameworks (like Enron and WorldCom), financial risk management has detonated in notoriety since the 1990s. The prerequisite to consent to guidelines like BASEL II, KonTraG in Germany, and Sarbanes-Oxley in the US seems to have spurred a few late changes in risk management practice [3]. Today, organizations can utilize more modern financial items like forward agreements, prospects, choices, and trades to give risk to parties better ready to take it.

In the present business world, risk management is a fundamental capability for any association. Great risk management practices might have forestalled a few of the horrendous misfortunes during the 1990s, remembering the Orange Region for 1994 and the Barings bank in 1995. Both traditional and ERM systems can be applied to the course of risk management. The ordinary, compartmentalized technique involves appointing liability regarding overseeing different dangers to different experts who utilize different apparatuses. The risk supervisor is answerable for tending to possible dangers, like those connected with property and lawful responsibility [4]. The financier is likewise responsible for supporting the organization's openness to showcase changes in cash rates, loan costs, and credit risk using subordinates contracts including choices, advances, fates, and trades.

The subsequent technique, known as Integrated Risk Management (IRM) or Enterprise Risk Management (ERM), implies gathering every one of the risks into a brought together and masterful course of action. The management of risk at the enterprise level requires a portfolio viewpoint. Hilter kilter data, exchange costs, nonneutral tax collection, and limited admittance to outer money are only a couple of instances of the market defects that lead partnerships to utilize corporate risk management techniques.

Literature Review

Chakraborty and Beam (2016) directed a review to look at the risk management rehearses in Indian banks, explicitly zeroing in on open and confidential area banks [5]. The creators utilized a quantitative examination approach and gathered information through organized surveys. The discoveries uncovered that both public and confidential area

banks in India have executed different risk management works on, including credit risk management, functional risk management, and market risk management. In any case, the investigation discovered that private area banks showed more elevated levels of risk management rehearses contrasted with public area banks. The creators credited this distinction to the more prominent accentuation on productivity and effectiveness in the confidential banking area.

Dash and Kabra (2017) directed a similar report to dissect the risk management rehearses openly and confidential area banks in India. The review utilized a blended strategies approach, consolidating both subjective and quantitative information assortment techniques [6]. The discoveries recommended that both public and confidential area banks have taken on risk management works on, including risk distinguishing proof, risk appraisal, risk moderation, and risk checking. In any case, the review featured that private area banks were more proactive and viable in executing risk management techniques contrasted with public area banks. The creators reasoned that private area banks showed a more noteworthy familiarity with risk and were more disposed to embrace modern risk management devices and methods.

Das and Buddy (2018) directed an experimental review to explore the risk management rehearses in the Indian banking area. The review utilized a blended strategies approach, consolidating an overview poll and meetings with bank experts [7]. The discoveries uncovered that Indian banks have executed a few risk managements rehearses, for example, risk ID, risk estimation, risk observing, and risk relief. The review featured the meaning of administrative rules, mechanical progressions, and preparing programs in working with the reception of risk management rehearses. The creators stressed the requirement for ceaseless improvement in risk management frameworks to successfully address arising risks and difficulties looked by the banking area.

Sahu and Bhatia (2019) directed a review to look at the risk management rehearses in select banks of the Indian banking industry. The creators utilized a subjective exploration approach, involving meetings and documentation examination as information assortment strategies [8]. The investigation discovered that the chose banks have embraced risk management rehearses across different regions, including credit risk, liquidity risk, functional risk, and market risk. The review featured the meaning of risk management structures, arrangements, and risk culture in upgrading the adequacy of risk management rehearses. The creators additionally stressed the job of innovation in computerizing risk management processes and working on the exactness of risk evaluations.

Rao's review centers around examining risk management rehearses in Indian banks. The creator researches the risk management systems of select banks and looks at the viability of their risk management procedures. The review uses a subjective exploration configuration, consolidating meetings and report examination [9]. The discoveries feature that Indian banks have created complete risk management systems, enveloping risk ID, estimation, checking, and control. The review accentuates the significance of risk administration and proposes that banks ought to constantly survey and update their risk management strategies.

Karmakar and Bandyopadhyay's review looks at the distinctions among public and confidential area banks in India concerning their ways to deal with risk management. The examination utilizes a blended techniques procedure, utilizing both measurable examination and top to bottom meetings with specialists in the field of risk management. [10] The outcomes show that financial organizations in both people in general and confidential areas have embraced risk management rehearses, yet for certain distinctions in accentuation. While public area banks have a more regular methodology, confidential area banks have more refined risk management frameworks, with an accentuation on mechanical headways and risk investigation. The examination demonstrates that public area banks can further develop their risk management systems by consolidating mechanical instruments and laying out solid risk evaluation models.

In his examination, Taneja analyzes how certain banks in India handle risk management. The review adopts a quantitative strategy by looking over specialists in risk management at these financial foundations [11]. Risk ID, estimation, moderation, and checking are only not many of the areas that are investigated in this review. The outcomes show that Indian banks have progressed significantly in terms of carrying out risk management arrangements and techniques. In any case, the examination focuses on the significance of better risk culture and risk correspondence and detailing processes in financial establishments.

Research methodology

Hypothesis of the study

H1: The discernment, ID, assessment, management, and capital requirements of Indian banks all decline as nonperforming resources (NPAs) increment.

H2: Credit risk discernment, distinguishing proof, appraisal, control, and capital necessities in Indian banks are emphatically corresponded with the viability of credit risk management rehearses.

H3: Credit risk management methodologies utilized by open and confidential banks in India are tremendously unique.

Data: The data comes from both essential and optional assets. Essential sources are accumulated through a study regulated to risk chiefs at a few Indian banking foundations [12]. Yearly reports and the Ability information base kept up with by the Middle for Observing Indian Economy are the essential hotspots for optional information on nonperforming resources at Indian banks.

Questionnaire design: There are six segments to the poll. The primary segment comprises of seven inquiries intended to measure risk supervisors' points of view using a credit card risk management in Indian financial establishments. The subsequent segment poses eight inquiries about CRI at Indian financial foundations. In the last area, eight inquiries center around how Indian banks assess advance risk. The last area poses seven unique inquiries on how Indian banks oversee credit risk. The fifth area contains 10 inquiries for determining capital requirements as per Basel (Accord) norms [13]. Eventually, there is a part with six inquiries regarding how well Indian banks handle credit risk. We utilize a five-point Likert scale (from unequivocally differ to firmly concur) for our shut finished questions. The degree of concurrence with each question was given by the respondents. While fostering the overview, we depended vigorously on the past work. Heeding the guidance of DeVellis (1991), the survey was assessed by a board of four space specialists (scholastics) and experts (experts in the field). The input was utilized to make changes to the poll, including adding, eliminating, and rewording questions.

Variables : To look at Indian banks' ways to deal with credit risk management, we utilize a model with two intermediaries for the reliant variable (credit risk execution) and five free factors.

Dependent variables:

1. **NPA growth rate:** The yearly reports of banks are utilized to check the information from the Ability data set on the NPA development rate. For the time of 2012-2016, we determined the normal yearly development pace of Net Nonperforming Resources comparative with Net Advances.
2. **Credit risk performance:** While alluding to Indian banks, "credit risk execution" alludes to how well their credit risk management framework is working. A survey comprising of six inquiries is utilized to assemble data using a loan risk execution.

Independent variables: The components of credit risk management are the independent variables [14]. These are measured by responses to questions related to the specific component, which are included in Table 1.

Table 1: Independent variables

S.	Independent variable	Measurement
1	Credit risk perception	There are seven questions on the survey that probe the risk manager's thoughts on the state of credit risk management at their institution.
2	Credit risk identification	There are a total of eight questions in the questionnaire, all of which concern the detection of credit risk in Indian banks.
3	Credit risk assessment	The survey asks eight questions on how Indian banks evaluate credit risk.
4	Credit risk control	There are a total of eight questions on the survey, all of which pertain to managing credit risk in Indian banks.
5	Credit risk capital assessment	There are eleven items on the questionnaire on Indian banks' capital needs for credit risk (according to Basel criteria).

Methodology: Numerous direct relapsesare utilized to appraise the models. Credit risk discernment recognizable proof, appraisal, control, and capital necessities are the five logical factors utilized in the primary model's relapse examination of the NPA development rate. The subsequent model examines the expected impact of credit risk factors on layaway risk results. To scrutinize our speculations, we gauge the accompanying models:

NPAGR = f (CRP,CRI,CRA,CRC,CRCR) …..(1)

CRPF = f (CRP,CRI,CRA,CRC,CRCR) …..(2)

place NPA growth rate (NPAGR) A credit risk performance function (CRPF), a credit risk perception function (CRPF), a credit risk identification function (CRIF), and a credit risk assessment function (CRA) Controlling credit risk (CRC); meeting capital needs (CRCR).

Results and discussion

Empirical results: Cronbach's is an element of inner consistency that assesses the interrelationships among test things and the all-out length of a test to determine its unwavering quality [15]. Thus, it computes an estimate of the certainty that might be set in an all-out score, given the fluctuation and the intercorrelation of its singular parts.

Each of the six factors have a Cronbach's alpha of around 0.7 (Table 2). Table 2 records the assessed upsides of the different factors. The discoveries highlight the reliability of most of the variables.

Table 2:Reliability test

variable	Cronbach's α
CRP	0.76
CRI	0.67
CRA	0.66
CRC	0.68
CRCR	0.74
CRPF	0.73

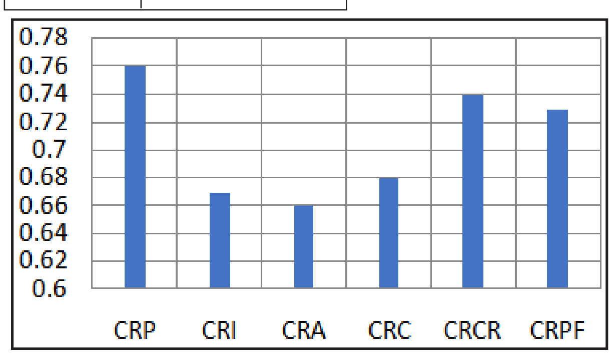

Figure 1: Reliability test

Table 3 gives an outline of the information from our example banks. There is little scattering around the method for most autonomous factors. Nonetheless, CRCR in general has a low mean. The CRCR is related with the Basel standards

of determining capital requirements for credit risk. The lower mean proposes that Indian banks are as yet managing with oversimplified techniques while assessing their capital requirements [16].

Table 3: Summary statistics

Variable(s)	Mean	SD	Min	Max.
CRP	5.24	0.44	2.62	4.00
CRI	5.26	0.39	2.38	4.00
CRA	5.28	0.39	2.48	4.00
CRC	5.38	0..39	2.58	4.00
CRCR	2.80	0.61	1.50	4.00

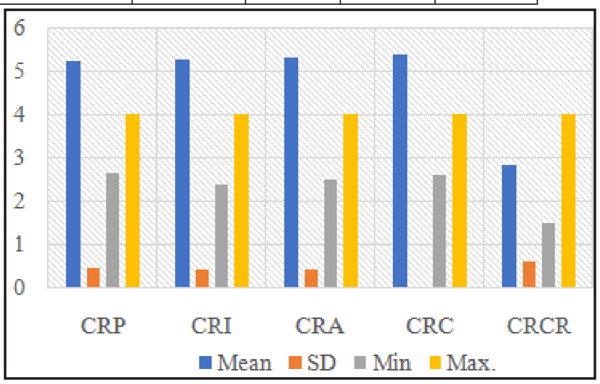

Figure 2: Summary statistics

Table 4 shows the connections between each sets of free factors. Because of the clear high connection coefficients, we have performed tests to preclude multicollinearity [17]. The most elevated conceivable VIF score is, in any case, adequate.

Table 4 shows the results of a relapse examination in which "NPA development" filled in as the reliant variable. For the free factor "CRI," the anticipated coefficient is negative and genuinely huge. This implies that H1 can be upheld by the proof.

Table 4: Correlation analysis

Variable(s)	CRP	CRI	CRA	CRC	CRCR
CRP	2.00				
CRI	0.62	2.00			
CRA	0.51	0.65	2.00		
CRC	0.46	0.61	0.63	2..00	
CRCR	0.23	0.23	0.41	0.31	2.00

Table 5 displays the results of a regression analysis with "credit risk performance" as the dependent variable. For the independent variable "CRI," the computed coefficient is positive and statistically significant [18]. This means that H2 can be supported by the evidence.

Table 5: Regression analysis

Variables	NPA growth	Credit risk performance
Constant	1.52 (1.66)	2.18
CRI	-0.54(-23.46)**	0.60(1.56)
CRP	0.46(1.33)	-0.18
CRCR	0.03(0.48)	0.08(0.90)
R^2	18%	30%

The final hypothesis is tested using one-way ANOVA. Table 6 displays the findings of an analysis of variance performed on data collected from public and private banks in India. There appears to be a considerable gap between the "credit risk performance" of public and private banks.

Table 6: One-way ANOVA test

	F-statistics	Significance
Credit risk performance	4.662	0.03

Table 7 shows that the typical credit risk execution of government and confidential banks are 3.78 and 4.15, individually. This demonstrates that private banks have much preferred credit risk execution over government banks [19]. This implies that H3 can be upheld by the proof.

Table 7: Summary statistics (ANOVA)

	No. of observations	Mean	SD
Public	25	379	0.47
Private	15	416	0.45
Total	39	396	0.49

The most important phase in risk management for banks and financial associations is ID. Business arranging, execution appraisal, and valuing will all profit from this, as will risk observing, control, and moderation. Potential advantages of early risk identification incorporate better essential preparation, stress test situation creation, and more exact demonstrating and estimation of even the most perplexing dangers.

Supervisors benefit from realizing the most squeezing risks confronting their organization because of risk ID. In the event that a bank has a great deal of credit openness in one industry, for example, recognizing that industry considers the fuse of risk loads to industry-explicit qualities that drive credit misfortunes. Along these lines, the degree of peril can be all the more precisely assessed.

Demonstrating and evaluating complex dangers are additionally supported by the risk distinguishing proof interaction [20]. Cases with scanty information are additionally displayed utilizing account investigation of possible risks. Perceiving and estimating advance misfortunes ought to include the utilization of credit judgment and sensible assessments, as suggested by the Basel Panel. Credit risk can be related to the assistance of free frameworks that investigate the bank's arrangements, strategies, techniques, and practices around the conceding of credit and the management of the portfolio. It is reasonable to lay out covers on how much cash a bank can loan to any one borrower or organization of related counterparties.

Furthermore, all items and administrations ought to be remembered for the method involved with recognizing and overseeing credit risk. New items and administrations require careful exploration and board endorsement before they can be delivered to the general population. Complex acknowledge choices, like advances to explicit ventures, resource securitization, and credit subordinates, require top to bottom review to grasp the related credit risk. Credit risk management basics, for example, organized strategies and controls are required. Consistence with the bank's strategies

and cycles is vital in taking care of basic issues implying counterparty credit risk. Firm and gathering credit constraints in the banking and exchanging books ought to be set reliably and seriously. To determine where a credit portfolio's risks are concentrated, financial establishments ought to execute progressed data and risk management frameworks. Branch chiefs and upper management need to evaluate the frameworks' adequacy considering the developing intricacy of the organization's tasks routinely.

Conclusions: For both non-financial and financial foundations, the ability to oversee risks is an upper hand and a method for expanding investor esteem. The new financial crisis has shown the significance of improving all-inclusive risk management rehearses. Financial organizations ought to focus on pressure testing techniques and rethink compensation to settle the essential holes uncovered by the present financial crisis. At the same time, new foundational risks require an overhaul of the current administrative and settlement structures to answer them, ensure financial steadiness, and add to worldwide financial administration. Confidential banks have much better execution in terms of credit risk than government banks. This appears to be legit while considering the independence managed the cost of by confidential banks and their drive to outflank their rivals. Government banks are battling a result of legislative issues and regulatory infighting.

References:-

1. Arora, S. (2014), "Credit risk measurement practices in Indian commercial banks – an empirical investigation", Asia-Pacific Journal of Business, Vol. 5 No. 2, pp. 37-50.
2. Bank for International Settlements (1999), "A new capital adequacy framework", Consultative paper issued by Basel Committee on Banking Supervision, available at: www.bis.org/publ/bcbs50.pdf (accessed November 20, 2016).
3. Basel Committee on Bank Supervision (2008), "Supervisory lessons from the sub-prime mortgage crisis".
4. International Institute of Finance (2008), "Study of market best practices"
5. Chakraborty, I., & Ray, S. (2016). Risk management practices in Indian banks: A study on public and private sector banks. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 4(7), 295-303.
6. Dash, M., &Kabra, G. (2017). Risk management practices in Indian banks: A comparative study of public and private sector banks. Business Perspectives and Research, 5(2), 139-147.
7. Das, S., & Pal, S. (2018). Risk management practices in Indian banking sector: An empirical study. Journal of Commerce and Accounting Research, 7(1), 1-8.
8. Sahu, S. K., & Bhatia, V. (2019). Risk management practices in Indian banking industry: A study of select banks. Journal of Indian Business Research, 11(2), 231-248.
9. Rao, K. V. (2020). Risk management practices in Indian banks: A study on select banks.
10. Karmakar, M., & Bandyopadhyay, S. (2020). Risk management practices in Indian banking industry: A comparative study of public and private sector banks
11. Taneja, M. (2021). Risk management practices in Indian banking sector: A study of select banks. Taneja's study explores risk
12. International Monetary Financial Committee (2008), "Risk management practices including the identification of risk management challenges and failures, lessons learned and policy considerations".
13. International Monetary Fund (2007), "Financial Market Turbulence Causes, Consequences and Policies", Global Financial Stability Report, October 2007, Washington
14. KPMG (2009), "Never Again? Risk management in banking beyond the credit crisis"
15. RBI (2016), "RBI financial stability report", available at: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR3023A0A39BB24C29470CAAE956DFCA233CCA.PDF (accessed January 25, 2017)
16. Sanjeev, G.M. (2007), "Bankers' perceptions on causes of bad loans in banks", Journal of Management Research, Vol. 7 No. 1, pp. 40-46.
17. Senior Supervisors Group (2008), "Observations on risk management practices during the recent market turbulence".
18. Senior Supervisors Group (2008), "Observations on risk management practices during the recent market turbulence"
19. Working Group on Risk Assessment and Capital (2008), "Credit risk transfer".
20. World Bank (2017), "World Bank's all-inclusive data catalog, GDP (current US$), India", available at: https://data.worldbank.org/country/india (accessed October 15, 2017).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मूल्य आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020

हरनाम सिंह *

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय माधव महाविद्यालय, चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की रीढ होती है। जिसके आधार पर उस समाज और राष्ट्र का चंहुमुखी विकास आकार पाता है। शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण देश के लिए एक समान शैक्षणिक ढांचे पर विचार था यद्यपि मूल्यों की ओर भी ध्यान दिया गया था। समय के अनुसार उत्पन्न होने वाले बदलाव अनुभूति कराते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया जाए बदलते परिवेश अनुसार प्रचलित शैक्षणिक ढांचे में वर्तमान समय अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य था। कहावत भी है परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है इसी कड़ी में लगभग 35 वर्षो पश्चात नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा को व्यवस्थित रूप से समावेशित कर विशेष ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है वर्तमान डिजिटल एवं आधुनिक भौतिकतावादी युग में देश के युवाओं में शिक्षित होने के बावजूद भी मूल्यों का अभाव था अथवा युवा मूल्यों से दूर होता जा रहा था।इसी परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत समावेशी मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी भी था ताकि भविष्य में आने वाले समय में धीरे-धीरे मूल्ययुक्त पौधो तैयार हो सके क्योंकि शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण युक्ति है जिसके माध्यम से एक अच्छे वर्तमान और भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।NEP-2020 ने मूल्यों की नई पुनर्व्याख्या की। सीखते रहने की प्रवृत्ति नागरिकों में विकसित करना इसके आधार में शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य बनाया गया 'अच्छे इंसानों का विकास करना' जिसका आधार, समता और समावेशन है। प्रस्तुत शोध पत्र में मूल्य आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विवेचन किया गया है।

शब्द कुंजी –राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मूल्य शिक्षा, युवा, भौतिकवाद।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में यदि हम अपने समाज का ईमानदारी और निष्ठा से अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि आधुनिक समय में समाज का लक्ष्य प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करना हो गया है। यह प्रतिस्पर्धा स्कूल में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने से लेकर व्यवसाय, रोजगार में सफलता एवं अधिक धन प्राप्त करने तक है या इससे कहीं आगे है। लोग समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होकर भी संतुष्ट नहीं हैं। 1970 के पश्चात की शिक्षा का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी तो हुई किंतु जीवन मूल्यों से दूर होती चली गई प्रो. नरेंद्र चौधारी 'पास फेल के अनुमान की जगह छात्रों के समग्र विकास एवं जीवन मूल्य केंद्रित इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना है पिछले 7 दशकों में हमारे देश में शिक्षा का विस्तार तो हुआ, मगर शिक्षा में माननीय संवेदना जो हमारी धरोहर की गुरुकुल पद्धति में मौजूद थी आज की शिक्षा में खत्म सी हो गई है।' यदि व्यक्ति के चरित्र का ह्रास होता है तो जीवन से धीरे-धीरे हर तत्व गायब होता जाता है। आधुनिक भौतिकतावादी जीवन फैशन और चकाचौंध के इस वातावरण में अपने चरित्र का निर्माण तथा विकास को सुरक्षित बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। 21वीं सदी में प्रवेश के साथ ही हम वैज्ञानिक तकनीकी में भी बहुत आगे निकल गए हैं तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करते करते मनुष्य एक मानव यंत्र बनता जा रहा है उसमें मानवीय संवेदनाएं, संवेगों, त्याग, इष्टगत कार्यों के प्रति आस्था कम हो गई है। अत: यंत्रों के साथ-साथ मानव हृदय की कोमल आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा ऐसी हो जो रोजगारोन्मुखी होने के साथ-साथ जीवन जीने की कला भी सिखाती हो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ही है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 रोजगारोन्मुखी तो थी परंतु व्यवस्थित मूल्य शिक्षा के समावेशन का अभाव था अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है इस लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना व अस्तित्व के लिए उच्च मूल्यों का आचरण आवश्यक है। अत: एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों के निर्धारण के लिए मूल्य शिक्षा अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ढांचे में एक दृष्टि मौजूद है जो इस शिक्षा नीति को, पूर्व की शिक्षा नीतियों से उत्कृष्ट बनाती है वह है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिकों का जो तर्कपूर्ण बुद्धि, करुणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहानुभूति, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- NEP 2020 केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू हुई सन 1986/92 के पश्चात देश की शिक्षा नीति में यह प्रथम परिवर्तन है। यह शिक्षा नीति के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है कर्नाटक के पश्चात मध्यप्रदेश इस शिक्षा नीति का अनुपालन करने वाला देश का दूसरा राज्य है। भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

1. स्कूली शिक्षा के अंतर्गत 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया गया है।
2. शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर पुन: शिक्षा मंत्रालय किया गया है।
4. चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल विधयन के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा परिषद को बनाने का प्रावधान किया गया है।
5. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
6. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि पाठ्यक्रमों में विज्ञान के साथ-साथ मूल्य संरचना विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों को भी शामिल किया जा सके।
7. भारत में समग्र एवं बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/वर्णित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में IIT एवं IIM की तरह ही एकीकृत एवं बहुविषयक शिक्षा के लिए मेरू विश्वविद्यालय के गठन का प्रावधान किया गया है।
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित के साथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को सम्मिलित करने की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में पहली बार दूरदर्शी एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है।

मूल्य – मूल्य अंग्रेजी के तअङणए शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है उपयोगिता या महत्व। इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान वह गुण जो इसकी उपयोगिता या महत्व को प्रकट करता है मूल्य के नाम से जाना जाता है।

प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित मापदंड होते हैं जिनके आधार पर समाज में अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए हमारे द्वारा किन्हीं विषयों और परिस्थितियों का मूल्यांकन कुछ निश्चित तय आधारों पर किया जाता है इन्हीं तय आधारों को मूल्य के नाम से जाना जाता है। विकास की परंपरा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ कुछ प्रतिमानों और मूल्यों को लेकर चलते हैं मूल्यों के अभाव में किसी भी समाज की प्रगति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मूल्य और मूल्यांकन ऐसे दो तत्व हैं जिनके आधार पर किसी समाज की प्रगति का अंदाजा लगाया जा सकता है इन मूल्यों के आधार पर भविष्य की क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है वह समाज अपनी क्रियाशीलता खो देता है, जो मूल्यों की उपेक्षा करता है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य निम्नवत हैं:

1. देश के युवाओं एवं विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु प्रशिक्षित करना।
2. देश के युवाओं एवं विद्यार्थियों में सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, सहयोग, अहिंसा, सदाचरण, अनुशासन, शिष्टाचार, सत्यनिष्ठा, दया, साहस, भाईचारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि गुणों का मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से विकास का अवलोकन करना।
3. देश के युवाओं एवं विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा के माध्यम से देशप्रेम की भावना का विकास करना एवं अच्छे नागरिकों का निर्माण करना।
4. मूल्यपरक शिक्षा की अपेक्षाओं का विवेचन करना।
5. मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को कम उम्र से यसही को करनेय का महत्व बतलाना तथा 'गलत के परिणाम' से अवगत कराना।
6. देश के नागरिकों के सुखद भविष्य के निर्माण के लिए मूल्यपरक शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना।
7. मानव जीवन अनमोल है इसे बचाने एवं सफल बनाने के लिए मूल्यपरक शिक्षा का विश्लेषण कर इसके महत्व को रेखांकित करना।

मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व – बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षा एक ऐसा निवेश है जिसमें सदैव सुनिश्चित लाभ हैं शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधान ही नहीं है बल्कि यह मानव में दैवीय गुण विकसित कर मानव में छिपे देवत्व को विकसित करती है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि यमनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। हम किसी से स्नेह करेंगे या नहीं, सहयोग अथवा असहयोग करेंगे, किसी का सम्मान या अपमान यह हमारे विचारों पर निर्भर नहीं करता अपितु यह हमारे अर्जित परिमार्जित मूल्यों द्वारा निश्चित होता है। मूल्यपरक शिक्षा किसी देश, समाज और संस्कृति के विकास का मुख्य साधन होती है। जिन लोगों के पास न विद्या है न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य पृथ्वी लोक पर भार बनकर रहते हैं तथा मनुष्य रूप में पशु के समान विचरण करते हैं आज के समय में जिस तरह मनुष्य आधुनिकता तथा पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंध अनुकरण की ओर अग्रसर है तथा बच्चों में पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है वैसी स्थिति में हमारा किशोरावस्था चिंतनीय तथा सोचनीय बनकर रह गई है ऐसी स्थिति में मूल्य आधारित तथा नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक हो गई है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि 'आज तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह निर्भर करता है कि कल हमारे मूल्य क्या थेय हम कल क्या होंगे, वह जो हम आज मूल्य रखते हैं उसका परिणाम होगा' शिक्षा ऐसी हो जो रोजगारोन्मुखी होने के साथ-साथ एक आदर्श जीवन जीने की कला भी सिखाती हो।

परहित और जनहित के विचार यदि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पनप जाने तो सामाजिक कल्याण की चिंता किए जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी परंतु वर्तमान समय में एवं विगत पूर्व वर्षों में युवाओं का ध्यान आधुनिक भौतिकतावाद एवं पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। NEP 2020 के भाग 4.28 में उल्लेखित है कि विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' के महत्व को सिखाया जाएगा। विद्यार्थियों एवं युवाओं को सही एवं नैतिक कार्य करने के लाभ तथा गलत एवं अनैतिक कार्यों के परिणामों का ज्ञान कराकर उन्हें विवेकानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज की इस नई पीढ़ी को बताना होगा कि गलत, नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध, अनैतिक कार्यों को जीवन में नहीं करना चाहिए इस प्रकार के किए गए कार्यों का परिणाम भी गलत एवं हानिप्रद होता है। प्राप्त अनमोल जीवन कष्टदायी हो जाता है आप कितनी भी सफाई से चालाकी से गलत कार्य या अपराध करना लेकिन करने के बाद बच नहीं सकते क्योंकि गलत कार्य का नतीजा गलत ही होता है इस प्रकार किए गए कार्य से व्यक्ति का जीवन खराब/बर्बाद हो जाता है। गलत का प्रभाव सिर्फ करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इसका प्रभाव करने वाले व्यक्ति के परिवार पर भी पड़ता है परिवार की बदनामी होती है परेशानियों

का सामना करना पड़ता है। सही कार्यों की तुलना में गलत कार्यों को हमारा मन हमारी इंद्रियां बहुत जल्दी ग्रहण करती हैं क्योंकि गलत कार्यों में आकर्षण होता है जिसमें सिर्फ आकर्षण होता है वह चीज ग्रहण न करें अच्छी बातों और ज्ञान में आकर्षण नहीं होता है इन्हें अपने आप में अपनाना कठिन होता है इनके लिए परिश्रम करना पड़ता है लेकिन अपनाने के बाद इनसे व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास होता है जीवन में सुख प्राप्त होता है मान, मर्यादा, ख्याति और इज्जत प्राप्त होती है एवं गलत बातों को अपनाने से, गलत कार्यों को करने से समाज में ना तो कोई इज्जत मिलती है लेकिन इनसे परिवार, समाज, माता-पिता और करने वाले की प्रतिष्ठा अवश्य गिरती है करने वाले के साथ-साथ माता-पिता के सम्मान को भी क्षति पहुंचती है एवं करने वाले का जीवन कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए किन्हीं बातों को ग्रहण करने से पूर्व अपने ज्ञानरूपी तराजू में तौलें है तभी ग्रहण करें इस प्रकार की ज्ञान के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'जो लोग मंदिरों में मेरी पूजा, आरती करते हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते और जिनके अंदर मानवता नहीं हैं उन पर मैं कभी प्रसन्न नहीं होता ना मैं उनकी रक्षा करता हूं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं जो अपने माता-पिता की सेवा करते हैं संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करते हैं और जिनके अंदर मन में सत्य, अहिंसा, दयाभावना एवं प्रेम है।' शिक्षा के संवर्धान हेतु स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक बनाए गए विभिन्न आयोगों/ समितियों ने नैतिक मूल्यों की बात तो की परंतु शिक्षा में समुचित समावेश नहीं हो पाया। शिक्षा व्यक्ति को दिमाग एवं शरीर का सही उपयोग करना सिखाती है जो शिक्षा व्यक्ति को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अलावा गंभीर चिंतन न दे व्यर्थ है शिक्षा का नीति निदेशक तत्व मूल्य है। मूल्य आधारित शिक्षा की वर्तमान में जितनी आवश्यकता है उतनी शायद पहले नहीं थी क्योंकि वर्तमान में लोगों में धोखाधाड़ी, अमानवीयता, अनैतिकता एवं अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचना प्राप्त करना, परीक्षा पास करना एवं ऐन-केन प्रकारेण डिग्री हासिल करना रह गया है इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में मूल्य शिक्षा की नितांत आवश्यकता है।

सुझाव - मूल्य आधारित शिक्षा आज के समय की मांग है यदि इसे वास्तविकता में सही रूप से लागू किया जाना है तो आज के मुद्दों पर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रुप से ध्यान केंद्रित कर एक विशेष पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर शिक्षण अनिवार्य करना होगा जिसमें सही को करने के अलावा आज के समय में लोगों में बढ़ती गलत प्रवृत्तियों चोरी, धोखाधाड़ी, छलकपट, बेईमानी, अमानवीयता, अनैतिकता, गंदगी फैलाना, असहिष्णुता एवं अन्याय का समावेश कर इनकी हानियों एवं परिणामों तथा सरल शब्दों में इनसे जुड़े कानूनों से लोगों को अवगत कराना होगा ताकि सही और गलत का ज्ञान हो सके। प्रारंभ में बाल्यावस्था में एक बार जिन मूल्यों का बीज बालकों में बो दिया जाता है वे जीवन भर साथ चलते हैं बाद में उनमें परिवर्तन कठिन होता है इसलिए मूल्यों के विकास के लिए एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पाठ्यक्रम में सही के लाभ तथा गलत के परिणामों को सम्मिलित कर मूल्य शिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। बालकों के मस्तिष्क में बाल्यावस्था में ही यह विचार पैदा होना चाहिए कि गलत कार्य का परिणाम भी हमेशा गलत एवं हानिप्रद होता है ताकि धीरे-धीरे आने वाली पीढ़ी में मूल्य आधारित गुण विकसित हों। इस प्रकार धीरे-धीरे ही सही एक नई पौधा तैयार होगी। परिवर्तन एवं प्रयास अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं इसका प्रभाव धीमा अवश्य होगा लेकिन बेहतर एवं बहुत ही लाभप्रद होगा। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि 'आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह निर्भर करता है कि कल हमारे मूल्य क्या थे 'हम कल क्या होंगे, वह जो हम आज मूल्य रखते हैं उसका परिणाम होगा।' M.N. श्रीनिवास ने अपने लेख 'चेंजिंग वैल्यूज इन इंडिया टुडे' में लिखा है कि 'आज भारत में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई है जो प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, पत्र-पत्रिकाओं पर आधारित है यह युवाओं में व्याप्त मूल्यों को बिगाड़ रहा है।' परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है यदि किसी व्यवस्था को समयानुसार बदला नहीं जाता है तो वह व्यवस्था वर्तमान समय की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती।

उपसंहार- अंत में यह कहना चाहता हूँ कि मूल्य आधारित शिक्षा देश के लिए अतिआवश्यक है। जीवन में मूल्य के विभिन्न आयामों को समझकर अपना लेना प्राणवायु की तरह है, अन्यथा जीवन की दरिया में असमय मौत अवश्यम्भावी है, निश्चित है। जीवन में मूल्य आधारित शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें संस्कार देती है। और यदि शिक्षा संस्कारविहीन है, मूल्यहीन है, तो वह शिक्षा अर्थहीन है। हमारे संस्कार, हमारे मूल्यों पर ही निर्भर करते हैं, और वो हमें इस जीवन के भवसागर को सफलतापूर्वक पार कराने में न केवल सहायक सिद्ध होते हैं, बल्कि हमें संबल बनाते हुए सिद्ध करते हैं कि हम भी महामानव बन सकते हैं। और यह ऊंचाई हमें मूल्य आधारित शिक्षा ही दे सकती है, किसी और प्रकार की शिक्षा नहीं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. बघेल, डी.एस. (2019) समाज शास्त्र बी ए प्रथम वर्ष कैलाश पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग भोपाल , पृष्ठ संख्या 122
2. Digicgvision.in
3. https://www.surta.in/mulya-adharit-shiksha/
4. Jagran.com
5. Live Hindustan.com /Career/story-visionary –future –oriented–education–system–is being –prepared –through-the–new–National–education–policy –prime –minister–narendra-modi -7534907.html
6. माहेश्वरी, मुकेश 'विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं प्रशासन' श्री वैष्णवी प्रकाशन , इन्दौर पृष्ठ संख्या 223-225
7. NEP-2020 मानव संसाधन विकास मत्रांलय, भारत सरकार पृष्ठ संख्या- 57
8. निशंक रमेश पोखरियाल (2021) 'मूल्य आधारित शिक्षा' प्रभात प्रकाशन प्रा.लि. ,नई दिल्ली ISBN 978 -93-90366-57 -6 , pp.-27
9. राणा वंदना,(2021) 'वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता' International Journal of multidisciplinary education & Research vol-6, Issue-3,2021, page no 28&33
10. शर्मा, नेहा,'सामाजिक उत्तरदायित्वा का साहित्यिक पक्ष' International Journal of Education ,Modern management , Applied Science & Social Science Vol – 4, No-01 (1),January –March,2022 , pp-115-118
11. Teachersofbihar.blogspot.com
12. तिवारी, कविता (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आकांक्षओं की पूर्ति के संदर्भ में मूल्य शिक्षा Anthology the Research Vol 7 ISSUE – III JUNE 2022

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

नई शिक्षा नीति एवं दिव्यांग विमर्श की अवधारणा एवं स्वरूप

डॉ. आभा गोयल* रचना गौतम**

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी, एम.एच.एससी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – साहित्य सदा से ही समाज को एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। वर्तमान समय में विविध के माध्यम से हाशियें के लोगों को केंद्र की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 15 प्रतिशत आबादी) आज किसी तरह की दिव्यांगता का दंश झेल रही है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं अनेक सुविधाएं प्रदान की है, लेकिन समाज के रवैये और धारणाओं में परिवर्तन न होने के कारण दिव्यांगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साहित्य में दिव्यांग विमर्श की आवश्यकता है। दिव्यांगजन समाज की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की मुख्यधारा से दूर है दैनिक जीवन में कई पहलुओं पर वह गैर विकलांग लोगों की तुलना में अधिक नुकसान झेलते है। ऐसे में दिव्यांग दिवस साहित्य के माध्यम से समाज की धारणीय विकास की एक पहल है। दिव्यांग विमर्श के द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले दिव्यांगों के जीवन के प्रेरक प्रसंगो द्वारा अन्य दिव्यांगों की अंतर्निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – दिव्यांग, दिव्यांगता, विमर्श, समाज, अवधारणा आवश्यकता।

प्रस्तावना – संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूरी तरह निर्दोष हो या पूरी तरह गुणरहित। संसार के सभी प्राणियों में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी। कहा भी गया है– 'दृष्टि की मपि लोकेऽमिन न निर्दोष न निर्गुणम्।' अर्थात संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निर्दोष हो या निर्गुण। दिव्यांगता की समस्या उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। मनुष्य अपने प्रारंभिक काल में (आदिमानव) जब मानव वनों में रहता था तब पेट भरने के लिए भोजन प्राप्त करने के उपक्रम में कई बार दुर्घटनाओं का शिकार होता था कभी किसी हिंसक पशु के आक्रमण में अपने शरीर का कोई अंग गंवा बैठता था। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे जंगल की आग आदि में दुर्घटनाग्रस्त होकर दिव्यांग हो जाता था। आदिमानव और पशुओं में काफी सामानता थी। अत: उस समय की दिव्यांगता किसी पशु में होने वाली दिव्यांगता के सामान थी। मानव अंगविहीन होने पर घिसट–घिसटकर जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता था।

धीरे–धीरे सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य समूहों में रहने लगा। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी एवं आपस में धन–बल की वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हुई। युद्धों की नई–नई कलाओं के विकास के साथ एक–दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ लग गई। युद्धों में जहां एक तरफ भारी जान–मार का नुकसान होता था वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग दिव्यांग भी हो जाते थे। हमारा इतिहास अनेक राजाओं के पराक्रम एवं गौरवगाथाओं से भरा पड़ा है लेकिन इस पराक्रम में कितने आम जनमानस को दिव्यांग बना दिया इसका कोई रिकार्ड नहीं है। बढ़ते युद्धों एवं अन्य कारणों से दिव्यांगों की संख्या में वृद्धि तो होती थी लेकिन सीमित साधनों के कारण मनुष्य के दिल में इनके लिए एक जगह भी कम ही थी। इनका भरण पोषण का उपाय करने की बजाय इन्हें दिव्यांगता से मुक्ति दिलाने की बात सोची जाती थी।

यह भी वर्णन मिलता है कि प्राचीनकाल में यूनान एवं स्पार्टा जैसे देशों में नेत्रहीनो, अस्थिविकलांगो एवं मानसिक मंद दिव्यांगों को पानी में डूबाकर मार डाला जाता था। स्पेन में कई अंधे कुएं बनवाए गए थे जहां दिव्यांगों को जबरन डूबा दिया जाता था।

समाज में दिव्यांगता को अलग–अलग नजरिये से देखा जाता था। कुछ लोग इसे पूर्व जन्मों के पापों का फल मानते थे। यहां तक कि स्वयं भी इसे पूर्व जन्मों का फल मानकर स्वयं भी इसे भोगता रहता था किंतु अपने कष्ट को कम करने का प्रयत्न नहीं करता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को सामान व्यक्ति न समझकर उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र जेष्ठ पुत्र होने के कारण राज्य के उत्ताराधिकारी थे किंतु नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें उनके अधिकार से वंचित करके पाण्डू को राजा बना दिया गया। अक्सर देखा गया है कि मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को परिवार की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है।

धीरे–धीरे मनुष्य की मानसिकता में बदलाव हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिव्यांगों की संख्या ने मनुष्य को दिव्यांगों के हित में विषय में सोचने के लिए प्रेरित किया। समाज में दिव्यांगों की सहायता के लिए अनेक आश्रम एवं अस्पताल बनने लगे। विदेशों में, जहां दिव्यांगों को बोझ समझा जाता था उनमें शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास किया जाने लगा। मूक बधिरों एवं नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना कर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा।

जन्मजात, प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से शरीर के किसी अंग के अक्षमता वस्तुत: विकलांगता है। यह एक अनपेक्षित आमंत्रित घटना है, जिसके लिए किसी एक कारण को दोषी, ठहराना सरासर नाइंसाफी होगी। उम्र, जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, लिंग की सीमाओं से परे कोई भी इसका शिकार हो सकता है। दिव्यांगता चाहे शारीरिक हो या मानसिक आंशिक हो या पूर्ण एक अवांछित स्थिति है जिसे न चाहते हुये भी व्यक्ति को स्वीकार

करना पड़ता है।

दिव्यांगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग अभी नया है इसके पूर्व दिव्यांगों के लिए विकलांग शब्द प्रचलन में था दिव्यांग शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांगों के सम्मान और उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए स्वीकार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति शरीर से अक्षम होते हुए भी ऐसे विलक्षण काम कर जाते हैं कि उनकी योग्यता और प्रतिभा पर आश्चर्य होता है। ऐसे में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु आदर्श शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु आदर्श और यर्था में हमेशा से विभेद रहा है। समाज में विकलांगों के लिए अपंग, नि:शक्त, अपंग, निशक्त, अंगबाधित, न्यूनांग आदि शब्द प्रचलित है। अगर सत्य की पराकाष्ठा कहे तो इन शब्दों की बात ही छोड़िए, नेत्रहीन को लोग अंधा, आन्हर, सूर काना अस्थिबाधित को लूलाख लंगड़ा, लंगड़ श्रवण बाधित को बहरा बधिर, बहुविकलांग को अष्टावक्र आदि संज्ञाये देने से नहीं चूकते है।

दिव्यांगजन समाज में हाशिए पर आते हैं। सदियों से ये लोग उपेक्षित जीवन जीते हैं। संध्या लिमये के अनुसार, 'हाशिए पर होने का मूल अर्थ हैं- व्यक्तिगत, अंतवैयक्तिक सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा जाना। जाहिर है- सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिये पर होने के कई आधार हैं। विकलांगता के कारण एकाधिक नुकसान को झेलने वाले इन समूहों की समस्याओं को लैंगिक अंतर की कसौटी पर जाति, धर्म, नस्ल, स्थान, क्षेत्र आदि अन्य कारकों के सापेक्ष समझा जा सकता है। विकलांगता और लैंगिक वर्ग दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन इनके आधार पर खास वर्ग की उपेक्षा की जाती है। पुरुषों के मध्य विकलांग उसे समझा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की परिभाषा के अनुरूप शक्ति, शारीरिक क्षमता और स्वायन्तता को पूरा करने में विफल रहा है। इसी तरह ऐसी धारणा बनी हुई है कि एक विकलांग महिला गृहिणी, पत्नी, मां की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है और शारीरिक उपस्थिति के संदर्भ में सौन्दर्य और नारीत्व के स्थापित मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। ये ही सबसे अधिक हाशिए पर हैं और शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सबसे अधिक प्रताड़ित हैं और सदियों के लिए उपेक्षा, मौखिक-शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का शिकार बने हुये हो।'

समाज में विकलांगों (दिव्यांगों) को अनेक प्रकार की व्यवहारिक, सामाजिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सकलांग समाज दिव्यांगों को बड़ी मुश्किल से पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वीकार करता है। इसके कारण सामाजिक समावेशन प्रभावित होता है। हमारे समाज में विकलांगता को दिव्यांगता के रूप में नहीं, वरन् एक कलंक के रूप में देखा जाता समाज में विकलांगों (दिव्यांगों) को अनेक प्रकार की व्यवहारिक, सामाजिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सकलांग समाज दिव्यांगों को बड़ी मुश्किल से पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वीकार करता है। इसके कारण सामाजिक समावेशन प्रभावित होता है। हमारे समाज में विकलांगता को दिव्यांगता के रूप में नहीं, वरन् एक कलंक के रूप में देखा जाता है।

बींसवी सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक फलक पर विविध विमर्शों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, जनजातीय विमर्श, बालश्रम, पसमान्दा, किन्नर विमर्श आदि पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी प्रकार दिव्यांगता भी साहित्य में एक नये विमर्श का रूप ले रही है। इस विमर्श को केन्द्र में लाने में डॉ0 द्वारिका प्रसाद अग्रवाल और डॉ0 विनय कुमार पाठक का विशेष योगदान है।

आज के समय में विकलांगों (दिव्यांग) पर विमर्श होना अत्यन्त आवश्यक है। विकलांग विमर्श की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि, 'विकलांग जन समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर होकर हाशिये पर हैं। वे दैनिक जीवन में कई पहलुओं पर गैर विकलांग लोगों की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव करते हैं। कई विकलांग लोगों द्वारा प्रतिकूल परिणाम झेलने की वजह से उनके स्वयं एवं उनके परिवार के जीवन के गुणवत्ता में कमी आती है। उनमें से कई स्वयं को अलग-अलग एवं अवांछित महसूस करते हैं। जबकि समाज उन्हें अपने ऊपर बोझ महसूस करता है। विकलांगों के माता-पिता, बच्चों और माई-बहन को भी इस नकारात्मक दृष्टिकोण, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता है।'

दिव्यांगों की समस्या का हल उन पर दया, सहानुभूति और मदद से नहीं बल्कि उन्हें बराबरी, सहयोग और उन्हें उनका हक दिलाकर होगी। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनियां में अलग साठ लाख लोग दिव्यांगता से प्रभावित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल दिव्यांगों की संख्या लगभग 268 लाख है। इनमें महिला दिव्यांगों की संख्या 118.2 लाख तथा पुरुष 149.9 लाख है। विकलांगों के लिए अगर रोजगार के विषय में बात करें तो उन्हें पीडब्लूडी कहा जाता है। पीडब्ल्यूडी का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। भारत सरकार ने विकलांगों के सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन के लिए तीन कानून बनाये हैं।

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
2. विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडीएस कल्याण अधिनियम 1995
3. ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता बाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1995।

इसके अतिरिक्त 2008 में भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, 2006 पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके अनुसार समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ दिव्यांग व्यक्तियों को भी पूर्ण भागीदारी और अवसर देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने वर्ष 2016 के अंत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया है। इस अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकार को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया है।

वास्तव में पीडब्ल्यूडी को समाज में सर्वाधिक गरीब होने के कारण सबसे वंचित वर्ग कहना उपयुक्त होगा। यह भी एक तथ्य है कि विकलांगता निर्धनता के साथ अन्तर्सम्बन्धित होती है और समाज के गरीब वर्गों में विकलांगता होने की अधिक सम्भावना होती है। यह स्थिति तब और खराब होती है जब महिलाएं विकलांग होती है। हमारे समाज में स्वावलम्बन, अस्मिता ओर स्वसुरक्षा नारियों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। नारी विमर्श और आन्दोलन भले ही यह विश्वास दिलाएं कि वर्तमान समय में नारी की दशा सुधरी है लेकिन जब बात निर्णय लेने की स्वतंत्रता और आत्मरक्षा का आता है तब स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है। सकलांग और सशक्त नारियों के लिए यह मुद्दा गम्भीर एवं विचारणीय है तो दिव्यांग महिलाओं की स्थिति का अनुमान भी सहज लग जाता है।

समाज और साहित्य आपस में अन्तर्सबन्धित है। साहित्य को समाज

का दर्पण कहा जाता है। समाज की आवश्यकता को साहित्य भलीभांति समझता है तथा समाज साहित्य लेखन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। साहित्य और समाज की प्रबुद्ध प्रगतिशील दुनिया में स्त्री एवं दलित विमर्श केन्द्र में है, सदियों से वंचित, उपेक्षित यह वर्ग समाज का अटूट हिस्सा रहा है, फिर भी इसकी अनदेख होती रही है। जब से जागरूकता बढ़ी है, समाजवादी चिन्तन की ओर जनमानस का रूझान बढ़ा है, तबसे वंचित उपेक्षित वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की ललक स्पष्ट देखी जा सकती है। हमारी सरकारों ने भी स्त्री और दलित वर्गों के लिए आरक्षण जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनके सम्मानजनक जीवन के ठोस उपाय भी किए हैं। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि समाज के महत्वपूर्ण घटकों, उपक्रमों या संस्थानों में दोनों वर्गों की सम्मान जनक उपस्थिति दर्ज होने लगी है, लेकिन समाज का एह विशाल वर्ग अब भी मौजूद है, जिसकी उपेक्षा के आरोप से हम बरी नहीं हो सकते। यह वर्ग है नि:शक्तों का यानि विकलांग बंधु भगिनियों का।'

अत: यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दिव्यांग विमर्श साहित्य की आवश्यकता है। सरकार सुविधायें प्रदान कर रही है, नियम कानून बना रही है, किन्तु समाज का धारणीय विकास साहित्य ही कर सकता है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगता का दंश झेल रहा है। इस विशेष वर्ग को हाशिये पर छोड़कर समाज का सर्वांगीण विकास असम्भव सा है। अत: अब समय आ गया है कि सदियों से वंचित दिव्यांग समाज पर लेखनी चलाई जाय। दिव्यांगों के संघर्ष, उनकी समस्यायें, उनके जीवन के साहसिक एवं प्रेरक प्रसंग पाठक एवं समाज के सामने प्रस्तुत किया जाय। इससे समाज का विकालंगों के प्रति जो नकारात्मक रवैया है, उसमें बदलाव होगा। इसके साथ ही दिव्यांग विमर्श के जरिये इन उपेक्षित व्यक्तियों की अन्तर्निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इससे दिव्यांगों को आत्मसम्मान और स्वावलम्बन की भावना का विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. परमानन्द डॉ0 संगीता, विकलांगता का समाजशास्त्रीय अध्ययन, लता साहित्य सदन, गाजियाबाद, संस्करण 2017, पृ0 56
2. लिमये संध्या,विकलांग जनों का सामाजिक समावेश : मुद्दे ओर रणनीतियाँ, योजना (पत्रिका), मई 2016, पृ0 25-26
3. लिमये संध्या, विकलांग जनों का सामाजिक समावेश : मुद्दे एव रणनीतियाँ, योजना (पत्रिका) मई, 2016, पृ0 25
4. दास पी0सी0, विकलांगों के लिए वित्तीय समावेशन, योजना (पत्रिका), मई 2016, पृ0 20
5. परमानन्द डॉ0 संगीता, विकलांगता का समाजशास्त्रीय अध्ययन, लता साहित्य सदन, गाजियाबाद, सं0 2017, पृ0 189
6. माहेश्वरी डॉ0 सुरेश(सं0), विकलांग विमर्श का वैश्विक परिदृश्य, भावना प्रकाशन, दिल्ली सं0 2014, पृ0 323
7. पाठक डॉ0 विनय कुमार (सं0) विकलांग विमर्श, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, बिलासपुर, सं0 प्रथम, पृ0 18-19
8. वर्मा डॉ0 विजय कुमार, दिव्यांगता : एक सामाजिक यथार्थ, आशा प्रकाशन, कानपुर, सं0 2017, पृ0 11-12

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Impact of Government Polices and Schemes for Overall Welfare and Development for Hearning Employed and Visually Handicapped Children

Vijaya Saxena* Pooja Soni**

***Lecturer, Polytechnic College, Kelwada (Raj.) INDIA**
**** Research Scholar, Career Point University, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - Every disabled child has right to special care and skill development learning but hearning impaired and visually handicappedschemesand skills learning programsfor then they faced more challenges in social and economic sectors .The mean social skills and problem behavior scores Greshamand Elliott(1990) were withinthe average range and normally distributed each year.

In India there are so many barriers to grow and improved hearing impaired and visually handicaped's skills. It's difficult to add quality in this category .So it is needed to look into the matter. The research paper is abouthearing impaired and visuallyhandicapped childern in India. Who are always restricted to madecollaborate normal childern. Now In modern age there are suitable tools and techniques to grow and to learn many skills. Modern technology and techniques made theirstruggle loose. Government policies and schemes give them exposure and help them for over all development in each and every scheme. Government give them exposure and help them for over all development in each every sector. India is one of the country whostill is workingonburning their problems.
Keywords: Hearingimpaired, visually handicapped, schemes, welfare policies, causes of disabilities, social empowerment, modern technology, easy techniques.

Introduction - One who is not able to hear surroundings or any sound, any voice is in the category of hearning impaired. They are unable to hear and feel any noise not even soft sound.They May can be hard of hearning or complete deaf by birth. It may be cause of ageing factor. It may also be due to **mal–**nutrients and under nutrients. It may also due to allergy effect but over all these types of childern become hopeless and anxious for then future.

Basically hearningimpairment is viewed by a types of sound which is dividedin various way. Due to thesephysicand mentaldamage .It may be damage or body interval or external pact heaving loss or impairment or may be Mind,Moderate or severe. It can be severe and affect similar or dissimilarto both ears.

Visually impairmentmeans one who is not able to see his surrounding easily or in normal level. Visually impairment may be due to some disease or by birth. It may cause accidental and also be ageing issues are also their. lack of nutrition is also main cause of visual impairment. There types of yes a al impairment.

1. **Mild visual impairment :** in mild visual impairment: the visual acuity is worse ,that is 6/12 and 6/18.
2. **Moderate visual impairment :** That is more pitiablecategory of impairment. In that stage the visual acuity is worse then 6/18 and 6/60.

severe Impairment- That is more pitiable category of impairment.In that stage,the visual
Acuity is worse then 3/60 and 3/60.
Blindness visually acuity is worse than 3/60.
Vision loss can effect physical health and mental situations. it would be cause of high depression and can deductsthe quality of skill working. It is completelylinked to loneliness, social isolation and anxiety and phobia.

More planning for HI and UI childern are needed so that They may use all intellectual so that they may use all of their skills and abilities for there intellectual development, they well need to participate in certain specific constructiveskills and ability programmersthroughoutthese schooling.

- **Government polices for hearing impaired and visual handicapped:** There are many states and centralgovernment schemes for hearingimpaired and visually handicapped childern. These schemes welfare policies are visually handicapped childern but also for another related disabilities. These welfareworks can give exposure to all needed disable childern.

The ADIP scheme (assistant to disabled persons for purchase/fatting of aids and appliances) is very popular.

The main Aim of ADIP scheme is to help needed disabled person. These is facility to purchase modern aids mode by scientificmethods by that disable can able to use them easily and smartly. These features canpromote these physical, social and physiologicalrehabilitation by reducing disabilities.PWDs are given aids with the aim of making disabled childern dependent and skillful.

Such scheme as national program. For preventational and contact of deafness (NPPCD), the ministry has been implementing the scheme for person disabilitiesact, 1995 (STPDA) for providing financial assistance for undertaking variousactivitiesoutened in the person wide disabilities(equal opportunities protection of right and fall participation), Act 1995 in dues Act disabled persons (Hearing impaired and visually handicapped can receive a monthly persons a financial support in India. The fundis supported and givenby central and state government. These are divison of funding between them. The centralgovernment contributes Rs20\- per head her month to run the scheme with the statement government cover the scheme and help in collect data relevant to with it is a reminder.

Vikas Scheme : vikas scheme is followed by the national trust for the development improvement and wagespersons with affected by autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities. The mean of these scheme is to develop and needed person in India. The scheme is symbolized as most motivated process of centralgovernment and state government of India.

The Mission Shakti : There are lotsof programs for disabled women as "Mission Shakti" that is known by al over the world that if a nation want women empowerment development social employment and this may very helpful for them to achieve economic in dependency. It may help then itself employmentand well income.

State and central government have given the relaxation also that relaxation is another basis to develop disabled women so that they given more and powerful opportunity.

In centralgovernment as well as state government, they both provided relaxation in age for eligibility criteria criteriato all hearing impairedand visually handicapped childern.

References :-

1. https://newsbook.com
2. deker.emp./br@koala.gov.in
3. http//socialwelfaretribend.gov.in
4. S. Pooja and D. Divya "A review on the various techniques for hearing impaired and visually handi-capped childern" "AKSAARWARTA" monthly international refered journal publication ISSN 2349-7521 Impact factor- 6.375, UOC- XVII, PP-133 to 136.

Tabulationof hearing impaired and visually handicapped relaxation by government schemes

S.	State/UT	Disability Types	Scheme	Disability Benefites	Type of Benifit
1.	All State/Uts	Blindness	Travelling allowance for attendant or escort	Spaical Benifites	Allow amees
2.	All State/Uts	Hearing impaired	Chocher implant surgergy under ADIP nishashktvivah	40% Disablity	Miscbenifites
3.	M P	Blindness	Chocher implant surgergy under ADIP nishashktvivah	40% Disability	Allowance
4.	Ponduchey	Low Vision	Finical Assistance	60% Disability	Financial assistance
5.	Ponduchey	Blindness Hearing impaired	DifferentlyAbsents childern	40% Disability	Education benifites
6.	Ponduchey	Blindness Hearing Loss	Free subsidy to defferentabled person	40% Disability	Financial Subsidy
7.	Ponduchey	Blindness Hearing Loss	Free subsidy of clothing items	40% Disability	Financial assistance

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Psychometric Paradigm of Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics

Dhirendra Singh Sisodiya* Dr. Bhawanipal Singh Rathore**

*Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-beUniversity), Udaipur (Raj.) INDIA

** Assistant Professor (Physical Education) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-beUniversity), Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The field of sport competition is emergent every day, so the athletes virtually have the same physical abilities and have different intelligence. Therefore, it is not probable to ignore the role of intelligence to attain maximum performance. This specifies the need of engaging in psychological aspects of sport and competition sport. The status of sport psychology can be more highlighted as it is stated that learning an athlete's behavior within a sporting situation. We can elucidate, forecast and transform the athlete's behavior. The sports psychology is concerned in helping every sports applicant grasp his or her potential as an athlete.

For many years people have drilled the idea of games. Regardless of whether it has been horse riding and fencing in the medieval times, wrestling in the artifact, war amusements in the renaissance or tennis in current time, it has dependably been in the human instinct to contend in sports. The Greek logician like Plato who propounded the proverb "A sound personality in a sound body" is to be trusted it might need to do underestimated that a person who practice his appendages ought to be a canny individual; the powerless unfortunate and the unlawful can't be so insight as the previous. Intelligence is most extreme prerequisite in human life. Intelligence is a family unit word-so ordinarily utilized by individuals of all kinds of divergent backgrounds but then its ideas fluctuate radically starting with one individual then onto the next. Intelligence implies distinctive things to various individuals. This is the main things which isolate people from creatures. Man is the cleverest creature since he outperforms every single other creature in versatility and flexibility (the fundamental factors of intelligence). Intelligence is a profoundly complex develop that has different significance and understandings.

Keywords: Gymnastics, Psychometric paradigm, Intelligence.

Introduction - For thousands of years humans have practiced the concept of sports. Even if it has been horse riding and fencing in the middle ages, wrestling in the antiquity, war games in the renaissance or tennis in modern time, it has always been in the human nature to compete in sports. The Greek philosopher like Plato who propounded the maxim "A sound mind in a sound body" is to be believed it may have to do taken for granted that an individual who exercise his limbs should be an intelligent individual; the weak unhealthy and the unlawful cannot be so intelligence as the former.

Intelligence is utmost requirement in human life. This is the only things which separate human beings from animals. Man is the most intelligent animal because he surpasses all other animals in adaptability and adjustability (the basic variables of intelligence). An intelligent individual not only thinks intelligently but acts intelligently too. Allport (1965) remarked "Intelligence is difficult to define most writers point to it as the innate potential of a person for meeting adequately new problems and condition of life." Certainly, there is something that distinguishes an idiot from a genius and this factor we call general intelligence.

Athletes are said to differ in the level of intelligence on game to game basis. The relationship between physical activity & intelligence has often been a matter of debate in sport psychology circles. Exercise athletics activities. Since all skilled behavior is intelligent, relationship between athleticism & intelligence cannot be ruled out. So, to know the difference, we need to understand the "SPORTS INTELLIGENCE" because some time we assess that why the two players are so much different to each other.

Sports Intelligence is the athlete knowing their body in respect to their sport some are innately better than other but we know from research and best practice that everyone can get significantly better. Tough to measure drive and determination the athlete with supposed limited physical abilities. You can significantly raise athletic intelligence through specific directed practice. Everything must connect to the desired end result. It is not a robotic process. It is a process of tuning into the wisdom of the body, respecting

the body and its self- organizing capabilities. It all comes down to the three R s: Routine, Repetition, and Refinement. The concept of Sports Intelligence was developed by Howard Gardner (1985). He introduced the eight multiple intelligence theory and it has come out the concept of body kinesthetic intelligence particularly referring to "ATHLETIC ABILITY and MOTOR COORDINATION".

Sports Intelligence is still an uncrystallized concept- an open- question. The study will be attempts to concretize the concept of sports intelligence. As there is hardly any standardize test on Indian population. So, it is a preliminary step made by the researcher, the aim was not to develop a single instrument that could be used for the assessment of sports intelligence. Therefore, scholar in her initial approach and her understanding in the game of gymnastics has made an effort to develop sports specific athletic intelligence test battery for gymnast.

Review of literature:

(Sternberg, 1999) contended that two extremes have won in the investigation of knowledge. At one extraordinary are general-capacity (g) scholars, who have gathered a lot of information to test the hypothesis of general insight, however frequently utilizing limited scopes of members, materials or situational settings. They likewise demonstrate a propensity to restrain their techniques for information investigation. At another outrageous are scholars contending for new, numerous insight, whose speculations have been subjected to few or no experimental tests. Along these lines, Sternberg suggested that a center ground is required that perceives the diverse idea of knowledge and of individuals' originations of it, yet that additionally is subjected to thorough exact tests. Numerous specialists communicated suspicious and addressed at the wholeness of the idea of I.Q. As, (Kutz M. R., 2012) trusts that knowledge is more than IQ score and that it is the result of various capacities that extraordinarily add to execution. Hypotheses additionally supporting the view that insight is modifiable, multifaceted and equipped for advancement as opposed to being settled, unitary and foreordained.

(Sabbah & Abood, 2010) tried as an example the sensible price of applying Gardner's theory of Multiple Intelligences (MI), by mensuration the extent of students' MI in Jordanian faculties. 2 modes of Multiple Intelligence Development Assessment Scale (MIDAS) scale were tailored and valid to be utilized in this study; the Arabic mythical being for college students and also the Arabic mythical being for academics and counsellors. the primary sample of this study consisted of one,404 students from thirteen secondary faculties to live students' MI and also the second sample comprising of forty-eight students and sixteen academics to be used for the comparative purpose between the scholars and also the academics. The findings of this study indicated that, the student's views at the musical intelligence and natural intelligence were negative and low, whereas at the linguistic, math, bodily-kinesthetic, spatial, social and intrapersonal intelligences were positive.

(Del, 2013) dissected the connection amongst insight and certain psychological capacities, with the factors related with athletic execution in football, First, distinguish a profile of IM trademark for competitors by methodology rehearsed. Second, recognize the execution profile in football to general and particular level limits. Third, investigate the presence of a commonplace profile footballers insight all in all and particularly for areas, from the proposes that offers the hypothesis of Multiple Intelligences Gardner. Fourth, the connection between general knowledge and/or particular abilities utilizing government sanctioned (tests), with wellness and variables related with soccer execution is broke down. Fifth, centers around the investigation of feeling and impact in connection to sports execution in football, adjusting IAPS for football, utilizing evaluation and reaction framework SAM (SelfAssessment Manikin). Furthermore, 6th, the rate of official capacities, in charge of subjective control, by mechanized adaptations of the Iowa Gambling Task (IGT), Tower of Hanoi and Stroop undertaking, the outcomes are contrasted and estimations of soccer execution is seen keeping in mind the end goal to decide its rate.

(Arffa, 2007) contemplated the relationship of insight to official capacity and non-official capacity measures in an example of normal, better than expected, and talented youth. The creator investigates the relationship of knowledge to the Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Color-Word Test, Oral Word Fluency Test, Design Fluency Test, Trail Making Test, appeared differently in relation to Rey Complex Figure Test, Rey Auditory Verbal Learning Test, Wide Range Achievement Test, and Underlining Test in normal, better than expected and skilled youngsters. Full-Scale IQ was fundamentally identified with Wisconsin Card Sort Perseverative and Non-Perseverative Errors, Stroop Color-Word Test, Color-Word condition, Controlled Oral Word Fluency, Design Fluency, Rey Complex Figure, and Underlining conditions yet not Trails or Rey Auditory Verbal Learning Test. Uncovering connection amongst knowledge and official capacities. MANCOVA's show skilled youngsters outflanked other kids on the official yet not on the nonofficial tests.

Research Objectives:

1. To select the various components, which will contribute to assessment of the Sports Intelligence of the Gymnasts.
2. To develop various tests to measure the selected components of the Sports Intelligence of gymnasts, to empowers us to evaluate chosen components scientifically and quantitatively.
3. To establish the structural validity for the Sport Intelligence Test Battery in Gymnastics.
4. To establish the scientific authentication for the Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics, which includes:

a) Establish the validity of the Sports Intelligence

Questionnaire (SIQ-G), Body Awareness Questionnaire (BAQ-G) and Executive Functions.

b) Establish the reliability of the Sports Intelligence Questionnaire (SIQ-G), Body Awareness Questionnaire (BAQ-G) and Executive Functions.

c) Develop the norms for the Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics, Sports Intelligence Questionnaire (SIQ-G), Body Awareness Questionnaire (BAQ-G) and Executive Functions.

5. To assess the relationship between the Gymnastics Performance and Sports Intelligence.
6. To assess the relationship between the General Intelligence and Sports Intelligence.
7. Assessment of the inter- relationship between the Sports Intelligence, General Intelligence and Performance.

Research methodology:

Selection Of The Subjects: For the present research work both male and female gymnast with an aged ranging from 17 years and above. The average age of the gymnast for the study was 19.43 yrs. out of which 54.17 % of the gymnasts are female (n = 91) and 45.83 % of the gymnast are male (n = 77). The gymnast's participation level was considered from intercollegiate level to international level. The subjects for the study who were actively engaged in competition were the target population for the research work. Subjects were selected by using convenience sampling as the Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics has been constructed specifically on gymnastics players.

Selection Of The Variables: In the present study, according to the demand and considering the feasibility for conducting the research in terms of standardization, norms development and administration of the test battery. Based on the scholars own understanding, guidance of the supervisor and the member of the advisory committee, scholar had shortlisted mainly five factors to be studied as a variable for the research has been listed below:

1. Fundamental Movement & Understanding of the Movement.
2. Ability to know about your body in Movement
3. Executive Functions
4. General Intelligence
5. Performance

Selection Of The Tool: For collecting the data, following tools have been used for the present study. Criterion measures are presented below:

1. Sports Intelligence Questionnaire (SIQ- G).
2. Body Awareness Questionnaire (BAQ- G).
3. Stroop Color- Word Test
4. N- Back Test
5. Recall Test
6. Raven's Standard Progressive Matrices

Statistical Techniques: Statistical application is essential for analyzing the data and better understanding of the data. Since the data was collected in a form of raw score, statistical treatment plays an important and vital role to organize, abridge and represent the raw data into more rational documentation, which was helpful in evaluate some conclusive results along with the meaningful out come from it.

Scholar put an effort in Segment I for construction of questionnaire and after this the questionnaire was developed. For this scholar were used different statistical techniques at different phase of the development. Descriptive statistics have also been used to summarize the population data; it provides an excellent idea about the nature of the data and the numerical description that were used.

For the establishment of the scientific confirmation for the Sports Intelligent test battery reliability and validity were ascertained. The reliability for the test was calculated by employing Pearson's product moment correlation for BAQ-G, Spearman correlation for SIQ-G and Cronbach's Alpha was computed to test internal consistency of the test items and validity was established by computing content validity and index of reliability.

The percentile norms were developed for prepared references to have better interpretation of the performance scores and the normative values based on percentile was used for developing the grading norms for the battery. So, it was helped to better interpretation of the scores.

For assessing the relationship between the selected variables inter- item correlation matrix was computed. The level of significance was set at 0.05.

Conclusion:

1. Sports Intelligence Test Battery in Gymnastics has reported good validity thus, the test battery is validated and can be used further in gymnastics.
2. Sports Intelligence Test Battery for Gymnastics has testified excellent reliability.
3. Sports Intelligence Questionnaire (SIQ-G) is moderately correlated with Raven's standard progressive matrices (SPM), thus supports the concept that 'g' (general intelligence) from the basis of the sports intelligence.
4. Sports Intelligence Questionnaire (SIQ-G) and Raven's standard progressive matrices (SPM) shows the presence of multiple subsidiary abilities to 'g' (general intelligence).
5. Body Awareness Questionnaire has reported very good validity so it can be used further in gymnastics field.
6. Body Awareness Questionnaire has computed excellent reliability.
7. Body Awareness Questionnaire (BAQ-G) has a strong correlation with performance of the gymnast, in both the gender (male & female).
8. Executive Functions and Raven's standard progressive matrices also testified with moderate relationship.
9. Sports Intelligence Test Battery score is highly

correlated with the performance score of the gymnast.

10. In results founds that there has a gender neutrality on these tests namely; Sports Intelligence Questionnaire (SIQ-G), Body Awareness Questionnaire (BAQ-G) and Executive Functions so they are could be used for male and female.

Recommendations for further studies:

1. Since, the test constructed was significantly related with the performance so it may be used in gymnastics to predict the performance of the gymnast.
2. Sports Intelligence in next of kin to nature of sports may be tested.
3. Sports Intelligence Test Battery can be used by the coaches and Trainers for the assessment of Sports Intelligence among various Training stage of the Gymnast.
4. Need to be more research on Executive Functions in regards of games and sports.
5. It is recommended that in future researches, age and gender may be used as element of sports intelligence.
6. Sports Intelligence Test battery can be developed in various sports and games.
7. As very less work has been done so far in sports intelligence therefore, more researches could be initiate in future.

References:-

1. Allport, G. W. (1965). Pattern & Growth in Personality.Chiacago: Holt,:Rinehar Winston.
2. Clarke, H. (1970). Application of Measurement to Health. New Jersey: rentice Hall Inc. Publication, Englewood Cliffs.
3. Digiovanna, G. V. (1937). A comparison of the intelligence and athletic ability of college men.Research Quartely, American Physical Education Association, Volume 8, Issue- 3.
4. Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence, Second Edition. New York, USA: Basic Books Publication.
5. Kamlesh, M. L. (1988). Psychology in Physical Education and Sports.Second Edition. New Delhi, India: Metroplotian publication.
6. Memmert, P. A. (2010). The role of working memory in sport.International Review of Sport and Exercise Psychology, Vol. 3, No. 2. , 171- 194.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Disparities in Literacy of Banswara District (Rajasthan)

Dr. Shivani Swarnkar* Anushka Dr. Jeetesh Joshi*****

*Assistant Professor, Deptt. of Geography, Govt. M.G. College, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Deptt. of Geography, Govt. M.G. College, Udaipur (Raj.) INDIA
***Assistant Professor, Deptt. of Geography,Govt. Arts Girls College, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - Every society is composed of people's and is defined by a variety of socio-cultural, economic, and political characteristics. Literacy is a vital means to gain skills for increasing socio-economic growth of well-being. Literacy and education attainment are the major determinant in determining fertility, mortality and migration. As a result, literacy is a key factor in both population control and development. Literacy helps a social group in achieving a greater social status. The word 'Literacy' means an ability to read and write. The level of development becomes higher if the population of the country is educated and firstly literate. Education permits a higher degree of social mobility the ability to achieve a higher social level. An attempt has been made to analyze the position of literacy in 5 tehsils of Banswara district at social level, gender level with the statistical techniques based on census data of 2011. The purpose of the paper is to find out what are the possible reasons responsible for social and gender disparity in literacy regarding the 5 tehsils of Banswara district and the attempts that can be inculcated to make the females of the district and the social groups more literate.
Keywords: Disparities, Education, Literacy, Social and Gender.

Introduction - Education is must for both men and women equally as both together make a healthy and educated society, but In spite of various policies and plans made by the government to improve literacy of our country, particularly among women, the gap between male and female literacy still exists. Literary is an essential tool for getting bright future as well as plays an important role in the development and progress of the country. Literacy is traditionally understood as the ability to read, write and use arithmetic. The modern term meaning has been expanded to include the ability to use language, members, images, Computers, other basic means to understand, communicate, and gain useful knowledge. UNESCO defines literacy as the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts.

According to census 2011, the total population of Banswara district is 1,797,485 comprising 907,754 males and 889,731 females. It shares almost 2.62 percent of state population but 1.32 percent of state area. The density of the district is 397 persons per Sq. Km. which is higher than the state density (200 persons per Sq. Km.). Nearly 92.9 percent population of the district lives in rural areas where proportion of urban population to the total population is 7.1 percent. In census 2011, the sex ratio of the district is 980. The district is having higher sex ratio in the state. The district has high child (age group 0 to 6 years) sex ratio i.e. 934 in comparison to the state child sex ratio 888. There are only 1,372,999 Scheduled Tribe persons reside in the district which is 76.4 percent of total population whereas Scheduled Caste population shares only 4.5 percent of total population. Literacy rate of the district 56.3 percent is lower than the state average 66.1 percent. Male literacy rate of the district 69.5 percent is lower than the state literacy rate 79.2 percent while female literacy rate of the district 43.1 percent is lower than the state literacy rate 52.1 percent work participation rate of the district 51.0 percent is higher than the state 43.6 percent. The male and female work participation rate of the district is 53.1 and 48.38 percent. As per 2011 census the proportions of Hindu, Muslim & Jain population in total population are 94.6%, 2.7%, 1.3% respectively & 1.2% Christians. In the present paper an attempt has been made to find out the disparities of literacy in Banswara district. To analyse the Gender - wise and Social level disparity of five blocks of Banswara district, percentage of literacy to the total population has been considered. Schedule Tribe population is more here and literacy is less. Literacy percentage is less in some tehsils. For increasing educational development it is important to find out that which regions have less percentage (%) of literacy and what are the reasons responsible for less literacy in study area.

Objectives :

1. To find out gender wise disparity in literacy.
2. To find out social group wise disparity in literacy.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Study Area: Banswara district is situated on the southern region boundary of the state.As per census 2011 Banswara district has five tehsils namely Bagidora, Banswara, Garhi, Ghatol and Kushalgar. It is located between latitude 230 11' and 230 56' and longitude 730 58' to740 49'. It is bounded by on the north, by Dhariyawad and Pratapgarh tehsils of Pratapgarh district, on the east by Ratlam district, of Madhya Pradesh, on the West by Sagwara and Aspur tehsils of Dungarpur district, and on the South by Jhabua district of Madhya Pradesh. It also touches the boundary of Panch Mahal district of Gujarat State on the Southwest.

Figure 1: Administrative Map of Study Area

Source - Census of India 2011

Methodology: The collection of data of 5 tehsils of Banswara district is done at district secondary level from various government organizations. Data related to demographic status, literacy is collected from Census - 2011. The representation of data has been done by using tables and bar diagrams, which helped in data representation. Present paper is an attempt to throw light on the role of literacy in socio economic development of Banswara district at Tehsil level. Literacy rate in 2011 of Banswara district has been 56.33% which is lower than the state average (66.1 percent) and it ranks 30 among the other districts of the state. Gender Gap of the literacy rate is 26.4 percent in the district.

Literacy an overview: Regarding literacy the world include people of age group above 15 who can read and write. 86.1% of total population is literate out of which 89.9% of male are literate and 82.2% of females are literate (2015). More than three quarters of the worlds (758 millions) illiterate adults are found in South Asia and East Saharan Africa of all the illiterate adults in the world, almost two third are women (2014).

Literacy in India: Literacy in India is a key for socio economic progress and the Indian Literacy rate has grown to 74% as per census 2011 from 12% at the end of British rule in 1947. The level of literacy is below the world average literacy rate of 84% and of all the nations, India currently has the largest illiterate population. There is a wide gender disparity in the literacy rate in India effective literacy rates (age 7 and above) in 2011 has been 82.14% for men and 65.46% for women.

Literacy in Rajasthan: Rajasthan's literacy rate of Rajasthan has witnessed aloft tendency and it has been 66.11% as per 2011 census. Literacy rate in males has been 79.19% and in females 52.12%. Cities of Rajasthan having high literacy rate as per census 2011 are Kota, Jaipur, Jhunjhunu, Sikar, Alwar where literacy rate falls in between 70 to 77% and cities having lowest literacy rate are Jalore, Sirohi, Pratapgarh, Banswara and Barmer where literacy rate is from 54 to 57%.

Literacy In Banswara District: In present paper literacy rate is done from age 7 onwards of four tehsils of Banswara tehsil. Table no.1 clearly shows disparities in average literacy rate among different blocks of Banswara district. Total population literacy is divided in to three categories below 50% in which only one tehsil Kushalgar has come, then Ghatol and Bagidora tehsils lies in between 50 to 60 % total literacy rate. The two tehsils Banswara and Garhi has literacy percentage above 60.

Table no : 1 (see in last page)

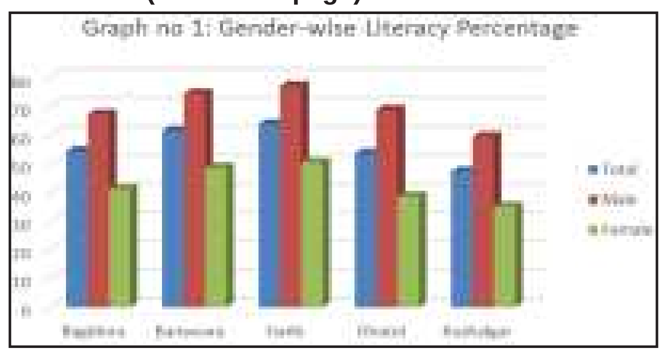

Gender Disparity In Literacy: Table no.1 and Graph no 1 clearly show the gender wise disparities in literacy rate among different block of Banswara district.

Male Literacy: Amongst the five tehsils of Banswara District regarding male literacy below 60 % in Kushalgar. The two tehsils Bagidora and Ghatol is in the middle category of male literacy which lies between 60 to 70%. The Two tehsils namely Garhi and Banswara has male literacy rate percentage above 70.

Female Literacy: In Ghatol and Kushalgar tehsils has female literacy rate is below 40%. The Bagidora and Banswara tehsils are in middle category which is lies between 40 to 50%. The only Garhi tehsil has Female literacy rate percentage above 50.

After the analysis the data of total literacy rate, it can be concluded that Kushalgar tehsil has the minimum rank amongst five tehsil, which is below 50% and two tehsils Bagidora and Ghatol has total literacy rate lies in between 50 to 60%. In Banswara and Garhi tehsils, female literacy rate is above 60%, in which Garhi has the Highest rank (63.81 percent).

Disparities In Social Group: A group becomes social when interaction interplays among its participants. Over an appreciable period of time and who act in accordance with

common function or purpose. In Banswara districts, social groups mainly include Schedule Caste, Schedule Tribes and General Caste. Graph no 2 shows social group wise disparities in literacy rate among different block of Banswara District.

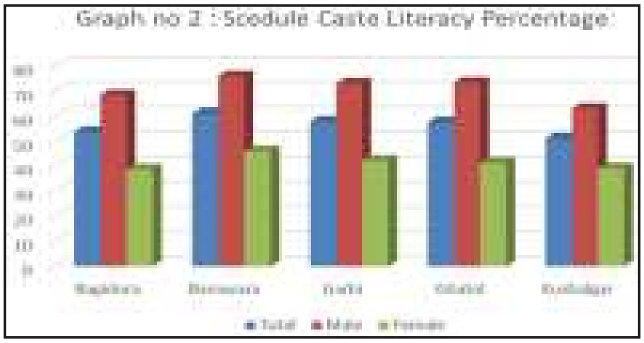

Schedule Caste: According to census 2011, the two tehsils Kushalgar and Bagidora has the schedule caste literacy rate is below 55 percent, in which Kushalgar has the minimum rank (51.27 percent). The Garhi and Ghatol tehsil is in the middle category lies between 55 to 60 percent. Only Banswara tehsil has the schedule caste literacy rate percentage above 60.

Schedule Tribe: Graph no 3 shows that the tehsil Kushalgar has the lowest schedule tribe literacy percentage, which is below 45. Three tehsils Bagidora, Ghatol and Banswara lies in the catogoty between 45 to 55%. And only one tehsil Garhi has above the 55% of schedule tribe literacy rate in district.

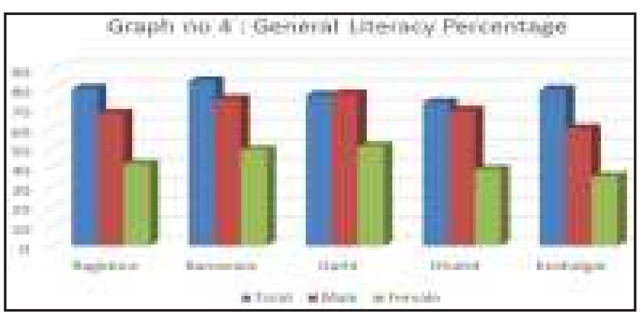

General: Besides Schedule Caste and Schedule Tribe, the literacy rate in general caste has also been categorized into three types, In below 75% the only Ghatol tehsil has come, and three tehsils Garhi, Bagidora and Kushalgar has been lies in between 75 to 80% , and lastly Banswara is the only tehsil , which is above 80% of literacy rate in general category.

Looking at the literacy rate in three categories of Social group of Banswara district, tehsilwise literacy rate is showing a different pattern. Kushalgar tehsil is rank lowest in both Schedule Caste and Schedule tribe literacy rate, but it rank three in General literacy rate among five tehsils. Banswara tehsil has third rank in literacy rate of schedule tribe but it stand at first rank in schedule caste, General and Total literacy rate percent in district. The Garhi tehsil stand at first rank in Schedule tribe literacy rate.

The reasons for less literacy rate percentage in the tehsils are:

1. The region represents a rugged terrain punctuated by short ridges west of Banswara. The Eastern part of district is occupied by flat-tapped hills of Deccan Trap. The district is quadrangular in shape and fairly open in the west, but it is undertaking in nature. The central and western parts of the district are however cultivable plains and is more developed then other parts of the district. This district is with more of schedule tribe's population where till today nuclear families reside far for on mountains. In this situation the people of this region have not developed connectivity and the desired results are not achieved.
2. The social structure in the tribal belt is such that males of the tribes are engaged in agriculture, non-agriculture, labour work. The females of the region are engaged in agriculture, animal husbandry, family and social causes because of which they loose interest in education. Besides this Banswara districts tribal region have various social problems like child marriage, parda pratha, liquor and other addiction.
3. Banswara district is mostly a tribal population area, which was a backward Industrial district in comparison to other districts of the state and its Impact seen that this region has scarcity of employment sources. For livelihood, population depends on labour and agriculture. Due to insufficient sources of irrigation agriculture is dependent on monsoon and the agriculture fields are very small as a result of which the produce is also not adequate therefore whole family is involved in labour.
4. The district is situated on the southern region boundary of the state and surrounded by Aravalli hills, due to its rigged terrain the district has scarcity of means of transportations. The district has no railway facility, which is a very big reason of the isolation of the residents of this region.
5. This region does not have facilities like that to television, mobile, telephone because of which population is ignorant towards education. Being is less contact due to lagging behind in technological development, this region has their own culture and people are unaware of the urban culture and new technology.

Efforts to be done for increasing Literacy Rate: Following efforts can be made in the various tehsil of Banswara district for increasing literacy rate:-

In this district for decreasing the gender gap in literacy, government should be organizing various educational camps for females of the region. Each one teach one system should be adopted in tehsils with geographical dissimilarity. In this system by the teachers and students of the schools efforts can be made to educate the uneducated/ illiterate mass of the tehsils lacking in literacy. Responsibility of Educating by B.Ed. Trainees: B.Ed. trainees can educate 2 uneducated. The motivator propagators of education should be given an aim to meet after which they should be given remuneration which will help in the success of the program. Arrangements for educating at working place within employment guarantying programs: In Banswara district employment oriented programme are being organized where large number of female labourers are working. To educate them the motivators of these education centres are given the responsibility, who do the teaching at the work place for an hour. Remuneration on the basis of work: earlier the motivators of the education centres had to educate 10 illiterate monthly. After training only the remuneration was provided. The government should also take some prescient actions to increase the level of literacy at all level so that prosperity of society may be attained.

Concisely this research paper gives the spatial framework for decreasing disparities in literacy.

References:-

1. Roy, D., & Mondal, A. (2015). Rural urban disparity of literacy in Murshidabad District, WB, India. *International Research Journal of Social Sciences*, *4*(7), 19-23.
2. Biswas, B. (2016). Regional disparities pattern of literacy in rural and urban area of West Bengal, India. *Global Journal of Multidisciplinary Studies*, *5*(7), 105-112.
3. Rahaman, M., & Rahaman, H. (2018). Gender disparity in literacy in Malda District. *International Journal of Research in Social Sciences*, *8*(10), 123-141
4. Chakraborty, A. (2013). A Review of Gender Disparity in Education Sector in India. *International Journal of Social Sciences*, *2*(1), 43-52.
5. Islam, M. M., & Mustaquim, M. (2015). Gender Gap in Literacy: A Study of Indian Scenario. *Life and Living Through Newer Spectrum of Geography*, *188*.
6. Yadav, S., Khan, Z., & Sharma, D. K. (2021). Spatial Patterns of Literacy in Rajasthan. *International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology*, *10*(12301), 10-15680.

Table no : 1
Literacy (%)

	Literacy			Schedule caste			Schedule Tribes			General		
Tehsils	**Total**	**Male**	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**
Bagidora	54.40	67.31	41.28	53.80	68.62	38.79	52.91	64.09	37.90	79.75	67.31	41.28
Banswara	61.64	74.42	48.63	61.21	76.05	45.94	52.72	66.33	36.20	83.67	74.42	48.63
Garhi	63.81	77.08	50.43	57.83	73.17	42.34	56.43	70.20	42.99	76.42	77.08	50.43
Ghatol	53.62	68.79	38.62	57.62	73.57	41.42	50.71	65.26	34.35	72.71	68.79	38.62
Kushalgar	47.33	59.49	35.09	51.27	63.18	39.14	41.11	56.77	32.03	79.28	59.49	35.09

Source: Census of India 2011.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Effect of Post Warm-Up Recovery Times on 100m Swimming Performance

Dr. Bhupender Sharma*

***Asst. Professor (Physical Education) University of Kota, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - With the inclusion of swimming in modern Olympics, competitive swimming came into prominence with events originally only for men but, later events for women were also added. Before the formation of FINA, the competitive swimming had unusual events which were further limited to only four styles of swimming namely, freestyle (crawl stroke), backstroke, breaststroke and butterfly stroke. For any practice session or for any game or tournament, warm-up becomes an integral part which does not require much time but, it should be of sufficient duration to allow the athlete to begin to sweat. Warming-up benefits by increasing the blood flow to the exercising muscles increasing the muscle temperature as well as the core temperature **(Hoffman, 2002)** Warming up has both physiological and mental benefits. A good warm-up facilitates the muscles use more oxygen promptly enabling the circulatory system to supply large amount of oxygen. It also helps in muscle activation enabling greater range of motion so that a swimmer could economically utilize the skill **(Maglischo, 2003)**. Powerful movements could be made immediately in a race if proper warm-up is done prior to the performance.

Few studies had been conducted so far to understand the effect of post warm-up recovery time on the performances in swimming. The present study was chosen to analyze the effect of post warm- up recovery duration in swimming performance so as to determine if specific recovery durations results in an enhanced performance in swimming.
Keywords: swimming, warm-up, lactate.

Introduction - Swimming is an age-old practice; the ancient cave paintings testify that our forefathers tried a variety of floating and swimming styles to propel in water. It is interesting to look back to the past and keep track of how the ancient bath life developed from the sacred immersion in water, how the medieval legend of sea monsters made swimming fearful and how the current versions of competitive water sports appeared in the 19th century. Man always found out new and new swimming styles and has been improving his technique up to the present day. **(Dr. Melinda Biro, 2015)**

With the inclusion of swimming in modern Olympics, competitive swimming came into prominence with events originally only for men but, later events for women were also added. Before the formation of FINA, the competitive swimming had unusual events which were further limited to only four styles of swimming namely, freestyle (crawl stroke), backstroke, breaststroke and butterfly stroke.

Swimmers usually make to and fro movements of arms and legs to propel forward through which, it could be well understood that swimming is much more concerned with Newton's third law of motion i.e. "The Law of Action and Reaction". A swimmer to swim forward, have to pull the water backward with the hands; to maintain a streamlined position in water need to kick down with legs; if a swimmer is swimming along and suddenly wants to stop and stand up, he/she need to pull the hands down changing the body position from horizontal plane to vertical plane so that the legs swing down so that the swimmers land in an upright position. Based on the fact, it can also be determined that swimming requires much energy and power to push the body through the water. Unlike various types of auto racing events, swimming races require swimmers to tap into different physiological systems to enhance their performance. Therefore, swimmers need to undergo vigorous training which has to be planned to utilize scientific logic so that the performance of the swimmers could be maintained and increased gradually.

Swimming is known to be a unique sport as it is an art of self-support and self-propulsion. Athletes compete while suspended in a fluid medium and they must propel their bodies by pushing against liquid rather than solid substances. This creates two major disadvantages compared to land sports. The first is that water offers less resistance to swimmers' propulsive efforts in comparison to the runners' push against the ground. In the other way, because of its greater density, water offers considerably more resistance to the forward progress of the swimmers.

That is why swimmers and coaches believe in warming up the body properly so that the muscles are toned and could also prevent themselves from injuries increasing the range of motion ultimately preparing their body to swim efficiently in their events.

Review of literature:

(Thomas Zochowski, 2007) conducted a study to investigate the effects of different post-warm- up recovery time on 200-m swimming time trial. For this the author randomly selected 10 national- calibre swimmers (5 male, 5 female) who swam a 1500m warm up and performed a 200m time trial of their speciality stroke after either 10 or 45 min of passive recovery. Each time trial was separated by 1 week in a counterbalanced order. Blood lactate and heart rate were measured immediately after warm-up and 3 min before, immediately after, and 3 min after the time trial. Rating of perceived exertion was measured immediately after the warmup and time trial. Time- trial performance was significantly improved after 10 min as opposed to 45 min recovery (136.80± 20.38 s vs 138.69 ± 20.32 s, $P < .05$). There were no significant differences between conditions for heart rate and blood lactate after the warm-up. Pre-time-trial heart rate, however, was higher in the 10-min than in the 45-min rest condition (109 ± 14 beats/min vs 94 ± 21 beats/min, $P < .05$). It was further concluded that post-warm-up recovery time of 10 min rather than 45 min is more beneficial to 200-m swimming time-trial performance.

(Henrique P.Neiva, 2014) on their study reviewed and summarized the different studies on how warming up affects swimming performance, and to develop recommendations for improving the efficiency of warm-up before competition. Most of the main proposed effects of warm-up, such as elevated core and muscular temperatures, increased blood flow and oxygen delivery to muscle cells and higher efficiency of muscle contractions, support the hypothesis that warm-up enhances performance. However, while many researchers have reported improvements in performance after warm-up, others have found no benefits to warm-up. This lack of consensus emphasizes the need to evaluate the real effects of warm-up and optimize its design. Little is known about the effectiveness of warm-up in competitive swimming, and the variety of warm-up methods and swimming events studied makes it difficult to compare the published conclusions about the role of warm-up in swimming. Recent findings have shown that warm-up has a positive effect on the swimmer's performance, especially for distances greater than 200 m. We recommend that swimmers warm-up for a relatively moderate distance (between 1,000 and 1,500 m) with a proper intensity (a brief approach to race pace velocity) and recovery time sufficient to prevent the early onset of fatigue and to allow the restoration of energy reserves (8–20 min).

(Fradkin, 2010) did a systematic review undertaking meta-analysis to review the evidence relating to performance improvement using a warm-up. Relevant studies where human subjects and warm- up included activities other than stretching were identified by searching Medline, SPORTDiscus and PubMed (1966- April2008). Studies investigating the effects of warming-up on performance improvement in physical activities were also included. The analysis revealed that performance improvements could be demonstrated after completion of adequate warm-up activities, and there was little evidence to suggest that warming-up is detrimental to sports participants. The researcher also revealed that there were few well-conducted, randomized, controlled trials undertaken, more of these are needed to further determine the role of warming-up in relation to performance improvement.

Research objective:

1. To find out the suitable post-warm-up recovery time for the swimming event.
2. To analyze the physiological effects during different post-warm-up recovery times before the performance of the swimmers.
3. To understand the recovery patterns of selected physiological variables.

Research hypotheses:

1. There will be a significant difference in the performance of the swimmers among different post-warm-up recovery times.
2. There will be a significant difference in the selected physiological variables of the swimmers among different post-warm-up recovery times.
3. There will be a significant difference in the selected physiological variables at different time points in each post-warm-up recovery times.

Research methodology:

Selection Of Participants: For the purpose of the study, ten male national level swimmers who represented the state of Rajasthan a minimum of five times (believing to have undergone different types of training and have basic knowledge of warm-up) were selected through random sampling. The chronological age of participants was 19 ± 2 years. The minimum training age of the subjects was 5 years. All the participants were enquired about their medical history and also they were requested to report any other condition, which causes them long 'term or short term problems in exercise. No drop out in participants was there. Thus, the findings included data of all 10 participants (n=10). The subjects were believed to have similar daily routine. The time trial (treatments) sessions were assigned randomly to the participants in a counterbalancing manner to avoid sequencing effects and to ensure internal validity. Carryover effect could not affect the experiment so, at least 48 hours of difference between two successive experimental sessions for the same participant was taken into consideration. The subjects were informed about the pros and cons of experiments during the course of the

research to be conducted in detail. The participants were active and did not report any obvious clinical complications. Participants were asked to refrain from exhaustive exercise for 48 hours.

Selection Of Variables: Keeping in mind the feasibility criteria and the specific purpose of the present investigation the below mentioned Physiological variables were found appropriate to assess the recovery pattern in swimmers:

1. Heart Rate
2. Core Temperature
3. Lactic Acid

These physiological variables were measured immediately after warm-up, 3min pre performance, immediately after performance and 3min after the performance with regular intervals during selected post-warm-up recovery times (independent variable) i.e.10mins, 20mins and 30mins.

Tests and criterion measure for the selected variables:

S.	Variables	Test and instruments	Criterion measures
1.	Heart Rate	Manual	Beats/minute
2.	Blood Lactate	Blood Test (Blood Lactate analyzer)	mmol /L (millimole per litre)
3.	Core Temperature	Thermometer	Temperature in Fahrenheit/ Celsius
4.	Swim Performance	Digital clock	Up to hundreds of asecond

Control variables: The control variables in the study which were controlled by the researcher were:

1. The Schedule: The participants who were selected used to have the same schedule for practice throughout the year.

2. Rest: The time for rest was control by the researcher at the time of the study.

3. Other activities: the subjects were not allowed to participate in other activities other than their schedule.

4. Carryover effect: To control the carry-over effects, the participants were given rest of 48 hours between each treatment and the treatments were randomly allocated to them in a counterbalancing manner.

Statistical Techniques: To examine the hypotheses of the study, descriptive statistics such as mean, standard deviation, standard error of mean were used to describe important characteristics of the data. One way repeated measures ANOVA was used to compare differences between 10minutes, 20minutes and 30minutes rest conditions at different time points during the protocol and to determine whether varying the time between warm-up and time trial influenced performance in a 100m time trial. Also, one way repeated measures ANOVA was used at $P<.05$ level of significance separately to establish significant changes in heart rate, core temperature and blood lactate at 4 (four) different time points in all the three post-warm-up recovery times. Bonferroni posthoc comparisons were used to determine where specific differences occurred when a significant effect was present. Statistical analysis was performed using the Statistical Software Package SPSS, version 20 for windows.

Conclusion:

1. The 100m time trial swim performance showed a significant difference when compared among the post-warm-up recovery times (10 minutes, 20 minutes, 30 minutes) wherein performance after 30 minutes of post-warm-up recovery time was better in comparison to others.
2. Heart rate decreased from the end of warm-up to the pre-time trial measurement in all the three conditions (10 minutes, 20 minutes, and 30 minutes).
3. Heart rate remained significantly higher, after 20 minutes of rest as opposed to 30 minutes of rest. Heart rate differed significantly in different time zones.
4. Core temperature remained almost the same level in all the time zones, the changes of which were significant only after post-warm-up recovery before the performance and immediately after the performance.
5. Lactate concentrations were significantly different from the end of the warm-up to the pre- time trial values in all three conditions. Blood lactate differed significantly in all the four- time zones.
6. Heart rate and blood lactate concentrations increased immediately after the performance and remained elevated till 3 minutes post-performance.
7. 7. Heart rate, core temperature and blood lactate did not have much change immediately after warm-up in all three conditions of post-warm-up recovery times but, differed invariably in rest of the time zones in all the three conditions.

Recommendations for further studies:

1. Studies may be undertaken with a large number of participants with other relevant variables contributing to warm-up and post-warm-up recovery times.
2. A similar study can also be conducted on female swimmers and also for swim performances on other strokes and different lengths/distances.
3. Further studies can be done utilizing more different variations of post warm-up recovery times.
4. Similar studies can be conducted using active rest during the post warm-up recovery times.
5. The same study may be replicated with the use of much more sophisticated equipment and real competitive conditions to have more objective and accurate data for the physiological analysis.

References:-

1. Anael Aurby, C. H. (2015, September). The Development of Functional Overreaching is Associated with a Faster Heart Rate Recovery in Endurance Athletes. PLOS ONE, 10(10).
2. B Saltin, A. G. (1968, December). Muscle Temperature During Submaximal Exercise in Man. Journal of

Applied Physiology, 25(6), 679-688.
3. Buchheit, M. (2014, February). Monitoring Training Status with HR Meausres: Do all Roads Lead to Rome. Frontiers fo Physiology, 5(73), 73.
4. Dr. Melinda Biro, D. L. (2015). Retrieved March 8, 2020, from https://sporttudomany.unieszterhazy.hu/public/uploads/swimming_56757dde865 41.pdf 13.
5. Ekstrand J, G. J. (1983). Prevention of Soccer Injuries: Supervision by Doctor and Physiotherapist. American Journal of Sports Medicine, 11, 116-20. 98
6. Fradkin, A. J. (2010). Effects of Warming-up on Physical Performance: Asystematic Review with Meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(1), 140- 148.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

वैयक्तिक अध्ययन विधि - अर्थ, आधार, स्त्रोत, कार्यविधि और सांख्यकिय विधि

डॉ. सरिता मेनारिया* संध्या मेर**

* सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक (उदयपुर) (राज.) भारत
** शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत लेख में शोधार्थी ने वैयक्तिक अध्ययन विधि को विस्तार से बताने का प्रयास किया है संक्षेप में शोध पद्धतियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है। सांख्यिकी विधि एक वृहद तथ्य संकलन, संमको का संग्रहण, सारणीयन तथा विश्लेषण करना होता है वही वैयक्तिक अध्ययन एक साधन प्रकृति की अध्ययन विधि है।

शोधार्थी ने इस लेख में वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषाऐं प्रमुख आधार, मुख्य स्त्रोत, प्रकार तथा वैयक्तिक अध्ययन की कार्यविधि पर विस्तार से विषय-वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैयक्तिक अध्ययन सूक्ष्म अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी विधि है, इसमें विश्वसनीयता अधिक रहती है। शोधकार्य की पूर्णता में इस पद्धति का विशेष महत्त्व है। अति गहन अध्ययन, व्यक्तिगत भावनाओं एवम् मनोवृतियों का अध्ययन, अति महत्त्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन, व्यक्तिगत अनुभवों का स्त्रोत, महत्त्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का साधन, सामग्री की सम्पूर्णता तथा इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन इस विधि में विशेष महत्त्वता रखते है। शोधार्थी शोध में जन शिक्षण संस्थान के महिला शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियें के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संस्थान के योगदान का वैयक्तिक अध्ययन है अत: शोधकर्त्री ने इस लेख के माध्यम से वैयक्तिक अध्ययन तथा सांख्यिकीय विधि तथा इस विधि से अध्ययन एवम् साक्षात्कार के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी है। शोधार्थी का यह लेख शोधकर्त्ताओं के लिए जिनके शोध विषय वैयक्तिक अध्ययन पर आधारित, है बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

प्रस्तावना – सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत आधुनिक शोध पद्धतियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है- सांख्यिकीय विधि तथा वैयक्तिक अध्ययन विधि। जहाँ सांख्यिकीय विधि एक ओर वृहद तथ्य संकलन, समंको का संग्रहण, सारणीयन तथा विश्लेषण करना होता है, वहीं वैयक्तिक अध्ययन एक साधन प्रकृति की अध्ययन विधि है। वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से सीमित विधि है, परन्तु यह अधिक गहरा अध्ययन है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी घटना, विषय के समस्त पक्षों का अध्ययन करना होता है।

प्रस्तुत लेख में शोधार्थी परिभाषा एवम् महत्त्व, स्त्रोत एवम् विशेषताऐं, वैयक्तिक अध्ययन तथा सांख्यिकीय विधि, अध्ययन के प्रकार, कार्यविधि एवम् सांख्यिकीय विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वैयक्तिक अध्ययन की मुख्य परिभाषाओं का भी यहाँ प्रस्तुत किया है:-

पी.वी. यंग के अनुसार – वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई जैसे किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था तथा सांस्कृतिक समूह अथवा सम्पूर्ण समुदाय के जीवन का विश्लेषण है।

गुड़ एवं हॉट के अनुसार – वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक समंकों की एकीकृत प्रकृति को संभावित करने की एक विधि है जिसके अन्तर्गत हम सामाजिक इकाई का सम्पूर्ण अध्ययन करते हैं।

बिसांज के अनुसार – वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा व्यक्तिगत ईकाई के गहन तथा सम्पूर्ण कुशलता व प्रविधियों का प्रयोग करता है।

एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार – यह सावधानी पूर्वक चुने हुए परिवारों के घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं का गहन अध्ययन है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह सभी से श्रेष्ठ पद्धति है, लेकिन सामान्य हाथों में यह अधिक से अधिक अविश्वसनीय सामान्य निष्कर्षों को सुलझाने का कार्य ही कर सकती है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हमें वैयक्तिक अध्ययन की निम्न प्रमुख विशेषताओं की जानकारी होती है। इस प्रकार की पद्धति द्वारा शोधकर्त्ता एक सामाजिक घटना को प्रभावित के करने वाले कारणों को एक समन्वित समग्रता के रूप में देखने का प्रयास करता है। वैयक्तिक अध्ययन किसी भी घटना के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना का एक व्यवस्थित संकलन है। वह एक ऐसी पद्धति है कि इसमें किसी भी आर्थिक घटना के सम्पूर्ण स्वरूप का अध्ययन हो जाता है। इसे हम एक गुणात्मक विश्लेषण भी कह सकते हैं, जिसके अन्तर्गत घटना से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए लाभ की प्रत्याशा में सम्पूर्ण अध्ययन कर के तथ्यों का संकलन करता है।

1. अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति, संस्था, परिवार सांस्कृतिक समुदाय अथवा सम्पूर्ण समुदाय हो सकता है। इसमें कुछ अमूर्त स्थितियों का अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी समुदाय के आकार को परिवर्तनशील रखते हुए भी मूल रूप से हम इकाई का सम्पूर्ण अध्ययन करते हैं।
2. वैयक्तिक अध्ययन किसी ईकाई का विस्तृत एवं गहनतम से किया गया अध्ययन है। इसी बिन्दु पर सांख्यिकीय तथा वैयक्तिक अध्ययन में अन्तर देखने को मिलता है, जहाँ सांख्यिकीय अध्ययन में हम समस्या का एक पत्र देखते हैं वहीं वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम इकाई का सम्पूर्णता से अध्ययन करते हैं।

3. वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख आधार यह है, किसी व्यक्ति या परिवार का जीवन एक अविभाज्य इकाई है तथा हम उसकी वास्तविकता उसके सम्पूर्ण अध्ययन के बिना नहीं माप सकते हालाँकी किसी सम्पूर्ण अध्ययन की अपनी सीमायें होती हैं –

गुड तथा हॉट के अनुसार, निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है:

1. एक विस्तृत समंकों का संकलन, इकाई से सम्बन्धित।
2. वैयक्तिक अध्ययन में ली जाने वाली इकाईयों की संख्या छोटी होती है, क्योंकि अध्ययन बहुत विस्तृत तथा बड़ी समय सीमा के अन्तर्गत किया जाता है।
3. वैयक्तिक अध्ययन एक बड़ी समय सीमा से सम्बन्धित होते हैं।
4. अध्ययन एक तय समय सीमा में ही किया जा सकता है।
5. इकाई का अध्ययन एक प्रतिनिधि के रूप में ही किया जा सकता है।
6. समंक केवल सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक, मनोविज्ञानिक, जीव विज्ञानी इत्यादि भी होने चाहिए।
7. वैयक्तिक अध्ययन में मुख्य रूप से गुणात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। शोधार्थी के तार्किक ज्ञान तथा अवलोकन क्षमता पर यह अधिक निर्भर करता है। गुड तथा हॉट के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन केवल एक गुणात्मक अध्ययन नहीं है।

वैयक्तिक अध्ययन के प्रमुख स्रोत – वैयक्तिक अध्ययन करने के लिए निम्न प्रमुख स्रोतों का प्रयोग किया जाता है।

1. व्यक्तिगत – डायरी, स्वजीवनी, स्मृतियाँ पत्र आदि।

2. जीवनी तथा जीवन का इतिहास अब हम संक्षेप में पाठकों से इन स्रोतों की चर्चा करेंगे।

1. व्यक्तिगत स्रोत – बहुधा लोगों की आदता होती है डायरी लिखने की इसके अतिरिक्त वे अपनी स्वजीवनी भी स्मृति के रूप में लिखते हैं। इन व्यक्तिगत स्रोतों में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख कर सकता है जिनमें वह प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत रहा हो। इन स्रोतों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पी. यंग के अनुसार, व्यक्तिगत अभिलेख अनुभवों की उस निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि करते हैं जो कि लेखक के सामाजिक संबंधों तथा जीवन दर्शन को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता तथा विषयपरक प्रोत्साहन से प्रदर्शित किया जा सकता है।

2. जीवनी – जीवनी किसी उत्तरदाता के जीवन के विभिन्न सामाजिक पहलुओं का अध्ययन होता है। जीवनी के द्वारा हमें ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों के बारिकी से अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जीवनी मात्र तथ्यों तथा अनुभवों का सम्मिश्रण होता है। किसी व्यक्ति की जीवनी लिखने के लिए एक दीर्घावधि साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। बहुधा देखने को मिलता है कि अवलोकनकर्ता, उत्तरदाता के साथ समय अधिक व्यतीत करता है। उत्तरदाता द्वारा प्रदत्ता सूचनाओं को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने के लिये यह आवश्यकत है साक्षात्कारत्तार्ग को उत्तरदाता के बारे में अतिरिव जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है।

वैयक्कि अध्ययन की विशेषतायें – उपरोक्त परिभाषाओं और विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैयक्तिक अध्ययन की कुछ विशेषताएँ भी होती है। अन्य अध्ययन पद्धतियों से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. ऐतिहासिक अध्ययन
2. व्यक्तिगत अध्ययन
3. गुणात्मक अध्ययन न कि संख्यात्मक
4. सम्पूर्ण अध्ययन
5. समस्या का गहन अध्ययन
6. एक या कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन

(1) ऐतिहासिक अध्ययन – आर्थिक समस्या का अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि निवर्तमान या भूतकाल के समय भी इस आर्थिक समस्या के कारणों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इस समस्या की जड़ कहाँ है इसका पता लगाना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि निष्कर्ष तथा सुझाव तब तक सही माने जायेंगे जब तक भूतकालीन परिस्थितियों का भी अध्ययन न किया जाय। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात–निर्यात की स्थिति का अध्ययन करना है तो स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति क्या रही और आज की स्थिति क्या है दो स्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा।

(2) व्यक्तिगत अध्ययन – शोधकर्ता इसके अन्तर्गत एक आर्थिक घटना के ही विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है इससे सम्बन्धित अन्य घटनाओं या कारकों को छोड़ देता है। इस आर्थिक घटना के विषय में क्या और कितना अध्ययन किया जाय यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है।

(3) गुणात्मक अध्ययन न कि संख्यात्मक – इस पद्धति से वर्णनात्मक शोध पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है कि प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण वर्णनात्मक ढंग से ही किया जाय इसके अन्तर्गत संख्याओं का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि शोधकर्ता किसी भी आर्थिक घटना का अध्ययन जब इस पद्धति से करता है तो जो तथ्य या सूचनाएँ प्राप्त होती हैं वह गुणात्मक ढंग से ही प्राप्त होती है न कि संख्यात्मक।

(4) सम्पूर्ण अध्ययन – इस पद्धति के अन्तर्गत आर्थिक समस्या के किसी एक पक्ष या पहलू का अध्ययन न करके बल्कि सम्पूर्ण का अध्ययन करते हैं अर्थात् एक समस्या के आर्थिक पहलू के साथ–साथ उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, भौगोलिक और धार्मिक पहलू का भी अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है समग्र का अध्ययन इस पद्धति से किया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक होती है।

1. सम्पूर्ण अध्ययन को समय की दृष्टिकोण से किया जाता है अर्थात् वर्तमान और भूतकाल में समस्या की स्थिति का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि दोनों समयों में तार्किक सम्बन्ध बना रहे।
2. सम्बन्धित प्रत्येक इकाई को वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक इकाई एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करें और सांख्यिकीय विश्लेषण सुगमता से किया जा सके।
3. समस्या से सम्बन्धित प्रत्येक इकाई के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है।
4. सूचना का क्षेत्र सीमित न रखकर बल्कि विस्तृत रखा जाता है।
5. समस्या का गहन अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत की भी आर्थिक समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है क्योंकि वर्तमान और भूतकाल में समस्या की स्थिति का अध्ययन होता है। यहाँ समय तो अधिक लगता है लेकिन कोई पक्ष अछूता नहीं रहता है। जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसमें अधिक विश्वसनीयता भी रहती है।
6. एक या कुछ आर्थिक समस्यायों का अध्ययन इस पद्धति से एक या कुछ आर्थिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाता है अनेक समस्याओं को लेकर एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है।

वैयक्तिक अध्ययन में जिस गहन अध्ययन पर बल दिया जाता है उसमें अध्ययन की इकाइयों को सीमित रखना आवश्यक है।

वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार – वैयक्तिक अध्ययन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं –

(1) व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन

(2) समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन

व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन – इस पद्धति में किसी भी आर्थिक घटना के अध्ययन के लिए उस घटना क्षेत्र में जहाँ आर्थिक घटना घटित हो रही है किसी एक का चुनाव करते हैं और उसी के द्वारा सम्पूर्ण घटना का विवरण प्राप्त करते हैं अर्थात् आर्थिक घटना उस चुने हुए प्रत्येक श्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त करता है और यहाँ तक कि उसके पूर्व अनुभवों, डायरी, पत्र इत्यादि के द्वारा भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन – इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक घटना के अध्ययन के लिए. उस घटना क्षेत्र के कुछ लोगों का चुनाव करके एक समूह बनाकर उसके द्वारा आर्थिक समस्या के बारे में शोधकर्ता सूचनाएँ प्राप्त करता है, यहाँ सावधानी यह रखनी पड़ती है कि उस समूह के अपने-अपने अलग-अलग उस समस्या के बारे में विचार होंगे। यहाँ तथ्यों का संकलन उसी प्रकार किया जाता है जैसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति।

वैयक्तिक अध्ययनों की कार्य-विधि – वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत आर्थिक घटना से सम्बन्धित तथ्यों या सूचनाओं को जब एकत्रित किया जाता है वह सूचना उस समस्याके सम्बन्ध में भूतकालीन और वर्तमानकालीन दोनों होती है। यहाँ यह सोचना की शोधकर्ता साक्षात्कार, निरीक्षण इत्यादि पद्धतियों से ही तथ्यों का संकलन करता गलत है। क्योंकि वैयक्तिक अध्ययन किंवल प्राथमिक समंकों के आधार पर ही नहीं होता है बल्कि द्वितीयक समकों का भी उपयोग किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में गहन अध्ययन किया जाता है इसलिए शोधकर्ता को नियोजित ढंग से सोच-समझ कर इसे प्रारम्भ करना चाहिए ताकि पूर्ण अध्ययन संभव हो सके।

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा शोधकर्ता को पूर्ण एवं गहन बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणालियों को अवश्य अपनाना चाहिए।

(1) समस्या का विवेचना

(1) इकाइयों का चुनाव

(2) इकाइयों के प्रकारों का निर्धारण

(3) इकाइयों की संख्या का निर्धारण

(4) विश्लेषण का क्षेत्र

(2) घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन

(3) निर्धारक अथवा प्रेरक कारक

(1) समस्या की विवेचना – आर्थिक शोध के अन्तर्गत आर्थिक घटनाओं का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से करने के पूर्व समस्या के प्रतसेक पहलुओं का विस्तृत विवेचन आवश्यक होता है क्योंकि समस्या के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है। इसी के साथ-साथ यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस आर्थिक समस्या का सम्बन्ध अन्य सामाजिक समस्याओं से कैसा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पहलुओं के साथ निम्नलिखित का भी निश्चय कर लेना चाहिए-

(1) इकाइयों का चुनाव – शोधकर्ता को सर्वप्रथम यह निश्चित करना चाहिए किक आर्थिक घटना से सम्बन्धित किन-किन पहलुओं का अध्ययन करना है। इसके लिए निदर्शन पद्धति अति आवश्यक है।

(2) इकाइयों के प्रकारों का निर्धारण – समग्र में से जो निदर्शन का चुनाव करते हैं उसमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस निदर्शन का चुनाव किया गया वह समय का प्रतिनिधित्व करें।

(3) इकाइयों की संख्या का निर्धारण – उस समग्र में से जो निदर्शन का चुनाव करते हैं प्रयास यह करना चाहिए कि निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व भी करे और उसमें संख्या कम हो. क्योंकि इस पद्धति में प्रत्येक का अलग-अलग गहन अध्ययन करना पड़ता है।

(4) विश्लेषण का क्षेत्र – समस्या के सम्बन्ध में विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि समस्या के किस पहलू को हम अधिक महत्व देते हैं और किसको क्रम यहाँ कम या अधिक का दन यह नहीं है कि किसी भी पहलू को छोड़ दिया जाता है बल्कि सभी पहलओं का गहन अध्ययन किया जाता है।

(2) घटनाओं के अनुक्रम प्रेरक कारक – समस्या के अध्ययन के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक घटना के निर्धारक अथवा प्रेरक कारकों का भी अध्ययन किया जाय। इसके अन्तर्गत उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जिनके द्वारा घटना घटित हुई जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का अध्ययन करने के पश्चात् यह आवश्यक हो गया कि उन कारकों का भी विस्तृत अध्ययन किया जाय जिनके कारण अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आयी है।

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व – किसी भी आर्थिक घटना के सूक्ष्म अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सबसे उपयोगी है क्योंकि तथ्यों और सूचनाओं का जो संकलन इस पद्धति के द्वारा किया जाता है उसमें विश्वसनीयता अधिक रहती है। शोधकार्य की पूर्णता में इस पद्धति का निम्नलिखित महत्व है।

1. **अति गहन अध्ययन** – सामाजिक शोध के अन्तर्गत जब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो आर्थिक दृष्टि से समस्या के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्यन नहीं करते हैं बल्कि अन्य पहलुओं का भी गहन अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आर्थिक समस्या का सम्बन्ध अन्य सामाजिक समस्याओं से जुड़ रहता है इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

2. **व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवृत्तियों का अध्ययन** – शोधकर्ता द्वारा यहाँ यह भी अध्ययन हो जाता है कि आर्थिक घटना से सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों या विभिन्न लोगों की क्या भावनाएँ हैं तथा उनकी मनोवृत्ति इसके प्रति क्या है? क्योंकि अलग-अलग लोगों की भावनाएँ एक ही समस्या के लिए अलग-अलग होती है। इनके अध्ययन से हम पूर्वानुमान ला सकते हैं कि भविष्य में इस आर्थिक घटना का अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

3. **अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन** – वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा हमें महत्वपूर्ण प्रपत्रों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची साक्षात्कार, निरीक्षण आदि निर्देशिका तैयार करने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म और गहन अध्ययन के लिए यह निर्देशिका आवश्यक है।

4. **व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत** – इस पद्धति में शोधकर्ता का आर्थिक घटना के अध्ययन के सम्बन्ध में व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होता है। जिसका परिणाम यह होता है कि सूक्ष्म अध्ययन आसान हो जाता है। इसी के साथ-साथ उत्तरदाताओं को भी यह अनुभव प्राप्त होता है कि किस प्रकार एक आर्थिक घटना का अध्ययन होता है और उस घटना को किन-किन

दृष्टिकोणों से देखा जाता है।

5. महत्त्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का साधन – वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण पहलुओं की भी भी जानकारी हो जाती है जिनका आर्थिक घटना से सम्बन्ध होता है और उनका अध्ययन आवश्यक है। किसी भी प्राकल्पना के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं – प्रथम सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन, द्वितीय वैयक्तिक अध्ययन इस प्रकार प्राकल्पनाओं का निर्माण इससे संभव रहता है।

6. सामग्री की सम्पूर्णता – वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से जो तथ्यों का सूचनाओं को संकलित किया जाता है वह अपने मे सम्पूर्णता लिए हुए रहती है। ऐसा अन्य किसी अध्ययन पद्धति में नहीं पाया जाता है।

7. इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन – वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत संकलित तथ्यों और सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विभाजन आसानी से कर सकते हैं कि अध्ययन के समय ही विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया गया है। इससे हम समग्र में से निदर्शन का चुनाव भी कर सकते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन तथा सांख्यिकीय विधि– वैयक्तिक अध्ययन तुलनात्मक रूप से सांख्यिकीय विधि से निम्न प्रकार भिन्न है।

1. वैयक्तिक अध्ययन सामान्य रूप में कुछ अध्ययन की ईकाईयों का गहनता से अध्ययन करता है जबकि सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत बड़ी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है।
2. वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम वर्णात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत हम परिमाणात्मक रूप में विषय के पक्षों को रखते हैं। वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम मुक्त व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि सांख्यिकीय विधि में करने के लिय स्वतंत्र होते हैं, जबकि सांख्यिकीय विधि में संरचनात्मक गठन अधिक मजबूत होता है। वैयक्तिक अध्ययन में किसी वर्गीकरण तथा विभेद के लिये पूर्व सूचनाएं एवं जानकारियों का होना आवश्यक नहीं होता।
3. वैयक्तिक अध्ययन किसी व्यक्ति, घटना अथवा समूह का गहनता से सभी पक्षों का अध्ययन करता है जबकि सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत सभी अथवा कुछ ईकाइयों के एक या दो पक्षों का ही अध्ययन किया जा सकता है।
4. वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम सामान्य रूप में निष्कर्षों पर हुँचते है जो कि हमारे सामान्य निर्णय एवं संवेदन क्षमता पर निर्भर करता है। इन निष्कर्षों पर कोई निश्चित गणितीय अथवा सांख्यिीय परीक्षण नहीं किये जाते है।
5. वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम अध्ययन की इकाई का चयन किसी निदर्शन के आधार पर न कर के इसका चयन अपनी सुविधा तथा अध्ययन की अवधि को ध्यान में रखते हुए करते हैं।
6. वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत हम किसी सामाजिक घटना के भावनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं, यह इस मान्यता पर आधारित है कि अमुक सामाजिक घटना पर किसी वर्ग के भावनात्मक पक्ष का कितना प्रभाव रहा है, किसी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक जीवन की घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है जिसे हम किसी भी तरह से उसके जीवन से अलग नहीं कर सकता।

वैयक्तिक अध्ययन तथा साक्षात्कार – अभी तक की चर्चा में पाठकों ने समझा, कि वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक अथवा दीर्घ साक्षात्कार के समान होता है जिसमें कथानक का तत्तव मौजूद होता है। यहाँ पर पाठकों से साक्षात्कार एवं वैयक्तिक अध्ययन में स्पष्ट करना आवश्यक है।

यह सभी को विदित होगा कि, वैयक्तिक अध्ययन तथा साक्षात्कार दोनों में ही वर्णनात्मक रूप से जीवन घटना अथवा उत्तरदाता की प्रतिक्रिया समझायी जाती है, परन्तु दोनों में एक प्रमुख अन्तर यह है कि वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत लिये जानी वाली इकाइयों की संख्या बहुत कम होती है।

वहीं साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन की एक विधि हो सकती है तथा अवलोकन एवं विभिन्न वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा भी वैयक्तिक अध्ययन किया जा सकता है।

साक्षात्कार के अन्तर्गत हम बड़ी संख्या की इकाईयों की प्रतिक्रिया को साक्षात्कार विधि से अध्ययन करते हैं। अत: वैयक्तिक अध्ययन साक्षात्कार से अधिक विस्तृत विधि है जिसमें इकाइयों की संख्या कम होती है, परन्तु अनेक विधियों के प्रयोग से अध्ययन किया जाता है।

प्रस्तुत लेख में शोधार्थी वैयक्तिक अध्ययन विधि के बारे में विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुड तथा हॉट (2012) – मेथडस इन सोशल रिसर्च Surjeet Publicaton, नई दिल्ली।
2. डी.एन चतुर्वी, वी सी सिन्हा – आर्थिक शोध के तत्त्व लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
3. Arthur Orhauser "Are Public Opinion Polls fair to organized Labour ? Public opinion Quartely Vol. X (19412), PP-484-500.
4. Norman C Meier and Cletus J. Burke - "Laboratory Tests of Sampling Techniques" Public opinion Quartely.
5. Deming W.Edward, "On Errors in Surveys" American Sociological Review, Vol. X (August 1944) pp 359-3129.
6. Dr. Ankita Gupta (2015) - questionnaire - Uttarakhand Open University, Haldwni Distance Learning Material
7. http://wwwdissertation.com
8. wikipedia.The area Encyclopedia
9. http://www.thejaps.org.pk

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

राजस्थान की पालनहार योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की दशा और दिशा में बदलाव का अध्ययन

डॉ. प्रेम सिंह रावलोत* कल्पित शर्मा**

* सह आचार्य (लोक प्रशासन) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत देश गाँवों का देश है। ग्रामीण संस्कृति एवं परिवेश यहाँ की मूलभूत विशेषता है तथा गाँव यहाँ सभी के हृदय में बसते हैं। वर्तमान में भारत के कई प्रदेशों में उद्योग, विकास एवं सेवाओं के प्रदाय की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करने का प्रयास जारी है। देश की कृषि से प्राप्त होने वाली सकल आय बहुत अधिक है, यद्यपि इसका सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में योगदान प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है, परन्तु ग्रामीण परिवेश आज भी कृषि पर निर्भर है तथा ग्रामवासियों का इन क्षेत्रों से इतना स्नेह है कि वे आज भी सेवाओं के लोभ में शहर जाना स्वीकार्य नहीं समझकर अपने क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, इस प्रतीक्षा में हैं।

अनुसूचित जाति व जनजाति का एक बडा तबका ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन जातियों के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोग आज भी सेवा क्षेत्र से अथवा रोजगारों से उस अनुपात में नहीं जुड पाये हैं जितने सरकार द्वारा समय–समय पर इस हेतु प्रयास किये गये हैं। इनकी आय के मूल स्त्रोत कृषि क्षेत्र, मजदूरी, विभिन्न प्रकारों की दूकानों पर काम–काज तथा भवन निर्माण के कार्यों में माल ढुलाई इत्यादि के कार्य होते हैं, जिनसे इन्हें जीवन जीने हेतु भी पर्याप्त धन नहीं मिल पाता तब जीवन स्तर में सुधार की कल्पना भी निरर्थक है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संविधान निर्माण के पश्चात् से ही निरन्तर इस सम्बन्ध में प्रयास किये जाते रहे कि किसी भी स्थिति में हमें इन जनजातियों के जीवन स्तर, सकल आय एवं इनके द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान की स्थिति में सुधार लाना होगा ताकि इन जनजातियों की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो एवं यही वृद्धि इनके जीवन स्तर में सुधार का कारण बनेगी तथा इससे जिस समावेशी संस्कृति के निर्माण की हम कल्पना करते हैं वह साकार हो सकेगी अन्यथा समाज में इनकी स्थिति अलग–थलग पड जायेगी एवं समाज विघटन की स्थितियाँ पैदा हो जायेंगी। इसी सोच के साथ आरक्षण जैसे प्रावधानों को लाया गया जिससे इन जनजातियों को रोजगार प्राप्त करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सके और पीढी दर पीढी इनकी स्थितियों में गुणात्मक सुधार आ सके।

ग्रामीण क्षेत्रों की इन जातियों में विकास की धीमी गति के पीछे एक प्रधान कारण अशिक्षा की स्थिति है क्योंकि शिक्षा के अभाव में विवेक का जन्म असंभव है और अविवेक जीवन निर्माण हेतु सही दिशा के चयन में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए शिक्षा का विकास इन क्षेत्रों में तथा इनके विकास में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है क्योंकि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इनमें यह वैचारिक शक्ति उत्पन्न होगी कि प्रगति के पथ पर कैसे बढा जाए एवं इसके मायने क्या हैं, इत्यादि।

राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में यहाँ राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थितियों पर पार पाने हेतु सन् 2004–05 में पालनहार योजना का प्रारम्भ किया गया, हालांकि उस समय योजना का विस्तार इतना नहीं था, अर्थात इसमें शामिल श्रेणियां कम ही थीं। समय के साथ–साथ योजना का विस्तार होता रहा तथा लाभ श्रेणियों को जोड़ा जाता रहा। दिसम्बर 2015–16 के पश्चात् इस योजना का अत्यधिक विस्तार किया गया एवं सभी सामाजिक श्रेणियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत 9 विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया जिससे लाभान्वितों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। वर्तमान में सिलिकोसिस बिमारी से पीडित लोगों के बच्चों को भी एक लाभार्थी पात्रता श्रेणी के रूप में इस योजना में जोडा गया है। अत: अब कुल पात्रता श्रेणियां 10 हैं।

सामान्यतया ऐसी स्थिति जिसमें महिला विधवा हो, परित्यक्ता हो, अथवा कोई दिव्यांग महिला/पुरुष हो अथवा किसी अनाथ के बच्चे हों, तब समाज उन्हें अलग–थलग कर देता है तथा उनके विकास में समाज की भूमिका शून्य होकर केवल मूल बच्चे अथवा परिवार पर ही निर्भर हो जाती है तथा ऐसे में उस परिवार का मुखिया अथवा कमाने वाले पुरुष सदस्य का काल का ग्रास बन जाना उस बच्चे एवं परिवार हेतु अभिशाप बन जाता है। शिक्षा की तो कल्पना भी दूर परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के चलते उसे मेहनत–मजदूरी से जुड़ना पड़ता है ताकि घर के सदस्यों का जीवनयापन हो सके। इस स्थिति में पला–बढ़ा बच्चा सदैव इस समाज के प्रति हीन भावना से ग्रस्त होता है और राष्ट्र के विकास में योगदान की मानसिकता से रहित होता है।

इसी समस्या के निराकरण के उद्देश्य से पालनहार योजना का निर्माण किया गया जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, नाता जाने वाली महिला, अनाथ, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, एचआईवी ग्रसित एवं आजीवन कारावासी के बच्चों को नियमित अध्ययनरत होने की स्थिति में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि एवं 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि उनके अध्ययन हेतु पालनहार को दी जायेगी साथ ही विधवा एवं नाता महिला के बच्चों के अलावा शेष बच्चों को 2000 प्रति वर्ष एकमुश्त जुलाई के माह में दिए जाएंगे। इस योजना के

क्रियान्वित होने से बच्चों की शिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक बोझ से माता-पिता अथवा पालनहार मुक्त हो गये और बच्चों को नहीं पढ़ाने के विपरीत योजना के लाभ हेतु बच्चों को विद्यालय भेज भेजा जाने लगा।

ऐसे में जो परिस्थितियाँ वज्रपात बनकर परिवार एवं उसकी संतति को निष्प्राण कर रही थीं, इस योजना के माध्यम से उन्हें नवजीवन प्रदान कर दिया और ऐसे बच्चों को समाज के भीतर ही एक गरिमामय जीवन जीते हुए अध्ययन के अवसर प्रदान किये जाने लगे। ऐसे बच्चे जो अच्छी शिक्षा से युक्त हैं, भविष्य में अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी कर सकेंगे और साथ ही जिन पिछडे क्षेत्रों से निकलकर वे उस मुकाम तक पहुंचेंगे अवश्य ही उन क्षेत्रों के प्रति आत्मीयता के चलते वे उनका भी पुनरुद्धार करने का प्रयत्न करेंगे।

पूर्व में जहाँ अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा का प्रतिशत कम होता जा रहा था और विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के बच्चों में परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु पलायन की वृत्ति बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इस योजना से केवल पलायन की स्थिति पर ही नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़ाव एवं ठहराव की स्थिति में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत शोध में हमने दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों जिनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, के बच्चों एवं इन जनजातियों पर पालनहार योजना के माध्यम से आये परिवर्तनों एवं उनकी शिक्षा में आये गुणात्मक सुधारों के आकलन करने का प्रयास किया है।

परिवार की विषम परिस्थितियों के चलते जो बच्चे अपने रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर जाते थे, उनकी संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी आकर विद्यालय के नामांकन में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जहां प्रतिमाह नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं होता, ऐसे में यह योजना नियमित आय के रूप में भी कार्य करती है।

प्रस्तुत शोध में हमने यह आंकलन करने का प्रयास भी किया है कि भविष्य में इस योजना का क्या प्रभाव इन जनजाति क्षेत्र के बच्चों पर पड़ेगा एवं क्या यह इन ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिक्षा के प्रति मानसिकता में भी बदलाव कर पाएगा या नहीं।

सन्दर्भ साहित्य का पुनरावलोकन : प्रयास एवं प्रगति, प्रशासनिक प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार पालनहार योजना का प्रारम्भ सन् 2005 में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को योजना से जोडकर किया गया था। छः माह बाद ही सभी जातियों के अनाथ बच्चों हेतु योजना का विस्तार कर दिया गया। धीरे-धीरे 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 में योजना में हुए विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से इस योजना का विस्तार होता गया एवं सभी जातियों की 9 विशेष श्रेणियाँ निर्धारित कर योजना का लाभ दिया जाने लगा। सम्पूर्ण राजस्थान में वर्तमान में इस योजना के 3 लाख से अधिक लाभान्वित हैं तथा दक्षिणी राजस्थान में इस योजना से सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर ही पडा है क्योंकि इस योजना से प्राप्त राहत के कारण वे बिना आर्थिक दबाव के शिक्षा से जुडकर अपने शैक्षिक स्तर का प्रतिदिन उन्नयन कर पा रहे हैं।

यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित अध्ययन इम्पैक्ट के शोध पत्र के अनुसार सन् 2008 में पालनहार योजना में पूरे राजस्थान में 20,000 लाभार्थी संख्या थी, जो योजना के विस्तार के साथ ही 2018 तक 2.5 लाख तक पहुँच गई, और इसके निरन्तर बढने की वृहद् संभावना है। राजस्थान में ऐसे परिवारों की संख्या अत्यधिक है जिनकी आय अत्यन्त न्यून है, और विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वे योजना के पात्र भी हैं, ऐसे में अत्यधिक लाभार्थियों को योजना से जोडे जाने की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। इससे स्पष्ट है कि कम आय प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए यह योजना एक वरदान का कार्य कर रही है।

राजस्थान स्टेट रिपोर्ट एंड टर्म इवेल्यूएशन ऑफ चाईल्ड लाईफ प्रोजेक्ट, न्यू कॉन्सेप्ट के शोध पत्र के अनुसार जितने भी कानून अथवा योजनाएँ बच्चों के क्रमिक उन्नयन एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु लाये जाते हैं उनसे निश्चित ही उनके जीवन एवं भविष्य निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पडता है। किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम, समेकित बाल सुरक्षा योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समेकित बाल विकास सेवाएँ इत्यादि ने बच्चों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। ऐसे में ऐसी योजनाएँ जो बाल सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, अनिवार्यतः इनके जीवन को और सुदृढ़ बनाने में सहायकारी सिद्ध होंगी।

सेव द चिल्ड्रन इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट 2015 एवं 2018 के अनुसार समूचे भारतवर्ष में यह नितान्त आवश्यक है कि हम बच्चों एवं उनके बचपन को बचाने का हर सम्भव प्रयत्न करें एवं उसका लाभ पंक्ति के अन्तिम बच्चे को तक मिले। इसके अनुसार बच्चों की सुरक्षा हेतु तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए- पाँच वर्ष से छोटे किसी बच्चे का चिकित्सा के अभाव में मृत्यु ना हो, बाल विवाहों का आयोजन ना हो एवं सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों से गुणात्मक दृष्टि से इन्हें जोडा जाए, जिससे भारत में बाल सुरक्षा मूर्त रूप में सिद्ध हो सके।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. पालनहार योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा स्थिति में आए परिवर्तन का आंकलन करना।
2. स्थानीय निवासियों के शिक्षा के प्रति आये विचारों में परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि: प्रस्तुत शोध की शोध प्रविधि निम्नवत् है-

अध्ययन क्षेत्र का चयन – भारत एक पारम्परिक राष्ट्र है। यहाँ रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताओं, आदर्शों एवं रूढ़ियों का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव है। जिस ग्रामीण भारत का शोध के संदर्भ में विमर्श किया है वे ऐसे क्षेत्र हैं जो विशुद्ध रुप से ग्रामीण हैं तथा इनमें रहने वाली अधिकांश जनता अनुसूचित जनजाति वर्ग की है, ऐसे में यहां पारम्परिक मानसिकता एवं अंधविश्वास से घिरे रहने की स्थिति किसी परिचय विशेष की मोहताज नहीं है।

राजस्थान राज्य के दक्षिणी जिले अनुसूचित जनजाति की गौरवमयी एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से प्राचीन काल से ही सम्बद्ध हैं तथा यहाँ ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत भी सर्वाधिक है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में विकास की यहां प्रचुर संभावनाएँ हैं क्योंकि विभिन्न नकारात्मक वृत्तियों का प्रभाव अर्थात् बाल मजदूरी, आय हेतु बाहरी क्षेत्रों में पलायन इत्यादि यहाँ अत्यधिक है। ऐसे में किसी ऐसी योजना का सरकार के द्वारा लाया जाना जिससे शिक्षा हेतु आर्थिक परिलाभों की प्राप्ति निश्चित ही इन लोगों को शिक्षा से जोड़ने का श्रेष्ठ माध्यम है।

पालनहार योजना का मूल उद्देश्य एक बालक को मानव समाज के

भीतर रहकर पढ़ने का अवसर देना, पालनहार हेतु बालक की पढ़ाई में खर्च से उत्पन्न आर्थिक दबाव को समाप्त करना, वर्ष पर्यन्त एक नियमित आय स्त्रोत के रूप में कार्य करना एवं बालक को नियमित अध्ययनरत रहने हेतु प्रोत्साहित करना है। इससे बालकों को मजदूरी एवं अन्य आय अर्जन की वृत्तियों में शामिल होने से रोककर शिक्षा से जोडना एवं उसके सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करना है।

इन अनुसूचित क्षेत्रों के परिवारों का कोई नियमित आय स्त्रोत नहीं होता जिससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवा सकें, ऐसे में इस बात का आंकलन आवश्यक हो जाता है कि पालनहार योजना से इन क्षेत्रों की जनजातियों के बालकों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, अत: हमने शोध में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया है।

प्रतिदर्श रचना – प्रस्तुत शोध में हमने दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया है। इस पंचायत समिति में प्रचुर मात्रा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या होने से लाभ प्राप्त करने वाला एक बड़ा समुदाय विद्यमान है। हमने पालनहार योजना के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के सूक्ष्म आंकलन हेतु निम्न पंचायतों का चयन उद्देश्य पूर्वक किया है:

1. ग्राम पंचायत भेखरेड
2. ग्राम पंचायत बोडीगामा
3. ग्राम पंचायत काब्जा
4. ग्राम पंचायत लेम्बाता
5. ग्राम पंचायत माल
6. ग्राम पंचायत मुंगेड
7. ग्राम पंचायत नान्दली अहाडा
8. ग्राम पंचायत निठाउवा
9. ग्राम पंचायत पचलासा छोटा
10. ग्राम पंचायत पाल निठाउवा
11. ग्राम पंचायत पिण्डावल
12. ग्राम पंचायत रीछा
13. ग्राम पंचायत साबला

आंकडों का संकलन – प्रस्तुत शोध में हमने चयनित विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न वर्षों से लाभ प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया है जिसकी अनुसूची विशिष्ट रूप से तैयार की गई है, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि इस योजना के प्रभाव से कितने अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा से जुडकर अपने बेहतर जीवन निर्माण हेतु लाभान्वित हैं।

तालिका 1 – (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

विवेचन एवं परिणाम – उक्त ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों के विस्तृत अध्ययन एवं उनके तालिका एवं पाई चार्ट निरूपण से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी बच्चों की संख्या में उन्नयन होता रहा है। ऐसे में यह तो अतिस्पष्ट है कि इस योजना से प्रतिवर्ष शिक्षा से जुडने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है अर्थात् इन जनजातियों के बच्चों का विद्यालयों में ठहराव, नामांकन की स्थिति इत्यादि प्रतिवर्ष बढ रही है जिससे इनकी बाल मजदूरी एवं पलायनवृत्ति की मानसिकता में परिवर्तन आकर शिक्षा प्राप्ति की मानसिकता जन्म लेने लगी है।

उक्त तालिकानुसार 2019-20 में लाभार्थी बच्चों की संख्या 201 थी, जो 2020-21 में बढकर 355, 2021-22 में 466 एवं 2022-23 में 524 हो गई। आंकडों से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष पालनहार योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो कि आगे भी इसी प्रकार अनवरत जारी रहने की संभावना भी है क्योंकि विभिन्न पात्रता श्रेणियों में नित नवीन व्यक्ति पात्र होते जाएंगे एवं आवेदन के माध्यम से योजना में जुडते जाएंगे। प्रतिवर्ष हो रही प्रतिशत वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि लगातार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जागरूकता में वृद्धि हुई है और राजकीय योजना का लाभ लेने के प्रति लोगों में उत्सुकता भी है जिससे सरकार भी अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो पा रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – तालिका एवं पाई चार्ट में प्रदर्शित एवं प्रतिशत के आंकडों से स्पष्ट है कि किस प्रकार पालनहार योजना इन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों एवं उनके बच्चों को प्रभावित कर रही है। पालनहार योजना द्वारा प्रदत्ता सहायता राशि से शिक्षा पर होने वाले व्यय के कारण उत्पन्न आर्थिक बोझ से अनुसूचित जनजाति परिवार आसानी से उबर जाते हैं, यद्यपि उन्हें सामान्य निर्वहन में भी सहायता मिल जाती है। ऐसे में स्पष्ट है कि यह योजना इन क्षेत्रों के बच्चों हेतु वरदान सिद्ध हुई है।

किसी भी योजना का लक्ष्य पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति तक उस योजना के लाभ को पहुँचाना होता है, यदि अधिकतम समुदाय इसका लाभ नहीं ले पाता है तो योजना का उद्देश्य विफल हो जाता है। इसीलिए योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इसका दूर-दराज के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, आँगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी इत्यादि द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे किया जाकर लोगों को योजना एवं इस हेतु आवेदन की व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए तथा आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और प्रक्रिया बोझिल ना लगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रयास एवं प्रगति, प्रशासनिक प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर 2016-17
2. Impact, “Availability And Utilisation Of Palanhar Scheme In Rajasthan Among Children Affected by HIV And Other Vulnerabilities(A Situational Analysis)”, Published by Unicef, 2012
3. New Concept, “Rajasthan State Report And Term Evaluation Of Child Life Project” Published by Unicef, 2014
4. Arora Pulkit And Mishra Aditi, “Annual Report, Save The Children” Designed by Mustard tree, 2015
5. Malik Prachi And Gandhi Jyoti, “Annual Report, Save The Children” Designed by Chaos Design Pvt. Ltd., 2017-18
6. नाथूरामका लक्ष्मीनारायण, ‘राजस्थान की अर्थव्यवस्था’ आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015
7. Centre For Unfolding Learning Potentials, “Annual Progress Report” Published by CULP, 2018

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

तालिका 1

क्र.	ग्राम पंचायत	पालनहार योजना में लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के बच्चे			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-2023
1	भेखरेड	15	42	49	54
2	बोडीगामा	10	22	24	24
3	काब्जा	15	20	21	22
4	लेम्बाता	27	52	70	78
5	मल	12	14	19	21
6	मुंगेड	16	26	36	47
7	नान्दली अहाडा	24	29	31	36
8	निठाउवा	10	16	25	26
9	पचलासा छोटा	8	8	9	9
10	पाल निठाउवा	15	37	67	80
11	पिण्डावल	6	12	13	16
12	रीछा	20	31	49	52
13	साबला	23	46	53	59
	योग	201	355	466	524

(स्त्रोत:-पोर्टल से प्राप्त आंकडे)

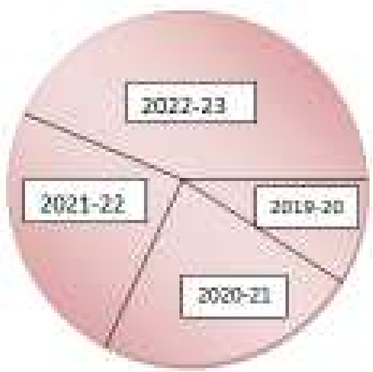

(2019-20 से 2022-23 तक लक्षित समूह के लाभान्वितों का पाई-चार्ट निरूपण)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

18 वीं एवं 19 वीं शताब्दी: वागड़ में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन

राकेश कुमार रोत*

* सहायक आचार्य, इतिहास (विद्या संबल) राजकीय महाविद्यालय, चिखली, डूंगरपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – मानव शास्त्र के अनेक अंग्रेज विद्वानों ने भारत के आदिवासियों को यहां के अन्य निवासियों से पृथकता का जीवन व्यतीत करने वाला बताया है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। घुरये के अनुसार हमारे देश में जनजातियों ने अपने पड़ोस में रहने वाली अन्य जातियों से कभी भी पृथकता का जीवन व्यतीत नहीं किया। मजूमदार और ऐयप्पन के मत में भारत की जनजातियों ने अपने क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण समुदाय की संस्कृति और भाषा को अपनाया है। उनके मत का समर्थन कुछ इतिहासकारों ने भी किया है। डी.डी. कौशाम्बी के अनुसार प्राचीन काल से ही राजाओं और जागीरदारों ने ब्राह्मणों को दान में भूमि अथवा अन्य प्रकार से प्रलोभन देकर जनजातियों क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभिक मध्यकालीन युग में प्रक्रिया जारी रही। जनजाति क्षेत्रों में बसने वाले निवासियों ने उनमें ब्राह्मण समाज के आदर्श और नियमों को प्रचलित करने का प्रयत्न किया।जनजातियों प्रतिरोध की चिंता न करते हुए भी शासकों वह बाहर से आकर उनके क्षेत्रों में बसने वाले निवासियों ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि पूर्व औपनिवेशिक काल में गैर जातियों और जनजातियों के पारस्परिक समन्वय की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रवृतियों–

(अ) मुगल शासकों और जमींदारों ने कृषक जातियों को भूमि के अधिग्रहण के लिए तथा अन्य प्रकार के प्रवासियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया।

(ब) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातीय क्षेत्र में उनके अपने राज्य से राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात में भी लोगों ने राजपूतों को उनके राज्यों को संगठित करने में सहयोग दिया था।जनजातियों के इलाकों में व्यापार के विकास के लिए मार्ग भी बनाए गए। इसके लिए वहां के कुछ वनों को साहब भी किया गया। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भी मुगल शासकों वह जमींदारों ने वनों की कटाई करने के आदेश दिये।

उक्त नीतियों के फलस्वरूप जनजातिय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के नए तरीकों का प्रादुर्भाव हुआ तथा इन के मध्य से गुजरने वाले व्यापार का भी महत्व बढ़ने लगा। आदिवासी भी वनों से एकत्र की गई सामग्री संग्रहण कर बाहर भेजने लगे। उनके व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन व व्यापार के नए तरीकों से जनजाति क्षेत्रों को बाजार व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सामंतवादी शासन ने जनजातियों में प्रचलित भूमि का सामूहिक स्वामित्व की प्रथा पर न केवल आघात किया अपितु उनके समाज में वर्गीकरण की प्रक्रिया को भी जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर मेवाड़ में ओगना,पानरवा, जावरा, जवास के भोमिया भील होते हुए भी स्वयं को राजपूत का वंशज बताने लगे। इसी प्रकार विंध्याचल पर्वत के कुछ मुख्य भील भी स्वयं को राजपूत कहने लगे।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व की स्थापना के समय भारत की विभिन्न जनजातियां पृथकता का जीवन व्यतीत नहीं कर रही थी। वे काफी समय से ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो या उनके इलाकों में बस गए थे अथवा निकटवर्ती प्रदेशों में रहते थे। लेकिन इन समुदायों को पारस्परिक संपर्क विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नहीं था।

(क) कुछ जनजातियां जैसे राज गौड़ आदि हिन्दू धर्म के अंतर्गत उच्च स्तर के माने जाते थे।

(ख) हिंदू प्रदेशों के निकट में रहने वाली जनजातियों के सदस्य जो कि, हिंदुओं के निकट संपर्क में आने के कारण हिंदू धर्म व समाज की रीतियों से अधिक प्रभावित है,

(ग) दुर्गम पहाड़ी व आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासीरू इन्होंने इस प्रकार के संपर्क का निरंतर विरोध किया है।

यद्यपि उक्त वर्गीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गैर जनजातियों का प्रभाव जनजातीय क्षेत्र में समान नहीं है। लेकिन यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वह पूर्ण रूप से हिंदू समाज में न तो लीन हुए और ना ही हिंदू व्यवस्था के एक अंग बने हैं। आज भी अनेक जनजातियों ने हिंदुओं के सामाजिक व धार्मिक जीवन के तरीकों को एक बड़ी सीमा तक नहीं अपनाया है। इसके साथ साथ वे 'संस्कृतिकरण' की प्रक्रिया, जो लंबे समय से चली आ रही है, विरोध कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में उनमें 'अस्तित्व के संकट' की भावना पैदा कर दी है और उन्हें अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता हो गई। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक ओर उन्होंने बाहरी घुसपैठ के विरोध में प्रतिरोध किया तो दूसरी और हिंदुओं आदर्शों पर अपने समुदाय में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन किये।

यह प्रतिरोध और सुधार आंदोलन काफी समय से चले आ रहे हैं। प्राचीन काल में अपने क्षेत्रों में बाहर से आकर बसने वाले निवासियों का उन्होंने विरोध किया था। मुगल काल में उन पर सत्ता स्थापित करने वाले समूहों का जिन्होंने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार किया था अथवा अपने ही समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभुत्व का प्रतिरोध किया था।

दक्षिणी राजस्थान व उसके आसपास के प्रदेशों में भील लोगों, राजपूत

शासकों का सहयोग की भावना बनी। लेकिन आमतौर पर सब स्थानों में उन्होंने अपने पर थोपी गई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं का विरोध किया। यद्यपि मध्यकालीन युग में जनजातियों के सुधार आंदोलन सशक्त नहीं हो सके किंतु फिर भी कई क्षेत्रों में उन्होंने हिंदुओं के सुधार आंदोलन के कुछ तत्वों को अपनाया।

भक्ति मत का प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर, राजस्थान की जनजातियों पर पड़ा। मध्यकालीन युग में मुंडा और जनजातियों में कबीरपंथीयो को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय में रांची के पूर्व प्रदेशों में रहने वाले मुंडाओ के कुछ परिवार वैष्णव मत के अनुयाई थे। उनके अतिरिक्त समस्त मुंडा जनजाति क्षेत्र में भी दूर-दूर तक इस मत का किसी न किसी रूप में पालन किया जाता था। छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय इस प्रदेश के भूमि जनजातियों के मुखिया हिंदुत्व के रंग में इतने रंग गए थे कि वे साधारण आदिवासी को अपने से ही हिन मानने लगे थे। दक्षिणी गुजरात में भी सूरत व उसके आसपास के प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों में भी भक्ति मत का प्रचार हो रहा था।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि आमतौर पर जनजातियों में धार्मिक व सामाजिक सुधार का कार्य करने वाले व्यक्तियों ने अपने आदर्शों की पालना करने की चेष्टा की। वस्तुत: जनजाति क्षेत्रों में हुए सुधार भक्ति आंदोलन संस्कृति की परंपराओं से प्रेरित थे।

राजस्थान व उसके निकटवर्ती प्रदेशों में भीलों के सुधार आंदोलन- यह पहले ही बताया जा चुका है कि इन प्रदेशों में रहने वाले भीलों का काफी समय से पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। अनेक जनजातियों के समान वे भी पहले आर्यों के द्वारा वनों के आंतरिक भागों में खदेडे गए और बाद में राजपूतों की विजय के समय भी कुछ हद तक इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आई। लेकिन राजपूतों ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई उन्होंने भीलो के मुखिया ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई। उन्होंने भीलों के मुखियाओं को अस्तित्व अपनी राजधानियों के पास बने रहने दिया। क्योंकि वह वनों और पहाड़ियों के आंतरिक भागों में अपनी सत्ता बनाए रखने में कठिनाइयों का अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों में भी भील मुखियाओ के अधिकारों को मान्यता दी। इसके फलस्वरूप राजपूतों व भीलो में सहयोग का एक युग आरंभ हुआ। मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल को ओगना और उदरी के बेल मुखिया का सहयोग मिला। कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भीलों को राजपूतों ने हराकर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। गुजरात में ईडर, राजपिपला रेवा काठा ने भी इसी प्रकार की नीति अपनाई गई। इस नीति का परिचय मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान के अन्य राजपूत तथा राजपीपला में एक राजा के सिहासनारोहण के समय भील मुखियाओं द्वारा उनका 'टीका' किए जाने की प्रथा में मिलता है। टाड के अनुसार राजपूतों ने 'उजले' भीलों के साथ खानपान व्यवहार भी रखा। इसके फलस्वरूप भीलों के कुछ वर्गों ने स्वयं को राजपूत का वंशज बताया। कल्याणपुर के भील स्वयं को धार के पवारे, देवपुरा मांडवा अमरपुरा के सिसोदिया बिलक के बाबाओं, कागदर के राठौड़ चौहानों के वंशज मानते हैं।

18 वीं सदी के आरंभ में दुर्लभ रामजी (1696-1736) ने वागड़ तथा निकटवर्ती प्रदेशों में भक्ति का प्रचार किया वे उनकी रचनाओं में हमें ज्ञान, भक्ति आध्यात्मिक और वैराग्य के दर्शन होते हैं साथी आराध्य देव के साक्षात दर्शन के प्रति विहहता प्रदर्शित करते हुए उनके पद अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उनके द्वारा आंचलिक भाषा में लिखे गए वागड़ में आज भी लोकप्रिय है। दुर्लभ राम के समकालीन मावजी (1714-49) के भक्ति मत का प्रचार किया। इस समय तक जाति प्रथा को कठोरता के कारण उच्च जाति के हिंदू भीलों को अपने से हिन मानते थे।राजपूतों के साथ उनके मुगल साम्राज्य के पतन के साथ राजस्थान के राजाओं की भक्ति भी कम हो गई थी इन प्रदेशों के जमींदार और अधिकारी भीलों का शोषण करने लगे हिंदू व बोहरा व्यापारी तथा साहूकार भी उनकी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे थे मराठों की घुसपैठ आरंभ हो गई। ऐसे समय में मावजी ने उनकी दशा सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाया उनके राधे कृष्ण राधे कृष्ण का रूप धारण कर रासलीला करते थे। अपने को निष्कलंक अवतार मानते थे कृष्ण के भक्त होने के साथ-साथ उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश में भी आस्था थी। प्रात: काल से लेकर रात्रि के 10:00 बजे तक अपने इष्ट देव की सेवा करते थे। अपने अपने शिष्यों को अखंड भजन करने भगवत के गुणों का आचरण करने करने का आदेश दिया मानते थे। महापुरुषों के साथ रहने से एक मनुष्य में प्रेमी भक्ति पैदा होती है गीता के निष्काम कर्मयोग को मानते थे। संसार को एक भ्रम मायाजाल संबंध थे पुनर्जन्म जगत के लिए नैतिक व्यवस्था बताते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए योग साधना भक्ति व क्रम को आवश्यक मानते थे। उन्होंने तीर्थाटन को वर्तमान आया नंबरों का विरोध करते थे उनके मत में एक मनुष्य के लिए अपनी आस्था को शुद्ध रखना आवश्यक है। यदि वहां जी ने अनिरुद्ध व्यवस्था की प्राप्ति हेतु अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए मूर्ति पूजा की किंतु सा मंत्रियों ने उन्होंने इसका विरोध किया। तप-व्रत को भी उन्होंने निरर्थक माना। उन्होंने अपने शिष्य को पाखंड से दूर रहने की शिक्षा दी। मावजी ने अंधविश्वासों को त्यागने की आवश्यकता पर बल दिया। भूत-प्रेत चुड़ैल आदि में उनका विश्वास नहीं था।

मावजी एक सामाजिक सुधारक भी थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। वह जाति प्रथा के बंधन को भी नहीं मानते थे। उन्होंने अछूतो एवं भीलो के उद्धार का कार्य आरंभ किया। वह विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने स्वयं विधवा विवाह किया। इसी प्रकार अंतरजातीय विवाह करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। मावजी अपने उपदेशों में कन्या विक्रय(दापा) का निषेध करने की सलाह दी। इसी प्रकार देवर-वेत्ता अर्थात बड़े भाई की पत्नी के साथ विवाह न करने का आदेश दिया। नाता प्रथा को उन्होंने अनावश्यक माना। उनके मत में एक पुरुष को पत्नी व्रत होना चाहिए। उन्होंने पर्दा प्रथा का खंडन किया। उन्होंने एक मनुष्य के जीवन में नैतिकता को महत्व दिया है। सादा जीवन व्यतीत करने पर जोर देते थे। धन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संचय करना निरर्थक मानते थे। मद्यपान का वे सख्त विरोध करते थे। मन, वचन व कर्म से किसी को दु:ख ना पहुंचाने तथा सदाचरण रखने मावजी ने जोर दिया। उन्होंने जनसाधारण की सेवा तथा परोपकार करने का उपदेश दिया। मानव मात्र को भाई- भाई मानते हुए उन्होंने सभी को अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। शुद्रो को भी उन्होंने मोक्ष का अधिकार माना।

मावजी ने एक शासक के कर्तव्यों की व्याख्या की। उनके अनुसार एक राजा को अपने राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे दयावान, न्याय प्रिय, ईमानदार होना चाहिए। उसे क्रोध व दुर्वचन को त्याग देना चाहिए। प्रजा की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम करना चाहिए। मानव मात्र प्राणी की सेवा करनी

चाहिए।निष्कलंक संप्रदाय के अनुयाई सादे सफेद वस्त्र पहनते हैं, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते हैं। गले में तुलसी की माला पहनते हैं। वे 'जय महाराज' कह कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। केवल गुरु ही एक मनुष्य को दीक्षा दे सकता है। वह मद्यपान नहीं करते हैं तथा मांस नहीं खाते हैं।

मावजी का मीरा, कबीर और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक काल के आरंभ में मावजी द्वारा प्रचलित संप्रदाय कुछ समय बाद अपनी लोकप्रियता खो बैठा। इसका एक कारण दक्षिणी राजस्थान व निकटवर्ती क्षेत्रों में भीलो व दलितों का मराठों पिंडारियो के आक्रमणों से त्रस्त होना था, किंतु 19वीं शताब्दी इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया गया।इस क्षेत्र के भीलो, कुम्हारों, और कुर्मीयों में इसका पुन: प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण और उच्च जातियों के कुछ सदस्यों ने भी अपनाया।यह अनुमान लगाए कि वर्तमान काल में इस संप्रदाय के लगभग कई अनुयाई है।

उन्होंने जाति प्रथा के बंधन टूटने राजतंत्र जागीरदारी प्रथा की समाप्ति, मुद्रा अवमूल्यन धातु के सिक्कों के स्थान पर प्रतीक मुद्रा के प्रचलन, ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त होने के बारे में भी जो भविष्यवाणियां की थी। वे वर्तमान काल में सत्य सिद्ध हो रही है। उन्होंने उत्तार से पलयकारी कार्य शक्ति का आगमन, पश्चिम से शांति स्थापित करने वाली शक्ति का अवतरण, भयंकर युद्ध व नरसंहार की भविष्यवाणी की थी। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को नए साथियों की स्थापना का संदेश भी दिया था।

संत सुरमल दास का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले में शामलाजी लसाडिया गांव के एक भील खराडी परिवार में हुआ था। उसका परिवार लकड़ी काट के शिकार करके जीवन निर्वाह करता था। बचपन में वे नास्तिक व क्रूर थे। युवावस्था में अपनी पत्नी के सख्त बीमार पड़ने पर उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने गांव में धोणी लगाकर भक्ति करने आरंभ किया। ऐसा विश्वास किया कि उनको चमत्कारी शक्तियां भी प्राप्त हो गई थी। शीघ्र ही उनके मत का प्रचार दक्षिणी राजस्थान व गुजरात के क्षेत्रों के भीलों में हो गया। 1877 में खेरवाड़ा में पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट हिली ट्रैक्टर्स के पद पर कार्यरत टी.ई. गोरेन अंग्रेज अधिकारी ने उनसे भेंट की। इस मुलाकात में सूरमाल दास ने डूंगरपुर में अन्य भीलो से अपने अनुयायियों की सुरक्षा करने की मांग की थी। अन्य भील उन्हें मुस्लिम मानते थे। इनके अनुयायियों की संख्या की बढ़ गई थी। गुजरात में शामलाजी से लेकर मेवाड़ के ऋषभदेव के पास होते हुए वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के हजारों से उनके द्वारा चलाए गए पंथ के शिष्य थे। उनके द्वारा चलाए गए पंथ को सूरमाल दास पंथ कहते हैं। लसाडिया में इनकी मुख्य धूणी होने के कारण इसे लसाडिया पंथ भी कहा जाता है।

सूरमाल दास ने भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने भजन, पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन आदि को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि कर्म के आधार पर एक जीव पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकता है। उन्होंने एक मनुष्य को स्वस्थ रहने तथा सादे कपड़े पहनने का आदेश दिया। नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए सुरमल दास एक आचार-संहिता बनाई। पाप, चोरी, व जीव हत्या न करनाय काम, क्रोध, अभिमान एवं माया जाल से दूर रहनाय व्यभिचार न करना शराब व मांस का प्रयोग न करना इस संहिता के प्रमुख तत्व थे। उन्होंने जीवन क्षण भगुर माना। उनके शिष्य अन्य व्यक्तियों के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। सुरमल दास एक समाज सुधारक भी थे उन्होंने दापा न लेने का आदेश दिया। कि मनुष्य में पारस्परिक सद्भावना को बढ़ावा चाहते थे। उन्होंने शांति का समर्थन किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भोगीलाल पंड्या, 'स्मृति ग्रंथ भील ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में न्यास', डूंगरपुर राजस्थान 1986
2. करुणा जोशी,'जनजाति क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2008
3. माथुर एल.पी.,'गोविंद गुरु व उनका आंदोलन', शब्द महिमा प्रकाशन, जयपुर 2005
4. जी एस घुरिये,दी शयूडूल्ड ट्राइब्स।
5. के सुरेश सिंह,'स्टेज परफॉर्मेंस इन ट्राईबल सोसायटी', जनरल ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सोसायटी,1976
6. भगवती लाल जैन, स्वतंत्रता संग्राम में भगत आंदोलन का योगदान साधु गोविंद गिरी और भगत आंदोलन1982
7. महेश चंद्र गर्ग, संत शिरोमणि मावजी महाराज वागड़ दूत डूंगरपुर,1975
8. गौरीशंकर ओझा,'डूंगरपुर राज्य का इतिहास', महाराणा मेवाड़ पब्लिकेशन, उदयपुर 2000

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

दलित विमर्श का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

राम किशन* डॉ. सुनीता**

* शोधार्थी (हिन्दी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – दलित का शब्दगत अर्थ है 'जिसका समाज में विभिन्न रूपों में दलन हुआ हो' अर्थात यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, रूप में एक ऐसा पद है जो भारतीय समाज की वर्षजेल की परिधि में निचले स्थान पर मान लिया गया। दलित भारतीय समाज में एक ऐसा समुदाय है जो ऋग्वेद के पुरुषसूक्त से ही हेय, नीच और ब्रह्म के पाँव से उत्पन्न माना गया। ब्राहमणवादी वैचारिकी ने जन्म के आधार पर ही कम समुदाय को अछूत नही माना गया बाल्क इनके शोषण को दार्शनिक – पौराणिक और धार्मिक आधार प्रदान किया गया।'दलित' शब्द आज भारतीय समाज में किसी सामान्य अर्थ को ध्वनित नहीं करता बल्कि यह समुदाय विशेष जाति विशेष या वर्ग विशेष को चिन्हित कराता है।

लक्ष्मणशास्त्री जोशी के शब्दों में 'दलित मानवीय प्रगति में सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे पीछे ढकेला गया वर्ग है। हिन्दू समाज में जिन व्यक्तियों को गाँव के बाहर रहने के लिये बाध्य किया गया और जिसमे समाज विशेषत: सवर्ण समान शारीरिक सेवाएं तो लेता रहा लेकिन जीवनावश्यक प्राथमिक जरूरतों से भी जिन्हें वंचित रखा गया और पशुओं के स्तर पर घृणित जीवन जीने के लिये बाध्य किया गया अछूत अथवा दलित हैं।'[1]

ओमप्रकाश वाल्मीकि के मतानुसार 'दलित शब्द' उस व्यक्ति के लिये प्रयोग होता है जो समान व्यवस्था के तहत सबसे निचले पायदान है, वर्ण व्यवस्था ने जिसे अछूत अन्तज्य की श्रेणी में रखा है। उसका दलन हुआ है शोषण हुआ है। इस समूह को ही संविधान में अनुसूचित जातियाँ कहा गया है।'[2]

डॉ. एन. सिंह के शब्दों में 'दलित शब्द की सीमा में केवल शूद्र ही नहीं आते, स्त्री और पिछड़ी जाति के साथ अन्य सवर्ण जातियों के वह सवर्ण लोग भी आते हैं जिनका किसी भी दशा में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण हुआ है।'[3]

दलित साहित्य का ऐतिहासिक अवलोकन करने पर हमें 'विभिन्न कालोय विभिन्न रूपों और विभिन्न धाराओं' में दलित साहित्य देखने को मिलता है। तब यह कहना उचित नहीं होगा कि यह दलित विमर्श केवल डॉ. अम्बेडकर के उदय के बाद शुरू हुआ हैअथवा मराठी से या खासकर दलित पैंथर से आया है।

यह तो हिन्दी क्षेत्र मे दलित की अधिकार चेतना के उभार का साहित्यिक परिणाम है। बौद्ध काल में स्वयं गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था पर चोट की और उन्होंने क्षत्रियों का दर्जा ब्राह्मणों से ऊंचा कर लिया था। उदाहरण के लिये उन्होने 'सुनीतिनामक' भंगी को अपने संघ में सम्मिलित करके सामाजिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी परंपरा की शुरुआत की थीं। मराठी दलित साहित्य का यही आधार रहा है अर्थात वर्णव्यवस्था का विरोधा दलित विमर्श का एक प्रमुख स्वर हैं। महामानव गौतम बुद्ध ने सवर्ण जातियों के दिलों मे दलितों के अति संवेदना के बीज बोए, जिसके फलस्वरूप बुद्ध के बाद संस्कृत के ब्राह्मण विद्वान अवबोच ने वज्रपूर्ची की रचना की। इस रचना में असमान नीति पर आधारित ब्राह्मण वर्णव्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया गया था।'

डॉ. तुलसीराम का मानना है कि 'बुद्धचरित के रचनाकार अश्वघोष पहले संस्कृत के कवि थे, जिन्होने ब्राहमण वर्णव्यवस्था पर आक्रमण करते हुए वज्रसूची नामक काव्यग्रन्थ लिखा। यद्यपि अश्वघोष ब्राहमण बौद्ध थे फिर भी मैं उनकी पुस्तक बज्रसूची को दलित साहित्य की रचना मानता हूँ।'[4]

सन् 1000 ई. के बाद सिद्ध रचनाकारों में सरहपा जैसे कवि दलित जाति से हुए हैं, जिन्होने अपनी रचनाओं में सामंती वर्णव्यवस्था का जोरदार विरोधा किया था। इसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है।

इसके उपरान्त नाथ कवियों से भी वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया था। इनका सिद्धान्त था– 'जोई– जोई पिंडे','सोई ब्रह्माडे' अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्माण्ड में है।

इसके बाद भक्तिकाल में भी अस्पृश्यों, शुद्रों और भक्त स्त्रियों की प्रभावशाली रचनाएँ मिलती हैं।

मार्क्सवादी आलोचक–**डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी** के अनुसार 'भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास हुआ था। वे विद्याध्ययन के लिये बचपन में ही वहाँ था गए थे। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपूर्ण से हुई। कांचीपूर्ण रामानुज के शूद्र गुरू थे।'[5]

भक्तिकालीन अनेक संत कवि कथित निम्न जातियों के समुदाय से थे। वे सभी निगुर्ण ब्रह्मा में विश्वास करते थे, क्योंकि उनके लिये साकार ईश्वर अर्थात मूर्तिपूजा और मंदिर प्रवेश करने तक का निषेध था। लेकिन इस भक्ति से आम जनता केजीवन में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया और न ही स्वयं संतों के जीवन में।

यह स्थितियाँ भक्तिकाल से लेकर आज भौतिकवादी युग में दलितों के लिये जस की तस बनी हुई हैं। दलितों के उच्च–शिक्षित युवक युवतियाँ बेकार घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ द्विज वर्ण के युवक युवतियाँ शिक्षित–अशिक्षित, योग्य अयोग्य शान से जीवन जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेशी शिक्षा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ दलितों के बच्चों को अपने ही देश में शिक्षा प्राप्त नहीं हो या रही है।

महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार नि:सन्देह ही दलित विमर्श के प्रेरणा स्रोत रहे है। उन्होंने 'शिक्षा रूपी मंत्र फूंक कर दलितो में चेतना जगाई। शिक्षा की महत्ता उन्होने निम्न पंक्तियों के माध्यम से दर्शाई है जो उनके चिंतन और संदेश का सार कही जा सकती है।

विद्या के अभाव में मती नष्ट हुई।
मती के अभाव में नीति नष्ट हुई।
नीति के अभाव में गति नष्ट हुई।
गति के अभाव में वित्त नष्ट हुआ।
वित्ता के अभाव सें शूद्रों का पतन हुआ।'[6]

कहा जा सकता है कि इन सब के अभाव में न केवल शुद्रों का बल्कि अस्पृश्यों का विकास भी अवरुद्ध हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले की ऊपर लिखित कविता की पंक्तियाँ 1883 ई. में किसानों का आसड़ नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना में प्रकाशित हुई थीं।

इधर **रैदास, कबीर** की परंपरा में हिंदी दलित साहित्य की शुरुआत **स्वामी अछूतानंद** से हुई। उनके बाद सन् 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा होम की कविता अछूत की शिकायत से गैर दलितों ने दलित विमर्श का आरम्भ मान लिया।

हीरा डोम से इतर अन्य दलित कवियों मे भी ढेरों कविताएं लिखी हैं जिनका इतिहास दबा पड़ा है। उदाहरण के किये उत्तर प्रदेश के निवासी स्वामी अछूतानंद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये हिंदूवादी वर्णव्यवस्था से परेशान होकर समाज सुधार हेतु घर में निकल पड़े थे और जीवन भर दलित समाज को आंदोलित करते रहे। स्वामी जी केवल इतिहास को ही नहीं दोहराते थे, बल्कि दलितों में नई चेतना व ऊर्जा भरने का कार्य भी करते थे जो उनकी निम्न पंक्तियों में स्पष्ट, दृष्टव्य है–

यदि खून में कुछ जोश हो,
ओ बेहोश कौमो जो होरा हो।
तो क्यों पडे बागोश हो,
जागो बहुत बरबाद हो।

इन्हीं दलित सामाजिक समस्याओं से घिरे एक और दलित साहित्यकार निर्धिनराम की रामायण का पता चला है। निर्धिनराम का जन्म सन् 1858 ई. में शाहाबाद जिले में जनईडीह में हुआ था। इनकी मुख्य रूप से गांधीजी से मिलने की आकांक्षा सक्रिय रही जिसका कारण गांधी जी का दलितों के प्रति उदार दृष्टिकोंण था। इन्हें उम्मीद थी कि गांधी बाबा अछूतों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकेंगे लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत निराशा ही हाथ लगी।

अन्य कवियों की श्रृंखला में स्वामी शंकरानंद, कविरत्न महात्मा बख्शी, अयोध्यानाथ ब्रह्मचारी, डॉ.पं0 मौजी लाल मौर्य आदि ने ब्राह्मण कवियों की प्रतिक्रिया में पंडित और डॉ. अम्बेडकर से प्रेरित होकर डॉ. शब्द अपने नाम के आगे जोड़े, बाद में प्राइवेट होम्योपैथिक की डिग्री भी प्राप्त की।

ये सभी साहित्यकार दलित वर्ग से हैं, लेकिन शुरू में अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों से नही जुड़े हैं। कवि संत की कविताओं पर गांधीवाद और हिंदूवाद का मिला जुला असर है। और अस्पृश्यता निवारण तथा जातीय दमन को रोकने के किये ये लोग हिंदू धर्म में सुधार करने का विचार रखते हैं तथा यह एक प्रकार से उचित भी हैं।

केरल प्रदेश में दलित और पिछडे समाज को उन्नति के किये प्रतिबद्ध नारायण गुरू और कुमारन आशान का नाम सम्मान से लिया जाता है। कुमारन आशान का जन्म ईरवा ईथा जाति में सन् 1873 ई. में हुआ था इनकी महत्वपूर्ण कृतियों मे दुरावस्था, चाण्डाल, भिक्षुणी और करुणा हैं। इनकी रचनाओं की विधि ज्ञात नहीं हो पाई। लेकिन डॉ.धर्मवीर भारती के अनुसार इनके मौलिक साहित्य का रचनाकाल सन् 1907 से लेकर 1923 तक का है। इनका '**दुरावस्था**'संग्रह समकालीन जातीय समस्याओं पर केन्द्रित है अपनी एक कविता में ब्रह्मण वर्ग को सावधान करते हुए वे कहते हैं कि–

ओवेद मार्ग के सम्मानित पुजारी
मैं तुम्हें एक सच बताने का साहस कर रहा हूँ।
यद्यपि देश, धर्म और बड़प्पन के सामने समय बदल गया है,
अब तेरी परपंरा के ताने बाने पुराने हो गए हैं।
अब मनुष्य इन कगजोर धागों में बंधे नहीं रह सकेंगे।'[7]

संक्षेप में कहा जा सकता है कि उड़िया, पंजाबी और गुजराती आदि अनेकों भाषाओं में आज स्वयं दलितों द्धारा सृजित साहित्य का उभार तीव्रतर हो चुका है। गुजरात मे सन् 1930 मे गांधीवादी–विचारधारा से प्रभावित लेखन हुआ, तो उड़िया में सन् 1945 में गोपीनाथ महंति ने हरिजन उपन्यास में अस्पृश्यता की समस्या को चित्रित किया। तात्पर्य यह है कि दलित साहित्य की प्रतिभाएं समय–समय पर उभरी और विस्मृतियों के अंधेरे में डूब गई। आज दलित साहित्य का सृजक दलित है तभी वह आमाणिक साहित्य है। अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी के दलित साहित्य का उदय बीसवीं शताब्दी के नवें तथा दसवें दशकों में हुआ और कई हिंदी दलित लेखकों को सातवें दशक में उभरे मराठी के दलित साहित्य से खासकर डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरणा मिली। हिंदी का दलित साहित्य अब अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण कर रहा है पर पिछली शताब्दियों में भी दलित साहित्य बीज रूप में विद्यमान था। भले ही वह साहित्य की मुख्य धारा न बन सका। उस बीज को लेखकों, विचारकों और समाज सुधारकों ने अंकुरित किया तथा अब वह पल्लवित–पुष्पित रूप में हमारे सामने हैं, पर अधिकांश रचनाएँ साधन सुविधाओं के अभाव में अप्रकाशित हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. महाराष्ट्र मानस : अंक अप्रैल 1990. सं. आत्माराम, पृ. 21
2. दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ. 14
3. दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, , अ. शरणकुमार लिंबाले, पृ. 31 14)
4. चितन की परंपरा और दलित साहित्य, डॉ. तुलसीराम, पृ. 60
5. हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, पृ0 14
6. हिन्दी दलित कथा साहित्य : अवधारणाएं और विधाएं, रजत रानी मीनू, पृ0 14
7. वहीं, पृ. 43

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

जल : चुनोतियों तथा संरक्षण में मानव की भूमिका

डॉ. सरोजिनी टोपनो *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – न दत्ते प्रिये मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम।

उक्त श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास थे। इसका अर्थ यह है की शाकुंतलम फूलों से इतना प्रेम करती थी, कि वह अपने श्रृंगार तक के लिए फूलों से पत्तियों को नहीं तोड़ती थी। प्रकृति एवं पर्यावरण से प्रेम और उनके मानवीय दायित्वों के निर्वहन की यह एक मिसाल हो सकती है। सुखी,शांत, एवं आपदा रहित जीवन की यह पहली शर्त है कि हम उस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करें, जिसने अपने अनमोल खजानों को खोलकर मानव जीवन को न सिर्फ सुखमय बनाया है, बल्कि उसे खुशरंग भी बनाया है। प्रकृति ने हमें सिर्फ दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं। उसने हमसे कभी प्रतिदान की अपेक्षा भी नहीं की। दूसरी तरफ हम प्रकृति को कुछ देना तो दूर, उसे संरक्षित तक नहीं रख सके।

पर्यावरण से हद दर्जे की छेड़–छाड़ का नतीजा हमारे सामने है। न सिर्फ भारत, बल्कि समूचा विश्वआज पर्यावरण असंतुलन की समस्या से जूझ रहा। प्राकृतिक संसाधन के अधिकाधिक दोहन तथा प्रकृति विरोध आचरण का ही यह नतीजा है कि आहत ने हम पर पलटवार करना शुरू कर दिया। कुदरत के कहरविविध रूपों में सामने आ रहे है। हमें चेतावनी भी दे रहे है। इसके बावजूद पर्यावरण को बचाने के लिए जो चेतना और सक्रियता हमें दिखनी चाहिए, वह सामने नहीं आ रही है। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए जो दायित्व हमें निभाने चाहिए, हम निभा नहीं पा रहे है।

आज से सौ वर्ष पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन हमें खरीदकर पानी पीना होगा, ठीक वैसे ही आज हम हवा को प्रकृति प्रदत्त देन मानते है, तो क्या भविष्य में हवा को भी खरीदकर साँस लेना होगी। अतरू आज हमें यह मान लेना चाहिए कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों का भलीभांति प्रबंधन में ही बुद्धिमान है।

जल प्रकृति – प्रदत्त अमूल्य संसाधन है जिसके बहुपयोगी महत्व के कारण इसे अमृत की संज्ञा दी जाती है। आज जल प्रबंधन इक्कीसवी सदी की सबसे बड़ी चुनोती है। हमें इस चुनोती को स्वीकार करके इसके प्रबंधन द्वारा समाधान का मार्ग ढूंढना होगा।

पिछले लगभग एक दशक से जल संकट के मुद्दे पर विश्व स्तर पर जागरूकता एवं बोध का विस्तार हुआ है। विश्व के जल संसाधनों की सुरक्षा के ध्येय से जापान के क्योटो शहर में 16 –24 मार्च 2003 में सम्पन्न वर्ल्ड वाटर फोरम के तीसरे महाधिवेशन का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इस अधिवेशन में 166 देशों के 6000 प्रतिनिधियों ने तथा विश्व के अनेक देशों के 100 से अधिक जल से सम्बंधित विभागों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में एक मत से विश्व जल सम्पदा के संरक्षा हेतु सामूहिक कार्यवाही हेतु सहमती बनी तथा जल संरक्षण की नई विधियों को विकसित करने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां है, जैसे विश्व पटल पर 71% भू – भाग पर मौजूद जल का मात्र 2.5% पिने योग्य है उसका भी केवल 1% से भी कम उपलब्ध है। विश्व की कुल आबादी के 18% भाग पर पेयजल उपलब्ध नहीं है। विश्व जल सम्मलेन के अनुसार प्रदूषित जल द्वारा 30 से अधिक बीमारियों द्वारा 62% लोग काल कवलित हो रहे है। विकासशील देशों में प्रतिवर्ष 22 लाख लोग मारे जा रहें है। भारत में 1–5 वर्ष के बच्चे प्रतिवर्ष 15 लाख मर रहे है। भारत 2050 में पानी का औसत खर्च 1168 अरब घन मी. जबकि जल उपलब्धता 1123 अरब घन मी. रहेगी। मध्यप्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर भाग जल संकट से जूझ रहा है।

इनके अतिरिक्त जनसंख्या का बढता दबाव, भौतिकवादिता, औद्योगीकरण, पर्यावरण प्रदुषण से बढता जल प्रदूषण,भूमिगत जल का घटता स्तर, कृषि, उद्योगों, पेयजल की अपर्याप्त या न्यून उपलब्धता जल प्रबंधन में चुनौतियां उत्पन्न कर रही है।

अतरू इससे पहले ही मर्ज लाइलाज हो इसके समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए। इसी क्रम में कुछ व्यावहारिक सुझावों को अपनाया जा सकता है, जैसे भूमि जल के अनियोजित दोहन को रोकता, औद्योगिक कचरे के जल स्त्रोतों में गिरने पर कठोर प्रतिबंध हों, वनों की कटाई रोककर वृक्षारोपण किया जाए, वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इनके अतिरिक्त अब समय आ गया है कि जल की फिजूल खर्ची कानूनी अपराध व सदुपयोग तथा मितव्ययता पुरस्कार का विषय बना दी जाए।

आशा है उपयुक्त सुझाव देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में आई चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेगें। यद्यपि सरकार ने इस क्षेत्र में कई बड़े कदम जैसे भारतीय जल पोर्टल (2007) तथा 37 नदियों को जोड़ने की भागीरथ योजना उठाए है। परन्तु सरकारी प्रयास के साथ जनता को भी जल का महत्त्व समझना होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब जल की एक–एक बूंद को पाने के संघर्ष में खून की नदियाँ बह रही होगी।

शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति का कोप सारे कोपों से बढकर होता है। हमने यदि इस सूत्र वाक्य पर ध्यान दिया होता, तो शायद आपदाओं के

रूप में हमें प्रकृति का यह क्रूर और विनाशकारी चेहरा न देखना पड़ता। यदि हमने संतुलन विकास को तरजीह दी होती, तो प्रकृति इस तरह कुपित न होती। हमने पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास की छलांग तो लगाई मगर अब इसके दुष्परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार रहें या समय रहते अपने आचरण में बदलाव लाकर पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सामान्य अध्ययन संस्करण : 2012 प्रोजेक्ट एडिटर- पूर्णेंदू कुमार।
2. विधिक एवं समसामयिक निबंध संस्करण - 2012 : मुकेश नाथ, हिमांशु शर्मा।
3. सामान्य अध्ययन संस्करण: 2013 - प्रोजेक्ट एडिटर- पूर्णेंदू कुमार
4. दैनिक भास्कर, उज्जैन : 26.09.13
5. दैनिक जागरण, भोपाल :28.09.13
6. सामान्य अध्ययन परीक्षा मंथन -2013-14
7. उर्जा नियंत्रण सूचना : वर्ष 2008-09-UNO
8. युनिक सामान्य अध्ययन : इलाहाबाद-2014

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

The Class Based Dichotomy and Indian Progress: A Study With Special Reference From *Untouchable* By Mulkraj Anand

Dr. Sadique Mansoori*

***Asst. Professor, Govt. Madhav Arts & Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - Millions of people in India are born with blame and a scar that they are untouchable because they belong to a particular cast. This social pandemic starts with a social differentiation and converts into the physical disability and psychological abnormality and in this way this not only goes with them till the end of their life but also paralyzes a great part of man-power of our country. The root of this concept of untouchability can be based on any hypothesis. That may be a concept of famous-ominous, high-low, pure-impure or holy-unholy. It is so deeply rooted in the Indian soil that it has engulfed every part of our life. Mulk Raj Anand's famous novel *Untouchable* is a perfect mirror which reflects the social effects of this ideology. It shows how untocuhability reduces the capacity of such persons to function in life. The novel deals with general germination of the concept of untouchability and finally becomes the voice of downtrodden against the ideology of caste system.

The present paper is a small attempt to prove *Untouchable,* a Manifesto of social pandemic through its word painting of differentiation which elaborates the pictures of shaken -foundation of democracy of our country.
Key Words: Caste system, untouchable, democracy, society, development.

Introduction - Mulk Raj Anand (1905-2004), one of the pioneers of Indian writing in English, was an Indian writer recognized for his depiction of real life portraits. His favorite corner is the lives of the oppressed, exploited, misfortuned and the poor people in the traditional Indian society. The literary career of this Indo-Anglican fictionist was launched as a result of a family tragedy arising from the rigidity of India's caste system. He then wrote twenty novels, twenty short story collections and few children stories. During the tenure, he got three important prizes. The one is International Pease Prize (1953), and the other two were Padma Bhushan (1967) and Sahitya Akademi Award (1971). His first essay was a response to the suicide of an aunt excommunicated by her family for sharing a meal with a Muslim woman. The novel selected here as a manifesto of social pandemic is *Untouchable.* It is his first novel, published in 1935. The novel is a chilling expose of the lives of India's untouchable caste which were neglected at that time.

The novel is set in the scenario of pre-independent India where the Lower caste people are bound to keep themselves confine to a life of dirty labors where as higher castes people don't like to even touch them. The protagonist of the novel is Bakha and the novel follows a single day in the life of Bakha, a young man, aged 18, who cleans latrines, set in the fictional town of Bulandshahr. Bakha is counted as an outcaste merely because he is born to a scavenger (father); His identity, thus, (by birth) is an untouchable according to the Indian social hierarchy system which divides Hindus into rigid hierarchical groups based on their karma (work) and dharma (the Hindi word for religion, but here it means duty). Bakha gives hygiene to the higher castes people (who don't like to even touch him) by cleaning their latrines in the town.

First, he cleans the toilet of an athlete named Charat Singh, who is from higher class and promises him to get hockey stick as a reward. The novel introduces the character of Sohini (Bakha's sister) who becomes the target of wrath of social superiors for drawing the water for Bakha, her thirsty and tired brother from the well.

Anand pathetically paints a word picture of a toilet-cleaner by triggering a series of humiliations then Bakha tries to search for salve to the tragedy of the destiny into which he was born, talking with a Christian missionary, listening to a speech about untouchability by Mahatma Gandhi and a subsequent conversation between two educated Indians, but by the end of the book, Anand suggests that it is technology, in the form of the newly introduced flush toilet, that may be his savior by eliminating the need for a caste of toilet cleaners.

Analysis:

"Untouchable" as a Quest for Identity: Untouchability is

a question of identity for the people who are negligible for the upper and higher classes even in today's India. The India is not alone stands here but you can see it in Nepal, Srilanka, Bangladesh and even in Pakistan. Although it is not legally defined in any of the constitution but the whole China Calls them *Tanka* People, the whole India Calls them *Dalit,* one third of Europe knows them by the name of *Romani* People and the whole Japan ridicules them by calling them *Burakumin.* B. R. Ambedkar believed that untouchability has existed at least as far back as 400 AD. It was the time when whole India was a biomass of discrimination. 70 percent of the population was reported indulged in this practice and remaining 30 percent was a sign of gender discrimination.

Domestic violence in India was like an interesting paradoxical part of pre-independent India and there was no place for basic human rights for a lady; violence, molestations and depressions were the essential parts of middle class ladies which is better portrayed in the *Untouchable* by the character of Sohini. The hypocrisy of upper caste Hindus who use to believe that the touch of an under-caste is a cause of pollution and they would be subjected to lengthy and expensive purification rituals, they reported sexually assaulted the lower castes ladies like Sohini (by grabbing her breasts while she was cleaning the lavatory.) and the whole Indian community comes under a question-mark for the identity of lower class people. The scene becomes the mouthpiece for all such ladies like sohini when a priest named Kali Nath molests Sohini's beauty in the novel. The Sohini, thus, becomes a spokesman of thousands of the ladies who is in search of their identity. They stand to the society and ask for their crushed-womanhood and their exclusion from rendering an effective contribution in social, economic, religious and political spheres.

The interrogation about their 'self' which they lost by take care of the needs and requirements of their family members is one of the major themes of the novel and points out the biggest social pandemic of our nation.

This social pandemic of untouchability during the pre-independent period was spreading through a number of systems which imposed unfavorable effects upon women. These included, child marriage, restraints were imposed upon widow remarriage, female feticides, female infanticide, purdah system, sati and polygamy. It is also the least reported and discussed. The tightly patriarchal norms and structure of traditional Indian culture, and the sharp distinction between public and private life, have made the question of domestic violence a complex and nuanced one, resulting in a long and tireless struggle for justice against the heinous practice.

"Untouchable" as a Manifesto of Caste discrimination: The Untouchable Bakha is not merely a protagonist of a novel. It leaves many questions unanswered at the end of the novel. The very first question among all is the pathetic identification of his existence. Bakha is colonized by the Indian social, political and religious system, who gave this power to all these systems to depreciate his caste? The traditional structure of the Hindu society, then answers this question with the help of *Rig Veda.* The origin of caste system is a type of the functional groupings or *varnas*, which have their origins in the Aryan society. According to the Rig Veda hymn, the different classes sprang from the four limbs of the Creator. The Creator's mouth became the Brahman priests, his two arms formed the *Rajanya (Khastriyas),* the warriors and kings, his two thighs formed the *Vaishya,* landowners and merchants, and from his feet were born the Shudra (Untouchables) artisans and servants. (Sharma 294) This hypothesis from *veda* gives this exploitation a legal consent for oppression of lower class by higher class. Thus the Brahmins adopted this system to show their superiority.

Defining caste is not as easy game. Different sociologists define it in different ways. According to Risley, "it is a collection of families or groups of families bearing a common name; claiming a common descent from a mythical ancestor, human or divine; professing to follow the same hereditary calling; and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community" (Hutton, 47).

When the Aryan tribes entered India, they wanted to maintain their superiority and hence they renamed this system as *Jati Pritha*. This small word "Jati," also spelled "jat,"spoiled the future of thousands of hindus in India. It forced the Premchand to write *Cufun* and *Sadgati*. It made the Bakha and the Lakha, the down-troddens and the untouchables. It was untochability by which the old, aged and the sick Lakha became ill-tempered, lethargic, and self-centered. He was pre-occupied with his own bread and tea. He accepted the untouchability, misery and poverty and as his destiny. He accepted that the white-skinned and higher class people are the rightful people they are made for ruling and treating themselves as super-human deities. It was not enough; the paradox completes were the manifesto of untocuhability where Lakha starts to believe that the outcastes are born to serve higher class. The novel becomes the manifesto of untouchability where Anand portrays the extreme of selfishness by the words, "I thought you were dead or something, daughter of a pig!" Lakha was shouting. "No tea, no piece of bread, and I am dying of hunger!" (Untouchable27). The lower class people, in the novel, tolerate all social evils without a single word of complain. The novel, in this way, exposes, the story of extreme servility as a consequence of thousand years of racial discrimination and caste superiority that is in vogue in India.

***'Untouchable'*s a manifesto of under developed India: The concept of untouchability is arrived from the *Manusmriti* which is one of the holy books for** reading. It is hardly any ritual of that book which can be followed by

modern India with justice. *Manu Smriti* is the basis of old Hindu Ideology. Its all laws, social systems and social orders are now old and one cannot carry them with the current and modern India. If a *Brahmin* abducts a *Shudra* girl, it is not a good fortune of the Shudra girl but a sin, as biggest as a Shudra abducts a Brahmin girl. Less than murder, no less punishment than the murder of this Shudra. The ideology of sinless murder of lower class person by higher a class person is not now a justice, but this has been accepted by people of our country for thousands of years.

Conclusion: The novel is a justified picture of a social pandemic named untouchability with all its symptoms. The writer successfully tried to depict the age-old lies of the Hindus by which they upheld discrimination. The pictures, facts and figures of the novel are so realistically horrible that the reader can feel that god will not forgive us for creating such a system on earth. The Indian reader feels guilty on the hypocrisy of his forefathers because it is difficult for him to find people more hypocrite than those whom he calls his ancestors. Sometimes he laughs at the Indian higher class people who considers wisdom, their traditional legacy, sometimes feels pity on Shudras who did not allow to even study (because if they study they can be rebellious.). Sometimes a deep sigh expresses his grief for women who were forbidden to study (because women might become rebellion if they study).

The symptoms of this disease catch fuel to fire when the customs teach women to understand that husband is God but Alas! the wife is not divine. The intelligent reader then thinks "what kind of love is this? What kind of structure? That's why if the husband dies, the wife should commit Sati, then only she was chaste. But no scripture says that if the wife dies, the husband should die with her, and then only he was a wife. No, there is no question of it.

The profound thoughts of the upper orders in pre independent India depicted in the novel are like hammer which reminds us the Karna, the sun-child in *Mahabharata* who were often noble but Dronacharya refused to educate him due to his lower class parentage. The reader can clearly listen the cry of protagonist in the novel who cries on the importance of caste. The reader also repeats this truth in a silent sigh with a dead soul.

References:-

1. Ambedkar, Bhimrao Ramji; Moon, Vasant (1990). Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Volume 7.
2. Anand. M.R.*Ubtouchable* Penguin Classic, London: 0140079203
3. Hutton, J. H. Caste in India: Its Nature, Function and Origins. Bombay: Indian Branch, Oxford UP, 1963. Print.
4. Sharma, A. (1978). The Purusasukta: Its Relation To the Caste System, *Journal of theEconomic and Social History of the Orient*, *21*(1), 294-303. TOI: https://doi.org/10.1163/156852078X00152
5. Wadikar, Shailaja B., "Silent Suffering and Agony in Mulk Raj Anand's Untouchable", in Amar Nath Prasad and Rajiv K. Malik, Indian English Poetry and Fiction: Critical Elucidations, Volume 1, New Delhi: Sarup & Sons, 2007, p. 144–155
6. Chapter 2. (n.d). Status of Women in Ancient, Medieval and Modern Period. Retrieved January 04, 2019 from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/123356/8/08_chapter2.pdf
7. Chapter II. (n.d.). Historical Position of Women under Different Periods. Retrieved January 06, 2019 from
8. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/55355/8/08_chapter%202.pdf Pandey, S. (n.d.). Property Rights of Indian Women. Retrieved January 06, 2019 from https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/1290/property-rights-of-indian-women.pdf
9. Polygamous Marriages in India. (n.d.).Retrieved January 07, 2019 from http://paa2010.princeton.edu/papers/100754
10. Shamim, A. (2010). Status of Women in the Mughal Empire during the 16th Century. Aligarh Muslim University. Retrieved January 06, 2019 from http://ir.amu.ac.in/8999/1/DS%204141.pdf
11. Status/Position of Women in Society – Pre-independence and Post-independence. (n.d.). Retrieved January 07, 2019 from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/135868/10/10_chapter%203.pdf
12. What is the status of women before independence? (n.d.). Retrieved January 07, 2019 from https://www.quora.com/What-is-the-status-of-women-before-independence

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

उदयपुर जिले में जंनाकिकीय विकास का स्वरूप : एक भौगोलिक विश्लेषण

नीलम टांक कलाल* प्रो. सुनीता सिंह**

* शोधार्थी (भूगोल) विभाग जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** पर्यवेक्षक (सेवानिवृत्त) माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के जनसंख्या व साक्षरता प्रतिशत पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में उदयपुर जिले में जनांकिकीय विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 'किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है।' प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या का विशेष महत्व होता है। इसके आधार पर ही क्षेत्र के भावी विकास की दिशा सुनिश्चित होती है। जनसंख्या भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। अत: भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है।

प्रत्येक क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन में मानवीय पक्षों का गहन अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विस्तार उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या उसकी शिक्षा व उसके कार्य पर आश्रित है।

अध्ययन क्षेत्र में जनांकिकीय विकास के विश्लेषण के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धिदर, घनत्व, साक्षरता लिंगानुपात, अनुसूचित जाति, जनजाति का विवरण व सामाजिक समस्याओं तथा संभावित निदान के बारे में अध्ययन किया गया है।

प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों का जनसंख्या के तीव्र या मंद विकास से विशेष संबंध है। अत: किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या संसाधन का अध्ययन तथा विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द –जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, समस्या एवं संभावित निदान प्रमुख है।

1. अध्ययन क्षेत्र – उदयपुर जिले की सभी तहसीलों के जनांकिकीय विकास के विश्लेषण में उदयपुर जिला प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र है। जिसमें जिले का तहसीलवार अध्ययन किया गया है। प्रमुख तहसीले निम्नानुसार है गिर्वा, सलूम्बर, लसाड़िया, सराड़ा, मावली, वल्लभनगर, गोगुन्दा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाड़ोल एवं कोटडा आदि।

2. अध्ययन के उद्देश्य – जिले की कुल जनसंख्या, घनत्व लिंगानुपात एवं साक्षरता के आधार पर जिले की तहसीलों में जनांकिकीय विकास को ज्ञात करना।

- सभी तहसीलों में न्यूनतम व अधिकतम साक्षरता वाली तहसीलों को ज्ञात कर सुझाव प्रस्तुत करना।
- साक्षरता व शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र के विकास में योगदान एवं प्रभाव का अध्ययन करना।

3. विधि तंत्र –उदयपुर जिले के जनांकिकीय विकास का विश्लेषण द्वितीय आंकड़ो द्वारा किया गया है। वर्णमात्री, वृत्तरेख, दण्डारेख, रंगविधि आदि द्वारा मानचित्र तैयार किये गये है। जिला सांख्यिकीय रूप रेखा उदयपुर से द्वितीयक आंकड़े लिये गये है।

4. उदयपुर जिले की जनसंख्या का स्वरूप – उदयपुर जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में (3068420) स्त्रीयों की कुल जनसंख्या 1501619 व कुल पुरुष जनसंख्या 1566801 तथा कुल ग्रामीण पुरुष 1251316 व स्त्रियो की 1208678 जनसंख्या रही। उपरोक्त तालिकानुसार संख्या 1 जिले की कुल जनसंख्या स्त्री एवं पुरुषों में काफी अन्तर दिखाई दे रहा है। उपरोक्त तालिकानुसार सन् 1941 में पुरुष 509204 था स्त्री 480342 योग 989546 थे। 10 वर्षीय अन्तर +159787 रहा तथा +19.26 प्रतिशत धनात्मक वृद्धि रही।

वर्ष 1941 से 2011 तक में 1981 में सबसे अधिक वृद्धि दर तालिकानुसार स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिले का कारण संयुक्त जिले राजसमन्द एवं उदयपुर को साथ दर्शाया गया है।

तालिका– 1: उदयपुर जिले की दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग	दस वर्षीय अन्तर	प्रतिशत में + वृद्धि (+) या कमी
1941	509204	480342	989546	159787	+19.26
1951	593433	569911	1163344	173798	+17.56
1961	735641	691199	1426840	263496	+22.67
1971	921733	881947	1803680	376840	+23.12
1981	1191909	1165050	2356959	553279	+30.60
1991	1066525	1019730	2086255	खंडित जिला	खंडित जिला
2001	1336004	1297308	2633312	547057	+26.22
2011	1566801	1501619	3068420	435108	+16.52

***1991 के आंकड़े खंडित जिले उदयपुर के है।**

***1941 से 1981 तक के आंकड़े संयुक्त जिले राजसमन्द और उदयपुर के दर्शाये गये है।**

नोट : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान।

तालिका– 2: उदयपुर जिले में जनसंख्या का स्वरूप (2011)

	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	1251316	1208678	2459994
नगरीय	315485	292941	608426
योग	1566801	1501619	3068420

तालिका- 3 : उदयपुर जिले के तहसीलवार जनसंख्या का स्वरूप (2011)

तहसील	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री
गिर्वा	898133	462688	435445
वल्लभनगर	271679	138834	132845
मावली	253344	128830	124574
झाड़ोल	249297	126124	123173
सलूम्बर	248337	125974	122363
सराड़ा	231209	118025	113184
कोटड़ा	230532	116764	113768
गोगुन्दा	214948	109673	105275
खेरवाड़ा	206777	105309	101468
ऋषभदेव	172935	88216	84719
लसाड़िया	91229	46364	44865

स्त्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

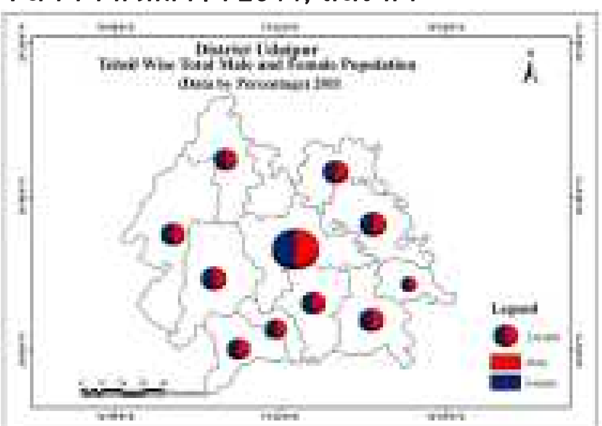

5. उदयपुर जिले की जनसंख्या तहसीलवार (2011) – उदयपुर जिले की ग्रामीण पुरुष जनसंख्या वर्ष 2011 की 1251316 तथा स्त्रीयों की 1208678 है अर्थात् (स्त्री+पुरुष) 2459994 तथा नगरीय स्त्री जनसंख्या 292941 व (स्त्री+पुरुष) योग 608426 व्यक्ति है। अत: उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011 में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या कम है पुरुष भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक तथा स्त्रियों की जनसंख्या भी ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिक है। लेकिन नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके पीछे के कारण सुस्पष्ट है रोजगार हेतु शिक्षा हेतु परिवहन व अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए लोग गांवों से निकलकर नगरों की ओर पलायन कर नगरों में स्थायी निवास बना रहे है। फिर भी दो-तिहाई जनसंख्या अभी भी गांवों में ही निवास कर रही है।

तहसीलों का कुल जनसख्या पुरुष जनसंख्या व स्त्री जनसंख्या तहसीलवार दर्शायी गयी है। तालिक – 3 के अनुसार 11 तहसीलें दर्शायी गयी है। जिसमें क्रमश: सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील गिर्वा तहसील है। जिसमें कुल 8 लाख 98 हजार 133 व्यक्ति है। गिर्वा तहसील में पुरुष जनसंख्या 462688 है तथा स्त्री जनसंख्या 435445 है। सबसे न्यूतनतम जनसंख्या लसाड़िया तहसील है। जिसकी कुल जनसंख्या 91229 पुरुष जनसंख्या 46364 तथा स्त्री जनसंख्या 44865 ही है। (तालिका – 3)

जनसंख्या घनत्व – उदयपुर जिले की सभी तहसीलों का घनत्व वर्ष 1991, वर्ष 2001 व वर्ष 2011 में अलग-अलग रहा है। समय के साथ-साथ अनेक परिवर्तन हुए कुछ तहसीलों को तोड़कर नवीन तहसीलों का निर्माण हुआ तो कही घनत्व में कमी व कहीं घनत्व में वृद्धि हुई। तालिका – 4 में 12 तहसीलों का जन घनत्व दर्शाया गया है, जिसमें अन्तिम 2 नवीन तहसीलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऋषभदेव व बड़गांव (आंकडे अप्राप्त)

वर्ष 1991 में गिर्वा तहसील का घनत्व 280 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी. 2001 में 393 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी. व 2011 में 475 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मीं गिर्वा तहसील में कुछ वृद्धि हुई है। घनत्व में कुल वृद्धि हुई है तथा अधिकतम घनत्व वाली तहसील गिर्वा रही है।

द्वितीय स्थान पर मावली तहसील का घनत्व 305 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी. (2011 वर्ष) में रहा। न्यूनतम घनत्व लसाड़ियां तहसील 75 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी घनत्व रहा। न्यूनतम घनत्व का प्रमुख कारण वहाँ पर नगरीकरण का अभाव व परिवहन चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्र का अभाव व आय का स्त्रोत नहीं होना रहा है।

उदयपुर जिले में तहसीलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व

तालिका- 4 : उदयपुर जिले में तहसीलवार जनसंख्या घनत्व 2011

क्र.सं.	तहसील	घनत्व
1	गिर्वा	475
2	मावली	305
3	वल्लभनगर	263
4	कोटड़ा	254
5	गोगुन्दा	236
6	सराड़ा	215
7	खेरवाड़ा	187
8	झाड़ोल	173
9	सलूम्बर	164
10	लसाड़िया	75
11	ऋषभदेव	NA
12	बड़गांव	NA

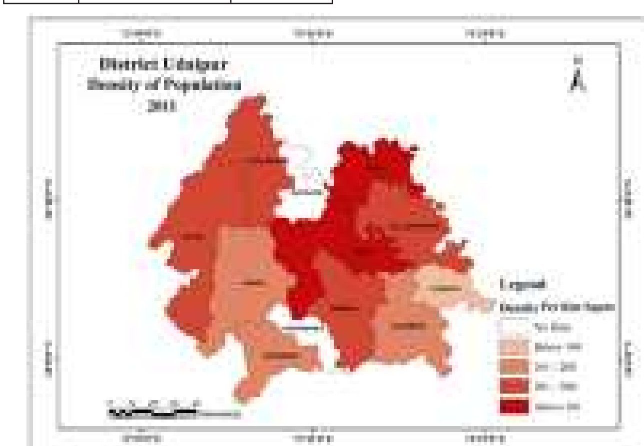

लिंगानुपात

उदयपुर जिले में लिंगानुपात का स्वरूप –लिंगानुपात से आशय प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या से है। लिंगानुपात सन् 2011 में उदयपुर जिले में ग्रामीण 966, नगरीय लिंगानुपात 929 तथा कुल योग 958 महिलायें प्रति हजार पुरुष था।

तालिका- 5: उदयपुर जिले में तहसीलवार लिंगानुपात का स्वरूप

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

तहसील	लिंगानुपात
झाड़ोल	977
कोटड़ा	974
सलूम्बर	971
लसाड़िया	968
मावली	966
खेरवाड़ा	964
ऋषभदेव	960
गोगुन्दा	960
सराड़ा	959
वल्लभनगर	957
गिर्वा	941

स्त्रोत : जनगणना प्रतिवेदन, 2011, राजस्थान

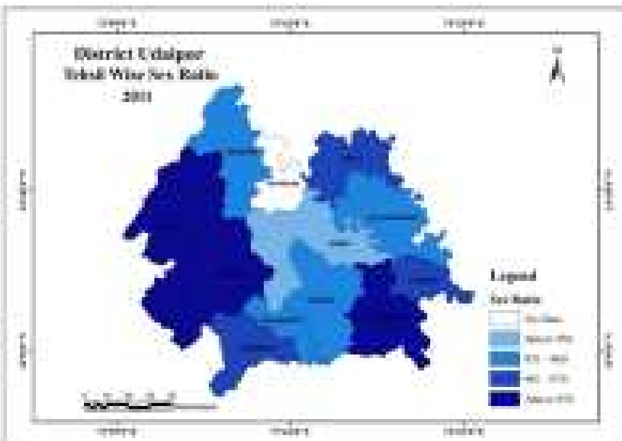

तालिका – 5 मे देखा जाए तो झाड़ोल तहसील 977 व कोटड़ा तहसील 974 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाली तहसील गिर्वा में 941 लिंगानुपात है। मानचित्र संख्या – 6 में 2011 का लिंगानुपात तहसीलवार दर्शाया गया है। गिर्वा तहसील का लिंगानुपात 950 से अधिक है। 950 से 960 के मध्य आने वाले लिंगानुपात की तहसीलों में वल्लभनगर, सराड़ा, गोगुन्दा, ऋषभदेव, तहसीलों प्रमुख है। 960 से 970 लिंगानुपात खेरवाड़ा, मावली, लसाड़िया तहसीलों में पाया गया। 970 से कम लिंगानुपात वाली तहसीलें सलूम्बर, कोटड़ा झाड़ोल तहसील है। इन तहसीलों का लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण है – शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होना। जिससे की कन्या भ्रूण हत्या, लड़का एवं लड़की में भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियाँ आदि।

साक्षरता दर – साक्षरता का अर्थ है कि साक्षर होना अर्थात् पढ़ने और लिखने क्षमता से सम्पन्न होना।

साक्षरता का महत्व – वर्तमान में साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना या शिक्षित होना ही नहीं रहा है बल्कि सफलता और जीने के लिए भी साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण है। यह लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक विकास का आधार स्तम्भ बन सकती है। साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरुक करने उद्देश्य से प्रतिवर्ष 08 सितम्बर को विश्वभर में 'अन्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जाता है। दुनिया से अशिक्षा को समाप्त करने के संकल्प के साथ आज 56वां अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है।

तालिका- 6: जनसंख्या में कुल साक्षरता का प्रतिशत (2011)

कुल			ग्रामीण			नगरीय		
औसत	पुरुष	स्त्री	औसत	पुरुष	स्त्री	औसत	पुरुष	स्त्री
58.6	73.6	43.3	51.9	68.6	35.1	85.4	92.6	77.3
61.82	74.74	48.45	54.93	69.64	39.82	87.52	93.39	81.24

तालिका- 7 : उदयपुर जिले में तहसीलवार कुल साक्षरता दर

तहसील	पुरुष (प्रतिशत)	स्त्री (प्रतिशत)	औसत
गिर्वा	86.54	67.3	77.18
खेरवाड़ा	81.11	50.27	65.89
ऋषभदेव	78.76	47.97	63.62
वल्लभनगर	77.87	46.95	62.68
मावली	76.83	46.75	61.96
सराड़ा	75.24	44.65	60.21
सलूम्बर	71.92	42.08	57.12
झाड़ोल	66.43	38.14	52.42
गोगुन्दा	66.6	35.12	51.14
लसाड़िया	48.86	21.72	35.49
कोटड़ा	36.43	16.49	26.58

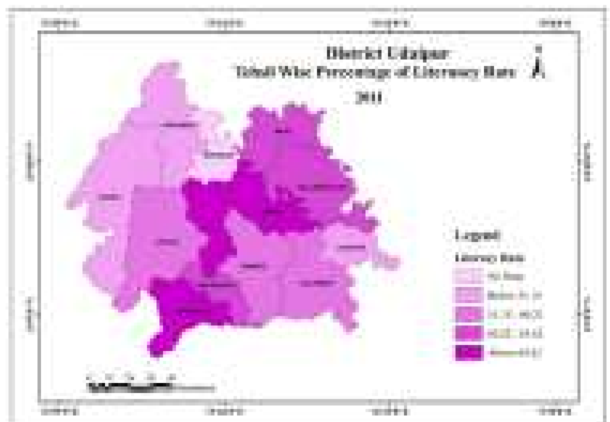

गिर्वा तहसील की अधिकतम साक्षरता दर 86.54 प्रतिशत पुरुष व स्त्री 67.3 प्रतिशत व औसत 77.18 प्रतिशत है। न्यूनतम लसाड़िया एवं कोटड़ा तहसील की साक्षरता दर है। सराड़ा तहसील की साक्षरता (60.21 प्रतिशत) है। जिसमें 75.24 प्रतिशत पुरुष साक्षरता है व महिला साक्षरता 44.65 प्रतिशत है, जो कि न्यूनतम है। सलूम्बर तहसील की साक्षरता दर कुल 57.12 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष वर्ग 71.92 प्रतिशत व महिला साक्षरता 42.08 प्रतिशत है।

महिला साक्षरता के कम होने का प्रमुख कारण विद्यालयों की कमी व महिलाओं के लिए विद्यालयों की दूरी का होना है। निर्धनता अधिक जनसंख्या के कारण साक्षरता में कमी जागरूकता की कमी आदि प्रमुख कारणों से उपरोक्त तहसीलों का साक्षरता अनुपात कम है। पूरे राजस्थान में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम दर्ज की गई है। जहां स्थिति दयनीय है। इस तहसील को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने की बहुत आवश्यकता है। ताकि आने वाले वर्षों में इस तहसील का शिक्षा की दृष्टि से सुधार हो सके। प्रत्येक व्यक्ति महिला एवं पुरुष शिक्षित हो सके। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उदयपुर जिले में जो तहसीलें जिला मुख्यालय के अधिकतम निकट है। वहाँ की साक्षरता दर से अधिक है तथा

सरकार द्धारा चलाई गई योजनाओं में बढचढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई देती है, वहीं झाड़ोल, गोगुन्दा, लसाड़िया, कोटडा तहसीलें साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में न्युनतम श्रेणी में है। उपरोक्त वर्णित कारणो को दूर करके उपरोक्त तहसीलों को भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने का प्रयास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

निष्कर्ष –उदयपुर जिले में उपरोक्त जनांकिकीय विश्लेषण के अन्तर्गत उदयपुर जिले की जनसंख्या कुल लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता जिलों की जनसंख्या के विभिन्न स्वरूपों का विश्लेषण किया गया है। 2011 में जिले का कुल घनत्व 262 प्रतिवर्ग कि.मीं. लिंगानुपात 2011 में 958 महिलाए प्रति हलार पुरुष एवं वर्ष 2011 में कुल जिले की साक्षरता दर 61.8 वर्ष 2011 में रही। जिससे यह जानने का मार्ग खुला कि किन तहसीलों में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई लिंगानुपात का स्तर कही कम व अधिक रहा तथा किन तहसीलों में साक्षरता दर बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछड़ी हुई तहसीलों की कमियों को दूर करने में इन तहसीलों के स्तर को सुधारने में उपलब्ध आंकड़ो के विश्लेषण व परिणामों द्धारा निश्चित रूप से मदद मिलेगी।पिछड़ी गई तहसीलों में कोटड़ा, गोगुन्दा व लसाड़िया प्रमुख है। जिनके उत्थान व विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये है। जो इस प्रकार है –

1. अधिक से अधिक स्कूल खोले जाये।
2. जागरूकता शिविर लगाये जाये।
3. परिवहन के साधन उपलब्ध करायें जाये।
4. महिला शिक्षा के प्रति जागृति लायी जाये।
5. सरकार N.G.O और व नागरिक मिलकर यह प्रयास करें।

जिससे कि सभी तहसीलों का उच्च स्तरीय सुधार हो और सभी तहसीलों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जिले का ही नहीं वरन् देश के साक्षरता दर अधिक से अधिक हो जिससे कि सामाजिक, आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास हो।

साथ ही साथ जो लिंगानुपात प्रस्तुत अध्ययन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वह भी कम हो सके। शिक्षा के अभाव में ही आर्थिक स्थिति कमजोर पिछड़ी हुई तथा हर क्षेत्र में पीछे रह जाते है। उन तहसीलों को भी समय के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तभी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।

सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, अपराध आदि स्वतं ही कम होने लगेगें व इन तहसीलों का आर्थिक स्तर,शिक्षा का स्तर, सामाजिक स्तर आदि में सुधार तभी संभव है। जब यहां की तहसीलों में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई तहसीलों में शिक्षा व जागरूकता की अलख जगाई जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Brunjhs J. (1993) : Human Geography Harap & Co. London.
2. Pro. Ratan lal Maru & Dr. Rajkumar Sharma : Racatical Geography Cartography – II
3. Chouhan T.S (1981) : Inpact of Drougt Hazard Among the Rural Population and Arid Environment-ACase Study of Jaisalmer district.
4. Dutta K. Sujit (1986) : Rural Structure and Its Impact on Rural life, Journal of Rural development Vol. No. 1
5. Harun Mohammad (1997) : Functional Classification of Rural Services Centres Jamal of Economic & Social Development, Vol-33
6. Nagar K.N. (1996) : Main Factor of Statistics, Meenakshi Prakashan. Meerut (U.P.)
7. Singh Sunita (2002) : Water Management in Rural & Urban Areas, I Edition Agrotech Publiching Academy, Udaipur
8. wwww.google.com/maps.ie
9. wwww.inverstrajasthan.com
10. जनगणना प्रतिवेदन, 2011

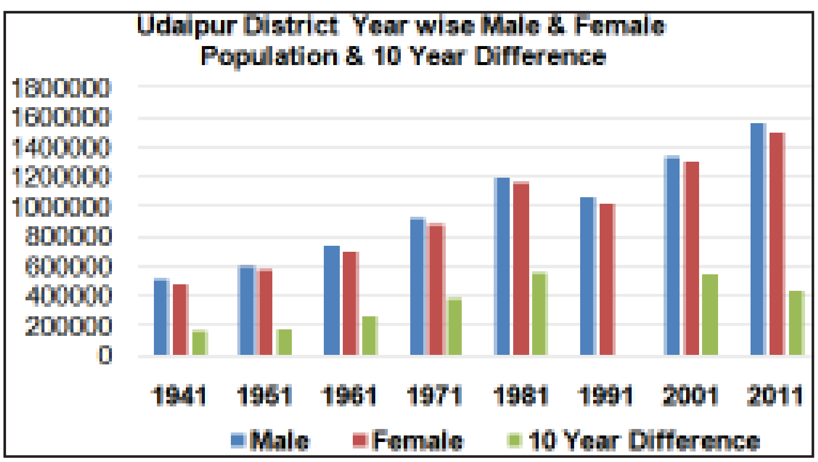

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

नई शिक्षा नीति 2020-महत्व एवं सुधार की आवश्यकता (उच्च शिक्षा के संदर्भ में)

डॉ. शिवाली शाक्या*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा न केवल नए-नए शोधों और उनके नतीजों का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका है बल्कि यह हमारे साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी वातावरण को बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में लोगों की सक्रिय भागीदारी और योगदान करने में सक्षम बनाती है। भारत देश में नवीन शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनूठा कदम है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश एवं विदेश में रोजगार को बढ़ाने पर महत्व दिया गया है। इस शिक्षी नीति मे डिजीटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी कई प्रकार के कोर्सेस को एक साथ कर सकते हैं एवं अपने लिए रोजगार को स्वयं स्थापित कर सकते है। नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों मे सृजनात्मकता को विकसित करती है। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई है जिससे कि वे अपने कार्य के साथ-साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते है।विदेशों मे अपने लिए रोजगार को भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आवश्यकता है उन्हें उचित प्रकार का प्रशिक्षण मिलने की, उनके लिए एवं उनकी योग्यता के अनुसार सही विषय को चुनने की, इसके लिए उन्हें सही प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल शिक्षा का उपयोग करने संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाना चाहिए और डिजिटल शिक्षा को सस्ता किया जाना चाहिए ताकि इसकी पहुँच सभी विद्यार्थी तक हो सके तभी नवीन शिक्षा नीति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है।

प्रस्तावना – प्रत्येक देश के विकास में वहाँ के नागरिकों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना अधिक मजबूत होगा, वह देश उतनी ही ज्यादा प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर होगा। भारत आज भी विकासशील देश बना हुआ है जिसका एक सबसे बड़ा कारण शिक्षा नीति पर ध्यान ना देना है। हमारे देश में अंतिम शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और उसमें कई बार संशोधन करने के बावजूद भी वह कमियों से भरी हुई थी। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति की एक नई शुरूआत की गई जो कि पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर और असरदार नजर जाती है। उन्होंने नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ कला, खेल-कूद, योग, बागवानी एवं शारिरिक गतिविधियों एवं डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल ,ज्ञान, आत्म विश्वास, बुद्धि एवं नैतिकता का विकास करना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, छात्रों का इस प्रकार विकास करना है जिससे कि वे उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मकता की ओर प्रेरित हो सके। विदेशों में जाकर अच्छी नौकरियाँ प्राप्त कर सके या अपने ही देश में अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस हेतु उनके पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य ,प्रषिक्षुता एवं सामाजिक जुड़ाव आदि को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्हें डिजीटल शिक्षा से भी पढ़ाना जाना अनिवार्य किया है। जिसके कारण सभी विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं एवं समय के अनुसार शिक्षा का लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं। नई शिक्षा नीति समाज एवं उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी पहल है। नई शिक्षा नीति को समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करती है जिससे वे नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा पर सके। इस प्रकार नई शिक्षा नीति डिजिटल साक्षरता, तार्किक तर्क, स्वरोजगार, समस्या समाधान एवं व्यावसायिक पथ प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन का उद्देश्य – इस शोध पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करना है एवं उच्च शिक्षा में उसके महत्व एवं प्रयोग तथा सुधारों की आवष्यकता पर प्रकाश डालना है। शोध के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-

1. नई शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा में प्रयोग एवं महत्व का अध्ययन करना।
4. नई शिक्षा नीति में सुधारों की आवश्यकता का अध्ययन करना।

अनुसंधान की विधि – यह अध्ययन पूर्णतया प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक समंकों हेतु प्रकाशित स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक आदि विधियों का उपयोग इस शोध में किया गया है। द्वितीयक समंकों को प्रकाशित शोध पत्र, पुस्तकें, शोध प्रबंध एवं पत्र एवं नई शिक्षा नीति के संबंध में प्रकाशित पत्र, पत्रिकाओं से लिया गया है।

अध्ययन का महत्व – वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष विद्यार्थियों, समाज एवं उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण रूप से काम आएंगे। वर्तमान में किया गया यह शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तो के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध शिक्षकों एवं छात्रों को नवीन शिक्षा नीति को समझने एवं उसे कार्यरूप में परिणित करने में मदद करेगा एवं समाज को जागरुक करने का प्रयास करेगा। शोधकर्ता द्वारा इस शोध के माध्यम से अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है।

नवीन शिक्षा नीति 2020 का उच्च-शिक्षा में महत्व – नवीन शिक्षा नीति स्वरोजगार एवं कौशल विकास को अधिक बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के ऑनलाईन कोर्सेस की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा नीति में अधिक लचीलापन है अर्थात् विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक विषय या रोजगार प्रेरक विषयों को भी ले सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप को अनिवार्य रूप से उनके कोर्स के साथ शामिल किया गया हैं जिससे कि उन्हें प्रेक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो सके। विषय को कॉम्बिनेशन के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है अर्थात मैथ्य-साइंस, मैथ्स-बायो, कॉमर्स-आर्ट्स कई विषयों के कॉमिनेशन लिए जा सकेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा को एक साथ पूरा करने में असमर्थ है तो वह सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स का लाभ ले सकेगा।

नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं जिससे वे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने विद्यार्थी को विषय से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थियों के लिए रिसर्च प्रोगाम भी उनके द्वारा लिए गए 4 वर्षीय कोर्सेस में शामिल किए गए हैं जो विद्यार्थी को रिसर्च करने में प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि वे रिसर्च में अपना योगदान देंगे जिसके लाभ समाज व देश को प्राप्त होगे एवं विद्यार्थी भी अपने देश व विदेश में अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे।

नवीन शिक्षा नीति 2020 में सुधार की आवश्यकता- वैसे तो नवीन शिक्षा नीति 2020 सरकार के द्वारा बहुत सोच-समझकर बनाई गई हैं परंतु फिर भी इस शिक्षा नीति में काफी सुधार की आवश्यकता है। यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी महत्व देती है। इस नीति का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा का विस्तार तो हुआ है परंतु इसका उपयोग वित्तीय साधनों की कमी होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र या गाँव में आज भी डिजीटल स्त्रोत न होने के कारण वहां के विद्यार्थी आज भी वैसे की वैसे ही है। इसके साथ ही ई-लर्निंग, वर्चुअल क्लास रूम, swayam portel, massive open online Course, E- Text book, mooc free online Course आदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। परंतु कुछ कोर्स ऐसे है जो विद्यार्थी आसानी से समझ नहीं पाता और न ही उसमे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाता है इस हेतु सरकार के द्वारा इसके लिए ऐसे प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए या प्रशिक्षण संस्थानों को बनाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उन कोर्सेस का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें कर सकें। इसके साथ ही इंटरनेट सर्विस का विस्तार होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग कर सके।

शोध-साहित्य की समीक्षा- वी. डी. डी. एस. आई. पवन कुमार एवं डॉ कोमल नागरांनी ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान अंकित किया एवं उसकी विशेषताएँ एवं कमियां बताई उन्होंने शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यचर्या आदि के बारे में यह बताया कि इन सभी पर यदि अच्छे ढंग से कार्य किया जाए तो भारतीय शिक्षा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी बढ़ जाएगा एवं सभी को रोजगार उपलब्ध होंगे।

विरेन्द्र सिंह, कुकन देवी ने भी अपनी शोध पत्र में नई शिक्षा के द्वारा भारतीय शिक्षा को ऊचाईयों पर ले जाने की बात कही। उनके द्वारा छात्रों के समग्र विकास के लिए सही शिक्षा नीति को अपनाने के बात की गई। उन्होंने साइबर सुरक्षा में शिक्षा और कौशल, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार आदि पर जोर दिया। उनके अनुसार नवीन शिक्षा की नीति का उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र से उच्च अनुसंधान एवं विकास के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त नवीन शिक्षा नीति से संबंधित कई शोध पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति भारत के लिए विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसके माध्यम से देश के नागरिकों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है परंतु कई जगह पर इसको समझना मुश्किल हो जाता है साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होने से इसका आर्थिक भार भी अधिक हो रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे नवीन शिक्षा नीति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर आर्थिक संसाधनों या पूर्ण रूप से इंटरनेट माध्यमों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही नवीन शिक्षा नीति से संबंधित सभी बिंदुओं को या उसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया जाना चाहिए जिससे कि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से छात्र बहुत सारे कोर्सेस को एक साथ कर सकता है पर उसे पर्याप्त मार्गदर्शन की जरूरत है अत: इसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वे स्वयं प्रशिक्षित होकर अपने विद्यार्थियों को उनके भविष्य से संबंधित सही विकल्प चुनने हेतु ज्ञान दे सकें या प्रोत्साहित कर सकें, तभी देश में शिक्षा का पूर्ण विकास हो सकेगा एवं देश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष- अंत में निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में, नवीन शिक्षा नीति का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। नवीन शिक्षा नीति 2020, विद्यार्थियों को संबंधित कक्षा का सिलेबस याद करके अच्छे अंक प्राप्त करने से काफी अधिक ऊपर है। इसमें विद्यार्थी अपने कौशल का प्रयोग कर रचनात्मकता को जन्म देता है विद्यार्थी स्वयं रिसर्च के लिए अभिप्रेरित होता है और शिक्षा के साथ-साथ प्रेक्टिकल अनुभव होने के कारण स्वयं के लिए रोजगार के अवसरों की तलाश करता है। नवीन शिक्षा नीति का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना और निरन्तर प्रगति करना है। लेकिन इस नीति के कुछ लक्ष्यों में स्पष्टता का अभाव एवं समाज तक पूर्ण रूप पहुँच न होने के कारण इस नीति में सुधार की आवश्यकता है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे स्वयं एवं देश के विकास ओर अग्रसर होंगे। तभी नवीन शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी एवं देश मे पूर्ण स्वरोजगार या रोजगार को स्थापित करेगी जिससे की छात्र व देश का कल्याण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत की नई शिक्षा नीति 2020- डॉ. हेमलता वर्मा, डॉ. आदर्श कुमार

2. उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि–विरेन्द्र सिंह, कुकन देवी
3. Kumar,k (2005) Quality of Education at the begininng of the 21st Century- Lesson from India.
4. www.yojna.gov.in
5. www.nationaleducationpolicy2020.com
6. https://www.education.gov.in
7. https://leverageedu.com
8. https://m.economictimes.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

राजस्थान की हिन्दी काव्य निधि में डॉ. भगवती लाल व्यास का अवदान

डॉ. निधि शर्मा*

* बी.ए., बी.एड, एम.ए.,पी.एच.डी, वेब इंजीनियरिंग, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान के साहित्य जगत् में डॉ. भगवती लाल व्यास ने अपनी वाणी और लेखनी द्वारा अमृतमयी रस सरिता प्रवाहित कर राजस्थान के काव्य सृजन को समृद्ध किया है। डॉ. व्यास राजस्थान के प्रगतिवादी कवियों में अग्रगण्य हैं।

डॉ. व्यास की कविताओं के मूल में यह शताब्दी है। यह शताब्दी जो अनेक घटनाओं, दुर्घटनाओं, परिवर्तनों, संक्रमणों और व्यापक हलचलों का केन्द्र रही है। दो विश्व युद्धों की संहारक दुर्घटनाओं ने हमारे चिंतन – दर्शन और जीवन मूल्यों को बड़ी गहराई तक प्रभावित किया है। व्यास जी की कविताएं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भयावह परिवेश की गूंज में त्रस्त व्यक्ति की यंत्रणा को उजागर करती है।

व्यास जी के काव्य का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उनकी कविताओं में जातीय गौरव की भावना, अतीत का गौरव गान, देशप्रेम की भावना, नवोत्थान की प्रेरणा, क्रान्ति की प्रेरणा, परिवेश का यथार्थ, वर्ग संघर्ष, अस्तित्व-बोध, सामाजिक – आर्थिक विषमताएं, राजनीतिक विसंगतियाँ, अपरिचय, अजनबीपन और बदलते जीवन मूल्य जैसी विघटनशील मानवीय प्रवृत्तियाँ कथ्य का मूल स्वर बनी है।

कथ्य एवं परिवेश – व्यास जी की काव्य यात्रा के विभिन्न सोपान उनके काव्य संग्रहों के माध्यम से हिन्दी पाठक जगत के समक्ष प्रस्तुत हुए है। अब तक व्यास जी के तीन कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक कविता संग्रह अप्रकाशित है। इन कविताओं में कवि ने जीवन संस्थितियाँ रेखांकित ही नहीं की बल्कि निराशा में आशा का संचार भी किया है। अपने काव्य संग्रह 'शताब्दी निरूत्तर है' में कवि ने अपनी संवेदना और अनुभूति की गहराई से वर्तमान शताब्दी के सामने अनेक ऐसे प्रश्न खड़े किये है जो चुनौती बनकर समय के सामने खड़े हो गए हैं। इसी प्रकार 'फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है' में कवि ने विभिन्न जीवन संस्थितियों को आलंबन रूप में लेते हुए समय और परिवेश की दुरभिसंधियों को उजागर किया है। इसी प्रकार 'शिखर की पीड़ा' की हर रचना में कवि का चिन्तन स्पष्ट है। पूरा संग्रह सामाजिक सोच और राजनीतिक व्यंग्य को उजागर करता है।

'मर गया वह
जो प्रश्न-अंगारों से गली-चौराहों पर
सुबह से शाम तक खेलता था।
बिंध गया एक और
प्रश्न धर्मी पुत्र ....
शताब्दी निरूत्तर है।'[1]

हिन्दी साहित्य जगत् में एक युग से भी अधिक समय से समृद्ध लेखन से जुड़े साहित्यकार डॉ. भगवती लाल व्यास की काव्य-यात्रा का परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रथम चरण में ही रचनाकार की प्रथम काव्य कृति 'शताब्दी निरूत्तर है' की प्रारंभिक 'भूमिकास्थ' की पंक्तियाँ पाठक के मन में प्रश्न उत्पन्न करती है कि यह 'शताब्दी निरूत्तर है' आखिर क्यों ?

क्या यह शताब्दी प्रश्न के मर जाने, जल जाने या बिंध जाने के दु:ख से आहत होकर निरूत्तर हो गई है अथवा इस प्रश्न की मृत्यु से बहुत पहले ही शब्दहीन हो गई अथवा इस शताब्दी ने प्रश्न-धर्मी के जीवन को किसी भी प्रकार से मान्यता न देकर उसे उत्तर देना ही न चाहा और अन्ततः इस शताब्दी के मौन से घबराकर प्रश्नधर्मी स्वयं ही अपना बहुत कुछ छोड़कर चल देता है।

वास्तव में कवि ने एक प्रश्न धर्मी बनकर अनेक प्रश्न सशक्त अभिव्यंजना के माध्यम से उजागर किये हैं जिनके उत्तर देना वर्तमान शताब्दी के लिये एक चुनौती है।

ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति – कवि, प्रारंभ से अपने मन में उठते प्रश्नों के उत्तर पहली कविता से ही देने लगते हैं। वे जानते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे को खंगाले बिना रोशनी का सौंदर्य या आनंद अधूरा है, उसी प्रकार इस शताब्दी की चुनौतियों का सामना किये बिना जीवन के सौंदर्य की अनुभूति भी अप्राप्य है। वे अपने परिवेश की चुनौतियों को महसूस करने और उन्हें परास्त करने की शक्ति भी अर्जित करना चाहते हैं। इसके लिए वे 'बाज़ीगर ईश्वर' से प्रार्थना करते हैं –

'सचमुच ईश्वर एक कुशल बाज़ीगर है
आओ, हम उससे प्रार्थना करें
कि वह हमारा दूसरा क्षण भी
पहले जितना ही समृद्ध बनायें
ताकि हम जीवन का अधिक
सौन्दर्य जी सकें।'[2]

कवि ईश्वर को बाजीगर के रूप में जानते हुए भी तलाशना चाहता है। ईश्वर मनुष्य के संस्कार का एक जरूरी हिस्सा है लेकिन कवि और पाठक दोनों ही यह जानते है कि जीवन के प्रारंभ से अब तक ईश्वर ने कभी प्रश्न धर्मी के प्रश्नों का न तो उत्तर दिया, ना उसकी चीखों को सुना, जबकि मनुष्य सदा उस अदृश्य को पुकारता रहा। सत्य तो यह है कि प्रश्नधर्मी ने अपनी व्यर्थ होती रही प्रार्थनाओं से स्वयं को हटाकर अपना अस्तित्व बनाए

रखने के लिए स्वयं अंधेरे को खंगाला है, उजाले को साधा है और मानवीय सौंदर्य को अनुभूत किया है।

कवि सिर्फ प्रार्थना कर सकता है ईश्वर से, क्योंकि अब भी उसे ईश्वर में आस्था है। वह कहता है :–

'दरअसल हमने
सोचने की शुरूआत ही गलत की थी
कि हम काट लेंगे हिमालय को
बघनखों से
X X X X
पर वे किसी का अग्निकवच
नहीं बन सकते
X X X X
इस बार प्रहलाद के लिए
प्रार्थना करो
सिर्फ प्रार्थना ....।'[3]

कवि उस निराकार, ग्रहणातीत ईश्वर को पाना चाहता है। वह चाहता है कि ईश्वर जल बन जाए क्योंकि वह शब्दों की आर्द्रता में आकंठ डूबकर ईश्वर को पाना चाहता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है –

'मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ
और वह भी शब्द से
जो मेरे भीतर और
मेरे चारों ओर
वायु की तरह व्याप्त
क्या तुम वायु नहीं बन सकते
मेरे लिए। शब्द के लिए।'[4]

कवि ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखते हुए कहता है कि इस व्यर्थ जैवी व्यापार में ईश्वर कहीं खो गया है। आज कवि अपना सारा अहम् अन्धकार के हवाले कर उस ईश्वर को खोजने निकल पड़ता है –

'मुझे क्षमा करना दोस्तों !
प्रकाश की साक्षी में
दुबारा ईश्वर की तलाश
कम से कम मेरे लिए
सम्भव न थी।'[5]

इस शताब्दी और अपने परिवेश के प्रति आक्रोश तथा ईश्वर के प्रति आस्था को कवि ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है –

'सहम गया समुद्र
टूट गई जड़ता
पत्थर की प्रभुता
अपने सम्पूर्ण विराट को
X X X X
जल जब बहरा हो जाता है
पत्थर ही सुनते हैं
प्रार्थना ?'[6]

ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हुए कवि कहता है कि वह सब जगह व्याप्त है। उसके होने के अहसास मात्र से मैं और तुम सभी गौण हो जाते हैं। ईश्वर को कवि ने सर्वव्यापी तीसरा आदमी माना है, जो –

'हमारे पाप–पुण्य, धर्म–अधर्म
कर्म–कुकर्म सब में एक सा
और हम इसकी मौजूदगी से
बेखबर चीजों को
नितान्त वैयक्तिक समझ लेते हैं।'[7]

पाखंड और प्रदर्शनप्रियता की अभिव्यक्ति – आज आस्था के नाम पर जो लोग अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं उन्हें कवि ने चेतावनी देते हुए कहा है –

'कि कहीं इतिहास को आस्था
के नाम पर
राख से समझौता न करना पड़े ....।'[8]

कवि ईश्वर और धर्म नाम का व्यापार करने वाले पाखण्डी लोगों को चेतावनी देते हुए उन्हें विवेक से जीने की सलाह देते हैं –

'धर्मग्रन्थ को आइने की तरह
मत पकड़ो
इसमें कोई चेहरा
नजर नहीं आएगा
अलबत्ता तुम्हारी पकड़ से
यह धर्मग्रन्थ
'धर्म ग्रन्थि' बन जाएगा।'[9]

कवि दुनिया के समस्त पाखंड और प्रदर्शन से परे अपनी भावनाओं में डूबकर ईश्वर को पूजता है। उसकी आस्था सबसे अलग है। वह कहता है –

'मैं न उस भगवान का कायल
कि जो विश्वास का व्यापार करता हो, ...
मैं न उस ईमान का कायल
कि जो पराए त्याग से श्रृंगार करता हो,
किन्तु फिर भी आस्तिक हूँ।'[10]

मनुष्य के जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति – कवि की दृष्टि में जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य हैं। कोई भी मनुष्य इस जीवनचक्र से बच नहीं सकता है। कवि इस सत्य के प्रति मनुष्य को आगाह करते हुए कहता है कि –

'पर सत्य इन सब हरकतों से नहीं मरता,
वह सजायाफ्ता की तरह ही सही,
टंका रहता है
हर दीवार पर, सूली पर या
और कहीं।'[11]

कवि कहता है कि आज मनुष्य केवल समय की धार में बहता जा रहा है। वह जीवन पथ पर अकेला, मौन चलता जा रहा है। जिन्दगी की आपाधापी और निरूद्देश्य दौड़ में वह जीवन के अन्तिम पड़ाव तक कब पहुँच जाता है उसे एहसास ही नहीं होता। मृत्यु के इतने करीब पहुँचे हुए इंसान को जीवन के सारे उपादान व्यर्थ लगने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने चारों और सुरक्षा–कवच बनाना चाहता है –

'क्योंकि हम नहीं जानते कि
हमारे जीवन का क्या अर्थ है ?
काश हम यह ही जान पाते
कि हमारी मृत्यु का क्या अर्थ है ?
और न हम जीवन और मृत्यु के

मसले पर सोचना चाहते हैं।'[12]

जहाँ एक ओर भगवती लाल व्यास जी ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था भाव रखते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यास जी की आस्था और जुड़ाव आज के आदमी के प्रति है। जीवन का सत्य, इसी आदमी के यथार्थ और संघर्ष के माध्यम से कवि ने अपनी कविताओं में अभिव्यंजित किया है।

व्यास जी ने अपनी कविताओं में विभिन्न जीवन संस्थितियों में से उन क्षणों को रेखांकित किया है, जिसमें आदमी अपने आपको अकेला और निरूपाय पाता है। 'शिखर की पीड़ा' काव्य-संग्रह की पहली कविता ही इसका प्रमाण है, जब वे कहते हैं -

'चालीस बरस तक बँटी गई
रस्सी एक ही झटके में टूट गई।'[13]

कविता की सारी पृष्ठभूमि 'चालीस बरस' के माध्यम से उद्घाटित हो जाती है, जबकि यएक ही झटके में टूट गई' से उसका खोखलापन उजागर होता है।

आज आदमी का अस्तित्व समय के हाथों चींथ गया है। आदमी का आदमी होना, कवि ने बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है कि -

'सलीब पर
आदमी कभी नहीं लटकता महरबान।
लटकता है एक क्षण-विशेष
जिसमें आदमी
अहसासता है कि वह आदमी है।'[14]

ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता गया है, त्यों-त्यों हमारे समाज ने, संस्कृति ने अपनी बनाई हुई असभ्यता को ओढ़ा है। निरन्तर सभ्य होते जाने के भ्रम ने आदमी को मात्र संघर्ष ही दिया है। आज आदमी पुनः आदिम सभ्यता में जाने की याचना करता है-

'फिर असभ्य हो जाने दो
किसी नई संस्कृति का
जन्म-दिन
अपने आदिम उल्लास में
मनाने के लिए।'[15]

समाज में चारों ओर सामाजिक आर्थिक विषमता के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। समाज का पूरा का पूरा एक वर्ग भूख और प्यास सहता है, गर्मी और ठण्ड का सहते हुए भी चुप रहने को विवश है, क्योंकि यदि कोई व्यवस्था के विरूद्ध बोलता है तो वह असभ्य माना जाता है। कवि द्वारा रचित ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं -

'भाई अब तो सहा नहीं जाता है'
और वह सब कहा
जो खुली चौपाल पर कहा नहीं जाता है
लोगों की राय में
वह बड़ा असभ्य था ।'[16]

व्यास जी की कविताओं के माध्यम से परिवेश की विद्रूपताएँ और उनसे आहत आदमी का संघर्ष मुखरित हुआ है। आज के परिवेश का संघर्षरत आदमी बसन्त से भी ईर्ष्या करता है। उसे बसन्त का हँसाना और हँसना, खिलखिलाते रहना और रस बरसाना पसन्द नहीं है। वह चाहता है कि बसन्त भी उसकी तरह कुढ़न और झुंझलाहट महसूस करे । अपनी परिस्थितियों से आहत आदमी बसन्त से खास से आम बन जाने की बात करते हुए, उससे चाहता है कि -

'कभी बस में
लटकते हुए कारखाने जाओ
कभी आटे - दाल नमक से
लदे - फंदे घर आओ
कभी बिल जमा कराने
लाइन में लग जाओ
कभी देर से पहुँचने पर
अफसर की डांट खाओ।'[17]

इसी प्रकार कवि कहता है कि आज परिवेश उतना विद्रूप हो चुका है कि आदमी को तोड़ने के लिए किसी युद्ध या हथियार की जरूरत नहीं होती -

'आदमी को जब टूटना होता है
तब उसके लिए काफी होता है
भरे बसन्त में कोई उदास फूल
या हवा का बिलकुल
उसके पास से
उसे बिना पहचाने हुए
गुज़र जाना।'[18]

कवि कहता है कि जीवन के लिए, परिवार के लिए संघर्ष करता हुआ आदमी जब स्वयं को जीवन - यात्रा में अकेला और साधनविहीन मानने लगता हैं तो वह एक हिंसक जीव की शक्ल धारण करता प्रतीत होता है। उसका जीवन संघर्ष, उसकी जिजीविषा उसे नोचने लगते हैं -

'अपने पंजों की गिरफ्त में
हवा नहीं, स्वयं उसका ही गला है।
इस अहसास के बाद
उसकी अंगुलियों में चटखन तक
शेष नहीं रहती ।'[19]

मनुष्य का जिन्दगी के लिये यह संघर्ष उसे बसन्त की ताजा हवा का आनन्द लेने का अवकाश कहाँ देता है ? वह केवल बसन्त के अहसास के सहारे वर्षों से बसन्त को बसन्त मान रहे हैं। शायद हवाखोरी सेहत के लिए फायदेमंद है -

'मगर हमारी मजबूरी यह है
कि रोटी और धुआँ
एक साथ मिलते हैं हमें
चुनाव की आज़ादी के बिना।'[20]

बसन्त की हवा नहीं बल्कि भट्टियों से निकलता धुआँ ही इनके पेट की आग बुझाने के लिए जरूरी है।

निराशा में आशा के संचार की अभिव्यक्ति - कवि ने अपनी कविताओं में जीवन - संस्थितियाँ मात्र रेखांकित ही नहीं की हैं अपितु निराशा में आशा का संचार करने का प्रयास किया है। निराशा में आशा की अनुगूंज देखी - सुनी है। जब कवि कहता है -

'अच्छा ही हुआ तुम्हारा
समुद्र मंथन से पूर्व टूट जाना
अब फिर से मैं निश्चिन्त होकर
नई रस्सी तो बंट सकता हूँ।'[21]

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

डॉ. व्यास नग्न यथार्थ के वीभत्स रूप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके समाधान भी प्रस्तुत करते है, जनमानस को विश्वास भी बँधाते हैं, उन्हें आशान्वित भी रखते हैं। इस प्रकार व्यास जी प्रगतिवादी कवियों की तरह कविता की इति मात्र यथार्थ को उजागर कर ही नहीं कर देते हैं। कवि की इसी विशेषता का उदाहरण दृष्टव्य है –

'तुम्हारी मिचमिची आँख में ही
बचेगा स्वप्न बीज
आँख बन्द मत करना पखेरूओं।'[22]

इसी क्रम में कवि आगे कहता है –

'अस्तित्व के प्रश्न से
बड़ा है हमारे लिए
आस्था का प्रश्न'[23]

कवि के आशावाद का एक और उदाहरण दृष्टव्य है –

'मेरी चिन्ता यह है कि
मेरी बिरादरी वालों को
तनकर चलना नसीब हो
इस पगडण्डी पर'[24]

कवि कहता है कि जब चारों ओर अंधेरा हो ही गया है तब उजाले के गीत गाने से कुछ नहीं होगा और ना ही अंधेरे के जाने की प्रतीक्षा करना सार्थक है। ऐसे निराशा भरे समय में मन में आशा भरकर, न छल से, न शब्द से बल्कि अपनी अक्ल से काम लेने का सुझाव देते हुए कवि कहता है कि –

'और चल पड़ें
इसी अंधेरे में उन जगहों की ओर
जहाँ उजाला कैद है
किसी काले लबादे में'[25]

ताकि अंधेरे के स्वभाव को पहचान सकें और उसे नष्ट करने प्रयत्न कर सकें।

कवि जानता है कि रक्त और पानी की प्रजाति तय करने में अंधेरा गलती कर सकता है, लेकिन सूर्य का तेज नहीं और उसे आशा है कि वह सूर्य शीघ्र ही उदय होगा–

'मैं निराश नहीं हूँ
इतने अंधेरों के बावजूद
इन्हीं में कहीं पल रहा होगा
वह उद्दाम सूर्य।'[26]

चाहे इस सदी ने इस समय में हमारे परिवेश को विसंगत और जहरीला बना दिया है फिर भी कवि को आशा है कि कहीं न कहीं प्रेम और सौहार्द का भाव अब भी शेष है। पुन: समाज को जोड़ने की आकांक्षा फिर भी है। कवि का मंतव्य देखिए–

'रेत में ही सही –
बनाते हैं पास–पास घर
और नहीं लगाते हैं उनमें द्वार
शायद है शेष अभी
मनुष्य में मनुष्य का प्यार।'[27]

समाज की विसंगतियों का चित्रण – कवि समाज की विसंगतियो को उजागर करना ही अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता बल्कि उसका मन इन विसंगतियों को तोड़ने को व्यग्र है। वह व्यथित होकर आज के बालक से कहता है–

'मुन्ने तुम इस गली में,
ज्यादा देर कभी मत टिकना'[28]

कवि की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए गली और ज्यादा देर पर्याप्त है। वह परिवर्तन चाहता है। अब आदमी परिवेश के शर्तनामे या विकृत समाज व्याकरण के बोझ तले दबकर नहीं जीना चाहता। आज वह अपने मन के अनुसार स्वतंत्र होकर जीना चाहता है–

'क्षमा करना
मैं तुम्हारी आँखों को अच्छा
नहीं लगना चाहता
अलबत्ता मैं कोशिश
करूँगा कि अपनी ही
आँखो को अच्छा
लगता रहूँ।'[29]

समाज और तंत्र की विद्रूपताओं को ललकारता हुआ कवि का मन, यथार्थ को चेतावनी देते हुए कहता है कि –

'आज़ादी का गलत अर्थ समझाने वाले पोस्टरों
कल की हवा कहीं
तुम्हारी चिन्दियां न उछालती फिरें।
क्योंकि बच्चे अब जवान हो गए हैं।'[30]

कवि अपने परिवेश के प्रति बहुत आस्थावान है। वह हर क्षण के प्रति चिन्तित है, क्योंकि उसके लिए क्षण की चिंता ही भविष्य की अर्थवत्ता है। वह कहता है–

'आखिर क्षण की भी तो
अपनी सत्ता है
और यही भविष्य की
अर्थवत्ता है।'[31]

क्षण में जीता और क्षण की चिन्ता करता हुआ कवि दार्शनिक की भाँति सोचने लगता है और कहता है–

'स्व से पर के बीच
ही तो है यह लोक
x x x x
द्वेत के मिटते ही
सारे भय तिरोहीत हो जाते हैं।'[32]

कवि की इस चिन्ता और आशा में कहीं–कहीं करूणा के भी दर्शन होते हैं। कवि का उद्वेलित मन निर्झर की तरह सामाजिक स्थितियों पर पसीज उठता है और वह कहता है–

'हे भगवान,
दरख्तों को जल्दी–जल्दी
बड़ा करो
ताकि उन लोगों को भी गरमास नसीब हो जो
निपट आकाश के नीचे
सोते हैं।'[33]

राष्ट्र के प्रति प्रेम और गौरव की अभिव्यक्ति – कवि को अपने राष्ट्र पर गर्व है, अपनी जन्मभूमि से प्रेम है। वह भारत को सनातन सूर्योदय का देश कहता है। यहाँ अनेक लीला पुरूषों ने जन्म लिया है। कवि मनुष्य को

भाग्यशाली मानते हुए कहता है कि तुम भारत में जन्में हो यह तुम्हारा पुण्य है-

'मनुपुत्र !
यह तुम्हारा सुकृत है कि
तुम वहाँ जनमे हो
जहाँ आकाश आँख से काफी बड़ा है।
जहाँ मील के हर पत्थर पर
'वसुधैव कुटुम्बकम्' लिखा मिलता है।'[34]

कवि का मन यहाँ भी अपने राष्ट्र गौरव के प्रति चिन्तित हो उठता है। वह कहता है क्यों आज भारतवासी सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को भूलता जा रहा है? क्यों वह निरन्तर अनैतिकता के चक्रव्यूह में फँसकर हमारे देश के पवित्र नाम को ही ठेस पहुँचा रहा है ? ऐसे सत्य, अहिंसा और नैतिकता का दम भरने वाले पाखण्डी लोगों को कवि व्यर्थता बोध कराता हुआ कहता है-

'फिर भी हम सब, अपने से बाहर
ईसा के प्रशंसक और गांधी के समर्थक हैं
लेकिन विचारणीय यह है कि
सचमुच हम कितने निरर्थक है?'[35]

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का चित्रण – वर्तमान समय में राजनीति, देशभक्ति के ऊपर हावी हो गई है। कवि बहुत व्यथित होता है यह देखकर कि लोग नेताओं की जय-जयकार करते हैं। घण्टों चौराहे पर खड़े होकर उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, किन्तु वे ही लोग युद्ध कर लौट रहे जवानों की प्रशस्ति में एक शब्द भी नहीं ध्वनित कर पाते हैं। कवि देश की आने वाली पीढ़ी के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए कहता है –

'कब पढ़ेंगे ये जवानों की आँखों में
लिखी कहानियाँ
और कब चौराहे पर जमा भीड़
जवानों की जय बोलना सीखेगी ?'[36]

राजनीति और व्यवस्था के नाम पर लोगों को छलने वाले, अमन की बस्तियों में नकली जरूरतें, विवाद, जुलूस, आन्दोलन, धर्म और मजहब की दुहाई देकर अपना अस्तित्व दृढ़ करने वाले अमृत-फल के उपभोक्ताओं के प्रति कवि करूण याचना करता है कि –

'इनकी छोटी – मोटी खुशियों
की पौध मत बांटो
अपनी अमरबेल का
भविष्य सुनिश्चित करने के लिए।'[37]

परिवेश के सत्य की अभिव्यक्ति – कवि द्वारा अनुभूत यपराजय का सत्य' उसकी आहत जिन्दगी के तनावों और उसकी आस्था के दर्शन के बीच महत्तवपूर्ण हो गया है। कविता के प्रारंभ को कवि ने नितांत व्यक्तिगत बनाया है –

'मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ
जो हर बार जीत का अभिनय करता हूँ
और फिर-फिर हारा हुआ
करार दे दिया जाता हूँ।'[38]

कविता की शुरूआत में कवि जितना विचलित, पराजित, टूटा हुआ नजर आता है, कविता के अन्त में वैसा ही आशावादी दिखाई देता है। आत्महत्या का विचार और निरन्तर पराजित होते जाने के बाद भी जिन्दगी के प्रति और अधिक आस्था कवि को मजबूती से पकड़ लेती है।

'अन्त में मुझे रेल की चिलचिलाती
पटरियां और
गुलमोहर के लाल फूल एक साथ
याद आते हैं।'[39]

कवि ने जिस पराजय को भोगा है उसको गुलमोहर के चटख लाल फूलों की स्मृति ने विस्मृत कर दिया है और कवि आत्महत्या का विचार त्याग देता है, क्योंकि पराजय को स्वीकार करना हत्यारों की व्यवस्था के सामने घुटने टेक देना है।

कवि कहता है कि मुझे अपनी असफलता या पराजय का दु:ख कदापि नहीं है। वह इसी में संतुष्ट है कि चाहे वह असमर्थ रहा किन्तु स्वाभिमान जीवित रहा। वह कहता हैं –

'किन्तु इसकी शिकायत नहीं है मुझे
कि मैं दण्डित हूँ।
मुझे यही संतोष है
कि मैं एक प्रयत्न हूँ
भले ही मैं खण्डित हूँ।'[40]

कवि की अपनी एक दुनिया है और इसी में वह प्रसन्न है, संतुष्ट है। वह कोई व्यर्थ नाम नहीं जोड़ना चाहता। यह उसकी आस्था ही तो है कि वह कहता है-

'तृषा का उपनाम मत दो मुझे
मैनें तृप्ति के सूर्य से आँखें मिलाई हैं
व्यर्थ के उपनाम मत दो मुझे
मैंने अर्थ की उम्र बढ़ाई है।'[41]

कवि ने अपने परिवेश को निकट से देखा है, उसे भोगा है। समाज की सभी विसंगतियों, विद्रूपताओं और वर्तमान के यथार्थ को उसने महसूस किया है। इन्हीं सभी अनुभवों को कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। अपने युग परिवेश के नग्न यथार्थ से आहत हुआ कवि मन रचने की जरूरत महसूस करता है और उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि-

'कि जिस क्षण मैं कविता
खत्म करूंगा, यह आपके भीतर
शुरू हो जाएगी
वस्तुत: कविता कभी समाप्त नहीं होती
वह महज स्थानान्तरित होती है ....'[42]

समाज और संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य ने भाषा का विकास किया, जो स्वयं उसे तो प्रकट करे किन्तु उसके स्वार्थ और चतुराई को अप्रकट रख सके। आदमी इस तरह खुद को छलता है –

'यहाँ आदमी चाह कर भी
कहाँ खुलता है
सुबह से शाम तक
सिर्फ दूसरों की मर्जी के काँटे पर
तुलता है।'[43]

कवि कहता है कि इस सदी के प्रश्नाकुल लिजलिजेपन ने मनुष्य के साथ-साथ प्रकृति, धरती, आकाश को भी शब्दहीन बना दिया है। आदमी

हंसना चाहता है, हंसाना चाहता है और फिर खुद ही संत्रस्त भाव से पराजित व्यक्ति का सा व्यवहार करने लगता है। आज जिन्दगी को हँसी की तलाश है –

'फिर वह अनायास ऐसे टापू पर होता है
जिसने युगों से आदमी की हंसी नहीं सुनी है
ओह ! कितना अजीब है
क्या अब आदमी हँसेगा ?'[44]

हमारे परिवेश के भयावह यथार्थ ने हमें इतना विकृत कर दिया है कि हमारा सम्पूर्ण प्रयत्न अंधेरे को खंगालने भर का रह गया है, रोशनी का प्रशस्ति गान हमें कभी स्वीकार नहीं होता। यह अंधेरा हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारी चेतना को ग्रस जाता है, किन्तु फिर भी हम विवश हैं –

'क्योंकि हमें भविष्य से अधिक
वर्तमान प्रिय है।
क्योंकि हमें खेत से अधिक उद्यान प्रिय हैं
यह सब शायद इसलिए कि
वस्तुत: हम अंधेरे हैं –
जो कि रोशनी के समन्दर को घेरे हैं।'[45]

डॉ. व्यास लिखते हैं – 'वर्तमान जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं ने जहाँ हमारे संवेदना क्षेत्र को विस्तार दिया है वहाँ अभिव्यक्ति के आग्रहों में भी परिवर्तन उपस्थित किया है। .... आज का रचनाकार सामाजिक स्तर पर ही इन संवेदनाओं की अनुभूति करता है और समाज के संदर्भ में ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।'[46]

कवि ने अपने परिवेश को देखा है, भोगा है और वर्तमान जीवन की विद्रूपताओं को सर्जनात्मक स्तर पर पहचाना है। यही कारण है कि कवि ने संबंधों की प्रकृति और उसके खोखलेपन को उघाड़कर पाठक के समक्ष रख दिया है। उसने घर में बदलती माँ की प्रकृति को देखा तो सर्कस के रिंगमास्टर को यतीम से मास्टर होते भी देखा है।

कवि को हैरानी होती है जब वह देखता है कि विवेकशील मानव जाने–अंजाने अपने को किसी न किसी खूंटे से बाँधे है –

'खूंटे को गले में बांधे
फिरते हैं हम लोग
इस और से उस ठौर
कितना विचित्र हमारा
खूंटामोह।'[47]

व्यक्ति–जीवन में बदलाव – वर्तमान समय में सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि आज सम्बन्ध, व्यक्ति और सम्बोधन के बीच की कड़ी जैसा है। रिश्तों की सारी मिठास और ताजगी दूर रहने पर महसूस होती है। नजदीक जाने पर सब कड़ियाँ टूट जाती हैं और सारी गर्माहट खो जाती है। कवि अपना मंतव्य स्पष्ट करता है कि –

'मगर ज्यों ही हम नजदीक आते हैं –
व्यक्ति और सम्बोधन के
बीच का सेतु टूट जाता है,
एक अव्यक्त रिक्तता छोड़कर।'[48]

कवि कहता है कि समय की धार बहुत तेज है। इसमें आदमी और उसके सारे सम्बन्ध निरन्तर बहते जाते हैं और वह विवश खड़ा रहता है। जो बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीखा और पिता की अंगुली छूट जाने पर चौराहे पर खड़ा हो चीख–चीख कर रोया, आज जब वही बच्चा स्वयं पिता का संबोधन धारण कर चुका है, अपने पिता की स्मृति में व्याकुल है। वह आज फिर चौराहे की भीड़ में खो गया है किन्तु रो नहीं सकता है और अपना दु:ख इस प्रकार व्यक्त करता है –

'हर आने–जाने वाले की झुर्रियों में
तुम्हारा चेहरा तलाशता हूँ
और पहले से ज्यादा
उदास हो जाता हूँ।'[49]

समय की धारा में विवश होकर बहता हुआ आदमी स्वयं को अकेला और निरूपाय महसूस करता है और कहता है –

'है केवल एक ऊब भरी यात्रा का टुकड़ा
तुम्हारा अभाव
एक चेतना शून्य अवस्था का पूर्वाभ्यास
और इन सब के बीच
निरर्थक सा मैं।'[50]

कवि कहता है कि एक समय था जब सम्बन्धों में प्रगाढ़ता थी। आदमी – आदमी से प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा हुआ था। किन्तु अब बदले समय ने आदमी की प्रवृति को ही बदल दिया है –

'पर न जाने उसे कैसे वहम् हो गया
कि उसके व्यक्तित्व में कोई कमी है,
'क्योंकि वह सिर्फ आदमी है।'
.... अब उसे नहीं लगता कि उसके व्यक्तित्व में
कोई कमी है।
क्योंकि आज का आदमी
सचमुच काठ का आदमी है।'[51]

सम्बन्धों की दुनिया का सबसे सुदृढ़ स्तम्भ है पिता। पिता का सहारा और शक्ति पाकर बच्चे जीवन जीने की कला सीख पाते हैं। पिता रूपी पहाड़ पर कुछ नहीं ठहरता यह सत्य है किन्तु वहाँ से आगे जीवनपथ पर चलकर उसे भूल जाना भी तो ठीक नहीं। कवि पिता होने का मतलब स्पष्ट करते हुए कहता है –

'पिता होने का
मतलब है पहाड़ होना
जहाँ कुछ नहीं ठहरता
X X X X
मैदान में पहुँच कर
सब भूल जाते हैं
पहाड़ को
और यों कीर्तिशेष
हो जाता है
एक और
कीर्ति – स्तंभ।'[52]

कवि ने जहाँ एक ओर मनुष्य के अस्तित्व को एक महान् दृष्टि दी है वहीं दूसरी ओर मनुष्य का इस आपाधापी के समय में स्वयं को निरन्तर उन्नति की आड़ में या भ्रम में नीचे की ओर ले जाया जाना भी रेखांकित किया है। निरन्तर विकसित और परिवर्तनशील परिवेश में मनुष्य ऊपर उठने के मोह से अपनी नैतिकता और मूल्यों को गिराए जा रहा। ऐसे मूल्यहीनता के

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

दौर में जो लोग अब भी अपनी नैतिकता को मजबूती से पकड़े हुए हैं, उनके बारे में कवि लिखता है –

'वे चौखट में घुस गए
व्यक्तियों और विचारों की
तुलना में
तथाकथित तरक्की की दौड़ में
बहुत पिछड़े हैं।'[53]

इसी क्रम में कवि कहता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो लोग अपने आदर्शो व मूल्यों को भूल जाते हैं, वास्तव में वे क्या पाते हैं –

'जिन्होंने यह सब किया
वे पा चुके हैं तुम्हें
पर वे नहीं जानते
उन्होनें कितना खोया है
तुम्हें पाने के पागलपन में।'[54]

आज लोगों के आचरण में बदलाव आता जा रहा है। यही वजह है कि हमारी आस्था और विश्वास सब एक मादकता की चौंधियाहट से ओत-प्रोत हैं किन्तु कहीं सुख नहीं है। कवि कहता है कि यही हमारा प्रगतिशील किन्तु विसंगत परिवेश है, जहाँ –

'हम अपने पड़ौसी को प्यार नहीं करते
हाँ, कभी-कभी
एक औपचारिकतावश
हाथ जोड़ देते हैं
क्योंकि दिल नहीं जोड़ पाते
जाने क्यों आजकल।'[55]

परिवेश के प्रति व्यथित होने के बावजूद यहाँ भी हमें कवि के आशावाद की झलक मिल जाती है जब वह कहता हैं कि –

'कभी-कभी एक बीज
नमी के अभाव में जमींदोज
हो जाता है
हम अपने अन्दर देखें
कहीं बादल
वहीं तो कैद नहीं है।'[56]

आज मनुष्य खुद अपने ही बनाए जाल में मकड़ी की तरह फँस गया है। उसे न भविष्य नजर आता है न भूत, वह केवल वर्तमान का गुलाम है। यह ठीक है कि वह स्वतंत्र है वर्तमान का चयन करने के लिए, लेकिन उसे सचेत रहना चाहिए, कहीं यह भयावह और विद्रूप वर्तमान उसे ध्वस्त ना कर दे। जिन्दगी एक सौन्दर्यमयी अनुभूति है, इन दिनों जो वर्तमान के हाथों वीभत्स हुई, वह –

'एक अंधकूप से
दूसरे अंधकूप तक का सफर
और भले ही कुछ हो पर
जिन्दगी नहीं हो सकती।'[57]

कवि ने हर परिस्थिति में निराशा में आशा को खोजने का प्रयास किया है। वह आदमी के दोहरे स्वभाव को लेकर चिंतित भी है और निराश भी है। कवि कहता है कि आदमी पहले अपने आचरण में गिरता जाता है फिर वहीं उस गिरावट में अपने उठने का मार्ग भी देखता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है –

'आदमी की आदत है यह
पहले गला घोंटता है अपने में बैठे एक
मासूम ईश्वर का
फिर बनाता है
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर।'[58]

समाहार – डॉ. भगवती लाल व्यास में सर्वत्र अपनी बात स्पष्ट करने का सामर्थ्य मुँह बोलता है। उन्होंनें अपने परिवेश, समाज और घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया है, उन्हें देखा और भोगा है। व्यास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से न सिर्फ इस शताब्दी की दुरभिसंधियों का चित्रण किया है, अपितु उनका समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है। उन्होंने आज निराशावाद के घोर अंधकार में त्रस्त मनुष्य को आशा की किरण के प्रति आस्थावान बनाने का प्रयास किया है। जहाँ कवि ने 'शताब्दी निरूत्तर है' में कहना प्रारंभ किया है वहीं अगले कदम पर 'फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है' में उसने सुनना-सुनाना चाहा है। कवि की भावाभिव्यक्ति के यही बदलते रंग 'शिखर की पीड़ा' काव्य-संग्रह में उपलब्धिमूलक संरचना के रूप में स्थापित हुए हैं।

व्यास जी अपने परिवेश से पूर्णतया प्रभावित रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंनें अपनी कविताओं अथवा पात्रों को यमहानगर' नहीं पहनाया है। उनकी दृष्टि में आदमी महज यंत्र नहीं है न ही वह सारे स्वाद लेने का अभिलाषी है। आज का आदमी अपने सहज और मौलिक रूप में कवि के सामने उपस्थित है और कवि भी उससे सहज रूप में जुड़कर, उसे वाणी देने का प्रयत्न करता है। यही सहजता और मौलिकता व्यास जी की कविताओं की मूल विशेषता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, भूमिकास्थ से
2. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 1
3. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 2
4. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 2
5. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 13
6. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 40
7. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ, 44
8. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 76
9. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 72
10. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 33
11. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 6
12. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 25-26
13. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 10
14. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 71
15. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 74
16. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर, पृ. 8
17. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 60-61
18. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 65
19. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 14
20. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 105
21. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ.11

22. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 14
23. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 15
24. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 25
25. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 17
26. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 121
27. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 55
28. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 41
29. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 13
30. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 10
31. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 46
32. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 48
33. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 71
34. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 57
35. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 61
36. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 71
37. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 56
38. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 63
39. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 64
40. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 17
41. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 16
42. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 77
43. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 41
44. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 47
45. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 64
46. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, 'इन कविताओं के बारे में' से
47. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 59
48. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 36
49. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 65
50. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 37
51. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, 64-65
52. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 110
53. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 27
54. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, 28
55. डॉ. भगवती लाल व्यास, शताब्दी निरूत्तर है, पृ. 4
56. डॉ. भगवती लाल व्यास, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती है, पृ. 14
57. डॉ. भगवती लाल व्यास, पांडुलिपि, पृ. 29
58. डॉ. भगवती लाल व्यास, शिखर की पीड़ा, पृ. 49/50

****

Brief Study of Major Geomagnetic Storm in During Solar Cycle 23

Harshraj Shukla* Dr. Anil Kumar Saxena**

***Department of Physics, A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA**
**** Department of Physics, Govt. Collage Jaitpur, Shahdol (M.P.) INDIA**

Abstract - Geomagnetic storms, also known as magnetic storms or solar storms, are massive eruptions from the Sun's outer atmosphere, or corona, that affect the upper atmosphere of the blue planet (Earth). Protons and electrons with an energy of a few thousand electron volts dominate the material connected with these eruptions. The ejected material, known as plasma, travels across the interplanetary medium at speeds ranging from less than 10 km per second (6 miles per second) to more than 2K km per second (1.2K miles per second), arriving on Earth in about 21 hours. The pressure of the arriving plasma is conveyed to the border of the magnetosphere of Earth, increasing the geomagnetic field that can be measured at the surface, possibly via hydromagnetic waves.In this paper we have analyzing only solar cycle 23 beginning in August 1996 and ending in December 2008.
Keywords: CME, Geomagnetic storms, Dst, Kp, Ap.

Introduction - A geomagnetic storm, often referred to as a magnetic storm, is a brief disruption of the Earth's magnetosphere brought on by an interaction between the magnetic fields of the Sun and the Earth.

A Geomagnetic storm (Geos) is a major disturbance of blue planet (Earth's) magnetosphere that occurs when there is a very efficient exchange of energy from the solar wind into the space environment surrounding planet EarthA Geomagnetic storm (Geos) is a major disturbance of blue planet (Earth's) magnetosphere that occurs when there is a very efficient exchange of energy from the solar wind into the space environment surrounding planet EarthLong before the solar wind and distinct plasma regions in the Earth's magnetosphere were identified, investigations of geomagnetic storms served as the foundation for current solar-terrestrial study. Geomagnetic storms are a phenomenon that can happen everywhere in the Sun-Earth system, including the upper atmosphere of the planet. They start in the solar corona. The existence of the main phase, during which the horizontal component of the Earth's magnetic field rapidly declines, is what characterizes a geomagnetic storm. The heightened ring current in the inner magnetosphere is assumed to be the root of this depression, which is highest at low latitudes. The Dst index normally keeps track of its growth and degradation. Intense substorms occur successively at high latitudes during a geomagnetic storm.It is crucial to understand how substorms affect the development of magnetospheric convection that is caused by the electric field of the solar wind. We argue that not only the ring current but also the tail current are significant when assessing the role of different current systems in the Dst declines during geomagnetic storms.

Table 1 (see in last page)

Evaluating the strength of Geomagnetic Storm: Several methods are used to report the strength of geomagnetic storms, including:

1. Dst-Value
2. K-index
3. A-index
4. The G-scale, which is used by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, assigns a storm a rating between G1 and G5, with G1 being the weakest (equivalent to a Kp value of 5) and G5 being the strongest (corresponding to a Kp value of 9).

Theoretical history: A New Theory of Magnetic Storms, a 1931 article by Sydney Chapman and Vincenzo C. A. Ferraro, attempted to explain the phenomenon.They contended that along with every solar flare, the Sun also releases a plasma cloud that is now referred to as a coronal mass ejection. They predicted that this plasma would move at a speed that would allow it to arrive on Earth in 113 days, even though we now know it takes 1 to 5 days. They claimed that the Earth's magnetic field is then compressed by the cloud, increasing the field's strength at the planet's surface. Chapman and Ferraro's research drew from, among others, Kristian Birkeland, who demonstrated that using the recently discovered cathode ray tubes to demonstrate how the rays were bent in the direction of a magnetic sphere's poles. He postulated that auroras were caused by a similar

phenomena, which explains why they occur more frequently in polar latitudes.

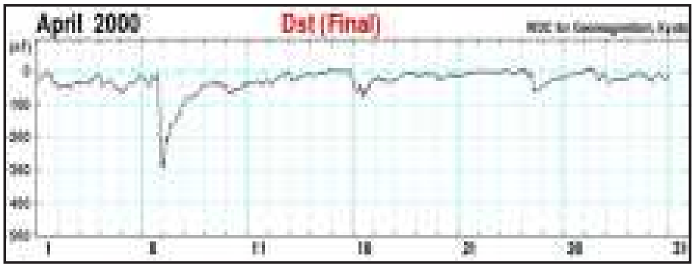

G(A) Graphical representation is presented on graph

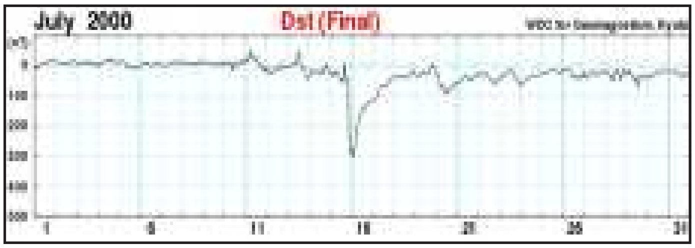

G(B) During the geomagnetic storm July 2000 the Dst index value

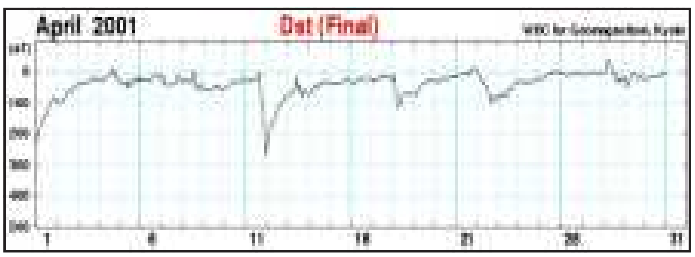

G(C) Graphical representation during storm month

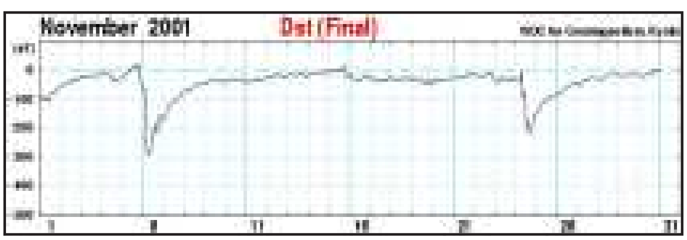

G(D) Graphical representation during storm month

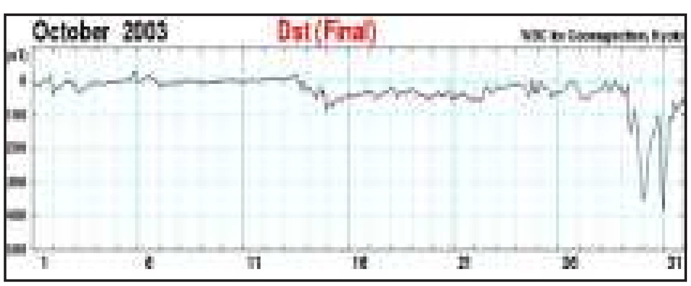

G(E) Graphical representation during storm month

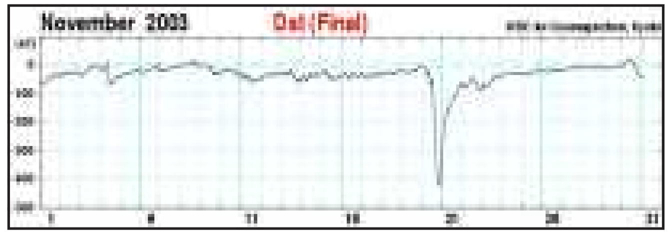

G(F) Graphical representation during storm month

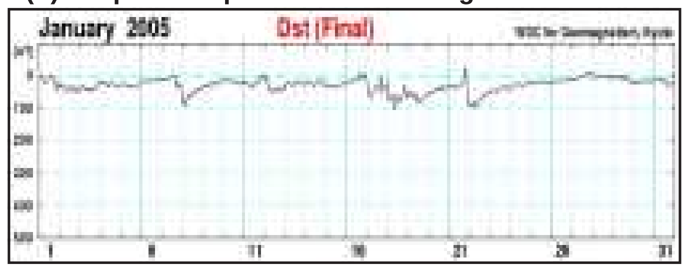

G(g) Graphical representation during storm month

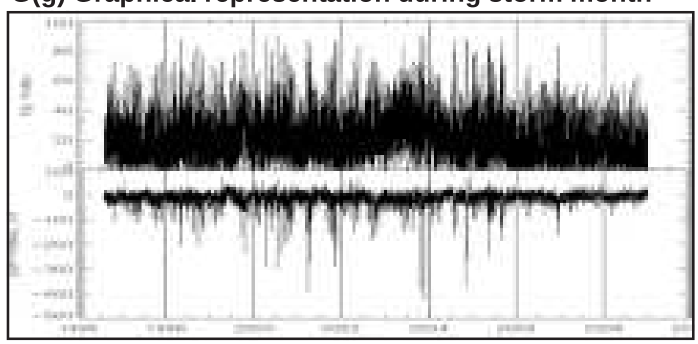

Graph1(a) Geomagnetic Indices Dst&Kp

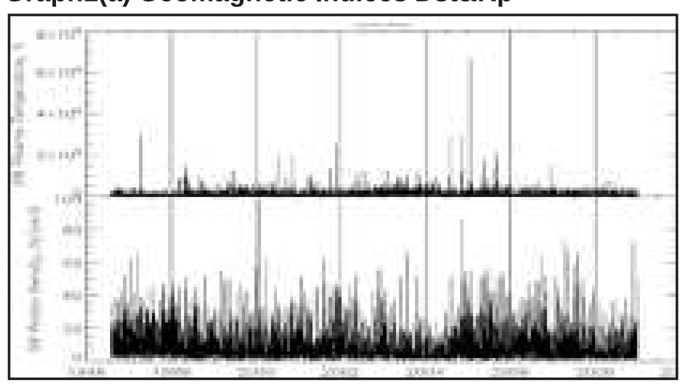

Graph1(b) Plasma

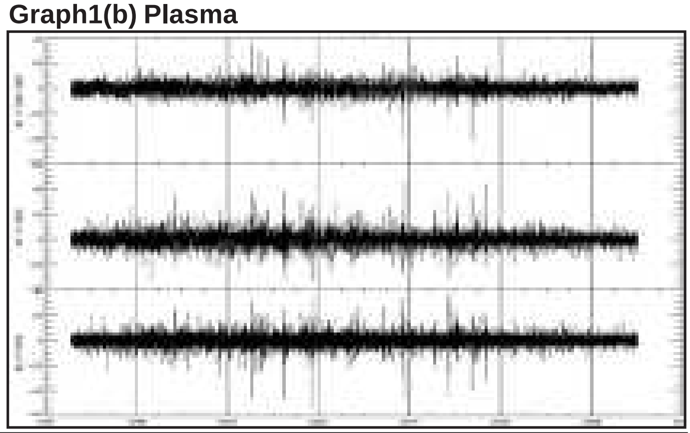

Graph1(c) Magnetic field Bx,By,Bz in nT

Data analysis : in this research paper we would like to use statical data analysis and survey of various present literature to identify the geomagnetic storms and their intensity with respect to solar cycle 23

Data Source: The world data center is a major data source to analyze data and information WDC for geomagnetism in Kyoto

Conclusion : Finally we all strongly conformed that during the Major Geomagnetic storms both arising and recovery phase working only few days but when the storms intensity is low or reduce in that condition according to geomagnetic storms after reviewing various research paper we all are concluding that Different types of solar storms occur brought on by solar disturbances, which typically include coronal mass ejections (CMEs) and solar flares from active regions or, occasionally, coronal holes. When the interplanetary magnetic field (IMF) is pointing southward, toward the Earth (which additionally results in much stronger storming conditions from CME-related sources), minor to active solar storms (i.e., storming restricted to higher latitudes) may occur.

1. In November 2003 have observed a major Geomagnetic storm (solar Storm)
2. Yearly observation during solar cycle 23, In 2003 is a super extreme year because 2 major geomagnetic storms observed.

Refrences:-

1. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, April 24). geomagnetic storm. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/geomagnetic-storm
2. Alabdulgader, A., McCraty, R., Atkinson, M., Dobyns, Y., Vainoras, A., Ragulskis, M., &Stolc, V. (2018). Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment. Scientific reports, 8(1), 2663. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20932-x
3. Wikipedia contributors. (2023). Geomagnetic storm. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_storm
4. Papitashvili, N. (n.d.). OMNIWeb Data Explorer. https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html
5. Final DST Index Monthly Plot and Table. (n.d.). https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/200007/index.html
6. "The Interplanetary Magnetic Field (IMF)". *Space WeatherLive.com. Parsec vzw*. Retrieved 2021-03-20.
7. *Adhikari, Binod; S. Dahal; N. P. Chapagain (2017).* "Study of field aligned current (FAC), interplanetary electric field component (Ey), interplanetary magnetic field component (Bz), and northward (x) and eastward (y) components of geomagnetic field during supersubstorm". *Earth and Space Science. 4 (5): 257–274.* Bibcode: 2017E&SS..4..257A. doi:10.1002/2017EA000258.
8. *Gonzalez, W. D.; E. Echer (2005).* "A study on the peak Dst and peak negative Bz relationship during intense geomagnetic storms". *Geophysical Research Letters. 32 (18):L18103.* Bibcode:2005GeoRL.3218103G. doi:10.1029/2005GL023486.
9. *Loewe, C. A.; G. W. Prölss (1997).* "Classification and mean behavior of magnetic storms". *Journal of Geophysical Research: Space Physics. 102 (A7): 14209–14213.* Bibcode:1997 JGR.10214209L. doi: 10.1029/96JA04020.
10. *T. Y. Lui, Anthony; Consolini, Giuseppe; Kamide, Yosuke, eds. (2005). "What Determines the Intensity of Magnetospheric Substorms?". Multiscale Coupling of Sun-Earth Processes (1st ed.). Elsevier. pp. 175–194.* doi:10.1016/B978-044451881-1/50014-9. ISBN 978-0444518811.
11. *Spektor, Brandon (6 September 2021).* "An 'Internet apocalypse' could ride to Earth with the next solar storm, new research warns". *LiveScience.*
12. RadsOnAPlane.com
13. Jump up to:[a] [b] *Phillips, Tony (21 Jan 2009).* "Severe Space Weather—Social and Economic Impacts". *NASA Science News. National Aeronautics and Space Administration*. Retrieved 2014-05-07.
14. "NOAA Space Weather Scales" (PDF). *NOAA Space Weather Prediction Center. 1 Mar 2005*. Retrieved 2017-09-13.
15. *Bell, Trudy E.; T. Phillips (6 May 2008).* "A Super Solar Flare". *NASA Science News. National Aeronautics and Space Administration*. Retrieved 2014-05-07.
16. *Kappenman, John (2010).* Geomagnetic Storms and Their Impacts on the U.S. Power Grid (PDF). *META-R. Vol. 319. Goleta, CA: Metatech Corporation for Oak Ridge National Laboratory.* OCLC 811858155. *Archived from* the original (PDF) *on 2012-08-19.*
17. National Space Weather Action Plan (PDF). *28 Oct 2015 – via* National Archives.
18. *Lingam, Manasvi; Abraham Loeb (2017). "Impact and mitigation strategy for future solar flares".* arXiv: 1709.05348 [astro-ph.EP].
19. *Shibata, Kazunari (15 Apr 2015).* "Superflares on Solar Type Stars and Their Implications on the Possibility of Superflares on the Sun" (PDF). *2015 Space Weather Workshop. Boulder, CO: Space Weather Prediction Center.*

Table 1 : Geomagnetic Storms During The SC-23:-

Sr.	Date	Day	Description	Significances	Remark
1.	06 April 2000		Despite the fact that numerous studies have documented the effects of the storms on the ionospheric 6 April 2000 and 11 April 2001	In order to avoid negative effects on trans ionospheric radio propagation, it is vital to highlight the space weather circumstances that allow them to reach higher latitudes. One such circumstance is the loss of lock owing to scintillation associated with plasma bubbles.	Graphical representation is presented on graph G(A)
2.	14-16 Jully 2000		During the solar maximum of solar cycle 23, on July 14–16, 2000, a strong solar storm called the Bastille Day solar storm occurred. On July 14, France's Bastille Day, the storm started. A significant geomagnetic storm was brought on by a coronal mass ejection, a solar flare, and a solar particle event.	The current X5.7-class flare was accompanied by a powerful, S3 solar particle outburst, which the GOES satellites first started to see at around 10:41 UTC.As a result, high-energy protons penetrated and ionized a portion of the ionosphere of the Earth, which produced noise in a number of satellite imaging systems, including the EIT and LASCO instruments.A phenomenon known as a ground level enhancement occurred when some of these particles were energetic enough to produce effects that could be observed on the surface of the Earth. The related solar particle event was the fourth largest since 1967, despite the fact that the flare itself was not particularly large.	Graphical representation is presented on graph G(A)
3.	11April 2001		Despite the fact that numerous studies have documented the effects of the storms on the ionospheric 6 April 2000 and 11 April 2001	These findings are in line with the theory that the plasma elevation and bubble formation in the equatorial regions, which later spread to midlatitudes, were driven by an eastward penetrating electric field during the storm.	G5 category storm, Graphical representation is presented on graph G()
4.	NOV20 01		Geomagnetic storm of November 2K1	Vibrant aurorae were caused by a rapidly moving CME as far south as Texas, California, and Florida.	
5.	OCT20 03		Halloween S.S.	The Halloween solar storms were a series of solar storms that peaked during October 28 and 29, 2003, and involved solar flares and coronal mass ejections. The storms that caused this solar flare were modeled as being among the strongest ever recorded by the GOES system.	
6.	20-21 Nov 2003		Solar storms of November 2K3		
7	Jan 2005		Geomagnetic Storm of Jan 2005	High-speed solar wind streams and solar storms, especially those linked to solar energetic particles (SEPs), have various "space weather" consequences on human activity. While the magnetic field and atmosphere of Earth typically provide adequate protection for people living there, occasionally solar storms can produce SEPs with enough power and intensity to shower the atmosphere with particles and significantly increase the flux of ionizing radiation above that caused by Galactic cosmic rays (GCRs), for which the flux decreases more slowly with energy. The less energetic SEPs have a proportionally bigger contribution to ionizing radiation higher in the atmosphere. Neutron monitors (NMs), the ground-based detectors that are most sensitive to relatively low energy cosmic rays, are used even at ground level.	

****

A Contextual Approach to Teaching English Articles

Dr. Richa Mathur*

***Professor (English) Govt. PG College, Mavli, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - Teaching the English articles through such noun-classifications as countable, uncountable, abstract, etc., often raises problems for nonnative speaker, because such categories frequently overlap, leaving the learner without a clear guide to usage.

A situational context helps the learner understand and manipulate English articles much better than a classification system can. Sufficient training in contextual use of articles enables the learner to internalize the grammar of English as it functions for the native speaker, not to merely memorize rules concerning grammar usage. Moreover, the learner can thus be led to distinguish and understand the patterns of English as they contrast with the patterns of his native tongue.

Intensive practice is essential; this practice must continue until the teacher sees that the learner has internalize the rule he is applying to his utterance. No matter how simple the pattern he is practicing, the learner must become aware of its possibilities for communication.

The following techniques are helpful in eliminating some of the problems generally considered most difficult.

- **Zero articles with uncountable nouns.** I say *I like pizza.* Then I ask Reena: Do you like pizza? Reena answers: *Yes, I do*. Later, I ask Neetu which she prefers, *burger or pizza*. Neetu replies: *I prefer burger*. I continue this exercise, substituting various uncountable nouns in the examples.
- **"A" versus "the" with countable nouns.** I ask the class to: *Give me a pen*. Then while each student is offering his pen, I point to Rohan's pen and say: *Rohan, give me the pen, please*. I practice this pattern, substituting various countable nouns for *pen*, until all the students can count properly and can correctly execute the teacher's role.
- **"The" with specific countable nouns.** I carefully place books of several different colors and sizes on my desk in order to do the following exercise:

TEACHER	STUDENT
Where is the *red book*?	Near the *yellow one*
Which book do you want?	*The green one*
Which blue book is yours?	*The small one*
Which yellow book do you want?	*The one in your hand*

Sometimes I give the books to the learners and then give them such instructions and questions as:

Give me *a book*.
Put *the blue book* on my desk
Give Meeta a *yellow book*.
What is the title of *the green book*?

- **"The" with noun + adjectival phrase.** I ask a student to point to *a chair*, and to the *chair in the corner (in the first row, in the back row, next to Meeta's etc.)*. Next, I repeat my command without any adjective phrase- that is, I say, "point to the chair" -in order to elicit from the learner, the question "Which chair?" followed by the teacher's appropriate response (The chair in the corner, etc.). After serving thus as a model, I have two students repeat the pattern, one using a command employing the article *a* or *the*, and the other making the appropriate response.
- **Problem solving.** Sometimes I pose a problem to be solved by the students. For example, I say that Rahul's cat has disappeared from the house. I ask a student what Rahul ask his mother, a neighbor, etc.;

TEACHER	STUDENT
His mother	did you see the cat?
His neighbor	did you see the cat?
A man in the street	did you see the cat?

- **The generic use of the article.** In teaching the generic use of the article (to designate a noun as standing for a class rather than an individual being or object) I illustrate the usage by examples such as the following, and then give several substitution exercises:

The cat is a mammal.
I play the *guitar*.

Unlike countable nouns, which usually take *the* for the generic sense, uncountable nouns are used without an article for the generic meaning, as also are plural count nouns. So, we also practice examples such as *Water is necessary to life, Man is superior to animals*, etc.

I follow a similar procedure for what I call the "miscellaneous" use of the article (with adjectives standing as nouns, with certain geographical or determinative phrases, names of certain diseases, etc.)

The more, the better.

Some of the students are here.
John had *the flu* last winter.

- **The definite article with unique or familiar objects.**

I ask the students to describe the classroom, the college, and posters placed on the bulletin board, in order to elicit such responses as:

The *door* is closed now.
The *first window* is open.
The *second window* is behind Reshma.
The *library* is next to *chemistry lab*.
The *teacher* is standing in front of *the blackboard*.
They are building a *new auditorium*.

- **Emphasizing article usage in writing assignments.**

To help the students internalize their knowledge of article usage, I give special writing assignments in which I emphasize correctness of article usage.

- **Translation.** From time to time, I ask a student to translate a phrase or sentence into his native language, in order to check his understanding and to point out the differences between the presence or absence of articles in the native language and in English. To reinforce this understanding, I have a student to apply the governing rule within another context.

References:-

1. Berry, R. (1991) Re-articulating the articles. *English Language Teaching Journal*, 45(3) 252-259. London: British Council.
2. Grannis, O. (1972). The definite article conspiracy in English. *Language Learning*, 22(2), 275-289.
3. Thornbury, S. (2004). *How to teach grammar*. Malaysia: Pearson Education Limited.
4. Whitman, R.L. (1974). Teaching the article in English. *TESOL Quarterly* 8(3), 253-262.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र : पूर्वोत्तर भारत के विशेष संदर्भ में

जीवराज सिंह चारण*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राज.) भारत

शोध सारांश – लोकतंत्र की अवधारणा और सुरक्षा की अवधारणा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में ही प्रत्येक नागरिक की सर्वांगीण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। समाज हो मानव हो या कोई राष्ट्र सभी के लिए सुरक्षा सबसे आधारभूत आवश्यकता है। क्योंकि इसी के द्वारा इष्टतम विकास की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना जरूरी है। मानसिक रूप से स्वतंत्र रहने के लिए सुरक्षा की गारंटी होना बहुत आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति निर्माण व विकासात्मक नीति-निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही नीति निर्माण करता है। भारत को पूर्वोत्तर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए 'विकास को गति देने के लिए नीति निर्माण में सरकार को विश्वसनीय वास्तविक स्थिति से परिचय करवाया जाए।' ताकि पूर्वोत्तर भारत की भू-राजनीतिक अवस्थिति, लॉ-ऑर्डर, आर्थिक पिछड़ापन, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए नीति निर्माण किया जा सके। ताकि लुक एक्ट पॉलिसी एवं नेबरहुड फर्स्ट जैसी पॉलिसी निर्माण में पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय सुरक्षा और विकासात्मक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखा जाए।

शब्द कुंजी –लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था, सर्वांगीण सुरक्षा, विकासात्मक महत्वाकांक्षा पृथक राष्ट्र-निर्माण,हाइड्रोपावर क्षमता।

प्रस्तावना – भारतीय लोकतंत्र एक नवीन विकासात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। जिसमें पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों व पूर्वी राजनीतिक मूल्यों का समायोजन देखने को मिलता हैं। पूर्वोत्तर भारत का आदिम समाजिक ढांचा, जिसमें नवीन पाश्चात्य लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना करना भारतीय विकासात्मक राजनीतिक संस्कृति के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में आजादी के बाद सामने आया। इसी कारण से वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत की मनोसामाजिक संरचना में अलगाववादी तत्वों का बीजारोपण हुआ। उत्तर भारत के राजनीतिक समाज में पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों व राजनितिक विकास की स्थापनाएं होने के पीछे इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास व समाज की संरचना है, जोकि औपनिवेशिक सत्ता की समाप्ति के बाद यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था व समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहायक रही क्योंकि इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रिया के साथ यहाँ के निवासियों की सहभागिता रही थी। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत की भू-राजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक संरचना व राजनीतिक इतिहास, सामाजिक की विकासात्मक प्रक्रिया ऐसी रही कि यहां पर भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप सही ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप यहां की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां जैसे अलगाववाद पृथक राष्ट्र-निर्माण का मनोभाव, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वैधता में कमी आदि। पूर्वोत्तर भारतीय राजनीति में भारतीय लोकतंत्र के एक अलग स्वरूप देखने को मिला हैं। क्योंकि इस प्रदेश की राजनीतिक विकास व राजनीतिक संस्कृति वैसी नहीं रही जैसा कि शेष भारत की रही।

देश के अन्य भागों से हटकर पूर्वोत्तर का भू-रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों यथा बांग्लादेश, भुटान, म्यांमार और चीन से लगती हैं। सिक्किम को छोड़कर नार्थ ईस्ट के सभी राज्य यदयपि एक दूसरे से जुड़े हुए है, फिर भी उनमें काफी विविधता है। यह क्षेत्र उत्तर में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से घिरा है ! वास्तव में ये पहाड़ियां इस क्षेत्र की पूर्वी सीमाओं की भी प्रहरी हैं। इन राज्यों की दक्षिणी सीमाएं चटगांव की पहाड़ियों और चीन की पहाड़ियों से घिरी हैं। जबकि पश्चिमी भूभाग पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से घिरा है जो बांग्लादेश से उत्पन्न होती है। भू-भाग, सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिति और ऐतिहासिक तथ्यों यथा भाषा/जाति, जनजातीय शत्रुता, प्रवासन, स्थानीय संसाधानों पर नियंत्रण तथा दोहन एवं विमुखीकरण की व्यापक भावना के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति अस्थिर रही है। और इसी कारण इस क्षेत्र में अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो रही है इसके परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों द्वारा हिंसा फैलाई गई है और कई प्रकार की मांगे रखी गई हैं।

पूर्वोत्तर भारत में जो अलगाववादी भावनाएं है उन्हें समझने के लिए हमें भारत के इस प्रदेश की संरचना, ऐतिहासिक विकास,भौगोलिक अवस्थिति, भू-राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं यहां की राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिके सामाजिकरण के बीच के संबंध को जानना पड़ेगा। साथ ही यहां की भौगोलिक अवस्थिति को भी समझना पड़ेगा क्योंकि किसी भी देश की भौगोलिक अवस्थिति वह सामाजिक संरचना मिलकर ही उस प्रदेश के राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का आधार तैयार करती हैं।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, निजी निवेश का अभाव है और पूंजी निर्माण का स्तर निम्न है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं तथा भौगोलिक रूप

से यह दूसरे क्षेत्रों से कटी हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, हाइड्रोपावर क्षमता और वनों का दोहन भी पूरी तरह से नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के अपने कर एकत्रण और आंतरिक संसाधन भी अत्यंत कम हैं जिसके कारण वे केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता पर पूरी तरह से निर्भर हैं। स्थानीय पूंजीपति वर्ग मैदानी संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं, और ऐसे उद्योग लगाने से कतराते हैं जिन्हें जोखिमपूर्ण समझा जाता है। चूंकि इन राज्यों की अवस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से उद्योगों के विकास की गति इतनी तेज नहीं हो सकती ।

पूर्वोत्तर की क्षैत्रिय सुरक्षा और विकास – पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक विविधता एक विशेष भौगोलिक प्रदेश बनाती है। क्योंकि इस प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा इससे शेष भारत से अलग बनाती हैं यहां की सभ्यता व संस्कृति भारतीय आर्य सभ्यता व संस्कृति तथा द्रविड़ सभ्यता व संस्कृति की बजाए तिब्बती– ब्रह्मी संस्कृति से अधिक निकट है। साथ ही पूर्वोत्तर प्रदेश के लोगों की नस्ल भी तिब्बती व पूर्वी एशियाई देशों से संबंधित है जोकि इस प्रदेश को एक पृथक पहचान वह अलगाववादी भावनाओं के उत्पन्न होने की एक पृष्ठभूमि तैयार करती है।

पूर्वोत्तर की राजनीतिक सामाजिक संरचना के सामान्य परिचय को हम क्रमबद्ध रूप से कुछ बिंदुओं में देखते हैं जिससे कि पूर्वोत्तर की राजनीतिक संस्कृति को समझा जा सके। इस प्रदेश की संवैधानिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक पृष्ठभूमि (आर्थिक, सामाजिक),सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भू– राजनीतिक अवस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परिवेश इन्हीं इंडिकेटर के आधार पर पूर्वोत्तर के बारे में मल्टीपल डायमेंशन में सामान्य जानकारी को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे इंपोर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय सुरक्षा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। इसका मुख्य कारण है विश्व में नवीने उभरती हुई शक्ति चीन द्वारा इस क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को अपने हित के अनुसार प्रभावित किया जा रहा है। चीन के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकना और इस क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाल ही में गलवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर हुई मुठभेड़ों में भारत ने बड़े ही सुदृढ़ व स्मार्ट तरीके से चीन को उसकी हिंसक घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया। इन घटनाओं के बाद विश्व समुदाय के सामने भी एक सशक्त व सुदृढ़ भारत का चेहरा प्रकट हुआ। साथ ही इन घटनाओं के बाद भारत के द्वारा दिए गए जवाब का इस्तेमाल हम पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय सुरक्षा एवं यहां के आमजन में भारत के प्रति विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कर सकेंगे। इससे पूर्वोत्तर भारत के नागरिक समाज में भारतीय राजव्यवस्था के प्रति वेधता में मजबूती आएगी साथ ही यहां के राजनीतिक समाज में भारतीय संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी।

पूर्वोत्तर के नागालैंड मणिपुर एवं मिजोरम में जो अलगाववादी भावनाएं बनी हुई है उसमें हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते तीन सामान्य अवधारणाएं नस्लवाद, भाषावाद एवं सांप्रदायिकता है। इन तीनों समस्याओं का त्रिकोण हमें पूर्वोत्तर की राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं विभिन्न अलगाववादी आंदोलनों की भावनाओं में दिखाई पड़ता है। इन तीनों समस्याओं में इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर एवं भारतीय संवैधानिक मूल्यों की स्थापना, लोकतांत्रिक संस्थाओं के संस्थापन तथा सरकार की वैधता स्थापित करने में मुख्य समस्या बनी हुई है। अत: पूर्वोत्तर में स्थाई शांति की स्थापना के लिए इन तीनों समस्याओं को भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा समझना होगा और इन तीनों समस्याओं के जटिल त्रिकोण जोकि यहां के अलगाववादी समाज में पृथकतावादी भावनाओं का संचार कर रहा है उसे रोकना है। इन तीन समस्याओं के साथ आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, मानव व मादक पदार्थों की तस्करी, चीनी साम्राज्यवाद का प्रभाव भी पूर्वोत्तर की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रभावित कह रहा है। अलगाववादी पृष्ठभूमि में तीन मुख्य समस्याएं हैं जो कि एक जटिल त्रिकोण का निर्माण करती है, जो कि आपस में भी एक दूसरे को आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। समस्याओं के इस जटिल त्रिकोण से पूर्वोत्तर समाज में पहचान का संकट की भावना समाज में बनती है जो की पृथकतावाद और फिर आगे हिंसात्मक संगठनों का निर्माण और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभर रही है। जैसा की हाल ही में मणिपुर हिंसा में दृष्टिगत हुआ।

पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा और चीन भूटान व म्यांमार – कोई भी प्रदेश अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पार की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। चीन में माओवादी क्रांति के बाद जो माओ की सरकार का गठन हुआ उसने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया इसी आधिपत्य के दौरान तत्कालीन तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों की शरण स्थली के रूप में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही संवेदनशील व महत्वपूर्ण भू–रणनीति क्षेत्र के रूप में देखने को मिला, जिसका प्रभाव यहां की क्षेत्रीय राजनीति पर देखने को मिलता है। इन्हीं सब कारणों के कारण भारत व चीन के संबंधों तथा भारत व भूटान के संबंध में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही संवेदनशील स्थान रखता है। साथ ही म्यांमार के साथ भी पूर्वोत्तर प्रदेश के लोगों के ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बहुत ही गहरे हैं लेकिन आजादी के बाद यहां जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुई उसमें म्यांमार में सदैव साम्यवादी समर्थित सरकार रही और भारत में लोकतांत्रिक सरकार रही अत: इस क्षेत्र में कई अलगाववादी तत्व भी सक्रिय हुए जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन का समर्थन प्राप्त होता रहा है। साथ ही चीन समर्थित म्यांमार की सरकार का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन भारतीय पूर्वोत्तर प्रदेशों में सक्रिय अलगाववादी तत्वों को रहा है। जिसका पूर्वोत्तर प्रदेश पर भी गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा। जिससे इस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को सदैव खतरा बना रहा है।

अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में यह केवल दो ही राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक है असम दूसरा है नागालैंड दोनों ही राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक अवस्थिति व आंतरिक असंतोष के कारण यह भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही चुनौती पूर्ण क्षेत्र है। इसी कारण यहां की प्रत्येक घटना पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मीडिया तथा गृह मंत्रालय से जुड़ी सभी सुरक्षा एजेंसियां का ध्यान केंद्रित होता है अरुणाचल प्रदेश मुख्यत: 30 जनजातीय समूह पाए जाते हैं जिनमें से 25 जनजाति संविधान में उल्लेखित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। शेष पांच जनजातियां मिकिर, मेसिंग, मेयोर, लिस्यू है। इन 5 जनजातियों को अरुणाचल प्रदेश की राज्य अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है। अर्थात इन जनजातियों को राज्य द्वारा विशेष रियायत प्रदान की गई हैं। यहां एक चकास समुदाय भी पाया जाता है जो कि एक गैर आदिवासी समुदाय है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रथकतावादी तत्वों दवारा इन जनजातियों के आपसी भेदभाव को भड़काकर, तथा वोट की राजनीति

व अपने संगठन को मजबूती के लिए हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, दंगे प्रसाद करना तथा लॉ एंड ऑर्डर में समस्या पैदा करना इन्हीं सब कारणों से अरुणाचल प्रदेश व पूर्वोत्तर में सुरक्षा के समक्ष प्रशासन को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय सुरक्षा का आधार है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की भू राजनीति में सबसे शक्तिशाली देश चीन ही है चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत एवं यथार्थवादी होने चाहिए।

भारत-चीन व्यापार –कई कूटनीतिक अवरोधों के बावजूद, भारत और चीन दोनों सरकारें अगले कुछ वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन के साथ व्यापार करना भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन व्यापारिक संबंध एकतरफा बने हुए हैं जिसमें भारतीय उपभोक्ता चीनी सामान अधिक खरीद रहे हैं जबकि इसकी तुलना में चीनी उपभोक्ता भारतीय सार्मोन कम खरीद रहे हैं। भारत को इसकी निर्यात प्रतियोगी क्षमता को बेहतर करके और चीन के साथ व्यापार संतुलन बनाने के लिए अधिक सामान, सेवाओं का उत्पादन करने व निर्यातोन्मुख नीतियों को प्रोत्साहित करके, इस व्यापार घाटे की समस्या का समाधान करना होगा।

निष्कर्ष – अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में स्वाधीनता और स्वायत्तता का मनोभाव बढ़ता जा रहा है। इन राज्यों में सीमा विवाद भी चरम पर है। बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म नहीं हो रही, तो चीन की अरुणाचल पर गिद्धदृष्टि है। वोट की राजनीति के चलते उग्रवादी तत्वों को हवा मिल रही है। राज्य सरकारें केंद्र से आतंकवाद से जूझने के लिए मिलने वाली राशि के लालच में उग्रवादी तत्वों के साथ नूराकुश्ती खेल रही हैं। यहाँ सिक्किम ही इकलौता राज्य है, जो तीन तरफा विदेशी सीमाओं से घिरे होने के बावजूद शांति की टापू बना हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ से पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। कामरेडों की यह भूमि बांग्लादेशियों से पट गई है। हाल ही में मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार की गतिविधियां भी प्रश्नों के घेरे में रही और विवादित भी रही। इसे स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तर में स्थाई शांति व संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, केंद्र सरकार को मजबूत संवैधानिक निकायों व संवैधानिक मूल्य के साथ प्रशासन करने और प्रभावी व तटस्थ नीति निर्माण करने, साथ ही मजबूत एवं नवीनतम तकनीकी से लैस सुरक्षा बलों की सहायता से ही इस इलाके की सुरक्षा चुनौतियों का स्थाई व ठोस समाधान किया जा सकता है।

साथ ही देश के विभिन्न भागों विशेषकर मेट्रो शहरों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की विभिन्न तरह की परेशानियों को देखने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य एमपी बेजबरुआ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका गठन 21 फरवरी 2014 को किया गया यह समिति पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याएं दूर करने के उपाए भी सुझाएगी समिति के कार्य– मूल निवास से दूर रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा (मनोसामाजिक सुरक्षा) सहित विभिन्न चिंताओं का पता लंगाना, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों पर हमले और उनके साथ भेदभाव किए जाने के कारणों का पता लगाना है, इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार को जरुरी उपाय सुझाना, ऐसी चिंताओं से निपटने के लिए कानूनी उपाय सुझाना था। इस प्रकारे पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय सुरक्षा जो भारतीय राजव्यवस्था के समक्ष एक जटिल समस्या बनी हुई है। इसका स्थाई व ठोस समाधान करके ही हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर लोकतांत्रिक ढांचे को वास्तविक अर्थों में मजबूती दे सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Walter frenands, Geeta bharali and vemado kejo (2008)- The UN indigenous decade in North East India- Guwahati: North eastern social research centre] p.1
2. Hem Barua (1954)- The red river and the blue hill- Guwahati laywer's book stall p. 1
3. वाधवा, मंजुला, पूर्वोत्तर : एक आर्थिक परिदृश्य, आलेख – अप्रैल 2018 योजना, प्रकाशन – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. Roy, Burman B.K. (1970), demographic and socio economic profile of the hills area of North East India. New Delhi : office of the registrar general of India & eastern social research centre, p.54.
5. Jaideep Saikia, Bhutan's Tryst with ULFA, Aakrosh, July 2004.
6. Strin]aglaja and ham]peter Van "The Seven Sisters of India Tribal World between Tibet and Brahma"prestel publishers, 2000, p. 03
7. योजना अप्रैल 2018, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 19
8. Amartya Sen : Identity and Violence, The Illusion of Destiny. Allen Lane. London. 2006.
9. Myron Weiner, Sons of the Soil : Migration and Ethnic Conflict in India. Oxford University Press, Delhi, 1988.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

ग्रामीण विकास का नया आयाम -ग्रामीण पर्यटन

रीमा शिन्दे *   डॉ. प्रभु दयाल ज्ञानानी **

* शोधार्थी, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच एवं विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यटन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। पर्यटन उद्योग भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक प्रमुख स्त्रोत हैं। संपूर्ण भारत पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरा है, दुनिया के कोने-कोने से लाखों लोग भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, और प्राकृतिक धरोहरो को देखने आते हैं। जिसका लाभ देश की जीडीपी के साथ ही लोगों को भी होता है। पर्यटन से आज देश के 8 प्रतिशत से ज्यादा लोगो को रोजगार मिल रहा है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएँ और अभियानों की शुरूआत की जिसके तहत ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राज्यों के साथ तालमेल कर योजनाएँ बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश के गाँव पर्यटन की विरासत है, देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश अपनी ऐतिहासिक, प्राकृतिक , सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के समृद्ध परिवेश के साथ हमारे सामने है हमारे गाँव पर्यटन की दृष्टि से सम्पन्न है जो लोगो को अपनी और आकर्षित करते है देश की आत्मा इसके गाँवो में बसी है। प्रदेश के ग्रामीण जीवन और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की शुरूआत की गई है जिसके तहत प्रदेश के लगभग 100 गाँवो का चयन किया गया है, जो कि पर्यटन स्थलों के नजदीक बसे है इसके साथ ही ये गाँव प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं यदि ग्रामीण पर्यटन सफल होता है तो इसका सीधा फायद प्रदेश के साथ ही स्थानीय लोगो को भी होगा लोग आत्मनिर्भर बन रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेगें।

प्रस्तावना – भारत पर्यटन की दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र है भारत के हर राज्य का पर्यटन की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान और महत्व है। भारत जिस प्रकार से विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे देखते हुए ग्रामीण पर्यटन बहुत लोकप्रिय हो गया है। ग्रामीण पर्यटन के तहत पर्यटक देशभर में गाँवों में जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते है और कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की विविधता के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की भूमि है, हमारे देश की नीवं गाँवों पर ही निर्भर करती है। ग्रामीण भारत के पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। ग्रामीण पर्यटन गाँवों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ता है। यह गाँव के लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल कर सकता है, ग्रामीण पर्यटन देश के लिए कई अर्थो में महत्वपूर्ण है न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा जिससे वहाँ के लोगो का जीवन स्तर भी बढ़ेगा वास्तविक भारत को भारत के गांवो को देखकर ही समझा, जाना और पहचाना जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जिससे विश्व पर्यटन बाजार में भारत को अलग पहचान मिल सकती है इससे ग्रामीण क्षेत्रों का और अधिक विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेगे तथा शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। ग्रामीण लोगो का विकास होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प दस्तकारी की वस्तुओं के अलावा अनेक स्थानीय उत्पाद भी होते है। ग्रामीण पर्यटन से बुनकारों और कारीगरों का कला का हुनर देश-विदेश में पँहुचेगा मांग बढ़ेगी तो उससे इन ग्रामीण कलाओं तथा उत्पादों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा अन्यथा ग्रामीण हस्तशिल्प और दस्तकारी धीरे-धीरे विलुप्त होते चले जायेगें। अत: ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को खोजने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एकजुट प्रयास किये जा रहे है देश में ग्रामीण पर्यटन को उन्नत करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ऐसा करने पर ग्रामीण विकास और विस्तार संभव है। ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण जीवनशैली के बारे में ऐसे भ्रम दूर करने में सहायक है, जो सामान्यत: शहरी लोगों को होते है। जैसे ग्रामीण लोगो का अस्वास्थ्कर वातावरण में रहना या ग्रामीण जीवन असुरक्षित, असम्पन्न होना। ग्रामीण पर्यटन पर्यटकों को भारत के सुदूर भागों में व्याप्त विविधता की खोज करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे गाँव पर्यटन की एक समृद्ध विरासत है जो लोगों को अपनी और आकर्षित करते है, गाँव दिलों को छूने वाली एक आनंदमी अनुभूति देते है। मेट्रो सिटी में रहकर दोड़ती भागती जिंदगी का हिस्सा बन गए लोग ग्रामीण पर्यटन का लुफ्त उठा गांव की सुकून भरी सुबह देसी खाने, लोक संगीत, लोक कलाओं, रीति रिवाजों परंपराओं और गांव के सादे जीवन को करीब से महसूस कर सकते हैं। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की आत्मा इसके गांवो में बसी है प्रदेश के ग्रामीण जीवन और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 100 गांवो का चयन किया गया है। ताकि गांवो का विकास हो लोग आत्मनिर्भर बन रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

अध्ययन की परिकल्पना:

1. ग्रामीण पर्यटन को विकसित करके ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते है।
2. यह पर्यटन देशी और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का माध्यम बन सकता है।
3. ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोगी भूमिका निभा सकता है।
4. राज्य में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए आधारभूत संरचना जैसे-

सड़के तथा परिवहन के साधनों की कमी है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा तथा प्रासंगिकता की व्याख्या करना।
2. राज्य के ग्रामीण पर्यटन की वर्तमान स्थिति दर्शाना।
3. राज्य में ग्रामीण पर्यटन की समस्याओं और संभावनाओं की पहचान करना।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए द्वितीयक संमकों की सहायता ली गई है।

ग्रामीण पर्यटन के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव– ग्रामीण पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ लोगों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ने से उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा इससे युवाओं के लिये रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और गाँवों से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन भी रूकेगा, किसी भी स्थान के परम्परागत हथकरधा और हस्तशिल्प स्थानीय लोगों के लिये गौरव का विषय होते है। पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय लोगों से तैयार उत्पाद सीधे खरीदने का लाभ प्राप्त होता है। इसका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यटकों के साथ विचारों के आदान प्रदान से ग्रामीण लोगों में नये विचारो का सृजन होगा इससे शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी आधुनिक उपकरणों आदि के प्रति लोगो की रूचि बढ़ेगी इससे साक्षरता का ओर अधिक प्रसार होगा अधिक से अधिक पर्यटकों द्वारा गाँवों की यात्रा करने से सड़कों के संपर्क में सुधार आएगा और सार्वजनिक परिवहन में बढ़ोत्तरी होगी।

नकारात्मक प्रभाव– ग्रामीण पर्यटन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते है। पर्यटन के लिए सुविधाएं जुटाने से ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के विकास में बढ़ोत्तरी होगी इससे ग्रामीण क्षेत्र में कंक्रीट बढ़ेगा जिससे उनका प्राकृतिक सौंदर्य कम हो सकता है। इसके अलावा पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। पर्यटन का लोगों की परम्परागत जीविका पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है ग्रामीण आबादी कृषि और अन्य परम्परागत जीविका माध्यमों की बजाए पर्यटन से सम्बद्ध आकर्षक जीविका माध्यमों में स्थानान्तरित हो सकती है इससे ग्रामीण पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास– मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और सांस्कृतिक वैभव से सम्पन्न गांवो को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा है। पर्यटन विभाग की कोशिशों का ही परिणाम हैं कि 2021 में मध्यप्रदेश में सैकड़ों पर्यटकों ने ग्रामीण पर्यटन का लुफ्त उठाया हैं इन पर्यटकों में देशी विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे शुरूआती दौर में पर्यटकों की संख्या उम्मीद से कम रही लेकिन स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने और भविष्य की सकारात्कम संभवानाओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त रही।

मध्यप्रदेश में करीब 450 ऐसे पर्यटन केन्द्र हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते है। प्रदेश की पर्यटन नीति निवेशकों के लिए भी अवसरो के द्वार खोलती है। मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति की तारीफ दुनिया भर में हुई। 2021 में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के वर्ल्ड रिस्पांसिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सेंटर ने प्रदेश के पर्यटन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ पोस्ट कोविड पर्यटन गंतव्य विकास श्रेणी में पुरस्कार दिया है। मध्यप्रदेश ग्रामीण पर्यटन को भी इसी श्रेणी में अंचल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार मिला है।

जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, तो देश का हृदय मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासतों के समृद्ध परिवेश के साथ हमारे सामने आता है। हमारे गाँव पर्यटन की एक समृद्ध विरासत है, जो लोगो को अपनी और आकर्षित करते है गांव दिलो को छुने वाली एक आनंदमयी अनुभूति देते है। प्रदेश के ग्रामीण जीवन और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की शुरूआत की गई है इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में जनभागीदारी से प्रदेश के लगभग 100 गाँवो को परियोजना से जोड़ा गया है। जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के नजदीक बसे है इन गाँवो को पर्यटन गाँवो के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन गाँवो में सामुदायिक भागीदारी से पर्यटन गतिविधियाँ संचालित की जाएगी। कुछ गतिविधियों में बेहतर आवास, लोक संगीत, ग्रामीण खेल, स्थानीय कला और शिल्प तथा युवाओ के कौशल उन्नयन शामिल है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत शामिल 100 पर्यटन गाँवो में से कुछ स्थलों के नामों की सूची इस प्रकार है।

क्र.	ग्रामीण पर्यटन स्थल
1	ओरछा
2	खजुराहो
3	मांडू
4	सांची
5	पचमढ़ी
6	पन्ना नेशनल पार्क
7	बांधवगढ़ नेशनल पार्क
8	संजय डुबरी नेशनल पार्क
9	कान्हा नेशनल पार्क
10	हनुवंतिया

इस प्रकार मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और सांस्कृतिक वैभव से संपन्न गांवो को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा है जिससे ग्रामीण स्थलों का विकास हो सकें।

निष्कर्ष – ग्रामीण पर्यटन वास्तव में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो रहा है। यह व्यक्ति को शहर के भीड़ भाड़ से भरे जीवन से दूर सुकून के करीब ले जाता है। इस क्षेत्र को उन्नत करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे है। जिससे स्थानीय लोगों का हर स्तर पर विकास हो सके और गाँवों से शहर की और बढ़ रहे पलायन को रोका जा सके इस तरह कहा जा सके जिससे भारत की आत्मा कहे जाने वाले गाँव नष्ट न हो और बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी रोका जा सके इस तरह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में ग्रामीण पर्यटन बेहतर माध्यम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समाचार पत्र–पत्रिकाएँ
2. दैनिक भास्कर
3. पत्रिका
4. नवभारत
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. wwww.mpgov.in
7. www.mptourism.com

The Essence of Leadership: Inspiring Change and Empowering Success

Dr. Anita Maheshwari*

***Assistant Professor, Govt. Commerce Girls College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - Leadership is an enduring and multifaceted concept that transcends temporal, sectoral, and cultural boundaries. It stands as a vanguard force that propels progress, cultivates innovation, and imbues individuals and organizations with the potential for profound transformation. Regardless of whether one finds oneself in the corporate echelons, political spheres, sporting arenas, or the myriad facets of life, effective leadership remains the linchpin of success. The present paper focuses on the concept of leadership and leadership styles.
Keywords: Leadership, Transformation, Leadership Style.

Introduction - *"You must be the change you want to see in the world." - Mahatma Gandhi*

Leadership is a timeless concept that transcends boundaries, industries, and cultures. It is the force that drives progress, inspires innovation, and empowers individuals and organizations to achieve their full potential. Whether in the corporate world, politics, sports, or any facet of life, effective leadership is the cornerstone of success. Leadership is a multifaceted concept that encompasses the process of guiding, influencing, and inspiring individuals or groups to achieve common goals, objectives, or a shared vision. Warren Bennis stated that Leadership is the capacity to translate vision into reality.It involves a person, known as a leader, who provides direction, motivation, and support to others, often within an organization or community, to work collaboratively toward a desired outcome.

According to John C. Maxwell, "Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another." Similarly Peter Drucker explained that effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results, not attributes. In his book, Nelson Mandela mentioned that a leader is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind.

Leadership can occur in various contexts, including business, politics, community organizations, and everyday life. Effective leaders often exhibit qualities such as vision, communication skills, empathy, and the capacity to make strategic decisions that positively impact their team or organization. Leadership is a complex concept, and different theories and approaches exist to understand and practice it.

Key aspects of leadership:

1. **Influence:** Leadership is fundamentally about influence and the ability to guide, inspire, and motivate others. Leaders have the power to shape the thoughts, actions, and behaviors of individuals or groups towards a common purpose or goal.
2. **Vision:** Effective leaders often have a clear and compelling vision of the future. They articulate this vision to their followers, outlining the direction the group should move in and the objectives to be achieved.
3. **Inspiration:** Leadership involves inspiring and energizing others. Leaders can instil a sense of purpose, enthusiasm, and commitment among their team members, encouraging them to put forth their best efforts.
4. **Guidance:** Leaders provide guidance and direction. They make decisions, set priorities, and allocate resources to ensure that the group or organization moves toward its goals efficiently and effectively.
5. **Communication:** Communication is a crucial component of leadership. Leaders must be skilled at conveying their ideas, expectations, and vision clearly and effectively. Equally important is the ability to listen to the concerns and feedback of others.
6. **Adaptability:** Leadership often requires adaptability. Leaders must be able to respond to changing circumstances, unexpected challenges, and evolving goals. Flexibility and the capacity to make informed adjustments are vital.
7. **Empowerment:** Empowering others is a hallmark of effective leadership. Leaders delegate authority, trust their team members, and provide opportunities for growth and development.
8. **Ethical and Moral Values:** Strong leaders typically

adhere to ethical and moral principles. They lead by example, demonstrating integrity, honesty, and a commitment to ethical behavior.

9. Situational Awareness: Leadership is often situational. Effective leaders assess the context and adapt their approach accordingly. What works in one situation may not be suitable for another.

10. Continuous Improvement: Leadership is not static; it involves ongoing self-improvement and development. Leaders strive to enhance their skills, knowledge, and abilities to better serve their followers and achieve their goals.

11. Team Building: Leaders often play a significant role in assembling and nurturing high-performing teams. They foster collaboration, trust, and a sense of unity among team members.

12. Accountability: Leaders are accountable for the outcomes of their decisions and actions. They take responsibility for both successes and failures and use them as opportunities for learning and improvement.

Leadership is not confined to formal positions or titles; it can be exhibited by individuals at various levels of an organization or within any community. Effective leadership can have a profound impact on the achievement of goals, the well-being of individuals, and the success of organizations and societies.

Leadership, in its essence, necessitates agility. It demands the capacity to pivot, to chart new courses, and to reinvent in the face of a dynamic landscape. Adaptability equips leaders with the requisite fortitude to lead their organizations through turbulent waters, emerging stronger and more resilient.

The Impact of Leadership: Effective leadership has a profound impact on individuals, organizations, and society at large:

1. Organizational Success: Strong leadership is often the driving force behind an organization's success. Leaders set the tone for the workplace culture, motivate employees, and guide the strategic direction of the company.

2. Employee Engagement: Leaders who inspire and empower their teams tend to have more engaged employees. Engaged employees are more productive, creative, and committed to their work, ultimately contributing to the organization's success.

3. Innovation: Innovation thrives under the guidance of visionary leaders who encourage creative thinking and experimentation. Such leaders inspire their teams to push boundaries and explore new possibilities.

4. Social Change: Leadership extends beyond the workplace and can impact society at large. Visionary leaders have historically played pivotal roles in driving social and political change, advocating for equality, justice, and progress.

Leadership Styles: Leadership styles exhibit remarkable variance contingent upon a leader's personality, the cultural milieu of the organization, and the specific context within which they operate. Here are a few common leadership styles:

- **Transformational Leadership:** Transformational leadership constitutes a paradigm wherein leaders operate as visionaries, catalysts of change, and inspirers of extraordinary achievement. Notable for their charisma and their adeptness at articulating an inspiring vision, transformational leaders foster a culture of innovation and continuous improvement.

Central to transformational leadership is the capacity to not only envision but to also enkindle a shared vision among followers. By establishing a magnetic pull toward a collective future, these leaders galvanize individuals to transcend their existing limitations and attain unparalleled excellence.

- **Servant Leadership:** Servant leadership offers a stark departure from conventional paradigms by accentuating the primacy of service to others. Servant leaders prioritize the needs and aspirations of their team members over their own, fostering a climate of selflessness and empowerment. Profoundly influenced by the writings of Robert K. Greenleaf, servant leadership posits that by serving the needs of others, leaders can cultivate a motivated, engaged, and high-performing workforce. This style underscores that the path to organizational success traverses through the cultivation of individual growth and fulfilment.

- **Democratic Leadership:** Democratic leadership, as the name suggests, hinges on the democratic ethos of inclusion and collaboration. Leaders espousing this style actively solicit input from their team members, nurturing an environment where diverse perspectives are valued and collective decision-making thrives.

In essence, democratic leaders eschew autocratic dictates, opting instead for a consultative and participatory approach to leadership. By inviting the contributions and insights of team members, they harness the collective wisdom of the group, fostering a culture of engagement and ownership.

- **Autocratic Leadership:** Autocratic leadership, antithetical to democratic leadership, pivots on the centralization of decision-making authority in the hands of the leader. Leaders subscribing to this style make unilateral decisions, expecting unwavering adherence to their directives.

While this style may be effective in exigent circumstances requiring rapid and decisive action, it often poses challenges to employee empowerment and the cultivation of a collaborative culture. Autocratic leadership, therefore, is most judiciously employed when the situation necessitates immediate and unequivocal directives.

Conclusion: According to W.C.H. Prentice, "Effective leaders take a personal interest in the long-term development of their employees, and they use tact and other social skills to encourage employees to achieve their best.

It isn't about being "nice" or "understanding"—it's about tapping into individual motivations in the interest of furthering an organization wide goal".

Leadership is not confined to a single definition or style. Instead, it encompasses a diverse range of attributes and approaches. Effective leadership requires a deep commitment to personal growth, a passion for creating positive change, and a genuine desire to uplift and empower others. Whether you are leading a small team or striving to make a difference on a global scale, the essence of leadership remains the same: to inspire, guide, and transform for the betterment of all.

References:-

1. Kaplan, R. E., & Kaiser, R. B. (2003). Developing versatile leadership. MIT Sloan Management Review, 44(4), 19–26.
2. Hogan, R., & Warrenfeltz, R. (2003). Educating the modern manager. Academy of Management Learning and Education, 2, 74–84.
3. Day, D. V., & Lord, R. G. (1988). Executive leadership and organizational performance. Journal of Management, 14, 453–464.
4. https://hbr.org/2004/01/understanding-leadership

****

जनजातीय वर्ग के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका- मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

विरेन्द्र अजनेर*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - लोकतंत्रात्मक प्रणाली का किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अन्तर्गत लोगों या समुदायों का निर्बाध रूप से विकास करने की स्वतंत्रता होती है। जब विकास की बात आती है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा देश के विकास को दिशा प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

शब्द कुंजी - जनप्रतिनिधि, विकास।

प्रस्तावना - जब विकास की बात आती है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा देश के विकास को दिशा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। जनप्रतिनिधि वह व्यक्ति है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी माना जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इनके द्वारा विकास के प्रत्येक पहलूओं पर कार्य किया जाता है। देश के पिछड़े एवं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की जब बात की जाती है, तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

शोध विषय का चयन - भारत में जनजातीय विकास की अवधारणा के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनका क्रियान्वयन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इन जनप्रतिनिधियों में विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता होने के कारण वे उस क्षेत्र विशेष के प्रति संकल्पित होते है। इस शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले में जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों की बाहुल्यता है और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इन जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धार जिले के जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार का योगदान रहा है? इन जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में जनहित के कौन-कौन से कार्य किए गए है ? इन जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षेत्र के लोगों का विचार कैसा है ? इन समस्त प्रासंगिक प्रश्नों को आधार बनाकर ही **जनजातीय वर्ग के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका- मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन** नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अध्ययन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली का अध्ययन करना।
2. जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में किए गए विकासात्मक कार्यो का विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व - देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहे। यदि जनप्रतिनिधि सक्रिय होकर कार्य करते है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास को गति मिलती है और वह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार रहता है। इस शोध कार्य के माध्यम से जनजातीय वर्ग के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों प्रति क्षेत्र के लोगों की विचारधारा का पता चल सकेगा, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास की नीतियों का निर्धारण करने वाले नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्षक की भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त यह शोध अध्ययन नवीन शोधकर्ताओं के लिए काफी लाभदायक होगा।

अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले में कुल 07 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें कुक्षी, मनावर, गंधवानी, धरमपुरी एवं सरदारपुर शामिल है। इसी प्रकार से जिले में कुल 13 जनपद पंचायतें है, जिसमें धार, तिरला, कुक्षी, बाग, निसरपुर, डही, मनावर, उमरबन, गंधवानी, सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, नालछा आदि शामिल है। इनमें से सर्वाधिक जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधि जनजाति वर्ग के है।

निदर्शन प्रक्रिया

1. **अध्ययन का समग्र -** इस शोध कार्य के **समग्र** के रूप में अध्ययन हेतु चयनित धार जिले के जनजातीय वर्ग के जनप्रतिनिधियों को एवं जिले के उन लोगों को शामिल किया गया है, जो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र में निवास करते है।
2. **अध्ययन की इकाई -** अध्ययन के **समग्र** में से अध्ययन की **इकाई** के रूप में धार जिले की जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों एवं जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधि और प्रत्येक जनपद पंचायत से कुल 1 और 20 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत से 12 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

उत्तरदाताओं का चयन – इस महत्वपूर्ण शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। धार जिले की 05 विधानसभाओं एवं जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत से कुल 20 (20x12) लोगों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। इस प्रकार जिले की कुल 10 जनपद पंचायतों के 260 उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है–

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. जनप्रतिनिधि की सक्रियता एवं जागरूकता के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार जनप्रतिनिधि की सक्रियता एवं जागरूकता के संबंध 85.77 उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सक्रिय एवं जागरूक है। लेकिन 14.23 उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सक्रिय एवं जागरूक नहीं है। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सक्रिय एवं जागरूक है।

2. जनप्रतिनिधि का गाँव में भ्रमण के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 84.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव का भ्रमण किया जाता है, वहीं 15.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके विपरीत अपना अभिमत व्यक्त किया है। इस प्रकार उक्त समंकों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव का भ्रमण किया जाता है।

3. जनप्रतिनिधियों के गाँव भ्रमण की समयावधि के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार जनप्रतिनिधियों के गाँव भ्रमण के पक्ष में अभिमत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में से 32.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव का भ्रमण 1–3 महिने में किया जाता है, जबकि 67.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव के भ्रमण की समयावधि के संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव के भ्रमण की समयावधि के संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

4. जनप्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में विकास/निमार्ण कार्य के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है और 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके विपरीत अपना अभिमत व्यक्त किया है। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है।

5. गाँव में विकास/निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होने के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार चयनित उत्तरदाताओं में से 81.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, वह गुणवत्तापूर्ण है। 18.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार जनप्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, वह गुणवत्तापूर्ण है।

उपसंहार – उक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के धार जिले में अनुसचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और इस कारण से क्षेत्र का विकास भी हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रावत, हरिकृष्ण, समाज शास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2001, पृ0 296
2. https://legislative.gov.in/sites/default/files/H195143_0.pdf
3. https://hi.prsindia.org/billtrack -2017
4. दयाल, तेजमल(1961), भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सुरभि प्रकाशन, कानपुर (उ.प्र.)
5. भारत की जनगणना, 2011

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

जनजातीय विकास में शासन की योजनाओं का योगदान- मध्य प्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

मेघा रावत*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वतंत्रता के पश्चात् देश के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ समय-समय पर आवश्यकतानुसार बनाई गई और ग्रामीण विकास के आधारभूत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किए गए हैं। यह अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास हुआ हैं।

शब्द कुंजी –कार्यक्रम, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना – लोकतांत्रिक देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उस देश की कल्याणकारी सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ समय-समय पर आवश्यकतानुसार बनाई गई और ग्रामीण विकास के आधारभूत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किए गए हैं। यह अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास हुआ हैं। आज सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्राामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तीन स्तरों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित हो रही हैं, यथा बाह्य सहायता प्राप्त, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम।

शोध विषय का चयन– देश के विभिन्न भागों में बसे हुए जनजातीय समुदायों के लिए केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जा रहा है। इन क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है ? इन जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले विकास के क्या पूर्ण हो पाते है या नहीं ? आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इन समस्त बिन्दुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए ही **जनजातीय विकास में शासन की योजनाओं का योगदान- मध्य प्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन** नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं महत्व – मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित धार जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धार जिले की कुल जनसंख्या 2185793 है, जिसमें 1222814 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। जो धार जिले की कुल जनसंख्या का 55.94 प्रतिशत है। धार जिले में भी जनजाति विकास के लिए अनेक शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और जनजातीय विकास की दृष्टि से मध्यप्रदेश एवं देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पहलू को ध्यान में रखकर ही इस शोध कार्य के लिए धार जिले का चयन किया गया है।

निदर्शन प्रक्रिया

1. **अध्ययन का समग्र –** इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित जनजातीय बाहुल्य धार जिले के चयनित उत्तरदाता है।
2. **अध्ययन की इकाई –** अध्ययन के समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में धार जिले के चयनित गाँवों से कुल 400 लोगों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – इस शोध कार्य के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन क्षेत्र से उत्तरदाताओं का चयन **दैव निदर्शन पद्धति** से किया गया है। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले की 8 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 50 व्यक्तियों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया। इस प्रकार जिले से कुल 400 उत्तरदाताओं (50x8= 400) का चयन **अध्ययन की इकाई** के रूप में किया गया।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष

1. **विशेष केन्द्रीय सहायता की पूरी राशि प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार** विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत स्वीकृत पूरी धनराशि अथवा सहायता प्राप्त हुई है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता का निर्धारित मद पर उपयोग के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित उत्तरदाताओं में से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राप्त सहायता का उपयोग उसी कार्य पर किया है, जिस हेतु सहायता राशि स्वीकृत हुई है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं सहायता राशि का उपयोग निर्धारित मद पर नहीं किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि का उपयोग निर्धारित मद पर किया है।

3. विशेष केन्द्रीय सहायता के पूर्ण उपयोग के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित उत्तरदाताओं में से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राप्त सहायता का उपयोग उसी कार्य पर किया है, जिस हेतु सहायता राशि स्वीकृत हुई है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं सहायता राशि का उपयोग निर्धारित मद पर नहीं किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि का उपयोग निर्धारित मद पर किया है।

4. आवास सहायता योजना की पूरी राशि प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार आवास सहायता योजना से संबंधित सभी उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्हें आवास सहायता योजना की पूरी राशि प्राप्त हुई है।

5. आवास सहायता योजना के उद्देश्यों की जानकारी के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार आवास सहायता योजना से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना के उद्देश्यों की जानकारी है और 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उक्त योजना उद्देश्यों की जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आवास सहायता योजना से संबंधित सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना के उद्देश्यों की जानकारी है।

6. आवास सहायता योजना की राशि समय पर मिलने के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार आवास सहायता योजना से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्हें आवास सहायता योजना की राशि समय पर प्राप्त हुई है और 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्हें आवास सहायता योजना की राशि समय पर प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आवास सहायता योजना से संबंधित सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना की राशि समय पर प्राप्त नहीं हुई है।

7. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी राशि प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूर्ण राशि प्राप्त हुई है।

8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उपयोग निर्धारित मद पर उपयोग के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की राशि का उपयोग निर्धारित मद पर ही किया है।

9. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 71.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। 29.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित अधिकांश उत्तरदाताओं को उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

उपसंहार – उक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश के धार जिले में अनुसचित जनजाति वर्ग को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जनजातीय समाज विकास की दिशा में आगे बढ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना–2011
2. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
3. भगत एल. एन (1983)'फैक्टर्स डिटर्मिनिंग अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल प्राक्टीसिस इन ट्राइबल एरियास – अ क्वॉन्टिटेटिव एनालिसिस', एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, जून
4. कोठारी, के. एल. (1985)'ट्राइबल सॉशल चैन्ज इन इंडिया', हिमांशु पब्लिकेशन्स, दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

कलौता समाज में नेतृत्व परिवर्तन लाने में पंचायती राज की भूमिका- देपालपुर विकास खण्ड का एक अध्ययन

अर्जुन चौहान*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) स्कूल ऑफ सोशल साइंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र कलौता समाज में नेतृत्व परिवर्तन लाने में पंचायती राज की भूमिका से संबंधित है। इस शोध पत्र हेतु इन्दौर जिले के देपालपुर विकास खण्ड का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पश्चात कलौता समाज में नेतृत्व में किस प्रकार परिवर्तन हुए है। इस अध्ययन हेतु देपालपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों से कलौता समाज के 220 जन-प्रतिनिधियों का चयन उद्देश्यपूर्ण रीति के माध्यम से किया गया है।

निष्कर्ष के तौर पर पाया गया है कि परम्परागत नेतृत्व जो अधिक आयु, वंश परम्परागत, पूर्व अनुभव, कम शिक्षित, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं जातिगत वर्चस्व पर आधारित था, का प्रभाव कम हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पश्चात मध्यम वर्गीय नेतृत्व की प्रधानता बढ़ी, युवा एवं महिला नेतृत्व का उदय हुआ, सामूहिक नेतृत्व का विकास हुआ और नेतृत्व में विशेषीकरण हुआ, नेतृत्व एवं राजनीति में संबंध बने एवं प्रजातान्त्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है।

शब्द कुंजी – नेतृत्व चेतना, जन-प्रतिनिधि, पंचायती राज, युवा नेतृत्व, जातिगत वर्चस्व

प्रस्तावना – परम्परागत भारतीय ग्रामीण राजनीति में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेतृत्व का यह रूप वंशानुगत था जो पिता से पुत्र को उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। नेतृत्व के लिए उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की मुख्य भूमिका होती थी। अनुभव और जातिगत वर्चस्व पर आधारित होने के कारण नेतृत्व के लिए शिक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। परम्परागत रूप से नेतृत्व उच्च जातियों के अधिकार में रहा है। इन ऊँची जातियों द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों को राजनीति में भाग लेना तो दूर मतदान करने से भी रोका जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों और महिलाओं की दशा सुधारने और प्रशासन के कार्यों में इन्हें भागीदार बनाकर नेतृत्व प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कीगई।

73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और प्रशासन में जन-सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के माध्यम से नियमित चुनाव सम्पन्न करवाए गए तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। कुल स्थानों में से एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे लेकिन मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इससे आगे बढ़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पच्चास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए है। आरक्षण के माध्यम से भारत में पंचायती राज स्तर पर विश्व में सर्वाधिक महिला जन-प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

नियमित चुनाव में भाग लेने के कारण ग्रामीण जनता का राजनीतिकरण हुआ है और उनमें नेतृत्व चेतना का संचार हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन से गाँवों में विकास की प्रक्रिया को गति मिली है एवं गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, पेयजल आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पंचायतों द्वारा किए गए है वही परम्परागत ग्रामीण सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। ग्रामीण समाज का एक बड़ा भाग अपनी जन्मस्थिति, निर्धानता, अशिक्षा लिंगभेद तथा उच्च कुलीन वर्गों द्वारा थोपी गई सामाजिक मान-मर्यादाओं के कारण क्षेत्र के नीति निर्धारण के पदों एवं अधिकारों से वंचित था उसे आरक्षण के माध्यम से इन पदों एवं अधिकारों की प्राप्ति हुई है जिसने इन परिवर्तनों को जन्म दिया है। पंचायतों के माध्यम से गाँव की समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से गाँव में ही किया जाने लगा है जिससे जनता को शासन के विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और समय, श्रम और धान की भी बचत हुई है।

भारत अगर आज विश्व पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्शाता है तो इसके पीछे कहीं न कहीं ग्राम पंचायत स्तर के लोकतंत्र की मुख्य भूमिका है। ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए गए विकास मॉडलों को विश्व के कई देश उनके यहाँ प्रयोग कर रहे है। कोरोना काल में पंचायतों में चुने हुए जन-प्रतिनिधियों ने जनता को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कर विश्व के समक्ष अपनी नेतृत्व क्षमता को उजागर करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास कियाहै।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी होने से गाँवों में राजनीतिक

सहभागिता, जन-चेतना और जागृति का सूत्रपात हुआ है जिसके परिणामस्वरूप नेतृत्व के परम्परागत स्वरुप में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे है।

संबंधित साहित्य का अवलोकन

डी.एस. चौधारी (1961) ने अपने अध्ययन में उभरते ग्रामीण नेतृत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने स्थानीय स्वशासन में नेतृत्व की पृष्ठभूमि एवं उसकी कार्यप्रणाली को राजस्थान के सन्दर्भ में विवेचित किया है। उनके अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के पश्चात परम्परागत ग्रामीण नेतृत्व में सराहनीय परिवर्तन आया है।

एस.एस. भदौरिया (1976) ने अपने अध्ययन में ग्रामीण नेतृत्व में नवीन परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। मालवा के अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि पंचायतों के माध्यम से उचित जनतांत्रिक नेतृत्व की तुलना में परम्परागत नेतृत्व का प्रभाव कम होता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनतांत्रिक नेतृत्व में शिक्षित एवं ब्राह्य सम्पर्क रखने वाले व्यक्तियों को अधिक महत्तव मिल रहा है।

जी.डी. भट्ट (1997) ने ग्रामीण भारत में उभरते नेतृत्व का अनुभवजन्य अध्ययन किया है। उत्तरप्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत नेतृत्व की व्यवस्था में परिवर्तन आया है। पंचायतों के निचले स्तर पर नेतृत्व में अब जाति की भूमिका धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। अध्ययन के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना की ओर शिक्षित लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है।

डॉ.जे.सी. सिन्हा (2009) ने नेतृत्व परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका को स्पष्ट किया है। झाबुआ जिले के जनजाति समाज के अध्ययन के आधार पर उन्होंने पाया कि जो नेतृत्व उभरकर आ रहा है वह मध्यम एवं युवा वर्ग से है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो नेतृत्व उभरकर आ रहा है वह अनुभव की दृष्टि से नवीन है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. कलौता समाज में नेतृत्व कर रहे जन-प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. देपालपुर विकास खण्ड में कलौता समाज के प्रतिनिधित्व की स्थिति ज्ञात करना।
3. कलौता समाज में नेतृत्व परिवर्तन लाने में पंचायती राज की भूमिका ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - इस अध्ययन हेतु इन्दौर जिले के देपालपुर विकास खण्ड का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। इस विकास खण्ड में 172 आबाद ग्राम एवं 1 वीरान ग्राम है। विकास खण्ड में 108 ग्राम पंचायतों एवं 1342 पंच वार्डों का गठन किया गया है। देपालपुर विकास खण्ड का मुख्यालय देपालपुर नगर में स्थित है। जो भारत के पांचवें तीर्थ चौबीस अवतार मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। सम्पूर्ण देपालपुर विकास खण्ड मालवा के पठार पर अवस्थित है। इसका 22.37° से 23.05° उत्तरी अक्षांश एवं 75.25° से 75.45° पूर्वी देशांतर तक विस्तार तथा कुल क्षेत्रफल 124489 हेक्टयर है। देपालपुर विकास खण्ड की सीमाओं का विस्तार पूर्व में सांवेर विकास खण्ड, दक्षिण पूर्व में इन्दौर और महू विकास खण्ड, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में धार जिले और उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में उज्जैन जिले तक है। विकास खण्ड की पूर्वी सीमा गंभीर नदी द्वारा एवं पश्चिमी सीमा का निर्धारण चम्बल नदी द्वारा किया जाता है।

कलौता समाज को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में अधिसूचित किया गया है।

देपालपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में कलौता समाज का प्रतिनिधित्व

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र	ग्राम पंचायत /वार्ड की कुल संख्या	कलौता समाज के प्रतिनिधित्व की स्थिति			
			पुरुष	महिला	योग	कुल संख्या का प्रतिशत
1	ग्राम पंचायत	108	16	09	25	23.14
2	वार्ड	1342	181	209	390	29.06
	कुल योग	1450	197	218	415	28.62

स्त्रोत: निर्वाचन अधिकारी देपालपुर जनपद

शोध प्रविधि -इन्दौर जिले के देपालपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों और वार्डों में निर्वाचित कलौता समाज के जन-प्रतिनिधियों को निदर्शन के रूप में चुना गया है। देपालपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित 25 सरपंच एवं 195 पंच का चयन उद्देश्यपूर्ण रीति के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 220 (110 पुरुष, 110 महिलाएँ) कलौता समाज के जन-प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। चयनित निदर्शन कलौता समाज के सरपंच प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 100 प्रतिशत एवं कलौता समाज के पंच प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों को निर्वाचन अधिकारी से लिया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

आयु -ग्रामीण नेतृत्व के निर्धारण में आयु की महत्वपूर्ण भूमिका है। परम्परागत भारतीय ग्रामीण नेतृत्व में बुजुर्ग या अधिक आयु वर्ग के लोगों की जो अधिक परिपक्व एवं अनुभवी होते है, की प्रधानता रही है।

तालिका 1 में उत्तरदाताओं का आयु के आधार पर वर्गीकरण प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 51.82 प्रतिशत उत्तरदाता मध्य आयु वर्ग से है। जिनमें 44 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 52.83 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 37.73 प्रतिशत उत्तरदाता युवा वर्ग से है जिसमें 28 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 38.97 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। जबकि 51 वर्ष से अधिक उम्र अथवा बुजुर्ग वर्ग से 10.45 प्रतिशत उत्तरदाता है जिनमें 28 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 8.20 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कलौता समाज में जो नेतृत्व उभरकर आ रहा है वह मध्यम आयु वर्ग से है साथ ही युवा नेतृत्व वर्ग समूह भी एक बड़ी संख्या में उभरकर आया है।

शिक्षा - परम्परागत नेतृत्व के निर्धारण के लिए शिक्षा कोई आवश्यक तत्व नहीं होता था। लेकिन आधुनिक समाज में नेतृत्व से यह आशा की जाती है उसे कम से कम अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होना चाहिए जिससे कि उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दों को समझने एवं उनका समाधान करने की क्षमता हो।

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि 31.36 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक

की शिक्षा प्राप्त है इनमें 4 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 34.88 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 29.09 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है जिसमें 20 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 30.25 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 18.64 प्रतिशत उत्तरदाता केवल साक्षर है जिनमें 48 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 14.87 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 13.64 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है जिनमें 28 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 11.80 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 2.27 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है इनमें सभी पंच उत्तरदाता है। जबकि 5 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर है इनमें सभी महिला पंच उत्तरदाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि लगभग तीन चौथाई जनप्रतिनिधि प्राथमिक स्तर या उससे अधिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से समाज के शिक्षित वर्ग के सदस्यों को नेतृत्व का अवसर मिला है।

भू स्वामित्व –परम्परागत भारतीय ग्रामीण समुदाय में भूमि का स्वामित्व सदैव से शक्ति एवं प्रतिष्ठा का मुख्य आधार रहा है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में खेती योग्य भूमि का एक बड़ा भाग हमेशा से कुछ व्यक्तियों के पास केन्द्रित रहा है। इसके विपरीत कम भूमि वाले एवं भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या अधिक रही है जो अपनी जीविका के लिए इन बड़े भूमि–स्वामियों पर अधिक निर्भर रहे है। इसलिए इन बड़े भूमि स्वामियों को ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व के ज्यादा अवसर प्राप्त होते रहे है।

तालिका 3में उत्तरदाताओं के पास भूमि की उपलब्धाता के सन्दर्भ में तथ्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि 45.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास पाँच बीघा या उससे कम भूमि है। इनमें 28 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 48.20 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 6 से 10 बीघा के मध्य भूमि स्वामित्व वाले 36.82 प्रतिशत उत्तरदाता है जिनमें 44 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 35.90 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 13.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 11 बीघा से अधिक भूमि है इनमें से 28 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 11.29 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 4.10 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन है। इनमें सभी पंच उत्तरदाता है। स्पष्ट है कि दो चौथाई के लगभग जनप्रतिनिधियों के पास बहुत ही कम भूमि है। एक तिहाई जन–प्रतिनिधियों का भूमि स्वामित्व मध्यम (6 से 10 बीघा समूह) वर्ग का है।

इस प्रकार कहा जा सकता है ग्राम पंचायतों के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग के सदस्यों को योजनाओं का लाभ प्राप्त होने से इनके जीवन स्तर में सुधार ही नहीं हुआ है बल्कि इनमें नेतृत्व चेतना का संचार भी हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप बड़े भूमि स्वामियों पर इन वर्गों की निर्भरता कम होती जा रही है।

पंचायत चुनाव में भाग लेने का पूर्व अनुभव – लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचन का अपना विशेष महत्व है। निर्वाचन के माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है।

तालिका 4 में उत्तरदाताओं द्वारा पंचायत के चुनावों में भाग लेने के पूर्व अनुभव को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 से स्पष्ट है 75.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायत चुनाव में भाग लेने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है उन्होंने प्रथम बार ही पंचायत चुनाव में भाग लिया है। इनमें 84 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 74.36 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 19.55 प्रतिशत उत्तरदाता एक बार पूर्व में भी पंचायत चुनाव में भाग ले चुके है जिनमें 12 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 20.52 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 5 प्रतिशत उत्तरदाता दो या दो से अधिक बार पंचायत चुनाव में भाग ले चुके है। इनमें 4 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 5.12 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है।

महिला उत्तरदाताओं के सन्दर्भ में देखा जाए तो 88.89 प्रतिशत महिला सरपंच उत्तरदाताओं ने एवं 82.17 प्रतिशत महिला पंच उत्तरदाताओं ने प्रथम बार ही पंचायत चुनाव में भाग लिया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि तीन चौथाई जन–प्रतिनिधि नए है एवं उन्होंने पंचायत चुनाव में प्रथम बार भाग लिया है।

चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की संख्या – उत्तरदाताओं के सम्मुख पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की संख्या को तालिका 5 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 5 से स्पष्ट है कि 74.09 प्रतिशत उत्तरदाता निर्विरोधा निर्वाचित हुए है। इनमें 8 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 82.56 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। 13.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एक–एक प्रत्याशियों का सामना करना पड़ा है। इनमें सभी 14.88 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। जबकि 12.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दो या दो से अधिक उत्तरदाताओं का सामना करना पड़ा है। जिनमें से 92 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 2.56 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच स्तर पर 92 प्रतिशत जन–प्रतिनिधियों को दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा है जबकि पंच स्तर पर 82.56 प्रतिशत जन–प्रतिनिधि निर्विरोधा निर्वाचित हुए है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता – उत्तरदाताओं द्वारा ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेने के सन्दर्भ में तथ्यों को तालिका 6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 6 से स्पष्ट है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेते है। इनमें 80 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 63.07 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है। जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं की ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग लेने की स्थिति अनियमित है जिनमें 20 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता एवं 36.93 प्रतिशत पंच उत्तरदाता है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो स्पष्ट है कि 44.44 प्रतिशत महिला सरपंच उत्तरदाता एवं 55.44 प्रतिशत महिला पंच उत्तरदाता ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग नहीं लेती है। इस प्रकार स्पष्ट है केवल दो तिहाई जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं द्वारा नियमित रूप से भाग नहीं लेने के कारणों की समीक्षा की जाए तो स्पष्ट है कि पुरुष प्रधान समाज, अशिक्षा एवं परिवार के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

निष्कर्ष– उपरोक्त शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाले गये है–

1. कलौता समाज में नेतृत्व जो कि अब तक पटेल अथवा समाज के

बुजुर्ग या अधिक आयु वर्ग के लोगों के हाथ में रहता था, अपने परम्परागत स्वरुप से एकदम परिवर्तित रुप में है। कलौता समाज में जो नेतृत्व उभरकर आ रहा है वह मध्य आयु वर्ग से है। साथ ही युवा नेतृत्व भी तेजी से उभरकर आ रहा है।

2. कलौता समाज में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नेतृत्व में शिक्षित वर्ग का प्रभाव बढ़ा है।
3. कलौता समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा पंचायती राज के माध्यम से जो नेतृत्व उभरकर आ रहा उसमें निम्न एवं मध्यम आकार के भूमि स्वामित्व वाले जन-प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है।
4. कलौता समाज में पंचायती राज के माध्यम से जो नेतृत्व उभरकर आया है उसमें 75 प्रतिशत जनप्रतिनिधि प्रथम बार निर्वाचित हुए है।
5. पंचायती राज व्यवस्था से नेतृत्व के विभिन्न स्तरों पर विशेषीकरण हुआ है। अधिकाँश सरपंच जन-प्रतिनिधियों को दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा तो इसके विपरीत अधिकाँश पंच जन-प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए है।
6. पंचायती राज व्यवस्था के कारण कलौता समाज में बड़ी संख्या में शक्ति केन्द्र स्थापित हो गए है और लोग नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अधिक जागरूक हो गए है।
7. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला है लेकिन पुरुष प्रधान समाज एवं परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र एवं महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों को नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एवं भट्ट,आशीष, 'मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था: विविध आयाम', संस्करण प्रथम, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2011, पे.न. 159, 155.
2. चौधारी, कृष्ण चंद्र, 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी', कुरुक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 9, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, जुलाई 2018, पे.न. 39.
3. कुमार, गौरव, 'जमीनी लोकतंत्र का सशक्तिकरण', कुरुक्षेत्र, वर्ष 62, अंक 1, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, नवम्बर 2015, पे.न. 43.
4. चौधारी, डी.एस., 'इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इंडियन स्टेट्स', मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1961.
5. भदौरिया, एस.एस., 'इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ़ रूरल लीडरशिप', अप्रकाशित शोध प्रबंध, विक्रम वि.वि., उज्जैन, 1976.
6. भट्ट, जी.डी., 'इमर्जिंग लीडरशिप पैटर्न इन रूरल इंडिया', एम.डी. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997.
7. सिन्हा, जे.सी., 'पब्लिक अवेयरनेस एंड पीपल पार्टिसिपेशन थ्रो पंचायती राज', माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, यू.जी.सी.,सी.आर.ओ., भोपाल, 2009.
8. डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैंडबुक इन्दौर, 2011, पे.न. 5,11.
9. https://bccomm.mp.gov.in/castelist.htm, अद्यतन दिनांक 05/06/2023, समय 02:11.
10. https://mplocalelection.gov.in/iems/without_olin/sarpatra_reports_all.aspx, अद्यतन दिनांक 04/11/2022, समय 11:22.

अभिस्वीकृति - अर्जुन चौहान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से डॉक्टोरल फेलोशिप प्राप्तकर्ता है। उनका यह शोध पत्र काफी हद तक आईसीएसएसआरद्वारा प्रायोजित उनके डॉक्टरेट कार्य का परिणाम है। हालाँकि, शोध पत्र में प्रस्तुत किए गए तथ्यों, व्यक्त किए गए विचारों और निकाले गए निष्कर्ष की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेखक की है।

तालिका 1: आयु

क्र.	आयु	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	18 से 40 वर्ष	05 (31.25)	02 (22.22)	07 (28.00)	31 (32.98)	45 (44.55)	76 (38.97)	83 (37.73)
2	41 से 50 वर्ष	07 (43.75)	04 (44.45)	11 (44.00)	53 (56.38)	50 (49.50)	103 (52.83)	114 (51.82)
3	51 वर्ष से अधिक	04 (25.00)	03 (33.33)	07 (28.00)	10 (10.64)	06 (05.95)	16 (08.20)	23 (10.45)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

तालिका 2: शैक्षणिक पृष्ठभूमि

क्र.	शैक्षणिक स्तर	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	निरक्षर	-	-	-	-	11 (10.89)	11 (05.64)	11 (05.00)
2	साक्षर	04 (25.00)	08 (88.89)	12 (48.00)	-	29 (28.71)	29 (14.87)	41 (18.64)
3	प्राथमिक	01 (06.25)	-	01 (04.00)	29 (30.86)	39 (38.62)	68 (34.88)	69 (31.36)
4	माध्यमिक	05 (31.25)	-	05 (20.00)	42 (44.68)	17 (16.83)	59 (30.25)	64 (29.09)
5	उच्च माध्यमिक	06 (37.50)	01 (11.11)	07 (28.00)	19 (20.21)	04 (03.96)	23 (11.80)	30 (13.64)
6	स्नातक	-	-	-	04 (04.25)	01 (0.99)	05 (02.56)	05 (02.27)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

तालिका 3: भूमि स्वामित्व

क्र.	भूमि (बीघा) में	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	भूमिहीन	-	-	-	03 (03.19)	06 (05.94)	09 (04.61)	09 (04.10)
2	5 बीघा तक	04 (25.00)	03 (33.33)	07 (28.00)	45 (47.88)	49 (48.52)	94 (48.20)	101 (45.90)
3	6-10 बीघा तक	07 (43.75)	04 (44.45)	11 (44.00)	32 (34.04)	38 (37.62)	70 (35.90)	81 (36.82)
4	11 बीघा से अधिक	05 (31.25)	02 (22.22)	07 (28.00)	14 (14.89)	08 (07.92)	22 (11.29)	29 (13.18)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

तालिका 4: पंचायत चुनावों का पूर्व अनुभव

क्र.	पंचायत चुनावों का पूर्व अनुभव	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	पूर्व अनुभव नहीं, प्रथम बार	13 (81.25)	08 (88.89)	21 (84.00)	62 (65.96)	83 (82.17)	145 (74.36)	166 (75.45)
2	एक बार अधिक बार	02 (12.50)	01 (11.11)	03 (12.00)	25 (26.59)	15 (14.86)	40 (20.52)	43 (19.55)
3	दो या दो से	01 (06.25)	-	01 (04.00)	07 (07.44)	03 (02.97)	10 (05.12)	11 (05.00)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

तालिका 5: चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की संख्या

क्र.	चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की संख्या	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	निर्विरोधा	-	02 (22.22)	02 (08.00)	77 (81.92)	84 (83.16)	161 (82.56)	163 (74.09)
2	एक	-	-	-	16 (17.02)	13 (12.88)	29 (14.88)	29 (13.18)
3	दो या दो से अधिक	16 (100)	07 (77.78)	23 (92.00)	01 (01.06)	04 (03.96)	05 (02.56)	28 (12.73)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

तालिका 6: ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने की स्थिति

क्र.	बैठक में भाग लेने की स्थिति	सरपंच			पंच			योग (प्रति.)
		पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	पु. (प्रति.)	म. (प्रति.)	योग (प्रति.)	
1	नियमित	15 (93.75)	05 (55.56)	20 (80.00)	78 (82.98)	45 (44.56)	123 (63.07)	143 (65.00)
2	अनियमित	01 (06.25)	04 (44.44)	05 (20.00)	16 (17.02)	56 (55.44)	72 (36.93)	77 (35.00)
	योग	16 (100)	09 (100)	25 (100)	94 (100)	101 (100)	195 (100)	220 (100)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव

डॉ. राजेश त्रिपाठी* डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** अतिथि व्याख्याता, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वास्थ्य का स्वच्छता से सीधा सम्बन्ध है। स्वच्छ देश स्वस्थ नागरिक का गारंटी कार्ड होता है। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होगें वह देया भी उतना ही समृद्ध होगा। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यदि भारत देश के गाँव स्वच्छ एवं स्वस्थ होगे तो देश खुशहाल रहेगा। स्वच्छता और धार्मिक विकास का संबंध होता है। गंदगी से बीमारी फैलती है। आसपास की गंदगी हमें बीमार बना देती है।

अत: स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के विकास हेतु स्वच्छ गॉव एवं स्वस्थ समाज का होना जरूरी है। गॉवों की हवा में जो शुद्धता है वह शहरों की हवा में नहीं स्वच्छ भारत अभियान इसी दशा में प्रयास है।

प्रस्तावना –देश का आर्थिक विकास नागरिकों के आर्थिक विकास पर टिका है। परन्तु नागरिकों का एक बड़ा समूह एवं उनका विकास धीमा पड जाए या कुछ के लिए एक हो जाए तो क्या होगा?

पूरा आर्थिक विकास जिसे हम जी.डी. पी. कहते हैं के बढने से हर घर पर असर पड़ेगा।

ये बात और गंभीर हो जाती है जब देश की जनता का बडा समूह गांवों में निवास करता हो। वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों से पता चलता हैकि 5.97 लाख (पूर्ण संख्या 5,97,608) से भी ज्यादा आबादी गॉव की है। और इन गांवों में 83.37 करोड लोग निवास कर रहें हैं। यदि हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नतीजों पर तो पता चलता है के 59.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं यानि परिवार खुले में शौच करने को विवश है।

खुले में शौच और आर्थिक विकास के बीच क्या सम्बंध है? खुले में शौच, बीमारी को खुला न्योता है। बुनियाढ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो तो बीमारी बढ़ेगी ही। कामको 'यदि ठीक ढंग से नहीं करने पर बीमारी आती है। और असर होता है। उत्पादकता पर सदि बीमारों की संख्या ज्यादा होगी, उत्पादकता में बड़े पैमाने पर कमी होगी। यह कमी केवल परिवार, समाज, गांव, कस्बे जिला या राज्य पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के आर्थिक स्थिति पर असर डालती है।'

हमें स्मरण हो कि बापू जीने 89 वर्ष पहले नवजीवन (मई 24, 1925) में उन्होंने लिखा है कि हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की स्थिति और किस जगह व हर जगह शौच करने की बुरी आदत है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जहां स्वच्छता होती है वह देवता निवास करते हैं।

बीते दिनों में केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा ' स्वच्छता और भक्ति भाव से सबसे बड़ा लाभ अच्छी सेहत के रूप में मिलता है। हमारे देश में अधिकतर बीमारी ऐसी है। जो स्वच्छ माहौल में फैल ही नहीं सकती हैं।'

स्वच्छता को परिभाषित करेंगे 2011 में जारी एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव (इकोनॉमिक इस्पेक्ट ऑफ इनएडिक्वेट सेनिटेशन इन इंडिया) है, स्वच्छता हर असल, मानव मलमूत्र ठोस कचरा, और गंदे पानी की निकासी के प्रबंधन का निष्कर्ष है।

यह रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय सहायता और विश्व बैंक के प्रबंधन के तहत चल रहे वॉटर एंड सेनिटेशन प्रोग्राम ने तैयार की है।

रिपोर्ट मानव मल मूत्र के बेहतर प्रबंधन और उससे जुड़े स्वास्थ्य चलन पर केन्द्रित हैं।

इसमें कहा गया है कि भारतियों और खसकर गरीब भरतीयों पर स्वास्थ्य की लागत को महत्व देना है। यह बात भी नहीं छिपी है कि ज्यादा तर गरीब भरतीय कहाँ निवास करते हैं।

अपर्याप्त स्वास्थ्य से होने वाले परिणाम को चार वर्गों में बांटा गया है–

1. पहमा असर स्वास्थ्य से जुडा है उसमें डायरिया और दूसरी बीमारियों से बच्चों की मौत शामिल है।
2. दूसरा असर पीने की पानी को लेकर है। जिसमें पीने लायक पानी व बोतन बंद पानी खरीदने पर खर्च और दूर से पानी लाने पर समय का नुकसान
3. तीसरा असर स्वच्छता की सुविधाओं के इस्तेमाल तक पहुँचने में लगने वाले समय को लेकर है। सामुदायिक शौचालय के उपयोग या खुले में शौंच जाने से समय लगता है।
4. चौथा असर ग्रामीण पर्यटन को लेकर है। अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से पर्यटकों की संख्या तो कम होती है जिससे आमदनी कम होगी।

साथ ही विदेशी सैलानियों के बीच पेट की बीमारी मुमकिन है जिससे वो यहां आने से हिचकेगें।

स्वच्छ रहने एवं निवेश से फायदा भी है। अध्ययनों में पता चला है कि अतरिक्त स्वच्छता और साबुन से हाथ धेने से साफ–सफाई के तरीके अपनाने से आर्थिक और सामाजिक फायदा हो सकता है।

स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)के हवाले से कहा है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिकों को (6500) रू. का अतिरिक्त

नुकसानझेलना पड़ता है। श्रीनरेन्द्रमोदी जी ने आगे कहा है कि अगर सुखी घर के लोगों को निकाल दिया जाए तो ये औसत 12-15 हजार रू. हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीमारी कहकर नहीं आती। साथ ही आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करती।

लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम है और स्वच्छता के साधन पर खर्च करने की हैसियत रखते हैं, उनके लिए बीमारी से बचने का रास्ता बन जाता है।

गन्दगी से बीमारी आती है, चाहे गरीब हो या अमीर व्यक्ति बगर हम स्वच्छता रखेगें तो हम कई बीमारियों से बचेगें और अगर स्वस्थ हैं तो आर्थिक संकट से बचेगें।

सदि देश का नागरिक स्वस्थ हैं तो मेहनत करेगा,कमाएगा, परिवार चलाएगा और विकास करेगा।

स्वच्छता अभियान में स्कूल-स्वच्छता अभियान में विद्यालयों में कन्याओं के लिए शौचालय बनाने की जिम्मेदारी । जहाँ मानव संसाधन मंत्रालय के आने वाले स्कूलों शिक्षा और साक्षरता विभाग को सौपी गई है। वहीं आंगनवाड़ी शैचालयों के मामले में यह काम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा।

इन्द्रा आवास योजना-इस योजना के लिये चालू शौचालय बनाने का प्रावधान होगा। जिसके लिये स्वच्छ भारत मिशन ये (ग्रामीण) से पैसा दिया जाएगा। अभी तक यह महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार के जरिये कुछ पैसा घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता था।

निर्मलभारत स्वच्छ से अभियान- इस अभियान में अपेक्षित नतीजे प्राप्त नहीं हुये 2004 की जगणना के मुताबिक ग्रामीण इलाको में रहने वाले 32.7% परिवारों को ही समुचित शौचालय की सुविधा थी वही 2013 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में 40.6% तक पहुँचाने की बात कही गई।
इसी सब के 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

चार बातों पर बाल मामला :

1. हर ग्रामीण परिवार के लिये प्रथक शौचालय के साथ सामूहिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, विद्यालय व आँगनवाड़ी में शौचालयों की व्यावस्था। सभी ग्राम पंचायतों में ठोस, तरल कचरा प्रबंधन की व्यावस्था।
2. सूचना, शिक्षा व संचार और व्यक्तिगत संचार के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना।
3. क्रियान्वयन एवं वितरण को मजबूत करना।
4. ग्राम पंचायत और परिवार के स्तर पर शौचालय का निर्सण ही नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल की निगरानी करना जिसमें स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।

आशाकार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य में मार्गदर्शन-आशा के बेहतर रूप से कार्य हेतु सामाजिक एवं शासकीय सहयोग तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण नागरिकों के स्वस्थ्य हेतु आशा सहयोगी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खंड अधिकारी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन ली एलएचबी ए.एन.एम. भी आशा के कार्यो में सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति-सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु पंचायती राज अधिनियम के 73वें संशोधन पश्चात ग्रामसभा स्तर पर अधिकार एवं जिम्मेदारी दी गयी है पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन में ग्राम सभा को सुचारू रूप से कार्य करने स्थायी एवं अस्थायी समितियों को गठित कर गाँव का विकास करने का प्रावधान है।

लोक तांत्रिक गणराज्य में ग्राम सभा प्रत्यक्ष, सर्वाधिक सशक्त लोकतांत्रिक संस्था है। ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति ग्राम सभा की अस्थायी समिति हैं। जो समुदाय अर्थात ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है। और गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की समस्या का हल निकालने का प्रयास करती है।

ग्राम आरोग्य केंद्र-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और महिला बने और महिला बाल विकास विभाग म.प्र. के समन्वय से प्रदेश के प्रत्येक गांव में आवश्यक स्वास्थ्यएवं पोषण सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतुआरोग्य केन्द्र खोलने की अभिनय पहल की गई है।

ग्राम स्तर पर इन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को खोलने की मूल भावना समुदाय के अपने स्वास्थ्य और परिवेश के प्रति सजग और जागरूक कर सेवाओं का सामुदायीकरण करना और उनके हस्तक्षेप और निगरानी से स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है।स्वच्छता के निर्माण हेतु कोशिश बस इतनी नहीं कि गाँव में व्यक्ति स्वस्थ रहे, बल्कि वो अर्थव्यवस्था में खुलकर योगदान कर सके अफसोस इस बात का है कि कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 14% तक सिमिट कर रह गई है। अब अगर इसे बढ़ाना है। तो वैज्ञानिक तरीक से खेती, उन्नत किस्म के बीज, प्राकृतिक खाद, सस्त कर्ज और कृषि उत्पादों के लिये समुचित मूल्य उचित बाजार के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसान स्वस्थ रहे खेतों पर काम करने वाला मजदूर स्वस्थ रहे।वर्तमान समय में ग्रामीण इलाको से पलायन बढ़ रहा है। हालांकि शहरों ग्रमीणों को कोई बेहतर स्वच्छ माहौल भले ही नहीं मिल पाता हो, फिर भी गाँवों में रोजगार की कमी उन्हें शहर जाने के लिये मजबूर करती हैं। अब यदि स्वच्छ और स्वस्थ गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हो ग्रामीण, शहरों की ओर पलायन नही करेगें।

निष्कर्ष- यदि स्वस्थ एवं स्वच्छ गांव, समाज, राष्ट्र का निमार्ण करना है। तो सोंच को बदलना होगा। अगर स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर कर भारत माता की सेवा करें। 'स्वच्छ भारत एवं विकसित' देश का निर्माण करें और 21वीं सदी में भारत देश विश्व गुरु की भूमिका में हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

डॉ.राजेश त्रिपाठी* कृष्णपाल सिंह परमार**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज में महलाओं विरूद्ध हिंसा व अपराध की समस्या नवीन विषय नही है। समय के साथ समाज में महिलाओं के समान अधिकार व विकास, सुरक्षा के लिए कई प्रयास किये गये। किन्तुक महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है। इस लेख का उद्देश्य हिंसा के कारण का अध्ययन व शासन के प्रयासों का अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी – IPC,NCRB,NGO,CAWC,POCSO.

प्रस्तावना – वर्तमान में सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ताओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सुधारकों का ध्यान महिलाओं की समस्या एवं उनके विरुद्ध हिंसा ने आकृष्ट किया है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानित, यातना और शोषण का शिकार रही है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या अपराध कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल मात्र एक सीमित नहीं रही, सबसे अधिक हिंसा या अपराध उनके घर या परिवार में होती है।

स्वाधीनता के पश्चात हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढती हुई आर्थिक स्वपतंत्रता के बावजूद असंख्यक महिलाएं अभी भी हिंसा की शिकार है। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। दहेज के लिये उन्हें जिंदा जला दिया जाता है।

महिलाओ का उत्पीड़न –महिलाओं के प्रति अपराध की विचारधारा की कोई सरल या सर्वमान्य परिभाषा नही है, परन्तु नई ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी (2005 का 7वां संस्करण) ने इसकी परिभाषा अपराधिक कृत्य् या ऐसा कृत्य जो नैतिक या बड़ी गलती है, तथा कानून द्वारा सजा प्राप्त करने योग्य है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 ने दोष (offence) शब्द का प्रयोग, अपराध (Crime) के स्थान पर किया है। जो इस संहिता के अनुसार सजा प्राप्त करने योग्य है। एक दोष (offence) दो प्रकार से होता है। किसी कृत्य के करने से या किसी कृत्य के न करने से। इसलिए ऐसे अपराध जो महिलाओं के विरूद्ध हो या जिसमें 'महिलाएं पीड़ित' हो उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया (सिंह 2012) अपहरण, हत्या, पत्नी उत्पीड़न, बलात्कार तथा छेड़खानी आदि महिलाओं के प्रति अपराध के उदा. है।

पुलिस रिसर्च ब्यूरों, दिल्ली द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को दो श्रेणी में बांटा गया है-(i)IPC इंडियन पिंनल कोड के अंर्तगत आने वाले अपराध (क्राइम इन इण्डिया, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, दिल्ली 1994:204)। पहली श्रेणी में 7 अपराध बलात्कार, अपहरण, एवं भगा कर ले जाना, दहेज के लिए हत्या, प्रताड़ना (मानसिक एवं शारीरिक), उत्पीतड़न एवं छेडछाड़ और 21 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ दराग्रह।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति विस्तार और विशेषताएं- विभिन्न एजेन्सी द्वारा दिये गये आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है। कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध विगत वर्षों में बढ़ रहे है। NCP द्वारा जारी आंकडो के आधार पर NGO द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार 1998 से 2011 के बीच 13 वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराध में 74% वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि की दर सबसे ज्यादा 140 प्रतिशत पर है, अपहरण 117 प्रतिशत, बलात्कार 60 प्रतिशत और छेड़छाड़ 40 प्रतिशत है। लगभग 30 प्रतिशत मामले पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के हैं (द संडे गार्जियन, 6 अप्रैल, 2013)। इसी तरह लोकसभा सचिवालय (No-2/RN/Ref/2013) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध की कुछ घटनायें (दोनों IPL और SLL) जो 2007 में 1,85,312 थी, 2011 में बढकर 2,28,650 हो गई। वर्ष 2012 में, यह संख्या 2,44,270 थी इस प्रकार वर्ष के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अपराध के लिहाज से यह आंकडा इस प्रकार है- अपहरण (38,262), उनके शील भंग करने के इरादे के साथ महिलाओं पर हमला (45,351) महिलाओं के शील भंग के लिए किए गए अपमान (9,173), पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (1,06,527) और विदेशों से लड़कियों की छल से दोखे से लाना (59) प्रतिशत के आधार पर हर वर्ष कुल अपराध क्रमश: 1.6, 1.9, 0.4, 4.5 और 0.0 हो रहे हैं भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत। यह कहा जाता है कि भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार हर 25 मिनट में छेड़छाड़, हर 40 मिनट मे अपहरण और हर 4 घंटों मे दहेज हत्या होती है।

राजस्थान में भारतीय दंड संहिता मामलों का अनुपात राष्ट्रीय औसत के रूप में कुल अपराधों में महिलाओं के खिलाफ प्रतिबद्ध अधिक या कम ही रह गया है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक वर्ष 2012 में राज्य में कुल 1,07,948 अपराधों के मामले सूचित किए गए जिसमें से 21,975 (या 12.81 प्रतिशत) महिलाओं के खिलाफ थे। अपराधो के विरूद्ध महिला सैल (CAWA) और दिल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज महिलाओं के खिलाफ अपराध मे वृद्धि और अन्य मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी से यह स्पष्ट है कि

महिलाओं के विरूद्ध अपराध मे वृद्धि हुई शिकायतों की संख्या 2007 में 9853 से बढ़कर 2011 के 11,419 हो गई लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि (सिफी, न्यूयज 16 सितंबर 2012) मामलों में वृद्धि जरूरी नही हूई कि बढ़ती रिपोर्टिंग की वजह से है लेकिन यह केवल लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार मे बढ़ती जागरूकता का संकेत है उनकी सुरक्षा के लिए नये कानून मे पीड़िता का विश्वास है और इस तरह की संस्थाएं जैसे महिला न्यायालय और गैर-सरकारी संगठन महिलाओ के लिए काम कर रहे है। लेकिन हम सभी को पता है कि विभिन्न कारणो की वजह से सभी मामलों की सूचना नही दी जाती और न ही दर्ज होते हैं। घरेलू हिंसा जैसे पत्नी को पीटना या घर महिलाओं के सूचना नही दी जाती लेकिन संकलित मामलों की चर्चा करते हुए हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति और विस्तार के बारे मे कुछ अनुमान हो सकता है। हम कुछ व्यक्तिगत मामलों के विस्तार और लक्षणो का नीचे विश्लेषण करेगे।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रकार-लैंगिक समानता और महिलाओं में उनके अधिकारों की जागरूकता का परिणाम है कि महिलाओं ने हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी है। किंतु फिर भी विभिन्न कारणों की वजह से सभी मामलों की सूचना नही दी जाती है। जिसमें घरेलू हिंसा, पत्नी के साथ मार-पीट, जबरन यौन शोषण आदि को अनके द्वारा छिपा लिया जाता है।

यहाँ हम कुछ समान्य रूप से घटित होती रहने वाली हिंसा की घटनाओं का अध्ययन करेंगें।

दहेज से संबंधित हत्याएं - हर माता पिता का एक सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करे जहाँ उसे कोई तकलीफ/परेशानी न हो। किन्तु दहेज हत्या एक बडी समस्या बन गयी है। जहाँ दहेज की लालच मे पति अथवा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित होकर महिलाएं आत्महत्या/हत्या की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक 90 मिनट मे एक हत्या दहेज की वजह से होती है।

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा राज्य सभा मे साझा किए गये आंकडों के अनुसार, 2017-2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्याएं हूई। वर्ष 2017 में 7,466, वर्ष 2019 में 6,966 वर्ष 2021 में 6,753 दहेज के कारण हूई मौत दर्ज की गई।

पत्नी को पीटना -महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में सबसे अधिक मामले घरेलु, हिंसा/पत्नी के साथ मारपीट के है। इस प्रकार के केस मे सामान्यत: पींडिता हिंसा के विरूद्ध आवाज नहीं उठाती है।

इस प्रकार की हिंसा का शिकार बडे घराने की महिलाओं से लेकर गरीब वर्ग के घरों में सामान्य रूप से देखने मिलती है।

बलात्कार-बलात्कार वर्तमान में भारत मे गंभीर समस्या बन गई है। देश में परिस्थिति इतनी बदद्तर हो चुकी है कि 4 माह के बच्चे से लेकर 70 वर्ष की महिला तक का बलात्कार करने में नही हिचकते है।

2012, NCRB की एक रिर्पाट के अनुसार भारत में बलात्कार तेजी से बढता अपराध है। 1971- 2012 के बीच इसमें 902 % की वृद्धि हुई है, 2011 में 24,206 से 2012 में बढ़कर 24,930 वर्ष 2021 में यह बढकर 31,677 हो गया अर्थात प्रतिदिन 86 घटना घटित हूई जिसमें से 49 केस दर्ज होते है।

17 Jan 2018 kathua (JUK) में 8 वर्ष की नाबलिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हूई। वहीं इंदोर में 21 Apr 2018 को 4 माह की बच्ची के साथ फिर से यही घटना हूई। ऐसे कई केस देश में है जो लोक-लाज शक्ति सम्पन्नक, रसूखदार लोगो के प्रभांव/दबाव के कारण कभी सामने नही आते है।

एसिड हमले/तेजाब फेंकना - भारत उन देशों में से एक हैं जहां एसिड फेंकने या हमलों के मामले सबसे अधिक होते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर साल लगभग 1000 एसिड हमले होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यग से इस बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष में कानूनी उदासीनता सबसे ज्यादा निराशजनक पहलू है। निकिता दोवल की द वीक (20 मई 2012) में प्रकाशित कवर स्टोरी 'लास्ट वर्ल्ड' कहती है, वर्तमान में इसके हिंसात्मक आचरण के बावजूद एसिड हमलों में विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता में संबंधित अनुभाग नहीं है। एसिड हमलों के मामलों को भारतीय दंड संहिता के अनुभाग 300, 322, 325 और 326 से निबटा रहे हैं। इसमें से केवल धारा 326 में ही संरक्षक वस्तु से हमले के मुद्दे की बात होती है, लेकिन इसे गंभीर चोट के रूप में माना गया है। हालांकि यह धारा अजीवन कारावास तक की सजा की अनुमति देती है, ज्यादातर दोषियों को केवल 3-4 वर्ष की जेल की सजा मिलती है। अगर आदेश दिया है, तो मुआवजा अक्सर आंशिक रूप से होता है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने हेतु प्रयास -महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों को (लिंग आधारित, शारीरिक व मानसिक अपराधो) रोकने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं अधिनियमों को लागू किया है। समय के साथ समाज में भी महिलाओं के अधिकारों व समानता का प्रसार हुआ है। महिलायें अपने अधिकारों के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारो व अपराधों के विरूद्ध खुलकर आवाज उठा रही है।

1. **संविधान द्वारा महिलायो को संरक्षण** - भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता का अधिकार बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओ के अधिकारों व विकास के लिए विशेष अधिनियम व कानूनों को बनाये व लागू किये जा सकते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेधद 14 में महिलाओ व पुरूषों को राजनैतिक, आर्थिक, व सामाजिक स्तर पर सामान अवसर प्रदान किये जायेंगे।

अनुच्छेद 39 (a) राज्यों को अधिकार देता है कि वह अपने नागरिकों के लिए लिंग भेद को नजर अंदाज करते हुए सभी को समानता का व कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है।

2. **प्रशासन द्वारा महिलाओ को संरक्षण** - प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्यपालिका को महिलाओ के अधिकारो के संरक्षण व हिंसा के विरूद्ध सुरक्षा के लिए विभिन्न अध्यादेश व कानूनों का विमान किया गया है। प्रशासन ने महिलाओं के संरक्षण के लिए (National and State Commissions) महिला पुलिस थाने, महिलाओ के विरूद्ध अपराधों के लिए सुनवाई हेतु पृथक जांच विभाग की स्थापना।

सरकार द्वारा NGO के साथ मिलकर वन स्टॉप सेंटर पीडित महिलाओं के लिए हॉस्टल व काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर सोर्ट होम स्टेगट की भी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु मनरेगा प्रधानमंत्री मातृत्व् वंदना योजना, उज्जावला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सबला योजना, सुकन्या समृद्धि आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनका उद्देश्य महिलाओ को सामजिक, आर्थिक, राजनैतिक सामानता प्रदान करना है।

3. कार्यपालिका द्वारा महिलाओं को संरक्षण – भारतीय कार्यपालिका में महिलाओं के विरूद्ध किये गए विभिन्नत अपराधों व कृत्यों के संदर्भ में विभिन्नय धाराएं बनाई है। जिनका उल्लघंन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

उक्त धाराएं मुख्य रूप से ये है–

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत चिन्हित अपराध :

1. Rape (sec.376 IPC)
2. Kidnapping and abduction for different purposes (sec.363- 373 IPC)
3. Homicide for Dowry, Dowry Deaths of their attempts (sec.302/304- B of IPC)
4. Torture, both mental and physical (sec.498-A of IPC)
5. Molestation (sec.354 of IPC)
6. Sexual harassment (sec. 509 of IPC)
7. Importation of girls (upto 21 years of age) (sec. 366 – B of IPC)

विशेष कानून के अंतर्गत उल्लेखित अपराध:

1. Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
2. Dowry Prohibition Act, 1961
3. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
4. Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
5. Protection of Women from Domestic Violence Act,2005

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Ahuja mukesh window new age publisher delhi 1996.
2. Sociological criminology new age publisher new delhi 1966
3. Blumer D, Neuro-psyhtic aspects of voiolent of behivor university of Toronto canda
4. Borland D, marie(ed) violence in the family Manchester university press Manchester 1976
5. Chaoman J.k an gates na Margaret(eds) The victimaztion of women saga publications behverly hills califoria 1976
6. Finkelhor lynn A criminal richarad luxingtion hotaling gareld and stars murrya the dark finkelhor davigells Richard hotaling gerakd and starus murrya the dark side of familes sage publication bevery hills calofion 1983
7. Hiberman E and munson M sixty battred women", victimlogy a international journal vol 1979-78
8. Leonard E.B women crime and society longman new York 1982.
9. Roy mariya ed buttered women A psycho-socialogical study of domestic violence vannostrandrinihold new york1977
10. Singh Awadheh kumar violence against women and chidren serials publication new Delhi 2012.
11. Strimrez S,K ad straus M.A eds violence in the family harper ad row new York
12. Thinking J.R "Alchor and violence in P.G bourne and R.E eds alcoholism progress in reseachand trement Acdemic press new York 1973
13. Wilson Elizbeth what is be done about vilonce against women penguinHammondsworth 1983
14. Wolfgang M.E " violence in the family in I.L kutrash et al. (eds) perpective in murders and aggression john wiley new York 1978

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारत में विधवा महिलाओं की बदलती सामाजिक दशा

डॉ. राजेश त्रिपाठी* सोनाली सिंह**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समय-समय पर भारत में विधवा महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। विधवा महिलाओं का जीवन अनेकों कठिनाईयों से भरा रहता है। उनके जीवन में उनके पति के देहांत के बाद कोई उमंग, उल्लास और रस नहीं रह जाता है, साथ ही उनसे एक नारी के साधारण अधिकार जैसे- श्रृंगार करना, रंग-बिरंगे कपड़े पहनना, स्वच्छंद मन से जीवन निर्वाह करना भी छीन लिया जाता है। समाज में विधवा महिलाओं का दर्जा निम्न हो जाता है, यहां तक की उन्हें मांगलिक कार्यक्रमों में भी दूर-दूर रखा जाता है, उनसे कोई विशेष कार्य भी नहीं करवाए जाते, उनकी छाया अशुभ समझी जाती है। ऐसे में विधवा स्त्री का जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

आधुनिक समाज से पूर्व और आज के आधुनिक समाज तक विधवाओं की सामाजिक दशाओं और उससे उनकी मानसिक दशा एंव उनके आयामों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध आलेख में द्वितीयक स्त्रोतों का सहारा लिया गया है, इसके अर्न्तगत विधवा महिलाओं पर उपलब्ध अनेक लेखों व कृतियों के आधार पर तथ्य संकलन किया गया है।

शब्द कुंजी – विधवा स्त्री, पुर्नविवाह, चुनौतियां, समाज, सामाजिक दशा, कठिन जीवन।

प्रस्तावना – भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है, युगानुसार इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं, साथ ही महिलाओं के अधिकारों में परिवर्तन भी होते आए हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार व समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था तथा पुरूषों के साथ बराबर का दर्जा प्राप्त था। मध्य काल के प्रारंभ से महिलाओं के सम्मान का ह्रास होने लगा, यही वह काल है जिसने स्त्रियों के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया था। मध्य काल से ही भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है, हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि विधवा महिलाओं को अपनी सभी इच्छाओं का गला घोंट कर एक जिंदा लाश की तरह धार्मिक एंव सामाजिक कार्यों में मन लगाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में विधवा का प्रवेश वर्जित होता है, यदि फिर भी विधवा महिला किसी शुभ कार्य में सम्मिलित हो जाए और कोई अनहोनी हो जाए तो सारा दोष विधवा महिला को दिया जाता है। इतना ही नहीं प्राचीन काल में कई प्रथाएँ भी विधवा महिलाओं के लिए चलन में थी जैसे- सती प्रथा।

सती प्रथा में पति के मरते ही उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी, जिसका विरोध 19 वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा बना। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को महसूस किया कि वैधत्व जीवन एक सामाजिक बुराई है और इसे दूर किया जाना चाहिए। विधवाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्राथमिक प्रयास राजा राम मोहन रॉय ने किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को विधवा पुर्नविवाह पर रोक हटाने के लिए याचिका दायर की। इनके प्रयासों के फलस्वरूप धीरे-धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में विधवा पुर्नविवाह के समर्थन में लेख छपने लगे थे। राम मोहन रॉय ने 'द मार्डन इन्क्रोचमेंच ऑन द एन्सिस्ट राइटस ऑफ फीमेल्स एकार्डिग टू द हिन्दू लॉ ऑफ इनहेरिटेन्स' नामक निबंध 1822 में लिख कर विधवाओं के दुरूखों की ओर लोगों का ध्यान खींचा। राजा राम मोहन के इस प्रयास को ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने सफल बनाया, उन्होंने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलाने का कार्य प्रारंभ किया। उनके प्रयासों द्वारा 1856 में अग्रेंजी सरकार ने विधवा पुर्नविवाह अधिनियम पारित कर इस अमानवीय प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने एक पुस्तक भी लिखी थी 'हिन्दू विधवा विवाह'।

समाज सुधारकों के अथक प्रयास के बाद भी आज समाज में अंश मात्र ही परिवर्तन हुआ है, अन्यथा विधवाओं की स्थिति अभी भी समाज में सोचनीय है। आज भी विधुर पुरूष की दूसरी शादी तो आसानी से हो जाती है, परन्तु विधवा महिला की दूसरी शादी में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति या परिवार विधवा महिला को अपनी पत्नी या बहू नहीं बनाना चाहता, यहां तक की विधुर पुरूष भी कुवारी कन्या से ही विवाह करने का इच्छुक होता है। विधवा पुर्नविवाह जैसे उदाहरण आज भी समाज में कम ही देखने को मिलते हैं।इतना ही नहीं विधवाओं की स्थिति यह है कि उन्हें घर तक नसीब नहीं होता पति के मरने के बाद ससुराल वाले (पति के अन्य भाई, चाचा, दादा, आदि) उसके हक में आने वाली सम्पति से उसे अलग करने की जुगत में लग जाते हैं। ताकि उसके हिस्से की सम्पति वे हड़प सके। फिर यदि विधवा स्त्री की संतान बड़ी हो और वो भी लड़का हो तो ही उसका हिस्सा बचा रह पाता है। अतरू सर पर एक छत हो उसके लिए उन्हें दर-बदर भटकना पड़ता है। सैकड़ों विधवाएँ इसका उदाहरण है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर एक गुमनाम जिंदगी बिता रही है वृन्दावन और बनारस

में पिछले कई सालों से, इन विधवाओं को उनके परिवार वाले या बेटे हरि दर्शन के नाम पर विधवा आश्रम में छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने नहीं आए और यदि कोई विधवा महिला समाज में अपने परिवार के साथ मिल जुल कर रह भी रही है, तो उन्हें व्यंगों ,शंकाओं और गलतफहमियों के दर्दनाक आघात झेलने पड़ते हैं- वह क्या करती है?, कहाँ-कहाँ जाती है?, उसके यहाँ कौन-कौन आता है? कितने पुरूष आते है, उनका विधवा महिला से क्या संबंध है? आदि इन सभी बातों को समाज वाले बढ़ा-चढ़ा कर जरूरत से ज्यादा तूल दे कर उसका जीना दूभर कर देते हैं। तथाकथित समाज के ठेकेदारों का कहना है कि हमारा धर्म, संस्कृति व समाज ही एक विधवा महिला को इन सब की इजाजत नहीं देता कि वह साधारण महिला की भांति जीवन व्यतीत करें व पर-पुरूषों से कोई नाता रखें इसलिए ही हम इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। जिससे हमारे आस-पास का सामाजिक वातावरण न खराब हो नहीं तो हमारे बच्चे एंव परिवार के लोग क्या सीखेंगें, इससे समाज में भी गलत संदेश जा सकता है। इतना ही नहीं कुछ संस्कारों में तो विधवा महिला का मुंडन भी किया जाता है। ऐसा करने के पीछे सामाजिक कारण दिया जाता है, कि एक इंसान जितना साधारण होगा, कम आकर्षक होगा उतना ही लोग उस पर कम ध्यान देंगे और एक विधवा को पराए मर्दो से बचा कर रखने के लिए ये सब किया जाता है। एक नारी का श्रंगार उसे चंचल बनाता है, यह उसकी सुंदरता ही होती है, जिसके कारण एक पुरूष उसकी ओर आकर्षित होता है, इसलिए ही एक विधवा स्त्री को श्रंगार विहीन किया जाता है। बात यही तक सीमित नहीं रहती, जिन बच्चों को पाल-पोष कर वह बड़ा करती है, उन्हीं के विवाह में उसकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती है क्योंकि वह एक विधवा है। विधवा शब्द उसके माँ होने के अस्तित्व को भी बाधित करता है।

वास्तव में एक विधवा की तड़प को महसूस करना बहुत ही मुश्किल है। विधवा होने पर एक स्त्री से उसके नारी होने का अस्तित्व, पत्नी होने का अस्तित्व, माँ होने का अस्तित्व सब कुछ छिन जाता है, वह एक लक्ष्यविहीन जीवन निंवाह करती है।

विधवा स्त्रियों की वेदनाओं से कवि भी अछूते नहीं रहे, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके निरीह जीवन की व्याख्या की है।

1. साथ जो छूटा प्रिय तुम्हारा,
समय ने मुझको क्यों मारा,
रूठा-रूठा सा लगता है,
अब तो मुझको जग ये सारा,
तुम बिन जीवन अब है जीना,
दुरूख ये मेरा क्या कम था ?
ले गए रंग तुम जीवन के
कोरा - कोरा तनमन ये था
जीवन अब भी सबका जीवित
जीवन मुझको पर वर्जित है ।
2. श्वेत वस्त्र सौगात तुम्हारी,
मैंने अब इसको पाया है,
नारी हूँ, मैं नर की जननीं,
जग ने हाँ इसे भुलाया है,
खुश होने को दिल है करता,
सहम-सहम ये फिर है डरता,
चाह मेरी जो दिख जाए तो,
जग मुझको थू-थू है करता ।
क्या अपराध है मेरा ?
क्या मुझसे पाप हुआ है ?
तुमको मिलता ब्याह दूजा
मेरे लिए अभिशाप हुआ है।
3. क्या हक है तुम्हें ऐ ईश्वर
एक हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ने का
क्या द्वेष है जो तुम साधते हो
उस नारी के श्रृंगार को बिगाड़ने का
जब छीन ही लिया है तुमने
तो अब प्रश्न क्या शेष है
उस विधवा के जीवन में
अब क्या श्वेत वस्त्र ही शेष है ?

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने जिस आंदोलन की शुरूवात की थी, वह आज भी अपनी र्निणायक स्थिति तक नहीं पहुंचा। आज भी समाज में विधवा पुर्नविवाह के प्रति व्यक्तियों की सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है। हर स्त्री एक ऐसा साथी चाहती है, जिससे वह सु:ख-दु:ख में बेहिचक अपने अंर्तमन की बात कह सके, ऐसा साथी केवल पति हो सकता है। वृद्धावस्था में इंसान अधिक एकाकी हो जाता है, अत: वृद्धावस्था में साथ देने के दृष्टिकोण से भी विधवा विवाह योग्य है। एक जानकारी के मुताबिक 'विश्व विधवा रिपोर्ट 2015' के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है, जहाँ विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार बहुत कम होता है तथा उनकी देखभाल ठीक से नहीं की जाती है। हमारे देश में मात्र 18 प्रतिशत विधवाओं की देखभाल अच्छी होती है। तथा 24प्रतिशत विधवाओं की देखभाल का स्तर संतोषजनक है। बाकियों की देखभाल न के बराबर अर्थात बहुत कम होती है या होती ही नहीं है ।

विधवा पुर्नविवाह विरोध के प्रभाव- विधवा पुर्नविवाह न होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम समाज में अनैतिकता का फैलना है। संभोग की इच्छा को तृप्त करने के लिए कोई स्थायी वैध उपाय न होने के कारण विधवाएं अवैध संबंध स्थापित करती है। अपने सम्मान व गरिमा को समाज में बनाए रखने के लिए विधवाएं पर्दे की आड़ में अनैतिक संबंध स्थापित करती है, और यदि गलती से गर्भधारण कर लिया तो बदनामी के डर से गर्भपात कर भ्रूण हत्या कर देती है। आजकल गर्भ निरोधक औषधियों ने इस आचरण को और भी सुलभ व सुविधाजनक बना दिया है। इतना ही नहीं विधवा पुर्नविवाह के विरोध के कारण वैश्यावृत्ति बढ़ रही है। शाब्दिक दृष्टि से भी देखें तो 'रण्डी' शब्द की उत्पत्ति रांड शब्द से हुई है, जो कि विधवा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जब विधवा स्त्री के अनैतिक संबंधों का पता घर-परिवार या समाज को चल जाता है, तो वे इनको घर से निकाल देते हैं। बदनाम, असहाय विधवा के पास वैश्यावृत्ति के अतिरिक्त जीविकोपार्जन का कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। गाँधी जी ने लिखा है कि 'वांछित वैधत्व भंयकर अभिशाप' है। विधवा पुर्नविवाह के निषेध का एक दुष्परिणाम यह भी है कि हिन्दु रहते किसी विधवा को पुर्नविवाह करने की अनुमति कम ही मिलती है, अत: विवाह की इच्छा के कारण स्त्रियां धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बन जाती है।

विधवाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास- विधवाओं के उत्थान के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें समय - समय पर नई-नई योजनाएँ बनाती

रहती है। कई राज्यों ने जहाँ विधवाओं के पुर्नविवाह की योजना बनाई है। वहीं कई राज्यों में उन्हें पेंशन और उनकी बेटी की शादी के लिए सहायता की योजना है। मनरेगा के तहत विधवा महिलाओं की पहचान के भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधवाओं के लिए सरकारी विधवा आश्रम बनवाए गए हैं काशी- वृन्दावन में।

1. **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** – ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू इस योजना के तहत विधवाओं को पेंशन देने का प्रावधान हैं।

2. **नारी शक्ति सशक्तिकरण योजना** – इस योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय विधवाओं के आयसृजन में मदद करता है।

3. **पूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता**– इस योजना के तहत रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण, विधवाओं की गंभीर बीमारियों के उपचार एंव बेटी के विवाह, विधवा के पुर्नविवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. **विधवा विवाह उपहार योजना**– इस योजना के अर्न्तगत, वर्तमान पेंशन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 15,000 रू की राशि प्रदान की जाती है।

5. **विधवा पेंशन योजना**– इसके तहत प्रत्येक विधवा को 500 रू की धनराशि दी जाती है।

सुझाव एवं निष्कर्ष– विधवा पुर्नविवाह से कम उम्र में विधवा हुई स्त्रीयों का उद्धार होगा, अनैतिकता का अंत होगा। विधवा स्त्रियों को कामवासनाओं की तृप्ति के लिए छिपकर अनुचित संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे वे भी पुन: पत्नी और माँ बन सकेंगी, भ्रूणहत्या नहीं होगी, वैश्या नहीं बनेगी, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, उन्हे पुन: सामान्य स्त्री की भाँति जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, स्वंत्रता, सम्मान व समानता मिलेगी।

अत: धर्म की आड़ पर स्त्री की स्वंत्रता पर किए जाने वाले आघात को रोकना होगा, विधवा स्त्री को दो रोटी दो धोती चाहिए इस विचार को त्यागना होगा, धर्म के वास्तविक मूल को जानना होगा। यह आधा–अधूरा धर्म ज्ञान सदैव ही नाश का कारण बना है। रीति–रिवाज इंसान के लिए है न कि इंसान रीति–रिवाज के लिए इस बात को समझते हुए संपूर्ण समाज को एकजुट होकर विधवाओं के न्यायसंगत अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है– भगवती देवी शर्मा
2. नारी को मनुष्य समझा जाए– भगवती देवी शर्मा
3. नारी अतीत से वर्तमान तक– भगवती देवी शर्मा
4. सती प्रथा का यर्थाथ –Joshi, Brahmadatta
5. औरत के हक में– तस्लीमा नसरीन
6. नारी ह्रदय तथा अन्य कहानियाँ– सुभद्रा कुमारी चौहान
7. Sahityamanjari-com/hindi&Kavita/vidhwa&vivah&by& Sarita -panthi-html
8. https://rajesharya-wordpress-com/tag/vidhvaa&vivaah/
9. https://storymirror-com/read/poem/hindi/ndnke2v7/ vidhvaa&kaa&vivaah/-detail\undefined
10. नारी अतीत से वर्तमान तक– विपुल दुबे, ईश्वर शरण विश्वकर्मा और दिग्विजय नाथ
11. Indian women today& Girija khanna
12. The changing position of Indian women& M- N- Srinivas
13. स्त्री विमर्श और सामाजिक आंदोलन– डॉ. राजनारायण
14. The position of women in hinducivilaization – Anant Sadashiv Altekar
15. Women rights- नागेन्द्र , शैलजा
16. नारी के बदले आयाम– डॉ. राजकुमार
17. नारी शोषण(आइने और आयाम)– आशारानी
18. नारी शोषण– जय प्रकाश, व्यास

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

स्वच्छ भारत अभियान का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ.राजेश त्रिपाठी* कृष्णपाल सिंह परमार**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा देश को किसी भी तरह की गंदगी से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया एक अभिनव कदम है, जिससे देश का हर कोना स्वच्छ और स्वस्थ हो सके। पहले भी कई जागरूकता कार्यक्रम (जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान आदि) पर्यावरणीय स्व्च्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे।

भारत को स्वच्छ भारत बनाने में यह इतना प्रभावी नहीं हो सका। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था ताकि लोगों से 2019 में उनकी 150 वीं जयंती तक स्वच्छ भारत के महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण को पूरा करने का आग्रह किया जा सके। ये अभियान पूरे देश में भारत के 4,000 से अधिक जिलों/कस्बों में चलाए गए। मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना, अस्वच्छ शौचालयों को गंदा करना, गंदगी को खत्म करना है। स्वस्थ स्वच्छता अभ्यास के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने और इन प्राप्त करने में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैनूअल स्कैवेंजिंग और उपराक्त सभी।

प्रस्तावना – स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिसका उद्देश्य शहर कस्बों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करना था। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य में घरेलू और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को खत्म करना और शौचालय के उपयोग की निगरानी के लिए एक जवाबदेह तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत हासिल करना है, महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगांठ पर 1.96 लाख करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करके भारत को स्वच्छ, स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – स्वच्छ भारत अभियान अभियान, 2 अक्टूबर 2014 को गाँधी जायंती पर शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को खत्म करना है।

महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर ग्रामीण भारत में 90 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर 90 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया गया। 1.96 लाख करोड़ (US $27 बिलियन) का राष्ट्रीय अभियान 4,041 वैधानिक शहरों और कस्बों तक फैला हुआ है।

मार्च 2014 में यूनिसेफ इंडिया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा व्यापक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के एक भाग के रूप में आयोजित एक स्वच्छता सम्मेलन में इसकी कल्पना की गई। जो भारत सरकार ने 1999 में लॉन्च किया था।

1 अप्रैल 2000 को संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसे बाद में नरेंद्र मोदी द्वारा 'निर्मल भारत अभियान' नाम दिया गया। ग्रामीण इलाको में अस्सी कस्बों के एक नियंत्रित याद्दच्छिक अध्ययन से पता चला कि टीएससी कार्यक्रम ने शौचालय वाले घरों की संख्या में मामूली वृद्धि की है और खुले में शौच करने वालों की संख्या में मामूली कमी आई है। हालाँकि, बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई सुधर नहीं हुआ। इससे पूर्व 'निर्मल भारत अभियान' ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अवास्तविक पद्धति से बाधित हुआ। फलस्वरूप, 24 सिंतबर 2014 को कैबिनेट की मंजूरी से निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनर्गठित किया गया।

मुख्य उत्तष्य इस प्रकार हैं:

1. व्यवहार परिवर्तन से भारत को स्वच्छ बनाना है।
2. स्मार्ट सिटी के विचार को बढ़ावा देना। शहर को साफ-सुथरा होना जरूरी है इससे पहले कि यह स्मार्ट हो जाए।
3. संचारी रोग के बोझ को समाप्त करना।
4. संयुक्त राष्ट्र के एस.डी.जी. लक्ष्य 6 को पूरा करना। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करें।
5. इस बात पर जोर देना कि मन और शरीर स्वच्छ रहें स्वच्छ वातावरण में निवास करें।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइनों का एक नेटवर्क स्थापित करना, जिससे लोगों को नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्रित हो सके साल 2019।
7. अखिल भारती विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण करना।
8. सभी आंगनबाड़ियों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना।
9. 2 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया।
10. अस्वास्थ्यकर शौचालयों को गंदगी भरे शौचालयों में परिवर्तित करना। यह मिशन भारत के स्थल को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा, जिससे अधिक लोग आएंगे और देश की वैश्विक छवि में एक आदर्श बदलाव आएगा।

स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव – आजादी के दशकों बाद तक भारत स्वच्छता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने में असफल। हमें कई स्थानों पर खुले कूड़े के ढेर,बजती नालियां और खुले में शौच होते हुए देखना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन शुरू की।

इस अभियान को देश का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान कहा गया है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति की भी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक इस अभियान में योगदान दे और सालाना कम से कम 100 घंटे इस अभियान में बिताए। स्वच्छ भारत अभियान का पर्यटकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, व्यक्तिगत उत्पादकता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पर्यावरण और अन्य। महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और खुले में शौच को खत्म करने के लिए शौचालय का त्वरित निर्देश।

1. केंद्र शासित प्रदेशों और 27 राज्यों के 5.48 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
2. वर्तमान में स्वच्छता कवरेज 38.70 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 98.82 प्रतिशत ।
3. सिर्फ 5 साल की अवधि में 11 करोड़ 11 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए है।
4. 254 परियोजनाएं जिनका मूल्य है, 25,500 करोड़ रुपये हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई।
5. महिलाओं की गरिमा सुनिश्चत करने और खुले में शौच को खत्म करने के लिए शौचालय के त्वरित दिर्नेश।
6. 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5.48 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
7. स्वच्छता कवरेज 2014 में 38.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 98.82 प्रतिशत हो गया है।

निष्कर्ष – स्वच्छता अभियान का वास्तव में भारतीय समुदाय, समाज समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। गांव, संस्थागत स्तर पर सफाई के लिए लोग पहल कर रहे हैं। समाज, कॉलोनी, शहर, रेलवे प्लेटफार्म, आदि।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Choudhary MP, Gupta H Swachh Bharat Mission: A Step Towards Environmental Protection. Research Gate, 2015
2. Evne K. Mission Swachh Bharat Mission and dalit community development in India. International Journal of Creative Research Thoughts. 2014, 2(9).
3. Jangra B, Majra JP, Singh M. Swachh Bharat Abhiyan (clean India Mission): Swot analysis. International Joumal of Community Medicine and Publi Health; 2016!
4. Jain D, Malaiya s, Jain A. Studied that impacts of Swachh Bharat Abhiyan in India. International Jourmal of Humanities and Social Science Research. 2016,

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

जनशिकायत निवारण में लोकायुक्त की जाँच प्रक्रिया (राजस्थान लोकायुक्त के सन्दर्भ में)

प्रो. वन्दना शर्मा*

* आचार्य (लोक प्रशासन) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रजातंत्र में जनविश्वास को सर्वाधिक ठेस तब पहुँचती है जब उसके निर्णयों से सार्वजनिक हित की अपेक्षा निजी हितों की साधना हो रही प्रतीत हो। वस्तुत: प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझायी गयी लोकपाल एवं लोकायुक्त की योजना, लोगों के मानस में प्रशासन तंत्र द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के अन्याय के मुक्ति दिलाते हुए प्रशासन के विधि और न्याय सम्मत कुशल आचरण को प्रतिष्ठित करना रही हैं लोकायुक्त की योजना और इसकी उपस्थिति लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए अपनायी गयी कि जन कल्याण प्रशासन का सर्वोच्च ध्येय है और इस ध्येय से विचलित करने वाले सभी कारकों को रेखांकित कर उन्हें प्रभाव शून्य करना प्रशासनतंत्र की एक निष्ठ प्राथमिकता है। नागरिक जब यह अनुभव करें कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों से जनहित प्रभावित हो रहा है तो ऐसे समस्त निर्णयों की समीक्षा करते हुए प्रशासन के प्रति जनविश्वास को बनाये रखने की भूमिका निभाने की अपेक्षा लोकायुक्त से की जाती है। लोकायुक्त लोगों के इन्हीं अभाव अभियोगों को दूर करते हुए प्रशासन के प्रति जन आस्था को बनाए रखने का कार्य करता है।

शब्द कुंजी – अन्वेषण, परिवाद, अभिकथन, अनुग्रह, अन्तर्विष्ट, सच्चारित्रता, परिगणित, संवर्ग, अधिनियम, प्रस्थापित।

शिकायत प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया– अधिनियम यह प्रावधान करता है कि

(क) प्रत्येक शिकायत लोकायुक्त द्वारा विहित किए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

(ख) प्रत्येक शिकायत शपथ पत्र सहित प्रस्तुत की जाने अपेक्षित है।

(ग) प्रत्येक शिकायत के साथ 50 पैसे का न्यायालय फीस स्टाम्प होना अपेक्षित है। लोकायुक्त इस शर्त को अधित्यक्त भी कर सकता है।

(घ) शिकायत लोकायुक्त/उपलोकायुक्त को या लोकायुक्त सचिवालय के सचिव को व्यक्तिश: प्रस्तुत की जा सकती है या इन अधिकारियों को डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

शिकायतकर्त्ता व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिनियम यह व्यवस्था भी करता है कि लोकायुक्त/उपलोकायुक्त उन व्यक्तियों के पत्रों को भी शिकायत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अभिरक्षा या जेल या विक्षिप्त व्यक्तियों के आश्रय स्थान आदि से लिखे गये हों।

लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से जाँच – लोकायुक्त/उपलोकायुक्त के जाँच का क्षेत्राधिकार केवल उन शिकायतों या अभिकथनों तक ही सीमित नहीं है, जो उनके यहाँ अधिनियम द्वारा विनिश्चित प्रक्रिया से प्रस्तुत किए जाएँ अपितु लोकायुक्त किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध स्वप्रेरणा से भी अन्वेषण आरम्भ कर सकता है। इस प्रावधान का निहितार्थ यह है कि राजस्थान का लोकायुक्त न केवल विहित रीति और प्रक्रिया से प्राप्त अभिकथनों का ही अन्वेषण करने के लिए सक्षम है, अपितु यदि अभिकथन योग्य कोई प्रसंग, किसी अन्यथा रीति से अर्थात् पत्र, समाचार पत्र या किसी भी अन्य तरीके से, उसके ध्यान में आ जाता है तो उस मामले में स्वविवेक से अन्वेषण का निर्णय वह ले सकता है। इस प्रावधान का अभिप्राय यह है कि जिस मामले में लोकायुक्त को कोई अभिलिखित परिवाद प्रस्तुत न किया जाये किन्तु वह मामला किसी भी तरीके से उसके ध्यान में आ जाये, और उसे लोकायुक्त अपने कार्याधिकार में जाँच योग्य समझें तो उस पर वे अपनी स्वविवेकीय शक्तियों से निर्णय लेते हुए अन्वेषण का निर्णय ले सकते हैं।

लोकायुक्त की जाँच प्रक्रिया – लोकायुक्त सचिवालय में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों द्वारा राज्य में लोकायुक्त की निर्धारित अधिकारिता में आने वाले ऐसे लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायत अन्तर्विष्ट होती है जिन्होंने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित तरीके से हानि अथवा कष्ट पहुँचाने के लिए अपनी पदस्थिति का दुरुपयोग किया है या वह लोकसेवक के रूप में अपने कर्त्तार्व्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित या भ्रष्ट हेतुकों से प्रेरित था, या वह लोकसेवा करते हुए ईमानदारी के मार्ग से पथभ्रष्ट होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया।

इस प्रकार लोकायुक्त द्वारा अपने कार्यो के सम्पादन हेतु जो जाँच प्रक्रिया या कार्य प्रक्रिया अपनायी जाती है उसे निम्नांकित चरणों में विभाजित किया जा सकता है–

1. प्रारम्भिक जाँच
2. अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण,
3. लोकायुक्त द्वारा, धारा 12 के अन्तर्गत, अधिकारियों को प्रतिवेदन
4. लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर तीन माह की अवधि में, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का पुनर्प्रतिवेदन,
5. लोकायुक्त द्वारा, राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन और
6. मामले का अंतिम निस्तारण।

लोकायुक्त द्वारा अपनायी जाने वाली कार्य प्रक्रिया के उपर्युक्त सभी

सैद्धान्तिक चरणों का संक्षिप्त विवरण आगामी पंक्तियों में प्रस्तावित हैं–

प्रथम चरण : प्रारम्भिक जाँच –लोकायुक्त सचिवालय में प्राप्त शिकायतों को अन्वेषण के लिए ग्रहण किए जाने से पूर्व अधिनियम लोकायुक्त से यह अपेक्षा करता है कि वे उस शिकायत की इस दृष्टि से प्रारम्भिक जाँच करें कि क्या उसमें कोई ऐसी कार्यवाही अन्तर्गस्त है जिसका अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा किया जा सकता है। इस प्रारम्भिक जाँच में लोकायुक्त को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि शिकायत को अन्वेषण हेतु लिए जाने के पर्याप्त आधार, उसमें विद्यमान है।

इस प्रारम्भिक जाँच में निम्न बिन्दुओं के आधार पर शिकायत की जाँच की जाती है–

(क) क्या वह शिकायत अधिनियम में परिभाषित लोकसवेक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता के अभाव या पद के दुरुपयोग या किसी व्यक्ति हो हानि पहुँचाने से सम्बन्धित मामले में की गयी है।

(ख) क्या वह शिकायत अधिनियम में परिगणित लोकसेवक के विरुद्ध की गयी है।

(ग) क्या वह शिकायत ऐसे संव्यवहार के बारे में है जो शिकायत किए जाने से पाँच वर्ष की अवधि का है।

(घ) वह शिकायत जिस व्यक्ति द्वारा की गयी है वह गुमनाम तो नहीं है।

(च) क्या वह शिकायत लोकसेवक से भिन्न व्यक्तियों द्वारा की गयी है क्योंकि अधिनियम द्वारा लोकसेवकों को शिकायत करने से वंचित किया गया है।

(छ) शिकायत अन्य विभागों या अभिकरणों को भेजी गयी शिकायत की प्रतिलिपि मात्र तो नहीं है।

(झ) शिकायत की प्रकृति ऐसी तो नहीं है जिसके लिए शिकायतकर्ता को अन्य उपचार उपलब्ध थे और परिस्थितियों को देखते हुए शिकायतकर्त्ता के लिए उन अपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित था।

(ट) प्रस्तुत शिकायत अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों से असंगत तो नहीं है। अधिनियम की धारा 8 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें लोकायुक्त या उपलोकायुक्त द्वारा कोई अन्वेषण नहीं किया जा सकता। इस धारा का उल्लेख पूर्व में 'अधिकारिता का निषेध' उप शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है।

(ठ) शिकायत विहित प्रारूप और शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी है या नहीं।

(ङ) शिकायत उन संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध तो नहीं की गयी है जिन्हें अधिनियम द्वारा लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की कार्य परिधि से पृथक् रखा गया है। इन प्राधिकारियों का विवरण भी पूर्व में लोकायुक्त की 'अधिकारिता का निषेध' उपशीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

लोकायुक्त सचिवालय में प्राप्त समस्त शिकायतों की संवीक्षा उपर्युक्त वर्णित आधारों पर की जाती है। प्रारम्भिक जाँच की इस संवीक्षात्मक कार्यवाही में लोकायुक्त सचिवालय के प्राधिकृत अधिकारी उपर्युक्त बिन्दुओं पर संतुष्ट होने पर ही विचाराधीन मामले को अन्वेषण के लिए चुनते हैं। इनका निहितार्थ यह भी है कि यदि प्राप्त शिकायते उपर्युक्त में से किसी भी मापदण्ड से उपयुक्त न पायी जाये तो उन शिकायतों को प्रथम दृष्टया ही निरस्त किया जा सकता है।

प्रारम्भिक जाँच की इस प्रक्रिया में जिन शिकायतों में व्यक्त अन्तर्कथन जाँच के लिए उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हें लोकायुक्त की कार्यप्रक्रिया के दूसरे चरण, धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए चुन लिया जाता है।

द्वितीय चरण : अधिनियम की धारा 10 के अधीन अन्वेषण– लोकायुक्त सचिवालय में प्राप्त किसी शिकायत की प्रारम्भिक जाँच के पश्चात, उसमें अन्तर्विष्ट आरोप यदि प्रमाणित प्रतीत होते हो और अन्वेषण प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त आधार दृष्टिगोचर होते हों तो अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत ऐसे लोकसेवकों के विरुद्ध अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया जाता है। अधिनियम की धारा (10) के इस अन्वेषण प्रक्रिया के संबंध में कतिपय प्रावधानों का यथारूप उल्लेख यहाँ प्रासंगिक प्रतीत होता है।

धारा 10 (1) यहाँ लोकायुक्त या उपलोकायुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जाँच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करता है, तो वह,

(क) उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उनके लिए आधारों का एक विवरण, सम्बन्धित लोकसेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(ख) सम्बन्धित लोकसेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

धारा 10 के अन्तर्गत किए जा रहे इस अन्वेषण की प्रक्रिया के क्रम में भी यदि अन्वेषणकर्त्ता प्राधिकारी यह अनुभव करें कि शिकायत तुच्छ है, या सद्भावनापूर्वक नहीं की गयी है, या किसी को तंग करने के लिए की गयी है, या अन्वेषण को जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं रह गए है, या शिकायतकर्त्ता के लिए अन्य ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए शिकायतकर्त्ता के लिए अधिक उचित होंगे, तो इन परिस्थितियों में वह अन्वेषण करना बंद कर सकता है। अन्वेषणकर्त्ता प्राधिकारी के इस निर्णय के प्रभावरूप वह शिकायत समाप्त समझी जायेगी, किन्तु ऐसे प्रसंग में लोकायुक्त या उपलोकायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत वह अधिकारी जो इस प्रकार का निर्णय लेगा, अपने निर्णय के कारण अभिलिखित करते हुए शिकायतकर्त्ता तथा सम्बन्धित लोकसेवक को उस आशय की सूचना देगा।

तृतीय चरण : अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन – लोकायुक्त सचिवालय की कार्य प्रक्रिया में, अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत, जब आरोपी लोकसेवक या लोकसेवकों के विरुद्ध लोकायुक्त/उपलोकायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अन्वेषण का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है और अन्वेषणकर्ता) उपर्युक्त वर्णित दो में किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच जाता है तो कार्य प्रक्रिया का यह तीसरा चरण आरम्भ होता है।

अधिनियम की धारा 12, लोकायुक्त सचिवालय की कार्य प्रक्रिया के इस चरण का स्रोत है। यह धारा प्रावधान करती है कि किसी लोकसेवक के विरुद्ध की गयी शिकायत अन्वेषण के पश्चात् लोकायुक्त या उपलोकायुक्त की राय में पूर्णत: या अंशत: सिद्ध हो जाती है तो उस लोकसेवक के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के अपने निष्कर्ष, जाँच में प्रयुक्त दस्तावेजों, सामग्री तथा साक्ष्य के लिखित प्रतिवेदन सहित, लोकायुक्त द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजे जायेंगे।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित मामले की जाँच व अन्वेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर लोकायुक्त, उपलोकायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आरोपी कर्मचारी की दोषसिद्धि की प्रकृति को देखते हुए उसके विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपनी अनुशंसा शासन के उस सक्षम प्राधिकारी को करते हैं जो उस आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सक्षम होता है। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो उस मामले में प्राय: सम्बन्धित विभाग और सक्षम प्राधिकारी को उस कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच की प्रक्रिया आरम्भ कर उसके निष्कर्षों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा साधारणतया की जाती है। कतिपय मामलों में स्पष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की अनुशंसा भी की जा सकती है।

चतुर्थ चरण : सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का तीन माह की अवधि में लोकायुक्त को प्रतिवेदन – लोकायुक्त की कार्यप्रक्रिया या अन्वेषण प्रक्रिया के तीसरे चरण के अन्त में जब आरोपी कर्मचारी के सक्षम प्राधिकारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा का प्रतिवेदन भेजा जाता है तो इस कार्यालय की कार्यप्रक्रिया के चतुर्थ चरण का आरम्भ होता है। लोकायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 12 (1) के अन्तर्गत प्राप्त इस प्रतिवेदन के बारे में सक्षम अधिकारियों के लिए भी उनकी कार्यवाहियों को विनियमित करने वाले निर्देश अधिनियम में दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लोकायुक्त द्वारा उसे भेजे गए ! प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में लोकायुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही की सूचना देगा।

अधिनियम के इस प्रावधान की भावना के अनुरूप सक्षम प्राधिकारियों से, आरोपी कर्मचारी के नियोजक होने के नाते, यह अपेक्षा की जाती है कि यदि लोकायुक्त द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में उस कर्मचारी पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं और आरोपी कर्मचारी पर कार्यवाही की स्पष्ट अनुशंसा लोकायुक्त के प्रतिवेदन में की गयी है, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध सुझायी गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया तीन माह में आरम्भ कर उसकी प्रतिसूचना लोकायुक्त को वे प्रेषित करेंगे।

पंचम चरण : लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन – लोकायुक्त की कार्यप्रक्रिया के चतुर्थ चरण के दो परिणाम हो सकते हैं। प्रथमत: सक्षम प्राधिकारी, लोकायुक्त के प्रतिवेदन में सुझायी गयी कार्यवाही के अनुरूप की गयी या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही की प्रतिसूचना विधि द्वारा निर्धारित तीन माह की अवधि में लोकायुक्त को दे देगा।

यदि लोकायुक्त को अपने द्वारा सुझायी गई अनुशंसा या निष्कर्षों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रस्थावित कार्यवाही से संतोष हो जाए तो वह शिकायतकर्त्ता, संबंधित लोकसेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए मामले को बन्द कर सकेगा। किन्तु, जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तीन माह की निर्धारित अवधि में की गयी या प्रस्तावित की जाने वाली कार्यवाही की सूचना लोकायुक्त को न मिले, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही से लोकायुक्त को संतोष न हो, तो द्वितीयत: लोकायुक्त उस मामले में राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बन्धित शिकायतकर्त्ता को भी उसकी सूचना दे सकेगा।

अंतिम चरण : मामले का समापन और वार्षिक प्रतिवेदन – जनशिकायत निवारण तंत्र लोकायुक्त की कार्यप्रक्रिया समाप्त होने पर उससे यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में वे एक सम्मिलित प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करें। राज्यपाल, उन्हें प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवायेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन में लोकायुक्त व उपलोकायुक्त वर्षभर में प्राप्त शिकायतों में प्रारम्भिक जाँच व उसमें निरस्त, उनकी संख्या तथा आँकड़ों तथा अन्वेषण के लिये चुनी गयी शिकायतों व अन्वेषण के उपरान्त प्राधिकारियों को भेजे गए प्रतिवेदन और अपनी अनुशंसाओं सहित, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई कार्यवाही के प्रतिवेदन सहित समस्त तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह प्रतिवेदन राज्यपाल के माधयम से राज्य की विधायिका में विचार-विमर्श का विषय होता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रतिवेदन में लोकायुक्त यह भी अंकित करते हैं कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, उनके द्वारा अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत भेजे गए प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में क्या कार्यवाही की गयी है। प्रतिवेदन में यह विवरण भी सम्मिलित होता है। कि अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तीन माह की अवधिा में की गयी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, कितने मामलों में लोकायुक्त का समाधान हो गया है और उन्हें अन्तत: बन्द कर दिया गया तथा किन मामलों में उसका समाधान नहीं हुआ और उनके सम्बन्ध में राज्यपाल को धारा 12 (3) के अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदन भेजा गया, इस प्रकार उपर्युक्त विभिन्न चरणों में राज्य का लोकायुक्त अपनी कार्यवाही का निष्पादन करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 धारा (2)
2. जी.बी.शर्मा, 'इम्लीमेन्टेशन ऑफ औम्बुड्समैन प्लान इन इण्डिया' (नयी दिल्ली-एशियन पब्लिशिंग हाउस)
3. डॉनाल्ट सी. रॉवट, 'द ऑम्बुड्समैन', (लन्दन :जार्ज एलन एण्ड अनविन लि. 1966)
4. एम.पी.जैन,'लोकपाल: ऑम्बुड्समैन इन इन्डिया' (नयी दिल्ली : ए एकेडमिक बुक लि. 1970)
5. डी. आर. सक्सेना, ऑम्बुडसमैन (लोकपाल) नयी दिल्ली : दीप एण्ड दीप प्रकाशन, 1987

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Citizenship Amendment Act (CAA) and Contemporary India

Dr. Arvind Sirohi*

***Assistant Professor (Cont.) Department of Sociology C.C.S.University Campus, Meerut (U.P.) INDIA**

Introduction - India has been a rich civilization. India is a secular, sovereign and peace-loving country. Perhaps it is the only country in the world that has justified the slogan of 'Unity in diversity'. Perhaps this is why citizens of many countries want Indian citizenship.Therefore it is a novel effort to protect those who are prosecuted in its neighborhood. However, the methods must be in accordance with the spirit of the Constitution. The Citizenship Amendment Bill (CAA Bill) was first introduced in 2016 inLokSabha by amending the Citizenship Act of 1955. This bill was referred to a Joint Parliamentary Committee, whose report was later submitted on January 7, 2019. The Citizenship Amendment Bill was passed on January 8, 2019, by the LokSabha which lapsed with the dissolution of the 16th LokSabha. This Bill was introduced again on 9 December 2019 by the Minister of Home Affairs Amit Shah in the 17th LokSabha and was later passed on 10 December 2019. The RajyaSabha also passed the bill on 11th December. The CAA was passed to provide Indian citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December 2014. The Act was passed for migrants of six different religions such as Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. Any individual will be considered eligible for this act if he/she has resided in India during the last 12 months and for 11 of the previous 14 years. For the specified class of illegal migrants, the number of years of residency has been relaxed from 11 years to five years.It exempts the members of the six communities from any criminal case under the **Foreigners Act, 1946 and the Passport Act, 1920.** The Citizenship Amendment Bill was tabled in the LokSabha's winter session. Subsequently, the bill was passed with a majority of 125 MPs voting in favors of it. The bill soon after its passing was heavily debated and ultimately led to widespread protests in many parts of the country. Many activists and international human rights organizations too have played a big part in these protests and have heavily condemned the Indian government's response to these.

What is CAA: The Citizenship Amendment Act 2019 has put religion as a pre-requisite qualification if someone is desirous to apply for Indian citizenship which is purely a violation of the basic ethos of the constitution. The idea of India as envisioned by the framers of the Indian constitution as a democratic, secular, and socialist state and anything that contrary to its basic structure is unconstitutional. The contentious legislation whether unconstitutional or not needs to be examined through the prism of constitutional law and fundamental norms of human rights.According to Citizenship Amendment Act 2019, people will be considered citizens of India from the date they enter India and will not consider criminals according to their foreign and passports acts.

1. CAA 2019 will exempt all these people from any illegal case due to illegal immigration under the foreign and passport act, which has provisions to punish illegal immigrants.
2. Foreign and passport act specifies the punishment for an illegal immigrant who illegally migrated.
3. It is important to note that the Citizenship Amendment Act 2019 does not apply to people living in tribal areas like Meghalaya and Tripura or other tribal or backward areas.
4. The Citizenship Amendment Act 2019 also reduces the qualifying length of the residency phase in the country for all such migrants as covered in the ACT not less than 11 years to not less than five years.
5. The Citizenship Amendment Act 2019 also has a provision whereby the government can cancel the Overseas Citizen of India card of individuals on the grounds of violation of any laws for a major or minor offence.
6. The Citizenship Amendment Bill, 1955 describes 5 conditions for obtaining citizenship of India, such as

i. Citizenship by Birth
ii. Citizenship by Descent
iii. Citizenship by Registration
iv. Citizenship by Naturalization
v. Citizenship by incorporation of territory

Features of CAA 2019

1. The Act seeks to amend the Citizenship Act, 1955 to

make Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, eligible for citizenship of India. In other words, the Act intends to make it easier for persecuted people from India's neighbouring countries to become citizens of India.

2. The legislation applies to those who were "forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion". It aims to protect such people from proceedings of illegal migration.

The amendment relaxes the requirement of naturalization from 11 years to 5 years as a specific condition for applicants belonging to these six religions.

The cut-off date for citizenship is December 31, 2014, which means the applicant should have entered India on or before that date.

The Act says that on acquiring citizenship:

Such persons shall be deemed to be citizens of India from the date of their entry into India, and

All legal proceedings against them in respect of their illegal migration or citizenship will be closed.

It also says people holding Overseas Citizen of India (OCI) cards – an immigration status permitting a foreign citizen of Indian origin to live and work in India indefinitely – can lose their status if they violate local laws for major and minor offences and violations.

Citizenship in India: The Indian Constitution implemented in 1950 guaranteed citizenship to all of the country's residents at the commencement of the constitution, and made no distinction on the basis of religion. In 1955, the Indian government passed the Citizenship Act, by which all people born in India subject to some limitations were accorded citizenship. The Act also provided two means for foreigners to acquire Indian citizenship. People from "undivided India" were given a means of registration after seven years of residency in India. Those from other countries were given a means of naturalization after twelve years of residency in India.

1. Citizenship defines the relationship between the nation and the people who constitute the nation.
2. It confers upon an individual certain rights such as protection by the state, right to vote, and right to hold certain public offices, among others, in return for the fulfillment of certain duties/obligations owed by the individual to the state.
3. The Constitution of India provides for single citizenship for the whole of India.
4. Under Article 11 of the Indian Constitution, Parliament has the power to regulate the right of citizenship by law. Accordingly, the parliament had passed the Citizenship act of 1955 to provide for the acquisition and determination of Indian Citizenship.
5. Entry 17, List 1 under the Seventh Schedule speaks about Citizenship, naturalization, and aliens. Thus, Parliament has exclusive power to legislate with respect to citizenship.
6. Until 1987, to be eligible for Indian citizenship, it was sufficient for a person to be born in India. Then, spurred by the populist movements alleging massive illegal migrations from Bangladesh, citizenship laws were first amended to additionally require that at least one parent should be Indian.

In 2004, the law was further amended to prescribe that not just one parent be Indian; but the other should not be an illegal immigrant.

CAA in India: Before the CAA came into effect, it was mandatory for these illegal migrants to remain in the country for at least 11 years to be able to apply for citizenship. The CAA has now reduced this period of residency to 5 years. The CAA does not apply to those areas which fall under the Sixth Schedule of the Constitution, i.e., the tribal areas of Tripura, Assam, Meghalaya, and Mizoram, in states like Arunachal Pradesh, Mizoram, and Nagaland, the Inner Permit regime is also excluded from the Act. is kept. The Citizenship Amendment Act will not apply to the tribal areas of Tripura, Assam, Meghalaya, and Mizoram, as these areas come under the Sixth Schedule of the Constitution. Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland will also be excluded from the CAA as these states have an Inner Line Permit regime.

Protest against CAA: Major opposition parties led protests against the CAA. He pointed out that the act was discriminatory and un-restful as immigrants from Muslim communities were excluded from the list of beneficiaries. The Government of India clarified that the Act proposed to provide relief to oppressed minorities in the Islamic countries of Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Since Muslims do not fall under the category of oppressed communities there, the Act does not cover them. Major opposition parties led protests against the CAA. He pointed out that the act was discriminatory and unrestful as immigrants from Muslim communities were excluded from the list of beneficiaries.

The Government of India clarified that the Act proposed to provide relief to oppressed minorities in the Islamic countries of Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Since Muslims do not fall under the category of oppressed communities there, the Act does not cover them. There have widespread protests across the country including the national capital region and northeastern states against the CAA amendment. The protest in Assam and other northeastern states turned violent over fears that the move will cause a loss of their "political rights, culture and land rights" and motivate further migration from Bangladesh. The agitator says that new amendment in Citizenship Act discriminates against Muslims and violates the right to equality enshrined in the Constitution of the country. Sects like Shias and Ahmed is also face persecution in Muslim-majority countries like Pakistan but is not included in the CAA. Questions were also raised on the exclusion of persecuted religious minorities from other regions such as

Tibet, Sri Lanka and Myanmar.

Conclusion: There were also widespread protests in the northeastern states of India. The protesters are of the opinion that these illegal immigrants will break the economic, social and political fabric of the northeastern states. They can also be a threat to the employment opportunities of residents living in these areas. Its objectives and reasons clearly stated that such refugees who have entered India before 31 December 2014 need special statutory arrangements for their citizenship-related subjects. The Ministry of Home Affairs has not yet notified the rules that will make the Act operational. There are several petitions against the Act which are to be heard in the Supreme Court in January 2020.

References:-

1. ministry Of Home Affairs Notification S.O. 172(E) . *The Gazette of India*. 10 January 2020. Retrieved 10 August 2020.
2. Citizenship Amendment Act comes into effect from today as MHA issues notification. *The Indian Express*. 10 January 2020.
3. Gringlas, Sam. India Passes Controversial Citizenship Bill That Would Exclude Muslims.
4. From CAA to Art 370 Abrogation: 5 of Modigovt's boldest moves. *Free Press Journal. 20 December 2020*. Retrieved 2 January 2020.
5. SangeetaBarooahPisharoty (2019). Assam: The Accord, the Discord. Penguin. pp. 1–14, Chapters: Introduction, 2, 9, 10. ISBN 978-93-5305-622-3.
6. MihikaPoddar (2018), The Citizenship (Amendment) Bill 2016:international law on religion-based discrimination and naturalisation law, Indian Law Review, 2(1), 108–118.
7. NirajaGopalJayal (2019), Reconfiguring Citizenship in ContemporaryIndia, Journal of South Asian Studies, 42(1), p. 37.
8. Srivastava, Praveen Ranjan; Eachempati, Prajwal (1 September 2021). Gauging Opinions about the Citizenship Amendment Act and NRC: A Twitter Analysis Approach. *Journal of Global Information Management (JGIM)*. 29 (5): 176–193.
9. Gillan, Michael (2007), Refugees or infiltrators? The BharatiyaJanata Party and "illegal" migration from Bangladesh, *Asian Studies Review*, 26 (1): 73–95

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Banking Services Usage in Urban and Rural Areas

Priyanka Barod* Dr. Rakesh Mathur**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Professor, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - Financial Inclusions has been one of the “most critical factors in the context of growth, including sustainable development in developing countries such as India. In our country, the Reserve Bank of India (RBI) has established a monetary policy aimed at providing affordable banking services to both the poorest and least paid parties. RBI has been instrumental in developing rural areas along with urban areas since independence. It is committed to provide overall, all-encompassing financial growth of people at large. It has been rightly said that India lies in its villages, so including rural area residents in ambit of financial development is of utmost importance for overall development of economy and its people. For a number of reasons, banking services are available mainly in urban areas, but the rural areas of India are not well covered. The motive of present study is to know the frequency of usage of banking services by its urban and rural customers.
Key words: Financial growth, banking services, rural areas, Reserve Bank of India, Financial Inclusion.

Introduction - Services play an extremely essential role in political, economic and social aspects. It is not possible to imagine people’s life without personal, government, business, financial and other services. Banking industry in India has come a long way from the time when banks used to be mere deposit-taking and money-lending institutions. The aim of the bankers at that time was maximum profits with minimum risk. ‘Class banking’ and not ‘mass banking’ was the motto of the people managing the banks.

The nationalisation of banks in 1969 and then in 1980, aimed to bring every citizen of the country into the ambit of financial inclusion. That area where banking sector was unable to reach and serve was given priority for financial development. Carrying forward this aim, RBI and Govt. of India consciously emphasized on financial inclusion of all irrespective of their caste, creed, language, religion and region. As far as region is concerned, there are still many areas of the country which are waiting for the showers of financial assistance for their survival and development. Our country comprises both urban and rural dwellers and development of both areas and its people is necessary for complete development of our country. Public and Private sector banks attract their clients with many-years of experience, good reputation, reliability and safety of bank services and operation. Such banks use effective strategies to achieve the customer satisfaction. The aim of the present research paper is to understand the frequency of usage of banking services by urban and rural customers.

Literature Review

The role of services in people’s life is great. All services are performed for a customer, called to provide his life with comfort, satisfying his needs. A study conducted aims to find out how services play a major role in banking sector (in rural and urban areas) influences customers and affects the level of customer satisfaction. It found that consumers’ trust of the banking system and its services is most important factor for their attitude, while demographic variables are less important factors towards customers’ attitude. It suggests that banks should provide innovative creating new products or services and marketing strategies to increase e-banking services.

Objectives Of The Study : The objective of the present research paper is to find out the frequency of usage of banking services by the customers residing in rural and urban areas.

Body Of The Paper: Services In Banks: Numerous functions of a bank predetermined the presence of range of services to its consumers. It is possible to differentiate the following principal services. First, it accepts deposits: many people prefer saving their money in banks. This function helps people to earn interests and avoid theft. The presence of different types of accounts allow banks to attract clients’ savings: fixed (money is deposited for a fixed period of time; the rate of interest is high), current (serves businessmen and traders to make payments every day, making them pay incidental charges for a service), saving (encourages and mobilizes small savings with a low rate of interest; the number and amount of withdrawals is limited), recurring (encourages regular savings with interest of maturity of depositions; a rate of interest is relatively high),

home safe (promotes saving habits under a special scheme), etc.

Second, a client may take advantage of loans, becoming debtor of a lending bank. However, loans are granted by a bank, depending on the creditworthiness of the borrowers (depends on clients yearly income). Among various types of loans, there are the following ones: money at call (a short period loan, provided for banks and other financial institutions), cash credit (given to a borrower against his current assets, and allows to withdraw money from time to time), overdraft (a borrower is allowed to withdraw more money than his deposits), discounting of bills of exchange (a popular and self-liquidating loan that gives an opportunity to pay the bill with the help of bank commission), and term loans (medium- and long-term loan that allow the amount to be either paid or credited to the borrower's account; it must be repaid. Promoting cheque system is the other bank service that became popular in the age of business transactions: "through a cheque, the depositor directs the banker to make payment to the payee".

Concept Of Regional Rural Banks : RRBs (Rural Regional Banks) were established in 1975 and are governed by the RRB Act of 1975. RRBs are commercial banks by definition and are governed by the RBI Act of 1934's Schedule Two. "The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), which has the same powers as the RBI, directs them under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949". RRBs were created as a hybrid system with the aim of combining local feelings of cooperation with commercial bank business acumen to meet only the debt needs of the rural poor. It was created with the aim of forcing lenders out of business and filling the financial void left by cooperative and commercial banks in rural areas. These banks were established with the goal of acquiring a rural area with a low-cost profile while also taking advantage of commercial bank technology and period.

As per the RBI's advice/guidelines, Rural Regional Banks have initiated a number of steps to secure greater investment. Some of these steps are:

1. **Opening of no-frills accounts:** A simple bank account with no frills, a zero or very low balance, and no bank fees, making it accessible to a significant portion of the rural population. Small overdrafts are available from RRBs on such accounts.
2. **Relaxation on know-your-customer (KYC) norms (KYC):** KYC conditions for opening bank accounts have been reduced to smaller accounts since August 2005. RRBs are now permitted to accept all proof of a customer's identity and address with satisfaction. It is now easier to enter documents provided by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) that contain information about the name, address, and Aadhaar number.
3. **General Credit Cards (GCCs):** With the aim of helping the poor and the rural poor access easy credit, RRBs are launching a target of obtaining up to 15,000 credit cards at their local and urban branches. The purpose of this program is to provide customers with a secure credit-based credit rating without compromising on security, intent or use of credit.
4. **Engaging business correspondents (BCs):** In January 2006, the RBI allowed organized commercial banks to engage business facilitators (BFs) and business books (BCs) as mediators in the provision of financial and banking services. The BC model allows banks to provide door-to-door service delivery, especially cash withdrawals, thus addressing the issue of mileage storage. The list of eligible people and organizations that can be held as BCs is expanded from time to time.

The Other Services Which Differentiate Rural To Urban Are:

Dairy Channel:

1. Opening of zero balance accounts.
2. Managing the account servicing.
3. Cross-selling of various products like cattle loans, Kisan credit cards, loans for milk chilling units, milk vans, small Agri Business Loan etc.

BC Managed Banking Outlet:

1. Sourcing of all Asset & Liability products and fulfillment services.
2. Sourcing of Home Loans, Gold Loans, Tractor & Two Wheeler Loans and Various Agri & Allied products loans.
3. Cash transactions & management and daily reconciliation.

Sustainable Livelihood Initiative:

1. Disbursement of cash to various customer groups such as SHGs and JLGs.
2. Acceptance of deposits by way of EMIs from various customer groups (SHGs & JLGs).

PMJDY :

1. Sources for accounts enrolement and all types for Asset and Liability products.
2. Collecting applications & necessary documents for fulfillment services.
3. Customer account servicing.

Huge Gap Between Urban And Rural India An Opportunityfor Digital Penetration:

Bankers from across verticals came together to discuss the unlocking of the next frontier of digital penetration in tier 2 cities and beyond on the second day of FIBAC 2021 organized by **FICCI and IBA.**

Rural India fared much better than urban centres during the COVID 19 pandemic and is still more resilient in bridging gaps between the so called INDIA & BHARAT, said Mahabakeshwara MS, MD & CEO, Karnataka Bank.

"The opportunities and potential to grow digitally are virtually unlimited, especially in tier-2 towns and beyond. There is still a huge gap between the urban and rural India, however, to me that gap itself is an opportunity map. More

than 50% of digital transactions and startups registrations today are happening in and beyond tier 2,3 cities," he added.

He believes that banking services through modern methods should be rendered because of its scalability, cost effectiveness and better last mile reach. "We have a good number of FinTechs and startups who are ready with digital solutions, and who are eager for collaboration with banks," he said.

SALONI NARAYAN, DMD – Retail Business, State Bank of India, said that while digital penetration is an opportunity, it is also a challenge in the sense that the number of internet users in rural and urban areas are almost the same for financial transaction. "I think that the use of digital is growing way beyond the expectation of banksand non-banking financial companies. Hence, none can survive disruptions on their own and collaboration models are the need of the hour," she said.

SANJAY AGARWAL, MD & CEO, AU Small Finance Bank feels that it is time to rethink the definition of rural and urban India. Giving an example of Gujrat, he said, "I don't think that any corner of that state is rural whereas in Uttar Pradesh, it could be close to 50%, but in Maharashtra, maybe not even more than 20-30%. We need to carefully craft what we now call urban and rural," he said.

Frequency Of Usage Of Internet Banking In Differentresidential Groups: The empirical study reveals that usage of internet banking is very less in rural area as compare to urban bank customers. In case of respondents residing in urban areas, 45 percent are not using internet banking services even once in a month and this percentage of non-users is almost double at 86 percent in case of rural residents. In case of respondents residing in urban areas, 24 percent are using internet banking services three to eight times in a month and in this frequency of usage, there are only 2 percent rural respondents. None in rural area is using internet banking more than 12 times in a month while 7 percent urban respondents are using this for more than 12 times.

Finding & Suggestions:

1. It can be observed that Access to basic banking services in rural areas remains poor, and a significant backlog of even a legitimate bank account makes it extremely difficult for people to save; they will not be able to raise enough money to cope with unforeseen emergencies like domestic illness. People may need to take more expensive steps in the event of such a shock, rather than withdrawing money or taking money from the bank.
2. It can be observed that the closest option that has received the most attention lately in rural areas is "mobile money," where people can transfer, deposit, and withdraw money using their mobile phones.
3. It can be observed in when banks set up small centres, or camps, to open accounts in rural areas, locals flocked after hearing rumours that the government might offer account holders money. People open accounts in the hopes of receiving free money, which makes them feel cheated if they do not receive it. They can believe that banks are defrauding them of their funds.
4. It can be observed that there is a lack of information in rural areas about the role and function of banks, banking services, products, and interest rates, etc. This keeps people from investing in regular banks.

CRM systems have proved its effectiveness in aggressive bank competition, and will be used in the future. The strategic importance of CRM is obvious: it helps banks "to build long-lasting relationships with their customers and increase their profits through the right management system and the application of customer-focused strategies"

Rural development plays a major role in the development of the global economy. Rural banks/branches are expected to play a key role in providing banking services to meet the expected increase in their customers in rural areas. But the position of Rural Banking in India is not encouraging at all. There is a need to introduce new models in product design and delivery systems by making better use of technology and related processes to reach all rural people. The provision of various financial products and services in rural areas will improve the income of banks and contribute to the development of rural areas.

Banks should conduct training sessions to explain to local people why it is important to keep an account, and how people can learn to save and invest in a variety of ways. They can also encourage rural people to look for opportunities for their small businesses.

In this technology-oriented world, where everyone is inclined towards virtual reality, internet banking cannot be ignored. To improve the usage of internet banking services, banks should make an effort to create its awareness among its customers. Banks can direct its efforts towards providing financial literacy and making the usage booklets and internet banking services available in vernacular language to create better understanding and knowledge. Innovative, easy to understand and operate schemes for rural bank customers can be of great help. This way it will become easy and convenient to use internet banking and thus improve usage of these services.

Conclusion: Taking into consideration all the information mentioned above, one can make the following conclusion. Bank services serve for the benefit of people, engaged in financial relationship, commerce, business, and other activities. Owing to a great variety of bank services, a customer may deposit, save, transact, exchange, loan money, get a credit card, purchase goods and service via Internet, etc.

Rural indebtedness had taken deep roots in the country. It constituted a serious economic, social and political problem. Banks came to the rescues of the rural population as a 'messiah' and gave them a new sense of

dignity. The picture of rural India has changed in a big way during the last two decades. There has been no scheme or development project in which banks have not been directly involved. Banks are not only giving loans for purchase of tractors, seeds or for digging of wells, but also becoming active participants in bringing new technology to the farmers and in educating them.

In fact, it is through the banks only that the Indian farmer is reaching out to the latest advances in the field of agriculture. The day is not far off when the face of India will be changed beyond recognition. In that respect, the major share of the credit would certainly belong to the banking industry in the country.

Reference:-

1. Personal research.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Transparency and Flexibility in the Process of Personal Loans: A Pathway to Customer Satisfaction

Dr. Dinesh Kumar Singhal* Prof. Dr. D.D. Bedia Shruti Singh Chouhan*****

*Professor, Kalidas Government Girls College, Ujjain (M.P.) INDIA
**Pandit Jawaharlal Nehru Institute of Business Management, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
*** Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - Transparency and flexibility are important factors to consider when taking out a personal loan. Transparent personal loans have clear terms and conditions that are easy to understand. This helps borrowers make informed decisions about the loan, and can prevent surprises or confusion down the line. Flexible personal loans allow borrowers to choose repayment options that work best for their needs. This may include options for early repayment, prepayment penalties, or adjustable payment amounts. Personal loans with transparent and flexible terms may also offer online account management tools that make it easy for borrowers to track their payments and manage their loan. Overall, transparency and flexibility can help borrowers make better decisions and have more control over their personal loans. When considering a personal loan, borrowers should look for lenders that prioritize transparency and flexibility, and carefully review the terms and conditions of the loan to ensure that it meets their needs.

Introduction - Personal loans are referred to as "clean" or "unsecured loans" since they can be taken out without any kind of tangible security like real estate, fixed deposits, or bonds. Only the individual sureties are required to attest that you are a reliable individual and won't default on the loan. Reaching untapped customers in rural areas of India can help the Indian banking sector grow even further. Lending money from deposits is the banking sector's main source of income. Prior to the entry of private and foreign players into the market, the banking industry's players were limited to offering a small number of loan types to only a small number of socioeconomic classes of people. Now, however, because of the fierce competition in the market and the entry of these players, the industry's players have turned their attention to utilising all available opportunities to grow their customer bases and market shares.

Customer Service: Customer service has great significance in the banking industry. The banking system in India today has perhaps the largest outreach for delivery of financial services and is also serving as an important conduit for delivery of financial services. While the coverage has been expanding day by day, the quality and content of dispensation of customer service has come under tremendous pressure mainly owing to the failure to handle the soaring demands and expectations of the customers Satisfaction Banks and credit unions both received high marks for their customer service at branches and for online banking. However, customers gave a failing grade to the competitiveness of bank interest rates, while credit union customers find the lack of convenient ATMs and branches to be the most troublesome aspect of the experience.

Need Of The Study: On the strength of justifiable interest rates, a wide range of bank products, online credit scoring, the rise of intermediaries and third-party financial product distributors, and their ability to connect with clients from all walks of life, personal loans steadily began to regain popularity. Particularly during the past five years, personal loans have increased in popularity and are more sought after to fulfil consumer aspirations for modern technology, leisure, and entertainment, as well as fantasy holidays. Additionally, an intriguing development over the past five years has been the rise in the number of working single women taking out personal loans. However, the percentage of these clients is relatively small and may represent as little as 10% of total personal loan applications.

Literature Reviews

Jonathan Joseph (2021) stated that Personal loans are unsecured loans for personal use that can be used for any purpose, like paying for a wedding, travelling, or buying consumer durables. Personal loans are incredibly convenient and can meet all of an individual's demands. The study's goals included determining customer preferences for various loan types, determining the average amount of loans taken out by respondents, evaluating the effectiveness of advertising in raising public awareness, and assessing customer satisfaction with various loan programmes offered by Bajaj Fiserv Limited.

Venkatesan, K. (2019) stated that despite having a high

interest rate, personal loans are the unsecured credit facility product with the fastest raising market share because financial institutions strategically positioned the product. Because they do not attract encumbrances and only require a minimal amount of practical formality to obtain, personal loans are the simple choice of people for their financial needs. The researcher focuses on the current trend in personal loans and the variables that affect it from various perspectives of lenders and borrowers.

This study of A. Dewan &. R. Goel (2015) seeks to identify factors that influence impact of education loans on the students. Such an analysis would be helpful for financial entities that lend money, like banks, to develop loan packages that would have a greater impact on students and assist banks in providing value to those students. The study found that the length of loan participation and loan size have a significant impact on loan borrowers. The results of this study could be used by banks to develop loan products that have a greater influence on borrowers and aid organisations in adding value for customers, such as students or borrowers.

K. Basavaraj (2013) analyzed the customer preference and satisfaction towards banking services both private and public banks in Shivamogga district. The study discovered that business and auto loans move more quickly than other services, with a 50% overall satisfaction rate. Additionally, overall satisfaction with bank deposit plans produced great results, but other banking services still require attention by putting the consumer first. According to the authors, bankers should strive for 100% client satisfaction because doing so will inevitably lead to customer joy and long-term customer retention.

Azam, R., Danish, M. and Akbar, S.S. (2012) examined how loan approval outcomes and the socioeconomic characteristics of loan applicants affect loan consideration. The outcomes can enhance credit quality, prevent erroneous customer screening decisions, and create a more accurate forecasting model for personal loan risk management. The major goal of the current article was to assess the influence of socioeconomic characteristics of loan applicants on personal loan decisions made by Pakistani local private commercial banks. Out of six independent factors, the model found that area, residency status, and years with the current employer have a substantial impact on the decision to provide a personal loan.

Objectives Of The Study:

1. To study the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the Transparency and Flexibility in the process of personal loans.
2. To compare the customer satisfaction towards personal loans between Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector).

Research Methodology: The current study, which aims to examine the elements that influence consumers' decisions about personal loans at selected private and public sector banks, uses a descriptive research design. This study was set up so that customers' perceptions of two different types of banks, such as private (Kotak Mahindra=n=208) and public sector banks (SBI=n=277), were compared in terms of factors that affect customers' decisions to take out personal loans. For the study, purposive sampling was used and sample size is 485 from the Ujjain District. To test the hypotheses, Independent t-test was used on SPSS 20.0.

Table No. 1: Reliable and transparent process

Category	Kotak Mahindra bank		SBI	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Strongly agree	39	18.8	69	24.9
agree	84	40.4	140	50.5
neutral	22	10.6	11	4.0
disagree	59	28.4	51	18.4
Strongly disagree	04	1.8	06	2.2
Total	**208**	**100.0**	**277**	**100.0**

Regarding reliable and transparent process, it can be inferred from the data that the 18.8% customers of Kotak Mahindra bank are strongly agreed, 40.4% of them are agreed, 10.6% are neutral, 28.4% of customers are disagreed and 1.8% of them are strongly disagreed. Whereas 24.9% customers of SBI are strongly agreed, 50.5% of them are agreed, 4% are neutral, 18.4% of customers are disagreed and 2.2% of them are strongly disagreed. Hence, majority of customers are agreed on the reliability and transparency as all the information is online on the portal so no fraud actions could not occur.

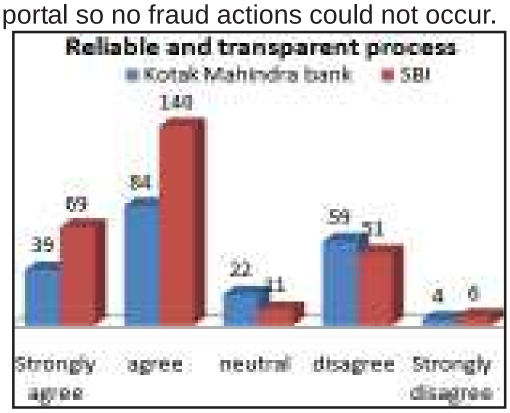

Table No. 2: Provides flexible repayment facility

Category	Kotak Mahindra bank		SBI	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Strongly agree	53	25.5	81	29.2
agree	92	44.2	74	26.7
neutral	19	9.2	39	14.2
disagree	35	16.8	58	20.9
Strongly disagree	9	4.3	25	9.0
Total	**208**	**100.0**	**277**	**100.0**

Regarding providing flexible repayment facility, it can be inferred from the data that the 25.5% customers of Kotak Mahindra bank are strongly agreed, 44.2% of them are agreed, 9.2% are neutral, 16.8% of customers are disagreed and 4.3% of them are strongly disagreed. Whereas 29.2% customers of SBI are strongly agreed, 26.7% of them are agreed, 14.2% are neutral, 20.9% of customers are disagreed and 9% of them are strongly disagreed. Hence, majority of customers are agreed on the flexible repayment facility as if they are not able to arrange the amount on time, so they can repay in coming time also without any penalty.

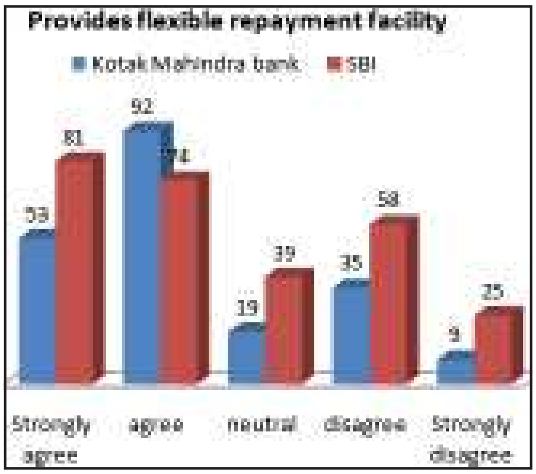

H_{01}: There is no significant difference in the customer satisfaction of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the Personal Loans.

H_{a1}: There is a significant difference in the customer satisfaction of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the Personal Loans.

Table No. 3: Group Statistics on Customer Satisfaction towards the Personal Loans

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CS	Kotak Mahindra Bank (Private Sector)	208	3.1202	1.36908	.09493
	State Bank of India (Public Sector)	277	3.3827	1.24155	.07460

The table shows the mean value of the customer satisfaction of Kotak Mahindra Bank (Private Sector)towards thePersonal Loans so it depicts that the mean value (3.12) is less than the mean value (3.38) of the customers of State Bank of India (Public Sector). Hence, it is perceived that the customer satisfaction level of SBI is more than that of the customers of Kotak Mahindra Bank.

Table No. 4 (see in last page)

Result found that null hypothesis "There is no significant difference in the customer satisfaction of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the Personal Loans" is not accepted and hence it can be said that p-value (0.030<0.05) is less than at 5% significant level and the value of t-test is 2.698 which is greater than the tabulated value. Hence, the alternate hypothesis is accepted and concluded that there is a significant difference in the customer satisfaction of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the Personal Loans.

Conclusion: Transparency and flexibility in the process of personal loans can be a pathway to customer satisfaction. Lenders who provide clear information about loan terms, fees, and repayment options can help customers make informed decisions and avoid unexpected costs. Offering flexible repayment schedules and the ability to adjust loan amounts can also enhance customer satisfaction. By prioritizing transparency and flexibility, lenders can build trust and loyalty with their customers, ultimately leading to a positive customer experience and increased business success. Personal loans are a popular form of credit that allows consumers to borrow money for a variety of purposes, such as debt consolidation, home improvement, or unexpected expenses. However, the personal loan process can sometimes be confusing, with hidden fees or inflexible repayment terms leading to customer dissatisfaction. To address these issues, and lenders can adopt practices that prioritize transparency and flexibility throughout the loan process. This might include providing clear and concise information about loan terms, interest rates, and fees upfront, so that customers can make informed decisions about borrowing. In addition, lenders can offer flexible repayment schedules that take into account customers' unique financial situations, such as allowing for early repayment without penalty or offering the ability to adjust monthly payments if circumstances change. This can give borrowers greater control over their finances and help avoid defaults or missed payments that can harm their credit scores. Ultimately, prioritizing transparency and flexibility can lead to higher customer satisfaction and retention rates, as borrowers feel confident and empowered throughout the loan process. By making these practices a priority, lenders can differentiate themselves in a competitive market and build long-term success through positive customer relationships.

Recommendations for the Banking Industry:

1. Offering personal loans is a competitive market and banks need to differentiate themselves by providing a high level of services to customers in order to succeed. Here are some recommendations for banks in offering personal loans:
2. Offering competitive interest rates is a key factor in attracting customers to take out personal loans. Banks should regularly review and adjust their interest rates to remain competitive in the market.
3. Provide a convenient application process. Banks

should make it easy for customers to apply for personal loans by offering online applications and mobile apps. This will help to streamline the application process and make it more convenient for customers.

4. Offer a variety of loan products. Banks should offer a variety of loan products, including unsecured and secured loans to meet the diverse needs of their customers. This will help to attract customers who are looking for different types of loans.
5. Provide flexible repayment options. Banks should offer flexible repayment options such as bi-weekly or monthly payments to help customers manage their finances and make their repayments more manageable.
6. Banks can improve the customer experiences by offering pre-approvals and pre-qualifications for personal loans, allowing customers to get an idea of their borrowings capacity before they apply for a loan.
7. Banks should implement responsible lending practices such as, conducting thorough affordability assessments and verifying income, to minimize the risk of loan defaults and ensure that loans are extended to customers who can afford to repay them.
8. Banks can differentiate themselves b offering value added services such as; financial planning and education, to help customers manage their finances and make informed decisions.
9. By implementing these recommendations, banks can improve their offerings and attract more customers to take out personal loans, while also managing risks and ensuring responsible lending practices.

Recommendations for the Banking Customers: Some recommendations for banking customers while applying for personal loans:

1. Before applying for a personal loan, it is important to check credit score. Good credits score will increase the chances of getting approved for the loan and may even help the customers to negotiate a lower interest rate.
2. Shop around and compare interest rates from different banks or financial institutions. Choose the one that offers the most competitive interest rate and terms that suits the customers' needs.
3. Look for any hidden fees or charges associated with the loan such as processing fees or repayment penalties. These charges can add up and increase the cost of the loan, so make sure customers understand all the charges before signing the loan agreement.
4. While it may be tempting to borrow more money than you need, it is important to remember that customer will have to pay interest on the entire amount. So only borrow what they need and can afford to repay.
5. Make sure customer understands all the terms and conditions of the loan before signing the agreement and they are not supposed to hesitate in asking any query.
6. Make sure customers repay the loan on time as late payments can negatively affect the credit score and may result in additional fees or penalties.

Future Scope of the Study: The personal loan market is expected to experience significant growth in the coming years, driven by several factors including:

1. The increasing availability of digital technologies, such as, mobile applications and online lending platforms is expected to make it easier for customers to access personal loans and manage their finances. This is likely to increase the popularity of personal loans and drive growth in the market.
2. Customers are increasingly seeking financial flexibility, and personal loans offer a convenient way to access funds for a variety of purposes, such as home improvements, debt consolidation, medical expenses etc. These are expected to drive growth in the personal loan market.
3. As customer spending continues to rise, the demand for personal loans is expected to increase, as the look to finance bug ticket purchases or pay for unexpected expenses.
4. The expansion of credit markets, particularly in emerging economies, is expected to provide new opportunities for growth in the personal loan market.
5. Study is useful for prospective customers who want to take or planning to avail personal loan facility for financial services.

References:-

1. A Dewan &. R. Goel(2015) "Student loan in financing Higher Education in India, Student Loans in Developing Countries", Published by *Springer*, Vol 23, No.4, pp.389-404
2. Azam, R., Danish, M. and Akbar, S.S. (2012) The significance of socioeconomic factors on personal loan decision: A study of consumer banking local private banks in Pakistan. Munich Personal RePEc Archive 2012.
3. Babasaheb, J. and Tushar, S. (2019) A study on factors affecting the growth of personal loan as a product at HDFC Bank. NITH International Journal of Multidisciplinary Research. Volume 8 (11), pp. 99-111.
4. Deokar, Y. and Mayur, G. (2019) A Study of Consumer perception on SBI Home Loan with Special reference to Pune City. International Journal of 360 Management Review, Vol. 07, Issue 01, pp. 87-93.
5. Gupta, M.C. and B. Vandana (2020) Customer Satisfaction on Personal Loan. A Journal of Composition Theory. Volume XIII, Issue VII, pp. 158-175.
6. Jiwani, C. L. (2021) Study of Consumer Behavior and Preference for Unsecured Financial Lending of HDFC Bank in Pune City. International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM), Issue-04, pp. 56.

7. Jonathan Joseph (2021) A study on Personal Loan at Bajaj Finserv Limited. International Journal of Innovative Research in Technology, Volume 8 Issue 6, pp. 442-450.
8. Manjula Bai H. (2018) "Customer Perception towards home loan with special reference to SBI- A Study. Journal of The Gujarat Research Society,, Volume 21 Issue 17, PP: 1582-1604
9. P. Vanitha Malarvizhi (2019), "A Comparative Study on Gold Loan Offered by Public Sector Banks and Non-Banking Financing Companies, Madurai" Journal of Business Review. Volume 1 (2), pp. 34.39.
10. R. and K. Basavaraj (2013) Cost of Higher Education: An Evaluation of Unit Cost of University Education in Indian Universities, Special Reference to Andhra University, PhD, Thesis, submitted to Andhra University, Bangalore.
11. Shetty, V. and Sujatha, K.S. (2022) Consumer Perception and Attitude towards Gold Loans: A Case Study on Impact of Gold Loans Offered by top 5 Private Sector Banks. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol 3, no 1, pp 1222-1229.
12. S.V. Satyanarayana Et al (2019), "A Comparative Study between Public and Private Housing Finance Companies (HFCs) in India. Journal of Economics. Volume 4 (3), pp. 56-63.
13. Tiwari, K.K. & Somani R. (2021) Study of Personal Loan and Analysis of People Perception on HDFC & SBI Bank. Gorteria Journal. Volume 34 (1), pp. 269-274.
14. Venkatesh P., Magesh, M., Patel, D,S, abd Muthu, M.M. (2021) A Study On Customer Satisfaction Towards Home Loan With Reference To Vellore District. Elementary Education Online, Vol 19 (Issue 2): pp. 1950-1959

Table No. 4: Independent Samples Test on Customer Satisfaction towards the Personal Loans

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
CS	Equal variances assumed	3.387	.066	-2.204	483	.028	-.26248	.11907	-.49643	-.02853
	Equal variances not assumed			-2.174	421.144	.030	-.26248	.12073	-.49979	-.02517

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

महिलाओं के उत्थान में महात्मा गांधी का योगदान

सुनिता मोरे*   विवेक सोलंकी**

* शोधार्थी, समाज विज्ञान अध्ययनशाला तक्षशिला परिसर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'नारी ईश्वर यानी परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है।'
- महात्मा गांधी

भारत में महिलाओं कि स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें सुख-समृद्धि, शांति,वैभव,और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसलिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा करने का विधान रहा।नारी का स्थान शास्त्रों में भी पूजनीय रहा हैं। भारतीय समाज में नारी उत्थान के लिए समय-समय पर अनेकों महापुरुषों ने प्रयत्न किए हैं। महात्मा गांधी आधुनिक युग के महापुरुष हैं, जिन्होंने नारी उत्थान के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महात्मा गांधी ने सिर्फ देश को आजादी दिलाने में ही अहम भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाये।

गांधी ने अपने समय में नारी सुधार आंदोलन, पुरुष और महिला के समान अधिकारों के पक्षधर रहे। वे नारी को शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देने की हमेशा वकालत करते रहे।

स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति

1. **पुरूषों पर निर्भरता-** महिलाओं को अपने परिवार और पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। कोई महिला चाहे वह भूख-प्यास से कितनी भी पीड़ित हो, उसके लिए आर्थिक क्रिया करना उसके स्त्रीतत्व और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए स्त्री अमानवीय व्यवहार के पश्चात भी पुरूष की दया पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।
2. **अशिक्षा-** इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया जिससे उनके जीवन स्तर अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया। थोड़ी शिक्षा जिन महिलाओं को मिली उन्होंने उसका उपयोग धर्मशास्त्र पड़ने में किया क्योंकि यही नैतिक धर्म माना गया। इसलिए वे अपने अधिकारों से वंचित रह गयी।
3. **बाल विवाह-** बाल विवाह के कारण महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न रहने से अज्ञानता बढ़ी जिससे वह समाज की मौलिक स्थिति को समझ कर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकीं। छोटी उम्र में विवाह होने से पारिवारिक उतरदायित्व शीघ्र ही आ जाते थे जिनसे उनका विकास प्रभावित होता था।
4. **वैवाहिक कुरीतियां-** अनेक विवाह कुरीतियों जैसे-अंत विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर नियंत्रण आदि ने महिलाओं की स्थिति गिराने में सहयोग दिया है। इन प्रथाओं के कारण महिलाओं को परिवार में भार समझा जा ने लगा।

महिलाओं के उत्थान में महात्मा गाँधी जी का योगदान - राष्ट्रपिता गांधी जी ना सिर्फ शांति और अहिंसा के पक्षधर रहे है, बल्कि महिलाओं को किसी भी स्थिति में खुद को पुरूषों के अधीन या अपने आपको उनसे कम नहीं समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने महिलाओं की छवि को बदलने के लिए व्यापक प्रयास किए। उनका कहना था कि महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही उनके प्रतिद्वंदी है। महिला और पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनके समस्याएं भी एक जैसे हैं। महात्मा गांधी ने महिलाओं के शिक्षित होने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। क्योंकि यही वह आधार था जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ले जाकर खड़ा कर सकता था।

उनका मानना था कि महिलाएं ज्ञान, विनम्रता, धैर्य, त्याग और विश्वास की मूर्ति है महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा का उपदेश दिया। उस में सहन शक्ति का होना अनिवार्य है और यह चीज महिलाओं का एक प्रमुख गुण है।

'यदि अहिंसा हमारे जीवन का धर्म है
तो भविष्य नारी जाती के हाथ में है।'

महिलाओं को बराबर का दर्जा देने को लेकर आज से नहीं बल्कि काफी समय से अनेक प्रयास किए गए हैं महात्मा गांधी ने भी कई मंचों पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते थे।

गांधी जी से पहले भी महिलाओं के उत्थान के लिए कई सामाजिक आंदोलन हुए उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलनों में महिलाओं के आगे आने पर जोर दिया।

गांधी जी सिर्फ महिलाओं के उत्थान की ही बात नहीं करते बल्कि उसे सच करने के लिए प्रयास भी किया।

गांधी जी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सह्रदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने के भी सख्त खिलाफ थे।

गांधी सिर्फ महिला उत्थान की बात नहीं करते थे बल्कि उसे सच करने के प्रयास भी किया। जेसे हर आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने चरखा चलाना भी सिखाया। वह महिलाओं के शिक्षा हासिल करने और नौकरी करके आत्मनिर्भर होने के पक्षधर थे।

महिलाओं के नेतृत्व का करते थे समर्थन - महात्मा गांधी ने कांग्रेस की महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया और हर आंदोलन में उनकी सक्रिय

भागीदारी सुनिश्चित की। वर्ष 1921 में जब महिलाओं के मतदान का मुद्दा उठाया गया था तो महात्मा गांधी ने इसका भरपूर समर्थन किया। 2 मई 1936 के हरिजन में भी गांधी ने देश की शिक्षा पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से यह विचार सामने रखा, कि स्त्री इतनी सशक्त हो जाए कि अपने पति को भी श्नश् कहने में संकोच ना हो।

गांधी के विचार में महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें सशक्त बनना है, तो इसकी पहल परिवार से ही करनी होगी। गलत बातों को जब तक वह सहेगी, उसके साथ जुल्म होता रहेगा। गांधी ने कहा था, जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है।

निष्कर्ष –संक्षेप में यह कह सकते है कि अशिक्षित महिलाओं की भीड़ को घर की चहारदीवारी से बाहर निकालने के लिए गांधी जी ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया।

महिलाओं को अपने जीवन के हर कदम पर यह महसूस करने के लिए सचेत और जागरूक रहना होगा कि वे अपने राष्ट्र और शांतिमय दुनिया की निर्माता है।

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं होना चाहिए। यह 'संपूर्ण मुक्ति' होना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांधी जी ने जो प्रयास किए, उन्हें कोई दुगुना नहीं कर सकता। उन्होंने राज्य की शक्ति के बिना,आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के बिना, न केवल साक्षर बल्कि अशिक्षित लाखों महिलाओं को समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जेसे सती प्रथा,बाल विवाह आदि प्रथाओं का अंत किया था। महिला शिक्षा पर उनका आग्रह सही दिशा में पहला कदम था। अंत में हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में गांधी जी की भूमिका बहुमूल्य हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महात्मा गांधी और उनकी महिला मित्र– गिरज कुमार
2. महात्मा गांधी और औरत– आर.के. पाठी,चतुर्वेदी
3. महात्मा गांधी के विचार– आर.के. प्रभु एवं यूआर.राव
4. गांधी एक अध्ययन– डॉ.सुरजीत कौर
5. इन्टरनेट के माध्यम से आदि

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

वस्तु एवं सेवाकर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर प्रभाव का अध्ययन

प्रवीण कुमार सोनी*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, माकड़ोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को समाप्त करते हुए 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवाकर को लागू किया गया। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर कर लगाने के लिए कर की दरों के विभिन्न समूह बनाये गए। इन समूह में 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत से करायोग्य वस्तुओं को शामिल किया गया। भारत में सराफा व्यापार के उत्पादों की पूर्ति पर नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी लगाया गया है, जबकि जीएसटी के पूर्व की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सराफा व्यापार के उत्पादों पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क एवं 1 प्रतिशत विक्रय कर, इस प्रकार कुल 2 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था। वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के बाद आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है जो जीएसटी के पूर्व की व्यवस्था में नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार जीएसटी लागू होने के बाद सराफा व्यापार के उत्पादों पर लगाये जाने वाले करों में वृद्धि की गई है। कर वृद्धि का प्रभाव, मूल्य वृद्धि के रूप प्रदर्शित होता है। इसके साथ ही जीएसटी के जटिल प्रावधानों के कारण सराफा व्यापार की लाभदायकता भी प्रभावित हुई है।

शब्द कुंजी – वस्तु एवं सेवाकर, सराफा व्यापार, स्वर्ण आभूषण, मूल्य , सरकार, कर संग्रह।

प्रस्तावना – बहुमूल्य धातुओं पर भी सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। बहुमूल्य धातुओं में हीरा, स्वर्ण (सोना) एवं रजत (चांदी) अत्यंत महत्वपूर्ण धातुऐं है। सम्पूर्ण मानव जाति में आभूषणों के प्रति विशेष लगाव देखा जाता है, खासकर सोने व चांदी के आभूषणों का अपना विशेष महत्व होता है। भारत में भी प्राचीन काल से ही बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों का महत्व देखा गया है। सोने-चांदी के कारण मानव जाति के इतिहास में कई विनाशकारी युद्ध हैं। प्राचीन समय में राजा-महाराजाओं द्वारा अपने मंत्रियों व नागरिकों को विशेष अवसरों पर उपहार स्वरूप विभिन्न रूपों में सोना व चांदी प्रदान किया जाता था। स्वर्ण व रजत का अधिक मात्रा में स्वामी होना, वर्तमान समाज में प्रतिष्ठा व सम्पन्नता का सूचक माना जाता है। अन्य वस्तुओं की तरह सोने और चांदी के आभूषणों के निर्माण व विक्रय पर भी सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश में सोने और चांदी और इनसे बने आभूषणों के निर्माण एवं क्रय-विक्रय पर 3 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तरह ही इन पर लगने वाले कर की दरों का इनके व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

हमारे देश के लगभग प्रत्येक परिवार, चाहे वह अमीर हो या गरीब, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण व रजत से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में विवाह, जन्मदिवस, वर्षगांठ आदि शुभ अवसरों पर दिये जाने वाले उपहारों में बहुमूल्य धातुओं के उपहार का विशेष महत्व है। प्रत्येक पिता अपनी बेटी के विवाह हेतु उसके जन्म से ही योजनाऐं बनाने लगता है। इन योजनाओं में बेटी को उपहार स्वरूप दिये जाने वाले सोने-चांदी के आभूषणों के क्रय की योजना भी शामिल है। सोने एवं चांदी से निर्मित आभूषणों के क्रय-विक्रय के लिए हमारे देश के प्रत्येक शहर में एक बाजार उपलब्ध है जिसे सराफा बाजार कहा जाता है। इस बाजार में विभिन्न व्यापारियों द्वारा अपनी पूंजी लगाकर स्वर्ण व रजत से बनी वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। यह बाजार हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस बाजार ने हमारे देश में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराये हैं। इस व्यापार में स्वर्ण व रजत आभूषणों के निर्माण व विक्रय पर लगने वाले करों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। हमारे देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में महत्वूपर्ण परिवर्तन करते हुए 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। जब देश में जीएसटी लागू किया गया तब विभिन्न अन्य व्यापारों की तुलना में संपूर्ण देश के सराफा व्यापारियों द्वारा इस कानून का प्रमुखता से विरोध किया गया। विरोध स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में सराफा व्यापारियों ने कई दिनों से लेकर महीनों तक हड़ताल की व सराफा बाजार बंद रखा। शाजापुर जिले में भी उस समय सराफा बाजार के व्यापारियों द्वारा अपना व्यवसाय बंद रखा गया था। जीएसटी के विरोध स्वरूप सब्जी के ठेले, चाय की दुकान आदि लगाकर शासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस नये कानून में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनको लेकर सराफा व्यापारी इतने आशंकित है? क्या इस कानून के प्रावधानों का इनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव होगा ? क्या इस नये कानून के परिणामस्वरूप इनके व्यापार के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव होगा? क्या इस नये कानून के प्रावधानों से सोने-चांदी के आभूषणों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का अवसर मुझे प्रस्तुत शोध कार्य के रूप में मिला है।

शोध कार्य के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :

1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. सराफा बाजार एवं उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करना।
3. वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्य पर प्रभाव का अध्ययन

करना।

शोध कार्य की परिकल्पना:

शून्य परिकल्पना (H_0) – वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) – वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।

शोध प्रविधि– शोध प्रविधि का आशय शोध कार्य करने के विशिष्ट नियम अथवा विधि से है। दूसरे शब्दों में किसी शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिये अपनायी जाने वाली विशिष्ट तकनीक को ही शोध प्रविधि कहते हैं। इसके अंतर्गत शोध समस्या के बारे में जानकारियों की पहचान, शोध कार्य के क्षेत्र का चयन, शोध से संबंधित समंकों का संकलन, उनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल है।

अ. अध्ययन का क्षेत्र – मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

ब. समकों का संकलन – प्रस्तुत शोध पूर्णत: द्वितीयक समंकों पर आधारित है।

शोध पत्र का मुख्य भाग:

वस्तु एवं सेवा कर की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन– भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय, वितरण और सेवाओं पर लगाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उनके स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। भारत में जीएसटी को लागू करने के प्रयास लगभग 2 दशक पूर्व प्रारंभ हुए थे। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए की सरकार में जीएसटी की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक में रखा गया था। वर्ष 2003 में श्री विजय केलकर की अगुवाई में एक कार्यबल का गठन किया था, जिसने वर्ष 2005 में अपने प्रतिवेदन में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की सिफारिश की थी। वस्तु एवं सेवा कर को भारत में लागू करने के लिये भिन्न–भिन्न सरकारों द्वारा वर्ष 2000 से 2017 तक अनेक अनेक कदम उठाये गये। सभी पूर्व सरकारों के प्रयास के बाद अंतत: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया और यह नई कर व्यवस्था एकीकृत कर प्रणाली के रूप में हमारे देश में लागू हो गई । नई कर व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर **1 जुलाई 2017** से **एक देश एक कर** पर आधारित **वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली** को लागू किया गया। देश और दुनिया के विभिन्न विद्वान अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा कर विशेषज्ञों ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया और इसे देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिज्ञों एवं कर विशेषज्ञों ने इसे सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित और जल्दबाजी में उठाया गया एक अव्यवहारिक कदम बताया और कहा कि जीएसटी के दुष्परिणाम देश को भुगतना होंगे और यह देश के आर्थिक विकास के लिए घातक होगा।

वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ – वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूला जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो सम्पूर्ण देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एकल कर के रूप में लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की समान भागीदारी है, इसीलिए इसे संघीय कर भी कहा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है।

वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में पारित किये गए कानून –1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू की गई । इस हेतु मुख्यत: पांच अधिनियम बनाए गए है –

1. **केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम** 2017 – केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय कर लागू करने के लिए बनाया गया है।
2. **प्रांतीय माल एवं सेवा कर अधिनियम** 2017 – इस कानून के अंतर्गत राज्य कर वसूल किया जाता है। प्रत्येक राज्य द्वारा अपना पृथक कानून बनाया गया है। जैसे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश माल एव सेवा कर अधिनियम लागू होता है।
3. **एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम** 2017 – यह अधिनियम माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति के लिये बनाया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कर संग्रह किया जाता है एवं राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
4. **संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम** 2017 – यह अधिनियम केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू होता है।
5. **माल एवं सेवा कर /राज्यों को क्षतिपूर्ति/ अधिनियम** 2017 – वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमे सिगरेट, पान–मसालों आदि पर उपकर लगाया जाता है।

उपरोक्त पांचों अधिनियम भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गए हैं। इन सभी अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करवाने के लिए इनके अतिरिक्ति केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम बनाये गए है।

भारत में स्वर्ण आभूषण बाजार– भारतियों के लिए सोना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विरासत का भी हिस्सा है। भारतीय परम्परा में बच्चे के जन्म, अनुष्ठान एवं शादी समारोह के दौरान सोना–चांदी उपहार में दिया जाता है। भारत की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है इसके बावजूद भी पूरे विश्व में भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों के साथ सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में सोने के आभूषणों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। निवेश की दृष्टि से भी इसे अत्यंत लाभदायक व सुरक्षित धन माना जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर इसे बिना किसी मौद्रिक नुकसान के कभी भी नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोना और सोने के आभूषणों का बड़ा धार्मिक महत्व है, बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण हिंदू धर्म की आराध्या देवी लक्ष्मी के प्रतीक हैं और अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। इस प्रकार भारतीय परम्परा, रीति–रिवाज, धार्मिक महत्व तथा विशाल जनसंख्या के फलस्वरूप भारत में बहुमूल्य धातुओं के आभूषण व अन्य उत्पादों की वृहद मांग है। इस वृहद मांग की पूर्ति करने हेतु देश भर में लगभग सभी महानगरों, नगरों, कस्बों व गांवों में इनका व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। इन महानगरों, नगरों व कस्बों में जिन स्थानों पर ये व्यापार किया जाता है उस स्थान को सराफा बाजार कहा जाता है। इन बाजारों में बहुमूल्य धातुओं से निर्मित आभूषण व

अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता है। अन्य वस्तुओं की तरह सोने और चांदी के आभूषणों के निर्माण व विक्रय पर भी सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। सराफा बाजार का देश के राजस्व में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त रोजगार की दृष्टि से देखा जाये तो सराफा बाजार ने हमारे देश में अनेकों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सराफा बाजार हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

स्वर्ण आभूषणों पर जीएसटी के पूर्व एवं पश्चात् लगने वाले कर का अध्ययन – जीएसटी लागू होने के पूर्व स्वर्ण व रजत आभूषणों के व्यापार पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क एवं 1 प्रतिशत वेट लगाया जाता था, इस प्रकार सराफा व्यापारियों को कुल 2 प्रतिशत की दर से कर देय था जबकि जीएसटी कानून के अंतर्गत इस व्यापार पर 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। नई कर व्यवस्था में आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर भी 5 प्रतिशत जीरएसटी लगाया जाता है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका क्रमांक 1: वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् करों का विवरण

विवरण	**वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व कर की दरें**	**वस्तु एवं सेवा कर के पश्चात् कर की दरें**
आयात शुल्क	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
उत्पाद शुल्क	1 प्रतिशत	–
वेट (विक्रय कर)	1 प्रतिशत	–
जीएसटी	–	3 प्रतिशत
मेकिंग चार्जेस	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
मेकिंग चार्जेस पर जीएसटी	निरंक	5 प्रतिशत

(स्त्रोत – पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की अधिकृत वेबसाईट)

स्वर्ण आभूषणों के मूल्य पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन –जीएसटी लागू होने के बाद स्वर्ण आभूषणों के मूल्य पर होने वाले प्रभाव को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका क्रमांक 2: वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् आभूषणों के मूल्य का तुलनात्मक विवरण

विवरण	**वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व**	**वस्तु एवं सेवा कर के पश्चात्**
10 ग्राम सोने का अनुमानित मूल्य	50000	50000
+ मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत	5000	5000
योग	**55000**	**55000**
+ उत्पाद शुल्क 1 प्रतिशत	550	–
योग	55550	55000
+ वेट 1 प्रतिशत	555	–
योग	56105	55000
+ जीएसटी 3 प्रतिशत	–	1650
कुल मूल्य	56105	56650
+ मेकिंग चार्जेस 10 प्रतिशत	5500	5500
योग	61605	62150
मेकिंग चार्ज पर जीएसटी 5 प्रतिशत	–	275
आभूषणों का कुल मूल्य	**61605**	**62425**
आभूषणों की खरीदी पर कुल देय कर	**1105**	**1925**

तालिका की विवेचना – उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने के बाद –

आभूषणों पर कर वृद्धि – 820 रू. (1925–1105), (कर की राशि में 74.2प्रतिशत वृद्धि)

आभूषणों में मूल्य वृद्धि – 820 रू. (62425–61605), (मूल्य में 1.34 प्रतिशत वृद्धि)

निष्कर्ष – इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व 10 ग्राम सोने के आभूषण का कुल मूल्य 61605/– रूपये हो रहा है जबकि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद यह बढ़कर 62425/– रूपये हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद आभूषणों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। हालांकि अल्पकाल में यह मूल्य वृद्धि हमें प्रतिकूल प्रतीत हो सकती है किंतु देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाये तो दीर्घकाल में यह अनुकूल साबित हो सकती है।

शून्य परिकल्पना का परीक्षण

शून्य परिकल्पना (H_0)– वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। **(अस्वीकृत)**

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1)– वस्तु एवं सेवा कर का स्वर्ण आभूषणों के मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। **(स्वीकृत)**

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क – डॉ. श्रीपाल सकलेचा
2. वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क – डॉ. एच.सी.मेहरोत्रा
3. सांख्यिकी के सिद्धांत– डॉ. शुक्ल एवं सहाय
4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की रिपोर्ट
5. जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाईट
6. प्रमुख समाचार–पत्र एवं पत्रिकाऐं – दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

नैतिक मूल्य में साहित्य की भूमिका

डॉ. बिन्दु परस्ते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज का समय बहुत आशांत है। मनुष्य के जीवन में अनेक उतार–चढ़ाव देखे जा रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा कैसे जिया जाए। वह एक ऐसी जीवन पद्धति की तलाश में है जो व्यावसायिक सफलता देने के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करें। पुरानी जीवन पद्धति रास नहीं आ रही, साथ ही तकनीकी युग में व्यवहारिक भी प्रतीत नहीं होती। जहाँ वह पारिवारिक आनंद लेना चाहता है तब परिस्थितियों या सांसारिक कठिनाइयों के कारण बेवस नजर आता है। युवाओं की सारी शक्ति कैरियर बनाने तथा नयी कुशलता अर्जित करने में निकल जाती है। जीवन में जीविका भी आवश्यक है। व्यस्तता कितनी है कि ना तो बच्चों को समय दे पाता है और ना माता–पिता को। महिलाएं भी कामकाजी होने के कारण बच्चों की परवरिश संबंधी तकलीफों का सामना कर रही है। बच्चों में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना, रिश्तो में असमंजस तथा सामाजिक दायित्व निभाना आदि धीरे–धीरे विलुप्त होने के कगार पर है।

संसार में हम इतने खो गए हैं कि हमारे पास जिंदगी की खूबसूरत चीजों को देखने का समय नहीं है। प्रकृति, अध्यात्म, धर्म एवं सांस्कृतिक के देखने का समयाभाव है जिस कारण जीवन तनावपूर्ण हो रहा है। छोटी उम्र में भी शारीरिक व मानसिक समस्याएँ देखी जा रही है। मेरे विचार से इन कठनाईयों को कुछ कम करने में साहित्य का बड़ा योगदान है। साहित्य के मधुर उत्पाद जैसे– कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि जीवन में शांति एवं आनंद की धारा बहा सकते हैं। आधुनिक उपकरणों जैसे टेलीविजन, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन आदि जिसमें आज भी युवा पीढ़ी एवं बच्चे भी अधिक समय व्यतीत करते हैं, साहित्य का स्वस्थ प्रदर्शन कर जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। हालांकि मानवीय स्वार्थ एवं बातचीत का कोई विकल्प नहीं है।

साहित्य मानवीय संवेदनाओं का लिखित संग्रह होता है जिसका उद्देश मनोरंजन, शिक्षा, समाज सुधार आदि होता है। साहित्य हर सदी का उतार चढ़ाव देखते हुए अमर हो जाता है। सभी साहित्य की कृतियाँ आज भी अमर है। तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, कबीरदास आदि कवियों के काव्य आज भी हृदय को अंदोलित करते हैं। हिंदी के महान कवि दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से सीना तान कर जीना सिखाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर अपने नाटकों में समाजिक, नैतिक एवं मानवीय शिक्षा की मूल्यों को बखूबी से संप्रेषण के कारण विश्व विख्यात है।

आज के युग में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन कर मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान तथा तनाव कम कर सकता है। तभी कवि एवं लेखक अपनी कविताओं के माध्यम से सुझाव देते हैं कि अधिक से अधिक प्रकृति के पास रहे वर्तमान का समय आनंद ले तथा भविष्य के लिए आशावान रहें। साहित्य का हर रूप हमें कुछ सिखाता है साथ ही मनोरंजन भी कराता है।

साहित्य सांस्कृतिक धरोहर भी है। नैतिक शिक्षा का भंडार पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ने से मिलता है। प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक बुराइयों, शोषण, गरीबी का भावात्मक चित्रण करती है तथा मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती है। सत्यता से परिचय कराते हुए जीवन जीना सिखाती है। इस धारा में भक्ति साहित्य भारतीय संस्कृति एवं उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है।

अच्छा साहित्य सदैव भावनाओं को शुद्ध एवं विचारों को परिमार्जित करता है। कहा जा सकता है साहित जीवन के सत्य एवं सौन्दर्य के सदर प्रदर्शन को मनुष्य तक पहुंचाने का माध्यम है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रहण कर जीवन की कला पा सकता है।

किसी का सकते था
मेंने संदर्भ में जोड़ दिया।
कोई मधुकोष काट लाया था
मैंने निचोड़ लिया।
यों मैं कवि हूं आधुनिक हूँ नया हूँ
काव्य तत्व की खोज में कहां नहीं गया हूँ।
चाहता हूँ आप मुझे
एम– एन शब्द पर सराहते हुए पढ़े।
पर प्रतिमा – अरे वह तो
जैसी आप को रूचे आप स्वयं गढ़े।

उपर्युक्त पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वात्स्यायन अज्ञेय की नया कवि आत्म स्वीकार से उद्धत है आज्ञेय ने रचना सृजन के दौरान मनोस्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से सहाँ अभिव्यक्त किया है। साहित्य का अर्विभाव भी इसी समाज से होता है जिसे रचनाकार अपने भावों के साथ मिलाकर उसे एक आकर देता है। यही रचना समाज के नवनिर्माण में पथप्रदर्शन की भूमिका निभाने लगती है। अज्ञेय मानते हैं कि साहित्यकार होने के नाते अपने समाज के साथ उनका एक विशेष प्रकार का संबंध है। समाज से उनका आशय चाहे हिंदी भाषी समाज रहा हो जो कि उनका पहला पाठक होगा चाहे मानव समाज जो हो जो की शब्द मात्र में अभिव्यक्त होने

वाले मूल्यों की अंतिम कसौटी ही नहीं बल्कि उनका स्रोत भी है।

नैतिकता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने और सही कार्यवाही करने की क्षमता प्रदान करती है। नैतिकता मानवीय संबंधों समाज और समाज के नियमों को स्थापित करने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को समृद्ध, संतुलित और आनंदमय बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संबंधों को लेकर नई सजगता जरूरी है जिससे जीवन में सकारात्मकता लाने के साथ मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता संभव है। परिवार और समाज किसी भी राष्ट्र के लिए स्नायुतंत्र की भूमिका निभाते हैं। नैतिकता ही वह पथ है जिसके माध्यम से समाज में आपकी विश्वास और भयमुक्त जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साहित्य कंज – रंजना जैन
2. हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य – प्रो. शैलेन्द्र कुमार वर्मा
3. कविता संग्रह – श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान प्रासंगिकता

प्रो. श्रीकान्त मिश्रा* डॉ. प्रवीण कुमार यादव**

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाराजा मार्तण्ड महाविद्यालय, कोतमा (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाराजा मार्तण्ड महाविद्यालय, कोतमा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है, जिसमें हमारे वेद, ग्रंथ, उपनिषद् सब निहित हैं। जो हमें संस्कार परम्परा, आदर्श, शिष्टाचार का ज्ञान देती हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास कर समाज व राष्ट्र का विकास करना था। भारत ने उच्च तत्व ज्ञान की मीमांसा की। हमारी सभ्यता के मानदंड की स्थापना की। प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा मुख्य रूप से अध्यात्म, धर्म, समाज व शिक्षा के क्षेत्र में वेदों के अध्ययन के साथ भारतीय शिक्षा में वेदों के महत्व को देखते हुए वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है।

प्रस्तावना – अतीत वर्तमान की जड़ होती है। प्राचीन परम्पराएँ प्रेरणाएँ, ग्रंथ, उपनिषद्, वेद आदि हमारे राष्ट्र की वर्तमान स्थिति और प्रेरणा का मूल स्त्रोत हैं। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हमारे चिंतन में अनेक धारणाएँ हैं। किन्तु पाश्चात्य परंपरा ने एक ही धारा को केवल प्रसारित किया है। विदेशी विचारकों में सदैव से ही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को विखंडित कर दबाकर रखने का प्रयास किया है। और ऐसे ही पाश्चात्य सभ्यता में लिप्त सभ्यता वाले यूरोपीय देशों द्वारा वेदों को निरर्थक साबित करने के लिए अपना सम्पूर्ण प्रयास किया गया था। वेदों को चरवाहे और गड़रिये आर्यो के द्वारा लिखे गए मात्र गीत समझे गए। यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर किया गया आक्रमण अन्य आक्रमणो में से सबसे बड़ा आक्रमण था सम्भवत: वेदों मे वर्णित प्रकृति में समाहित रहस्यों को अनर्गल प्रलापों से भरे होने के दावे किए गए। परन्तु वैदिक सनातन समाज द्वारा इन आक्रमणों का सामना किया, और आरोपो का जोरदार खंडन किया गया । और वेदों के ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। पुरातन समय के संदर्भ में हमारे राष्ट्र का विवरण किया जाए तो पता चलता है कि इसका निर्माण राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धार्मिक क्षेत्र से हुआ था। हमारे राष्ट्र की परम्पराएँ और संस्कृति धार्मिक भावनाओं से व्याप्त हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में सभी अंग धर्म प्राधान्य हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म, अर्थ, काम मोक्ष समाहित है। हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का उत्थान भारतीय ज्ञान परंपरा से है न कि राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। वर्तमान परिदृश्य में हमे अपनी ज्ञान परपंरा और सामाजिक व्यवस्था का मनन करने और अपने ढंग से जीने की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर अपनी ज्ञान परंपरा, जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था को बाजारवाद से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वहीं हमें पश्चिमी परम्पराओं और विदेशी ज्ञान विज्ञान को अलग करके अपनी परम्पराओं और मान्यताओं का पुनर्उत्थान करते हुए भारतीयता में पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा। अन्य विचारधाराओं के लोगों से संवाद स्थापित करना होगा और साथ लेकर चलने का प्रयास करना होगा। हमारी परंपरा एक रूप मानते हुए सम्मान करने की है, और उनमें एकता प्रतिस्थापित करने की है जिसे वर्तमान में अच्छे तरीके से व्यवहार में उतारना होगा। जिससे भारत पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकें। हमें अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर अपने जीवन में व्यवहारिक भारतीयता को अपनाने की आवश्यता है। पश्चिमी सभ्यता के विकासवादी प्रारूप के आवरण को छोड़कर हम विश्व में समृद्धि ला सकते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण को अपनाकर हमने प्राचीन ज्ञान परंपरा का सदैव तिरस्कार किया है। हम भारतीय अपनी संस्कृति, ज्ञान परंपरा और यहाँ तक की महापुरूषों को जब तक सम्मान नहीं देते तब तक अन्य देशों में उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। यही कारण है वर्तमान में अन्य देशों में भी योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी , यूनानीं, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे प्रयोग प्रसिद्धि पा रहे हैं। हमें अपनी पारम्परिक जड़ी बूटियों, गोमूत्र का ध्यान तब आता है जब विकसित देश जैसे अमेरिका उन्हें पेटेंट करवा लेता है। योग को हमने दरकिनार कर दिया था जब वहीं योगा के रूप में आया तो हम उसके प्रति आकर्षित हो गए।

पाश्चात्य देशों में पले बढ़े लोग भारत में आकर संस्कार एवं मंत्रोउच्चारण के बीच विवाह के बंधन में बंधने में रूचि ले रहे हैं। और हमे अपने ही संस्कार पुराने खयालात व मिथक लगते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा भी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। मुझे आश्चर्य होता है कि जितनी मेहनत हम अंग्रेजी भाषा को सीखने में लगाते हैं, उतनी मेहनत यदि हम अपनी राष्ट्रभाषा को सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते।

पाश्चात्य संस्कृति को दोष देने से पूर्व हमें अपने आप में झाँककर देखना चाहिए की हम स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति कितनी आस्था व विश्वास रखते हैं। प्राचीन समय में हमारा राष्ट्र 'सोने की चिड़िया' था। उस दौरान भारत की व्यापारिक व राजनीतिक परिस्थितियाँ अत्यधिक सुदृढ़ थी। परन्तु ग्यारवीं सदी के बाद हमारे राष्ट्र की व्यापारिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति विघटित होने लगी। तत्पश्चात् भारत में पाश्चात्य सभ्यता वाले यूरोपीय देशों ने व्यापार की दृष्टि से रूख किया। मुख्यत: भारत में ब्रिटिश

साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। ब्रिटिशियों द्वारा भारत के आर्थिक आधार को तहस नहस कर अपने आधिपत्य में कर लिया गया। अंग्रेजो द्वारा भारत की संपदा व समृद्धि को योजनाबद्ध तरीके से दोहन किया गया। फिरंगियों द्वारा देश की कानूनी व्यवस्था के चलते देश को एक साँचे में ढ़ालने का काम किया परन्तु उनकी 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक समसरसता को खंडित किया और सांप्रदायिक कुरूपता को बढ़ावा मिला।

फिरंगियों द्वारा हमारे राष्ट्र व लोक में व्याप्त भारतीय ज्ञान परंपरा व गुरूकुल शिक्षा प्रणाली को खत्म कर पाश्चात्य सभ्यता व अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी व इसको बढ़ावा दिया। इसी कारण हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर आम जन के लिए महत्वहीन हो गई। सभ्यता, परंपराएँ, शास्त्र इत्यादि भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्व रखते थे। भारत में योग, पतंजलि व चिकित्सा शास्त्र को महत्व दिया जाता था परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ने के कारण इनका महत्व नहीं रहा। वेद हमारे राष्ट्र के विश्व ज्ञान का कोष माने जाते हैं। उपनिषद् ब्रहमाण्ड की जिज्ञाशाएँ मानी जाती हैं।

हमारे ग्रंथ, ज्ञान, साहित्य व संस्कारो को अपनाकर या आचरण में लाकर हम हमारे समाज संस्कृति से दुराचार को हटाकार प्रकृति को व समाज को राष्ट्रहित व जीव जगत के लिए लाभदायक बना सकते है। हमारा राष्ट्र पिछले कुछ दशकों से पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहा है। हम भारतीय मूल संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता में लीन हो गए। परन्तु हमें हमारे राष्ट्र की मूल सभ्यता व संस्कृति, ज्ञान परंपरा का अहसास तब हुआ जब हमने इसी ज्ञान के आधार पर वैश्विक मुकर्मे जीते। भारत में स्थापित अनेक विदेशी कंपनियों व व्यापारियों द्वारा ज्ञान प्रणाली से उत्पादन के तरीके चुरा लिए गए। विदेशों में लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम हमारी संस्कृति व ज्ञान परंपरा को पीछे छोड़कर पाश्चात्यीकरण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी संस्कृति व विद्या ऐसी धरोहर है जो पूरे विश्व को लाभान्वित कर सकती है।

वेद (सनातन) – भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार वेद हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म वेद को माना जाता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी संस्कार वैदिक काल से ही वेदों पर निर्धारित हैं।

वेदों की प्रमुख शाखाएँ हैं।

1. वैदिक सभ्यता
2. वैदिक साहित्य

वैदिक सभ्यता – विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक वैदिक सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। पाश्चात्य सभ्यता के विद्वानों द्वारा बताया गया कि भारत में आर्यो का समुदाय 1500 ई.पू. आया। आर्यो के आने के बाद भारत में वैदिक सभ्यता की नींव पड़ी। वेदों के अतिरिक्त इस दौरान कई अनेक ग्रन्थों की रचना हुई। जिसमें पवित्र धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। पौराणिक ग्रंथ, रामायण और महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई।

वैदिक साहित्य –वेद प्राचीनतम आधारभूत ग्रन्थों में से एक हैं। वेद भारतीय संस्कृति का पवित्र साहित्य है। जो हिन्दुओं के प्राचीन धर्म ग्रन्थ के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन के अनुरूप प्राचीन भारतीय शिक्षा में वेदों का बहुत अहम महत्व है। वेदों के आधार पर शिक्षण परंपरा के सिद्धान्त विकसित हुए। और भारतीय ऋषियों द्वारा अध्यात्म और मुनियों द्वारा वेदों, पुराण, उपनिषद और ग्रंथ के माध्यम से भारतीय शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया। प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषता यह थी कि शिक्षा जीवनपयोगी हो। ऋषि-मुनियों द्वारा विद्यार्थियों को आचरण, विनय तथा अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता था। परन्तु वर्तमान समय में विद्यार्थियों में विनय व अनुशासन का अभाव पाया जाता है। प्राचीन समय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के सिद्धांतों की अपेक्षा धर्म का योगदान अधिक प्रभावशाली होता था। प्राचीन काल में गुरूकुल शिक्षा प्रणाली थी। विद्यार्थी का गुरू गृह में रहना आवश्यक होता है। गुरू की सेवा करना भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण था। गुरूकुल में शिक्षा नि:शुल्क दी जाती थी। सेवा भाव के आधार पर गुरूकुल का व्यय भार निहित किया जाता था। शिष्यों के श्रम के आधार पर सभी गुरूकुल आत्मनिर्भर थे। गुरू की सेवा कर शिष्य स्वयं को श्रेष्ठ पाते थे। शिष्यों द्वारा गुरू की भक्ति और मन, कर्म और वचन से की जाती थी।

वेदों के अनुसार वर्तमान प्रासंगिकता – वैदिक परंपरा के अनुसार हमारे राष्ट्र में प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ किए जाते थे जो आगे चलकर परंपरा का रूप धारण कर लेते हैं। समय में परिवर्तन के साथ-साथ संस्कार, सभ्यता, परंपरा नष्ट हो गई। भारतीय समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सोलह संस्कारों की व्याख्या की गई है। कुल बीते सालों से हमारी धर्म, संस्कृति पर पाश्चात्यीकरण के कारण खतरा बना हुआ है। हमारे आदर्श, नैतिक मूल्य छिन्न-भिन्न हो गए। परन्तु वर्तमान समय के कुछ तथ्यों व नियमों को देखा जाए तो कुछ चीजें आज भी वैदिक परंपरा को हमसे जोड़ती है। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा थी वो प्रणाली आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। विवाह-बंधन एक अटूट व पवित्र बंधन वैदिक काल से ही माना जाता था। वही वर्तमान समय में विवाह-बंधन वैदिक परंपरा से हमें जोड़े हुए है। प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति/समाज में बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान किया जाता था आशीर्वाद लेते थे। वही संस्कार आज भी जीवित हैं। प्रकृति से प्रेम, पवित्र वृक्षों की पूजा जैसे बरगद, पीपल इनकी पूजा देवी-देवताओं की तरह की जाती थी। जो वर्तमान समय में भी की जाती है। ऋषि-मुनियों का आदर करना इत्यादि अनेकों ऐसी परम्पराएँ हैं जो हमे वैदिक परंपरा से जोड़ती हैं।

शिक्षा व व्यवसाय– प्राचीन काल से ही भारत देश सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना भारत में हुई भगवत्गीता, वेद, उपनिषद्, पुराण सभी भारत की देन हैं। भारत की भूमि कर्मभूमि के नाम से जानी जाती है। अनेको ऋषि-मुनियों, सिद्ध पुरूषों ने भारत की कर्मभूमि पर जन्म लिया। भारतीय सभ्यता में संस्कार और परंपरा 'माँ' के दूध समान माने जाते थे। जिनके कारण भारतवासियों का जन्म लेना सार्थक होता था।

प्राचीन समय में शिक्षा व ज्ञान का अलग की महत्व था। ज्ञान को केवल धन-दौलत कमाने के लिए व सुख सम्पदा बढ़ाने के लिए नहीं माना जाता था। जो वर्तमान में समझा जाता है। प्राचीन समय में ज्ञान का मतलब संस्कारों व शिक्षा का संचय करना माना जाता था। हमारे राष्ट्र के ग्रंथों, वेद, उपनिषदों के अनुसार देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति तब होती थी जब मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से दूर हो जाता था। मोह, दुनियादारी से दूर होकर शिक्षा व ज्ञान प्राप्ती की जाती थी। प्राचीन समय में हमारे बड़ो ने कहा भी है कि, 'सुखार्थी कुतो न विद्या' अर्थात् जो मनुष्य सुख भोग रहा है वह मनुष्य कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। वर्तमान समय में केवल डिग्री का महत्व बचा है। ज्ञान की जगह केवल विद्या की तरफ गौर किया जाता है। ज्ञान का

अर्थ मनुष्य का सम्पूर्ण विकास करना होता है, मनुष्य का अध्यात्मिक–बौद्धिक, शारीरिक–मानसिक व व्यवसायिक विकास को सम्पूर्ण माना जाता था जो वर्तमान समय मे नहीं अपनाया जाता। ज्ञान का माध्यम मनुष्य द्वारा संस्कारो व परम्पराओं का पालन किया जाता था। तभी उनका जीवन अर्थपूर्ण होता था। परंतु वर्तमान समय में बच्चों को केवल स्कूली विद्या दी जाती है। हमारे संस्कार व परंपराएँ न सिखाकर पाश्चात्य सभ्यता को महत्व दिया जाता है जो केवल हमारे समाज व राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक है परन्तु धार्मिक, सामाजिक व मोक्ष पाने के लिए आगे नहीं बढ़ाती। वर्तमान समय मे शिशु जन्म के साथ ही सभी सुविधाओं से ओत–प्रोत होता है। विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने जाता है। विद्यालय में भी सभी सुविधाओं से तृप्त होता है, विद्यालय में शिक्षक द्वारा डाँटे जाने पर शिक्षक को विद्यालय से माता–पिता के द्वारा निकलवा दिया जाता है। बच्चे के जन्म से ही वर्तमान में आज निर्धारित कर दिया जाता है कि उसे इंजीनीअर बनना है, डॉक्टर बनना है। जिससे बड़ा–होकर अच्छा धन कमा सके। परन्तु संस्कार, परपंरा के अनुसार ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जिससे मनुष्य का सम्पूर्ण विकास न हो सके। मनुष्य को यदि यह नहीं पता कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योकि आज वर्तमान में व्यक्ति द्वारा शरीर व विद्यालय जाकर बुद्धि को बढ़ा लिया जाता है, परन्तु अब जब अपने शिक्षक माता–पिता, बुजुर्ग के सामने सिर नहीं झुकाते तो ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। ऐसी अंहकारी शिक्षा मनुष्य को जोड़ने का नहीं नष्ट करने का काम करती है। हमारी भारतीय ज्ञान–परपंरा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह तो पशु–पक्षी भी करते हैं, परन्तु ऐसे जीवन निर्वाह करने का क्या फायदा जिसमें शिष्टाचार, संस्कार की भावना न हो। वर्तमान की शिक्षा से केवल मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करती है परन्तु चरित्र, अनुशासन, संस्कार, मानवता नहीं दे सकती।

भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा व व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए तो मनुष्य को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो स्वयं में व्यवसाय का निर्माण कर सके। अथवा एक शिल्पकार एक पत्थर को तराशकर एक सुन्दर और भव्य मूर्ति की स्थापना करता है। प्राचीन समय ने भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार गुरूकलों में विद्यार्थियों को शिक्षा अपने शरीर, इन्द्रियो और आत्मा पर नियंत्रण पाने की शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि मनुष्य का शरीर केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है जिसमें परमात्मा का वास होता है। जो हमारी देह व उसकी गतिविधियों को चलाता है।

प्राचीन काल की बात की जाए तो जब बच्चा सात साल का होता था। उसका यज्ञोपवीत की विधि की जाती थी, सात साल के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए तपोवन भेज दिया जाता था जहॉ उसे अध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। औषधियों व आयुर्वेद के बारे में ज्ञान दिया जाता था। जहॉ शरीर व मन की शुद्धि के लिए योग व सूर्य नमस्कार सिखाया जाता था। विद्यार्थी अपना कार्य स्वयं करते थे। ऐसी शिक्षा उनको अपने निजी जीवन में बहुत कारगर साबित होती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी अद्‌भुत व अनोखी ज्ञान शैली थी जो व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास करती थी। व्यक्ति जब तपोवन से बाहर निकलता सर्वगुण सम्पन्न होकर निकलता और बाहर आकर अपनी विद्या, ज्ञान, संस्कार को अपने जीवन में उतारता। जिससे समाज का भी आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होता था। परंतु वर्तमान शिक्षा केवल अर्थोपार्जन की डिग्री प्रदान करती है। जिससे आज मनुष्य स्वार्थी अंहकारी भावना से ओतप्रोत मिलता है। आज मनुष्य में विनय, सहनशीलता, शिष्टाचार का अभाव मिलता है। इस कारण न ही किसी का आदर करता है न हि स्वयं आदर पाता है। प्राचीन काल में वेद, उपनिषद् व ग्रंथों की बात की जाए तो उनके संदर्भ के अनुसार योग व साधना को भी महत्व दिया जाता था। योग व साधना से व्यक्ति का शरीर सम्पूर्ण विकारों से मुक्त रहता है। जिससे व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट होता है। व्यक्ति को नित उठकर योग, साधना व सूर्यनमस्कार करना चाहिए। हमारे ऋषि–मुनियों द्वारा भी बताया गया व आज वर्तमान समय की बात की जाए जिससें बाबा रामदेव जी ने भी कहा है कि प्रत्येक बात व्यक्ति के देह, स्वास्थ्य व समृद्धि पर निर्भर करती है। शरीर स्वस्थ है तभी व्यक्ति अच्छी विद्या प्राप्त कर सकता, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। मन व अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर योग व साधना को नियमित रूप से करके कर सकता है। जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र में तेजस्वी, पराक्रमी, ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तियो का निर्माण होगा। यदि मनुष्य को मन, बुद्धि को स्वस्थ रखना है तो प्रथम अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान प्रासंगिकता –भारत प्राचीन काल में समृद्ध व सम्पन्न देशों मे से एक था। वर्तमान में देखा जाए तो आज भी भारत अनेक चीजों में समृद्ध है। भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ संस्कार, परम्परा धर्म को पूजा जाता है। भारत की ज्ञान परम्परा प्राचीनकालीन है जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। ऐसे शिष्टाचार, आदर्श, सिखाए जाते थे जो हमारे समाज का सम्पूर्ण विकास करते थे परन्तु वर्तमान समय में देखा जाए तो कितना भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया जाए परंतु भारत में अभी भी भारतीय ज्ञान परम्परा कहीं ना कहीं जीवित है। अपने बड़ो का आदर करना, आशीर्वाद लेना, नमस्कार करना, चरणस्पर्श ये हमारे समाज में अभी भी व्याप्त हैं। हमारे राष्ट्र में अनेक ऐसे गुरूकुल हैं जहॉं भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित नियम, आदेशों के तहत ज्ञान प्रदान कराया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। भारत में अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें हमारे वेदों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो आज की वर्तमान शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है। उनमें से एक शिक्षा संस्कृति उत्थान ब्यास संस्थान है। जिनके राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी द्वारा व अन्य श्रीमतगणों द्वारा वैदिक शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में बड़ा संकट छाया है। पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैली है। जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। पाश्चात्य सभ्यता इतनी फैल गई थी कि व्यक्ति नमस्कार व चरण स्पर्श की बजाए हाथ मिलाने व गल मिलने लगा था। पूरे विश्व व साथ–साथ भारत भी अपनी परंपरा को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा था। परंतु कोरोना जैसी महामारी के कारण आज पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा के आदर्शो को अपनाया जा रहा है। हाथ मिलाने की बजाए हाथ जोड़कर, झुककर नमस्कार किया जा रहा है। इसके साथ–साथ भारतीय वेदों के ज्ञान, उपनिषदों में निहित मंत्रों का उच्चारण जो हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं, हमारी स्मरण भक्ति को बढाते हैं, विश्व के अलग–अलग देशों में अपनाया जा रहा है। ऐसे में भारत हमारी ज्ञान परंपरा के कारण पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। और साथ ही इस महामारी में हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा बताया गया योग व साधना कारगर साबित हो रहा है। पूरा विश्व इस महामारी से बचने के लिए योग को योगा के रूप में प्रणायाम, आलोम–विलोम कर अपने आप को बचाने में लगा है। हमारे ऋषि–मुनियों द्वारा बताई गई जड़ी–

बूढियाँ व अन्य औषधि व देशी नुस्खे अपनाए जा रहे हैं।

योग व साधना भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा था परंतु पाश्चात्यीकरण के कारण धीरे–धीरे व्यक्तियों द्वारा योग त्याग दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भारत में योगा को धीरे–धीरे अपनाया जा रहा है। और केवल भारत ने ही नहीं अपितु कई विकसित देशों में योग शिक्षा को चालू किया गया है। पूरे विश्व में स्पेशल दिनों की तरह 'योग दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बढ़ती तकनीकी और आधुनिकीकरण के चलते विज्ञान भी योग को महत्व देने लगा है। शरीर को रोगमुक्त करने के लिए बड़े–बड़े चिकित्सकों द्वारा भी योग का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सुबह उठकर योग और प्राणायाम करते हैं। और योग को स्पेशल योग दिवस के रूप में मनाकर लाखों भारतीय युवाओं को योग, प्राणायाम के लिए प्रेरित किया है। विदेशो में भी योग का महत्व बढ़ रहा है। अमेरिका व कनाड़ा जैसे देशों में योग को विषय के रूप में अपनाकर यूनिर्वसिटी में चालू किया गया है।

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित आदर्शो को अपनाकर व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। मन, बुद्धि, शरीर, धर्म समाज इत्यादि सभी का विकास करने में भारतीय ज्ञान परंपरा सक्षम है। प्राचीन काल में गुरूकुलों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा, ज्ञान दिया जाता था। प्राचीन समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशीला आदि विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में कुछ स्थलों पर ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। उनमें मुंबई के थाना में तत्वज्ञान विद्यापीठ, हरिद्वार में अनेक पाठशालाएँ, स्वामीनारायण सम्प्रदाय के गुरूकुल, गायत्री ज्ञान मंदिर के गुरूकुल हैं, जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा दी जाती है। हमें यदि हमारे राष्ट्र में बदलाव लाना है तो व्यक्ति का संर्वागीण विकास करना होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना होगा। वर्तमान में भारतीय ज्ञान परंपरा को अपना लिया जाए तो भारत सम्पूर्ण विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आएगा। हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। हमारा राष्ट्र एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अल्तेकर डॉ. अनंत सदाशिव (1979–80) प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति (संशोधित संस्करण) वाराणसी, नंदकिशोर एंड ब्रदर्स
2. ओमप्रकाश (1990) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास (द्वितीय संस्करण) नई दिल्ली मैकमिलन इंडिया लिमिटेड
3. मिश्रा जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना, (2013)
4. काणे, डॉ. पाण्डुरंग वामन, (1960), धर्म शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग (तृतीय संस्करण)
5. मार्गय, मनोहर गोपाल (1972), मुद्राराबस, प्रथम संस्करण, इलाहाबाद, मधुलिका प्रकाशन
6. मित्तल ए.के. भारत का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास (तृतीय संशोधित संस्करण) आगरा साहित्य भवन पब्लिकेशन।
7. डॉ. आनंद पाटिल (भारतीय ज्ञान परम्परा जनहित राष्ट्रहित की सिद्धि)
8. http://sablog.in/indian_knowledge-tradition-public-intrest-achievement-of-national-intrest-hov2019
9. ऋग्वेद
10. अथर्ववेद
11. बृहदारण्यक उपनिषद
12. कठोपनिषद्
13. कठ और ईश उपनिषद
14. छांदोग्य उपनिषद

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

A Study on Effect of Yoga on Physical Fitness

Ashwini Kumar* Dr. G.S. Chouhan**

***Research Scholar, B.N. University, Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Associate Professor, B.N. University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction of Yoga - Everybody knows what yoga is, don't they? That stuff the movie stars are doing nowadays to keep themselves thin? Maybe, but its not what they call it that's important; its what they are actually doing that tells us whether it is yoga or not.

Physical jerks at the gym? The more they are smooth and easy, the more they may approach true yoga practices. But many are just aerobic series using yoga postures as their form, and because of their quick extreme stretching with bouncing ballistic movements they are not yoga. "No pain no gain". This may be a fundamental rule of the sport of masochism, but it has no place in yoga.

Corporate stress release? Yoga has been proved to be a beneficial stress relieving system, and can be used by anyone right in the middle of a stressful situation close but only a small part of it.

Impact of yoga on Fitness - Yoga can directly address a multitude of physical and mental ailments in terms of restoration, prevention and maintenance, and since good health is the immediate priority, the subject of asanas and pranayama exercises. Asana in Sanskrit means a steady comfortable or composed posture. These postures have been devised with the specific aim to nourish and activate the organs and their functions in their locations in different parts of the body, as well as the connective tissues, ligaments and joints, synovial fluid and the pranic body, to treat the system as a whole. The initial goal is to improve the functioning of the internal organs of the body, loosen up the joints, stretch and tone the muscles and improve the condition of the connective tissues and ligaments.

However, the main aim of asanas, according to advanced yogis, is to aspire and acquire a state of higher consciousness by initially eliminating all aches and pains and disease, alleviating mental stress and physical tension. This is achieved by influencing the three aspects of your being body, mind and consciousness and aligning them to be in harmony. Asanas can run into several hundreds in number, though about one hundred are perhaps better known today. There are two types of asanas the therapeutic preventive and the meditative.

Meditative asanas are basically sitting poses. There are eight meditative asanas, of which three most preferred. These are padmasana, siddhasana and siddha yoni asana. The highlights of these poses are that they:

1. Provide a firm base to ensure a stable position.
2. Ensure an upright position of the spine without much effort.
3. Distribute the weight of the body over a wider area, thus reducing the pressure on the buttocks and
4. Redirect the blood supply towards the pelvic and abdominal area as they reduce flow into the legs in these postures, thereby toning up the muscles, organs and nerves in the area.

Therapeutic preventive asanas are of two main types: the general category taught to most people, with the exception of those vulnerable to contra indications of the exercise, if any; and specific or restorative asanas taught to special individuals with the aid of props such as weights, ropes, pulleys, etc, to rectify imbalances and conditions and thereby assist the individual in completing the stretch to arrive at the required posture for a certain duration of time. Such asanas are classified into four types, each with its own salient features:

1. Standing poses
2. Bending and twisting movements
3. Inversions
4. Sitting postures

Procedure: For This Study Sixty male badminton players (n=60) from Delhi State were selected randomly as sample by employing Fishers Random Table sampling technique. The subjects' age group was ranging from 14 –18 years. All the participants were examined by the medical officer before start of the experiment. Those who were medically fit were allowed to participate in the study.

Making the use of table random numbers all the 60 participants were divided randomly into two groups (Table 3.1) viz., Group –A (Yoga + Badminton practice) and Group – B (Control i.e., only Badminton practice). The experiment was conducted in following three stages.

1. Stage – I: Pretest
2. Stage – II: Training or Treatment, and
3. Stage – III: Post test

Pre – Test (phase – I): As the purpose of the study was see the efficacy of yoga on fitness required for badminton players, all the subjects of the experimental and control groups were exposed to fitness tests to record the pre test data.

Treatment stimuli (phase – II): After the pre test was over, all the subjects of Group A were exposed to a practice of badminton followed by yoga training and Group B participated in the practice of badminton. This indicates that the subjects of both the groups were participated in badminton training, which is common. This common badminton training was imparted for both the groups 30 minutes daily in the evening except Sundays and holidays. However, after completion of 30 minutes training in badminton, Group A underwent training in yoga practices for 30 minutes, whereas Group B was engaged in some recreational activities for 30 minutes.

For total period of 12-week one yoga teacher and one badminton expert were also given responsibility to organize daily training programmes of the respective stimuli under the over all supervision of the present investigator.

Post test (phase III): Finally, when the treatment or training period of 12 week was over, the post test on fitness tests were assessed for all the subject of two groups.

A completely randomized group design (Rothstein, 1985) of two groups of equal numbers was adopted for this study. The score in each criterion measure were taken at the baseline and after the training period of 12 weeks.

Blue print of subjects' distribution

Group	No. of Subject
Gr. A– Yoga & Badminton training	30
Gr. B –Control	30
Total	**60**

Statistical Procedure: The descriptive statistics of the data have been presented in For Flexibility (Sit & reach test; A1), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 31.94 (SD= ±7.46) and 31.53 (SD= ±5.84) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Flexibility test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test performance scores (data) of the Yoga group and Control groups were 35.12 (SD= ±5.31) and 30.95 (SD= ±5.23) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Flexibility of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Arm Strength (Pull up test; A2), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 7.57 (SD= ±2.49) and 7.33 (SD= ±2.22) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Arm Strength test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test performance scores (data) of the Yoga group and Control groups were 10.30 (SD= ±2.38) and 7.30 (SD= ±2.23) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Arm Strength of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Leg Strength (Vertical jump test; A3), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 47.60 (SD= ±6.03) and 47.50 (SD= ±5.91) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Leg Strength test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test performance scores (data) of the Yoga group and Control groups were 54.47 (SD= ±6.34) and 47.90 (SD= ±5.65) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Leg Strength of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Abdominal Muscles Strength (Sit up test; A4), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 28.13 (SD= ±5.29) and 27.83 (SD= ±4.65) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Abdominal Muscles Strength test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test status of the Yoga group and Control groups were 33.93 (SD= ±6.13) and 27.10 (SD= ±4.79) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Abdominal Muscles Strength of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Speed (Sprint time over 20 meter test; A5), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 8.57 (SD= ±1.13) and 8.46 (SD= ±1.82) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Speed test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test scores (data) of the Yoga group and Control groups were 6.45 (SD= ±2.20) and 8.56 (SD= ±2.13) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Abdominal Muscles Strength of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Agility (Shuttle run test; A6), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 17.59 (SD= ±1.22) and 17.24 (SD=±1.41) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Agility test of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test scores (data) of the Yoga group and Control groups were
16.55 (SD= ±1.10) and 17.41 (SD= ±1.25) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Agility of both the Yoga and the Control group were not similar.

For Aerobic Fitness (1 mile run test; A7), shows that the baseline values (data) of the Yoga group and Control group were 8.18 (SD= ±1.06) and 8.51 (SD= ±1.13) respectively. The results helps to interpret that the mean values in Aerobic Fitness of yoga group and control group were almost similar.

However, post-test scores (data) of the Yoga group and Control groups were 6.56 (SD= ±1.09) and 8.57 (SD= ±1.33) respectively. This result helps to interpret that the post-test means in Aerobic fitness of both the Yoga and the Control group were not similar.

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Central Tendency and Dispersion of the Groups in Physical Fitness Tests Required for Badminton Players (See below)

Thus, the information, as obtained from the measures of central tendency and dispersion, as given in indicates that the yoga training provided to the experimental group may have significant effect in enhancing physical fitness needed for Badminton players. Of note, from the central tendency and dispersion, it is cannot be concluded that training intervention might have improved physical fitness of Badminton players.

References :-

1. Admin. (2011). Basic tips for new badminton players available from file :// H:/*congshalm.htm*.
2. Anderson, Carolyn. (1974) *The use of a tutoring program for emotionally disturbed children as a vehicle for attitude change in predelinquent adolescent tutors.* (M. S. in Health Science). Brigham Young University, Provo, Utah.
3. Bynum, Lynne Joy.(1959). *Identifying the mental health problems of selected college students*. (Unpublished Masters thesis). University of California, Los Angeles 24, California.
4. Cabello, D., Manrique, J., & Gonzalez-Badillo, J. (2003). Analysis of the characteristics of competitive badminton. *Br J Sports Med, 37*, 62–66.
5. Price, Sandra. (1974). *The effects of weight training on strength, endurance, girth, and body composition in college women.* (M. S. in Physical Education). Brigham Young University, Provo, Utah.
6. Ray, U. S., Hegde, K. S., & Selvamurthy, W. (1986). Improvement in muscular efficiency as related to a standard task after yogic exercises in middle aged men. *Indian J Med Res., 83*, 343–348.

Central Tendency and Dispersion of the Groups in Physical Fitness Tests Required for Badminton Players

Variables (A)	**Groups**			
	YogaGroup (B)		**ControlGroup (C)**	
	Pre-test	**Post-test**	**Pre-test**	**Post-test**
Flexibility (Cms.) (A1)	31.94(±7.46)	35.12(±5.31)	31.53(±5.84)	30.95(±5.23)
Arm Strength (No./min)(A2)	7.57(±2.49)	10.30(±2.38)	7.33(±2.22)	7.30(±2.23)
Leg Strength (Cms.) (A3)	47.60(±6.03)	54.47(±6.34)	47.50(±5.91)	47.90(±5.65)
Abdominal Muscles Strength (No./min) (A4)	28.13(±5.29)	33.93(±6.13)	27.83(±4.65)	27.10(±4.79)
Speed (Sec.) (A5)	8.57(±1.13)	6.45(±2.20)	8.46(±1.82)	8.56(±2.13)
Agility (Sec.) (A6)	17.59(±1.22)	16.55(±1.10)	17.24(±1.41)	17.41(±1.25)
Aerobic Fitness (Min.Sec.) (A7)	8.18(±1.06)	6.56(±1.09)	8.51(±1.31)	8.57(±1.33)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Analytical Study on Job of Physical Education Teachers

Manu Vats* Dr. B.S. Chouhan**

*Research Scholar, B.N. University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Dean, B.N. University, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - "Physical education an integral part of the total education process is a field of endeavor that has an its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities that have been selected with a view to realizing these out comes.

"Physical is the interaction of persons and social group with certain in view for the development of persons and the welfare of society through the medium of psychomotor activity.

"Physical education on essential aspect of general education in which physical activities are used as a mean of educating and modifying a person for better and fuller living.

"Physical education is a profession, discipline and program of activity. (Govt. of India) 1964.

"Physical education is a process by which changes in the individual are brought about through movement experiences.

Long fitness habits through skills development and term play is provided to develop attitudes of fairness, co-operation and sportsmanship.

Job satisfaction has been considered as a balance between an employee's desire and what he is actually offering in Job. Various factors are believed to influence job satisfaction i.e. degree of fulfillment in work, quality of environment, relationship with higher authorities, opportunity for promotion, opportunities to be a part of decision-making and other service benefits. Job Satisfaction refers to the fulfillment acquired by experiencing various rewards and job activities in his Job.

Significance of the A Study:

1. The present Study will help to find out the contributory component of stress and job satisfaction.
2. The present Study may throw light on the relationship between the job satisfaction and Stress of physical education teachers.

Thakur investigated the significance of difference between the means of Stress and job satisfaction and also to determine the relationship between the scores of Stress and job satisfaction of physical education teachers working in different management schools of Madhya Pradesh. Out of 45 districts of Madhya Pradesh 20 districts were selected at random, using lottery method. The Stress and job satisfaction scales were administered to all the schools situated in the selected districts and the research scholar received only 494 returns. Out of 494 subjects, 210 teachers were from government schools, 179 from private schools and 105 were from semi government schools. After getting responses from the subjects, the scoring was done on the basis of key provided by Paliwal and Muthyya in their Manuals of the questionnaires. The scores obtained in both the questionnaires by the subjects were considered as criterion measures, and the single group design was adopted. Analysis of Variance (F-ratio) and The Pearson's Product Moment Co-relation were used as statistical tools.

The purpose of the A Study has been to Study the Study of Job Satisfaction and stress of physical education techers of delhi state. The statistical analysis of data collected on 400 physical education teachers belonging to Delhi State Government School and Non Government schools have been presented in this chapter. The data was collected for Job satisfaction and Stress. Factor analysis: Principal components analysis was used to indicate which questions examined similar aspects for each component/ factor. The data's have been analyzed by using SPSS (version 20) and AMOS software. Suitable statistical techniques were applied to analyze the data.

Objective: To determine which of the items of Job satisfaction shows similar aspects for each component.

Table : Exploratory Factor Analysis of General working condition

Working condition	Communalities Extraction of all the statements	Communalities of selected items
ST. 1. Hours worked each week	.879	.879
ST. 2. Flexibility in scheduling	.664	.667
ST. 3. Location of work	.798	.803
ST. 4. Amount of paid	.016	

vacation time/sick leave offered		
% of Variance Explained	58.960	78.297
Cronbach's Alpha	.673	.860

Second column of above table shows the communalities of all the statements but only those statements were selected whose values where more than 0.45. In the third column the communalities value of the items whose values were more than 0.45 were once again analyzed. Eleventh row explained the total variance of all the items .673% with cronbach alpha of .673 but for the selected items total variance explained was 78.297% with a cronbach alpha of .860

Analysis of variance shows that variability exists in respect of STRESS and job satisfaction of PET s because the obtained values are significant at 0.05 level of significance. Posthoc Test Scheffe s test revealed that the teachers working at private schools had more stress than the teachers of semi government schools. The teachers of semi government schools also had more Stress than the teachers of government schools. The analysis of data also revealed that the teachers of private schools are more dissatisfied than the teachers working in semi government schools and government schools. The teachers working in semi government schools had high dissatisfaction than the teachers of government schools. The co-efficient and co-relation of score showed that there was a significant relationship between the scores of Stress and job satisfaction test scales.

Table (see below)

Table reveals that the mean score of all the physical education teachers in totality or from Government and Non-Government were slightly satisfied with their opportunities for promotion, benefits and with their job securities. There was no significant difference between the mean response between the Government and Non-Government physical education teachers.

References :-

1. Bucher , Charles A. and Eveyn M. Reade, Physical Education and Health in the Elementary School (New York: The Macmillan Company, 1994)
2. Cranwell-Ward,J., & Abbey A (2005). Organizational Stress.Basingstoke: Palgrave Macmillan
3. Edward F. Voltoner, Arthour A, Esslinger, Belly Foster Mccue and Kenneth G. Tillman, **The Organisation and Administration of Physical Education**. (Englewood Cliffs; N.J. Prenticd Hall, 1979)
4. Edward F. Voltoner, Author A. Essinger, Betty Foster Mc Cue and Kenneth G. Tillman, The Organisation and Prectice Hall, 1979) p.98
5. Gardener , E.N., **Greek Athletic Sports and Festivals** , London: Macomillan and Co. Ltd., 1910
6. Richard T PENSON, Lari B WENZEL, Ignace VERGOTE and David CELLA, "Quality of Life Considerations in Gynecologic Cancer", **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, (2006) S247-S257
7. Siau, Jessie, Ganz, Patricia A., Lee and J. Jack, "Quality of life assessment: an independent prognostic variable for survival in lung cancer", **Journal of Clinical Oncology**, (2005), 591-598

Table: Mean and standard deviation and mean comparison of dimension of Job Satisfaction (Pay and Promotion Potential) between Delhi Government and Non-Government of secondary educations teachers of physical education

Pay and Promotion Potential	Schools	Mean	Std.Deviation	"t" value (df=398)Tab."t" =1.96
JS.6.Opportunities for Promotion	Government	2.31	1.737	1.475
	Non-Goverment	2.56	1.721	
	All	2.43	1.731	
JS.7.Benefits (Health insurance, life insurance, etc.)	Government	2.38	1.673	.831
	Non-Goverment	2.52	1.695	
	All	2.45	1.683	
JS.8. Job Security	Government	2.38	1.797	.511
	Non-Goverment	2.47	1.722	
	All	2.42	1.758	

1. Not at all satisfied, 2. Slightly satisfied, 3. Somewhat satisfied, 4. Much satisfied,5. Extremely satisfied

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

प्राचीन काल में काशी की धार्मिक स्थिति

डॉ. सुमित मेहता*

* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन काल में काशी की स्थापना का आधार धार्मिक नहीं था अपितु उस समय काशी का विशेष रूप से महत्व उसकी व्यापारिक और भौगोलिक स्थिति के कारण था। वाराणसी उस महाजनपथ पर स्थित था जो तक्षशिला से राजगृह होता हुआ पाटलिपुत्र तक जाता था और पाटलिपुत्र से वस्त्र और चन्दन का व्यापार पूरे देश में किया जाता था। इस तरह से काशी भारत में अपनी व्यापारिक महत्ता के कारण जाना जाता था। जब आर्य सरस्वती नदी के किनारे से उत्तरप्रदेश के जंगलों को पार कर गंडकी नदी के किनारे पंहुचें और वहां कोसल जनपद की नींव पडी, माना जाता है कि उसी समय काश्यों ने बनारस में पड़ाव डाला। बनारस शहर गंगा नदी के बायें किनारे पर अर्द्धचन्द्राकार आकृति में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि काशी, गाजीपुर और उसके आस–पास के इलाकों में प्राचीन समय में अनार्य जातियों का प्राधान्य था। वाराणसी जिले के बैरॉट से, मिर्जापुर के आस–पास के इलाके से और गाजीपुर के मसोनडीह से कालाईल को प्रस्तर युग के हथियार प्राप्त हुए हैं।[1] इससे यह पुष्टि होती है कि बनारस और उसके आस–पास के इलाकों पर इन हथियारों को बनाने वाली आदिम सभ्यता का अधिकार रहा होगा।

आदिम सभ्यता का अर्थ यहाँ राक्षसों से ही लिया जाता है। क्योंकि पौराणिक मान्यता[2] है कि जब है राजा भद्रश्रेण्य ने काशी के राजा दिवोदास को पराजित कर काशी पर अधिकार किया तो राक्षस क्षेमक ने मौका पाकर वाराणसी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दिवोदास के पोते अलर्क ने क्षेमक को मारकर पुन: वाराणसी पर अपना अधिकार कर लिया। अलर्क को काशी का बहुत प्रतापी राजा माना जाता था। मत्स्य पुराण में तो वाराणसी को अलर्क की पुरी कहा गया है। मान्यता है कि लोपामुद्रा की अलर्क पर अनुकंपा होने के कारण अलर्क प्रतापी और लम्बे समय तक राज्य करने वाले रहे।[3]

काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद की पैप्लाद शाखा में मिलता है। इसमें एक मंत्रकार द्वारा ज्वर से एक रोगी के लिए प्रार्थना की जाती है कि वह उस रोगी को छोड़ कर मगध, काशी और गांधार में फैले। इससे यह माना जाता है कि कुरू पांचाल देश के वैदिक सभ्यता के अनुयायी आर्य मगध, काशी और गांधार के लोगों की अवनति देखना चाहते थे।

महाभारत में भी काशी का उल्लेख मिलता है। काशिराज की पुत्री सार्वसेनी का विवाह भरत दौष्यन्त से हुआ था। भीष्म ने काशिराज की तीन पुत्रियों यथा अंबा, अंबिका और अबांलिका को स्वयंवर में अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए जीता था। यह भी उल्लेख है कि काशीराज युधिष्ठिर के मित्र थे और युद्ध में उन्होनें पांडवों की मदद की थी।

प्राचीन काल से ही काशी को शैव धर्म के लिए प्रसिद्ध माना गया है। लेकिन वैदिक और बौद्ध साहित्य में व्यापार और संस्कृति के कारण काशी और वाराणसी को महत्वपूर्ण माना गया। पुराणों के मतानुसार भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव को काशी उपहार में दी गई थी और तभी से काशी भगवान शिव का प्रधान क्षेत्र रही है। प्राचीन पुराणों यथा काशीखण्ड के अनुसार राजा दिवोदास ने भगवान शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को काशी से बाहर कर दिया। वायुपुराण के मतानुसार दिवोदास के अन्त के पश्चात् भी भगवान शिव ने काशी नहीं छोड़ी। प्राचीन काल में काशी को धार्मिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माना जाता था। प्राचीन धर्म ग्रन्थ महाभारत में भी वाराणसी का अधिक उल्लेख नहीं मिलता है। आरण्यक पर्व के अनुसार प्राचीन समय में वाराणसी में वृषभध्वज की पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त मार्कण्डेय तीर्थ का भी उल्लेख मिलता है जिसे बनारस के पास गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित माना गया।

बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार तो काशी में नागों और यक्षों की पूजा का प्रचलन था। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में शिव की पूजा का उल्लेख नही मिलता है अपितु बौद्ध साहित्य में तो भगवान शिव को यक्ष माना गया है। महामायूरी[4] में बनारस के प्रधान यक्ष को महाकाल के नाम से संबोधित किया गया है और महाकाल भगवान शिव का भी एक नाम है। बनारस के बरम और बीर में स्थित यक्ष पूजा के अवशेष[5] बनारस और यक्ष पूजा के प्राचीन संबंध को दर्शातें हैं। माना जाता है कि काशी की यक्ष पूजा में बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा में पशुओं और पक्षियों की बलि दी जाकर उनकें शवों को भी अर्पित किया जाता था। मत्स्यपुराण के अध्याय 180 में काशी की यक्ष पूजा का उल्लेख मिलता है जिसमें उल्लिखित हरिकेश यक्ष की कहानी इस बात को दर्शाती है कि शिव पूजा के प्रभाव ने कैसे काशी से यक्ष पूजा को समाप्त किया। हरिकेश यक्षों के आचरण के विपरित स्वभाव वाला यक्ष था। वह हिंसक न होकर मनुष्य के समान आचरण वाला था। उसके इस स्वभाव से नाराज होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसने वाराणसी आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान स्वरूप उसकी शिव के वाराणसी में सदा बसे रहने की इच्छा पूरी की और उसे काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया। यह कथा इस बात की ओर संकेत करती है कि प्राचीन समय में बनारस में यक्ष पूजा के

साथ शिव पूजा भी की जाती थी और गुप्तकाल तक शैव पूजा की यक्ष पूजा पर पूर्ण विजय हो गई। किन्तु आज भी बनारस से कुछ दूर स्थित भभुआ में छोटी जातियों के द्धारा हरसूबरम के नाम से हरिकेश यक्ष की पूजा की जाती है।

महाजनपद युग में हिमालय के अनेक तपस्वी बनारस आते रहते थे तथा उन्हें बनारस के लोगों से भरपूर मान-सम्मान भी मिलता था। उस समय वाराणसी के नागरिक नाग पूजा भी किया करते थे। वे मानते थे कि नाग अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। बुद्ध के समय भी बनारस में नाग पूजा प्रचलित थी। धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार बुद्ध ने बनारस के पास स्थित सात सिरीस के पेड़ों के झुरमुट के नीचे एरकपत्ता नामक नाग को उपदेश दिया था। बनारस में आज भी नागपंचमी को एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है।

वृक्ष पूजा को भी उस समय बनारस में काफी महत्व दिया जाता था। जातकों में वृक्षों को नर बलि देने और उनसे भविष्य की बातें जाननें का भी उल्लेख मिलता है। वृक्षों के चारों ओर दीपक जलाकर उन पर मालाऐं लटकायी जाती थी।[6] महाजनपद युग में लोग ज्योतिष, जादू-टोने और तंत्र-मंत्र में भी विश्वास करते थे। धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार बनारस के एक राजा ने एक ब्राह्मण को मंत्र सीखाने के बदले में एक हजार कार्षापण दिये थे। माना जाता है कि आर्यो के आगमन से पहले ही उपर्युक्त सभी विश्वास यथा यक्ष पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, जादू-टोने में विश्वास आदि आदिम युग में प्रचलित थे। अथर्ववेद के अनुसार आर्यो के आगमन के बाद आदिम धर्म और आर्य धर्म में टकराव हुआ।

बौद्ध धर्म से पहले से ही भारत में तपस्वियों को प्रधानता दी जाती थी। तपस्वी स्वयं को ब्राह्मणों से अलग मानते थे क्योंकि ब्राह्मण ग्रहस्थ होते थे जबकि तपस्वी ब्रह्मचारी एवं हिमालय में रहने वाले और तपस्या करने वाले होते थे। बनारस में संथगार-साला का उल्लेख मिलता है जिसका उपयोग धार्मिक कार्यो में किया जाता था। बनारस प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र रहा है।

जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी ईसा पूर्व आठवी शताब्दी में बनारस में ही हुआ। इनके पिता अश्वसेन बनारस के राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र से ही श्रमण धर्म स्वीकार कर धर्मोपदेश देना स्वीकार कर लिया था। स्वयं महावीर स्वामी के माता-पिता भी इनके मत को मानने वाले थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध ने बनारस में कई बार उपदेश दिया और अपने बहुत से मित्रों को दीक्षित किया। वाराणसी में ही इन्होंनें भिक्षुओं को ताड़ के जूते न पहनने तथा मांस खाने का निषेध किया। यहीं पर इन्होनें धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, दोपासं सुत्ता, कटुविजय सुत्ता आदि का पाठ किया तथा धम्मदिन्न नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति को धम्मदिन्न सुत्ता का उपदेश दिया।

सारनाथ और राजघाट से मिली मूर्तियों से पता चलता है कि कनिष्क के समय से ही बनारस में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। सर्वप्रथम 81 ईस्वी में बनारस में भिक्षु बल द्धारा मथुरा से लाकर बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की गई थी। उस समय मथुरा और काशी दोनों में ही बौद्ध धर्म काफी विकसित अवस्था में था। बौद्ध धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करने वाली कुछ मुद्राऐं भी बनारस और राजघाट से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर 'भगवतो सितस' अंकित है। दूसरी मुद्रा पर कुषाण लिपि में 'बुद्धस्य' लेख अंकित है। इसके अतिरिक्त कुषाण युग के कुछ नामों के आधार पर भी बनारस में बौद्ध धर्म के संकेत मिलते हैं। राजघाट से किसली बौद्ध की मुद्रा मिली है। सारनाथ में भी एक पत्थर के टुकड़े पर भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रर्वतन का उपदेश उत्कीर्ण है। इस लेख की लिपि अंतिम कुषाण काल की है। स्टेन कोनो के अनुसार उत्तर भारत से प्राप्त पालि का यह एकमात्र लेख है जो कि यह दर्शाता है कि उस समय बनारस में लोग पालि त्रिपिटक के ज्ञाता थे।[7]

राजघाट से प्राप्त हुई कुषाण युग की बलराम अथवा किसी नाग की मूर्ति और राजघाट से मिला कुषाण काल का एक स्तम्भ जिस पर यक्ष बने हुए हैं यह दशाति हैं कि बौद्ध धर्म के साथ-साथ काशी में यक्ष पूजा, यज्ञ इत्यादि भी प्रचलित थे। कुषाण युग के साहित्य के अनुसार महाकाल यक्ष को द्धितिय शताब्दी में वाराणसी का क्षेत्रपाल माना गया है। यद्यपि बनारस को शैव धर्म का गढ़ माना गया है किन्तु राजघाट से मिली कुषाण युग की वस्तुओं से पता चलता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में बनारस में शैव धर्म का कोई विशेष स्थान नहीं था। क्योंकि आरम्भिक समय में शैव धर्म का ना तो कोई संघ था और ना ही कोई इसे मूर्त रूप देने वाला था अत: बनारस में शैव धर्म के प्राचीन अवशेष बहुत कम प्राप्त होते हैं।

श्रीकृष्णदेव को राजघाट के चौथे स्तर में आठ इमारतों के एक चक में 65 फुट लम्बी, 54 फुट चौड़ी और 18 फुट गहरी एक इमारत की नींव मिली है। इसमें एक खुले चौक के बीच में एक खम्भों वाली इमारत है। इमारत के चारों ओर दालानें हैं। गहरी नींव यह दर्शाती है कि यहां पर कभी ऊँची इमारत रही होगी। कृष्णदेव राय के अनसार यह एक मंदिर रहा होगा क्योंकि इमारत के चारों तरफ बनी गली प्रदक्षिणा पथ को दर्शाती है। यह नींव काशी में शैव धर्म के इतिहास पर प्रकाश डालती है। कृष्णदेव के मतानुसार यह मंदिर एक से तीसरी सदी ईस्वी तक का है।[8] मंदिर में दूसरी सदी के आरंभ में कौशांबी के राजा रहे धनदेव की बहुत अधिक मुद्राऐं प्राप्त हुई है। बनारस भी उस समय कौशांबी के अधिकार क्षेत्र में ही था। उनकी मुद्राओं पर बने यूप, पहाड़ी, वृषभ आदि उनकी वैदिक धर्म से निकटता को दर्शातिं हैं। जिससे इस मंदिर को शिव मंदिर माना जा सकता है।

आठवीं सदी से ग्याहरवीं सदीं के मध्य में भी बनारस में शैव धर्म का ही बोलबाला रहा। बौद्ध धर्म और भागवत् धर्म के साथ-साथ इस युग में देवियों की पूजा भी होने लगी। पंथ के आठवीं सदी के लेख के अनुसार वाराणसी में लोग दूर-दूर से आते और मोक्ष पाने के लिए तप किया करते थे। एक तरह से वाराणसी ने त्रिभुवन को अपने में समेट रखा था। शिव की काशी को न छोड़नें की प्रतिज्ञा आठवीं सदी में पूरी तरह से यहां प्रचलित थी। काशी को अत्यधिक पवित्र माना जाता था।

काशीखण्ड के अनुसार चन्द्रमा ने भी बनारस में तपस्या की और फलस्वरूप यहाँ चन्द्रेश्वर की स्थापना हुई। पंथ के लेख में उल्लेख है कि पंथ ने भी अनेक धार्मिक कृत्य करके चंडी की एक भीषण मूर्ति स्थापित की। जिसके गले में नरमुंडों की माला और गलें में रेंगते हुए सर्प लटके हुए थे। इस बात का पता नहीं चलता है कि पंथ द्धारा स्थापित चंडी का यह मंदिर कहां है परन्तु इस निर्माण का संकेत आधुनिक युग के भीमचंडी की ओर किया जाता है। शंकराचार्य ने भी बनारस जाकर ही अपने मत की पुष्टि वहां के विद्धानों से करवायी थी और मान्यता है कि शायद बनारस में गंगा किनारे ही उन्होनें ब्रह्मसूत्र की रचना की। यह बात बनारस की आठवी सदीं में व्याप्त ख्याति को दर्शाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए. एस. आर., भाग 22, पृ. 11।
2. वायु पुराण, 92/23–28
3. पार्जिटर, इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ. 168
4. जर्नल. यू.पी.हि.सो., भाग 15, पार्ट 7, पृ. 27
5. वाराणसी वैभव, पं. कुबेरनाथ सुकुल, पृ. 264
6. रतिलाल मेहता, प्री–बुद्धिस्ट इंडिया, पृ. 326
7. केटलाग ऑफ दि म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी सारनाथ, पृ. 230
8. बिब्लिओग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 1940, पृ. 41–51

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

हरियाणवी लोकगीतों में अलंकार विधान एवं रस- एक विश्लेषण

डॉ. तारा देवी*

* सहायक प्रवक्ता (हिन्दी) फतेह चन्द महिला महाविद्यालय, हिसार (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य में लोक साहित्य का अपना विशिष्ट स्थान है। लोक मानस की सबसे अधिक निश्छल अभिव्यक्ति जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं। वह लोक साहित्य की विधा लोकगीत है।

दास श्रीकृष्ण ने कहा कि लोकगीतों का अनूठा संसार अपने अन्तर्मन में ग्राम्य जीवन को दर्शाता है। जनमानस का दिल से गाया हुआ गीतों का यह हार परम्पराओं तथा जीवनशैली रूपी विभिन्न मनकों से अलंकृत है। यह सदियों से चलता आ रहा है तथा सदियों तक चलता रहेगा। कोई भी कला कच्चे माल की भांति पहले लोक में उद्भूत होती है। कालान्तर में उसका परिमार्जन एवं परिष्कार करके उसकी परिणीति शास्त्रीय कोटि में कर ली गई। यही अलंकारों के साथ भी हुआ, यहां चमत्कारी कविता का मानदंड **'भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित'** अलंकार भी हरियाणवी लोकगीतों में आए हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत अल्प (कम) है। उनमें संयम के लिए विशेष स्थान है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्यमूलक अलंकार ही हरियाणवी लोकगीतों में अधिक देखने को मिले हैं।

आरता हे आरता, सांझी माई आरता
नौ-नौ नोरते दुरगा माई के
पीली-पीली पट्टियां सदा सुहाग

लोकगीतों में रस सामान्यत: शब्द पदार्थो का रस, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस और शक्ति का रस आदि अर्थों में प्रयुक्त होता आया है। वास्तव में लोकतीवों का प्राण रस ही है। उनको सुनते-सुनते या पढ़ते-पढ़ते हृदय एक नवीन रस की मन्दाकिनी में अवगाहन करने लगता है। हरियाणवी लोकगीतों में प्राय: सभी रसों का समावेश देखा जा सकता है। परन्तु श्रृंगार, हास्य और करुण रस बहुतायत से उभर कर आए हैं। वियोग श्रृंगार- श्रावण और फाल्गुन में गाये जाने वाले गीतों का प्रधान विषय है-

जब साजन ही परदेश गए, मस्ताणा फागण क्यूं आया?
जब सारा फागण बीत गया, तै घर मै साजन क्यूं आया?

अत: यदि हम आज के भौतिकतावादी युग में कृत्रिमता को त्यागकर प्रकृति के मौलिक रूप पर ध्यान दें, उसे उचित संरक्षण प्रदान करें एवं अपनी जीवनचर्या में लोकगीतों में निर्देशित संयम को आत्मसात् करें तो हम निश्चय ही लोकगीतों द्वारा अलंकार विधान एवं रस की कल्पना को साकार कर सकेंगे। केवल लोकगीतों का सांमजस्य ही मानव जीवन को संतुलित और अनुस्यूत मार्ग प्रदान कर सकता है।

प्रस्तावना – हरियाणवी लोकगीतों में अलंकार विधान एवं रस का विश्लेषण करने से पूर्व हरियाणा प्रान्त का अवलोकन आवश्यक है। हरियाणा प्रदेश का नाम 'हरियाणा' क्यों पड़ा और इस नाम का अर्थ क्या है? इस विषय में अनेक विद्वानों ने भांति-भांति की कल्पनाएं की हैं। हरियाणा शब्द का विकास 'हर' (हरियाली) से हुआ है। 'हरि' शब्द इस बात का द्योतक है कि यह भूखण्ड पूर्व युग से हरा-भरा और उपजाऊ था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि 'हरिधान्यक हरिहानक हरिआनक हरिआनव हरिआन हरियान हरियाना आदि प्रक्रिया से अपभ्रंश की चक्की पकड़कर बना है।'[1]

अत: पं. श्रीराम शर्मा द्वारा पक्षीराज गरुड़ की तपोभूमि मानकर भी इस प्रदेश का नामकरण हरियाणा संभव है।[2] यह प्रदेश आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त का एक अभिन्न अंग है जिसे बहुधान्यक और भारतीय संस्कृति का हृदयस्थल कहा गया है। यह प्रदेश सरस्वती, तृषदवती के बीच बसा है। यमुना तथा घग्घर नदी की धारा से सिंचित गंगा के पठार से मिला हुआ है।

उद्देश्य:

1. हरियाणवी लोकगीतों को परिभाषित करना।
2. लोकगीतों के साहित्यिक योगदान को प्रदर्शित करना।
3. लोकगीतों द्वारा अलंकार विधान की खोज करना।
4. लोकगीतों में निहित रसों को उजागर करना।

हरियाणवी लोकगीत– हरियाणवी लोकगीतों की परम्परा बड़ी पुष्ट एवं प्राचीन है। लोकगीत किसी भी समाज के समूचे सामाजिक जीवन एवं आध्यात्मिक आस्था की रीढ़ है। सम्पूर्ण संस्कृति में परिव्याप्त तथा कथित भावभीनी गेय अभिव्यक्ति ही गीत है। इस गीत परम्परा की एक धारा जब अपनी देशज बोलियों में लोकवाणी के रूप में प्रवाहित करने लगी तो उसे लोकगीत के नाम से ज्ञापित किया गया। लोकगीत के तीन अर्थ हैं- 1) लोक में प्रचलित गीत 2) लोक-निर्मित गीत 3) लोक विषयक गीत।

हरियाणवी लोकगीत यथार्थपरक सामाजिकता व रीति-रिवाजों का प्रतिफलन है। प्रस्तुत शोध-पत्र हरियाणा जनजीवन पर आधारित लोकगीतों

में सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिदृश्य को अन्वेषित करता है। हरियाणा प्रान्त प्रारम्भ से ही सामाजिक एवं आध्यात्मिक दर्शन के लिए चर्चित रहा है। लोकगीतों के सौन्दर्य के साथ-साथ यहां समाज में व्याप्त सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।

लोकगीतों में अलंकार-विधान – काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादानों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मूलत: लोक में ही अंकुरित हुए हैं क्योंकि भाव, भाषा एवं अभिव्यक्ति के समस्त उपादान लोक में ओत-प्रोत है। कोई भी कला-कच्चे माल की भांति पहले लोक में उद्भूत होती है। कालान्तर में उसका परिमार्जन एवं परिष्कार करके उसकी परिणीति शास्त्रीय कोटि में कर ली गई है। यही अलंकारों के साथ भी हुआ।[3] यहां चमत्कारी कविता का मानदंड- **'भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित'** है। वहां ये हृदय से निकले सीधे-सादे कथन है जिसमें भाव या अर्थ की प्रधानता है। अलंकार भी हरियाणवी लोकगीतों में आए हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और उनमें संयम के लिए विशेष स्थान है। इनकी एक विशेषता यह भी है कि ये अनायास (स्वत:) ही आ गये हैं। प्रयत्नपूर्वक लाने की चेष्टा कहीं भी नहीं की गई है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्यमूलक अलंकार ही हरियाणवी लोकगीतों में प्राय: अधिक देखने में आये हैं।[4]

अनुप्रास- व्यंजन वर्णों की आवृति को अनुप्रास कहते हैं। जहां एक या अनेक वर्णों की क्रम से एक या अनेक बार आवृति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे-

(क) **बाजीगर की बजै बांसली, बिन्दावण के मेले मै**[5]

(ख) **मैल झंड़ै, झड़-झड़ पड़े, नूर चढ़ै गरणाय, हथ लाडो**[6]

(ग) **रे भजलै राम-राम-राम, तेरे आवेगा काम**[7]

(घ) **काहे कचौली मै तेल, काहे कचौली मटणा**
चांदी कचौली मै तेल, सोने की कटोरी मै मटणा[8]

(ङ) **हमने बुलाए सुथरे-सुथरे, भूंडे-भूंडे आए री पहर्सेरे**
हमने बुलाए लाम्बे-लाम्बे, मोटे-मोटे आए री पहर्सेरे[9]

(च) **आरता हे आरता, सांझी माई आरता**
नौ-नौ नोरते दुरगा माई कै
पीली-पीली पट्टियां सदा सुहाग[10]

उपमा- अभिव्यक्ति को पुष्ट एवं स्पष्ट करने के लिए उपमानों का हवाला देकर अर्थात् उनमें सादृश्यता दिखाकर किसी वस्तु, भाव आदि का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। जहां प्रस्तुत वस्तु (उपमेय) में रंग, रूप, गुण, ढोष में अप्रस्तुत (उपमान) से समता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है।

(क) **आँख नीबू की फांक, बच्ची सोने की चिड़ियां**
मूंगफली-सी आंगली, नाक सुए की चोंच
होठ पीपल के पात-से, किनै तेरी बांधी अर्थी।[11]

(ख) **चंदा जैसी चांदणी, गुलाब जैसो फूल**
सूरज जैसी किरण, म्हारै राम दियौ ललणा।[12]

(ग) **उड़ज्या रे कागा लेज्या रे तागा जांदा तो जाइये मेरे बाप कै**
मैं तो नाम ना जाणूं बेबे, गाम ना जाणूं कौण-सी तो मैडी तेरे बाप की।[13]

(घ) **ज्यूं जल जैसे दूध में, ज्यूं पाणी में लौण**
ऐसे आतम राम सौ, मन हठ साथै कौंण।[14]

(ङ) **सासू तो बीरा चूल्हे की आग**
ननद भादों की बिजली
सौरा तो काला-सा नाग
देवर सांप संपोलिया[15]

(च) **दादा देस जान्दा परदेस जाइये, म्हारी जोड़ी का वर ढूड़िए**
हंस खेल हे दादा की पोती, ढूड़या सै फूल गुलाब का[16]

उत्प्रेक्षा- जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां 'उत्प्रेक्षा' अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई सामान्य धर्म होने के कारण ऐसी सम्भावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। यथा- मानौ, जानौ, जनु इत्यादि।

(क) **आँख नीबू की फांक, मूंगफली-सी आंगली**
नाक सुए की चोंच, होठ जनु पीपल के पात[17]

(ख) **दादा देस जान्दा परदेस जाइये, म्हारी जोड़ी का वर ढूंढिए**
हंस खेल हे दादा की पोती, ढूंढ्या सै मानौ फूल गुलाब का[18]

रूपक- प्रस्तुत (उपमेय) पर अप्रस्तुत (उपमान) का आरोप 'रूपक' अलंकार कहलाता है। वाचक शब्द तथा सामान्य धर्म को हटाकर उपमेय पर उपमान का आरोप करके, उनके अभेद का वर्णन रूपक का चमत्कार है। जैसे-

(क) **मनै रट लेण दे सासू, माला राम नाम की लेरी**
राम नाम की माला लेके नार अहिल्या तिरगी।[19]

(ख) **बाजीगर नै खेल रचाया, माटी का कलबूत बणाया।**[20]

श्लेष- जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों (जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किन्तु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग-अलग हों), वहां श्लेष अलंकार होता है।

(क) **चरखा परे हटा ले री, मेरी सूरत राम तै लागी।**[21]

(ख) **बाबा उसकी कर दे मोज, जिसनै सुरति डाट लेई।**[22]

यहां 'सूरत-सुरति' का अर्थ देह, मन, ध्यान इत्यादि से लिया है।

अतिश्योक्ति अलंकार- जहां किसी वस्तु का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाए या सीमा से बाहर की बात की जाए, वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है। जैसे-

(क) **बिना पां धरती प डौले, बिन मुखड़े सद्धाणी बोले**
बिना हाथ डाण्डी तै तौले, ऐसा बल अलबेले मै।[23]

(ख) **रै चुंदड़ी तेरा जुलम कसीदा**
कुण सै महीनै बौह्ले मोर पपैया?
कब सी चमकै सीसा? रै चुंदड़ी तेरा जुलम कसीदा।[24]

अन्योक्ति अलंकार- अप्रस्तुत प्रशंसा-समासोक्ति का उल्टा यानी अप्रस्तुत (प्रतीकों) के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे-

(क) **एक डोर त सब न नचावै, उसका भेद किसै नै ना पावै**
किसै नै रूलावै, किसै नै हसावै, ऐसा बल अलबेले मै।[25]

विभावना अलंकार- जहां बिना कारण के कार्य का होना बताया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे-

(क) **हनुमत मनै बता दे रै ये पत्थर कैसे तिरगे**
देखया मनै अजब अचम्भा, कैसे बांध्या पुल यो लाम्बा
बिना ईंट और चूना गारा, कैसे बांध्या पुल यो भारया
करतब मनै भी सिखा दे रै, हनुमत.........[26]

विशेषोक्ति अलंकार- जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे-

(क) **जिस दिन लाडो तेरा जन्म होया था, होई ए बंजर की रात**
नौ लख दिवले लाडो चास धरे थे, तो बी घोर अन्धेर[27]

(ख) **सखी री, पवन ठण्डी हवा चली, मन्नै कैसे मिले भगवान**
सखी री, बागां मै आवै भगवान, बागा की मालण मै बणी
मन्नै कहीं ना मिलै भगवान।[28]

भाषासम अलंकार– जहां विभिन्न भाषाओं के शब्दों से किसी काव्य का निर्माण हुआ है, वहां भाषासम अलंकार है। जैसे–

(क) **कै गोरे रंग का लाड करै सै एक दिन होज्या माट्टी।**
बिना टिकट मत सफर करै रै बाबले फिरै रेल मै टिट्टी
सख्त जुर्माना देना पड़ै रै वो पकड़ैगा तेरी घिट्टी
टेम हो लिया पूरा आखिर चालै दे के सिट्टी[29]

इस उदाहरण में उर्दू, हिन्दी और हरियाणवी के शब्दों से अनायास ही भाषासम अलंकार बन गया है।

दृष्टांत अलंकार– जहां उदाहरण (दृष्टान्त) किसी ऐतिहासिक या पौराणिक रूढ़ सन्दर्भ से किया जाए, वहां 'दृष्टान्त' अलंकार होता है। जैसे–

(क) **कान्हा जी नै पालणै सुवा कै हुए गोकुल नै तैयार**
कंस राज कै खबर होई स पाटड़ा दिया बिछाय
पाय पकड़ कै मारण लाग्या, हाथ तै गई छुटाय
मेरे मारण तै के हो पापी, तेरे मारण आला गोकुल माय
नारायण क्यूं ना भजो।[30]

(ख) **चरण धोय चरणामरत लीन्हा गहरा नाद बजाया**
तेरा पूत मेरा ए भैया, एक मैया दो जाया
तेरे बालक कै दरस करण नै कैलासा तै आया
मस्तक थारै चंदा बिराजै बहै लटा म्ह धारा
सिब शंकर थम कृपा कीजौ, गोरा के भरतारा।[31]

लोकगीतों में रस – भारतीय वाङ्मय में 'रस' शब्द का प्रयोग आदिकाल से ही विविध अर्थों में होता रहा है। सामान्यत: यह शब्द पदार्थो का रस, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस और भक्ति का रस आदि अर्थों में प्रयुक्त होता आया है। साहित्य के रस के संबंध में आचार्य भरतमुनि का कथन है कि जैसे नाना व्यंजनों में औषधियाँ एवं द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही नाना भावों के अनुभूत होने पर स्थाई भाव रसत्व को प्राप्त करते हैं। उन्होंने काव्य में शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्‌भुत आठ रस बताए हैं। कहा कि रस के बिना काव्य का कोई अर्थ हो ही नहीं सकता।[32] **वाक्य रसात्मक काव्यम्** (रसात्मक वाक्य ही काव्य है) कहकर आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। लोकगीतों पर उनका यह कथन पूरी तरह चरितार्थ होता है। वास्तव में लोकगीतों का प्राण 'रस' ही है, उनको सुनते–सुनाते या पढ़ते–पढ़ाते हृदय एक नवीन रस की मन्दाकिनी में अवगाहन करने लगता है। कुछ पलों के लिए हम आनंदविभोर होकर स्वयं को भूल से जाते हैं।[33] वैसे तो हरियाणवी लोकगीतों में प्राय: सभी रसों का समावेश देखा जा सकता है, परन्तु शृंगार, हास्य और करुण रस बहुतायत से उभर कर आए हैं।

शृंगार रस– साहित्य में 'शृंगार' को रसराज कहा गया है। इसका स्थायी भाव 'रति' है। विवाह के समय गाए जाने वाले बदड़ों में शृंगार के नद फूट पड़ते हैं। ये दोनों समय, वास्तव में संयोग शृंगार के लिए बड़े उपयुक्त है। विवाह गीतों के प्रवाह में शृंगार रस के सभी संचारी भाव बहते हैं। छन, सीटणे और गाली–गीतों में यह खूब खुलकर गाया जाता है। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले 'होलड़ों' में भी शृंगार रस की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। गर्भिणी की व्यथा का कितना स्वाभाविक वर्णन एक गीत में हुआ है–

कौड़ी–कौड़ी बगड़ बहारू, दर्द उठै सै कमर मै, हो रजीड़ा
इबना रहूंगी तेरे घर मै
घोर–जिठाणी मेरी बोल्ली–ठोल्ली मारै, जिब क्यों सोई थी बगल मै
सास ननद मेरी धीर बधावैं होती आवै सै जगत मै, इबना रहूंगी....
छोटा देवर बड़ा रसीला दाई बुलाई इक छन मै, इबना रहूंगी....
छोटा देवर नै बाह्ळ बिहाद्यू, दाई बुलाई इक छन्न मै, इबना रहूंगी....[34]

प्रसव पीड़ा से व्यथित गर्भिणी अपनी वेदना की बात अपने पति से कह रही है। देवरानी, जेठानी का हास–परिहास उसे असहाय हो उठा है। अत: वह घर छोड़ जाने की धमकी देती है। परन्तु देवर और सास–ननद के मधुर व्यवहार से उसे कुछ सांत्वना मिली है। देवर को एक अच्छा पारितोषिक भी मिला है।[35]

वियोग शृंगार–श्रावण और फाल्गुन में गाये जाने वाले गीतों का प्रधान विषय है। उदाहरण प्रस्तुत है–

जब साजन ही परदेश गए, मस्ताणा फागण क्यूं आया?
जब सारा फागण बीत गया, तै घर मै साजन क्यूं आया?
छम–छम नाचै सब नर–नारी, मै बैठी दुखां की मारी
मेरे मन मै जब अंधेर माच्या, तै चांद का चांदण क्यूं आया?
इब पी आया जी खिल्या ना, जब जी आया पी मिल्या ना
साजन बिन जोबन क्यूं आया, जोबन बिन साजन क्यूं आया?
मन की तै अर्थी बंधी पड़ी, आंख्या मै लागी हाय झड़ी
जब फूल मेरे मन का सूक्या, लजमार्या फागण क्यूं आया?[36]

जिनके साजन घर पर नहीं वे प्रेषितपतिकाएं तो मन ही मन बिसूरती रहती हैं। प्रिय का वियोग उन्हें बुरी तरह कचोटता है। 'पिय बिन सूनी सेज' सूली सी लगती है। चन्द्रोज्ज्वला दूधिया रातों में रमणियों का राग–रंग उनके जी को सताता है। उनके विदग्ध मन की व्यथा गीतों द्वारा व्यक्त हो जाती है।

हास्य रस– जीवन को उत्फुल्ल एवं स्वस्थ बनाने के लिए हास्य रस की घूँटी सबसे मुरीद औषधि है। यह किसी वैध डाक्टर या दवा विक्रेता के पास नहीं मिलती। यह मानव मात्र को ईश्वर का वरदान है। जो अनादिकाल से मानव मन को अवसाद से मुक्त करता चला आ रहा है। आज भौतिकता से आक्रान्त मानव समाज के लिए हास्य की उपयोगिकता और भी बढ़ गई है। इसका स्थायी भाव 'हास' है। हरियाणा के लोकगीतों में हास्य रस की फुहार विवाह संस्कार के गीत 'सीटणे, छन्न' में खूब देखी गई है।[37]

छन्न पक्कियां छन्न पक्कियां, छन्न के ऊपर आरसी।
थारी बेटी राज करेगी, हम पढ़ांगे फारसी।।
छन्न पकाइआं छन्न पकाइआं, छन्न पै धरी आंगी।
एक तो ब्याह ले चालै, दूज्जी दे द्यो मांगी।।[38]

अत: कह सकते हैं कि हरियाणा का लोक साहित्य हास्य रस से ओत–प्रोत है।

करुण रस– करुण रस का स्थायी भाव 'शोक' होता है। इसकी निष्पत्ति प्रिय व्यक्ति के वियोग, उसकी दयनीय दशा या उसकी मृत्यु आदि के दुख

की अनुभूति से होती है। कन्या की विदाई एवं मृत्यु गीतों में करुण रस का सागर उमड़ पड़ता है।

(क) **हाय! हाय! हे बागां की कोयल**
आंख नीबू की फांक, बच्ची सोने की चिड़ियां
मूंगफली-सी आगली, नाक सुए की चोंच
होंठ पीपल के पात-से, किनै तेरी बांधी अर्थी.....[39]

(ख) **कांधी लागै खानी बचड़े, हेट लगा परिवार**
पोते चंवर डुलाइयां, दोहते शंख बजाये
हर-हर करते ले गए मुख नारायण नाम।[40]

लोकगीत में आन-बान को बनाये रखने के लिए 'चन्द्रावली' का जीवन उत्सर्ग 'करुण रस' का उत्कृष्ट उदाहरण है।

घड़ा ए घड़ा पै टोकड़ी चंदो पाणी नै जाय
आगै फौज मुगल पठान की चदो पकड्य लई
आंगली तै गैल चन्द्रावली बाई राजकंवर
उड़ती जाती चिड़कली एक सन्देशो ले जाय
बाप मेरे नै न्यो कहो, थारी थी पकड़ लई। उड़ती जाती....
बीर मेरे नै न्यूं कहो, थारी बाहण पकड़ लई
बाबल सुण कै रो पड्यो, भाई खाई कै पछाड़
मुगली के पीठ फिराई ओ, तम्बुआ में ला दई आग
तम्बू जल गया ड्योड्सै डोर जली लखचार
बीच जली चन्द्रावली बाई राजकंवार
सत की रही चन्द्रावली दो कुल तारी जा
तारा पीहर सासरा तार दई नंदसाल।[41]

कन्या के विदा के गीतों में ही करुणा नहीं उमड़ती, अपितु कन्या का जन्म भी करुणामय है। वह हिन्दू समाज में धूमकेतु के सदृश मानी जाती है। उनके जन्म से किसी को हर्ष नहीं होता। माता को पुत्री जन्म की रात व्रज के समान लगती है और चारों ओर शोक छा जाता है।

जिस दिन लाडो तेरा जनम हुआ था हुई ए बजर की रात।
चौसठ दीवला जोय धरया था, तो भी घोर अंधेरा।।[42]

जिसको अपने हाथों से पाला-पोसा है, वह बिछुड़ने लगती है तो माता-पिता की करुणा का बांध टूट जाता है।

मैं तो गुड़िया भूलि ओ बाबल तेरे आले मै
म्हारी पोती खेल ए दिहड़ घर जा अपणे
थारै पैड़े रीतै हो, बाबल थारी दीहड़ बिना
म्हारी बहुए भरैगी ए, दिहड़ घर जा अपणे।[43]

उपसंहार- हरियाणा के भोले-भाले व सरल हृदयी जनार्दन ने लोकगीतों द्वारा अलंकार विधान एवं रस का विकास आन्तरिक व बाह्य वस्तुओं, विषयों, व्यवहारों द्वारा आकस्मिक ही हो गया है। यह तभी सम्भव हो पाया जब समाज के सभी क्रियाकलापों में, सत्य, पवित्रता, प्रेम, नि:स्वार्थता और धार्मिकता प्रकट सारी घृणा, त्याग, अहंकार एवं क्रोध को मिटा कर अन्तर्निहित लोकगीतों का गायन किया। तभी अलंकारों व रसों का स्वत: ही आनन्द सम्भव हो पाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. शकर लाल यादव, हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य, पृ. 9
2. जनार्दन शर्मा, लोकरंग (हरियाणवी जकड़ी गीत), पृ. 1-2
3. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ. सं. 299
4. डॉ. शंकरलाल यादव, हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य, पृ. सं. 320
5. डॉ. रेखा शर्मा, हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति भावना, पृ. सं. 101
6. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ. सं. 51
7. डॉ. रेखा शर्मा, हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति-भावना, पृ. सं. 144
8. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ. सं. 51
9. डॉ. साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ. सं. 171
10. तिलक नगर, हिसार की रोशनी देवी से श्रुत लोकगीत।
11. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 88
12. श्रीमती लीलो देवी, क्वार्टर नं. 487-सी, पुलिस लाइन, हिसार
13. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 98
14. दादूदयाल की बाणी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग
15. डॉ. साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ.सं. 15
16. शोधार्थी एवं हिन्दी प्रवक्ता मुनेश कुमारी से श्रुत लोकगीत
17. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 88
18. वही, पृ.सं. 98
19. ममता विशवाल, हरियाणा के लोकगीत, पृ.सं. 20
20. डॉ. रेखा शर्मा, हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति भावना, पृ.सं. 101
21. श्रीमती इन्द्रावती देवी, पटेल नगर, जिला हिसार से श्रुत लोकगीत
22. श्रीमती चन्द्रपति देवी, गांव ढंढेरी, जिला हिसार से श्रुत लोकगीत।
23. डॉ. रेखा शर्मा, हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति भावना, पृ.सं. 101
24. डॉ. साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ.सं. 29
25. डॉ. रेखा शर्मा, हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति भावना, पृ.सं. 101
26. सरोज घणघस, जींद से श्रुत लोकगीत।
27. डॉ. शंकरलाल यादव, हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य, पृ.सं. 326
28. श्रीमती स्योबोई, गांव खानपुर, जिला हिसार से प्राप्त लोकगीत।
29. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 193, 94
30. ओमप्रकाश काद्यान, हरियाणा के लोकगीत, भाग-2, पृ.सं. 164
31. वही, पृ.सं. 154
32. भरतमुनि प्रणीत् नाट्यशास्त्रम्, अध्याय-6, श्लोक 31, 39
33. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 295, 96
34. डॉ. शंकरलाल यादव, हरियाना का लोक साहित्य, पृ.सं. 324
35. वही, पृ.सं. 324
36. डॉ. साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ.सं. 27
37. वही, पृ.सं. 297
38. डॉ. हरीशरन वर्मा, हरियाणवी संस्कार गीतों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पृ.सं. 152
39. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, लोकगीतों की गूँज, पृ.सं. 88
40. जगदीश नारायण भोलानाथ शर्मा, हरियाणा प्रदेश के लोकगीतों का सामाजिक पक्ष, पृ.सं. 103
41. डॉ. शंकरलाल यादव, हरियाना का लोकसाहित्य, पृ.सं. 216
42. वही, पृ.सं. 326
43. श्रीमती मल्लो देवी, जिला दादरी, गांव समसपुर से श्रुत लोकगीत।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Merger of Banks: A Step Towards Enhancing the Financial Health and Efficiency of Indian Public Sector Banks

Mahendra Krishna* Dr. Anil Saxena**

*Research Scholar, Accounts & Law (Commerce), K.R. (PG) College, Mathura (U.P.) INDIA
** Research Supervisor & Associate Professor, Accounts & Law (Commerce) K.R. (PG) College, Mathura (U.P.) INDIA

Abstract - Merger means finding an acceptable partner, determining upon how topay each other and also ultimately creating a new company. A combination of any two or more than two industries into one is called merger. One industry can merge either with some already existing industry or with some new one with a view to forming a new industry. The condition of merger is the acquiring of the assets and liabilities of the targeted company by the acquiring company or industry.

The sole purpose of a company to merge with another is growth which can be internal, external or both. However, the in the path of internal growth, there occur several impediments and problems, such as, problems of raising adequate finance, longer implementation time of the projects etc.

As regards the mergers of banks, a weak bank and a stronger Bank make an agreement between them to become one and improve the functioning and widen capital base of the newly made bank. Another condition of the mergers of banks is the one when two equally strong Banks make agreement between them to improve their market share.

In this study, the merger of banks as a step towards enhancing the financial health and efficiency of public sector banks has been discussed in detail. The findings of the study reveal that the merger of banks has a positive impact on both the financial health of a nation and efficiency of public sector banks. The study also finds out that the merger of banks takes place not only between a weak bank and a strong bank, rather it may also take place between two strong banks.

Key Words: Merger, Step, Enhancing, Financial, Health, Efficiency, Sector.

Introduction: A Historical Peep into the Initial Proposals Much earlier during 1970s, the idea of consolidating all the banks in India struck some of the policy makers and the government, but it could not be implemented finally for several reasons. The 1990s was a decade known for liberalization. It was the time when the Narasimham Committee made a strong recommendation for around 2/3 of the total international Banks, about 10 national banks and a number of local banks boost up competition and spread risks. As a result, a large number of private sector banks and a few public sector banks got merged into larger Banks.For better customer services, there is a tremendous competition among both the private sector and the public sector banks.

There has been a successful merger of associate banks of SBI and Mahila bank with State bank of india and many others like Bank of Baroda, Dena Bank, Vijaya Bank etc. It helps us deduce that merger is good in the interest of the nation as it has a positive impact on financial health of the nation and on the efficiency of the public sector banks. Indeed, the merging is one of the strategies to make our banks globally competitive. Moreover, in banking sector, as in other sectors, quality ought to be preferred to the quantity. Merger of banks provides employees and officers to work with well managed and larger organizations, which finally results into personal growth.

The Indian Banking Sector& Its Services: In its structure, the Indian banking system is divided into scheduled banks and non-scheduled banks. The banks that are covered and encompassed within the Second Schedule of RBI Act, 1934 fall in the category of the scheduled banks. Financial assistance is provided to them by RBI as per the terms and conditions. On the contrary, the non-scheduled banks are those that do not find room in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934. The Scheduled Banks in India are of the following three categories-

Public sector banks: The public sector banks, such as, State Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India,have

thecontrol of the Government of India over them.

Private sector banks: The private individuals or organizations control the private sector banks. Some of the examples of the private sector banks in India are ICICI Bank and HDFC Bank.

Foreign banks: Foreign banks are those banks in India the headquarters of which are in the countries other than India. Besides the public sector banks, the private sector banks and foreign banks in India, there are some others such as cooperative banks and regional rural banks in India. The RBI is responsible for regulating and supervising the banking sector in India, and it plays a key role in maintaining the stability of the financial system. It also serves as the lender of last resort for banks in times of financial crisis.

Bank Merger & Strengthening the Indian Economy: The economy of a nation is its backbone and reveals the economic status of it. Every nation wishes to see a tremendous growth in it as the economy wins identity to a nation. The same is true of India. The economists work day and night to explore strategies that can be helpful in the enhancement and growth of economy. KashyapChetan (2021) is of the view that 'bank mergers are one of the strategies for strengthening the Indian Economy by enhancing the banking sector.Now a days, Mergers and acquisitions in the Banking sector are very important for the growing of Indian Banking Sector.

This can be achieved through Cost Reduction and Increasing Revenue. Merger and acquisition emerge as a reality.'[1]Krishn A Goyaletc.(2011) find that'Indian economy has witnessed fast pace of growth post liberalization era and banking is one of them. M&A in banking sector has provided evidences that it is the useful tool for survival of weak banks by merging into larger bank.'[2]

According to Ravi.B (2019), 'A merger is a combination of two or more companies to form a single entity. A merger is more over similar like an acquisition or takeover but the only difference is that in merger existing shareholders of both companies involved they retain a shared interest in the new corporation while in acquisition one company acquire of a bulk of acquired company's stock by willingness or unwillingness of another company.'[3]

Public Sector Banks: Merged (see in last page)

PositiveEffects of Merger of Banks: Merger of banks has brought about several positive effects and has improved the financial health and efficiency level of the public sector banks. Some of the effects are as follows-

1. Shrinkage of banks or branches.
2. An increase number of bank employees to work efficiently
3. Increased deposit and other transactions in the merged banks
4. An increase number of customers in merged bank.
5. Bigger target of cross selling, advances, mutual fund or any third party linked products before the merged bank.
6. Better services to accepting deposit of merged bank.
7. Successful use of different useful software and latest technology
8. Reduction in expenditure and operational cost
9. More profitable

Negative Effects of Merger of Banks: Culture of the merged bank, the merged bank's net network at places where SBI is already well established, sudden increase of the size of an already sizeable bank, placement of the staff of the merged banks, facing the problem of unequal salary of similarly placed cadres of SBI and merged banks, mental makeup of the staff of the merged banks, clash of work culture, etc. make one realize the problems that suddenly occur as a result of the merger of the banks. In the interest of the nation as a whole and efficiency and financial health, the merger of banks is considered good, but its negative aspect cannot be denied that can be seen through the following-

1. Increased discomfort level of the customers
2. Distance of the merged bank
3. Inconvenience to the customers
4. Transfer of the accounts and loans to the merged bank
5. Overcrowded environment in the merged bank
6. Closing of the banks in many of the villages
7. Inaccessible and unapproachable to the women, aged and disabled

Objectives of the Study:

1. To produce a brief account of the Indian banking system
2. To highlight the need and significance of the merger of small private and public sector banks
3. To explore the positive and negative aspects of the merger of the banks
4. To comment on the impact of the merger and acquisition of banks on the financial health and efficiency of the public sector banks.

Related Literature Review

- **NidhiSrivastava (2022)** in her study entitled **'A Study of Mergers and Acquisitions in Indian Banking Sector',** discussing the ongoing trends in the field of business and on the significance of bank merger and acquisition, writes that'Beginning a business in today's scenario has become rather simple, but maintaining it, is a harder job after the organization reaches a certain level but one the most obvious method to strengthen and expand the organization further, is only through Mergers and acquisitions. It is also seen that the Merger and Acquisitions are nowadays becoming more viable sources of strengthening the organization and also being directed in many countries all around the globe because they bring with them many benefits. The financial innovations in India have certainly procured various extraordinary accomplishments, in a brief period of time, for the world's biggest and the most diversified vote-based country. The innovation has helped beautifully overcome several complexities of Indian financial sector by launching new reforms and consolidating robust

and bothered banks.'[4]

- **Dr.SmitaMeena&Dr.Pushpender Kumar (2014)**, in their jointly prepared research paper on the topic'**Mergers and Acquisitions Prospects: Indian Banks Study'**, reveals the the necessity of merger and acquisition of banks in the interest of the customers and the nation at large, and observes that 'In today's global marketplace, banking organizations have greatly expanded the scope and complexity of their activities and face an ever changing and increasingly complex regulatory environment. It has been realized globally that M&A is only way for gaining competitive advantage domestically and internationally and as such the whole range of industries are looking for strategic acquisitions within India and abroad. Today, the banking industry is counted among the rapidly growing industries in India. In the last two decades, there has been paradigm shift in banking industries. A relatively new dimension in the Indian banking industry is accelerated through M&A. In order to attain the economies of scale and also to combat the unhealthy competition Consolidation of Indian banking sector through M&A's on commercial considerations and business strategies are the essential pre-requisite. Consolidation has been a significant strategic tool and has become a worldwide phenomenon, driven by advantages of scale-economies, geographical diversification, and lower costs through branch and staff rationalization, cross-border expansion and market share concentration. The new Basel II norms have also led banks to consider M&As.'[5]
- **Sanyukta (2020)**, in her report **'Mergers And Acquisitions In The Indian Banking Sector: Impact On Shares And Performance Check'**raises the problems of the small banks that generally fail to perform well due to several factors, and comments that'the economic environment is full of problem for the small and medium sized banks, due to superseded technology, insufficiencies of resources, faltering marketing efforts and weak financial structure. Their existence becomes a question of doubt without new techniques and innovations and they have a threat from the larger banks. Their restructuring through merger could offer a relief and help them to revive. So far bank mergers have provided a protection to weak banks from closing down and failure. Smaller banks fearing aggressive acquisition by a large bank sometimes enter into a merger to increase their market share and protect themselves from the possible acquisition. Even RBI has taken initiative for the same and the primary objective behind this move is to attain growth at the strategic level in terms of size and customer base.'[6]
- **K. Naveen Kumar and ManaliUpadhyay (2022)**, in their jointly made study on **'A Study on Mergers and Acquisitions in Indian Services Industry-With Special Reference to Banking Companies'**, inform about the types of merger and acquisition saying that they include horizontal merger which represents a merger of firms engaged in the same line of business (Merger of Bank of Mathura with ICICI Bank); Vertical Merger occurs when firms that engage in different stages of production merged; Conglomerate Merger which refers to the merger between firms that are involved in totally unrelated business activities; Co-Generic Merger which represents a merger of firms engaged in related lines of business but do not offer the same products.[7]
- **Sowmya Praveen K & C.K. Hebbar (2021)**, in their study **'A Review on Merger of Commercial Banks in India: Its Impact, Pros and Cons'** producing a brief historical perspective of the beginning of bank merger, inform that 'merger of banks started in India in the year 1960's. A Merger implies mix of two organizations into one organization. During the merger interaction, one organization endures and the other organization loses their corporate presence. To put it plainly, it's anything but a circumstance where, two banks pool their assets and liabilities to become one bank. In the period of August 2019, the Finance Minister of India, MS NirmalaSitaraman has reported to merger ten public area banks into four substances. The essential rationale behind this merger is to expand the worldwide seriousness of the Indian Banks. Presently the all-out public sector banks decreased to 12 from 27 out of 2017 in India. Merger of banks will protect the financial system and depositor's money, since the merged banks will be more profitable and in better condition.[8]

Hypothesis:

1. Private Sector banks do not have adequate infrastructure and facilities and lack the knowledge and proper application of the latest technology.
2. Private banks fail to fulfill the norms and terms and conditions as prescribed by Reserved Bank of India.
3. Merger allows the private sector banks or the public sector banks that fail to meet out their targets to get merged with some public sector bank
4. The merger and acquisition of banks facilitate the customers in all respects.

Method: This study, designed and carried out on the basis of the secondary data in addition to the personal observation of the authors, falls chiefly in the category of the qualitative and interpretative research which aims at making interpretation of the impact of the merger and acquisition of the banks on the financial health and efficiency of the public sector banks. For it, all the steps of qualitative research or the prescribed research process were rigidly observed without fail.

The secondary data used for the purpose of making the study was collected from the books and research studies available at the various sites with the theme-based selected material in the form of research articles and research papers on them. Adhering to all the prescribed steps of scientific method and research, no stone was unturned to keep up and maintain the scientific spirit of the work. For the purpose, after the selection of the theme and title, 10 relevant theme-related research articles available on the

various sites of internet were selected for the review which provided the authors a good deal of feedback on the issue. Considering the contents served through the selected studies, and following the steps of research, finally the conclusion was drawn with the generalization that for the constant higher growth of the economy of India, merger and acquisition of banks is essential.

Findings, Suggestions and Conclusion: The merger and acquisition of the banks in public sector is obviously a revolutionary step in the history of the Indian banking. The merger and acquisition of banks works on the implication that the number of banks, that is, quantity is not as important as the quality of services. The small private banks have many of their problems, and are unable to manage themselves, nor are they capable of providing the required services. They lack number of employees, proper management, knowledge and application of latest technology and other infrastructural problems. It is only through the merger of banks that such problems of the small private banks can be overcome. It is hoped that the more the time passes and advances, the more merger shall be there, and the more facilities shall be created.

Deeksha Sharma (2020) is pleased to epitomize the Banking Industry of India saying that 'it is rapidly Growing industry with innovative digital trend and Merger and acquisition is applied strategic mode in Indian banking to compete globally. It is evident from reviewing related literatures that combined banks have to face many issues and challenges. before taking steps of merger if acquirer bank examine financial aspects on the basis of past data of transferee bank that it would be profitable or not. It will help to make merger favourable. In form of opportunity, Indian bank Market's share has increased. The key purpose of the study is to know Exact effect of merger and it is found that merger and acquisition has favourable effect but In some cases positive changes have seen, and in other cases there is no change but Negative effect have been seen rarely.'[9]

It is true that the merger of banks has caused inconvenience to the customers belonging to the villages or small towns where previously they would have the bank services at door, and now they have to move to the far off places where the public sector banks with which the village banks have been merged. Another inconvenience being faced as a result of the merger is that due to the increased number of the customers in the merged bank, the customers fail to develop a rapport with the bank staff and have to wait for hours for their work.

Rani S. Ladha (2017) throws light on some of the critical initiatives undertaken by the government, saying that 'India being an emerging economy, the banking industry faces two critical initiatives: (i) proactive servicing of the rural areas and priority sectors and (ii) a serious presence in the international markets to compete with larger global banks. The banking sector in India supports both these initiatives. The government could use the threat of merger to induce reluctant public sector banks to meet the critical domestic agenda and performance metrics. Those that meet the societal goals may continue to have the benefit of the status quo. Those that do not are required to merge to form an entity that can internationally compete in raising equity and deposits and providing loans and services.'[10]

To conclude in a word, the merger and acquisition of banks is good in the interest of the Indian economy and customers despite all its criticism and all the negative views and comments about it. Undoubtedly, it has a positive impact on the financial health and efficiency of public sector banks in India.

References:-

1. Kashyap, Dr. Chetan (2021). Merger and Acquisition in Indian Banking Sector: A Case Study of Bank of Baroda.
2. Krishn A Goyal& Vijay Joshi (2011).Mergers in Banking Industry of India: Some Emerging Issues. Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1 No. 2, 157-165
3. DrRavi.B (2019). Recent Mergers and Acquisition in Indian Banking sector- A Study. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Volume 6, Issue 7
4. NidhiSrivastava (2022). A Study of Mergers and Acquisitions in Indian Banking Sector. Journal of Education: Rabindrabharati University, Vol.: XXIV, No. :12(I), 2021– 2022
5. Dr.SmitaMeena&Dr.Pushpender Kumar (2014). Mergers and Acquisitions Prospects: Indian Banks Study. International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM), Vol. 1, Issue 3, pp: (10-17)
6. Sanyukta-Mergers And Acquisitions In The Indian Banking Sector: Impact On Shares And Performance Check. Legal Service India: e Journal
7. K. Naveen Kumar and Dr. ManaliUpadhyay (2022). A Study on Mergers and Acquisitions in Indian Services Industry-With Special Reference to Banking Companies. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, Volume 11, Issue 4(6)
8. Sowmya Praveen K & C.K. Hebbar (2021). A Review on Merger of Commercial Banks in India: Its Impact, Pros and Cons. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), Volume: 7, Issue: 6
9. Deeksha Sharma (2020). Merger and Acquisition of Banks: A Literature Review. Suresh GyanVihar University International Journal of Economics and Management, Volume 8, Issue 4.
10. Rani S. Ladha (2017). Merger of Public Sector Banks in India Under the Rule of Reason. Journal of Emerging Market Finance, Volume 16, Issue 3

Public Sector Banks: Merged

2019 Rank	Rank Name	Nationalized	Merged with	Year of merger	1980 Rank
1	Mahila Bank	Started as PSB	SBI	2017	
2	State Bank of Bikaner and Jaipur		SBI	2017	19
3	State Bank of Patiala		SBI	2017	21
4	State Bank of Hyderabad		SBI	2017	22
5	State Bank of Travancore		SBI	2017	23
6	State Bank of Mysore		SBI	2017	24
7	IDBI Bank	(Started as DFI)	Sold to LIC	2018	
8	Dena Bank	1969	Bank of Baroda	2019	14
9	Vijaya Bank	1980	Bank ofBaroda	2019	20
10	Syndicate Bank	1969	Canara Bank	2019	8
11	Allahabad Bank	1969	Indian Bank	2019	13
12	United Bank of India	1969	PNB	2019	11
13	Andhra Bank	1980	Union Bank of India	2019	16
14	Corporation Bank		Union Bank of India	2019	25

Source: Amol Agarwal, Bloomberg (2019)

****

The Significance of Task-Based English Language Teaching for Graduate Students in India

Surbhi Gour* Dr. Monika Choudhary**

***Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**
****Research Guide, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - This research paper aims to explore the importance and benefits of implementing task-based English language learning strategies specifically tailored for graduate students in India. Task-based language teaching (TBLT) has gained significant attention in language education due to its emphasis on communicative competence and real-life language use. In the context of India, where English proficiency is increasingly essential for academic and professional success, this paper investigates the effectiveness and relevance of task-based approaches in enhancing graduate students' English language skills. The research shows the importance of task-based learning on language acquisition, communication skills development, learner motivation, and cultural adaptation, emphasizing the potential advantages and challenges within this educational framework.
Keywords: Task-based language teaching, English language learning, graduate students.

Introduction - As the world progressively integrates into a global community, the momentum toward globalization intensifies, necessitating heightened connectivity and interaction. Human existence predominantly revolves around communication, encompassing reading, writing, speaking, and listening. While communication transcends any singular language, the pivotal aspect lies in comprehending and selecting the appropriate means of expression. This underscores the significance of communication skills intertwined with the English language, given its widespread acceptance across numerous nations and its pervasive influence across various domains. Particularly in the realm of research and development, the English language assumes a pivotal role, largely due to the integration of technology within this language.

Within a global context, no nation can sustain itself without actively engaging with other countries. Various countries have established international organizations like the League of Nations, the United Nations fostering peaceful coexistence and cooperation. Similarly, regional entities such as SAARC, NATO, and the European Union have initiated organizations to deliberate and address local issues. For the seamless operation of such multinational entities, a lingua franca assumes paramount importance.

In the context of the workplace, communication skills transcend mere message conveyance; they are instrumental in fostering robust social connections, nurturing healthy relationships, cultivating a harmonious work environment, and fostering deeper understanding. Proficient communication possesses the potential to elevate an individual's professional competence and bolster an organization's goodwill. Within multinational corporations and sizable enterprises, executives invest significant time in activities like meetings, interviews, conferences, issuing directives, drafting notices, circulars, memorandums, advertising, and managing emails. Simultaneously, employees engage in tasks such as adhering to instructions, managing correspondence, liaising with clients and customers, and interfacing with executives. Therefore, effective communication emerges as the linchpin for managing the multitude of daily responsibilities.

It's noteworthy that both oral and written communication dominate workplace interactions. Notably, a considerable portion of work hours is allocated to written communication, signifying its substantial impact on daily operations.

Literature Review

The significance of proficiency in the English language cannot be overstated when it comes to improving academic performance through enhanced language skills. Students who struggle with English communication may face challenges in their day-to-day activities and academic pursuits. Hence, a strong command of English undoubtedly influences and betters students' academic achievements.

The correlation between English proficiency and academic success has been highlighted in various studies. For instance, Adegbove (1993) pointed out that inadequate English proficiency significantly contributes to students' poor performance in Mathematics, as seen in the Senior Secondary School Certificate Examination (SSCE) in Nigeria. This deficiency in English reading ability affects

their mathematical skills, suggesting the need for better English language teaching to improve overall academic capabilities.

Similarly, Azeroual (2013) discovered that insufficient English proficiency among Arab students led to difficulties comprehending passages, resulting in academic setbacks. Aina, Ogundele & Olanipekun's (2013) investigation among students in a Nigerian college of education further confirmed a strong correlation between English language proficiency and academic performance. Their study revealed that technical education students who passed their English language tests performed notably better compared to their peers who failed in both science and technical education.

Moreover, research by Rafee, Mustafa, Shahabudin, Razali & Hassan (2011) at Universiti Kebangsaan, Malaysia, highlighted variations in English proficiency across different student domains. Engineering students, selected based on high admission merit, exhibited superior English proficiency compared to other domains. Martirosyan, Hwang & Wangjohi (2015) examined international students in the United States and found a substantial difference in academic performance based on English proficiency levels. Similarly, Racca & Lasaten (2016) observed a significant relationship between English proficiency and academic success among students in the Philippine Science High School.

Regarding language learning methodologies, while various approaches have been used historically, Task-based instruction (TBI) gained traction towards the end of the 20th century. Prabhu N S (1987) introduced TBI during the "Banglore Project," emphasizing specific classroom activities or "tasks" to facilitate language learning. Scholars like Long, Crookes, Skehan, Johnson, Ellis, and Littlewood supported the efficacy of TBI in language teaching.

TBI involves learning language through interactive classroom tasks, encouraging student engagement and interest. It emphasizes authentic language usage in meaningful tasks, fostering cognitive growth and language competence through repetitions and negotiations. Several studies have shown that TBI positively impacts language skills development. For instance, Nguyen H B & Nguyen A H (2018) found that students' perceptions favored TBI, with the experimental group outperforming the control group.

Additionally, research by Ismaili (2014), Topkaraoglu & Dilman (2014), Munirah & Muhsin (2015), and Kamalian B, Soleimani H & Safari M (2017) supported the effectiveness of TBI in enhancing speaking skills, vocabulary knowledge, fluency, and vocabulary retention among students in various contexts.

However, limited studies in India have explored the effectiveness of TBI in ESL classrooms, highlighting a gap in understanding English language proficiency differences among undergraduate students using task-based language teaching. Thus, further exploration is essential to identify its impact in these settings.

English Language Teaching and learning in India: The inception of the English language in India dates back to the 17th century, marking its origins with the arrival of the British for trade purposes. Christian missionaries were the pioneering influencers of English in India, initiating its introduction without any immediate official imposition on the general populace. The British military also played a significant role in popularizing English among Indian residents, bridging the gap between settlers and indigenous people, despite substantial cultural differences. Initially perceived as a foreign language by the indigenous population due to the colonial disparities, English gradually gained prominence as the British Empire expanded its influence from trade to administration during the colonial age.

By the late 18th century, English had become the established official language of administration, with universities in Bombay, Calcutta, and Madras opening their doors by 1857. The spread of English across India was extensive during this period, culminating in the introduction of the English Education Act in 1835 under the governance of Lord William Bentinck. This act, coupled with the influential 'Minute on Education' delivered by British historian and politician Thomas Babington Macaulay in 1835, advocated the necessity of imparting English education to Indian natives. Macaulay held the belief that English should be the primary medium of education, considering it the superior language and aspiring to make it the national language rather than a foreign one.

Consequently, the English Education Act led to increased centralization in education, aligning with the educational framework proposed by British politician Charles Wood's dispatch of 1854. This framework established the three-tier educational system prevalent today, emphasizing native languages at the primary stages but gradually shifting focus to English at higher educational levels.

India, known for its rich linguistic diversity, places significant importance on the English language alongside native or mother tongues.

English Language Teaching Methods: Language education in the 20th century was marked by continual evolution and innovation. Teachers and applied linguists were deeply invested in seeking improved methods throughout this era. The evolution in language teaching approaches was significantly influenced by changes in teaching methodologies. Many of the foundational principles in current teaching methods originated from discussions surrounding formal or less formal language approaches, particularly regarding the integration of students' first language in classrooms.

Teaching methods for English that emerged in the 1960s and 1970s, such as community language learning, the Silent Way, Suggestopaedia, the Berlitz Method, Grammar Translation Method, and Audiolingualism, are not

considered advantageous in the present context, where the majority of students are primarily focused on achieving communicative competence in English.

Recent decades have seen the emergence of innovative ideas in foreign language education, notably the incorporation of diverse activities within language classrooms aimed at enhancing students' communication skills. Interaction patterns in classrooms vary based on local educational norms and fluctuate with evolving methodological trends. Variables like class level, age, and the specific learning activity's purpose also influence these interaction patterns (Lynch & Maclean, 2000).

Amidst these developments, Task-Based Language Teaching (TBLT) has gained popularity among language educators and researchers. TBLT was coined and developed by second language acquisition researchers and language educators as a response to teacher-dominated, lecture-based classroom practices. The introduction of the task-based approach is linked to the "Bangalore Project" initiated by Prabhu in 1979 and concluded in 1984. Prabhu advocated a pedagogical intuition, born from practical experiences and solidified through professional debate in India, suggesting that developing proficiency in a second language does not necessitate systematizing language inputs or maximizing planned practice. Instead, it entails creating conditions where learners engage in communication efforts (Prabhu, 1987).

Task- Based Language Teaching: Task-Based Language Teaching (TBLT), also known as Task-Based Instruction (TBI), has been a prominent and extensively studied domain within language pedagogy and second language acquisition since the 1980s. It centers around utilizing authentic language in meaningful tasks, emphasizing meaningful communication and placing students at the core of the learning process. TBLT encourages students to employ language in creative and spontaneous ways while engaging in various tasks. The origins of TBLT trace back to Prabhu's (1987) Bangalore Project, where the primary focus was on communication through task engagement. Prabhu's project involved learners in addressing problems and information/ opinion gap activities using English under the guidance of the teacher. Prabhu argued against a focus on language form, advocating instead for language development through natural processes. Evaluation of Prabhu's project indicated that his learners outperformed their counterparts taught through more traditional methods (Beretta and Davies, 1985).

Task-Based Language Teaching emphasizes active student participation in activities aimed at achieving specific outcomes or completing tasks. It aims to develop students' language skills by providing tasks and using language as a means to solve them (Skehan, 1998). Furthermore, it enhances learning by motivating student engagement and leading to notable improvements in language performance. In task-supported teaching, tasks serve as instruments that teachers and learners utilize to meet particular language objectives. Teachers provide support through guidance, online assistance, and targeted feedback (Samuda and Bygate, 2008).

Within task-based language teaching, students assume a central role, enjoying considerable freedom and responsibility in negotiating course content, selecting linguistic forms from their own language repertoire, discussing various options for task performance, and evaluating task outcomes (Breen & Candlin, 1980). This approach amalgamates insights from communicative language teaching, departing from traditional methods that might have hindered learners' ability to communicate effectively. It introduces a genuine purpose for language use and creates a natural context for language study. Tasks are integral to task-based language teaching as they activate learning processes and facilitate second language acquisition within language classrooms. Consequently, in a task-based approach, the complexity of tasks influences the cognitive demands placed on learners (Robinson, 2001).

Title: "Exploring the Impact of English Language Proficiency on Academic Achievement and Task-Based Instruction in ESL Classrooms"

Objective of the study: The primary objective of this research is to investigate the significant role of English language proficiency in shaping academic success, particularly among ESL (English as a Second Language) undergraduate students. This study aims to:

1. Identify the correlation between English language proficiency and academic performance: Investigate how varying levels of English proficiency among ESL students influence their academic achievements across different educational domains.
3. Address the research gap in the Indian context: Identify and bridge the existing gap in understanding the effectiveness of TBI in ESL classrooms in India, specifically concerning English language proficiency differences among undergraduate students.
4. Provide insights for educators and policymakers: Offer valuable insights and recommendations for educators and policymakers to optimize language teaching methodologies, focusing on the improvement of English language proficiency among ESL undergraduate students through effective instructional approaches like TBI.
5. Contribute to the existing body of knowledge: Add to the current literature by providing empirical evidence regarding the relationship between English language proficiency, academic success, and the efficacy of TBI in ESL educational settings.

Conclusion: Through this research, a comprehensive understanding of the relationship between English language proficiency, academic achievement, and the effectiveness of TBI in ESL classrooms in India will be established. The

findings aim to contribute valuable insights for educational practitioners, policymakers, and researchers, ultimately enhancing language teaching methodologies and improving educational outcomes for ESL undergraduate students.

In conclusion, this research paper delves into the pivotal role of English language proficiency in the academic journey of graduate students in India. The significance of effective communication skills intertwined with English proficiency cannot be overstated, considering the language's widespread global acceptance and its indispensable role in various domains, especially in academia and professional spheres.

The literature review elucidates the robust correlation between English proficiency and academic success, as evidenced by numerous studies across different educational contexts globally. Students grappling with English language limitations often encounter hurdles in comprehending academic material and achieving their full potential across various subjects. The profound impact of language proficiency on academic performance underscores the urgency to explore innovative approaches to enhance language learning methodologies, particularly for graduate students in India.

Task-Based Language Teaching (TBLT) emerges as a beacon of promise within the pedagogical landscape, emphasizing meaningful communication through interactive tasks. The effectiveness of TBLT in fostering language acquisition, communication skills, and motivation among students has been substantiated by extensive research globally. However, the paucity of studies exploring the efficacy of TBLT in Indian ESL classrooms, particularly among undergraduate students, unveils a critical research gap that demands immediate attention.

The objectives of this research endeavor seek to address these gaps, aiming to identify the nuanced relationship between English language proficiency, academic achievement, and the effectiveness of TBLT within the Indian educational framework. By employing a mixed-methods approach encompassing both quantitative and qualitative methodologies, this study endeavors to shed light on the impact of English proficiency levels on students' academic success and the feasibility of implementing task-based language teaching strategies in ESL classrooms.

The comprehensive analysis and empirical evidence generated from this study aspire to contribute significantly to the existing body of knowledge, providing actionable insights for educators, policymakers, and stakeholders in the education sector. The findings hold the potential to revolutionize language teaching methodologies, facilitating the optimization of English language proficiency enhancement strategies tailored specifically for graduate students in India.

In essence, this research endeavors to not only bridge the existing gaps in understanding the relationship between language proficiency and academic success but also to advocate for the integration of task-based language teaching as a transformative pedagogical tool for empowering graduate students in India to excel in their academic pursuits and professional endeavors on the global stage.

Recommendations: Offer practical recommendations for curriculum designers, educators, and policymakers to implement task-based approaches effectively within diverse graduate programs.

Facilitate a deeper understanding of the interplay between language proficiency, academic achievement, and pedagogical methodologies, bridging gaps in current research.

Contribute to the global discourse on innovative language teaching methodologies by showcasing the applicability and adaptability of task-based strategies in diverse educational settings.

References:-

1. Adegboye, A. O. (1993). Proficiency in English language as a factor contributing to competency in Mathematics. Education today, 6 (2), 9-13.
2. Aina, J. K., Ogundele, A. G., & Olanipekun, S. S. (2013). Students' proficiency in English language relationship with academic performance in science and technical education. American Journal of Educational Research, 1 (9), 355-358.
3. Azeroual, D. (2013). Investigating the Reading Difficulties of Algerian EST Students with Regard to their General English Knowledge. Arab World English Journal, 4 (1).
4. Ellis, R.(2003) Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.
5. Ellis, R. (2009). Task based language teaching: Sorting out the misunderstandings. International journal of applied linguistics, 19(3), 221-246.
6. García-Vázquez, E., Vázquez, L. A., López, I. C., & Ward, W. (1997). Language proficiency and academic success: Relationships between proficiency in two languages and achievement among Mexican American students. Bilingual Research Journal, 21 (4), 395-408.
7. Ismaili, M. (2013, July). The effectiveness of the task-based learning in developing students' speaking skills in academic settings on the EFL classroom-A study conducted at South East European University (SEEU). Albania International Conference on Education.
8. Johnson, K. (2003). Designing language teaching tasks. Basingstoke: palgrave Macmillan.
9. Kamalian, B., Soleimani, H., & Safari, M. (2017). The Effect of Task-based Reading Activities on Vocabulary Learning and Retention of Iranian EFL Learners. Journal of Asia TEFL, 14 (1), 32.
10. Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. ELT journal, 58 (4),319-326.
11. Long, M. H., & Crookes, G. (1992). Three approaches

to task based syllabus design. TESOL quarterly, 26 (1), 27-56.

12. Martirosyan, N. M., Hwang, E., & Wanjohi, R. (2015). Impact of English proficiency on academic performance of international students. Journal of International Students, 5 (1), 60-71.
13. Munirah & Muhsin, M. A. (2015). Using Task-Based Approach in Improving the Students' Speaking Accuracy and Fluency. Journal of Education and Human Development, 4 (3), 181-190.
14. 14. Nguyen, H. B., & Nguyen, A. H. (2018). TASK-BASED VOCABULARY INSTRUCTION AT A VIETNAMESE HIGH SCHOOL: STUDENTS' PERCEPTIONS. European Journal of English Language Teaching.
15. Powers, S., Starr, L., & Williams, N. (2012). Connecting English Language Learning and Academic Performance: A Prediction Study. American Educational Research Association, Vancouver, British Columbia, Canada. 1-17.
16. Abdullayeva, Mavluda. "NEW METHODOLOGIES IN TEACHINGENGLISH LANGUAGE IN MODERN LIFE." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, vol. 12, 2022. ISSN: 2249-7137.
17. Ali, Fuad Selvi, and Bedrettin Yazan. Teaching English as an International Language. TESOL Press, 2013.
18. Björkman, Beyza. English as an Academic Lingua Franca: An Investigation of Form and Communicative Effectiveness. De Gruyter Mouton, 2013. Accessed 29 May 2023.
19. CRUZ, NORA. "IMPROVING THE ORAL COMMUNICATION SKILLS OF SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH THE USE OF TASK-BASED STRATEGY." Munich, GRIN Verlag.
20. Jacobson, Susan Kay. Communication Skills for Conservation Professionals. Island Press, 2009.
21. Michael, Lessard-Clouston,. Second Language Acquisition Applied to English Language. TESOL Press,, 2017.
22. Murthy, N.S.R. "The History of English Education in India: A Brief Study." Journal for research scholars and professionals of English language teaching, vol. 2, no. 10, 2018.
23. Pandey, Meenu, and Prabhat Kumar Pandey. "Better English for Better Employment Opportunities." International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 2014.
24. Selvi, Ali Fuad. Teaching English as an International Language. TESOL Press, 2013. Accessed 28 May 2023.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं मनरेगा का योगदान

सरोज रजक* डॉ. अंजनी कुमार पाण्डेय**

* पीएच.डी.शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी देश के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग, जाति समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास की इस अवधारणा में हम महिलाओं की सहभागिता को नजर अंदाज नहीं कर सकते है, इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सहभागिता ने पूरे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन विश्व के गिने-चुने विकसित देशों को छोड़ दें, तो बाकी बचे देशों में महिलाओं की भूमिका पुरूषों से भी कम है। महिलाओं को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एवं पुरातनवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये जाएँ। महिलाओं के लिए इस प्रयास को महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत रखा गया।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में महिलाओं को 45% आरक्षण दिया गया है, मनरेगा में महिलाओं का 8% योगदान बढ़ा तथा 2021-22 में 37% को रोजगार प्रदान किया गया।

शब्द कुंजी – मनरेगा महिला भागीदारी निर्धनता सामाजिक सदस्यों ग्रामीण विकास सहभागिता समावेशी विकास आजीविका, निर्भरता, जागरूकता, स्वावलम्बी आदि।

मनरेगा का संक्षिप्त परिचय – मनरेगा ग्रामीण अकुशल श्रमिको के लिए रोजगार सुनिश्चित् करने के लिए भारत सरकार ने यह अधिनियम पारित किया। आंध्रप्रदेश के अंतर्गत अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया। 2 अक्टूवर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। गांधी जी जयंती पर गारंटी योजना का नाम कर दिया तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका नवीन नामकरण किया। यह ऐसी योजना है जिसमें न केवल ग्रामीण गरीबों एवं मजदूरी पर आश्रित व्यक्तियों को सम्बल प्रदान किया है, बल्कि वैश्विक मंदी के इस दौरान में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है, मनरेगा प्रारंभिक चरणो में 200जिले में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 में इसका 130 जिलो में विस्तार किया गया 5 वर्षो के मुख्य लक्ष्य से पहले तीन वर्ष के भीतर 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 593 जिलो में लागू कर दिया गया। यह योजना कई अर्थों में दूसरी सरकारी योजनाओं से अलग है। यह एक कानूनी व्यवस्था का अधिकार है जिसके अंतर्गत हर मांगने वाले को रोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व है। अत: यह योजना स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। रोजगार प्रदान करया है। यह भारत की सबसे सफल योजना मानी-जाती है। यह अधिनियम ग्रामीण बेरोजगारों को न केवल रोजगार गारंटी देता है, अपितु वेतन के निर्धारण और भुगतान की कार्यवाही को भी विविध स्वरूप प्रदान करता है।

मनरेगा अधिनियम की मुख्य विशेषताऐं :

1. ग्रामीणी परिवार का कोई भी सदस्य यदि अकुशल श्रम के तहत् कार्य करने को इच्छुक है तो वह आवेदन कर सकता है।
2. ग्रामीण वासियों को स्थानीय ग्राम पंचात में लिखित या मौखिक रूप से रजिस्ट्रेशन-आवेदन करवाना पड़ता है।
3. जाँच पड़ताल के पश्चात् ग्राम पंचायत इच्छुक सभी सदस्यों का फोटो युक्त जाँब कार्ड जारी करता है।
4. रोजगार के लिए आवेदन के बाद 15 दिनों के अंदर उसे काम दे दिया जाता है।
5. इस योजना के तहत् कम से कम 1/3 भाग महिलाओं को काम दिये जाने की व्यवस्थाहै।
6. कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के 6वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।
7. घर से 5 किलोमीटर के आस-पास के क्षेत्रों में ही रोजगार दिया जाता है।
8. मजदूरी कम से कम 208 रू. प्रतिदिन हो सकती है, जिसका भुगतान बैंक खातों के जरिए होता है।
9. योजना को बनाने एवं लागू करने में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

यह एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जिसमें काम मांगने का अधिकार बेरोजगारी भत्ता, ग्रामवासियों द्वारा कार्यो का चयन, महिलाओं को प्राथमिकता, ठेकेदारो पर प्रतिबंध, पंचायतो की नियमित भूमिका, श्रमिको के लिए कार्य स्थल पर सुविधाएँ अधिकारी के प्रति जागरूकता, आदि शामिल है।

मनरेगा में महिला भगेदारी – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित योजना है, जो प्रत्येक वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। जो ग्रामीणों की आजीविका में सुरक्षा की वृद्धि प्रदान करे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची 11 के पैरा 15 के अनुसार महिलाओं को प्राथमिकता

दी जाएगी। कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाओ के लिए काम के लिए अनुरोध किया गया है। एकल महिलाओं एवं दिव्यांगो की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किये जायेगें। महात्मा गांधी एक मनरेगा एक लिंग सकारात्मक कार्यक्रम है जो महिलाओं को भी बढ़ावा देता है।'दीनदयाल अंत्योदय' योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम मिशन के संबंध में महिला साथियों को भी पेश किया गया है जो फिर से महिलाओं की भागेदारी की सुविधा बनाता है। यह योजना लाभार्थियों के निवास के निकट कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास है।

ऐसी व्यवस्था रखने का एक मात्र उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, उनका मनोबल ऊँचा उठाना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हैं। महिलाएँ जैसे ही आत्मनिर्भर हो जाती है,पुरूषो पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है, और वे स्वयं को सशक्त महसूस करती हैं। समाज में उनका सम्मान एवं उनकी नजरो में स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। मनरेगा जैसी योजनाएँ न केवल देश से बेरोजगारी हटाने का कार्य कर रही है,ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर उनके अंदर सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ावा दे रही है।

महिलाओं की उच्च भागीदारी मनरेगा की प्रमुख प्राथमिकता है। भारत देश भर में योजना के तहत् कुल श्रम दिवसों का 48प्रतिशत काम महिलाओं ने किया जो कि शिक्षा निर्देश के 33 प्रतिशत से काफी अधिक है। महिलाओं की भागीदारी सम्पूर्ण भारत देश में यह दर्शाता है कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं के तहत् सबसे अधिक है। मनरेगा में महिलाओं को सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया क्योंकि मनरेगा रोजगार ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है तथा महिलाओं को बाहर नही जाना पड़ा है।

मनरेगा महिला भागेदारी की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2006-07 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस लगभग 40.64 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2008-09 में यह बढ़कर 47.87 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 48.91 प्रतिशत बढ़ा है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह बढ़कर 47.73 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 49.33 प्रतिशत हो गया वित्तीय वर्ष 2012-13 में 51.50 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 52.82 प्रतिशत रहा है वित्तीय वर्ष 2014-15 महिला मानेदारी 54.88 प्रतिशत रहा।वित्तीय वर्ष 2015-16में 55.26 प्रतिशत रहा है। वर्ष-2018-19 में 54.59 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में 54.78 प्रतिशत तथा 2020-21 में 53.19 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 54.64 प्रतिशत रहा।

तालिका 1 - (अगले पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष - इस प्रकार मनरेगा योजना द्वारा महिलाएं जागरूक हो रही है एवं कही न कही पुरूषों के साथ बराबरी का अहसास उनके अन्दर जन्म ले रहा है। महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ आत्म सम्मान के प्रति सचेत हो रही है और स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के भविष्य के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, शिक्षा के महत्व को पहचान रही है और नारी शक्ति को जान रही है। मनरेगा के माध्यम से महिलाएं यदि अकेली है तो भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो रही है। मनरेगा द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने से वे परिवार में निर्णय ले रही है एवं परिवार के अनेक समस्याओं जैसे छोटे-मोटे ऋण चुकाना, स्वास्थ्य, बच्चो की शिक्षा, भोजन और उपयोग आदि से निज़ात लिा रही है। कुल मिलाकर सम्पूर्ण भारत में सशक्तिकरण की एक लहर सी दौड़ गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो के आकार, प्रकार एवं सोच आदि में भी परिवर्तन आया। मनरेगा द्वारा पूरे देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास हो रहाहै और देश बेरो जगारी के अभिशाप से धीरे-धीरे मुक्त हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महात्मा गांधी मनरेगा समीक्षा 2019-20 के 15 पैराग्राफ विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2015-16 आई.डी.एफ. सी रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली।
3. दैनिक भास्कर
4. कुरूक्षेत्र वर्ष 2015
5. रोजगार पत्रिका पेज नं0-10, 2018
6. मनरेगा से संबंधित पुस्तिका पंचायत राज विभाग मध्यप्रदेश
7. हिन्दूस्तान टाइम्स, पत्रिका।

तालिका 1 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु विविध कार्यक्रम

क्र.	योजना/कार्यक्रम	शुभारंभ	लक्ष्य	उद्देश्य
1.	इंदिरा महिला योजना	1994–96	समाजिक सहायता	महिलाओं को आत्मनिर्भर समुचित शिक्षा एवं संचार की मानसिकता को बदना
2.	ग्रामीण महिला विकास	1996–98	महिला सशक्तिकरण	महिलाओ के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन, निर्णय में उनकी भागेदारी जागरूकता बनाना
3.	बालिका सवृद्धि योजना	1997–98	मृत्यु व शिशु कल्याण	समाज में परिवारो की लड़कियों को उचित स्थान दिलाना।
4.	महिला समृद्धि योजना	1997–98	महिला साक्षरता	महिला साक्षरता वाले जिले में बालिकाओ के लिए विद्यालय में साक्षरता दर वृद्धि कर
5.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोगजार योजना (SGSY)	1999–2000	स्वरोजगार विकास	ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन, शिक्षा एवं स्वच्छता जागरूकता
6.	महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2006	रोजगार सृजन	ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध कराना
7.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरणयानी 'सबला'	2010	किशोरिया का सशक्तिकरण	किशोरियों को घर ले जाने के लिए राशन उपलब्ध करना
8.	जनकी सुरक्षा योजना	2011	एम.एम.दर. को काम करना	गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात व बच्चो का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना
9.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	2011	नवाजात शिशु की सुरक्षा	प्रसव प्रक्रिया कुशल पारिचारिकाओं की देखरेख में सम्पन्न कराना।
10.	स्वस्च्छ भारत अभियान	2014	स्वस्च्छता	स्वास्च्छता एवं खुले में शैच मुक्त भारत एवं शौचालय बनवाना
11.	प्रधानमंत्री जनधन योजना	2014	मेरा खाता भाग्य विधाता	वित्तीय सेवाओ को सभी तक पहुंचाना
12.	डिजिटल इंडिया	2014	जागरूकता	डिजिटल सक्षारता को बढ़ावा देना
13.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	2014	घरेलू LPG कनेक्शन	गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारो को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना
14.	स्वस्च्छ भारत अभियान	2016	स्वच्छता	
15.	प्रधानमंत्री आवास योजना	2015	झुग्गी झोपड़ी से पक्के घर	स्वयं का बेहतर आवास उपलब्ध कराना
16.	कौशल विकास योजना		देश के इंड स्ट्रियल ट्रेनिंग	कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार काम देना
17.	लाड़ली बहना योजना	2023	21 वर्ष से अधिक की महिलायें	आर्थिक रूप से मजबूत बनाना

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

National Security Dynamics and the Urban Naxalism : A Strategic Analysis

Arun Kumar Sharma* Dr. Vishnu Kant Sharma Dr. Shailendra Kumar Mishra*****

*Research Scholar (Military Science) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA
** Professor & Head (Military Science) Govt. M.L.B. College of Excellence, Gwalior (M.P.) INDIA
*** Department of Military Science, Govt. M.L.B.College of Excellence, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - The 'Urban Naxalism', which forms the integral part of the strategy pursued by the Naxalite Insurgency in India, has currently become the most noticeable phenomenon to all those concerned with the internal security management of the Indian nation. Repeated reiterations about Urban Naxalism made in the addresses of the Prime Minister of India at several occasions are vindication of how much this new face of Maoist menace has grown into a formidable threat to the existence and functioning of the persistent constitutional political machinery of India. In fact, this Urban Naxalism stand for all strategic preparations of the Maoist Insurgency to execute its Urban Perspective Plan Document, which the Central Committee of the CPI (Maoist) had adopted in September 2007, with the strategic objective to capture the cities of India during the final phase of its so called People's Revolution. This paper is a humble attempt to analyse the documentary perspective of the Urban Naxalism and its practical implications dangerously eroding the country's kernel and capability from within.

Key Words: Urban Perspective Plan, Special Social Groups, Urban Classes, Semi Proletariat, Urban Masses, Advance Sections, United Fronts, Hindu Fascism, Revolutionary Mass Organisations, New Democratic Revolution.

Introduction - The Naxalite insurgency in India, which sparked from Naxalbari in West Bengal in May 1967, has become inferno in its third surge after the formation of the CPI (Maoist) in September 2004. It has seriously worried all the stakeholders concerning the nation's security by stamping its terrific persistence with spiraling expansion lasting over more than half a century unlike all other Indian insurgencies which were either suppressed or decisively contained. As much effort have been exercised to eliminate this menace by the state power, so much it has raised its fatal hood with its each continual surge demonstrating more deadlier face than its preceding ones. The first surge, led by Charu Majumadar under the banner of CPI(ML), lasted till 1977; the second surge broke out with the formation of the CPI(ML)PW in 1980 under the leadership of Kondapalli Seetharamaiah and Mupalla Laxman Rao Alias Ganapathy ; and the third surge floated with the formation of the CPI(Maoist) in September 2004 as a result of merger between the CPI(ML)PW and MCCI leading to the tidal rise of the Naxalite insurgency typically shaped into the framework of the Maoist ideology and strategy. Very similar to the recent outbreak of 'Corona Pandemic' , the Naxalite insurgency , initially starting as a local violent peasant movement on land issue from Naxalbari under the banner of Krishak Shabha, a radical organisation of the CPI(M), has erupted as the most tremendous challenge to the constitutional sustenance of the very nation by critically affecting at least sixteen states of the country and has seriously eroded the nation's vitality by dangerously infesting the areas suffering from the lack of immunity power of development due to systemic neglect and negligence. Registering its sustained success through its strategic variant of guerrilla armed battle in rural epicenters, it is rapidly targeting the cities through its variant of Urban Perspective Plan which has been noticed by the political system as the Urban Naxalism. The Naxalite insurgency has openly proclaimed its armed war against the Indian state and the Urban Naxalism stands for those strategic activities which the Naxalite Insurgency has undertaken to work in the urban areas of India for the success of their so called protracted armed people's war.

Documentary Concept of the Urban Naxalism: The Urban Perspective plan of the CPI (Maoist), drafted in September 2007, presented a vast strategic roadmap of how the Naxalite insurgency would work in the cities for the success of their proclaimed Peoples Democratic Revolution in India. This Urban Naxalism, which is the integral strategic part of the Naxalite's war against the Indian state, owes to Mao-T-se Tung's statement for its ideational genesis that "the final objective of the revolution is the capture of the cities, the enemy's main bases, and this objective cannot be achieved without adequate work in the

cities."[1] The necessity of the urban task as an integral strategy for the success of the peoples revolution in India was recommended to the Naxalite rebels at first by the People's Daily, the mouthpiece of the Chinese Communist Party, in its editorial under the headline- 'The Spring Thunder over India' published on July 1967. Furnishing a broad roadmap the editorial insisted that the final victory would need the seizure of towns and cities by establishing the base areas in the countryside through expansion in the series of waves, in the protracted armed struggle, and using the country side to encircle and finally capture the cities.[2] This roadmap became the strategic foundation for the Naxalite Insurgency and entire Naxalite leadership follows it intactly.

In December 2006, the Central Committee of the CPI (Maoist), formed its 'Urban Sub-Committee' and authorized Kobad Ghandy alias Rajan, the ideologue and the Politburo member, for the preparation of the 'Urban Perspective Plan' by September 2007.[3] This Urban Perspective Plan which is generally known as the Urban Naxalism is the integral part of the strategic steps of the Naxalite insurgency as to bring progress in its so called people's war by making it be capable enough to be fought at final stage through full scale positional warfare leading to the capture of state power.

Actually, the Naxalites whole Urban Perspective Plan has been prepared after a careful study of the class structure of the Urban Indian Society with 'long term strategic approach' to gain control over the working class movement and use it appropriately at a later stage when their so called New Democratic Revolution advances and furthers"[4]. On the other hand, the immediate and short term objective of this Urban Perspective Plan is " to gain control over key strategic industries with a view to inflicting damage on the state's capacity to fight the Maoist's, either through organizing sabotage activities or bringing production to a halt" and "the industries they plan to penetrate include communication, oil and natural gas, coal, transport, power, defense production, etc."[5].

The strategic objectives of the Urban Naxalism: The entire Urban Perspective Plan, undertaken by the Naxalite insurgency, has set certain strategic objectives which have to be completed through Naxalite Urban activities as to intensify the protracted war against the India's state power. These strategic objectives mainly include –

(A) Politicization of the urban masses into revolutionary spirit: After the formation of the CPI (Maoist) in September 2004, the Urban Naxalism was taken on priority by the Party. The CPI (Maoist) clearly defined the pattern of its functioning in the urban areas adopting the Maoist principle as the principal guideline that "the party organisation should be secret, the more secret the better, whereas, a mass organisation should be open, the wider, the better"[6]. Abiding this guideline, the CPI (Maoist) has undertaken the mobilization and organisation of the urban classes as its main task. Under the plan of Urban Naxalism, the CPI (Maoist) has mainly concentrated itself to mobilize and organize the 'urban working classes' under the revolutionary fold of the Party's activities. However it has equally focused on the 'semi proletariat classes', which include students, middle class employees and intellectuals, and the 'special social groups' , which include women, Dalits and religious minorities, to mobilize and organize them as to politicize the urban masses into revolutionary spirit and get these 'advance sections' consolidated into the Party[7]. For the accomplishment of these strategic objectives, the CPI (Maoist), under its Urban Perspective Plan, is running atleast three types of mass organisations in the urban areas of the country.

(I) Secret Revolutionary mass organisations: These organizations remain strictly underground, secretly organize the masses into struggles and directly serve as the base for recruitment for the Party and the People's war. These organizations are built around a clear-cut and explicit revolutionary programme, function clandestinely and conduct secret propaganda. 'Sikasa' is an example for the category of mass organizations which serve as 'vehicle of revolutionary Party propaganda in the urban areas[8].

(II) Open and semi-open revolutionary mass organizations : These organizations openly propagate the politics of so called new Democratic Revolution and carry out Revolutionary propaganda and agitation and try to mobilize urban masses under their banner of anti –imperialist or anti- fascist or anti-feudal forces by making use of the available legal opportunities Such open revolutionary mass organizations rapidly flourished during to the post-emergency period subsequent to 1977 and had become the revolutionary banner of mass mobilizations touching their peak in the 'open' periods upto 1986 and during 1991 in Andhra Pradesh and Bihar. Though the scope of these open mass organizations has drastically reduced, because they have been forced to go underground, these organizations are alert fully active in urban areas by exposing only a small section of their forces and taking the precautions that majority of Party cadre remain hidden from enemy surveillance. The Maoist strategy is to make the 'best use' of the 'short' period of legal opportunities for legal revolutionary organizations for long term gains.[9]

(III) Open legal mass organizations which are not directly linked to the Party: This type of urban organizations, flourishing in the Naxalite domain, can be sub divided into three broad categories:

(a) Fractional work organizations.

(b) Party formed cover organizations; and

(c) Legal democratic organizations.

(a) When an open revolutionary mass organisation is forced to go underground, its unexposed portion of the forces, as a strategic move, shift to work in the type of organizations which function as cover organizations, fractional work organizations and legal democratic

organizations[10].

The Urban Naxalism is active in various types of urban organizations through 'fractional works' and by mobilizing the masses for their sectional interests it attempts to draw them towards the revolution. It has selected various trade unions, slum and other locality based organizations, youth organizations, unemployed organizations, students associations and unions, women's organizations, self-help organizations, workers co-operatives, welfare organizations, minorities' bodies, cultural organizations, sports clubs, gymnasiums, libraries and Bhajan mandals as sphere of its factional activities. It is the strategy of the CPI (Maoist) to push Party Members (PMs) if necessary, to be in leading parts of the organizations as to influence and guide the decisions of the organization. Creating artificial banners like 'angry workers', 'concerned slum dwellers', etc and using word-of-mouth propaganda mainly in smaller urban areas possessing a single factory or slum are the tactical steps[11].

The main strategic objective of the fractional work activities is to ensure that the masses are drawn away from the influence of the leadership which the Maoists have stamped as reactionaries and reformists. While performing the fractional task the activists keep alert to make the fullest use of the legal opportunities without crossing the boundaries of the social customs and habits and ensuring that their speed and actions suit the normal functioning of the activities and masses in particular area[12].

(b) In urban areas the Indian Maoists have also spread their 'Party formed cover mass organizations' which function without disclosing their link with the Party. These cover mass organizations range from trade union type struggle organizations to welfare type organizations to issue based organizations. Their method of mass work too is not very different from the areas of fractional work. But these cover organizations alert fully function without exposure while working within the 'reactionary' and 'reformist' organizations. These cover organizations for example, function under "socially acceptable" limits of military for that area." They would not resort to firearms or annihilations and keep limited to the use of knives and swords if in the area of activity has not been any history of such actions.[13] The Bhima – Koregaon violence incident (Jan 2018), in which five alleged 'Urban Naxals' which comprised intellectuals, human right activists apart from Maoist cadres, were arrested by the Maharashtra Police in August 2018, can be cited as a recent example to cover mass organisational activity of the Naxalites.[14]

(c) Since the open revolutionary mass organizations easily become the target of the state repression, the Naxalites have given strategic focus on building up strong and broad legal democratic movement in the urban areas. The range of these legal democratic organizations are very wide ranging from the alliances formed against repression, globalization and Fascist Hindutva to all encompassing political bodies formed with the banners of anti- capitalism or people's struggle. These organizations have multiple faces and variety of levels. With the face of sectional interest they function in the forms of trade unions, student bodies, women's front, caste abolition organizations, writers' associations, lawyers' association, teachers' associations etc and with issue oriented face they crop up on particular issues like contract labour system, unemployment, caste atrocities, imperialist culture, saffronisation of education etc[15]. The levels of these organizations vary from town/city level to all India level and even at international level. The arrestation of G.N Saibaba, a professor of Delhi University, by Maharashtra police in May 2014 made a clear proof of the Naxalites network in the academic institutions of the country.

By undertaking any one of the issues like eviction of hawkers, demolition of slums, suppression of student rights, funds for teachers' salaries etc. these legal democratic organizations keep themselves instrumental in urban areas as to unite the urban exploited classes on one hand and to establish solidarity between the proletariats and the semi-proletariats on the other. To bring both 'white collar' and 'blue-collar' sections united into one union is one of the major strategic objectives of the Urban Perspective Plan of the Naxalites[16]. Therefore the issues like reduction of salaries and numbers of employees, privatization of various public sector enterprises, forced VRS schemes have been used as better opportunity by the legal democratic organizations to push for the joint trade union bodies of the employees unions and organize them into joint programmes and mutual solidarity during times of repression and struggle. Since 2007 the Naxalite insurgency has been moving ahead steadily with its Urban Perspective Plan which is a very vast documentation in clearly explaining each strategic steps to be taken in the 'Urban India'.

(B) To build the United Front of the urban masses : These United Fronts, intended to fight against globalization, Hindu fascism and state's repression, would be formed by unifying the urban working class, building worker-peasant solidarity and alliance and uniting them with other classes in the cities. Under the Naxalite strategy, the building of the United Fronts has been identified as very important task of the Party in the city[17].

(C) To perform military task: Military objective is important aspect of the Naxalite's Urban Perspective Plan. Urban activities have to furnish complementary services to the Naxalite armed struggle which is mainly conducted in the countryside by PLGA and PLA. These urban military activities involve the sending of cadre to the countryside, infiltration of enemy ranks, organizing sabotage actions in key industries of India in coordination with the rural armed struggle and furnishing logistical support to the PLGA/PLA. The Maoist have formed a 'Golden Corridor Committee' as to penetrate into the major industries of the country which include Pune, Mumbai, Nasik, Surat, Vadodara, and

Ahmedabad and thereby acquire the power to chock them in event of the states confrontation with them.[18]

From the military point of view infiltration into enemy organizations is one of the major objectives of Naxalites Urban Plan Perspective. The CPI (Maoist) has prepared definite plan for the entry of the Naxalite cadres into the police, paramilitary and military forces and have established secret network to follow up contacts of those already within these forces. Apart from making careful study of cantonment towns, ordnance factory areas, it has planned to conduct regular propaganda regarding the problems of the ordinary constables and soldiers and pick up the burning issues concerning them and arouse them to agitation. Causing constant erosion to the state forces from within is the major strategic objective of the Naxalites' Urban plan including the CPI (Maoist)'s "appeal to the jawans of the Central forces, particularly the Naga and Mizo battalions, to disobey the orders of the rulers and to withdraw from Chattisgarh"[19]

(D) Focus on dynamic pattern of functioning: Though the Naxalites' urban work is principally operative under the guiding principles of natural covers, functioning strictly through lawyers, cover organization methods and techniques of communication, but at the same time they are highly alert to be dynamic and creative in their methods and approach noticing that the state is constantly studying and developing new methods against them. Naxalites Urban Perspective Plan clearly states regarding its strategic dynamism:

"Our tech mechanism, while standing on certain basic concepts and principles, should always advance and improve, thus always proving to be one step ahead of the political police."[20]

Conclusion: Steadily executing its 'Urban Perspective Plan', the CPI(Maoist) has been continuously spreading its roots in the urban regions of the country since 2007.This Urban Naxalism is the result of the strategic dynamism which the Indian Maoists have stamped on highest priority evading the sight of the stakeholders responsible for the security of the nation. As a consequence, it has emerged out with alarming face adding a new worry to the State's a new worry to the State's authority. Arising out as an integral part of the Protracted People's War, which the Indian Maoist have waged against the state power of India, the Urban Naxalism is an awful reality and the slightest neglect of it would amount to the direct erosion of the persistent constitutional setup of the nation. India's security arrangements, while dealing with the 'Left Wing Extremism' must always keep in mind this fact that the 'Urban Naxalism' has been designed with such dynamic strategy that it functions with high mutational capability through its innumerable continuously variable variants. It targets to penetrate into the social, political, intellectual, financial and defensive structure of the urban India as to get them ready to join the Maoist military forces while fighting the final battle against the Indian State power and to ensure its victory. The present political leadership of India has genuinely identified the Urban Naxalism as the greatest menace and has proceeded to curb it out on priority.

References:-

1. Tung, Mao t-se, selected works ,Vol- II, p.317
2. Paul, Bappaditya, The First Naxal, Sage Publications, New Delhi, 2015, pp.106-110.
3. Ramana, P.V., Understanding Indian Maoist, selected documents, IDSA, New Delhi, Pentagon Press, 2014.
4. Ibid, p.161
5. Ibid, p.161
6. Ibid, p.175
7. Ibid. pp. 170-175
8. Ibid. p.177
9. Ibid. p.178
10. Ibid. p.177
11. Ibid. p.180
12. Ibid. p. 181
13. Ibid. p. 182
14. India Today News, August 29, 2018.
15. Ramana, P.V., op.cit.03, p.182
16. Ibid. p.200
17. Ibid. p.175
18. Singh, Prakash, The Naxalite Movement In India, Rupa Publication, New Delhi, 2017, p.154
19. Ganapathy Interview published in P.V Ramana book understanding Indian Maoists, selected Documents, IDSA, New Delhi,2014, p.261
20. Ramana, P.V., op.cit.03, p.224.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Phytochemical Composition of Turmeric (*Curcuma Longa*): An in-Depth Analysis of its Bioactive Compounds and Potential Health Benefits

Dr. Ragini Sikarwar*

***HOD (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - This in-depth analysis examines the phytochemical makeup of turmeric (*Curcuma longa*), examining the wide range of bioactive substances it contains and revealing any possible health advantages. Important components including turmerones, curcuminoids, and essential oils are identified and characterized, and their chemical structures and biological activities are clarified. The article provides a sophisticated knowledge of the role that turmeric plays in supporting human health by synthesizing recent study findings.

The review highlights the potential therapeutic benefits of turmeric's bioactive components against a range of ailments by highlighting its anti-inflammatory, anti-cancer, and antioxidant characteristics.The article also explores the effects of turmeric on cardiovascular health, neurological diseases, and metabolic disorders, illuminating the spice's complex roles in general well-being. Preclinical and clinical research are included to deepen the conversation and provide information about the effectiveness of turmeric in various health scenarios.
Keywords: Turmeric, *Curcuma longa*, phytochemicals, bioactive compounds, health benefits, and therapeutic potential.

Introduction - *Curcuma longa*, the scientific name for turmeric, is a flowering plant that is a member of the Zingiberaceae family of gingers. Originating from the Indian subcontinent, it has been farmed for countless years and is well-known for its medicinal, culinary, and cultural uses (Ramkumar et al.,2021; Chaudhary et al.,2022). Curcumin is the main bioactive ingredient that gives turmeric its striking yellow color and a host of health advantages.

Overview of Turmeric (*Curcuma longa*):

1. Botanical Description:

I. Turmeric is a perennial herbaceous plant with a rhizomatous root system.

II. The plant reaches a height of around 1 to 1.5 meters and features large, oblong leaves and funnel-shaped, yellow flowers (Naikodi et al.,2023).

2. Culinary Uses:

I. Turmeric is a staple in many South Asian cuisines, imparting a warm, bitter taste and a distinct yellow color to dishes (Bhutia et al.,2017).

II. It is a key ingredient in curry powders, giving them both flavor and color.

3. Traditional Medicine:

I. In traditional Ayurvedic and Chinese medicine, turmeric has been used for its medicinal properties for centuries.

II. It is believed to have anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial properties (Kumar et al.,2020).

4. Cultural Significance:

I. Turmeric holds cultural importance in religious ceremonies and rituals in various South Asian cultures.

II. In some cultures, it is used as a dye for fabrics and as a cosmetic for skincare.

Significance of Phytochemical Composition:

1. Curcumin - The Key Compound (Staniæ et al.,2017):

I. Curcumin is the primary bioactive compound found in turmeric, responsible for its medicinal properties.

II. It is a polyphenol with potent antioxidant and anti-inflammatory effects.

2. Antioxidant Properties:

I. Curcumin neutralizes free radicals, which are highly reactive molecules that can damage cells and contribute to aging and various diseases.

II. The antioxidant activity of curcumin may help protect cells from oxidative stress.

3. Anti-Inflammatory Effects:

I. Chronic inflammation is linked to numerous diseases, including cancer and heart disease.

II. Curcumin has been shown to inhibit inflammatory pathways, potentially reducing the risk of chronic inflammatory conditions.

4. Other Bioactive Compounds:

I. Besides curcumin, turmeric contains other bioactive

compounds such as turmerones, gingerols, and zingiberene, each contributing to its overall health benefits.

II. These compounds may have additional anti-inflammatory, anticancer, and neuroprotective effects.

5. Potential Health Benefits:

I. Studies suggest that turmeric's phytochemical composition may have therapeutic effects in conditions like arthritis, digestive disorders, and neurodegenerative diseases.

II. Ongoing research explores its potential in cancer prevention and treatment.

Curcuminoids: Nature's Potent Antioxidants : Curcumin is the most abundant of a collection of polyphenolic chemicals called curcuminoids, which are identified structurally (Núñez et al.,2020 ; Sun et al.,2023). Demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin are two more curcuminoids. Curcuminoids are responsible for turmeric's characteristic yellow hue. Curcuminoids are structurally made up of two aromatic rings joined by a carbon chain that has hydroxy and methoxy substituents.

Antioxidant Properties and Mechanisms:

1. *Free Radical Scavenging:* Curcuminoids exhibit potent antioxidant activity by scavenging free radicals, thereby preventing oxidative damage to cellular structures.

2. *Modulation of Enzymes:* They can enhance the activity of antioxidant enzymes, such as superoxide dismutase and catalase, further contributing to cellular defense mechanisms.

3. *Metal Chelation:* Curcuminoids can chelate metal ions, reducing the generation of reactive oxygen species (ROS) associated with metal-catalyzed oxidation.

Implications for Health and Disease:

1. *Cellular Protection:* The antioxidant properties of curcuminoids play a crucial role in protecting cells from oxidative stress, which is implicated in aging and various diseases.

2. *Inflammatory Conditions:* By reducing oxidative stress, curcuminoids may mitigate inflammation, contributing to their potential in managing inflammatory diseases.

3. *Neuroprotection:* Studies suggest a neuroprotective role, with curcuminoids exhibiting potential in conditions like Alzheimer's disease, where oxidative stress plays a role in disease progression.

Table 1 (see in last page)

Turmerones And Essential Oils: Unveiling Turmeric's Aromatic Arsenal

Composition and Variability:

1. *Turmerones:*Ar-, α-, β-, and γ-turmerones are among the aromatic chemicals found in turmeric that are referred to as turmerones.

2. *Essential Oils:*The essential oils in turmeric contribute to its aroma and flavor, with variations in composition influenced by factors like geographical location and cultivation conditions.

Biological Activities Beyond Flavor:

1. *Anti-Inflammatory Effects:Anticancer Potential:* Research suggests that turmerones may possess anticancer properties, inhibiting the growth of cancer cells and inducing apoptosis.

2. *Neuroprotective Effects:* Some turmerones show neuroprotective effects, offering potential benefits in neurodegenerative disorders.

Synergies with Curcuminoids:

1. *Enhanced Bioavailability:* Turmerones may enhance the bioavailability of curcuminoids, potentially improving their absorption and efficacy.

2. *Comprehensive Health Benefits:* The combination of curcuminoids and turmerones may provide a more comprehensive range of health benefits, including antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer effects.

Bioactive Compounds In Turmeric: A Comprehensive Analysis: *Curcuma longa*, or turmeric, has long been known for its therapeutic benefits. Its extensive range of bioactive chemicals is largely responsible for this. Turmeric has several different health advantages, some of which are attributed to a complex blend of various phytochemicals, of which curcumin is the most well-known and studied (Ajanaku et al.,2022; de Oliveira Filho et al.,2021).

Curcuminoids: Investigating Less Known Constituents Beyond Curcumin The main curcuminoid present in turmeric is curcumin, a polyphenolic molecule. Other curcuminoids, such demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin, on the other hand, display special biological properties. Turmeric's overall anti-inflammatory and antioxidant properties are facilitated by these chemicals.

Turmerones: The essential oils present in turmeric have been shown to have neuroprotective and anti-inflammatory qualities. Specifically, ar-turmerone has demonstrated promise in promoting brain health and may find use in neurodegenerative illnesses.

Polysaccharides: A variety of immunomodulatory polysaccharides are found in turmeric. Turmeric provides support to the immune system overall, and these chemicals can affect immune cell activation.

Figure 1 (see in last page)

Synergies and Interactions in Phytochemistry: The several bioactive components of turmeric work in concert to enhance the spice's overall therapeutic value. Studies suggest that these compounds may work together to control a variety of signaling pathways associated with oxidative stress, inflammation, and the development of cancer.

Resulting Bioavailability Issues: Turmeric's relatively low bioavailability is a problem, mostly because of poor absorption and fast metabolism (Abd El Hack et al.,2021). It has been demonstrated that piperine, a substance present in black pepper, increases curcumin's bioavailability by preventing its metabolism. Turmeric's therapeutic efficacy can be increased by utilizing standardized formulations with improved absorption or by combining it with black pepper.

Health Benefits Of Turmeric: From Inflammation To Cancer (Hay et al.,2019; Chamani et al.,2023)

Anti-Inflammatory Properties and Mechanisms: Turmeric's anti-inflammatory effects are well-documented and attributed to the inhibition of pro-inflammatory signaling pathways, such as NF-kB and COX-2. By modulating these pathways, turmeric helps alleviate chronic inflammation, a key factor in the development of various chronic diseases, including cardiovascular diseases and arthritis.

Anticancer Potential and Molecular Targets: Turmeric and its bioactive components may have strong anticancer effects, according to research. Particularly, curcumin has been researched for its capacity to alter several molecular targets connected to the growth of cancer, such as angiogenesis, cell cycle regulation, and apoptosis. Research on turmeric's potential for treating and preventing cancer is still ongoing.

Clinical Perspectives and Fact-Based Conclusions: Although a plethora of preclinical research indicates the promise of turmeric in a range of health issues, strong evidence is needed to translate these findings into clinical practice. Studies in humans are being conducted to investigate the potential medicinal uses of turmeric for disorders like cancer, inflammatory bowel syndrome, and osteoarthritis. Although initial findings are encouraging, more investigation is required to determine the ideal dosages and treatment plans. In conclusion, turmeric's health benefits extend beyond curcumin, encompassing a diverse array of bioactive compounds. The interactions and synergies among these constituents contribute to its anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer properties. Improving bioavailability and conducting rigorous clinical trials will be crucial in unlocking the full therapeutic potential of turmeric for various health conditions.

Turmeric In Metabolic, Neurological, And Cardiovascular Health (Akaberi et al.,2021; Kunnumakkara et al.,2023)

Impact on Metabolic Disorders: When it comes to treating metabolic diseases including obesity, type 2 diabetes, and metabolic syndrome, turmeric has showed potential. The main bioactive ingredient in turmeric, curcumin, has been researched for its potential to control glucose metabolism, lessen inflammation linked to metabolic dysfunction, and enhance insulin sensitivity. These outcomes could aid in the management and prevention of metabolic diseases.

Neuroprotective Effects and Cognitive Health: Turmeric's neuroprotective qualities are drawing notice because of its possible effects on brain health and cognitive performance. The blood-brain barrier-crossing, antioxidant, anti-inflammatory, and anti-amyloid qualities of curcumin have all been studied. These characteristics might have an impact on neurodegenerative diseases like Alzheimer's. Furthermore, turmeric may enhance general cognitive health based on its effects on synaptic plasticity and neurogenesis.

Cardiovascular Benefits and Mechanisms: Studies have linked the benefits of turmeric to cardiovascular health, including potential heart disease prevention. Curcumin may improve endothelial function, modulate lipid metabolism, and have anti-inflammatory and antioxidant properties, among other processes that may help the cardiovascular system. Together, these actions help to avoid hypertension, atherosclerosis, and other cardiovascular diseases.

Challenges And Opportunities In Turmeric Research

Limitations in Current Understanding: Even with the encouraging results, there are still a number of obstacles and restrictions facing turmeric research today. Curcumin's limited bioavailability is a significant obstacle that could restrict its medicinal usefulness. Innovative strategies like co-administration with enhancers like piperine or nanoparticle formulations are needed to overcome this constraint.

The absence of established procedures and quantities for supplementing with turmeric presents another difficulty. It is difficult to evaluate study results between studies and reach firm conclusions because of variations in study methods, populations, and formulations. Clear recommendations for the use of turmeric in various medical diseases must be established through standardization initiatives and carefully planned clinical trials.

Future Directions For Research: The future of turmeric research holds significant opportunities for advancing our understanding of its health benefits. Key areas for exploration include:

1. **Targeted Therapies:** Investigating the specific bioactive compounds in turmeric and their individual contributions to health outcomes. This includes understanding the roles of lesser-known constituents beyond curcumin.
2. **Personalized Medicine:** Examining the inter-individual variations in response to turmeric and its compounds. This involves identifying genetic and metabolic factors that influence turmeric's effectiveness in different individuals.
3. **Combination Therapies:** Exploring synergies between turmeric and other natural compounds or conventional medications. Combinations may enhance therapeutic effects and overcome bioavailability challenges.
4. **Long-Term Effects:** Conducting longitudinal studies to assess the sustained benefits and potential side effects of turmeric supplementation over extended periods.
5. **Clinical Applications:** Expanding research to diverse populations and exploring turmeric's role in preventive healthcare and integrative medicine.

In summary, turmeric shows promise for improving neurological, cardiovascular, and metabolic health. A more thorough knowledge of turmeric's therapeutic potential and its incorporation into evidence-based healthcare practices will be possible if present research limitations are addressed and new opportunities are seized.

Conclusion: As we come to the close of our investigation

into Turmeric (*Curcuma longa*) and its complex phytochemical makeup, it is clear that this treasure of a plant is much more than just a vivid color and tasty spice. An awareness of the many functions that turmeric plays in human existence can be gained by reviewing its botanical origin, cultural significance, and extensive usage in numerous civilizations.

The profound medicinal potential of turmeric is revealed by the phytochemical makeup of the plant, which is significant and is emphasized by a thorough examination of its bioactive chemicals, especially the powerful curcuminoids. Turmeric's chemical profile is complicated, as seen by the structural differences between curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin, among other lesser-known molecules.

It becomes clear that the bioactive components in turmeric have potential uses outside conventional medicine when we delve more into their antioxidant capabilities and processes. Curcuminoids' capacity to squelch free radicals and regulate enzymatic processes provides new approaches to treating illnesses linked to oxidative stress and enhancing general health.

Our investigation of the potential effects on health and illness presents a positive image, with turmeric being a topic of study for therapeutic and preventive measures. Turmeric is a shining star for upcoming investigations and uses in the field of human health, from in vitro studies that are elucidating molecular pathways to translational insights from animal models and promising clinical implications.

In summary, the history of turmeric, from traditional cultural uses to contemporary scientific investigation, demonstrates the plant's remarkable persistence. It is evident that there are still many obstacles and opportunities to be addressed in the field of turmeric research. With the ultimate goal of utilizing turmeric's benefits for human well-being, the effort to fully unleash the medicinal potential of turmeric's phytochemical arsenal necessitates ongoing cooperation between traditional knowledge and cutting-edge scientific investigation.

References:-

1. Abd El Hack, M. E., El Saadony, M. T., Swelum, A. A., Arif, M., Abo Ghanima, M. M., Shukry, M., ... & El Tarabily, K. A. (2021). Curcumin, the active substance of turmeric: its effects on health and ways to improve its bioavailability. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, *101*(14), 5747-5762.
2. Ajanaku, C. O., Ademosun, O. T., Atohengbe, P. O., Ajayi, S. O., Obafemi, Y. D., Owolabi, O. A., ... & Ajanaku, K. O. (2022). Functional bioactive compounds in ginger, turmeric, and garlic. *Frontiers in Nutrition*, *9*, 1012023.
3. Akaberi, M., Sahebkar, A., & Emami, S. A. (2021). Turmeric and curcumin: from traditional to modern medicine. *Studies on Biomarkers and New Targets in Aging Research in Iran: Focus on Turmeric and Curcumin*, 15-39.
4. Bhutia, P. H., & Sharangi, A. B. (2017). Promising Curcuma species suitable for hill regions towards maintaining biodiversity. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, *6*(6), 726-731.
5. Chamani, S., Moossavi, M., Naghizadeh, A., Abbasifard, M., Kesharwani, P., Sathyapalan, T., & Sahebkar, A. (2023). Modulatory properties of curcumin in cancer: A narrative review on the role of interferons. *Phytotherapy Research*, *37*(3), 1003-1014.
6. Chanda, S., & Ramachandra, T. V. (2019). Phytochemical and pharmacological importance of turmeric (Curcuma longa): A review. *Research & Reviews: A Journal of Pharmacology*, *9*(1), 16-23.
7. Chaudhary, A., Rao, I., & Chauhan, P. (2022). Diversity and Traditional Knowledge of Selected Herbal or Medicinal Plants and Their Conservation Status With Reference to India. In *Isolation, Characterization, and Therapeutic Applications of Natural Bioactive Compounds* (pp. 135-157). IGI Global.
8. de Oliveira Filho, J. G., de Almeida, M. J., Sousa, T. L., dos Santos, D. C., & Egea, M. B. (2021). Bioactive compounds of turmeric (Curcuma longa L.). *Bioactive compounds in underutilized vegetables and legumes*, 297-318.
9. Hay, E., Lucariello, A., Contieri, M., Esposito, T., De Luca, A., Guerra, G., & Perna, A. (2019). Therapeutic effects of turmeric in several diseases: An overview. *Chemico-biological interactions*, *310*, 108729.
10. Irshad, S., Muazzam, A., Shahid, Z., & Dalrymple, M. B. (2018). Curcuma longa (Turmeric): An auspicious spice for antibacterial, phytochemical and antioxidant activities. *Pak. J. Pharm. Sci*, *31*(6), 2689-2696.
11. Iweala, E. J., Uche, M. E., Dike, E. D., Etumnu, L. R., Dokunmu, T. M., Oluwapelumi, A. E., ... & Ugbogu, E. A. (2023). Curcuma longa (Turmeric): Ethnomedicinal uses, phytochemistry, pharmacological activities and toxicity profiles-A review. *Pharmacological Research-Modern Chinese Medicine*, 100222.
12. Kumar, M., Kaur, P., Garg, R., Patil, R. K., & Patil, H. C. (2020). A study on antibacterial property of curcuma longa–herbal and traditional medicine. *Adesh University Journal of Medical Sciences & Research*, *2*(2), 103-108.
13. Kunnumakkara, A. B., Hegde, M., Parama, D., Girisa, S., Kumar, A., Daimary, U. D., ... & Aggarwal, B. B. (2023). Role of Turmeric and Curcumin in Prevention and Treatment of Chronic Diseases: Lessons Learned from Clinical Trials. *ACS Pharmacology & Translational Science*, *6*(4), 447-518.
14. Naikodi, M. A. R. (2023). Medicinal and Aromatic Plants of India Used in the Treatment of Skin Disorders. In *Medicinal and Aromatic Plants of India Vol. 2* (pp. 153-189). Cham: Springer International Publishing.

15. Núñez, N., Vidal-Casanella, O., Sentellas, S., Saurina, J., & Núñez, O. (2020). Characterization, classification and authentication of turmeric and curry samples by targeted LC-HRMS polyphenolic and curcuminoid profiling and chemometrics. *Molecules*, *25*(12), 2942.
16. Ramkumar, T. R., & Karuppusamy, S. (2021). Plant Diversity and Ethnobotanical Knowledge of Spices and Condiments. *Bioprospecting of Plant Biodiversity for Industrial Molecules*, 231-260.
17. Staniæ, Z. (2017). Curcumin, a compound from natural sources, a true scientific challenge–a review. *Plant foods for human nutrition*, *72*, 1-12.
18. Sun, W., & Shahrajabian, M. H. (2023). Therapeutic potential of phenolic compounds in medicinal plants—Natural health products for human health. *Molecules*, *28*(4), 1845.

Table 1: Phytochemical Composition of Turmeric (*Curcuma longa*) and Associated Health Benefits (Irshad et al.,2018; Chanda et al.,2019; Iweala et al.,2023)

Phytochemical	Class	Bioactive Compounds	Potential Health Benefits
Curcuminoids	Polyphenols	Curcumin, Demethoxy -curcumin, Bisdemethoxycurcumi	Anti-inflammatory, Antioxidant, Anticancer, Neuroprotective
Turmerones	Sesquiterpenoids	Ar-turmerone, α-turmerone,β-turmerone	Anti-inflammatory, Antioxidant, Anticancer
Essential Oils	Volatile compounds	Atlantone, Zingiberene, Turmerone	Anti-inflammatory, Antimicrobial
Curcumin	Curcuminoids	Curcumin	Anti-inflammatory, Antioxidant, Anticancer, Neuroprotective
Demethoxycurcumin	Curcuminoids	Demethoxycurcumin	Anti-inflammatory, Antioxidant
Bisdemethoxycurcumin	Curcuminoids	Bisdemethoxycurcumin	Antioxidant, Anti-inflammatory
Curcumin derivatives	Various	Tetrahydrocurcumin, Hexahydrocurcumin	Metabolic health, Antioxidant

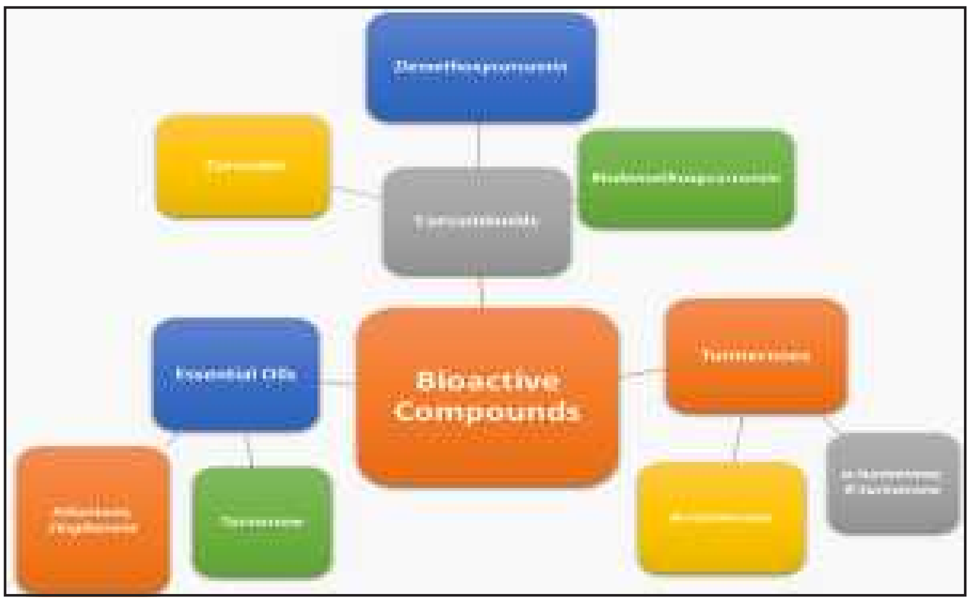

Figure 1: Turmeric *(Curcuma longa)* Phytochemical Map: Connecting Bioactive Compounds to Phytochemical Classes

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

पर्यटन के विकास हेतु संरक्षण में प्रबन्धन सहभागिता

डॉ. प्रवीण ओझा*

* प्राचार्य, बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रत्येक मनुष्य में मूलत: यायावर प्रवृत्ति एवं पर्यटन के प्रति आकाँक्षा निहित होती है। भारत में भी पर्यटन की परम्परा आदिकाल से प्रचलित रही है, जिसका प्रमाण मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में ऐसी वस्तुओं का प्राप्त होना है जो वहाँ मीलों दूर तक उपलब्ध नहीं होती थीं नये क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा का भाव, आनंद की खोज, तीर्थाटन के प्रति सम्मान का भाव, व्यापारिक कार्यकलापों का विस्तार एवं वर्तमान समय में तो चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं ने न केवल पर्यटन के क्षेत्र का विस्तार किया है, अपितु पर्यटन को एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया है। राष्ट्रीय आय में वृहद भागीदारी एवं विदेशी मुद्रा अर्जन में महती योगदान के कारण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया है। यातायात एवं संचार के साधनों के विस्तार, बढ़ती भौतिक समृद्धि, पर्यटन की सोच का विकास, कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव से उबरने के साधन के रूप में पर्यटन के प्रति बढ़ता झुकाव इत्यादि नवीन प्रवृत्तियों ने पर्यटन उद्योग के उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता को अर्थव्यवस्था का अहम बिन्दु बना दिया है।

पर्यटन उद्योग को स्थापित करने में यद्यपि पर्यटन के विविध परम्परागत स्थलों का अभूतपूर्व योगदान रहा है यथा धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौन्दर्य संबंधी स्थल, समाधि स्थल, वन्य जीवन संबंधी स्थल इत्यादि। साथ ही पर्यटन की उभरती हुयी नवीन प्रवृत्तियों में साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन या ईको टूरिज्म आदि भी पर्यटन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तथापि भारत में पर्यटन उद्योग के विकास में ऐतिहासिक पर्यटन अलग ही भूमिका का निर्वहन करता है। अनेक ऐतिहासिक स्थल, दुर्ग, गढ़ियाँ, महल, धार्मिक स्थल यथा प्राचीन मंदिर, संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। आजकल 'हेरिटेज होटल' के रूप में इस शानदार विरासत का अधिकाधिक उपयोग पर्यटन के क्षेत्र को लाभान्वित कर रहा है। किन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ये ऐतिहासिक विरासत सीमित एवं पुरानी हैं जिनका प्रति पल क्षरण भी हो रहा है। ये जिस संख्या में है उतने ही रहते हैं बल्कि कम ही होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। यही कारण है कि पर्यटन उद्योग के विकास हेतु इन स्थलों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में भी विकास के साथ–साथ संरक्षण की प्रक्रिया को सक्रियता एवं गति प्रदान करने पर बल दिया गया है। धरोहर संरक्षण अत्यंत जटिल, लम्बी एवं खर्चीली प्रक्रिया है। आज भी अनेकानेक धरोहर उपेक्षा का शिकार बनकर नष्टप्राय स्थिति तक पहुँच चुकी है। यद्यपि शासन द्वारा प्राचीन मंदिरों के विकास हेतु सफल सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि धरोहर संरक्षण के कार्य को सुनियोजित रूप से संचालित कर पर्यटकों की संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

संरक्षण के क्षेत्र में उचित कार्ययोजना या प्लान की कमी को दूर कर ऐसे संरक्षण प्लान बनाये जायें जो नवीन तरीकों, नवीन सोच एवं नवीन तकनीक पर आधारित हों साथ ही उनके समुचित क्रियान्वयन की भी पर्याप्त निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिये। संरक्षण के क्षेत्र में उचित प्रबन्धन अपनाकर इस नीति को व्यवहारिक पूर्णता प्रदान की जा सकती है तथा इससे सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता का समुचित दोहन किया जा सकता है। वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग के अधिकाधिक विस्तार हेतु पृथक से मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ साइट्स बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें विविध स्थलों की पृथक–पृथक आवश्यकता के अनुरूप संरक्षण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना बनायी जाये। इसके साथ–साथ उनके सूचीकरण, आधारभूत संसाधनों के विकास, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं स्थानीय व्यक्तियों का संयोजन जैसे बिन्दुओं पर गहन विमर्श के उपरान्त ही कार्ययोजना तैयार करना उचित होगा। ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान अथवा विरासत संरक्षण कार्ययोजना का निर्माण भी आगामी समय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि बनाया जाता है तो वह दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम देता है। इसमें दूरदृष्टि या पृथक विजन अपनाना अपेक्षित है। इस आधार पर तैयार की गयी ऐसी कार्ययोजना या हैरिटेज प्लान एवं उसका एक्शन प्लान रिव्यू नि:संदेह प्रभावोत्पादक साबित होगा, जिसमें फण्डिंग, संरक्षण विशेषज्ञों का परामर्श, नवीन तकनीक एवं पर्याप्त मार्केटिंग जैसे तत्व समाहित होंगे। प्रत्येक विरासत की बनावट, उसके क्षरण की अवस्था, ऐतिहासिक महत्ता एवं तत्कालीन संरक्षण संबंधी आवश्यकतायें भिन्न–भिन्न होती है। ऐसे समस्त बिन्दुओं पर आधारित हेरिटेज प्लान लागू किया जाना चाहिये जिसमें तत्संबंधी विविध समस्याओं की भागीदारी, संरक्षण का बजट एवं तरीकों, नियमों, पूर्व घोषित समय सीमा का परिपालन, गतिविधियों का समयानुसार निरीक्षण एवं सतत निगरानी इत्यादि तत्वों पर पर्याप्त विचार विमर्श होना चाहिये।

विरासतों का मूल स्वरूप बनाये रखने के उद्देश्य से संरक्षण में अति परम्परागत साधनों यथा बेल फल का गूदा, उड़द की दाल आदि के प्रयोग के साथ नवीन तकनीक के अन्तर्गत केमिकल का भी प्रयोग होता है। इन केमिकल की सतत आपूर्ति पर भी निगरानी बनाये रखना आवश्यक है।

केवल संरक्षण ही समस्या का समाधान नहीं है वरन क्षरण के लिये उत्तरदायी परिस्थिति का निवारण एवं उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही संबंधी चर्चा भी अति आवश्यक है। इसमें स्थानीय प्रशासन की निरीक्षण आदि की जिम्मेदारी तय करने के साथ आम नागरिकों का दायित्व भी प्रचारित करने की कोशिश भी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। विशेषज्ञों, गणमान्य नागरिकों, शासन के प्रतिनिधि, मीडिया वर्ग एवं समाज सेवकों से सज्जित सलाहकार समिति में प्रबन्धन विशेषज्ञों की उपस्थिति भी अनिवार्य होनी चाहिये क्यों कि उचित प्रबन्धन के अभाव में बार-बार किये गये प्रयास भी पूर्ण सफलता नहीं पा सके हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाना होगा। वाणिज्य के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञापन द्वारा उत्पाद की आवश्यकता को विकसित कर उसकी मांग को बहुत बढ़ाया जा सकता है। धरोहर आधारित पर्यटन उद्योग की अधिकाधिक सफलता हेतु नष्टप्राय स्मारकों की महत्ता एवं सौन्दर्य से आम नागरिकों को परिचित कराने में विज्ञापन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अनजान, कम लोकप्रिय स्थलों की संरक्षण गतिविधियों को प्रचारित कर पर्यटकों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया जा सकता है। इस दिशा में राजस्थान का उदाहरण अत्यंत प्रेरणादायक है जहाँ छोटे से छोटे एवं अन्दरूनी क्षेत्रों में भी स्थित स्मारकों को भी विज्ञापन द्वारा पर्यटक बहुल क्षेत्र में परिवर्तित करने में जो सराहनीय प्रयास किये गये हैं, उन्हीं के परिणामस्वरूप वहां की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भागीदारी प्रेरणादायक है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी प्रिंट मीडिया एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया का उपयोग कर विज्ञापन द्वारा पर्यटक प्रवाह को बढ़ाना चाहिये। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, चित्रों, उपलब्धियों के प्रकाशन एवं लेखों के माध्यम से आम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। दूरदर्शन, निजी चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से इन गतिविधियों से और अधिक लोगों को परिचित कराना चाहिये जिससे संरक्षित स्मारक के प्रति लगाव वहाँ पर्यटन गतिविधियों का विस्तार कर सके। राजस्थान के पैटर्न पर देश के विविध भागों में अनेक पुराने महलों, गढ़ियों को संरक्षित कर हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जा रहा है, विज्ञापन द्वारा इनका प्रचार-प्रसार ही आम पर्यटक तक इनकी जानकारी पहुँचा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पर्यटन उद्योग के विकास में ऐतिहासिक पर्यटन सहभागिता का विस्तार तब ही कर सकता है जबकि वह अधिकाधिक अच्छे स्मारकों के साथ- साथ क्षरित होते हुये स्मारकों को भी संरक्षण के माध्यम से पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने में सफल हो सके। इस पुनीत कार्य में उचित प्रबन्धन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित कार्ययोजना, सहयोगियों की कार्यक्षमता का विशिष्ट दोहन, बजट नियन्त्रण, मांग-पूर्ति में संतुलन की स्थापना, निरीक्षण, विज्ञापन आदि के माध्यम से यह अपनी उपयोगिता को प्रमाणित भी कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यास, राजेश कुमार - भारत में पर्यटन।
2. रंजन, राजीव - पर्यटन के मनोरम स्थल।
3. वैंकटेश्वरन - मॉन्यूमेन्ट्स ऑफ इण्डिया।
4. एस. बाइट, डेविड - प्रिन्सीपल्स ऑफ मैनेजमेंट।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

A Review on Poor Performance of Irrigation Projects Due to Canal Breach

Yagyesh Narayan Shrivastava*

***Soil & Water Engineering, College of Agricultural Engineering, Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Introduction - Irrigation is the artificial process of applying controlled amounts of water to land to assist in production of crops. Irrigation helps to grow agricultural crops, maintain land scopes and revegetate disturbed soils in dry areas and during periods of less than average rainfall. Irrigation also has other uses in crop production ,including frost protection, suppressing weed growth in grain Fields and preventing soil consolidation. In contrast agriculture that realise only on direct rainfall is referred to as rainfed.

Irrigation has been a central feature of agriculture for over 5000 years and is the product of many cultures, Historically, it was the basis for economics and societies across the globe, from Asia to the Americas.

Source Of Irrigation Water: Traditionally, farmers depended on rainfall for irrigation. Thus, crops with a larger requirement of water were grown in areas with moderate to high rainfall. And hardy crops which can withst and shortage of water were grown in dry areas. Things have changed to a certain extent in modern times, with the construction of large dams across rivers.

water from these dams is carried by canals to many areas which were deprived of water earlier. The Indira Gandhi canal, which has transformed the parts of desert districts of Ganganagar and Bikaner in Rajasthan, is one example. It brings water from the satluj, Ravi and beas and has made the cultivation of wheat, cotton groundnut and fruit possible in a once barren land and these canals are called permanent canals, as opposed to the in-inundation canal is used to divert rainwater from rivers and streams during the monsoon. The major dams which provide water for irrigation some of these teams also provide electricity.

However, these dams cannot provide water to all or even the majority of forms. Many of them still depend largely on rainfall. Broadly speaking, rainwater is utilised in two ways. The practice in Southern India is to store rainwater in tanks. In the northern plains, on the other hand, bunds are made across streams and rivers to trap rain water.

The water is carried to crop fields by inundation canals. The areas under tank and canal irrigation in some places (example parts of West Bengal and Assam) rain water is used directly for irrigation. Wells have long been used to trap groundwater, especially in reasons which Lack surface water resources.

Now electrically operated tube wells are used to pump out water for irrigation. They are popular even in the Northern plains where surface water is not scarce. the areas shown under well irrigation is depend almost entirely on groundwater. However, there are other areas (example, the northern plains), where groundwater is used as an additional source, especially during the dry season. Groundwater accounts for over 50% of the water used for irrigation.

Role Of Irrigation Water: Surface irrigation is where water is applied and distributed over the soil surface by gravity. It is by far the most common form of irrigation throughout the world and has been practiced in many areas virtually unchanged for thousands of years.

Surface water is an essential natural resource that plays a vital role in human life and has an important role in drinking, irrigation and economic sectors. According to FAO statistics, 20% of the land is irrigated but produces 40% of the crops. Irrigation is an effective way to improve productivity significantly.

Surface irrigation is often referred to as flood irrigation, implying that the water distribution is uncontrolled and therefore, inherently inefficient. In reality, some of the irrigation practices grouped under this name involve a significant degree of management (for example surge irrigation). Surface irrigation comes in three major types, level basin furrow and borders strip.

Poor Performance Of Irrigation Project In Terms Of Canal System: Most research studies on performance of irrigation have aimed to monitor the performance over time, for example to determine the impact of a management change, or to analyse the performance of comparable projects. These evaluations mostly focus on an analysis of inputs and outputs of irrigation projects (water, land, labour, value of production, cost of operation and maintenance). These indicators are often referred to as external indicators. These indicators in general do not provide significant information when comparing projects.

Perfomance Of Irrgation: Performance evaluation parameters of irrigation canal systems should involve factors such as command area, canal network, control structures, cropping patterns, weather conditions as well as human factors. An integrated simulation and optimization approach is proposed to improve the irrigation delivery system operation and management strategy. Providing optimal water levels in the main system will guarantee proper flow diversion to laterals and farm turnouts.

Hart et al. (1979) described performance of an irrigation system in terms of four parameters, i.e. the fraction of the observed water stored in the root zone, the fraction of the requirement met, the fraction of the delivered water observed and the fraction of the infiltration eater that percolated below the mean infiltration depth. Most of the efficiencies including storage application, delivery and distribution were derived from these parameters.

Patidar et al. (2007) evaluated that performance of minor irrigation project of Mehgawn tola command area. it was reported that overall project irrigation efficiency decreased from head to tail reach of the command area. Irrigation efficiency was obtained as 75.36%, 69.80% and 62.59% at head middle and tail reach respectively.

Performance of irrigation system at form as well as water course level was evaluated by Tyagi (1998) showed that equity of water distribution decreased with the size of water course (flow rate). The average relative water supply was observed to be in (m3/sec) 0.72 in summer 0.65 in winter at the head reach and 0.52 in summer and 0.50 in winter at the tail reach of water course.

Ready (1986) stated that the performance of an irrigation project can be measured in terms of technical efficiencies with which the water was provided to the crop root zone, total agricultural production from the project and the equity. Performance of an irrigated agricultural production system is dependent upon technical, economic, institutional, organisational support to the system under a given set of constraints.

Wahaj (2001) studied the performance of irrigation system in Fordwah irrigation system in Pakistan. Six water courses along the two distributaries at the tail of the system were selected for in depth study. Collective and individual water management actions were studied to understand their dynamics and their impact on improving water delivery to the farm. The study suggested that there was neither a standard set of water management activities nor there was strict plan. Farmers actions were mostly subjected to their desires to match water demand with supply. However, one could still see some of the water management activities that were inavitable to operate the system. Collective actions was undertaken more it the watercourse or higher level in the irrigation system, whereas individual actions were mainly undertaken it the farm level. The study indicates that farmers were knowledgeable and capable actors who took actions that improved water supply and compensated for dysfunctional delivery, farmers actions were not only technical and economically sound but also motivated other than just economic benefit, farmers management could be classified as contingent management and rather it was performance oriented, and performance indicators, which were not avail to show realities of social relations shaping water availability could be improved by including criteria to performance of irrigation system from the perspective of different actors. Patterns of conjunctive water use it for level suggested that in the future ground water must continue to provide significant amount of water for crop production.

Yakubov(2011) stated that irrigation performance is an important tool that irrigation service providers at various levels of the water management hierarchy can use for monitoring, benchmarking and self- improvement. Attempt was made to explore and sensitising farmers views about irrigation service and related performance dimensions using qualitative research methods.

Nelson (2000) studied the socio- economic and delivery aspect of the system. Key delivery system indicators, suggested where area uniformity, carrying capacity, and sustainability of irrigated area. He defined set of potential benefits of irrigation, which could be measured our response capacity, farmers satisfaction, knowledge of farmers and household income.

Cases of Canal Breach:

Breach on Sirhind Canal

In May 2011, a 30-40 feet breach in a distributary of the canal towards the Cantonment area, flooded the fields in an adjoining village.more than 300 acres of the land in the village along the distributary have been converted into a swamp with 3-4 feet of stagnant water.

24 Jan 2013,About a 60 feet breach occured at Bathinda branch of Sirhind canal, immediate demand was the reduction of water in the canal so as to avoid any loss to life and property.

Cause-the breach occurred due to roots of the trees on the embankment of the river. the roots had made their ways into the river, thus making the embankment hollow and further caused breach. # 11 may 2014, A breach in the Bathinda branch of the Sirhind canal in Beer Talaab area has over 500 acres, damaging crops and property.

23 June 2015,4th case of breach. After a breach in canal in moga,a 25-30 feet wide breach occurred in the sirhind canal at govindpuravillage.Water flooded about 30 acres of field.People joined hands to plug the breach and the situation was brought under control in 6-7 hours. The breach was plugged with sand-filled bags and by using a JCB machine and tractors

16 may 2016, A breach in the common banks of the Sirhind Feeder Canal and the Rajasthan Feeder Canal in Faridkot area.

Many tractor-trailers and JCB machines to plug the breach and stop the water supply to these canals from the Hari Ke barrage in Ferozepur.

Cause- "poor condition" of the brick-lining of both canals is said to be the reason for the breach. This brick-lining is about 65 years old. There was no major repair and maintenance in the last six decades.the water from the Sirhind Feeder Canal started seeping into the Rajasthan Canal after creating a cavity beneath the water. The soil kept eroding over the night and became a breach this morning.

Breach in Bhakra mainline canal

#A breach in the Bhakra-Nangal dam in Punjab inundates more than 1,215 hectares of agricultural land.

May 12, 1999, a storm swept over Patiala, Punjab, uprooting most of the district's electric poles and trees along the banks of the Bhakra Main Line (bml) canal that supplies water to Rajasthan and Haryana from the Bhakra-Nangal dam.The breach submerged agricultural lands of four villages and many houses.

#4 August 2004-Tangri river, Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal and Narwana branch of kiBhakra Mainline Canal (BMC) had breached at four places, due to Torrential rains that causes flood.

Breach in Indira Gandhi canal

7 August 2016,cotton crops on 100 acres was submerged after 2 breaches occured in sub-canal emanating from the Indira Gandhi Canal in shriganganagar district.

Cause-farmers said water was released in the sub-canal after a gap of three weeks.The 1st breach was noticed at Burji no. 29 near Chak 9P village and another at Burji no.31 near Chak 10P village.

Breach in Eastern Kosi Main canal: The eastern afflux bundh upstream of Kosi Barrage situated at Bhimnagar in Nepal near Birpur in India got breached at Kusaha (Nepal) on 18 August 2008. The Kosi floodwater gushed out to the countryside and caused large-scale devastation lower down in one district of Nepal and five districts of Bihar. A population of about 3.3 million in India (Bihar) and 100,000 in Nepal got flood inundated.

They suffered extreme damages to their lives, properties and standing crops. About 500 persons lost their lives. Important infrastructures such as railways, eastern Kosi canal systems, roads, electric transmission lines, public and private tube wells, lift and surface minor irrigation schemes, public and private buildings, etc. got severely damaged. On a rough estimate, the colossal damage to properties was of the order of about Rs. 15,000 crores. Thus, it was one of the biggest tragedies due to flood fury in the recent history.

On May 17, 2020, the residents of Ranwar village in Karnal, Haryana, woke up to find their village surrounded by a gushing water current, which was fast entering their homes. The cause of flooding was a breach in the augmentation canal running close to the village.

The incident was allegedly caused by a small hole at the 60.200 point on the left bank of the canal at around 03.00 AM. It gradually turned into a 40-50 feet wide breach by afternoon on the same day. Before the local administration could swing into action, around 250 acres of farmlands around the village were flooded.

The breach was fully plugged after 35 hours, at around 02:00 PM on May 18, 2020. But the water had already spread as far as 4 km into the area, which resembled a huge lake. The administration had to deploy pumps to remove water from the stagnant pools into Drain Number 1 Causes of breach- the initial findings revealed that the breach was caused by a weak lining of the canal.

References:-

1. Anonymous 1987, SP-36 (Part-I), Standard Publication on Soil Testing in Laboratory, Bureau of Indian Standards.
2. Anonymous 2010.Brief report on water use efficiency studies for 35 Major and Medium irrigation projects. The study reports with findings/corrective structural and non structural measures have been transmitted to the concerned states for taking remedial steps for resurrecting the operative efficiencies of the studied projects. Central Water Commission.
3. Anonymous 2012, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation official National Water Development Agency (NWDA).
4. Anonymous 2014.Foundation Investigations for the Proposed Cross Drainage Structures of the Kosi - Mechi Link Canal Project, Bihar,CSMRS
5. Anonymous 2014.Soil Investigations Along the Canal Alignment of the Proposed Kosi - Mechi Link Canal Project, Bihar.CSMRS.
6. Bandyopadhyay J.and Sharma P.(2002), The Interlinking of Indian Rivers Some Questions on the Scientific, Economic and Environmental Dimensions of the Proposal, Seminar on Interlinking Indian Rivers: Bane or Boon?, IISWBM, Kolkata.
7. Bastiaanssen W. G. M.,Molden D.J.,Thiruvengadachari S., Smit A. A. M. F. R., Mutuwatte L. and Jayasinghe G. 1999.Remote sensing and hydrologic models for performance assessment in Sirsa Irrigation Circle, India. International Water Management Institute.
8. Bakeoff, J.and Huppert W. 1987. Matching crop water requirements in large systems with a variable water supply: Experiments in India. ODI-IIMI Irrigation Management Network Paper 87/3d. London: Overseas Development Institute.
9. Boonstra J. 1996. Report of a consultancy assignment on numerical groundwater modeling. International Institute for Canal Reclamation and Improvement, Wageningen, The Netherlands: 15 p.
10. Chitra R.,GuptaM.,NoorS.and Singh H.2016. Geotechnical Investigations for the Kosi - Mechi Link Canal Project, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, India.
11. Congalton G. R. 1991. A review of assessing the accu-

racy of classifications of remotely sensed data. Remote Sensing of Environment 37:35–46.

12. Daughtry C. S. T.,alloK.P.,GowardS.N.,PrinceS.D.and Kustas W.P. 1992. Spectral estimates of absorbed radiation and phytomass production in corn and soybean canopies. Remote Sensing of Environment 39:141–152.
13. Hosseini S.A. and Sharifi F. 2019. Stability of earth canal banks using geo-technical approaches.
14. Jebelli J.,Meguid M.2013.Soil stability analysis in irrigation canals: A case study. Electronic Journal of Geotechnical Engineering.
15. Mehta D. and Mehta N.K. (2013), Interlinking of Rivers in India: Issues & Challenges, Geo-Eco-Marina 19/2013, pp 137 – 143.
16. Pasi N.andSmardon R.(2012), Interlinking of Rivers: A Solution For Water Crisis In India Or A Decision In Doubt?, The Journal of Science Policy and Governance, Volume 2 Issue 1, June 2012.
17. Sakthivadivel R.,Thiruvengadachari S., Amerasinghe U., BastiaanssenW.G.M.and David M.,1999. Research report on Performance Evaluation of the Bhakra Irrigation System, India, Using Remote Sensing and GIS Techniques. International Water Management Institute Colombo, Sri Lanka.
18. Singh N.,1962.Some Aspects of Canal Irrigation in Punjab. Publication Division Government Of India old secretariat Delhi 6.

****

स्थायी कृषि पद्धतियाँ : उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना

डॉ. अमित राणा *

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भूगोल) किशोरी रमण कॉलेज, मथुरा (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय गिरावट जैसी बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के सामने सतत कृषि एक महत्वपूर्ण प्रतिमान के रूप में उभरी है। कृषि के पारंपरिक तरीके, जिनमें रासायनिक आदानों का गहन उपयोग, मोनोकल्चर और अत्यधिक पानी की खपत शामिल है, लंबे समय तक टिकाऊ साबित नहीं हुए हैं। परिणामस्वरूप, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को विकसित करने और अपनाने की अनिवार्यता ने दुनिया भर में जोर पकड़ लिया है। टिकाऊ कृषि का सार उत्पादकता को बनाए रखने या बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में निहित है। यह निबंध टिकाऊ कृषि प्रथाओं के बहुमुखी पहलुओं पर प्रकाश डालता है, यह पता लगाता है कि वे बढ़ती आबादी को खिलाने और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने की दोहरी चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं।

सतत कृषि की नींव – इसके मूल में, टिकाऊ कृषि पर्यावरणीय प्रबंधन, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक समानता पर जोर देकर पारंपरिक खेती के तरीकों की कमियों को दूर करना चाहती है। यह कृषि के प्रचलित मॉडल से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और अन्य प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का कारण बनता है। सतत कृषि में विभिन्न प्रकार की प्रथाओं और सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य कृषि गतिविधियों के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करते हुए दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

टिकाऊ कृषि का एक मूलभूत सिद्धांत मृदा स्वास्थ्य है। स्वस्थ मिट्टी उत्पादक कृषि की रीढ़ बनती है, और फसल चक्र, कवर फसल और जैविक खेती जैसी प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखने में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, फसल चक्रण, कीटों और बीमारियों के चक्र को तोड़ता है, रासायनिक आदानों की आवश्यकता को कम करता है और मिट्टी की जैव विविधता को बढ़ाता है। कवर क्रॉपिंग मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है, जल धारण में सुधार करती है, और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ती है, जिससे पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। जैविक खेती, सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों को छोड़कर, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और आदानों पर भरोसा करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।

जल प्रबंधन टिकाऊ कृषि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में अक्सर अत्यधिक सिंचाई शामिल होती है, जिससे पानी की कमी होती है और जलभृतों में कमी आती है। सतत जल प्रबंधन में वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और सटीक खेती जैसी प्रथाएं शामिल हैं। वर्षा जल संचयन कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहीत करता है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम हो जाती है। ड्रिप सिंचाई से पानी सीधे पौधों के जड़ क्षेत्र तक पहुंचता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार होता है। सटीक खेती विशिष्ट फसल की जरूरतों के आधार पर पानी और उर्वरक जैसे इनपुट को अनुकूलित करने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सेंसर, जीपीएस और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग करती है।

जैव विविधता संरक्षण टिकाऊ कृषि का अभिन्न अंग है। परंपरागत कृषि पद्धतियों, विशेष रूप से मोनोकल्चर के परिणामस्वरूप अक्सर जैव विविधता का नुकसान होता है, क्योंकि भूमि के बड़े हिस्से को एक ही फसल के लिए समर्पित कर दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। सतत कृषि, कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, कृषि वानिकी और कृषि भूमि के भीतर और आसपास प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा देती है। कृषि पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के अंतर्संबंध पर जोर देते हुए पारिस्थितिक सिद्धांतों को कृषि प्रणालियों में एकीकृत करती है। कृषि वानिकी पेड़ों और झाड़ियों को फसलों के साथ जोड़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कार्बन पृथक्करण और लाभकारी जीवों के लिए आवास जैसे कई लाभ मिलते हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) टिकाऊ कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है जो समग्र और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से कीटों को नियंत्रित करना चाहता है। केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय, आईपीएम में कीटों की आबादी को प्रबंधित करने के लिए जैविक नियंत्रण, फसल चक्र और प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग शामिल है। यह न केवल खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है बल्कि कीटनाशक-प्रतिरोधी कीटों के विकास को भी रोकता है, जो पारंपरिक कृषि में बढ़ती चिंता का विषय है।

चुनौतियाँ और अवसर – जबकि टिकाऊ कृषि के सिद्धांत पारंपरिक प्रथाओं के लिए एक आशाजनक विकल्प प्रदान करते हैं, इन तरीकों को व्यापक रूप से अपनाने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक विचार, जागरूकता की कमी और स्थापित कृषि पद्धतियों की जड़ता अक्सर टिकाऊ कृषि में परिवर्तन को बाधित करती है। पारंपरिक खेती, भारी सब्सिडी और

स्थापित कृषि व्यवसायों द्वारा समर्थित, का यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ है। टिकाऊ प्रथाओं में परिवर्तन से जुड़ी प्रारंभिक लागत, जैसे नई तकनीक में निवेश करना या फसल प्रबंधन रणनीतियों को बदलना, कई किसानों, विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले छोटे किसानों के लिए बाधा बन सकती है।

इसके अलावा, कृषि आपूर्ति श्रृंखला की वैश्वीकृत प्रकृति और कुछ फसलों की साल भर उपलब्धता की मांग अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करती है। टिकाऊ कृषि में अक्सर मौसमी और स्थानीय रूप से अनुकूलित प्रथाएं शामिल होती हैं, जो वैश्विक बाजार की मांगों से टकरा सकती हैं जो उपज की लगातार और प्रचुर आपूर्ति की उम्मीद करता है। यह तनाव स्थिरता के सिद्धांतों के अनुरूप खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग पैटर्न में प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

हालाँकि, इन चुनौतियों के बीच नवाचार, सहयोग और नीतिगत हस्तक्षेप के अवसर छिपे हैं। सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नीतिगत ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि पारिस्थितिकी, सटीक खेती और टिकाऊ जल प्रबंधन में अनुसंधान और विकास का समर्थन करने से अधिक कुशल और लचीली कृषि प्रणालियों का उदय हो सकता है।

प्रौद्योगिकी भी टिकाऊ कृषि के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। सेंसर, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति द्वारा संचालित सटीक खेती, किसानों को संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, फसल स्वास्थ्य की निगरानी करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सक्षम बनाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी में कीटों, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीलेपन के साथ फसलों को विकसित करने की क्षमता है, हालांकि उनकी तैनाती में नैतिक और पारिस्थितिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना सर्वोपरि है।

सतत कृषि में कृषि पारिस्थितिकी की भूमिका – कृषि पारिस्थितिकी, एक समग्र और अंत:विषय दृष्टिकोण के रूप में, टिकाऊ कृषि के सार का प्रतीक है। यह पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और उनके पर्यावरण के बीच जटिल बातचीत को पहचानते हुए, कृषि प्रणालियों में पारिस्थितिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाएं जैव विविधता, मिट्टी के स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर जोर देती हैं, जो कृषि प्रणालियों के लिए एक खाका पेश करती हैं जो उत्पादक और पर्यावरण के अनुकूल दोनों हैं।

विविध कृषि प्रणालियाँ कृषि पारिस्थितिकी की एक प्रमुख विशेषता हैं। मोनोकल्चर पर भरोसा करने के बजाय, कृषि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पॉलीकल्चर, कृषि वानिकी और इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देते हैं। ये प्रथाएं जैव विविधता को बढ़ाती हैं, फसल की विफलता के जोखिम को कम करती हैं और अधिक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। पॉलीकल्चर में एक ही क्षेत्र में कई फसलों की खेती करना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की नकल करना और कृषि प्रणाली की कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना शामिल है। कृषि वानिकी पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कार्बन पृथक्करण और लाभकारी कीड़ों के लिए आवास जैसे कई लाभ मिलते हैं।

कृषि पारिस्थितिकी स्वस्थ मिट्टी के निर्माण और रखरखाव पर भी जोर देती है। मिट्टी केवल पौधों के विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि सूक्ष्मजीवों, कवक और अन्य जीवों से भरा एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। कवर क्रॉपिंग, हरी खाद और न्यूनतम जुताई जैसी प्रथाएं कटाव को रोककर, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाकर और लाभकारी मिट्टी के जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देकर मिट्टी के स्वास्थ्य में योगदान करती हैं। ये रणनीतियाँ न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं बल्कि इसकी जल धारण क्षमता में भी सुधार करती हैं, सूखे के प्रभाव को कम करती हैं और सिंचाई की आवश्यकता को कम करती हैं।

जैव विविधता का संरक्षण कृषि पारिस्थितिकी का एक मूल सिद्धांत है। पारंपरिक कृषि, बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, अक्सर विविध पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान और देशी प्रजातियों के विस्थापन का कारण बनती है। दूसरी ओर, कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाएं ऐसे कृषि परिदृश्य बनाने की कोशिश करती हैं जो प्राकृतिक आवासों की नकल करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के सह–अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। यह न केवल जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देता है बल्कि बाहरी झटकों के प्रति कृषि प्रणाली की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।

कृषि पारिस्थितिकी और सामाजिक समानता – अपने पारिस्थितिक आयामों से परे, कृषि पारिस्थितिकी स्थिरता के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी संबोधित करती है। टिकाऊ कृषि को वास्तव में प्रभावी होने के लिए किसानों और ग्रामीण समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देनी होगी। कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाएं अक्सर स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक भागीदारी और किसान नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देकर छोटे किसानों को सशक्त बनाती हैं।

कृषि पारिस्थितिकी की प्रमुख विशेषताओं में से एक पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान पर निर्भरता है। पीढ़ी–दर–पीढ़ी विकसित की गई स्वदेशी और पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, अक्सर स्थानीय पारिस्थितिक स्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं। कृषि पारिस्थितिकी इस ज्ञान को आधुनिक कृषि प्रणालियों में संरक्षित और एकीकृत करने के महत्व को पहचानती है। ऐसा करने से, यह न केवल समुदायों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि किसानों के बीच स्वामित्व और एजेंसी की भावना को भी बढ़ावा देता है।

सामुदायिक भागीदारी कृषि पारिस्थितिकी की एक और आधारशिला है। शीर्ष–नीचे दृष्टिकोण के विपरीत, जो समान समाधान सुझाते हैं, कृषि–पारिस्थितिकी प्रथाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसानों को शामिल किया जाता है। किसान क्षेत्र स्कूल, सहभागी अनुसंधान और ज्ञान–साझाकरण मंच किसानों को अनुभवों का आदान–प्रदान करने, नई तकनीकों के साथ प्रयोग करने और सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाते हैं। यह बॉटम–अप दृष्टिकोण न केवल किसानों को सशक्त बनाता है बल्कि कृषि प्रणालियों के लचीलेपन और स्थिरता में भी योगदान देता है।

किसान नेटवर्क का विकास कृषि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये नेटवर्क किसानों को संसाधनों को एकत्रित करने, ज्ञान साझा करने और सामूहिक रूप से अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देकर, कृषि–पारिस्थितिकी दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों में सामाजिक एकजुटता और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। किसान–से–किसान विस्तार मॉडल,

जहां अनुभवी किसान अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं, टिकाऊ प्रथाओं के प्रसार और स्थानीय विशेषज्ञता के निर्माण में योगदान करते हैं।

सतत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता – टिकाऊ कृषि के बारे में लगातार गलत धारणाओं में से एक यह है कि पारंपरिक खेती की तुलना में यह आर्थिक रूप से अलाभकारी है। हालाँकि, सबूत बताते हैं कि, लंबे समय में, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं और, कुछ मामलों में, अधिक लाभदायक हो सकती हैं।

टिकाऊ प्रथाओं में प्रारंभिक परिवर्तन में कुछ लागतें शामिल हो सकती हैं, जैसे नए उपकरणों में निवेश करना, वैकल्पिक इनपुट अपनाना, या खेती की तकनीक बदलना। हालाँकि, समय के साथ, स्थिरता के लाभ अक्सर इन शुरुआती खर्चों से अधिक हो जाते हैं। जैविक खेती जैसे अभ्यास, जो सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचते हैं, शुरू में कीट प्रबंधन और कम पैदावार में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिर भी, लंबी अवधि में, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, कम इनपुट लागत और अक्सर जैविक उत्पादों द्वारा प्राप्त प्रीमियम कीमतें जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना सकती हैं।

सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन – जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। चरम मौसम की घटनाएं, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बढ़ता तापमान और कीटों और बीमारियों की बढ़ती आवृत्ति पहले से ही कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर रही है। टिकाऊ कृषि, लचीलेपन और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने और उनका सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरती है।

कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाएं मिट्टी और बायोमास में कार्बन को सोखकर जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान करती हैं। कृषि वानिकी प्रणालियों में पेड़ और बारहमासी फसलें कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करती हैं। कवर फसल और न्यूनतम जुताई प्रथाएं भी मिट्टी में कार्बन पृथक्करण को बढ़ाती हैं, जिससे पारंपरिक कृषि से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अलावा, कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के माध्यम से मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार, सूखे या बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रति फसलों की लचीलापन को बढ़ाता है, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में योगदान देता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी पानी की कमी, कृषि में एक गंभीर मुद्दा है। वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता उपायों सहित सतत जल प्रबंधन प्रथाएं, किसानों को बदलती जल उपलब्धता के अनुरूप ढलने में मदद करती हैं। सटीक कृषि प्रौद्योगिकियाँ फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सिंचाई करके पानी के इष्टतम उपयोग को सक्षम बनाती हैं, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। मिट्टी की संरचना और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने वाली कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाएं सूखे के प्रभाव को कम करते हुए, जल प्रतिधारण में भी सुधार करती हैं।

फसल विविधता, टिकाऊ कृषि का एक प्रमुख घटक, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोनोकल्चर कीटों, बीमारियों और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो पूरी फसल को नष्ट कर सकते हैं। इसके विपरीत, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों के मिश्रण के साथ विविध कृषि प्रणालियाँ, जलवायु से संबंधित जोखिमों के खिलाफ एक बफर प्रदान करती हैं। फसलों के भीतर आनुवंशिक विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन किस्मों के विकास की अनुमति देती है जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रति लचीली हैं।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में टिकाऊ कृषि की भूमिका कृषि प्रथाओं से परे तक फैली हुई है। कृषि पारिस्थितिकी, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देने के साथ, जमीनी स्तर पर अनुकूली क्षमता के निर्माण में योगदान देती है। सहभागी अनुसंधान और विस्तार सेवाओं द्वारा समर्थित किसान नेटवर्क, समुदायों को जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामूहिक रूप से जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, टिकाऊ कृषि कृषि-जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष – सतत कृषि एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता की अनिवार्यताओं के साथ खाद्य उत्पादन की जरूरतों को सुसंगत बनाने का प्रयास करती है। टिकाऊ कृषि की बहुमुखी प्रकृति में कृषि पारिस्थितिकी, सटीक खेती, जल प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण जैसी प्रथाएं शामिल हैं। जबकि आर्थिक विचार, नीतिगत जड़ता और कृषि आपूर्ति श्रृंखला की वैश्वीकृत प्रकृति सहित चुनौतियाँ बनी हुई हैं, नवाचार, सहयोग और परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा बी.एल., कृषि भूगोल, साहित्य भवन आगरा सन् 1989 पृ0सं0 – 155
2. डॉ. प्रसाद गायत्री एवं डॉ. नौटियाल राजेश, पर्यावरण भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, सन् 2006, पृ.स. – 273
3. सिंह सविन्द, पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, सन् 2011 पृ.स. 485
4. डॉ. प्रसाद गायत्री एवं डॉ. नौटियाल राजेश, पर्यावरण भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, सन् 2006, पृ.सं. – 309
5. डॉ. मामोरिया एवं डॉ. जोशी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा सन् – 2013, पृ.सं. – 69
6. एलन, टी.; प्रोस्पेरी, पी. टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की मॉडलिंग। पर्यावरण, मैनेज, 2016, 956–975
7. बरबेरी, पी. कार्यात्मक कृषि जैव विविधता: स्थिरता की कुंजी। कृषि स्थिरता में : फसल अनुसंधान में प्रगति और संभावनाएँ ; भुल्लर, एस., भुल्लर, के., एड.; एल्सेवियर: लंदन, यूके, 2013; पृ. 3–20.

****

Exploring Environmental Accounting Disclosure in Indian Corporate Practices

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - The field of environmental accounting divulgence with regards to Indian strategic approaches, determined to explain the subtleties and patterns connected with how organizations report on their environmental supportability. Utilizing a careful strategy, the review investigates how much environmental effect Indian organizations make on their monetary reporting systems and the sorts of data they uncover. Another strategy for reporting and accounting called environmental accounting has arisen because of environmental issues, environmental mindfulness, environmental responsibility, and reasonable modern development. The objective of this field is to guarantee that all financial backers, instructive establishments, media, and investors approach straightforward environmental data that is equivalent to corporate monetary reporting. Considering the meaning of the climate and the proactive endeavours of Indian organizations to safeguard it through changes to their modern cycles and the execution of environmental reporting and examining. The review intends to decide what Indian companies' environmental accounting and straightforwardness strategies mean for the factors that influence investor creation. To dissect the review, scientists utilized information from the latest year, 2016-17.

Keywords: Environmental Degradation, Environmental Accounting, Social Responsibility, Environmental Reporting.

Introduction - Accounting for the climate supports the exact assessment of the expenses and benefits of organizations' environmental conservation drives. To help administrative navigation, control, and openly disclosable environmental reporting (satellite records) or reporting related to the Yearly/ Monetary Reports, or Manageability Reporting (which addresses the financial, environmental, and social issues), it offers a standard system for associations to recognize and represent past, present, and future environmental expenses. The seriousness of environmental issues as an overall peculiarity adversely influences our way of life. At the public and worldwide levels, steps are being finished to decrease, stop, and diminish its impacts on the political, social, and monetary spaces. Obligatory corporate environmental divulgence is a necessity of many states' environmental administration systems. Corporate environmental reports that give environmental information to the general population are made simpler by these commands. The quantity of non-monetary corporate environmental execution reports has fundamentally expanded, as seen by partners on the Indian subcontinent.

Better environmental administration and general corporate administration have benefited enormously from the presentation of corporate environmental reporting, or CER, to India. Customary reporting is currently superfluous on the grounds that partners are as of now mindful of organization environmental execution on a worldwide scale. Assuming that environmental execution information is barred from standard reporting from now on, corporate elements face the gamble of losing the trust of their partners. Partner assumptions for environmental straightforwardness can't be fulfilled by only sticking to compulsory environmental reporting. Regardless of how severe the prerequisites are, compulsory reporting is only a base legally necessary. Worldwide, organizations effectively make progress toward expanded exposure receptiveness as a principal capability. Online environmental revelation is what logical reporting will resemble from here on out. Numerous new public and global surveys have found that the quantity of organizations reporting on the web is developing. The present journalists view the web as an exceptionally helpful device for reporting. The present corporate substances are moving their reporting to be socially responsible.

Obligatory and intentional exposures are the two principal classifications into which Indian firms' environmental reporting falls. This study's primer examination demonstrates that more Indian organizations are taking part in willful environmental reporting using satellite, manageability, GRI, web, and other reporting stages. Business Today, a business diary, and The Energy Research Institute directed the very first cross-country survey in 2001 to become familiar with corporate India's

environmental strategies. Understanding Indian partnerships' internet based environmental divulgence techniques is the essential objective of this research. The current review has noticed that Indian companies participate in an assortment of web based reporting rehearses, like free environmental reporting through satellite records, reporting related to yearly/monetary reports, or manageability reporting that envelops social, environmental, and financial viewpoints.

Objectives of The Study:

1. To research Indian standards for environmental reporting and accounting
2. To investigate how shareholder value creation variables are affected when policies and system variables are disclosed.
3. To investigate how shareholder value creation variables are affected by operational aspects variables disclosed.

Literature Review

Neetu Prakash (2016), concentrated on that, Environmental Accounting in India-An Overview of chosen Indian Enterprises. The review depends on ID of yearly reports of 85 Indian organizations and shows that Indian Organizations are revealing environmental accounting on a willful premise with in a positive way as it were. At last, the concentrate likewise features the a few ideas for the consolation of environmental accounting in India, which presumes that, In India, there is no lawful impulse on the corporate' part to record and report for the environmental issues that is the reason organizations are uncovering environmental issues on a deliberate premise with in a positive way as it were. Hence, there is need to advocate the advantages of environmental reporting among the modern's local area.

Bharti Manglani (2016); the development of corporate level environmental accounting and the issues encompassing it were endeavored to be tended to in the concentrate on environmental accounting rehearses in Indian units. The review is being led concerning the environmental reporting and accounting rehearses utilized by test Indian undertakings. One pivotal method for correspondence between business elements and the rest of the world is corporate reporting. The significance of data in going with financial choices has been consistently becoming as the business world has become more complicated. It is likewise recognized that environmental reporting has turned into a part of monetary reporting because of partners' expanded environmental mindfulness. In any case, the examination of test units prompts the end that, in spite of the improvement of climate reporting in Indian corporate reporting, it misses the mark on major characteristics of accounting data — to be specific, likeness and unquestionable status.

Anita Shukla & Nidhi Vyas (2013); This article looks at the theoretical underpinnings of environmental accounting and reporting, explicitly zeroing in on modern players like ONGC and BPCL. Following suitable examination, the researcher presumed that there has been no adjustment of the environmental accounting rehearses situation. In spite of the fact that their environmental arrangement exhibits that they are working vigorously to work on environmental security, the research discoveries don't feature the natural expense, obligation, or consumption.

Muninarayannappa& Augustin Amaladas (2014); The purpose of the study is to talk about how important environmental accounting is to the curricula of Indian universities. The primary and numerous secondary sources have provided the data needed for the investigation. The nature of this research is descriptive. With the impending implementation of environmental accounting by the Indian government, commerce teachers will be able to educate their students by providing them with accurate estimates of environmental damages, pollution costs both upstream and downstream, market recovery (carbon credits), management activity costs, costs associated with research and development, costs associated with social programmes, and costs associated with handling environmental damage.

Sonia Kundra (2013); inspected Indian organizations' environmental exposure practicesThis investigation of Clever Organizations involved content examination as the research system, and the example comprised of Clever Organizations. It shed light on the condition of green drives in the Indian setting and tended to how the organizations report on these issues, whether through sites, yearly reports, or other channels. Thusly, the review arrived at the resolution that becoming green is the freshest pattern in contemporary business; Indian associations are likewise following this point and uncovering their green practices. They underscore that their technique shouldn't harm the climate on the off chance that it could do nothing to further develop it.

Research Methodology : The accompanying diagrams the research strategy that was utilized. There is conversation of the reliant and autonomous factors, the measurable techniques utilized, and the various businesses that were picked for examination. The yearly reports and stock trades gave the information utilized in this review.

Research strategy gives direction to researchers on the best way to achieve the review's objective. The researcher has utilized in this examination. The researcher has picked seven elements connected with investors' worth creation as reliant factors and the discloser as a free factor. The accompanying information for the years 2016-17 was gotten from auxiliary sources:

Sources of Data :

1. This planned research project has made use of secondary sources of data.
2. Secondary data has been gathered from stock prices and company annual reports.

Sample Size : The researcher has chosen 51 of the top Indian recorded organizations.

In this review, a sum of 11 environmental accounting factors were utilized to look at the impacts of these factors' divulgence in yearly reports on the factors that action how much worth investors make. The accompanying rundown contains 11 environmental accounting factors.

Period of Data Coverage : The 2016–17 annual report has been examined.

Tools And Techniques : For this research examination, the researcher utilized measurable devices from SPSS and Microsoft Succeed. The impact of environmental variable revelation on investor esteem creation factors, like income from activities/share, profit pay-out proportion, and EV/net working income, has been analyzed utilizing relapse examination. Environmental variable exposure is viewed as a free factor, though investor esteem creation factors are viewed as reliant factors.

Data Analysis

1. Impact of Disclosure of Existence of Policies and Systems Variables on Shareholder's Creation Variables

1.1. Existence of Policies and Systems VS EV/Net Operating Revenue

Table 1:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.111870
R Square	0.012517
Adjusted R Square	-0.00808
Standard Error	2.072253
Observations	51

Table 2:Anova

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	2.612274	2.612274	0.608324	0.439250
Residual	49	206.1230	4.294227		
Total	51	208.7353			

Table 3: (see in last page)

Different R = 0.111 shows that the divulgence of the presence of strategies and systems variable of the organizations under study and EV/Net Working Income don't have a direct association.

The ANOVA table shows that there is no straight connection between EV/Net Working Income and the revelation of the presence of strategies and systems variable of the associations under study, with a p-worth of 0.440, more noteworthy than the predetermined α of 0.05.

1.2. Existence of Policies and Systems VS Dividend Pay-out Ratio

Table 4:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.22990
R Square	0.052850
Adjusted R Square	0.033119
Standard Error	77.31450
Observations	51

Table 5:Anova

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	16010.9	16010.9	2.678315	0.108266
Residual	49	286923.6	5979.55		
Total	51	302933.3			

Table 6: (see in last page)

Different R = 0.230 shows that the exposure of the organizations under study's presence of strategies and systems and profit payout proportion don't have a direct relationship.

The ANOVA table shows that there is no direct connection between the organizations under study's revelation of their arrangements and systems and profit payout proportion (p-worth of 0.110, more noteworthy than the foreordained α of 0.05).

1.3. Existence of Policies and Systems VS Revenue from Operations/Share (Rs.)

Table 7:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.170254
R Square	0.028988
Adjusted R Square	0.008758
Standard Error	977.9589
Observations	51

Table 8:Anova

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	1370386	1370386	1.432853	0.237180
Residual	49	45907353	956403.3		
Total	51	47277736			

Table 9: (see in last page)

The different R worth of 0.172 proposes that there is no straight connection between's the organizations under study's exposure of the presence of their arrangements and systems and their income from tasks per share (Rs). The ANOVA table uncovers that there is no straight connection between the revelation of the presence of strategies and systems variable of the associations under study and income from tasks/share (Rs.), with a p-worth of 0.239 higher than the predetermined α of 0.05.

1.4. Impact of Disclosure of Operational Aspects Variables on Shareholder's Creation Variables

1.4.1. Operational Aspects VS EV/Net Operating Revenue

Table 10:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.015233
R Square	0.000234
Adjusted R Square	-0.0208
Standard Error	2.085100
Observations	51

Table 11:Anova

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	0.048427	0.048427	0.011140	0.916390
Residual	49	210.6868	4.347640		Total
51	210.7353				

Table 12:(see in last page)

Different R = 0.017 shows that the divulgence of Functional Viewpoints variable of the associations viable and EV/Net Working Income don't have a direct association.

The ANOVA table shows that there is no direct connection between EV/Net Working Income and the divulgence of Functional Viewpoints variable of the associations viable, with a p-worth of 0.918, more prominent than the predetermined α of 0.05.

1.4.2.Operational Aspects VS Dividend Pay-out Ratio

Table 13:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.255058
R Square	0.065055
Adjusted R Square	0.045577
Standard Error	76.81479
Observations	51

Table 14:Anova

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	19708.70	19708.70	3.339829	0.073844
Residual	49	283226.7	5902.510		
Total	51	302933.3			

Table 15:(see in last page)

Numerous R = 0.257 shows that the exposure of Functional Perspectives variable of the organizations viable and the profit payout proportion don't have a straight association.

The ANOVA table demonstrates that there is no direct connection between the divulgence of Functional Angles variable of the organizations under research and the profit payout proportion (p-esteem 0.09, more noteworthy than the predetermined α of 0.07).

1.4.3.Operational Aspects VS Revenue from Operations/Share (Rs.)

Table 16:Regression Statistics

Regression Statistics

Multiple R	0.028716
R Square	0.000826
Adjusted R Square	-0.011000
Standard Error	992.0389
Observations	51

Table 17:Anova

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	38980.49	38980.49	0.039610	0.84310
Residual	49	47238757	984141.9		
Total	51	47277736			

Table 18:(see in last page)

There is no straight connection between the divulgence of the Functional Perspectives variable of the organizations viable and Income from Tasks/Offer (Rs.), as shown by the different R = 0.030.

The ANOVA table shows that there is no direct connection between Income from Tasks/Offer (Rs.) and revelation of Functional Angles variable of organizations thought about (p-esteem 0.845, more prominent than determined α of 0.05).

Conclusion: Exploring environmental accounting straightforwardness in Indian corporate practices has given significant new data about how corporate environmental responsibility is evolving. The research examination prompts the end that environmental accounting and reporting are significant in the advanced world. Indian organizations are working harder to safeguard the climate. They have made it fundamental for them to review their inward systems and to prepare their staff on the most proficient method to diminish contamination that hurts the climate. The information investigation prompts the end that the investor's worth creation factors are unaffected by the revelation of environmental factors. It suggests that the environmental accounting and straightforwardness practices of Indian partnerships make little difference to their exhibition. The presentation of Indian companies in the financial exchange, benefit, and not entirely settled by their functional exercises rather than by the environmental accounting and exposure rehearses.

References :-

1. Anita Shukla & Nidhi Vyas (2013); Environmental Accounting and Reporting in India (A Comparative study for Bharat Petrolium Company and ONGC; Pacific Business Review International, Volume 5, Issue 3 (January 2013).
2. Bharti Manglani (2016); A study of environmental accounting practices in Indian corporate units; International Journal of Commerce and Management research; vol. 6, Issue 2, December 2016, Pp. 62-75.
3. Bhasin, M. L. (2012). Corporate environmental reporting on the internet: an exploratory study. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 4(1), 78-103.
4. Hall, J.H. (2013), "Toward improved use of value creation measures in financial decision-making", Journal of Applied Business Research, Vol. 29 No. 4, pp. 1175-1188.
5. Islam, M., &Dellaportas, S. (2011). Perceptions of corporate social and environmental accounting and reporting practices from accountants in Bangladesh. Social responsibility journal, 7(4), 649-664.
6. Japee, G. P. (2012). Study of environmental accounting and disclosure practices in listed indian companies.
7. Kapoor, D., & Sharma, P. (2016). Environmental accounting: pillar of corporate social responsibility and disclosure. International Journal of Philosophy and Social-Psychological Sciences, 2(3), 97-114.

8. Khan, S., Chouhan, V., Chandra, B., & Goswami, S. (2014). Sustainable accounting reporting practices of Indian cement industry: An exploratory study. Uncertain Supply Chain Management, 2(2), 61-72.
9. Lakshmi, V. V., & Devi, K. S. (2018). Environmental Accounting Reroting Practices in India-Issues and Challenges. Engineering Technology, 6(8).
10. Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green accounting practices: lesson from an emerging economy. Qualitative Research in Financial Markets, 11(4), 456-478.
11. Makori, D. M., &Jagongo, A. (2013). Environmental accounting and firm profitability: An empirical analysis of selected firms listed in Bombay stock exchange, India. International Journal of Humanities and Social Science, 3(18), 248-256.
12. Malik, P., & Mittal, A. (2015). A Study of Green Accounting Practices in India. International Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM), 779-787.
13. Muninarayannappa& Augustin Amaladas (2014); Environmental Accounting: A Curriculum Model to Indian Academia; European Scientific Journal; Vol.2 (special), September 2014.
14. Neetu Praksh (2016); Environmental Accounting in India- A Survey of selected Indian Industries; Asian Journal of research in social science and humanities; Vol. 6, No. 7, July 2016, Pp. 1690-1705.
15. Osemene, O. F., Adinnu, P., Fagbemi, T. O., &Olowookere, J. K. (2021). Corporate governance and environmental accounting reporting in selected quoted African companies. Global Business Review, 09721509211010989.
16. Pandey, S. N., & Kumar, A. (2016). Exploring the association between environmental cost and corporate financial performance: A study of selected NIFTY companies. NMIMS Management Review, 31, 12-21.
17. Qian, W., Tilt, C., & Belal, A. (2021). Social and environmental accounting in developing countries: Contextual challenges and insights. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(5), 1021-1050.
18. Qureshi N. (2012). Environmental Accounting and Reporting: An Essential Component of Business Strategy, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol.2 Issue 4, April
19. Sen, M., Mukherjee, K., &Pattanayak, J. K. (2011). Corporate environmental disclosure practices in India. Journal of Applied Accounting Research, 12(2), 139-156.
20. Sonia Kundra (2013); studied Environmental Disclosure Practices by Companies in India-A Study of Nifty Companies; Pacific Business review international; Vol. 6, Issue 3, August 2013.

Table 3:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	2.166018	0.813378	2.662998	0.010510	0.530617	3.801419
X Variable 1	0.156559	0.200728	0.77997	0.439250	-0.24705	0.560146

able 6:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	-4.29283	30.34659	-0.14148	0.888100	-65.3089	56.72308
X Variable 1	12.25616	7.488988	1.636557	0.108266	-2.80150	

Table 9:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	115.2850	385.8570	0.295125	0.769175	-658.513	885.0808
X Variable 1	115.3924	96.72895	1.197020	0.237180	-77.0733	303.8577

Table 12:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	2.804577	0.53236	5.268395	3.21E-08	1.734236	3.874918
X Variable 1	-0.0160	0.149734	-0.10556	0.916390	-0.31688	0.285257

Table 15:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	12.1964	19.61135	0.621898	0.536955	-27.237	51.62744
X Variable 1	10.08083	5.516119	1.827520	0.073844	-1.01010	21.17173

Table 18:Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	585.8737	255.2743	2.305304	0.025518	76.6319	1095.117
X Variable 1	-16.1779	73.23894	-0.19904	0.84310	-159.415	130.0579

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

The Shadow Lines of Memory and Reality in Amitav Ghosh's the Shadow Lines

Dr. Sofia Nalwaya*

***Associate Professor (English) Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - *The Shadow Lines*, second novel written by the Anglo-Indian writer Amitav Ghosh was published in 1988. The setting of the novel is the Indian middle class social milieu of Calcutta. These lines from *The Shadow Lines* sum up the entire narrative technique of the novel in which Ghosh uses memory as a medium for narration.

Everyone lives in a story... my grandmother, my father, his father Lenin, Einstein and lots of other names I hadn't heard of: they all lived in stories, because stories are all that there are to live in, it was just a question of which one you chose.[1]

The narrative revolves around two families – the Datta-Chaudharis of Bengal and the Prices of London. The relationship of the Dattas and Prices began with the friendship of Lionel Tresawen and Mr. Justice Chandrashekhar Datta-Chaudhari. Lionel Tresawen is a versatile man with sporadic education but immense skill and a great deal of ambition. He met Justice Datta-Chaudhari at the séances conducted by a Russian lady in Calcutta. Although Lionel Tresawen moved back to England on the insistence of his wife, the friendship of the two families continued for three generations. The legacy friendship was carried forward in the next generation by Lionel Tresawen's daughter married to her college teacher named S.N.I. Price better known as "Snipe"'. When Justice Choudhari's son, Mayadebi's husband, was taken to England for an operation, he had in fact stayed in Mrs. Price's house. In the third generation this friendship was further converted into a relationship with the marriage of Mrs. Price's son Nick and Mayadebi's granddaughter Ila.

The story begins in colonial India and culminates somewhere around the time East Pakistan was formed in the 1960s. India, Bangaladesh and England all three countries thus contribute in the building up of the lore of the narrative. The political events that serve as a backdrop in this novel are Bengal's freedom movement, the Second World War, the partition of India and the feelings of communal hatred – that gripped East Pakistan (later Bangladesh) following the Hazratbal incident in Srinagar in 1964. Ghosh's preoccupation with shadow lines or demarcations as "arbitary and invented decisions between people and nations" has been questioned by A.N.Kaul. According to Kaul "*The Shadow Lines* ends up attributing value and a higher reality to a sort of amorphous romantic subjectively." [2] Through the impact of these political events on private life of people, Ghosh successfully creates a nexus between historical moment and the world of fiction.

The narrator in his imagination lives in the world exhibited in the atlas. So the places mapped up in the atlas actually unfold themselves in the young boy's imagination who dwells in the lanes and ways exhibited in the atlas. So familiar is he with the world laid open to him in Bartholomew Atlas that when he really gets an opportunity to visit these places, he shocks everyone by his familiarity with London of the 'yester' years. He lives in the present with the others but in fact he also is a co-sharer of the world of the others: their past and their memories. So this book in particular abounds in imagination:

Discrete and non-sequential units of time and place are conflated to carry the main narrative burden. The multiple switches in the narrative from one time-sequence to another or the apparent achronicity constitutes a counterpoint to hegemonic history or the grand narratives of the nation a key device in the novel to unpack specific predicaments and traumas of individuals. [T]he narrator remains not only the 'large lucid reflector' but also agentive site where random shards of memory are realigned towards some measure of coherence.[3]

Here is a characteristic device employed by Ghosh as he erases the "Shadow Lines" between past and present by the juxtaposition of both on a common plane of memory. This sense of identification can also be the imagination of the narrator who loves Ila his first cousin. In the love of the narrator for Ila who is his first cousin (love between cousins is considered incest in Hindus) there is again an inkling of the shadowy nature of lines drawn by social conventions or traditions. Human mind, emotions and feelings can never be restricted by such restrains. Lines may be drawn between relations, nations and people but these lines cannot restrict the flow of feelings trans-relations, nations or people.

The narrator lives in a world inhabited by the various people around him. He cannot understand why people want to be free: "how they went mad wanting their freedom; I began to wonder whether it was I that was mad because I was happy to be bound: whether I was alone in knowing that I could not live without the clamour of the voices within me" (*SL 89*). In fact in *The Shadow Lines* there is a repeated insistence on freedom as Tridib warns the narrator in the early part that unless one invented one's own story one cannot be free of other people's inventions. Thus Ila has her Eurocentric master myth of which she thinks she can be a part merely by joining the activists in rallies and later by getting married to an European. Th'amma, the narrator's grandmother, has a notion of nationalism that rejects all the people who live beyond the borders. This is the reason why she detests Ila's living in London.

The narrator lives in his memories and thus has lived his life more than his age in years. He had lived through the exhilaration of London in 1939, during the Second World War through the memories of others. Mayadebi feels it to be the best time to visit England because the war had washed away the inhibitions of the people arising out of racial discrimination which made them more benevolent towards the easterners. Although, war divides nations but it unites people inhabiting the same nation, dissolving all disparities irrespective of their nationality. Not only is the unnamed narrator aware of the geometric details of episodes such as the newspaper read by people at particular time, the activities described in it and the life histories of the people involved, but also the conversations that took place between people at that point of time. He is thus able to envision the exact living situation of the people, the exact conversation that took place between them and also their future demonstrating the catastrophe caused by wars by a look at the picture in Mrs. Prices' drawing room that was taken in 1939. Even as past and present interpenetrate into one another, there is somehow some device to demarcate the past from the present. In this case it is the camera which in the early days was an alien eye which captured the carefully planned moment as against the present time when it has transformed into a friendly eye rotating its view on people. Yet even the narrator feels there are some emotions peculiar to particular persons which cannot be imagined or experienced by others: "Nobody knows, nobody can even know, not even in memory because there are moments in time that are not knowable" (SL 68).

The novel is divided into two sections "Going Away" and "Coming Home". We are familiarised with the life, social circle character and personality of each of the important personages. There is an conglomeration of each individual's experience, the medium being the narrator's mind which constantly dissolves and dissipates the boundaries between past and present, memory and reality. This section ends with "Going Away" and is symbolic "going away of some part of the narrator's life: "I knew that a part of my life as a human being had ceased: that I no longer existed, but as a chronicle" (*SL* 194).

The second section entitled "Coming Home" begins in the year 1962 and the narrator is shown in his tenth year. Following the precise curve of memories, the passage of time is carefully described by evident changes. When the narrator's grandmother retires in 1962, the memory is rendered virtual by the precision of description. The omission of the name of the school in this particular instance is a carefully construed device to make the situation and incidents more prominent.

After her retirement Th'amma's starts retracting from the surroundings into the world of her memories, world of her childhood – Dhaka. Thus, parallel to the world of reality and the world of the author's memories, there is yet another world; the world of Th'amma's home Dhaka. This multiple patterns of memory cross and crisscross with the constant evolution of space: space as in reality, the space of individual memories and the world of collective memories. What is significant or insignificant depends upon the state of the mind. What is the most significant thing for the narrator fails to capture the slightest attention of Th'amma. Again we see an aspect of human nature in the attempts of the narrator to capture the attention of his grandmother. He had earlier resented the strict control exhibited by his grandmother over his homework but now he devises tricks to attract her attention even if it results in punishment. We are here reminded of *Paradise Lost* and the paradox of the fall: until a thing is lost its importance cannot be realized. Only after his grandmother has lost her interest in the core of day-to-day activities does the narrator realize the love hidden in her punishments.

Eventually the narrator is able to venture the memory path of his grandmother which is interpolated with her childhood memories of her family of Dhaka. From here the author's journey through Dhaka via his grandmother's memories begins. In the partition of the Th'amma's house post demise of her grandfather is the perfect illustration of most illogical use of logic by human beings. The house is divided with such meticulous precision that it the wall running through the centre renders many things useless. People use logic mostly to divide and never to unite. The hostility leading to this partition increases with time and is further increased by lack of communication between the two families. They build up stories about the others and repeat it so many times that they themselves start believing it as true. The bitterness increases to such an extent that even the children cannot bring themselves to talk to each other. The situation of Thamma's home is a perfect allegory of the situation of the Indian subcontinent. As Suvir Kaul aptly comments:

What is significant here is that communal crises are also, in the context of the Indian subcontinent, national crises, that the line that divides the nations (India and

Pakistan) is also a line that is constructed by communal difference. One is a mirror of the other, hence "looking glass border" since across that border is not an other but the divided Indian self. It is this self across the border that renders secular Indian nationalism a failure since it has not united with the self…. The formation of Pakistan and the partition are registers of this failure of the national imagination to deal with communalism and Pakistan (East and west) becomes "otherised" in the national history.[4]

The partition of the house permanently marks its stamp on the mind of the Th'amma. She becomes suspicious of the word "brother" and if anybody professes of brotherly love she becomes cautious in dealing with that person. Her bitter family experiences make her have a single child so that he does not have any brother. The grandmother is an oddly lovable creature who has fixed notions for certain things in life. After her husband's death her decision to not seek help from anyone, she fortifies herself in her pride so that no one can reach her. Later she interprets this as the meanness of her relatives who she believed had frowned upon her in her hard times whereas the reality is:

it was she who in the fierceness of her pride, had severed connections with most of her relatives, and had refused to accept any help from them at all.... The price she had paid for that pride was that it had come to be transformed in her imagination into a barrage of slights and snubs; and imaginary barrier that she believed her gloating relatives had erected to compound her humiliation (*SL* 129).

Emotions somehow find a way to cut through this fortification of her bitter memories. Thus, when Th'amma comes to know that her uncle is still alive and is living amidst refugees, she is completely shaken and from now on, saving him and bringing him back to her own country becomes the motive of her life. Here again, we see the paradox operating in Th'amma's life which envelopes the condition of entire humanity.

Born and brought up in Dhaka, Th'amma had come to India after her husband's death. Slowly and gradually she had accepted it as her own country because it is a place where she made her own identity and struggled her way through life. She has a firm faith in the lines, which exist between countries because she believes them to be drawn by blood. Anyone who tries to cross these lines is violating the sacredness of the sacrifice of the people who died for their country. Thus, she is horrified when she comes to learn that her uncle is living amidst refugees in Dhaka and at once decides to rescue him to India not realising that Dhaka is for the old man his real home because "home is where the heart is." The term "refugee" too has a specific meaning for her. When her son tries to equate their coming to India with the migration of the refugees she snaps back "We're not refugees... we came long before Partition" (*SL* 131).

She believes that the partition of India and Pakistan made a drastic difference to both the countries and inherently also divided the people. So when she visualises that no physical border has been drawn in between the two countries she is shocked. Her questions reveal the futility of wars and bloodshed and Partitions:

But if there aren't any trenches or anything, how are people to know? I mean, where's the difference then? And if there's no difference both sides will be the same; it'll be just like it used to be before, when we used to catch a train in Dhaka and get off in Calcutta the next day without anybody stopping us. What was it all for then – partition and all the killing and everything ... if there is not something in between (*SL* 152)?

Th'amma had always managed things to be neat and in place so it comes as a shock to her that her place of birth "Dhaka" was messily at odds with her nationality "India." Her nationality shared an unnamed hostility with her birthplace, Dhaka, that was now a part of East Pakistan. When she actually reaches Dhaka she is unable to decipher any difference between India and Pakistan, as she points out there is no essential difference between the bare glass – and- linoleum airport in Dhaka and India. For her Dhaka was the city of her memories, the place that had surrounded their old house, so after watching the transformed face of Dhaka she keeps on asking persistently "Where's Dhaka" (*SL* 194-95)? Sadly she concedes that she is more foreign in Dhaka than May because unlike May, a European (who didn't need a visa to be in Dhaka), Th'amma needed a visa to visit her place of birth because of her nationality.

Her journey to her old house in Dhaka is a relief for her and Th'amma is overwhelmed to finally find the Dhaka of her memories. Nevertheless the space representing her house has completely transformed now. She is bewildered by this weird transformation of the place that had occupied space in her memories as a house. She is all the more surprised when she learns that their uncle who had detested Muslims so much that he didn't even allow a Muslim's shadow to pass within ten feet of his food is now not only living amidst them but also eating the food cooked by Khalil, the rickshaw driver's wife – a Muslim. In fact Khalil is the only one whom the old man recognizes and trusts now. Even after he has forgotten everything else, he does not forget his animosity for his brother's family. He has filled up the house with the refugees from India so that his brother's family are unable to claim their house However, to overcome the limitations of one banality he is limiting himself within another banality – hatred for his brother's family. More powerful than the lines mapped on land are the lines of mental barrier. His comment on partition offers a strong criticism on the natural propensity of man to divide and suspect:

I said: I don't believe in this India – Shindia. It's all very well, you're going away now, but suppose when you get there they decide to draw another line somewhere? What will you do then? Where will you move to? No one will have you anywhere. As for me, I was born here, and I'll die here

(*SL* 215).

The narrator's granduncle had stayed back in Dhaka to die but people in his house Saifuddin, Khalil and others were striving hard to keep him alive, protecting him through every danger.

Th'amma, Mayadebi, Tridib, Roby and May get trapped when a frenzied crowd surrounds them while trying to rescue the old man back with them. This event is a reverberation of the narrator's nightmare bus journey from his school to home in Calcutta in 1964. These incidents forever haunt the memories of all those who were victims of this whirlpool of mistrust and hatred for ever. No one knows the connection between the two episodes till fifteen years later, in 1979, by a sheer chance comment the narrator comes to realize that there was a close connection between the communal riots in Calcutta in which he was caught up and the display of hatred in Dhaka which beset Tridib and others and that the incidents had spread from Srinagar Khulna in East Pakistan to Calcutta. Before this revelation things had a different significance for the narrator. He had firmly believed earlier in the power of space as a strong dividing line:

I believed in the reality of space, I believed that distance separates, that it is a corporeal substance; I believed in the reality of nations and border there existed another reality. The only relationship my vocabulary permitted between those separate realities was war or friendship (*SL* 219).

Contrary to his conviction he realizes that the geometric distance did not even have the potency to prevent the flow of incidents from one place to another. This space though had the lethal potential to venomously unite people for a common display of hatred leading to destruction. The theft of the sacred relic in Srinagar results in riots first in Khulna and then in Calcutta. The events covering a span of about fifteen days in both India and Pakistan triggered off from a central episode-the disappearance of the sacred relic from Srinagar. This sacred relic is the hair of the prophet Mohammad known as Mu-i-Mubarak. It is believed to have been purchased by a Kashmiri merchant Nur-ud-din in Bijapur, 1699. Exactly two hundred and sixty three years after it was purchased the relic disappeared on 27th December 1963 from the Hazratbal mosque in Srinagar. This event initially had the effect of uniting the people of Srinagar. People of different religious faiths - Hindus, Muslims, and Sikhs joined their might to demonstrate against police and authorities. (The newspapers quoted down this unity exhibited in this collective expression of grief with a surprise.) The unsung hero who brought the people together was Maulana Masoodi.

History holds a testimony to the fact that any acts of sanity do not hold sanity for long against the hysteria erupting from the rumours and hate speeches resulting from mistrust and prejudice. The borders that were intended to separate people only united them stronger by the negative emotion of hatred.

As always, people having no role in the events pay the price of this madness at both ends. In Calcutta mobs go round the city killing Muslims, looting their shops and houses. Similarly in Khulna and adjoining areas Hindus are victimized. Tridib, the narrator's mentor too loses his life in the same riot in Khulna while he along with Th'amma and others are trying to bring Jethomoshai home. The irony of the situation is while the borders between the two nations are arbitrary as they cannot even prevent the percolation of events, incidents and happenings cross nations whereas the same border seems to have shifted inwards amongst the people of the two nations with each country being a mirror image of the other.

The narrator's father is evidently relieved when Th'amma departs for Dhaka, because he has heard rumours of inevitable trouble in Calcutta. He doesn't know that the trouble was coming all the way from Dhaka to India. He didn't know - he couldn't know because he with all the people around him, believed in the reality of space, of distance as a potent separating entity. The hollowness of this line of thinking is indicated by the fact that the very day, these, people left for Dhaka "trouble' erupted in Dhaka. There were no inklings of the unrest in Khulna in the Calcutta newspaper they subscribed for their home at the time. Perhaps the reason behind it is that in talking about riots, their cause, nature and reality would perhaps force people to come face to face with the deceptions, prejudices and hatred which have become a part of the texture of the nationality of India, Pakistan and to some degrees Bangladesh (which had not come into existence in the narrative so far). The description as well as discussion of these events happens only after they are over and there too only events signifying the trans-community barbarity are narrated which undoubtedly serves to provoke hatred and create mistrust. Thus during the riots when one of the child says that "they" have poisoned the water supply of entire Calcutta, all the children present in the bus at once understand that the 'they' here refers to the Muslims. Even the Muslims of Calcutta were dependent on the same water supply. In such tumultuous times the wrong doing of one person are representative of the entire community. The children in the narrator's school bus, thus cannot be blamed when they assume naturally believe that since Montu is a Muslim he will naturally know the true facts about this incidence. The narrator is all of a sudden ashamed to be related to his best friend and is glad when he doesn't turn up for school that day. Farouq Engineer, the hero of the Indian cricket team, is the star cricketer even in these riotous times without which the Indians see no hope for India in cricket. The situation is no different in Pakistan. In spite of sheltering many refugees in his house Th'amma's uncle popularly called Ukil Babu by the locals, has a threat to his life at the time of the riots, as Saifuddin tells Th'amma and the others, "I'm telling you to take him away for his sake. The last time there was trouble we had a hard time

protecting him. Who knows what will happen next time" (*SL* 216).

Ultimately the inevitable happens. While they are trying to take the old man along with them Th'amma and others are surrounded by a mob. The streets are busy with the hubbub of everyday life till Th'amma and others step in, the tension erupts when they leave. As they are returning, the streets are sinisterly vacant. For the people of Jindbahar lane they are the representatives of the same people whom they consider guilty of sacrilege of the relic in India in spite of the fact that these people are as alien to this episode as anyone residing in Dhaka. The impact of the arrival of Hindus from India is so powerful that it weans people from chores of daily works to lead them to the shabbiness of violence.

Proportion plays a significant role in this particular section of the novel as the contracting circle of people round the car begins to spread out. With the sound of echo of the gunshot, there is a faint creak of the cycle rickshaw carrying the old man. The rickshaw soon assumes a magnanimous scale and looms large over the whole surrounding. Even the men climbing to its side appear minute and ant like in comparison to it. It appears as if hundreds of men are trying to get on the rickshaw which gives it a semblance of a gigantic anthill. This seething tide of hatred washes away Khalil, the old man and Tridib. As soon as the killing is over the men as if to escape the blame of the homicide melt away into the nearby gullies. . We see the contrast between Th'amma's idealism and her real reaction in face of a situation. She had dreamt of sacrificing her life for her nation, for a cause when the time for it came. Yet she tries to save her own skin at the peril of her uncle's life that she had gone to rescue. However we only feel a pity for the old woman because emotions often betray humans in similar fashion. We are here reminded of Joseph Conrad's *Lord Jim*. In contrast to Th'amma, May like Parson Adams in *Joseph Andrews* is quite unaware of reality and tries to save Khalil and the old man only resulting in Tridib's death along with the other two.

This incident significantly changes the lives of each person who bore a testimony to this genocide. Th'amma's vehemence for the Pakistanis is evident in her reaction to the war with Pakistan, but again here is that characteristic use of "them" which shows this hatred seeping in through the "shadow lines" of the border to include the people of that sect in India she says, "We have to kill them before they kill us; we have to wipe them out…. We're fighting them properly at last, with tanks and guns and bombs" (*SL* 237).

Robi is not able to free himself of this memory although he would have given anything to be free of it. In fact this desire for freedom is deeply rooted in the heart of each and every character in the story. Ila lives in London because she wants to be free of the inhibitions imposed in the name of the custom and traditions in India. Th'amma wanted to do something for the freedom of her country in her youth and later again she wanted her grandson to be free from any shadow of impending catastrophe. Robi also wanted to be free of the memory of Tridib's death while also knowing the fact that human beings can never be freed of their memories. The futility of all human attempts to be free is demonstrated by the following words of Robi:

Why don't they draw thousands of little lines through the whole subcontinent and give every little place new name? What would it change? It's a mirage; the whole thing is a mirage. How can anyone divide a memory? If freedom were possible surely Tridib's death would set me free. And yet, all it takes to set my hand, shaking like a leaf, fifteen years later thousands of miles away at the other end of another continent, is a chance remark by a waiter in a restaurant (*SL* 247).

The public and private are intricately woven together to colour the pattern of individual experience. The euphoria of nationalism that the Chinese war of 1961 had generated in India is reflected in the dimming of racial discrimination amongst people in England with the onslaught of the Second World War. It is the same in Germany though in a more grotesque way.

The story builds up following the memory pattern of the various people associated with the author. However these recollections too are twice removed in space as the reminiscences are often of the narrator who is a sort of receptacle for the reflections of various people of whom the most important are Th'amma, Ila, May, Robi and above all Tridib. It is Tridib who teaches the narrator to expand his wings and explore the entire gamut of places depicted in the "Bartholomew Atlas". Maps, charts, photographs and the stories told by Tridib are the building blocks that bridge over the gap of time as well as place by revelations of the past leading to future enlightenment. The best example of this is the concluding chapter of the novel. As the mystery of Tridib's death unravels, the reader along with the narrator travels through the pathways and lanes of Dhaka. The sense of terror that seized Robi as well as the narrator caught in the violence is tangible.

Conclusion: *The Shadow Lines* is a medley of voices, each equally authentic and legitimate which make it a many-voiced musical narrative that contains the past, every moment of the present, and all the future. The past exists in the memories of the present and the present both alters and is altered by past, the adult narrator recollects the episodes of his childhood and years later understands the behavioural aspects of various people.

References:-

1. Amitav Ghosh, *The Shadow Lines*, educational ed. (Delhi: Oxford UP, 1995) 182. All subsequent reference to this edition will hereafter be referred to as SL.
2. A.N. Kaul, "A reading of The Shadow Lines," *The Shadow Lines*, Educational ed. (Delhi : Oxford UP, 1995) 299.

3. Meenakshi Mukherjee, "Maps and Mirrors: co-ordinates of meaning in *The Shadow Lines*, educational edition, (Delhi : Oxford UP, 1995) 260.
4. Anshuman Mondal "Allegories of identity: 'Postmodern' Anxiety and 'Post Colonial' Ambivalence in Amitav Ghosh's In an Antique Land and The Shadow Lines," *The Journal of Commonwealth Literature* 38.3 (2003) 28-29.
5. Brinda Bose*, Amitav Ghosh: Critical Perspectives*, (Delhi : Pencraft, 2003) 15-16.
6. John C.Hawley, *Amitav Ghosh* (Delhi: Foundation Books, 2005) 8-9.
7. John Mee, "'The Burthen of Mystery': Imagination and Difference in The Shadow Lines," *Amitav Ghosh: A Critical Companion*, ed. Tabish Khair, (Delhi: Permanent Black, 2003) 108.

****

पुलिस और समाज के मध्य अन्तर्संबंध:पुलिस समाज का अभिन्न हिस्सा

रंजना बागड़े*

* पीएच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवम् लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पुलिस एवं समाज के मध्य सम्बन्धों को व्यक्त करते हुए लोगों की जागरूकता के विषय में पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना, उनके मध्य कठिनाईयों का सामना करना, पुलिस के लिए एक चुनौतिपूर्ण है। यह समाज के लिए कितना आवश्यक है। इसकी जानकारी रखना आवश्यक एवं आम जन का जागरूक बना रहना महत्वपूर्ण है।

शब्द कुंजी – पुलिस, समाज, आम जन, जागरूकता, सहभागिता।

प्रस्तावना – पुलिस अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करती है। असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्रद्रोही ताकतों का पूरी कठोरता के साथ पेश आती है। पुलिस कभी अपने कार्य से पीछे नहीं हटती है। निरन्तर कार्य करती रहती है तथा दिन-रात काम में जुटी रहती है।

पुलिस असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्रद्रोही ताकतों को पूरी कठोरता के साथ बलपूर्वक शांत करने का काम करती है। पुलिस अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाती है और पुलिस द्वारा समाज में कानून व्यवस्था, शांति और भाई-चारे के वातावरण को और अधिक दृढ़ रखने से विकास का मार्ग विस्तृत होता जाएगा।

समाज में शांति और सुरक्षा – समाज में शांति और सुरक्षा की भावना बनी रहे इसलिए आम आदमी को भी पुलिस की सहायता करने में सर्वोपरि होना चाहिए। एक आम आदमी किस प्रकार पुलिस की सहायता कर सकता है। यह कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है। आम आदमी को चाहिए, कि वह जागरूक रहे तथा अपनी आस-पास हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक रहे तथा सचेत रहे। अपने आस-पास हो रहे अपराधों को अनदेखा ना करे उन्हें उचित समय पर उचित ढंग से सूचित करे। जिससे पुलिस भी उन अपराधों पर उचित कार्यवाही कर सके और अपराधों को रोक सके जिससे जो अपराध संगीन हो सकता है। वह समय पर जानकारी में आने पर कार्यवाही की जा सके।

इस प्रकार आम आदमी के जागरूक होने पर पुलिस की भी मदद होगी और अपराध में कुछ हद तक कमी आएगी तथा आम-जन भी सुरक्षा में रहेंगे व सुरक्षा का अनुभव करेंगे कि वह इस समाज में सुरक्षित हैं और समाज सुरक्षित रहेगा पुलिस की मदद मिलने पर अथवा उनका सहयोग करने से पुलिस को भी मदद प्राप्त होगी और पुलिस भी सहज महसूस करेगी।

आमतौर पर लोग पुलिस का सहयोग नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि फालतु की बातों में या बहस में कौन पड़े जिससे पुलिस को अपना काम करने में कठिनाई महसूस होती है। और वह अपना काम सरलता से नहीं कर पाते हैं। लोग उनसे सच्चाई छिपाते हैं। सच नहीं बताते हैं। वे सोचते हैं कि हम इन मामलों में या पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ें या ना पड़ें अथवा उनसे दूर बनाये रखें। परन्तु आम-जन यदि उनकी सहायता से पीछे हटेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे तो एक सुरक्षित समाज के विकास में बाधा आ सकती है। इसलिए प्रत्येक आम आदमी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और एक समाज को शांत व सुरक्षित बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

जनता को भी सुरक्षित रहने में और सुरक्षा महसूस करने में, पुलिस की सजगता व सहानुभूतिपूर्ण, सुविधाजनक व्यवहार शामिल है। भाषा की सरलता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहें और शांत व सुरक्षित समाज का विकास करें एवं समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण विकसित करें। क्योंकि देश व प्रदेश के कई शहीद पुलिस अधिकारी और जवान भी हैं। इसलिए देश, प्रदेश की जनता व सम्पूर्ण समाज को पुलिस के साथ होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग व भागीदारी देना चाहिए। पुलिस की सहायता के लिए आम जन द्वारा अभिन्न प्रयास किये जा सकते हैं। जिन प्रयासों के माध्यम से पुलिस को मदद प्राप्त हो सकती है और उन्हें सहायता प्राप्त हो सकती है।

शोध के मुख्य उद्देश्य :

1. पुलिस और आम जन के मध्य संबंधों का अध्ययन करना।
2. आम जन का पुलिस के साथ सहयोगात्मक व्यवहार कितना आवश्यक है जानना।
3. पुलिस की आम जन के प्रति और आम जन की पुलिस के प्रति जागरूकता।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई है। द्वितीयक स्त्रोंतों के अन्तर्गत पुस्तकों, समाचार-पत्रों आदि का उपयोग किया गया है और उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी के आधार पर उनका अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष – पुलिस और समाज के सम्बन्धों के मध्य आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगोचर रखते हुए यह समुचित किया गया कि दोनों के मध्य अच्छे व सार्थक योगदान नहीं है। सहयोगात्मक संबन्धों का अभाव है। दोनों के मध्य सामाजिक बाधाओं का दबाव है तथा आम जन का जागरूक ना होना

इसका महत्वपूर्ण कारण पाया गया तथा दोनों के मध्य सहयोग का अभाव आम जन का पुलिस के प्रति अविश्वास देखा गया है। और आम जनता का जागरूक ना होना महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। आम जनता को जागरूक करने की दिशा में प्रयास किया जाना आवश्यक है और पुलिस को इसके चलते कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जनता पर पुलिस के प्रति विश्वास को बनाए रखने पर कार्य किया जाना आवश्यक है। ताकि इस प्रकार से जो कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, को कम किया जा सके।

सुझाव – आम आदमी को जागरूक करने के लिए कुछ प्रयास सरकार द्धारा किये जा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्धारा अभियान चलाये जा सकते हैं। जिससे आम आदमी को जागरूक किया जा सकता है। इस तरह के छोटे–छोटे कार्यक्रम जिसमें पुलिस के प्रति जनता की भागीदारी पुलिस के प्रति कितनी आवश्यक है और इस भागीदारी से उनको कितनी सहायता मिल सकती है। जनता को एहसास कराया जाए तथा उनका योगदान समाज के लिए आवश्यक है। आम जन को यह महसूस कराया जाए इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं। जिससे आम जन को यह एहसास हो कि उनका योगदान कितना आवश्यक है पुलिस के लिए, और सहयोग कितना आवश्यक है। उनका सहयोग समाज के लिए तथा समाज की सुरक्षा के लिए अहम् भूमिका निभा सकता है और समाज को और सुधरा हुआ और व्यवस्थित बनाने में सहयोग कर सकता है। सुधरे समाज तथा व्यवस्थित समाज से देश का और विकास होगा। समाज विकास की और अग्रसर रहेगा। जिससे देश और अधिक विकसित होगा। समाज का प्रयास और आम जन का अपने–अपने स्तर पर प्रयास देश को और व्यवस्थित बनाएगा। जिससे सिस्टम में भी सुधार होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Singh prakash(2022),The Struggle For Police reforms in India
2. https://ptspachmari.mp police.gov in/uploads/ media/ pts Police adminstration and organization police regulation chapter 01/
3. https://www.rojzaraurnirman.in
4. www.mpinfo.org
5. www.mpmadhyam.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Effect of Yogic & Callisthenic Exercises on Selected Motor Fitness Components of 10-12 Years of School Girls

Pravita Khatri*

*Asst. Prof. (Phy. Edu.) J.A.V. Girls Degree College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - The aim of the study was to find out the effect of Yogic and callisthenic exercises on selected motor fitness components of 10-12 years of school Girls. Forty five male students were selected as subjects for the study. Age of the subjects ranged from 10-12 years. The subjects of the study had a similar routine work, diet, rest, sleep etc. All of them were participating in the regular activity classes in accordance with the requirement of the institute curriculum. The scores of the subjects used as the criterion measures for the study were tested 50mt. Dash for speed, shuttle run for agility, sit and reach test for flexibility, sit ups for strength endurance of abdomen and 9 min. Run/walk for cardio-vascular endurance. In order to of co-variance was used. The level of significance was set at .05 level.

Introduction - Primitive man recgonized such physical fitness as necessary to his survival. But modern man, in this mechanical age tends to become complacement and forgets its importance to not only his efficiency and happiness, but also to the survival of his way of life. The right kind and right amount of physical education develops Organic and muscular power, stamina, vigor and the activity skills related to this development other factors such as sleep, rest, diet and the avoidance of infections, influence physical fitness. But the physical activity is the sole source of organic power. It is also the only known organic means of acquiring the ability to engage in tasks demanding sustained physical effort. There is a direct relationship between physical exercise and physical fitness.

Fitness for effective living has many interdependent components involving intellectual, emotional as well as physical factors. Fitness rests first of all upon a solid foundation of good health. Fitness for effective living implies freedom from disease; enough strength, agility, endurance and skills to meet the demands of daily living; sufficient reserves to with stand ordinary stresses without causing harmful strain; and mental development adjustment appropriate to the maturity of the individual. Fitness does not come in a "have" or "not have" package. The level of fitness attained is a result of ability to cope with the varied and interacting stresses of life.

Muscles, heart and lungs to supply enough strength, speed, agility and endurance to do efficiently and without strain, the full duties of the day.

An alert mind free from worries, fear or tension that can apply to taks and problems with efficiency and concentration but also can relax when the job is finished.

Today, yoga being a subject of varied interest, has gained world wide popularity. Recent research trends have shown that it can serve as an applied science in a number of field such as education, physical education and sports. Health and family welfare, psychology and medicine are also one of the valuable means for the development of human resources for better performance and productivity. But there are great many misconception about these practices due to the lack of scientific information about them. Yogic practices are generally looked upon as exercise and many time interpreted in the light of physiology. The physiology of yogic practices differs greatly from that of exercise physiology. This needs basic understanding of the concept of yoga and its relation with the technique.

The nature of every yogic practice is psycho physiological and if this conceptual background is not clearly understood, the whole outlook on yogic practice in terms of anatomy and physiology would remove many misconceptions about them.

Method/Procedure : Forty five male student of Kendriya Vidyalaya number 1, Gwalior were selected as subjects for the study. All the students were divided in to three groups of fifteen each. i.e., group A was acted as the group for yogic exercise, group B as for callisthenic exercises and group C acted as control group The research scholar had an informal discussion with all the subjects about the requirements' of the projects and apprised them with the purposeof the study and explained them the efforts that will be required on their part. All the subjects expressed their keenness to participate in the project and assured that they would extend full cooperation to the research scholar. According to school record, the average age of the subject

was 10 yrs to 12 yrs.

Statistical Technique : In order to study the effect of yogic and calisthenics exercise on selected motor fitness components analysis of co-variance motor fitness components analysis of co-variance was used and .05 level of significance was chosen to test the hypothesis.

Table 1: Paired adjusted final means and difference between means of experimental group and control group in strength endurance

Means			Difference between Means	Critical Differ -ence
Yoga Group (A)	Calisthenics Group (B)	Control Group (C)		
25.911	28.18		2.27*	1.09
25.911		22.24	3.67*	1.09
	28.18	22.24	5.94*	1.09

It is evident from table-1 that significant difference existed between the adjusted post test means of group A & B, group A & C and group B & C.

Table – 2 (see in next page)

As show in table 2 the analysis of covariance for the subjects in cardio-vascular endurance indicates that the resultant F-ratio of 16.40 was significant in case of pre-test means which shows that pre test means did differ significantly because of equated group design. The post test means of both group indicated a F-ratio of 18.77 which was quite higher than the pre test means and it was significant at .05 level of confidence similarly the obtained values of F-ratio 4.44 of adjusted post means was significant at the chosen level.

Table 3: Paired adjusted final means and difference between means of experimental group and control group in strength endurance

Means			Difference between Means	Critical Differ -ence
Yoga Group (A)	Calisthenics Group (B)	Control Group (C)		
1599.196	1697.033		97.84*	16.55
1599.196		1598.104	1.09	16.55
	1697.033	1598.104	98.93*	16.55

It is evident from table-3 that significant difference existed between the adjusted post test means of group A & B and group B & C on the other hand significant difference did not exist between group A & C.

Discussion / Findings : In case of sped both the experimental group did not prove to be the superior than the control group this might be due to the reason that speed is inborn quality which can not be developed in the short duration of six week training programme.

In case of agility and cardiovascular endurance both the groups were than the control group but there was no difference was found between the two. This may be due to the fact because both the exercises are used to improve agility and cardiovascular endurance.

Callisthenic exercise are prove to be better than the yoga exercises to improve strength endurance because of the fact that yogic exercises are less strenuous than the callisthenic exercises.

Conclusions : Within the limitations of the study the following conclusions may be drawn:-

1. Significant difference existed between the adjusted post test means of group A & B and group B & C.
2. Significant difference did not exist between group A & C.
3. Significant difference existed between the adjusted post test means of group A & B, group A & C and group B & C.
4. Significant difference existed between the adjusted post test means of group A & B and group B & C.
5. Significant difference did not exist between group A & C.

References :-

1. Armstrong, John, “The effect of Motor Ability and Endurance on Selected Physical Education Skills of College Men and Women”, Dissertation Abstracts International 34 (April 1974): 5680-A.
2. Bucy, Jesse, “A Comparison of the effect of Three Methods of Training of Physical Fitness, “Completed Research in Health, Physical Education and Recreation 7 (1965): 34.
3. Chakraborthy, Joshu, Abstracts From International Conference on Health, Sport and Physical Fitness. Need for an integrated Approach (January 16-18, 1995).
4. Chapin, Ellis H., “Physical Education and the Good Life, Springfield College Bulletin (November 1955). Quoted in H. Harrison Clarke, Physical Fitness News Letter II-5 (Jan., 1956):2.
5. Choudhary, Mahamaya, Yoga is the Curriculum of Elementary School; A Critical Study (A Dissertation, Master of Philosophy in Physical Education, Jiwaji University, 1982):1.
6. Clarke, H. Harrison, “Historical Orientation”, Physical Fitness New Letter III-8 (April, 1957).
7. Clarke, H. Harrison, and Morgan E., Shelley, “Maturity, Structure, Strength, Motor Ability and Intelligence Text Profiles of Outstanding Elementary School and Junior High School Athletes, “Physical Education 18 No. 4 quoted in H. Harrison Clarke, Application of Measurement to Health and Physical Education, (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Enc., 1967), p. 263.
8. Clarke, H., Harrison, Application of Measurement to Health and Physical Education, (Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Inc., 1967), p 262.
9. Cooper, Kenneth H., J. Gerry Purely, Art Friedman, Richard L., Bohannon, Russell A. Harris and Joseph A. Arends, “An Aerobic, Conditioning Programme for the fort Worth Texax School,” Research Quatery 46 (Oct. 1975): 345.
10. Cratty, Bryant, J., Movement Behavior and Motor Learning, (California: Los Angeles, 1967), p 12

11. Cureton, T.K., "Flexibility as an Aspect of Physical Fitness", Research Quarterly, 42:20 (May 1941): 382.
12. Encyclopedia of sports Sciences and MEDICINE 1st ed. S.V." Endurance Running," By David L.COSTILL.

Table – 2: Analysis of covariance of the means of the experimental groups A & B and control group C in cardio vascular endurance

S.	Test	Groups				Sum of Squares	df	Means Sum of Squares	F-Ratio
		A	B	C					
1	Pre				A	1178272	2	589136	
	Test	1353	1727	1653.67					16.40*
	Means				W	1508800	42	35923.81	
	Post				A	1078096	2	539048	
2	Test	1431.33	1808.33	1654.67					18.77*
	Means				W	1206432	42	28724.57	
	Adjusted				A	79174.97	2	39587.48	
3	Post Test	1599.19	1697.03	1598.10					4.44*
	Means				W	365800.72	41	8921.97	

*Significant at .05 level
N = 45
$F_{.05}$ (2,41) = 3.22

A = Among the Groups
W = Within the Groups

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Effects of Anxiety and Gender Differences on the Functions of Attentional Network Systems

Dr. Veenus Vyas* Prakesh Dhakar**

*Assistant Professor (Psychology) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

** Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Anxiety is a feeling characterized by an uncomfortable internal state of conflict, which is frequently accompanied with tense behavior, unpleasant emotions, like fear and unease, which are frequently accompanied by physical tenseness, restlessness, exhaustion, and difficulties in maintaining focus. It may be appropriate, but if it happens frequently, the person may suffer from an anxiety problem. Anxiety affects how we feel and behave, lead to anxiety, fear, and apprehension, and displays actual physical symptoms.

The present study examined that how males and females, having different levels of anxiety, process selective attention. Participants are required to focus on a target and record their responses in terms of reaction time and accuracy of correct detection and to ignore non-targets. Thus an attempt has been made to examine the effect of gender and anxiety on attention network systems.

Keywords: Anxiety, network system, gender differences.

Introduction - Corbetta (1998) defines Attention as "for further almost a century, cognitive research has recognized attention as a unitary system. It is the mental ability to distinguish behaviourally the relevant events, memories, responses, or thoughts from the behaviourally irrelevant events. Attentionhas evolved as a grouping of networks or systems. Posner & Petersen (1990) have postulated three anatomically and functionally separate attentional networks-alerting, orienting, and executive control (Posner, Rueda, &Kanske, 2007).

According to Cisler and Koster (2010), attention can be divided into various functions. The "bottom-up" mechanism, it is claimed, is responsible for the initial response to threatening information, alertness. As a result, after threatening information has irked one's interest, threatening stimuli might be ignored (rapid disengagement). "Top-down" processing is assumed to oversee avoidance and causes difficulties in disengaging. These arguments lay down that a person's capacity for top-down attentional control will affect the degree to which they exhibit an attentional bias, especially, as attentional biases can be adaptive in some situations (e.g., when a true threat is present) (Van Ryckeghem, Noel, Sharpe, Pincus& Van Damme, 2019).

The cognitive construal of anxiety has its roots in attentional biases and hypervigilance (Eysenck, 1997), both of which make it simpler to recognise negative affective content (Williams et al., 1997). Even though anxiety is frequently accompanied by falls, cognitive impairments, and mood disturbances, the connection between these cues and symptoms hasn't received the due attention.

Individual disparities between men and women have been established in several areas (Halpern, 2000). Females outperform males on the test performances related to episodic memory and verbal memory both, (Herlitz, Nilsson, &Bäckman, 1997), whereas males exhibit a demonstrated advantage in visual-spatial skills (Collins & Kimura, 1997). Females find it difficult to perform on the tasks of sustained attention (Giambra& Quilter, 1989). Gender disparities in construal of selective attention and the performances on it might add to explore gender differences in other related tasks. For example, the ability to block information (Hasher, Zachs, & May, 1999) could be a factor in female's advantage on episodic memory.

Women tend to believe easily than males (e.g., Arrindell, 2000, Bourdon, Boyd, Rae, Burns, Thompson, & Locke, 1988, Davey, 1994). Tucker and Bond (1997), for example, gender based differences have been observed for harmless e.g., dogs and unpleasant animals e.g., snakes, both, but no differences in terms of traditional fears e.g., fear from noise or injuries; and phobias e.g., fear of enclosed spaces. Comprehensive cross-cultural research has indicated the biggest gender discrepancies in phobias of harmless animals (Arrindell, Eisemann, Richter, Oei, &Caballo, 2003). In addition, when it comes to social presenting and social-evaluative anxieties, there are limited gender variations (Klorman, 1974).

Review of related literature:

Attentional bias is evident in most of the models of anxiety with cognitive basis (Bar - Haim et al., 2007; Teachman, Joormann, Steinam & Gotlib, 2012) contributing the fact that threat related attentional bias cause anxiety states to last longer. Attentional biases to threats have been shown in people with high anxiety and clinical samples, but they have rarely been reported in non-clinical samples. According to some empirical research in this area the effectiveness of the attentional system is a precondition for several fundamental regulation processes, such as attentional deployment, appraisal, or suppressing, demonstrating a connection between attention and disorders related to anxiety (Amstadter, 2008; Gross, 2002). Cognitive theories of anxiety have considered a significant body of informationprocessing biases to understand how the individuals with anxiety attend to the outside environment when anxiety is so closely associated with attention (Yiend, 2010).

Stewart, Taylor, and Baker (1997) explored the anxiety sensitivity index (ASI) and its item scoring pattern varies depending on whether they are constructed of low to middle or higher-order factors, respectively. The fear of anxiety-related symptoms, also known as anxiety sensitivity (AS), is a reaction to the belief that these experiences may have negative physical, psychological, or social effects. With the help of a 16-item self-report questionnaire called the Anxiety Sensitivity Index (ASI), AS is measured according to the results, women perform substantially better on the ASI on average than males. Males and females in the overall sample, as well as the AS1 items, each subjected to a separate principal component analysis, indicated almost similar three lower structures, with variables relating to worries of the predicted bodily, psychological, and social effects of anxiety. Similar unidimensional 20 relatively high solutions for each group were found by conducting separate factor analyses on the relatively low factor scores of the three samples.

Egloff and Hock (2000), the study examined the interaction and quadratic impacts of both anxieties i.e., trait and state on attentional bias against threat-related stressors and provide evidence that there were very few effects for trait anxiety or state anxiety; however, state anxiety was positively correlated with Stroop interference among individuals with high trait anxiety. On the other hand, the low anxiety group displayed the opposing pattern of behaviour. Trait anxiety exhibited a quadratic effect, but the most important predictor was found to be the interaction term.

Research objective:

1. To examine the functioning of each attentional network sub-systems i.e., alerting network, orienting network, and executive control network in low and high anxiety participants on reaction time and accuracy performance measures.
2. To examine the functioning of attentional network sub-systems i.e., alerting network, orienting network, and executive control network in male and female participants on reaction time and accuracy performance measures.
3. To examine the interaction effects between gender and anxiety groups in the functioning of three attentional networks i.e., alerting network, orienting network, and executive control network on reaction time and accuracy performance measures.

Research hypotheses:

1. There would be a significant difference in low and high anxiety groups in the functioning of attention network sub-systems on reaction time and accuracy performance measures.
2. There would be a significant difference in male and female groups in the functioning of attention network sub-systems on reaction time and accuracy performance measures.
3. There would be significant differences in the interaction between low and high anxiety group and in the functioning of three attentional network sub-systems i.e., alerting network, orienting network, and executive control network subsystems on reaction time and accuracy performance measures.
4. There would be significant differences in the interaction between male and female group and in the functioning of three attentional network sub-systems i.e., alerting network, orienting network, and executive control network subsystems on reaction time and accuracy performance measures.

Research methodology:

Participants: Ninety-six participants (N = 96) participants participated in the study. The participants included graduate students of Universities from Rajasthan between the age range of 18 - 30 (mean age = 27.25). The selection criteria of participants were based on anxiety scores on the State Trait Anxiety Inventory (STAI: Rastogi&Tripathi, 1986). An informed consent was obtained from the participants regarding their voluntary participation. The participants had normal (6/6) or corrected to normal (6/9) visual acuity. Refreshments and incentives were offered to the participants for their valuable participation. The participants with any known psychiatric or chronic illness were excluded. The following inclusion **criteria were followed for selecting the participants.**

Inclusion criteria:

1. Education level at least undergraduate.
2. Basic knowledge of computer.
3. Participants should follow the pre-decided criteria of selection, based on Hindi adaptation of State Trait Anxiety Inventory (Rastogi&Tripathi, 1986) which was used to assess the levels of anxiety.

Exclusion criteria:

1. Cognitively impaired patients.
2. The participants with any known psychiatric or chronic

illness or medication were excluded from the experiment.

Tool and Apparatus: The level of anxiety was examined through State Trait Anxiety Inventory (STAI: Rastogi&Tripathi, 1986), first developed by Spielberger, in 1983. This scale in fact contains two subscales – one each for state and one for trait anxiety. The 48- items of STAI measures both - relatively permanent (trait) anxiety tendencies, or how the participants usually feel, as well as current, temporary (state) levels of anxiety, or how the participants feel right while responding to a STAI. The trait anxiety subscale comprises of twenty-eight items, its reliability and convergent validity being 0.892 and 0.794, respectively. Additionally, the state anxiety subscale has twenty items. Its, reliability (Coefficient alpha) and validity (convergent validity coefficient) are 0.931and 0.533, respectively. For the state subscale, responses range varies from "Nominally" (1) to "Exceedingly" (5). And the trait subscale, responses range varies from "Seldom" (1) to "Always" (5).

Experimental Design: A 2(Group: Male and female) x 2 (Anxiety: Low and high) x 4 (Cue condition: No cue, central cue, spatial cue, and double cue) x 2 (Stimuli congruency: Congruent and incongruent) mixed factorial design was used in this study. The independent variable included - anxiety levels i.e., low, and high and gender i.e, male and female. The dependent variables contained reaction time and accuracy along with alerting, orienting and executive control scores.

The following formulae were used to compute the components of the attentional network –

1. Alerting effect = RT No cue – RT Double Cue
2. Orienting effect = RT Centre cue – RT Spatial Cue
3. Conflict effect = RT Incongruent – RT Congruent

Statistical Analyses: On each experimental condition, mean scores, standard deviations, and standard error were computed for the measurements of reaction time and accuracy response. Descriptive measure was also used to compute the demographic data. The research also determined at the variations in attentional network group interactions. The data were conducted through an analysis of variance (ANOVA) with various groups (anxiety and gender) as between subject factor and cue conditions and flanker conditions as within subject factors to evaluate at the main effects of variables and their interactions. The significance level was selected because it is one that is generally used in the discipline of psychology. To examine the response processing and accuracy of the experimental conditions in various groups, repeated measure analysis of variance (ANOVA) was used. The cognitive subtraction method was used to calculate the alerting, orienting, and executive control network effects.

Conclusion: The obtained results on reaction time performance and correct detection measures support all four hypotheses of this study that there was significant effect of gender and anxiety on alerting, orienting and executive control networks functioning. For each attentional sub-systems i.e., alerting, orienting and executive control was examined separately by paired subtraction across all subsets of cue and flanker arrow, excluding the neutral target condition. The results of all these paired subtractions were referred to as subsystem difference scores.

In sum, result of current study, explored a significant difference in the functioning of alerting subsystem (on accuracy and RT), orienting subsystem (on accuracy) and executive control subsystem (on RT) for low and high anxiety participants and the difference in the functioning of alerting subsystem and orienting subsystem on accuracy, and RT and executive control subsystem on accuracy and RT of male and female participants. The results confirm the interaction effect of alerting, orienting and executive control in low and high anxiety and both male and female groups on reaction time and accuracy performance measures.

Results further revealed that accuracy of correct detection is greater for low anxiety group in comparison to high anxiety group. High anxiety group performed better under congruent and incongruent condition, irrespective of cue conditions. In contrast, female participants performed better under congruent and incongruent condition in terms of correct detection in cue conditions. Male participants performed better under congruent and incongruent condition, irrespective of reaction time in cue conditions. Men generally responded faster than females however, males were not found efficient in comparison to his counterpart i.e., female participants on alerting and orienting networks in the ANT. However, both groups exhibited delayed reaction time in incongruent condition than congruent condition.

References:-

1. Allen, B. P., & Potkay, C. R. (1981).On the arbitrary distinction between states and traits.Journal of personality and social psychology, 41(5), 916.
2. Barlow, D. H. (2000).Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory.American psychologist, 55(11), 1247.
3. Calvo, M. G., & Dolores Castillo, M. (2001). Selective interpretation in anxiety: Uncertainty for threatening events. Cognition & Emotion, 15(3), 299-320.
4. Carr, H. A., & Kingsbury, F. A. (1938).The concept of traits.Psychological Review, 45(6), 497.
5. Derakshan, N., & Eysenck, M. W. (2009). Anxiety, processing efficiency, and cognitive performance: new developments from attentional control theory. European Psychologist, 14(2), 168.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिला सहभागिता: आरक्षण की आवश्यकता के सन्दर्भ में

डॉ. निशा शर्मा *

* बाबा नर्सिंग दास पीजी कॉलेज, नेछवा, सीकर (राजस्थान) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिला सशक्तीकरण का मुद्दा न केवल भारत बल्कि विश्व भर में गहन चिन्तन एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके मूल में यही भाव रहा है कि जब तक आधी आबादी की सहभागिता राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में ओझल रहेगी, तब तक समग्र विकास का सपना अधूरा रहेगा। महिला एवं पुरुष दोनों एक–दूसरे के विपरीत होते हुए भी न केवल पूरक हैं वरन् एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सम्भव नहीं है। दोनों के सहयोग से ही सृष्टि की निरन्तरता बनी हुई है। **महात्मा गाँधी** का कहना था कि, 'महिला पुरुष की साथिन है, जिसकी बौद्धिक क्षमताएँ पुरुषों की बौद्धिक क्षमताओं से किसी भी तरह कम नहीं है, पुरुष की प्रवृत्तियों में उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपांग में भाग लेने का उसे अधिकार है और स्वाधीनता का उसे भी उतना अधिकार है, जितना पुरुषों को'[1] इसके बावजूद भारतीय समाज में पुरुष एवं महिला के आपसी सम्बन्धों के बीच समानता व सन्तुलन के अभाव के साथ–साथ दोनों के महत्व, स्थान एवं रूतबे में काफी अन्तर दिखाई देता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक स्तरों पर महिला को पुरुष से हीन और दुर्बल माना जा रहा है।

प्राचीन भारतीय समाज में निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति श्रेयस्कर थी। **महात्मा मनु** ने 'मनुस्मृति' में उल्लेखित किया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् देवता का वही निवास होता है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। उस समय की व्यवस्था में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था तथा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसी प्रकार वैदिककाल में भी महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक बरकरार रही तथा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका महत्व बना रहा।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में क्षरण होना प्रारम्भ हुआ धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से बिगड़ती चली गई। परम्पराओं के नाम पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ। समय के साथ–साथ पर्दा प्रथा आरम्भ हुई महिलाओं की शिक्षा पर रोक लग गई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को सीमित कर दिया गया। अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं के नाम पर महिला को निरन्तर यह बोध कराया गया कि वह अबला है, पुरुष के अधीन है और उसे घर में चूल्हे–चक्की और बच्चों के लालन–पालन तक सीमित रहता है। उसे राजनीति एवं समाज के कार्यों से कोई लेना–देना नहीं है। महिला चाहे उच्चवर्ग की हो या निम्नवर्ग की लगभग यही स्थिति कुछ अपवादों को छोड़कर बनी रही है।[2]

आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा एवं विभिन्न समाज सुधारकों के समाज सुधार आन्दोलनों के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति एवं जनजागरूकता में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप भारत के स्वाधीनता आन्दोलनों में देश के महान नेताओं के साथ महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही थी। भारतीय महिलाओं ने अपने देश के पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर स्वाधीनता आन्दोलन में भागीदारी की। इसमें सरोजनीनायडु, कमला नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, स्वरूपरानी नेहरू, अरूणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, सुश्री ऐनीबेसेन्ट आदि नाम गिनाये जा सकते हैं।[3] राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान बहुत महिलाओं ने गाँधी जी के नेतृत्व में भी संगठित हुई थी। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस तैयार करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परन्तु आजादी के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में शिथिलता आती चली गई, विशेषकर विधायी संस्थाओं में गिनी–चुनी महिलाएं रह गई।'[4]

आजादी के पश्चात् से ही इस तथ्य को मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया कि जब तक देश की आधी आबादी की प्रगति नहीं होगी, तब तक देश का समग्र विकास का सपना अधूरा ही रहेगा जैसा कि **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा था कि, 'मानव समाज एक पक्षी की भाँति होता है, जिसका एक पंख पुरूष और दूसरा पंख महिला है और इन दोनों में से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। एक पंख से समाजरूपी चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाये बिना विश्व का कल्याण सम्भव नहीं है।'[5] इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तथा इस क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के साथ ही महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत करने, उन्हें क्षमतावान बनाने और निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि कर समाज को मुख्यधारा में लाने हेतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कई प्रावधान शामिल किए गए। संविधान में पुरूषों की तरह महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। बहुत सारे अधिनियमों को पारित कर कानूनी समानता स्थापित की गई है ताकि संवैधानिक समानता को अमलीजामा पहनाया जा सके। **महात्मा गांधी** ने भी कहा था कि, 'महिलाओं को समान वैधानिक एवं राजनैतिक अधिकार दिये जाने चाहिए और तभी भारत की आजादी सार्थक हो पायेगी।'[6]

यद्यपि कि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान

राजनीतिक समानताएं और स्वतन्त्रतायें प्रदान की गई हैं। भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने तथा देश की विधान निर्मात्री सभाओं को सदस्य बनकर नीति-निर्माता के रूप में अपनी सेवाओं से देश को लाभान्वित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु स्वतंत्रता के बाद के निर्वाचनों के इतिहास को देखा जाय तो हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता का उपभोग महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने किया है। यदि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति को देखते हैं तो निराशा प्रकट होती है।

यद्यपि संसद से लेकर राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं एवं पुरुषों का प्रतिनिधित्व शुरूआत से ही असमान रहा है, परन्तु सबसे चिंता की बात यह है कि महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या के बावजूद विधायी संस्थाओं में उनकी उपस्थिति मात्र आठ फीसद है तो संसद के निचले सदन में उनकी मौजूदगी मात्र 14.36 प्रतिशत है। निर्वाचनों के इतिहास को देखें तो 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में महिलाओं की उपस्थिति 4.4 प्रतिशत था जबकि कुल स्थान 499 थे। 1962 के संसदीय चुनाव में यह प्रतिशत 6.7 था जबकि 2014 एवं 2019 के आम लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमश: 11.33 तथा 14.3 के लगभग ही रहा।[7]

यदि बात राज्यसभा में महिलाओं की सहभागिता की, की जाय तो 1952 में जहाँ उनका प्रतिनिधित्व 0.731 तथा वही 2021 में उनका प्रतिशत 11.6 है।[8]

इस प्रकार देखा जाए तो दोनों सदनों में महिलाओं की स्थिति में ज्यादा अन्तर नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में महिलाओं की सहभागिता में आजादी के बाद हुए प्रथम आम चुनाव से अब तक बहुत धीमे गति से बढ़ी। भारत में यद्यपि कि तकरीबन आधी आबादी महिलाओं की है, किन्तु राजनीति व्यवस्था में इनकी भागीदारी 10 प्रतिशत के आस-पास सिमटकर रह गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां दावा भले ही करती हैं कि वे राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के पक्ष में है परन्तु प्राप्त आँकड़े उनके दावों को खोखला साबित करते हैं।

यदि राज्यवार देखा जाय तो उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सुश्री मायावती एवं सुश्री ममता बनर्जी जैसी महिलाओं की हाथ में पार्टी की कमान है वहाँ भी मात्र ग्यारह, ग्यारह महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व हो पाया। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र में आठ, उड़ीसा में सात, गुजरात में मात्र छ: महिलाओं का ही चुनाव हो पाया। दूसरी तरफ सात ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। जैसे-अरूणाचल, हिमाचल प्रदश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड एवं सिक्किम।

राज्य की विधानमण्डलों में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा अन्तर नहीं आया है। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा जैसे राज्यों में देश में सबसे ज्यादा 14.44 प्रतिशत, 14.44 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने वाले राज्य हैं। पश्चिम बंगाल द्वितीय सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के मामले में हैं तो कई ऐसे राज्य हैं, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है यथा-नागालैण्ड एवं मिजोरम। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बड़े राज्यों में मामूली ही हैं।[9]

यदि वर्तमान सरकार की कैबिनेट में देखा जाय तो 58 सदस्यीय कैबिनेट में मात्र 6 महिलाएँ हैं, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यदि आजादी के बाद गठित प्रथम कैबिनेट में एक मिनिस्टर हुई थी, राजकुमारी अमृता कौर।[10] इस प्रकार दोनों में तुलना की जाय तो एक बात स्पष्ट है कि प्रथम एवं वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में ज्यादा अन्तर आया है।

यदि वर्तमान सरकार में सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसरों की बात की जाय तो केन्द्रीय सरकार में 88 सेक्रेटरी रैंक के आफीसर हैं, जिसमें मात्र 11 महिलाएं हैं।[11]

वर्तमान भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च पीठ सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीशों में से मात्र तीन महिला न्यायाधीश हैं। आर0 भानुमती, इन्दु मलहोत्रा और इन्दिरा बनर्जी[12] जिससे स्पष्ट है कि महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया में सीमित भागीदारी प्राप्त है। वहीं भारतीय राजनीति में पुरुषों के समान महिलाओं की विशाल भागीदारी है तथापि राजनीति में उनका हिस्सा नहीं के बराबर है। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'महिलाओं को वोट देने का अधिकार और बराबर का कानूनी दर्जा मिलना चाहिए लेकिन समस्या वहीं समाप्त नहीं होती। यह उस बिन्दु से शुरू होती है जहाँ से महिलाएँ देश की राजनीति पर असर डालना शुरू करेंगी।'[13]

वास्तव में अभी तक यह देखा गया है कि अधिकतर महिलाएँ 'कम महत्व' के विभागों को संभाला है यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास। वित्त, रक्षा एवं विदेश मंत्रालय बिरले ही महिलाओं को आवंटित होते हैं।[14] निर्णय प्रक्रिया के मौजूदा तौर-तरीके महिलाओं की हिस्सेदारी को ज्यादा जगह नहीं देते और महिलाओं की अनुपस्थिति में इस स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जाते हैं। इन स्तरों पर महिलाओं की अनुपस्थिति पुरुष केन्द्रित और पुरुषों के लिए फायदेमंद फैसलों के लिए रास्ता साफ कर देती है। इसलिए उन्हें एक सहायक व्यवस्था की जरूरत है, जो इन्हें सार्थक हिस्सेदारी करने के लिए क्षमता और दृढ़ता दे सकें।

यदि स्थानीय निकायों के स्तर पर देखा जाय तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों के स्वशासी संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण व्यवस्था को जाने से लगभग 14 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के अधिकार एवं उत्तरदायित्व लेने का सुअवसर मिला है। इन निकायों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों ने कुछ अपवादों को छोड़कर अपनी भूमिका सक्षमता से निभाते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएँ किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। कुछ राज्यों ने प्रगतिशील कदम उठाते हुए महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत कर दिया है तथा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि।[15]

यदि पूरे दुनिया के परिदृश्य में देखें तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी देने के मामले में कई देश हमसे काफी आगे हैं। आईपीयू की वरीयता सूची में रवाडा आश्चर्यजनक रूप से पहले स्थान पर है। रवाडा में हुए 2018 के आम चुनाव में 80 सदस्यीय निम्न सदन में 49 महिलाओं ने जीत दर्ज की है जो कुल प्रतिनिधित्व का 61.3 प्रतिशत है। दुनिया में यह पहला मौका था जब किसी भी देश में महिला सांसद सदस्यों की संख्या 60 प्रतिशत से ऊपर गयी हो। बाद के दस स्थानों पर क्यूबा, बोलेविया, मैक्सिको, स्वीडन, ग्रेनेडा, नमीबिया, कोस्टारिका, निकारगुआ, साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की तुलना की जाय तो श्रीलंका एवं मालदीव को छोड़कर बाकी सभी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। श्रीलंका की 225 सदस्यों वाली निचले सदन में मात्र 12 महिलाएँ हैं। यह हालात तब है जब श्रीलंका में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का पद खुद महिला संभाल चुकी है। भूटान में 47 सदस्यों में 7 महिलाएँ हैं। वहीं चीन में करीब 25 प्रतिशत

महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

जहाँ तक महिला अधिकारों का समानता की बात है मुस्लिम बाहुल दो पड़ोसी देशों, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, परन्तु संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मामले में भारत से भी आगे हैं। पाकिस्तान के निचले सदन में 20.2 प्रतिशत एवं ऊपरी सदन में 19.2 प्रतिशत महिलाएं हैं। वहीं बांग्लादेश में निचली सदन में 20.7 प्रतिशत महिलाएं हैं।

पश्चिम एवं यूरोपीय देशों की बात की जाय तो जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यू0के0, डेनमार्क, फिनलैण्ड आदि देशों में महिला राजनीति एवं प्रशासन में काफी आगे है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को मिलाकर 533 सदस्यों में से 127 महिला सदस्य हैं। वहीं ब्रिटेन में निचले सदन में 650 सदस्यों में से 208 (32 प्रतिशत) महिलाएं हैं।[16]

यदि हम भारत में महिलाओं की राजनीतिक विकास एवं उनकी क्रियाशीलता के व्यावहारिक पक्ष को देखें तो पाते हैं कि भारत के राजनीतिक पर सर्वोच्च स्थान पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का आसीन होना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रीमती लक्ष्मी पण्डित एवं श्रीमती सरोजनी नायडु आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में भारतीय राजनीति पटल पर श्रीमती सोनिया गांधी, सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री मेनका गांधी, सुश्री गिरिजा व्यास, सुश्री मायावती, सुश्री महबूबा मुफ्ती आदि महिलाएँ भारतीय राजनीति में अपनी प्रतिभा एवं सूझ–बूझ एवं संघर्ष करने की क्षमता से आगे आईं और आगे बढ़ रही हैं, परन्तु भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति का सम्यक् विश्लेषण करें तो कुल मिलाकर महिलाओं की सहभागिता और सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी अविकसित अथवा पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उसे आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में विकसित वर्गों के बराबर लाने में राजनीति की अहम भूमिका होती है। यदि ऐसे वर्गों की राजनीति में समान सहभागिता अथवा भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाय तो निश्चित रूप से उन्हें अपने उन्नयन के समुचित और अच्छे अवसर प्राप्त होगें।

यह समय की मांग है कि भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीति गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। चूंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य की व्यवस्था में, राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के बेहद निजी पहलुओं तक को प्रभावित करती है इसलिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति के पास इन नीतियों को प्रभावित करने के लिए कुछ क्षमता होनी चाहिए। हालांकि जहाँ तक एक वोट का संदर्भ है यह साफ है कि व्यक्तिगत राय का भी महत्व होती है, लेकिन एक प्रतिनिधि केन्द्रित लोकतन्त्र में सार्वजनिक नीतियों को मूलत: पूरे समुदाय/समूह की क्षमता निर्धारित करती है। इस संदर्भ में ही एक समूह के रूप में महिलाओं का राजनीतिक सबलीकरण आवश्यक हो उठता है ताकि वह भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम हो सके। चूंकि भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए किसी अंतरिम प्रावधान के न होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए विभिन्न उपायों के साथ महिला आरक्षण का प्रावधान आवश्यक है। दुनियाभर के कई देशों में राजनीतिक दलों में आरक्षण का प्रावधान है। इसमें स्वीडन, नार्वे, कनाडा, यू0के0, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। यदि भारत में भी देखा जाय तो पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है यहाँ तक कि कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक का आरक्षण महिलाओं के लिए हैं जिसका परिणाम सकारात्मक रहा है।[17]

महिला आरक्षण बिल पर अमल से संसद में महिलाओं की स्थिति सुधारा जा सकता है। महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लगभग हर पार्टी सैद्धान्तिक रूप से सालों से सहमत हैं। सार्वजनिक मंच पर इसे वैचारिक बहस का मुद्दा जरूर बना दिया जाता है, लेकिन जब इस पर कानून बनाने की बात आती है तो सभी बगलें झांकने लगते हैं। आधे–अधूरे तर्कों के सहारे महिला आरक्षण का विरोध किया जाता है उससे पैरोकार इसी को बहाना बनाकर कदम पीछे खींचने लगते हैं।

भारत में महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक कुछ समय सत्ता में रही एच0डी0 देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पहली बार संसद में पेश किया, किन्तु उसके कुछ ही दिन बाद देवगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और ग्यारहवीं लोकसभा भंग कर दी गई। तद्सम्बन्धित विधेयक को भाकपा सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति ने 9 दिसम्बर 1996 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। सन् 1997 में पुन: लोकसभा भंग होने के साथ बिल भी मर गया। सन् 1998 में भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया, लेकिन अप्रैल 1999 में लोकसभा पुन: भंग हो जाने के कारण बिल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। सन् 1999 में 13वीं लोकसभा में बिल पुन: पेश किया गया, लेकिन इस बार भी सरकार आम राय नहीं बना सकी। वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 में महिला आरक्षण विधेयक पुन: पेशन किया गया लेकिन कांग्रेस एवं वामदलों के समर्थन के बावजूद सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। 2004 में कार्यकाल खत्म होने के कुछ पहले बिल पुन: पेश करने की रस्म अदायगी कर दी गयी। बिल पर और धूल जमती चली गई। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में 2008 में कही जाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिल पेश किया। पूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2010 में राज्यसभा में बिल पास कर दिया गया। मामला लोकसभा में अटक गया और धूल जम रही है।[18]

प्रत्येक सरकार हमेशा यही कहती है कि हम तो महिला आरक्षण बिल पास कराना चाहते हैं, परन्तु क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो। इन क्षेत्रीय दलों का अपना तर्क है कि जब तक महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति, जनजाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की उचित संवैधानिक व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक विधेयक अपूर्ण एवं असंगत रहेगा, परन्तु राष्ट्रीय दलों का मूल उद्देश्य यह है कि महिला आरक्षण विधेयक में 33 प्रतिशत आरक्षण मोटे तौर पर मान लिया जाय न कि उनमें भी वंचित वर्गों की महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जाय, जिस कारण यह विधेयक हर बार पारित होने से रोका जाता है।

सवाल यह है कि अगर महिलाएँ देश की आधी आबादी का हिस्सा है तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? इस प्रश्न का जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। बिडम्बना यह है कि आजादी के सात दशक बती जाने के बीत जाने के बावजूद आज भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोत्तारी नहीं हुई है। वाकई में यह

स्थिति बहुत चिंताजनक है। देश की सक्रिय राजनीति में उन सीमित महिलाओं ने जगह बनाई है जो या तो खुद राजनीति परिवार से रही या फिर उन्हें किसी बड़े राजनेता का संरक्षण मिला है। किसी साधरण घर से निकल कर राजनीति में जगह बनाने वाली महिलाओं का उदाहरण बहुत ही कम है। जब तक महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक तरीक से प्रवेश नहीं होगा तब तक उनका राजनीति प्रतिनिधित्व बढ़ने की कम उम्मीद है।

आज जरूरत इस बात की है कि जिस प्रकार 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और सफल रहा है उसी प्रकार संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सारे दलों को मिलकर पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा का उदाहरण देते हुए बिल पास कराने की ईमानदार कोशिश करना चाहिए। महिलाओं को विधायिका में आरक्षण आज वक्त की जरूरत एवं समय की मांग है, इसे लम्बे समय तक टाला नहीं जा सकता है। वास्तव में भारतीय जनतंत्र की मजबूती तब तक नहीं होगी जब तक समाज के सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी एवं कर्तव्य सुनिश्चित नहीं किये जाते। तभी सच्चे अर्थों में महिला सशक्तीकरण का सपना पूरा होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के विधेयक पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पुरुष सदस्यों की प्रतिक्रिया ने महिला संगठनों और महिला विधेयकों को निराश किया है, परन्तु वे हतोत्साहित नहीं है। पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचना में छिद्र करने का प्रयास जारी है। तथापि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लिंग असमानता को मिटाने के प्रयास में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सही रणनीति नहीं है। स्वयं आरक्षण के मुद्दे पर विषम ध्रुवीकरण है। **मधुकिश्वर** और **गैल ओमवेद्त** ने विधेयक का विरोध किया है। मधु किश्वर महिलाओं के लिए आरक्षण के पूरी तरह विरोध में है। उनकी दलील है कि इस प्रकार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पास वैधता का अभाव होगा और इससे महिलाओं के सबलीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं होगी क्योंकि महिलाओं के साथ आरक्षण का राजनीतिक पुछल्ला जुड़ा रहेगा।[19] इसी प्रकार सेवा (SEWA) की **इलाभट्ट** ने महसूस किया है कि आरक्षण इच्छित परिणाम नहीं पहुंचेगा, महिला आर्थिक शक्ति चाहती है।'[20]

अन्य लोगों के साथ मनुषी की एवं मधु किश्वर ने वैकल्पिक विधेयक का सुझाव दिया है, परन्तु **मृणाल सोरे** एवं **प्रमिला दण्डवतें** जैसी महिला नेताओं ने अपने प्रारम्भिक विचार प्रवर्तित किये हैं। अब वे वैधानिक अंगों में महिलाओं के आरक्षण का पक्ष लिया है।[21] संसद की अधिकांश महिलाएं सदस्य दलनीति के पार विधेयक का तीव्र समर्थन कर रही है, परन्तु फिर भी आरक्षण नीति अपने में साध्य नहीं है, हमें लिंग समानता को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान न तो तोहफा है न विशेषाधिकार। यह एक पहला कदम है और आंतरिम प्रावधान भर है जिससे महिलाओं को एक ऐसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था की राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा, जिसका संविधान जाति, नस्ल, वर्ग और लिंग के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने सभी नागरिकों के लिए समान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरिमोहन धावन, अरुण कुमार, ''महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज'', रावत पब्लिकेशन्स (2011) पृष्ठ 18
2. वही, पृष्ठ 79
3. वही, पृष्ठ 61
4. वही, पृष्ठ 81
5. वही, पृष्ठ 18
6. हरिमोहन धावन, अरूण कुमार, ''महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज'', रावत पब्लिकेशन (2011), पृष्ठ 18
7. प्रो0 बी0एल0 फाडिया एवं डा0 कुलदीप फाड़िया ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, संस्करण 2020, पृष्ठ 656
8. http://Rajyasabha.nic.in
9. http://m times of India. com/city/Raipur/ chhattisgarh has highest percentage of woman in assembly articles Law/68342958.com
10. https://www.election in political-corner/women in cabi-net minister
11. https://the print in/India/governence/how the Indian-Civil services continue to remain-a boy club 3073370
12. https://www.indiatoday:n>India
13. निवेदिता मेनन, साधना आर्य, जिनी लोकनीता, ''नारीवादी संघर्ष एवं मुद्दे'', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय (2015) पृष्ठ 538
14. नीरा देसाई, ''भारतीय समाज में नारी'', नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया दूसरा संस्करण (2011), पृष्ठ 81
15. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका) जनवरी अंक, 2018, पृष्ठ 36
16. http://archive.1pu.org/WMN-eclassit/htm
17. प्रो0 बी0एल0 फाडिया एवं डा0 कुलदीप फाडिया, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' संस्करण-2020 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 839
18. हरिमोहन धावन, ''महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज'', रावत पब्लिकेशन्स संस्करण (2011), पृष्ठ 230-231
19. निवेदिता मेनन, साधना आर्य, जिमी लोकनीता, ''नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे'', हिन्दी माध्यम् कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय संस्करण (2015), पृष्ठ 346
20. नारी देवाई, ''भारतीय समाज में महिलाएं'', नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया संस्करण (2011), पृष्ठ 100
21. वही, पृष्ठ 100

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

उज्जैन जिले में सोयाबीन फसल की उत्पादकता, लागत एवं लाभ पर विशेष अध्ययन

डॉ. जी. एल. खांगोड़े* महेन्द्र कुम्भकार**

* सह प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सोयाबीन की खेती पूरी दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर होती है। भारत का सोयाबीन के उत्पादन में पाँचवा स्थान है, प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना और चौथे स्थान पर चायना आता है। भारत के जिन पाँच से छ: राज्यों में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर होती है, उनमें पहले स्थान पर मध्यप्रदेश आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र की जलवायु सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन भारत के औसत उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक होता है। तीसरे और चौथे नंबर पर राजस्थान और आंध्रप्रदेश आते है और पाँचवें स्थान पर कर्नाटक आता हैं।

सोयाबीन का उत्पादन चार बिंदुओ के आधार पर निर्भर करता है। पहला सही समय पर बीजों की बुआई। दूसरा उन्नत किस्म के बीजों का चयन। तीसरा क्षेत्र में वर्षा की स्थिति। क्योंकि ज्यादा या कम वर्षा का सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। चौथा संतुलित मात्रा में खाद्य। इन चार बिंदुओं को अपनाया जाए तो प्रति एकड़ से सोयाबीन की फसल में 6 क्विंटल से 10 क्विंटल के बीच में उत्पादन हो सकता है। उज्जैन जिले के किसान एक एकड़ में औसतन लगभग 5 से 7 क्विंटल उत्पादन करते है। इसलिए औसत उत्पादन लगभग 6 क्विंटल मान सकते हैं। प्रति एकड़ भूमि यानी की 43,560 वर्ग फिट होती है। सोयाबीन की फसल में उत्पादन क्षेत्र अनुसार बदलता रहता है। सोयाबीन की फसल में प्रति एकड़ उत्पादन 6 क्विंटल से कम आ रहा है तो मिट्टी की जांच कृषि अनुसंधान केन्द्र में कराई जानी चाहिए क्योंकि सोयाबीन की फसल में मिट्टी का पी एच मान 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए।

सोयाबीन के बीजों की बुआई मानसून के सीजन की पहली बारिश के बाद की जाती है जो कि 1 जून से 30 जुलाई के मध्य कभी भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि क्षेत्र में मानसून किस समय दस्तक देता है। जैसे जैसे मानसून राज्यों की ओर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे सोयाबीन की फसल इस समय के मध्य में होती रहती है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में जून महीने में ही मानसून दस्तक दे देता है तो महाराष्ट्र के किसान जून के महीने में ही सोयाबीन के बीजों की बुवाई कर देते है। उज्जैन जिले के कई इलाकों में मानसून जुलाई के महीने में दस्तक देता है तो उज्जैन जिले के किसान जुलाई महीने में बीजों की बुआई करते है। सोयाबीन की फसल का समय चक्र निर्भर करता है कि किस किस्म के बीजों का कृषक द्वारा चुनाव किया गया है। सोयाबीन की कुछ किस्में तैयार होने में 130 से 140 दिन का समय लेती है। कुछ किस्में तैयार होने में 100 से 105 दिन का समय लेती है। तो कुछ किस्में तैयार होने में 90 दिन का समय लेती है।

उज्जैन जिले में सोयाबीन फसल की उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य सहसम्बन्ध

वर्ष	क्षेत्राच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
2016-17	4,59,000	6,73,000	1,467
2017-18	4,46,900	4,67,900	1,047
2018-19	5,04,216	6,48,422	1,286
2019-20	5,05,789	2,35,698	466
2020-21	5,08,110	1,86,984	368

उज्जैन जिले में सोयाबीन तिलहन फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य कार्ल पियर्सन के सहसम्बन्ध का विस्तृत अध्ययन किया गया। जिसमें पाया गया की सोयाबीन की फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में 0.96 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया एवं सोयाबीन के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य सम्भाव्य विभ्रम 0.0236 पाया गया तत्पश्चात् सोयाबीन के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य प्राप्त सहसम्बन्ध की सार्थकता मापी गई, सहसम्बन्ध जो की सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुना से अधिक है अत: सोयाबीन फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य सहसम्बन्ध सार्थक है।

सोयाबीन की लागत एवं लाभ – सोयाबीन की फसल में प्रति एकड़ में बीज की मात्रा लगभग 35 किलो से 40 किलो के बीच लगती है। सोयाबीन की बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता हैं। बुवाई के लिए खेत को तैयार किया जाता हैं। कृषि यंत्र सीडड्रिल की सहायता से बीज बुवाई कि जाती हैं। बीज बुवाई के बाद 24 घंटे के भीतर खरपतवार नाशक का छिड़काव करना पडता है। रासायनिक खाद व उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव (स्प्रे) समय समय पर किया जाता हैं। खेत से सोयाबीन की कटाई मजदूरों एवं कृषि यंत्रों द्वारा की जाती हैं। सोयाबीन की कटाई के उपरान्त हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन के माध्यम से सोयाबीन को निकाला जाता हैं। सोयाबीन को खेत से मण्डी तक ट्रेक्टर ट्राली व अन्य साधनों (ट्रांसपोर्ट) के माध्यम से पहुँचाया जाता हैं। यह निर्भर करता है कि खेत से मण्डी तक की दूरी कितनी है। इस अनुपात में ट्रांसपोर्ट का खर्च कम या ज्यादा हो सकता है।

उज्जैन जिले में सोयाबीन फसल की लागत एवं लाभ प्रति क्विंटल के मध्य सहसम्बन्ध

वर्ष	लागत प्रति क्विंटल	लाभ प्रति क्विंटल
2016-17	1,293	1,541
2017-18	1,333	1,717
2018-19	1,367	2,032
2019-20	1,458	2,252
2020-21	1,575	2,305

उज्जैन जिले में सोयाबीन तिलहन फसल की लागत प्रति क्विंटल एवं लाभ प्रति क्विंटल के मध्य कार्य पियर्सन के सहसम्बन्ध का विस्तृत अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया की सोयाबीन की फसल की लागत प्रति क्विंटल एवं लाभ प्रति क्विंटल में 0.9047 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया एवं सोयाबीन की लागत प्रति क्विंटल व लाभ प्रति क्विंटल में सम्भाव्य विभ्रम 0.0547 पाया गया तत्पश्चात सोयाबीन की लागत एवं लाभ के मध्य पाए गए सहसम्बन्ध की सार्थकता मापी गई, सहसम्बन्ध जो की सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुना से अधिक है अत: सोयाबीन फसल की लागत एवं लाभ के मध्य का सहसम्बन्ध सार्थक है। अर्थात् लागत की तुलना में लाभ का प्रतिशत अधिक पाया गया है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तालिकाओं द्वारा अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल करने से अन्य फसलों की तुलना में अधिक आय अर्जित की जा सकती है। उज्जैन जिले की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति सोयाबीन फसल के उपयुक्त है। यहाँ एक सामान्य किसान भी सोयाबीन की फसल के उत्पादन से पर्याप्त लाभ अर्जित कर सकता है। क्योंकि उज्जैन जिले में सोयाबीन फसल की उत्पादन लागत कम है और सोयाबीन फसल से प्राप्ति अधिक है। उज्जैन जिले में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य सोयाबीन की फसल की लागत एवं लाभ (प्रति क्विंटल) में 0.9047 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध एवं सम्भाव्य विभ्रम 0.0547 पाया गया तत्पश्चात सोयाबीन की लागत एवं लाभ के मध्य पाए गए सहसम्बन्ध की सार्थकता मापते हैं तो पाया गया है कि उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल लागत से अधिक लाभ अर्जित (अन्य बातें समान रहने पर) कर के दे सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शर्मा, कालीचरण- भारत की प्रमुख फसलें - साहित्य भवन, आगरा
2. जैन, पी.सी.- भारत में कृषि विकास - रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
3. शाह, के. एन. - कृषि अर्थशास्त्र- कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
4. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन वार्षिक प्रकाशन
5. किसान डायरी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
6. www.ujjain.nic.in
7. www.fci.gov.in
8. www.mpkrashi.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नवीन संशोधन का अवलोकन

डॉ. धर्मराज गुप्ता*

* सहायक प्राध्यापक,पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वन्यजीव और पौधो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे कई कारक हैं जो वन्यजीव प्राणियों के लिए खतरा हैं। जिनमें बढ़ता प्रदूषण, तापमान और जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अनियमित शिकार या अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, आदि वन्यजीवों की समाप्ति के प्रमुख कारण हैं। वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा कई कार्य और नीतियां तैयार और संशोधित की गई हैं।

जंगली पौधों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए की गयी कार्रवाई को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। मानव द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों को अमल में लाकर इसे हासिल किया जाता है। वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है, उनके अस्तित्व के बिना, पारिस्थितिक संतुलन एक असंतुलित स्थिति में बदल जाएगी। जिस तरह से इस धरती पर मौजूद हर एक प्राणी को अपने अस्तित्व का अधिकार है और इसलिए उन्हें एक उचित निवास स्थान और उनकी शर्तों का अधिकार मिलना चाहिए।राष्ट्रीय स्तर पर, वन्यजीव संरक्षण के लिए एक विशेष अधिनियम है जो वन्यजीव की संरक्षण, संग्रहण, और प्रबंधन के लिए नियमों और विधियों को स्थापित करता है।वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाता है ताकि उनकी संरक्षण बना रहे। यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अंग है।वन्यजीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियाँ और समझौते भी होते हैं। इनमें वन्यजीव वाणिज्य, संरक्षण के लिए गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अनुबंध शामिल हो सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ विशेष रूप से संरक्षित होती हैं,और उनके शिकार पूर्णतय: प्रतिबंध लगाया जाता है।वन्यजीव की शिकार और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान किये गये हैं। इस अधिनियिम में कठोर दंड और जुर्माना शामिल किया गया है।इन प्रावधानों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे हम समृद्धि, संतुलन, और विकास को सुनिश्चित कर सकें।वन्यजीव की जड़ में जैव विविधता है, जहाँ हर प्रजाति चाहे वह छोटी हो या बड़ी, निर्वासनीय भूमिका निभाती है। सबसे बड़े स्तनधारियों से छोटे कीटों तक हर प्राणी जगत के प्रणाली और प्रतिकूलताओं में योगदान करता है। हर जीव जगत के लिए संतुलन और संघर्षशीलता का योगदान करता है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 वन्य प्राणियों और पादकों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके प्रवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पोधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पादकों एवं जीवों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है तथा यह अधिनियम अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होता है।

नवीनतम संशोधन

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 में कुछ नवीनतम संशोधन किए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं-

1. अनुसूचियों की संख्या पहले के छ: से घटा कर चार कर दी गई है।
2. अनुसूची 1 में वे पशु प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है।
3. अनुसूची 2 इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करता है।
4. अनुसूची 3, इसमें संरक्षित पौधों की प्रजातियां शामिल हैं।
5. अनुसूची 4 में (वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय) के तहत अनुसूचित प्रजातियां शामिल हैं।

धारा 2 परिभाषा खंड में बंदी प्राणी से तात्पहर्य अनुसूची 01 या अनुसूची 02 में विनिर्दिष्टि ऐसा कोई प्राणी अभिप्रीत है जो पकडा गया है या बंदी हालात में रखा गया है अथवा बंदी हालात में प्रजनित हुआ है।

आवास- आवास के अंतर्गत ऐसी भूमि, जल और वनस्प ति है जो किसी अन्य वन्य प्राणी या विनिर्ष्टित पादप का प्राकृतिक गृह है ।

पशुधन – पशुधन कृषि में आने वाले प्राणी अभिप्रेत है किन्तु इसमें अनुसूची 01 अनुसची 02 अनुसूची 04 में वनिर्ष्टित कोई प्राणी सम्मिलित नही है।

विर्निमाता- विर्निमाता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो यथास्थिति अनुसूची 01 अनुसची 02 अनुसूची 03 में वनिर्ष्टित कोई प्राणी या पादप से वस्तुओि का विर्निमाण करता है।

व्यक्ति – व्यक्ति के अंतर्गत कोई फर्म या कंपनी या कोई प्राधिकरण या कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नही सम्मिलित है।

विनिर्दिष्ट पादप – विनिर्दिष्ट पादप से अनुसूची 03 में विनिर्दिष्टत पादप अभिप्रेत है ।

पीडक जन्तु – पीडक जन्तुन से ऐसा वन्यप जीव अभिप्रेत है जो धारा 62 के अधीन अधिसूचित है।

वन्य प्राणी- वन्य प्राणी से ऐसा प्राणी अभिप्रेत है जो अनूसूची 01 या

अनुसूची 02 में विनिर्दिष्ट है। और प्रकृति से ही वन्य के परिभाषा खंड में संशोधन किये गये है।

धारा 9 शिकार का प्रतिषेध में लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची 01 एवं अनुसूची 02 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का धारा 11 एवं 12 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय शिकार नही करेगा ।

धारा 50 में प्रवेश,तालाशी, गिरफ्तारी और निरूद्ध करने की शक्ति– में या 'प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी' व या निरीक्षक की पंक्ति से अन्यूसन कोई सीमा शुल्क व अधिकारी या सहायक कमाण्डेंट की पंक्ति से अन्यून तटरक्षक या कोई अधिकारी लेख किया गया है।

धारा 51 शास्तियां –जुर्माना की राशि को कई गुना बढाया गया है यहा तक की जुर्माना में 50 लाख तक का प्रावधान किया गया है।

वन्य जीवन लाइसेंसिंग नियम 2024 – केन्द्र सरकार ने हाल ही में वन्य जीव व्यापार नियम 1983 में संशोधन करते हुए वन्य जीवन लाइसेंसिंग नियम 2024 पेश किया और यह नियम 16 जनवरी 2024 से लागू हो गया।

वर्ष 1983 में प्रकाशित नियमों में कहा गया है कि केन्द्र सरकार के पिछले परामर्श के अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1,2,3 में निर्दिष्ट वन्य जीवों के व्यापार के लिए ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

वर्ष 2024 के नये नियमों के माध्यम से अब वन्य जीवों के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।

लेकिन आज की दुनिया में वन्यजीव कई धमाकेदार संघर्षों का सामना कर रहा है। आवास का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और शिकार केवल कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है। मानव गतिविधियों के कारण, अनेक प्रजातियों को नष्ट हो रहा है या अत्यंत खतरे में पड़ रही है। वन्यजीव संरक्षण के प्रयास अपने पृथ्वी के वन्यजीव की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने से लेकर सतत गतिविधियों को क्रियान्वित करने तक हम कई तरीकों से साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक अद्वितीयता को सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो लोगों को जैव विविधता की महत्वता को समझने में मदद करती हैं और उन्हें कार्रवाई करने के लिए लेकिन आज की दुनिया में वन्यजीव के कई खतरों का सामना कर रही है। आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अवैध शिकार कुछ ऐसे चुनौतियाँ हैं जिनसे जीवों और पौधों को निपटना पड़ता है। जैसे–जैसे मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक जगहों के ऊपर बढ़ती हैं बहुत सी प्रजातियाँ नष्ट हाने के कगार पर पहुँच जाती हैं।

वन्यजीव संरक्षण के प्रयास अपने प्राकृतिक जगत को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से लेकर पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को लागू करने तक, हम कई तरीकों से साझा कर सकते हैं ताकि प्रधानमंत्री ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक अद्भुतता को संरक्षित करने के लिए काम किया। शिक्षा और जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोगों को जैव विविधता के महत्व को हैं। अंत में, वन्यजीव की रक्षा सिर्फ व्यक्तिगत प्रजातियों को बचाने के बारे में नहीं है। यह सभी के लिए संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर वन्यजीव के चमत्कारों को संरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए काम करके, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और अधिक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

निष्कर्ष – वन्य जीवों के संरक्षण में उनका संरक्षण, उनके प्रवास का प्रबंधन एवं उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए वन्य जीव संरक्षण संसोधन अधिनियम 2022 एक महत्वपूर्ण संसोधन हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के संरक्षण में बहुत अधिक योगदान रहा है। इस अधिनियम के द्वारा केन्द्र सरकार अलग–अलग स्तर की सुरक्षा एवं निगरानी प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Upadhyay Dr. Jay Jay Ram, Environmental Law, 12th edition published in 2020 by central law agency
2. Jaswal Dr. P.S., Environmental Law ; Edition, 2021
3. Prasad Dr. Anirudh, Paryavaraniya Vidhi, Publisher: Central Law Publication,Year: 2018

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

हिन्दी साहित्य में आचार्य विद्यासागर का प्रदेय

डॉ. गणेशलाल जैन* प्रीति सोनी**

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अब तक हिन्दी साहित्य में केवल धरती पर ही कविताएँ लिखी गई। मिट्टी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागरजी ने मिट्टी पर यह महाकाव्य लिखकर साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य श्री जी का यह योगदान हिन्दी साहित्य के महत्व की ओर भी बढ़ता है।

खडी बोल और मुक्त छन्द में आध्यात्मिक आधार देकर लिखा गया मूकमाटी पहला महाकाव्य है। धरती पर यद्यपि कवियों ने लिखा है और कुछ रचनाओं में माटी का उल्लेख भी आया है पर इस महाकाव्य में माटी को आत्मा का प्रतीक मानकर वर्णन हुआ है। इसलिए इसका अध्ययन साहित्यक कृति के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक महाकाव्य के रूप में करना चाहिए। काव्य की भाषा यद्यपि बहुत सरल है किन्तु अर्थ बहुत गूढ़ और मर्म स्पर्शी है। जिसे पाठक अपनी बुद्धि और विवके के आधार पर गृहण कर सकता है। यह एक अपने आप में अनूठा ग्रंथ है जो अपनी विशेषतओं को पाठक की बुद्धि के आधार पर निर्भर करता है। आचार्य विद्यासागर जी ने विभिन्न काव्य साहित्य के रूप में हिन्दी साहित्य में अपना योगदान प्रस्तुत किया है। जो आध्यात्मिक एवं सामाजिक साधना से ओतप्रोत है। कई दर्शन साहित्य साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। नए-नए विषयों को लेकर तथा गुरू कृपा को आधार बनाकर आचार्य विद्यासागर ने हिन्दी साहित्य को श्रेष्ठ बनाने में अपना अनुपम योदान प्रस्तुत किया है। असाधारणीय महाकाव्य मूकमाटी के रूप में आचार्य श्री ने अपना श्रेष्तम योगदान हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। मूकमाटी आधुनिक हिन्दी कविता की शैली में लिखी हुई गीता है।

संत कवि आचार्य विद्यासागर जी की भाषा अत्यंत समृद्ध, गरिमामयी और प्रवाहपूर्ण है 'रमता जोगी बहता पानी' की तरह उनका पद-विहार उनके भाषा शास्त्र को परिपक्व और गरिमामय बनाता है। यद्यपि संत कवि की मातृभाषा कन्नड है। पर इसके वावजूद हिन्दी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार उनके सतत् अध्ययन, मनन और चिंतन की अभिरूचि को दर्शाता है। उनके द्धारा काव्य में जगह-जगह पर किये गये भावों के नव्यतम् प्रयोग उनकी अभिरूचि को दर्शातात है। कवि के भाषायी कौशल को हम कतिपय उदाहरण के द्धारा भली प्रकार से समझ सकते हैं।

आसमान को छूना
आसान नहीं है। जब छुयेगा
गहन गहराईयाँ
तब कहीं संभव हो
आसमान को छूना ।।

भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने अपनी भाषा को श्रम और साधना के साँचे में ढ़ाला है। अपने भावों को सहजता के साथ प्रस्तुत कर देने की कला में आचार्य श्री सिद्धस्त् हैं।

उनका कहना है – आत्मतत्व के भावों से शब्दों एवं शब्दों से भाषा का रूप मिलकर ही इसका संपादन हुआ है। कवि की भाषा सर्वत्र भावों के अनुकूल है। आपने अध्यात्म रस से रिक्त गहनतम् सिद्धान्तों को भी अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत कर कौशल दिखाया है। वे शब्दों में अन्तर्निहित अर्थ को शब्द की आत्मा में प्रवेशकर उसके अर्थ को बहार निकालने में सिद्धहस्त हैं। आचार्य श्री की शब्द-साधना को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें भाषा तक स्वयं नहीं जाना पड़ा है, अपितु भाषा स्वयं उन तक चलकर आई है। हिन्दी साहित्य में आचार्य विद्यासागर का विशेष योगदान है। जिससे हिन्दी साहित्य में नवीनतम विधाओं का महत्व बढ़ा है।

आचार्य विद्यासागर जी ने भावानुकूल भाषा का निर्माणकर वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल शब्द के चयन में अत्यंत कुशलता का परिचय दिया है। उनका शब्द-भण्डार अत्यंत विलुप्त है। ऐसा लगता है जैसे कि शब्द उनके संकेतों पर नृत्य कर रहे हों। वे प्रत्येक शब्द के अर्थ और महत्व को भली भाँति जानते और पहचानते हैं। उन्होंने शब्दों की आत्मा में बैठकर उनकी महिमा और गरिमा को आत्मसात् किया है। तभी तो मूकमाटी जैसे महाकाव्य का सृजन संभव हो सका है।

आचार्य विद्यासागर सच्चे अर्थो में इस सदी के शिखर पुरूष हैं। क्योंकि आपकी वाणी में ऋणुता, व्यक्तित्व में समता और जीने में सादगी की त्रिवेणी लहराती है। मानवता का ऐसा सजग प्रहरी जिसने जन-जन की चेतना को झकझोरा है, विश्वकल्याण की कामना से अपने काव्य को संवारा हो, जीवन-मूल्यों को सजग बनाने के लिए अपनी काव्य कृतियों के ताने बाने बुने हो, जीवन की सारी सरसता जिन्होंने मानवता

के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दी हो ऐसे युग-पुरूष की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'संत कवि आचार्य श्री विद्यासागर की साहित्य साधना' पृष्ठ सं. 225 हिन्दी साहित्य में हाइकु का महत्व और उपयोगिता।
2. डॉ. राजमल बोरा, मूकमाटी पेज नं. 157
3. डॉ. राजमल बोरा, मूकमाटी पेज नं. 157
4. संत कवि आचार्य श्री विद्यासागर की साहित्य साधना पृष्ठ संख्या - 161, 126/2, 164

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

एक देश एक चुनाव

रेणु ठाकुर*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा (नीमच) (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – यह विचार भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, भारत में सरकारी खर्चों को कम कर रोजगार स्तर को अधिकतम करने हेतु एवं शासन- व्यवस्था के निरंतर सुसंचालन हेतु एक उत्कृष्ट समाधान साबित हो सकता है क्योंकि हर 5 साल में ही सही परंतु लोकसभा और विधानसभा के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चुनाव प्रचार प्रसार से लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने तक की प्रक्रिया में जितना खर्चा होता है उतने में सरकार इन 5 सालों के प्रत्येक वर्ष में जनता के विकास हेतु अनेकों योजनाएं बना सकती हैं। जैसे जहां आज भी कुछ जिलों में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता हैं, नक्सलवाद की समस्या जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा उनकी अनदेखी कर उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान ना करना हैं। जिसके प्रमुख कारणों में से एक राजनीति भी हैं क्योंकि कुछ सरकारें चाहती ही नहीं है देश में गरीबी के मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म करना इसलिए भी इन क्षेत्रों का विकास आज तक नहीं हो पाया है इस समस्या को भी काफी हद तक जड़ से मिटाया जा सकता है। क्योंकि हर आवश्यकताओं की पूर्ति का मूल आधार धन होता हैं जो कि हमारे देश की सरकार के पास भी बहुत हैं आवश्यकता है उसे सही तरीके से खर्च करने की।

कुंजी शब्द– एक देश,एक चुनाव,शुरुआत,एक देश एक चुनाव से उत्पन्न समस्याएं,लाभ।

शोध कार्य का उद्देश्य – एक देश एक चुनाव वर्तमान समय में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका हैं जिसके कारण हर राज्य, हर वर्ग सभी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। क्योंकि एक देश एक चुनाव प्रक्रिया सामान न होने से देश का खर्चा देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। क्योंकि आचार संहिता लगने से लेकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक शासन एवं सभी शासकीय संस्थाओं के लगभग सारे कार्य रोक दिए जाते हैं जिससे सभी के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है अत: मेरे शोध-पत्र का उद्देश्य अपने शोध पत्र के माध्यम से इस समस्या से संबंधित अन्य मुद्दों उसके कारणों एवं उसके संभावित उपायों को सरकार एवं जनता के सामने प्रस्तुत करना है।

एक देश एक चुनाव की शुरुआत – भारत में एक देश एक चुनाव की शुरुआत 1952 में हुई क्या पहली बार लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। उसके बाद यह क्रम 1957, 1962 एवं 1967 तक सुचारू रूप से चलता रहा यह क्रम तब टूटा जब 1968 – 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग करना पड़ा परन्तु इससे यह तो पता चलता है कि वर्तमान में जोरो से चल रहा मुद्दा एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है। जिसे शुरू करने में इतना विचार विमर्श करना पड़े बस थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता हैं पर इस देश में एक चुनाव की प्रक्रिया हर स्तर पर लगभग अधिकांश समस्याओं का एक समाधान सिद्ध हो सकती है।

एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में समस्याएं

1. **संवैधानिक प्रावधान –** एक कहावत है कि जिस तरह कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता है इसी तरह आवश्यकता सिर्फ कुछ विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए तो जितना संभव हो उतना तो लगभग सारी लोकसभाओं एवं विधानसभाओं के चुनाव साथ में संपन्न कराए जा सकते हैं। क्योंकि एक देश एक चुनाव पर यह तर्क दिया जा रहा है कि संविधान में इस तरह के चुनाव संपन्न करने का कोई संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है पर यूं तो हमारे वर्तमान संविधान में अनेकों ऐसे नवीन हैं जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। फिर भी संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभ में जो 395 अनुच्छेद थे उनकी संख्या आज बढ़कर 470 हो गई है तो संविधान संशोधन हुए हैं तभी यह संख्या बढ़ी हैं। तो इस मुद्दे पर संशोधन क्यों नहीं एक संविधान संशोधन के माध्यम से देश में बहुत आसानी से एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती हैं और जिनके साथ में संभव नहीं है। उनके दूसरे चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं पर अगर 80% या 70% चुनाव भी साथ में संपन्न किया जा सकते हैं तो इसके अनेकों लाभ हैं
2. **क्षेत्रीय दलों का भय –** वर्तमान क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक भय यह हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों को क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाएगी अत: उनका यह भय निकालने की जिम्मेदारी सरकार, राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग की है कि क्षेत्रीय दलों को भी अपने क्षेत्रीय मुद्दों का प्रचार प्रसार करने का समान समय दिया जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों को भी राष्ट्रीय मुद्दों के समान ही महत्व दिया जाएगा क्योंकि अगर क्षेत्रीय मुद्दों को अनदेखा किया गया तो उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे भी स्थानीय क्षेत्र की जनता से संबंधित होते हैं और सरकार राज्य स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की चुनती तो जानता ही है इसलिए इन क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी तो किसी भी तरह से संभव नहीं है इतना आत्मविश्वास तो क्षेत्रीय दल को भी स्वयं में रखना होगा।

चुनाव प्रचार प्रसार के विकल्प

1. **सकारात्मक प्रचार –** चुनाव लोकसभा के हो या विधानसभा के इन सभी के प्रचार प्रसार में जरूरी नहीं है कि नेताओं द्वारा रोड शो किया जाए वैसे भी प्रचार प्रसार में सारे नेता अपनी योजनाए कम और विपक्ष की बुराइयां

ज्यादा दिखाते हैं। होना यह चाहिए कि पिछले 5 वर्षो में लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा अपने जिले में जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं और आने वाले वर्षों में भी जो उन्होंने जनता की विकास हेतु जो कार्य निर्धारित किए हैं। सिर्फ जनता को उन्हीं की जानकारी दी जाए सामने वाले की बुराइयां दिखाकर आप अपनी कमियां नहीं छुपा सकते हैं।

2. **डिजिटल तकनीक का उपयोग –** आज का युग तकनीकी युग है प्रचार प्रसार के ऑनलाइन अनेकों माध्यम उपलब्ध हैं इंटरनेट, रेडियो, टीवी की पहुंच तू सभी तक उपलब्ध हो जाती है और गरीब से गरीब इंसान के पास इंटरनेट ना सही कीपैड मोबाइल तो होता हैं। जिसमें भी सरकार द्वारा गरीब जनता तक भी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार मैसेज के माध्यम से किया जा सकता है जिस तरह सरकार आधार कार्ड से संबंधित जानकारी प्रत्येक इंसान को मैसेज के माध्यम से भेजते हैं। मोबाइल कंपनी रिचार्ज के मैसेज भेजती हैं इस तरह सोच कर कोशिश की जाए तो हर काम संभव है इसके अलावा और भी साधन प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध हो सकते हैं जो एक पल में नहीं सोचे जा सकते हैं पर सोचने की शुरुआत तो की जा सकती हैं।

एक देश एक चुनाव के लाभ

1. **सरकारी खर्चे में कमी –** देश में एक साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न करने का एक प्रमुख लाभ यहां होगा कि इससे सरकारी खर्चे में काफी कमी आएगी और साथ ही अलग-अलग चुनाव कराने में हर बार प्रसार प्रचार हेतु जो अलग-अलग संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती हैं। जिसमें हर बार करोड़ों का यूं ही व्यय हो जाता हैं अगर सही तरीके से एक साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाए तो सरकार का बहुत सारा धन व्यर्थ खर्च होने से बचाया जा सकता हैं जिससे सरकार सरकारी खजाने का सदुपयोग अन्य जनकल्याण के कार्यों में कर पाएगी।

2. **शुरूआती दौर में चुनावी खर्चों का ब्यौरा प्रत्याशियों का खर्च –** इस वर्ष 1999 के मुकाबले प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार पर खर्च की जाने वाली रकम के दुगना होने के भी आसार हैं।आयोग द्वारा ये राशि केवल 25 लाख रुपए तक की गई है।पिछले चुनावों में भाग ले रहे प्रत्याशियों ने लगभग 55 करोड़ रुपए प्रचार पर व्यय किए गए थे।एक अनुमान है कि ज्यादातर प्रत्याशी सबसे ज्यादा खर्च समाचार पत्रों और टीवी, रेडियो पर दिए जाने वाले विज्ञापनों पर करते हैं, और उनके कुल खर्च का सिर्फ एक तिहाई ही क्षेत्र में दौरे करने, गाड़ियां भाड़े पर लेने या कार्यकर्त्ताओं पर खर्च होता है।2019 में हुआ लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अनुसार, 2019 में चुनावों में 50,000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान जताया गया था, लेकिन असल में यह 60,000 करोड़ लगा। लोकसभा चुनाव 5 सालों में होते हैं और उतनी ही तेजी से खर्चे बढ़ते जाते हैं।2009 में हुए 15वें लोकसभा चुनाव का बजट भारत में उससे पहले हुए चुनावों से 15 गुना ज्यादा था। इससे पहले की बात करें तो 1993 में लोकसभा चुनावों में 9000 करोड़, 1999 में 10,000 करोड़, 2004 में 14,000 करोड़, 2009 में 20,000 करोड़, 2014 में 30,000 करोड़ और 2019 में 60,000 करोड़ रुपये चुनाव पर खर्च हुए। इस लिहाज से देखें तो 2014 के चुनाव का खर्च 2009 से डेढ़ गुना बढ़ा था। इसी तरह 2019 के चुनाव में 2014 के हिसाब से लागत दोगुनी हुई थी। इस आंकड़े को आधार मानें तो 2024 के चुनाव में 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। जो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हो सकता है।ऐसे होता है चुनाव खर्च का बंटवारा यदि 2019 में चुनाव पर खर्च हुई राशि की बात करें तो इसमें से 20 प्रतिशत यानी 12 हजार करोड़ रुपये चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंधन पर खर्च किए। 35 प्रतिशत यानी 25000 करोड़ रुपए राजनैतिक पार्टियों द्वारा खर्च किया गया। 25000 करोड़ में से 45% बीजेपी ने खर्च किए जबकि कांग्रेस ने 20% और बाकी ने 35% खर्च किया। 2019 में अकेले 5000 करोड़ रुपये सोशल मीडिया पर खर्च किए गए।निर्वाचन आयोग ने कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा बढ़ाई थी।फिर भी देश में लगभग सौ ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां प्रत्याशियों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं।एक अनुमान है कि 50 क्षेत्रों में यह रकम एक करोड़ रुपए तक को छू गई है।

वर्ष	कितना खर्च
1991	359 करोड़ रुपए
1996	597 करोड़ रुपए
1998	666 करोड़ रुपए
1999	880 करोड़ रुपए
2004	1200 करोड़ रुपए

वैसे चुनाव आयोग ने वर्तमान समय में चुनावी खर्चों पर नियंत्रण करने हेतु कुछ नवीन नीतियों को तो अपनाया ही हैं जहां एक और विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च को 28 लाख से बढ़कर 40 लाख का दिया गया हैं। पर इसके साथ ही नियंत्रित तरीके से खर्च करने के कुछ नियम भी चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं। जैसे 40 लाख में से केवल 10,000 रुपए ही चुनावी दल नगर में खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन तरीके से करना होगा जिसमें सारे लेनदेन की रसीदें भी दर्शाना जरूरी होगी। इससे फायदा यहां होगा कि चुनावी दलों द्वारा किया जाने वाला अनावश्यक खर्च या फिर प्रचार प्रसार के नाम पर दिया जाने वाला रुपया केवल प्रचार प्रसार में ही खर्च होगा, किसी भी विधायक एवं सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करने में इस धन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे एक तरफ तो कुछ हद तक तो विधायकों एवं सांसदों की खरीद फरोख पर रोक लगेगी और दूसरी तरफ चुनावी खर्चों में पारदर्शिता आएगी।

3. **जनता की सुरक्षा में अतिरिक्त खर्चों में कमी –** जब भी नक्सली क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं तो उससे पहले जनता की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाती है और अगर यह व्यवस्था हर बार हर अलग-अलग क्षेत्रों में की जाए तो इन सब का अतिरिक्त खर्च भी सरकार को उठाना पड़ता हैं। क्योंकि अधिक भीड़भाड़ में जाने से नक्सली भी कतराते हैं और हर बार चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था करने का भी खर्चा कम होगा क्योंकि जनता की सुरक्षा हेतु मुख्यत: नक्सली क्षेत्रों में सरकार की जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती हैं अगर एक साथ चुनाव संपन्न हो तो जनता को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता ही ना पड़े साथ ही हर बार इन सारे कार्यों पर अधिकारियों एवं कर्मचारी को बार बार परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि नक्सली क्षेत्र में मतदान पेटी को सुरक्षित रखने में कई बार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जान का खतरा भी उठाना पड़ता हैं।

4. **शासकीय कार्यों में बाधा से मुक्ति –** इन लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में हर तरह के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चाहें वह बैंक से संबंधित हो या फिर कॉलेज एवं स्कूलों से संबंधित हो सभी की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है। जिससे इन सभी संस्थाओं के दिन प्रतिदिन से संबंधित कामों में बाधा उत्पन्न होती हैं आम जनता , किसान एवं श्रमिक वर्ग के साथ-

साथ छात्र-छात्राएं भी शैक्षणिक एवं मानसिक तनाव झेलते हैं। क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बाधित होती हैं, रिजल्ट देर से आता है जिसके कारण वह प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भी समय से नहीं भर पाते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म में तिथि से एक महीने भी उम्र ज्यादा हो जाए तो वह प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं और उनकी इस समस्या की जिम्मेदार भी सिर्फ सरकार होती हैं। इसलिए लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ एक समय पर होने से इन सभी शासकीय संस्थाओं के कार्य में भी एक ही बार बाधा आएगी और अगले 5 सालों तक यह संस्थाएं बाधामुक्त होकर सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगी।

एक देश एक चुनाव की वैश्विक सफलता – वैश्विक स्तर पर तो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को विकसित देशों में प्रारंभ से ही अपनाया गया है और यह सफल भी सिद्ध हुआ है जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव हर चार साल में एक निश्चित तिथि पर होते हैं।

फ्रांस में भी हर 5 साल में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान हैं जिसके तहत उनका कार्यकाल भी समान एवं निश्चित समय के लिए तय किया जाता हैं।

स्वीडन में चुनाव के जिस मॉडल को अपनाया गया है उसके अंतर्गत संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर चार साल में साथ में संपन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका एवं काउंटी परिषद के राष्ट्रीय चुनाव के साथ होने से मतदाताओं को एक ही दिन में कई चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका मिलता हैं।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विदेश में भी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सालों से वर्तमान समय तक सफलतापूर्वक निरंतर चली आ रही है। तो फिर भारत जैसे विकासशील देश से विकसित देश बनने की राह पर खड़े देश में तो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया और भी आसान है क्योंकि भारतीय संविधान मिश्रित संविधान कहलाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है और उपरोक्त वर्णित समस्याओं को देखते हुए एक देश एक चुनाव हेतु एक नवीन संविधान संशोधन अनिवार्य हो गया हैं।

निष्कर्ष – ऐसे और कई कारण कई समस्याएं हैं जो अलग-अलग समय में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के संपन्न करने से उत्पन्न होती हैं कहते हैं कि हर समस्या का समाधान मौजूद है आवश्यकता है उस पर गहराई से अमल करने की जिसका समय अब आ गया है क्योंकि वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जाते हैं और अब तो भारत वैश्विक गुरु बनने की राह पर है। इसलिए आवश्यक है कि उसे आर्थिक राजनीतिक एवं बौद्धिक तौर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को चरम सीमा तक पहुंचाना होगा। क्योंकि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया सार्वभौमिक तौर पर संपन्न करने से समय और धन की बचत तो होगी ही साथ-साथ सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या कलेक्ट्रेट हो सभी के काम बिना बाधा के सुचारू रूप से समय पर संपन्न हो पाएंगे। जिससे आम जनता एवं छात्र-छात्राओं किसी को भी अलग-अलग समय पर होने वाले चुनाव के कारण होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.jagran.com/news/national-one-nation-one-election-formula-is-implemented-in-many-countries-of-world-including-america-and-france-23647059.html
2. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/one-nation-one-election-cost-effective-blueprint-8924172/ https://www.tv9hindi.com/india/will-the-worlds-most-expensive-election-be-held-in-2024-it-will-cost-so-many-crores-2430649.html

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

'भ्रमरगीत' एक विरह विभूषित काव्य कथा

डॉ. मुकेश कुमार*

* सहायक आचार्य, विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,कैराना, शामली (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भ्रमरगीत काव्य का उद्भम संस्कृत साहित्य के माध्यम से सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत पुराण में हुआ। श्रीमद्भागवत में मथुरा से कृष्ण द्वारा भेजे गये उद्धव ब्रजधाम में पहुँचकर ज्ञानोपदेश द्वारा ब्रजवल्लभाओं की विरह व्यथा दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उद्धव को देखकर स्वत: गोपियों के हृदय में कृष्ण एवं उद्धव की लोभी प्रवृत्ति का स्मरण हो आता है। गोपी-उद्धव संवाद के मध्य भागवतकार को एक कल्पना सूझ गई है। गोपियाँ भ्रमर को उद्धव तथा कृष्ण की लोलुपता एवं स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रतीक मानकर सम्बोधित करते हुए उपालम्भ देने लग जाती हैं। यही भ्रमरगीत का विषय स्वरूप है और इस प्रकार गोपियों द्वारा 'भ्रमर' को लक्ष्य कर कृष्ण के प्रति उद्धव से कहे जाने वाले पद ही बाद में 'भ्रमरगीत' या 'भ्रमर-काव्य' कहलाये। भ्रमर को उपालम्भ का पात्र मानकर चलने वाली यह कथानक रूढ़ि से इतनी महत्वपूर्ण और व्यंग्य के लिए इतनी उपयुक्त थी कि इसी अभिप्राय को लेकर बाद में श्राव्य रूप खड़े होने लगे।

हिन्दी साहित्य के 'भ्रमरगीत' की इस काव्य परम्परा के अन्तर्गत कतिपय कवियों ने उद्धव-गोपी संवाद के मध्य भ्रमर का प्रवेश कराया है। इसी भ्रमर को कृष्ण का प्रतीक मानकर गोपियों द्वारा मन भरकर उपालम्भ दिलवाया गया हैं। हिन्दी साहित्य में भ्रमरगीत काव्य का यही विषय स्वरूप अपने भिन्न-भिन्न स्वरूपों में कवियों के काव्य का विषय रहा।

हिन्दी साहित्य में प्रवाहित भ्रमरगीत काव्यधारा को निम्नलिखित वर्गो में विभाजित किया जा सकता है -

1. पूर्ववर्ती भ्रमर गीतकार।
2. सूरदास की मौलिक भ्रमरगीत योजना।
3. सूर परवर्ती भ्रमर गीतकारों द्वारा परम्परा का निर्वाह।

1. पूर्ववर्ती भ्रमर गीतकार - भ्रमरगीत की इस योजना के प्रणयन का श्रेय भागवतकार को है। महापुराण के दशम स्कन्ध में यह प्रसंग बड़े ही अनूठे ढ़ंग से चित्रित है। उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे। मित्र की ब्रज सम्बन्धी विरह वेदना को सुनकर उद्धव मित्र के निर्देशानुसार ज्ञानोपदेश द्वारा ब्रजवासियों को शान्ति एवं सुख प्रदान करने हेतु मथुरा से ब्रज के लिए चल पड़े थे। गोपियों को यह विदित हो जाने पर श्रीकृष्ण के परम मित्र उद्धव आये हैं, विशेष हर्ष हुआ, परन्तु कृष्ण की पूर्व स्वार्थ संलिप्त भिन्नता का स्मरण कर वे उद्धव के समीप पहुँचकर उनके समक्ष अनेकानेक उपालम्भों का घात करने लगी। इसी मध्य एक भौंरा उड़ता हुआ पहुँचा। गोपियाँ भ्रमर को कृष्ण या उनका दूत समझकर उसी पर अपनी खीज उतारने लगी। भागवतकार ने अन्त में उद्धव के ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों के प्रेमालाप को शांत एवं स्थिर कर दिया। भागवतकार की गोपियाँ सरल हृदया एवं स्पष्ट हैं।

2. कवि वर सूरदास की मौलिक भ्रमर गीत योजना - सूर के भ्रमरगीत सार का मुख्य उद्धेश्य निर्गुण का खण्डन और सगुण का प्रतिपादन करना है, ज्ञानमार्ग के कठिन मार्ग से बचाकर भक्ति-मार्ग की स्थापना करना है। सूर ने वास्तव में सगुण-भक्ति का संदेश मानव को प्राप्त कराया है। गऊघाट पर वल्लभाचार्यजी से सूरदास की मुलाकात हुई थी और उस समय उन्होंने भगवद्लीला का वर्णन करने के लिए संकेत किया था। भगवान की कथा सूरदासजी को वल्लभाचार्यजी से प्राप्त हुई थी। उसी को आधार मानकर सूर ने 'भ्रमरगीत' की रचना की है।

सूरदासजी ने तीन 'भ्रमरगीत-सार' लिखे हैं -

1. प्रथम 'भ्रमरगीत' सार तो भगवत का अनुवाद है। इसमें वैराग्य और ज्ञान का विवेचन विस्तार से किया गया है, परन्तु सूर ने इसमें यह अंतर कर दिया है कि जहाँ उन्हें मौका मिला है, वहाँ उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति की प्रधानता स्पष्ट की है। 'यह भ्रमरगीत' सार चौपाई-छन्द में लिखा है।
2. दूसरे और तीसरे दोनों ही 'भ्रमरगीत' सार पदों में लिखे गये हैं। प्रथम और दूसरे 'भ्रमरगीत' में भौरे के आगमन का वर्णन कहीं भी नहीं है। केवल मधुकर नाम से उपालम्भ दिया गया है।
3. तीसरे 'भ्रमरगीत' सार में भौरे का आगमन दिखाया है और उसी को संकेत मानकर गोपियाँ अपने व्यंग्य-बाण छोड़ती हैं। कई सौ पदों में इसका विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ अन्य भ्रमरगीतों से अधिक मनोरम और आकर्षक है। तीसरे भ्रमरगीत में वियोग का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है - सूर की अक्षय कीर्ति का यह 'भ्रमरगीत' ही स्मारक है। कृष्ण के उपदेशों को लेकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिसमें गोपियों के हृदय में दु:ख की गहरी अनुभूति होती है। वे अपने हृदय पर हाथ रखकर उद्धव का यह संदेश सुनती हैं-

ताहि भजहु किन सबै सयानी। खेजत जाहि महामुनि ज्ञानी।।
जाके रूप रेख कछुनाहीं। नयन मूँदि चितबहु चित माहीं।।
हृदय-कमल में ज्योति बिराजै। अनहद नाद निरन्तर बाजैं।।
इड़ा पिंगला सुखमन नारी। सून्य सहज मे बसैं मुरारी।।

'भ्रमरगीत' में सूर का वाग्वैदग्ध्य भी उच्चकोटि का है - गोपियाँ

ऐसा सीधा, परन्तु तीखा व्यंग्य-बाण छोड़ती हैं, जिससे बेचारे उद्धव निरूत्तर हो जाते हैं। वे कहती हैं कि हमारे दस-बीस मन नहीं हैं। एक मन था, वह कृष्णजी ले गये।

ऊधौ मन नाहीं दस-बीस।
एक हुतौ जो गयो श्याम संग को आराधै ईस।।

सूर ने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक सुबोध बनाते हुए प्रेम की सरलता एवं सुगमता ही का गोपियों के द्वारा प्रतिपादन कराया है।

'कौन काज है वा निर्गुण सों चिर जीवहु कान्ह हमारे।'

वास्तव में भागवत एक पुराण है। सूर ने अपने सागर में लाकर इसे एक उत्कृष्ट कोटि के काव्य का रूप प्रदान किया है। सूर ने भ्रमरगीत कथासूत्र को भागवत पुराण से ग्रहण अवश्य किया पर अपनी कलात्मक प्रतिभा द्वारा उसके काव्यसूत्र एवं शैली में ऐसा परिवर्तन किया कि वह नैतिक प्रयास प्रतीत होता है। परवर्ती भ्रमर गीतकार - सूर के बाद भ्रमर गीतकारों में आने वाले अष्टछाप के कवियों में नंददास तथा परमानन्ददास प्रमुख है।

सूर के सामाजिक भ्रमर गीतकारों में गोस्वामी तुलीसदासजी का नाम आता है। जिन्होंने फुटकल पदों में भ्रमरगीत संबंधी पदों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदासजी ने 'गीतावली' के अन्तर्गत भ्रमरगीत प्रसंग को उठाया है। भ्रमरगीत के पदों में गोस्वामीजी ने एक प्रकार की मर्यादा की स्थापना कर भ्रमरगीत को नया मोड़ प्रदान किया।

श्रृंगारकाल में भ्रमरगीत की परम्परा - इस काल में कोई भी भ्रमरगीत संबंधी स्वतंत्र काव्य नहीं लिखा गया है। सभी भ्रमरगीत पद प्राय: प्रकीर्ण हैं। न तो उसमें भक्तिकाल की तरह उद्धव गोपीसंवाद ही दिखलाया है और न वैसी तर्क-वितर्क युक्त शैली एवं भावुकता ही है। सूर आदि कवियों की भाँति उद्धव गोपी संवाद के मध्य भ्रमर का प्रवेश भी नहीं कराया गया है। इस काल के कवियों में मतिराम, देव रस नायक, पदमाकर, सेनापति, भिखारीदास आदि प्रमुख हैं।

आधुनिक काल में भ्रमरगीत काव्य परम्परा -
इस काल के भ्रमरगीतकारों में विशेष उल्लेखनीय हैं-
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध' -

पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध' के 'प्रियप्रवास' में कृष्ण, गोपियों, उद्धव तथा राधा को परम्परागत रूप से अलग नवीन सामाजिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य के कृष्ण केवल गोपी वल्लभ ही नहीं हैं, वरन् वे लोक-हितरत, जननायक भी है। 'प्रिय प्रवास' की गोपियाँ विरह-व्याकुल होने पर भी गंभीर , शान्त तथा संयत हैं। सामाजिक मर्यादा का वे पूर्ण-रूपेण ध्यान रखती हैं। 'प्रिय प्रवास' की गोपियाँ आदर्श भारतीय नारी की प्रतीक हैं, वे गोपी-कृष्ण का निम्न शब्दों में स्मरण करती हैं।

'तव तन पर जैसी पीत आभा लसी है।
प्रियतम कत्रि में है सोहत वस्त्र जैसा।।
गुन-गुन करना औ गूजना देख तेरा।
रसमय मुरली का नाम है याद आता।।'

पं. जगन्नाथ दासजी रत्नाकर - भ्रमरगीत परम्परा को पुनर्जीवित पं. जगन्नाथ दासजी 'रत्नाकर' के 'उद्धव शतक' में किया गया है। रत्नाकरजी की गोपिकायें तर्क-निपुण हैं और सफलता एवं दृढ़ता से सगुण ब्रह्म की स्थापना करती हैं। 'उद्धव शतक' में 118 कवित हैं। 'उद्धव शतक' की गोपियाँ सरल हृदय, वाक् पटु, हास्य-प्रिय तथा तर्क निपुर्ण हैं। कवि ने इस काव्य में ज्ञान पर प्रेम की विजय प्रदर्शित की है -

'मान्यौ हम कान्ह ब्रह्म एक ही कह्यौ जो तुम,
तौ हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की।
जैहे बनि बिगरि न वारिधता वारिधि की
बूँदता बिलै है बूँद बिबस बिचारी की।।'

मैथिलीशरण गुप्त - मैथिलीशरण गुप्त का 'द्वापर' भी एक प्रबन्धात्मक रचना है जिसमें भ्रमरगीत प्रसंग को उठाया गया है। इसमें गोपी संवादको बौद्धिक एवं युगानुरूप आकृति प्रदान करने की चेष्टा की गई है। कुब्जा को भी इसमें दया का पात्र माना गया है। द्वापर के उद्धव, ज्ञान के गर्व से प्रेरित नहीं, वरन् वह सहृदय, कोमल और संवेदनशील रूप में चित्रित किए गए हैं। उद्धव ने गोपियों की मानसिकता को आत्मसात किया है

'अहो प्रीति की मूर्ति जगत में, जीवन धन्य तुम्हारा।
कर न सका अनुसरण कठिनतम, कोई अन्य तुम्हारा।
चपल इन्द्रियों को भी तुमने, तन्मय बना दिया।
पावन हुआ पाप जिसमें पंथ जना दिया।'

द्वापर की गोपियाँ उद्धव को इस प्रकार उपालम्भ देती हैं -

'अरे विहग लौट आ तेरा नीड़ रहा इस वन में,
छोड़ उच्चपद की उड़ान वह, क्या थे शून्य गगन में ?'

डॉ. रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी 'उद्धव शतक' लिखा है, जिसमें भ्रमरगीत प्रसंग को ग्रहण किया गया है। 'उद्धव शतक' में गोपियाँ सरल, भोली एवं चतुर हैं।

पं द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 'कृष्णायन' लाला हरदेव ने 'उद्धव-पच्चीसी' और जगन्नाथ सहाय ने 'कृष्णसागर' में भ्रमरगीत प्रसंग को उठाया है। अत: भँवरगीत परम्परा भागवतकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में प्रवाहित होती रही है।

पं. सत्यनारायण 'कविरत्न' का 'भ्रमरदूत' - आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारतेन्द्र हरिशचन्द्र तथा बद्रीनारायण प्रेमधन ने फुटकर पदों में भ्रमरगीत प्रसंग लिखा पं. सत्यनारायण 'कविरत्न' ने भ्रमरगीत परम्परा में 'भ्रमरदूत' नाम से एक प्रौढ़ रचना प्रदान की। इस रचना में मौलिकता एवं नवीनता का समावेश हुआ है। इसमें भ्रमरगीत को दूत बनाकर माता यशोदा द्वारिकापुरी में बसे श्रीकृष्ण को अपना संदेश भेजती है। इसमें उद्धव है न गोपियाँ। केवल यशोदा ही इस काव्य में अपनी मनोव्यथा प्रकट करती हैं। इसमें भक्ति और ज्ञान को लेकर उपालम्भ नहीं दिया गया है, वरन् देश की दशा का चित्रण किया गया है जो भी उपालम्भ हैं वे सभी वात्सल्य विषयक ही हैं। यशोदा ने द्वारिका प्रवासी कृष्ण के पास भ्रमर द्वारा जो सन्देश भेजा, वह भारत की तत्कालीन दशा को प्रकट करता हुआ

देशभक्ति को व्यंजित करता है। यथा;
कौन भेजौं दूत, पूत सों विथा सुना वै।
बातन में बहराइ, जाइ ताको यहँ लावै।
त्यागी मधुपुरी सों गयो, छांडि सबन कौ साथ
सात समुन्दर पै भयो, दूरि द्वारिकानाथ।
जाइगो को वहाँ।

सत्यनारायण 'कविरत्न' के 'भ्रमरदूत' में उद्धव का ब्रज आगमन नहीं

होता, परिणामतः उद्धव गोपी–संवाद के तर्क–विकर्त का समावेश इसमें नहीं हुआ है। 'भ्रमरदूत' में केवल दो ही पात्र हैं – यशोदा और भ्रमर। नन्द, गोप, गोपियाँ, राधा आदि में से किसी का समावेश इस काव्य में नहीं हुआ है। यहाँ उद्धव और गोपियों के बीच ज्ञान और भक्ति का तर्क–वितर्क उपलब्ध नहीं होता। वास्तव में 'कविरत्न का भ्रमरदूत' भारत की तत्कालीन करूण दशा का चित्र है, जिसमें भा्रत ब्रज है और पिछड़ी हुई भारतीय नारी यशोदा। यशोदा के भ्रमर के प्रति दिये गये उपालम्भों में स्त्री–शिक्षा, देश–प्रेम, भारतीय सांस्कृतिक गरिमा, ग्राम्य–जीवन की महत्ता और निष्कलुशता, जातीयता, परतन्त्रता, अकाल, आर्थिक शोषण आदि समस्याओं को बड़े कौशल के साथ सम्मिलित किया गया है। आलस्य, रूढ़िग्रस्तता और पारस्परिक वैमनस्य के रहते देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। 'कविरत्न' ने यशोदा से कहलवाया है–

वा बिनु गौ ग्वालनु को हित की बात सुझावै।
अरू स्वतन्त्रता, समता, सहभ्रातृता सिखावै।
जदपि सकल विधि ये सहत, दारून अत्याचार।
पै नहिं कछु मुख सौं कहत, कोरे बने गँवार।
कोऊ अगुआ नहीं।

भ्रमरगीत की दार्शनिक विचारधारा – भ्रमरगीत के माध्यम से सूरदास ने हठयोग और शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित साधना के मार्ग का विरोध किया है तथा वल्लाभाचार्य द्वारा प्रवर्तित सगुणोपासना का मण्डन किया है। सूर ने भारतीय दर्शन के 'अनुभव' को ही भ्रमरगीत में प्रमुख स्थान दिया है।

निष्कर्ष – 'भ्रमरगीत' एक विरह विभूषित काव्यकथा है। यह भक्ति, श्रृंगार और करूण रसों – रम्य आगार, निर्गुण–सगुण तत्वों तथा ज्ञान भक्ति का भण्डार भी कहा जा सकता है। भक्त कवियों ने इसमें 'देश दुर्लभ' तत्व ढूँढ़ें हैं तो रीतिकालीन कवियों ने इसमें श्रृंगार का नवोन्मेश ढूँढ़ा है। सूरदास का भ्रमरगीत– वियोग श्रृंगार वर्णन में हिन्दी साहित्य की अमूल्य धरोहर है; इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ–साथ उपालम्भ और व्यंग्य के सम्मिश्रण ने कविता को नए उत्कर्ष पर पहुँचा दिया है।

भ्रमरगीत–पदावली में तो विरह सागर उमड़ सा उठा है तथा उसमें कल्पना एवं भावुकता का सहज सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। निर्गुण भक्ति का खण्डन और सगुणोपासना का मण्डन भ्रमरगीत का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसी कथा के आधार पर सूरदासजी ने हिन्दी काव्य में सर्वप्रथम 'भ्रमरगीत' की रचना की।

सूर के बाद नन्ददास, गोस्वामी तुलसीदास, पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' पं. जगन्नाथ 'रत्नाकर' आदि कवियों ने इसी प्रसंग पर काव्य रचना की। पं. सत्यनारायण 'कविरत्न' ने 'भ्रमरदूत' की रचना द्वारा भ्रमरगीत परम्परा में नूतनता का समावेश करके उसकी मार्मिकता को नये आयाम प्रदान किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भ्रमरगीत सार : आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वाणी प्रकाशन, 2013
2. आधुनिक हिन्दी काव्य और पुराणकथा, डॉ. मालती सिंह, अभिजीत प्रकाशन, 2007
3. भ्रमर गीत : सूरदास (हिन्दी नेस्ट)
4. सूर–काव्य में भ्रमर गीत (मधुमती में), राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
5. भ्रमरगीत :काव्य साहित्य, डॉ. केशरीनंदन मिश्र, एवं डॉ. कल्याण शर्मा, खरगोन।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

हिन्दी साहित्य में आधुनिकता बोध और महिला लेखन

डॉ. सरला पण्ड्या *

* कार्यवाहक प्राचार्य (हिन्दी) हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत एक ऐसा देश है यहां नारी का इतिहास परम्परागत रूप से गौरवान्वित रहा है। माँ होने के कारण यहां नारी वैदिक काल में अपने उच्चतम सामाजिक स्तर को जीती थी। वैदिक काल के बाद यह समाज क्रमश: पित्र सत्तात्मक होने लगा और वह नारी के स्तर को धीरे-धीरे कम आंकने लगा। इन परिस्थितियों के चलते स्वयं नारी को ही पता नहीं चला कि वह कब शोषण के दायरे में प्रवेश कर गई।

किसी भी परम्परा के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आत्म सजगता, निरन्तरता बनी रही यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई सुन्दर परम्परा भी रूढ़ि बन जाती है और जब वह रूढ़ि अपनी विकृत अवस्थाओं को छूती है तो वहां का समाज निरन्तर अवनति की ओर अग्रसर हो जाता है।

भारत के सन्दर्भ में नारी की स्थिति वैदिक काल के पश्चात् विभिन्न काल और उपकालों में सामाजिक परिस्थितियों और विचारों की बेडियों में झकड़ती चली गई लेकिन ब्रिटिश काल से आधुनिक युग का सुत्रपात हुआ।

आधुनिक युग के आरम्भ के पश्चात् भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आरम्भ हुए। कुछ पुरातन परम्पराएं खण्डित होने लगी साथ ही भारतीय जीवन शैली एवं संस्कृति धुंधली पड़ने लगी।

महिलाओं में आधुनिकता बोध के नये आयाम –भारत में साठोत्तर काल में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति व बौद्धिकता के कारण स्त्री के व्यक्तित्व के प्रति सजगता का अभाव दिखाई देता है :–

1. औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैज्ञानिकता व बौद्धिकता का भाव
2. व्यक्तित्व के प्रति सत्रगता
3. अहंभाव
4. भौतिक वस्तुओं के प्रति बढ़ता आकर्षण
5. नैतिक मूल्यों में बदलाव
6. पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव

परिस्थितियों एवं परिवेश प्रत्येक युग के कालखण्ड की चेतना को प्रभावित करते है।

आधुनिकता बोध एक ऐसी विचारधारा है जो परिवार व समाज का युग के अनुरूप संस्कारित करती है एवं पुरानी परम्पराएं एवं मूल्यों के स्थान पर नवीन परम्पराओं और मूल्यों की स्थापना की जाती है। इससे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ नये मानवीय मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम और दाम्पत्य भावनाओं में भी परिवर्तन दिखाई देता है। शिक्षा के प्रसार एवं सभ्यता के अत्यधिक विकास के कारण वर्तमान में महिलाओं के सामने कहीं समस्याएं पैदा हुई है जिससे महिलाओं की प्रगति के नये आयामों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन – आधुनिक परिस्थितियों में स्त्री की वास्तविक स्थिति उसका अस्तित्व एवं सोच तथा समाज की मुख्य धारा में उसकी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मात्र देह नहीं है और नहीं नैतिकता की पर्याय है। आज के चिन्तन की बुनियादी आवश्यकता में नारी की शोषण से मुक्ति है जो कि दैहिक या शारीरिक, आर्थिक या मानसिक हो। विश्व में मानववाद की बढ़ती चेतना ने स्त्री अस्मिता की सोच को बढ़ावा दिया है। सामाजिक नवजागरण व शिक्षा व्यवस्था ने इसके लिए वातावरण तैयार किया है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्त्री की बढ़ती सक्रिय भागीदारी ने उसके भय एवं संकोच को दूर कर स्वतंत्र निर्णय क्षमता एवं विरोध के भाव को भी बढ़ावा दिया है। अपने श्रम, कार्य एवं उत्पादन की गुणवत्ता की समझ व उसके मूल्य के प्रति आग्रह भाव बढ़ा है। उत्पीड़न एवं उपेक्षा का दबे स्वर में विरोध करते हुए विभिन्न नारी आन्दोलन एवं संगठनों से अपने अस्तित्व की स्वतंत्र घोषणा भी की है। मध्यम वर्गीय समाज में स्त्रियां शिक्षा के प्रसार, भौतिक साधनों के आकर्षण, अत्यधिक महत्वकांक्षाओं, जुझारू या कर्मशील प्रवृति को अपनाये हुए है तो पुरानी सड़ी-गली परम्पराओं एवं रूढ़ियों से निकलने को भी बैचेन है। अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए वह संघर्षरत है। इस कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की मांग उठना स्वाभाविक है। समाज में यह परिवर्तन सभी जगह दिखाई देता है। औद्योगिकीकरण पूंजीवाद एवं उपभोक्ता संस्कृति से उत्पादन एवं भौतिकवाद का प्रसार हुआ है। तो विज्ञापन संस्कृति में स्त्रियों ने अति आधुनिकता का परिचय भी दिया है। वह विज्ञापनों में भी अधिक 'बोल्ड' हुई है।

स्त्री एवं पुरूष दोनों परस्पर भिन्न होते हुए भी पूरक है। लेकिन प्राचीन काल से ही पुरूष की सत्ता या अधिकार का दबाव रहा है। नारी को हीन एवं अपवित्र मानने के साथ उसे परिवार की सेवा में ही समर्पित माना गया है। समय के बदलाव के साथ स्वावलम्बन का मार्ग खोजती हुई स्त्री आर्थिक रूप से स्वंतत्र होकर मानवीय संवेदनाओं को व्यापक रूप देने लगी है। जहां उसे कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिवार एवं समाज की अपेक्षाओं एवं संकीर्ण मानसिकताओं के बीच दोहरी मानसिकता है। आत्मनिर्णय की क्षमता का अभाव है।

नये मानवीय मूल्यों की स्थापना –आजादी के पहले हमारे मानवीय मूल्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय थे वही आजादी के पश्चात् परम्परागत मूल्यों का

विघटन होने लगा। चारों और राजनीतिक प्रपंच, बेईमानी, भ्रष्टाचार तथा व्यवस्थागत दबावों में पीसते जनसमूह के समक्ष आधुनिकता की दौड़ में नवीन मूल्यों की स्थापना के प्रयास होने लगे। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर पूर्व स्थापित नैतिकता के मूल्यों का विघटन होने लगा। यही सब-कुछ महिलाओं से जुड़े विषयों में भी देखने को मिलने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात् हम देखेंगे कि आज की आधुनिक नारी परम्परागत मूल्यं जो उसके विकास में बाधक बनने लगे, उन्हें तोड़ते हुवे नवीन मूल्यों की खोज में आगे बढ़ने लगी। जहां चारों ओर समाज में संघर्ष व्याप्त है जिसका परिणाम है – नये आदर्श नये मूल्य अर्थात् नया समाज। प्राचीनता के प्रति विद्रोह और नवीनता के प्रति आग्रह बढ़ता जा रहा है।

मानव के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभी पक्षों पर नवीन परिवर्तित मूल्यों-प्रतिमानों का प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप समाज के मूल्य-प्रतिमानों में उतार-चढ़ाव आ रहा है। परिवर्तन संसर का नियम है जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा। इस सम्बन्ध में एक विद्वान कहते है –'आज हमारी परंपराऐं टूट रही है और नवीन आस्थाएँ जन्म ले रही है। युग के साथ जो चलने में समर्थ है, युगानुकूल अपने आपको बदलने में जो सक्षम है, उनका अस्तित्व मान्य होगा। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हम बदलते हुए सामाजिक मूल्यों को समझने का प्रयास करें।'

परम्परागत मूल्यों के प्रति अनास्था एवं नवीन मूल्यों की स्थापना को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में देख सकते हैं।

सारांश में कह सकते हैं कि आज व्यक्ति के दृष्टिकोण में उसकी संवेदनाओं में व्यापक बदलाव आया है। एक ओर जहां प्यार में व्यक्ति ही नहीं उसका वैभव व सम्पन्नता की प्रमुख तत्व है। व्यक्ति की वासना इतनी बढ़ चुकी है कि पवित्र रिश्तों को मैला करने में की हिचकता नहीं है वहीं दूसरी ओर इतनी उदारता कि वह दूसरे के गर्भ को अपना नाम तक दे सकता है। वर्तमान में नारी प्रेमी के तिरस्कार करने पर आंसु की नदियां नहीं बहाती, आत्महत्या नहीं करती बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देती है तथा 'और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा' की बात भी करती है।

आम महिला का प्रतिनिधित्व –हिन्दी साहित्य में महिला लेखिकाओं ने प्राय: तीनों वर्गों उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग की महिलाओं की सभी परिस्थितियों का वर्णन किया है। इन महिला लेखिकाओं का अधिकांश लेखन मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए लिखा गया है। जहां कम संसाधनों में भी उच्च महत्वकांक्षाओं का पोषण होता है एवं उच्च और उदात्त मानव मूल्यों की भी स्थापना होती है इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग की महिलाओं की विलासिता पूर्ण जीवन शैली, उसके दुष्प्रभाव एवं उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भी लेखिकाओं ने वर्णन किया है। महिलाओं की यथार्थ स्थितियों का चित्रण करते हुवे इन लेखिकाओं ने गांव की अशिक्षित, मेहनतकश स्त्रियों के जैविक व मनोवैज्ञानिक धरातल को भी उभारा है। उसके संघर्ष को एक नया रूप प्रदान किया है। लेखिकाओं ने नारी के सम्मान हेतु उसके पारिवारिक महत्व एवं विकास के नये आयामों का चित्रण ही नहीं किया है बल्कि उनमें निहित मानवीय संवेदनाओं की उद्दातता तथा मुक्ति की आकांक्षा का रूपायन भी किया है।

वर्तमान में भी अधिकांश महिलाएं ऐसी है जो गरीब है, रीतिरिवाजों की परम्पराओं में उलझी हुई है और मुश्किल से अपना पेट पालती है। सामाजिक कठिनाइयों के साथ उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समाज में स्त्री सिर्फ घर के कार्य एवं मां बनने के लिए ही कार्य करती हुई नज़र आती है।

समय परिवर्तन के साथ ही नवीन परिस्थितियों एवं नवीन सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन मूल्यों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा है। आम महिला से लेकर उच्च मध्यम वर्गीय महिलाओं के परिवारों में भी आधुनिक जीवन की कुंठाएं, तलाक, तनाव, टुटन व बिखराव दिखाई देते हैं। महिला उपन्यासकारों ने इन बिखरती, टुटती स्त्रियों के चित्र खिचें है।

लेखिकाओं ने आम महिलाओं का चित्रण करते हुए उस विशेष प्रदेश या क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, रीति एवं धार्मिक परम्परा, राजनैतिक उत्थान-पतन के साथ उस स्त्री से सम्बन्धित घर के पूरे वातावरण भौतिक साधनों एवं आर्थिक साधनों की उपलब्धता को स्थान दिया है। चाहे वह सामान्य कृषक महिला का घर-परिवार हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का घर या क्षेत्र हो या किसी अध्यापक के घर की स्थितियाँ हो। इस प्रकार हिन्दी साहित्य की लेखिकाओं की मुल चेतना महिला आधारित परिस्थितिया ही रही हैं। सभ्यता का विकास होने के बावजुद भी महिलाओं का संघर्ष कम नही होता हैं। उन्होंने अपने लेखन में पारिवारिक, सामाजिक समस्याएं, दाम्पत्य संबंध, यौन भावनाएं, प्रेमाश्रित रोमांस, चेतना, नौकरी पेशा नारी की समस्या एवं बदलते मुल्यों के साथ में आधुनिक जीवन की महिलाओं में निहित कुंठाएं, तनाव, टुटन व बिखराव के कई चित्र खिचे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उर्मिला भटनागर – हिन्दी उपन्यास में दाम्पत्य चित्रण पृ. 14
2. आशारानी व्होरा – भारतीय नारी दशा, दिशा पृ. 07
3. डॉ. हेमेन्द्र पानेरी – स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास पृ. 31
4. कान्ति वर्मा – स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास पृ. 107
5. मृदूला गर्ग – चितकोबरा, सानृत्य और समीक्षा पृ. 34

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मोहन राकेश के कथा-साहित्य में नारी-चित्रण

डॉ. प्रणति बेहेरा*

* सहायक अध्यापीका (हिन्दी विभाग) गंगाधर मेहर विश्वविधालय अमृत बिहार,सम्बलपुर (ओड़िशा) भारत

शोध सारांश – मोहन राकेश अपनी साहित्यिक विशिष्टताओं के कारण साहित्य जिज्ञासुओं में चर्चित रहे हैं। उन्होंने अपने कुशल सृजन शिल्प से हिंदी साहित्य कोश को विविध बहुमूल्य रत्नरूपी साहित्य कृतियां प्रदान करने वाले प्रवीण शिल्पकार मोहन राकेश ने गद्य साहित्य की विविध-विधाओं को नव आयाम दिया है। मोहन राकेश अपनी साहित्यिक व्यक्तित्व लेखन की उत्कृष्टता के कारण पाठक के मन पर अमीट छाप छोडने में समर्थ हैं।

द्वितीय विश्वयुद्धोपरांत भारतीय सामाजिक परिवेश में आए बदलावों को उनकी साहित्यिक कृतियां रेखांकित करती है। मोहन राकेश हिन्दी कथा-साहित्य में एक विलक्षण व्यक्तित्व को लेकर आये। मोहन राकेश जितना बाह्य व्यक्तित्व प्रभावी था, उतना ही विचित्र और विलक्षण भी साथ ही अंतर्विरोधों से भी परिपूर्ण था। उन्होंने कम लिखा है, लेकिन जितना लिखा है बहुत गहरा लिखा है। मोहन राकेश ने अपने कथा-साहित्य में नारी अधिक प्रभावशाली और आधुनिक रूप में चित्रित है। प्रस्तुत शोध पत्र में नारी-चित्रण पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना – स्वतंत्रता के उपरान्त नारी जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए और उसका कार्य क्षेत्र घर और बाहर दोनों दिशाओं में विस्तृत हो गया है। आज नारी अनेक समाजिक संस्थाओं में कार्यरत है। कुछ नारी लेखन के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को प्रमाणित कर चुकी है। वे सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के निकट आ गई है। बढ़ते स्त्री-पुरुष संपर्क के कारण प्रेम, स्वतंत्रता और यौन संबंधी नैतिकता में अनेक परिवर्तन आए हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्या गमन आदि कुरीतियों का नारी समाज ने विरोध किया है। मोहन राकेश ने अपने कथा साहित्य में नई अधिक प्रभावशाली और आधुनिक रूप में चित्रित है। उनके कथा-साहित्य में महानगरीय स्वर विद्यमान होने के कारण गहरे मानवीय सम्बन्धों की प्रस्तुति है। इसी मानवीय संबंधों में स्त्री पुरुष संबंधों को अहम् भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। महानगरों में अनेक समस्याओं के कारण उनके सम्बन्धों में भी परिवर्तन आ गया है।

नारी समाज में स्वतन्त्रता के नाम पर बंधनहीन नैतिकता नजर आती है। आज नारी पुरुषों के समान यौन व्यापार की स्वतन्त्रता चाहती है। वे क्लवों तथा रेस्तराँ जाती है। शराब, सिगरेट आदि पीती है और यौन शुचिता को भी महत्त्व नहीं देती। आज प्रेम के बाद विवाह आवश्यक नहीं माना जाता। आज के अर्थ केन्द्रित समाज में स्वार्थ के लिए सम्बन्ध बनते और टूटते हैं। खुले आम प्रेम का प्रदर्शन करना एक साधारण सी बात बन कर रह गई है। पति और पत्नी के रहन-सहन, आचार-विचार, रीती-रिवाजों में, शिक्षा और अभिरुचि में अन्तर के कारण वैवाहिक सुख में व्यवधान पड़ता है। इन अन्तरों के कारण पति-पत्नी में अहं भाव जागृत हो जाता है। फलस्वरूप ये एक-दूसरे को परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विवाह के पश्चात विलासिता की प्रवृति के कारण पति अथवा पत्नी दूसरे स्त्री और पुरुष से सम्बन्ध बना लेते है। इस कारण गृह कलह शुरू होता है तथा यह दु:खद परिस्थिति का अंत हत्या या आत्महत्या के रूप में होता है। कभी-कभी पत्नी के संतान न होने के कारण या केवल कन्या संतान होने के कारण पति मन ही मन घुटता है। यह समझता है कि पत्नी के कारण उसके वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। इस कारण प्राय: पति अपनी प्रथम पत्नी का परित्याग कर दूसरा विवाह करता है। इस कारण उनका दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की महत्वपूर्ण कड़ी है उनके मध्य प्रेम और आपसी समझ। भारतीय समाज में दाम्पत्य सम्बन्ध केवल वासना पूर्ति का साधन न होकर त्याग, समर्पणता सहयोग का प्रतीक है। पारिवारिक जीवन की सफलता, राष्ट्रीय जीवन की उत्पति एवं सांस्कृतिक चेतना के विकास में सहायता करती है। आज का वैवाहिक जीवन नाम मात्र की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण बन गया है। आज का विवाह एक समझौता बन कर रह गया है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की इच्छाएँ और आकांक्षाएँ अलग होने के कारण उनके सम्बन्धों में विखराय आता जा रहा है। वे एक घर में रहते हुए भी इस सम्बन्ध को संभालते हुए भी अकेले है। आज के महानगरीय जीवन में जब कोई दाम्पत्य सुख से वंचित होता है तो वह इस सुख को पाने के लिए दूसरा आश्रय ढूंढने लगता है। इस कारण विवाह सम्बन्ध में विच्छेद उत्पन्न होता है।

नारी के विविध रूप– साहित्य में नारी के रूपों का चित्रण पुरातन समय से होता आ रहा है। संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक युग तक कथा-साहित्य में नारी का वर्णन प्रत्यक्ष प्रमाण है। समाज में आ रहे बदलाव के साथ-साथ नारी के रूपों में भी परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त सामाजिक परिस्थिति तथा जीवन जीने के आधार में बदलाव हुए हैं। आज भी पारिवारिक संबंध नारी के लिए मूलाधार बना हुआ है। उन्हें परिवार में ही रहकर जीवन जीना पड़ता है। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानीकारों ने नारी के विविध रूपों को प्राचीन और नवीन मूल्यों, परम्परागत और परिवर्तित संवेदनाओं, अनुभूतियों और प्रवृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन अभिव्यक्तियों के द्वारा नारी के विविध रूपों का विकास और बदलाव परिलक्षित होते हैं।

आधुनिक महानगरीय समाज में नारी जीवन संबंधी पुरातन आदर्शों

में तीव्र परिवर्तन हुआ है। आज की नारी उच्च शिक्षा और नारी स्वतन्त्रता के प्रभाव में स्वच्छन्द जीवन की ओर अग्रसर हुई है। पुरातन युग की अबला नारी ने आधुनिक परिवर्तित परिवेश में अपने सबला होने का प्रमाण देकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की है।

नारी के विविध रूपों में माता का स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेदों में माता का पृथ्वी माना गया है। वह संतान धारण करती है, उनका पालन-पोषण करती है एवं आजीवन उनकी सुख की कामना करती है। नारी विकास की चरमसीमा तथा उसके जीवन की सफलता मातृत्व में ही है। उसे पिता से भी बड़ा माना गया है। उसमें धैर्य, त्याग, ममता, स्नेह आदि गुणों का उत्कर्ष देखने को मिलता है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही पत्नी के धर्म और मर्यादा की महत्व दिया गया है। पत्नी का पवित्र तथा तन मन से पति परायणाला आदर्श माना गया है। अपनी योग्यता, कुशलता और सेवा से दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से उलाहना पत्नी का धर्म माना गया है। अपने पति के सुख, दुख, आशा निराशा, आचार, विचार एवं आकांक्षाओं को अपना कर सहधर्मिणी और अर्धांगिनी बनती है।

भारतीय समाज में समय-समय पर हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप नारी की स्थिति में भी परिवर्तन हुए हैं। वैदिक युग में नारी की प्रतिष्ठा की किन्तु मधायु में उसे पाप का खान कहा जाने लगा। इन सब परिवर्तनों के उपरान्त भी पत्नी धर्म के शाश्वत रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नारी के विविध रूपों का व्यक्ति समाज और साहित्य से गहरा संबंध होता है। व्यक्ति और समाज के संबंधों को बनाए रखने में परिवार में एक प्रमुख भूमिका है। कथा-साहित्य में नारी के विभिन्न रूप क्रमश: जटिल और संश्लिष्ट होते गए हैं। आधुनिक कथा-साहित्य में कुछ ऐसे रूप उभर कर आए हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति उनके द्वन्द्व और आत्मसंघर्ष को प्रकाशित करते हैं।

मोहन राकेश ने अपने कथा-साहित्य में नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इससे स्पष्ट होता है कि समकालीन नारी अपना जीवन विविध आयामों में जी रही है वह अपने जीवन को यथार्थ के घरातल पर जी रही है। मोहन राकेश के कथा-साहित्य में चित्रित नारी रूपों का परिचय इस प्रकार है -

परम्परागत गृहिणी नारी- भारतीय समाज में नारी को प्राचीनकाल से ही गृहिणी पद से सुशोभित किया गया। बचपन में वह पिता के संरक्षण में रहती थी। विवाहित होने पर पति का नियंत्रण रहता था और वृद्धावस्वा में बच्चों की इच्छानुसार चलना पड़ता था।

आज नारी के शिक्षित तथा कामकाजी होने के बावजूद भी घर का क्षेत्र उससे किसी तरह नहीं छूटा है। आज भी घर के सभी कार्यों का दायित्व उसके ऊपर है। संस्कारगत प्रभाव के कारण उसका मन यह स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है कि उसके पति बच्चों की देखभाल करें या घर की सफाई करें या मेहमानों का ध्यान रखें। अत: नारी के गृहिणी रूप को नकारना संभव नहीं है। सदियों से मिले अपने अधिकार क्षेत्र का मोह भी नारी को गृहिणी बनाए रखता है।

आज की कुछ मध्यवर्गीय नारियाँ घर को ही अपनी दुनियाँ समझती है। बाहर की दुनियाँ से उनका संपर्क उनके पतियों के माध्यम से होता है। पति की व्यस्तता के कारण उनको अकेलापन सहना पड़ता है। उन दोनों के बीच तनाव भी होता है लेकिन वे अपने घर के मोह को छोड़ना पसंद नहीं करती, किन्तु कामकाजी नारियाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व होने के कारण अपनी गृहस्थी को कुशलता पूर्वक चलाती है।

उच्चवर्गीय नारियों के जीवन में अर्थ का अभाव में होने के कारण के स्वछन्द और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती हैं। विवाह के उपरान्त भी पति के व्यस्तता के कारण घर से बाहर स्वच्छब्द विचरण करती हैं। उनके घरों में धन तथा नौकरों के कमी न होने के कारण वे घर की जिम्मेदारियों में नहीं बंधती। उच्च वर्ग में बहुत कम ही ऐसी नारियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से गृहिणी होती है। इस वर्ग की नारियाँ मुख्यत: अपने स्वाभिमान एवं समय की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए नौकरी करती हैं। मोहन राकेश ने कथा-साहित्य में गृहिणी नारी के दर्शन यत्र-तत्र होते हैं।

'अंधेरे बन्द कमरे' उपन्यास में 'शुक्ला' हरबंस की साली और नीलिमा की बहन है। उपन्यास के माध्यम से पता चलता है कि शुक्ला घरेलू किस्म की लड़की है। वह हरबंस की श्केयर टेकरश भी है और सुरजीत की पत्नी भी। वह आदर्श गृहिणी बनकर अपनी गृहस्थी संभालती है। डॉ. नेमिचन्द जैन के शब्दों में 'शुक्ला सीधी-सादी, असाधारण और परम्परागत लकीरों पर चलने वाली नारी है।'[1]

ठाकुर की पत्नी ठकुराइन, गृहिणी नारी है। मधुसूदन और अरविन्द जब ठकुराइन के घर में पेइंग गेस्ट की स्थिति में रहते हैं। ठकुराइन को दोनों भाभी कहते हैं, ठकुराइन उन दोनों को स्नेह और चाव से इन्हें खिलाती पिलाती है। ठकुराईन अपनी यात्रा की शुरुआत हँसी दिल्लगी व चुहल से करती है, लड़ती झगड़ती है। पर अन्त में आकर निर्धनता से टूट जाती है। इस तरह ठकुराइन अपनी गृहिणी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। मोहन राकेश में विभाजन की जिस विभीषिका को देखा था, खेला था, उनकी रचनाओं में वही विभीषिका मुखर हो उठती है। 'अंधेरे बन्द कमरे में यो स्वादत अली की उसकी बेटी 'खुरशीद' के माध्यम से खुरशीद अपने बूढ़े बाप की बेटी नहीं, बेटे के रूप में सामने आती है और अपने पिता की या पार्टी इन्तजाम करती है और पूरी देखरेख का दायित्व भी उसी का है। यह एक गृहिणी का काम बहुत ही अच्छी तरह निभाती है।

'न आने वाला कल' उपन्यास में 'शोभा' गृहिणी नारी है। शोभा मनोज की पत्नी है। शोभा ने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद मनोज से विवाह किया है। शोभा साहसी और निर्भीक है और घरेलू जिन्दगी जीने की उसकी तीव्र अभिलाषा है। घर की जिन्दगी के बिना यह स्वयं को अपूर्ण मानती है। यह एक ऐसी नारी है जो वैवाहिक संस्था को बनाये रखना चाहती है जबकि मनोज उसे तोड़कर निर्बंध जीवन जीना चाहता है। वह कहती है -'मुझे घर की जिन्दगी के बगैर अपने आप बहुत अधूरा लगता था। इसीलिए मैंने निश्चय के साथ यह कदम उठाया था। मगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए घर नहीं था। या सिर्फ अपना आप विना घर-बार के, विना घर-बार की कल्पना के।'[2] असल में शोभा घर चाहती है और वैवाहिक जीवन का सुख चाहती है तभी तो मनोज से अलग होकर भी सुखी होने के बजाय दुखी रहती है।

'अन्तराल' उपन्यास में देव की माँ 'बीजी' गृहिणी नारी है जो कि श्यामा की सास है। बीजी पुराने संस्कारों की असहाय वृद्धा नारी है। इस उपन्यास में गृहिणी नारी के रूप में दिखाया गया है। नारी शिक्षित हो या अशिक्षित घर की सारी व्यवस्था का दायित्व गृहिणी पर होता है, वह पूर्णतया घर के लिए समर्पित होती है। घर के खाने-पीने की, कपड़ों की, स्वागत-सत्कार की सारी व्यवस्थाओं में गृहिणी जितनी कुशल होती है। उसका घर उतना ही व्यवस्थित होता है।

मोहन राकेश की 'खाली' कहानी गृहस्त नारी के जीवन के खालीपन और व्यग्रता को उजागर करने वाली कहानी है। तोषी को शिक्षित होकर भी

दिन भर खालीपन तथा रिक्तता का अनुभव होता है। तोषी बेटी को स्कूल भेजती है पति के दफ्तर में पास काम ज्यादा नहीं होता है। फिर भी पूरी तरह एक अच्छी गृहणी का फर्ज निभाती है।

'आर्द्रा' कहानी में बचनष एक बूढ़ी माँ है। जिसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा लाली सम्पन्न है पेशे से शहर का नामी वकील है। छोटा बेटा बिन्नी बम्बई की गन्दी बस्ती में रहता है और संघर्ष भरी जिन्दगी जीता है। बचन अपने छोटे की बिन्नी के साथ रहती है। वह अपने बेरोजगार लापरवाह लड़के के लिए भोजन पानी समय पर बना कर देती है, परन्तु उसे भी अकेलापन काटने को दौड़ता है।

'उसकी रोटी' कहानी की नायिका बालो सुच्चासिंह ड्राइवर की पत्नी है। इस कहानी में बालो के माध्यम से पूर्ण रूप से भारतीय गृहिणी नारी का वर्णन किया गया है। बालो अपने पति के लिए दो कोस पैदल चलकर रोटी देने जाती है। वह कष्ट झेलती है, पति की प्रतीक्षा करती है, उसकी नाराजगी उठाती है। वह निम्न मध्यवर्ग की नारी है। वह हमेशा उसके पति से अपमान, तिरस्कार सहकर भी यह सब अपना धर्म मानती है।

'गुनाह बेलज्जत' कहानी में भागवन्ती सरदार सुन्दरसिंह की पत्नी है। भागवन्ती घर का सारा काम करती है, जब भी सुन्दरसिंह मीठी बात करता है,उसका अपना स्वार्थ होता है। नारी जानकर भी ठगी जाती है। यह जानकर भी बार-बार पति द्वारा ठगी जाती है।

'कम्बल' कहानी की नायिका बनारसी की माँ है- गंगादेई के माध्यम से कहानी में यथार्थ के दर्शन होते हैं। गंगादेई एक विस्थापित परिवार की निर्धन स्त्री है। वह जैसे-तैसे गृहस्थी का भार ढोती है। इस कहानी में गंगादेई आर्थिक संकट के कारण होते हुए भी अपनी गृहस्थी का भार अच्छे से निभाती है।

'हक हलाल' कहानी में पंडित की पहली पत्नी गृहिणी नारी है। पंडित की पत्नी उससे उम्र में काफी छोटी है, परन्तु वह पंडित की देखभाल अच्छे से करती है। घर के सारे कार्य करती है। जैसे 'पंडित की पत्नी अब प्राय: हर रोज कोठी में घास काटती दिखाई दे जाती। वह उसी तरह पटका बांधे और कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाए अपना काम किया करती। कभी वह साथ खुले स्वर में आई पहाड़ी गीत गुनगुनाया करती।'[3]

सारांश के रूप में कह सकते हैं कि मोहन राकेश के नारी पात्र के रूप में अपनी भूमिका को बेहतर निर्वाह किया। उनके कथा-साहित्य के जारीए पात्र हर परिस्थिति में गृहिणी रूप अच्छे से संभाला है।

अशिक्षित नारी- वैदिक युग में नारी शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और नारी का समान अधिकार हुआ करता था। वैदिक युग के अंत काल में भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों के कारण जाति प्रथा का उत्थान हुआ। इस दौरान नारी शिक्षा की अवहेलना होने लगी तथा सामाज में अनेक कुसंस्कारों की उत्पत्ति हुई। मध्ययुग में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों को आगमन भारत में हुआ। वे आक्रमणकारी शक्तिशाली थे। स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। इस कारण स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा के लिए उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। इसी दौरान समाज में पर्दा प्रथा शुरू हुई। नारी शिक्षा बाधित हुई एवं अशिक्षित नारियों की संख्या बढ़ने लगी।

मध्ययुग की यह कुरीति आधुनिक युग तक चलती रही। आज के महानगरीय समाज में अशिक्षित नारी को सम्मान नहीं दिया जाता। वह शारीरिक रूप से अपुष्ट तथा अस्वस्थ होती है। उसके पीछे समाज के अनेक कारण उत्तरदायी है। भारतीय परम्परा के अनुसार घर के पुरुषों के खाने के बाद स्त्रियों खाना खाती हैं। अशिक्षित नारी को पुरुषों के अपेक्षा गौण माना जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। जब अशिक्षित नारी गर्भवती होती है उसकी सही तरह से देखभाल नहीं हो पाती। इस कारण उसके स्वास्थ्य का स्तर गिरता जाता है। अनेक क्षेत्रों में बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु भी हो जाती है। शिक्षा के अभाव में अशिक्षित नारियों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती उन्हें कठिन कार्य करने पड़ते है। उस कार्य में उनका शारीरिक, मनासिक और आर्थिक शोषण होता है।

महानगरीय परिवार में भी इस अशिक्षित नारी का अस्तित्व विद्यमान है। घर के आर्थिक मामलों पर निर्णय लेते समय उनका मत नहीं लिया जाता। वे अशिक्षित होने के कारण अपने पति अथवा घर के अन्य पुरुषों के द्वारा लिए गए निर्णय को ही मान कर चलती है। महानगरों में निम्नवर्ग में अशिक्षित नारियों की अवस्था और भी बुरी हालत में है। वे दिन भर शारीरिक परिश्रम करके आय करती है। उनके पति कुछ काम नहीं करते केवल घर पर रोव जमाते रहते है और स्त्रियों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते रहते हैं। अशिक्षित होने के कारण उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी नहीं है। इस कारण उनके अधिकारी से वंचित किया जाता है।

मोहन राकेश के कथा-साहित्य में महानगरीय अशिक्षित नारी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है।

'अंधेरे बन्द कमरे' उपन्यास की ठाकुराईन एक जीवन्त नारी चरित्र है। यह निम्नवर्गीय परिवार की है एवं दिल्ली की कस्साबपुरा नामक मंदी बस्ती में रहती है। वह इस उपन्यास में अशिक्षित है। 'ठकुराइन का मुख्य-कथा से कोई संबंध नहीं, मगर अपनी सजीवता के कारण उसने उपन्यास में अपनी एक जगह बना ली है।'[4] डॉ. जाधव की शब्दावली में - 'ठकुराइन जिनके पास मधुसूदन तथा अरविन्द पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं काफी खुली हुई, पर पुराने संस्कारों, बंधनों से ग्रस्त स्त्री है। वह इन लोगों से चुहल करती है तथा बातों ही बातों में आनन्द उठाती है।'[5] सरस्वती ठकुराइन को अश्लील मजाक करने में भी आनंद आता है लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती इस कारण वह टूट जाती है। डॉ. पिंपलापुरे लिखती है 'कस्साबपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाली ठकुराईन अपनी यात्रा की शुरुआत हँसी, दिल्लगी, चुहल से करती हैं, लड़ती-झगड़ती है। पर अंत में आकर अपनी निर्धनता में टूट जाती है।'[6]

'न आने वाला कल' उपन्यास में काशनी चपरासी फकीरे के पत्नी है। जो एक साधारण वर्ग अशिक्षित नारी के रूप में उपन्यास में आती है। मनोज काशनी के सम्बन्ध में सोचता है, उसकी आँखों में चमक में वैसा ही कुछ था जैसा नंगे आकाश में या घाटी के अंधेरे में कुछ हो। काशनी मनोज के घर में काम करती है।

काशनी उपन्यास के अन्त फिर लौटती है। मनोज काशनी को फालतू समान ले जाने को बुलाता है, इसी क्षण मनोज फिसल जाता है। मनोज उसके साथ यौन संबंध रखने का प्रस्ताव रखता है काशनी आसानी से तैयार हो जाती है। जब मनोज उसके यौन रोग के बारे में पता चलता है तो वह अपना इरादा बदल देता है।

'अन्तराल' उपन्यास में सिन्दूरी श्यामा की नौकरानी है जो बोड़ी मनचली है। श्यामा के कहने पर कि मेहमान दशहरा देखने आ रहे हैं। यह खोद-खोद कर उसके बारे में प्रश्न करती है कि वह अतिथि अकेला है या वह पति-पत्नी

है। सिन्दूरी स्यामा से कहती है कि आपने पहले तो उनका कभी जिक्र किया ही नहीं था। इससे यह पता चलता है कि सिन्दूरी निम्नवर्ग अशिक्षित नारी है।

'अन्तराल' उपन्यास में देव व सीमा की माँ व श्यामा की सास बीजी है। जीजी अशिक्षित नारी होने के कारण आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित रही है। बीजी के माध्यम से ही उपन्यास में श्यामा और सीमा के व्यक्तित्व सामने है। है। बीजी नये युग में संस्कारों की, पुराने मूल्यों की औरत है जिन्हें अनचाहे ही बहुत कुछ स्वीकारना पड़ता है।

मोहन राकेश की कहानियों में भी अशिक्षित नारी के दर्शन होते हैं।

'अपरिचित' कहानी में एक स्त्री अपने आपको अशिक्षित समझती है। वह स्त्री बात-बात पर सोचती ही रहती है। वह खुद को समाज में अपरिचित अनुभव करती है, वह स्वयं हीन भावना से ग्रस्त है। वह एक विपरीत मानसिकता से युक्त नारी है, जो स्वयं को मूर्ख, जाहिल, बातूनी और मनहूस समझती है।

'सुहागिने' कहानी में काशी अशिक्षित नारी है। इस कहानी में काशी की भी निजी कहानी है। उसके पति इसके रहते हुए दूसरी औरत बाहर रख ली है। काशी मनोरमा की नौकरानी है। अशिक्षित होने के कारण यह दूसरे जगह तो काम कर नहीं पायेगी। इसीलिए नौकरानी का काम करके बच्चों का पेट भरती है। वह मनोरमा को कहती है 'बहनजी, आपके जीती नजर न आती।'[7] नारी है। इन बच्चों को पालना न होता, तो मैं आज काशी पुरुष के अत्याचार की शिकार, विवश 'चौगान' कहानी में सन्तो अशिक्षित नारी है। सन्तो सत्रह वर्षीय नौकरानी की बेटी और इस कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है। तीन बच्चों के पिता साहब विल्सन अपनी रिक्तता भरने के लिए सन्तो से विवाह करते हैं। सन्तो विवाह का मतलब नहीं जानती थी। तभी उसका विवाह हो गया। अभी तो उसका बचपना नहीं गया। विल्सन सन्तो के बचपने या गंदी हरकत से तंग आकर उसे डांटते हैं कि 'तुम्हें मैं तुम्हारी माँ के पास भेज दूँ?' वह फिर झल्ला उठता। सब्तो डरकर सिर हिलाती, 'नहीं'।

'तुम्हारी ये गन्दी आदतें कभी छूटेगी भी?'

यह सिर हिलाती, प्क्यों छूटेंगी?

'कब छूटेगी?'

'कल से छूट जायेंगी।'[8]

'कम्बल' कहानी में बनारसी अशिक्षित नारी है। बुढ़े रामसरन की युवा बेटी बनारसी, जो इस कहानी की प्रमख नारी पात्र है बनारसी गरीबी की व लाचारी से जिन्दगी गुजारा करती है। विवशता, विपन्नता को प्रकट करती, यथार्थ के वास्तविक धरातल पर जीवन को उभारती है। लोग बनारसी की विपत्ति का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, सीटियाँ बजती है, उसके शरीर पर कम्बल गिरता है।

'हकहलाल' कहानी में पण्डित की पहली पत्नी अशिक्षित जारी है। इस कहानी में चालीस साल के पण्डित की पत्नी उससे आयु में काफी छोटी है, यह घर से भाग जाती है, परन्तु जब वह लौटती है तो उसका पिता उसे खूब पीटता है, वह चुपचाप मार खाती रहती है। पत्नी के माध्यम से पहाड़ों के गरीब समाज में नाटी की दयनीय और विवश स्थिति सामने आती है। अशिक्षित होने के कारण नाटी को ऐसी दयनीय अवस्या को झेलना पड़ता है। पण्डित की दूसरी पत्नी की अवल्या भी यही है। दोनों बहनें अशिक्षित और गरीब होने के कारण सब कुछ सहनी है जैसे इस समाज में नारी केवल शरीर के भोग के लिए है।

इस प्रकार मोहन राकेश के कथा-साहित्य में चित्रित अशिक्षित नारी अत्यन्त दीन और अधिकार वंचित है, वह पूर्णतया पुरुष पर आश्रित और विवश है। इसलिए पग-पग पर शोषित होती है।

आधुनिक कामकाजी नारी- आधुनिक महानगरीय समाज में नारी की स्थिति में अनेक परिवर्तन आए हैं। आज के नारी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। नारी को इस स्थिति में पहुंचने के लिए काफी टूटना भी पड़ा है। एक कामकाजी नारी को दिन भर नौकरी की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उसके बाद घर में आकर अनेक पारिवारिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की उनसे अनेक अपेक्षायें होती है। किन्तु उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। विवाह से पहले वह अपने परिवार के लिए परिश्रम करती है और विवाह के बाद पति के परिवार को संतुष्ट करने के लिए उसे तिल-तिल जलना पड़ता है। सभी जगहों पर उन्हें मानसिक तनाव सहना पड़ता है। भावात्मक और संवेदनात्मक स्तर पर प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। कामकाजी महिला को पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की कामदृष्टि, व्यंग्य बाण,कटाक्ष तथा शरीर को क्रय करने तक के प्रस्ताव को सहना पड़ता है। पुरुषों को नाराज करने की मजबूरी के कारण उसे यह सब हँसते-हँसते झेलना पड़ता है।

मध्यवर्गीय परिवारों में विभिन्न प्रकार रुढ़ियों और नैतिक मान्यताओं के बावजूद नारी अनेक क्षेत्रों में कार्य करती है। विवाह से पूर्व जारी अपनी आर्थिक सहायता के लिए नौकरी करती है। आज के समाज में स्त्री का कामकाजी होना विवाह के लिए आवश्यक माना जाता है। आज के मानव को भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस कारण अधिकांश मध्यवर्गीय स्त्रियाँ नौकरी करने के लिए बाध्य हो जाते है।

महानगरों में कामकाजी नारियों की और भी कुछ आवश्यकताएँ होती है। आज के कया-साहित्य में महानगरीय कामकाजी नारी के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत पक्षों का सुन्दर चित्रण हुआ है। महानगरीय नारियों को अपनी नौकरी के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों को भी पूर्ण करना पड़ता है। महानगरी में बढ़ती प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली के कारण कामकाजी नारियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मोहन राकेश ने अपने कथा-साहित्य में कामकाजी नारियों का घर और बाहर का जीवन, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किया है। उनके कथा-साहित्य में नौकरी पेशा नारियों की समस्याओं का बहुआयामी संदर्भ दृष्टिगोचर होता है।

'अंधेरे बन्द कमरे' की सुषमा श्रीवास्तव एक आधुनिक कामकाजी नारी है। सुषमा 'इस उपन्यास का सबसे लुभावना व्यक्तित्व है। घटनाओं और स्थितियों की आवृत्ति और पुनरावृत्ति के बीच एक सर्वथा नया प्रसंग है। सुषमा से अच्छा प्रतीक आधुनिकता का और क्या हो सकता है।'[9] यह पेशे से पत्रकार है एवं अत्यधिक जीवंत व आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है। वह अपने आकर्षण में बहुत समय तक मधुसूदन को बांधे रहती है। वह यह अच्छी तरह जानती है कि अपने मनभावों तथा सपनों की पूर्ति के लिए कब किस तरह के साधनों का सहारा लेना आवश्यक है। उसने दुनियाँ देखी है जिन्दगी का उसको काफी अनुभव है। वह बुद्धि से प्रखर और व्यवहार से उन्मुक्त है। 'सुषमा सर्वथा आत्मसजग, आत्मनिष्ठ आधुनिक स्त्री है, वह स्पष्ट जानती है कि वह क्या चाहती है और उसे पाने के लिए सचेष्ट प्रयत्न करती है, चाहे

फिर उसमें सफल नहीं होती।'[10] उसे खाने, पहनने, घूमने और अच्छा संगीत सुनने का शौक है। उसकी जीवन जीने की शैली अपनी है, किन्तु उसमें दुहरापन नहीं है। उसे होम ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। किन्तु उसका चरित्र ऐसा नहीं है। वह मधुसूदन पर पूर्णतः आसक्त है। मधुसूदन इन बातों का विश्वास नहीं करता है। उसे सुषमा पर विश्वास है कि वह घर तोड़ना नहीं, जोड़ना जानती है। 'सुषमा मधुसूदन पर आसक्त है। उसकी आसक्ति और अनुराग भावना का उल्लेख उपन्यास में अनेक स्थलों पर संकेतित है। 'लाबोहीम में मिलते समय तो वह खासी बेतकल्लुफ और रोमांटिक हो गयी।'[11]

सुषमा मधुसूदन से प्रेम करती है, उससे विवाह कर एक छोटा-सा घर चाहती है, जिसमें सुख हो- 'मैं अपने लिये सुख चाहती हूँ, सुख जो एक छोटे-से घर में ही मिल सकता है, जहाँ मैं एक छोटा-सा बाग लगा सकूँ और एक-एक पौधे को सींचकर बड़ा कर सकूँ।'[12] डॉ. पिंपलापुरे ने लिखा है - 'बाहर से आधुनिक दिखने वाली इस नारी सुषमा के भीतर एक और सुषमा है। वह एक सजग पत्रकार है, जो दुनिया की घटनाओं के संपर्क में है, पर वह एक नारी भी है।'[13] सुषमा की, विवाह कर पूर्ण नारी बनने की कामना पूरी नहीं होती। आधुनिक कामकाजी नारी होने के कारण वह आर्थिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र है। डॉ. जाधव ने इस संबंध में लिखा 'वह स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी है- आत्मरक्षा के उपाय जानती है, पर इन सबके बावजूद यह निपट अकेली है।'[14]

सुषमा के चरित्र में आधुनिकता की चमक-दमक, आत्मकेन्द्रिता, विलास और अकेलापन सभी कुछ है। उसके व्यवहार में खुलापन है और विचारों में मुक्तता एवं स्वच्छन्दता है। इसलिए उसके चरित्र को आधुनिक कामकाजी नारी का सर्वाधिक लुभावना प्रतीक माना जा सकता।

'न आने वाला कल' उपन्यास में बानी की कुआँरी मेट्रन है। बानी के माध्यम से मोहन राकेश ने आधुनिक कामकाजी निरी को दर्शाया है। बानी अपने विचारों और क्रियाकलापों की दृष्टि से सबसे अधिक आधुनिक और उन्मुक्त नारी है। बानी इस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है। शोभा के चले जाने पर मनोज बानी की ओर आकृष्ट होता है और अपनी रिक्तता को भरना चाहता है। डॉ. पिंपलापुरे ने लिखा है 'बानी एक आधुनिक नारी है स्वच्छंद, बेफिक्र।'[15]

वह आजाद जीवन पसन्द करती है। बानी निड़र है, वह चिन्ता करके अपने को परेशान नहीं करना चाहती है कि लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं। यह सबका भीतरी इतिहास जानती है। वह जब भी जहाँ भी जाती, बातचीत करती तो लोगों को निमन्त्रण सा देती हुई प्रतीत होती और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती। मनोज के साथ बाजी की निकटता नाटक वाली रात में होती है। बानी डाइनिंग हाल में मनोज के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है और उसे अपने घुटने का संस्पर्श देती है। 'सड़क' खण्ड में बानी का चरित्र खुलता है। वह जितनी तेजी से मनोज के पास आती है, उतनी ही तेजी से मनोज के पास से लौट भी जाती है। वह सेवाय में मनोज की प्रतीक्षा करती है, मनोज के यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती है तो वह कहती है कि ज्यादा देर तक मैं किसी की इंतजार नहीं करती। बानी खुली जगह चाहती है और होटल से बाहर निकलती है। रात के सवा नौ बजे हैं परन्तु वह बेफिक्र है। वह सड़क पर मनोज के साथ बातचीत करती है जिससे उसके व्यक्तित्व की परतें खुलती है। बानी के स्वभाव में खुलापन है वह एक अकुण्ठित नारी के रूप में उपन्यास में आती है। डॉ. जाधव का विचार है- ष्समग्र उपन्यास की यह एक ऐसी पात्र है, जो अपने विचारों, विश्वासों एवं बेबाकी के कारण बिल्कुल यथार्थ लगती है तथा हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ पाती है।'[16]

जेन व्हिसलर' हेडमास्तर टोनी व्हिसलर की पत्नी है। मिसेज व्हिसलर अपने पति के स्कूल में ही नौकरी करती है। टोनी व्हिसलर जितना कठोर है, उससे उसकी पत्नी भिन्न है। यह खुली, खुशमिजाज और मिलनसार नारी है। इस स्वभाव से जेन व्हिसलर आधुनिक कामकाजी नारी का परिचय को दर्शाती है। मिसेज व्हिसलर खूब खुलकर हँसती है और सबको हँसाती है। वह उपन्यास में थोड़े समय के लिए आती है, पर अपने मृदुल स्वभाव का प्रभाव डालती है। जेन की व्यावहारिकता और सहृदय वृत्तियों के कारण ही उसे विद्यार्थी तक पसंद करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'जेन' अपनी मुक्त मनस्थिति में बेपर्द और बेलाग नारी है। उसका व्यक्तित्व न केवल प्रभावी और लोकप्रिय है, वरन् अपने सभी सहयोगियों के बीच उसकी स्वभावगत कोमलता व वैवारिकता उसे जीवित व्यक्तित्व प्रदान करती है।

'रोज' जिमी की पत्नी है। रोज भी आधुनिक कामकाजी नारी है। वह भी स्कूल में काम करती है। प्रकृति ने उसे आकर्षक और सुन्दर व्यक्तित्व दिया है। लेकिन रोज अपने पति के समझौतावादी स्वभाव से बहुत त्रस्त है। मिसेज रोज स्कूल में अधिक रूचि नहीं लेती और न वह ज्यादा किसी के पास आती जाती है। वह हैडमास्टर व्हिसलर की गुलामी करना नहीं चाहती। अपने पति जिमी के कहने पर वह अनमने भाव से नाटक में अभिनय करती है। रोज का व्यक्तित्व उपन्यास में 'नाटक' खण्ड के माध्यम से स्पष्ट होता है। जिमी बताता है कि रोज की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हम यह नाटक खेलें। स्कूल में नाटक बाद डिनर का आयोजन है जहाँ रोज कुछ देर से पहुँचती है। आज यह कुछ बदली हुई सी है, अन्यमनस्क, जबकि पहले ऐसा नहीं था। रोज का अपना एक व्यक्तित्व है जो अभिजात्य पूर्ण है। जिसमें वह अलग से दिखाई देती है। वह बातचीत में कम-से-कम शब्दों का इस्तेमाल करती है नाइस, थैंकस, आफूल, नो, यस, गुड जैसे शब्दों से काम चला लेती हैं। 'रोज के प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग जाने-अनजाने चाहे अनचाहे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। वह अपने को सबसे ऊपर समझती है। सत्रांत के वार्षिक नाटक के बाद की डिनर पार्टी में उसके बयान की स्पष्टता एवं तीक्ष्णता अपने साथ-साथ जिमी और पूरे स्कूल के आडंबरमय जीवन को जैसे चीर-फाड़कर रख देती है। उसमें यह स्पष्टता एवं पैनापन इसीलिए है कि स्वयं के लिए रोज में एक वरीयता की अनुभूति है।'[17]

'मिसेज पार्कर' आधुनिक कामकाजी नारी है। वह एक स्कूल टीचर है। वह एक ऐसी वृद्ध महिला है जो जीवन-संसार और उसके सुंदर असुंदर कार्यों से पूरी तरह ऊब चुकी हैय मिसेज पार्कर अपने पति से सन्तुष्ट नहीं दिखाई देती हैं और अपने घर लन्दन लौट जाना चाहती हैं। मिसेज पार्कर भारत में रहकर भी विलायत में है। मिसेज पार्कर ऐसी महिला है जो हमेशा थकी रहती है। 'यों मिसेज पार्कर जिन्दगी और उसके प्रत्येक क्रिया-कलाप से पूरी तौर पर ऊबी हुई है और एक बोझा-सा ढो रही है लेकिन इतने पर भी उसके पास अपना एक 'बचाव' है जिसके चरितार्थ होने पर, वह सोचती है, उसकी सारी ऊब, सारा संकट और सारी वितृष्णा समाप्त हो जायेगी। और यह बचाव है परिस्थितियों के अनुकूल होते ही उसका वापस 'होम' लंदन चला जाना।'[18]

'अन्तराल' उपन्यास में 'श्यामा' प्रमुख पात्र है। श्यामा आधुनिक कामकाजी नारी है। श्यामा मण्डी के हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेश बनती है और यहाँ से मुक्ति पाने के लिए ही एम.ए. करना चाहती है। श्यामा जब तीन साल की थी, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गयी थी। बचपन से मिला अकेलेपन का

भार उपन्यास के प्रारम्भ से अन्त तक श्यामा में रहता है और उसके व्यक्तित्व में इस अकेलेपन को स्पष्ट देखा जा सकता है। पति देव की मृत्यु उसके अकेलेपन को और बढ़ा देती है। श्यामा विधवा होने पर भी बिंदी, लिपस्टिक लगाती है, अपनी पुत्री के साथ घर से दूर अकेली रहकर नौकरी करती है। वह कुमार को अपने अतीत के बारे में जो बताती है उससे श्यामा एक अत्यन्त साहसी जिम्मेदार और कर्मठ युवती ही प्रमाणित होती है।

श्यामा दोहरे एवं विभाजित चरित्र की स्त्री भी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण यह कहीं भी स्वयं की निश्चित या निश्चित संगति नहीं बैठा पाती। देव, कुमार, बीजी, सीमा और बेबी तथा स्वयं उसके जीवन की मानों चार दीवारें है। वह चहती है कि इसके बीच शांत और आश्वस्त होकर रहे, किन्तु तमाम प्रयत्नों के बाद भी पाती है कि लोग, परिस्थितियाँ या वह स्वयं है कारण रूप में कि संगति नहीं बैठ पाती। वह अनुभव करती है कि 'आज तक किसी ने भी मन से उसकी निर्भरता महसूस नहीं की.... स्वयं वह भी अपने में किसी की वैसी निर्भरता महसूस नहीं कर पायी।'[19]

'सीमा' देव की बहन और श्यामा की ननद है। सीमा की अपनी जिन्दगी है, जिसमें उसे किसी का भी हस्तेक्षेप पसन्द नहीं है। वह देर रात तक घर लौटती है, शराब पीकर। सीमा अपने आप को और अपने किसी भी रूप को छिपाकर रखने में विश्वास नहीं करती है। वह एक अविवाहित युवा स्त्री है जो टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करती है और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है। सीमा का चरित्र उस पढ़ी-लिखी बुद्धिजीवी आधुनिक युवा स्त्री का चरित्र है जो आर्थिक स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पारम्परिक विचारों, संस्कारों तथा सदियों का त्याग कर जीवन के भौतिक सुखोपभोग को सर्वस्व मानकर उसी में लीन तथा उसी की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहती है। यह एक सुन्दर और स्मार्ट नवयुवती है तथा उसे अपने रूप-सौन्दर्य पर गर्व है। डॉ. जाधव ने सीमा के संबंध में लिखा है - 'सीमा एक ऐसी लड़की है, जो पूर्णत: बाह्यवतर्ती है वह भीतर न कुढ़ती है, न कसमसाती है। वह जीवन को पूर्णत: स्वीकारात्मक रूप में जीने की आदी है- उसके जीवन का अर्थ है भरपूर जीना भौतिक शरीर के संवेगों की सम्पूर्ण परितृप्ति ताकि अन्तर्मन में अपूर्ण इच्छाएँ ग्रन्थियाँ न बन जाएँ- जैसा कि श्यामा के साथ हुआ है।'[20]

संयुक्त परिवार के संस्कार और मर्यादाएँ सीमा को उस पारम्परिक रूप में कभी स्वीकार नहीं है जिसमें वे उसके व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। 'श्यामा जब देवी की आगे की पढ़ाई के कारण बंबई के घर में बीजी और सीमा के साथ रहने को तैयार होती है, तब घर की व्यवस्था के प्रश्न पर हुई उसकी सीमा के साथ बातचीत बहुत कुछ सीमा के खुले व्यक्तित्व का परिचय दे देती है।'[21]

सीमा का अन्तराल उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, किन्तु उसका खुला व्यक्तित्व उसे महत्वपूर्ण और लुभावना पात्र बना देता है। इस संबंध में डॉ. पिंपलापुरे लिखती है 'सीमा अन्तराल में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाती, जबकि श्यामा आदि से अन्त तक उपन्यास में उपस्थित है। पर राकेश का कौशल यह कि सीमा अपनी स्वच्छन्दता, बेबाकपन और खुली जिन्दगी में निडर होकर जीती है और कथानायिका श्यामा को झकझोर कर रख देती है उसकी (श्यामा) जीवन दृष्टि को गलत ठहराते हुए, उसे अपने जीवन पर पुनर्विचार के लिए उत्तोजित करती है। सीमा का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है।'[22]

'एक और जिन्दगी' कहानी में 'बीना' आधुनिक कामकाजी नारी है। बीना प्रकाश की पहली पत्नी है। विवाह के कुछ महीने बाद ही वह पति से अलग होने लगी। वह प्रकाश के बराबर पढ़ी-लिखी उससे ज्यादा कमाती है। बीना स्वतन्त्रता में विश्वास रखने वाली, किसी भी परिस्थिति में अपने आपको ढालने वाली नारी है। बीना में अहंकार भी है और आत्मविश्वास भी। वह प्रकाश के सामने छोटा होना स्वीकार नहीं करती। 'वस्तुत: आज की नारी जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती है। उसके जीवन में कुछ अपने मूल्य है जिन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए यह तैयार नहीं और इसी का परिणाम है तनाव की वह स्थिति जो आज की कहानियों में अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है।'[23]

'अपरिचित' कहानी में 'नलिनी' कॉलेज में लेक्चरर है। अपनी आदत की वजह से वह घर में भी बहुत ज्यादा बोलती है जिसे उसका एकान्तप्रिय पति पसन्द नहीं करता। उसमें स्वयं के महत्वपूर्ण दर्जे में होने का गर्व है। इस कहानी में मोहन राकेश में नलिनी के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नलिनी आधुनिक कामकाजी नारी तो है लेकिन पूरी तरह आधुनिक नारी नहीं है। वह स्वभाविक जीवन जीना चाहती है, पर आधुनिकता और स्वाभाविकता के बीच वह मनोग्रंथियों से पीड़ित मनोविकार युक्त पीड़ित नारी बनकर रह गयी। इस कहानी में राकेश जी ने नारी के सूक्ष्म मनोभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

'पति-पत्नी दो विभिन्न इकाईयाँ बन कर अपने-अपने हित में खोकर, अपनी व्यक्तिगत खुशियों को पूरा करने की कोशिश में एक-दूसरे को कुण्ठित करते हैं। इससे सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होता है।'[24]

'क्वार्टर' कहानी में 'राधा' आधुनिक कामकाजी नारी है। राधा कुटुम्ब का बोझ ढोने को मजबूर नारी के रूप में कहानी में आयी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी वह खुश नहीं है। राधा और उसके पति शंकर हमेशा तनाव में रहते हैं। इस कहानी में राधा को गौण का स्थान प्राप्त हुआ है। केन्द्र पात्र में उसका पति शंकर है। कुटुम्ब का बोझ ढोने के भी उसके अपने तनाव है। कुटुम्ब के बोझ से उसे आर्थिक कष्ट भी दे रखा है। इस कारण वह बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। वह हमेशा तनाव ग्रस्त रहती है। बहनों का कई-कई दिनों तक उसके घर पर टिका रहना वह सहन नहीं कर पाती 'जितने-जितने लोग आकर पड़े रहते हैं, उससे मुसाफिरखाने से कुछ कम नहीं लगता मुझे।'[25] परिणामस्वरूप वह अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है।

'सुहागिनें' कहानी में 'मनोरमा' गर्ल्स हाईस्कूल की हेडमिस्ट्रेस है। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो है लेकिन अपने पति की बहन उम्मी के विवाह का दहेज के लिए अर्थोपार्जन कर रही है। वह नौकरी करना नहीं चाहती थी परन्तु पति के दबाव के कारण वह नौकरी करती है। मनोरमा के पति सुशील उसे एक कमाऊ मशीन ही समझता है। पुरुष की भावनाहीनता और निर्ममता की कहानी प्रस्तुत करती हुई मनोरमा पाठकों के हृदय को झकझोर देती है।

'मिसपाल' कहानी में 'मिसपाल' दिल्ली जैसे महानगर में सूचना विभाग में कार्यरत है। आधुनिक जीवन की असंगति और अकेलेपन का प्रभावशाली वर्णन श्मिसपालश में है। 'आज की आधुनिक नारी की प्रतिनिधि है 'मिसपाल' साथ ही महानगरीय परिवेश में जीवन की नि:संगता तथा व्र्यता-बोध की खिन्नता मिसपाल में देखी जा सकती है। वह एक ऐसी जगह की तलाश में है, जहाँ यहाँ की सी जिन्दगी न हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें न करते हैं।'[25] नौकरी छोड़कर नयी जगह आने पर भी वह शून्यताबोध और अजनवीपन की अनुभूति से ऊबर नहीं पाती। आधुनिक कामकाजी नारी होने के बावजूद असफल जीवन की जीती आधुनिक मिसपाल घुटन और

अवसाद से टूट रही जिन्दगी जीती है। उसकी बिखरी जिन्दगी में ष्हर चीज दूसरी चीज की जगह काम में लाई जा रही थी, एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी। दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी। जिसमें बहुत-सी कीलें पड़ी थी।'[26]

'रोजगार' कहानी की नायिका मिस दारूवाला आधुनिक कामकाजी नारी है। वह एक पारसी युवती है जो शहरी जीवन के अभिशापों को झेलकर जीवन जीने को बाध्य है। जमशेद जो मिस दारूवाला का भाई है, वह बीमार है और उसी पर आश्रित है। मिस दारूवाला नौकरी के साथ-साथ अनैतिक कमाई कर हफ्ते पन्द्रह दिन में भाई का बिल चुकाने आती है। पूरी की पूरी कहानी मिस दारूवाला की जिन्दगी की घटनाओं के चारों ओर घूमती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मोहन राकेश के कथा-साहित्य की अधिकांश नायिकाएँ आधुनिक और कामकाजी हैं, कहीं वे विवशतावश अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु नौकरी करती हैं तो कहीं अपनी आर्थिक स्वाधीनता और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। उनकी ये नारियाँ अत्यन्त दृढ़, आत्मविश्वासी और जुझारू हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों से टूटती नहीं वरन् उनका साहस से मुकाबला करती हैं।आधुनिक युग में नारी समाजिक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब तो हुई है, लेकिन जीवन के संघर्ष उसके परम्परित और आदर्श रूप पर कई प्रश्न छोड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में नारी का जीवन दोहरे संघर्ष से गुजरता है। मोहन राकेश के कथा-साहित्य में नारी के विभिन्न समस्याओं का भी अभिव्यक्ति मिली है।

उनकी कथा साहित्य में स्त्री संबंधी परंपरागत मूल्यों का खंडन हुआ है तथा नये मूल्यों का प्रारंभ हुआ है। इनके कथा साहित्य में ज्यादातर पात्र शिक्षित हैं ,जो अपना महत्व समझते हैं। स्त्री स्वतंत्रता महत्वाकांक्षिणी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है। जो परंपरागत मान्यताओं को तोड़कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करती है। राकेश ने स्त्री को पुरुष की अनुचरी, सेविका न बनाकर सहचरी बनाने का समर्थन किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेमिचन्द्र जैन,अधूरे साक्षात्कार,पृ.सं.131
2. मोहन राकेश,न आने वाला कल,पृ.सं.98
3. मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ (हक हलाल) पृ.सं. 361
4. डॉ. नरेंद्र मोहन द्वारा संपादित, आधुनिक हिंदी उपन्यास में श्रीकांत वर्मा के निबंध, पृ. सं. 212
5. डॉ. रमेश कुमार जाधव, मोहन राकेश: व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. सं.541
6. डॉ. श्रीमती मीना पिंपलापुरे, मोहन राकेश का नारी संसार पृ. सं. 115
7. मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ (सुहागिनें) पृ. सं. 161
8. वही (चौगान) पृ. सं. 197
9. डॉ. नरेंद्र मोहन द्वारा संपादित, आधुनिक हिंदी उपन्यास में श्रीकांत वर्मा का निबंध, पृ.सं. 211
10. नेमिचन्द्र जैन,अधूरे साक्षात्कार,पृ.सं.131
11. डॉ. सुषमा अग्रवाल, मोहन राकेश: व्यक्तित्व और कृतित्व, पृ. सं. 317
12. मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, बेस्ट संख्या 354
13. डॉ. श्रीमती मीना पिंपलापुरे, मोहन राकेश का नारी संसार, पृष्ठ संख्या 113
14. डॉ. रमेश कुमार जाधव, मोहन राकेश: व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृष्ठ संख्या 50
15. डॉ. श्रीमती मीना पिंपलापुरे, मोहन राकेश का नारी संसार पृष्ठ संख्या 127
16. डॉ. रमेश कुमार जाधव, मोहन राकेश व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व दृष्टि संख्या 74
17. मोहन राकेश, ना आने वाला कल स्टेशन क्या 88
18. वही, विश्व संख्या 33
19. मोहन राकेश, अंतराल, पृष्ठ संख्या 98
20. डॉ. रमेश कुमार जाधव, मोहन राकेश व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृष्ठ संख्या61
21. मोहन राकेश अंतराल पृष्ठ संख्या 177- 78
22. श्रीमती मीना पिंपलापुरे, मोहन राकेश का नारी संसार लिस्ट संख्या 157
23. डॉ. रामदरश मिश्र एवं डॉ. नगेंद्र मोहन, हिंदी कहानी दो दशक की यात्रा पृष्ठ संख्या 126
24. डॉ. नीलम गोयल स्वतंत्र उत्तर हिंदी लेखिकाओं के उपन्यास में अलगाव पृष्ठ संख्या 231
25. मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ(क्वार्टर),पृ.सं.138
26. वही,मिसपाल,पृ.सं.10
27. वही,पृ.सं.14

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Nature and Nature-Based Art of Padma Shri Late Ram Gopal Vijayvargiya

Dr. Jwala Prasad Kaloshia*

***Assistant Professor (Visual Arts) Govt. College, Garhi-Partapur, Banswara (Raj.) INDIA**

Introduction - It is difficult to say anything with certainty about when man got connected to art, but it will be worthwhile to say that it will be a boon in the development of human consciousness directly and indirectly. Art is always connected to its ground and through this grounded connection, it tries to fascinate or amaze the listener, reader, viewer with the speech and work of man.

A lot has been written and tested on art from time to time and which is still continuing to maintain its continuity. This wisdom of art, taking the place of personal biological responses, started turning and changing nature and nature's social beings towards a proper direction. Hence, it will be appropriate to say here that the tendency of expression through art has been going on in man since ancient times. Here arts are the result of the natural expression of man and the beauty of nature. It is through art that man has been making conscious efforts to present his various emotions through various mediums of fine arts from time to time and at present he seems to be trying to express his wishes by creating art with great gentleness.

Whenever the discussion of the art of Rajasthan has arisen, scholars, thinkers, politicians etc. say that the tradition of art in Rajasthan has been very strong. The deception of this self-praise was broken when in the exhibition of Rajasthan Lalit Kala Academy held in Delhi before 1960, the famous art critic Charles Fabry boldly said that the Rajasthani artist is absolutely dead.

In fact Rajasthani painting had lost its identity even before independence. Local miniature painting styles had died. The last area of traditional Rajasthani painting was only fulfilling the cheap demand of Nathdwara pilgrims. It would not be an exaggeration to say that the ancient glory and dignity of art creation had almost vanished. At this time, the art of Rajasthan was being influenced by cheap calendar-like art.

As is known, after independence, changes are visible in the technique of painting creation of Rajasthani Kalam mainly at three levels. In which some painters were creating their paintings using western techniques. On the other hand, some artists were experimenting in painting by assimilating the wash method of Bengal.

Around 1955 AD, an important turning point came in Rajasthani art, at this time many young artists came to Rajasthan after completing art education from the famous institutions of the country and were carrying out their work by incorporating the techniques they had learned in the traditional painting style of Rajasthan.

These artists of Rajasthan, due to the influence of Bengal Renaissance, patriotism and fascination for their folk culture, promotion of socialist ideology, the artists here started incorporating the smell of their soil in art and literature. Artists started giving importance to painting of

various beautiful subjects of the physical world for the development of subtle observation power. As a result, the painters of that time tried to paint more and more scenes, folk life, and the nature of the desert along with its environment and various elements related to it.

Due to the coincidence and good fortune of receiving art education in the famous schools of the country, the artists here abandoned the fascination of painting in miniature styles and created paintings in their own refined style. These painters depicted the beauty of their folk life, rural culture and scenery on their panels. In this sequence of painting, senior painter Kalaguru Padmashree Late Ram Gopal Vijayvargiya has made Rajasthan's folk culture, natural beauty and various parts of public life and nature the subject of his artworks. He minutely observed the folk life style of Rajasthan and its coherence with the society. The power of painting the atmosphere of rural life in a realistic way like a camera and the capable brushwork presented an excellent depiction with the harmony of unique lines and colours.

The art guru of the contemporary art world of Rajasthan, Ram Gopal Vijayvargiya is known as a Banyan tree in whose cool and pure shade the art of the desert region was nourished and flourished. Through his continuous art practice and devoted dignity, he played an important role in the art movement of Rajasthan by spreading the uniqueness and novelty of the design of the traditional art style of India to the art world of Rajasthan and provided a strong base to the renaissance process in the Rajasthani art scene.

Vijayvargiya ji has made a unique and wonderful blend of Bengal's wash technique, the delicate and graceful lines of Ajanta, rhythm and Rajasthan's traditional painting, and has depicted religious, literary and traditional subjects in his paintings by relating them with nature. His painting subjects include village Chaupal, animals and villagers resting in the summer sun, labourers, village huts, waving footpaths in the hills and barren land, which have been the hallmarks of his art. Ram Gopal Vijayvargiya gave a new turn to the field of miniature painting by imitating the method and style of the agitated revival period in Bengal.[1]

He also gave liveliness to his expression through prose and poetry. His art world is so vast and expansive that to call him just an artist is to limit his multifaceted talent. His personality is an institution in itself.

The universally accepted art guru of Rajasthan, Vijayvargiya has been the ideal of the painters of Rajasthan and the source of inspiration for the creative generation. After encountering the contemporary social, religious and cultural activities of Rajasthan with the characters and ideal plots of Puranas, history, religion, ancient literary works, his brush with full dedication brought life into his works by portraying them on his canvas with the help of original and attractive colour scheme and variety of rhythmic, dynamic and strong lines with the touch of harmony of memory and imagination Born in 1905 in a merchant class of Baler Thikane of Sawai Madhopur district of Rajasthan, Ram Gopal ji had a deep inclination towards art creation since childhood. His father was the caretaker of the princely estate there and a person of business nature. They wanted Ram Gopal ji to become a lawyer, but due to his inclination towards art, he used to draw figures on the walls with chalk and coal and collect coloured pictures. The family members considered his interest useless and his father used to get worried seeing his interest and used to say that the boy will die of hunger if he keeps drawing lines.[3]

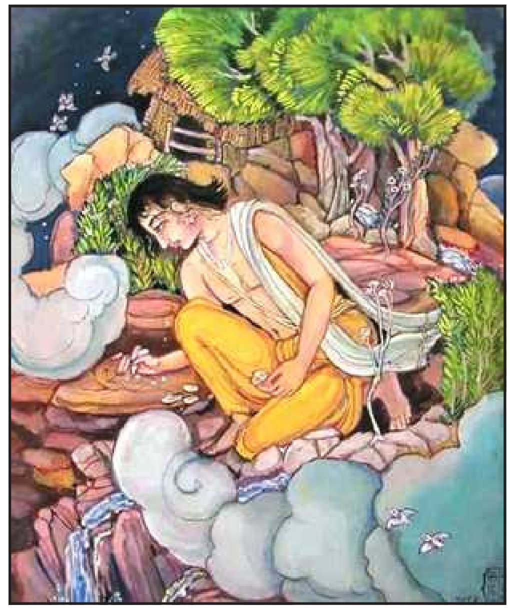

In the 14th year of his age, artist Vijayvargiya ji started getting the company of beautiful women along with a life of luxury. He was sent to a brothel to learn etiquette. The artist's sense of beauty was sharp even at that time, it is known from his memory that the prostitute he used to visit was dark in complexion but beautiful to look at. [4]

He got married at the age of seventeen and after two years he was employed by his father. But the artist's mind was somewhere else, in the illusion of shapes, lines and colours. The result was that he was fired from the job for making sketches on the pages of the government register. After this, an important turning point in his life came in 1924 when Vijayvargiya ji got permission from his father to get formal art education and he took admission in Jaipur School of Art. Coincidentally, in the same year, Shailendra Nath Day joined this school as the vice-principal. At that time, Amit Kumar Haldar was the principal of Jaipur School of Art. Due to the efforts of these two great men, the Jaipur Museum got a new life in the form of a School of Arts.[5]

During his early years, Ram Gopal ji was introduced to the colours and forms of the Bengali style. In the Bengal school, most of the paintings are based on poems and mythological stories, whereas he has been sensitive towards poetry since childhood. This literary interest continued with his partition and this was also an important reason for Ram

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Gopal ji's interest in the Bengal style. During this period, he had studied books and poems like **Meghdoot, Raghuvansh, Kadambari, Abhigyan Shakuntalam, Kumarsambhava, Bihari Satsai** etc. In the second year of his admission in the art school, his painting was published in a magazine called Modern Review. The series of paintings titled **Abhigyan Shakuntalam** based on literature was his first painting series. Apart from this, he painted on many subjects like **Omar Khayyam, Alif Laila**.

At this time, he also got the company of many well-known painters and art experts of the country, which had a deep impact on his future life. Due to this fertile environment, Vijayvargiya ji became a skilled and established artist in a few years. Meanwhile, the sudden death of his wife and grandson caused him mental shock, yet like a child artist, he saved these memories in the lonely corner of his heart, which later appeared through colors and words.

With the harmony of poetry and art, he created such a flow of art, which appeared in the form of Satyam Shivam Sundaram. At one place, he has also written, the condition of a poet is such that he finds beauty in the lotus and creepers in the silvery beautiful faces in the moonlight. In the same way, he sees the river of divine joy flowing in the dawn, dusk, spring and autumn of Chitradhara.[6]

The main feature of Rajasthani painting has been to paint based on poetry. The painting done by Vijayvargiya ji in his painting based on the poignant places of Sanskrit and Hindi poetry became the identity of his work. While in his paintings related to **Meghdoot**, one can see the rhythm of lines, emotional inclination and the grandeur and dignity of colours, in the series of paintings of Geeta Govinda, he has depicted the complete beauty of Radha such as dilated eyes, shapely face, thick and long hair, plump breasts and long slender body, which in accordance with the imagination of Jaydev, reveals his poetic heart. In all the subjects of his paintings, the harmonious form of both poet and painter is visible. In his art, the process of mathematical solution and the process of achieving artistic beauty become the same. The purpose of his art is the welfare of the masses, the happiness of the masses. He has considered art as the source of joy and rasa. He has sought the path of self-welfare and perfection of all aspects of life through art.[7]

His own opinion is that an artist can be made only when the feeling of worship of beauty is very much awakened in his life. This is the reason that in his paintings, female beauty or lovemaking has reached from the ordinary life level to a subtle, civilized level. An example of how mature the natural tendency of attraction towards women has become can be seen in each of his erotic paintings.

In this context, some lines of his poem written in the collection of poems in the book **Abhisaar Nisha** published by Rajasthan Sahitya Academy, Udaipur in 1959, analyze his artistic mind.

भोग भावनाओं की भाषा, शून्यगगन में पढ़कर।
कठिन वर्जनाओं की विविध से, तबियत घबराती है ।
शिथिल हो गए गात, रात को नींद नहीं आती है।
कुंठित सा मन हुआ, जवानी बहुत याद आती है [8]

Vijayvargiya's art has everything infused in it - the joy of life, the tradition of separation, the creation of love. The subjects that he molded in color, line, form, give a sense of the present with the continuity of time. He found the meaning of life in art, in which there is no pride of the ruins of civilization, but the passion of life. That is why late **Prof. Parmanand Choyal called him the Raja Ravi Varma of Rajasthan.** The place that Raja Ravi Varma and Avni Babu have had in the renaissance and renewal of Indian art, the same place should be counted for Ram Gopal Vijayvargiya in the context of Rajasthani art.[9]

Ramgopal Vijayvargiya, who gives his clear, liberal and restrained opinion on the subject of modern art, is a mature, thoughtful artist, who says that we are Indians and our creations should have the imprint of Indianness. Whatever painting we do, Indianness should be in its soul.[10]

In his paintings, there is a close relationship, a familiar balance between man and nature. Through colours and lines, he highlights the most beautiful forms of nature and man. His paintings create a joyful atmosphere. Variety of subjects, power of expression and originality of painting are his specialties.[11]

Vijayvargiya ji has a special interest in sketching and there has not been a single year in his long life when he has not made sketches. These are more focused on lines than rangoli. Before the viewer's attention goes to the color combination, the lines already speak. His painting based on Omar Khayyam's coldness, 'Dispassion from the world' is a perfect example of this. There is a natural movement, flow in his lines, which has the ability to captivate the viewer. His paintings based on the wash method have also been line-dominated. His rhythmic and playful sketching in which human forms has become very life like.

We can mainly divide Vijayvargiya ji's paintings into four categories, **line painting, wash painting, tempera painting** and **oil painting**. He has made most of the sketches with black water. The second type of sketches has water colors filled in them and the third is a depiction made in a realistic style related to nature. A collection of sketches by Vijayvargiya ji was published 67 years ago in 1948 from Jaipur. There are more than one thousand sketch books of his sketches which are unpublished. From which we get a vast repository of his painting world.[12]

Even though the main inspiration of Vijayvargiya ji's sketches of Alkavali, Vaidehi Virah and Ragamala is Rajasthani art, they are not mere imitation. The tasteful newness of the ornamental accessories like costumes, hair styles etc., the inclusion of nourishing elements like trees, creepers, clouds, deer etc. with proper restraint for creating a poetic effect, the use of only one shade of color are definitely the signs of his independent imagination. According to Rajasthani art, he did not try to create space in his paintings by marking areas in shades, but the idea of artistry is the most important and attractive change.[13]

The composition of Vijayvargiya's paintings does not have the sparseness of gaps like the traditional Rajasthani style of painting. It has the richness of Ajanta. In the sparseness, lines of emotions sometimes revolve, sometimes become clouds and run from one end to the other. This is his very personal experiment. In the painting, the human forms under the natural scene have been diversified instead of making them a single object. The combination in the painting is more dynamic and organized. The composition of the paintings is actually a complex and intellectual process.

Light pink, green, red, blue and purple colors are predominant in his paintings. He always used colors that were pleasing to the eyes. The transparent color of the wash method is his specialty. There is freshness in them, there is a rhythm. The beautiful faces and bodies transformed from Ajanta have been painted by Vijayvargiya's brush in a re-sculpted form, which looks more like a sculpture than a painting, but the simplicity of the paintings in them is his special quality.[14]

Ram Gopal Vijayvargiya's paintings reflect a close relationship and a deep harmony between man and nature. When and how the unthoughtful form of the mind, the unknown of the brain takes the form of a picture, how it reveals its most beautiful form through colors and lines, this specialty can be seen in the paintings of artist Vijayvargiya. His paintings have movement, freshness and the ability to create a joyful atmosphere.[15]

Vijayvargiya's art journey passes through various stages on the path of beauty, creates scenes containing many experiences and ends in the world of bliss where there is worldly oblivion, merging and also joy. **Late Shri Ram Gopal Vijayvargiya has been awarded the Padma Shri award in 1984** by the Government of India for his continuous art practice. He remained active till the end of his life and painted and said goodbye to this field of art in Jaipur in 2003 at the age of 98. Thus, from an editorial point of view, the life of late Shri Ram Gopal Vijayvargiya was full of little confusion. As a man of the century, the journey of his artistic life was interesting and simple from the point of view of social, economic and material values and this simplicity and happiness is reflected in his entire work.

References:-

1. Aakruthi - Monthly Magazine Issue - June, 1992
2. Gautam, B. R.- Thanks Ram Gopal Vijayvargiya, Rajasthan Lalit Kala Academy, Jaipur, 30 June, 1998, Page No. 1
3. Pratap, Dr. Rita - History of Indian Painting and Sculpture, Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur 2010, Page No. 407
4. Pancholi, Rekha - Contemporary Senior Painters of Rajasthan, Research Book, Mohanlal Sukhadia Vishwa, Udaipur 1998, Page No. 24
5. Sharma, Prof. Devakinandan and Dr. Harimaharshi (Editor) - Milestones of Indian Art- Rupankar, 1976, Page No. 5
6. Pratap, Dr. Rita - Indian Painting and Sculpture History,

Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur 2010, Page No. 408

7. Damami, A. L. - Modern Art and Artists of Rajasthan, Himanshu Publications, Udaipur-Delhi, 2004, p.no. 27
8. Pancholi, Rekha - Contemporary Senior Painters of Rajasthan, Research Book, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 1998, p.no. 28
9. Choyal, Prof. P.N.- Dimensions of Creation and Vijayvargiya, p.no. 153
10. Goswami, Dr. Premchand - The Foundation Pillars of Modern Indian Painting, Rajasthan Hindi Granth Academy, 1995, p.no. 68
11. Same, p.no. 68
12. Damami, A. L. - Modern Art and Artists of Rajasthan, Himanshu Publications, Udaipur-Delhi, 2004, p. no. 27
13. Sakhalkar,R.V.-Aakruthi,artist Ram Gopal Vijayvargiya, Rajasthani Lalit Kala Academy, Jaipur, February - 1992, p.no. 05
14. Damami, A. L. - Modern Art and Artists of Rajasthan, Himanshu Publications, Udaipur - Delhi, 2004, p.no. 30
15. Goswami, Premchand - History of Indian Painting, Panchsheel Publications, Jaipur 1999, p.no. 150

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

महाज्ञानी-अप्रतिबुद्ध से अद्वितीय-प्रतिबुद्धता के अद्भुत-यात्री : इन्द्रभूति गौतम

प्रो. सुदीप कुमार जैन*

* आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (प्राकृतभाषा) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) नई दिल्ली, भारत

प्रस्तावना - यह शीर्षक किसी बड़े-विरोधाभास का प्रतीक है, परन्तु विशिष्ट-सन्दर्भों को परिलक्षित रखें, तो इससे दृष्टिपटल से तिरोहित रहे कई महनीय-विषयों का रहस्योद्घाटन होता है। आइये, उन विशिष्ट-सन्दर्भों के साथ-साथ उन अदृष्ट-तथ्यों की मीमांसा भी समझें, जो हमारे विचारपटलों से ओझल रहे हैं।

तथ्य-क्रमांक 1:- चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् श्री महावीर स्वामी के काल में वैदिक-परम्परा के भी कई बड़े पंडित थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान् का नाम इन्द्रभूति गौतम था।

उस समय इनके पांडित्य एवं कर्मकांड की लोक में इतनी प्रतिष्ठा थी, कि बड़े-बड़े राजा व सामन्त इनकी विद्वत्ता का लाभ लेते थे व इनका सन्मान करके इन्हें प्रभूत-दक्षिणा देते थे। इनके साथ उस समय के 500 श्रेष्ठ एवं मेधावी-वेदाभ्यासी इनके शिष्यों के रूप में चौबीसों घंटे इनकी सेवा में तत्पर रहते थे। ये बहुत बड़े वाग्मी, भाषाविद्, कर्मकांड के विशेषज्ञ एवं वादी विद्वान् थे। अत: इन्हें मैंने 'महाज्ञानी' विशेषण प्रयोग किया है।

तथ्य-क्रमांक 2:- जिनाम्नाय के अनुसार जिसे जिनेन्द्र-प्रज्ञप्त वस्तु-व्यवस्था का ज्ञान न हो एवं आत्मतत्त्व की निर्मल-अनुभूतिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह 'अप्रतिबुद्ध' अर्थात् अज्ञानी ही कहा गया है। क्योंकि जैनदर्शन में मात्र क्षयोपशमज्ञान पर आधारित पांडित्य को 'प्रज्ञा-परीषह' कहकर उपेक्षित किया गया है। यआत्महित जिसने नहीं साधा, वह लोकहित भी वास्तव में नहीं कर सकता है— इस सिद्धान्त के आधार पर उसके समस्त पांडित्य को जैनदर्शन 'अज्ञान' ही मानता है।

जैनदर्शन की स्पष्ट-मान्यता है कि 'आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान'। इसीकारण अन्य सब बातों के प्रकांड-पंडित होते हुये भी इन्द्रभूति गौतम आत्मज्ञान एवं जिनेन्द्र-कथित तत्त्वज्ञान से नितान्त-अनभिज्ञ थे, अतएव उन्हें 'महाज्ञानी' के साथ 'अप्रतिबुद्ध' विशेषण भी शीर्षक में सुविचारित रूप से प्रयोग किया गया है।

तथ्य-क्रमांक 3:- 'अद्वितीय-प्रतिबुद्धता' का अभिप्राय बहुत गहरा है। यह लौकिक-पांडित्य की मानसिकता में समझ में नहीं आ सकता है। **इसके लिये हमें एक ओर 'केवली' और 'केवलज्ञान' को समझना होगा और दूसरी ओर हमें 'द्वादशांगी-श्रुत' को समझना होगा। इन दोनों के मध्यवर्ती जो होते हैं, उन्हें 'गणधर' कहा जाता है।**

यहाँ महत्त्वपूर्ण-बात यह भी है कि इन दोनों के बारे में सामान्यजनों को मात्र टटोलकर जानने जितनी मोटी-जानकारी ही पता है, इनकी वास्तविकता का तो अनुमान लगाना भी सामान्यजनों को अत्यन्त-कठिन ही नहीं, असंभवप्राय: है। अत: इन दोनों पक्षों का संक्षिप्त, किन्तु सटीक-प्रतिपादन करने के बाद इनके मध्यवर्ती गणधरदेव के स्वरूप का स्पष्ट-आभास कराऊँगा, ताकि इस विशेषण का अर्थ स्पष्ट हो सके।

पहला-पक्ष 'केवलज्ञान' का है। 'केवलज्ञान' अर्थात् आत्मा के ज्ञानगुण की वह परिणति, जो विश्व के अनन्त-जीवों, अनन्तानन्त-पुद्गलों, जीवों और पुद्गलों के क्षेत्र से क्षेत्रान्तरण के गमन एवं स्थिति के निर्धारक लोकाकाश-व्यापी धर्म और अधर्म-द्रव्यों, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर विद्यमान सम्पूर्ण-परिणमनों के निर्धारक असंख्य-कालाणुओं, समस्त द्रव्यों के अवगाहनत्व के निर्धारक लोकालोक-व्यापी आकाश-द्रव्य के एक-एक प्रदेश को, उनमें से प्रत्येक के अनन्त-गुणों को, उन अनन्तानन्त-गुणों में प्रत्येक गुण के सर्वकालवर्ती-अनन्तानन्त-परिणमनों को युगपत् अत्यन्त निर्मलता/स्पष्टता के साथ प्रत्यक्ष जानने में समर्थ चैतन्य-परिणति का नाम 'केवलज्ञान' है। इतना ही नहीं, ऐसे अनन्त लोकालोक आ जायें, तो उन सबको भी केवलज्ञान की एक पर्याय बिना किसी अस्पष्टता के सहजतापूर्वक एक ही समय में प्रत्यक्ष जानने की सामर्थ्य रखती है।— ऐसा तो केवलज्ञान का स्वरूप है।

इस केवलज्ञान के धानी होते हैं केवली-परमात्मा। **ऐसी केवलज्ञान की अनन्तानन्त-पर्यायें जिसमें से प्रतिसमय परिणत हों, तब भी जिसकी स्वाभाविक-सामर्थ्य में रंचमात्र भी न्यूनता/कमी न हो— ऐसा 'ज्ञान' नामक गुण आत्मा का प्रतिनिधि-गुण है। और इस ज्ञान जैसे अनन्त-गुणों का निधान यह चैतन्य-तत्त्व आत्मा है।** इस केवलज्ञानरूप-परिणति से परिणत आत्मा को ही केवली कहा गया है।

इन केवलियों में जो सर्वजीवों के हित का करुणा-भावना से दिव्यध्वनि द्वारा वस्तु-स्वरूप का प्ररूपण करते हैं, उन्हें 'तीर्थंकर' कहा जाता है।

इन तीर्थंकरों की 'दिव्यध्वनि' में समस्त-श्रोताओं की जिज्ञासाओं को अधिगत करके उन्हीं की भाषाओं में समाधान देने की अनिर्वचनीय-क्षमता विद्यमान होती है, तथापि यह जितना केवलज्ञान जानता है, दिव्यध्वनि उसका अनन्तवाँ-भाग ही प्रतिपादित कर पाती है।

क्योंकि ज्ञान की जानन-सामर्थ्य तो अनन्त है, परन्तु ध्वनि की अभिव्यंजन-सामर्थ्य केवलज्ञान की तुलना में अनन्तवाँ-भाग मात्र है। चूँकि **केवलज्ञान 'निरावरण' या 'क्षायिकज्ञान' है**, अत: वह अपरिमित जान सकता है; किन्तु जो दिव्यध्वनि के श्रोतागण होते हैं, वे मुख्यत: सभी

सावरण-क्षयोपशमज्ञान के धनी होते हैं; अत: केवली की अनन्तवाँ-भाग-सामर्थ्यवाली दिव्यध्वनि जितना प्रतिपादित कर पाती है, उसे कोई भी सावरण-ज्ञान यानि क्षयोपशम-ज्ञान का धनी जीव पूरा तो क्या, उसका एक-अंश भी ग्रहण नहीं कर पाता है।

किन्तु क्षयोपशमज्ञान के धनियों में सर्वश्रेष्ठ-क्षमता के धनी तीर्थंकर-परमात्मा के प्रधान-शिष्य अर्थात् 'गणधर' ही होते हैं। वे मति-श्रुत-अवधि-मन: पर्यय— इन चार ज्ञानों के सर्वोत्कृष्ट-स्तर के धानी होते हैं। और वे भी तीर्थंकर-परमात्मा की दिव्यध्वनि का अनन्तवाँ-अंश ही ग्रहण कर पाते हैं— यह एक तथ्य है।

दूसरे-पक्ष पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि गणधरदेव दिव्यध्वनि के जितने अंश को ग्रहण करते हैं, उसको जब वे शब्दायित करके वर्गीकृत करते हैं, तो उन्हें प्राप्त दिव्यध्वनि के अंश का भी अनन्तवाँ-भाग ही वे उसरूप में व्यवस्थित कर पाते हैं, जिसे हम 'द्वादशांगी-श्रुत' के रूप में जानते हैं। जबकि जिनवाणी के ग्रन्थों में जो द्वादशांगी-श्रुत का परिमाण एवं विस्तार वर्णित है, वह सामान्यजनों की कल्पना एवं गणना से परे प्रतीत होता है। इसी द्वादशांगी-श्रुत का अन्तर्मुहूर्त में पारायण 'श्रुतकेवली' करते हैं। अर्थात् श्रुतकेवली जितना द्वादशांगी-श्रुत के रूप में जानते हैं, गणधरदेव को उनसे अनन्तगुना-अधिकज्ञान दिव्यध्वनि के माध्यम से होता है।

यह सब सत्य एवं तथ्यात्मकरूप से प्रमाणित है और इस विषय में आप प्राय: जानते हैं। किन्तु इस आलेख का उद्देश्य मात्र यह जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों की ओर ध्यानाकर्षण कराना है, जिन पर प्राय: हम लोग विचार ही नहीं करते हैं। उन तथ्यों का संक्षिप्त-विवरण निम्नानुसार है-

1. विचार करिये कि जब भगवान् श्री महावीर स्वामी जी को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से उनका समवसरण लग रहा था और उसकी बारह-सभाओं में कई श्रुतकेवली, चतुर्विध भावलिंगी-मुनिराज, आर्यिकायें, देशव्रती श्रावक-श्राविकायें, चतुर्निकाय-देवगण, सौ इन्द्र, अनेकविध सामान्य-श्रावक आदि विद्यमान रहते थे; जो कि भगवान् श्री महावीर स्वामी के न केवल अनुगामी-शिष्य थे, बल्कि विशुद्ध-आत्महित की भावना से उस समवसरण में उपस्थित थे।

और इस स्थिति में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 66 दिन बीत गये थे। किन्तु उन अनन्य-भक्तों में किसी की ऐसी पात्रता नहीं पकी कि वे तीर्थंकर-प्रभु के 'गणधर' बन सकते।

दूसरी-ओर भगवान् श्री महावीर स्वामी के समवसरण में आने तक इन्द्रभूति गौतम को न तो जैन-तत्त्वज्ञान की पकड़ या जानकारी थी और न ही उन्होंने एक भी जैन-सिद्धांत समझा या स्वीकार किया था। तब उन्होंने ऐसा कौन-सा चमत्कार कर दिया था, जो वे श्रुतकेवलियों से भी कई गुना श्रेष्ठ-योग्यता के धनी 'गणधर' बन गये थे और वह भी तत्काल?

न तो उन्होंने जैन-सिद्धांतों को पढ़ने, सीखने या समझने में एक क्षण का भी समय लगाया और न ही किसी से जिनशासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। तब उन्होंने बिना किसी शिक्षण या प्रशिक्षण के सर्वज्ञ-परमात्मा की दिव्यध्वनि सुनकर उसे आत्मसात् करने की क्षमता कब और कैसे विकसित की थी? कैसे क्षण भर में उनकी वैचारिक एवं श्रद्धानगत-पवित्रता इतनी अधिक हो गयी थी कि समवसरण की बारहों सभाओं में विद्यमान अभ्यासी-साधकों से कई गुना श्रेष्ठ बनकर 'गणधर' पद पर विभूषित हो गये थे?— यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है।

2. क्या जैन-तत्त्वज्ञान के अध्ययन एवं प्रशिक्षण के बिना भी जैन-तत्त्वज्ञान के सर्वोत्तम-वक्ता 'तीर्थंकर-परमात्मा' की परम-अतिशय-रूप 'दिव्यध्वनि' के निमित्त बन गये, जो दिव्यध्वनि पिछले 66 दिनों से गणधर के अभाव में नहीं खिर रही थी, वह इन्द्रभूति गौतम जैसे जैन-तत्त्वज्ञान से अनभिज्ञ एवं अप्रशिक्षित-व्यक्ति के आते ही खिरने लगी थी। क्या क्षण भर पहले तक का गृहीत-मिथ्यात्वी जीव मात्र क्षयोपशम के उघाड़ के बल पर इतनी महती-योग्यता अर्जित कर सकता है? जैन-सिद्धांत क्या इससे सहमति प्रदान करता है?— यह बहुत बड़ा-प्रश्न है।

3. क्या कुछ क्षण पहले का गृहीत-मिथ्यादृष्टि जीव कुछ ही पलों में निर्ग्रन्थ-मुद्रा अंगीकार करते हुये क्षायिक-सम्यग्दर्शन लेकर चार-ज्ञानों के सर्वोच्च-स्तर को प्राप्त करके तीर्थंकर-परमात्मा की धर्मसभा का नायक 'गणधर' बन सकता है? एकसाथ इतनी सारी योग्यतायें बिना किसी पूर्वाभ्यास या प्रशिक्षण के क्षण भर में प्रकट होनी संभव हैं?

ये सभी बेहद-गम्भीर प्रश्न हैं और इनका तथ्यात्मक-समाधान अपेक्षित है, कोरे भावावेश के उत्तार यहाँ अपेक्षित ही नहीं हैं। मैं अतिसंक्षेप में, किन्तु पूरी तरह से निर्भ्रान्तरूप से इन सभी का आगम-युक्त-सम्मत-समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ करूँगा।

समाधान-क्रमांक 1 :- जैनदर्शन का मूलभूत-सिद्धांत है कि आत्मा परिपूर्ण ज्ञानस्वभावी है, क्षयोपशमज्ञान उसका स्वभाव नहीं है। निरावरण-ज्ञान ही उसका स्वभाव है। और निरावरण-ज्ञान हमेशा परिपूर्ण ही होता है, कभी अपूर्ण नहीं होता है। भले ही पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति सीमित दिखे, किन्तु वह पर्याय में दिखने की ही बात है, आत्मा का स्वभाव वैसा सीमित नहीं है।

जैसे आकाश में सूर्य हमेशा पूरा ही प्रकाशित और प्रतापित रहता है। किन्तु हम तक कभी उसका प्रकाश और प्रताप प्रचंड रूप में मिलता है, तो कभी मेघाच्छन्न-दिशाओं या दक्षिणायन के कारण ये क्षीण रूप में मिलते हैं। किन्तु यह सूर्य का दोष नहीं है और न ही वह कभी धुँधला होता है। यह तो हमारी स्थिति जिस क्षेत्र में है, वहाँ के प्रकृति और पर्यावरण के प्रभाव से ऐसा होता है।

जब आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा एक समान है, तो उसे पहिचानने व अपनाने में कितना समय लगना है? यह तो दृष्टि के फेर की बात है। इसलिये अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होना कोई समय-सापेक्षता की विवशता नहीं रखता है। जिस क्षण उस स्वभाव के सन्मुख हुये, उसी क्षण वह प्रकट है।

समाधान-क्रमांक 2 :- आत्मा को आत्मा के स्वरूप को अपनाने में समय नहीं लगता है और न ही इसके लिये कोई ग्रन्थों से परिभाषायें रटनी पड़तीं हैं। वह तो स्वसंवेदन से मिलनेवाली उपलब्धि है, जो कि दृष्टि बदलने के साथ ही तत्क्षण प्राप्त होती है। इसमें न तो समय की पराधीनता होती है और न ही संयोगों को जुटाने की कोई अपेक्षा रहती है।

इसीलिये जिस क्षण इन्द्रभूति गौतम ने मोह की दृष्टि त्यागी और स्वरूप की दृष्टि अपनायी, उसी क्षण उन्हें अपना स्वरूप साक्षात्कृत हो गया था। अब महत्त्व था स्थिरता का एवं समर्पण का, तो इन्द्रभूति गौतम का उपयोग उत्कृष्ट-पुरुषार्थ के साथ अन्य पूर्व-उपस्थित तथाकथित-वरिष्ठजनों की तुलना में अधिाक समर्पण के साथ बेहतर स्थिरता को प्राप्त हुआ था, इसीलिये वे उनसे बेहतर-उपलब्धि (गणधर-पद की पात्रता) को प्राप्त कर सके थे। इसमें समय-आधारित वरिष्ठता (सीनियरटी) का प्रश्न ही कहाँ उठता है। क्या भरत चक्रवर्ती को अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान हुआ था और उनके पिताश्री

तीर्थंकर ऋषभदेव को एक हजार वर्षों में, तो क्या इससे केवलज्ञान के स्वरूप में कुछ अन्तर पड़ा या कम या ज्यादा समय लगने से चक्रवर्ती भरत का केवलज्ञान श्रेष्ठ व तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी का कमतर रह गया था?— जिनदर्शन का मर्म जिन्होंने समझा है और जिनाभिमत-वस्तु-व्यवस्था की समझ जिन्हें हैं, उन्हें ऐसी आशंका कभी भी नहीं हो सकती है।

समाधान क्रमांक 3:- क्रमबद्ध-पर्याय और केवलज्ञान के स्वरूप की समझ व श्रद्धान जिन्हें है, उन्हें किसी भी पर्याय की स्वतन्त्र-अभिव्यक्ति में कभी कोई आशंका या आश्चर्य नहीं होता है। तो इन्द्रभूति गौतम स्वामी की पूर्वक्षणवर्ती-पर्याय एवं उत्तरक्षणवर्ती-पर्याय में जो स्वतंत्रता दिखी, उस पर आश्चर्य क्यों है?

क्या आपने क्षणभर पहले के शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है — इतने से वाक्य को स्मरण रखने में असफल रहे शिवभूति-मुनिराज के तुस-मासं घोसंतो वाले घटनाक्रम से उड़द की दाल उसके छिलके से भिन्न होती देखकर अपने स्वरूप में स्थिर होकर केवलज्ञानी होने में किसी को कोई आशंका है? वे भी तो क्षयोपशमज्ञान की दृष्टि से न्यूनतर-उघाड़वाले थे, तो अन्तर्मुहूर्त मात्र में केवलज्ञानी कैसे हो गये थे? स्वभाव की सामर्थ्य से या ज्ञानावरण का क्षयोपशम करके? अथवा शास्त्रों के सूत्र रटकर? —ऐसी आशंकायें कभी जिनधर्म का मर्मज्ञ कर ही नहीं सकता है और जिसे आशंका हो, वह अभी जिनदर्शन को समझ ही नहीं सका है।

जिनदर्शन 'समयापेक्षी-दर्शन' नहीं है, बल्कि 'स्वभावापेक्षी-दर्शन' है।

इन्द्रभूति गौतम ने तब तक स्वभाव की आराधाना की ही नहीं थी, इसलिये क्षयोपशम का उघाड़ बेहतर होते हुये भी वह आत्महित की दृष्टि से नितान्त-अप्रतिबुद्ध बने हुये थे और जिस क्षण स्वभाव का समर्पण जागा, तो गणधर की योग्यता उनकी सेवा में उपस्थित हो चुकी थी।

तब भी गणधर-पद पर क्यों अटके? सीधे केवली व सिद्ध क्यों नहीं बने? — यह आप आपत्ति करते, तो समझ में आता। उस स्थिति में उनका आत्म-स्वभाव तो तब भी परिपूर्ण ही था, किन्तु उनकी तन्मयता उतनी परिपूर्ण नहीं हो सकी थी, इसीलिये गणधर-पद पर तक ही आसीन हो सके थे।

किन्तु उनकी वह तन्मयता अन्य पूर्वस्थ-साधाकों की तुलना में बहुत-बेहतर थी, इसलिये वे तो गणधर बन गये, किन्तु अन्यजन नहीं बन सके।— यह वस्तुस्भाव को आत्मसात् करने, पुरुषार्थ की प्रबलता एवं क्रमबद्धता की अद्भुत-युति का परिणाम था, जो कैवल्य से न्यून-स्थिति रही तथा अन्य साधकों की तुलना में बेहतर 'गणधर' पद की अर्हता उन्हें मिली।

इन्द्रभूति गौतम स्वामी के इस घटनाक्रम से हमें जैन दर्शन और तत्त्वज्ञान के मर्म का उद्घाटन, उसका दृढ-श्रद्धान एवं प्रत्येक परिणति की अनन्त-स्वतंत्रता का अवबोध होना चाहिये था, न कि ऐसी आशंकायें। ये आशंकायें हमें जैन होते हुये भी जिनाभिमत-वस्तु-व्यवस्था की समझ एवं तत्त्वज्ञान की दृष्टि की कमी को प्रकट करती हैं।

कोई बात नहीं, इस प्रकरण के निमित्त से यदि हम जिनाभिमत-वस्तु-व्यवस्था एवं तत्त्वज्ञान के इन रहस्यों को समझ सके एवं निमित्तधीन-दृष्टि को सुधार सके, तो इसे अप्रतिम-उपलब्धि मानिये। यही समझ हमें व आपको आत्मिक-पुरुषार्थ की न्यूनता दूर करने तथा क्रमबद्ध-पर्याय की दृढ़-निष्ठा जगाने का वह युगान्तरकारी-कार्य करेगी, जो हम अनादिकाल से आज तक नहीं कर सके हैं। परन्तु इसमें कर्तृत्वभाव के बिना सहज-स्वभाव की समझ ही सार्थक होगी— यह स्मरण रखना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

Urbanization and Social Transformation: Analyzing the Effects of Rapid Urban Growth in India

Dr. Anjali Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - Urbanization in India has been a dynamic process, driven by industrialization, economic liberalization, and population growth. As cities expand, they become epicenters of economic activity, innovation, and cultural exchange. However, rapid urbanization also poses significant challenges, including housing shortages, infrastructure deficits, and environmental degradation. This paper aims to analyze the effects of rapid urban growth on social structures, economic development, and the environment in India, providing a comprehensive understanding of the urbanization process and its implications. Urbanization, driven by economic opportunities, has transformed social, economic, and environmental landscapes, leading to both positive and negative outcomes. This study explores the impact of urbanization on social structures, economic development, and environmental sustainability. It also addresses the challenges faced by urban areas, including housing shortages, inadequate infrastructure, and socio-economic disparities, and discusses policy implications for sustainable urban development in India.
Keywords: Urbanization, Social Transformation, Economic Development, Environmental Sustainability, Housing, Infrastructure, India.

IHistorical Context of Urbanization in India: Urbanization in India is not a new phenomenon. Historically, cities like Harappa and Mohenjo-Daro during the Indus Valley Civilization were among the earliest examples of urban centers. However, modern urbanization in India gained momentum during the British colonial period with the development of port cities like Mumbai, Kolkata, and Chennai. Post-independence, urbanization continued at a moderate pace until the economic reforms of the 1990s, which catalyzed rapid urban growth.

Economic Reforms and Urbanization: The liberalization policies introduced in 1991 played a pivotal role in accelerating urbanization. The opening up of the economy attracted foreign investments, leading to the growth of industries and the service sector, particularly IT and finance. This economic boom resulted in significant migration from rural to urban areas, as people sought better employment opportunities and living standards.

Social Transformation

Migration and Demographic Shifts: One of the most immediate effects of urbanization is the demographic shift resulting from rural-urban migration. Cities like Delhi, Mumbai, and Bangalore have seen an influx of people from various parts of the country. This migration has led to the diversification of urban populations, bringing together people of different cultures, languages, and socio-economic backgrounds.

Impact on Social Structures: Urbanization has significantly altered traditional social structures. In rural areas, social life is often governed by caste and community-based systems. However, in urban settings, these structures tend to be more fluid, allowing for greater social mobility. Urbanization has also facilitated the rise of nuclear families, as opposed to the joint family systems prevalent in rural areas. This shift has implications for social support systems and caregiving practices.

Women's Empowerment: Urbanization has had a profound impact on women's lives in India. Access to education and employment opportunities in urban areas has empowered women, contributing to greater financial independence and shifts in traditional gender roles. Urban centers offer better healthcare facilities, which has improved maternal and child health outcomes.

Challenges of Urban Social Life: Despite these positive transformations, urban life also presents challenges. The rapid pace of urbanization has led to the proliferation of slums, where living conditions are often dire. Issues such as inadequate housing, lack of access to clean water and sanitation, and insufficient healthcare services are prevalent in these informal settlements. Additionally, urban areas are witnessing rising socio-economic inequalities, which can lead to social tensions and conflicts.

Economic Development

Growth of the Service Sector: Urbanization in India has

been closely linked to the growth of the service sector. Cities like Bangalore, Hyderabad, and Pune have become global hubs for IT and IT-enabled services, contributing significantly to India's GDP. The service sector's expansion has created numerous employment opportunities, attracting skilled professionals from across the country.

Industrialization and Infrastructure Development: The growth of industries in urban areas has spurred infrastructure development. Investments in transportation, telecommunications, and energy have transformed cities into economic powerhouses. However, this rapid development has also led to challenges, including traffic congestion, pollution, and strain on existing infrastructure.

Informal Economy: A significant portion of the urban population is employed in the informal sector, which includes activities such as street vending, construction, and domestic work. While the informal economy provides livelihoods for many, it is characterized by job insecurity, lack of social protection, and poor working conditions. Addressing the needs of informal workers is crucial for inclusive urban development.

Environmental Sustainability

Urban Sprawl and Land Use: Rapid urbanization has led to the expansion of cities into peri-urban and rural areas, often resulting in the conversion of agricultural land into urban settlements. This urban sprawl has significant environmental implications, including loss of biodiversity, changes in land use patterns, and increased pressure on natural resources.

Air and Water Pollution: Industrial activities, vehicular emissions, and construction activities contribute to air pollution in urban areas. Cities like Delhi and Mumbai frequently experience severe air quality issues, affecting public health. Additionally, inadequate waste management and industrial discharges lead to water pollution, impacting both surface and groundwater quality.

Climate Change and Urban Resilience: Urban areas are particularly vulnerable to the impacts of climate change, including extreme weather events, heatwaves, and flooding. Building climate-resilient infrastructure and promoting sustainable urban practices are essential to mitigate these risks. Initiatives such as green buildings, sustainable transportation, and urban green spaces can enhance urban resilience.

Housing and Infrastructure

Housing Shortages and Slum Development: The rapid influx of people into urban areas has outpaced the availability of affordable housing. As a result, many migrants end up in informal settlements or slums, where living conditions are often substandard. The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is one of the government's initiatives aimed at addressing the housing shortage, but challenges remain in its implementation and reach.

Infrastructure Deficits: Urban areas in India face significant infrastructure deficits, including inadequate public transportation, insufficient sewage and waste management systems, and unreliable electricity supply. These deficits not only affect the quality of life for urban residents but also hinder economic productivity and growth.

Smart Cities Mission: To address these challenges, the Government of India launched the Smart Cities Mission in 2015, aiming to promote sustainable and inclusive urban development. The mission focuses on improving urban infrastructure, enhancing service delivery, and promoting the use of technology to create efficient and livable cities.

Public Health Challenges

Urban Health Infrastructure and Services: Rapid urbanization has outpaced the development of public health infrastructure in many Indian cities. The influx of migrants and the burgeoning urban population place immense pressure on existing health services, leading to overcrowded hospitals and clinics, and inadequate health care delivery. Urban areas, especially in slums, often face a lack of clean water, sanitation facilities, and waste disposal systems, which are critical for preventing diseases. The disparity in healthcare access between affluent and impoverished urban areas is stark, with marginalized communities often experiencing higher rates of infectious diseases, malnutrition, and non-communicable diseases. Addressing these disparities requires a multifaceted approach, including the expansion of healthcare facilities, the improvement of sanitation and hygiene practices, and the implementation of preventive health measures. Urban health policies must also focus on strengthening primary healthcare systems to provide accessible and affordable care to all urban residents.

Impact of Environmental Degradation on Public Health: The environmental degradation associated with urbanization significantly impacts public health. Air pollution, primarily from vehicular emissions, industrial activities, and construction dust, is a major concern in Indian cities. Cities like Delhi consistently rank among the most polluted in the world, with high levels of particulate matter (PM2.5) contributing to respiratory and cardiovascular diseases. Water pollution, resulting from untreated sewage and industrial effluents, contaminates drinking water sources, leading to waterborne diseases such as cholera and dysentery. Additionally, inadequate waste management practices result in the accumulation of solid waste, creating breeding grounds for vectors like mosquitoes and rats, which spread diseases such as dengue, malaria, and leptospirosis. Urban planning must integrate environmental health considerations, promoting cleaner technologies, improving waste management, and enhancing green spaces to mitigate pollution and its health impacts. Public awareness campaigns and community participation are also crucial in fostering a healthier urban environment.

Cultural and Identity Transformation

Cultural Diversity and Integration: Urbanization brings together people from diverse cultural, linguistic, and regional

backgrounds, fostering a melting pot of traditions and practices. Cities like Mumbai, Delhi, and Bangalore are characterized by their cosmopolitan nature, where cultural festivals, culinary traditions, and artistic expressions from different parts of the country coexist and flourish. This cultural diversity enriches urban life, promoting intercultural dialogue and understanding. However, the integration of diverse populations also presents challenges, such as social cohesion and identity conflicts. Migrants often face difficulties in assimilating into the urban fabric, experiencing discrimination and social exclusion. Urban policies must promote inclusivity and celebrate cultural diversity through community-building activities, cultural festivals, and educational programs that emphasize tolerance and mutual respect. Efforts to preserve and promote local cultures, while also embracing the contributions of new residents, can enhance the social fabric of urban areas.

Transformation of Urban Identity: Urbanization reshapes the identity of cities, blending traditional and modern elements. The rapid development of infrastructure and the influx of global influences lead to the emergence of new urban identities, reflecting a mix of historical heritage and contemporary lifestyles. Cities evolve into dynamic spaces where traditional practices coexist with modernity, as seen in the juxtaposition of historical monuments and modern skyscrapers. This transformation impacts the sense of belonging and community among urban residents. While some embrace the changes and opportunities that urbanization brings, others may feel a loss of cultural heritage and a sense of alienation. Urban planners and policymakers must balance development with the preservation of cultural heritage, ensuring that urban growth does not come at the expense of historical and cultural landmarks. Promoting cultural tourism and heritage conservation can help cities maintain their unique identities amidst rapid change. Additionally, fostering community engagement and participation in urban development processes can empower residents to shape the evolving identity of their cities, creating a sense of ownership and pride.

Policy Implications and Recommendations

Integrated Urban Planning: Effective urban planning is crucial to manage the challenges of rapid urbanization. Integrated urban planning should focus on sustainable land use, efficient public transportation systems, and the provision of essential services. Collaboration between government agencies, private sector, and civil society is essential for holistic urban development.

Affordable Housing Policies: Addressing the housing shortage requires policies that promote the construction of affordable housing units and ensure access to basic services. Public-private partnerships and innovative financing mechanisms can play a significant role in expanding affordable housing options.

Strengthening Urban Governance: Strengthening urban governance through capacity building of local governments, decentralization of decision-making, and citizen participation is essential for effective urban management. Transparent and accountable governance can improve service delivery and foster inclusive development.

Environmental Sustainability: Promoting environmental sustainability in urban areas involves adopting green building practices, enhancing public transportation, and improving waste management systems. Initiatives such as urban afforestation, rainwater harvesting, and renewable energy adoption can contribute to sustainable urban development.

Social Inclusion and Equity: Ensuring social inclusion and equity in urban development requires targeted policies to address the needs of marginalized and vulnerable groups. This includes improving access to education, healthcare, and social protection for informal workers and slum dwellers.

Conclusion: Rapid urban growth in India presents both opportunities and challenges. While urbanization has spurred economic development and social transformation, it has also led to significant environmental and infrastructural challenges. Addressing these challenges requires comprehensive and inclusive urban policies that promote sustainable development, social equity, and environmental resilience. By fostering collaboration between various stakeholders and adopting innovative solutions, India can harness the potential of urbanization to drive economic growth and improve the quality of life for its urban residents.

References:-

1. Bhagat, R. B. (2011). Emerging pattern of urbanisation in India. Economic and Political Weekly, 46(34), 10-12.
2. Census of India. (2011). Provisional population totals, urban agglomerations and cities.
3. Government of India. (2015). Smart Cities Mission. Ministry of Housing and Urban Affairs.
4. Kundu, A. (2012). Trends and processes of urbanisation in India. Human Settlements Group, IIED.
5. McKinsey Global Institute. (2010). India's urban awakening: Building inclusive cities, sustaining economic growth.
6. Ministry of Housing and Urban Affairs. (2019). Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) – PMAY(U).
7. Narain, V. (2009). Growing city, shrinking hinterland: Land acquisition, transition and conflict in peri-urban Gurgaon, India. Environment and Urbanization, 21(2), 501-512.
8. United Nations. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.

****

Environmental Justice: Examining Environmental Inequalities and their Impact on Marginalized Communities in India

Dr. Sandhya Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - Environmental justice refers to the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income, concerning the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. In India, the concept of environmental justice is crucial due to the country's diverse socio-economic landscape and significant environmental challenges. This paper examines the environmental inequalities in India and their impact on marginalized communities, focusing on five main areas: pollution, climate change, health disparities, resource access, and policy implications. By exploring these areas, we aim to highlight the disproportionate burden borne by marginalized communities and suggest pathways for achieving environmental justice in India.
Keywords: Environmental Justice, Environmental Inequalities, Marginalized Communities, India, Pollution, Climate Change, Health Disparities, Policy.

Pollution and Marginalized Communities: Pollution is one of the most pressing environmental issues in India, significantly affecting air, water, and soil quality. Industrial activities, vehicular emissions, and improper waste management contribute to severe pollution levels, particularly in urban areas. Marginalized communities, often residing in close proximity to industrial zones and landfills, are disproportionately exposed to harmful pollutants. For instance, in cities like Delhi and Mumbai, slum dwellers are subjected to hazardous air quality, leading to respiratory illnesses and other health problems. The lack of access to clean drinking water in rural areas further exacerbates the plight of marginalized groups, causing waterborne diseases and other health complications.

The unequal exposure to pollution highlights the intersection of environmental and social inequalities in India. Socio-economic disparities limit the ability of marginalized communities to relocate to safer areas or afford healthcare services, trapping them in a cycle of poverty and poor health. Moreover, the enforcement of environmental regulations often overlooks these vulnerable populations, allowing industries to operate with minimal accountability. Addressing pollution-related environmental injustices requires stringent regulatory measures, community participation in decision-making, and the provision of basic amenities like clean water and sanitation.

Climate Change and Vulnerability: Climate change poses a significant threat to India's socio-economic stability, with marginalized communities bearing the brunt of its impacts. Extreme weather events such as floods, droughts, and heatwaves have become more frequent and intense, disrupting livelihoods and exacerbating poverty. Rural communities, dependent on agriculture, are particularly vulnerable to climate variability, experiencing crop failures and loss of income. Coastal regions, inhabited by fishing communities, face the dual threat of sea-level rise and cyclones, leading to displacement and loss of livelihoods.

The vulnerability of marginalized groups to climate change is compounded by their limited adaptive capacity. Lack of access to resources, information, and technology hampers their ability to respond to and recover from climate-induced shocks. Furthermore, existing social inequalities, such as caste-based discrimination and gender disparities, intensify the impact of climate change on these communities. To achieve climate justice, it is imperative to integrate social equity into climate policies and programs. This includes providing financial support for adaptive measures, ensuring community participation in climate planning, and addressing the specific needs of vulnerable groups.

Health Disparities and Environmental Hazards: Environmental hazards contribute significantly to health disparities in India, disproportionately affecting marginalized communities. Exposure to air and water pollution, industrial toxins, and inadequate sanitation facilities leads to a range of health issues, including respiratory diseases, gastrointestinal infections, and cancers. For instance, the use of biomass for cooking in rural households exposes women and children to indoor air pollution, resulting in

respiratory and cardiovascular diseases. In urban slums, inadequate waste management and poor living conditions contribute to the spread of infectious diseases.

The health impact of environmental hazards is exacerbated by the lack of access to quality healthcare services. Marginalized communities often live in areas with limited healthcare infrastructure, facing barriers such as distance, cost, and social stigma. Moreover, the burden of disease disproportionately affects women and children, who have limited agency in health-related decision-making. Addressing health disparities requires a multi-faceted approach, including improving environmental conditions, enhancing healthcare access, and promoting health education. Community-based interventions and policies that prioritize the health of vulnerable populations are essential for achieving environmental justice.

Resource Access and Livelihoods: Access to natural resources is critical for the livelihoods of marginalized communities in India. Forests, water bodies, and land are vital for agriculture, fishing, and gathering forest products. However, resource depletion and environmental degradation threaten these livelihoods, exacerbating poverty and social inequality. Deforestation, caused by logging, mining, and infrastructure development, disrupts the lives of indigenous communities who rely on forests for sustenance. Similarly, water scarcity, driven by over-extraction and pollution, impacts farmers and pastoralists, leading to conflicts and migration.

The inequitable distribution of resources further marginalizes vulnerable groups. Land acquisition for industrial projects often displaces tribal communities without adequate compensation or rehabilitation, violating their rights and disrupting their way of life. Moreover, the privatization of common resources, such as water and forests, limits access for marginalized communities, depriving them of essential livelihood sources. Ensuring equitable access to resources requires strong legal frameworks, recognition of community rights, and sustainable resource management practices. Policies that support the conservation of natural resources while promoting inclusive development are crucial for achieving environmental justice.

Indigenous Communities and Environmental Degradation: Indigenous communities in India, often residing in ecologically sensitive regions, face significant threats from environmental degradation. These communities have a profound connection with their natural surroundings, relying on forests, rivers, and lands for their cultural practices, livelihoods, and sustenance. However, industrial activities, mining operations, and large-scale infrastructure projects disrupt these ecosystems, leading to displacement and loss of traditional livelihoods. For example, the Narmada Valley Project, which involves the construction of numerous dams, has displaced thousands of tribal families, depriving them of their ancestral lands and access to natural resources.

The encroachment on indigenous territories for resource extraction not only displaces communities but also undermines their cultural heritage and traditional knowledge systems. Indigenous communities possess intricate knowledge of sustainable resource management, which is often disregarded in favor of development projects that prioritize economic growth over ecological and social well-being. This marginalization exacerbates social inequalities and perpetuates cycles of poverty and environmental injustice.

Protecting the rights of indigenous communities requires a paradigm shift in how development projects are conceived and implemented. Policies should emphasize the recognition and protection of indigenous land rights, ensuring that any development initiatives are carried out with the free, prior, and informed consent of the affected communities. Additionally, integrating indigenous knowledge into environmental conservation efforts can enhance sustainability and resilience. Supporting indigenous-led conservation initiatives and promoting participatory approaches to resource management are crucial steps toward achieving environmental justice for indigenous communities in India.

Urbanization and Informal Settlements: Rapid urbanization in India has led to the proliferation of informal settlements, commonly known as slums, where millions of marginalized people live under precarious conditions. These informal settlements often lack basic amenities such as clean water, sanitation, and adequate housing, exposing residents to a range of environmental health hazards. The dense population, combined with inadequate infrastructure, contributes to poor air quality, contaminated water sources, and insufficient waste management systems.

The environmental challenges faced by slum dwellers are compounded by their socio-economic vulnerabilities. Many residents of informal settlements are migrants who have moved to cities in search of better economic opportunities but end up in marginalized positions within the urban economy. Their precarious employment status limits their access to health care, education, and other essential services, perpetuating a cycle of poverty and environmental injustice.

Addressing the environmental and social challenges of urban informal settlements requires comprehensive urban planning and policy interventions. Upgrading slum infrastructure, providing affordable housing, and improving access to basic services are essential steps toward enhancing the living conditions of slum dwellers. Additionally, inclusive urban policies that recognize the rights of informal settlers and involve them in decision-making processes can help ensure that urban development is equitable and sustainable. By addressing the environmental and socio-economic challenges faced by residents of informal settlements, India can make significant strides

toward achieving environmental justice in its rapidly growing cities.

Water Scarcity and Agricultural Communities: Water scarcity is a critical issue in India, particularly for agricultural communities that rely heavily on water for irrigation and livestock. Climate change, population growth, and unsustainable water management practices have exacerbated water shortages, affecting both the quantity and quality of water available for farming. In regions like Maharashtra and Tamil Nadu, recurrent droughts have led to severe water scarcity, forcing farmers to abandon their lands and seek alternative livelihoods in urban areas.

The impact of water scarcity on agricultural communities is profound, leading to reduced crop yields, loss of income, and increased indebtedness. Marginalized farmers, who often lack access to modern irrigation technologies and financial resources, are disproportionately affected by these challenges. Women, who play a crucial role in small-scale agriculture, face additional burdens as they are typically responsible for water collection and management in rural households. The decline in agricultural productivity due to water scarcity also exacerbates food insecurity and malnutrition in these communities.

Addressing water scarcity requires a multifaceted approach that includes sustainable water management practices, improved irrigation infrastructure, and policies that support the resilience of agricultural communities. Promoting rainwater harvesting, watershed management, and the use of drought-resistant crop varieties can enhance water availability and agricultural productivity. Additionally, ensuring equitable access to water resources and involving local communities in water governance can help address the socio-economic inequalities associated with water scarcity. By implementing these measures, India can support the livelihoods of agricultural communities and promote environmental justice in rural areas.

Industrialization and Environmental Health: The rapid industrialization of India has brought about significant economic growth but also severe environmental health challenges. Industrial activities, including manufacturing, mining, and chemical production, contribute to air and water pollution, which have detrimental effects on the health of nearby communities. Areas with high concentrations of industries, such as the industrial corridors in Gujarat and Maharashtra, experience elevated levels of air pollutants like sulfur dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter, leading to respiratory illnesses and other health problems among the local population.

The health impacts of industrial pollution are particularly pronounced in marginalized communities, who often live in close proximity to industrial zones due to socio-economic constraints. These communities are exposed to toxic emissions and contaminated water sources, resulting in increased rates of chronic diseases, birth defects, and other health issues. Furthermore, the lack of stringent enforcement of environmental regulations allows industries to operate with minimal accountability, exacerbating the health risks faced by vulnerable populations.

To address the environmental health challenges posed by industrialization, it is essential to strengthen environmental regulations and ensure their strict enforcement. Implementing pollution control technologies, conducting regular environmental impact assessments, and penalizing non-compliant industries are crucial steps in mitigating industrial pollution. Additionally, promoting cleaner production practices and encouraging industries to adopt sustainable technologies can reduce their environmental footprint. Ensuring that affected communities have access to healthcare services and are involved in environmental decision-making processes is also vital for achieving environmental justice in industrialized regions.

Energy Production and Environmental Equity: Energy production in India, dominated by coal-fired power plants and large hydroelectric projects, has significant environmental and social implications. While these energy sources contribute to the country's energy security, they also lead to environmental degradation and social displacement. Coal mining and thermal power generation result in air and water pollution, land degradation, and health hazards for nearby communities. Large hydroelectric projects, such as the Tehri Dam, displace thousands of people and disrupt local ecosystems.

Marginalized communities, including indigenous groups and rural populations, often bear the brunt of the negative impacts of energy production. Displacement due to land acquisition for mining and dam construction deprives these communities of their homes, livelihoods, and cultural heritage. Moreover, the environmental pollution associated with energy production exacerbates health disparities, with marginalized groups suffering from higher rates of respiratory illnesses, waterborne diseases, and other health problems.

Promoting environmental equity in energy production requires a transition to cleaner and more sustainable energy sources. Expanding renewable energy technologies, such as solar and wind power, can reduce the environmental impact of energy production and provide decentralized energy solutions that benefit marginalized communities. Additionally, implementing policies that ensure fair compensation, rehabilitation, and participation of affected communities in energy projects can help address social inequalities. By prioritizing sustainable and equitable energy production, India can achieve environmental justice and promote a healthier and more inclusive society.

Policy Implications and Pathways to Justice: Achieving environmental justice in India necessitates a comprehensive policy approach that addresses the root causes of environmental inequalities. Policies should prioritize the protection of marginalized communities from environmental hazards and ensure their participation in environmental

decision-making processes. Strengthening environmental regulations and their enforcement is essential to hold polluters accountable and prevent environmental degradation. Additionally, integrating social equity into environmental policies can help address the disproportionate impact of environmental issues on vulnerable groups.

Community empowerment is a key aspect of achieving environmental justice. Grassroots movements and community-based organizations play a crucial role in advocating for the rights of marginalized communities and promoting sustainable practices. Policies should support these initiatives by providing funding, capacity-building, and legal recognition. Furthermore, fostering collaboration between government, civil society, and the private sector can enhance the effectiveness of environmental policies and programs.

Conclusion: Environmental justice in India requires a multi-dimensional approach that addresses pollution, climate change, health disparities, resource access, and policy frameworks. Empowering communities through education, capacity-building, and legal recognition of their rights is essential for fostering resilience and sustainable development. Additionally, recognizing and integrating indigenous knowledge into environmental conservation efforts can enhance sustainability and promote environmental justice. By prioritizing the needs and rights of marginalized communities, India can move towards a more equitable and sustainable future. By recognizing and addressing the environmental inequalities faced by marginalized communities, India can move towards a more equitable and sustainable future. Promoting social equity, community participation, and sustainable development practices are essential steps in achieving environmental justice and ensuring a healthier and more just society for all.

References:-

1. Padel, F., & Das, S. (2010). Out of this Earth: East India Adivasis and the Aluminium Cartel. Orient BlackSwan.
2. Pellow, D. N., & Brulle, R. J. (2005). Power, Justice, and the Environment: A Critical Appraisal of the Environmental Justice Movement. MIT Press.
3. Walker, G. (2012). Environmental Justice: Concepts, Evidence and Politics. Routledge.
4. Martinez-Alier, J. (2002). The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar Publishing.
5. Agarwal, B. (1992). "The Gender and Environment Debate: Lessons from India," Feminist Studies, 18(1), 119-158.
6. Mukherji, A., & Shah, T. (2005). Groundwater Socio-Economics: A Compilation of Key Issues with Special Reference to Hard Rock Aquifers. IWMI.
7. Chari, R., & Gupta, S. P. (2017). Industrialization and Environmental Pollution: Issues and Challenges. Springer.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रगति और चुनौतियाँ

मल्लूराम मीना*

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, जैसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'उज्ज्वला योजना', और 'महिला सुरक्षा' अभियानों ने महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने में सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाएँ आज पहले से अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक हो रही हैं, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इसके बावजूद, महिला सशक्तिकरण की राह में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पितृसत्तात्मक सोच और लिंग आधारित भेदभाव आज भी समाज में गहराई से व्याप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। कार्यस्थलों पर भी लैंगिक असमानता और समान वेतन का अभाव एक बड़ी समस्या है। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएँ भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा डालती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में सतत प्रयास ही महिला सशक्तिकरण को वास्तविक रूप में साकार कर सकते हैं।

शब्द कुंजी – सामाजिक जागरूकता, माइक्रोफाइनेंस, बालिका शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी अधिकार।

प्रस्तावना – भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का विषय सदियों से चर्चित और प्रासंगिक रहा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार और समानता की दिशा में किए गए प्रयास न केवल सामाजिक न्याय का मामला हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाना, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकें। भारत में महिलाओं की स्थिति का इतिहास अत्यंत जटिल और विविध है। प्राचीन काल में भारतीय महिलाएँ कई क्षेत्रों में अग्रणी थीं, चाहे वह राजनीति हो, साहित्य हो, या शिक्षा। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। लेकिन समय के साथ-साथ, विशेष रूप से मध्यकाल में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, और पर्दा प्रथा ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने उनकी स्थिति में बदलाव की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया और उनके कल्याण के लिए कई प्रावधान किए। इसके बावजूद, भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में कई चुनौतियाँ बनी रहीं।

महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक बदलाव का वाहक भी है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करके, हम एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा, आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने से न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण को अक्सर उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता का विकास शामिल है।

उद्देश्य – इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना है। यह अध्ययन उन प्रगतियों का भी मूल्यांकन करेगा जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए की गई हैं। इसके अतिरिक्त, यह शोध महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सशक्तिकरण का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

शोध प्रश्न:

1. भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. महिला सशक्तिकरण के समक्ष कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?
3. महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन-कौन सी नीतियाँ और पहल प्रभावी रही हैं?
4. महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

महिला सशक्तिकरण की प्रगति – पिछले कुछ वर्षों में, भारत नए भारत की दृष्टि से महिला-विकास से महिला-नीत विकास की ओर तेजी से बदलाव देख रहा है। इस उद्देश्य से, सरकार ने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल करते हुए जीवन-चक्र निरंतरता के

आधार पर महिलाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस प्रगति को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और कानूनी अधिकार। ये क्षेत्र महिलाओं के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं और उनके सशक्तिकरण के स्तर को मापने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. शैक्षिक प्रगति: शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। भारत में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में जहां यह दर केवल 8.6प्रतिशत थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 70.3 प्रतिशत हो गई है। सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, जिससे अधिक से अधिक लड़कियाँ स्कूलों में प्रवेश ले रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।

2. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और वे कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। महिलाएँ अब विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार कर रही हैं, जिसमें आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्यमिता शामिल हैं। महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, सरकारी योजनाएँ जैसे 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

3. राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी सुधार हुआ है। भारतीय संविधान ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया को समृद्ध करती है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक नीतियों में भी महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने में मदद करती है।

4. कानूनी अधिकार: भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जो उनके सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुए हैं। इनमें 'दहेज निषेध अधिनियम', 'घरेलू हिंसा अधिनियम', 'महिला आरक्षण विधेयक', और 'यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' शामिल हैं। ये कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए प्रभावी साधान प्रदान करते हैं।

5. स्वास्थ्य और कल्याण: महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में भी सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, और स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ी है। सरकारी योजनाएँ जैसे 'जननी सुरक्षा योजना' और 'आयुष्मान भारत' महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सहायक रही हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों ने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाया है।

6. सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव: महिला सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में भी सकारात्मक बदलाव आया है। लोग अब महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों को महत्व देने लगे हैं। मीडिया, फिल्में, और सोशल मीडिया ने महिलाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करके समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि लिंग आधारित भेदभाव, सामाजिक रूढ़िवादिता, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नीतियों और सामाजिक प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ – हालांकि भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन इसके सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जो महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने की राह में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये चुनौतियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर फैली हुई हैं और इनसे निपटना महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक है।

1. सामाजिक बाधाएँ: भारतीय समाज में गहरे तक जड़ें जमाए हुए सामाजिक रूढ़िवाद और पितृसत्तात्मक मानसिकता महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। पारंपरिक धारणाएँ और रीति-रिवाज महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, और स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में द्वितीयक स्थान दिया जाता है, और उनके निर्णय लेने की क्षमता को सीमित किया जाता है।

2. लिंग भेदभाव: लिंग भेदभाव कार्यस्थल, परिवार और समाज के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता, और उन्हें अक्सर ऊँचे पदों पर पहुँचने से रोका जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और भेदभाव के मामले महिलाओं की पेशेवर प्रगति में बाधा डालते हैं। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, जो उनकी विकास क्षमता को प्रभावित करता है।

3. शिक्षा और जागरूकता की कमी: भारत के कई हिस्सों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। गरीबी, सामाजिक मान्यताएँ, और शिक्षा की पहुँच में कमी के कारण कई लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं या उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक नहीं होने देती।

4. सुरक्षा और हिंसा: महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर समस्या है, जो उनके सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित हिंसा, और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी जैसी समस्याएँ महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, इन घटनाओं की रिपोर्टिंग और न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया भी कठिन और लंबी होती है, जिससे महिलाएँ न्याय प्राप्त करने में हिचकिचाती हैं।

5. आर्थिक निर्भरता: आर्थिक निर्भरता महिलाओं के सशक्तिकरण में एक प्रमुख बाधा है। कई महिलाओं को आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और उनकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

6. राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी: हालांकि स्थानीय स्तर पर पंचायती

राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, फिर भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की कम संख्या उनके मुद्दों और दृष्टिकोण को नीति-निर्धारण प्रक्रियाओं में शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार, समाज और समुदायों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने के अवसर मिल सकें।

महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ और पहल – भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है, जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। विश्वस्तर पर, भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में वैश्विक औसत से 10 प्रतिशत अधिक महिला पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्वस्तर पर लगभग पांच प्रतिशत पायलट महिलाएं हैं। भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है, यानी 15 प्रतिशत से अधिक। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लगभग लड़कों के बराबर है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में लड़कियों/महिलाओं की उपस्थिति 43 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। विज्ञान ज्योति को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। 2017-18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाबद्ध और विधायी हस्तक्षेप किए हैं और सक्षम प्रावधान बनाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में अधिनियमित श्रम संहिताओं में कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत सरकार 'मिशन शक्ति' लागू कर रही है जिसके दो घटक हैं, संबल और समर्थ। 'संबल' के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसे घटक संचालित हैं। 'समर्थ्य' उप-योजना है, जिसके घटकों में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, शक्ति सदन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र, सखी निवास यानी कामकाजी महिला छात्रावास, पालना, आंगनवाड़ी सह क्रेच शामिल हैं।

सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समूह कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ महिला सदस्य हैं। इनके द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंधा में ग्रामीण परिदृश्य को बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 40 मिलियन घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं। इन सबसे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 'वोकल फॉर लोकल' का महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथ में है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। पंचायती राज संस्थाओं में 1.45 मिलियन या 46 प्रतिशत से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (33 प्रतिशत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के मुकाबले)। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया था।

महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी छलांग सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वां संविधान संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है। लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए। भारतीय सरकार और गैर-सरकारी संगठनों ने महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियाँ और पहल शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाना और उनकी स्थिति में सुधार करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ और पहल महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी नीतियों, कानूनी सुधारों, और गैर-सरकारी संगठनों की पहल ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, इन पहलों को सफल बनाने के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और जागरूकता की आवश्यकता है। समग्र दृष्टिकोण और ठोस प्रयासों से ही महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।

भविष्य के लिए दिशा-निर्देश – महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए दिशा-निर्देश और रणनीतियाँ महिलाओं की पूर्ण सशक्तिकरण और समानता को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये दिशा-निर्देश विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाए गए हैं।

1. शिक्षा और कौशल विकास: लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और आधुनिक शिक्षण विधियों का समावेश आवश्यक है। महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इससे महिलाएँ विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

2. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, परामर्श, और मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान करके उनके व्यवसाय को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित हो सके।

4. कानूनी और सुरक्षा उपाय: महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस और न्याय प्रणाली को और अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों जैसे मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइन्स को विकसित और प्रचारित किया जाना चाहिए।

5. स्वास्थ्य और कल्याण: महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें मातृत्व देखभाल, बालिका स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक स्तर पर अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकें।

6. सांस्कृतिक और पारिवारिक समर्थन: पितृसत्तात्मक धारणाओं को बदलने और महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए मीडिया और शिक्षा प्रणाली का सहारा लिया जा सकता है। परिवारों में महिलाओं के अधिकारों और उनके महत्व को समझाने के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज की प्रगति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछले कुछ दशकों में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी, और कानूनी सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। हालांकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, लिंग असमानता, और हिंसा, जो महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण की राह में बाधा डालती हैं। भविष्य के लिए, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक अवसरों की वृद्धि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार, कानूनी सुधार, और सामाजिक जागरूकता में बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इन उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और वे समाज के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी के लाभ में योगदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://wcd.nic.in/bbbp
2. https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/India-Post-Payment-Bank.aspx
3. https://nrega.nic.in/
4. https://wcd.nic.in/act/domestic-violence-act
5. https://wcd.nic.in/sites/default/files/Policy%20for%20Empowerment%20of%20Women.pdf
6. https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/women-business-and-the-law-2021
7. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697
8. राम आहूजा (2002): भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
9. दीपा माथुर (1992): वूमेन, फैमिली एंड वर्क, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
10. सुधीर श्रीवास्तव (1985): वूमेनइमपावरमेंट, टाटा मैग्रोहिल प्रकाशन, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

सामाजिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण: विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – विकास की अवधारणा पिछले दो सदियों में विकसित हुई है। आर्थिक विकास का मुख्य विचार आर्थिक वृद्धि से गरीबों की सहायता, सतत विकास, मानव विकास, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs), और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तक विस्तारित हुआ है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि ये अवधारणाएँ मुख्य रूप से भौतिक और सामग्री विकास पर केंद्रित हैं, सामाजिक विकास की अनदेखी करते हुए जो विकास के लिए बहुत मौलिक है। हाल के वर्षों में, साहित्य ने सामाजिक विकास के महत्व पर जोर देना शुरू कर दिया है और इसकी वैश्विक पुष्टि SDGs के परिचय के बाद हुई है। हालांकि, इन कार्यों में निष्कर्ष सामाजिक विकास की स्पष्ट परिभाषा और मान्यता पर असंगत हैं, वे सामाजिक विकास के भौतिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सामाजिक विकास ढांचे के भौतिक आयाम पर जोर देते हैं। यह अध्ययन मौजूदा सामाजिक विकास की कमियों और सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करने का उद्देश्य रखता है, साथ ही इसके विशेषताएँ, परिभाषाएँ और आयाम भी। अध्ययन सामाजिक विकास ढांचे की कमियों की पहचान करने का प्रयास करता है और एक अधिक व्यापक सामाजिक विकास ढांचा विकसित करने की दिशा की सिफारिश करता है। यह पेपर विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास पर संबंधित साहित्य की समीक्षा और विश्लेषण के माध्यम से मेटा-विश्लेषण और सामग्री विश्लेषण विधियों का उपयोग करता है।

शब्द कुंजी – सामाजिक विकास, सामाजिक विकास ढांचा, सामाजिक आयाम, सतत विकास, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य।

प्रस्तावना – हाल की सामाजिक विकास पर पुस्तकों ने सामाजिक विकास मॉडल के विकास में एक गतिशील और अधिक व्यापक तरीके की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका कारण सामाजिक विकास ढांचे की अवधारणा में असंगति है, साथ ही इसकी विशेषताएँ, परिभाषाएँ और आयाम। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मौजूदा सामाजिक विकास ढांचे पूरी तरह से उपयुक्त और पर्याप्त नहीं हैं जो सामाजिक विकास की गतिशीलता को दर्शा सकें। सामाजिक विकास ढांचे पर वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक भौतिक और सामग्री आयाम पर ध्यान केंद्रित करना है जबकि गैर-मौद्रिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है। Midgley के अनुसार, 'सामाजिक विकास मानव इंटरएक्शन और जटिल घटनाओं से संबंधित है जो विशिष्ट इंटरएक्शन से उत्पन्न होती हैं जैसे कि कई समूह और संघ जिनमें परिवार, पड़ोसी संघ, औपचारिक संगठनों, समुदायों और समाज भी शामिल हैं, जो सामाजिक नेटवर्क, मूल्य, संस्कृतियाँ और संस्थान भी उत्पन्न करते हैं' (Midgley, 2014, पृ. 4)। इस दृष्टिकोण से, समझा जा सकता है कि सामाजिक विकास केवल भौतिक पहलू से संबंधित नहीं है बल्कि समाज और मानव जीवन के गैर-मौद्रिक पहलू से भी संबंधित है। इसलिए, सामाजिक विकास ढांचा भौतिक और गैर-मौद्रिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

यह अध्ययन मौजूदा सामाजिक विकास की कमियों और सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करने का उद्देश्य रखता है, साथ ही इसके विशेषताएँ, परिभाषाएँ और आयाम भी। अध्ययन सामाजिक विकास ढांचे की कमियों की पहचान करने का प्रयास करता है और एक अधिक व्यापक सामाजिक विकास ढांचा विकसित करने की दिशा की सिफारिश करता है। अध्ययन चार भागों में संरचित है जिसमें परिचय शामिल है। दूसरा भाग डेटा और शोध विधियों पर चर्चा करता है। तीसरा भाग विकास की अवधारणा के विकास पर संस्थागत पृष्ठभूमि की चर्चा करता है, विशेष रूप से सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस भाग में सामाजिक विकास और इसकी विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे पर भी चर्चा की गई है। चौथा भाग शोध निष्कर्ष और सिफारिशों पर केंद्रित है।

डेटा और शोध विधियाँ – यह पेपर सामाजिक विकास और इसकी विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, जो मूल्यांकनात्मक प्रकृति का है और अधिकतर गुणात्मक जानकारी संग्रहण, वर्गीकरण और विश्लेषण पर केंद्रित है। पेपर सामग्री विश्लेषण विधियों और मेटा-विश्लेषण का उपयोग करता है, जिसमें विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास पर संबंधित साहित्य की समीक्षा और विश्लेषण शामिल है, जैसे कि किताबें, जर्नल, रिपोर्ट, पेपर्स, सम्मेलन पेपर्स और लेख। यह अध्ययन मौजूदा सामाजिक विकास को चार मुख्य वर्गीकरणों में व्यवस्थित करता हैरू विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे। सामाजिक विकास का वर्गीकरण कई मानदंडों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मूलतः, सामाजिक विकास को इसके विशेषताओं, परिभाषाओं, आयामों और ढांचे के अनुसार विश्लेषित किया गया। विशेषताएँ 'सामाजिक विकास की विशेषताएँ मुख्य रूप से समावेशी सामाजिक विकास, लोगों का विकास, आदि पर ध्यान केंद्रित करती हैं' के तहत वर्गीकृत की गई हैं। 'सामाजिक विकास की स्पष्ट परिचालन परिभाषा' श्रेणी के तहत परिभाषाएँ अधिक व्यापक हैं – मानव संभावनाओं, आवश्यकताओं और जीवन की गुणवत्ता

पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जबकि 'सामाजिक विकास के भौतिक आयाम पर जोर' श्रेणी के तहत आयाम समाज और मानव जीवन के पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इसी प्रकार, 'सामाजिक विकास के भौतिक आयाम पर जोर' श्रेणी के तहत ढांचे भी समाज और मानव जीवन के पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

सामाजिक विकास: विशेषताएँ, परिभाषाएँ, आयाम और ढांचे– सामाजिक विकास और इसकी विशेषताओं, परिभाषाओं, आयामों और ढांचे की चर्चा से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि विकास की अवधारणा के वर्षों में संस्थागत पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाए, विशेष रूप से सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। विकास की अवधारणा वर्षों में विकसित हुई है। आर्थिक विकास का मुख्य विचार 1950 और 1960 के दशक में आर्थिक वृद्धि से, 1970 के दशक में गरीबी उन्मूलन, 1980 के दशक में सतत विकास, 1990 के दशक में मानव विकास, 2000 के दशक में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs), और 2015 में सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तक विस्तारित हुआ है।

1950 और 1960 के दशक में, विकास को मुख्य रूप से आर्थिक विकास के संदर्भ में उपयोग किया गया, और धीरे-धीरे नए स्वतंत्र देशों का ध्यान केंद्रित हुआ (Mohamed et al. , 2019)। इस अवधि के दौरान, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य बन गई। हालांकि, विकास अर्थशास्त्रियों ने पाया कि आर्थिक वृद्धि एकमात्र पहलू नहीं है जिसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह था कि विकास ढांचे की अवधारणा में कुछ समस्या थी, क्योंकि आर्थिक विकास केवल कुछ मात्रात्मक परिवर्तनों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि गुणात्मक परिवर्तनों को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए, इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता था, गुणात्मक पहलुओं की अनदेखी करता था जो अब तक मात्रात्मक नहीं थी लेकिन विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।

आर्थिक वृद्धि को विकास के मानक के रूप में उपयोग करने की सीमाओं पर बहस ने आर्थिक विकास की पुनर्परिभाषा को जन्म दिया। 1970 के दशक में, विकास की अवधारणा को गरीबी उन्मूलन के विचार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया (Ayasrah, 2012)। इस अवधि के दौरान, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की कमी आर्थिक विकास का मुख्य ध्यान बन गई। हालांकि, विकास अर्थशास्त्रियों ने विकास के भौतिक पहलुओं पर अत्यधिक जोर देने की उपयुक्त उत्तार नहीं प्रदान किए। यह तथ्य दिखाया गया कि कई देशों में वास्तविक आय नाटकीय रूप से बढ़ी, लेकिन उनकी जनसंख्या की आत्म-रिपोर्ट की गई वस्तुनिष्ठ भलाई न केवल बढ़ी बल्कि वास्तव में घट गई (Chapra, 2015)। इस अवधि के दौरान सामाजिक और भौतिक आयामों की विकास की अवधारणा की कोई समझ नहीं थी, और इसने कई देशों में असंतोष पैदा किया और बढ़ी हुई असमानता को जन्म दिया।

इस अवधारणा के विफल होने के कारण सतत विकास की अवधारणा 1980 के दशक में उत्पन्न हुई, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया (World Commission on Environment and Development (WCED) 1987)। यह अवधारणा यह मानती है कि विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए, जो भविष्य की पीढ़ियों की संभावनाओं को दांव पर लगाता है। सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए, सतत विकास में, सामाजिक पहलू आर्थिक विकास के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है जो भविष्य के विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इस अवधारणा ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था में यह एक लंबा और प्रभावशाली बदलाव नहीं कर सका।

सामाजिक विकास का प्रमुख उद्देश्य मानव विकास, गरीबी उन्मूलन और एक उच्च जीवन स्तर की दिशा में जाना है, और इसके लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) 2000 के दशक में प्रस्तुत किए गए थे। एमडीजी का उद्देश्य है कि सभी गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, और एक सुसंगत और स्थिर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके जो पूरे मानवता के लिए तात्पर्य है। यह अवधारणा हर किसी के विकास के अवसरों के लिए प्राथमिकता देती है और सभी मानव जीवन के पहलुओं को शामिल करती है। हालांकि, डक्ले की अवधारणा के बावजूद, सामाजिक विकास के अंतर्निहित और गहन मुद्दे, जैसे गरीबी और असमानता, पूरी तरह से हल नहीं हो सके और कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी।

सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्वानों ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को शामिल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 2015 में प्रस्तुत किए (Sachs 2015)। SDGs का उद्देश्य सामाजिक और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है और यह वैश्विक विकास के मुद्दों के सभी पहलुओं को संबोधित करने की दिशा में है। इसके लिए,SDGs सामाजिक विकास के आयामों को अच्छी तरह से समझने और विकास के संदर्भ में सामाजिक पहलुओं को शामिल करने के लिए बनाया गया है।

इस प्रकार, विकास की अवधारणा ने समय के साथ बदलाव किया है, जहां सामाजिक विकास का जोर केवल भौतिक विकास पर नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलुओं पर भी केंद्रित है।

निष्कर्ष और सिफारिशें – सामाजिक विकास का व्यापक दृष्टिकोण सामाजिक आयामों को सभी पहलुओं में शामिल करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, सामाजिक विकास ढांचा अभी भी सामाजिक विकास की गतिशीलता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने में असमर्थ है। इस पेपर ने मौजूदा सामाजिक विकास ढांचे के भौतिक आयाम पर ध्यान केंद्रित किया और सामाजिक विकास के विशेषताओं, परिभाषाओं, आयामों और ढांचे की आलोचनात्मक जांच की।

प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, सामाजिक विकास केवल भौतिक पहलुओं पर नहीं बल्कि सभी सामाजिक और मानव जीवन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए, सामाजिक विकास की परिभाषा और विशेषताओं को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है और एक व्यापक और समावेशी सामाजिक विकास ढांचा विकसित करने की दिशा की सिफारिश की जाती है जो केवल भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलुओं को भी शामिल करता है। इस प्रकार, सामाजिक विकास की संपूर्णता और गतिशीलता को पूरी तरह से समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है जो भविष्य में सामाजिक विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

राजस्थान की परम्परागत जल संचयन प्रणालियों की पुनरस्थापना की संभावनाएँ

कैलाश शर्मा *

* शोधार्थी (भूगोल) (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल और विविध भौगोलिक स्थितियों के कारण जल संसाधनों के मामले में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करता है। इस राज्य का अधिकांश भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ वर्ष भर पानी की अत्यधिक कमी रहती है। यहां की मरुस्थलीय और अर्ध-शुष्क जलवायु में पानी की आवश्यकता अत्यधिक है, लेकिन इसकी आपूर्ति सीमित है। ऐतिहासिक रूप से यहां के निवासियों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए विभिन्न जल संचयन और संरक्षण प्रणालियों का विकास किया। ये प्रणालियाँ स्थानीय भौगोलिक और जलवायवीय परिस्थितियों के अनुरूप थीं और सामुदायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। इन पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों में बावड़ी, जोहड़, तालाब, टांका और नाड़ी जैसी विधियाँ शामिल थीं जो न केवल जल संग्रहण का काम करती थीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थीं। समय के साथ आधुनिकता और तकनीकी विकास के चलते ये परम्परागत प्रणालियाँ उपेक्षित होती गईं परिणामस्वरूप आज राजस्थान में जल संकट और भी गहरा हो गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान के जल संसाधनों का व्यापक तुलनात्मक अध्ययन करना और परम्परागत जल संचयन प्रणालियों की पुनर्स्थापना की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। शोध पत्र में इन परम्परागत प्रणालियों की पृष्ठभूमि और उनके महत्व को समझेंगे, साथ ही यह भी विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन प्रणालियों का पुनर्जीवन राज्य के वर्तमान जल संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में जल संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए इन पारंपरिक प्रणालियों का पुन:स्थापन आवश्यक है।

भारत में मानसून की अनियमितता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अनावृष्टि, अतिवृष्टि और आंशिक वृष्टि की समस्याएँ प्राय: देखने को मिलती हैं। परन्तु राजस्थान का मामला विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है जहाँ वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा अत्यंत कम होती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 500 मिमी के बीच रहती है जो देश के अन्य भागों की तुलना में काफी कम है। इस जलवायवीय चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से स्थानीय भूगोल और जलवायवीय परिस्थितियों के अनुसार परम्परागत जल संचयन प्रणालियों का विकास किया।

इन ढांचों ने न केवल जल संग्रहण में सहायता की, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरणस्वरूप, जोहड़ों और तालाबों का उपयोग न केवल जल संचयन के लिए होता था, बल्कि वे सामुदायिक मेल-मिलाप और धार्मिक आयोजनों के केंद्र भी थे। राजस्थान की जल समस्या का समाधान आज भी इन परम्परागत विधियों के पुनर्जीवन में छिपा हुआ है जो सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इन प्रणालियों के विकास में ऐतिहासिक तत्वों के साथ-साथ विविध भौगोलिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरणस्वरूप राजस्थान का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जहाँ स्थायी रूप से बहने वाली नदियाँ नहीं हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जैसे- लूणी और बनास वर्षा पर निर्भर रहती हैं। इस क्षेत्र में अनियमित और कम वर्षा, नदियों में अपर्याप्त जल प्रवाह और भौगोलिक दृष्टि से जल की उपलब्धता की कठिनाइयों ने पारम्परिक जल संचयन प्रणालियों के विकास को मजबूती दी। बावड़ी, जोहड़, तालाब और टांका जैसी संरचनाएँ जो मुख्यत: वर्षा जल संग्रहण पर आधारित थीं इन जलवायवीय चुनौतियों का सामना करने में सहायक साबित हुईं।

राजस्थान की प्रकृति और संस्कृति के बीच एक गहरा संबंध है जो इन जल संचयन प्रणालियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहां की संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को महत्व दिया जिसके परिणामस्वरूप इन प्रणालियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए जोहड़ और तालाब न केवल जल संरक्षण के साधन थे बल्कि वे सामुदायिक जीवन के केंद्र भी थे जहाँ धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते थे। ये प्रणालियाँ समाज की आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति लोगों की समझ और उनकी जवाबदेही का प्रतीक हैं।

राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा-महाराजाओं और सेठ-साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति को अमर बनाने और अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से इस प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अद्वितीय और कलात्मक बावड़ियों, कुओं, तालाबों, झालरों, और कुंडों का निर्माण करवाया। इन संरचनाओं ने न केवल जल संचयन के उद्देश्य को पूरा किया बल्कि वे राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा बनीं। उदाहरणस्वरूप जोधपुर की मशहूर 'तूरजी की बावड़ी' और जयपुर की 'पन्ना मीना की बावड़ी' अपनी अद्वितीय वास्तुकला और जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण उस समय की तकनीकी कुशलता और समाज के जल के प्रति जागरूकता का प्रमाण है।

राजस्थान में पानी के पारंपरिक स्रोतों की विविधता इस क्षेत्र की जलवायवीय और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने की अनूठी क्षमता को दर्शाती है। यहां नाड़ी, तालाब, ओहड़, बन्धा, सागर, समंद और सरोवर जैसे विभिन्न जल स्रोत पाए जाते हैं जो स्थानीय जल संचयन प्रणालियों का हिस्सा हैं। इनमें से श्नाड़ीश को विशेष रूप से सामुदायिक जलाशय के रूप में जाना जाता है जहां वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। श्तालाबश और श्ओहड़श भी महत्वपूर्ण जलस्रोत हैं जो जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि और पशुपालन के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति करते हैं।

राजस्थान में कुओं का भी विशेष महत्व है। यहां कई प्रकार के कुएँ पाए जाते हैं, जैसे- 'बरानी कुएँ', जो वर्षा जल पर निर्भर होते हैं और श्झालर कुएँश जो विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखते हैं। 'बावड़ी' और 'झालरा' भी राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों में शामिल हैं जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 'झालरा' विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक आयोजनों के लिए बनाए जाते थे और आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में इनका उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है।

इन संरचनाओं ने न केवल जल संग्रहण का कार्य किया बल्कि राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थापत्य कला के इन अनमोल रत्नों ने न केवल उस समय के जल संचयन की आवश्यकता को पूरा किया बल्कि यह भी दर्शाया कि कैसे जल और संस्कृति का अभिन्न संबंध रहा है। आज इन पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्स्थापन न केवल राजस्थान की जल समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

राजस्थान के किले अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन इनका जल प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से ध्यान देने योग्य और शिक्षाप्रद है। इन किलों में जल संचयन की परम्परा केवल तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर से गहराई से जुड़ी हुई है। उदाहरणस्वरूप जयपुर के आमेर किले और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में जल संचयन के लिए बनाए गए टांके, बावड़ी और जलाशय अद्वितीय हैं जो किले की संरचना का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं।

इन किलों में जल का संग्रहण और संरक्षण बेहद कुशलता से किया गया था ताकि लंबे समय तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये किले ऊँचाई पर स्थित थे जहाँ जल का प्राकृतिक स्रोत सीमित था। इसलिए, वर्षा जल को संग्रहित करने और भूमिगत जलाशयों में संरक्षित करने के लिए जटिल प्रणालियाँ विकसित की गईं।

राजस्थान में जल संचयन की परम्परा वहाँ के सामाजिक ढाँचे का अभिन्न हिस्सा रही है जहाँ जल को केवल एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र तत्व के रूप में देखा जाता है। इस धार्मिक दृष्टिकोण के कारण प्राकृतिक जलस्रोतों जैसे- नदियों, तालाबों और कुओं की पूजा की जाती थी जिससे समाज में जल के संरक्षण और सम्मान की भावना विकसित हुई। इन संरचनाओं के निर्माण और उपयोग में लोक कथाओं और आस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो पानी की प्रत्येक बूँद का सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित उपयोग करने की शिक्षा देती थीं। इन परम्पराओं ने न केवल जल संचयन की प्रणालियों को विकसित किया बल्कि कठिन जीवन परिस्थितियों में भी राजस्थान के लोगों को आत्मनिर्भर और जल के प्रति जागरूक बनाया जिससे वे अपने जीवन को सहज और सुरक्षित बना सके।

वर्तमान में जल संसाधनों का प्रबंधन मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकों पर आधारित हो गया है जिसमें डैम, नहरें और पाइपलाइनें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये तकनीकें बड़े पैमाने पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई हैं और इन्होंने कई क्षेत्रों में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने थार मरुस्थल के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता में सुधार किया है जिससे कृषि और पेयजल की समस्याओं का समाधान हुआ है। इसी तरह, बीसलपुर बांध ने जयपुर और अजमेर जैसे शहरों में लाखों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। पाइपलाइनें अब दूर-दराज के इलाकों में पानी की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं जिससे जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक वितरण संभव हुआ है।

हालांकि इन आधुनिक प्रणालियों के दीर्घकालिक प्रभाव और स्थायित्व पर सवाल उठते हैं। बांध और नहरें अक्सर प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करती हैं जिससे पर्यावरणीय संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा ये संरचनाएँ महंगी होती हैं और इनके रखरखाव में भारी खर्च आता है। पानी की पाइपलाइनों में रिसाव और क्षरण की समस्या भी आम है जिससे जल की बर्बादी होती है। इसके विपरीत राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ जैसे- बावड़ी, जोहड़ और तालाब स्थानीय जलवायवीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं। ये प्रणालियाँ प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने और जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थीं। वे न केवल जल संचयन में प्रभावी थीं बल्कि सामुदायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी थी जो समाज को जल के प्रति जागरूक बनाती थीं। आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों का यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संयोजन आवश्यक है।

राजस्थान में जल संचयन की परम्परागत प्रणालियों की पुनर्स्थापना की संभावनाएँ आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। राज्य की भौगोलिक और जलवायवीय परिस्थितियों को देखते हुए ये पारंपरिक प्रणालियाँ जल संरक्षण और प्रबंधन का एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए अलवर जिले में जोहड़ों की पुनर्स्थापना का कार्य टारुण भारत संघ द्वारा किया गया जिसने न केवल भूजल स्तर को पुन: स्थापित किया बल्कि पूरे क्षेत्र में कृषि और पशुपालन की स्थिति में सुधार लाया। इसी प्रकार जैसलमेर में खड़ीन प्रणाली की पुनर्स्थापना से वर्षा जल का संग्रहण और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है जिससे किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिल सका है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ न केवल प्रभावी हैं बल्कि वे स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक हैं।

इन परम्परागत प्रणालियों की पुनर्स्थापना से न केवल जल संकट को कम किया जा सकता है बल्कि यह समाज के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा देती हैं। पारंपरिक प्रणालियाँ जैसे कि बावड़ी, तालाब, और नाड़ी आदि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने की क्षमता रखती हैं और स्थानीय पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करती हैं। इसके अलावा ये प्रणालियाँ सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय ज्ञान के आधार पर

संचालित होती थी जिससे समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती थी। इन प्रणालियों के पुनर्जीवन से न केवल जल स्रोतों का संरक्षण होगा बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा।

सरकार और स्थानीय समुदायों द्वारा संयुक्त प्रयासों से इन प्रणालियों की पुनर्स्थापना न केवल संभव है बल्कि यह एक स्थायी और प्रभावी जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और सरकारी प्रयासों के सम्मिलन की आवश्यकता है। परम्परागत प्रणालियों का पुनर्स्थापना न केवल एक तकनीकी उपाय है बल्कि यह समाज के पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में भी एक कदम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेहता आर. के. : 'राजस्थान की जलवायु और जल संसाधन', जयपुर पब्लिकेशन्स, 2021
2. शर्मा, एस. पी. : 'भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली', नेशनल बुक ट्रस्ट, 2019
3. सिंह, डी. पी. : 'राजस्थान में जल संकट: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', अकादमिक प्रकाशन, 2020
4. जोशी, एम. एस. : 'पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों का पुनर्स्थापन और उसका प्रभाव', राजस्थान यूनिवर्सिटी, 2018
5. टारुण भारत संघ की वार्षिक रिपोर्ट, 2023

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
April to June 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLII

मानवतावाद और नीतिपरक राजनीति

डॉ. डी.के.वर्मा *

*** एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एस.बी.एन. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – राजनीति समाज का दर्पण है। यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। राजनीति सम्पूर्ण समाज में व्याप्त है। राजनीति से बाहर कुछ भी नहीं है। जल, जंगल, जमीन, सम्पदा, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, वाणिज्य, चरित्र, सोच, सत्ता, प्रशासन आदि सभी कुछ राजनीति से निर्णीत एवं प्रभावित है। समाज के सम्पूर्ण परिवेश को राजनीति घेरे हुए है।

सत्ता के साथ सब चीजें नकल होनी शुरू हो जाती हैं। सत्ताधिकारी जो करता है, वह सारा मुल्क करने लगता है। तो राजनीति पर तो अत्यन्त शुद्धि की जरूरत है। वहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, कि अच्छा आदमी वहाँ हो। जब अनुयायी को यह पता चल जाये, कि सब नेता बेईमान हैं, तो अनुयायी को कितनी देर तक ईमानदार रखा जा सकता है ? अच्छे आदमी के राजनीति में आने से आमूल परिवर्तन होने लगेंगे। फिर अच्छे आदमी की यह खूबी है कि वह कुर्सी को पकड़ नहीं लेगाय क्योंकि अच्छा आदमी कुर्सी की वहज से ऊंचा नहीं हो गया है। ऊंचा होने की वजह से उसे कुर्सी पर बिठाया गया है। भारत के राजनीति परिदृश्य पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय की 'राजनीति विचारशून्यता एवं मूल्यहीनता' की शिकार है और इसलिए गहरे अन्तर्विरोध, गतिरोध तथा चारित्रिक संकट में फँसती चली जा रही है। भारत के राजनीतिक दल अपनी–अपनी विचारधारा की बात करते हैं। वैचारिक सामंजस्य समाप्त हो गया है। सभी दल व नेता जनता को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य ने जन कल्याण के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य को यस लिया है। भारत का राजनीतिक संकट और अधिक गहरा होता जा रहा है। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पतन के कुहासे में डूबती जा रही है।

देश का राजनीतिक संकट सिर्फ राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, सांस्कृतिक विच्छिन्नता अथवा जातिवाद के जहर के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वरन् इसका प्रमुख आधार नैतिक मूल्यों के ह्रास में निहित है। अध्यात्म के जीवन–सत्यों एवं नैतिकता को बिसराकर भौतिकवाद की तरफ बढ़ते कदमों ने राजनीति के स्वरूप को अमानवीय बना दिया है। प्रेम सिंह लिखते हैं कि 'भारत के राजनीतिक संकट का सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम एक निर्णायक विचारधारा के रूप में पूँजीवादी उपभोक्तावाद की प्रतिष्ठा है।'

राजनीतिशास्त्र और नीतिशास्त्र – कोई भी राजनीति 'नीति' के दायरे से परे नहीं हो सकती। 'नैतिकता' राजनीति का मूलाधार है। जो लोग दोहरी नैतिकता के सिद्धान्त को अपनाते हैं, वे राजनीति को व्यवसाय में बदल देते हैं। आज साध्य और साधनों में अन्तर करके किसी भी प्रकार उद्देश्यों को पूरा कर लेने की सामान्य प्रवृत्ति बनती जा रही है। राजनीतिज्ञ केवल अपने कार्यक्रमों की सफलता में ही उत्सुक नजर आते हैं, जन सेवा या कल्याण में नहीं। वे अनैतिक साधनों के द्वारा भी अपना ध्येय पा लेना चाहते हैं। किन्तु राजनेताओं की कोई भी सफलता केवल राजनीतिक नहीं हो सकती, यह नैतिक भी होना चाहिए।

रीनहोल्ड नेबर का मत है कि चूँकि मानव लक्ष्यों व प्रेरकों के बारे में बाहर से मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है, अत: किसी कार्य या नीति के 'सामाजिक परिणामों' को ही इनकी नैतिकता की वास्तविक कसौटी मानी जानी चाहिए, इसके अप्रकट लक्ष्यों को नहीं।

यदि राजनीति का क्षेत्र खुला, स्वतन्त्र व नियन्त्रण के बाहर होगा तो ऐसी राजनीति में अनिवार्यत: कई बुराइयाँ प्रवेश करेंगी और धीरे–धीरे यह 'अनैतिक राजनीति' का रूप धारण कर लेगी। ऐसी राजनीति व्यक्तियों को खुली चेतना से अपराध करने के लिए प्रेरित करेगी। फलस्वरूप, राजनीति और नीतिशास्त्र में अन्तर बढ़ता जायेगा।

नीतिशास्त्रीय प्रजातंत्रीय समाजवाद – 'राजनीतिकव्यवस्था' सामाजिक व्यवस्था का एक आवश्यक आयाम है। राजनीति का सम्बन्ध शक्ति के प्रशासन से है। राजनीतिक जीवन के स्वरूप शक्ति की प्रकृति और वितरण के अनुसार तथा उन सीमाओं, जिनके भीतर व्यक्ति–समूह शक्ति प्राप्त करते है एवं शक्ति का उपयोग करते है, के अनुसार भिन्न–भिन्न होते हैं। लेकिन 'शक्ति' मूल्यों से पृथक् नहीं की जा सकती क्योंकि शक्ति की प्रकृति, जो कि राजनीतिक परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व रखती है, विकास की प्रक्रिया का एक आयाम है और जो व्यक्ति को सदैव सम्बन्धों के नये स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होती है। व्यक्तियों के आपस में जुड़े होने के कारण शक्ति और मूल्य भी अन्तर्सम्बन्धित होते हैं। मूल्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति की जरूरत होती है तथा शक्ति के उपयोग का तात्पर्य मूल्यों से है। अत: शक्ति सम्बन्धों का आशय उन मूल्यों के प्रकार्य से है जो व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों में निहित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था जीवन का पृथक् क्षेत्र नहीं है वरन् सामाजिक व्यवस्था की पराकाष्ठा एवं चरम बिन्दु है क्योंकि यह जीवन की सबसे अधिक व्यापक एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस कारण से राजनीति के क्षेत्र में प्राकृतिक नियमों एवं सार्वभौमिक सिद्धान्तों एवं मानदण्डों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

नीतिशास्त्रीय जनतान्त्रिक समाजवाद की अवधारणा यह मानती है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि इसके सदस्यों में 'धर्म' अर्थात् अपने कर्तव्य के निर्वाह की भावना विकसित हो। ऐसे समाज के सभी सदस्यों विशेषकर राजनीतिज्ञों का यह कर्तव्य होना

चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण एवं खुशहाली के लिए कार्य करें। हमारा कर्तव्य वही है कि 'हमें क्या उचित करना चाहिए और 'चाहिए' की भावना में सम्पूर्ण नीतिशास्त्र निहित है। अत: राजनीतिक संगठनों को केवल नौतिशास्त्रीय भावना से एवं नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर ही आचरण करना चाहिए। नीतिशास्त्रीय-जनतान्त्रिक समाजवाद में 'राज्य' आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा सामूहिक संसाधनों के उचित प्रबन्ध और उपयोग के लिए कार्य करता है ताकि समाज के सदस्यों के सामान्य कल्याण में वृद्धि की जा सके। नैतिक एवं प्रजातंत्रीय राज्य 'शक्ति' पर आधारित नहीं होगा, यद्यपि कभी-कभी आवश्यक होने पर उस दशा में जबकि सामाजिक अव्यवस्था को रोकने व नैतिक मूल्यों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना आवश्यक हो, राज्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह राज्य न तो अधिनायकवादी होगा और न ही पूँजीवाद समाज में सम्पत्ति की विषमताओं के कारण अपराधों को बढ़ाने वाला होगा। यह राज्य सुधारवादी होगा जो मानवीय कमजोरियों को दूर करेगा। नैतिक- जनतन्त्रीय राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग न केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए करेगा वरन् शक्ति को नैतिक ढंग से भी प्रयोग में लायेगा।

प्रजातन्त्र की समाज में शक्तियाँ – इस प्रकार नैतिक एवं जनतन्त्रीय समाज में शक्ति का प्रयोग पूर्ण रूप से जासूसों एवं पुलिस के हाथों में नहीं दिया क्योंकि इसके प्रयोग का उद्देश्य 'सहयोग' प्राप्त करना है जो कि स्वतन्त्र नागरिकों द्वारा स्वतन्त्र वातावरण में ही देना सम्भव है। इसके लिए हमें सामाजिक चेतना जाग्रत करनी होगी, आत्मिक सहयोग देने के लिए सांस्कृतिक प्रेरणा देनी होगी तथा एक 'आध्यात्मिक लालसा' उत्पन्न करनी होगी जो प्रतिबन्धित, कठोर एवं श्रम-साध्य कर्तव्य के निर्वाह को भी एक 'आनन्द' में बदल देगी।

नीतिशास्त्रीय जनतंत्रीय समाजवाद व्यक्ति की आन्तरिक एवं आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है क्योंकि यह 'मानवता' को सदैव 'साध्य' के रूप में देखता है, साधन के रूप में नहीं। ऐसे समाज में सरकार सभी व्यक्तियों की खुशहाली के लिए कार्य करती है। सरकार यह लक्ष्य 'उत्तरदायित्वपूर्ण आजादी' की अवधारणा के माध्यम से प्राप्त करती है जिसमें राज्य सभ्यता का एक सच्चा उपकरण बनकर अपने नागरिकों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का आदर्श प्रस्तुत करता है।

ऐसे समाज में व्यक्ति को स्वतन्त्र एवं प्रसन्न रहने का समान अवसर उपलब्ध रहता है। यह राजनीतिक प्रस्थिति, नैतिक अवधारणा तथा सामाजिक दशा कृ इन तीनों का मिश्रण है। यह भावात्मक समानता को प्राकृतिक असमानता के तथ्य के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। इसी समाज में व्यक्ति को स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वह अपने लिए सर्वोकृष्ट कल्याण को प्राप्त कर सकता है। ऐसे समाज में उसके न्यायोचित अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है तथा यह वैयक्तिक उत्तरदायित्व व स्व-सहायता की दिशा में उपलब्ध श्रेष्ठ सहायता है।

वर्तमान प्रजातन्त्र की अनेक कमियाँ है। यह नागरिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है, दल-पद्धति से बहुमत का अत्याचार बढ़ता है। यह अत्यधिक धीमे विकास एवं अयोग्यता को बनाये रखने की पद्धति है। यह संख्या-बल, अनुत्तारदायित्व तथा शौकिया एवं अपरिपक्व राजनीतिज्ञों को बढ़ावा देती है। इसमें सिद्धान्तहीनता, अपव्यय, भ्रष्टाचार, रिश्वतबाजी, भाई-भतीजावाद, भ्रष्ट आचरण, भौतिकवाद, उपभोगवादी दृष्टि, सम्पत्ति निर्माण, चापलूसी, लोभ-लालच, चरित्रहीनता, आध्यात्मिक अवमूल्यन आदि बुराइयाँ तेजी से पनपती हैं। इन सब विकृतियों को रोकने का एकमात्र प्रभावी उपाय 'नीतिशास्त्रीय प्रजातंत्र' की स्थापना करना है।

राजनीतिक प्रजातंत्र की पद्धति – भारत में पाश्चात्य राजनीतिक प्रजातंत्र की पद्धति की नकल की गई जो जहाँ स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह नागरिकों पर भ्रष्टीकरण एवं नैतिक पतन का प्रभाव डालती है। यह पद्धति भौतिकवादी दर्शन एवं सुखवादी प्रमापों पर आधारित है। इसमें राजनेताओं की निष्ठा अदृश्य ईश्वर के प्रति नहीं, वरन् 'चमकीले स्वर्ण' के प्रति होती है। शक्ति और मुद्रा भारतीय राजनीति में नैतिक संकट ही उनका भगवान होता है। वे सत्ता के लालच में झूठे आदर्शों को स्वीकार करते हैं तथा 'मूल्यों का मूल्यान्तरण' करते हैं। तथाकथित प्रजातंत्र सम्पूर्ण समाज को विभिन्न दलों में बाँट देता है।

दलीय प्रणाली से समाज में घृणा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कर्तव्यों की उपेक्षा, दायित्वहीनता, चरित्र-हनन, अप०' एवं बर्बादी बढ़ती है। दलीय पद्धति से प्रत्याशी का सही चयन संभव नहीं होता। यह वैयक्तिकता को कुचल देती है। यह सम्पूर्ण राजनीति को अधम घृणित बना देती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली का सबसे बुरा पहलू राजनीतिज्ञों के चरित्र हनन एवं विवेकपूर्ण एवं आध्यात्मिक तत्तवों की अनुपस्थिति से जुड़ा है।

यदि हमें शासकों को गुणी, विद्वान् एवं सुसंस्कृत बनाना है तो शासन के उच्च स्तरों पर विवेकशील विचारकों को स्थान देना होगा जो जीवन में नैतिक नियमों का संचार करते हैं। उत्कृष्टता विशिष्ट होती है। नीतिशास्त्रीय प्रजातन्त्र उन व्यक्तियों को नीति निर्माण का कार्य नहीं सौंपता है जो नैतिक नियमा से अपरिचित होते हैं। इसमें उन व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित करके आगे लाया जाता है जो नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिक योग्य होते हैं। नीतिशास्त्रीय प्रजातांत्रिक समाज में राजनीतिज्ञ भौतिक चिन्ताओं व प्रतिस्पर्धा से मुक्त होंगे तथा उनमें कर्तव्य की भावना सदैव माजूद रहेगी। राजनीतिज्ञों का यह समूह विशेषज्ञों जैसे दक्ष किसान, वैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री, नीतिविद्, आध्यात्मिक सन्त आदि से गठित होगा जो ज्ञान, अनुभव चरित्र के धनी होंगे। इनका चयन समाज में गुप्त सूचनाओं व जाँच के आधार पर होगा। ये समाज एवं राज्य को व्यापक मार्गदर्शन देने वाले लोग होंगे। ये अति विवेकशील एवं नैतिक नियमों के ज्ञाता होंगे।

नीतिशास्त्रीय प्रजातांत्रिक राजनीतिक तंत्र में प्रधान मंत्री के भेष में कोई तानाशाह नहीं होगा जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र चक्कर लगाता है। वहाँ कोई दलीय राजनीति नहीं होगी। वहाँ कोई दलीय प्रचार, चुनावी रणनीति, दलीय अध्यक्ष की आवाज, राजनीतिक अनुयाचन, पक्षप्रचार, अवांछनीय हथकंडे जैसे तरीके नहीं अपनायें जायेंगे। चुने हुए सदस्यों में से नीति निर्धारकों का समूह गठित होगा जो कि केवल योग्यता के आधार पर चयनित होगा। ऐसी राजरी ते व्यवस्था में 'दलीय अनुशासन', 'दलीय कार्यवाही', 'दलीय प्रमुख निर्देश या इच्छा' अथवा चापलूस कार्यकर्ता जैसी परम्परायें नहीं होंगी।

भावी दृष्टि-मानवातावादी एवं नीतिपरक राजनीति – भविष्य अनेक चुनौतियों व नैतिक खतरों से भरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजनीतिक तंत्र में अवमूल्यन की गति, स्तर व सीमा क्या होगी, इसका पूर्वानुमान भी कठिन है। किन्तु भारतीय राजनीति की दिशा नैतिक मूल्यों के विघटन की ओर है और यह सतर्क एवं जागरूक हो जाने का संकेत भी है। आज भारतीय राजनीति आशंकाओं, अनिश्चितताओं, विफलताओं, वर्जनाओं, विकृतियों,

विषाद, सम्भावनाओं एवं अवसरों के बीच लड़खड़ाती हुई। खड़ी है। भारत की मौजूदा राजनीतिक दु:स्थिति का निराकरण संभव है। यह अपने स्वर्णिम दौर से भी गुजरी है। भारत के राजनीतिक चिन्तन ने विश्व को भी दिशा दी है।

जब कभी राजनीति 'शक्ति' पर केन्द्रित होने लगती है अथवा 'सत्ता' के चारों ओर घूमने लगती है, नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन की समस्या खड़ी हो जाती है। अत: राजनीति में इस पर विचार करना कि 'शक्ति' को कैसे संचालित, विभाजित अथवा वितरित किया जाये, एक नीतिशास्त्रीय समस्या है। शक्ति के सही उपयोग अथवा दुरुपयोग के व्यापक एवं निश्चित नैतिक निहितार्थ हैं।

'नैतिकता' निजी जीवन के साथ-साथ राजनीतिक व्यवहार का भी आदर्श एवं कसोटी मानी जानी चाहिए। व्यक्तियों और नागरिकों के रूप में हमारी अपेक्षायें एवं आदर्श समान होते हैं। घर और राष्ट्र की सुरक्षा एवं शान्ति समान रूप से महत्त्वपूर्ण होती है। निजी एवं राजनीतिक सम्बन्धों को विकसित करने की स्वतन्त्रता भी हमारी संस्कृति का ही अंग है तथा व्यक्ति के आदर्शों व स्वतन्त्रताओं की रक्षा राज्य के नैतिक व्यवहार, नीतिगत सोच एवं नीतिशास्त्रीय आचरण पर ही निर्भर है।

राजनीति और नीतिशास्त्र का समन्वय एवं सुमेल – मेक्स वेबर ने नीतिशास्त्र-प्रवृत्त आचरण के दो सिद्धान्तों का वर्णन किया हैकृएक है 'उत्तरदायित्व की नैतिकता' तथा दूसरा है 'परम लक्ष्य की नैतिकता'। जो लोग परम लक्ष्य की नैतिकता में विश्वास करते हैं, वे अपनी क्रियाओं के परिणामों पर ध्यान नहीं देते तथा वे कार्यों के परिणामों के प्रति उत्तरदायित्व को अस्वीकार करते हैं। वे केवल तभी अपने को 'उत्तरदायी' समझते हैं जब उनके पवित्र उद्देश्यों की प्यास नहीं बुझती। वे सामाजिक व्यवस्था में अन्याय का विरोध करते हैं। 'उत्तरदायित्व की नैतिकता' में विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का पूर्वानुमान करके व्यवहार करते हैं तथा उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं।

वेबर का विचार है कि जीवन के नैतिक विरोधाभासों से बचा नहीं जा सकता तथा अपने निर्णयों व कार्यों का उत्तरदायित्व भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। वेबर ने राजनीति के क्षेत्र में 'व्यक्तित्व चमत्कार' की अवधारणा का प्रयोग करते हुए 'परम लक्ष्यों की नैतिकता' तथा 'उत्तरदायित्व की नैतिकता' के भेद को पाटने पर बल दिया है। वे राजनीति में इन दोनों सिद्धान्तों के संयोजन को उचित मानते हैं। उनका मत है कि 'राजनीति का संचालन मस्तिष्क से होता है, किन्तु यह निश्चित रूप से अकेले मस्तिष्क से ही संचालित नहीं होती। इसमें जन इच्छाओं, दूर दृष्टि, अपेक्षाओं, अदम्य साहस एवं नैतिक निर्णयों की भी आवश्यकता होती है।'

'राजनीति' वैयक्तिक सम्बन्धों में भाईचारा विकसित करने से कुछ अधिक है। यह सख्त लट्ठों का सुदृढ़ भेदन करने जैसी प्रकिया है। यह सभाव्य को प्राप्त करना है क्योंकि कई बार व्यक्ति असंभव को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में, राजनीतिक समस्याओं के भेदन एवं निराकरण के लिए तथा राजनीति में नवप्रवर्तन एवं सृजनात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नैतिकता, उत्तरदायित्व, जन कल्याण, प्रभावशीलता तथा नैतिक एवं परिपूर्ण आचरण की आवश्यकता होती है।

हम मूल्यों के रूपान्तरणकारी युग से गुजर रहे हैं। आज राजनीति में सन्देह, अनास्था, अविश्वास, उपद्रव, अपराध, नैतिक विघटन और निराशा का वातावरण बना हुआ है। राजनीतिक मूल्यों का विघटन जारी है। अध्यात्म, नीति और धर्म के सिद्धान्तों का अनुसरण करके ही राजनीति के चारित्रिक व नैतिक हास को रोका जा सकता है। निश्चित ही मौजूदा राजनीतिक विकृतियों ने सम्पूर्ण राष्ट्र-तंत्र को कम्पित कर दिया है। फिर भी देश के थके-हारे आहत नागरिक की राजनीतिक चेतना एवं अन्तर्विवेक अभी अवरुद्ध नहीं हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय राजनीति भौतिकवाद, स्वार्थवाद, अवसरवाद, अपराध, साम्प्रदायिक विष, भावात्मक शोषण व सत्ता भोग की छद्मवेशी नीति को त्यागकर आज नहीं तो कल यह देश राजनीतिक बिखराव, लोकतांत्रिक अध:पतन, राजनीतिक विच्छिन्नता, तथा आम नागरिक में बढ़ती राजनीतिक अनास्था, अन्तर्कलह एवं अपसंस्कृति के उपचार हेतु गहन निद्रा से जाग उठेगा।

निष्कर्ष – राजनीति के शिखर पुरुष अटलबिहारी वाजपेयी के विचारों पर केन्द्रित करते हुए यह कहा जा सकता है कि जब कोई नैतिक पुरुष एवं नीतिशास्त्री राजनीति करेगा तो वह अधिक मानवीय एवं परिष्कृत होगी। यदि राजनेता की पृष्ठभूमि नैतिक मूल्यों एवं आचरण से परिपूर्ण है तो वह मानवीय संवेदनाओं को नकार नहीं सकता। जब कभी सन्त, आध्यात्मिक पुरुष, आत्म-तृप्त अथवा नैतिक संस्कारों से परिमार्जित व्यक्ति राजनीति में पहुँचता है तो वह निर्दोष मानवीयता के खून से अपने हाथ नहीं रंगेगा। उसका हृदय दया, करुणा, क्षमा और प्रेम से आपूरित होगा, अत: उसका राजनीतिक कर्म अपने परम उद्देश्य से विमुख नहीं होगा, उसकी राजनीति व्यवसाय नहीं, वरन् मानव, समाज और राष्ट्र के लिए सेवा, त्याग और आत्म-तृप्ति का माध्यम होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. एस. राधाकृष्णन् 'ईस्टर्न रीलिजन एण्ड वेस्टर्न थॉट', पृ. 362
2. राजगोपालाचारी, 'वेदान्त इन इन्डियन इनहेरिटेंस', पृ. 176
3. राधाकृष्णन् एस, 'रिलिजन एण्ड सोसायटी', पृ. 97
4. ओशो रजनीश, 'भारत के जलते प्रश्न', पृ. 443
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 490-491

****